

پہلے چالیس سالوں سے اردو भाषा में लाखों
की तादाद में प्रकाशित होकर कुरआनी उलूम को
वेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

مآثریफल کुरآن

علماء دیوبند کے علوم کا پاسبان
دینی و علمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

حنفی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین
ٹیلیگرام چینل ہے

6

تفہیر

ہجرت مولانا مفتی محمد شفیق دہلوی

(مفتی-آ-آزم پاکستان و دارال-ولوم دہلوی)



पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में
प्रकाशित होकर कुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक
पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़्सीर

मज़ारिफ़ुल-कुरआन

जिल्द (6)

उर्दू तफ़्सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी देवबन्दी रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीय.)

रीडर अल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

तफ़सीर मअारिफ़ुल-कुरआन

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अलीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (6) सूर: मरियम ——— सूर: रूम

(पारा 16 रुकूअ 4 से पारा 21 रुकूअ 9 तक)

25 अक्टूबर 2013

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَجَعَلَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فِی الْکِتٰبِ الْحَقِیْقِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَجَعَلَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فِی الْکِتٰبِ الْحَقِیْقِ



وَإِن تَصَدَّقُوا فَإِنَّ صَدَقَاتِكُمْ
لَا تُبْطِلُ أَسْمَاءَكُمْ وَلَكُمْ
أَسْمَاءٌ كَمَا لَكُمْ أَسْمَاءٌ
وَأَنْتُمْ فِيهَا بِرَبِّكُمْ
مَعْرُوفُونَ

WA' A TADMOO BIHAB LILLAHI JAMEE-'AN WA LA A TAFARRAQOO

समर्पित

☉ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आलम, आखिरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्ताफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम, जिनका एक-एक कौल व अमल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अमली तफ़सीर था।

☉ दारुल-उलूम देवबन्द के नाम, जो कुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और कुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

☉ उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक के पैग़ाम को कुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



दिल की गहराईयों से शुक्रिया

☉ मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर खाँ साहिब (मालिक फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, कद्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब कुरआन मजीद की यह अहम खिदमत अन्जाम पा सकी।

☉ मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ़सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात का, अल्लाह तआला इन सब हज़रात को अपनी तरफ़ से खास जज़ा और बदला इनायत फ़रमाये। आमीन या रब्बल्-अलमीन।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



प्रकाशक के क़लम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से कुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शाय़ा हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फ़न के अन्दर जिस क़द्र किताबें फ़रीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ़रीद बुक डिपो के मुक़ाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फ़रीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शाय़ा हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ़्सीरे कुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफ़्सीर मज़ारिफ़ुल-कुरआन से है। इस तफ़्सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफ़्सीर मानी जाती है।

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी ने फ़रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी के इस्लाही ख़ुतबात की 15 जिल्दें और तफ़्सीर तौज़ीहुल-कुरआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तक़िल की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने क़बूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार तफ़्सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में कुरआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और कुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आम करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को क़बूल फ़रमाये और हमारे लिये इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

खादिम-ए-कुरआन

मुहम्मद नासिर ख़ान

मैनेजिंग डायरेक्टर, फ़रीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمعين.
برحمتك يا ارحم الراحمين.

तमाम तारीफों की असल हकदार अल्लाह तआला की पाक ज़ात है जो तमाम जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों उस ज़ाते पाक पर जो अल्लाह तआला की तमाम मख़्लूक में सब से बेहतर है, यानी हमारे आका व सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फज़ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज़ात तमाम खूबियों, कमालात, तारीफ़ों और बन्दगी की हकदार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफ़ी मक़बूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफ़सीर इब्ने कसीर मुकम्मल हिन्दी भाषा में पेश करने की सज़ादत नसीब हुई, जो रमज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आम पर आ चुकी है। इसके अलावा फ़रीद बुक डिपो ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर अलिम शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की मुख़्तसर तफ़सीर तौज़ीहुल-कुरआन शाय़ा होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मक़बूलियत कुरआनी तफ़सीरों में तफ़सीर मअरिफ़ुल-कुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफ़सीर उस मक़ाम तक पहुँची हो। यह तफ़सीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तक़रीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफ़सीर इतनी मक़बूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब देवबन्दी (मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफ़सीर कुरआनी तफ़सीरों में एक बड़ा कीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूम और कुरआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारात का मफ़हूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारात को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उल्लेख-ए-मुहक़िकीन ने इस तर्जुमे को इल्हामी तर्जुमा करार

है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ्ज़ बदला गया या ब्रकिट के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फ़ारसी के शेरों का मफ़हूम अगर मुसन्निफ़ की इबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अशरार को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अरबी, फ़ारसी शेरों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौकों पर अहक़र ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ़ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में ग़लती हुई हो तो उसकी निस्वत साहिबे तफ़सीर की तरफ़ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कोताही गरदाना जाये।

हल्ले लुगात और क़िराअतों का इस्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफ़सीर पर निगाह न रखने वाले, क़िराअतों के फ़न से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाकिफ़ शख्स एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफ़सीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफ़सीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर खुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौका तो है कि किसी आलिम से सबक़न् सबक़न् इस तफ़सीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफ़सीरें भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आती बल्कि बहुत सी जगह किसी आलिम से रुजू करके पेश आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफ़सीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ़सीर के ज़रिये उन्हें कुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौका तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी मोतबर आलिम से मालूम कर लें और इस तफ़सीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफ़सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौके से भी मेहरूम थे।

फ़रीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौका मिला है। इदारे के संस्थापक जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रात मौलाना क़ारी मुहम्मद तैयब साहिब मोहतमिम दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा "मालूमात का समन्दर" और "तज़क़िरा अल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी" वगैरह किताबें भी यहीं से शाय्या हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी तिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमूई तौर पर मजमून का मफ़हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ्ज़ या

सी जगह का कोई मज़मून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आलिम से मालूम कर
ना चाहिये।

तफ़सीर की यह छठी जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआला बाकी की जिल्दें भी बहुत
द आपकी ख़िदमत में पेश की जायेंगी। इस तफ़सीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया
। है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक़्त हो सकता है जबकि उर्दू तफ़सीर को सामने रखकर मुकाबला
किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी
है। अल्लाह तआला हमारी इस मेहनत को कुबूल फ़रमाये और अपने बन्दों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा
फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये आमीन।

इस तफ़सीर से फ़ायदा उठाने वालों से आजिज़ी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ
नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ फ़रमायें। अल्लाह
करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही आजिज़ी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़
करते हुए यह अर्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआला की ज़ात है। कोई भी इन्सानी कोशिश ऐसी नहीं
जिसके बारे में सौ फ़ीसद यकीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं
रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह
महज़ अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लाम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (क़ुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी
दारुल-उलूम देवबन्द की निस्बत और मेरे असातिज़ा हज़रत की मेहनत का फ़ल है, मुझ नाचीज़ का
इसमें कोई क़माल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों को समेटने, तर्तीब देने और पेश करने में जो
ग़लती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यकीनन मेरी कम-इल्मी और नाक़िस सलाहियत के सबब है।
अहले नज़र हज़रत से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मशिवरों और नज़र में आने वाली ग़लतियों व
कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा
सके। वस्सलाम

(पहली और दूसरी जिल्द प्रकाशित होकर मुल्क में फैली तो अल्हम्दु लिल्लाह उसे कद्र व पसन्दीदगी
की निगाह से देखा गया। मुझ नाचीज़ का दिल बेहद खुश हुआ कि मुल्क के कई शहरों से मुझे फ़ोन करके
मेरी इस मेहनत को सराहा गया और मुबारकबाद दी गयी। मैं उन सभी हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ और
अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार को अपने क़लाम की एक अदना ख़िदमत करने
की तौफ़ीक़ बख़्शी, इसमें मेरा कोई क़माल नहीं, उसी करीम का एहसान व तौफ़ीक़ है।)

ताल्लिबे दुआ

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

15 नवम्बर 2013

फ़ोन:- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com

एक अहम बात

कुरआन मजीद के मतन को अरबी के अलावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलखत (लिपि) में बदलने पर अक्सर उलेमा की राय इसके विरोध में है। कुछ उलेमा का ख्याल है कि इस तरह करने से कुरआन मजीद के हफ़ों की अदायगी में तहरीफ़ (कमी-बेशी और रद्दोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गईं वैसे ही खुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो ख़ैर नागुम्किन है, इसकी हिफ़ाज़त का वायदा अल्लाह तआला ने खुद किया है और करोड़ों हाफ़िज़ों को कुरआन मजीद मुँह-ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (इस तफ़सीर का हिन्दी अनुवादक) अर्ज़ करता है कि हकीकत यह है कि अरबी रस्मुलखत के अलावा दूसरी किसी भी भाषा में कुरआन मजीद को क़तई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हफ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अरबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो 'मख़ारिजे हुरूफ़' यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीका, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अरबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अरबी मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझें कि वह आपके अन्दर अरबी कुरआन पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अरबी ही पढ़िये और उसी को सीखिये। वरना हो सकता है कि किसी जगह ग़लत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अज़ाब के हक़दार न बन जायें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफ़सीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मक़ामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और कीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मक़ाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आलिम से मालूम कर लें। तफ़सीर पढ़ने के लिये यक्सूई और इल्मीनान का एक वक़्त मुक़रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस कीमती

ख़ज़ाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज़ किये देता हूँ कि असल मतन को अरबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी कद्र हक़ अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिके कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक़्त और पैसा भी ख़र्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आख़िरत का आलम सामने होगा और कुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र ख़र्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी कीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुक़रर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ ❁
आधा ●
सज्दा ⊙

पाव ❖
तीन पाव ▲

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर उ. प्र.)



बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

पेश-लफ़्ज़

वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब मद् ज़िल्लुहुम की तफ़सीर 'मआरिफ़ुल-कुरआन' को अल्लाह तआला ने अ़वाम व ख़्वास में असाधारण मक़बूलियत अ़ता फ़रमाई, और जिल्दे अब्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के वक़्त हज़रत मुसन्निफ़ मद् ज़िल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तरमीम व इज़ाफ़ा अ़मल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक़्त पहली जिल्द के शुरू में कुरआनी उलूम और उसूले तफ़सीर से मुताल्लिक़ एक मुक़द्दिमा भी तहरीर फ़रमायें, ताकि तफ़सीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हज़रत उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमज़ोरी की बिना पर हज़रत के लिये बज़ाते खुद मुक़द्दिमे का लिखना और तैयार करना मुशकिल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह ज़िम्मेदारी अहकर के सुपुर्द फ़रमाई।

अहकर ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुक़द्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और कुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुफ़स्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफ़ुल-कुरआन' के शुरू में बतौर मुक़द्दिमा शामिल करना मुशकिल था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफ़स्सल किताब का खुलासा तैयार किया और सिर्फ़ वे चीज़ें बाक़ी रखीं जिनका मुताला तफ़सीर मआरिफ़ुल-कुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह खुलासा 'मआरिफ़ुल-कुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़द्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफ़े और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का ज़ख़ीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफ़सीली इल्मी मबाहिस (बहसों) अहकर की उस विस्तृत और तफ़सीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तक़िल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-कुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हज़रत तहकीक़ और तफ़सील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ़ रुजू फ़रमायें। व मा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।

अहकर

मुहम्मद तक़ी उस्मानी

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अव्वल 1394 हिजरी

खुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह

“मआरिफ़ुल-कुरआन” में खुलासा-ए-तफ़सीर सय्यिदी हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी कुदि-स सिरूहू की तफ़सीर “बयानुल-कुरआन” से जूँ-का-तूँ लिया गया है। लेकिन उसके कुछ मौकों में ख़ालिस इल्मी इस्तिलाहात आई हैं जिनका समझना अ़वाम के लिये मुश्किल है, नाचीज़ ने अ़वाम की रियायत करते हुए ऐसे अलफ़ाज़ को आसान करके लिख दिया है, और जो मज़मून ख़ालिस इल्मी था उसको “मआरिफ़ व मसाईल” के उनवान में लेकर आसान अन्दाज़ में लिख दिया है। वल्लाहुल्-मुस्तअ़ान।

बन्दा मुहम्मद शफी

मुख्तसर विषय-सूची

मज़ारिफ़ुल-कुरआन जिल्द नम्बर (6)

मज़मून	पेज
✳ समर्पित	5
✳ दिल की गहराईयों से शुक्रिया	6
✳ प्रकाशक के कलम से	7
✳ अनुवादक की ओर से	8
✳ एक अहम बात	11
✳ पेश-लफ़्ज़	13
✳ खुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह	14
सूर: मरियम	
	39
✳ आयत नम्बर 1-15 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	42
✳ मज़ारिफ़ व मसाईल	44
✳ दुआ में अपने ज़रूरत मन्द होने का इज़हार मुस्तहब है	44
✳ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के माल में विरासत नहीं चलती	44
✳ आयत नम्बर 16-21 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	47
✳ मज़ारिफ़ व मसाईल	48
✳ आयत नम्बर 22-26 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	50
✳ मज़ारिफ़ व मसाईल	51
✳ मौत की तमन्ना का हुक्म	51
✳ चुप रहने का रोज़ा इस्लामी शरीअत में निरस्त हो गया	51
✳ बग़ैर मर्द के तन्हा औरत से बच्चा पैदा हो जाना ख़िलाफ़े अक्ल नहीं	52
✳ आयत नम्बर 27-33 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	53
✳ मज़ारिफ़ व मसाईल	54
✳ आयत नम्बर 34-40 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	58
✳ मज़ारिफ़ व मसाईल	59
✳ आयत नम्बर 41-50 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	61
✳ मज़ारिफ़ व मसाईल	63

मज़मून		पेज
★ सिद्दीक की तारीफ़		63
★ अपने बड़ों को नसीहत करने का तरीका और उसके आदाब		63
★ आयत नम्बर 51-58 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		67
★ मअरिफ़ व मसाईल		68
★ वायदा पूरा करने की अहमियत और उसका दर्जा		69
★ सुधारक का फ़र्ज है कि इस्लाह का काम अपने घर वालों से शुरू करे		70
★ रसूल और नबी की परिभाषा में फ़र्क और इनमें आपसी निस्बत		71
★ कुरआन की तिलावत के दौरान आँखें भर आना नबियों की सुन्नत है		73
★ आयत नम्बर 59-63 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		74
★ मअरिफ़ व मसाईल		76
★ नमाज़ का बेवक़्त या बिना जमाअत के पढ़ना		
★ नमाज़ को ज़ाया करना और बड़ा गुनाह है		75
★ आयत नम्बर 64-72 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		78
★ मअरिफ़ व मसाईल		80
★ आयत नम्बर 73-76 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		82
★ मअरिफ़ व मसाईल		83
★ आयत नम्बर 77-82 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		85
★ मअरिफ़ व मसाईल		86
★ आयत नम्बर 83-87 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		87
★ मअरिफ़ व मसाईल		88
★ आयत नम्बर 88-98 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		90
★ मअरिफ़ व मसाईल		91
सूर: ताँ-हा		93
★ आयत नम्बर 1-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		95
★ मअरिफ़ व मसाईल		96
★ आयत नम्बर 9-16 मय खुलासा-ए-तफ़सीर		99
★ मअरिफ़ व मसाईल		100
★ हज़रत मूसा अलैहि. ने हक़ तअला का तफ़्ज़ी कलाम बिना किसी माध्यम के सुना		102
★ अदब की जगह में जूते उतार देना अदब का तफ़्ज़ा है?		102
★ कुरआन सुनने का अदब		103

मज़मून	पेज
आयत नम्बर 17-24 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	105
मज़ारिफ़ व मसाईल	106
आयत नम्बर 25-36 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	108
मज़ारिफ़ व मसाईल	109
नेक साथी जि़क़ व इबादत में भी मददगार होते हैं	112
आयत नम्बर 37-44 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	113
मज़ारिफ़ व मसाईल	115
क्या वही किसी ग़ैर-नबी व रसूल की तरफ़ भी आ सकती है?	115
मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम	116
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली किस्सा	118
उपर्युक्त मूसा के किस्से से हासिल होने वाले परिणाम, नसीहतें, और अहम फ़ायदे	136
फ़िरऔन की अहमक़ाना तदबीर और उस पर अल्लाह की कामिल कुदरत की हैरत-अंगेज़ प्रतिक्रिया	137
मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर मोज़िज़ाना इनाम और फ़िरऔनी तदबीर का एक और इन्तिक़ाम	137
उद्योगपतियों और कारोबारियों वग़ैरह के लिये एक खुशख़बरी	138
अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों को एक महबूबियत की शान अता होती है कि हर देखने वाला उनसे मुहब्बत करता है	138
फ़िरऔनी काफ़िर शख़्स का क़त्ल जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से हो गया उसको ख़ता किस बना पर क़रार दिया गया	138
ज़ईफ़ों की इमदाद और मख़्लूक की ख़िदमत दीन व दुनिया के लिये नाफ़े और मुफ़ीद है	139
दो पैग़म्बरों में अजीर और आजिर का मामला, उसकी हिक्मतें और अजीब फ़ायदे	139
किसी को कोई ओहदा और नौकरी सुपुर्द करने के लिये बेहतरीन उसूल व क़ायदा	140
जादूगरों और पैग़म्बरों के मामलात में खुला हुआ फ़र्क़	141
फ़िरऔनी जादूगरों के जादू की हकीक़त	141
सामाजिक मामलात की हद तक क़बाईली तफ़सीम कोई बुरा काम नहीं	142
जमाअती इन्तिज़ाम के लिये ख़लीफ़ा और नायब बनाना	142
मुसलमानों की जमाअत में फूट पड़ने से बचने के लिये बड़ी से बड़ी बुराई को बक़ती तौर पर बर्दाश्त किया जा सकता है	143
पैग़म्बराना दावत का एक अहम उसूल	143
आयत नम्बर 45-50 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	

★ मआरिफ व मसाईल	145
★ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ौफ़ क्यों हुआ	145
★ मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को दावते ईमान के साथ अपनी कौम को आर्थिक मुसीबत से भी छुड़ाने की दावत दी	147
★ हर चीज़ को उसके वजूद के मुनासिब हिदायत का मतलब	147
★ आयत नम्बर 51-59 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	150
★ मआरिफ व मसाईल	151
★ हर इनसान के ख़मीर में नुफ़े के साथ उस जगह की मिट्टी भी शामिल होती है जहाँ वह दफ़न होगा	151
★ जादू की हकीकत, उसकी किस्में और शरई अहकाम	153
★ आयत नम्बर 60-76 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	156
★ मआरिफ व मसाईल	158
★ मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों को पैग़म्बराना ख़िताब	158
★ फिरऔनी जादूगरों का मुसलमान होकर सज़दे में पड़ जाना	160
★ फिरऔन की बीवी आसिया का अच्छा अन्जाम	162
★ फिरऔनी जादूगरों में अजीब बदलाव	162
★ आयत नम्बर 77-82 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	164
★ मआरिफ व मसाईल	165
★ मिस्र से निकलने के वक़्त बनी इस्राईल के कुछ हालात, उनकी तायदाद और फिरऔन के लश्कर की संख्या	165
★ आयत नम्बर 83-89 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	168
★ मआरिफ व मसाईल	169
★ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जल्द बाज़ी का सवाल और उसकी हिक्मत	170
★ सामरी कौन था?	171
★ काफ़ि़रों का माल मुसलमान के लिये किस सू़रत में हलाल है	172
★ एक अहम फ़ायदा	173
★ आयत नम्बर 90-94 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	176
★ मआरिफ व मसाईल	177
★ दो पैग़म्बरों में मतभेद और दोनों के सही होने के पहलू	178
★ आयत नम्बर 95-98 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	180
★ मआरिफ व मसाईल	180

मज़मून	पेज
सामरी की सज़ा में एक लतीफ़ा	182
इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	185
आयत नम्बर 99-114 मय खुलासा-ए-तफसीर	185
मआरिफ़ व मसाईल	187
आयत नम्बर 115-127 मय खुलासा-ए-तफसीर	191
मआरिफ़ व मसाईल	192
इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	192
बीबी का ज़रूरी खर्च शौहर के जिम्मे है	195
वाजिब खर्च में सिर्फ़ चार चीज़ें दाख़िल हैं	196
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में एक अहम हिदायत	
उनके अदब व एहतियाम की हिफ़ाज़त	197
काफ़िर और बदकार की ज़िन्दगी दुनिया में तल्ख़ और तंग होने की हकीकत	198
आयत नम्बर 128-135 मय खुलासा-ए-तफसीर	201
मआरिफ़ व मसाईल	202
दुश्मनों की तकलीफ़ों से बचने का इलाज सब्र और अल्लाह की याद में मशगूल होना है	203
दुनिया की दौलत चन्द दिन की है यह अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की	
निशानी नहीं बल्कि मोमिन के लिये ख़तरे की चीज़ है	204
अपने घर वालों और मुताल्लिकीन को नमाज़ की पाबन्दी की ताकीद और उसकी हिक्मत	205
जो आदमी नमाज़ और अल्लाह की इबादत में लग जाता है अल्लाह तआला	
उसके लिये रिज़्क का मामला आसान बना देते हैं	206
सूर: अम्बिया (पारा 17 क़द् इक़त-र-ब)	208
आयत नम्बर 1-10 मय खुलासा-ए-तफसीर	209
मआरिफ़ व मसाईल	211
सूर: अम्बिया की फ़ज़ीलत	211
क़ुरआने करीम अरब वालों के लिये इज़्ज़त व फ़ख़्र है	213
आयत नम्बर 11-15 मय खुलासा-ए-तफसीर	214
मआरिफ़ व मसाईल	214
आयत नम्बर 16-29 मय खुलासा-ए-तफसीर	217
मआरिफ़ व मसाईल	219
आयत नम्बर 30-33 मय खुलासा-ए-तफसीर	223

मज़मून	पेज
* मज़ारिफ़ व मसाईल	224
* आयत नम्बर 34-47 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	229
* मज़ारिफ़ व मसाईल	232
* मौत क्या चीज़ है?	233
* दुनिया की हर तकलीफ़ व राहत आजमाईश है	233
* जल्द बाज़ी बुरी चीज़ है	234
* कियामत में आमाल का वज़न और उसकी तराजू	235
* आमाल के तौले जाने की सूरत	235
* आमाल का हिसाब-किताब	236
* आयत नम्बर 48-50 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	237
* मज़ारिफ़ व मसाईल	237
* आयत नम्बर 51-73 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	240
* मज़ारिफ़ व मसाईल	243
* हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल झूठ नहीं बल्कि एक किनाया था,	
इसकी तफ़सील व तहकीक	244
* हदीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ तीन झूठ मन्सूब करने की हकीकत	246
* इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झूठ वाली हदीस को ग़लत करार देना जहालत है	247
* ऊपर बयान हुई हदीस में एक अहम हिदायत और इख़्लासे अमल की बारीकी का बयान	249
* हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग के गुलज़ार बन जाने के हकीकत	249
* आयत नम्बर 74-75 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	251
* मज़ारिफ़ व मसाईल	252
* आयत नम्बर 76-77 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	253
* मज़ारिफ़ व मसाईल	253
* आयत नम्बर 78-82 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	254
* मज़ारिफ़ व मसाईल	256
* क्या फ़ैसला देने के बाद किसी काज़ी का फ़ैसला तोड़ा और बदला जा सकता है?	257
* दो मुज्ताहिद अगर अपने-अपने इज्तिहाद से दो अलग-अलग फ़ैसले करें तो	
क्या उनमें से हर एक सही है या किसी एक को ग़लत कहा जाये?	258
* उक्त फ़सले का फ़ैसला शरीअते मुहम्मदी में	259
* पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह	260
* ज़िरह बनाने की कारीगरी हज़रत शऊद को अल्लाह की जानिब से अज्ञा की गयी	261

मज्मून	पेज
* ऐसी कारीगरी जिससे लोगों को फायदा पहुँचे मतलूब और अम्बिया का अमल है	261
* हज़रत सुलैमान अलैहि. के लिये हवा को ताबे करना और उससे संबन्धित मसाईल	262
* सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये जिन्नात व शैतानों का ताबे होना	263
* एक लतीफ़ा	264
* आयत नम्बर 83-84 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	265
* मअरिफ़ व मसाईल	265
* हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा	265
* हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सब के खिलाफ़ नहीं	266
* आयत नम्बर 85-86 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	268
* मअरिफ़ व मसाईल	268
* हज़रत जुल्किफ़्ल नबी थे या वली और उनका अजीब किस्सा	268
* आयत नम्बर 87-88 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	271
* मअरिफ़ व मसाईल	272
* हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का किस्सा	272
* यूनस अलैहि. की दुआ हर शख़्स के लिये हर ज़माने में हर मक़सद के लिये मक़बूल है	275
* आयत नम्बर 89-90 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	276
* मअरिफ़ व मसाईल	276
* आयत नम्बर 91 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	277
* इन आयतों के मज्मून का पीछे से संबन्ध	279
* आयत नम्बर 92-105 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	279
* मअरिफ़ व मसाईल	281
* आयत नम्बर 106-112 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	286
* मअरिफ़ व मसाईल	287
सूर: हज	288
* आयत नम्बर 1-2 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	288
* मअरिफ़ व मसाईल	289
* इस सूरत की विशेषतायें	289
* कियामत का ज़लज़ला कब होगा?	290
* आयत नम्बर 3-10 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	292
* मअरिफ़ व मसाईल	294

मजमून	पेज
★ माँ के पेट में इनसानी बनावट के दर्जे और विभिन्न हालात	294
★ इनसान की शुरूआती बनावट व पैदाईश के बाद उम्र के विभिन्न चरण और उनके हालात	296
★ आयत नम्बर 11-13 मय खुलासा-ए-तफसीर	298
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	298
★ आयत नम्बर 14-16 मय खुलासा-ए-तफसीर	299
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	300
★ आयत नम्बर 17-18 मय खुलासा-ए-तफसीर	301
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	302
★ तमाम मख़्लूक़ात के फ़रमाँबरदार और फ़रमान के ताबे होने की हकीक़त	302
★ आयत नम्बर 19-24 मय खुलासा-ए-तफसीर	305
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	305
★ जन्नतियों को कंगन पहनाये जाने की हिक्मत	306
★ रेशम के कपड़े मर्दों के लिये हराम हैं	306
★ आयत नम्बर 25 मय खुलासा-ए-तफसीर	308
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	308
★ हरमे मक्का में सब मुसलमानों के बराबर हक़ का मतलब	309
★ आयत नम्बर 26-29 मय खुलासा-ए-तफसीर	311
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	312
★ बैतुल्लाह के निर्माण की शुरूआत	312
★ हज के कामों में तरतीब का दर्जा	316
★ एक सवाल और उसका जवाब	317
★ आयत नम्बर 30-33 मय खुलासा-ए-तफसीर	319
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	320
★ आयत नम्बर 34-37 मय खुलासा-ए-तफसीर	323
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	325
★ इबादतों की खास सूरतें असल उद्देश्य नहीं बल्कि दिल का इख़्लास व इताअत मकसूद है	326
★ आयत नम्बर 38 मय खुलासा-ए-तफसीर	327
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	327
★ आयत नम्बर 39-41 मय खुलासा-ए-तफसीर	328

मज़मून	पेज
* मज़ारिफ़ व मसाईल	329
* काफ़िरों के साथ जिहाद का पहला हुक़्म	329
* जंग व जिहाद की एक हिक्मत	330
* खुलफ़ा-ए-राशिदीन के बारे में कुरआन की भविष्यवाणी और उसका ज़ाहिर होना	330
* आयत नम्बर 42-51 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	333
* मज़ारिफ़ व मसाईल	334
* ज़मीन की सैर व घूमना अगर नसीहत व सबक़ हासिल करने के लिये हो तो दीनी मतलूब है	334
* आख़िरत का दिन एक हज़ार साल होने का मतलब	335
* एक शुब्हे का जवाब	335
* आयत नम्बर 52-57 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	337
* मज़ारिफ़ व मसाईल	338
* आयत नम्बर 58-59 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	340
* आयत नम्बर 60 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	340
* मज़ारिफ़ व मसाईल	340
* आयत नम्बर 61-66 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	342
* मज़ारिफ़ व मसाईल	343
* आयत नम्बर 67-70 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	344
* मज़ारिफ़ व मसाईल	345
* एक शुब्हे का जवाब	345
* आयत नम्बर 71-74 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	348
* मज़ारिफ़ व मसाईल	349
* शिर्क व बुत परस्ती की अहमक़ाना हरकत की एक मिसाल से वज़ाहत	349
* आयत नम्बर 75-78 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	351
* मज़ारिफ़ व मसाईल	352
* सूर: हज का सज्दा-ए-तिलावत	352
* उम्मतु मुहम्मदिया अल्लाह तआला की मुन्तख़ब उम्मत है	354
<p style="text-align: center;">सूर: मोमिनून (पारा 18 क़द् अफ़्ल-ह)</p>	357
* सूर: मोमिनून के फ़ज़ाईल और विशेषतायें	358
* आयत नम्बर 1-11 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	358

★	मआरिफ़ व मसाईल	359
★	'फ़लाह' क्या चीज़ है और कहाँ और कैसे मिलती है?	359
★	कामिल मोमिन के वो सात गुण जिन पर उपर्युक्त आयतों में दुनिया व आखिरत की फ़लाह का वायदा है	361
★	नमाज़ में खुशूअ की ज़रूरत का दर्जा	361
★	आयत नम्बर 12-22 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	367
★	मआरिफ़ व मसाईल	368
★	इनसानी पैदाईश के सात दौर	368
★	हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल एक अजीब लतीफ़ा	369
★	इनसानी पैदाईश का आखिरी मक़ाम यानी उसमें रूह व जिन्दगी पैदा करना	370
★	असली रूह और हैयानी रूह	370
★	इनसानों को पानी पहुँचाने का अजीब व ग़रीब कुदरती सिस्टम	372
★	आयत नम्बर 23-30 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	376
★	मआरिफ़ व मसाईल	378
★	आयत नम्बर 31-41 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	379
★	मआरिफ़ व मसाईल	380
★	आयत नम्बर 42-50 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	382
★	आयत नम्बर 51-56 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	384
★	मआरिफ़ व मसाईल	385
★	आयत नम्बर 57-62 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	386
★	मआरिफ़ व मसाईल	387
★	आयत नम्बर 63-77 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	389
★	मआरिफ़ व मसाईल	392
★	इशा के बाद कहानी सुनाने की मनाही और ख़ास हिदायतें	393
★	मक्का वालों पर सूखे का अज़ाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ से उसका दूर होना	394
★	आयत नम्बर 78-92 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	397
★	मआरिफ़ व मसाईल	398
★	आयत नम्बर 93-100 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	399
★	मआरिफ़ व मसाईल	400
★	आयत नम्बर 101-115 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	404

मजमून	पेज
★ मज़ारिफ़ व मसालिह	406
★ मेहशर में मोमिनों और काफ़िरो के हालात में फ़र्क	407
★ आमाल के वज़न करने की कौफ़ियत	409
★ आयत नम्बर 116-118 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	411
★ मज़ारिफ़ व मसालिह	411
सूर: नूर	413
★ सूर: नूर की कुछ विशेषतायें	413
★ आयत नम्बर 1-2 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	414
★ मज़ारिफ़ व मसालिह	414
★ जिना एक बड़ा जुर्म और बहुत से अपराधों का मजमूआ है इसलिये इस्लाम में इसकी सज़ा भी सबसे बड़ी रखी गयी है	415
★ सौ कोड़ों की उक्त सज़ा सिर्फ़ ग़ैर-शादीशुदा मर्द और औरत के लिये खास है, शादीशुदा लोगों की सज़ा संगसारी है	417
★ एक ज़रूरी तंबीह	421
★ जिना की सज़ा में सिलसिलेदार तीन दर्जे	422
★ इस्लामी क़ानून में जिस जुर्म की सज़ा सख्त है उसके सुबूत के लिये शर्तें भी सख्त रखी गयी हैं	422
★ किसी मर्द या जानवर के साथ कुकर्म का मसला	423
★ इस्लाम में बुराईयों की पर्दापोशी	423
★ आयत नम्बर 3 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	424
★ मज़ारिफ़ व मसालिह	424
★ जिना के बारे में दूसरा हुक्म	424
★ आयत नम्बर 4-5 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	427
★ मज़ारिफ़ व मसालिह	428
★ जिना के मुताल्लिक़ तीसरा हुक्म झूठी तोहमत का जुर्म होना और उसकी शर्ई सज़ा	428
★ एक शुब्हा और उसका जवाब	428
★ मुहसनात कौन हैं?	428
★ आयत नम्बर 6-10 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	431
★ मज़ारिफ़ व मसालिह	432
★ जिना से संबन्धित चीज़ों में चौथा हुक्म लिज़ान का है	432

मज़मून

✳	इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	
✳	इफ़क व बोहतान का किस्सा	
✳	आयत नम्बर 11-26 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	
✳	मआरिफ़ व मसाईल	448
✳	हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खुसूसी फ़जाईल व कमालात और बोहतान वाले किस्से का कुछ बाकी हिस्सा	448
✳	हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की चन्द खुसूसियतें	452
✳	एक अहम और ज़रूरी तंबीह	456
✳	एक शुब्हा और उसका जवाब	458
✳	बदकारियों को रोकने का कुरआनी निज़ाम	458
✳	सहाबा-ए-किराम को ऊँचे अख़्लाक की तालीम	459
✳	इजाज़त लेने और आपस में मुलाकात के आदाब	463
✳	आयत नम्बर 27-29 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	464
✳	मआरिफ़ व मसाईल	465
✳	कुरआनी आदाब सामाजिक जिन्दगी का एक अहम अध्याय	465
✳	किसी की मुलाकात को जाओ तो पहले इजाज़त लो, बग़ैर इजाज़त किसी के घर में दाख़िल न हो	465
✳	इजाज़त लेने की हिक्मतें और बड़े फ़ायदे	465
✳	इजाज़त लेने का सुन्नत तरीक़ा	467
✳	ज़रूरी तंबीह	470
✳	इजाज़त लेने से संबन्धित चन्द दूसरे मसाईल	473
✳	टेलीफ़ोन से संबन्धित कुछ मसाईल	473
✳	आयत नम्बर 30-31 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	476
✳	हुक्म नम्बर छह— औरतों के पर्दे के अहकाम	476
✳	मआरिफ़ व मसाईल	478
✳	बुराईयों व बेहयाई को रोकने और आबरू की हिफ़ाज़त का एक अहम अध्याय, औरतों का पर्दा	478
✳	नवयुवकों की तरफ़ इरादे से नज़र करना भी इसी हुक्म में है	480
✳	ग़ैर-मेहरम की तरफ़ नज़र करना हराम है, इसकी तफ़सील	480
✳	पर्दे के अहकाम से जिन्हें अलग रखा गया है	481
✳	जेवर की आवाज़ ग़ैर-मेहरमों को सुनाना जायज़ नहीं	486

मजमून

पेज

✳	औरत की आवाज़ का मसला	487
✳	खुशबू लगाकर बाहर निकलना	487
✳	सजा हुआ बुर्का पहनकर निकलना भी नाजायज़ है	487
✳	आयत नम्बर 32-33 मय खुलासा-ए-तफसीर	488
✳	मआरिफ़ व मसाईल	489
✳	निकाह के कुछ अहकाम	489
✳	निकाह वाजिब है या सुन्नत या विभिन्न हालात में हुक्म अलग-अलग है	490
✳	आयत नम्बर 33 मय खुलासा-ए-तफसीर	494
✳	मआरिफ़ व मसाईल	495
✳	अर्थ व्यवस्था का एक अहम मसला और उसमें कुरआन का फैसला	496
✳	आयत नम्बर 34-40 मय खुलासा-ए-तफसीर	501
✳	मआरिफ़ व मसाईल	504
✳	नूर की परिभाषा व मतलब	504
✳	मोमिन का नूर	505
✳	नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नूर	507
✳	रोगने जैतून की बरकात	507
✳	मस्जिदें अल्लाह के घर हैं उनका अदब व सम्मान वाजिब है	508
✳	मस्जिदों को बुलन्द करने के मायने	509
✳	मस्जिदों के कुछ फ़ज़ाईल	510
✳	मस्जिदों के पन्द्रह आदाब	511
✳	उन जगहों का ज़िक्र जो मस्जिदों के हुक्म में हैं	512
✳	'अज़िनल्लाहु अन् तुर्-फ़-अ' में लफ़्ज़ 'अज़ि-न' की खास हिक्मत	512
✳	अधिकतर सहाबा-ए-किराम कारोबारी थे	513
✳	आयत नम्बर 41-45 मय खुलासा-ए-तफसीर	516
✳	मआरिफ़ व मसाईल	517
✳	आयत नम्बर 46-54 मय खुलासा-ए-तफसीर	520
✳	मआरिफ़ व मसाईल	521
✳	कामयाबी के लिये चार शर्तें	522
✳	एक अजीब वाक़िआ	522
✳	आयत नम्बर 55-57 मय खुलासा-ए-तफसीर	524
✳	मआरिफ़ व मसाईल	525

★ इन आयतों के उतरने का मौका व सबब	525
★ उक्त आयत से खुलफ़ा-ए-राशिदीन की खिलाफ़त और अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत का सबूत	527
★ आयत नम्बर 58-60 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	529
★ मअरिफ़ व मसाईल	530
★ करीबी अफ़राद और मेहरमों के लिये ख़ास वक्तों में इजाज़त लेने का हुक्म	531
★ औरतों के पर्दे के अहकाम ताकीद और उसमें से एक और छूट का मौका	534
★ आयत नम्बर 61 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	536
★ मअरिफ़ व मसाईल	536
★ घरों में दाख़िल होने के बाद के कुछ अहकाम और जिन्दगी गुज़ारने के आदाब	536
★ आयत नम्बर 62-64 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	540
★ मअरिफ़ व मसाईल	542
★ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस के खुसूसन और आम रहन-सहन के कुछ आदाब व अहकाम	542
★ एक सवाल और उसका जवाब	542
★ 'अम्रिन्नु जामिज़िन' से क्या मुराद है?	543
★ यह हुक्म नबी करीम सल्ल. की मज्लिस के साथ ख़ास है या आम	543
सूर: फुरक़ान	
★ आयत नम्बर 1-3 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	545
★ मअरिफ़ व मसाईल	546
★ इस सूरत की विशेषतायें	546
★ मख़्लूक़ात में से हर एक चीज़ में ख़ास-ख़ास हिक्मतें	546
★ आयत नम्बर 4-9 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	547
★ मअरिफ़ व मसाईल	549
★ आयत नम्बर 10-20 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	550
★ मअरिफ़ व मसाईल	553
★ मख़्लूक़ में आर्थिक समानता का न होना बड़ी हिक्मत पर आधारित है	555
	556

मज़मून

पेज

पारा 19 (व कालल्लज़ी-न)

557

- ★ आयत नम्बर 21-22 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 557
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 557
- ★ आयत नम्बर 23-31 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 559
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 560
- ★ बुरे और बेदीन-दोस्तों की दोस्ती कियामत के दिन हसरत व शर्मिन्दगी का सबब होगी 561
- ★ कुरआन को अमली तौर पर छोड़ देना भी बड़ा गुनाह है 562
- ★ आयत नम्बर 32 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 563
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 563
- ★ आयत नम्बर 33-36 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 565
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 565
- ★ आयत नम्बर 37-42 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 567
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 568
- ★ खिलाफ़े शरीअत इच्छाओं की पैरवी एक किस्म की बुत-परस्ती है 569
- ★ आयत नम्बर 43-62 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 572
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 575
- ★ अल्लाह की मख़्लूक़ात में असबाब व मुसब्बबात का रिश्ता और उन सब का अल्लाह की क़ुदरत के ताबे होना 575
- ★ रात में नींद और दिन में काम को ख़ास करना भी बड़ी हिक्मत पर आधारित हैं 577
- ★ कुरआन की दावत को फैलाना बहुत बड़ा जिहाद है 580
- ★ सितारे और सय्यारे आसमानों के अन्दर हैं या बाहर? पुराने व नये खगोल विद्या के नज़रियात और कुरआने करीम के इरशादात 583
- ★ कायनात की हकीक़तें और कुरआन 584
- ★ कुरआन की तफ़सीर में फ़ल्सफ़ी नज़रियों की मुवाफ़क़त या मुख़ालफ़त का सही मेयार 586
- ★ इन तहकीक़ात ने इनसान और इनसानियत को क्या दिया 590
- ★ इबादुर्रहमान (रहमान के बन्दे) 592
- ★ आयत नम्बर 63-77 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 594
- ★ मज़ारिफ़ व मसाईल 597
- ★ अल्लाह तआला के मक़बूल बन्दों की मख़सूस सिफ़ात व निशानियाँ 598
- ★ दीनी अइक़ाम का सिर्फ़ पढ़ लेना काफी नहीं 605

सूर: शु-अरा

003

★ आयत नम्बर 1-9 मय खुलासा-ए-तफसीर	610
★ मआरिफ व मसाईल	611
★ आयत नम्बर 10-33 मय खुलासा-ए-तफसीर	614
★ मआरिफ व मसाईल	616
★ इताअत के लिये मददगार असबाब की तलब बहाना ढूँढना नहीं	616
★ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में लफ़्ज़ ज़लाल का मतलब	616
★ खुदा तआला की ज़ात व हकीकत का इल्म इनसान के लिये नामुम्किन है	617
★ पैग़म्बराना मुनाज़रे का एक नमूना, मुनाज़रे के प्रभावी आदाब	617
★ आयत नम्बर 34-51 मय खुलासा-ए-तफसीर	621
★ मआरिफ व मसाईल	622
★ आयत नम्बर 52-68 मय खुलासा-ए-तफसीर	625
★ मआरिफ व मसाईल	626
★ आयत नम्बर 69-104 मय खुलासा-ए-तफसीर	631
★ मआरिफ व मसाईल	632
★ कियामत तक इनसानों में ख़ैर के साथ ज़िक्र रखने की दुआ	632
★ रुतबे व इज़्ज़त की चाह बुरी है मगर कुछ शर्तों के साथ जायज़ है	633
★ मुशिरक लोगों के लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत जायज़ नहीं	634
★ एक सवाल और उसका जवाब	634
★ माल व औलाद और ख़ानदानी ताल्लुकात आख़िरत में भी ईमान की शर्त के साथ नफ़ा पहुँचा सकते हैं	636
★ आयत नम्बर 105-122 मय खुलासा-ए-तफसीर	638
★ मआरिफ व मसाईल	639
★ नेक कामों पर उजरत लेने का हुक्म	639
★ बड़ा-छोटा और ऊँचा-नीचा होना आमाल व अख़्लाक से है न कि ख़ानदान और रुतबे व शान से	640
★ आयत नम्बर 123-140 मय खुलासा-ए-तफसीर	642
★ मआरिफ व मसाईल	643
★ चन्द मुशिकल अलफ़ाज़ की वज़ाहत	643
★ बिना ज़रूरत इमारत बनाना बुरा और नापसन्दीदा है	643

मजमून	पेज
★ आयत नम्बर 141-159 मय खुलासा-ए-तफ्सीर	645
★ मआरिफ व मसाईल	646
★ मुफ्दीद पेशे खुदाई इनामात हैं बशर्ते कि उनको बुरे कामों में इस्तेमाल न करें	646
★ आयत नम्बर 160-175 मय खुलासा-ए-तफ्सीर	648
★ मआरिफ व मसाईल	649
★ गैर-फितरी (अप्राकृतिक) फ़ल अपनी बीवी से भी हराम है	649
★ आयत नम्बर 176-191 मय खुलासा-ए-तफ्सीर	651
★ मआरिफ व मसाईल	652
★ खुदा का मुजरिम अपने पाँव चलकर आता है, उसे वारंट की ज़रूरत नहीं	652
★ आयत नम्बर 192-227 मय खुलासा-ए-तफ्सीर	655
★ मआरिफ व मसाईल	660
★ कुरआन उसके अलफ़ाज़ व मायनों के मजमूए का नाम है	660
★ नमाज़ में कुरआन का तर्जुमा पढ़ना पूरी उम्मत के नज़दीक नाजायज़ है	661
★ कुरआन के उर्दू तर्जुमे को उर्दू कुरआन कहना जायज़ नहीं	662
★ शे'र की तारीफ़	663
★ इस्लामी शरीअत में शे'र व शायरी का दर्जा	664
★ खुदा तआला व आख़िरत से गाफ़िल कर देने वाला हर इल्म और फ़न बुरा है	666
★ अक्सर पैरवी करने वालों की गुमराही मुक़्तदा की गुमराही की निशानी होती है	666
सूर: नम्ल	
★ आयत नम्बर 1-6 मय खुलासा-ए-तफ्सीर	668
★ मआरिफ व मसाईल	668
★ आयत नम्बर 7-14 मय खुलासा-ए-तफ्सीर	670
★ मआरिफ व मसाईल	671
★ इनसान का अपनी ज़रूरतों के लिये तबई संसाधनों को इख़्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ़ नहीं	671
★ विशेष रूप से बीवी का ज़िक्र आम मज्लिसों में न करना बल्कि इशारे से काम लेना बेहतर है	672
★ हज़रत मूसा के आग देखने और आग के अन्दर से एक आवाज़ सुनने की तहकीक़	672
★ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बसरी की एक रिवायत और उसकी तहकीक़	674

★ आयत नम्बर 15-19 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	676
★ मआरिफ़ व मसाईल	677
★ नबियों में माल की विरासत नहीं होती	678
★ अपने लिये बहुवचन का लफ़्ज़ बोलना जायज़ है बशर्तकि तकब्बुर न हो	678
★ परिन्दों और चौपायों में भी अक़्ल व शऊर है	679
★ नेक और मक़बूल अमल होने के बावजूद जन्नत में दाख़िल होना बग़ैर फज़ले खुदावन्दी के नहीं होगा	680
★ आयत नम्बर 20-28 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	682
★ मआरिफ़ व मसाईल	682
★ हाकिम को अपनी प्रजा की और बुजुर्गों को अपने शगिर्दों और मुरीदों की ख़बरगीरी ज़रूरी है	683
★ अपने नफ़्स का मुहासबा	683
★ परिन्दों में से हुदहुद को ख़ास करने की वजह और एक अहम सबक	684
★ जो जानवर काम में सुस्ती करे उत्तको मुनासिब सज़ा देना जायज़ है	685
★ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ग़ैब के आलिम नहीं होते	685
★ एक अदब की बात	685
★ क्या इनसानों का निकाह जिन्न औरत से हो सकता है?	686
★ क्या किसी औरत का बादशाह होना या किसी क़ौम का अमीर व इमाम होना जायज़ है?	687
★ तहरीर और ख़त भी आम मामलों में शरई हुज्जत है	688
★ मुशिरकों को ख़त लिखना और उनके पास भेजना जायज़ है	688
★ इनसानी अख़्लाक़ की रियायत हर मज्लिस में होनी चाहिये चाहे वह मज्लिस काफ़िरों ही की हो	688
★ आयत नम्बर 29-37 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	690
★ मआरिफ़ व मसाईल	691
★ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का ख़त किस भाषा में था	692
★ ख़त लिखने के चन्द आदाब	692
★ ख़त भेजने वाला अपना नाम पहले लिखे फिर उसका जिसके नाम ख़त लिखा गया है	692
★ ख़त का जवाब देना भी नबियों की सुन्नत है	693
★ ख़तों में बिस्मिल्लाह लिखना	693
★ ऐसी तहरीर जिसमें कोई कुरआनी आयत लिखी हो क्या किसी काफ़िर मुशिरक के हाथ में देना जायज़ है	694

मजमून	पेज
✱ खत मुख्तसर, जामे, स्पष्ट और प्रभावी अन्दाज़ में लिखना चाहिये	695
✱ अहम मामलात में सलाह लेना सुन्नत है	695
✱ सुलैमानी खत के जवाब में रानी बिल्कीस की प्रतिक्रिया	696
✱ बिल्कीस के कासिदों की दरबारे सुलैमानी में हाज़िरी	696
✱ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की तरफ़ से बिल्कीस के तोहफ़े की वापसी	697
✱ किसी काफ़िर का हदिया कुबूल करना जायज़ है या नहीं? इसकी तफ़सील व तहकीक	697
✱ आयत नम्बर 38-41 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	699
✱ मआरिफ़ व मसाईल	700
✱ बिल्कीस की सुलैमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी	700
✱ मोजिजे और करामत में फ़र्क	702
✱ बिल्कीस के तख़्त का वाकिआ करामत थी या तसरूफ़	702
✱ आयत नम्बर 42-44 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	704
✱ मआरिफ़ व मसाईल	705
✱ क्या बिल्कीस हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थीं	705
✱ आयत नम्बर 45-53 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	707
✱ मआरिफ़ व मसाईल	708
✱ आयत नम्बर 54-59 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	710
✱ मआरिफ़ व मसाईल	711
पारा 20 (अम्मन् ख-ल-क)	712
✱ आयत नम्बर 60-64 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	713
✱ मआरिफ़ व मसाईल	714
✱ मुज़्तर की दुआ इख़्लास की बिना पर ज़रूर कुबूल होती है	714
✱ इन आयतों के मजमून का पीछे से ताल्लुक	717
✱ आयत नम्बर 65-75 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	717
✱ मआरिफ़ व मसाईल	719
✱ आयत नम्बर 76-79 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	720
✱ मआरिफ़ व मसाईल	720
✱ आयत नम्बर 80-81 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	721
✱ मआरिफ़ व मसाईल	721
✱ मुदों के सुनने का मसला	799

मजमून

पेज

★ आयत नम्बर 82 मय खुलासा-ए-तफसीर	724
★ मआरिफ व मसाईल	725
★ 'दाब्बतुल्-अर्ज' क्या है और कहाँ और कब निकलेगा?	725
★ आयत नम्बर 83-90 मय खुलासा-ए-तफसीर	728
★ मआरिफ व मसाईल	730
★ आयत नम्बर 91-93 मय खुलासा-ए-तफसीर	734
★ मआरिफ व मसाईल	735

सूर: क़सस

736

★ आयत नम्बर 1-13 मय खुलासा-ए-तफसीर	738
★ मआरिफ व मसाईल	740
★ आयत नम्बर 14-21 मय खुलासा-ए-तफसीर	743
★ मआरिफ व मसाईल	746
★ आयत नम्बर 22-28 मय खुलासा-ए-तफसीर	751
★ मआरिफ व मसाईल	753
★ कोई नौकरी या ओहदा सुपुर्द करने के लिये अहम शर्तें दो हैं	755
★ आयत नम्बर 29-35 मय खुलासा-ए-तफसीर	759
★ मआरिफ व मसाईल	760
★ नेक अमल से जगह भी बरकत वाली हो जाती है	760
★ वअज़ व नसीहत में उम्दा कलाम और अच्छा अन्दाज़ मतलूब है	760
★ आयत नम्बर 36-42 मय खुलासा-ए-तफसीर	762
★ मआरिफ व मसाईल	763
★ आयत नम्बर 43-51 मय खुलासा-ए-तफसीर	766
★ मआरिफ व मसाईल	769
★ तब्लीग़ व दावत के कुछ आदाब	771
★ आयत नम्बर 52-55 मय खुलासा-ए-तफसीर	772
★ मआरिफ व मसाईल	773
★ लफ़्ज़ 'मुस्लिमीन' उम्मतें मुहम्मदिया का मख़सूस लक़ब है या तमाम उम्मतों के लिये आम है?	773
★ इस आयत में दो अहम हिदायतें हैं	776
★ आयत नम्बर 56 मय खुलासा-ए-तफसीर	777

मज़मून	पेज
* मज़ारिफ़ व मसाईल	777
* आयत नम्बर 57-60 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	778
* मज़ारिफ़ व मसाईल	780
* हरम-ए-मक्का में हर चीज़ के फलों का जमा होना अल्लाह की खास निशानियों में से है	780
* अहकाम व क़वानीन में क़सबे व देहात शहरों के अधीन होते हैं	782
* अक़्लमन्द कौन है?	783
* आयत नम्बर 61-67 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	784
* मज़ारिफ़ व मसाईल	786
* आयत नम्बर 68-73 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	787
* मज़ारिफ़ व मसाईल	788
* एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर या एक शख्स को दूसरे पर फ़ज़ीलत का सही मेयार अल्लाह का इख़्तियार है	789
* आयत नम्बर 74-75 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	791
* आयत नम्बर 76-82 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	793
* मज़ारिफ़ व मसाईल	795
* आयत नम्बर 83-84 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	799
* मज़ारिफ़ व मसाईल	800
* गुनाह का पक्का इरादा भी गुनाह है	800
* आयत नम्बर 85-88 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	801
* मज़ारिफ़ व मसाईल	802
* कुरआन दुश्मनों पर फ़तह और मकासिद में कामयाबी का ज़रिया है	803
सूर: अन्कबूत	805
* आयत नम्बर 1-7 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	806
* मज़ारिफ़ व मसाईल	807
* आयत नम्बर 8-9 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	808
* मज़ारिफ़ व मसाईल	809
* आयत नम्बर 10-13 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	811
* मज़ारिफ़ व मसाईल	811
* गुनाह की दावत देने वाला भी गुनाहगार है, गुनाह करने वाले को जो	

	अज़ाब होगा वही उसको भी होगा	812
★	आयत नम्बर 14-18 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	814
★	मआरिफ़ व मसाईल	815
★	आयत नम्बर 19-23 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	816
★	आयत नम्बर 24-27 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	818
★	मआरिफ़ व मसाईल	819
★	दुनिया में सबसे पहली हिजरत	820
★	कुछ आमाल का बदला दुनिया में भी मिल जाता है	820
★	आयत नम्बर 28-35 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	822
★	मआरिफ़ व मसाईल	823
★	आयत नम्बर 36-44 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	826
★	मआरिफ़ व मसाईल	827
★	अल्लाह के नज़दीक आलिम कौन है?	828

पारा 21 (उल्लु मा ऊहि-य)

829

★	आयत नम्बर 45 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	829
★	मआरिफ़ व मसाईल	830
★	मख़्लूक के सुधार का मुख़्तसर और पूर्ण नुस्खा	830
★	नमाज़ का तमाम गुनाहों से रोकने का मतलब	831
★	एक शुब्हा और उसका जवाब	832
★	आयत नम्बर 46-55 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	835
★	मआरिफ़ व मसाईल	837
★	क्या इस आयत में मौजूदा तौरात व इन्जील के मज़ामीन की तस्दीक का हुक्म है?	838
★	मौजूदा तौरात व इन्जील की न पूरी तरह तस्दीक की जाये न बिल्कुल ही शुठलाया जाये	838
★	नबी करीम सल्ल. का उम्मी होना आपकी बड़ी फ़ज़ीलत और मोज़िज़ा है	839
★	आयत नम्बर 56-63 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	841
★	मआरिफ़ व मसाईल	843
★	हिजरत के अहकाम और उसकी राह में पेश आने वाले शक व शुब्हात का जवाब	843
★	हिजरत कब फ़र्ज़ या वाजिब होती है?	845
★	आयत नम्बर 64-69 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	848
★	मआरिफ़ व मसाईल	849

मज़मून	पेज
✱ इल्म पर अमल करने से इल्म में ज्यादती	851
सूर: रूम	852
✱ आयत नम्बर 1-7 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	853
✱ मज़ारिफ़ व मसाईल	854
✱ इस सूरात के नाज़िल होने का किस्सा, रूम और फ़ारस की जंग	854
✱ जुए का मसला	856
✱ आख़िरत से गुफ़लत कोई अक्लमन्दी नहीं	857
✱ आयत नम्बर 8-10 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	859
✱ मज़ारिफ़ व मसाईल	860
✱ आयत नम्बर 11-19 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	862
✱ मज़ारिफ़ व मसाईल	863
✱ एक अहम फ़ायदा	864
✱ आयत नम्बर 20-27 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	867
✱ मज़ारिफ़ व मसाईल	868
✱ कुदरत की पहली निशानी	869
✱ कुदरत की दूसरी निशानी	869
✱ वैवाहिक जिन्दगी का मक़सद सुकून है जिसके लिये आपसी उल्फ़त व मुहब्बत और रहमत ज़रूरी है	870
✱ कुदरत की तीसरी निशानी	871
✱ कुदरत की चौथी निशानी	872
✱ सोना और रोज़ी तलाश करना बुजुर्गी व तवक्कुल के खिलाफ़ नहीं	872
✱ कुदरत की पाँचवीं निशानी	873
✱ कुदरत की छठी निशानी	873
✱ आयत नम्बर 28-40 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	876
✱ मज़ारिफ़ व मसाईल	879
✱ फ़ितरत से क्या मुराद है?	880
✱ बातिल वालों की सोहबत और गुलत माहौल से अलग रहना फ़र्ज है	882
✱ आयत नम्बर 41-45 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	886
✱ मज़ारिफ़ व मसाईल	887
✱ दुनिया की बड़ी-बड़ी आफ़तें और मुसीबतें इनसानों के गुनाहों के सबब से आती हैं	887

मज़मून

पेज

- | | |
|--|-----|
| ★ एक शुब्हा और उसका जवाब | 888 |
| ★ मुसीबतों के वक़्त परीक्षा व इम्तिहान या सज़ा व अज़ाब में फ़र्क | 890 |
| ★ आयत नम्बर 46-53 मय खुलासा-ए-तफ़सीर | 893 |
| ★ मआरिफ़ व मसाईल | 895 |
| ★ आयत नम्बर 54-60 मय खुलासा-ए-तफ़सीर | 897 |
| ★ मआरिफ़ व मसाईल | 899 |
| ★ क्या मेहशर में अल्लाह के सामने कोई झूठ बोल सकेगा? | 901 |
| ★ क़ब्र में कोई झूठ न बोल सकेगा | 901 |
| ★ कुछ अलफ़ाज़ और उनके मायने | 903 |



* सूरः मरियम *

यह सूरत मक्की है। इसमें 98 आयतें
और 6 रुकूअ हैं।

सूर: मरियम

सूर: मरियम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 98 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

أَيَّاتُهَا ٤٨ (١٩) سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ (٣٣) رُكُوعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَلَّمَتْهُ رَبَّتْ بِذِكْرِ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَاهُ زَكْرِيَّا ۖ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ انِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۖ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ يُزَكِّرُنَا إِنَّا بُنِيتُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ ۚ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ أَتَىٰ يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ ۗ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۖ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۖ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ لِيُجِبِيَ خُلَفَاءُ الْمَسْكِينِ بِقُوَّةٍ وَأْتِيئُهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۖ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۗ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۖ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۖ

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

काफ़-हा-या-अैन-साँद (1) ज़िकरु
रहमति रब्बि-क अब्दहू ज़-करिय्या
(2) इज़् नादा रब्बहू निदाअन्
खाफ़िय्या (3) का-ल रब्बि इन्नी
व-हनल्-अज़्मु मिन्नी वशत-अलररअसु
शैबं-व लम् अकुम्-बिदुअइ-क
रब्बि शक़िय्या (4) व इन्नी ख़िफ़तुल्-

काफ़-हा-या-अैन-साँद! (1) यह बयान है
तेरे रब की रहमत का अपने बन्दे ज़करिया
पर। (2) जब पुकारा उसने अपने रब को
छुपी आवाज़ से। (3) बोला ऐ मेरे रब
बूढ़ी हो गई मेरी हड्डियाँ और शोला
निकला सर से बुढ़ापे का और तुझसे
माँगकर ऐ रब मैं कभी मेहरम नहीं रहा।
(4) और मैं डरता हूँ भाई-बन्दों से अपने

मवालि-य मिंवरई व कानतिमूर-अती
 आकिरन् फ़-हब् ली मिल्लदुन्-क
 वलिय्या (5) यरिसुनी व यरिसु मिन्
 आलि यज़्कू-ब, वज़्ज़ल्हु रब्बि
 रज़िय्या (6) या ज़-करिय्या इन्ना
 नुबशिशरु-क बिगुलामि-निस्मुहू यह्या
 लम् नज़्ज़ल्-लहू मिन् कब्लु समिय्या
 (7) का-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली
 गुलामुं-व कानतिमूर-अती आकिरं-
 व कद् बलतु मिनल्-कि-बरि
 अितिय्या (8) का-ल कज़ालि-क
 का-ल रब्बु-क हु-व अल्यू-य
 हथियनुं-व कद् ख़लक़तु-क मिन्
 कब्लु व लम् तकु शैआ (9) का-ल
 रब्बिज़्ज़ल्-ली आयतन्, का-ल
 आ-यतु-क अल्ला तुकल्लिमन्ना-स
 सला-स लयालिन् सविय्या (10)
 फ़-ख़-र-ज अला कौमिही मिनल्-
 मिस्राबि फ़औहा इलैहिम् अन् सब्बिहू
 बुकरतं-व अशिय्या (11) या यह्या
 ख़ुज़िल्-किता-ब बिकुव्वतिन्, व
 आतैनाहुल्हुक्-म सविय्या (12) व
 हनानम्-मिल्लदुन्ना व ज़कातन्, व
 का-न तकिय्या (13) व बरम्-

पीछे और औरत मेरी बाँझ है, सो बख़्श
 तू मुझको अपने पास से एक काम उठाने
 वाला (5) जो मेरी जगह बैठे और याक़ूब
 की औलाद की, और कर उसको ऐ रब
 मन मानता। (6) ऐ ज़करिया! हम तुझको
 ख़ुशख़ाबरी सुनाते हैं एक लड़के की
 जिसका नाम है यहया, नहीं किया हमने
 पहले इस नाम का कोई। (7) बोला ऐ
 रब! कहाँ से होगा मुझको लड़का और
 मेरी औरत बाँझ है और मैं बूढ़ा हो गया
 यहाँ तक कि अकड़ गया। (8) कहा यूँही
 होगा फ़रमा दिया तेरे रब ने वह मुझ पर
 आसान है, और तुझको पैदा किया मैंने
 पहले से और न था तू कोई चीज़। (9)
 बोला ऐ रब! ठहरा दे मेरे लिये कोई
 निशानी, फ़रमाया तेरी निशानी यह है कि
 बात न करे तू लोगों से तीन रात तक
 सही तन्दुरुस्त। (10) फिर निकला अपने
 लोगों के पास हुजरे से तो इशारे से कहा
 उनको कि याद करो सुबह और शाम।
 (11) ऐ यहया! उठा ले किताब जोर से
 और दिया हमने उसको हुक्म करना
 लड़कपन में। (12) और शौक़ दिया
 अपनी तरफ़ से और सुथराई और था
 परहेज़गार (13) और नेकी करने वाला

-बिवालिदैहि व लम् यकुन् जब्बारन्
असिय्या (14) व सलामुन् अलैहि
यौ-म वुलि-द व यौ-म यमूतु व
यौ-म युअसु हय्या (15) ❀

अपने माँ-बाप से और न था जबरदस्त
खुदसर। (14) और सलाम है उस पर
जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरे
और जिस दिन उठ खड़ा हो जिन्दा
होकर। (15) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

काफ़-हा-या-अैन-सॉद (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह (जो आगे किस्सा आता है) तज़क़िरा है आपके परवर्दिगार के मेहरबानी फ़रमाने का अपने (मक़बूल) बन्दे (हज़रत) ज़करिया (अलैहिस्सलाम के हाल) पर। जबकि उन्होंने अपने परवर्दिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा (जिसमें यह) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी हड्डियाँ (बुढ़ापे की वजह से) कमज़ोर हो गईं और (मेरे) सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई (यानी तमाम बाल सफ़ेद हो गये, और इस हालत का तफ़ाज़ यह है कि मैं इस हालत में औलाद की दरख्वास्त न करूँ मगर चूँकि आपकी कुदरत व रहमत बड़ी कामिल हैं) और (मैं उस कुदरत व रहमत के ज़हूर का आदी हमेशा रहा हूँ चुनाँचे इससे पहले कभी) आपसे (कोई चीज़) माँगने में ऐ मेरे रब मैं नाकाम नहीं रहा हूँ (इस बिना पर दूर से दूर की चीज़ भी तलब करने में हर्ज नहीं) और (इस तलब का खास सबब यह हो गया है कि) मैं अपने (मरने के) बाद (अपने) रिश्तेदारों (की तरफ़) से (यह) अन्देशा रखता हूँ (कि मेरी मर्जी के मुवाफ़िक़ शरीअत और दीन की ख़िदमत न बजा लाएँगे। यह मुख्य सबब है औलाद के तलब करने का जिसमें खास-खास गुण और सिफ़तें पाई जायें जिनसे उम्मीद है उनके ज़रिये दीन की ख़िदमत हो) और (चूँकि मेरे बुढ़ापे के साथ-साथ) मेरी बीवी (भी) बाँझ है (जिसके सबब सही व तन्दुरुस्त होने के बावजूद कभी औलाद ही नहीं हुई इसलिए औलाद होने के ज़ाहिरी असबाब भी मौजूद नहीं) सो (इस सूरत में) आप मुझको खास अपने पास से (यानी बिना ज़ाहिरी और आदी असबाब के) एक ऐसा वारिस (यानी बेटा) दे दीजिए कि वह (मेरे खास उलूम में) मेरा वारिस बने, और (मेरे दादा) याक़ूब (अलैहिस्सलाम) के ख़ानदान (के विरासत में चले आ रहे उलूम में उन) का वारिस बने, (यानी पहले और बाद के उलूम उसको हासिल हों) और (बा-अमल होने के सबब) उसको ऐ मेरे रब! (अपना) पसन्दीदा (व मक़बूल) बनाइये (यानी आलिम भी हो और आमिल भी हो)।

(हक़ तआला ने फ़रिश्तों के माध्यम से इरशाद फ़रमाया कि) ऐ ज़करिया! हम तुमको एक बेटे की खुशख़बरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा कि इससे पहले (खास सिफ़तों और ख़ूबियों में) हमने किसी को उस जैसी सिफ़त वाला न बनाया होगा (यानी जिस इल्म व अमल की तुम दुआ करते हो वह तो उस बेटे को ज़रूर ही अता करेंगे और इसके अज़लावा कुछ अतिरिक्त खास सिफ़तें भी इनायत की जायेंगी, मसलन अल्लाह के ख़ौफ़ से खास दर्जे की दिली नर्मी वगैरह। चूँकि दुआ की इस कुबूलियत में बेटा हासिल होने की कोई खास कैफ़ियत न बनलाई गई थी इसलिये उसको मालूम करने

के लिये) ज़करिया (अलैहिस्सलाम) ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! मेरे औलाद किस तरह पर होगी, हालाँकि मेरी बीवी बाँझ है और (इधर) मैं बुढ़ापे के आखिरी दर्जे को पहुँच चुका हूँ (पस मालूम नहीं कि हम जवान होंगे या मुझको दूसरा निकाह करना होगा या मौजूदा हालत ही में औलाद होगी)। इरशाद हुआ कि (मौजूदा हालत) यूँ ही रहेगी (और फिर औलाद होगी। ऐ ज़करिया!) तुम्हारे रब का कौल है कि यह (बात) मुझको आसान है और (यह क्या इससे बड़ा काम कर चुका हूँ मसलन) मैंने तुमको (ही) पैदा किया हालाँकि (पैदाईश से पहले) तुम कुछ भी न थे। (इसी तरह खुद आदी असबाब भी कोई चीज़ न थे, जब नापैद को पैदा और मौजूद करना आसान है तो एक मौजूद से दूसरा मौजूद कर देना क्या मुश्किल है। यह सब इरशाद उम्मीद को ताकत व मजबूती देने के लिये न कि शुब्हे को दूर करने के लिये, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम को कोई शुब्हा न था। जब) ज़करिया (अलैहिस्सलाम को प्रबल उम्मीद हो गई तो उन्होंने) अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! (वादे पर तो इत्मीनान हो गया अब इस वादे के ज़ाहिर होने यानी गर्भ की भी) कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दीजिये (ताकि ज्यादा शुक्र करूँ और खुद वाक़े होना तो ज़ाहिरी तौर पर महसूस होने वाली चीज़ों ही में से है)। इरशाद हुआ कि तुम्हारी (वह) निशानी यह है कि तुम तीन रात (और तीन दिन तक) आदमियों से बात (चीत) न कर सकोगे, हालाँकि तन्दुरुस्त होगे (कोई बीमारी वगैरह न होगी और इसी वजह से अल्लाह के ज़िक्र के साथ कलाम करने पर कुदरत रहेगी, चुनाँचे अल्लाह तआला के हुक्म से ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी गर्भवती हुई और अल्लाह के ख़बर देने के मुताबिक ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़बान बन्द हो गई) पस हुज़रे में से अपनी कौम के पास निकले और उनको इशारे से फरमाया (क्योंकि ज़बान से तो बोल न सकते थे) कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान किया करो (यह तस्बीह और तस्बीह का हुक्म या तो आदत के अनुसार था, याद दिलाने के लिये हमेशा ज़बान से कहते थे आज इशारे से कहा, या इस नई नेमत के शुक्र में खुद भी तस्बीह की कसरत फरमाई और औरों को भी इसी तरह का हुक्म फरमाया)।

(गर्ज कि फिर यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और समझ व शऊर की उम्र को पहुँचे तो उनको हुक्म हुआ कि) ऐ यहया! किताब को (यानी तौरात को कि उस वक़्त वही शरीअत की किताब थी और इंजील का नुज़ूल बाद में हुआ) मजबूत होकर लो, (यानी ख़ास कोशिश के साथ अमल करो) और हमने उनको (उनके) लड़कपन ही में (दीन की) समझ और ख़ास अपने पास से दिल (की नर्मी) और (अख़्लाक की) पाकीजगी अता फरमाई थी (लफ़्ज़ हुक्म में इल्म की तरफ़ और हनान और ज़कात में अख़्लाक की तरफ़ इशारा हो गया) और (आगे ज़ाहिरी आमाल की तरफ़ इशारा फरमाया कि) वह बड़े परहेज़गार थे और अपने माँ-बाप के ख़िदमतगुज़ार थे, (इसमें अल्लाह और बन्दों दोनों के हुक्क की तरफ़ इशारा हो गया) और वह (मख़्लूक के साथ) सरकशी करने वाले (या हक़ तआला की) नाफ़रमानी करने वाले न थे, और (अल्लाह के यहाँ ऐसे रुतबे व सम्मान वाले थे कि उनके बारे में अल्लाह की तरफ़ से यह इरशाद होता है कि) उनको (अल्लाह तआला का) सलाम पहुँचे जिस दिन कि वह पैदा हुए, और जिस दिन कि वह इन्तिक़ाल करेंगे, और जिस दिन (क़ियामत में) ज़िन्दा होकर उठाये जाएँगे।

मअरिफ़ व मसाईल

सूरः कहफ़ के बाद सूरः मरियम शायद इस मुनासबत से रखी गयी कि जैसे सूरः कहफ़ बहुत से अजीब वाकिआत पर मुश्तमिल थी इसी तरह सूरः मरियम भी ऐसे अनोखे वाकिआत पर मुश्तमिल है। (तफ़सीर रूहुल-मअानी)

‘काफ़ हा या ऐन सौद’ हुरूफ़े मुक़त्तअा और मुतशाबिहात में से है जिसका इल्म अल्लाह तआला ही को है, बन्दों के लिये इसकी तफ़तीश भी अच्छी नहीं।

بَدَاءٌ خَفِيًّا

इससे मालूम हुआ कि दुआ का आहिस्ता और खुफ़िया करना अफ़ज़ल है। हज़रत इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया:

ان خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفى

यानी बेहतरीन ज़िक्र ज़िक्रे-ख़फ़ी (आहिस्ता) है और बेहतरीन रिज़्क वह है जो काफी हो जाये (ज़रूरत से न घटे न बढ़े)। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

कमज़ोरी हड्डियों की ज़िक्र फ़रमाई क्योंकि वही बदन का सुतून हैं, जब हड्डी ही कमज़ोर हो जाये तो सारे बदन की कमज़ोरी है। इश्तिआल के लफ़्ज़ी मायने भड़क उठने के हैं, इस जगह बालों की सफ़ेदी को आग की रोशनी से तश्बीह देकर उसका पूरे सर पर फेल जाना मकसूद है।

दुआ में अपने ज़रूरत मन्द होने का इज़हार मुस्तहब है

इस जगह दुआ से पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कमज़ोरी का ज़िक्र किया, इसकी एक वजह तो यह है जिसकी तरफ़ खुलासा-ए-तफ़सीर में इशारा किया गया है कि इन हालात का तकाज़ा व चाहत यह थी कि औलाद की इच्छा न करूँ। एक दूसरी वजह इमाम कुर्तुबी ने तफ़सीर में यह भी बयान फ़रमाई कि दुआ माँगने के वक़्त अपनी कमज़ोरी व बदहाली और ज़रूरत मन्द होने का ज़िक्र करना दुआ के कुबूल करने में ज़्यादा मददगार है, इसी लिये उलेमा ने फ़रमाया कि इनसान को चाहिये कि दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की नेमतों और अपनी हाजतमन्दी का ज़िक्र करे।

‘मवालि-य’ मौला की जमा (बहुवचन) है। अरबी भाषा में यह लफ़्ज़ बहुत से मायने के लिये इस्तेमाल होता है, उनमें से एक मायने चचाज़ाद भाई और अपने असबात (बाप की तरफ़ के रिश्तेदार) के भी आते हैं, इस जगह वही मुराद है।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के माल में विरासत नहीं चलती

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

उलेमा की अक्सरियत सर्वसम्पत्ति से मानती है कि इस जगह विरासत से माल की विरासत मुराद

नहीं, क्योंकि अव्वल तो हज़रत ज़करिया के पास कोई बड़ी दौलत होना साबित नहीं जिसकी फ़िक्र हो कि इसका वारिस कौन होगा, और एक पैग़म्बर की शान से भी ऐसी फ़िक्र करना दूर की और मुहाल बात है, इसके अलावा सही हदीस जिस पर सहाबा-ए-किराम का एकमत होना साबित है उसमें है:

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر.

(رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه والترمذی)

“बेशक उलेमा वारिस हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के, क्योंकि अम्बिया दीनार व दिरहम की विरासत नहीं छोड़ते बल्कि उनकी विरासत इल्म होता है, जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने बड़ी दौलत हासिल कर ली।”

यह हदीस शियाओं की किताबों— काफ़ी, कलीनी वगैरह में भी मौजूद है, और सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لا نورث وما تركنا صلّة.

“हम अम्बिया की माली विरासत किसी को नहीं मिलती, हम जो माल छोड़ें वह सब सदका है।”

और खुद इस आयत में ‘वरिसुनी’ के बाद ‘व वरिसु मिन् आलि यज़कू-ब’ का इज़ाफ़ा इसकी दलील है कि माली विरासत मुराद नहीं, क्योंकि जिस लड़के की पैदाईश की दुआ की जा रही है उसका याक़ूब की औलाद के लिये माली वारिस बनना बज़ाहिरे हाल मुम्किन नहीं, क्योंकि याक़ूब की आल के वारिस उनके करीबी असबात होंगे और वही ‘भाई-बन्धु’ हैं जिनका जिक्र इस आयत में किया गया, वह बिला शुब्हा नज़दीक और असबा होने में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं, करीब वाले के होते हुए दूर के असबा को विरासत मिलना विरासत के उंसूल के खिलाफ़ है।

तफ़सीर रूहुल-मआनी में शियाओं की किताबों से यह भी नक़ल किया है:

روى الكليني فى الكافى عن ابى البخترى عن ابى عبد الله قال ان سليمان ورث داؤد وان محمداً صلى

الله عليه وسلم ورث سليمان.

“सुलैमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुलैमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुए।”

यह ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की माली विरासत मिलने का कोई शुब्हा व संभावना ही नहीं, इससे मुराद नुबुव्वत के उलूम की विरासत है। इससे पता लगा कि ‘वरिस सुलैमान दावू-द’ में भी माली विरासत मुराद नहीं।

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

लफ़ज़ समी के मायने हमनाम के भी आते हैं और किसी के जैसा होने के भी। इस जगह अगर पहले मायने मुराद लिये जायें तो मतलब स्पष्ट है कि उनसे पहले ‘यहया’ नाम किसी शख्स का नहीं हुआ था, यह नाम में अकेला और तन्हा होना और इम्तियाज़ भी कुछ ख़ास सिफ़ात में उनके तन्हा

और बेमिस्ल होने की तरफ इशारा कर रहा था, इसलिये इसको उनकी खास सिफत में जिक्र किया गया। और अगर दूसरे मायने मुराद लिये जायें तो मतलब यह होगा कि कुछ खास सिफात और हालात उनके ऐसे हैं जो पिछले नबियों में से किसी में न थे, उन विशेष सिफात में वह बेमिस्ल थे। मसलन उनका 'हसूर' होना वगैरह, इसलिये इससे यह लाजिम नहीं आता कि यहया अलैहिस्सलाम पिछले सारे नबियों से मुतलक तौर पर अफज़ल हों, क्योंकि उनमें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का उनसे अफज़ल होना माना हुआ और परिचित है। (तफसीरे मज़हरी)

'इतिव्या' अतू से निकला है जिसके असली मायने असर कुबूल न करना है। मुराद इससे हड्डियों का खुश्क हो जाना है। 'सविव्या' के मायने तन्दुरुस्त के हैं, यह लफज़ इसलिये बढ़ाया गया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम पर इस हालत का तारी होना कि किसी इनसान से बात न कर सकें किसी बीमारी की वजह से नहीं था और इसी वजह से ज़िक्रुल्लाह और इबादत में उनकी ज़बान उन तीनों दिनों में बराबर खुली हुई थी, बल्कि यह हालत एक मोजिजे के तौर पर और गर्भ ठहरने की निशानी मालूम होने के लिये उन पर तारी की गयी थी। 'हनानन्' इस लफज़ के लुगवी मायने दिल के नर्म होने और रहमत व शफ़कत के हैं जो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को विशेष तौर पर दी गयी थी।

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۚ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۚ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلِيمٌ هِتِينٌ ۚ وَلَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ آخِرًا مَّقْصِيًّا ۚ

लृ

वज़कुर फ़िल्किताबि मर्य-म।
इज़िन्त-बज़त् मिन् अस्तिहा मकानन्
शर्किय्या (16) फ़त्त-ख़ाज़त् मिन्
दूनिहिम् हिजाबन्, फ़-अरसल्ला
इलैहा रू-हना फ़-तमस्स-ल लहा
ब-शरन् सविव्या (17) क़ालत् इन्नी
अज़ूजु बिरस्मानि मिन्-क इन् कुन्-त
तकिय्या (18) क़ा-ल इन्नमा अ-न
रसूलु रब्बिकि लि-अ-ह-ब लकि

और ज़िक्र बयान कर किताब में मरियम
का जब जुदा हुई अपने लोगों से एक पूर्वी
मकान में। (16) फिर पकड़ लिया उनसे
वरे एक पर्दा, फिर भेजा हमने उसके पास
अपना फ़रिश्ता, फिर बनकर आया उसके
आगे पूरा आदमी। (17) बोली मुझको
रहमान की पनाह तुझसे अगर है तू डर
रखने वाला। (18) बोला मैं तो भेजा
हुआ हूँ तेरे रब का कि दे जाऊँ तुझको

गुलामन् जुकिय्या (19) कालत्
अन्ना यकूनु ली गुलामुं-व लम्
यम्सस्नी ब-शरुं-व लम् अकु
बगिय्या (20) ❖ का-ल कजालिकि
का-ल रब्बुकि हु-व अलय्-य
हय्यिनुन् व लिनज्ज-लहू आयतल्-
लिन्नासि व रहमतम्-मिन्ना व का-न
अम्रम्-मकिज्या (21)

एक लड़का सुथरा। (19) बोली कहाँ से
होगा मेरे लड़का और हुआ नहीं मुझको
आदमी ने, और मैं बदकार कभी नहीं
थी। (20) ❖ बोला यूँ ही है फरमा दिया
तेरे रब ने वह मुझ पर आसान है, और
उसको हम करना चाहते हैं लोगों के लिये
निशानी और मेहरबानी अपनी तरफ से,
और यह काम मुकर्रर हो चुका है। (21)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) इस किताब (यानी कुरआन के इस खास हिस्से यानी सूरत) में (हज़रत) मरियम (अलैहस्सलाम) का किस्सा भी जिक्र कीजिए (कि वह ज़करिया अलैहिस्सलाम के ऊपर बयान हुए किस्से से खास मुनासबत रखता है और वह उस वक़्त ज़ाहिर हुआ) जबकि वह अपने घर वालों से अलग (होकर) एक ऐसे मकान में जो पूरब की तरफ़ था (नहाने के लिए) गई। फिर उन (घर वाले) लोगों के सामने उन्होंने (बीच में) पर्दा डाल लिया (ताकि उसकी आड़ में गुस्त कर सकें) पस (इस हालत में) हमने उनके पास अपने फ़रिश्ते (जिब्राईल अलैहिस्सलाम) को भेजा, और वह (फ़रिश्ता) उनके सामने (हाथ-पाँव और सूरत व शकल में) एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। (चूँकि हज़रत मरियम ने उसको इनसान समझा इसलिए घबराकर) कहने लगीं कि मैं तुझसे (अपने खुदा-ए-) रहमान की पनाह माँगती हूँ अगर तू (कुछ) खुदा से डरने वाला है (तो यहाँ से हट जायेगा)। फ़रिश्ते ने कहा कि (मैं बशर नहीं कि तुम मुझसे डरती हो बल्कि) मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ (फ़रिश्ता) हूँ (इसलिए आया हूँ) ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ (यानी तुम्हारे मुँह में या गिरेबान में दम कर दूँ जिसके असर से अल्लाह के हुक्म से हमल रह जाये और लड़का पैदा हो) वह (ताज्जुब से) कहने लगीं (न कि इनकार से) कि (भला) मेरे लड़का किस तरह हो जाएगा हालाँकि (उसकी आदी शर्तों में से मर्द के साथ निकटता है और वह बिल्कुल है नहीं, क्योंकि) मुझको किसी इनसान ने हाथ तक नहीं लगाया (यानी न तो निकाह हुआ) और न मैं बदकार हूँ।

फ़रिश्ते ने कहा कि (बस बग़ैर किसी बशर के छूने के) यूँ ही (लड़का) हो जाएगा (और मैं अपनी तरफ़ से नहीं कहता बल्कि) तुम्हारे रब ने इरशाद फ़रमाया है कि वह बात (कि बग़ैर आदी असबाब के बच्चा पैदा कर दूँ) मुझको आसान है, और (यह भी फ़रमाया है कि हम बग़ैर आदी असबाब के) इस खास तरीके पर इतलिये पैदा करेंगे ताकि हम उस (लड़के) को लोगों के लिये

(कुदरत का) एक निशानी बनाएँ और (साथ ही उसके जरिये लोगों को हिदायत पाने के लिये) उसको रहमत का सबब बनाएँ, और यह (बिना बाप के इस बच्चे का पैदा होना) एक तयशुदा बात है (जो जरूर होकर रहेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

‘इन्त-बजत्’ ‘न-ब-ज’ से निकला है जिसके असली मायने दूर डालने और फेंकने के हैं। ‘इन्तिबाज़’ के मायने मजमे से हटकर दूर चले जाने के हुए।

‘मकानन् शरकिय्या’ यानी घर के अन्दर पूरब की तरफ़ के किसी कोने में चली गयीं। उनका एक तरफ़ जाना किस गर्ज के लिये था, इसमें अनेक संभावनायें और अकवाल हैं, कुछ हज़रात ने कहा कि गुस्ल करने के लिये उस कोने में गयी थीं, कुछ ने कहा कि आदत के अनुसार अल्लाह की इबादत में मशगूल होने के लिये मेहराब की पूर्वी तरफ़ के किसी कोने को इख्तियार किया था। इमाम कुर्तुबी ने इसी दूसरी राय और संभावना को ज़्यादा उम्दा और बेहतर करार दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि ईसाईयों ने जो पूर्वी रुख को अपना क़िब्ला बनाया और इस दिशा व रुख का सम्मान करते हैं इसकी वजह यही है।

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

‘रूह’ से मुराद अक्सर हज़रात और बड़ी जमाअत के नज़दीक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। और कुछ हज़रात ने कहा कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं, अल्लाह तआला ने उनके बतन (पेट) से पैदा होने वाले बशर की शबीह (शक्ल व सूरत) उनके सामने कर दी। मगर पहला कौल ज़्यादा सही है, बाद के कलिमात से इसकी ताईद होती है।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

फ़रिश्ते को उसकी अपनी असली सूरत व हालत में देखना इनसान के लिये आसान नहीं, उसकी हैबत ग़ालिब आ जाती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़ार-ए-हिरा में और बाद में पेश आया। इस मस्लेहत से जिब्रीले अमीन हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के सामने इनसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए। जब हज़रत मरियम ने एक इनसान को अपने करीब देखा जो पर्दे के अन्दर आ गया तो खतरा हुआ कि इसका इरादा बुरा मालूम होता है इसलिये फ़रमाया:

إِنِّي آغُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ

(मैं अल्लाह रहमान की पनाह माँगती हूँ तुझसे) कुछ रिवायतों में है कि जिब्रीले अमीन ने यह कलिमा सुना तो अल्लाह के नाम की ताज़ीम के लिये कुछ पीछे हट गये।

إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

(अगर तू कुछ खुदा से डरने वाला है) यह कलिमा ऐसा है जैसे कोई शख्स किसी ज़ालिम से मजबूर होकर फ़रियाद करे कि अगर तू मोमिन है तो मुझ पर जुल्म न कर, तेरा इमान इस जुल्म से

रोकने के लिये काफी होना चाहिये। मतलब यह हुआ कि तुम्हारे लिये मुनासिब है कि अल्लाह से डरो, गलत कदम उठाने से बचो। खुलासा यह है कि 'इन् कुन्-त तकिय्या' पनाह माँगने की शर्त नहीं बल्कि पनाह माँगने के प्रभावी होने की शर्त मुतवज्जह करने और तरगीब दिलाने के लिये है। और कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यह कलिमा मुबालगे के तौर पर लाया गया है कि अगर तुम मुत्तकी भी हो तब भी मैं तुमसे अल्लाह की पनाह माँगती हूँ और अगर मुत्तकी नहीं हो तब तो पनाह माँगना जाहिर ही है। (तफसीरे मजहरी)

'लि-अ-ह-ब लकि' (ताकि दे जाऊँ तुझको) इसमें बेटा अता करने को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इसलिये मन्सूब किया कि उनको अल्लाह तआला ने इस काम के लिये भेजा था कि उनके गिरेबान में फूँक मार दें, यह फूँक बेटा अता होने का जुरिया बन जायेगी, अगरचे यह अता दर असल अल्लाह का फेल (काम) है।

فَحَمَلْتُهُ فَأَنْتَبَذْتَهُ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاجْرَأَهَا الْخَاضُ إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ ۝ قَالَتْ يَلَيْتَنِي
مَتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا ۝ فَتَادِيهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَ
هَزَيْتَنِي إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۝ فَمَا تَرَيْنَ مِنْ
الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

फ-ह-मलत्हु फन्त-बजत् बिही मकानन्
कसिय्या (22) फ-अजा-अहल्-
मखाजु इला जिज्-अिन्-नखलति
कालत् यालैतनी मित्तु कब्-ल हाजा
व कुन्तु नस्यम्-मन्सिय्या (23)
फ-नादाहा मिन् तहितहा अल्ला
तहजनी कद् ज-अ-ल रब्बुकि तस्तकि
सरिय्या (24) व हुज्जी इलैकि
बिजिज्-अिन्-नखलति तुसाकित्
अलैकि रु-तबन् जनिय्या (25)
फकुली वशरबी व करी औनन्
फ-इम्मा त-रयिन्-न मिनल् ब-शरि

फिर पेट में लिया उसको फिर एक तरफ
हुई उसको लेकर एक दूर के मकान में।
(22) फिर ले आया उसको बच्चा होने के
दर्द एक खजूर की जड़ में, बोली किसी
तरह मैं मर चुकती इससे पहले और हो
जाती भूली-बिसरी। (23) पस आवाज दी
उसको उसके नीचे से कि गमगीन मत हो
कर दिया तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा।
(24) और हिला अपनी तरफ खजूर की
जड़ उससे गिरेंगी तुझ पर पक्की खजूरें।
(25) अब खा और पी और आँख ठंडी
रख, फिर अगर तू देखे कोई आदमी

अ-हदन् फ़कूली इन्नी नज़रतु
तिरस्मानि सौमन् फ़-लन् उकल्लिमल्-
यौ-म इन्सिय्या (26)

तो कहियो कि मैंने माना है रहमान का
रोज़ा, सो बात न करूँगी आज किसी
आदमी से। (26)

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (इस गुफ्तगू के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूँक मार दी जिससे उनके पेट में वह (लड़का) रह गया, फिर (जब अपने वक़्त पर हज़रत मरियम को बच्चे की पैदाईश के आसार महसूस हुए तो) उस हमल को लिये हुए (अपने घर से) किसी दूर जगह (जंगल पहाड़ में) में अलग चली गई फिर (जब दर्द शुरू हुआ तो) पैदाईश के दर्द के मारे खजूर के पेड़ की तरफ़ आई (कि उसके सहारे बैठें उठें, अब हालत यह थी कि न कोई साथी व गुमख़्वार, दर्द से बेचैन, ऐसे वक़्त जो सामान राहत व ज़रूरत का होना चाहिए वह पास नहीं, उधर बच्चा होने पर बदनामी का ख़्याल, आख़िर घबराकर कहने लगीं काश! मैं इस (हालत) से पहले ही मर गई होती, और ऐसी नेस्त-नाबूद हो जाती कि किसी को याद भी न रहती। पस (उसी वक़्त खुदा तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल (अलैहिस्सलाम पहुँचे और उनके सम्मान की वजह से सामने नहीं गये बल्कि जिस मक़ाम पर हज़रत मरियम थीं उससे नीचे की जगह में आड़ में आये और उन्होंने) ने उनके (उस) नीचे (के स्थान) से उनको पुकारा (जिसको हज़रत मरियम ने पहचाना कि यह उसी फ़रिश्ते की आवाज़ है जो इससे पहले ज़ाहिर हुआ था) कि तुम (कुछ सामान न होने से या बदनामी के डर से) गुमज़दा मत हो, (क्योंकि सरो-सामान न होने का तो यह इन्तिज़ाम हुआ है कि) तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे (के स्थान) में एक नहर पैदा कर दी है (जिसके देखने से और पानी पीने से तबई राहत व सुकून हो, तफ़सीर रूहुल-मआनी की रिवायत के अनुसार उनको उस वक़्त प्यास भी लगी थी, और तिब्बी एतिबार से गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में बच्चे की पैदाईश में आसानी, बेकार माद्दे के निकालने और तबीयत को ताक़त देने में कारगर और असर रखने वाला है, और अगर पानी में गर्मी भी हो जैसा कि कुछ चश्मों में देखा गया है तो और ज़्यादा मिज़ाज के मुवाफ़िक़ होगा, और साथ ही खजूर में बहुत सी ग़िज़ाई ख़ूबियाँ व गुण मौजूद हैं जैसे खून का पैदा करना, बदन को फ़रबा करना, गुर्दे व कमर और जोड़ों को ताक़त देना, इसलिये यह ज़च्चा के लिये सब ग़िज़ाओं और दवाओं से बेहतर है, और हरात "गर्म होने") की वजह से जो उसके नुक़सानदेह होने का संदेह है सो अब्वल तो उसके तर होने में हरात कम है, दूसरे पानी से उसकी इस्लाह हो सकती है, तीसरे नुक़सान देने का ज़हूर तब होता है जबकि अंग में कमजोरी हो वरना कोई चीज़ भी कुछ न कुछ नुक़सान से ख़ाली नहीं होती, और फिर करामत का ज़ाहिर होना अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की निशानी होने की वजह से रूहानी खुशी का सबब भी है)।

और इस खजूर के तने को (पकड़कर) अपनी तरफ़ को हिलाओ इससे तुम पर तरोताज़ा खजूरें

झड़ेंगी (इससे फल के खाने में बदनी लज़्ज़त और करामत के तौर पर फल के आने में रूहानी लज़्ज़त एकत्र है) फिर (उस फल को) खाओ और (वह पानी) पियो और आँखें ठन्डी करो (यानी बच्चे के देखने से और खाने पीने से और अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने की निशानी पाये जाने से खुश रहो) फिर (जब बदनामी के संदेह व गुमान का मौका आए यानी कोई आदमी इस किस्से पर बाख़बर हो तो उसका यह इन्तिज़ाम हुआ है कि) अगर तुम आदमियों में से किसी को भी (आता और एतिराज़ करता) देखो तो (तुम कुछ मत बोलना बल्कि इशारे से उससे) कह देना कि मैंने तो अल्लाह के वास्ते (ऐसे) रोज़े की मन्नत माँग रखी है (जिसमें बोलने की बन्दिश है) सो (इस वजह से) आज मैं (दिन भर) किसी आदमी से नहीं बोलूँगी (और खुदा के ज़िक्र और दुआ में मशगूल होना और बात है। बस तुम इतना जवाब देकर बेफ़िक्र हो जाना, अल्लाह तआला इस मुबारक बच्चे को एक करामत के तौर पर बोलने वाला कर देगा जिससे मोजिज़े व करिशमे का ज़ाहिर होना तुम्हारी पवित्रता और पाकदामन होने की दलील हो जाएगी, गर्ज़ कि हर ग़म का इलाज हो गया)।

मअरिफ़ व मसाईल

मौत की तमन्ना का हुक्म

मौत की यह तमन्ना अगर दुनिया के ग़म से थी तब तो ग़लबा-ए-हाल को इसका उज़्र किया जायेगा जिसमें इनसान पूरी तरह मुकल्लफ़ (शरई अहकाम का पाबन्द) नहीं रहता, और अगर दीन के ग़म से थी कि लोग बदनाम करेंगे और शायद मुझे उस पर सब्र न हो सके तो बेसब्री की नाफ़रमानी में फंसना होगा, मौत के आने से उस नाफ़रमानी से हिफ़ाज़त रहेगी तो ऐसी तमन्ना मना और वर्जित नहीं है, और अगर शुब्हा हो कि हज़रत मरियम को जो कहा गया कि तुम कह देना कि मैंने नज़्र की (मन्नत मानी) है सो उन्होंने नज़्र तो न की थी, जवाब यह है कि इसी से यह हुक्म भी समझ में आ गया कि तुम नज़्र भी कर लेना और उसको ज़ाहिर कर देना।

चुप रहने का रोज़ा इस्लामी शरीअत में निरस्त हो गया

इस्लाम से पहले यह भी इबादत में दाख़िल था कि बोलने का रोज़ा रखे, सुबह से रात तक किसी से कलाम न करे, इस्लाम ने इसको मन्सूख (निरस्त और ख़त्म) करके यह लाज़िम कर दिया कि सिर्फ़ बुरे कलाम गाली-गलौज, झूठ, ग़ीबत वगैरह से परहेज़ किया जाये, आ़ाम गुफ़्तगू छोड़ देना इस्लाम में कोई इबादत नहीं रही, इसलिये उसकी नज़्र मानना भी जायज़ नहीं।

لما رواه ابو داؤد مرفوعاً لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل وحسنه السيوطي والعزيمي.

यानी बच्चा बालिग़ होने के बाद बाप के मरने से यतीम नहीं कहलाता, उस पर यतीम के अहकाम जारी नहीं होते, और सुबह से शाम तक ख़ामोश रहना तो (इस्लाम में) कोई इबादत नहीं। और बच्चे को पैदाईश के दर्द में पानी और खजूर का इस्तेमाल तिब्बी एतिबार से भी मुफ़ीद है और खाने-पीने का हुक्म बज़ाहिर जायज़ व दुरुस्त होने के लिये मालूम होता है। वल्लाहु आलम

बगैर मर्द के तन्हा औरत से बच्चा पैदा हो जाना

खिलाफे अक़ल नहीं

और बिना मर्द के गर्भ व पैदाईश आम आदत के खिलाफ़ और ऊपर की चीज़ (यानी मोजिज़ा) है, और मोजिज़ों में कितनी ही दूर की और मुहाल बात हो कोई हर्ज नहीं बल्कि मोजिज़े की सिफ़त का और ज़्यादा ज़ाहिर होना है, लेकिन इसमें इस वजह से ज़्यादा दूर की और मुहाल बात भी नहीं कि तिब्बी किताबों की स्पष्टताओं के अनुसार औरत की मनी में 'मुन्अकिदा' कुव्वत के साथ 'अकिदा' कुव्वत भी है, इसलिये 'रजा' की बीमारी में आज़ा (अंगों) की कुछ अधूरी सूरत भी बन जाती है तिब की मशहूर किताब 'अलक़ानून' में इसकी वज़ाहत है, पस अगर यही कुव्वत-ए-अकिदा और बढ़ जाये तो ज़्यादा मुश्किल और नामुम्किन नहीं है। (बयानुल-कुरआन)

इस आयत में अल्लाह तआला ने हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को खजूर का दरख़्त हिलाने का हुक्म दिया, हालाँकि उसकी कुदरत में यह भी था कि बगैर उनके हिलाने के खुद ही खजूरे उनकी गोद में गिर जातीं, मगर हिक्मत यह है कि इसमें रोज़ी कमाने और हासिल करने के लिये कोशिश करने का सबक मिलता है, और यह भी बतलाना है कि रिज़क़ के हासिल करने में कोशिश और मेहनत करना तक्क़ुल के खिलाफ़ नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

'सरिय्यन' लफ़ज़ सरी के लुग़वी मायने छोटी नहर के हैं। इस मौक़े पर हक़ तआला ने एक छोटी नहर अपनी कुदरत से बिना किसी माध्यम के जारी फ़रमा दी या जिब्रील के ज़रिये चश्म जारी करा दिया, दोनों तरह की रिवायतें हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि हज़रत मरियम की तसल्ली के असबाब ज़िक्र करने के वक़्त तो पहले पानी का ज़िक्र फ़रमाया फिर खाने की चीज़ खजूर का, और जब इस्तेमाल का ज़िक्र आया तो तरतीब बदलकर पहले खाने का हुक्म फ़रमाया फिर पानी पीने का, जैसा कि फ़रमाया 'कुली वशरबी'। वजह ग़ालिबन यह है कि इनसान की फ़ितरी आदत है कि पानी का एहतिमाम खाने से पहले करता है, खुसूसन कोई ऐसी ग़िज़ा जिसके बाद प्यास लगना यकीनी हो उसके खाने से पहले पानी मुहैया करता है, मगर इस्तेमाल की तरतीब यह होती है कि पहले ग़िज़ा खाता है फिर पानी पीता है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

فَأَنْتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا لِمَ يَرِيْمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يَا خَتَّ هُرُونَ مَا كَانَ

أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٌ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۗ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۗ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۗ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۗ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۗ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ وَبِرَّآءِ الدِّينِ ۗ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۗ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَ

يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

फ-अतत् बिही कौमहा तहमिलुहू,
 कालू या मर्यमु ल-कद् जिअति
 शैअन् फरिय्या (27) या उख्-त
 हारु-न मा का-न अबूकिमर-अ
 सौइव्-व मा कानत् उम्मुकि बगिय्या
 (28) फ-अशारत् इलैहि, कालू कै-फ
 नुकल्लिमु मन् का-न फिल्महिद
 सबिय्या (29) का-ल इन्नी
 अब्दुल्लाहि, आतानियत्-किता-ब व
 ज-अ-लनी नबिय्या (30) व
 ज-अ-लनी मुबा-रकन् ऐ-न मा कुन्तु
 व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति
 मा दुम्तु हय्या (31) व बरम्
 बिवालि-दती व लम् यजूअत्नी
 जब्बारन् शकिय्या (32) वस्सलामु
 अलय्-य यौ-म वुलित्तु व यौ-म
 अमूतु व यौ-म उब्असु हय्या (33)

फिर लाई उसको अपने लोगों के पास
 गोद में, वे उसको कहने लगे ऐ मरियम!
 तूने की यह चीज़ तूफ़ान की। (27) ऐ
 बहन हारून की! न था तेरा बाप बुरा
 आदमी और न थी तेरी माँ बदकार।
 (28) फिर हाथ से बतलाया उस लड़के
 को, बोले हम क्योंकर बात करें उस
 शख्स से कि वह है गोद में लड़का। (29)
 वह बोला मैं बन्दा हूँ अल्लाह का, मुझको
 उसने किताब दी है और मुझको उसने
 नबी किया (30) और बनाया मुझको
 बरकत वाला जिस जगह मैं हूँ और ताकीद
 की मुझको नमाज़ की और ज़कात की
 जब तक मैं रहूँ जिन्दा। (31) और सुलूक
 करने वाला अपनी माँ से और नहीं बनाया
 मुझको ज़बरदस्त बदबख्त। (32) और
 सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ
 और जिस दिन मरूँ और जिस दिन उठ
 खड़ा हूँ जिन्दा होकर। (33)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(गर्ज कि मरियम अलैहस्सलाम की इस कलाम से तसल्ली हुई और ईसा-अलैहिस्सलाम पैदा हुए)
 फिर वह उनको गोद में लिये हुए (वहाँ से बस्ती को चलीं और) अपनी कौम के पास लाई। लोगों ने
 (जो देखा कि इनकी शादी तो हुई न थी यह बच्चा कैसा, बदगुमान होकर) कहा कि ऐ मरियम! तुमने
 बड़े ग़ज़ब का काम किया (यानी नऊजु बिल्लाह बदकारी की, और यूँ तो बदकारी कोई भी करे बुरा
 है लेकिन तुमसे ऐसा काम होना ज्यादा ग़ज़ब की बात है, क्योंकि) ऐ हारून की बहन! (तुम्हारे
 खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, चुनौचे) तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी न थे (कि उनसे यह
 असर तुम में आया हो) और न तुम्हारी माँ बदकार थीं (कि उनसे यह असर तुम में आया हो। फिर
 हारून जो तुम्हारे रिश्ते के भाई हैं जिनका नाम उन हारून नबी के नाम पर रखा गया है वह कैसे कुछ
 नेक शख्स हैं, गर्ज कि जिसका खानदान का खानदान पाक साफ़ हो उससे यह हरकत होना कितना

बड़ा गुज़ब है)।

पस मरियम (अलैहस्सलाम) ने (यह सारी तकरीर सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि) उस (बच्चे) की तरफ इशारा कर दिया (कि इससे कहो जो कुछ कहना हो यह जवाब देगा) वे लोग (समझे कि यह हमारे साथ मज़ाक करती है) कहने लगे कि भला हम ऐसे शख्स से क्योंकर बातें करें जो अभी गोद में बच्चा ही है (क्योंकि बात उस शख्स से की जाती है जो कि वह भी बातचीत करता हो, सो जब यह बच्चा है और बात करने पर कादिर नहीं तो इससे क्या बात करें। इतने में) वह बच्चा (खुद ही) बोल उठा कि मैं अल्लाह का (खास) बन्दा हूँ (न तो अल्लाह हूँ जैसा कि जाहिल ईसाई समझेंगे और न गैर-मकबूल हूँ जैसा कि यहूदी समझेंगे, और बन्दा होने के और फिर खास होने के ये आसार हैं कि) उसने मुझको किताब (यानी इन्जील) दी, (यानी अगरचे आगे चलकर देगा मगर यकीनी होने के सबब ऐसा ही है जैसा कि दे दी) और उसने मुझको नबी बनाया (यानी बना देगा), और मुझको बरकत वाला बनाया (यानी मुझसे मख्लूक को दीन का नफ़ा पहुँचेगा) मैं जहाँ कहीं भी हूँ (गा मुझसे बरकत पहुँचेगी और वह नफ़ा दीन की तब्लीग़ है चाहे कोई कुबूल करे या न करे उन्होंने तो नफ़ा पहुँचा ही दिया) और उसने मुझको नमाज़ और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं (दुनिया में) जिन्दा रहूँ (और ज़ाहिर है कि आसमान पर जाने के बाद मुकल्लफ़ नहीं रहे और यह दलील है बन्दा होने की जैसा कि और दलीलें हैं विशेषता की), और मुझको मेरी माँ का ख़िदमत करने वाला बनाया (और चूँकि बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं इसलिए वालिदा को खास किया गया) और उसने मुझको सरकश बदबख़्त नहीं बनाया (कि अल्लाह या वालिदा का हक़ अदा करने से नाफ़रमानी व बेतवज्जोही करूँ या हुकूक व आमाल को छोड़कर बदबख़ती ख़रीद लूँ), और मुझ पर (अल्लाह की तरफ़ से) सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन इत्तिकाल करूँगा (कि वह ज़माना कियामत के क़रीब का आसमान से नाज़िल होने के बाद होगा) और जिस दिन मैं (कियामत में) जिन्दा करके उठाया जाऊँगा (और अल्लाह का सलाम दलील है खास बन्दा होने की)।

मअरिफ़ व मसाईल

فَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِيْلَةً.

इन अलफ़ाज़ से ज़ाहिर यही है कि हज़रत मरियम को जब ग़ैबी खुशख़बरियों के ज़रिये इसका इत्मीनान हो गया कि अल्लाह तआला मुझे बदनामी और रुस्वाई से बचायेंगे तो खुद ही अपने नवजात बच्चे को लेकर अपने घर वापस आ गयीं। फिर यह वापसी पैदाईश के कितने दिन बाद हुई, इब्ने असाकिर की रिवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह है कि पैदाईश से चालीस दिन बाद जब निफ़ास से फ़राग़त व पाकी हासिल हो चुकी उस वक़्त अपने घर वालों के पास आई। (रुहुल-मअानी)

شَيْئًا فَرِيًّا

लफ़ज़ 'फ़री' अरबी भाषा में दर असल काटने और फाड़ने के मायने में आता है, जिस काम या जिस चीज़ के ज़ाहिर होने में ग़ैर-मामूली (असाधारण) काट-छाँट हो उसको फ़री कहते हैं। अबू हष्यान

ने फरमाया कि हर बड़े मामले को फ़री कहा जाता है चाहे वह अच्छाई के एतिबार से बड़ा हो या बुराई के एतिबार से। इस जगह बड़ी बुराई के मायने में इस्तेमाल हुआ है और इस लफ़्ज़ का अक्सर इस्तेमाल ऐसी ही चीज़ के लिये जाना-पहचाना है जो अपनी बुराई के एतिबार से ग़ैर-मामूली और बड़ी समझी जाती है।

بَاخَتْ هُرُونَ.

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और साथी थे, हज़रत मरियम के ज़माने से सैकड़ों बरत पहले गुज़र चुके थे, यहाँ हज़रत मरियम को हारून की बहन करार देना जाहिर है कि अपने इस जाहिरी मतलब के एतिबार से नहीं हो सकता, इसी लिये जब हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नजरान वालों के पास भेजा तो उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे कुरआन में हज़रत मरियम को हारून की बहन कहा गया है हालाँकि हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज़मानों पहले गुज़र चुके हैं, हज़रत मुगीरा को इसका जवाब मालूम न था, जब वापस आये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसका जिक्र किया। आपने फरमाया कि तुमने उनसे यह क्यों न कह दिया कि ईमान वालों की आदत यह है कि बरकत के तौर पर नबियों के नामों पर अपने नाम रखते हैं और उनकी तरफ़ निस्बत किया करते हैं।

(अहमद, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई)

इस हदीस के मतलब में दो संभावनायें हैं— एक यह कि हज़रत मरियम की निस्बत हज़रत हारून की तरफ़ इसलिये कर दी गयी कि वह उनकी नस्ल व औलाद में से हैं अगरचे ज़माना कितना ही बाद का हो गया हो, जैसे अरब वालों की आदत है कि कबीला तमीम के आदमी को अखा तमीम और अरब के आदमी को अखा अरब बोलते हैं। दूसरे यह भी हो सकता है कि यहाँ हारून से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हज़रत हारून नबी नहीं बल्कि हज़रत मरियम के अपने भाई का नाम हारून था जो बरकत के तौर पर हज़रत हारून नबी के नाम पर रखा गया था, इस तरह मरियम को हारून की बहन कहना अपने असली मतलब के एतिबार से दुरुस्त हो गया।

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا.

कुरआन के इन अलफ़ाज़ से इस तरफ़ इशारा है कि जो शख्स अल्लाह वालों और नेक लोगों की औलाद में हो वह अगर कोई बुरा काम करता है तो वह आम लोगों के गुनाह से ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि उससे उसके बड़ों की रुस्वाई और बदनामी होती है, इसलिये नेक लोगों की औलाद को नेक आमाल और तक़वे की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिये।

أَنَّى عَبْدَ اللَّهِ.

एक रिवायत में है कि जिस वक़्त खानदान के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को मलामत करनी शुरू की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने उन लोगों की मलामत को सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाई करवट पर सहारा लेकर उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और शहादत की उंगली से इशारा करते हुए ये अलफ़ाज़ फरमाये 'इन्नी अब्दुल्लाहि' यानी मैं अल्लाह का बन्दः हूँ।

इस पहले ही लफ़्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस ग़लत फ़हमी को दूर कर दिया कि अगरचे मेरी पैदाईश मोजिज़ाना (चमत्कारी) अन्दाज़ से हुई है मगर मैं खुदा नहीं खुदा का बन्दा हूँ ताकि लोग मेरी पूजा में मुब्तला न हो जायें।

اتنى الكتب وجعلنى نبيا 0

इन अलफ़ाज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दूध पीने के ज़माने में अल्लाह तआला की तरफ़ से नुबुव्वत और किताब मिलने की ख़बर दी हालाँकि किसी पैग़म्बर को चालीस साल की उम्र से पहले नुबुव्वत और किताब नहीं मिलती। इसलिये इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने यह तय फ़रमा दिया है कि मुझे अपने वक़्त पर नुबुव्वत और किताब देंगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे नुबुव्वत उस वक़्त अता कर दी गयी थी जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनका ख़मीर ही तैयार हो रहा था। इसका मतलब ज़ाहिर है कि इसके सिवा नहीं कि नुबुव्वत अता करने का वायदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये निश्चित और यकीनी था। यहाँ भी इसी यकीन को नुबुव्वत अता करने के माज़ी (भूतकाल) के लफ़्ज़ से ताबीर कर दिया गया है। नुबुव्वत अता करने का इज़हार करने से उन लोगों की बदगुमानी दूर कर दी गयी कि मेरी वालिदा पर बदकारी का इज़ाम लगाना सरासर ग़लत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रिसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाईश में किसी गुनाह का दख़ल नहीं हो सकता।

أوصنى بالصلاة والزكاة.

किसी चीज़ का हुक्म जब ज़्यादा ताकीद के साथ किया जाये तो उसको वसीयत के लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस जगह फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे नमाज़ और ज़कात की वसीयत फ़रमाई, इसका मफ़हूम यही है कि बड़ी ताकीद से इन दोनों चीज़ों का मुझे हुक्म दिया।

नमाज़ और ज़कात ऐसी इबादतें हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक हर नबी व रसूल की शरीअत में फ़र्ज़ रही हैं, अलबत्ता मुख़लिफ़ शरीअतों में इनकी तफ़सीलात और कुछ अहकाम मुख़लिफ़ रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत में भी नमाज़ और ज़कात फ़र्ज़ थे, रहा यह मामला कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कभी मालदार ही नहीं हुए, न घर बनाया न कुछ जमा किया फिर ज़कात का उनको हुक्म देना किस बिना पर है, तो इसका स्पष्ट मक़सद यह है कि उनकी शरीअत में कानून यह बना दिया गया था कि जिस शख्स के पास माल हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके मुख़ातब हैं कि जब कभी माल ज़कात के निसाब के बराबर जमा हो जाये तो ज़कात अदा करें, फिर अगर उम्र भर में कभी माल जमा ही न हो तो यह इसके ख़िलाफ़ नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

مادمت حيا 0

यानी नमाज़ और ज़कात का हुक्म मेरे लिये हमेशा के लिये है जब तक ज़िन्दा हूँ। ज़ाहिर है कि

इससे मुराद वह जिन्दगी है जो इस दुनिया में ज़मीन पर है, क्योंकि ये आमात इसी ज़मीन पर हो सकते हैं और यहीं से संबन्धित हैं, आसमान पर उठाये जाने के बाद फिर उतारे जाने के ज़माने तक रुख़सत (छूट व रियायत) का ज़माना है।

بِرَأْيِ بَوَالِدَيْهِ

इस जगह सिर्फ़ वालिदा (माँ) का ज़िक्र किया वालिदैन (माँ-बाप) का नहीं। इसमें इशारा कर दिया कि मेरा वजूद मौजिजे के तरीके पर बग़ैर वालिद के हुआ है और बचपन का मौजिजे से भरा यह कलाम इसके लिये काफ़ी सुबूत और दलील है।

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُ مَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسِعِرْ بَرْمٌ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَأَنذَاهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجِعُونَ ۝

ज़ालि-क अीसबनु मर्य-म कौलत्-
हक्किल्लज़ी फीहि यमतरून (34) मा
का-न लिल्लाहि अंयत्तख़ि-ज
मिंव्व-लदिन् सुब्हानहू, इज़ा कज़ा
अमूरन् फ-इन्नमा यकूलु लहू कुन्
फ-यकून (35) व इन्नल्ला-ह रब्बी व
रब्बुकुम् फअबुदूहु, हाज़ा सिरातुम्-
मुस्तक़ीम (36) फख़्त-लफ़ल्-अहज़ाबु
मिम्-बैनिहिम् फ-वैलुल्-लिल्लज़ी-न
क-फरू मिम्-मशहदि यौमिन् अज़ीम
(37) अस्मिअ् बिहिम् व अब्सिर्
यौ-म यअतूनना लाकिनिज़्-
-ज़ालिमूनल्-यौ-म फी ज़लालिम्-

यह है ईसा मरियम का बेटा, सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ते हैं। (34) अल्लाह ऐसा नहीं कि रखे औलाद वह पाक ज़ात है, जब ठहरा लेता है किसी काम का करना सो यही कहता है उसको कि हो वह हो जाता है। (35) और कहा बेशक अल्लाह है रब मेरा और रब तुम्हारा, सो उसकी बन्दगी करो, यह है राह सीधी। (36) फिर अलग-अलग राह इख़्तियार की फ़िक्रों ने उनमें से सो ख़राबी है मुन्किरों को जिस वक़्त देखेंगे एक दिन बड़ा। (37) क्या ख़ूब सुनते और देखते होंगे, जिस दिन आयेंगे हमारे पास, पर बेइन्साफ़ आज के दिन खुले बहक रहे हैं। (38)

मुबीन (38) व अनज़िरुहम् यौमल्-
हसरति इज़् कुज़ियल्-अम्रु। व हुम्
फी ग़फ़लतिव्-व हुम् ला युअ्मिनुन
(39) इन्ना नहनु नरिसुल्-अर्-ज़ व
मन् अलैहा व इलैना युर्जअून (40) ❀

और डर सुना दे उनकी उस पछतावे के
दिन का, जब फैसल हो चुकेगा काम। और
वे भूल रहे हैं और वे यकीन नहीं लाते।
(39) हम वारिस होंगे ज़मीन के और जो
कोई है ज़मीन पर और वे हमारी तरफ
फिर आयेंगे। (40) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

यह हैं ईसा बिन मरियम (जिनकी बातें और हालात जिक्र हुए जिससे उनका मकबूल बन्दा होना मालूम होता है, न जैसे कि ईसाईयों ने उनको बन्दों की फ़ेहरिस्त से ख़ारिज करके खुदा तक पहुँचा दिया है और न जैसे जैसा कि यहूदियों ने उनको मकबूलियत से ख़ारिज करके तरह-तरह की तोहमतें लगाई हैं) मैं (बिल्कुल) सच्ची बात कह रहा हूँ जिसमें ये (कमी-बेशी करने वाले) लोग झगड़ रहे हैं। (चुनाँचे यहूदियों व ईसाईयों के अक़वाल ऊपर मालूम हुए और चूँकि यहूदियों का कौल ज़ाहिरन भी नबी की शान में अपमान का सबब था जिसका बातिल होना स्पष्ट रूप से ज़ाहिर है इसलिए उसके रद्द करने की तरफ़ इस मक़ाम पर तवज्जोह नहीं फ़रमाई, बख़िलाफ़ ईसाईयों के कौल के कि ज़ाहिर में वह कमाल की अधिकता को साबित करने वाला था कि नुबुव्वत के साथ खुदा का बेटा होना साबित करते थे इसलिए आगे उसको रद्द फ़रमाते हैं, जिसका हासिल यह है कि तौहीद के इनकार की वजह से इसमें हक़ तआला की शानी में गुस्ताख़ी और कोताही लाज़िम आती है हालाँकि) अल्लाह तआला की यह शान नहीं है कि वह (किसी को) औलाद बनाये, वह (बिल्कुल) पाक है (क्योंकि उसकी यह शान है कि) वह जब कोई काम करना चाहता है तो बस उसको इरशाद फ़रमा देता है कि हो जा, सो वह हो जाता है (और ऐसे कमाल के वास्ते औलाद का होना अक़लन नुक्स है)।

और (आप तौहीद को साबित करने के लिये लोगों से फ़रमा दीजिए कि मुशरिक लोग भी सुन लें कि) बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो (सिर्फ़) उसी की इबादत करो (और) यही (ख़ालिस खुदा की इबादत करना यानी तौहीद इख़्तियार करना दीन का) सीधा रास्ता है। सो (तौहीद पर बावजूद इन अक़ली और रिवायती दलीलों के कायम होने के फिर भी) मुख़लिफ़ ग़िरोहों ने (इस बारे में) आपस में इख़्तिलाफ़ डाल लिया (यानी तौहीद का इनकार करके तरह-तरह के धर्म और मज़हबी रास्ते निकाल लिये) सो उन काफ़िरों के लिये एक बड़े (भारी) दिन के आने से एक बड़ी ख़राबी (होने वाली) है (मुराद इससे क़ियामत का दिन है कि यह दिन एक हजार साल लम्बा और हौलनाक होने की वजह से बहुत अज़ीम होगा)। जिस दिन ये लोग (हिसाब व बदले के लिये) हमारे पास आएँगे (उस दिन) कैसे कुछ सुनने और देखने वाले हो जाएँगे (क्योंकि क़ियामत में ये तथ्य नज़रों के सामने हो जायेंगे और सारी ग़लतियाँ दूर हो जायेंगी) लेकिन ये ज़ालिम आज (दुनिया में कौसी) खुली ग़लती में (मुक़तला हो रहे) हैं, और आप उन लोगों को हसरत के दिन से डराइये जबकि (जन्नत

व दोज़ख़ का आख़िरी) फैसला कर दिया जायेगा (जिसका ज़िक्र हदीस में है कि जन्नत और दोज़ख़ वालों को मौत दिखलाकर उसको ज़िबह कर दिया जाएगा और दोनों को खुलूद (यानी हमेशा-हमेशा उसी हाल में ज़िन्दा रहने का हुक्म सुना दिया जायेगा, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम और तिर्मिज़ी में है, और उस वक़्त की हसरत का बहुत ज़्यादा होना ज़ाहिर है) और वे लोग (आज दुनिया में) ग़फ़लत में (पड़े) हैं, और वे लोग ईमान नहीं लाते। (लेकिन आख़िर एक दिन मरेंगे और) तमाम ज़मीन और ज़मीन के रहने वालों के हम ही वारिस (यानी आख़िर मालिक) रह जाएंगे, और ये सब हमारे पास ही लौटाये जाएंगे (फिर अपने क़ुफ़ व शिर्क की सज़ा भुगतेंगे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ذَلِكَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों व ईसाईयों के बेहूदा ख़्यालात में कमी-बेशी का यह आलम था कि ईसाईयों ने तो ताज़ीम व सम्मान में इतनी ज़्यादती की कि उनको खुदा तआला का बेटा बना दिया, और यहूदियों ने उनकी तौहीन व अपमान करने में यहाँ तक कह दिया कि वह यूसुफ़ नज्जार की नाजायज़ औलाद में हैं। अल्लाह की पनाह। हक़ तआला ने इन दोनों ग़लती करने वालों की ग़लती बतलाकर उसकी सही हैसियत इन आयतों में स्पष्ट फ़रमा दी। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

قَوْلَ الْحَقِّ.

'कौलुल-हक़िक्' की नहवी तरकीब के एतिबार से असल है 'अकूलु कौलुल-हक़िक्' (मैं कहता हूँ सच्ची बात), और कुछ क़िराअतों में 'कौलुल-हक़िक्' भी आया है, उस सूरत में मुराद यह होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद 'कौले हक़' हैं जैसा कि उनको 'कलिमतुल्लाह' का लक़ब भी दिया गया है क्योंकि उनकी पैदाईश बिना ज़ाहिरी असबाब के सिर्फ़ अल्लाह तआला के कौल से हुई है।

(तफ़सीरे कुर्तुबी)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ.

उस दिन को हसरत व अफ़सोस का दिन इसलिये कहा गया है कि जहन्नम वालों को तो यह हसरत होना ज़ाहिर है कि अगर वे नेक मोमिन होते तो उनको जन्नत मिलती अब जहन्नम के अज़ाब में गिरफ़्तार हैं। एक ख़ास किस्म की हसरत जन्नत वालों को भी होगी जैसा कि तबरानी और अबू याली ने हज़रत मुआज़ की रिवायत से यह हदीस नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत वालों को किसी चीज़ पर हसरत न होगी सिवाय वक़्त के उन लम्हों के जो बग़ैर ज़िक्रुल्लाह के गुज़र गये। और इमाम बग़वी रह. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर मरने वाले को हसरत व शर्मिन्दगी से साबक़ा पड़ेगा। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सवाल किया कि वह शर्मिन्दगी व हसरत किस बिना पर होंगी तो आपने फ़रमाया कि नेक आमाल करने वाले को इस पर हसरत होगी कि और ज़्यादा नेक आमाल क्यों न कर लियें कि जन्नत के और ज़्यादा दर्जे मिलते,

और बदकार आदमी को इस पर हसरत (अफ़सोस व शर्मिन्दगी) होगी कि वह अपनी बदकारी से बाज़ क्यों न आ गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَأَذْكُرُّ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ

قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۗ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۗ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۗ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ الْهَيْئِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۗ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۗ وَأَعِزَّنَا لَهُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَزْماً ۗ وَإِنِّي لَأَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۗ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۗ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۗ

वज़्कुर फ़िल्किताबि इब्राही-म, इन्नहू का-न सिद्दीकन् नबिय्या (41) इज़् का-ल लि-अबीहि या अ-बति लि-म तअब्दु मा ला यस्मअु व ला युब्सिरु व ला युग्नी अन्-क शैआ (42) या अ-बति इन्नी कद् जा-अनी मिनल्-ज़िल्मि मा लम् यअ्ति-क फ़त्तबिअ्नी अहदि-क सिरातन् सविय्या (43) या अ-बति ला तअब्दुदिशैता-न, इन्नशैता-न का-न लिर्रह्मानि अ्सिय्या (44) या अ-बति इन्नी अख़ाफु अय्य-मस्स-क अज़ाबुम्-मिनर्ह्मानि फ़-तकू-न लिशैतानि वलिय्या (45) का-ल

और जिक्र कर किताब में इब्राहीम का बेशक था वह सच्चा नबी। (41) जब कहा अपने बाप को ऐ बाप मेरे! क्यों पूजता है जो न सुने और न देखे और न काम आये तेरे कुछ। (42) ऐ बाप मेरे! मुझको आई है ख़बर एक चीज़ की जो तुझको नहीं आई, सो मेरी राह चल दिखला दूँ तुझको राह सीधी। (43) ऐ बाप मेरे! मत पूज शैतान को बेशक शैतान है रहमान का नाफ़रमान। (44) ऐ बाप मेरे! मैं डरता हूँ कहीं आ लगे तुझ को एक आफ़त रहमान से फिर तू हो जाये शैतान का साथी। (45) वह बोला

अरागिबुन् अन्-त अन् आलि-हती
 या इब्राहीमु ल-इल्लम् तन्ताहि
 ल-अरजुमन्न-क वस्जुरनी मलिय्या
 (46) का-ल सलामुन् अलै-क
 स-अस्तगिफ़रु ल-क रब्बी, इन्नहू
 का-न बी हफ़िय्या (47) व
 अअ्तजिलुकुम् व मा तद्अू-न मिन्
 दूनिल्लाहि व अद्अू रब्बी असा
 अल्ला अकू-न बिदुआ-इ रब्बी
 शकिय्या (48) फ़लम्मअ्त-ज-लहुम्
 व मा यअूबुदू-न मिन् दूनिल्लाहि
 व-हब्ना लहू इस्हा-क व यअूकू-ब, व
 कुल्लन् जअल्ला नबिय्या (49) व
 व-हब्ना लहुम् मिरहमतिना व
 जअल्ला लहुम् लिसा-न सिद्किन्
 अलिय्या (50) ❀

क्या तू फिरा हुआ है मेरे ठाकुरों से ऐ
 इब्राहीम! अगर तू बाज़ न आयेगा तो
 तुझको संगसार करूँगा और दूर हो जा
 मेरे पास से एक मुद्दत। (46) कहा तेरी
 सलामती रहे, मैं गुनाह बख़्शवाऊँगा तेरा
 अपने रब से बेशक वह है मुझ पर
 मेहरबान। (47) और छोड़ता हूँ तुमको
 और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के
 सिवा और मैं बन्दगी करूँगा अपने रब
 की, उम्मीद है कि न रहूँगा अपने रब की
 बन्दगी कर कर मेहरूम। (48) फिर जब
 जुदा हुआ उनसे और जिनको वे पूजते थे
 अल्लाह के सिवा बख़्शा हमने उसको
 इस्हाक और याक़ूब और दोनों को नबी
 किया। (49) और दिया हमने उनको
 अपनी रहमत से और किया उनके वास्ते
 सच्चा बोल ऊँचा। (50) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप इस किताब (यानी कुरआन) में (लोगों के सामने हज़रत) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का (किस्सा) ज़िक्र कीजिये (ताकि उनको तौहीद व रिसालत का मसला ज़्यादा अच्छी तरह मालूम हो जाये) वह (हर कौल व फ़ेल में) बड़े रास्ती वाले (थे और) पैग़म्बर थे। (और वह किस्सा जिसका ज़िक्र करना इस जगह मक़सद है उस वक़्त हुआ था) जबकि उन्होंने अपने बाप से (जो कि मुशिरक था) कहा कि ऐ मेरे बाप! तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे और न तुम्हारे कुछ काम आ सके (मुराद बुत हैं, हालाँकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो मगर वाजिबुल-वजूद न हो "यानी अपने वजूद में किसी का मोहताज हो" तब भी इबादत के लायक नहीं, कहाँ यह कि इन गुणों और सिफ़तों से भी खाली हो तो वह और भी ज़्यादा लायक इबादत न होगा)।

ऐ मेरे बाप! मेरे पास ऐसा इल्म पहुँचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया (इससे मुराद वही है जिसमें

गलती की संभावना हो ही नहीं सकती, पस मैं जो कुछ कह रहा हूँ निश्चित तौर पर हक़ है। जब यह बात है तो तुम मेरे कहने पर चलो मैं तुमको सीधा रास्ता बताऊँगा (और वह तौहीद है)। ऐ मेरे बाप! तुम शैतान की पूजा मत करो (यानी शैतान को और उसकी इबादत को तो तुम भी बुरा समझते हो और बुत-परस्ती में शैतान की पूजा यकीनन लाज़िमी है कि वही यह हरकत कराता है, और किसी की ऐसी फ़रमाँबरदारी करना कि हक़ तआला के मुकाबले में भी उसकी तालीम को हक़ समझे यही इबादत है, पस बुत-परस्ती में शैतान परस्ती हुई, और) बेशक शैतान (हक़ तआला) रहमान का नाफ़रमानी करने वाला है (तो वह कब फ़रमाँबरदारी के लायक होगा)। ऐ मेरे बाप! मैं अन्देशा करता हूँ (और वह अन्देशा यकीनी है) कि तुम पर रहमान की तरफ़ से कोई अज़ाब (न) आ पड़े, (चाहे दुनिया में या आख़िरत में) फिर तुम (अज़ाब में) शैतान के साथी हो जाओ (यानी जब इताअत में उसका साथ दोगे तो सज़ा पाने में भी उसका साथ होगा, अगरचे शैतान को दुनिया में अज़ाब न हुआ हो, और उस शैतान का साथी बनने और अज़ाब में उसके साथ शरीक होने को कोई अपनी भलाई चाहने वाला पसन्द न करेगा)।

(हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये तमाम नसीहतें सुनकर) बाप ने जवाब दिया कि क्या तुम मेरे माबूदों से फ़िरे हुए हो ऐ इब्राहीम! (और इसलिये मुझको भी मना करते हो? याद रखो) अगर तुम (इन बुतों की बुराई और निंदा से और मुझको इनकी इबादत से मना करने से) बाज़ न आये तो मैं ज़रूर तुमको (पत्थरों से मारकर) संगसार कर दूँगा (पस तुम इससे बाज़ आ जाओ) और हमेशा-हमेशा के लिये मुझ (को कहने-सुनने) से अलग रहो। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा (बेहतर!) मेरा सलाम लो (अब तुमसे कहना-सुनना बेफ़ायदा है) अब मैं अपने रब से तुम्हारे लिये मग़फ़िरत की (इस तरह) दरख़्वास्त करूँगा (कि तुमको हिदायत करे जिस पर मग़फ़िरत मुरत्तब होती है) बेशक वह मुझ पर बहुत मेहरबान है (इसलिये उसी से अर्ज़ करूँगा जिसका कुबूल फ़रमाना या न फ़रमाना दोनों विभिन्न एतिबार से रहमत और मेहरबानी है)।

और (तुम और तुम्हारे भजहब वाले जब मेरी हक़ बात को भी नहीं मानते तो तुम में रहना भी फ़ुज़ूल है, इसलिए) मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे (जिस्मानी एतिबार से भी) किनारा करता हूँ (जैसा कि दिल से तो पहले ही किनारा किये हुए हूँ, यानी यहाँ रहता भी नहीं) और (अलग होकर इत्मीनान से) अपने रब की इबादत करूँगा (क्योंकि यहाँ रहकर इसमें भी टकराव और रुकावट होगी) उम्मीद (यानी यकीन) है कि अपने रब की इबादत करके मेहरूम न रहूँगा (जैसा कि बुत-परस्त लोग अपने बातिल माबूदों की इबादत करके मेहरूम रहते हैं)। गर्ज़ कि इस गुफ़्तगू के बाद उनसे इस तरह अलग हुए कि मुल्क शाम की तरफ़ हिजरत करके चले गये) पस जब उन लोगों से और जिनकी वे खुदा को छोड़कर इबादत करते थे उनसे (इस तरह) अलग हो गये (तो) हमने उनको इस्हाक़ (बेटा) और याक़ूब (पोता) अता फ़रमाया (जो कि साथ रहने के लिये उनकी बुत-परस्त बिरादरी से कहीं ज़्यादा बेहतर थे) और हमने (उन दोनों में) हर एक को नबी बनाया और उन सब को हमने (तरह-तरह के कमालात देकर) अपनी रहमत का हिस्सा दिया और (आगे की नस्तों में) हमने उनका नाम नेक और बुलन्द किया (कि सब सम्मान व तारीफ़ के साथ ज़िक्र करते हैं, और इस्हाक़ से पहले इस्माईल इन्हीं सिफ़ात के साथ अता हो चुके थे)।

मजारिफ़ व मसाईल

सिद्दीक़ की तारीफ़ (परिभाषा)

صِدِّيقًا نَبِيًّا

लफ़्ज़ 'सिद्दीक़' कुरआन का एक इस्तिलाही लफ़्ज़ है इसके मायने और तारीफ़ में उलेमा के अक़वाल भिन्न हैं। कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने उम्र में कभी झूठ न बोला हो वह सिद्दीक़ है, कुछ ने फ़रमाया कि जो शख्स एतिकाद और कौल व अमल हर चीज़ में सादिक़ हो यानी जो दिल में एतिकाद हो ठीक वही ज़बान पर हो और उसका हर काम और हर हरकत व सुकून उसी एतिकाद और कौल के ताबे हो। तफ़सीरे रूहुल-मआनी और तफ़सीरे मज़हरी वगैरह में इसी आखिरी मायने को इख़्तियार किया है, और फिर सिद्दीक़ियत के दर्जे अलग-अलग हैं, असल सिद्दीक़ तो नबी व रसूल ही हो सकता है और हर नबी व रसूल के लिये सिद्दीक़ होना लाज़िमी वस्फ़ (अनिवार्य गुण) है मगर इसके विपरीत नहीं कि जो सिद्दीक़ हो उसका नबी होना ज़रूरी हो, बल्कि गैर-नबी भी जो अपने नबी व रसूल की पैरवी में सिद्क़ का यह मक़ाम हासिल कर ले वह भी सिद्दीक़ कहलायेगा। हज़रत मरियम को खुद कुरआने करीम ने 'उम्महू सिद्दीक़ा' ख़िताब दिया है हालाँकि उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक़ वह नबी नहीं, और कोई औरत नबी नहीं हो सकती।

अपने बड़ों को नसीहत करने का तरीक़ा और उसके आदाब

“या अ-बति” अरबी लुग़त के एतिबार से यह लफ़्ज़ बाप के सम्मान व मुहब्बत का ख़िताब है। हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने जो मक़ाम तमाम कमालात व सिफ़्तों के जामे होने का अता फ़रमाया था उनकी यह तक़रीर जो अपने वालिद के सामने हो रही है मिज़ाज के एतिदाल और मुख़लिफ़ चीज़ों में रियायत की एक बेनज़ीर तक़रीर है, कि एक तरफ़ बाप को शिर्क व कुफ़्र और खुली गुमराही में न सिर्फ़ मुब्तला बल्कि उसका दावत देने वाला देख रहे हैं जिसके मिटाने ही के लिये ख़लीलुल्लाह पैदा किये गये हैं, दूसरी तरफ़ बाप का अदब और बड़ाई व मुहब्बत है। इन दोनों ज़िदों (एक दूसरे के उलट और विपरीत बातों) को हज़रत ख़लीलुल्लाह ने किस तरह जमा फ़रमाया, अव्वल तो ‘या अ-बति’ का लफ़्ज़ जो बाप की मेहरबानी और मुहब्बत का प्रतीक है हर जुमले के शुरू में इस लफ़्ज़ से ख़िताब किया, फिर किसी जुमले में बाप की तरफ़ कोई लफ़्ज़ ऐसा मन्सूब नहीं जिससे उसकी तौहीन या दिल दुखाना हो, कि उसको गुमराह या काफ़िर कहते बल्कि पैग़म्बराना हिक्मत के साथ सिर्फ़ उनके बुतों की बेबसी और बेहिसी का इज़हार फ़रमाया कि उनको खुद अपनी ग़लत रविश (चाल और राह) की तरफ़ तवज्जोह हो जाये। दूसरे जुमले में अपनी उस नेमत का इज़हार फ़रमाया जो अल्लाह तआला ने उनको नुबुव्वत के उलूम की अता फ़रमाई थी। तीसरे और चौथे जुमले में उस बुरे अन्जाम से डराया जो इस शिर्क व कुफ़्र के नतीजे में आने वाला था। इस पर भी बाप ने बजाय किसी ग़ौर व फ़िक्र या यह कि उनकी फ़रज़न्दाना गुज़ारिश पर कुछ

नमी का पहलू इख्तियार करते, पूरी सख्ती के साथ खिताब किया, इन्होंने तो खिताब 'या अ-बति' के प्यारे लफ्ज़ से किया था जिसका जवाब उर्फ में 'या बुनय-य' के लफ्ज़ से होना चाहिये था मगर आजर ने इनका नाम लेकर 'या इब्राहीमु' से खिताब किया और इनको संगसार करके कत्ल करने की धमकी और घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इसका जवाब हज़रत खलीलुल्लाह की तरफ से क्या मिलता है वह सुनने और याद रखने के काबिल है। फ़रमाया 'सलामुन् अलै-क'। यहाँ लफ्ज़ सलाम दो मायने के लिये हो सकता है— अब्बल यह कि यह सलाम ताल्लुक खत्म करने का हो, यानी किसी से ताल्लुक तोड़ने का शरीफ़ाना और सभ्य तरीका यह है कि बात का जवाब देने के बजाय लफ्ज़ सलाम कहकर उससे अलग हो जाये, जैसा कि कुरआने करीम ने अपने मकबूल व नेक बन्दों की सिफ़त में बयान फ़रमाया है:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

यानी जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना खिताब करते हैं तो वे उनसे दू-ब-दू होने के बजाय लफ्ज़ सलाम कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि बावजूद मुखालफ़त के मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ और नुक़सान न पहुँचाऊँगा। और दूसरा मतलब यह है कि यहाँ सलाम परिचित सलाम ही के मायने में हो, इसमें फ़िक्ही शुब्हा यह है कि किसी काफ़िर को सलाम की शुरूआत करना हदीस में मना है, सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ

(यानी यहूदियों व ईसाईयों को सलाम में पहल न करो) मगर इसके विपरीत हदीस की कुछ रिवायतों में एक ऐसे मजमे को शुरू में सलाम करना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है जिसमें काफ़िर व मुश्रिक और मुसलमान सब जमा थे जैसा कि सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से साबित है।

इसी लिये उम्मत के फ़ुक़हा (कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) का इसके जायज़ होने या न होने में मतभेद हुआ। कुछ सहाबा व ताबिईन और मुज्ताहिद इमामों के कौल व अमल से इसका जायज़ होना साबित होता है, कुछ से जायज़ न होना, जिसकी तफ़सील इमाम कुर्तुबी ने 'अहकामुल-कुरआन' में इसी आयत के तहत बयान की है। और इमाम नख़ई ने यह फैसला फ़रमाया कि अगर तुम्हें किसी काफ़िर यहूदी ईसाई से मिलने की कोई दीनी या दुनियावी ज़रूरत पेश आ जाये तो उसको शुरू में पहल करते हुए सलाम करने में हर्ज नहीं और बेज़रूरत सलाम की शुरूआत करने से बचना चाहिये। इसमें उक्त दोनों हदीसों में मुवाफ़क़त हो जाती है। वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي

यहाँ भी यह इश्काल (शुब्हा व खटक) है कि किसी काफ़िर के लिये इस्तिग़फ़ार (अल्लाह तआला से उसकी मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ व दरख़्वास्त) करना शरअन वर्जित व नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से फ़रमाया था:

وَاللّٰهُ لَا يَسْتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ اَنْهَ عَنْهُ

(यानी अल्लाह की कसम मैं आपके लिये उस वक्त तक जरूर इस्तिगफार यानी दुआ-ए-मगफिरत करता रहूँगा जब तक अल्लाह तआला की तरफ से मुझे मना न फरमा दिया जाये) इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

(यानी नबी और ईमान वालों के लिये जायज़ नहीं है कि मुश्रिकों के लिये इस्तिगफार करें) इस आयत के नाज़िल होने पर आपने चचा के लिये इस्तिगफार करना छोड़ दिया।

शुद्धे का जवाब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप से वायदा करना कि आपके लिये इस्तिगफार करूँगा यह मनाही आने से पहले का वाक़िअ है, उसके बाद मनाही कर दी गयी। सूर: मुन्तहिना में हक़ तआला ने खुद इस वाक़िअ को अलग करके ज़िक्र फरमाया और इसकी इत्तिला दे दी है:

اَلَا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ

और इससे ज़्यादा स्पष्ट सूर: तौबा में ज़िक्र हुई आयत:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا

के बाद दूसरी आयत में फरमाया है:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّ اَمِيْنُهٗ

जिससे मालूम हुआ कि यह इस्तिगफार और इसका वायदा बाप के कुफ़्र पर जमे रहने और खुदा का दुश्मन साबित होने से पहले का था, जब यह हकीकत खुल गयी तो उन्होंने भी बराअत का ऐलान कर दिया।

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ

एक तरफ़ तो हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बाप के अदब व मुहब्बत की रियायत में यह इन्तिहा कर दी जिसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, दूसरी तरफ़ यह भी नहीं होने दिया कि हक़ के इज़हार और उस पर मज़बूती को कोई अदना सी ठेस लगे। बाप ने जो घर से निकल जाने का हुक्म दिया था उसको इस जुमले में खुशी से मन्ज़ूर कर लिया और साथ ही यह भी बतला दिया कि मैं तुम्हारे बुतों से बेज़ार हूँ सिर्फ़ अपने रब को पुकारता हूँ।

فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْجُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

इस जुमले से पहले जुमले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह कौल आया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने परवर्दिगार से दुआ करने में नाकाम व नामुराद नहीं हूँगा। ज़ाहिर यह है कि घर और ख़ानदान से जुदाई के बाद तन्हाई की घबराहट वगैरह के असरात से बचने की दुआ मुराद थी, उक्त जुमले में इस दुआ का क़ुबूल होना इस तरह बयान फरमाया गया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिये अपने घर ख़ानदान और उनके माबूदों को छोड़ दिया तो अल्लाह तआला ने उसकी

भरपाई इस तरह फरमाई कि उनको बेटा इस्हाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया और साथ ही उसका लम्बी उम्र पाना और औलाद वाला होना भी लफ़्ज़ याक़ूब बढ़ाकर ज़िक्र फरमा दिया और बेटे का अता होना इसकी दलील है कि इससे पहले निकाह हो चुका था, तो इसका हासिल यह हुआ कि बाप के ख़ानदान से बेहतर एक मुस्तक़िल ख़ानदान दे दिया जो नबियों और नेक लोगों पर मुश्तमिल था।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إسماعيلَ
إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
مَرْضِيًّا ۖ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إدریسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَ مِنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْرَائِيلَ ۖ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ أَنْتَلَّ عَنْهُمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ

वज़कुर् फ़िल्किताबि मूसा इन्नहू
का-न मुख़लसंव-व का-न रसूलन्
नबिय्या (51) व नादैनाहु मिन्
जानिबित्तूरिल्-ऐ-मनि व कर्ब्नाहु
नजिय्या (52) व व-हब्ना लहू
मिर्स्मतिना अख़ाहु हारू-न नबिय्या
(53) वज़कुर् फ़िल्किताबि इस्माज़ी-ल
इन्नहू का-न सादिकल्-वअ़्दि व
का-न रसूलन् नबिय्या (54) व का-न
यअ़्मुरु अह्लहू बिस्सलाति वज़क़ाति
व का-न अ़िन्-द रब्बिही मर्ज़िय्या
(55) वज़कुर् फ़िल्-किताबि इद्री-स
इन्नहू का-न सिद्दीकन् नबिय्या (56)
व रफ़अ़्नाहु मक़ानन् अ़लिय्या (57)

और ज़िक्र कर किताब में मूसा का बेशक
वह था चुना हुआ और था रसूल नबी।
(51) और पुकारा हमने उसको दाहिनी
तरफ़ से तूर पहाड़ की और नज़दीक
बुलाया उसको भेद कहने को। (52) और
बख़्शा हमने उसको अपनी मेहरबानी से
उसका भाई हारून नबी। (53) और ज़िक्र
कर किताब में इस्माइल का वह था वायदे
का सच्चा और था रसूल नबी। (54)
और हुक्म करता था अपने घर वालों को
नमाज़ का और ज़कात का और था अपने
रब के यहाँ पसन्दीदा। (55) और ज़िक्र
कर किताब में इदरीस का, वह था सच्चा
नबी। (56) और उठा लिया हमने उसको
एक ऊँचे मकान पर। (57)

उलाइ-कल्लजी-न अन् अमल्लाहु
अलैहिम् मिनन्-नबिय्यी-न मिन्
जुरिय्यति आद-म, व मिम्-मन् हमल्ला
म-अ नूहिं-व मिन् जुरिय्यति
इब्राही-म व इस्राई-ल, व मिम्-मन्
हदैना वज्तबैना, इजा तुल्ला अलैहिम्
आयातुररहमानि खारू सुज्जदं-व
बुकिय्या । (58) ❁

ये वे लोग हैं जिन पर इनाम किया अल्लाह
ने पैगम्बरों में आदम की औलाद में, और
उनमें जिनको सवार कर लिया हमने नूह
के साथ और इब्राहीम की औलाद में और
इसाईल की, और उनमें जिनको हमने
हिदायत की और पसन्द किया जब उनको
सुनाये आयतें रहमान की गिरते हैं सज्दे
में और रोते हुए । (58) ❁

खुलासा-ए-तफ़सीर

और इस किताब (यानी कुरआन) में मूसा (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिए (यानी लोगों को सुनाईए वरना किताब में जिक्र करने वाला तो हकीकत में अल्लाह तआला है) बेशक वह (अल्लाह तआला के) खास किये हुए (बन्दे) थे, और वह रसूल भी थे, नबी भी थे और हमने उनको तूर (पहाड़) की दाहिनी जानिब से आवाज़ दी, और हमने उनको राज़ की बातें करने के लिये निकटता वाला बनाया। और हमने उनको अपनी रहमत (और इनायत) से उनके भाई हारून को नबी बनाकर अता किया (यानी उनकी दरख्वास्त के मुवाफिक़ उनको नबी किया ताकि उनकी मदद करें) और इस किताब में इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिये, बेशक वह वायदे के (बड़े) सच्चे थे, और वह रसूल भी थे, नबी भी थे और अपने से जुड़े अफ़राद को (खासकर) नमाज़ और ज़कात का (और दूसरे अहकाम का उमूमन) हुक्म करते रहते थे, और वह अपने रब के नज़दीक पसन्दीदा थे। और इस किताब में इदरीस (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिये, बेशक वह बड़े रास्ती वाले नबी थे। और हमने उनको (कमालात में) बुलन्द रुतबे तक पहुँचाया। ये (हज़रात जिनका सूरत के शुरू से यहाँ तक जिक्र हुआ ज़करिया अलैहिस्सलाम से इदरीस अलैहिस्सलाम तक) वे लोग हैं जिन पर अल्लाह तआला ने (खास) इनाम फ़रमाया है (चुनाँचे नुबुव्वत से बढ़कर कौनसी नेमत होगी। दूसरे अम्बिया की तरह) इन सब में (यह वस्फ़ उक्त तमाम हज़रात में साज़ा है, और यह सब) आदम (अलैहिस्सलाम) की नस्ल से (थे) और (बाज़े इनमें) उन लोगों (की नस्ल) से (थे) जिनको हमने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कशती में) सवार किया था (चुनाँचे सियाय इदरीस अलैहिस्सलाम के कि वह नूह अलैहिस्सलाम के पूर्वजों में से हैं बाकी सब में यह वस्फ़ है) और (बाज़े उनमें) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और याक़ूब (अलैहिस्सलाम) की नस्ल से (थे) चुनाँचे हज़रत ज़करिया व यहया व मूसा अलैहिमुस्सलाम दोनों की औलाद में थे और इस्हाक़ व इस्माईल व याक़ूब अलैहिमुस्सलाम सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम की औलाद में थे) और (यह सब हज़रात) उन लोगों में से (थे) जिनको हमने हिदायत फ़रमाई और उनको मक़बूल

बनाया (और बावजूद उस मकबूलियत और खास करने के इन सब हज़रात की बन्दगी की यह कैफ़ियत थी कि) जब उनके सामने (अल्लाह) रहमान की आयतें पढ़ी जाती थीं तो (अपनी अज़िजी व बेबसी और फ़रमाँबरदारी के अधिक इज़हार के लिये) सज्दा करते हुए और रोते हुए (ज़मीन पर) गिर जाते थे।

मअरिफ़ व मसाईल

كَانَ مُخْلِصًا

‘मुख्लसन्’ वह शख्स जिसको अल्लाह तआला ने अपने लिये ख़ालिस कर लिया हो, यानी जिसको ग़ैरुल्लाह की तरफ़ तवज्जोह न हो, उसने अपने नफ़्स और तमाम इच्छाओं को अल्लाह की मर्ज़ी के लिये मख़सूस कर दिया हो। यह शान खुसूसी तौर पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की होती है जैसा कि कुरआन में एक दूसरी जगह इरशाद है:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ ۝

यानी हमने उनको मख़सूस कर दिया है एक ख़ास काम यानी आख़िरत के घर की याद के लिये। उम्मत में जो कामिल बुजुर्ग हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नक़्शे क़दम पर हों उनको भी इस मक़ाम का एक दर्जा मिलता है, उसकी निशानी यह होती है कि वे कुदरती तौर पर गुनाहों और बुराईयों से बचा दिये जाते हैं, अल्लाह तआला की हिफ़ाज़त उनके साथ होती है।

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

यह मशहूर पहाड़ मुल्क शाम में मिस्र और मद्यन के बीच स्थित है, आज भी इसी नाम से मशहूर है। हक़ तआला ने इसको भी बहुत सी चीज़ों में एक विशेषता और शान इनायत की है।

‘अल्-ऐमनि’। तूर पहाड़ की यह दाहिनी जानिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एतिबार से बतलाई गयी है, क्योंकि वह ‘मद्यन’ से चले थे, जब तूर के बराबर में पहुँचे तो तूर उनकी दाहिनी तरफ़ था। ‘नजिय्या’ चुपके-चुपके बातें करने और खुसूसी कलाम को मुनाजात और जिस शख्स से ऐसा कलाम किया जाये उसको ‘नजी’ कहा जाता है।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ

‘हिबा’ के लफ़्ज़ी मायने अतीये (यानी किसी चीज़ के देने) के हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि उनकी इमदाद के लिये हज़रत हारून को भी नबी बना दिया जाये, यह दुआ कुबूल की गयी, इसी को लफ़्ज़ ‘वहब्ना’ से ताबीर किया गया है, यानी हमने अतीया दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को हारून का। इसी लिये हज़रत हारून को ‘हिबतुल्लाह’ भी कहा जाता है। (मज़हरी)

وَإِذْ كَرَفَى الْكَتَبِ إِسْمَاعِيلَ

ज़ाहिर यही है कि इससे मुराद हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, मगर उनका ज़िक्र उनके वालिद और भाई इब्राहीम व इस्हाक़ के ज़िक्र के साथ नहीं फ़रमाया बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बीच में आने के बाद उनका ज़िक्र फ़रमाया। शायद इसमें मक़सूद उनके ज़िक्र

का खास एहतिमाम हो कि किसी के तहत में लाने के बजाय मुस्तकिल तौर पर जिक्र किया गया और यहाँ जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया गया है उनमें उनके नबी बनाकर भेजे जाने के ज़माने की तरतीब नहीं रखी गयी क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र इन सब के बाद आ रहा है वह ज़माने के लिहाज़ से इन सबसे पहले हैं।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ.

वायदे का पूरा करना एक ऐसी अच्छी आदत और उम्दा अख़लाक़ में से है, शरीफ़ आदमी इसको ज़रूरी समझता है और इसके खिलाफ़ करने को एक घटिया और कमीनी हरकत करार दिया जाता है। हदीस में वायदा-खिलाफ़ी को निफ़ाक़ की निशानी बतलाया है, इसी लिये अल्लाह का कोई नबी व रसूल ऐसा नहीं जो वायदे में सच्चा न हो, मगर यहाँ बयान के दौरान में खास-खास अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जिक्र के साथ कोई खास वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) भी जिक्र किया गया है, इसका यह मतलब नहीं कि यह वस्फ़ (ख़ूबी और कमाल) दूसरों में नहीं, बल्कि इशारा इस बात की तरफ़ है कि इनमें यह खास सिफ़त एक विशेष हैसियत रखती है, जैसे अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ उनका 'मुख़्लस' होना जिक्र फ़रमाया है हालाँकि यह सिफ़त भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में आम है, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें एक खास विशेषता हासिल थी इसलिये उनके जिक्र में इसको जिक्र फ़रमाया गया।

हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वायदे में सच्चा और उसको पूरा करने वाला होना विशेष इस बिना पर है कि उन्होंने जिस चीज़ का वायदा अल्लाह से या किसी बन्दे से किया उसको बड़ी मज़बूती और एहतिमाम से पूरा किया, उन्होंने अल्लाह से वायदा किया था कि अपने आपको ज़िबह करने के लिये पेश कर देंगे और उस पर सब करेंगे, इसमें पूरे उतरे। एक शख़्स से एक जगह मिलने का वायदा किया वह वक़्त पर न आया तो उसके इन्तिज़ार में तीन दिन और कुछ रिवायतों में है कि एक साल उसका इन्तिज़ार करते रहे। (तफ़सीरे मज़हरी) और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबिल-हमसा की रिवायत से ऐसा ही वाकिआ वायदा करके तीन दिन तक उसी जगह इन्तिज़ार करने का नक़ल किया गया है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

वायदा पूरा करने की अहमियत और उसका दर्जा

वायदा पूरा करना नबियों और नेक लोगों का खास वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) और तमाम शरीफ़ इनसानों की आदत है, इसके खिलाफ़ करना फ़ासिकों, गुनाहगारों और कमीने लोगों की ख़स्तत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

العدة دين.

(वायदा एक कर्ज़ है) यानी जिस तरह कर्ज़ की अदायेगी इनसान पर लाज़िम है इसी तरह वायदा पूरा करने का एहतिमाम भी लाज़िम है। दूसरी एक हदीस में ये अलफ़ाज़ हैं:

وأي المؤمن واجب.

यानी वायदा मोमिन का वाजिब है।

फुकहा हज़रात ने एक राय होकर यह फ़रमाया है कि वायदे का कर्ज़ होना और वायदे का पू करना वाजिब होना इस मायने में है कि बिना शर्ई उज़्र के उसको पूरा न करना गुनाह है, लेकिन व ऐसा कर्ज़ नहीं जिसके लिये अदालत में कानूनी कार्रवाई की जा सके और ज़बरदस्ती वसूल किया जा सके, जिसको फुकहा (मसाईल के माहिर उलेमा व इमामों) की परिभाषा में यूँ ताबीर किया जाता कि दियानत के तौर पर वाजिब है अदालती फैसले के तौर पर वाजिब नहीं। (कुर्तुबी वगैरह)

सुधारक का फ़र्ज़ है कि इस्लाह का काम अपने घर वालों से शुरू करे

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.

हज़रात इस्माईल अलैहिस्सलाम के विशेष गुणों और सिफ़तों में से एक यह भी बयान फ़रमाया कि वह अपने अहल व अयाल (घर वालों और बाल-बच्चों) को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देते थे। यह यह सवाल पैदा होता है कि यह काम तो हर मोमिन मुसलमान के जिम्मे वाजिब है कि अपने अहल व अयाल को नेक कामों की हिदायत करता रहे, कुरआने हकीम में अ़ाम मुसलमानों को ख़िताब है:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

यानी बचाव अपने आपको और अपने अहल व अयाल (घर वालों) को आग से। फिर इसमें हज़रात इस्माईल की खुसूसियत क्या है? बात यह है कि हुक्म अगरचे अ़ाम है और सभी मुसलमान इसके मुकल्लफ़ (पाबन्द व जिम्मेदार) हैं लेकिन हज़रात इस्माईल अलैहिस्सलाम इसके एहतिमाम व इन्तिज़ाम में ख़ास कोशिश फ़रमाते थे जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी यह खुसूसी हिदायत मिली थी:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

यानी अपने ख़ानदान के करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराइये। आपने इसकी तामील में अपने ख़ानदान को जमा करके खुसूसी ख़िताब फ़रमाया।

दूसरी बात यहाँ काबिले गौर यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सब के सब पूरी क़ौम की हिदायत के लिये भेजे जाते हैं और वे सभी को हक़ का पैग़ाम पहुँचाते और अल्लाह के हुक्म का पाबन्द करते हैं, अहले व अयाल की खुसूसियत में क्या हिक्मत है? बात यह है कि पैग़म्बराना दावत के ख़ास उसूल हैं, उनमें यह अहम बात है कि जो हिदायत अल्लाह की अ़ाम मख़्लूक को दी जाये उसको पहले अपने घर से शुरू करे। अपने घर वालों को उसका मानना और मनवाना दूसरों के मुक़ाबले में आसान भी होता है, उसकी निगरानी भी हर वक़्त की जा सकती है और वे जब किसी ख़ास रंग को इख़्तियार कर लें और वे उसमें पुख़्ता हो जायें तो उससे एक दीनी माहौल पैदा होकर दावत को अ़ाम करने और दूसरों की इस्लाह (सुधार) करने में बड़ी कुव्वत पैदा हो जायेगी। मख़्लूक

इस्लाह के लिये सबसे ज्यादा असरदार चीज़ एक सही दीनी माहौल का वजूद में लाना है। तजुर्बा है कि हर भलाई या बुराई, सीखने-सिखाने, समझने और समझाने से ज्यादा माहौल के जरिये फैलती और बढ़ती है।

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ آدْرِسَ.

हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से एक हज़ार साल पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पूर्वजों में से हैं। (तफ़सीरे रूहुल-मअानी मुस्तद्रक हाकिम के हवाले से) और यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी व रसूल हैं जिन पर अल्लाह तआला ने तीस सहीफ़े (छोटी-छोटी आसमानी किताबें) नाज़िल फ़रमाये। (जैसा कि हज़रत अबूज़र की हदीस में है। ज़मख़शरी) और इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इन्सान हैं जिनको नुजूम (सितारों) और हिसाब का इल्म मोजिज़े के तौर पर अता किया गया। (बहरे मुहीत) और सबसे पहले इन्सान हैं जिन्होंने क़लम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। इनसे पहले लोग उमूमन जानवरों की खाल लिबास की जगह इस्तेमाल करते थे, और सबसे पहले नाप-तौल के तरीके भी आपने ही ईजाद फ़रमाये और असलेहा की ईजाद भी आप से शुरू हुई। आपने असलेहा (हथियार) तैयार करके बनू काबील (काबील के औलाद) से जिहाद किया। (बहरे मुहीत, कुर्तुबी, मज़हरी, रूहुल-मअानी)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

यानी हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलन्द मक़ाम में उठा लिया। मायने यह हैं कि उनको नुबुव्वत व रिसालत और अल्लाह की निकटता का खास मक़ाम अता फ़रमाया गया। और कुछ रिवायतों में जो इनका आसमान पर उठाना नक़ल किया गया है उनके बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया:

هذا من اخبار كعب الاحبار الاسرائيليات وفي بعضه نكارة.

कि यह कअबे अहबार की इस्राईली रिवायतों में से है और उनमें से कुछ में ग़ैर-मोतबरियत पाई जाती है।

और कुरआने करीम के उक्त अलफ़ाज़ बहरहाल इस मामले में ज्यादा स्पष्ट नहीं कि यहाँ दर्जों का बुलन्द करना मुराद है या ज़िन्दा आसमान में उठाना मुराद है, इसलिये इनका आसमान की तरफ उठाया जाना यकीनी नहीं और कुरआन की तफ़सीर इस पर मौकूफ़ नहीं। (बयानुल-कुरआन)

रसूल और नबी की परिभाषा में फ़र्क और इनमें

आपसी निस्बत

फ़ायदा अज़ बयानुल-कुरआन:- रसूल और नबी की तारीफ़ (परिभाषा) में अनेक कौल हैं, विभिन्न आयतों में ग़ौर करने से जो बात मेरे नज़दीक ज्यादा वाज़ेह है वह यह है कि इन दोनों के मफ़हूम में दो अलग-अलग निस्बतें पाई जाती हैं। रसूल वह है जो अपने मुखात्तबों (यानी जिनकी

तरफ उसको भेजा गया है) को नई शरीअत (अल्लाह का कानून) पहुँचाये, चाहे वह शरीअत खुद उस रसूल के एतिबार से भी नई हो जैसे तौरात वगैरह या सिर्फ उनकी उम्मत के एतिबार से नई हो जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम की शरीअत, वह दर असल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुरानी शरीअत ही थी लेकिन जुहुम क़ौम जिनकी तरफ उनको नबी बनाकर भेजा गया था उनको शरीअत का इल्म पहले से न था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही के ज़रिये हुआ। इस मायने के एतिबार से रसूल के लिये नबी होना ज़रूरी नहीं जैसे फ़रिश्ते कि वे रसूल तो हैं मगर नबी नहीं हैं, या जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए कासिद जिनको सूर: यासीन की आयत 'इज़् जाअहल् मुर्सलून' में रसूल कहा गया है, हालाँकि वे नबी नहीं थे।

और नबी वह है जो वही वाला हो, चाहे नई शरीअत की तब्लीग़ करे या पुरानी शरीअत की, जैसे बनी इस्राईल के अक्सर अम्बिया मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की तब्लीग़ करते थे। इससे मालूम हुआ कि एक एतिबार से लफ़्ज़ रसूल नबी से आम है और दूसरे एतिबार से लफ़्ज़ नबी रसूल की तुलना में आम है। जिस जगह ये दोनों लफ़्ज़ एक साथ इस्तेमाल किये गये जैसा कि उक्त आयतों में 'रसूलन् नबिय्यन्' आया है, वहाँ तो कोई शुब्हा नहीं कि ख़ास और आम दोनों जमा हो सकते हैं कोई टकराव नहीं, लेकिन जिस जगह ये दो लफ़्ज़ एक दूसरे के मुक़ाबिल आये हैं जैसे:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ

में तो इस जगह मौके मक़ाम के लिहाज़ से लफ़्ज़ नबी को ख़ास उस शख्स के मायने में लिया जायेगा जो पहली शरीअत की तब्लीग़ करता है।

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ

इससे मुराद सिर्फ़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं।

وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

इससे मुराद सिर्फ़ इस्माईल व इस्हाक़ व याक़ूब अलैहिमुस्सलाम हैं। 'व इस्साई-ल' इससे मुराद हज़रत मूसा व हारून व हज़रत ज़करिया व यहया व ईसा अलैहिमुस्सलाम हैं।

إِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَةُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا بُكِيًّا

पीछे की आयतों में चन्द बड़े अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र ख़ास तौर से किया गया है जिसमें उनकी बड़ी शान को बयान किया गया है, चूँकि अम्बिया की अज़मत (बड़ाई व शान) में अ़वाम की तरफ़ से हद से गुज़र जाने का ख़तरा था जैसे यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को और ईसाईयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ही बना दिया, इसलिये इस मजमूए के बाद इन सब का अल्लाह तआला के सामने सच्चा गुज़ार और ख़ौफ़ व डर से भरपूर होना इस आयत में ज़िक्र फ़रमा दिया गया ताकि (आम लोग उनके मर्तबे को पहचानने के बारे में) कमी-बेशी करने से बचें। (बयानुल-कुरआन)

कुरआन की तिलावत के दौरान आँखें भर आना नबियों की सुन्नत है

इससे मालूम हुआ कि कुरआनी आयतों की तिलावत के वक्त बुका (रोने) की कैफियत पैदा होना अच्छा, पसन्दीदा और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सिफत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और सहाबा व ताबिईन और औलिया-अल्लाह से बहुत ज्यादा इसके वाकिआत मन्कूल हैं।

अल्लामा कुतुबी ने फरमाया कि उलेमा ने इस बात को अच्छा और पसन्दीदा करार दिया है कि कुरआने करीम में जो सज्दे की आयत तिलावत की जाये उसके सज्दे में उसके मुनासिब दुआ की जाये, मसलन सूर: सज्दा में यह दुआ करें:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لِرُوحِكَ الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ.

अल्लाहुम्मज्अल्ली मिनस्साजिदी-न लिवज्हिकल् मुसब्बिही-न बिहम्दि-क व अऊजु बि-क अन् अकू-न मिनल् मुस्तक्बिरी-न अन् अमूरि-क।

और 'सुब्हानल्लजी' (पन्द्रहवें पारे) के सज्दे में यह दुआ करें:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ.

अल्लाहुम्मज्अल्ली मिनल् बाकी-न इलैकल् ख़ाशिअी-न ल-क।

और उपर्युक्त आयत 'ख़रू सुज्जदन्' के सज्दे में यह दुआ करें:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمُ الْمَهْدِيِّينَ السَّاجِدِينَ لَكَ الْبَاكِينَ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِكَ.

अल्लाहुम्मज्अल्ली मिन् अिबादिकल् मुन्अमि अलैहिमिल् महदिय्यीनस्साजिदी-न लकल् बाकी-न अिन्-द तिलावति आयाति-क। (तफसीरे कुतुबी)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَرْقُمٌ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيًا ۚ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ۚ

फ-ख-ल-फ मिम्-बअदिहिम् खल्फुन्
अजाअुस्सला-त वत्त-बअुश्श-हवाति
फसौ-फ यल्कौ-न गय्या (59) इल्ला
मन् ता-ब व आम-न व अमि-ल

फिर उनकी जगह आये ना-खलफ खो बैठे
नमाज़ और पीछे पड़ गये मज़ों के, सो
आगे देख लेंगे गुमराही को। (59) मगर
जिसने तौबा की और यकीन लाया और

सालिहन् फ-उलाइ-क यदखुलूनल्-
जन्न-त व ला युज़्लमू-न शैआ (60)
जन्नाति अदनि-निल्लती व-अदरस्मानु
अिबादहू बिल्गैबि इन्नहू का-न
वअदुहू मअ्तिय्या (61) ला
यस्मअू-न फीहा लग्वन् इल्ला
सलामन्, व लहुम् रिज़्कुहुम् फीहा
बुकरतंव-व अशिय्या (62) तिल्कल्-
जन्नतुल्लती नूरिसु मिन् अिबादिना
मन् का-न तकिय्या (63)

की नेकी सो वे लोग जायेंगे जन्नत में
और उनका हक़ ज़ाया न होगा कुछ। (60)
बाग़ों में बसने के जिनका वायदा किया है
रहमान ने अपने बन्दों से उनके बिन
देखे, बेशक है उसके वायदे पर पहुँचना।
(61) न सुनेंगे वहाँ बक-बक सिवाय
सलाम, और उनके लिये है उनकी रोज़ी
वहाँ सुबह और शाम। (62) यह वह
जन्नत है जो मीरास देंगे हम अपने बन्दों
में जो कोई होगा परहेज़गार। (63)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

फिर इन (ज़िक्र हुए हज़रात) के बाद (बाज़े) ऐसे ना-ख़लफ़ "यानी नालायक़ और नाफ़रमान" पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को बरबाद किया (चाहे एतिकाद के तौर पर कि इनकार किया या अमली तौर पर कि उसके अदा करने में या उसके हुक्क़ और ज़रूरी आदाब में कोताही की) और (नफ़्सानी नाजायज़) इच्छाओं की पैरवी की (जो ज़रूरी नेक कामों से गाफ़िल करने वाली थीं), सो ये लोग जल्द ही (आख़िरत में) ख़राबी देखेंगे। (चाहे हमेशा के लिये हो या किसी ख़ास मुद्दत के लिये) हाँ मगर जिसने (कुफ़्र व नाफ़रमानी से) तौबा कर ली (और कुफ़्र से तौबा करने का मतलब यह है कि) ईमान ले आया और (नाफ़रमानी से तौबा करना यह है कि) नेक काम करने लगा, सो ये लोग (बिना ख़राबी देखे) जन्नत में जाएँगे और (बदला मिलने के वक़्त) इनका ज़रा नुक़सान न किया जायेगा (यानी हर नेक अमल की जज़ा मिलेगी, यानी) उन हमेशा रहने के बाग़ों में (जाएँगे) जिनका रहमान ने अपने बन्दों से ग़ायबाना वायदा फ़रमाया है, (और) उसकी वायदा की हुई चीज़ को ये लोग ज़रूर पहुँचेंगे। उस (जन्नत) में ये लोग कोई फ़ुज़ूल बात सुनने न पाएँगे (क्योंकि वहाँ फ़ुज़ूल बात ही न होगी) सिवाय (फ़रिश्तों और एक दूसरे के) सलाम (करने) के, और (ज़ाहिर है कि सलाम से बहुत ही खुशी और राहत होती है तो वह फ़ुज़ूल नहीं), और उनको उनका खाना सुबह व शाम मिला करेगा (यानी यह तो मुतैयन तौर पर होगा और यूँ दूसरे वक़्त भी अगर चाहेंगे मिलेगा)। यह जन्नत (जिसका ज़िक्र हुआ) ऐसी है कि हम अपने बन्दों में से इसका मालिक ऐसों को बना देंगे जो कि खुदा से डरने वाले हों (जो आधार है ईमान और नेक अमल का)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

'ख़ल्फ़' का लफ़्ज़ बुरे कायम मक़ाम (जानशीन) और बुरी औलाद के लिये, और 'ख़लफ़' अच्छे कायम मक़ाम और अच्छी औलाद के लिये इस्तेमाल होता है। (तफ़्सीरे मज़हरी) मुजाहिद रह. का कौल है कि यह धाकिआ कियामत के करीब उम्मत के नेक लोगों के ख़त्म हो जाने के बाद होगा कि नमाज़ की तरफ़ तवज्जोह न रहेगी और बदकारी व बुरे काम खुल्लम-खुल्ला होने लगेंगे।

नमाज़ का बेवक़्त या बिना जमाअत के पढ़ना

नमाज़ को ज़ाया करना और बड़ा गुनाह है

أَضَاعُوا الصَّلَاةَ.

नमाज़ के ज़ाया (बरबाद) करने से मुराद मुफ़सिरीन की अक्सरियत— अब्दुल्लाह बिन मसऊद, इमाम नखई, कासिम, मुजाहिद, इब्राहीम, उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ वगैरह के नज़दीक नमाज़ को उसके वक़्त से लेट करके पढ़ना है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि नमाज़ के आदाब व शर्तों में से किसी में कोताही करना जिसमें वक़्त भी दाख़िल है, नमाज़ के ज़ाया करने में शामिल है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि नमाज़ के ज़ाया करने से मुराद बग़ैर जमाअत के घर में नमाज़ पढ़ लेना है।

(तफ़्सीरे कुर्तुबी, बहरे मुहीत)

हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हुकूमत के तमाम गवर्नरों और हाकिमों को यह हिदायत नामा लिखकर भेजा था:

ان اهم امرکم عندی الصلوة. فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع.

“मेरे नज़दीक तुम्हारे सब कामों में सबसे ज़्यादा अहम नमाज़ है, तो जो शख्स नमाज़ को ज़ाया करता है वह दीन के दूसरे तमाम अहक़ाम को भी और ज़्यादा ज़ाया करेगा। (मुयत्ता मालिक)

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा कि नमाज़ के आदाब और अरकान के सही अदा करने में कोताही करता है तो उससे मालूम किया कि तुम कब से यह नमाज़ पढ़ते हो? उसने कहा कि चालीस साल से, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तुमने एक भी नमाज़ नहीं पढ़ी, और अगर तुम इसी तरह की नमाज़ें पढ़ते हुए मर गये तो याद रखो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीके के खिलाफ़ मरोगे।

तिर्मिज़ी में हज़रत अबू मसऊद अन्तारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस शख्स की नमाज़ नहीं होती जो नमाज़ में इक़ामत न करे। मुराद यह है कि जो रुकूअ और सज्दे में और रुकूअ से खड़े होकर या दो सज्दों के बीच में सीधा खड़ा होने या सीधा बैठने का एहतिमाम न करे उसकी नमाज़ नहीं होती।

खुलासा यह है कि जिस शख्स ने वुजू और तहारत में कोताही की या नमाज़ के रुकूअ सज्दे में

या इन दानों के बीच में सीधा खड़ा होने बैठने में जल्द बाज़ी की उसने नमाज़ को ज़ाया कर दिया।

हज़रत हसन रह. नमाज़ को ज़ाया करने और इच्छाओं की पैरवी करने के बारे में फ़रमाया कि नस्जिदों को बेकार कर दिया और उद्योग व व्यापार और लज़्ज़तों व इच्छाओं में मुब्तला ही गये।

इमाम कुर्तुबी रह. इन रिवायतों को नक़ल करके फ़रमाते हैं कि आज इल्म रखने वालों और रिचित नेक लोगों में ऐसे आदमी पाये जाते हैं जो नमाज़ के आदाब से ग़ाफ़िल, महज़ नक़ल व हरकत (यानी नमाज़ के ज़ाहिरी अरकान पूरे) करते हैं। यह छठी सदी हिजरी का हाल था जिसमें ऐसे लोग बहुत ही कम पाये जाते थे आज यह सूरतेहाल नमाज़ियों में आम हो गयी, इल्ला माशा-अल्लाह। अल्लाह तआला हमें हमारे आमाल और नफ़सों के फ़रेब से अपनी पनाह में रखे। आमीन

وَاتَّبِعُوا الشُّهُوتِ

शहवात से मुराद दुनिया की वो लज़्ज़तें हैं जो इनसान को अल्लाह की याद और नमाज़ से ग़ाफ़िल करें। हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हु ने फ़रमाया कि शानदार मकानों की तामीर और ऐसी शानदार सवारियों की सवारी जिस पर लोगों की नज़रें उठें, और ऐसा लिबास जिससे आम लोगों में उनसे अलग होने की शान नज़र आये यह उक्त शहवतों में दाख़िल हैं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

लफ़ज़ ग़य्युन अरबी भाषा में रशाद के मुक़ाबले में है। हर भलाई और ख़ैर को रशाद और हर बुराई और शर को ग़य्युन कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि ग़य्युन जहन्नम के एक ग़ार (गड्ढे) का नाम है जिसमें सारे जहन्नम से ज़्यादा तरह-तरह के अज़ाब जमा हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ग़य्युन जहन्नम के एक ग़ार का नाम है जिससे जहन्नम भी पनाह माँगती है। उसको अल्लाह तआला ने उस ज़िनाकार के लिये तैयार किया है जो अपनी ज़िनाकारी पर जमा हुआ और उसका आदी है, और उस शराबी के लिये जो शराब का आदी है, और उस सूदख़ोर के लिये जो सूदख़ोरी से बाज़ नहीं आता, और उन लोगों के लिये जो माँ-बाप की नाफ़रमानी करें और झूठी गवाही देने वालों के लिये, और उस औरत के लिये जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने शौहर का बच्चा बना दे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

लग़व से मुराद बातिल व फ़ुज़ूल कलाम, गाली और तकलीफ़ देने वाला कलाम है, कि जन्नत वाले इससे पाक-साफ़ रहेंगे, कोई कलिमा उनके कान में ऐसा न पड़ेगा जो उनको रंज व तकलीफ़ पहुँचाये।

إِلَّا سَلَامًا

यह कलाम सुनने से इसको अलग किया, मुराद यह है कि वहाँ जिसका जो कलाम सुनने में आयेगा वह सलामती और भलाई और खुशी में इज़ाफ़ा करेगा। रिवाजी सलाम भी इसमें दाख़िल है जो जन्नत वाले आपस में एक दूसरे को करेंगे और अल्लाह के फ़रिश्ते उन सब को करेंगे। (कुर्तुबी)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

जन्नत में सूरज का यह निजाम और उसका निकलना व छुपना और रात दिन का आना जाना तो न होगा, एक किस्म की रोशनी हर वक्त रहेगी, मगर रात और दिन और सुबह और शाम का फर्क व भेद किसी खास अन्दाजे से होगा। उसी सुबह व शाम में जन्नत वालों का रिज़क उनको पहुँचेगा। यह तो ज़ाहिर है कि जन्नत वालों को जिस वक्त जिस चीज़ की इच्छा होगी वह उसी वक्त बिना किसी देरी के पूरी की जायेगी, जैसा कि कुरआन का एक दूसरी जगह ऐलान है 'व लहुम मा यशतहून'। फिर सुबह शाम की विशेषता की वजह इंसानी आदत व फ़ितरत की बिना पर है, कि वह सुबह शाम खाने पीने का आदी होता है। अरब के लोग कहते हैं कि जिस शख्स को सुबह शाम की गिज़ा पूरी मिले वह आराम व ऐश वाला है।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत तिलावत फरमाकर कहा कि इससे मालूम होता है कि मोमिनों का खाना दिन में दो मर्तबा होता है— सुबह और शाम।

और कुछ हज़रत ने फरमाया कि यहाँ सुबह शाम का लफ़्ज़ बोलकर उमूम मुराद है, जैसे रात दिन का लफ़्ज़ भी या पूरब व पश्चिम का लफ़्ज़ उमूम के लिये बोला जाता है कोई खास वक्त या जगह मुराद नहीं होती, तो मतलब यह होगा कि उनका रिज़क उनकी इच्छा के मुवाफ़िक़ हर वक्त मौजूद रहेगा। वल्लाहु आलम (तफसीरे क़ुर्तुबी)

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ وَإِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ۝ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

३
६
८

व मा न-तनज़लु इल्ला बिअम्रि
रब्बि-क लहु मा बै-न ऐदीना व मा
खल्फना व मा बै-न ज़ालि-क व मा
का-न रब्बु-क नसिय्या (64)
रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा
बैनहुमा फ़अबुद्हु वस्तबिर्

और हम नहीं उतरते मगर हुक्म से तेरे
रब के, उसी का है जो हमारे आगे है
और जो हमारे पीछे और जो उसके बीच
में है, और तेरा रब नहीं है भूलने वाला।
(64) रब आसमानों का और ज़मीनों का
और जो उनके बीच है सो उसी की वन्दगी
कर, और कायम रह उसकी बन्दगी पर,

लिज़िबा-दतिही, हल् तज़लमु लहू
समिय्या (65) ●

व यकूलुल्-इन्सानु अ-इज़ा मा मित्तु
लसौ-फ़ उख़रु हय्या (66) अ-व ला
यज़कुरुल्-इन्सानु अन्ना ख़लक्नाहु
मिन् कब्लु व लम् यकु शैआ (67)
फ़-व रब्बि-क लनहशुरन्नहुम्
वशशयाती-न सुम्-म लनुह्रिरन्नहुम्
हौ-ल जहन्न-म जिसिय्या (68) सुम्-म
ल-नन्ज़िअन्-न मिन् कुल्लि शी-अतिन्
अय्युहुम् अशद्दु अतररहमानि
ज़ितिय्या (69) सुम्-म ल-नहनु
अज़लमु बिल्लज़ी-न हुम् औला बिहा
सिलिय्या (70) व इम्-मिन्कुम् इल्ला
वारिदुहा का-न अला रब्बि-क हत्मम्-
मकिज़य्या (71) सुम्-म नुनज़िज़ल्-
-लज़ीनत्तकव्-व न-ज़रुज़ालिमी-न
फीहा जिसिय्या (72)

किसी को पहचानता है तू उसके नाम
का? (65) ●

और कहता है आदमी क्या जब मैं मर
जाऊँगा फिर निकलूँगा जिन्दा होकर? (66)
क्या याद नहीं रखता आदमी कि हमने
उसको बनाया पहले से और वह कुछ चीज़
न था। (67) सो कसम है तेरे रब की हम
घेर बुलायेंगे उनको और शैतानों को फिर
सामने लायेंगे गिर्द दोज़ख़ के घुटनों पर
गिरे हुए। (68) फिर अलग कर लेंगे हम
हर एक फ़िर्क़े में से जोनसा उन में से
सख़्त रखता था रहमान से अकड़। (69)
फिर हमको ख़ूब मालूम है जो बहुत
काबिल हैं उसमें दाख़िल होने के। (70)
और कोई नहीं तुम में जो न पहुँचेगा उस
पर, हो चुका यह वायदा तेरे रब पर
लाज़िम मुकर्रर। (71) फिर बचायेंगे हम
उनको जो डरते रहे और छोड़ देंगे
गुनाहगारों को उसमें औंधे गिरे हुए। (72)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

शाने नुज़ूल

सही बुख़ारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से
यह आरज़ू ज़ाहिर फ़रमाई कि ज़रा ज़्यादा आया करो, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

और (हम आपकी दरख़्वास्त का जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ़ से जवाब देते हैं, सुनिये— वह
यह है कि) हम (यांनी फ़रिश्ते) बिना आपके रब के हुक्म के वक़्त-वक़्त पर नहीं आ सकते, उसी की
(मिल्क) हैं हमारे आगे की सब चीज़ें (मकान हो या समय, मकानी हो या ज़मानी) और (इसी तरह)

रे पीछे की सब चीजें, और जो चीजें उनके बीच में हैं, (आगे का मकान "स्थान" तो जो मुँह के
ने हो और पीछे का जो पुश्त की तरफ हो और उनके बीच का जिसमें यह शख्स खुद हो, और
जाने का ज़माना जो भविष्य हो और पीछे का जो गुज़रा हुआ ज़माना हो और इनके बीच का जो
मौजूदा ज़माना हो) और आपका रब भूलने वाला नहीं। (चुनाँचे ये सब बातें आपको पहले से मालूम
हैं। मतलब यही है कि हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं अपनी राय से एक मकान से दूसरे मकान में
या जब हम चाहें कहीं आ-जा नहीं सकते, लेकिन जब हमारा भेजना मस्लेहत होता है तो हक़ तआला
भेज देते हैं, यह शुब्हा व गुमान नहीं कि शायद किसी मस्लेहत के वक़्त भूल जाते हों)।

वह रब है आसमानों और ज़मीन का, और उन सब चीजों का जो इन दोनों के दरमियान में हैं,
सो (जब ऐसा हाकिम व मालिक है तो ऐ मुखातब!) तू उसकी इबादत (और इताअत) किया कर और
(एक-आध बार नहीं बल्कि) उसकी इबादत पर कायम रह (और अगर उसकी इबादत न करेगा तो
क्या दूसरे की इबादत करेगा?) भला तू किसी को उसकी सिफ़तों जैसा जानता है? (यानी कोई उसका
हम-सिफ़त नहीं तो लायक़े इबादत भी कोई नहीं, पस उसी की इबादत करना ज़रूरी हुआ)।

और (आख़िरत का इनकार करने वाला) इनसान यूँ कहता है कि मैं जब मर जाऊँगा तो क्या
फिर जिन्दा करके क़ब्र से निकाला जाऊँगा? (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) क्या (यह) इनसान
इस बात को नहीं समझता कि हम इसको इससे पहले (नापैदी की हालत से) वजूद में ला चुके हैं,
और यह (उस वक़्त) कुछ भी न था। (जब ऐसी हालत से जिन्दगी की तरफ़ लाना आसान है तो
दोबारा जिन्दगी देना तो कहीं ज़्यादा आसान है) सो कसम है आपके रब की हम उनको (क़ियामत में
जिन्दा करके हशर के मक़ाम में) जमा करेंगे और (उनके साथ) शैतानों को भी (जो दुनिया में उनके
साथ रहकर बहकाते सिखाते थे, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'क़ाल क़रीनुहू रब्बना मा
अतगैतुहू') फिर उन (सब) को दोज़ख़ के गिरदा-गिर्द "चारों तरफ़" इस हालत से हाज़िर करेंगे कि
(भारे हैबत के) घुटनों के बल गिरे होंगे।

फिर (उन काफ़िरों के) हर गिरोह में से (जैसे यहूदी व ईसाई और आग को पूजने वाले व बुतों
के पुजारी) उन लोगों को अलग करेंगे जो उनमें से सबसे ज़्यादा अल्लाह से सरकशी किया करते थे
(ताकि ऐसों को औरों से पहले दोज़ख़ में दाख़िल करें)। फिर (यह नहीं कि उस अलग करने में हमको
किसी तहकीक़ात की ज़रूरत पड़े, क्योंकि) हम (खुद) ऐसे लोगों को ख़ूब जानते हैं जो दोज़ख़ में जाने
के ज़्यादा (यानी शुरू में) हक़दार हैं। (पस अपने इल्म से ऐसों को अलग करके पहले उनको फिर
दूसरे काफ़िरों को दोज़ख़ में दाख़िल करेंगे, और यह तरतीब सिर्फ़ उनके पहले जाने में है बाद वाला न
होने में तो सब बराबर हैं। और जहन्नम का वजूद ऐसा यक़ीनी है कि उसका मुआयना सब मोमिन व
काफ़िर को कराया जायेगा अगरचे सूरत और गर्ज मुआयने की भिन्न और अलग होगी, काफ़िरों को
उसमें दाख़िल होने के तौर पर और हमेशा का अज़ाब देने के लिये और मोमिनों को पुलसिरात को
पार करने और शुक्र की अधिकता और खुशी हासिल होने के वास्ते, कि उसको देखकर जो जन्नत में
पहुँचेंगे तो और ज़्यादा शुक्र करेंगे और खुश होंगे) और (बाज़ गुनाहगारों को सीमित सज़ा के लिये जो
कि दर हकीक़त उनको पाक करना है, इसी उमूमी मुआयने की ख़बर दी जाती है कि) तुम में से कोई
भी नहीं जिसका उस पर गुज़र न हो, (किसी का दाख़िल होने के लिये और किसी का उस पर से

गुजरने के लिये) यह (वायदे के मुवाफिक) आपके रब के एतिबार से (ताकीद के साथ) लाज़िम है जो (ज़रूर) पूरा होकर रहेगा। फिर (उस जहन्नम पर गुजरने से यह न समझा जाये कि इसमें मोमिन व काफिर बराबर हैं, बल्कि) हम उन लोगों को निजात दे देंगे जो खुदा से डरते (यानी उससे डरकर ईमान लाते) थे, (चाहे शुरू ही में निजात हो जाये जैसे कामिल मोमिनों की और चाहे किसी क़द्र तकलीफ़ के बाद जैसे कि नाकिस और गुनाहगार मोमिनों की) और ज़ालिमों को (यानी काफिरों को) उसमें (हमेशा के लिये) ऐसी हालत में रहने देंगे कि (रंज व ग़म के मारे) घुटनों के बल गिर पड़ेंगे।

मआरिफ़ व मसाईल

وَاصْطِرْ لِعِبَادَتِهِ

लफ़्ज़ 'इस्तिबार' के मायने मशक्कत व तकलीफ़ पर साबित-क़दम (मज़बूती के साथ जमे) रहना है। इसमें इशारा है कि इबादत पर हमेशगी व जमाव मशक्कत चाहता है, इबादत गुज़ार को इसके लिये तैयार रहना चाहिये।

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

लफ़्ज़ समी के मशहूर मायने हमनाम के हैं, और यह अज़ीब इत्तिफ़ाक़ है कि मुशिरकों और बुत परस्तों ने अगरचे इबादत में अल्लाह तआला के साथ बहुत से इनसानों, फ़रिश्तों, पत्थरों और बुतों को शरीक कर डाला था और उन सब को इलाह यानी माबूद कहते थे मगर किसी ने लफ़्ज़ अल्लाह झूठे माबूद का नाम कभी नहीं रखा। यह एक फ़ितरी और तकदीरी मामला था कि दुनिया में अल्लाह के नाम से कोई बुत और कोई बातिल माबूद नामित नहीं हुआ, इसलिये इस मायने के एतिबार से भी आयत का मज़मून स्पष्ट है कि दुनिया में अल्लाह का कोई हमनाम नहीं।

और अक्सर मुफ़सिरीन— मुजाहिद, इब्ने जुबैर, क़तादा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जगह इस लफ़्ज़ के मायने मिस्त और शबीह के मन्कूल हैं, इसका मतलब वाज़ेह है कि कमाल वाली सिफ़ात में अल्लाह तआला का कोई बराबर का, उस जैसा या उसकी नज़ीर नहीं है।

لَنَحْضُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ

इस जगह वशशयातीनि का वाव साथ के मायने में है और मुराद यह है कि हर काफ़िर को उसके शैतान के साथ एक सिलसिले में बाँधकर उठाया जायेगा। इस सूरत में यह सिर्फ़ काफ़िरों के हशर का बयान होगा, और अगर आम मुराद लिया जाये जिसमें मोमिन व काफ़िर सब दाख़िल हैं तो शैतानों के साथ इन सब के हशर का मतलब यह होगा कि हर काफ़िर तो अपने शैतान के साथ बंधा हुआ हाज़िर होगा और मोमिन लोग भी हशर के उस मक़ाम में अलग नहीं होंगे, इस लिहाज़ से सब के साथ शैतानों का इज्तिमा (इकट्ठा होना) हो जायेगा। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِيًّا

हशर में शुरूआती वक़्त में मोमिन व काफ़िर और नेकबख़्त व बदबख़्त सब जहन्नम के गिर्द जमा किये जायेंगे और सब पर हैबत (ख़ौफ़ व डर) तारी होगी, सब घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। फिर

मोमिनों और नेकबख्तों को जहन्नम से पार कराकर जन्नत में दाखिल किया जायेगा ताकि जहन्नम के इस मन्ज़र को देखने के बाद उनको मुकम्मल और हमेशा की खुशी और दीन के मुख़ालिफों पर लान-तान करने और इस पर अल्लाह का और ज़्यादा शुक्र नसीब हो।

ثُمَّ لَنُزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ

लफ़्ज़ 'शीआ' असल लुगत में किसी खास शख्स या खास अफ़ीदे के पैरोकारों को कहा जाता है, इसलिये फ़िर्के के मायने में भी यह लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। और आयत की मुराद यह है कि काफ़िरों के मुख़्तलिफ़ फ़िर्कों में जो सबसे ज़्यादा सरकश (नाफ़रमान व बागी) होगा उसको सब में नुमायाँ करके आगे किया जायेगा। कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि जहन्नम में इस तरतीब से दाखिल किया जायेगा कि जिसका जुर्म सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे पहले उसके बाद दूसरे और तीसरे दर्जे के मुजरिम लोग जहन्नम में दाखिल किये जायेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا.

यानी कोई इनसान मोमिन या काफ़िर ऐसा न रहेगा जिसका वुरूद (पेश होना और आना) जहन्नम पर न हो। यहाँ इस पेश होने से मुराद दाखिल होना नहीं बल्कि गुज़रना और पार करना है जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में लफ़्ज़ मुरूर भी आया है। और अगर दाखिल होना मुराद लिया जाये तो मुत्तकी मोमिनों का दाखिल होना इस तरह होगा कि जहन्नम उनके लिये ठण्डी और सलामती वाली बन जायेगी उनको उसकी कोई तकलीफ़ महसूस न होगी जैसा कि हज़रत अबू सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि कोई नेक आदमी या फ़ाजिर (बुरा) आदमी बाकी न रहेगा जो शुरू में जहन्नम में दाखिल न हो, मगर उस वक़्त नेक और मुत्तकी मोमिनों के लिये जहन्नम ठण्डी और सलामती वाली बन जायेगी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये नमरूद की आग ठण्डी और सलामती वाली बना दी गयी थी। उसके बाद मोमिनों को यहाँ से निजात देकर जन्नत में लेजाया जायेगा, यही मायने आयत के इस अगले जुमले के हैं 'सुम्-म नुनज्जिल्लज़ीनत्तकौ' (फिर हम मुत्तकी लोगों को निजात दे देंगे)।

यह मज़मून हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल किया गया है और कुरआने करीम में जो वुरूद का लफ़्ज़ आया है अगर उसके मायने दाखिल होने के भी लिये जायें तो दाखिल होना पार करने के तौर पर मुराद होगा इसलिये दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ

مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَاثًا وَرِثِيًّا ۗ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ

فَلْيَدِدْ لَهُ الرِّحْمَنُ مَدًّا ۗ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِذَا الْعَذَابُ وَرِمَا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ

شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَيْتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۗ

व इजा तुल्ला अलैहिम् आयातुना
 बयिनातिन् कालल्लज़ी-न क-फ़रु
 लिल्लज़ी-न आमनू अय्युल्-फ़रीकैनि
 ख़ैरुम्-मक़ामं-व-व अह्सनु नदिय्या
 (73) व कम् अस्तकना कब्लहुम् मिन्
 करनिन् हुम् अह्सनु असासं-व-व
 रिअ्या (74) कुल् मन् का-न
 फ़िज़्ज़लालति फ़ल्यम्दुद् लहुरस्मानु
 मददनु, हत्ता इजा रऔ मा यू-अदू-न
 इम्मल्-अजा-ब व इम्मस्सा-अ-त,
 फ़-सयअलमू-न मन् हु-व शरुम्-
 मकानं-व-व अज़्ज़फ़ु जुन्दा (75) व
 यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनस्तदौ हुदनु,
 वल्-बाकि यातुस्सालिहातु ख़ैरुन्
 अिन्-द रब्बि-क सवाबं-व-व ख़ैरुम्-
 मरद्दा (76)

और जब सुनाये उनको हमारी आयतें
 खुली हुई, कहते हैं जो लोग कि मुन्किर
 हैं ईमान वालों को दोनों फ़िकों में, किस
 का मकान बेहतर है और किसकी अच्छी
 लगती है मज्लिस। (73) और कितनी
 हलाक कर चुके हम पहले उनसे जमाअतें
 वे उनसे बेहतर थे सामान में और नमूद
 में। (74) तू कह जो रहा भटकता सो
 चाहिये उसको खींच ले जाये रहमान
 लम्बा यहाँ तक कि जब देखेंगे जो वायदा
 हुआ था उनसे या आफ़त और या
 क़ियामत सो तब मालूम कर लेंगे किस
 का बड़ा है मकान और किसकी फ़ौज
 कमज़ोर है। (75) और बढ़ाता जाता है
 अल्लाह सूझने वालों को सूझ और बाकी
 रहने वाली नेकियाँ बेहतर रखती हैं तेरे
 रब के यहाँ बदला और बेहतर फिर जाने
 को जगह। (76)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जब इन (इनकार करने वाले) लोगों के सामने हमारी (वह) खुली-खुली आयतें पढ़ी जाती हैं (जिनमें मोमिनों का हक़ पर होना और काफ़िरो का बातिल पर होना ज़िक्र होता है) तो ये काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि (यह बतलाओ हम) दोनों फ़रीकों में (यानी हम में और तुम में दुनिया में) से मकान "यानी ठिकाना" किसका ज़्यादा अच्छा है, और महफ़िल किसकी अच्छी है (यानी ज़ाहिर है कि घरेलू और मज्लिसी साज़ व सामान और घर वालों व मददगारों में हम बढ़े हुए हैं। यह बात तो ज़ाहिर में महसूस है और दूसरी बात उर्फ़ के एतिबार से समझ में आती है कि इनाम व एहसान और नेमत का दिया जाना उस शख़्स के लिये होता है जो देने वाले के नज़दीक महबूब और पसन्द हो, इन दोनों बातों से साबित हुआ कि हम अल्लाह के महबूब व मक़बूल हैं और तुम नापसन्दीदा और ग़ज़ब का शिकार। आगे अल्लाह तआला एक जवाब इल्ज़ामी और एक तहकीकी देते हैं। पहला जवाब तो

यह है कि ये लोग ऐसी बात कहते हैं) और (यह नहीं देखते कि) हमने इनसे पहले बहुत से ऐसे-ऐसे गिरोह (डरावनी सजाओं से जो कि यकीनन अज़ाब थीं) हलाक किये हैं जो सामान और देखने में इनसे भी (कहीं ज्यादा) अच्छे थे। (इससे मालूम हुआ कि दूसरी बात ग़लत है, बल्कि किसी हिक्मत और मस्लेहत से दुनिया की नेमतें नापसन्दीदा व मरदूद को भी दी जा सकती हैं। आगे दूसरा जवाब है कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप फरमा दीजिये कि जो लोग गुमराही में हैं (यानी तुम) अल्लाह तआला (रहमान) उनको ढील देता चला जा रहा है (यानी इस दुनिया की नेमतों में यह हिक्मत है कि मोहलत देकर हुज्जत पूरी कर दे, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'अ-व लम् नुअम्मिरकुम मा य-तज़क्करु फीहि मन् तज़क्क-र..... "यानी सूर: फ़ातिर आयत 37 में" और यह मोहलत चन्द दिन की है) यहाँ तक कि जिस चीज़ का इनसे वायदा किया गया है उसको देख लेंगे, चाहे अज़ाब को (दुनिया में) चाहे क़ियामत को (दूसरे आलम में), सो (उस वक़्त) इनको मालूम हो जायेगा कि बुरा ठिकाना किसका है और कमज़ोर मददगार किसके हैं (यानी दुनिया में जो अपने मज्लिस वालों को अपना मददगार समझते हैं और फ़ख़र करते हैं वहाँ मालूम होगा कि उनमें कितना जोर है, क्योंकि वहाँ तो किसी का कोई जोर होगा ही नहीं। इसी को अज़ज़फ़ "ज्यादा कमज़ोर" फरमाया था)।

और (मुसलमानों का यह हाल है कि) अल्लाह तआला हिदायत वालों को (दुनिया में तो) हिदायत बढ़ाता है (यानी असल सरमाया यह है कि अगर इसके साथ माल व दौलत न हो तो कोई नुक़सान नहीं) और (आखिरत में ज़ाहिर होगा कि) जो नेक काम हमेशा के लिये बाकी रहने वाले हैं वो तुम्हारे ख के नज़दीक सवाब में भी बेहतर हैं और अन्जाम में भी बेहतर हैं (पस उनको सवाब में बड़ी-बड़ी नेमतें मिलेंगी जिनमें मक़ान और बागात सब कुछ होंगे, और अन्जाम उन आमाल का इन नेमतों का हमेशा के लिये और लाफ़ानी होना है, पस हर एतिबार से मुसलमानों ही की आखिरी हालत बेहतर होगी और आखिर ही का एतिबार भी है)।

मआरिफ व मसाईल

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

यहाँ काफ़िरों ने मुसलमानों को मुग़ालता (धोखा) देने के लिये दो चीज़ें पेश कीं— अब्बल दुनिया का माल व दौलत और साज़ व सामान, दूसरे नौकर-चाकर और अपना जत्था व जमाअत कि यह बज़ाहिर काफ़िरों को मुसलमानों की तुलना में ज्यादा हासिल थी, और यही दो चीज़ें हैं जो इनसान के लिये नशे का काम करती हैं और इनका फ़ख़र व गुरूर अच्छे-अच्छे अक्लमन्द समझदार लोगों को ग़लत रास्तों पर डाल देता है, और पिछले दौर के बड़े-बड़े सरमायेदारों और हुकूमत व सल्लनत वालों के सबक लेने वाले इतिहास से गाफ़िल करके अपने मौजूदा हाल को अपना जाती कमाल और हमेशा की राहत का ज़रिया यकीन करा देता है, सिवाय उन लोगों के जो कुरआने करीम की तालीम के मुताबिक़ दुनिया के माल व दौलत और इज्जत व रुतबे किसी को अपना जाती कमाल या हमेशा का

साथी न समझें, इस पर अल्लाह तआला का शुक़ ज़बान से भी अदा करें और उसकी दी हुई नेमत को खर्च करने में भी उसके अहकाम की पाबन्दी करें, और उसके फना या कम हो जाने के खतरे से भी किसी वक़्त गाफ़िल न हों तो वही इस शर (बुराई) से महफूज़ रहते हैं। जैसे अम्बिया हज़रात में, हज़रत सुलैमान और दाऊद अलैहिमस्सलाम और सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में बहुत से मालदार सहाबा और इसी तरह उम्मत में लाखों औलिया और नेक लोग जिनको हक़ तआला ने दुनिया का माल व दौलत भी ख़ूब अता फ़रमाया और दीन की दौलत और अपना ख़ौफ़ भी बेइन्तिहा।

काफ़िरों के इस मुग़ालते (धोखे में रहने) को कुरआन पाक ने इस तरह दूर फ़रमाया कि दुनिया की चन्द दिन की नेमत व दौलत न अल्लाह के नज़दीक मक़बूल होने की निशानी हो सकती है न दुनिया ही में वह किसी ज़ाती क़माल की निशानी समझी जाती है। क्योंकि बहुत से बेअक़ल जाहिलों को दुनिया में ये चीज़ें अक़्लमन्दों और बुद्धिमानों से ज़्यादा मिल जाती हैं। पिछली तारीख़ उठाकर देखो तो यह हकीकत खुल जायेगी कि ऐसी-ऐसी बल्कि इनसे भी ज़्यादा कितनी दौलतों और शान व शौकतों के ढेर ज़मीन पर होते देखे गये हैं।

रही नौकर-चाकर और दोस्त व अहबाब की अधिकता सो इसकी हकीकत भी अब्बल तो दुनिया ही में ज़ाहिर हो जाती है कि आड़े वक़्त में कोई काम नहीं आता, फिर अगर दुनिया में वे बराबर खिदमत करते भी रहे तो वह कितने दिन की, उसके बाद मेहशर के मैदान में उनका कौन साथी होगा?

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

बाक़ियात-ए-सालिहात (बाकी रहने वाली नेकियों) की तफ़सीर में विभिन्न और अनेक कौल हैं जिसकी तफ़सील सूरः कहफ़ में गुज़र चुकी है, और पसन्दीदा कौल यही है कि इससे मुराद वो तमाम भलाईयाँ और नेक काम हैं जिनके फ़ायदे बाकी रहने वाले हैं। 'मरदन्' का लफ़ज़ मरजा (लौटने की जगह) के मायने में है, मुराद अन्जाम व आख़िरत है। आयत की मुराद स्पष्ट है कि नेक आमाल ही असल दौलत हैं जिनका सवाब बड़ा और अन्जाम हमेशा की राहत है।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَأُؤْتَيْنَ مَا لَا يُؤْتَيْنَ مَا أَظْلَمَ الْغَيْبُ

أَمْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ فَأَخَذُوا إِلَيْنَا أَيْدِيَهُمْ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ ۚ وَإِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فَإِن يُرِيدُ لَأُحِبِّبَ إِلَيْهِمُ الدِّينَ إِذْ جَاءَهُمْ سَبَقًا ۚ وَإِن يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ فَإِن يُرِيدُ لَأُحِبِّبَ إِلَيْهِمُ الدِّينَ إِذْ جَاءَهُمْ سَبَقًا ۚ وَإِن يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ فَإِن يُرِيدُ لَأُحِبِّبَ إِلَيْهِمُ الدِّينَ إِذْ جَاءَهُمْ سَبَقًا ۚ وَإِن يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ فَإِن يُرِيدُ لَأُحِبِّبَ إِلَيْهِمُ الدِّينَ إِذْ جَاءَهُمْ سَبَقًا ۚ

अ-फ़-रऐतल्लज़ी क-फ़-र बिआयातिना
व क़ा-ल लऊ-तयन्-न मालं-व-व
व-लदा (77) अत्त-लज़ल्-ग़ै-व
अमित्त-ख़-ज़ अिन्दरह्मानि

भला तूने देखा उसको जो मुन्किर हुआ
हमारी आयतों से और कहा मुझको
मिलकर रहेगा माल और औलाद। (77)
क्या झाँक आया है ग़ैब को, या ले रखा

हदा (78) कल्ला, सनक्तुबु मा
यकूलु व नमुद्दु लहू मिनल्-अज़ाबि
मद्दा (79) व नरिसुहू मा यकूलु व
यअतीना फर्दा (80) वत्त-खज़ू मिन्
दूनिल्लाहि आलि-हतल्-लि-यकूनू
लहुम् अिज़ज़ा (81) कल्ला,
स-यक्फुरू-न बिअिबादतिहिम् व
यकूनू-न अलैहिम् जिद्दा (82) ❀

है रहमान से अहद। (78) यह नहीं, हम
लिख रखेंगे जो वह कहता है और बढ़ाते
जायेंगे उसको अज़ाब में लम्बा। (79)
और हम ले लेंगे उसके मरने पर जो कुछ
वह बतला रहा है और आयेगा हमारे पास
अकेला। (80) और पकड़ रखा है लोगों
ने अल्लाह के सिवा औरों को माबूद ताकि
वे हों उनके लिये मददगार (81) हरगिज़
नहीं वे मुन्किर होंगे उनकी बन्दगी से और
हो जायेंगे उनके मुखालिफ़। (82) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भला आपने उस शख्स (की हालत) को भी देखा जो
हमारी आयतों के साथ (जिनका हक़ यह है कि उन पर ईमान लाया जाता जिनमें से मरने के बाद
ज़िन्दा होकर उठने वाली आयतें भी हैं) कुफ़र करता है और (मज़ाक उड़ाने के तौर पर) कहता है कि
मुझको (आखिरत में) माल और औलाद मिलेंगे (मतलब यह कि उसकी हालत भी काबिले ताज्जुब है
आगे उसका रद्द है कि) क्या यह शख्स ग़ैब पर बा-ख़बर हो गया है, या क्या इसने अल्लाह तआला
से कोई अहद (इस बात का) ले लिया है। (यानी इस दावे का इल्म आया डायरेक्ट बिना असबाब के
हुआ है कि इल्म-ए-ग़ैब है या असबाब के माध्यम से हुआ है। फिर चूँकि वह दावा अक्ली हुक्म तो है
नहीं बल्कि रिवायती मामला है इसलिए सिर्फ़ रिवायती और किताबी दलील जो कि अल्लाह तआला
का ख़बर देना है उसकी दलील हो सकती है, सो दोनों तरीके ग़ैर-मौजूद हैं, पहला तो अक्लन भी
नामुम्किन है और दूसरा सामने मौजूद नहीं है) हरगिज़ नहीं (बिल्कुल ग़लत कहता है, और) हम उसका
कहा हुआ भी लिख लेते हैं (और वक़्त पर यह सज़ा देंगे कि) उसके लिये अज़ाब बढ़ाते चले जाएँगे
और उसकी कही हुई चीज़ों के हम मालिक रह जाएँगे (यानी वह तो दुनिया से मर जायेगा और माल
व औलाद पर कोई उसका इख्तियार न रहेगा हम ही सब के मालिक रहेंगे और क़ियामत में हम
उसको न देंगे बल्कि) वह हमारे पास (माल व औलाद से) तन्हा होकर आयेगा और उन लोगों ने
अल्लाह के अलावा और माबूद तजदीज़ कर रखे हैं ताकि उनके लिये वे (अल्लाह के यहाँ) इज़्ज़त का
सबब हों (जैसा कि सूर: यूनस की आयत 18 में उनका कौल नक़ल है), हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि वे
तो (क़ियामत में खुद) उनकी इबादत का ही इन्कार कर बैठेंगे (जैसा कि सूर: यूनस की आयत 28 में
ख़बर चुका) और (उल्टे) उनके मुखालिफ़ हो जाएँगे (कौल से भी जैसा कि गुज़रा और व्यवहार में भी

कि बजाय इज्जत के जिल्लत का सबब हो जायेंगे। उन माबूदों में बुत भी होंगे सी उनका बोलने होना जैसा कि 'यक्फुरून' का लफ्ज चाहता है कोई दूर की और मुहाल बात नहीं क्योंकि जब इ के अंग बोलते हैं तो ऐसे ही अगर कोई दूसरी चीज बोलने लगे तो इसमें मुहाल व नामुम्किन हो कौनसी बात है)।

मअरिफ व मसाईल

وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا

बुखारी व मुस्लिम में हजरत खब्बाब बिन अरत रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उनव कर्ज आस बिन वाईल के जिम्मे था, यह उनके पास तकाजे के लिये गये, उसने कहा मैं तो कर्ज उस वक्त तक नहीं दूँगा जब तक तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ : इनकार का मामला न करो। इन्होंने जवाब दिया कि मैं यह काम नहीं कर सकता जब तक कि मरो फिर जिन्दा हो। आस बिन वाईल ने कहा कि अच्छा क्या मैं मरकर फिर जिन्दा हूँगा? अगर है तो बस तुम्हारा कर्ज भी मैं उसी वक्त चुकाऊँगा जब दोबारा जिन्दा हूँगा, क्योंकि उस वक्त पास माल और औलाद होंगे। (तफसीरे कुर्तुबी)

कुरआने करीम ने इस अहमक के जवाब में फरमाया कि उसे यह कैसे मालूम हुआ कि जिन्दा होने के वक्त भी उसके पास माल और औलाद होंगे? क्या उसने गैब की बातों को झं मालूम कर लिया है? या अल्लाह रहमान से उसने माल व औलाद के लिये कोई अहद और व लिया है? और यह जाहिर है ऐसी कोई बात हुई नहीं फिर उसने यह ख्याल कैसे पका लिया।

رَبُّهُ مَا يَقُولُ

यानी जिस माल और औलाद का यह जिक्र कर रहा है आखिरत में मिलने का मामला दूर है दुनिया में भी जो कुछ इसको मिला हुआ है उसको भी छोड़ना पड़ेगा और उसके वारिस कार हम होंगे, यानी यह माल व औलाद इससे छिनकर आखिरकार अल्लाह की तरफ लौट जायें

بِنَا فَرْدًا

और कियामत के दिन यह अकेला हमारे दरबार में हाज़िर होगा, न कोई औलाद साथ माल।

كُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

यानी यह अपने आप तैयार किये और बनाये हुए बुत और झूठे माबूद जिनकी इबादत करते थे कि ये उनके मददगार होंगे मेहशर में इसके उलट ये उनके दुश्मन हो जायेंगे, अल्लाह इनको बोलने की ताकत और ज़बान अता फरमा देंगे और ये बोलेंगे कि या अल्लाह! इनको सजा दीजिए कि इन्होंने तुझको छोड़कर हमें माबूद बना लिया था। (तफसीरे कुर्तुबी)

وقف لازم

الْمَرْتَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزُّؤُهُمْ أَرْأَىٰ فَلَا تَعْجَلْ
عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدَاكَ عَذَابًا ۖ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَا ۖ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُودًا ۖ
لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ

अलम् त-र अन्ना अरसल्लशयाती-न
अलल्-काफिरी-न त-उज्जुहुम् अज्जा
(83) फला तअजल् अलैहिम्, इन्नमा
नअुद्दु लहुम् अद्दा (84) यौ-म
नहशुरुल्-मुत्तकी-न इलररह्मानि वफदा
(85) व नसुकुल्-मुज्जिमी-न इला
जहन्न-म विर्दा। (86) ला यम्मिकूनश्-
शफ़ाअ-त इल्ला मनित्त-ख-ज़
अिन्दरह्मानि अहदा। (87)

तूने नहीं देखा कि हमने छोड़ रखे हैं
शैतान मुन्क़रों पर, उछालते हैं उनको
उभार कर। (83) सो तू जल्दी न कर उन
पर, हम तो पूरी करते हैं उनकी गिनती।
(84) जिस दिन हम इकट्ठा कर लायेंगे
परहेज़गारों को रहमान के पास मेहमान
बुलाये हुए। (85) और हाँक ले जायेंगे
गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ़ प्यासे।
(86) नहीं इख़्तियार रखते लोग सिफ़ारिश
का मगर जिसने ले लिया है रहमान से
वायदा। (87)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(आप जो इनकी गुमराही से ग़म करते हैं तो) क्या आपको मालूम नहीं कि हमने शैतानों को काफ़िरों पर (उनको आज़माईश में डालने के लिये) छोड़ रखा है, कि वे उनको (कुफ़्र व गुमराही पर) ख़ूब उभारते (और उकसाते) रहते हैं (फिर जो खुद ही अपने इख़्तियार से अपने बुरा चाहने वाले के बहकाने में आ जाये उसका क्यों ग़म किया जाये), सो (जब शैतान आज़माईश में डालने के लिये मुसल्लत हुए हैं और अज़ाब के हक़दार के लिये जल्दी करने में आज़माईश में डालना रहता नहीं, तो) आप उनके लिये जल्दी (अज़ाब होने की दरख़्वास्त) न कीजिये, हम उनकी बातें (जिन पर सज़ा होगी) खुद शुमार कर रहे हैं। (और वह सज़ा उस दिन सामने आयेगी) जिस दिन मुत्तकियों को रहमान (के नेमतों के घर) की तरफ़ मेहमान बनाकर जमा करेंगे, और मुजरिमों को दोज़ख की तरफ़ प्यासा हाँकेंगे (और कोई उनका सिफ़ारिशी भी न होगा, क्योंकि वहाँ) कोई सिफ़ारिश का इख़्तियार न रखेगा मगर हाँ जिसने रहमान के पास से इजाज़त ली है (वह नबी हज़रात और नेक लोग हैं, और इजाज़त खास है मोमिनों के साथ, पस काफ़िर लोग शफ़ाअत के पात्र व अहल न हुए)।

मआरिफ़ व मसाईल

تَوَزُّهُمُ أَرْأَا

अरबी लुगत में लफ़्ज़ 'हज़्ज़-ज़' के मायने हैं किसी काम के लिये उभारना और आमादा करना। लफ़्ज़ 'अज़्ज़-ज़' के मायने पूरी कुव्वत और तदबीर व तहरीक के ज़रिये किसी शख्स को किसी काम के लिये आमादा (तैयार) बल्कि मजबूर कर देने के हैं। मायने आयत के यह हैं कि ये शैतान उनको बुरे आमाल पर उभारते रहते हैं और उनका अच्छा होना उनके दिल पर मुसल्लत कर देते हैं, ख़राबियों पर नज़र नहीं होने देते।

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

मतलब यह है कि आप उनके अज़ाब के बारे में जल्दी न करें वह तो बहुत जल्द होने ही वाला है, क्योंकि हमने उनको गिने-चुने दिन और जो मुद्दत दुनिया में रहने की दी है वह बहुत जल्द पूरी होने वाली है, उसके बाद अज़ाब ही अज़ाब है। 'नउददु लहुम' यानी हम उनके लिये शुमार करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी कोई चीज़ आज़ाद नहीं, उनकी उम्र के दिन-रात गिने हुए हैं, उनके साँस, उनकी हर गतिविधि का एक-एक क़दम, उनकी लज़्ज़तें उनकी ज़िन्दगी का एक-एक पल हम गिन रहे हैं, यह गिनती पूरी होते ही उन पर अज़ाब टूट पड़ेगा।

मामून रशीद ने एक मर्तबा सूर: मरियम पढ़ी। जब इस आयत पर पहुँचे तो मजलिस में मौजूद उलेमा व फ़ुक़हा में से इब्ने समाक की तरफ़ इशारा किया कि इसके बारे में कुछ कहें, उन्होंने अज़ा किया कि जब हमारे साँस गिने हुए हैं उन पर ज़्यादाती नहीं हो सकती तो ये किस क़द्र जल्द ख़त्म हो जायेंगे। इसी को एक शायर ने कहा है:

حياتك انفاست تعد فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا

यानी तेरी ज़िन्दगी के साँस गिने हुए हैं, जब एक साँस गुज़रता है तो तेरी ज़िन्दगी का एक हिस्सा कम हो जाता है। कहा जाता है कि इनसान दिन-रात में चौबीस हज़ार साँस लेता है। (कुर्तुबी) और एक शायर ने कहा है:

وكيف يفرح بالذنيا ولذتها فتى يعدّ عليه اللفظ والنفس

यानी दुनिया और इसकी लज़्ज़त पर वह शख्स कैसे मगन और बेफ़िक्र हो सकता है जिसके अलफ़ाज़ और साँस गिने जा रहे हों। (रुहुल-मआनी)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدًّا

लफ़्ज़ 'वफ़द' ऐसे आने वालों के लिये बोला जाता है जो किसी बड़े बादशाह या अमीर के पास सम्मान व इज़्ज़त के साथ जायें। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि ये लोग सवारियों पर सवार होकर पहुँचेंगे और सवारी हर शख्स की वह होगी जिसको वह दुनिया में अपने लिये पसन्द करता था। ऊँट, घोड़ा या दूसरी सवारियाँ। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि उनके नेक आमाल उनकी पसन्द की सवारियों की सूरत इख़्तियार कर लेंगे। हदीस की ये रिवायतें तफ़सीर रुहुल-मआनी और तफ़सीरे कुर्तुबी में

ल की गयी हैं।

إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُذَاهُ

'विर्दा' के लफ्ज़ी मायने पानी की तरफ जाने के हैं, और ज़ाहिर यह है कि प्यास ही के वक़्त कोई आदमी या जानवर पानी पर जाता है, इसलिये विर्दा का तर्जुमा प्यासा किया गया।

مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अहद से मुराद 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' की गवाही है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अहद से मुराद अल्लाह की किताब का हिफ़ज़ करना है। खुलासा यह है कि शफ़ाअत करने का हक़ हर एक को नहीं मिलेगा सिवाय उन लोगों के जो ईमान के अहद पर मज़बूत रहे। (रूहुल-मअनी)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۖ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ
الْأَرْضُ وَنَخِرَ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يَدَّبَعْنِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۗ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۗ فَإِنَّمَا يَتْرُقُهُ لِسَانُكَ لِنُبَشِّرِ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ
تُنذِرِ بِهِ قَوْمًا لَدًّا ۗ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكزًا ۗ

व कालुत्त-ख़ज़ररह्मानु व-लदा (88)
ल-कद् जिअ्तुम् शैअन् इद्दा (89)
तकादुस्समावातु य-तफ़त्तर्-न मिन्हु
व तन्शक्कुल्-अरज़ु व तख़िरुल्-
जिबालु हद्दा (90) अन् दऔ
तिरह्मानि व-लदा (91) व मा यम्बगी
तिरह्मानि अय्यत्तख़ि-ज़ व-लदा (92)
इन् कुल्लु मन् फ़िस्समावाति वल्अर्जि
इल्ला आतिरह्मानि अब्दा (93)
ल-कद् अह्साहुम् व अद्दहुम् अद्दा
(94) व कुल्लुहुम् आतीहि यौमल्-

और लोग कहते हैं रहमान रखता है
औलाद। (88) बेशक तुम आ फंसे हो
भारी चीज़ में। (89) अभी आसमान फट
पड़ें इस बात से और टुकड़े हो ज़मीन
और गिर पड़ें पहाड़ ढह कर (90) इस
पर कि पुकारते हैं रहमान के नाम पर
औलाद। (91) और नहीं फबता रहमान
को कि रखे औलाद। (92) कोई नहीं
आसमान और ज़मीन में जो न आये
रहमान का बन्दा होकर। (93) उसके पास
उनका शुमार है और गिन रखी है उनकी
गिनती। (94) और हर एक उनमें आयेगा

कियामति फर्दा (95) इन्नल्लज़ी-न
 आमनू व अमिलुस्सालिहाति
 स-यज़ज़लु लहुमुर्रह्मानु वुद्दा (96)
 फ़-इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानि-क
 लितुबशिश-र बिहिल्-मुत्तकी-न व
 तुन्ज़ि-र बिही कौमल्-लुद्दा (97) व
 कम् अस्तकना कब्लाहुम् मिन् करनिन्,
 हल् तुहिस्सु मिन्हुम् मिन् अ-हदिन्
 औ तस्मअु लहुम् रिक्ज़ा (98) ● ●

उसके सामने कियामत के दिन अकेला
 (95) अलबत्ता जो यकीन लाये हैं औ
 की हैं उन्होंने नेकियाँ उनको देगा रहमा
 मुहब्बत। (96) सो हमने आसान कर दिय
 यह कुरआन तेरी जुबान में इसी वास्ते
 कि खुशखबरी सुना दे तू डरते रहने
 वालों को, और डरा दे झगड़ालू लोगो
 को। (97) और बहुत हलाक कर चुके
 हम इनसे पहले जमाअतें, आहट पाता है
 तू उनमें किसी की या सुनता है उनकी
 धनक? (98) ● ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (काफ़िर) लोग कहते हैं कि (नऊजु बिल्बाह) अल्लाह ने औलाद (भी) इख़्तियार कर रख
 है (चुनाँचे ईसाई कसरत से और यहूदी व अरब के मुशिरक लोग किसी हद तक इस बुरे अफ़ीदे में
 मुक्कला थे। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि) तुमने (जो) यह (बात कही तो) ऐसी सख़्त हरकत की है
 कि इसके सबब कुछ दूर की बात नहीं कि आसमान फट पड़ें और ज़मीन के टुकड़े उड़ जाएँ और
 पहाड़ टूटकर गिर पड़ें। इस बात से कि ये लोग (खुदा-ए-तआला) रहमान की तरफ़ औलाद की
 निस्बत करते हैं हालाँकि (खुदा-ए-तआला) रहमान की शान नहीं कि वह औलाद इख़्तियार करे।
 (क्योंकि) जितने भी कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं सब (खुदा-ए-तआला) रहमान के सामने गुलाम
 होकर हाज़िर होते हैं। (और) उसने सब को (अपनी क़ुदरत में) घेर रखा है, और (अपने इल्म से) सब
 को शुमार कर रखा है। (यह हालत तो उनकी फ़िलहाल है) और क़ियामत के दिन सब-के-सब उसके
 पास तन्हा-तन्हा हाज़िर होंगे (कि हर शख्स खुदा ही का मोहताज और हुक्म के ताबे होगा, पस अगर
 खुदा के औलाद हो तो खुदा ही की तरह उसका वजूद वाजिब और वाजिब वजूद से संबन्धित चीज़ें
 उसके अन्दर होनी चाहियें और खुदा की ये सिफ़ात हैं जो ऊपर बयान हुई यानी कामिल क़ुदरत और
 कामिल इल्म वाला होना, और ग़ैरे-खुदा की सिफ़तें ये हैं— दूसरों की तरफ़ मोहताज होना और
 ताबेदारी व फ़रमाँबरदारी करना, और ये बातें जिद (उलट और विपरीत) हैं वाजिब होने के, फिर दो
 एक दूसरे के विपरीत और मुख़ालिफ़ चीज़ें एक जगह कैसे एकत्र हो सकती हैं)।

बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये (अल्लाह तआला) रहमान (उनको
 आख़िरत की उक्त नेमतों के अलावा दुनिया में यह नेमत देगा कि) उनके लिये (मख़्लूक़ात के दिल में)
 मुहब्बत पैदा कर देगा, सो (आप उनको यह खुशख़बरी दे दीजिए क्योंकि) हमने इस (कुरआन) को

पकी भाषा (यानी अरबी) में इसलिये आसान किया है कि आप इससे मुत्तकियों को खुशख़बरी नाँँ और (साथ ही) इससे झगड़ालू आदमियों को ख़ौफ़ दिला दें और (उन ख़ौफ़ की चीज़ों में से नेयावी सज़ा का एक यह भी मज़मून है कि) हमने उनसे पहले बहुत से गिरोहों को (अज़ाब व क़हर से) हलाक कर दिया है (सो) क्या आप उनमें से किसी को देखते हैं, या उन (में से किसी) की कोई आहिस्ता आवाज़ सुनते हैं। (इससे मुराद उनका बेनाम व निशान होना है। सो काफ़िर लोग इस दुनियावी सज़ा के भी मुस्तहिक़ हैं अगरचे किसी मस्तेहत से किसी काफ़िर के लिये वह ज़ाहिर न हो मगर आशंका व संभावना तो इसकी ज़रूर है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَتَخِرُّ الْجِبَالَ هَدًا

इन आयतों से मालूम हुआ कि ज़मीन और पहाड़ और उसकी तमाम चीज़ों में एक ख़ास किस्म का अक्ल व शऊर मौजूद है अगरचे वह उस दर्जे का न हो जिस पर अल्लाह के अहकाम मुरत्तब होते हैं जैसे इनसान की अक्ल व शऊर। यही अक्ल व शऊर है जिसकी वजह से दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के नाम की तस्बीह करती है जैसा कि कुरआने करीम का इरशाद है:

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

यानी कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ़ के साथ तस्बीह न करती हो। उन चीज़ों का यही शऊर व एहसास है जिसका ज़िक्र इन उक्त आयतों में आया है कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक करार देने, ख़ासकर अल्लाह तआला के लिये औलाद करार देने से ज़मीन और पहाड़ वगैरह सख्त घबराते और डरते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जिन्नात व इनसान के अलावा तमाम मख़्लूक़ात खुदा तआला के साथ शिर्क से बहुत डरती हैं और यह ख़तरा महसूस करती हैं कि वह रेज़ा-रेज़ा हो जायें। (रूहल-मआनी)

وَعَدَّهُمْ عَدَا

यानी हक़ तआला शानुहू तमाम इनसानों की व्यक्तिगत चीज़ों और आमाल का पूरा इल्म रखते हैं, उनके साँस उनके क़दम उनके लुक़्मे और घूँट अल्लाह के नज़दीक़ शुमार किये हुए हैं, न कम हो सकते हैं न ज़्यादा।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

यानी ईमान और नेक अमल पर कायम रहने वालों के लिये अल्लाह तआला कर देते हैं दोस्ती और मुहब्बत। यानी ईमान और नेक अमल जब मुकम्मल हों और बाहरी रुकावटों से ख़ाली हों तो उनकी विशेषता यह है कि नेक मोमिनों के दरमियान आपस में भी उलफ़त व मुहब्बत हो जाती है। एक नेक सालेह आदमी दूसरे नेक आदमी से मानूस होता है और दूसरे तमाम लोगों और मख़्लूक़ात के दिलों में भी अल्लाह तआला उनकी मुहब्बत पैदा फ़रमा देते हैं।

बुख़ारी, मुस्लिम और तिर्मिज़ी वगैरह ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल

की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि हक तआला जिस किसी बन्दे को पसन्द फरमाते हैं तो जिब्रीले अमीन से कहते हैं कि मैं फुलॉ आदमी से मुहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मुहब्बत करो। जिब्रीले अमीन सारे आसमानों में इसकी मुनादी करते हैं और सब आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं। फिर यह मुहब्बत जमीन पर नाज़िल होती है (तो जमीन वाले भी सब उस महबूबे खुदा से मुहब्बत करने लगते हैं)। और फरमाया कि कुरआने करीम की यह आयत इस पर गवाह और सुबूत है, यानी:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

(यानी यही आयत नम्बर 96 जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है। रूहुल-मआनी)

और हरम बिन हय्यान रह. ने फरमाया कि जो शख्स अपने पूरे दिल से अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जह हो जाता है तो अल्लाह तआला तमाम ईमान वालों के दिल उसकी तरफ़ मुतवज्जह फरमा देते हैं। (तफ़सीरे कुरुबी)

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी हज़रत हाजरा और दूध पीते बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के खुश्क पहाड़ों के बीच रेगिस्तान में अल्लाह तआला के हुक्म से छोड़कर मुल्क शाम वापस जाने का इरादा फरमाया तो उनके लिये भी दुआ माँगी थी:

فَاَجْعَلْ اَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ

यानी या अल्लाह! मेरे बेकस अहल व अयाल के लिये आप कुछ लोगों के दिलों को माईल और मुतवज्जह फरमा दीजिए। इसी का नतीजा है कि हज़ारों साल गुज़र चुके हैं लेकिन मक्का और मक्का वालों की मुहब्बत सारी दुनिया के दिलों में भर दी गयी है, और दुनिया के हर कोने से बड़ी-बड़ी मेहनत व मुशक्कत उठाकर और उम्र भर की कमाई खर्च करके लोग पहुँचते रहते हैं और दुनिया के हर इलाके की चीज़ें मक्का मुअज़्ज़मा के बाज़ार में उपलब्ध रहती हैं।

اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا

रिक्ज़ वह छुपी आवाज़ है जो समझ में न आये, जैसे मरने वाले की ज़बान लड़खड़ाने के बाद जो आवाज़ होती है। आयत का मतलब यह है कि ये सब हुक्मत व सल्लनत वाले और शान व शौकत और ताकत व कुव्वत वाले जब अल्लाह के अज़ाब में पकड़े गये और फना किये गये तो ऐसे हो गये कि इनकी कोई छुपी और आहिस्ता आवाज़ और हिस्स व हरकत भी सुनाई नहीं देती।

अल्लाह करीम का शुक्र व एहसान है कि सूर: मरियम की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूर: ता-हा

सूर: ता-हा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 135 आयतें और 8 रुकूअ हैं।

أَيَاتُهَا ١٣٥ (٢٠) سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ (٢٥) رُكُوعَاتُهَا ٨

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इस सूत का दूसरा नाम सूर: कलीम भी है जैसा कि इमाम सखावी रह. ने नक़ल किया है। वजह यह है कि इसमें हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाकिआ तफ़सील के साथ बयान हुआ है।

मुस्नद दारमी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि हक़ तआला ने आसमान व ज़मीन पैदा करने से भी दो हज़ार साल पहले 'सूर: ता-हा व सूर: यासीन' पढ़ी (यानी फ़रिश्तों को सुनाई) तो फ़रिश्तों ने कहा कि बड़ी खुश नसीब और मुबारक है वह उम्मत जिस पर ये सूतें नाज़िल होंगी, और मुबारक हैं वो सीने जो इनको हिफ़ज़ रखेंगे और मुबारक हैं वो जुबानें जो इनको पढ़ेंगी। यही वह मुबारक सूत है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़त्ल का फैसला करके निकलने वाले उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान कुबूल करने और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़दमों में गिरने पर मजबूर कर दिया, जिसका वाकिआ सीरत की किताबों में परिचित व मशहूर है।

इन्ने इस्हाक़ की रिवायत इस तरह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक रोज़ तलवार लेकर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़त्ल के इरादे से घर से निकले। रास्ते में नुऐम बिन अब्दुल्लाह मिल गये, पूछा कहाँ का इरादा है? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं उस गुमराह शख्स का काम तमाम करने के लिये जा रहा हूँ जिसने कुरैश में फूट डाल दी, उनके दीन व मज़हब को बुरा कहा, उनको बेवक़ूफ़ बनाया और उनके बुतों को बुरा कहा। नुऐम ने कहा कि उमर तुम्हें तुम्हारे नफ़स ने धोखे में मुब्तला कर रखा है, क्या तुम यह समझते हो कि तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को क़त्ल कर दोगे और उनका क़बीला बन्ू अब्दे मुनाफ़ तुम्हें जिन्दा छोड़ेगा कि ज़मीन पर चलते फिरते रहो? अगर तुम में अक़्ल है तो अपनी बहन और बहनोई की ख़बर लो कि वह मुसलमान और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दीन के ताबे हो चुके हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पर उनकी बात असर कर गयी और यहीं से अपनी बहन बहनोई के मकान की तरफ़ फिर गये। उनके मकान में हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत सहाबी उन दोनों को कुरआन

की सूर: 'तौ-हा' पढ़ा रहे थे जो एक सहीफे (पुस्तक) में लिखी हुई थी।

इन लोगों ने जब महसूस किया कि उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं तो हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु घर के किसी कमरे या कोने में छुप गये और बहन ने यह सहीफ़ा अपनी रान के नीचे छुपा लिया मगर उमर बिन ख़त्ताब के कानों में ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु की और उनके कुछ पढ़ने की आवाज़ पहुँच चुकी थी इसलिये पूछा कि यह पढ़ने-पढ़ाने की आवाज़ कैसी थी जो मैंने सुनी है? उन्होंने (पहले तो बात को टालने के लिये) कहा कि कुछ नहीं, मगर अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात खोल दी कि मुझे यह ख़बर मिली है कि तुम दोनों मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ताबे और मुसलमान हो गये हो और यह कहकर अपने बहनोई सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े। इनकी बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब यह देखा तो शौहर को बचाने के लिये खड़ी हो गयीं। उमर बिन ख़त्ताब ने इनको भी मारकर ज़ख्मी कर दिया।

जब नौबत यहाँ तक पहुँच गयी तो बहन-बहनोई दोनों ने एक ज़बान में कहा कि सुन लो! हम बिला शुब्हा मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आये हैं। अब जो तुम कर सकते हो कर लो। बहन के ज़ख्म से खून जारी था, इस हालत को देखकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ शर्मिन्दगी हुई और बहन से कहा कि वह सहीफ़ा (पुस्तक) मुझे दिखलाओ जो तुम पढ़ रही थीं ताकि मैं भी देखूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क्या तालीम लाये हैं। उमर बिन ख़त्ताब लिखे पढ़े आदमी थे, इसलिये सहीफ़ा देखने के लिये माँगा। बहन ने कहा कि हमें खतरा है कि हमने यह सहीफ़ा अगर तुम्हें दे दिया तो तुम इसको ज़ाया कर दो या बेअदबी करो। उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बुतों की कसम खाकर कहा कि तुम यह ख़ौफ़ न करो मैं उसको पढ़कर तुम्हें वापस कर दूँगा। बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब यह रुख़ देखा तो उनको कुछ उम्मीद हो गयी कि शायद उमर भी मुसलमान हो जायें। उस वक़्त कहा कि भाई बात यह है कि तुम नजिस नापाक हो और इस सहीफ़े को पाक आदमी के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो गुस्ल कर लो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्ल कर लिया फिर वह सहीफ़ा उनके हवाले किया गया तो उसमें सूर: 'तौ-हा' लिखी हुई थी। उसका शुरू का हिस्सा ही पढ़कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यह कलाम तो बड़ा अच्छा और बहुत ही इज़्ज़त व सम्मान वाला है। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु जो मकान में छुपे हुए यह सब कुछ सुन रहे थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अलफ़ाज़ सुनते ही सामने आ गये और कहा कि ऐ उमर बिन ख़त्ताब! मुझे अल्लाह की रहमत से यह उम्मीद है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें अपने रसूल की दुआ के लिये चुन लिया है क्योंकि कल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह दुआ करते हुए सुना है:

اللَّهُمَّ أَيُّدِ الْإِسْلَامِ يَا بِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بَعْمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ

“या अल्लाह! इस्लाम की ताईद व मज़बूती फ़रमा अबुल-हिकम बिन हिशाम (यानी अबू जहल) के ज़रिये या फिर उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिये।”

मतलब यह था कि इन दोनों में से कोई मुसलमान हो जाये तो मुसलमानों की कमज़ोर जमाअत में जान पड़ जाये! फिर हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ उमर! अब तू इस मौक़े को

समझ। हज़रत उमर बिन खत्ताब राजपूतों को ज़रूरत पड़ने पर हज़रत अब्बास के पास गये और उन्होंने उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले चले। (तफ़सीर कुर्तुबी) आगे उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर होना और इस्लाम कुबूल करना मशहूर व मारुफ़ वाक़िआ है।

طه ٠ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٠ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَى ٠ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ
 الْعُلَى ٠ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٠ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٠ وَإِنْ
 تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ٠ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٠

ताँ-हा (1) मा अन्ज़ल्ला अलैकल्-
 कुरआ-न लितश्का (2) इल्ला
 तज्कि-रतल्-लिमंय्यख़शा (3) तन्ज़ीलम्
 मिम्-मन् ख़ा-लक़ लअर्-ज
 वस्समावातिल्-अुला (4) अर्रह्मानु
 अलल्-अर्शिस्तवा (5) लहू मा
 फ़िस्समावाति व मा फ़िल्-अर्जि व
 मा बैनुहमा व मा तह्तस्सरा (6) व
 इन् तज्हर बिल्कौलि फ़-इन्नहू
 यज़्लमुस्सिर्-र व अख़फ़ा (7) अल्लाहु
 ला इला-ह इल्ला हु-व, लहुल्-
 अस्माउल्-हुस्ना (8)

ताँ-हा। (1) इस वास्ते नहीं उतारा हमने
 तुझ पर कुरआन कि तू मेहनत में पड़े
 (2) मगर नसीहत के वास्ते उसकी जो
 डरता है। (3) उतारा हुआ है उसका जिस
 ने बनाई ज़मीन और आसमान ऊँचे। (4)
 वह बड़ा मेहरबान अर्श पर कायम हुआ।
 (5) उसी का है जो कुछ है आसमान और
 ज़मीन में और इन दोनों के बीच और
 नीचे गीली ज़मीन के। (6) और अगर तू
 बात कहे पुकार कर तो उसको तो ख़बर
 है छुपी हुई बात की, और उससे भी छुपी
 हुई की। (7) अल्लाह है जिसके सिवा
 बन्दगी नहीं किसी की, उसी के हैं सब
 नाम खासे। (8)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ताँ-हा (के मायने तो अल्लाह को मालूम हैं)। हमने आप पर कुरआन (करीम) इसलिये नहीं उतारा कि आप तकलीफ़ उठावें, बल्कि ऐसे शख्स की नसीहत के लिये (उतारा है) जो (अल्लाह तआला से) डरता हो। यह उस (जात) की तरफ़ से नाज़िल किया गया है जिसने ज़मीन को और बुलन्द आसमानों को पैदा किया है। (और) वह बड़ी रहमत वाला (है) अर्श पर (जो एक तरह से शाही तख़्त के जैसा उस पर उस तरह) कायम (और जलवा फ़रमा) है (जो कि उसकी शान के लायक है) और वह ऐसा है कि) उसी की मिल्क हैं जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं, और जो चीज़ें इन दोनों के बीच में हैं (यानी आसमान से नीचे और ज़मीन से ऊपर), और जो चीज़ें

तहतुस्सरा में हैं (यानी ज़मीन के अन्दर जो तर मिट्टी है जिसको सरा कहते हैं जो चीज़ कि उसके नीचे है। मुराद यह कि ज़मीन की तह और पालात में जो चीज़ें हैं। ये तो अल्लाह तआला की कुदरत व सल्लनत थी) और (उसके इल्म की यह शान है कि ऐ मुखातब!) अगर तुम पुकारकर बात कहो तो (उसके सुनने में तो क्या शुब्हा है) वह तो (ऐसा है कि) चुपके से कही हुई बात को और (बल्कि) उससे भी ज़्यादा छुपी बात को (यानी जो अभी दिल में है) जानता है। (वह) अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद (होने का मुस्तहिक) नहीं, उसके (बड़े) अच्छे-अच्छे नाम हैं (जो उसकी सिफ़तों और कमालात पर दलालत करते हैं। सो कुरआन ऐसी जामे और कामिल सिफ़ात वाली ज़ात का नाज़िल किया हुआ है और यकीनी हक़ है)।

मआरिफ़ व मसाईल

‘तॉ-हा’। इस लफ़्ज़ की तफ़्सीर में तफ़्सीर के उलेमा के कौल बहुत हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसके मायने ‘या रजुलु’ (ऐ शख्स) और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ‘या हबीबी’ (ऐ मेरे हबीब) नक़ल किये गये हैं। हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि ‘तॉ-हा’ और ‘यासीन’ हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सम्मानित नामों में से हैं। और स्पष्ट बात यह है जो हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और उलेमा की अक्सरियत ने फ़रमाई कि जिस तरह कुरआन की बहुत सी सूरतों के शुरू में आये हुए हुरूफ़े मुक़त्तआ मसलन ‘अलिफ़-लाम-मीम’ वगैरह मुतशाबिहात यानी भेदों में से हैं जिनको अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता, लफ़्ज़ ‘तॉ-हा’ भी उसी में दाख़िल है।

مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝

‘लितश्का’ शक़ा से निकला है जिसके मायने मशक़क़त, तकलीफ़ और थकने के हैं। कुरआन के उतरने की शुरूआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम तमाम रात इबादत के लिये खड़े रहते और तहज्जुद की नमाज़ में कुरआन की तिलावत में मशगूल रहते थे, यहाँ तक कि हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक क़दमों पर वरम आ गया और दिन भर इसकी फ़िक्र में रहते थे कि किसी तरह काफ़िरो को हिदायत हो, वे कुरआन की दावत को कुबूल कर लें। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इन दोनों किस्म की मशक़क़त से बचाने के लिये इरशाद फ़रमाया कि हमने आप पर कुरआन इसलिये नाज़िल नहीं किया कि आप मशक़क़त और तकलीफ़ में पड़ जायें, तमाम रात जागने और कुरआन की तिलावत में मशगूल रहने की ज़रूरत नहीं। चुनाँचे इस आयत के उतरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल यह बन गया कि शुरू रात में आराम फ़रमाते थे और आख़िर रात में जागकर तहज्जुद अदा फ़रमाते थे।

इसी तरह इस आयत में इसकी तरफ़ भी इशारा फ़रमा दिया कि आपका फ़र्ज़ सिर्फ़ तब्लीग़ व दावत का है, जब आपने यह काम कर लिया तो फिर इसकी फ़िक्र आपके जिम्मे नहीं कि कौन इमाम लाया और किसने दावत को कुबूल नहीं किया। (तफ़्सीरे कुर्तुबी, संक्षिप्त रूप से)

إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يُّخَشَىٰ ۝

इमाम इब्ने कसीर रह. ने फरमाया कि कुरआन उतरने के शुरू के दौर में सारी रात तहज्जुद व तबत में मशगूल रहने से कुछ काफ़िरों ने मुसलमानों पर यह आवाज़े कसे कि इन लोगों पर कान क्या नाज़िल हुआ एक मुसीबत नाज़िल हो गयी, न रात का आराम न दिन का चैन। इस आयत में हक़ तआला ने इशारा फरमाया कि ये जाहिल बदनसीब हक़क़तों से बेख़बर क्या जानें कि कुरआन और इसके ज़रिये अल्लाह तआला का दिया हुआ इल्म ख़ैर ही ख़ैर और सज़ादत ही सज़ादत है, इसको मुसीबत समझने वाले बेख़बर और अहमक़ हैं। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

यानी अल्लाह तआला जिस शख्स की भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन का इल्म और समझ-बूझ अता फरमा देते हैं।

इस जगह इमाम इब्ने कसीर ने एक दूसरी सही हदीस भी नक़ल फरमाई है जो उलेमा के लिये बड़ी खुशख़बरी है। यह हदीस तबरानी ने हज़रत सालबा बिन अल्-हिकम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है। इब्ने कसीर ने फरमाया कि इसकी सनद उम्दा है। हदीस यह है:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لقضاء عبادته

انى لم اجعل علمى وحكمتى فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. (ابن كثير 1/137 ج 1)

तर्जुमा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन जब अल्लाह तआला बन्दों के आमाल का फ़ैसला करने के लिये अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा होंगे तो उलेमा से फरमा देंगे कि मैंने अपना इल्म व हिकमत तुम्हारे सीनों में सिर्फ़ इसी लिये रखा था कि मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करना चाहता हूँ बावजूद उन ख़ताओं के जो तुमसे हुई, और मुझे कोई परवाह नहीं।

मगर यह ज़ाहिर है कि यहाँ उलेमा से मुराद वही उलेमा हैं जिनमें इल्म की कुरआनी निशानी यानी अल्लाह का डर और ख़ौफ़ मौजूद हो। इस आयत में लफ़ज़ 'लिमय्-यख़शा' इसी तरफ़ इशारा करता है। जिनमें यह निशानी न हो वे इसके मुस्तहिक़ नहीं। वल्लाहु आलम

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

इस्तिवा अलल्-अर्श के बारे में सही और साफ़ वही बात है जो पहले बुजुर्गों की अक्सरियत से नक़ल की गयी है कि इसकी हक़ीक़त व कौफ़ियत किसी को मालूम नहीं। यह मुतशाबिहात में से है। अक़ीदा इतना रखना है कि इस्तिवा अलल्-अर्श (अर्श पर कायम होना) हक़ है, उसकी कौफ़ियत (यानी वह किस तरह है यह) अल्लाह जल्ल शानुहु की शान के मुताबिक़ व मुनासिब होगी, जिसका समझना और इल्म दुनिया में किसी को नहीं हो सकता।

وَمَاتَحَتِ الثَّرَى ۝

'सरा' नमी वाली गीली मिट्टी को कहते हैं जो ज़मीन खोदने के वक़्त निकलती है। मख़्लूक का

इल्म तो सिर्फ सरा तक खत्म हो जाता है, आगे इस सरा के नीचे क्या है इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इस नई खोज व रिसर्च और नये-नये उपकरणों और विज्ञान की बहुत ज्यादा तरक्की के बावजूद अब से चन्द साल पहले ज़मीन को बरमा कर एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाने की कोशिश मुद्दतों तक जारी रही। इन सब तहकीकात और अनथक कोशिशों का नतीजा अखबारों में सब के सामने आ चुका है कि सिर्फ छह मील की गहराई तक यह नये आलात (उपकरण और यंत्र) काम कर सके, आगे एक ऐसी पत्थर की रोक सामने आई जहाँ खोदने के सारे आलात और आधुनिक विज्ञान के सब फार्मूले और इल्म अजिज़ हो गये। यह सिर्फ छह मील तक का इल्म इन्सान हासिल कर सका है जबकि ज़मीन का कतर हजारों मील का है, इसलिये इस इकरार के सिवा चारा नहीं कि सरा के नीचे का इल्म हक़ तआला ही की मख़सूस सिफ़त है।

يَعْلَمُ الْبُيُوتِ وَأَخْفَى ۝

‘सिर’ से मुराद वह चीज़ है जो इन्सान ने अपने दिल में छुपाई हुई है, किसी पर जाहिर नहीं। और ‘अख़फ़ा’ से मुराद वह बात है जो अभी तक तुम्हारे दिल में भी नहीं आई, आगे किसी वक़्त दिल में आयेगी। हक़ तआला उन सब चीज़ों से वाकिफ़ व बाख़बर हैं कि इस वक़्त किस इन्सान के दिल में क्या है और कल को क्या होगा। कल का मामला ऐसा है कि खुद उस शख्स को भी आज इसकी खबर नहीं कि कल को मेरे दिल में क्या बात आयेगी। (तफ़सीरे कुतुबी)

وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثٌ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَنشَأَ نُودِي يُبَوسُ ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ
نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوْسٍ ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا
يُصَدِّدُكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هُودَهُ فَتَرْدَىٰ ۝

व हल् अता-क हदीसु मूसा। (9)
इज़् रआ नारन् फका-ल
लिअह्लिहिम्कुसू इन्नी आनस्तु नारल्-
लअल्ली आतीकुम् मिन्हा
बि-क-बसिन् औ अजिदु अलन्नारि
हुदा (10) फ-लम्मा अताहा नूदि-य
या मूसा (11) इन्नी अ-न रब्बु-क

और पहुँची है तुझको बात मूसा की। (9)
जब उसने देखी एक आग तो कहा अपने
घर वालों को ठहरो मैंने देखी है एक
आग शायद ले आऊँ तुम्हारे पास उसमें
से सुलगाकर, या पाऊँ आग पर पहुँचकर
रस्ते का पता। (10) फिर जब पहुँचा
आवज़ आई ऐ मूसा! (11) मैं हूँ तेरा रब,

क़ल्लु नज़्लै-क इन्न-क बिल्वादिल्-
 द्दसि तुवा (12) व अनख़्तरतु-क
 फ़स्तमिज़् लिमा यूहा (13) इन्ननी
 अनल्लाहु ला इला-ह इल्ला अ-न
 फ़् बुदनी व अकिमिस्सला-त
 लिज़ि करी (14) इन्नस्सा-अ-त
 आति-यतुन् अकादु उख़्फ़ीहा
 लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़िस्म्-बिमा तस्आ
 (15) फ़ला यसुद्दन्न-क अन्हा
 मल्ला युअ्मिनु बिहा वत्त-ब-अ ह्वाहु
 फ़-तरदा (16)

सो उतार डाल अपनी जूतियाँ तू है पाक
 मैदान तुवा में। (12) और मैंने तुझको
 पसन्द किया है सो तू सुनता रह जो हुक्म
 हो। (13) मैं जो हूँ अल्लाह हूँ किसी की
 बन्दगी नहीं सिवाय मेरे, सो मेरी बन्दगी
 कर, और नमाज़ कायम रख मेरी यादगारी
 को। (14) कियामत बेशक आने वाली है,
 मैं छुपाकर रखना चाहता हूँ उसको ताकि
 बदला मिले हर शख्स को जो उसने कमाया
 है। (15) सो कहीं तुझ को न रोक दे
 उससे वह शख्स जो यकीन नहीं रखता
 उसका और पीछे पड़ रहा है अपने मज़ों
 के फिर तू पटका जाये। (16)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क्या आपको मूसा (अलैहिस्सलाम के किस्से) की
 ख़बर पहुँची है (यानी वह सुनने के काबिल है कि उसमें तौहीद व नुबुव्वत के मुताल्लिक उलूम हैं
 जिनकी तब्लीग़ लाभदायक होगी। वह किस्सा यह है कि) जबकि उन्होंने (मदयन से आते हुए रात को
 जिसमें सर्दी भी थी और रास्ता भी भूल गये थे तूर पहाड़ पर) एक आग देखी (जबकि वास्तव में वह
 नूर था मगर शक्ल आग के जैसी थी) सो अपने घर वालों से (जो सिर्फ़ बीवी थी या खादिम वगैरह
 भी) फ़रमाया कि तुम (यहीं) रुके रहो (यानी मेरे पीछे-पीछे मत आना, क्योंकि यह तो शुब्हा व गुमान
 ही न था कि बिना इनके आगे सफ़र करने लगेंगे), मैंने आग देखी है (मैं वहाँ जाता हूँ) शायद उसमें
 से तुम्हारे पास कोई शोला (किसी लकड़ी वगैरह में लगाकर) लाऊँ (ताकि सर्दी का इलाज हो) या
 (वहाँ) आग के पास रास्ते का पता (जानने वाला कोई आदमी भी) मुझको मिल जाये। सो वह जब
 उस (आग) के पास पहुँचे तो (उनको अल्लाह की तरफ़ से) आवाज़ दी गई कि ऐ मूसा! मैं ही तुम्हारा
 रब हूँ, पस तुम अपनी जूतियाँ उतार डालो (क्योंकि) तुम एक पाक मैदान यानी 'तुवा' में हो (यह उस
 मैदान का नाम है)। और मैंने तुमको (नबी बनाने के लिये दूसरी तमाम मख़्लूक़ात में से) चुन लिया है,
 सो (इस वक़्त) जो कुछ वही की जा रही है उसको (ग़ौर से) सुन लो (वह यह है कि) मैं ही अल्लाह
 हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लायक) नहीं, तुम मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद की
 नमाज़ पढ़ा करो। (दूसरी बात यह सुनो कि) बेशक कियामत आने वाली है, मैं उसको (तमाम मख़्लूक़
 से) छुपाकर रखना चाहता हूँ (और कियामत इसलिये आयेगी) ताकि हर शख्स को उसके किये का

बदला मिल जाये। सो (जब क़ियामत का आना यकीनी है तो) तुमको क़ियामत (के लिये तैयार व मुस्तैद रहने) से ऐसा शख्स बाज़ न रखने पाये जो उस पर इमान नहीं रखता, और अपनी (नफ़सानी) इच्छाओं पर चलता है (यानी तुम ऐसे शख्स के असर से क़ियामत के लिये तैयारी करने से बेफ़िक्र न हो जाना) कहीं तुम (उस बेफ़िक्री की वजह से) तबाह न हो जाओ।

मआरिफ़ व मसाईल

هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثٌ مُوسَىٰ

इनसे पहले की आयतों में कुरआने करीम की बड़ाई और उसके तहत में रसूले पाक की बड़ाई और शान का बयान हुआ था, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इस मुनासबत से ज़िक्र किया गया कि रिसालत व दावत के फ़राईज़ की अदायेगी में जो मुश्किलें और तकलीफें पेश आया करती हैं और पहले वाले नबियों ने उनको बरदाश्त किया है वो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्म में आ जायें ताकि आप इसके लिये पहले से मुस्तैद और तैयार होकर साबित-क़दम रहें, जैसा कि एक आयत में इरशाद है:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبِّئُ بِهِ قَوْمًا ذَكَرْنَا

यानी रसूलों के ये सब किस्से हम आप से इसलिये बयान करते हैं ताकि आपका दिल मज़बूत हो जाये और नुबुव्वत के पद का भार उठाने के लिये तैयार हो जाये।

और मूसा अलैहिस्सलाम का यह किस्सा जो यहाँ बयान हुआ है इसकी शुरूआत यूँ हुई कि जब वह 'मदयन' पहुँचकर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के मकान पर इस समझौते के साथ मुक़ीम हो गये कि आठ या दस साल तक उनकी ख़िदमत करेंगे और तफ़सीर बहरे मुहीत वगैरह की रिवायत के मुताबिक़ उन्होंने बाद वाली मुद्दत यानी दस साल पूरे कर लिये तो शुऐब अलैहिस्सलाम से रुख़सत चाही कि मैं अब अपनी वालिदा और बहन से मिलने के लिये मिस्र जाता हूँ और जिस ख़तरे की वजह से मिस्र छोड़ा था कि फिरऔन के सिपाही उनकी गिरफ़्तारी और क़त्ल के पीछे पड़े थे लम्बा समय गुज़र जाने के बाद अब वह ख़तरा भी बाकी न रहा था। शुऐब अलैहिस्सलाम ने उनको मय बीबी यानी अपनी बेटी के कुछ माल और सामान देकर रुख़सत फ़रमा दिया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से ख़तरा था इसलिये आम रास्ता छोड़कर ग़ैर-परिचित रास्ता इख़्तियार किया। मौसम सर्दी का था और बीबी साहिबा गर्भ से थीं और बच्चे की पैदाईश का ज़माना भी करीब था, कि सुबह शाम में बच्चे की पैदाईश का अन्दाज़ा व संभावना थी। ग़ैर-परिचित रास्ता और जंगल में रास्ते से हटकर तूर पहाड़ की पश्चिमी और दाहिनी दिशा में जा निकले, रात अंधेरी सर्दी बफ़ानी थी, इसी हाल में बीबी साहिबा को बच्चे की पैदाईश का दर्द शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर्दी से हिफ़ाज़त के लिये आग जलानी चाही। उस ज़माने में दिया सलाई (माचिस) के बजाय चक़माक़ पत्थर इस्तेमाल किया जाता था जिसको मारने से आग पैदा हो जाती थी, उसको इस्तेमाल किया मगर उससे आग न निकली। इसी हैरानी व परेशानी के आलम में तूर पहाड़ पर आग नज़र आई जो दर हकीक़त नूर था।

घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है मैं वहाँ जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिये आग लाऊँ और क़न है कि आग के पास कोई रास्ता जानने वाला मिल जाये तो रास्ता भी मालूम कर लूँ। घर वालों में बीबी साहिबा का होना तो मुतैयन है, कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि कोई ख़ादिम भी साथ था, वह भी इस ख़िताब में दाख़िल है। कुछ रिवायतों में है कि कुछ लोग सफ़र के साथी भी थे मगर रास्ता भूलने में यह उनसे अलग हो गये थे। (बहरे मुहीत)

فَلَمَّا أَتَاهَا

यानी जो आग दूर से देखी जब उसके पास पहुँचे। मुस्नद अहमद वगैरह में वहब बिन मुनब्बेह रह. की रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ़ चले और उसके करीब पहुँचे तो एक अजीब हैरत-अंगेज़ मन्ज़र देखा कि एक बड़ी आग है जो एक हरे-भरे दरख़्त के ऊपर शोले मार रही है, मगर हैरत यह है कि उस दरख़्त की कोई टहनी या पत्ता जलता नहीं बल्कि आग ने दरख़्त के हुस्न, तरोताज़गी और रौनक में और ज़्यादाती कर दी है। यह हैरत-अंगेज़ मन्ज़र कुछ देर तक इस इन्तिज़ार में देखते रहे कि शायद कोई चिंगारी आग की ज़मीन पर गिरे तो यह उठा लें। जब देर तक ऐसा न हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने घास वगैरह के कुछ तिनके जमा करके उस आग के करीब किया कि उनमें आग लग जायेगी तो उनका काम हो जायेगा, मगर जब यह घास फूँस आग के करीब किये तो आग पीछे हट गयी, और कुछ रिवायतों में है कि आग उनकी तरफ़ बढ़ी, यह घबराकर पीछे हट गये। बहरहाल आग हासिल करने का मतलब पूरा न हुआ। यह अजीब व ग़रीब आग से हैरत के आलम में थे कि एक गैबी आवाज़ आई (रूहुल-मअानी)। यह वाक़िआ मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ के दामन में पेश आया जो उनकी दाहिनी जानिब था और जिसका नाम तुवा था।

نُودِي يٰمُوسَىٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

तफ़सीर बहरे मुहीत और तफ़सीर रूहुल-मअानी वगैरह में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह आवाज़ इस तरह सुनी कि हर जानिब से बराबर तौर पर आ रही थी, उसकी कोई दिशा मुतैयन नहीं थी और सुनना भी एक अजीब अन्दाज़ से हुआ कि सिर्फ़ कानों से नहीं बल्कि बदन के तमाम अंगों से सुना गया जो एक मोजिज़े की हैसियत रखता है। आवाज़ का हासिल यह था कि जिस चीज़ को आप आग समझ रहे हैं वह आग नहीं अल्लाह तआला की एक तजल्ली है और उसमें फ़रमाया कि मैं ही आपका रब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस आवाज़ के मुताल्लिक यह यकीन किस तरह हुआ कि हक़ तआला ही की आवाज़ है? इसका असल जवाब तो यह है कि हक़ तआला ने उनके दिल को इस पर मुत्मईन कर दिया कि वह यकीन कर लें कि यह आवाज़ हक़ तआला ही की है, दूसरे इस आग के हैरत-अंगेज़ हालात कि दरख़्त को जलाने के बजाय उसकी ताज़गी और हुस्न बढ़ा रही है और आवाज़ भी आम लोगों की आवाज़ की तरह नहीं कि एक दिशा से आये बल्कि हर तरफ़ से यह आवाज़ एक की तरह की बराबर तौर पर सुनी गयी। दूसरे सिर्फ़ कानों ने नहीं बल्कि हाथ पाँव और दूसरे बदनी अंग जो सुनने के लिये नहीं बनाये गये वे सब उसके सुनने में शरीक थे, इससे भी समझा गया कि हक़ तआला की तरफ़ से यह आवाज़ है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ तअ़ाला का लफ़्ज़

कलाम बिना किसी माध्यम के सुना

तफ़सीर रूहुल-माअनी में मुस्नद अहमद के हवाले से हज़रत वहब की रिवायत है कि मू अलैहिस्सलाम को जब या मूसा के लफ़्ज़ से आवाज़ दी गयी तो उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिए और अर्ज़ किया कि मैं आवाज़ सुन रहा हूँ मगर आवाज़ देने वाले की जगह मालूम नहीं, आप कहें तो जवाब आया कि मैं तेरे ऊपर, सामने, पीछे और तेरे साथ हूँ। फिर अर्ज़ किया कि मैं यह कलाम खुद आपका सुन रहा हूँ या आपके भेजे हुए किसी फ़रिश्ते का? तो जवाब आया कि मैं खुद ही असे कलाम कर रहा हूँ। इस पर रूहुल-माअनी के लेखक फ़रमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि मू अलैहिस्सलाम ने यह लफ़्ज़ी कलाम बिना किसी फ़रिश्ते के माध्यम के खुद सुना है जैसा कि अह सुन्नत वल्-जमाअत में से एक जमाअत का मस्लक यही है कि कलामे लफ़्ज़ी भी क़दीम (ग़ैर-फ़ा और जिसकी शुरुआत व अंत न हो) होने के बावजूद सुना जा सकता है, इस पर जो शुब्हा इस फ़ानी होने का किया जाता है उसका जवाब उनकी तरफ़ से यह है कि कलामे लफ़्ज़ी उस वक़्त हादिस (नया वजूद में आने वाला और फ़ानी) होता है जबकि वह मादी ज़बान से अदा किया जा जिसके लिये जिस्म, दिशा, रुख़ शर्त है, साथ ही सुनने के लिये सिर्फ़ कान मख़्सूस हैं। हज़रत मू अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सुना कि न आवाज़ की कोई दिशा व रुख़ था और न सुनने के लिये सिर्फ़ कान मख़्सूस थे, बदन के सारे अंग सुन रहे थे, ज़ाहिर है यह सूरत हादिस (फ़ानी और ग़ैर क़दीम) होने के शुब्हे व गुमान से पाक है। वल्लाहु आत्म

अदब की जगह में जूते उतार देना अदब का तकाज़ा है

فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ.

जूते उतारने का हुक्म या तो इसलिये दिया गया कि अदब का मक़ाम है और जूता उतारकर नंगे पाँव हो जाना अदब का तकाज़ा है, और या इसलिये कि जूते मुर्दार की खाल के बने हुए थे जैसा कि कुछ रिवायतों में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बसरी रह. और इब्ने जुरैज रह. से पहला कारण ही मन्कूल है और जूता उतारने की मस्लेहत यह बतलाई ताकि आपके क़दम उस मुबारक वादी की मिट्टी से लगकर उसकी बरकत हासिल करें। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह हुक्म तवाज़ो और अज़िज़ी की सूरत बनाने के लिये हुआ जैसा कि पहले ज़माने के बुजुर्ग और नेक लोग बैतुल्लाह शरीफ़ के तवाफ़ के वक़्त ऐसा ही करते थे।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बशीर बिन ख़सासिया को क़ब्रों के बीच में जूते पहनकर चलते देखा तो फ़रमाया:

اِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ.

यानी जब तुम इस जैसे मकान (स्थान) से गुज़रो (जिसका सम्मान मक़सद है) तो अपने जूते उतार लो।

जूते अगर पाक हों तो उनमें नमाज़ दुरुस्त हो जाने पर सब फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर ज़ुलेमा) का इत्तिफ़ाक़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम से पाक जूते पहनकर नमाज़ पढ़ना सही रिवायतों से साबित भी है, मगर आम आदत व सुन्नत यही मालूम होती है कि जूते उतारकर नमाज़ पढ़ी जाती थी क्योंकि वह तवाज़ो से ज़्यादा करीब है। (कुर्तुबी)

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۝

हक़ तआला ने ज़मीन के ख़ास-ख़ास हिस्सों को अपनी हिक्मत से ख़ास विशेषता और सम्मान बख़्शा है जैसे बैतुल्लाह, मस्जिदे अक़सा, मस्जिदे नबवी। इसी तरह वादी-ए-तुवा भी उन्हीं पवित्र स्थानों में है जो तूर पहाड़ के दामन में है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

कुरआन सुनने का अदब

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝

हज़रत वहब बिन मुनब्बेह से मन्कूल है कि कुरआन सुनने के आदाब में से यह है कि इनसान अपने तमाम बदनी अंगों को फुज़ूल हरकत से रोके कि किसी दूसरे काम में कोई अंग भी न लगे, और नज़र नीची रखे और कलाम समझने की तरफ़ ध्यान लगाये, और जो शख्स इस अदब के साथ कोई कलाम सुनता है तो अल्लाह तआला उसको उसके समझने की भी तौफ़ीक़ दे देते हैं। (कुर्तुबी)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

इस कलाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दीन के तमाम उसूल (बुनियादी बातों) की तालीम दे दी गयी यानी तौहीद, रिसालत, आख़िरत। 'फ़स्तमेअ़ लिमा यूहा' में रिसालत की तरफ़ इशारा है और 'फ़अ़बुद्नी' के मायने यह हैं कि सिर्फ़ मेरी इबादत करें, मेरे सिवा किसी की इबादत न करें, यह मज़मून तौहीद का हो गया, आगे 'इन्नस्साअ़-त आतियतुन्' में आख़िरत का बयान है।

'फ़अ़बुद्नी' (सिर्फ़ मेरी ही इबादत करें) के हुक्म में अगरचे नमाज़ का हुक्म भी दाख़िल है लेकिन इसको अलग से इसलिये बयान फ़रमा दिया कि नमाज़ तमाम इबादतों में अफ़ज़ल व आला भी है और हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ दीन का सुतून और ईमान का नूर है, और नमाज़ छोड़ना काफ़िरों की पहचान है।

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

(मेरी ही याद के लिये नमाज़ पढ़ा करो) का मतलब यह है कि नमाज़ की रूह अल्लाह का ज़िक़्र है, और नमाज़ शुरू से आख़िर तक ज़िक़्र ही है, ज़बान से भी दिल से भी और दूसरे बदनी अंगों से भी, इसलिये नमाज़ में अल्लाह के ज़िक़्र से ग़फ़लत न होनी चाहिये, और इसके मफ़हूम में यह भी दाख़िल है कि अगर कोई शख्स नींद में मग़लूब हो गया या किसी काम में लगकर भूल गया और नमाज़ का अक़्त निकल गया तो जब नींद से जागे या भूल पर सचेत हो और नमाज़ याद आये उसी

वक्त नमाज़ की कज़ा पढ़ ले, जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में आया है।

اَكَادُ اُخْفِيهَا.

यानी कियामत के मामले को मैं तमाम मख्लूक़ात से पोशीदा और खुफिया रखना चाहता हूँ यहाँ तक कि नबियों और फ़रिश्तों से भी, और 'अकादु' से इस तरफ़ इशारा है कि अगर लोगों को कियामत व आखिरत की फ़िक्र दिलाकर ईमान और नेक अमल पर उभारना मक़सद न होता तो इतनी बात भी ज़ाहिर न की जाती कि कियामत आने वाली है जैसा कि ऊपर आयत में आया है 'इन्नस्साअ-त आतियतुन', इससे मक़सद कियामत के छुपाने में अधिकता का इज़हार है।

لَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝

(ताकि बदला दिया जाये हर नफ़्स अपने अमल का) इस जुमले का ताल्लुक अगर लफ़्ज़ 'आतियतुन' से है तो मायने ज़ाहिर हैं कि कियामत के आने की हिक्मत व मस्तेहत यह है कि दुनिया तो दारुल-जज़ा (बदले की जगह) नहीं, यहाँ नेक व बद अमल की जज़ा किसी को नहीं मिलती, और अगर कभी दुनिया में कुछ जज़ा मिल भी जाती है तो वह अमल की पूरी जज़ा नहीं होती, एक नमूना सा होता है, इसलिये ज़रूरी है कि कोई ऐसा वक्त आये जहाँ हर अच्छे बुरे अमल की जज़ा व सज़ा पूरी दी जाये। और अगर जुमले का ताल्लुक 'अकादु उख़्फ़ीहा' से क़रार दिया जाये तो यह भी मुम्किन है और मायने यह होंगे कि कियामत और मौत के वक्त और तारीख़ को गुप्त रखने में हिक्मत यह है कि लोग अपने-अपने अमल और कोशिश में लगे रहें, अपनी व्यक्तिगत कियामत यानी मौत और पूरे आलम की कियामत यानी हशर के दिन को दूर समझकर गाफ़िल न हो बैठें। (रुहूल-मआनी)

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا.

इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़िताब करके तंबीह की गयी है कि ऐसा न होना चाहिये कि आप काफ़िरों और बेईमानों के कहने से कियामत के मामले में ग़फ़लत बरतने लगें और वह आपकी हलाकत का सबब बन जाये। ज़ाहिर है कि किसी नबी व रसूल से जो मासूम (गुनाहों से महफूज़) है यह ग़फ़लत नहीं हो सकती, इसके बावजूद ऐसा ख़िताब करना दर असल उनकी उम्मत और आम मख्लूक़ को सुनाना है कि जब अल्लाह के पैग़म्बरों को भी ऐसी ताकीद की जाती है तो हमें उसका कितना एहतिमाम करना चाहिये।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ ۝ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۝ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْتَئِرُ بِهَا عَلٰى غَضَبِ رَبِّي فِىهَا مَأْوٰى اٰخِرِى ۝ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسَىٰ ۝ فَالْقِهَا فَاذٰ اٰهَى حَيَةً تَسْعٰى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۝ سَنُعِيدُهَا سَايِرَتِهَا الْاٰوَلٰى ۝ وَاَضْمَمُ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيضًا ۝ مِنْ غَيْرِ سُوْدٍ ۝ اٰيَةٌ اٰخَرَةٌ ۝ لِزُبُرِكَ مِنَ الْاٰيٰتِ الْكُبْرٰى ۝ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ ۝ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

व मा तिल्-क बि-यमीनि-क या और यह क्या है तेरे दाहिने हाथ में ऐ

सा (17) का-ल हि-य असा-य
 तवक्क-उ अलैहा व अहुशु बिहा
 जला ग-नमी व लि-य फीहा मआरिबु
 उख़रा (18) का-ल अल्किहा या मूसा
 (19) फ-अल्काहा फ-इजा हि-य
 हय्यतुन् तस्आ (20) का-ल खुज़हा व
 ला त-ख़फ़, सनुअीदुहा सी-र-तहल्-
 कला (21) वज़मुम् य-द-क इला
 जनाहि-क तख़रुज् बैजा-अ मिन् मैरि
 सूइन् आ-यतन् उख़रा (22)
 लिनुरि-य-क मिन् आयातिनल्-
 कुब्रा (23) इज़हब् इला फिरऔ-न
 इन्नहू तगा (24) ❀

मूसा। (17) बोला यह मेरी लाठी है इस
 पर टेक लगाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ
 इससे अपनी बकरियों पर और मेरे इसमें
 चन्द काम हैं और भी। (18) फ़रमाया
 डाल दे इसको ऐ मूसा। (19) तो उसको
 डाल दिया, फिर उसी वक़्त वह साँप हो
 गया दौड़ता हुआ। (20) फ़रमाया पकड़
 ले इसको और मत डर हम अभी फेर देंगे
 इसको पहली हालत पर। (21) और मिला
 ले अपना हाथ अपनी बग़ल से कि निकले
 सफ़ेद होकर बिना ऐब (के), यह निशानी
 दूसरी। (22) ताकि दिखाते जायें हम तुझ
 को अपनी निशानियाँ बड़ी। (23) जा
 फिरऔन की तरफ़ कि उसने बहुत सर
 उठाया। (24) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (हक़ तअ़ाला ने मूसा अलैहिस्सलाम से यह भी फ़रमाया कि) यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या चीज़ है ऐ मूसा! उन्होंने कहा कि यह मेरी लाठी है, मैं (कभी) इस पर सहारा लगाता हूँ और (कभी) अपनी बकरियों पर (दरख़्तों के) पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी काम (निकलते) हैं (मसलन कंधे पर रखकर सामान वगैरह लटका लेना या इससे तकलीफ़ देने वाले जानवरों को दफ़ा करना वगैरह-वगैरह)। इरशाद हुआ कि इस (लाठी) को (ज़मीन पर) डाल दो ऐ मूसा! तो उन्होंने उसको (ज़मीन पर) डाल दिया तो एक दम वह (खुदा की क़ुदरत से) एक दौड़ता हुआ साँप बन गया (जिससे मूसा अलैहिस्सलाम डर गये) इरशाद हुआ कि इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी (पकड़ते ही) इसको इसकी पहली हालत पर कर देंगे (यानी यह फिर लाठी बन जाएगी और तुमको कोई नुक़सान न पहुँचेगा। एक मोजिज़ा तो यह हुआ) और (दूसरा मोजिज़ा और दिया जाता है कि) तुम अपना (दाहिना) हाथ अपनी (बाई) बग़ल में दे लो, (फिर निकालो) वह बिना किसी ऐब (यानी बिना किसी सफ़ेद कोढ़ की बीमारी वगैरह) के (निहायत) रोशन होकर निकलेगा, कि यह दूसरी निशानी (हमारी क़ुदरत और तुम्हारी नुबुव्वत की) होगी। (और यह हुक्म लाठी के डाल देने और हाथ को गिरेबान में देने का इत्तलिये है) ताकि हम तुमको अपनी (क़ुदरत की) बड़ी निशानियों में से कुछ (निशानियाँ)

दिखलाएँ। (तो अब ये निशानियाँ लेकर) तुम फिरऔन के पास जाओ, वह बहुत हद से निकल गया। (कि खुदाई का दावा करता है। तुम उसको तौहीद की तब्लीग करो और अगर वह तुम्हारी नुबुव्वत में शुब्हा करे तो यही मोजिजे दिखला दो)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمَا تَلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ ۝

अल्लाह रब्बुल-आलमीन की बारगाह की तरफ़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यह सवाल करना कि आपके हाथ में क्या चीज़ है, मूसा अलैहिस्सलाम पर लुत्फ़ व करम और खास मेहरबानी व आगाज़ है, ताकि हैरत-अंगेज़ मनाज़िर के देखने और अल्लाह के कलाम के सुनने से जो हैबत और दहशत उन पर तारी थी वह दूर हो जाये। यह एक दोस्ताना अन्दाज़ का खिताब है कि तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है। इसके अलावा इस सवाल में यह हिक्मत भी है कि आगे उस असा (लाठी) को जो उनके हाथ में था एक साँप और अज़्दहा बनाना था। इसलिये पहले उनको सचेत कर दिया कि देखो तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है, जब उन्होंने देख लिया कि वह लकड़ी का असा (डंडा) है तब उसका साँप बनाने का मोजिजा ज़ाहिर किया गया, वरना मूसा अलैहिस्सलाम को यह शुब्हा व गुमान हो सकता था कि मैं रात के अंधेरे में शायद लाठी की जगह साँप ही पकड़ लाया हूँ।

قَالَ هِيَ غَصَاىِٕ.

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल सिर्फ़ इतना हुआ था कि हाथ में क्या चीज़ है। इसका इतना जवाब काफ़ी था कि लाठी है, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस जगह तीन बातें असल सवाल के जवाब से ज़्यादा अर्ज कीं— अव्वल यह कि यह असा (लाठी) मेरा है, दूसरे यह कि मैं इससे बहुत से काम लेता हूँ एक यह कि इस पर टेक लगा लेता हूँ दूसरे यह कि इससे अपनी बकरियों के लिये दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ तीसरे यह कि इससे और भी मेरे बहुत से काम निकलते हैं। इस लम्बे और तफ़सीली जवाब में इश्क़ व मुहब्बत और उसके साथ अदब की रियायत को जमा करने का कमाल ज़ाहिर होता है। इश्क़ व मुहब्बत का तकाज़ा है कि जब महबूब मेहरबान होकर मुतवज्जह हो तो बात लम्बी की जाये ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाये, मगर साथ ही साथ अदब का तकाज़ा यह भी है कि बहुत बेतकल्लुफ़ होकर कलाम ज़्यादा लम्बा भी न हो। इस दूसरे तकाज़ा पर अमल करने के लिये आख़िर में संक्षिप्तता भी इख़्तियार कर ली कि:

وَلِي فِيهَا مَارَبٌ اٰخَرٰى ۝

यानी मैं इससे और भी बहुत से काम लिया करता हूँ। और उन कामों की तफ़सील बयान नहीं करूँगी। (रूहुल-मआनी व मज़हरी)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस आयत से यह मसला निकाला है कि ज़रूरत और मस्तेहत से ऐसा करना भी जायज़ है कि जो बात सवाल में न पूछी गयी हो उसको भी जवाब में बयान कर दिया जाये।

मसला: इस आयत से मालूम हुआ कि हाथ में असा (लाठी या डंडा) रखना नबियों की सुन्नत

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भी यही सुन्नत थी और इसमें बेशुमार दीनी व दनियावी फायदे हैं। (तफसीरे कुर्तुबी)

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी थी अल्लाह के हुक्म से उसको डाल दिया तो वह साँप बन गया। इस साँप के बारे में कुरआने करीम की आयतों में एक जगह तो यह आया है:

كَانَهَا جَانًّا ۝

'जान्न' अरबी लुग़त में छोटे और पतले साँप को कहते हैं। और दूसरी जगह आया है:

فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ۝

सुअ़बान के मायने अज़्दहा और बड़े मोटे साँप के हैं। और इस आयत में जो लफ़ज़ 'हय्यतुन' आया है यह आम है हर छोटे बड़े और पतले मोटे साँप को हय्यतुन कहा जाता है। इन आयतों के मज़मून में मुताबक़त इस तरह हो सकती है कि यह साँप शुरू में पतला और छोटा हो फिर मोटा और बड़ा हो गया, या यह कि साँप तो बड़ा और अज़्दहा ही था मगर उसको 'जान्न' यानी हल्का छोटा साँप इस मुनासबत से कहा गया कि यह ज़बरदस्त अज़्दहा अपने चलने की तेज़ी के एतिबार से छोटे साँप की तरह था, यानी आम आदत के खिलाफ़ जैसा कि बड़े अज़्दहे तेज़ नहीं चल सकते यह बड़ी तेज़ी से चलता था, और आयत में लफ़ज़ 'कअन्नहा' से जो मिसाल के मायने में है इस तरफ़ इशारा भी हो सकता है कि 'जान्न' से उसको मिसाल एक ख़ास गुण यानी तेज़ी से चलने में दी गयी है।

(तफसीरे मज़हरी)

وَاضْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ۝

'जनाह' दर असल जानवर के बाजू को कहा जाता है, इस जगह अपने बाजू के यानी बग़ल में हाथ लगा लेने का हुक्म हुआ है ताकि यह दूसरा भोजिज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया जाये कि जब बग़ल के नीचे हाथ डालकर निकालें तो सूरज की तरह चमकने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से 'तख़रूज़ बैज़ा-अ' की यही तफसीर नक़ल की गयी है। (मज़हरी)

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۝

अपने रसूल को दो अज़ीमुश्शान मोजिज़ों से लैस करने के बाद उनको हुक्म दिया गया कि सरकश व नाफ़रमान फिरऔन को ईमान की दावत देने के लिये चले जायें।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَرُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرَارِي ۝ وَاجْعَلْ لِّي فِي أَمْرِي ۝ كَيْ نَسْجِدَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكَرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۝

व यस्सिर् ली अम्री (26) वस्तुल्
 जुक्द-तम् मिल्-लिसानी (27) यफ्कहू
 कौली (28) वज्जल्-ली वज़ीरम्-
 मिन् अहली (29) हारून अख़ि-
 (30) -शुद् बिही अज़री (31) व
 अशिरकहु फी अम्री (32) कै
 नुसब्बि-ह-क कसीरं- (33) -व
 नज़कु-र-क कसीरा (34) इन्न-क
 कुन्-त बिना बसीरा (35) काल कद्
 ऊती-त सुअल-क या मूसा (36)

और आसान कर मेरा काम। (26) और
 खोल दे गिरह मेरी ज़बान से (27) कि
 समझें मेरी बात। (28) और दे मुझको
 एक काम बटाने वाले मेरे घर का (29)
 हारून मेरा भाई। (30) उससे मज़बूत कर
 मेरी कमर। (31) और शरीक कर उसको
 मेरे काम में (32) कि तेरी पाक जात का
 बयान करें हम बहुत सा। (33) और याद
 करें हम तुझको बहुत सा। (34) तू तो है
 हमको ख़ूब देखता। (35) फ़रमाया मिला
 तुझको तेरा सवाल ऐ मूसा। (36)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(जब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मुझको पैग़म्बर बनाकर फिरऔन को समझाने और
 तंबीह करने के लिये भेजा जा रहा है तो उस वक़्त इस बड़ी ज़िम्मेदारी की मुश्किलों की आसानी के
 लिये दरख्वास्त की और) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरा सीना (यानी हौसला) और ज़्यादा खोल
 दीजिये (कि तब्लीग़ में नागवारी पेश आने या झुठलाये जाने व मुख़ालफ़त होने पर तंगी व घुटन न
 हो) और मेरा (यह तब्लीग़ का) काम आसान फ़रमा दीजिये (कि तब्लीग़ के असबाब जमा और
 तब्लीग़ की रुकावटें दूर हो जायें) और मेरी ज़बान पर से बन्दिश (यानी रुक-रुककर बोलने की
 हालत) को हटा दीजिये ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे वास्ते मेरे कुंभे में से एक मददगार
 मुफ़रर कर दीजिये। यानी हारून को जो कि मेरे भाई हैं। उनके ज़रिये से मेरी कुव्वत को मज़बूत कर
 दीजिए। और उनको मेरे (इस तब्लीग़ के) काम में शरीक कर दीजिए (यानी उनको भी नबी बनाकर
 तब्लीग़ का पाबन्द कीजिये कि हम दोनों तब्लीग़ करें और मेरे दिल को कुव्वत पहुँचे) ताकि हम दोनों
 (मिलकर तब्लीग़ व दावत के वक़्त शिक और कमियों से) आपकी ख़ूब कसरत से पाकी बयान करें
 और आप (के कमालात व उम्दा सिफ़ात) का ख़ूब कसरत से ज़िक्र करें। (क्योंकि अगर दो शख्स
 मुबल्लिग़ (तब्लीग़ करने वाले) होंगे तो हर शख्स का बयान दूसरे की ताईद से मुकम्मल व मज़बूत
 होगा) बेशक आप हमको (और हमारे हाल को) ख़ूब देख रहे हैं (इस हालत से हमारी ज़रूरत इस बात
 की कि एक दूसरे के सहयोगी हों आपको मालूम है)। इरशाद हुआ कि तुम्हारी (हर) दरख्वास्त (जो
 कि इन आयतों में ज़िक्र हुई है) मन्ज़ूर की गई ऐ मूसा।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह के साथ कलाम करने का ख़ास शर्फ़ (सम्मान) मिला हुआ और नुबुव्वत व रिसालत का पद अता हुआ तो अपनी ज़ात और अपनी ताक़त पर मूसा छोड़कर खुद हक़ तआला ही की तरफ़ मुतवज्जह हो गये कि इस बड़े पद की जिम्मेदारियाँ उसी की मदद से पूरी हो सकती हैं और उन पर जो मुसीबतें और सख़्तियाँ आना लाज़िमी हैं उनके बरदाश्त करने का हौसला भी हक़ तआला ही की तरफ़ से अता हो सकता है, इसलिये उस वक़्त पाँच दुआयें माँगीं। पहली दुआ:

اِشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝

(यानी मेरा सीना खोल दे) इसमें ऐसी वुस्अत अता फ़रमा दे जो नुबुव्वत के उलूम को बरदाश्त करने वाला हो सके और ईमान की दावत लोगों तक पहुँचाने में जो उनकी तरफ़ से सख़्त सुस्त सुनना पड़ता है उसको बरदाश्त करना भी इसमें शामिल है।

दूसरी दुआ:

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

(यानी मेरा काम मेरे लिये आसान कर दे) यह समझ-बूझ भी नुबुव्वत ही का नतीजा था कि किसी काम का मुश्किल या आसान होना भी ज़ाहिरी तदबीरों के ताबे नहीं, यह भी हक़ तआला ही की तरफ़ से अतीया (दी जाने वाली चीज़) होता है, वह अगर चाहते हैं तो किसी के लिये मुश्किल से मुश्किल भारी से भारी काम आसान कर देते हैं, और जब चाहते हैं तो आसान से आसान काम मुश्किल हो जाता है। इसी लिये हदीस शरीफ़ में मुसलमानों को इस दुआ की हिदायत की गयी है कि अपने कामों के लिये अल्लाह तआला से इस तरह दुआ माँगा करें:

اَللّٰهُمَّ الطُّفَّ بِنَا فِي تَيْسِرٍ كُلِّ عَسِرٍ فَاِنَّ تَيْسِرَ كُلِّ عَسِرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ .

अल्लाहुम्मलुत्तुफ़् बिना फी तैसीरि कुल्लि असीरिन् फ़-इन्-न तैसी-र कुल्लि असीरिन् अलै-क यसीर।

यानी या अल्लाह! हम पर मेहरबानी फ़रमा हर मुश्किल काम को आसान करने के लिये, क्योंकि हर मुश्किल काम का आसान कर देना आपके कब्जे में है।

तीसरी दुआ:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

“यानी खोल दे मेरी ज़बान की बन्दिश ताकि लोग मेरा कलाम समझने लगे।” इस बन्दिश का वाक़िआ यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने के ज़माने में तो अपनी वालिदा ही के पास रहे और फिरऔन के दरबार से उनको दूध पिलाने का वज़ीफ़ा और सिला मिलता रहा। जब दूध छुड़ाया गया तो फिरऔन और उसकी बीवी आसिया ने इनको अपना बेटा बना लिया था, इसलिये वालिदा से वापस लेकर अपने यहाँ पालने लगे। इसी अरसे में एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने

फिरऔन की दाढ़ी पकड़ ली और उसके मुँह पर एक तमाँचा रसीद किया, और कुछ रिवायतों में है कि एक छड़ी हाथ में थी जिससे खेल रहे थे वह फिरऔन के सर पर मारी। फिरऔन को गुस्सा आया और इनके कत्ल करने का इरादा कर लिया। बीबी आसिया ने कहा कि ऐ बादशाह! आप बच्चे की बात पर ख्याल करते हैं जिसको किसी चीज़ की अक़ल नहीं, अगर आप चाहें तो तजुर्बा कर लें कि इसको किसी भले-बुरे का फ़र्क नहीं। फिरऔन को तजुर्बा कराने के लिये एक थाली में आग के अंगारे और दूसरे में जवाहिरात लाकर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिये, ख्याल यह था कि बच्चा है यह बच्चों की आदत के मुताबिक आग के अंगारे को चमकता और खूबसूरत समझकर उसकी तरफ हाथ बढ़ायेगा, जवाहिरात की रौनक बच्चों की नज़र में ऐसी नहीं होती कि उस तरफ तवज्जोह दें, इससे फिरऔन को तजुर्बा हो जायेगा कि उसने जो कुछ किया वह बचपन की नादानी से किया। मगर यहाँ तो कोई आम बच्चा नहीं था, खुदा तआला का होने वाला रसूल था, जिनकी फ़ितरत पैदाईश के वक़्त ही से ही ग़ैर-मामूली (असाधारण) होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग के बजाय जवाहिरात पर हाथ डालना चाहा मगर जिब्रीले अमीन ने उनका हाथ आग वाली थाली में डाल दिया और इन्होंने आग का अंगारा उठाकर मुँह में रख लिया, जिससे ज़बान जल गयी और फिरऔन को यकीन आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का यह अमल किसी शरारत से नहीं बचपन की बेख़बरी की सबब से था। इसी वाकिए से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में एक किस्म की तकलीफ़ पैदा हो गयी, उसी को कुरआन में उक्दा कहा गया है और उसी को खोलने की दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माँगी। (मज़हरी व कुर्तुबी)

पहली दो दुआयें तो आम थीं सब कामों में अल्लाह तआला से मदद हासिल करने के लिये, तीसरी दुआ में अपनी एक महसूस कमज़ोरी को दूर करने की दरख़्वास्त की गयी कि रिसालत व दावत के लिये ज़बान की रवानी और साफ़ होना भी एक ज़रूरी चीज़ है। आगे एक आयत में यह बतलाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ये सब दुआयें कुबूल कर ली गयीं, जिसका ज़ाहिर यह है कि ज़बान की यह लुक्नत (लड़खड़ाहट) भी ख़त्म हो गयी होगी मगर खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून को अपने साथ रिसालत में शरीक करने की जो दुआ की है उसमें यह भी फ़रमाया है:

هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا.

यानी हारून अलैहिस्सलाम ज़बान के एतिबार से मेरे मुक़ाबले ज़्यादा अच्छी तरह बात करने वाले हैं। इससे मालूम होता है कि लुक्नत का कुछ असर बाकी था। और फिरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ऐब लगाये उनमें यह भी कहा:

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۝

“यानी यह अपनी बात को साफ़ बयान नहीं कर सकते।” कुछ हज़रत ने इसका जवाब यह दिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी दुआ में इतनी ही बात माँगी थी कि ज़बान की बन्दिश इतनी खुल जाये कि लोग मेरी बात समझ लिया करें, इतनी लुक्नत दूर कर दी गयी, कुछ मामूली असर फिर भी रहा हो तो वह इस दुआ के कुबूल होने के खिलाफ़ नहीं। चौथी दुआ:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝

(यानी बना दे मेरा एक वज़ीर मेरे ही ख़ानदान में से) पिछली तीन दुआयें अपने नफ़्स और जात बन्धित थीं, यह चौथी दुआ रिसालत के कामों को अन्जाम देने के लिये असबाब जमा करने से लक्ष्य है, और उन असबाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले और अहम इसको करार

दिया कि उनका कोई नायब और वज़ीर हो जो उनकी मदद कर सके। वज़ीर के मायने ही लुग़त में बोझ उठाने वाले के हैं, हुकूमत का वज़ीर चूँकि अपने अमीर व बादशाह का भार जिम्मेदारी से उठाता है इसलिये उसको वज़ीर कहते हैं। इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कामिल अक्ल वाला होना मालूम हुआ कि किसी काम या तहरीक के चलाने के लिये सबसे पहली चीज़ इनसान के मददगार व सहयोगी हैं, वे मन्शा के मुताबिक़ मिल जायें तो आगे सब काम आसान हो जाते हैं, और वे ग़लत हों तो सारे असबाब व सामान भी बेकार होकर रह जाते हैं। आजकल की सल्तनतों और हुकूमतों में जितनी ख़राबियाँ देखी जा रही हैं ग़ौर करें तो उन सब का असली सबब मुल्क के हाकिमों के मददगार व सहयोगियों और वज़ीरों व अमीरों की ख़राबी, बेअमली या बद्अमली या अक्षमता है।

इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि हक़ तआला जब किसी शख्स को कोई हुकूमत व सरदारी सुपुर्द फ़रमाते हैं और यह चाहते हैं कि वह अच्छे काम करे, हुकूमत को अच्छी तरह चलाये तो उसको नेक वज़ीर दे देते हैं जो उसकी मदद करता है, अगर वह किसी ज़रूरी काम को भूल जाये तो वज़ीर याद दिला देता है, और जिस काम का वह इरादा करे वज़ीर उसमें उसकी मदद करता है। (नसाई, कासिम बिन मुहम्मद की रिवायत से)

इस दुआ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो वज़ीर तलब फ़रमाया उसके साथ एक कैद 'मिन् अहली' की भी लगा दी, कि यह वज़ीर मेरे ख़ानदान व करीबियों में से हो, क्योंकि अपने ख़ानदान के आदमी की आदतें व अख़्लाक़ देखे भाले और तबीयतों में आपसी मुनासबत और उल्फ़त होती है जिससे उस काम में मदद मिलती है बशर्ते कि उसको काम की सलाहियत में दूसरों से बढ़ा हुआ देखकर लिया गया हो, सिर्फ़ अपनों को फ़ायदा पहुँचाने और आगे बढ़ाने का ज़ब्बा न हो। इस ज़माने में चूँकि आम तौर पर ईमानदारी व इख़्लास ख़त्म होता जा रहा है और असल काम की फ़िक्र ग़ायब नज़र आती है इसलिये किसी अमीर के साथ उसके अपने और करीबी लोगों को वज़ीर या नायब बनाने को बुरा समझा जाता है और जहाँ दियानतदारी पर भरोसा पूरा हो तो किसी नेक व सलाहियत वाले अपने करीबी व रिश्तेदार को कोई ओहदा सुपुर्द कर देना कोई ऐब नहीं बल्कि अहम और कामों के पूरा करने के लिये ज़्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन उम्मून वही हज़रात हुए जो नुबुव्वत के घराने के साथ रिश्तेदारियों के ताल्लुकात भी रखते थे।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में पहले तो आम बात फ़रमाई कि मेरे ख़ानदान व अहल में से हो, फिर मुतैयन करके फ़रमाया कि वह मेरा भाई हारून है जिसको मैं वज़ीर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे रिसालत के कामों में कुव्वत हासिल कर सकूँ।

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तीन या चार साल बड़े थे; और तीन साल पहले ही वफ़ात पाई। जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ माँगी वह मिस्र में थे, अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर उनको भी नबी बना दिया तो फ़रिश्ते के ज़रिये उनको भी

मिस्र ही में इसकी इत्तिला मिल गयी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में फिराउन की तब्लीग के लिये रवाना किया गया तो उनको यह हिदायत कर दी गयी कि वह मिस्र से बाहर उनका स्वागत करें और ऐसा ही सामने आया। (तफसीरे कुर्तुबी)

नेक साथी जिक्र व इबादत में भी मददगार होते हैं

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۝

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना वज़ीर बनाना चाहा तो यह इख्तियार खुद उनको हासिल था, बरकत के तौर पर हक़ तआला की तरफ़ से उनकी नियुक्ति की दुआ की, मगर साथ ही वह यह चाहते थे कि उनको नुबुव्वत व रिसालत में अपना शरीक करार दें यह इख्तियार किसी रसूल व नबी को खुद नहीं होता इसलिये इसकी अलग से दुआ की कि उनको मेरे रिसालत के काम में शरीक फ़रमा दे। आख़िर में फ़रमाया:

كَمْ نَسَبَحَكَ كَثِيرًا وَنَذَرْنَاكَ كَثِيرًا ۝

यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को वज़ीर और नुबुव्वत में शरीक बनाने का फ़ायदा यह होगा कि हम कसरत से आपकी तस्बीह व जिक्र किया करेंगे। यहाँ यह सवाल हो सकता है कि तस्बीह व जिक्र तो ऐसी चीज़ है कि हर इन्सान तन्हा भी जितना चाहे कर सकता है, उसके लिये किसी साथी के अमल का क्या दख़ल, लेकिन ग़ौर करने से मालूम होता है कि जिक्र व तस्बीह में भी साज़गार माहौल और अल्लाह वाले साथियों का बड़ा दख़ल होता है, जिसके साथी अल्लाह वाले न हों वह इतनी इबादत नहीं कर सकता जितनी वह कर सकता है जिसका माहौल अल्लाह वालों का और साथी जाकिर शाग़िल हों। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स जिक्रुल्लाह में मशगूल रहना चाहे उसको साज़गार माहौल को भी तलाश करना चाहिये।

दुआयें यहाँ ख़त्म हो गयीं, आख़िर में हक़ तआला की तरफ़ से इन सब दुआओं के कुबूल हो जाने की खुशख़बरी दे दी गयी “कद् ऊती-त सुअल-क या मूसा” यानी आपकी माँगी हुई सब चीज़ें आपको दे दी गयीं।

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ مَا يُوحَىٰ ۝ أَنْ اذْفِفْ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِفْ فِيهِ فِي
الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۝ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّمِّي ۝ وَلِيُصْنَعَ عَلَيَّ
عَيْنِي ۝ إِذْ تَشَىٰ أُخْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۝ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ كَيْ تَفَرَّعَ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ ۝ وَكُنْتَ نَفْسًا فَتَجِينِكَ مِنَ الْعَمِّ ۝ وَقَتْنَاكَ فُتُونًا ۝ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۝ ثُمَّ جِئْتَ
عَلَىٰ قَدَرٍ يُوَسَّىٰ ۝ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ آنتَ وَأَخْرُوكَ بِأَيْتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝ إِذْ هَبْنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لِّسَانًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝

ल-कद् मनन्ना अलै-क मरतन्
 ता (37) इज़् औहैना इला
 उम्मि-क मा यूहा (38) अनिक्विज़्
 फ़ीहि फ़िताबूति फ़क्विज़् फ़ीहि
 फ़िल्यम्मि फ़ल्युल्किहिल्-यम्मु
 बिस्साहिलि यअखुज़्हु अदुव्वुल्ली व
 अदुव्वुल्लहू, व अल्कैतु अलै-क
 म-हब्बतम्-मिन्नी, व लितुस्न-अ अला
 औनी। (39) इज़् तम्शी उख्तु-क
 फ़-तक़ूलु हल् अदुल्लुकुम् अला
 मय्यक्फ़ुलुहू, फ़-रजअना-क इला
 उम्मि-क कै तक़ूर-र औनुहा व ला
 तहज़-न, व क़तल्-त नफ़सन्
 फ़-नज्जैना-क मिनल्-ग़म्मि व
 फ़तन्ना-क फ़ुतूनन्, फ़-लबिसू-त
 सिनी-न फ़ी अह्लि मद्य-न सुम्-म
 जिअ-त अला क-दरिंयू-या मूसा
 (40) वस्त-नअतु-क लिनफ़सी (41)
 इज़्हुब् अन्-त व अखू-क बिआयाती
 व ला तनिया फ़ी जिक्री (42)
 इज़्हुबा इला फिरऔ-न इन्नहू तगा
 (43) फ़क़ूला लहू कौलल्-लय्यिनल्-
 लअल्लहू य-तजक्करु औ यख़शा (44)

और एहसान किया था हमने तुझ पर एक
 बार और भी (37) जब हुक्म भेजा हमने
 तेरी माँ को जो आगे सुनाते हैं (38) कि
 डाल उसको सन्दूक में फिर उसको डाल
 दे दरिया में फिर दरिया उसको ले डाले
 किनारे पर, उठा ले उसको एक दुश्मन
 मेरा और उसका, और डाल दी मैंने तुझ
 पर मुहब्बत अपनी तरफ़ से और ताकि
 परवरिश पाये तू मेरी आँख के सामने।
 (39) जब चलने लगी तेरी बहन और कहने
 लगी मैं बताऊँ तुमको ऐसा शख्स जो
 इसको पाले, फिर पहुँचा दिया हमने तुझ
 को तेरी माँ के पास कि ठंडी रहे उसकी
 आँख और ग़म न ख़ाये, और तूने मार
 डाला एक शख्स को फिर बचा दिया हमने
 तुझको उस ग़म से और जाँचा हमने तुझ
 को एक ज़रा जाँचना, फिर ठहरा रहा तू
 कई बरस मद्यन वालों में, फिर आया तू
 तक़दीर से ऐ मूसा। (40) और बनाया
 मैंने तुझको ख़ास अपने वास्ते। (41) जा
 तू और तेरा भाई मेरी निशानियाँ लेकर
 और सुस्ती न करना मेरी याद में। (42)
 जाओ फिरऔन की तरफ़ उसने बहुत सर
 उठाया। (43) सो कहो उससे बात नर्म
 शायद वह सोचे या डरे। (44)

खुलासा-ए-तफ़सीर

हम तो और बार और भी (इससे पहले बिना दरख्वास्त ही) तुम पर एहसान कर चुके हैं।

शाख फिरऔन के महल तक भी गई थी) डाल दा, फिर दरिया इनको (मय सन्दूक के) (के पास) तक ले आयेगा, कि (आखिरकार) इनको एक शाख पकड़ लेगा जो (कोफिर होने से) मेरा भी दुश्मन है और इनका भी दुश्मन है। (चाहे फिलहाल इस वजह से कि वह सब कल्ल करता था चाहे आईन्दा के लिहाज से कि वह इनका खास तौर पर दुश्मन होगा)।

और (जब सन्दूक पकड़ा गया और तुम उसमें से निकाले गये तो) मैंने तुम्हारे (बिर्ते के) अपनी तरफ से एक मुहब्बत का असर डाल दिया (ताकि जो तुमको देखे प्यार करे) और ताकि मेरी (खास) निगरानी में परवरिश पाओ। (यह किस्सा उस वक्त का है) जबकि तुम्हारी बहन (तु तलाश में फिरऔन के घर) चलती हुई आई, फिर (तुमको देखकर अजनबी बनकर) और ताकि (जबकि तुम किसी अन्ना का दूध न पीते थे) क्या तुम लोगों को ऐसे शख्स का पता है जो इस (अच्छी तरह) पाले रखे (चुनाँचे उन लोगों ने चूँकि उनको तलाश थी मन्जूर किया और तुम्हारी ब) तुम्हारी माँ को बुलाकर लाई) फिर (इस तदबीर से) हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास फिर पहुँचा दिया ताकि उनकी आँखें ठन्डी हों और उनको गम न रहे (कि थोड़े अरसे तक जुदाई से गुमरीन रहें)।

और (बड़ा होने के बाद एक और एहसान किया कि) तुमने (गलती से) एक शख्स (किन्ती) जान से मार डाला (जिसका किस्सा सूरः कसस में है, और मारकर गम हुआ सजा के खौफ से तो इस तर और बदले के खौफ से भी) फिर हमने तुमको उस गम से निजात दी, (सजा के खौफ से तो इस तर कि इस्तिगफार की तौफीक दी और उसको कुबूल किया, और बदले के खौफ से तो इस तर मद्यन पहुँचा दिया) और (मद्यन पहुँचने तक) हमने तुमको खूब-खूब मेहनतों में डाला, (और कि उनसे छुटकारा दिया जिनका जिक्र सूरः कसस में है कि छुटकारा और निजात देना भी एहसान है और खुद आजमाईश में डालना भी इस वजह से कि वह उम्दा अख्लाक और अच्छाईयों व खूबियों के हासिल करने का जरिया है, एक मुस्तकिल एहसान है)।

फिर (मद्यन पहुँचे और) मद्यन वालों में कई साल रहे। फिर एक खास वक्त पर (जो मर इम में तुम्हारी नुबुव्वत और मुझसे कलाम करने के लिये तयशुदा था) तुम (यहाँ) आये थे मूसा! और (यहाँ आने पर) मैंने तुमको अपने (नबी बनाने के) लिये चुन लिया। (सो अब) तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियाँ (यानी मोजिजे जो कि असल में दो मोजिजे हैं लाठी और चमकता हाथ और हर एक में मोजिजा होने की अनेक वजूहाल हैं) लेकर (जिस मौके के लिये हुक्म होता है) जाओ और मेरी यादगारी में (चाहे तन्हाई में चाहे तब्तीय के वक्त) सुस्ती मत करना। (अब जाने का मौका बतलावा जाता है कि) दोनों फिरऔन के पास जाओ, वह बहुत हद से निकल चुका है। फिर (उसके पास जाकर) उससे नर्या के साथ बात करना, शायद वह (दिलचस्पी से) नसीहत कुबूल कर ले, या (अल्लाह के अज़ाब से) डर जाये (और उससे मान जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात व इनायतें उस वक़्त हुई कि अपने साथ क़लाम और बातचीत के सम्मान से नवाज़ा गया, नुबुव्वत व रिसालत अता हुई, खास मोजिजे अता हुए, इसके साथ हक़ तआला अपनी वो नेमतें भी उनको याद दिलाते हैं जो शुरू पैदाईश से इस वक़्त तक ज़िन्दगी के हर दौर में आप पर होती रहीं और लगातार आजमाईशों और जान के ख़तरों के बीच अल्लाह तआला ने किन्तु आश्चर्यजनक तरीकों से उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाई। ये नेमतें जिनका ज़िक्र आगे आता है बाक़े व ज़ाहिर होने के एतिबार से पहली हैं यहाँ इनको 'उख़्रा' के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है, इसके ये मायने नहीं कि ये नेमतें उसके बाद की हैं, बल्कि 'उख़्रा' कभी मुतलक तौर पर दूसरे के मायने में भी आता है जिसमें पहले या बाद में होने का कोई मफ़हूम नहीं होता। यहाँ भी यह लफ़्ज़ इसी मायने में है। (रूहुल-मआनी) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा तफ़सील के साथ हदीस के हवाले से आगे आयेगा।

إِذَا وَحْيَنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَىٰ ۝

यानी जबकि वही भेजी हमने आपकी वालिदा के पास एक ऐसे मामले की जो सिर्फ़ वही से ही मालूम हो सकता था, वह यह कि फिरअौन के सिपाही जो इस्राईली लड़कों को क़त्ल करने पर मामूर थे उनसे बचाने के लिये उनकी वालिदा को अल्लाह की वही के ज़रिये बतलाया गया कि उनको एक ताबूत में बन्द करके दरिया में डाल दें और उनके हलाक होने का अन्देशा न करें हम उनको हिफ़ाज़त से रखेंगे और फिर आपके पास ही वापस पहुँचा देंगे। ज़ाहिर है कि ये बातें अक्ल व क़्यास की नहीं, अल्लाह तआला का वायदा और उनकी हिफ़ाज़त का नाक़ाबिले-अन्दाज़ा इन्तिज़ार सिर्फ़ उसी की तरफ़ से बतलाने पर किसी को मालूम हो सकता है।

क्या किसी ग़ैर-नबी व रसूल की तरफ़ भी वही आ सकती है?

सही बात यह है कि लफ़्ज़ वही के लुग़वी मायने ऐसे ख़ुफ़िया (पोशीदा) क़लाम के हैं जो सिर्फ़ मुखातब को मालूम हो, दूसरे उस पर बाख़बर न हों। इस लुग़वी मायने के एतिबार से वही किसी के लिये मख़सूस नहीं। नबी व रसूल और आम मख़लूक बल्कि जानवर तक इसमें शामिल हो सकते हैं। 'औहैना इला उम्मि-क' भी इस लुग़वी मायने के एतिबार से है, इससे उनका नबी या रसूल होना लाज़िम नहीं आता, जैसे मरियम अलैहस्सलाम को अल्लाह तआला के इरशादात पहुँचे इसके बावजूद कि उम्मत के तमाम हज़रात के नज़दीक वह नबी या रसूल नहीं थीं, इस तरह की लुग़वी वही उमूमन बतौर इल्हाम के होती है कि हक़ तआला किसी के दिल में एक मज़मून डाल दें और उसको उस पर मुल्मईन कर दें कि अल्लाह की तरफ़ से है, जैसे उमूमन औलिया-अल्लाह को इस किस्म के इल्हामात होते रहे हैं, बल्कि अबू हय्यान और कुछ दूसरे उलेमा ने कहा है कि इस तरह की वही कई बार किसी फ़रिश्ते के वास्ते से भी हो सकती है, जैसे हज़रत मरियम के बाक़िए में इसकी वज़ाहत है कि ज़िब्रीले

अमीन ने इनसानी शक्त में जाहिर होकर उनको तालीम व हिदायत फ़रमाई, मगर उसक सिर्फ़ उस शख्स की ज़ात से होता है जिसको यह वही इल्हाम होती है। मख़्लूक की इ तब्लीग़ व दावत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बख़िलाफ़ नुबुव्वत वाली वही के कि उस ही मख़्लूक की इस्लाह (सुधार) के लिये किसी को खड़ा करना और तब्लीग़ व दावत के र करना (पाबन्द करना और लगाना) होता है, उसके जिम्मे लाज़िम होता है कि अपनी वही प ईमान लाये और दूसरों को भी अपनी नुबुव्वत के मानने और अपनी वही के मानने का पाब जो उसको न माने उसे काफ़िर करार दे।

यही फ़र्क है उस इल्हाम वाली वही यानी लुग़वी वही में और नुबुव्वत वाली पारिभाषिक लुग़वी वही हमेशा से जारी है और हमेशा रहेगी, और नुबुव्वत और नुबुव्वत वाली हज़रत अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। कुछ बुजुर्गों के कलाम में तशरीज़ी व ग़ैर-तशरीज़ी वही के उनवान से ताबीर कर दिया है जिसका नुबुव्वत के दावेदार ने शैख़ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रह. की कुछ इबारतों के हवाले से अपने नुबुव्वत के दावे (सही होने) की दलील बनाया है जो खुद इब्ने अरबी रह. की वज़ाहतों से बातिल है। इस मुकम्मल बहस व वज़ाहत मेरी किताब 'ख़त्म-ए-नुबुव्वत' में विस्तार से मज़कूर है।

मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम

तफ़सीर रूहुल-मज़ानी में है कि उनका मशहूर नाम 'यूहानिज़' है, और इतक़ान में उ 'लहयाना' पुत्री यसमद बिन लादी लिखा है, और कुछ लोगों ने उनका नाम 'बारखा' कुछ ने बतलाया है। कुछ तावीज़-गण्डे वाले उनके नाम की अजीब खुसूसियात बयान किया करते हैं मज़ानी के लेखक ने फ़रमाया कि हमें इसकी कोई बुनियाद नहीं मालूम हुई और ग़ालिब व यह खुराफ़ात में से है।

بِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ.

इस जगह लफ़ज़ 'यम्म' दरिया के मायने से बज़ाहिर नील नहर मुराद है। आयत में एक मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा साहिबा को दिया गया है कि इस बच्चे (मूसा अलैहिस्सलाम) सन्दूक में बन्द करके दरिया में डाल दें। दूसरा हुक्म दरिया के नाम है कि वह इस ताबूत व पर डाल दे 'फ़ल्युल्किहिल् यम्मु बिस्साहिलि'। दरिया चूँकि बज़ाहिर बेहिस व बेशऊर है, उस देने का मफ़हूम समझ में नहीं आता, इसी लिये कुछ हज़रत ने यह क़रार दिया कि अगरचे व का लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है मगर मुराद इससे हुक्म नहीं बल्कि ख़बर देना है कि दरिया ही मुखातब है, क्योंकि उनके नज़दीक दुनिया की कोई मख़्लूक दरख़्त और पत्थर तक बेअक्ल व नहीं, बल्कि सब में अक्ल व समझ मौजूद है, और यही अक्ल व समझ है जिसके सबब ये क़ुरआन के बयान के मुताबिक़ अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं। हाँ यह फ़र्क ज़रूर है कि और जिन्नात और फ़रिश्ते के अलावा किसी मख़्लूक में अक्ल व शऊर इतना मुकम्मल नहीं हलाल व हराम के अहक़ाम आयद करके मुक़त्लाफ़ (पाबन्द व जिम्मेदार) बनाया जाये। मौल

। फ़रमाया है:

ख़ाक व बाद व आब व आतिश बन्दा अन्द

बा-मन व तू मुर्दा बा-हक़ जिन्दा अन्द

“यानी मिट्टी, हवा, पानी और आग फ़रमाँबरदार हैं। अगरचे हमें तुम्हें ये बेजान और मुर्दा मालूम होते हैं मगर अल्लाह तआला के साथ इनका जो मामला है वह जिन्दों की तरह है, कि जिन्दों की तरह उसके हुक्म की तामील करते हैं।” मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

يَاخُذُهُ عَذْوَالِي وَعَدُوُّوَلَّةُ.

यानी इस ताबूत और इसमें बन्द किये हुए बच्चे को दरिया के किनारे से ऐसा शख्स उठायेगा जो मेरा भी दुश्मन है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी। मुराद इससे फिरऔन है। फिरऔन का अल्लाह का दुश्मन होना तो उसके कुफ़्र की वजह से जाहिर है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन कहना इसलिये विचारनीय है कि उस वक़्त तो फिरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं था बल्कि उनकी परवरिश पर भारी माल खर्च कर रहा था, फिर उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन फ़रमाना या तो अन्जाम के एतिबार से है कि आख़िरकार फिरऔन का दुश्मन हो जाना अल्लाह तआला के इल्म में था, और यह कहा जाये तो भी कुछ बर्द नहीं कि जहाँ तक फिरऔन की जात का ताल्लुक है वह अपने आप में उस वक़्त भी दुश्मन ही था। उसने हज़रत मूसा की तरबियत सिर्फ़ बीवी आसिया की ख़ातिर गवारा की थी, और इसमें भी जब उसको शुब्हा हुआ तो उसी वक़्त कत्ल करने का हुक्म दे दिया था जो हज़रत आसिया की समझदारी से ख़त्म हुआ। (रुहुल-मआनी व मज़हरी)

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي.

लफ़ज़ ‘सन्अत’ से इस जगह मुराद उम्दा तरबियत है। जैसे अरब में ‘सनअतु फ़रसी’ का मुहावरा इसी मायने में परिचित है कि मैंने अपने घोड़े की अच्छी तरबियत की, और ‘अला अैनी’ से मुराद ‘अला हिफ़ज़ी’ यानी अल्लाह तआला ने इरादा फ़रमा लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बेहतरीन तरबियत डायरेक्ट हक़ तआला की निगरानी में हो, इसलिये मिस्र की सबसे बड़ी हस्ती यानी फिरऔन के हाथों ही उसके घर में यह काम इस तरह लिया गया कि वह इससे बेख़बर था कि मैं अपने हाथों अपने दुश्मन को पाल रहा हूँ। (तफ़सीरे मज़हरी)

إِذْ تَمْشِيٰ أُخْتُكَ.

मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का उस ताबूत का पीछा करते हुए जाना और उसके बाद का किस्सा जिसको मुख़्तसर तौर पर इस आयत में ज़िक्र किया है जिसके आख़िर में फ़रमाया है ‘व फ़तन्ना-क फ़ुतूना’ यानी हमने आपकी आज़माईश की बार-बार (जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास का कौल यही है) या आपको आज़माईश में मुब्तला किया बार-बार (जैसा कि इमाम ज़ह्हाक का कौल है) इसकी पूरी तफ़सील हदीस की किताब नसाई शरीफ़ की एक लम्बी हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास राज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आई है, वह यह है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली किस्सा

'हदीसुल-फ़ुतून' के नाम से लम्बी हदीस नसाई शरीफ़ की किताबुल्लफ़सीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल की है और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में भी इसको पूरा नक़ल करने के बाद फ़रमाया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस रिवायत को मरफ़ूअ़ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बयान करार दिया है और इब्ने कसीर ने भी हदीस के मरफ़ूअ़ होने की ताईद के लिये फ़रमाया है:

وَصَدَقَ ذَلِكَ عِنْدِي.

यानी इस हदीस का मरफ़ूअ़ होना मेरे नज़दीक दुरुस्त है। फिर उसके लिये एक दलील भी बयान फ़रमाई। लेकिन उसके बाद यह भी नक़ल फ़रमाया है कि इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने भी अपनी-अपनी तफ़सीरों में यह रिवायत नक़ल की है, मगर वह मौक़ूफ़ यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना कलाम है, मरफ़ूअ़ हदीस के जुमले उसमें कहीं-कहीं आये हैं। ऐसा मालूम होता है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह रिवायत हज़रत कअबे अहबार से ली है जैसा कि बहुत से मौक़ों में ऐसा हुआ है, मगर इब्ने कसीर जैसे हदीस के जाँचने परखने वाले और नसाई जैसे हदीस के इमाम इसको मरफ़ूअ़ मानते हैं और जिन्होंने मरफ़ूअ़ तस्लीम नहीं किया वे भी इसके मज़मून पर कोई नकीर नहीं करते और अक्सर हिस्सा इसका तो खुद कुरआने करीम की आयतों में आया हुआ है इसलिये पूरी हदीस का तर्जुमा लिखा जाता है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तफ़सीली किस्से के तहत में बहुत से इल्मी और अमली फ़ायदे भी हैं। 'हदीसुल-फ़ुतून' इमाम नसाई रह. की सनद से फ़ासिम बिन अबू अय्यूब फ़रमाते हैं कि मुझे सईद बिन जुबैर रह. ने ख़बर दी कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफ़सीर मालूम की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आई है यानी 'व फ़तन्ना-क फ़ुतूना' (ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 40) मैंने मालूम किया कि इसमें फ़ुतून से क्या मुराद है? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इसका याक़िअ़ बड़ा लम्बा है, सुबह को सवेरे आ जाओ तो बतला देंगे। जब अगले दिन सुबह हुई तो मैं सवेरे ही इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर हो गया ताकि कल जो वायदा फ़रमाया था उसको पूरा कराऊँ।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सुनो (एक दिन) फिरऔन और उसके साथियों में इस बात का ज़िक्र आया कि अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वायदा फ़रमाया है कि उनकी नस्ल में अम्बिया और बादशाह पैदा फ़रमा देंगे। मज्लिस में शरीक कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बनी इस्राईल तो इसके मुन्तज़िर हैं जिसमें उनको ज़रा शक नहीं कि उनके अन्दर कोई नबी व रसूल पैदा होगा, और पहले इन लोगों का ख़्याल था कि वह नबी यूसुफ़ बिन याक़ूब अलैहिस्सलाम हैं, जब उनकी वफ़ात हो गयी तो कहने लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो वायदा किया गया था यह उसके भिस्ताक़ नहीं (कोई और नबी व रसूल पैदा होगा जो उस वायदे को पूरा करेगा)। फिरऔन ने यह सुना तो (उसको फिरक़ लग गयी कि अगर बनी इस्राईल में जिनको उत्तने

जिस में मौजूद लोगों से मालूम किया कि इस आफत से बचने का क्या रास्ता है? ये लोग आपस शिरे करते रहे और अन्जाम कार सब की राय इस पर मुत्ताफिक हो गयी कि (बनी इस्राईल में जो लड़का पैदा हो उसको जिबह कर दिया जाये, इसके लिये) ऐसे सिपाही मुकरर कर दिये गये जिनके हाथों में छुरियाँ थीं और वे बनी इस्राईल के एक-एक घर में जाकर देखते थे, जहाँ कोई लड़का नजर आया उसको जिबह कर दिया।

कुछ अरसे तक यह सिलसिला जारी रहने के बाद उनको यह होश आया कि हमारी सब खिदमतें और मेहनत मशक़त के काम तो बनी इस्राईल ही अन्जाम देते हैं, अगर क़त्ल का यह सिलसिला जारी रहा तो उनके बूढ़े तो अपनी मौत मर जायेंगे और बच्चे जिबह होते रहे तो आगे बनी इस्राईल में कोई मर्द न रहेगा जो हमारी खिदमतें अन्जाम दे, नतीजा यह होगा कि सारे मशक़त के काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे इसलिये अब यह राय हुई कि एक साल में पैदा होने वाले लड़कों को छोड़ दिया जाये, दूसरे साल में पैदा होने वालों को जिबह कर दिया जाये। इस तरह बनी इस्राईल में कुछ जवान भी रहेंगे जो अपने बूढ़ों की जगह ले सकें और उनकी तादाद इतनी ज्यादा भी नहीं होगी जिससे फिरौनी हुकूमत को खतरा हो सके। यह बात सब को पसन्द आई और यही क़ानून लागू कर दिया गया (अब हक़ तआला की क़ुदरत व हिक्मत का ज़हूर इस तरह हुआ कि) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बालिदा को एक हमल (गर्भ) उस वक़्त हुआ जबकि बच्चों को जिन्दा छोड़ देने का साल था, अगले साल जो लड़कों के क़त्ल का साल था उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमल में आये तो उनकी बालिदा पर रंज व ग़म तारी था कि अब यह बच्चा पैदा होगा तो क़त्ल कर दिया जायेगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने किससे को यहाँ तक पहुँचाकर फ़रमाया कि ऐ इब्ने जुबैर! 'फ़तून' यानी आजमाईश का यह पहला मौक़ा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे कि उनके क़त्ल का मन्सूबा तैयार था। उस वक़्त हक़ तआला ने उनकी बालिदा को इल्हाम की वही के ज़रिये यह तसल्ली दे दी:

لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

यानी तुम कोई खौफ़ व ग़म न करो (हम उसकी हिफ़ाज़त करेंगे और कुछ दिन जुदा रहने के बाद) हम उनको तुम्हारे पास वापस कर देंगे फिर उनको अपने रसूलों में दाखिल कर लेंगे।

जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गये तो उनकी बालिदा को हक़ तआला ने हुक्म दिया कि इसको एक ताबूत में रखकर (नील) दरिया में डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम की बालिदा ने इस हुक्म की तामील कर दी। जब वह ताबूत को दरिया के हवाले कर चुकी तो शैतान ने उनके दिल में यह बख़सा डाला कि यह तूने क्या काम किया, अगर बच्चा तेरे पास रहकर जिबह भी कर दिया जाता तो अपने हाथों से कफ़न-दफ़न करके कुछ तो तसल्ली होती, अब तो उसको दरिया के जानवर खावेंगे। (मूसा अलैहिस्सलाम की बालिदा इसी रंज व ग़म में मुब्तला थीं कि) दरिया की लहरों ने ताबूत को एक ऐसी चट्टान पर डाल दिया जहाँ फिरौन की बाँदियाँ लौडियाँ नहाने धोने के लिये जाया करती थीं। उन्होंने यह ताबूत देखा तो उठा लिया और खेलने का इरादा किया तो उनमें से किसी ने कहा कि

अगर इसमें कुछ माल हुआ और हमने खोल लिया तो फिरऔन की बीवी को यह गुमान होगा कि हमने इसमें से कुछ अलग रख लिया है, हम कुछ भी कहें उसको यकीन नहीं आयेगा, इसलिये सब की राय यह हो गयी कि इस ताबूत को इसी तरह बन्द हालत में उठाकर फिरऔन की बीवी के सामने पेश कर दिया जाये।

फिरऔन की बीवी ने ताबूत खोला तो उसमें एक ऐसा लड़का देखा जिसको देखते ही उसके दिल में उससे इतनी मुहब्बत हो गयी जो इससे पहले किसी बच्चे से नहीं हुई थी (जो हकीकत में हक तआला के इस इरशाद का ज़हूर था 'व अल्कैतु अलै-क महब्बतम् मिन्नी')।

दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा शैतानी वस्वसे के सबब अल्लाह तआला के इस वायदे को भूल गयीं और हालत यह हो गयी:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ قُرْغًا.

यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल हर खुशी और हर ख्याल से खाली हो गया (सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की फिक्र ग़ालिब आ गयी) उधर जब लड़कों के क़त्ल पर लगाई गयी पुलिस वालों को फिरऔन के घर में एक लड़का आ जाने की ख़बर मिली तो वे छुरियाँ लेकर फिरऔन की बीवी के पास पहुँच गये कि यह लड़का हमें दो ताकि ज़िबह कर दें।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पहुँचकर फिर इब्ने जुबैर रह. को मुख़ातब किया कि ऐ इब्ने जुबैर! फ़ुतून यानी आजमाईश का (दूसरा) वाकिआ यह है।

फिरऔन की बीवी ने उन लश्करी लोगों को जवाब दिया कि अभी ठहरो कि सिर्फ इस एक लड़के से तो बनी इस्राईल की कुव्वत नहीं बढ़ जायेगी, मैं फिरऔन के पास जाती हूँ और इस बच्चे की जान बख़्शी कराती हूँ। अगर फिरऔन ने इसको बख़्शा दिया तो यह बेहतर होगा वरना तुम्हारे मामले में दख़ल न दूँगी, यह बच्चा तुम्हारे हवाले होगा। यह कहकर वह फिरऔन के पास गयी और कहा कि यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आँखों की ठण्डक है, फिरऔन ने कहा कि हाँ तुम्हारी आँखों की ठण्डक होना तो मालूम है मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं।

इसके बाद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़सम है उस जात की जिसकी क़सम खाई जा सकती है, अगर फिरऔन उस वक़्त बीवी की तरह अपने लिये भी मूसा अलैहिस्सलाम के आँखों की ठण्डक होने का इकरार कर लेता तो अल्लाह तआला उसको भी हिदायत कर देता जैसा कि उसकी बीवी को ईमान की हिदायत अता फ़रमाई।

(बहरहाल बीवी के कहने से फिरऔन ने इस लड़के को क़त्ल से आज़ाद कर दिया) अब फिरऔन की बीवी ने इसको दूध पिलाने के लिये अपने आस-पास की औरतों को बुलाया। सब ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की ख़िदमत अन्जाम दें मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी की छाती न लगती। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि हमने उन पर दूसरी औरतों का दूध हराम फ़रमा दिया था।

अब फिरऔन की बीवी को यह फ़िक्र हो गयी कि जब किसी का दूध नहीं पीते तो यह ज़िन्दा

कैसे रहेंगे, इसलिये अपनी बाँदियों के सुपुर्द किया कि बाज़ार और लोगों के मजमे में ले जायें शायद यह किसी औरत का दूध क़ुबूल कर लें।

उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बेचैन होकर अपनी बेटी को कहा कि ज़रा बाहर जाकर तलाश करो और लोगों से मालूम करो कि उस ताबूत और बच्चे का क्या अन्जाम हुआ, वह जिन्दा है या दरियाई जानवरों की खुराक बन चुका है। उस वक़्त तक उनको अल्लाह तआला का वह वायदा याद नहीं आया था जो गर्भ की हालात में उनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफ़ाज़त और चन्द रोज़ की जुदाई के बाद वापसी का किया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बाहर निकली तो (अल्लाह की क़ुदरत का यह करिश्मा देखा कि) फिरऔन की बाँदियाँ उस बच्चे को लिये हुए दूध पिलाने वाली औरत की तलाश में हैं। जब इन्होंने यह माजरा देखा कि यह बच्चा किसी औरत का दूध नहीं लेता और ये बाँदियाँ परेशान हैं तो उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घराने का पता देती हूँ जहाँ मुझे उम्मीद है कि यह उनका दूध भी लेंगे और वह इसको ख़ैरख़्वाही व मुहब्बत के साथ पालेंगे। यह सुनकर उन बाँदियों ने इनको इस शुब्हे में पकड़ लिया कि यह औरत शायद इस बच्चे की माँ या कोई खास रिश्तेदार है जो यकीन के साथ यह कह रही है कि वह घर वाले इसके ख़ैरख़्वाह और हमदर्द हैं (उस वक़्त यह बहन भी परेशान हो गयी)।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह पहुँचकर फिर इब्ने जुबैर को ख़िताब किया कि यह 'फ़ुतून' यानी आजमाईश का तीसरा वाक़िआ है, उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने बात बनाई और कहा कि मेरी मुराद उस घर वालों के हमदर्द व ख़ैरख़्वाह होने से यही थी कि फिरऔनी दरबार तक उनकी पहुँच होगी, इससे उनको फ़ायदे पहुँचने की उम्मीद होगी, इसलिये वह इस बच्चे की मुहब्बत व हमदर्दी में कसर न करेंगे। यह सुनकर बाँदियों ने उनको छोड़ दिया। यह वापस अपने घर पहुँची और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वाक़िए की ख़बर दी, वह इनके साथ उस जगह पहुँची जहाँ ये बाँदियाँ जमा थीं। बाँदियों के कहने से इन्होंने भी बच्चे को गोद में ले लिया, मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन इनकी छातियों से लगकर दूध पीने लगे यहाँ तक कि पेट भर गया। यह खुशख़बरी फिरऔन की बीवी को पहुँची कि उस बच्चे के लिये दूध पिलाने वाली मिल गयी। फिरऔन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलवाया, इन्होंने आकर हालात देखे और यह महसूस किया कि फिरऔन की बीवी मेरी हाजत व ज़रूरत महसूस कर रही है तो ज़रा खुदारी से काम लिया। फिरऔन की बीवी ने कहा कि आप यहाँ रहकर इस बच्चे को दूध पिलायें, क्योंकि मुझे इस बच्चे से इतनी मुहब्बत है कि मैं इसको अपनी नज़रों से ग़ायब नहीं रख सकती। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि मैं तो अपने घर को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी गोद में खुद एक बच्चा है जिसको दूध पिलाती हूँ, मैं उसको कैसे छोड़ूँ? हाँ अगर आप इस पर राज़ी हों कि बच्चा मेरे सुपुर्द करें मैं अपने घर रखकर इसको दूध पिलाऊँ और यह वायदा करती हूँ कि इस बच्चे की ख़बरगिरी और हिफ़ाज़त में ज़रा कोताही न करूँगी। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उस वक़्त अल्लाह तआला का वह वायदा भी याद आ गया जिसमें फ़रमाया था कि चन्द रोज़ की जुदाई के बाद हम इनको तुम्हारे पास वापस दे देंगे, इसलिये वह अपनी बात पर और जम गयीं। फिरऔन की बीवी

ने मजबूर होकर इनकी बात मान ली और यह उसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर आ गयीं और अल्लाह तआला ने इनका पालन-पोषण खास तरीके पर फरमाया।

जब मूसा अलैहिस्सलाम जरा ताकतवर और होशियार हो गये तो फिरऔन की बीवी ने उनकी वालिदा से कहा कि यह बच्चा मुझे लाकर दिखला जाओ (कि मैं उसके देखने के लिये बेचैन हूँ) और फिरऔन की बीवी ने अपने सब दरबारियों को हुक्म दिया कि यह बच्चा आज हमारे घर में आ रहा है तुम में से कोई ऐसा न रहे जो उसका इकराम (सम्मान) न करे और कोई हदिया (तोहफा) उसको पेश न करे, और मैं खुद इसकी निगरानी करूँगी कि तुम लोग इस मामले में क्या करते हो। इसका असर यह हुआ कि जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ घर से निकले उसी वक़्त से उन पर तोहफों और हदियों (तोहफों) की बारिश होने लगी यहाँ तक कि फिरऔन की बीवी के पास पहुँचे तो उसने अपने पास से खास तोहफे और हदिये अलग पेश किये। फिरऔन की बीवी इनको देखकर बेहद खुश हुई और ये सब तोहफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को दे दिये। उसके बाद फिरऔन की बीवी ने कहा कि अब मैं इनको फिरऔन के पास लेजाती हूँ वह इनको इनामात और तोहफे देंगे, जब इनको लेकर फिरऔन के पास पहुँची तो फिरऔन ने इनको अपनी गोद में ले लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन की दाढ़ी पकड़कर ज़मीन की तरफ झुका दिया। उस वक़्त दरबार के लोगों ने फिरऔन से कहा कि आपने देख लिया कि अल्लाह तआला ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो वायदा किया था कि बनी इस्राईल में एक नबी पैदा होगा जो आपके मुल्क व माल का वारिस होगा, आप पर ग़ालिब आयेगा और आपको पछाड़ेगा (पराजित करेगा), यह वायदा किस तरह पूरा हो रहा है।

फिरऔन चौंका और उसी वक़्त लड़कों को क़त्ल करने वाले सिपाहियों को बुला लिया ताकि इसको ज़िबह कर दें। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पहुँचकर फिर इब्ने जुबैर को खिताब किया कि यह 'फ़ुतून' यानी आजमाईश का (चौथा) वाक़िआ है कि फिर मौत सर पर मंडराने लगी।

फिरऔन की बीवी ने यह देखा तो कहा कि आप तो यह बच्चा मुझे दे चुके हैं फिर अब यह क्या मामला हो रहा है। फिरऔन ने कहा कि तुम यह नहीं देखती कि यह लड़का अपने अमल से गोया यह दावा कर रहा है कि यह मुझको ज़मीन पर गिराकर मुझ पर ग़ालिब आ जायेगा। फिरऔन की बीवी ने कहा कि आप एक बात को अपने और मेरे मामले के फैसले के लिये मान लें जिससे हक़ बात ज़ाहिर हो जायेगी (कि बच्चे ने यह मामला बचपन की बेख़बरी में किया है या जान-बूझकर किसी शरारत से) आप दो अंगारे आग के और दो मोती मंगवा लीजिए और दोनों को इनके सामने कर दीजिए, अगर यह मोतियों की तरफ हाथ बढ़ायें और आग के अंगारों से बचें तो आप समझ लें कि इसके काम अक्ल व शऊर से सोचे-समझे हैं और अगर इसने मोतियों के बजाय अंगारे हाथ में उठा लिये तो यह यकीन हो जायेगा कि यह काम किसी अक्ल व शऊर से नहीं किया गया क्योंकि कोई अक्ल वाला इन्सान आग को हाथ में नहीं उठा सकता। (फिरऔन ने इस आजमाईश को मान लिया) दो अंगारे और दो मोती मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किये तो मूसा अलैहिस्सलाम ने

उठा लिये (कुछ दूसरी रिवायतों में है कि मूसा अलैहिस्सलाम मोतियों की तरफ हाथ बढ़ाना है थे कि जिब्रीले अमीन ने उनका हाथ अंगारों की तरफ फेर दिया) फिरऔन ने यह माजरा देखा फौरन उनके हाथ से अंगारे छीन लिये कि उनका हाथ न जल जाये (अब तो फिरऔन की बीवी की बात बन गयी) उसने कहा कि आपने वाकिए की हकीकत को देख लिया, इस तरह अल्लाह तआला ने फिर यह मौत मूसा अलैहिस्सलाम से टला दी क्योंकि अल्लाह की कुदरत को उनसे आगे काम लेना था (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह फिरऔन के शाहाना सम्मान व इकराम और शाहाना खर्च पर अपनी वालिदा की निगरानी में परवरिश पाते रहे यहाँ तक कि जवान हो गये)।

उनके शाही इकराम व सम्मान को देखकर फिरऔन के लोगों को बनी इस्राईल पर वह जुल्म व ज्यादती और उनका अपमान व तौहीन करने की हिम्मत न रही जो इससे पहले फिरऔनी लोगों की तरफ से हमेशा बनी इस्राईल पर होता रहता था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किसी हिस्से में चल रहे थे तो देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं जिनमें से एक फिरऔनी है और दूसरा इस्राईली। इस्राईली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमदाद के लिये पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔनी आदमी की इस बेजा जुरत पर बहुत गुस्सा आ गया कि उसने शाही दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम के मान व इज़्ज़त को जानते हुए इस्राईली को उनके सामने पकड़ रखा है जबकि वह यह भी जानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस्राईलियों की हिफ़ाज़त करते हैं, और लोगों को तो सिर्फ़ यही मालूम था कि इनका ताल्लुक इस्राईली लोगों से सिर्फ़ दूध पीने की वजह से है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुम्किन है कि अल्लाह तआला ने उनकी वालिदा या किसी और जरिये से यह मालूम करा दिया हो कि यह अपनी दूध पिलाने वाली औरत ही के पेट से पैदा हुए और इस्राईली हैं।

गर्ज कि मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उस फिरऔनी के एक मुक्का रसीद किया जिसेको वह बरदाश्त न कर सका और वहीं मर गया, मगर इत्तिफ़ाक़ से वहाँ कोई और आदमी मूसा अलैहिस्सलाम और उन दोनों लड़ने वालों के सिवा मौजूद नहीं था, फिरऔनी तो क़त्ल हो गया इस्राईली अपना आदमी था उससे इसकी आशंका न थी कि यह मुखबिरी कर देगा।

जब यह फिरऔनी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से मारा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा:

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝

यानी यह काम शैतान की तरफ़ से हुआ है वह खुला दुश्मन गुमराह करने वाला है (फिर अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज़ की):

رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार मैंने अपने नफ़्स पर जुल्म किया (कि यह फिरऔनी आदमी को क़त्ल करने की ख़ता मुझसे हो गयी) मुझे माफ़ फ़रमा दीजिए। अल्लाह तआला ने माफ़ फ़रमा दिया क्योंकि वही बहुत माफ़ करने वाला और बहुत रहमत करने वाला है।

मूसा अलैहिस्सलाम इस वाकिए के बाद ख़ौफ़ व घबराहट के आलम में यह ख़बरें मालूम करते रहे (कि उसके क़त्ल पर फिरऔन वालों की प्रतिक्रिया क्या हुई और फिरऔन के दरबार तक यह

मामला पहुँचा या नहीं) मालूम हुआ कि मामला फिरऔन तक इस उनवान से पहुँचा कि किसी इस्राईली ने फिरऔन की आल के एक आदमी को कत्ल कर दिया है इसलिये इस्राईलियों से इसका बदला लिया जाये। इस मामले में उनके साथ कोई ढील का मामला न किया जाये। फिरऔन ने जवाब दिया कि उसके कातिल को मुतैयन करके मय गवाही के पेश करो। क्योंकि बादशाह अगरचे तुम्हारा ही है मगर उसके लिये यह किसी तरह मुनासिब नहीं कि बगैर गवाही व सुबूत के किसी से किंसास (खून का बदला) ले ले। तुम उसके कातिल को तलाश करो और सुबूत इकट्ठे करो मैं जरूर तुम्हारा बदला किंसास की सूरत में उससे लूँगा। फिरऔनी लोग यह सुनकर गली कूचों और बाजारों में घूमने लगे कि कहीं उसके कत्ल करने वाले का सुराग मिल जाये मगर उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था।

अचानक यह वाकिआ पेश आया कि अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकले तो उसी इस्राईली को देखा कि किसी दूसरे फिरऔनी शख्स से झगड़ा करने में लगा हुआ है और फिर उस इस्राईली ने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिये पुकारा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम कल के वाकिए पर ही शर्मिन्दा हो रहे थे और इस वक़्त उसी इस्राईली को फिर लड़ते हुए देखकर उस पर नाराज़ हुए (कि ख़ता इसी की मालूम होती है, यह झगड़ालू आदमी है और लड़ता ही रहता है) मगर इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि फिरऔनी शख्स को उस पर हमला करने से रोकें लेकिन इस्राईली को भी डाँट के तौर पर कहने लगे तूने कल भी झगड़ा किया था आज फिर लड़ रहा है, तू ही ज़ालिम है। इस्राईली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वह आज भी उसी तरह गुस्से में हैं जैसे कल थे तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम के इन अलफ़ाज़ से यह शुब्हा हो गया कि यह आज मुझे ही कत्ल कर देंगे, तो फ़ौरन बोल उठा कि ऐ मूसा क्या तुम चाहते हो कि मुझे कत्ल कर डालो जैसे कल तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था।

ये बातें होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गये मगर फिरऔनी शख्स ने फिरऔन वालों के उन लोगों को जो कल के कातिल की तलाश में थे जाकर यह ख़बर पहुँचा दी कि खुद इस्राईली ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है कि तुमने कल एक आदमी कत्ल कर दिया है। यह ख़बर फिरऔन के दरबार तक फ़ौरन पहुँचाई गयी। फिरऔन ने अपने सिपाही मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिये भेज दिये। ये सिपाही जानते थे कि वह हम से बचकर कहाँ जायेंगे। इत्मीनान के साथ शहर की बड़ी सड़क से मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। उधर एक शख्स को मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से जो शहर के किसी दूर-दराज़ के हिस्से में रहता था इसकी ख़बर लग गयी कि फिरऔनी सिपाही मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में उनको कत्ल करने के लिये निकल चुके हैं, उसने किसी गली कूचे के छोटे रास्ते से आगे पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर कर दी।

यहाँ पहुँचकर फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने जुबैर को खिताब किया कि ऐ इब्ने जुबैर यह (पाँचवाँ) वाकिआ फ़ुतून यानी आजमाईश का है कि मौत सर पर आ चुकी थी अल्लाह ने उससे निजात का सामान कर दिया।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह ख़बर सुनकर फ़ौरन शहर से निकल गये और मद्यन की तरफ़ रुख़ फिर गया। यह आज तक शाही नाज़ व नेमत में पले थे कभी मेहनत व मशक़त का नाम न

था, मिस्र से निकल खड़े हुए मगर रास्ता भी कहीं का न जानते थे लेकिन अपने रब पर भरोसा
रु:

عَسَى رَبِّيْٓ اَنْ يُّهْدِيَٓنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۝

यानी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे रास्ता दिखा देगा। जब शहर 'मद्यन' के करीब पहुँचे तो शहर
बाहर एक कुएँ पर लोगों की भीड़ देखी जो उस पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, और
देखा कि दो औरतें अपनी बकरियों को समेटे हुए अलग खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों
से पूछा कि तुम अलग क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमसे यह तो हो नहीं सकता कि हम
इन लोगों से टकरायें और मुकाबला करें इसलिये हम इस इन्तिज़ार में हैं कि जब ये सब लोग फ़ारिग
हो जायें तो कुछ बचा हुआ पानी मिल जायेगा उससे हम अपना काम निकालेंगे।

मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी शराफ़त देखकर खुद उनके लिये कुएँ से पानी निकालना शुरू कर
दिया, अल्लाह तआला ने कुव्वत व ताक़त बख़्शी थी बड़ी जल्दी उनकी बकरियों को सैराब कर दिया।
ये औरतें अपनी बकरियाँ लेकर अपने घर गयीं और मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के साये में चले गये
और अल्लाह तआला से दुआ की:

رَبِّ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۝

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार मैं मोहताज हूँ उस नेमत का जो आप मेरी तरफ़ भेजें (मतलब यह था
कि खाने का और ठिकाने का कोई इन्तिज़ाम हो जाये)। ये लड़कियाँ जब रोज़ाना के वक़्त से पहले
बकरियों को सैराब (पानी पिला) करके घर पहुँचीं तो इनके वालिद को ताज्जुब हुआ और फ़रमाया
आज तो कोई नई बात है। लड़कियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पानी खींचने और पिलाने का किस्सा
वालिद को सुना दिया। वालिद ने उनमें से एक को हुक्म दिया कि जिस शख़्स ने यह एहसान किया है
उसको यहाँ बुला लाओ, वह बुला लाई। वालिद ने मूसा अलैहिस्सलाम से उनके हालात मालूम किये
और फ़रमाया:

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

यानी अब आप ख़ौफ़ व घबराहट अपने दिल से निकाल दीजिये आप ज़ालिमों के हाथ से निजात
पा चुके हैं। हम न फिरऔन की सल्तनत में हैं न उसका हम पर कुछ हुक्म चल सकता है।

अब उन दो लड़कियों में से एक ने अपने वालिद से कहा:

يٰٓاَبَتِ اسْتَاَجِرُہٗ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اَسْتَاَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنَ ۝

यानी अब्बा जान! इनको आप मुलाज़िम रख लीजिए क्योंकि मुलाज़मत के लिये बेहतरीन आदमी
वह है जो ताक़तवर भी हो और अमानतदार भी। वालिद को अपनी लड़की से यह बात सुनकर ग़ैरत
सी आई कि मेरी लड़की को यह कैसे मालूम हुआ कि यह ताक़तवर भी है और अमीन भी। इसलिये
उससे सवाल किया कि तुम्हें इनकी ताक़त का अन्दाज़ा कैसे हुआ और इनकी अमानतदारी किस बात
से मालूम की? लड़की ने अर्ज़ किया कि इनकी ताक़त तो इनके कुएँ से पानी खींचने के वक़्त सामने
आ गयी कि सब चरवाहों से पहले इन्होंने अपना काम कर लिया, दूसरा कोई इनके बराबर नहीं आ

सका, और अमानत का हाल इस तरह मालूम हुआ कि जब मैं इनको बुलाने के लिये गयी और पहली नज़र में जब इन्होंने देखा कि मैं एक औरत हूँ तो फौरन अपना सर नीचा कर लिया और उस वक़्त तक सर नहीं उठाया जब तक मैंने इनको आपका पैग़ाम नहीं पहुँचा दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे फ़रमाया कि तुम मेरे पीछे-पीछे चलो मगर मुझे अपने घर का रास्ता पीछे से बतलाती रहो, और यह बात सिर्फ़ वही भर्द कर सकता है जो अमानतदार हो।

वालिद को लड़की की इस अक्लमन्दी की बात से खुशी हुई और उसकी तस्दीक़ फ़रमाई और खुद भी उनके बारे में कुव्वत व अमानत का यकीन हो गया। उस वक़्त लड़कियों के वालिद ने (जो अल्लाह के रसूल हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम थे) मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको यह मन्ज़ूर है कि मैं इन दोनों लड़कियों में से एक का निकाह आप से कर दूँ जिसकी शर्त यह होगी कि आप आठ साल तक हमारे यहाँ मजदूरी करें, और अगर आप दस साल पूरे कर दें तो अपने इख़्तियार से कर दें बेहतर होगा, हम यह पाबन्दी आप पर आयद नहीं करते, ताकि आप पर ज्यादा मशक्कत न हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मन्ज़ूर फ़रमा लिया जिसके हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम पर सिर्फ़ आठ साल की ख़िदमत समझौते के तौर पर लाज़िम हो गयी, बाकी दो साल का वायदा इख़्तियारी रहा, अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर मूसा अलैहिस्सलाम से वह वायदा भी पूरा कराकर दस साल पूरे करा दिये।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा एक ईसाई आलिम मुझे मिला, उसने सवाल किया कि तुम जानते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों मियादों में से कौनसी मियाद पूरी फ़रमाई? मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं क्योंकि उस वक़्त तक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस मुझे मालूम न थी। उसके बाद मैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला उनसे सवाल किया। उन्होंने फ़रमाया कि आठ साल की मियाद पूरा करना तो मूसा अलैहिस्सलाम पर वाज़िब था, उसमें कुछ कमी करने का तो शुब्हा व गुमान ही नहीं, और यह भी मालूम होना चाहिये कि अल्लाह तआला को अपने रसूल का इख़्तियारी वायदा भी पूरा ही करना मन्ज़ूर था इसलिये दस साल की मियाद पूरी की। उसके बाद मैं उस ईसाई आलिम से मिला और उसको यह ख़बर दी तो उसने कहा कि तुमने जिस शख्स से यह बात मालूम की है क्या वह तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं? मैंने कहा कि बेशक वह बहुत बड़े आलिम और हम सबसे अफ़ज़ल हैं।

(दस साल की मियाद व ख़िदमत पूरी करने के बाद जब) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी साहिबा को साथ लेकर शुऐब अलैहिस्सलाम के वतन मद्यन से रुख़्सत हुए, रास्ते में सख़्त सर्दी अंधेरी रात, रास्ता नामालूम, बेकसी और बेबसी के आलम में अचानक तूर पहाड़ पर आग देखने फिर वहाँ जाने और हैरत अंगेज़ मनाज़िर के बाद असा (लाठी) और यदे बैज़ा (चमकते हाथ) का मोजिज़ा और उसके साथ नुबुव्वत व रिसालत का सम्मान व पद अता होने के बाद (जिसका पूरा किस्सा कुरआन में ऊपर गुज़र चुका है) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह फ़िक्र हुई कि मैं फिरौनी दरबार का एक भागा हुआ मुल्ज़िम (आरोपी) करार दिया गया हूँ मुझसे किब्ती का कि़सास (ख़ूनी बदला) लेने का हुक्म वहाँ से हो चुका है, अब उसके पास इमान की दावत लेकर जाने का हुक्म हुआ है, साथ ही

मूसूज पश का। हक तआला न उनका फरमाइश क मुताबक उनका माइ हया हालत का
 व्त में शरीक बनाकर उनके पास वही भेज दी और यह हुक्म दिया कि वह हज़रत मूसा
 अलैहिस्सलाम का शहर मिस्र से बाहर स्वागत करें। उसके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे।
 हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दोनों भाई (अल्लाह के हुक्म के मुताबिक) फिरऔन को हक
 की दावत देने के लिये उसके दरबार में पहुँचे, कुछ वक्त तक तो इनको दरबार में हाज़िरी का मौका
 नहीं दिया गया। ये दोनों दरवाजे पर ठहरे रहे, फिर बहुत से पर्दों में गुज़रकर हाज़िरी की इजाज़त
 मिली और दोनों ने फिरऔन से कहा:

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

यानी हम दोनों तेरे रब की तरफ़ से कासिद और पैग़ाम्बर हैं। फिरऔन ने पूछा:

فَمَنْ رَبُّكُمَا

(तो बतलाओ तुम्हारा रब कौन है) मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम ने वह बात कही जिसका
 कुरआन ने खुद जिक्र कर दिया:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

इस पर फिरऔन ने पूछा कि फिर तुम दोनों क्या चाहते हो और साथ ही किस्वी मक्तूल का
 वाकिआ जिक्र करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुजरिम ठहराया (और अपने घर में उनके
 परवरिश पाने का एहसान जतलाया)। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बातों का वह जवाब दिया
 जो कुरआन में जिक्र हुआ है (यानी मक्तूल के मामले में तो अपनी ख़ता और ग़लती को स्वीकार
 करके नावाकफ़ियत का उज़्र जाहिर किया, और घर में परवरिश पर एहसान जतलाने का जवाब यह
 दिया कि तुमने सारे बनी इस्राईल को अपना गुलाम बनाकर रखा है उन पर तरह-तरह के जुल्म कर
 रहे हो, उसी के नतीजे में तकदीर के हाथों मैं तुम्हारे घर में पहुँचा दिया गया और जो कुछ अल्लाह
 को मन्ज़ूर था वह हो गया, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं)।

फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को खिताब करके पूछा कि क्या तुम इस पर राजी हो कि
 अल्लाह पर ईमान ले आओ और बनी इस्राईल को गुलामी से आज़ाद कर दो? फिरऔन ने इससे
 इनकार किया और कहा कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल होने की कोई निशानी है तो
 दिखलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी तो वह बहुत ज़बरदस्त अज़्दहा की
 शकल में मुँह खोले हुए फिरऔन की तरफ़ लपकी। फिरऔन ख़ौफ़ज़दा होकर अपने तख़्त के नीचे छुप
 गया और मूसा अलैहिस्सलाम से पनाह माँगी कि इसको रोक लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़
 लिया। फिर अपने गिरेबान में हाथ डालकर निकाला तो वह चमकने लगा यह दूसरा मौजिज़ा फिरऔन
 के सामने आया, फिर दोबारा गिरेबान में हाथ डाला तो वह अपनी असली हालत पर आ गया।

फिरऔन ने भयभीत होकर अपने दरबारियों से मशिवरा किया (कि तुम देख रहे हो यह क्या
 माजरा है और हमें क्या करना चाहिये) दरबारियों ने एक राय होकर कहा कि (कुछ फिक्र की बात

नहीं) ये दोनों जादूगर हैं, अपने जादू के ज़रिये तुमको तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहते हैं और तुम्हारे बेहतरीन दीन व मज़हब को (जो उनकी नज़र में फिरऔन की पूजा करना था) ये मिटाना चाहते हैं। आप इनकी कोई बात न मानें (और कोई फिक्र न करें) क्योंकि आपके मुल्क में बड़े-बड़े जादूगर हैं, आप उनको बुला लीजिए वे अपने जादू से इनके जादू पर ग़ालिब आ जायेंगे।

फिरऔन ने अपनी हुक्मत के सब शहरों में हुक्म दे दिया कि जितने आदमी जादूगरी में माहिर हों वे सब दरबार में हाज़िर कर दिये जायें। मुल्क भर के जादूगर जमा हो गये तो उन्होंने फिरऔन से पूछा कि जिस जादूगर से आप हमारा मुक़ाबला कराना चाहते हैं वह क्या अमल करता है, उसने बतलाया कि वह अपनी लाठी को साँप बना देता है, जादूगरों ने बड़ी बेफ़िक्री से कहा कि यह तो कोई चीज़ नहीं, लाठियों और रस्सियों को साँप बना देने के जादू का तो जो कमाल हमें हासिल है उसका कोई मुक़ाबला नहीं कर सकता। मगर यह तय कर दीजिए कि अगर हम उस पर ग़ालिब आ गये तो हमें क्या मिलेगा।

फिरऔन ने कहा कि तुम ग़ालिब आ गये तो तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा और मेरे ख़ास लोगों में दाख़िल हो जाओगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे।

अब जादूगरों ने मुक़ाबले का वक़्त और जगह मूसा अलैहिस्सलाम से तय करके अपनी ईद के दिन चाशत (दिन चढ़े) का वक़्त मुक़र्रर कर दिया। इब्ने जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे बयान फ़रमाया कि उनका 'यौमुज्ज़ीनति' (यानी ईद का दिन) जिसमें अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन और उसके जादूगरों पर फ़तह अता फ़रमाई वह आशूरा यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख़ थी। जब सब लोग एक खुले और बड़े मैदान में मुक़ाबला देखने के लिये जमा हो गये तो फिरऔन के लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगे:

لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

यानी हमें यहाँ ज़रूर रहना चाहिये ताकि ये जादूगर यानी मूसा व हारून अगर ग़ालिब आ जायें तो हम भी इन पर ईमान ले आयें। उनकी यह गुफ़्तगू इन हज़रात के साथ मज़ाक़ व खिल्लियाँ उड़ाने के तौर पर थी (उनका यकीन था कि ये हमारे जादूगरों पर ग़ालिब नहीं आ सकेंगे)।

मुक़ाबले का मैदान पूरी तरह तैयार हो गया तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब किया कि पहले आप कुछ डालें (यानी अपना जादू दिखलायें) या हम पहले डालकर शुरूआत करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम ही पहल करो, अपना जादू दिखलाओ। उन लोगों ने अपनी लाठियाँ और कुछ रस्सियाँ ज़मीन पर यह कहते हुए डाल दीं:

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝

यानी फिरऔन के तुफ़ैल हम ही ग़ालिब आयेंगे (ये लाठियाँ और रस्सियाँ देखने में साँप बनकर चलने लगीं) यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम पर एक ख़ौफ़ तारी हुआ:

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۝

यह ख़ौफ़ तबई भी हो सकता है जो इनसानी फ़ितरत है, अम्बिया भी इससे अलग नहीं, और यह

हो सकता है कि खौफ़ इस बात का हो कि अब इस्लाम की दावत जिसको मैं लेकर आया हूँ रुकवाट पैदा हो जायेगी।

अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये हुक्म दिया कि अपना असा (लाठी) झूल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो वह एक बड़ा अज़्दहा बन गया जिसका मुँह खुला हुआ था, उस अज़्दहे ने उन तमाम साँपों को निगल लिया जो जादूगरों ने लाठियों और रस्सियों के बनाये थे।

फ़िरऔनी जादूगर जादू के फ़न के माहिर थे, यह माजरा देखकर उनको यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा का यह अज़्दहा जादू से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से है। इसलिये जादूगरों ने उसी वक़्त ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह पर और मूसा अलैहिस्सलाम के लाये हुए दीन पर ईमान ले आये और हम अपने पिछले ख्यालात व अक़ीदों से तौबा करते हैं। इस तरह अल्लाह तआला ने फ़िरऔन और उसके साथियों की कमर तोड़ दी और उन्होंने जो जाल फैलाया था वह सब बेकार व बेअसर हो गया:

فَعَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنْقَلَبُوا صُغْرَيْنِ ۝

फ़िरऔन और उसके साथी मग़लूब हो गये और ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ उस मैदान से पस्पा (पराजित) हुए।

जिस वक़्त यह मुक़ाबला हो रहा था फ़िरऔन की बीवी आसिया फटे पुराने कपड़े पहनकर अल्लाह तआला से मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिये दुआ माँग रही थी, और आले फ़िरऔन के लोग यह समझते रहे कि यह फ़िरऔन की वजह से परेशान हाल हैं, उसके लिये दुआ माँग रही हैं हालाँकि उनका ग़म व फ़िक्र सारा मूसा अलैहिस्सलाम के लिये था (और उन्हीं के ग़ालिब आने की दुआ माँग रही थीं)। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई मोज़िज़ा दिखाते और अल्लाह तआला की तरफ़ से उस पर हुज्जत तमाम हो जाती तो उसी वक़्त वायदा कर लेता था कि अब मैं बनी इस्राईल को आपके साथ भेज दूँगा, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह अज़ाब का खतरा टल जाता तो अपने वायदे से फिर जाता था। और कह देता था कि क्या आपका रब कोई और भी निशानी दिखा सकता है? यह सिलसिला चलता रहा आख़िरकार अल्लाह तआला ने फ़िरऔन की क़ौम पर तूफ़ान और टिड्डी दल और कपड़ों में जुएँ और बर्तनों और खाने में मेंढकों और खून वगैरह के अज़ाब मुसल्लत कर दिये, जिनको कुरआन में 'आघाते भुफ़स्सलाम' के उनवान से बयान किया गया है। और फ़िरऔन का हाल यह था कि जब उनमें से कोई अज़ाब आता और उससे आजिज़ होता तो मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद करता कि किसी तरह यह अज़ाब हटा दीजिए तो हम वायदा करते हैं कि बनी इस्राईल को आज़ाद कर देंगे, फिर जब अज़ाब टल जाता तो फिर बद-अहदी करता। यहाँ तक कि हक़ तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दे दिया कि अपनी क़ौम बनी इस्राईल को साथ लेकर मिस्र से निकल जायें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन सब को लेकर रात के वक़्त शहर से निकल गये। फ़िरऔन ने जब सुबह को देखा कि वे सब लोग चले गये तो चारों तरफ़ से अपनी तमाम फौज़ जमा करके उनका पीछा करने के लिये छोड़ दी। उधर अल्लाह तआला ने उस दरिया को

जो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल के रास्ते में था यह हुक्म दे दिया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तुझ पर लाठी मारें तो दरिया में बारह रास्ते बन जाने चाहियें, जिनसे बनी इस्राईल के बारह कबीले अलग-अलग गुजर सकें। और जब ये गुजर जायें तो उनका पीछा करते हुए आने वालों पर दरिया के ये बारह हिस्से फिर मिल जायें।

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के करीब पहुँचे तो यह याद न रहा कि लाठी मारने से दरिया में रास्ते पैदा होंगे और उनकी कौम ने उनसे फरियाद की:

إِنَّا لَمَذْرُكُونَ

यानी हम तो पकड़ लिये गये (क्योंकि पीछे से फिरऔनी फौजियों को आता देख रहे थे और आगे यह दरिया रुकावट था)। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का यह वायदा याद आया कि दरिया पर लाठी मारने से उसमें रास्ते पैदा हो जायेंगे और फौरन दरिया पर अपनी लाठी मारी। यह वह वक्त था कि बनी इस्राईल के पिछले हिस्सों से फिरऔनी फौजों के अगले हिस्से तकरीबन मिल चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजे से दरिया के अलग-अलग टुकड़े होकर अल्लाह के वायदे के मुताबिक बारह रास्ते बन गये और मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम बनी इस्राईल उन रास्तों से गुजर गये। फिरऔनी फौजें जो इनका पीछा करने में थीं उन्होंने दरिया में रास्ते देखकर इनका पीछा करते हुए अपने घोड़े और प्यादे डाल दिये तो दरिया के ये मुख्तलिफ़ टुकड़े अल्लाह के हुक्म से फिर आपस में मिल गये। जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल दूसरे किनारे पर पहुँच गये तो उनके साथियों ने कहा कि हमें यह खतरा है कि फिरऔन उनके साथ ग़र्क़ न हुआ हो और उसने अपने आपको बचा लिया हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फ़रमाई कि फिरऔन की हलाकत हम पर जाहिर कर दीजिये। अल्लाह की क़ुदरत ने फिरऔन की मुर्दा लाश को दरिया से बाहर फेंक दिया और सब ने उसकी हलाकत को अपनी आँखों से देख लिया।

उसके बाद ये बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आगे चले तो रास्ते में उनका गुजर एक कौम पर हुआ जो अपने बनाये हुए बुतों की इबादत और पूजा कर रहे थे, तो ये बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे:

يٰمُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُم آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتْرَمَاهُمْ فِيهِ

यानी ऐ मूसा हमारे लिये भी कोई ऐसा ही माबूद बना दीजिए जैसे इन्होंने बहुत से माबूद बना रखे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम अजीब कौम हो कि ऐसी जहालत की बातें करते हो, ये लोग जो बुतों की इबादत में मशगूल हैं इनकी इबादत बरबाद होने वाली है। (मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया) कि तुम अपने परवर्दिगार के इतने मोजिजे और अपने ऊपर इनामात देख चुके हो फिर भी तुम्हारे ये जाहिताना ख्यालात नहीं बदले। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मय अपने उन साथियों के यहाँ से आगे बढ़े और एक मक़ाम पर जाकर उनको ठहरा दिया, और फ़रमाया तुम सब यहाँ ठहरो, मैं अपने रब के पास जाता हूँ, तीस दिन के बाद वापस आ जाऊँगा और मेरे पीछे हारून अलैहिस्सलाम मेरे नायब व खलीफ़ा रहेंगे, हर काम में उनकी फ़रमाँबरदारी करना।

मूसा अलैहिस्सलाम इनसे रुख्सत होकर तूर पहाड़ पर तशरीफ ले गये और (अल्लाह के इशारे से) दिन रात का लगातार रोज़ा रखा ताकि उसके बांद अल्लाह के कलाम से मुस्तफीद हो सकें (फैज़ सकें) मगर तीस दिन रात के लगातार रोज़े से जो एक किस्म की बू रोज़ेदार के मुँह में हो जाती है फ़िक्र हुई कि इस बू के साथ अल्लाह तआला से हमकलामी का सम्मान नामुनासिब है, तो हाड़ी घास के ज़रिये मिस्वाक करके मुँह साफ़ कर लिया। जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए तो अल्लाह तआला की तरफ़ से इरशाद हुआ कि तुमने इफ़तार क्यों कर लिया (और अल्लाह तआला को ख़ालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खाया पिया नहीं बल्कि सिर्फ़ मुँह साफ़ कर लेने को ख़ाम्बराना विशेषता की बिना पर इफ़तार करने से ताबीर फ़रमाया) मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हकीकत को समझकर अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार मुझे यह ख़्याल हुआ कि आप से हमकलाम होने के लिये मुँह की बू दूर करके साफ़ कर लूँ। हुक्म हुआ कि मूसा! क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि रोज़ेदार के मुँह की बू हमारे नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा महबूब है, अब आप लौट जाइये और दस दिन और रोज़े रखिये फिर हमारे पास आइये। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की।

उधर जब मूसा अलैहिस्सलाम की क़ौम बनी इस्राईल ने देखा कि निर्धारित मुदत तीस दिन गुज़र गये और मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आये तो उनको यह बात नागवार हुई, इधर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के रुख़्सत होने के बाद अपनी क़ौम में एक ख़ुतबा दिया कि क़ौमे फिरऔन के लोगों की बहुत सी चीज़ें जो तुमने माँगे के तौर पर ले रखी थीं या उन्होंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखवा रखी थीं वो सब तुम अपने साथ ले आये हो, अगरचे तुम्हारी भी बहुत सी चीज़ें क़ौमे फिरऔन के पास माँगे तौर पर या अमानत के तौर पर थीं और आप लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी ये चीज़ें हमारी चीज़ों के मुआवज़े में हमने रख ली हैं, मगर मैं इसको हलाल नहीं समझता कि उनकी माँगे का या अमानत का सामान तुम अपने इस्तेमाल में लाओ और हम उसको वापस भी नहीं कर सकते, इसलिये एक गड्ढा खुदवाकर सब को हुक्म दिया कि ये चीज़ें चाहे ज़ेबरात हों या दूसरी इस्तेमाली चीज़ें सब इस गड्ढे में डाल दो। (उन लोगों ने इसकी तामील की) हारून अलैहिस्सलाम ने इस सारे सामान के ऊपर आग जलवा दी जिससे यह सब सामान जल गया और फ़रमाया कि अब यह न हमारा रहा न उनका।

उनके साथ एक शख्स सामरी एक ऐसी क़ौम का फ़र्द था जो गाय की पूजा किया करते थे। यह बनी इस्राईल में से न था मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल मिस्र से निकले तो यह भी उनके साथ हो लिया, इसको यह अजीब इत्तिफ़ाक़ पेश आया कि इसने (जिब्रील अलैहिस्सलाम) का एक असर देखा (यानी जहाँ उनका क़दम पड़ता है उसमें ज़िन्दगी और ग्रोथ पैदा हो जाती है) उसने उस जगह से एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लिया, उसको हाथ में लिये हुए आ रहा था कि हारून अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, हारून अलैहिस्सलाम ने ख़्याल किया कि इसकी गुट्टी में कोई फिरऔनी ज़ेवर बग़ैरह है, उससे कहा कि जिस तरह सबने इस गड्ढे में डाला है तुम भी डाल दो। उसने कहा यह तो उस रसूल (जिब्रील) के क़दम के निशान की मिट्टी है जिसने तुम्हें दरिया से पार कराया है और मैं इसको किसी तरह न डालूँगा सिवाय इसके कि आप यह दूआ करे कि मैं जिस

मकसद के लिये डालूँ वह मकसद पूरा हो जाये। हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ का वायदा कर लिया उसने वह मुट्ठी मिट्टी की उस गड्ढे में डाल दी और वायदे के मुताबिक हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह! जो कुछ सामरी चाहता है वह पूरा कर दीजिए। जब वह दुआ कर चुके तो सामरी ने कहा कि मैं तो यह चाहता हूँ कि यह सोना, चाँदी, लोहा, पीतल जो कुछ इस गड्ढे में डाला गया है एक गाय का बछड़ा बन जाये। हारून अलैहिस्सलाम दुआ कर चुके थे और वह कुबूल हो चुकी थी, जो कुछ ज़ेवरात और ताँबा पीतल लोहा उसमें डाला गया था सब का एक बछड़ा बन गया जिसमें कोई रूह तो न थी मगर गाय की तरह आवाज़ निकालता था। हज़रत इब्ने अब्बास ने इस रिवायत को नक़ल करते हुए फ़रमाया कि वल्लाह वह कोई ज़िन्दा आवाज़ नहीं थी बल्कि हवा उसके पिछले हिस्से से दाख़िल होकर मुँह से निकलती थी उससे यह आवाज़ पैदा होती थी।

यह अजीब व ग़रीब किस्सा देखकर बनी इस्राईल कई फ़िर्कों में बंट गये— एक फ़िर्क ने सामरी से पूछा कि यह क्या है? उसने कहा यही तुम्हारा खुदा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूलकर दूसरी तरफ़ चले गये। एक फ़िर्क ने यह कहा कि हम सामरी की इस बात को उस वक़्त तक नहीं झुठला सकते जब तक मूसा अलैहिस्सलाम असल हकीकत बतलायें, अगर वास्तव में यही हमारा खुदा है तो हम इसकी मुख़ालफ़त करके गुनाहगार नहीं होंगे, और यह खुदा नहीं तो हम मूसा अलैहिस्सलाम के कौल की पैरवी करेंगे।

एक और फ़िर्क ने कहा कि यह सब शैतानी धोखा है, यह हमारा रब नहीं हो सकता, न हम इस पर ईमान ला सकते हैं न इसकी तस्दीक़ कर सकते हैं। एक और फ़िर्क के दिल में सामरी की बात उतर गयी और उसने सामरी की तस्दीक़ करके उसको अपना खुदा मान लिया।

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने यह ज़बरदस्त बिगाड़ व ख़राबी देखी तो फ़रमाया:

يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

यानी ऐ मेरी कौम तुम फ़ितने में पड़ गये हो, बिला शुब्हा तुम्हारा रब और खुदा तो रहमान है, तुम मेरा इत्तिबा करो और मेरा हुक्म मानो। उन्होंने कहा कि यह बतलाईये कि मूसा (अलैहिस्सलाम) को क्या हुआ कि हमसे तीस दिन का वायदा करके गये थे और वायदा खिलाफ़ी की, यहाँ तक कि अब चालीस दिन पूरे हो रहे हैं। उनमें के कुछ बेवकूफ़ों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब को भूल गये उसकी तलाश में फिरते होंगे।

उस तरफ़ जब चालीस रोज़े पूरे करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हमकलामी का सम्मान नसीब हुआ तो अल्लाह तआला ने उनको उस फ़ितने की ख़बर दी जिसमें उनकी कौम मुब्तला हो गयी थी:

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से बड़े गुस्से और अफ़सोस की हालत में वापस आये और आकर वह बातें फ़रमायीं जो कुरआन में तुमने पढ़ी हैं:

وَأَلْقَى الْأَوْرَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने इस गुस्से में अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ और 'तौरात की तख्तियाँ' जो कि तूर पहाड़ से साथ लाये थे हाथ में से रख दीं, फिर गुस्सा के बाद भाई का उज़्र सही मालूम करके उसको कुबूल किया और उनके लिये अल्लाह से इस्तिफ़ार किया, फिर सामरी के पास गये और उससे कहा कि तूने यह हरकत क्यों की? उसने जवाब दिया:

قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ.

यानी मैंने रसूल (जिब्रील) के क़दम के निशान की मिट्टी उठा ली थी और मैंने समझ लिया था (कि यह जिस चीज़ पर डाली जायेगी उसमें ज़िन्दगी के आसार पैदा हो जायेंगे) मगर मैंने तुम लोगों से इस बात को छुपाये रखा:

فَبَدَّتُهَا وَكَذَلِكَ سَأَلْتُ لِي نَفْسِي.

यानी मैंने उस मिट्टी को (जेवरात वगैरह के ढेर पर डाल दिया) मेरे नफ़्स ने मेरे लिये यह काम पसन्दीदा शक़्त में दिखलाया:

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को फ़रमाया कि जा, अब तेरी सज़ा यह है कि तू ज़िन्दगी भर यह कहता फिरे कि मुझे कोई न छुए (वरना वह भी अज़ाब में गिरफ़्तार हो जायेगा)। और तेरे लिये एक निर्धारित मियाद है जिसके खिलाफ़ नहीं होगा, कि ज़िन्दगी में तू यह अज़ाब चखता रहे। और देख अपने उस माबूद को जिसकी तूने पूजा की है हम उसको आग में जलायेंगे फिर उसकी राख को दरिया में बहा देंगे, अगर यह खुदा होता तो हमको इस अमल पर कुदरत न होती।

उस वक़्त बनी इस्राईल को यक़ीन आ गया कि हम फ़ितने में मुब्तला हो गये थे और सब को उस जमाअत पर रशक होने लगा (यानी उनको अच्छा समझने लगे) जिसकी राय हज़रत हारून के मुताबिक़ थी (यानी यह हमारा खुदा नहीं हो सकता)। बनी इस्राईल को अपने इस ज़बरदस्त गुनाह पर आगाही हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिये तौबा का दरवाज़ा खोल दे, जिससे हमारे गुनाह का कफ़ारा हो जाये।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस काम के लिये बनी इस्राईल में से सत्तर ऐसे नेक लोगों का चयन किया जो पूरी क़ौम में नेकी और अच्छाई में नुमायों थे और जो उनके इल्म में गौसाला परस्ती से भी दूर रहे थे। इस चयन में बड़ी छानबीन से काम लिया। बनी इस्राईल के उन सत्तर चुनिन्दा नेक लोगों को साथ लेकर तूर पहाड़ की तरफ़ चले ताकि अल्लाह तआला से उनकी तौबा कुबूल करने के बारे में अर्ज़ करें। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर पहुँचे तो ज़मीन में जलजला आया जिससे मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शर्मिन्दगी इस वपद के सामने हुई और क़ौम के सामने भी। इसलिये अर्ज़ किया:

رَبِّ لَوْ شِئْتَ اٰمَلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَاٰيٰتِي اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! अगर आप इनको हलाक ही करना चाहते थे तो इस वफ़द (जमाअत व मण्डल) में आने से पहले हलाक कर देते और मुझे भी इनके साथ हलाक कर देते, क्या आप हम सबको इसलिये हलाक करते हैं कि हम में कुछ बेवकूफ़ों ने गुनाह किया है। और दर असल वजह इस ज़लज़ले की यह थी कि उस वफ़द में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तहकीक़ व तफ़तीश के बावजूद कुछ लोग उनमें से शामिल हो गये थे जो पहले गौसाला परस्ती कर चुके थे और उनके दिलों में गौसाला की बड़ाई व इज़्ज़त बैठी हुई थी।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ व फ़रियाद के जवाब में इरशाद हुआ:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ.

यानी अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मेरी रहमत तो सब को शामिल है और मैं बहुत जल्दी लिखूँगा अपनी रहमत (का परवाना) उन लोगों के लिये जो तक्वा इख़्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और जो इत्तिबा करते हैं उस रसूले उम्मी का जिसका ज़िक्र लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात और इंजील में।

यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया— ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने आप से अपनी कौम की तौबा के बारे में अर्ज़ किया था, आपने जवाब में रहमत का अता फ़रमाना मेरी कौम के अलावा दूसरी कौम के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमाया, तो फिर आपने मेरी पैदाईश को लेट क्यों न कर दिया कि मुझे भी उसी नबी-ए-उम्मी की रहमत की हक़दार उम्मत के अन्दर पैदा फ़रमा देते। इस पर अल्लाह तआला की तरफ़ से बनी इस्राईल की तौबा कुबूल होने का एक तरीक़ा इरशाद हुआ कि उनकी तौबा कुबूल होने की सूरत यह है कि उनमें से हर शख्स अपने मुताल्लिक़ीन में से बाप या बेटे जिससे मिले उसको तलवार से क़त्ल कर दे, उसी जगह में जहाँ यह गौसाला परस्ती का गुनाह किया था।

उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम के वे साथी जिनका हाल मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम न था और उनको बेकसूर नेक समझकर साथ लिया था मगर दर हकीक़त उनके दिल में गौसाला परस्ती का ज़ब्बा अब तक था, वे भी अपने दिल में शर्मिन्दा होकर तायब हो गये और उन्होंने इस सख़्त हुक्म पर अमल किया जो उनकी तौबा कुबूल करने के लिये बतौर कफ़ारा नाफ़िज़ किया था (यानी अपने करीबी और रिश्तेदारों का क़त्ल), और जब उन्होंने यह अमल कर लिया तो अल्लाह तआला ने कातिल व मक्तूल दोनों की ख़ता माफ़ फ़रमा दी, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख़्तियाँ जिनको मुस्से में हाथ से रख दिया था उठाकर अपनी कौम को लेकर पवित्र सरज़मीन (मुत्क शाम) की तरफ़ चल दिये, वहाँ एक ऐसे शहर पर पहुँचे जिस पर जब्बारीन का क़ब्ज़ा था, जिनकी शक़्त व सूरत और क़द व कामत भी हैबतनाक थी, उनके जुल्म व ज़्यादती और कुव्वत व बहादुरी के अजीब व ग़रीब किस्से उनसे कहे गये (मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर में दाख़िल होना चाहते थे मगर बनी इस्राईल पर उन जब्बारीन के हज़ात सुनकर रौब छा गया और) कहने लगे ऐ मूसा इस शहर में तो बड़े जब्बार ज़ालिम लोग हैं जिनके मुक़ाबले की हम में ताक़त नहीं, और हम तो इस शहर में उम

तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ये जब्बारीन वहाँ मौजूद हैं, हाँ वे वहाँ से निकल जायें तो फिर उस शहर में दाखिल हो सकते हैं।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ.

इस रिवायत के रावियों में जो यज़ीद बिन हारून है उससे पूछा गया कि क्या इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की किराअत इसी तरह की है? यज़ीद बिन हारून ने कहा कि हाँ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की किराअत यँ ही है। 'रजुलानि मिनल्लज़ी-न यखाफू-न' से मुराद कौमे जब्बारीन के दो आदमी हैं जो उस शहर में आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आये थे, उन्होंने बनी इस्राईल पर अपनी कौम का रौब तारी देखकर कहा कि हम अपनी कौम के हालात से ख़ुब वाकिफ़ हैं तुम उनके डीलडोल, उनकी जसामत और उनकी भारी संख्या से डर रहे हो, हकीकत यह है कि उनमें दिल (की कुव्वत) बिल्कुल नहीं और न मुकाबला करने की हिम्मत है, तुम ज़रा शहर के दरवाजे तक चले चलो तो देख लेना कि (वे हथियार डाल देंगे) और तुम ही उन पर ग़ालिब आओगे।

और बाज़ लोगों ने 'रजुलानि मिनल्लज़ी-न यखाफू-न' की तफ़सीर यह की है कि ये दो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही की कौम बनी इस्राईल के थे।

قَالُوا يَمْوَسَىٰ اِنَّآ لَن نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ۝

यानी बनी इस्राईल ने उन दोनों आदमियों की नसीहत सुनने के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम को कोरा जवाब इस बेहूदगी के साथ दिया कि ऐ भूसा! हम तो उस शहर में उस वक़्त तक हरगिज़ न जायेंगे जब तक जब्बारीन वहाँ मौजूद हैं, अगर आप उनका मुकाबला ही करना चाहते हैं तो आप और आपका रब जाकर उनसे लड़भिड़ लीजिए हम तो यहीं बैठे हैं।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इस्राईल पर हक़ तआला के बेशुमार इनामात के साथ हर क़दम पर उनकी सरकशी और बेहूदगी का तजुर्बा करते आ रहे थे मगर इस वक़्त तक सब व संयम से काम लेते रहे, कभी उनके लिये बददुआ नहीं की, इस वक़्त उनके इस बेहूदा जवाब से वह बहुत दिल-शिकस्ता और ग़मगीन हो गये और उनके लिये बददुआ की। उनके हक़ में फ़ासिकीन के अलफ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये। हक़ तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल फ़रमा ली और उनको अल्लाह तआला ने भी फ़ासिकीन का नाम दे दिया और इस पवित्र सरज़मीन से इन लोगों को चालीस साल के लिये मेहरूम कर दिया और उस खुले मैदान में उनको ऐसा कैद कर दिया कि सुबह से शाम तक चलते रहते थे कहीं क़रार न था। मगर चूँकि अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे उनकी बरकत और तुफ़ैल से इस फ़ासिक कौम पर इस सज़ा के दौरान भी अल्लाह तआला की बहुत सी नेमतें बरसती रहीं कि उस मैदाने तीह में ये जिस तरफ़ चलते थे बादल इनके सरो पर साया कर देता था, इनके खाने के लिये मन्न व सलवा नाज़िल होते थे, इनके कपड़े चमत्कारी अन्दाज़ से न मैले होते थे न फटते थे। और इनको एक चौकोर पत्थर अता फ़रमा दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया था कि जब इनको पानी की ज़रूरत हो तो उस पत्थर पर अपनी

लाठी मारो तो उसमें से बारह चश्मे जारी हो जाते थे, पत्थर की हर जानिब से तीन चश्मे बहने लगते थे और बनी इस्राईल के बारह कबीलों में ये चश्मे मुतैयन करके तकसीम कर दिये गये थे ताकि आपस में झगड़ा न पैदा हो, और जब भी ये लोग किसी मकाम से सफ़र करते और फिर कहीं जाकर मन्ज़िल करते तो उस पत्थर को वहीं मौजूद पाते थे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हदीस को मरफ़ूअ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद करार दिया है और मेरे नज़दीक यह दुरुस्त है क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को यह हदीस रिवायत करते हुए सुना तो इस बात को मुन्कर और ग़लत करार दिया जो इस हदीस में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस क़िबती को क़त्ल किया था और उसका सुराग़ क़ौमे फिरऔन को नहीं मिल रहा था तो उसकी मुखबिरी उस दूसरे फिरऔनी शख्स ने की जिससे दूसरे दिन यह इस्राईली लड़ रहा था। वजह यह थी कि उस फिरऔनी को तो कल के क़त्ल के वाकिए का इल्म नहीं था, वह उसकी मुखबिरी कैसे कर सकता था, इसकी ख़बर तो सिर्फ़ उसी लड़ने वाले इस्राईली को मालूम थी।

जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी हदीस के इस वाकिए का इनकार किया तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर सअद बिन मालिक जोहरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गये और उनसे कहा कि ऐ अबू इस्हाक़! क्या तुम्हें याद है जब हम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से क़त्ल होने वाले के बारे में हदीस बयान फ़रमाई। उस राज़ को ज़ाहिर करने वाला और फिरऔन के पास मुखबिरी करने वाला इस्राईली था या फिरऔनी? सअद बिन मालिक ने फ़रमाया कि फिरऔनी था, क्योंकि उसने इस्राईली से यह सुन लिया था कि कल का क़त्ल का वाकिए मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से हुआ था, उसने इसकी गवाही फिरऔन के पास दे दी। इमाम नसाई ने यह पूरी लम्बी हदीस अपनी किताब 'सुनने कुबरा' की किताबुल्लफ़सीर में नक़ल फ़रमाई है।

और इस पूरी हदीस को इब्ने जरीर तबरी ने अपनी तफ़सीर में इब्ने अबी हातिम ने अपनी तफ़सीर में इसी यज़ीद बिन हारून की सनद से नक़ल करके कहा है कि यह हदीस मरफ़ूअ नहीं बल्कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना कलाम है जिसको उन्होंने कअब बिन अहबार की उन इस्राईली रिवायतों से लिया है जिनके नक़ल करने और बयान करने को जायज़ रखा गया है। हाँ कहीं कहीं इस कलाम में मरफ़ूअ हदीस के जुमले भी शामिल हैं। इमाम इब्ने कसीर अपनी तफ़सीर में इस पूरी हदीस और इस पर उपरोक्त तहकीक़ व तस्दीक़ लिखने के बाद लिखते हैं कि हमारे शैख़ अबुल हज्जाज मिज़्ज़ी भी इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम की तरह इस रिवायत को मौक़ूफ़ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कलाम करार देते थे। (तफ़सीर इब्ने कसीर पेज 148 से 153 जिल्द 3)

मूसा अलैहिस्सलाम के उपर्युक्त किस्से से हासिल होने

वाले परिणाम, नसीहतें, और अहम फ़ायदे

कुरआने करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से का इस क़द एहतियाम फ़रमाया है कि

सूरतों में इसका कुछ न कुछ जिक्र आ ही जाता है। वजह यह है कि यह किस्सा हजारों इबतों (और नसीहतों), हिक्मतों और खुदा तआला की कामिल कुदरत के अजीब निशानात पर लिखा है, जिससे इनसान का ईमान पुख्ता होता है और इसमें अमली और अख्लाकी हिदायतें भी मिलती हैं। चूँकि इस जगह यह किस्सा पूरी तफ़्सील के साथ आ गया है तो मुनासिब मालूम हुआ कि इसके अंतर्गत आई हुई इबतों, नसीहतों और हिदायतों का कुछ हिस्सा भी लिख दिया जाये।

फिरऔन की अहमकाना तदबीर और उस पर अल्लाह की कुदरत का हैरत-अंगेज़ मामला

फिरऔन को जब यह मालूम हुआ कि बनी इस्राईल में कोई लड़का पैदा होगा जो फिरऔन की सल्तनत के जवाल (पतन और ख़ात्मे) का सबब बनेगा तो इस्राईली लड़कों की पैदाईश बन्द करने के लिये कल्ले आम का हुक्म दे दिया। फिर अपनी मुल्की और ज़ाती मस्लेहत से एक साल के लड़कों को बाकी रखने और दूसरे साल के लड़कों के कल्ल करने का फैसला नाफ़िज़ कर दिया, अल्लाह तआला को कुदरत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस साल में पैदा कर देते जो साल बच्चों को बाकी छोड़ने का था मगर कुदरत को मन्ज़ूर यह हुआ कि उस अहमक की इस ज़ालिमाना तदबीर को पूरी तरह उस पर उल्ट दिया जाये और उसको ख़ूब बेवकूफ़ बनाया जाये। इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम को उस साल में पैदा फ़रमाया जो लड़कों के कल्ल का साल था और अपनी कामिल हिक्मत से सूरत ऐसी पैदा कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद उस ज़ालिम के घर में परवरिश पायें। फिरऔन और उसकी बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शौक व दिलचस्पी से अपने घर में पाला, सारे शहर के इस्राईली लड़के मूसा के शुब्हे में कल्ल हो रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम खुद फिरऔन के घर में आराम व सुकून और इज़्ज़त व सम्मान के साथ उनके खर्च पर परवरिश पा रहे थे।

मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर मोजिज़ाना इनाम और फिरऔनी तदबीर का एक और इन्तिक़ाम

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर आम बच्चों की तरह किसी अन्ना का दूध कुबूल कर लेते तो उनकी परवरिश अपने दुश्मन फिरऔन के घर फिर भी आराम के साथ होती, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उनकी जुदाई से परेशान रहतीं और मूसा अलैहिस्सलाम को भी किसी काफ़िर औरत का दूध मिलता। अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर को काफ़िर औरत के दूध से भी बचा लिया और उनकी वालिदा को भी जुदाई की परेशानी से निजात दी, और निजात भी इस तरह कि फिरऔन के घर वाले उनका एहसान उठाने वाले हुए, उन पर हदियों और तोहफ़ों की बारिश हुई और अपने ही महबूब बच्चे को दूध पिलाने पर फिरऔनी दरबार से मुआवज़ा भी मिला और आम मुलाज़िमों की तरह फिरऔन के घर में भी रहना न पड़ा। सो कैसी है अज़ीम व बरकत वाली शान अल्लाह पाक की

जो सब बनाने वालों और पैदा करने वालों से बेहतर है।

उद्योग पतियों और कारोबारियों वगैरह के लिये एक खुशख़बरी

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जो उद्योग पति अपने उद्योग व हुनर में नीयत नेक सवाब की रखे उसकी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जैसी हो जाती है कि अपने ही बच्चे को दूध पिला जायें और उसका दूसरों से मुआवज़ा लें। (इब्ने कसीर) मतलब यह है कि कोई राज मिस्त्री मस्जिद, खानकाह, मदरसा या कोई उमूमी फ़ायदे (जनकल्याण) का इदारा तामीर करता है अगर उसकी नीयत सिर्फ़ अपनी मज़दूरी करने और पैसे कमाने की है तो उसको सिर्फ़ वही मिलेगा, और अगर उसने नीयत यह भी कर ली कि यह तामीरात नेक कामों में आयेंगी, इनसे दीनदारों को नफ़ा पहुँचेगा इसलिये दूसरी किस्म की तामीरात पर उनको तरजीह दी तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह मज़दूरी भी मिलेगी और अपना दीनी फ़ायदा भी।

अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों को एक महबूबियत की शान अता होती है कि हर देखने वाला उनसे मुहब्बत करता है

وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي

इस आयत में इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है कि हक़ तआला अपने मख़सूस बन्दों को एक ख़ास शान महबूबियत की अता फ़रमा देते हैं, जिनको देखकर अपना पराया, दोस्त दुश्मन सब मुहब्बत करने लगते हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तो बड़ा मक़ाम है बहुत से औलिया-अल्लाह में भी इस महबूबियत को देखा जाता रहा है।

फ़िरऔनी काफ़िर शख़्स का क़त्ल जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से हो गया उसको ख़ता किस बिना पर क़रार दिया गया

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इस्राईली मुसलमान से एक फ़िरऔनी काफ़िर को लड़ता हुआ देखकर फ़िरऔनी को मुक्का मारा जिससे वह मर गया, इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी शैतानी अमल फ़रमाया और अल्लाह तआला से इस ख़ता की माफ़ी तलब की, वह माफ़ भी कर दी गयी। मगर यहाँ एक फ़िक्ही सवाल यह पैदा होता है कि यह फ़िरऔनी शख़्स एक काफ़िर हरबी था जिससे मूसा अलैहिस्सलाम का सुलह का कोई समझौता भी न था, न उसको जिम्मी काफ़िरों की फ़ेहरिस्त में दाख़िल किया जा सकता है जिनकी जान व माल और आबरू की हिफ़ाज़त मुसलमानों पर वाजिब होती है, यह तो हरबी (ईमान वाले से लड़ने वाला) काफ़िर था जिसका हुक्म इस्लामी शरीअत में यह है कि उसका ख़ून बहाना जायज़ है, उसका क़त्ल कोई गुनाह नहीं, फिर यहाँ इसको शैतानी अमल और ख़ता किस बिना पर क़रार दिया गया।

तफ़सीर की आम किताबों में किसी ने इस सवाल को नहीं छेड़ा, अहक़र जब सय्यिदी हकीमुल-

हज़रत मौलाना थानवी रह. के हुक्म से अहकामुल-कुरआन के लिखने में मशगूल था और उसमें फ़िक्र लिखने का मौका आया तो हज़रत ने इस सवाल का जवाब यह दिया था कि अगरचे उस ज़ैनी शख्स से डायरेक्ट सुलह का या ज़िम्मा का कोई स्पष्ट समझौता नहीं था मगर चूँकि उस न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्मत थी न उस फ़िरऔनी की, बल्कि दोनों फ़िरऔन की हुक्मत के नागरिक थे और एक दूसरे की तरफ़ से मुत्मईन थे, यह एक किस्म का अमली मुआहदा था, फ़िरऔनी के क़त्ल में इस अमली मुआहदे (समझौते) की ख़िलाफ़वर्ज़ी हुई इसलिये इसको ख़ता करार दिया गया और यह ख़ता चूँकि जान-बूझकर नहीं बल्कि इत्तिफ़ाक़न हो गयी इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम की नुबुव्वती हिफ़ाज़त के विरुद्ध नहीं।

सथिदी हज़रत 'हकीमुल-उम्मत' रह. इसी बिना पर संयुक्त हिन्दुस्तान में जबकि मुसलमान और हिन्दू दोनों अंग्रेज़ की हुक्मत में रहते थे किसी मुसलमान के लिये यह जायज़ न रखते थे कि वह किसी हिन्दू की जान व माल पर जुल्म करे।

ज़ईफ़ों की इमदाद और मख़्लूक़ की ख़िदमत दीन व दुनिया के लिये नाफ़े और मुफ़ीद है

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर मद्यन से बाहर कुएँ पर दो औरतों को देखा जो अपनी कमज़ोरी की बिना पर अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती थीं। ये औरतें बिल्कुल अजनबी और मूसा अलैहिस्सलाम एक मुसाफ़िर थे मगर ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की इमदाद व ख़िदमत शराफ़त का तकाज़ा और अल्लाह के नज़दीक़ महबूब अमल था इसलिये उनके वास्ते मेहनत उठाई और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया, इसका अज़्र व सवाब तो अल्लाह के पास बड़ा है दुनिया में भी अल्लाह तआला ने उनके इसी अमल को मुसाफ़िराना बेकसी और बेसरो-सामानी का ऐसा इलाज बना दिया जो उनकी अगली ज़िन्दगी उनकी शान के मुताबिक़ संवारने का ज़रिया बन गया कि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की ख़िदमत और उनकी दामादी का सम्मान हासिल हुआ, जवान होने के बाद जो काम उनकी वालिदा को करना था अल्लाह तआला ने गुर्बत (परदेस में होने) के आलम में अपने एक नबी के हाथ से अन्जाम दिलवाया।

दो पैग़म्बरों में अजीर और आजिर का मामला, उसकी हिक्मतें और अजीब फ़ायदे

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के मकान पर मेहमान होकर फ़िरऔनी सिपाहियों के ख़ौफ़ से मुत्मईन हुए तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने बेटी के मशिवरे पर उनको अपने यहाँ 'अजीर' (उजरत पर काम करने वाला) रखने का ख़्याल ज़ाहिर फ़रमाया, इसमें अल्लाह तआला की बड़ी हिक्मतें और अल्लाह की मख़्लूक़ के लिये अहम हिदायतें हैं।

अब्वल यह कि शुऐब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के नबी व रसूल थे, एक परदेसी मुसाफिर की इतनी इमदाद उनसे कुछ बड़ी बात न थी कि कुछ समय के लिये अपने यहाँ बिना किसी खिदमत को मुआवजे के तौर पर कराने के मेहमान रख लेते मगर गालिबन उन्होंने पैगम्बराना सूझ-बूझ से मूसा अलैहिस्सलाम का बुलन्द हौसले वाला होना मालूम करके यह समझ लिया था कि वह ज्यादा समय तक मेहमानी कुबूल न करेंगे और किसी दूसरी जगह चले गये तो उनको तकलीफ होगी, इसलिये बेतकल्लुफ़ मामले की सूरत इख्तियार कर ली जिसमें दूसरों के लिये भी यह हिदायत है कि किसी के घर जाकर अपना बोझ उस पर डालना शराफ़त के खिलाफ़ है।

दूसरे इसमें यह हिक्मत भी थी कि अल्लाह तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत व रिसालत से सम्मानित करना चाहते थे जिसके लिये अगरचे कोई मुजाहदा व अमल न शर्त है और न वह किसी अमल व कोशिश के ज़रिये हासिल की जा सकती है, वह तो ख़ालिस अल्लाह तआला की तरफ़ से अतीया और इनाम होता है, मगर अल्लाह का दस्तूर यह है कि वह अपने पैगम्बरों को भी मुजाहदों और मेहनत व मशक्कत के दौर से गुज़ारते हैं जो इनसानी अख़्लाक़ के पूरा करने का ज़रिया और दूसरों की इस्लाह (सुधार) का बड़ा सबब बनता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जिन्दगी उस वक़्त तक शाहाना सम्मान व इकराम में गुज़री थी, आगे उनको अल्लाह की मख़्लूक़ के लिये हादी व रहबर और उनका सुधारक बनना था, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के साथ इस मज़दूरी व मेहनत के मुआहदे में उनकी अख़्लाकी तरबियत का राज़ भी छुपा था। इसी हज़रत शुऐब के पास चन्द साल रहने के बाद वापसी में अल्लाह तआला ने वह रात इनायत फ़रमाई जो तूर पहाड़ के दामन में उनके लिये पैगम्बरी के लिये आँखें बिछाये बैठी थी।

तीसरे जो खिदमत उनसे ली गयी वह बकरियाँ चराने की थी, यह अजीब बात है कि यह काम अक्सर अम्बिया-ए-किराम से लिया गया है। शायद इसमें यह राज़ भी हो कि बकरी ऐसा जानवर है जो गल्ले से आगे पीछे भागने का आदी होता है, जिस पर चराने वाले को बार-बार गुस्सा आता है, उस गुस्से के नतीजे में अगर वह उस भागने वाली बकरी से नज़र फेर ले तो बकरी हाथ से गई, वह किसी भेड़िये का लुक्मा बनेगी और अपनी मर्जी के ताबे चलाने के लिये उसको मार-पीट करे तो वह कमज़ोर इतनी है कि ज़रा चोट मारो तो टाँग टूट जाये, इसलिये चरवाहे को बड़े सब्र व बरदाश्त से काम लेना पड़ता है। अल्लाह की आम मख़्लूक़ का भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ ऐसा ही हाल होता है जिसमें अम्बिया न उनसे नज़र हटा सकते हैं और न ज्यादा सख्ती करके उनको रास्ते पर ला सकते हैं, सब्र व बरदाश्त ही को अपनी आदत बनाना पड़ता है।

किसी को कोई ओहदा और नौकरी सुपुर्द करने के लिये बेहतरीन उसूल व कायदा

इस किस्से में शुऐब अलैहिस्सलाम की बेटी ने जो अपने वालिद को यह मशिवरा दिया कि इनको मुलाज़िम रख लिया जाये। इस मशिवरे की दलील यह बयान फ़रमाई कि बेहतरीन 'अजीर' (मुलाज़िम)

शुद्ध हो सकता है जो ताक़तवर भी हो, अमानतदार भी। ताक़तवर से मुराद उस काम की कुव्वत सलाहियत वाला होना है जो काम उसके सुपर्द करना है, और अमानतदार से मुराद यह है कि उसकी पीछे की जिन्दगी के हालात उसकी ईमानदारी व सच्चाई पर गवाह हों। आजकल विभिन्न मुलाजमतों और सरकारी व गैर-सरकारी ओहदों के लिये चयन का जो उसूल रखा जाता है और दरख्वास्त देने वाले में जिन गुणों और खूबियों को देखा जाता है अगर गौर करें तो सब के सब इन दो लफ्जों में जमा हैं बल्कि उनकी विस्तृत शर्तों में भी यह पूर्णता और जामे व मुकम्मल होना उमूमन नहीं होता, क्योंकि ईमानदारी व सच्चाई की तो कहीं तलाश व ध्यान ही नहीं आता, सिर्फ़ अमली क़ाबलियत (काम करने की योग्यता) की डिग्रियाँ मेयार होती हैं, और आजकल जहाँ कहीं सरकारी व गैर-सरकारी इदारों (संस्थाओं और कम्पनियों वगैरह) के निज़ाम में ख़राबी और कमजोरी पाई जाती है वह ज्यादातर इसी ईमानदारी के उसूल को नज़र-अन्दाज़ करने का नतीजा होता है। क़ाबिल और अक्लमन्द आदमी जब अमानत व दियानत से कोरा होता है तो फिर वह कामचोरी और रिश्वत खोरी के भी ऐसे-ऐसे रास्ते निकाल लेता है कि किसी क़ानून की पकड़ में न आ सके। इसी ने आज दुनिया के ज्यादातर सरकारी व गैर-सरकारी इदारों (विभागों) को बेकार बल्कि नुक़सानदेह बना रखा है। इस्लामी निज़ाम में इसी लिये इसको बड़ी अहमियत दी गयी है जिसकी बरकतें दुनिया ने सदियों तक देखी हैं।

जादूगरों और पैग़म्बरों के मामलात में खुला हुआ फ़र्क

फ़िरऔन ने जिन जादूगरों को जमा किया था और पूरे मुल्क व क़ौम का ख़तरा उनके सामने रख कर काम करने को कहा था, उसका तकाज़ा यह था कि वे खुद अपना काम समझकर इस ख़िदमत को दिल व जान से अन्जाम देते, मगर वहाँ हुआ यह कि ख़िदमत शुरू करने से पहले सौदेबाज़ी शुरू कर दी कि हमें क्या मिलेगा।

इसके मुकाबले में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का आम ऐलान यह होता है:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .

यानी मैं तुमसे अपनी ख़िदमत का कोई मुआवज़ा नहीं माँगता। और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तब्लीग़ व दावत के प्रभावी और असरदार होने में उनके इस बेग़र्ज होने का बड़ा दख़ल है। जब से दीन के उलेमा, फ़तवा देने वाले हज़रात और दीनी बयान व वज़ह करने वाले हज़रात की ख़िदमत का इन्तिज़ाम इस्लामी बैतुल-माल में नहीं रहा, उनको अपनी तालीम और वज़ह व इमामत पर तन्ख़्वाह लेने की मजबूरी पेश आई, वह अगरचे बाद के उलेमा व फ़ुक़हा के नज़दीक मजबूरी के दर्जे में जायज़ करार दी गयी, मगर इसमें शुक्ल नहीं कि इस मुआवज़ा लेने का असर तब्लीग़ व दावत और मख़्लूक की इस्लाह पर बहुत ही बुरा हुआ, जिसने उनकी कोशिशों का फ़ायदा बहुत ही कम कर दिया।

फ़िरऔनी जादूगरों के जादू की हकीकत

उन लोगों ने अपनी लाठियों और रस्सियों को बज़ाहिर साँप बनाकर दिखलाया था। क्या वो वाकई साँप बन गयी थीं? इसके बारे में कुरआन के अलफ़ाज़ 'युख़य्यलु इलैहि मिन् सिहरिहिम् अन्नहा

तस्मा' से यह मालूम होता है कि वो हकीकत में साँप नहीं बनी थीं बल्कि यह एक किस्म का ख्या असर था जिसने वहाँ मौजूद लोगों के ख्यालात पर असर डाल करके एक किस्म की नज़र-बन्दी दी कि हाज़िर लोगों को वो चलते फिरते साँप दिखाई देने लगे।

इससे यह लाज़िम नहीं आता कि किसी जादू से किसी चीज़ की हकीकत तब्दील ही नहीं सकती, इतना मालूम होता है कि उन जादूगरों का जादू हकीकत को बदल देने के दर्जे का नहीं था।

सामाजिक मामलात की हद तक क़बाईली तक़सीम कोई बुरा काम नहीं

इस्लाम ने वतनी, भाषायी, ख़ानदानी, क़बाईली तक़सीमों को क़ौमियत की बुनियाद बनाने सख़्त नकीर (रद्द) किया है और इन विभाजनों को मिटाने की हर क़दम हर काम में कोशिश की बल्कि इस्लामी सियासत की बुनियाद ही इस्लामी दीनी क़ौमियत है, जिसमें अरबी, ग़ैर-अरबी, हब्ब फ़ारसी, हिन्दी, सिन्धी सब एक क़ौम के अफ़राद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदी में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखने के लिये सबसे पहला काम मुहाजिरीन व अन्सार सहाबा एकता और भाईचारा कायम करने से शुरू फ़रमाया था, और हज्जतुल-विदा के खुतबे में क़ियामत के लिये यह क़ानून व दस्तूर दे दिया था कि इलाक़ाई (क्षेत्रीय) और नसबी (ख़ानदानी) और लिसा (भाषायी) पहचानें सब बुत हैं जिनको इस्लाम ने तोड़ डाला है, लेकिन सामाजिक मामलात में एक तक़सीम तक इन पहचानों, विशेषताओं और फ़र्क़ की रियायत को ग़वारा किया गया है, क्योंकि ख़ाने-पहचाने-सहने के तरीक़े विभिन्न क़बीलों और विभिन्न देशों व वतनों के अलग-अलग होते हैं, उस ख़िलाफ़ करना सख़्त तक़लीफ़ का सबब है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन बनी इस्राईलियों को मिस्र से साथ लेकर निकले थे उनके बाक़बीले थे, हक़ तअ़ाला ने उन क़बीलों की विशेषताओं को सामाजिक और रहन-सहन के मामले जायज़ रखा और दरिया में भी जो रास्ते बतौर मोज़िज़े के पैदा फ़रमाये तो बारह रास्ते अलग-अलग हर क़बीले के लिये पैदा फ़रमाये। इसी तरह तीह की वादी में जिस पत्थर से बतौर मोज़िज़े के पाके चश्मे जारी होते थे वो भी बारह होते थे, ताकि क़बीलों में टकराव न हो, हर एक क़बीला अपना मुक़ररा पानी हासिल करे। वल्लाहु आलम

जमाअती इन्तिज़ाम के लिये ख़लीफ़ा और नायब बनाना

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक महीने के लिये अपनी क़ौम से अलग होकर तूर पहाड़ इबादत में मशगूल होना चाहा तो हारून अलैहिस्सलाम को अपना ख़लीफ़ा और नायब बनाकर सब हिदायत की कि मेरे पीछे सब इनकी इताअत करना ताकि आपस में झगड़ा और मतभेद न फूट पाय। इससे मालूम हुआ कि किसी जमाअत या ख़ानदान का बड़ा अगर कहीं सफ़र पर जाये तो नबियों व सुन्नत यह है कि किसी को अपना कायम-मक़ाम ख़लीफ़ा बना जाये जो उनके निज़ाम व व्यवस्था

शायम रखे।

मुसलमानों की जमाअत में फूट पड़ने से बचने के लिये बड़ी से बड़ी बुराई को वक़्ती तौर पर बरदाश्त किया जा सकता है

बनी इस्राईल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर-हाज़िरी के वक़्त जो गौसाला परस्ती का फ़ितना फूटा और उनके तीन फ़िर्के हो गये, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने सब को हक़ की दावत तो दी मगर उनमें से किसी फ़िर्के से पूरी तरह परहेज़ और बेज़ारी व अलग होने का मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक ऐलान नहीं किया। इस पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए तो उन्होंने यही उज़्र पेश किया कि मैं सख़्ती करता तो बनी इस्राईल के टुकड़े हो जाते, उनमें फूट पड़ जाती:

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝

यानी मैंने इसलिये किसी भी फ़िर्के से अलग होने और बेज़ारी का सख़्ती से इज़हार नहीं किया कि कहीं आप वापस आकर मुझे यह इल्ज़ाम न दें कि तुमने बनी इस्राईल में फूट पैदा कर दी और मेरी हिदायत की पाबन्दी नहीं की।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनके उज़्र को ग़लत नहीं करार दिया बल्कि सही तस्लीम करके उनके लिये दुआ व इस्तिग़फ़ार किया। इससे यह हिदायत निकलती है कि मुसलमानों में फूट पड़ने से बचने के लिये वक़्ती तौर पर अगर किसी बुराई के मामले में नमी बरती जाये तो दुरुस्त है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

पैग़म्बराना दावत का एक अहम उसूल

मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की जो आयतें ऊपर लिखी गयी हैं उनके आख़िर में हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम को फ़िरऔन की हिदायत के लिये भेजने का हुक्म एक ख़ास हिदायत के साथ दिया गया है यानी:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝

इसमें पैग़म्बराना दावत का एक अहम उसूल यह बयान हुआ है कि मुख़ालिफ़ फ़रीक़ कितना ही सरकश और ग़लत से ग़लत अक़ीदों व ख़्यालात वाला हो, इस्लाह व हिदायत का फ़रीज़ा अन्जाम देने वालों पर लाज़िम है कि उसके साथ भी हमदर्दानी और ख़ैरख़्वाही वाले अन्दाज़ से बात नर्म करें। इसी का यह नतीज़ा हो सकता है कि मुख़ातब कुछ ग़ौर व फ़िक्र पर मजबूर हो जाये और उसके दिल में खुदा का ख़ौफ़ पैदा हो जाये।

फ़िरऔन जो खुदाई का दावेदार ज़ालिम और ज़्यादती करने वाला है, जो अपनी ज़ात की हिफ़ाज़त के लिये हज़ारों बनी इस्राईल के बच्चों के क़त्ल का मुजरिम है, उसकी तरफ़ भी अल्लाह तआला अपने ख़ास पैग़म्बरों को भेजते हैं तो यह हिदायत नामा देकर भेजते हैं कि उससे बात नर्म करें ताकि उसको ग़ौर व फ़िक्र का मौक़ा मिले। और यह इस पर है कि अल्लाह तआला के इल्म में

था कि फिरऔन अपनी सरकशी और गुमराही से बाज़ आने वाला नहीं है मगर अपने पैगम्बरों को उस उसूल का पाबन्द करना था जिसके जरिये अल्लाह की मख़्ज़ूक सोचने समझने पर मजबूर होकर खुदा तआला के ख़ौफ़ की तरफ़ आ जाये। फिरऔन को हिदायत हो या न हो मगर उसूल वह होना चाहिये जो हिदायत व इस्लाह का जरिया बन सके।

आजकल जो बहुत से उलेमा अपने झगड़ों और इख़िलाफ़ात में एक दूसरे के खिलाफ़ ज़बान दराज़ी और इल्ज़ाम तराशी को इस्लाम की ख़िदमत समझ बैठे हैं उन्हें इस पर बहुत गौर करना चाहिये।

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى ۖ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا
 أَسْمَعُ وَأَرَى ۖ فَأْتِيَهُ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ
 مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى ۖ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ قَالَ
 قَسَمَ رَبُّكُمْ يَبُوسُ ۖ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۖ

काला रब्बना इन्नना नखाफु
 अय्यफ़रु-त अलैना औ अय्यतगा
 (45) का-ल ला तखाफ़ा इन्नी
 म-अकुमा अस्मजु व अरा (46)
 फ़अतियाहु फ़कूला इन्ना रसूला
 रब्बि-क फ़-अर्सिल् म-अना बनी
 इस्राई-ल व ला तुअज़िज़ब्हुम्, क़द्
 जिअना-क बिआयतिम् मिररब्बि-क,
 वस्सलामु अला मनित्त-बअल्-हुदा
 (47) इन्ना क़द् ऊहि-य इलैना
 अन्नल्-अज़ा-ब अला मन् कज़ज़-ब
 व तवल्ला (48) का-ल फ़-मर्बबुकुमा
 या मूसा (49) का-ल रब्बुनल्लज़ी
 अअता कुल्-ल शैइन् ख़ल्फ़हू सुम्-म
 हदा (50)

बोले ऐ रब हमारे! हम डरते हैं कि भयक
 पड़े हम पर या जोश में आ जाये। (45)
 फरमाया न डरो मैं साथ हूँ तुम्हारे, सुनता
 हूँ और देखता हूँ। (46) सो जाओ उसके
 पास और कहो हम दोनों भेजे हुए हैं तेरे
 रब के, सो भेज दे हमारे साथ बनी
 इस्राईल को और मत सता उनको, हम
 आये हैं तेरे पास निशानी लेकर तेरे रब
 की, और सलामती हो उसकी जो मान ले
 राह की बात। (47) हमको हुक्म मिला है
 कि अज़ाब उस पर है जो झुठलाये और
 मुँह फेर ले। (48) बोला फिर कौन है रब
 तुम दोनों का ऐ मूसा? (49) कहा रब
 हमारा वह है जिसने दी हर चीज़ को
 उसकी सूरत फिर राह सुझाई। (50)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(जब यह हुक्म दोनों साहिबों को पहुँच चुका तो) दोनों ने अर्ज किया कि ऐ हमारे रब! (हम तब्लीग़ के लिये हाज़िर हैं लेकिन) हमको यह अन्देशा है कि (कहीं) वह हम पर (तब्लीग़ से पहले ही) ज्यादती (न) कर बैठे, (कि तब्लीग़ ही रह जाये) या यह कि (ऐन तब्लीग़ के वक़्त अपने कुफ़्र में) ज्यादा शरारत न करने लगे (कि अपनी बक-बक में तब्लीग़ न सुने न सुनने दे जिससे वह तब्लीग़ न करने के बराबर हो जाये)। इरशाद हुआ कि (इस मामले के मुताल्लिक) अन्देशा न करो (क्योंकि) मैं तुम दोनों के साथ हूँ सब सुनता और देखता हूँ (मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त करूँगा और उसको मरऊब करूँगा जिससे पूरी तब्लीग़ कर सकोगे, जैसा कि सूर: क़सस की आयत 35 में है कि हम तुम दोनों को एक खास रौब व शान अता कर देंगे) सो तुम (निडर होकर) उसके पास जाओ और (उससे) कहो कि हम दोनों तेरे परवर्दिगार के भेजे हुए हैं (कि हमको नबी बनाकर भेजा है) सो (तू हमारी इताअत कर, अपने अक्कीदे के सही करने में भी कि तौहीद की तस्दीक़ कर, और अख़्लाक के संवारने में भी कि जुल्म वग़ैरह से बाज़ आ, और) बनी इस्राईल को (जिन पर तू नाहक़ जुल्म करता है अपने जुल्म के पंजे से उनको रिहा करके) हमारे साथ जाने दे (कि जहाँ चाहें और जिस तरह चाहें रहें) और उनको तकलीफ़ मत पहुँचा (और) हम (जो नुबुव्वत का दावा करते हैं तो यह ख़ाली दावा नहीं बल्कि हम) तेरे पास तेरे रब की तरफ़ से (अपनी नुबुव्वत का) निशान (यानी मोजिज़ा भी) लाये हैं, और (तस्दीक़ और हक़ को कुबूल करने का फल इस कुल्ली कायदे से मालूम होगा कि) ऐसे शख्स के लिये (अल्लाह के अज़ाब से) सलामती है जो (सीधी) राह पर चले। (और झुठलाने और हक़ को रद्द करने के बारे में) हमारे पास यह हुक्म पहुँचा है कि (अल्लाह तआला का क़हर का) अज़ाब उस शख्स पर होगा जो (हक़ को) झुठलाये और (उससे) मुँह मोड़े (गर्ज कि यह सारा मज़मून जाकर उससे कहो। चुनाँचे दोनों हज़रत तशरीफ़ ले गये और जाकर उससे सब कह दिया) वह कहने लगा कि फिर (यह बतलाओ कि) तुम दोनों का रब कौन है? (जिसके तुम अपने को भेजे हुए बतलाते हो) ऐ मूसा! (जवाब में) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि हमारा (दोनों का बल्कि सब का) रब वह है जिसने हर चीज़ को उसके मुनासिब बनावट अता फ़रमाई, फिर (उनमें जो जानदार चीज़ें थीं उनको उनके फ़ायदों व मस्लेहतों की तरफ़) रहनुमाई फ़रमाई (चुनाँचे हर जानवर अपनी मुनासिब गिज़ा और जोड़ा और ठिकाना वग़ैरह ढूँढ लेता है, पस वही हमारा भी रब है)।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ौफ़ क्यों हुआ

'इन्ना नखाफु'। हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम ने इस जगह अल्लाह तआला के सामने इस तरह के ख़ौफ़ का इज़हार किया— एक 'अन्वयफ़रु-त' के लफ़्ज़ से जिसके अराली मायने हद से निकलने के हैं। तो मतलब यह हुआ कि शायद फिरऔन हमारी बात सुनने से पहले ही हम पर हमला

कर दे। दूसरा खौफ़ 'अय्यत्गा' के लफ़्ज़ से बयान फ़रमाया, जिसका मतलब यह है कि मुम्किन है वह इससे भी ज़्यादा सरकशी पर उतर आये कि आपकी शान में नामुनासिब कलिमात बकने लगे।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि कलाम के शुरू में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत व रिसालत का पद अता फ़रमाया गया और उन्होंने हज़रत हारून को अपने साथ शरीक करने की दरख़्वास्त की और यह दरख़्वास्त कुबूल हुई तो उसी वक़्त हक़ तआला ने उनको यह बतला दिया था कि:

سَسُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَّا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكَمَا

(कि हम तुम्हारे भाई के ज़रिये तुम्हारी कुव्वते बाजू को मज़बूत करेंगे, तुमको ग़ालिब करेंगे और तुम दोनों को एक खास रौब व दबदबा इनायत करेंगे जिससे बुरे इरादे से कोई तुम तक न पहुँच सकेगा। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

साथ ही यह भी इत्मीनान दिला दिया गया था कि आपकी दरख़्वास्त में जो-जो चीज़ें तलब की गयी हैं वो सब हमने आपको दे दीं 'क़द् ऊती-त सुअल-क या मूसा'।

उन मतलूब चीज़ों में दिल का इत्मीनान भी था जिसका हासिल यही था कि मुख़ालिफ़ से कोई दिली तंगी और ख़ौफ़ व घबराहट पैदा न हो।

अल्लाह तआला के इन वायदों के बाद फिर यह ख़ौफ़ और इसका इज़हार कैसा है? इसका एक जवाब तो यह है कि पहला वायदा कि हम आपको ग़लबा अता करेंगे और वे लोग आप तक नहीं पहुँच सकेंगे, यह एक अस्पष्ट वायदा है कि मुराद ग़लबे से हुज्जत व दलील का ग़लबा भी हो सकता है और माद्दी ग़लबा भी। और यह ख़्याल भी हो सकता है कि उन पर ग़लबा तो जब होगा कि वे इनके दलाईल सुनें, मोजिजे देखें, मगर ख़तरा यह है कि वे कलाम सुनने से पहले ही इन पर हमला कर बैठे, और दिल के इत्मीनान के लिये यह लाज़िम नहीं कि तबई ख़ौफ़ भी जाता रहे।

दूसरी बात यह है कि ख़ौफ़ की चीज़ों से तबई ख़ौफ़ तो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है जो वायदों पर पूरा ईमान व यकीन होने के बावजूद भी होता है, खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही लाठी के साँप बन जाने के बाद उसके पकड़ने से डरने लगे तो हक़ तआला ने फ़रमाया 'ला तख़फ़' डर नहीं, और दूसरे तमाम ख़ौफ़ के मौकों में ऐसा ही होता रहा कि तबई और बशरी ख़ौफ़ लाहिक़ हुआ, फिर अल्लाह तआला ने खुशख़बरी के ज़रिये उसको दूर फ़रमाया। इसी वाकिए की आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्ती के क़त्ल के बाद ख़ौफ़ खाना, ख़ौफ़ खाते हुए मद्यन के लिये निकलना और जादूगरों की करतब बाज़ी के बाद अपने दिल में ख़ौफ़ महसूस करना बयान हुआ है (जा एक तरह का तबई ख़ौफ़ है) जो इस मज़मून पर सुबूत है।

हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया और सय्यिदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी बशरी ख़ौफ़ की वजह से मदीना शरीफ़ की तरफ़ और कुछ सहाबा किराम ने पहले हब्शा की फिर मदीना की तरफ़ हिजरत फ़रमाई। ग़ज़वा-ए-अहज़ाब में इसी ख़ौफ़ से बचने के लिये ख़न्दक़ खोदी, हालाँकि अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद व ग़लबे का वायदा बार-बार आ चुका था मगर हकीक़त यह है कि अल्लाह के वायदों से यकीन तो उन सब को पूरा हासिल था मगर तबई ख़ौफ़ जो इन्सानी तकाज़े के सबब

बया में भी होता है वह इसके विरुद्ध नहीं।

أَنْتِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ सब कुछ सुनता और देखता रहूँगा। साथ होने से मुराद नुसरत व इमदाद है जिसकी पूरी हकीकत व कौफियत का जानना इनसान को नहीं हो सकता।

मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को दावते ईमान के साथ अपनी कौम को आर्थिक मुसीबत से भी छुड़ाने की दावत दी

इससे मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जैसे अल्लाह की मख्लूक को ईमान की हिदायत देने का पद रखते हैं इसी तरह अपनी उम्मत को दुनियावी और आर्थिक मुसीबतों से आजाद करना भी उनके मन्सब में शामिल होता है। इसलिये कुरआने करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावते फिरऔन में दोनों चीजें शामिल हैं पहले अल्लाह पर ईमान, दूसरे बनी इस्राईल की आजादी। खुसूसन इस ऊपर बयान हुई आयत में तो सिर्फ इसी दूसरे हिस्से के जिक्र पर इक्तिफा फरमाया है।

हर चीज़ को उसके वजूद के मुनासिब हिदायत का मतलब

अल्लाह तआला ने हर चीज़ को पैदा फरमाया और फिर हर एक के वजूद के मुनासिब उसको हिदायत फरमाई जिससे वह उस काम में लग गयी। तफसील इसकी यह है कि एक हिदायत जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वजीफा और कर्तव्य है वह तो खास हिदायत है जिसके मुखातब अकल रखने वाले इनसान और जिन्नात ही होते हैं। एक दूसरी किस्म की कुदरती हिदायत भी है जो मख्लूक़ात में हर चीज़ के लिये आम और शामिल है। आग, पानी, मिट्टी और हवा और इनसे मिलकर बनने वाली हर चीज़ को हक़ तआला ने एक खास किस्म का इल्म व शऊर दिया है जो अगरचे इनसान व जिन्नात के बराबर नहीं, इसी लिये हलाल व हराम के अहकाम इन चीज़ों पर लागू नहीं होते मगर समझ व शऊर से खाली नहीं। उसी इल्म और समझ व शऊर के रास्ते हक़ तआला ने हर चीज़ को इसकी हिदायत कर दी कि तू किस काम के लिये पैदा की गयी है, तुझे क्या करना है। इसी तकदीरी और कायनाती हुक्म और हिदायत के ताबे ज़मीन व आसमान और उनकी तमाम मख्लूक़ात अपने-अपने काम और अपनी-अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। चाँद सूरज अपना काम कर रहे हैं और दूसरे चलते रहने और एक जगह ठहरने वाले सितारे (ग्रह) अपने-अपने काम में इस तरह लगे हुए हैं कि एक मिनट या सैकिंड का भी कभी फ़र्क नहीं होता। हवा, पानी, आग और मिट्टी अपनी अपनी पैदाईश के मक़सद में लगे हुए हैं अल्लाह के हुक्म के बग़ैर उससे बाल बराबर फ़र्क नहीं करते। हाँ जब उनको हुक्म होता है तो कभी आग गुलज़ार भी बन जाती है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये, और कभी पानी आग का भी काम करने लगता है जैसे कौमे नूह के लिये।

बच्चे को पैदाईश की शुरुआत के वक़्त जबकि उसको कोई बात सिखाना किसी के बस में नहीं यह किसने सिखाया कि माँ की छाती से अपनी गिज़ा हासिल करे, उसके लिये छाती को दबाकर चूसने का हुनर किसने बतलाया। भूख प्यास सर्दी गर्मी की तकलीफ़ हो तो रो पड़ना, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिये काफी हो जाता है, मगर यह रोना किसने सिखाया? यह वही अल्लाह की हिदायत है जो हर मख़्लूक को उसकी हैसियत और ज़रूरत के मुताबिक़ ग़ैब से बग़ैर किसी की तालीम के अता होती है।

खुलासा यह है कि हक़ तआला की तरफ़ से एक आम फ़ितरी और कुदरती हिदायत हर-हर मख़्लूक के लिये है जिसकी हर मख़्लूक अपने क़जूद के सबब पाबन्द है, और उसके ख़िलाफ़ करना उसकी कुदरत से ख़ारिज है। दूसरी ख़ास हिदायत अक़ल रखने वाले इनसानों व जिन्नात के लिये है, यह हिदायत तक्वीनी और ज़बरी नहीं बल्कि इख़्तियारी होती है, इसी इख़्तियार के नतीजे में उस पर सवाब या अज़ाब का हुक्म लागू होता है। 'अज़ता कुल-ल शैइन् ख़ल्कहू सुम्-म हदा' में पहली ही किस्म की हिदायत बयान हुई है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को सबसे पहले रब्बुल-आलामीन का वह काम बतलाया जो सारी मख़्लूक पर हावी है, और कोई नहीं कह सकता कि यह काम हमने या किसी दूसरे इनसान ने किया है। फ़िरऔन इसका तो कोई जवाब न दे सका अब इधर-उधर की बातों में टलाया और एक सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से किया कि जिसका असल जवाब अ़वाम सुनें तो मूसा अलैहिस्सलाम से बदगुमान हो जायें, वह यह कि पिछले दौर की तमाम उम्मतें और दुनिया की कौमें जो बुतों की पूजा करते रहे आपके नज़दीक उनका क्या हुक्म है? वे कैसे हैं? उनका अन्जाम क्या हुआ? मक़सद यह था कि इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम फ़रमायेंगे कि ये सब गुमराह और जहन्नमी हैं तो मुझे यह कहने का मौक़ा मिलेगा कि तो यह सारी दुनिया ही को बेवक़ूफ़, गुमराह और जहन्नमी समझते हैं, और लोग यह सुनकर उनसे बदगुमान होंगे तो हमारा मक़सद पूरा हो जायेगा। मगर पैग़म्बरे खुदा मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका ऐसा अक़लमन्दी भरा जवाब दिया जिससे उसका यह मन्सूबा ग़लत हो गया।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۗ قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۗ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۗ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۗ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ
فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۗ قَالَ
أَجِئْتَنَا بِتُخْرِبَاتٍ مِّنْ أَرْضِنَا لِيسْحِرَكَ يَوْمَئِذٍ ۗ فَلَمَّا آتَيْنَاكَ بِسَحِيرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا إِلَّا تَخْلِفُهُ حُنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۗ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ

شَجَىٰ

1-ल फमा बालुल्-कुरुनिल्-ऊला
 1) का-ल अिल्मुहा अिन्-द रब्बी
 । किताबिन् ला यज़िल्लु रब्बी व
 ला यन्सा (52) अल्लजी ज-अ-ल
 लकुमुल्-अर्-ज़ मद्दं-व स-ल-क
 लकुम् फीहा सुबुलं-व अन्ज़-ल
 मिनस्समा-इ मा-अन्, फ-अख्रज्जा
 बिही अज़्वाजम् मिन् नबातिन् शत्ता
 (53) कुलू वरअौ अन्आ-मकुम्,
 इन्-न फी जालि-क लआयातिल्
 लि-उलिन्नुहा (54) ❀

मिन्हा खालकनाकुम् व फीहा
 नुअीडुकुम् व मिन्हा नुख्रिजुकुम्
 ता-रतन् उख़रा (55) व ल-कद्
 अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज-ब
 व अबा (56) का-ल अजिअ्तना
 लितुख़िर-जना मिन् अर्जिना
 बिसिहिर-क या मूसा (57)
 फ-लनअ्तियन्न-क बिसिहिरम्-
 मिस्लिही फज़्जल् बैनना व बैन-क
 मौअिदल् ला नुख़लिफुहू नह्नु व ला
 अन्-त मकानन् सुवा (58) का-ल
 मौअिदुकुम् यौमुज़्जीनति व
 अय्युहश-रन्नासु जुहा (59)

बोला फिर क्या हकीकत है उन पहली
 जमाअतों की? (51) कहा उनकी ख़बर
 मेरे रब के पास लिखी हुई है, न बहकता
 है मेरा रब और न भूलता है। (52) वह
 है जिसने बना दिया तुम्हारे वास्ते ज़मीन
 को बिछौना और चलाई तुम्हारे लिये उस
 में राहें और उतारा आसमान से पानी,
 फिर निकाली हमने उससे तरह-तरह की
 सब्ज़ी। (53) खाओ और चराओ अपने
 चौपायों को, अलबत्ता इसमें निशानियाँ हैं
 अक़ल रखने वालों को। (54) ❀

इसी ज़मीन से हमने तुमको बनाया और
 इसी में फिर पहुँचा देते हैं और इसी से
 निकालेंगे तुमको दूसरी बार। (55) और
 हमने फिरअौन को दिखला दीं अपनी सब
 निशानियाँ, फिर उसने झुठलाया और न
 माना। (56) बोला क्या तू आया है हम
 को निकालने हमारे मुल्क से अपने जादू
 के जोर से ऐ मूसा। (57) सो हम भी
 लायेंगे तेरे मुकाबले में एक ऐसा ही जादू,
 सो ठहरा ले हमारे और अपने बीच में
 एक वादा, न हम खिलाफ़ करें उसके और
 न तू एक साफ़ मैदान में। (58) कहा
 वादा तुम्हारा है जश्न का दिन और यह
 कि जमा हों लोग दिन चढ़े। (59)

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिरऔन ने (इस पर शुब्हा किया कि 'उस पर अज़ाब है जो झुठलाये और मुँह फेर ले' और) कहा अच्छा तो पहले लोगों का क्या हाल हुआ (जो नबियों को झुठलाते थे उन पर कौनसा अज़ाब नाज़िल हुआ)? मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया (कि मैंने यह दावा नहीं किया कि वह वायदा किया गया अज़ाब दुनिया ही में आना ज़रूरी है बल्कि कभी दुनिया में भी आ जाता है और आखिरत में ज़रूर होगा, चुनाँचे) उन लोगों (के बुरे आमाल) का इल्म मेरे रब के पास (आमाल के दफ़तर) में (महफ़ूज़) है (अगरचे उनको दफ़तर की हाज़त नहीं मगर बाज़ी हिक्मतों से ऐसा ही किया गया है। गर्ज़ कि यह कि अल्लाह तआला को उनके आमाल मालूम हैं और) मेरा रब (ऐसा जानने वाला है कि) न ग़लती करता है और न भूलता है। (पस उनके आमाल का सही-सही इल्म उसको हासिल है मगर अज़ाब के लिये वक़्त मुक़र्र कर रखा है, जब वह वक़्त आयेगा वह अज़ाब उन पर जारी कर दिया जायेगा। पस दुनिया में अज़ाब न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि कुफ़ व झुठलाना अज़ाब का सबब न हो। यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम की तक़रीर हो चुकी आगे अल्लाह तआला अपनी शाने रबूबियत की कुछ तफ़सील बयान फ़रमाते हैं जिसका ज़िक्र मुख़्तसर तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के इस कलाम में था 'जैसा कि आयत नम्बर 50 और 52 में'। चुनाँचे इरशाद है कि) वह (रब) ऐसा है जिसने तुम लोगों के लिये ज़मीन को फ़र्श (की तरह) बनाया (कि उस पर आराम करते हो) और इस (ज़मीन) में तुम्हारे (चलने के) वास्ते रास्ते बनाये और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उस (पानी) के ज़रिये से (विभिन्न) किस्मों के नबातात "धानी पेड़-पौधे, हरियाली और सब्जियाँ" पैदा किये (और तुमको इजाज़त दी कि) खुद (भी) खाओ और अपने मवेशियों को (भी) चराओ। इन सब (ज़िक्र हुई) चीज़ों में अक्ल के (दलील हासिल करने के) वास्ते (अल्लाह की क़ुदरत की) निशानियाँ हैं। (और जिस तरह नबातात को ज़मीन से निकालते हैं इसी तरह) हमने तुमको इसी ज़मीन से (शुरू में) पैदा किया, (चुनाँचे आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाये गये, सो उनके वास्ते से सब का दूर का मादा मिट्टी हुई) और इसी में हम तुमको (मौत के बाद) ले जाएँगे, (चुनाँचे कोई मुर्दा किसी हालत में हो लेकिन आखिरकार चाहे मुद्दतों के बाद सही मगर मिट्टी में ज़रूर मिलेगा) और (क़ियामत के दिन) फिर दोबारा इसी से हम तुमको निकालेंगे (जैसा कि पहली बार इससे पैदा कर चुके हैं)।

और हमने उस (फिरऔन) को अपनी (वो) सब ही निशानियाँ दिखलाई (जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुई थीं) सो वह (जब भी) झुठलाता ही रहा और इनकार ही करता रहा। (और) कहने लगा (ऐ मूसा!) तुम हमारे पास (यह दावा लेकर) इस वास्ते आये हो (-गे) कि हमको हमारे मुल्क से अपने जादू (के ज़ोर) से निकाल बाहर करो (और खुद अ़वाम को फ़रेफ़ता और ताबे बनाकर सरदार बन जाओ) सो अब हम भी तुम्हारे मुक़ाबले में ऐसा ही जादू लाते हैं, तुम हमारे और अपने बीच एक वायदा मुक़र्र कर लो जिसको न हम खिलाफ़ करें और न तुम खिलाफ़ करो, किसी हमवार मैदान में (ताकि सब देख लें)। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया तुम्हारे (मुक़ाबले के) वायदे का वक़्त तो वह दिन है जिसमें (तुम्हारा) मेला होता है, और (जिसमें) दिन चढ़े लोग जमा हो जाते हैं

ज़ाहिर है कि मेले का मौका अक्सर हमवार ही ज़मीन में होता है, इसी से हमवार मैदान की भी पूरी हो जाएगी)।

मज़ारिफ़ व मसाइल

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. ۞

फिरऔन ने पिछली उम्मतों के अन्जाम का सवाल किया था अगर उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम उनके गुमराह और जहन्नमी होने का साफ़ तौर से इज़हार करते तो फिरऔन को मौका मिलने का मिल जाता कि यह तो सिर्फ़ हमें ही नहीं सारी दुनिया को गुमराह जहन्नमी समझते हैं, और अ़वाम इससे शुब्हे में पड़ जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा हकीमाना जवाब दिया कि बात भी पूरी आ गयी और फिरऔन को बहकाने का मौका न मिला। फ़रमाया कि उनका इल्म मेरे ख़ब के पास है कि उनका क्या अन्जाम होगा, मेरा ख़ब न ग़लती करता है न भूलता है। ग़लती करने से मुराद यह है कि करना कुछ चाहे हो जाये कुछ और, भूलने का मतलब ज़ाहिर है।

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۞

अज़वाज किस्मों और प्रजातियों के मायने में है और शत्ता शतीत की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं अलग-अलग। मुराद यह है कि नबातात (पेड़-पौधों और घास वगैरह) की इतनी बेशुमार किस्में पैदा फ़रमायीं कि उनकी किस्मों का शुमार करना भी इनसान के बस में नहीं। फिर हर नबात जड़ी-बूटी, फूल-फल, पेड़ की छाल में अल्लाह तआला ने ऐसी-ऐसी ख़ासियतें रखी हैं कि इल्मे तिब्ब और डॉक्टरी के माहिरीन हैरान हैं और हज़ारों साल से उसकी तहकीकात (खोज व शोध) का सिलसिला जारी होने के बावजूद यह कोई नहीं कह सकता कि इसके बारे में जो कुछ लिख दिया गया है वह आखिरी बात है, और यह सारी नबातात की मुख़लिफ़ किस्में इनसान और उसके पालतू जानवरों और जंगली जानवरों की गिज़ा या दवा होती हैं, उनकी लकड़ी से इनसान मकानों की तामीर में काम लेता है और घरेलू सामान के इस्तेमाल की हज़ारों किस्में बनाता है। सो बड़ी बरकत वाली है अल्लाह की ज़ात जो सबसे बेहतर बनाने और पैदा करने वाली है।

इसी लिये इसके आखिर में फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۞

यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हक़ तआला की कामिल कुदरत की हैं अक्ल वालों के लिये। नुहा 'नुहयतुन' की जमा (बहुवचन) है, नुहयतुन अक्ल को इसलिये कहा जाता कि वह इनसान को बुरे और नुक़सान देने वाले कामों से रोकती है।

हर इनसान के ख़मीर में नुत्फ़े के साथ उस जगह की मिट्टी भी

शामिल होती है जहाँ वह दफ़न होगा

بِهَا خَلَقْنَاكُمْ

मिट्टा (उससे) में उस से मुराद ज़मीन है और मायने यह हैं कि हमने तुमको ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया, यह ख़िताब तमाम इन्सानों की तरफ़ है, हालाँकि आम इन्सानों की पैदाईश मिट्टी से नहीं बल्कि नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) से हुई सिवाय आदम अलैहिस्सलाम के कि उनकी पैदाईश डायरेक्ट मिट्टी से हुई, तो यह ख़िताब या तो इस बिना पर हो सकता है कि इन्सान की असल और सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उनके वास्ते से सब की पैदाईश मिट्टी की तरफ़ मन्सूब कर देना कुछ बर्इद नहीं। कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि हर नुत्फ़ा मिट्टी ही की पैदावार होता है इसलिये नुत्फ़े से पैदाईश दर हकीकत मिट्टी ही से पैदाईश हो गयी। इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि कुरआन के अलफ़ाज़ का ज़ाहिर यही है कि हर इन्सान की पैदाईश मिट्टी से है। और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि हर इन्सान की पैदाईश में हक़ तअ़ला अपनी कामिल कुदरत से मिट्टी शामिल फ़रमाते हैं इसलिये हर एक इन्सान की पैदाईश को डायरेक्ट मिट्टी की तरफ़ मन्सूब किया गया है।

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि कुरआन के अलफ़ाज़ का ज़ाहिर यही है कि हर इन्सान की तख़लीक़ (पैदाईश) मिट्टी से अमल में आई है, और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस इस पर सुबूत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद मन्कूल है कि हर पैदा होने वाले इन्सान पर माँ के गर्भ में उस जगह की मिट्टी का कुछ हिस्सा डाला जाता है जिस जगह उसका दफ़न होना अल्लाह के इल्म में तय है। यह हदीस अबू नुएम ने इब्ने सीरीन के तज़किरे में रिवायत करके फ़रमाया:

هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه الا من حديث عاصم بن نبيل وهو احد الثقات الاعلام من

اهل البصرة.

यानी यह एक ग़रीब हदीस है औन की हदीस से, हमने इसे आसिम बिन नबील की हदीस से लिखा है जो बसरा वालों में विश्वसनीय और मोतबर हज़रत में से हैं। (हिन्दी अनुवादक)

और इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मन्कूल है और अता खुरासानी ने फ़रमाया कि जब गर्भ में नुत्फ़ा क़रार पाता है तो जो फ़रिश्ता उसकी तख़लीक़ (पैदाईश व बनाने) पर लगाया गया है वह जाकर उस जगह की मिट्टी लाकर जिस जगह उसका दफ़न होना मुक़रर है वह मिट्टी उस नुत्फ़े में शामिल कर देता है इसलिये नुत्फ़े और मिट्टी दोनों से पैदाईश होती है और इसी आयत से दलील पकड़ी है (यानी आयत नम्बर 55 से। तफ़सीरे कुर्तुबी)।

तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर पैदा होने वाले बच्चे की नाफ़ में एक हिस्सा मिट्टी का डाला जाता है और जब मरता है तो उसी ज़मीन में दफ़न होता है जहाँ की मिट्टी उसके ख़मीर में शामिल की गयी थी। और फ़रमाया कि मैं और अबू बक्र व उमर एक ही मिट्टी से पैदा किये गये हैं और उसी में दफ़न होंगे। यह रिवायत ख़तीब ने नक़ल करके फ़रमाया है कि हदीस ग़रीब है और इब्ने जोज़ी ने इसको मौजूआत (जाली और गढ़ी हुई हदीसों) में शुमार किया है, मगर शैख़ मुहदिस मिर्ज़ा मुहम्मद हारिसी बदख़शी रह. ने फ़रमाया कि इस हदीस के बहुत से सुबूत और

ताईद करने वाली रिवायतें हज़रत इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम से मन्कूल हैं। जिनसे इस रिवायत को मज़बूती पहुँचती है इसलिये यह हदीस हसन (लिगैरिही) से कम नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

مَكَانًا سَوًى.

फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के मुक़ाबले के लिये यह खुद तजवीज़ किया कि ऐसे मक़ाम पर होना चाहिये जो आले फ़िरऔन और हज़रत मूसा व बनी इस्राईल के लिये दूरी के एतिबार से बराबर हो, ताकि किसी फ़रीक़ पर ज़्यादा दूर जाने की मशक्क़त न पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कुबूल करके दिन और वक़्त का निर्धारण इस तरह फ़रमा दिया:

مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشِّرَ النَّاسُ ضَحًى ۝

यानी यह मुक़ाबला ज़ीनत के दिन में होना चाहिये। मुराद ईद या किसी मेले वगैरह के लिये इकट्ठे होने का दिन है। इसमें मतभेद है कि वह कौनसा दिन था? कुछ ने कहा कि आले फ़िरऔन की कोई ईद मुकर्रर थी जिसमें वह ज़ीनत के कपड़े पहनकर शहर से बाहर निकलने के आदी थे, कुछ ने कहा कि वह नीरोज़ का दिन था, किसी ने कहा कि शनिवार का दिन था जिसका ये लोग सम्मान करते थे, कुछ ने कहा कि वह आशूरा यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख़ थी।

फ़ायदा

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिन और वक़्त के निर्धारण में बड़ी अक्लमन्दी से काम लिया कि दिन उनकी ईद का तजवीज़ किया जिसमें सब छोटे-बड़े हर तब्क़े के लोगों का इज्तिमा पहले से मुतैयन था, जिसका लाज़िमी नतीजा यह था कि यह इज्तिमा बहुत बड़ा पूरे शहर के लोगों पर मुश्तमिल हो जाये, और वक़्त चाश्त का रखा जो सूरज के बुलन्द होने के बाद होता है, जिसमें एक मस्लेहत तो यह है कि सब लोगों को अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग़ होकर उस मैदान में आना आसान हो। दूसरी मस्लेहत यह भी है कि यह वक़्त रोशनी और ज़हूर के एतिबार से सारे दिन में बेहतर है, ऐसे ही वक़्त में दिली तसल्ली और सुकून के साथ अहम काम किये जाते हैं, और ऐसे वक़्त के इज्तिमा से जब लोग इधर-उधर होते हैं तो बात दूर-दूर तक फैल जाती है। चुनाँचे उस दिन जब हक़ तआला मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔनी जादूगरों पर ग़लबा अता फ़रमाया तो एक ही दिन में पूरे शहर में बल्कि दूर-दूर तक इसकी शोहरत हो गयी।

जादू की हकीक़त, उसकी किस्में और शरई अहक़ाम

यह मज़मून पूरी तफ़सील के साथ सूर: ब-करह (आयत नम्बर 102) हारूत व मारूत के किस्से में मज़ारिफ़ुल-क़ुरआन की पहली जिल्द में बयान हो चुका है, वहाँ देख लिया जाये।

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۖ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَرِيبِكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

فَيُصْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زَعْوًا أَمْ لَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۖ

قَالُوا إِن هَذَا لَسِحْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ

السُّلَىٰ ۖ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اسْتَوُوا صَفًّا ۖ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۖ قَالُوا يَبُوسَىٰ إِمَّا أَنْ

سُلِقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَزْلَ مَنِ الْفَىٰ ۖ قَالَ بَلِ الْقَوَا ۖ فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ

مِن سِحْرِهِمْ أَنهَا تَسْعَىٰ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوسَىٰ ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ

الْأَعْلَىٰ ۖ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۖ

قَالَ قَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَىٰ ۖ قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمُ السَّحْرُ ۖ فَلَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وُصْلَ بَيْنَكُمْ فِي جُدُوعِ

النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَسَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۖ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي

فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا

وَمَا أَكْرَهْتْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ

جَهَنَّمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ

الْعُلَىٰ ۖ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن سَزَا ۖ

फ-तवल्ला फिरऔनु फ-ज-म-अ
 कैदहू सुम्-म अता (60) का-ल लहुम्
 मूसा वै-लकुम ला तफतरु अलल्लाहि
 कज़िबन् फयुसिह-तकुम् बि-अज़ाबिन्
 व कद् खा-ब मनिफतरा (61)
 फ-तनाज़अू अम्रहुम् बैनहुम् व
 अ-सरुन्-नच्चा (62) कालू इन्
 हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि
 अय्युख्रिजाकुम् मिन् अज़िकुम्

फिर उल्टा फिरा फिरऔन फिर जमा किये
 अपने सारे दाव, फिर आया। (60) कहा
 उनको मूसा ने कमबख्ती तुम्हारी झूठ न
 बोलो अल्लाह पर, फिर गारत कर दे
 तुमको किसी आफत से, और मुराद को
 नहीं पहुँचा जिसने झूठ बाँधा। (61) फिर
 झगड़े अपने काम पर आपस में और
 छुपकर किया मशिवरा। (62) बोले- मुकर्रर
 “यानी यह तय है कि” ये दोनों जादूगर
 हैं चाहते हैं कि निकाल दें तुमको तुम्हारे
 मुल्क से अपने जादू के जोर से,

बिसिहिरहिमा व यजहबा
 बि-तरी-कतिकुमुल्-मुस्ता (63)
 फ-अज्मिअू कैदकुम् सुम्मअतू सफफन्
 व कद् अफल-हल्यौ-म मनिस्तअला
 (64) कालू या मूसा इम्मा अन्
 तुल्कि-य व इम्मा अन्-नकू-न
 अव्व-ल मन् अल्का (65) का-ल बल्
 अल्कू फ-इजा हिबालुहुम् व
 असिय्युहुम् युख्य्यलु इलैहि मिन्
 सिहिरहिम् अन्नहा तस्आ (66)
 फ-औज-स फी नफिसही ख्री-फतम्-
 मूसा (67) कुल्ना ला तखफ् इन्न-क
 अन्तल्-अअला (68) व अल्कि मा
 फी यमीनि-क तल्कफ् मा स-नअू
 इन्नमा स-नअू कैदु साहिरिन्, व ला
 युफिलहुस्साहिरु हैसु अता (69)
 फउल्कियस्स-ह-रतु सुज्ज-दन् कालू
 आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा (70)
 का-ल आमन्तुम् लहू कब्-ल अन्
 आज-न लकुम्, इन्नहू ल-कबीरुकुमुल्-
 -लजी अल्ल-मकुमुस्-सिह-र
 फ-ल-उकत्तिअन्-न ऐदि-यकुम् व
 अरजु-लकुम् मिन् ख़िलाफिंव-व
 ल-उसल्लिबन्नकुम् फी जुजूअिन्नख़लि

और रोक दें तुम्हारे अच्छे खासे चलन
 को। (63) सो मुकर्रर कर लो अपनी
 तदबीर फिर आओ कतार बाँधकर और
 जीत गया आज जो ग़ालिब रहा। (64)
 बोले ऐ मूसा! या तो तू डाल और या
 हम हों पहले डालने वाले। (65) कहा
 नहीं! तुम डालो, फिर तभी उनकी रस्सियाँ
 और लाठियाँ उसके ख्याल में आईं उनके
 जादू से कि दौड़ रही हैं। (66) फिर पाने
 लगा अपने जी में डर मूसा। (67) हमने
 कहा तू मत डर। मुकर्रर “यानी यकीनन”
 तू ही रहेगा ग़ालिब। (68) और डाल जो
 तेरे दाहिने हाथ में है कि निगल जाये जो
 कुछ उन्होंने बनाया, उनका बनाया हुआ
 तो फरेब है जादूगर का, और भला नहीं
 होता जादूगर का जहाँ हो। (69) फिर
 गिर पड़े जादूगर सज्दे में बोले— हम
 यकीन लाये रब पर हारून और मूसा के।
 (70) बोला फिरअौन तुमने इसको मान
 लिया मैंने अभी हुक्म न दिया था, वही
 तुम्हारा बड़ा है जिसने सिखलाया तुमको
 जादू सो अब मैं कटवाऊँगा तुम्हारे हाथ
 और दूसरी तरफ़ के पाँव और सूली दूँगा
 तुमको खजूर के तने पर,

व ल-तअलमुन्-न अय्युना अशदुदु
 अजाबं-व अब्का (71) कालू लन्
 नुअसि-र-क अला मा जा-अना
 मिनल्-बय्यिजाति वल्लजी फ़-त-रना
 फ़किज़ मा अन्-त काज़िन्, इन्नमा
 तक़ी हाज़िहिल्-हयातदुदुन्या (72)
 इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़्फि-र
 लना खातायाना व मा अकरहतना
 अलैहि मिनस्सिस्ति, वल्लाहु ख़ैरुं-व
 अब्का (73) ▲ इन्नहू मय्यअति
 रब्बहू मुज़िमन् फ़-इन्-न लहू
 जहन्न-म, ला यमूतु फ़ीहा व ला
 यस्या (74) व मय्यअतिही मुअ्मिनन्
 कद् अमिलस्सालिहाति फ़-उलाइ-क
 लहुमुद्-द-रजातुल्-अुला (75)
 जन्नातु अदनिन् तज़ी मिन् तहिहल्-
 अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, व ज़ालि-क
 जज़ा-उ मन् तज़क्का (76) ❀

और जान लगे हम में किसका अज़ाब
 सख्त है और देर तक रहने वाला। (71)
 वे बोले हम तुझको ज़्यादा न समझेंगे उस
 चीज़ से जो पहुँची हमको साफ़ दलील
 और उससे जिसने हमको पैदा किया, सो
 तू कर गुज़र जो तुझको करना है, तू यही
 करेगा इस दुनिया की ज़िन्दगी में। (72)
 हम यकीन लाये हैं अपने रब पर ताकि
 बख़्शे हमको हमारे गुनाह और जो तूने
 ज़बरदस्ती करवाया हमसे यह जादू, और
 अल्लाह बेहतर है और सदा बाकी रहने
 वाला। (73) ▲ बात यही है कि जो
 कोई आया अपने रब के पास गुनाह लेकर
 सो उसके वास्ते दोज़ख़ है, न मरे उसमें
 न जिये। (74) और जो आया उसके पास
 ईमान लेकर नेकियाँ कर-कर सो उन लोगों
 के लिये हैं बुलन्द दर्जे। (75) बाग़ हैं
 बसने के, बहती हैं उनके नीचे से नहरें,
 हमेशा रहा करेंगे उनमें, और यह बदला
 है उसका जो पाक हुआ। (76) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

गर्ज (कि यह सुनकर) फिरऔन (दरबार से अपनी जगह) लौट गया, फिर अपना मक़ का (यानी
 जादू का) सामान जमा करना शुरू किया, फिर (सब को लेकर उस मैदान में जहाँ वायदा ठहरा था)
 आया। (उस वक़्त) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उन (जादूगर) लोगों से फ़रमाया कि ऐ कमबख़्ती मारो!
 अल्लाह तआला पर झूठ बोहतान मत बाँधो (कि उसके वजूद या तौहीद का इनकार करने लगे या
 उसके ज़ाहिर किये हुए मोजिज़ों को जादू बतलाने लगे) कभी खुदा तआला तुमको किसी किस्म की
 सज़ा से बिल्कुल नेस्तनाबूद ही कर दे, और जो झूठ बाँधता है वह (आख़िरकार) नाकाम रहता है। पस

जादूगर (यह बात सुनकर इन दोनों हज़रत के बारे में) आपस में अपनी राय में मतभेद करने लगे और ख़ुफ़िया गुप्तगू करते रहे। (आख़िरकार सब मुत्तफ़िक् होकर) कहने लगे कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं, इनका मतलब यह है कि अपने जादू (के जोर) से तुमको तुम्हारी सरज़मीन से निकाल बाहर करें, और तुम्हारे उम्दा (मज़हबी) तरीक़े का दफ़्तर ही उठा दें। तो अब तुम मिलकर अपनी तदबीर का इन्तिज़ाम करो और सफ़ें बना करके (मुक़ाबले में) आओ, और आज वही कामयाब है जो ग़ालिब हो। (फिर) उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से) कहा कि ऐ मूसा (कहिये) आप (अपनी लाठी) पहले डालेंगे या हम पहले डालने वाले बनें। आपने (निहायत बेपरवाई से) फ़रमाया, नहीं! तुम ही पहले डालो, (चुनाँचे उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डालीं और नज़रबन्दी कर दी) पस एक दम से उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनकी नज़रबन्दी से मूसा (अलैहिस्सलाम) के ख़्याल में ऐसी मालूम होने लगीं जैसे (साँप की तरह) चलती दौड़ती हों। सो मूसा (अलैहिस्सलाम) के दिल में थोड़ा-सा ख़ौफ़ हुआ (कि जब देखने में ये रस्सियाँ और लाठियाँ भी साँप मालूम होती हैं और मेरी लाठी भी बहुत से बहुत साँप बन जायेगी तो देखने वाले तो दोनों चीज़ों को एक ही तरह का समझेंगे तो हक़ व बातिल में फ़र्क़ किस तरह करेंगे। और यह ख़ौफ़ तबीयत के तकाज़े की वजह से था वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यक़ीन था कि जब अल्लाह तआला ने यह हुक्म दिया है तो इसकी तमाम ऊँच-नीच का भी इन्तिज़ाम करेगा और अपने पैग़म्बर की काफ़ी मदद करेगा, और ऐसा तबई ख़ौफ़ जो ख़्याल व वस्वसे के दर्जे में था, शाने कमाल के विरुद्ध नहीं। गर्ज़ कि जब यह ख़ौफ़ हुआ उस वक़्त) हमने कहा कि तुम डरो नहीं तुम ही ग़ालिब रहोगे। और (इसकी सूरत यह है कि) तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (लाठी) है उसको डाल दो, इन लोगों ने जो कुछ (साँग) बनाया है यह (लाठी) सब को निगल जायेगी। यह जो कुछ इन्होंने बनाया है जादूगरों का साँग है, और जादूगर कहीं जाये (मोजिज़े के मुक़ाबले में कभी) कामयाब नहीं होता।

(मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई कि अब फ़र्क़ ख़ूब हो सकता है, चुनाँचे उन्होंने लाठी डाली और वाक़ई वह सब को निगल गयी) सो जादूगरों (ने जो यह जादू से ऊपर की चीज़ देखी तो समझ गये कि यह बेशक मोजिज़ा है और फ़ौरन ही सब) सज़्दे में गिर गये (और बुलन्द आवाज़ से) कहा कि हम ईमान ले आये हारून और मूसा के परवर्दिगार पर। फिरऔन ने (यह वाक़िआ देखकर जादूगरों को धमकाया और) कहा कि इसके बिना ही कि मैं तुमको इजाज़त दूँ (यानी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़) तुम मूसा (अलैहिस्सलाम) पर ईमान ले आये, वाक़ई (मालूम होता है कि) वह (जादू में) तुम्हारे भी बड़े (और उस्ताद) हैं, कि उन्होंने तुमको जादू सिखलाया है, (और उस्ताद शागिर्दों ने साज़िश करके माल हासिल करने का मुक़ाबला किया है ताकि तुमको सरदारी हासिल हो) सो (अब हकीकत मालूम हुई जाती है) मैं तुम सब के हाथ-पाँव कटवाता हूँ, एक तरफ़ का हाथ और एक तरफ़ का पाँव, और तुम सब को खज़ूरो के पेड़ पर टंगवाता हूँ (ताकि सब देखकर इब्त हासिल करें) और यह भी तुमको मालूम हुआ जाता है कि हम दोनों में (यानी मुझमें और मूसा के रब में) किसका अज़ाब ज़्यादा सख़्त और देरघा है। उन लोगों ने साफ़ जवाब दे दिया कि हम तुझको कभी तरजीह न देंगे उन दलीलों के मुक़ाबले में जो हमको मिली हैं, और उस ज़ात के मुक़ाबले में जिसने हमको पैदा

किया है, तुझको जो कुछ करना हो (दिल खोलकर) कर डाल। तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी जिन्दगानी में कुछ कर ले और कर ही क्या सकता है। अब तो हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि हमारे (पिछले) गुनाह (कुफ़्र व ग़ैरह) माफ़ कर दें, और तूने जो जादू (के पेश करने) में हम पर जोर डाला उसको भी माफ़ कर दें और अल्लाह तआला (अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतिबार से भी तुझसे) लाख दर्जे अच्छे हैं, और (सवाब व सज़ा देने के एतिबार से भी) ज़्यादा बका वाले हैं। (और तुझको न अच्छा होना नसीब है न बाकी रहना, तो तेरा क्या इनाम जिसका वादा हम से किया था और क्या अज़ाब जिसकी अब धमकी सुनाता है, और अल्लाह तआला के जिस सवाब और अज़ाब को बका है उसका क़ानून यह है कि) जो शख्स (बगावत का) मुजरिम होकर (यानी काफ़िर होकर) अपने रब के पास हाज़िर होगा सो उसके लिये दोज़ख़ (मुकरर) है, उसमें न मरेगा ही और न जिन्दा ही रहेगा। (न मरना तो ज़ाहिर है और न जीना यह कि जीने का आराम न होगा) और जो शख्स रब के पास मोमिन होकर हाज़िर होगा, जिसने नेक काम भी किये हों, सो ऐसों के लिए बड़े ऊँचे दर्जे हैं। यानी हमेशा-हमेशा रहने के बाग़ात जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे, और जो शख्स (कुफ़्र व गुनाहों से) पाक हो उसका यही इनाम है (पस इस क़ानून के मुवाफ़िक़ हमने कुफ़्र को छोड़कर ईमान इख़्तियार कर लिया)।

मआरिफ़ व मसाईल

فَجَمَعَ كَيْدَهُ.

फ़िरऔन ने अपने मक़्र यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मुक़ाबले की तदबीर में जादूगरों और उनके सामान को जमा कर लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से उन जादूगरों की तायदाद बहत्तर मन्कूल है और दूसरे अक़वाल उनकी तायदाद में बहुत भिन्न हैं, चार सौ से लेकर नौ लाख तक उनकी तायदाद बतलाई गयी है, और यह सब अपने एक सरदार शमऊन के मातहत उसके हुक्म के मुताबिक़ काम करते थे, और कहा जाता है कि उनका सरदार एक अन्धा आदमी था। (तफ़सीरे कुर्तुबी) वल्लाहु आलम।

मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों को पैग़म्बराना ख़िताब

जादू का मुक़ाबला मोज़िज़ों से करने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को हमदर्दानी नसीहत भरे चन्द कलिमात कहकर अल्लाह के अज़ाब से डराया, वो अलफ़ाज़ ये थे:

وَيَلَكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ۝

यानी तुम्हारी हलाकत (तबाही) सामने आ चुकी है, अल्लाह तआला पर झूठ और बोहतान न लगाओ कि उसके साथ खुदाई में फ़िरऔन या कोई और शरीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वह तुमको अज़ाब में पीस डालेगा और तुम्हारी जड़ बुनियाद उखाड़ देगा, और जो शख्स अल्लाह तआला पर बोहतान बाँधता है वह अन्जामकार नाक़ाम और मेहरूम होता है।

ज़ाहिर है कि फ़िरऔन की शैतानी ताक़त व कुव्वत और शान व शौकत के सहारे जो लोग

बिला करने के लिये मैदान में आ चुके थे उन पर इन नसीहत भरे कलिमात का कोई असर होना ही दूर की बात थी, मगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके पैरोकारों के साथ हक की एक ताकत व शान होती है, उनके सादे अलफाज़ भी सख्त से सख्त दिलों पर तीर व नशतर का काम करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये जुमले सुनकर जादूगरों की सफ़ों में एक ज़लज़ला पड़ गया और आपस में मतभेद होने लगा कि ये कलिमात कोई जादूगर नहीं कह सकता, यह तो अल्लाह ही की तरफ़ से मालूम होते हैं। इसलिये कुछ ने कहा कि इनका मुकाबला करना मुनासिब नहीं, और कुछ अपनी बात पर जमे रहे 'फ़-तनाज़ज़ अमूरहुम् बैनहुम्' का यही मतलब है। फिर इस मतभेद को दूर करने के लिये आपस में सरगोशी और आहिस्ता मशिवरे होने लगे मगर आखिरकार मजमूई राय मुकाबला करने की ही तय पाई और कहने लगे:

إِنَّ هَذَا نَسِجْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُثَلَىٰ ۝

यानी ये दोनों जादूगर हैं और यह चाहते हैं कि अपने जादू के ज़रिये तुमको यानी फिरऔन और आले फिरऔन को तुम्हारी ज़मीन मिस्र से निकाल दें। मतलब यह है कि जादू के ज़रिये तुम्हारे मुल्क पर अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं और यह कि तुम्हारा तरीका जो सबसे अफज़ल व बेहतर है उसको मिटा दें। 'मुसला' अमूसल का स्त्री लिंग का कलिमा है जिसके मायने अफज़ल व आला के हैं। मतलब यह था कि तुम्हारा मज़हब व तरीका कि फिरऔन को अपना खुदा और इख्तियार व ताक़त का मालिक मानते हो यही सबसे अफज़ल व बेहतर तरीका है, ये लोग उसको मिटाकर अपना दीन व मज़हब फैलाना चाहते हैं। और लफ़ज़ 'तरीका' के एक मायने यह भी आते हैं कि कौम के सरदारों और नुमाईन्दा लोगों को उस कौम का तरीका कहा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जगह तरीका की यही तफ़सीर मन्कूल है कि ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारी कौम के सरदारों और इज़्ज़त वाले लोगों को ख़त्म कर दें, इसलिये तुम लोगों को चाहिये कि मुकाबले के लिये अपनी पूरी तदबीर व ताक़त ख़र्च करो और सब जादूगर क़तार बाँधकर एक साथ उनके मुकाबले पर अमल करो। जैसा कि कुरआन के अलफाज़ हैं:

فَاَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا ۝

क़तार बाँधकर मुकाबला करने से सामने वाले पर रौब डालने का एक ख़ास असर होता है इसलिये जादूगरों ने अपनी सफ़-बन्दी (क़तार बाँध) करके मुकाबला किया।

जादूगरों ने अपनी बेफ़िक्री और बेपरवाई का प्रदर्शन करने के लिये पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही से कहा कि पहल आप करते हैं या हम करें, यानी पहले आप अपना अमल करते हैं या हम करें? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि पहले तुम्हीं डालो, और अपने जादू का करिश्मा दिखलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब में बहुत सी हिक्मतें छुपी थीं। अब्बल तो मज्लिस का अदब कि जब जादूगरों ने अपना यह हौसला दिखलाया कि मुख़ालिफ़ को पहले हमला करने की इजाज़त दी तो इसका शरीफ़ाना जवाब यही था कि उनकी तरफ़ से इससे ज़्यादा हौसले के साथ उनको शुरूआत करने की इजाज़त दी जाये। दूसरे यह कि जादूगरों का यह कहना

अपने इत्मीनान और बेफिक्री का इज़हार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं को शुरूआत करने का मौका देकर अपनी बेफिक्री और इत्मीनान का सुबूत दे दिया। तीसरे यह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उनके जादू के सब करिश्मे आ जायें, उसके बाद अपने मोजिजों का इज़हार करें तो एक ही वक़्त में हक़ के ग़लबे का ज़हूर स्पष्ट तौर पर हो जाये। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर अपना अमल शुरू कर दिया और अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ जो बड़ी तायदाद में थीं एक ही वक़्त में ज़मीन पर डाल दीं और वो सब की सब बज़ाहिर साँप बनकर दौड़ती हुई नज़र आने लगीं। जैसा कि कुरआन ने फ़रमाया:

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۝

इससे मालूम होता है कि फ़िरऔनी जादूगरों का जादू एक किस्म की नज़रबन्दी थी जो कुच्चते ख़्याली को प्रभावित करने के ज़रिये भी हो जाती है, कि देखने वालों को ये लाठियाँ और रस्सियाँ साँप बनकर दौड़ती हुई दिखाई देने लगीं, वह हकीक़त में साँप न बनी थीं, और अक्सर जादू इसी किस्म के होते हैं।

فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۝

यानी यह सूत्रेहाल देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ख़ौफ़ तारी हुआ जिसको उन्होंने अपने जी में छुपाये रखा, दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। यह ख़ौफ़ अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान के लिये हुआ तो इनसान होने की वजह से ऐसा होना नुबुव्वत के खिलाफ़ नहीं, लेकिन ज़ाहिर यह है कि ख़ौफ़ अपनी जान का नहीं था बल्कि इसका था कि इस मजमे के सामने जादूगरों का ग़लबा महसूस किया गया तो जो मक़सद नुबुव्वत की दावत का था वह पूरा न हो सकेगा, इसी लिये इसके जवाब में हक़ तआला की तरफ़ से जो इरशाद हुआ उसमें यह इत्मीनान दिलाया गया कि जादूगर ग़ालिब न आ सकेंगे, आप ही को फ़तह और ग़लबा हासिल होगा। अगली आयत में:

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝

फ़रमाकर इस ख़तरे और डर को दूर किया गया है।

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ

मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये ख़िताब हुआ कि आपके हाथ में जो चीज़ है उसको डाल दो। मुराद इससे मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, मगर यहाँ लाठी का ज़िक्र नहीं फ़रमाया। इरशाद इस बात की तरफ़ था कि उनके जादू की कोई हकीक़त नहीं, इसकी परवाह न करो और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है डाल दो, वह उनके सब साँपों को निगल जायेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाल दी, वह एक बड़ा अज़्दहा बनकर उन सब जादू के साँपों को निगल गया।

फ़िरऔनी जादूगरों का मुसलमान होकर सज्दे में पड़ जाना

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने अज़्दहा बनकर जब उनके ख़्याली सपनों को निगल लिया

चूँकि ये लोग जादू के माहिर थे, इनको यकीन हो गया कि यह काम जादू के जरिये नहीं हो सकता, बल्कि यह बिला शुब्हा मोजिजा है जो खालिस अल्लाह तआला की क़ुदरत से जाहिर होता है, इसलिये सज़्दे में गिर गये और ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आये। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि उन जादूगरों ने सज़्दे से उस वक़्त तक सर नहीं उठाया जब तक कि उनको अल्लाह की तरफ़ से जन्नत और दोज़ख़ नहीं दिखा दी गयी, जैसा कि हज़रत इक्रिमा की रिवायत से अब्द इब्ने हुमैद, इब्ने अबी हातिम और इब्नुल-मुन्ज़िर ने नक़ल किया है। (रूहुल-मआनी)

قَالَ امْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنُ لَكُمْ.

फिरऔन की रुस्वाई अल्लाह तआला ने इस अज़ीमुश्शान मजमे के सामने खोल कर रख दी तो बौखला कर अब्वल तो जादूगरों को यह कहने लगा कि बग़ैर मेरी इजाज़त के तुम कैसे इन पर ईमान लाये। गोया लोगों को यह बतलाना था कि मेरी इजाज़त के बग़ैर इन जादूगरों का कोई कौल फ़ेल मोतबर नहीं, मगर जाहिर है कि इस खुले हुए मोजिजे के बाद किसी की इजाज़त की ज़रूरत किसी अक्लमन्द इनसान के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिये अब जादूगरों पर इस साज़िश का इल्ज़ाम लगाया कि अब मालूम हुआ कि तुम सब मूसा के शागिर्द हो, इसी जादूगर ने तुम्हें जादू सिखाया है और तुमने साज़िश करके इसके सामने अपनी हार मान ली है।

فَلَا قِطْعَنُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافِي.

अब जादूगरों को सख़्त सज़ा से डराया कि तुम्हारे हाथ-पाँव काटे जायेंगे, जिसकी सूरत यह होगी कि दाहिना हाथ कटेगा तो बायाँ पाँव काटा जायेगा। यह सूरत या तो इसलिये तजवीज़ की कि फिरऔनी क़ानून में सज़ा का यही तरीका राइज होगा, या इसलिये कि इस सूरत में इनसान एक इब्रत का नमूना बन जाता है।

وَأَوْصَيْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ.

यानी हाथ-पाँव काटकर फिर तुम्हें ख़जूर के पेड़ों पर सूली दी जायेगी कि तुम उन पर इसी तरह लटके रहोगे यहाँ तक कि भूख और प्यास से मर जाओ।

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا.

जादूगरों ने फिरऔन की यह सख़्त धमकी और सज़ा देने का ऐलान सुनकर अपने ईमान पर बड़ी पुख़्तगी का सबूत दिया। कहने लगे कि हम तुझे या तेरे किसी कौल को उन निशानियों और मोजिजों पर तरजीह नहीं दे सकते जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिये हमारे सामने आ चुके हैं। हज़रत इक्रिमा ने फ़रमाया कि जादूगर जब सज़्दे में गिरे तो अल्लाह तआला ने उनको जन्नत के उन बुलन्द मक़ामात और नेमतों को दिखा दिया जो उनको मिलने वाले थे, इसको उन लोगों ने कहा कि इन खुली निशानियों के होते हुए हम तेरी बात नहीं मान सकते। (तफ़सीरे कुर्तुबी) तथा ख़ालिके कायनात आसमानों के रब को छोड़कर तुझे अपना रब नहीं मान सकते।

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ.

अब जो तेरा जी चाहे हमारे बारे में फैसला कर, और जो चाहे सज़ा तजवीज़ कर।

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

यानी अगर तूने हमें सज़ा दे भी दी तो वह सज़ा सिर्फ़ इसी दुनिया की चन्द दिन की ज़िन्दगी ही तक होगी, मरने के बाद तो तेरा हम पर कब्ज़ा नहीं रहेगा, बख़िलाफ़ हक़ तआला के कि हम उसके कब्ज़े में मरने से पहले भी हैं और मरने के बाद भी, उसकी सज़ा की फ़िक्र सबसे पहले है।

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ.

जादूगरों ने अब फिरऔन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हमें जादूगरी पर तूने ही मजबूर कर रखा था वरना हम इस बेहूदा काम के पास न जाते, अब हम ईमान लाकर अल्लाह से इस जादू के गुनाह की भी माफ़ी माँगते हैं। यहाँ यह सवाल हो सकता है कि ये जादूगर तो खुद अपने इख़्तियार से मुक़ाबला करने के लिये आये थे और उस मुक़ाबले की सौदेबाज़ी भी फिरऔन से कर चुके थे कि हम ग़ालिब आयेंगे तो क्या मिलेगा, फिर उनका फिरऔन पर यह इल्ज़ाम लगाना कि तूने हमें जादू करने पर मजबूर कर रखा था यह कैसे सही होगा? इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि ये जादूगर शुरू में तो शाही इनाम व सम्मान के लालच में मुक़ाबले के लिये तैयार थे बाद में इनको कुछ एहसास हुआ कि हम मोज़िज़े का मुक़ाबला नहीं कर सकते, उस वक़्त फिरऔन ने इनको मजबूर किया। दूसरी वजह यह भी बयान की गयी है कि फिरऔन ने अपने मुल्क में जादूगरी की तालीम को ज़बरी (लाज़िमी) बनाया हुआ था, इसलिये हर शख्स जादू सीखने पर मजबूर था। (रूहुल-मअानी)

फ़िरऔन की बीवी आसिया का अच्छा अन्जाम

तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि हक़ व बातिल के इस मुक़ाबले के वक़्त फ़िरऔन की बीवी बराबर ख़बर रखती रही कि अन्जाम क्या हुआ। जब उसको यह बतलाया गया कि मूसा व हारून ग़ालिब आ गये तो फ़ौरन उसने ऐलान कर दिया कि मैं भी मूसा व हारून के ख़ब पर ईमान ले आई। फ़िरऔन को अपने घर की ख़बर लगी तो हुक्म दिया कि एक बड़े पत्थर की चट्टान उठाकर उसके ऊपर डाल दो। हज़रत आसिया ने जब यह देखा तो आसमान की तरफ़ नज़र उठाई और अल्लाह से फ़रियाद की। हक़ तआला ने पत्थर उसके ऊपर गिरने से पहले उसकी रूह कब्ज़ कर ली, फिर पत्थर उस बेजान जिस्म पर गिरा।

फ़िरऔनी जादूगरों में अज़ीब बदलाव

إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا..... ذَلِكَ جَزَاؤُا مَنْ تَزَكَّى 0

ये क़लिमात और तथ्य (जो आयत नम्बर 74-76 बयान किये गये हैं) जिनका ताल्लुक़ ख़ालिस इस्लामी अक़ीदों और आख़िरत के जहान से है, उन जादूगरों की जुबान से अदा हो रहे हैं जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं और इस्लामी अक़ीदों व आमाल की कोई तालीम उनको मिली नहीं, यह सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत की बरक़त और उनके इख़्लास का असर था कि हक़ तआला

उन पर दीन के तमाम तथ्य (हकीकतों) आन की आन में ऐसे खोल दिये कि उनके मुकाबले में न अपनी जान की परवाह रही न किसी बड़ी से बड़ी सजा और तकलीफ का खौफ रहा, गोया ईमान के साथ-साथ ही उनको विलायत (अल्लाह की निकटता और बुजुर्गी) का भी वह मकाम हासिल हो गया जो दूसरों को उम्र भर की मेहनतों और रियाजतों से भी हासिल होना मुश्किल है। वाकई अल्लाह की जात बड़ी बरकत वाली और बेहतरीन पैदा करने वाली है।

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखो कि ये लोग दिन के शुरू हिस्से में काफ़िर जादूगर थे और दिन के आख़िर हिस्से में अल्लाह के वली और शहीद। (इब्ने कसीर)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۚ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ فَغَشِيَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ۗ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ۗ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۗ وَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ لَمِنَ تَابٍ وَأَمِنَ وَعَمَلٍ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۗ

व ल-क़द् औहैना इला मूसा अन्
असिर बिअिबादी फ़ज़िरब् लहुम्
तरीकन् फ़िल्बहिर य-बसल्-ला
तख़्राफु द-रकव्-व ला तख़शा (77)
फ़-अत्व-अहुम् फिरऔनु बिजुनूदिही
फ़-ग़शि-यहुम् मिनल्-यम्मि मा
ग़शि-यहुम् (78) व अज़ल्-ल
फ़िरऔनु कौ-महू व मा हदा (79)
या बनी इस्राई-ल क़द् अन्जैनाकुम्
मिन् अदुव्विकुम् व वाअदनाकुम्
जानिबत्तूरिल्-ऐम-न व नज़ज़ल्ना
अलैकुमुल्मन्-न वस्सल्वा (80)

और हमने हुक्म भेजा मूसा को कि ले निकल मेरे बन्दों को रात से फिर डाल दे उनके लिये समन्दर में रस्ता सूखा, न खतरा आ पकड़ने का और न डर डूबने से। (77) फिर पीछा किया उन काफ़िरों ने अपने लश्क़रों को लेकर, फिर ढाँप लिया उनको पानी ने जैसा कि ढाँप लिया। (78) और बहकाया फिरऔन ने अपनी कौम को और न समझाया। (79) ऐ इस्राईल की औलाद! छुड़ा लिया हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से और वायदा ठहराया तुमसे दाहिनी तरफ़ पहाड़ की और उतारा तुम पर मन्न व सलवा। (80)

कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़कनाकुम्
 व ला तलगौ फ़ीहि फ़-यहिल्-ल
 अलैकुम् ग़-ज़बी व मय्यहिलल्
 अलैहि ग़-ज़बी फ़-कद् हवा (81)
 व इन्नी ल-ग़फ़ारुल्-लिमन् ता-ब
 व आम-न व अमि-ल सालिहन्
 सुम्मह-तदा (82)

खाओ सुधरी चीज़ें जो रोज़ी दी हमने
 तुमको और न करो उसमें ज़्यादाती फिर
 तो उतरेगा तुम पर मेरा गुस्सा, और जिस
 पर उतरा मेरा गुस्सा वह पटका गया।
 (81) और मेरी बड़ी बख़्शि़श है उस पर
 जो तौबा करे और यकीन लाये और करे
 भला काम फिर राह पर रहे। (82)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (जब फिरऔन इस पर भी ईमान न लाया और एक मुद्दत तक मुख़्तलिफ़ मामलात व वाकिआत होते रहे उस वक़्त) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी कि हमारे (उन) बन्दों को (यानी बनी इस्राईल को मिस्र से) रातों-रात (बाहर) ले जाओ (और दूर चले जाओ ताकि फिरऔन के जुल्म व सख़्तियों से उनको निजात हो) फिर (राह में जो दरिया मिलेगा तो) उनके लिये दरिया में (लाठी मारकर) सूखा रास्ता बना देना, (यानी लाठी मारना कि उससे सूखा रास्ता बन जायेगा) न तुमको किसी के पीछा करने का अन्देशा होगा (क्योंकि पीछा करने वाले कामयाब न होंगे चाहे पीछा करें) और न और किसी किस्म का (मसलन डूबने वगैरह का) ख़ौफ़ होगा (बल्कि अमन व इत्मीनान से पार हो जाओगे)। चुनाँचे मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म के मुवाफ़िक़ उनको रातों-रात निकाल ले गये और सुबह मिस्र में ख़बर मशहूर हुई) पस फिरऔन अपने लश्क़रों को लेकर उनके पीछे चला (और बनी इस्राईल अल्लाह के वायदे के मुवाफ़िक़ दरिया से पार हो गये और अभी तक वो दरियाई रास्ते उसी तरह अपनी हालत पर थे जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'वत्लकिल् बह्र-र रहवन् इन्नहुम जुन्दुम् मुग़्रकून'। फिरऔनियों ने जल्दी में कुछ आगा पीछा सोचा नहीं, उन रास्तों पर हो लिये, जब सब अन्दर आ गये) तो (उस वक़्त चारों तरफ़ से) दरिया (का पानी सिमट कर) उन पर जैसा मिलने को था, आ मिला (और सब ग़र्क़ होकर रह गये), और फिरऔन ने अपनी क़ौम को बुरी राह पर डाला और नेक राह उनको न बतलाई (जिसका उसको दावा था कि मैं तुम्हें सही रास्ते की रहनुमाई करूँगा। और बुरी राह होना ज़ाहिर है कि दुनिया का भी नुक़सान हुआ कि सब हलाक हुए और आख़िरत का भी, क्योंकि जहन्नम में गये जैसा कि आयत में है 'उद्खुलू आ-ल फिरऔ-न अशइदल् अज़ाब'। फिर बनी इस्राईल को फिरऔन के पीछा करने और दरिया में डूबने से निजात के बाद और नेमतें इनायत हुई मसलन तौरात का अता होना और मन्न व सलवा, इन नेमतों को अता करके हमने बनी इस्राईल से फ़रमाया कि) ऐ बनी इस्राईल! (देखो) हमने (तुमको कैसी-कैसी नेमतें दीं कि) तुमको तुम्हारे (ऐसे बड़े) दुश्मन से निजात दी, और हमने तुमसे (यानी तुम्हारे पैग़म्बर से तुम्हारे नफ़े के

1) तूर पहाड़ की दाहिनी जानिब आने का (और वहाँ उनके बाद तौरात देने का) वायदा किया, (तीह की वादी में) हमने तुम पर 'मन्न' व 'सलवा' नाज़िल फ़रमाया। (और इजाज़त दी कि) जो अच्छी चीज़ें (शरई तौर पर भी कि हलाल हैं और तबई तौर पर भी कि मज़ेदार हैं) तुमको उनको खाओ और उस (खाने) में (शरई) हद से मत गुज़रो, (मसलन यह कि हराम से हासिल किया जाये, जैसा कि दुर् मन्सूर में है, या खाकर नाफ़रमानी की जाये) कहीं मेरा गुज़ब तुम पर न आ जाये। और जिस शख्स पर मेरा गुज़ब पड़ता है वह बिल्कुल गया गुज़रा हुआ। और (इसके साथ ही यह भी कि) मैं ऐसे लोगों के लिए बड़ा बख़्शने वाला भी हूँ जो (कुफ़्र व नाफ़रमानी से) तौबा कर लें और ईमान ले आएँ और नेक अमल करें, फिर (इसी) राह पर कायम (भी) रहें (यानी ईमान व नेक अमल पर पाबन्दी करें)। यह मज़मून हमने बनी इस्राईल से कहा था कि नेमत को याद करना और शुक्र का हुक्म और बुरे कामों से रोकना और वादा वईद यह खुद भी दीनी नेमत है।

मआरिफ़ व मसाईल

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

हक़ व बातिल मोजिज़े और जादू के निर्णायक मुक़ाबले ने फिरऔन और आले फिरऔन की कमर तोड़ दी और बनी इस्राईल हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम के नेतृत्व में जमा हो गये तो अब उनको यहाँ से हिजरत का हुक्म मिलता है। और चूँकि फिरऔन के पीछा करने और आगे दरिया के रास्ते में रुकावट होने का ख़तरा सामने था इसलिये दोनों चीज़ों से हज़रत मूसा अलैहिमस्सलाम को मुत्मईन कर दिया गया कि दरिया पर अपनी लाठी मारेंगे तो उसके बीच से खुशक रास्ते निकल आयेंगे और पीछे से फिरऔन के पीछा करने का ख़तरा न रहेगा जिसका तफ़सीली वाकिआ हदीसुल-फ़ुतून के तहत में इसी सूरत में गुज़र चुका है।

हज़रत मूसा अलैहिमस्सलाम ने दरिया पर लाठी मारी तो उसमें सड़कें इस तरह बन गयीं कि पानी के तूदे जमे हुए दरिया की तरह दोनों तरफ़ पहाड़ के बराबर खड़े रहे और दरमियान से रास्ते खुशक निकल आये जैसा कि सूर: शूरा में है:

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

और दरमियान में जो ये पानी की दीवारें उन बारह सड़कों के बीच थीं उनको कुदरत ने ऐसा बना दिया कि एक सड़क से गुज़रने वाले दूसरी सड़कों से गुज़रने वालों को देखते भी जाते थे और आपस में बातें भी कर रहे थे, ताकि उनके दिलों में यह ख़ौफ़ व घबराहट भी न रहे कि हमारे दूसरे कबीलों का क्या हाल हुआ। (तफ़सीरे कुतुबी)

मिस्र से निकलने के वक़्त बनी इस्राईल के कुछ हालात, उनकी

तायदाद और फिरऔन के लश्कर की संख्या

तफ़सीर रूहुल-मआनी में यह रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिमस्सलाम शुरू रात में बनी इस्राईल

को साथ लेकर मिस्र से दरियाये कुलजुम की तरफ निकले। बनी-इस्त्राईल ने इससे पहले शहर के लोगों में यह शोहरत दे दी थी कि हमारी ईद है हम ईद मनाने के लिये बाहर जायेंगे, और इस बहाने से किब्ती लोगों से कुछ ज़ेवरात माँगे के तौर पर ले लिये कि ईद से आकर वापस कर देंगे। बनी इस्त्राईल की तायदाद उस वक़्त छह लाख तीन हज़ार और दूसरी रिवायत में छह लाख सत्तर हज़ार थी (ये इस्त्राईली रिवायतें हैं जिनमें हो सकता है कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया गया हो लेकिन इतनी बात कुरआने करीम के इशारात और हदीस की रिवायतों से साबित है कि उनके बारह क़बीले थे और हर क़बीले की बहुत बड़ी तायदाद थी। यह भी हक़ तआला की कुदरत का एक अज़ीम नज़ारा था कि) जब ये हज़रात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र आये तो बारह भाई थे, अब बारह भाईयों के बारह क़बीलों की इतनी ज़बरदस्त संख्या मिस्र से निकली जो छह लाख से ज़ायद बतलाई जाती है। फिरऔन को जब इनके निकल जाने की इत्तिला मिली तो अपनी फौजें जमा कीं जिनमें सत्तर हज़ार सियाह घोड़े थे और लश्कर के अगले हिस्से में सात लाख सवार थे। जब पीछे से इस फौजी सैलाब को और आगे दरिया-ए-कुलजुम को बनी इस्त्राईल ने देखा तो घबरा उठे और मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की 'इन्ना लमुद्रकून' कि हम तो पकड़ लिये गये। मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि 'इन्-न मअि-य रब्बी स-यहदीन' कि मेरे साथ मेरा रब है वह मुझे रास्ता देगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दरिया पर लाठी मारी और उसमें बारह सूखी सड़कें निकल आयीं। बनी इस्त्राईल के बारह क़बीले उनसे गुज़र गये। जिस वक़्त फिरऔन और उसका लश्कर यहाँ पहुँचा तो फिरऔन का लश्कर यह हैरत-अंगेज़ मन्ज़र देखकर सहम गया कि उनके लिये दरिया में किस तरह रास्ते बन गये, मगर फिरऔन ने उनको कहा कि यह सब करिश्मा मेरी हैबत का है जिससे दरिया की खानगी रुककर रास्ते बन गये हैं। यह कहकर फ़ौरन आगे बढ़कर अपना घोड़ा दरिया के उस रास्ते में डाल दिया और सब लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। जिस वक़्त फिरऔन मय अपने तमाम लश्कर के उन दरियाई रास्तों के अन्दर समा चुके उसी वक़्त हक़ तआला ने दरिया को खानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से मिल गये 'फ़-ग़शि-यहुम मिनल्-यम्मि मा ग़शि-यहुम्' का यही हासिल है।

(तफ़सीर रूहुल-मअानी)

وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ.

फिरऔन से निजात पाने और दरिया से पार होने के बाद अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और उनके माध्यम से तमाम बनी इस्त्राईल से यह वायदा फ़रमाया कि वह तूर पहाड़ की दाहिनी जानिब चले आये ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की जाये, और बनी इस्त्राईल खुद भी अल्लाह तआला के साथ उनके कलाम करने के सम्मान को देख लें।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىَ ۝

यह वाकिआ उस वक़्त का है जब बनी इस्त्राईल दरिया पार करने के बाद आगे बढ़े और एक पवित्र शहर में दाखिल होने का उनको हुक्म मिला। उन्होंने हुक्म की खिलाफ़वर्जी की, उसकी यह सज़ा दी गयी कि उसी वादी में जिसको वादी-ए-तीह कहते हैं क़ैद कर दिये गये। यहाँ से चालीस साल

तक बाहर न निकल सके। इस सज़ा के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से उन पर इस कैद के ज़माने में भी तरह-तरह के इनामात होते रहे, उन्हीं में से मन्न व सलवा का इनाम था जो उनकी गिज़ा (खुराक) के लिये दिया जाता था।

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ
إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السّٰمِرِيُّ ۖ فَرَجَعْنَا
مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّٰ حَسَنًا ۗ أَفَطَالَ
عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۖ قَالُوا مَا
أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا ۖ أَوْ مَرَارَاتٍ مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَتَذَكَّرْنَا بِكَ الْفِي
السّٰمِرِيُّ ۖ فَأَخْرَجْنَاهُمْ عَجَلًا جِئِدًا لَّهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ه ۖ فَانصَبْ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَدْرًا وَلَا نَفْعًا ۚ

व मा अज-ल-क अन् कौमि-क या
मूसा (83) का-ल हुम् उला-इ अला
अ-सरी व अजिल्तु इलै-क रबिब
लितरजा (84) का-ल फ-इन्ना कद्
फतन्ना कौम-क मिम्-बअदि-क व
अजल्लहुमुस्-सामिरिय्यु (85)
फ-र-ज-अ मूसा इला कौमिही
गज्बा-न असिफन्, का-ल या कौमि
अलम् यअिदकुम् रब्बुकुम् वअदन्
ह-सनन्, अ-फता-ल अलैकुमुल्-अह्दु
अम् अरत्तुम् अय्यहिल्-ल अलैकुम्
ग-ज्बुम् मिररब्बिकुम् फ-अख्लफ्तुम्
मौअिदी (86) कालू मा अख्लफना
मौअि-द-क बिमल्लिकना व लाकिन्ना

और क्यों जल्दी की तूने अपनी कौम से
ऐ मूसा? (83) बोला वे यह आ रहे हैं
मेरे पीछे और मैं जल्दी आया तेरी तरफ
ऐ मेरे रब ताकि तू राजी हो। (84)
फरमाया हमने तो बिचला दिया तेरी कौम
को तेरे पीछे और बहकाया उनको सामरी
ने। (85) फिर उल्टा फिरा मूसा अपनी
कौम के पास गुस्से में भरा पछताता हुआ
कहा ऐ कौम! क्या तुमसे वायदा न किया
था तुम्हारे रब ने अच्छा वायदा, क्या
लम्बी हो गई तुम पर मुदत या चाहा तुम
ने कि उतरे तुम पर गजब तुम्हारे रब का
इसलिये खिलाफ किया तुमने मेरा वायदा।
(86) बोले हमने खिलाफ नहीं किया तेरा
वायदा अपने इख्तियार से व लेकिन

۲
۱۳

हुम्मिल्ला औजारम्-मिन् जीनतिल्-
 कौमि फ़-कज़फ़नाहा फ़-कज़ालि-क
 अल्कस्-सामिरिय्यु (87) फ़-अख़-ज
 लहुम् अिज्जन् ज-सदल्-लहू खुवारुन्
 फ़कालू हाज़ा इलाहुकुम् व इलाहु
 मूसा फ़-नसि-य (88) अ-फ़ला
 यरौ-न अल्ला यर्जिअु इलैहिम्
 कौलंक्-व ला यम्लिकु लहुम् ज़रंक्-
 व ला नफ़आ (89) ❀

उठवाया हमसे भारी बोझ कौमे फिरऔन
 के ज़ेवर का सो हमने उसको फेंक दिया
 फिर इस तरह ढाला सामरी ने। (87) फिर
 बना निकाला उनके वास्ते एक बछड़ा एक
 घड़ जिसमें आवाज़ गाये की फिर कहने
 लगे यह माबूद है तुम्हारा और माबूद है
 मूसा का, सो वह भूल गया। (88) भला
 ये लोग नहीं देखते कि वह जवाब तक
 नहीं देता इनको किसी बात का और
 इख़्तियार नहीं रखता इनके बुरे का और
 न भले का। (89) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (जब अल्लाह तआला को तौरात देना मन्ज़ूर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर आने का हुक्म फ़रमाया और कौम को भी, यानी कुछ को साथ आने का हुक्म हुआ जैसा कि फ़ह्ल-मन्नान में बयान किया गया है) मूसा अलैहिस्सलाम शौक में सबसे आगे तन्हा जा पहुँचे और दूसरे लोग अपनी जगह रह गये, तूर का इरादा ही नहीं किया, अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि) ऐ मूसा! आपको अपनी कौम से आगे जल्दी आने का क्या सबब हुआ? उन्होंने (अपने गुमान के मुवाफ़िक) अर्ज किया कि वे लोग यही तो हैं मेरे पीछे-पीछे (आ रहे हैं) और मैं (सबसे पहले) आपके पास (यानी उस जगह जहाँ गुफ़्तगू और मुखातब होने का आपने वायदा फ़रमाया) जल्दी से इसलिये चला आया कि आप (ज्यादा) खुश होंगे (क्योंकि हुक्म के पालन में पेशकदमी करना ज्यादा खुशनुदी का सबब है) इरशाद हुआ कि तुम्हारी कौम को तो हमने तुम्हारे (चले आने के) बाद (एक बला में) मुब्तला कर दिया और उनको सामरी ने गुमराह कर दिया (जिसका बयान आगे आता है आयत 88 में। और 'फ़तन्ना' में इस आजमाईश को अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ मन्सूब इसलिए किया कि हर काम का ख़ालिक वही है वरना असल निस्बत इस काम की सामरी की तरफ़ है जिसको आयत 85 में ज़ाहिर फ़रमाया है)।

ग़र्ज़ कि मूसा (अलैहिस्सलाम मियाद पूरी करने के बाद) गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम की तरफ़ वापस आए (और) फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी कौम! क्या तुमसे तुम्हारे रब ने एक अच्छा (और सच्चा) वायदा नहीं किया था (कि हम तुमको अहकाम की एक किताब देंगे तो उस किताब का तो तुमको इन्तिज़ार वाजिब था) क्या तुम पर (मुकरर मियाद से बहुत ज्यादा) ज़माना गुज़र गया था, (कि उसके मिलने से नाउम्मीदी हो गई इसलिये अपनी तरफ़ से एक इबादत गढ़ ली) या (बायजूद नाउम्मीदी न होने के) तुमको यह मन्ज़ूर हुआ कि तुम पर तुम्हारे रब का गुज़ब आ पड़े, इसलिए तुमने

मुझसे जो वायदा किया था (कि आपकी वापसी तक कोई नया काम न करेंगे और आपके नायब हारून की इताअत करेंगे) उसको खिलाफ़ किया। वे कहने लगे कि हमने जो आपसे वायदा किया था उसको अपने इख़्तियार से खिलाफ़ नहीं किया (यह मायने नहीं कि किसी ने उनसे ज़बरदस्ती यह काम करा लिया बल्कि मतलब यह है कि जिस राय को हमने शुरू में जबकि हम ख़ाली ज़ेहन थे इख़्तियार कर लिया था, उसके खिलाफ़ सामरी का अमल हमारे लिये शुद्ध में पड़ने का सबब बन गया जिससे हमने वह पहली राय यानी तौहीद इख़्तियार न की बल्कि राय बदल गई। गो उस पर भी अमल इख़्तियार ही से हुआ, चुनाँचे आईन्दा कहा गया) व लेकिन (किब्ती) कौम के ज़ेवर में से हम पर बोझ लद रहा था, सो हमने उसको (सामरी के कहने से आगे में) डाल दिया, फिर उसी तरह सामरी ने (भी अपने साथ का ज़ेवर) डाल दिया। (आगे अल्लाह तआला किस्से की तकमील इस तरह फ़रमाते हैं) फिर उस (सामरी) ने उन लोगों के लिये एक बछड़ा (बनाकर) ज़ाहिर किया कि वह एक कालिब (ढाँचा और खोल था जो कमालात से ख़ाली) था, जिसमें एक (बेमानी) आवाज़ थी, सो (उसके बारे में वे अहमक) लोग (एक-दूसरे से) कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का भी माबूद तो यह है, (इसकी इबादत करो) मूसा तो भूल गये (कि तूर पर खुदा की तलब में गये हैं। हक़ तआला उनकी अहमकाना ज़ुरत पर फ़रमाते हैं कि) क्या वे लोग इतना भी नहीं देखते थे कि वह (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) न तो उनकी किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनके किसी नुक़सान या नफ़े पर कुदरत रखता है (ऐसा नाकारा खुदा क्या होगा, और सच्चा माबूद नबियों के वास्ते से ख़िताब और ज़रूरी कलाम फ़रमाता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल फिराइन के पीछा करने और दरिया से निजात पाने के बाद आगे बढ़े तो उनका गुज़र एक बुत-परस्त (मूर्ति पूजक) कौम पर हुआ और उनकी इबादत व पूजा को देखकर बनी इस्राईल कहने लगे कि जिस तरह इन्होंने मौजूद और महसूस चीज़ों यानी बुतों को अपना खुदा बना रखा है हमारे लिये भी कोई ऐसा ही माबूद बना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके अहमकाना सवाल के जवाब में बतलाया कि तुम बड़े जाहिल हो, ये बुत-परस्त लोग तो सब हलाक होने वाले हैं और इनका तरीका बातिल है:

انکم قوم تجهلون ۝ ان هو لا ۝ متبر ماہم فیہ و بطل ما کانوا یعملون ۝

उस वक़्त हक़ तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से यह वायदा फ़रमाया कि अपनी कौम के साथ तूर पहाड़ पर आ जाईये तो हम आपको अपनी किताब तौरात अता करेंगे जो आपके और आपकी कौम के लिये एक क़ानून होगा मगर तौरात देने से पहले आप तीस दिन और तीस रात का लगातार रोज़ा रखें फिर उसके बाद इस मियाद में दस का और इज़ाफ़ा करके चालीस दिन कर दिये गये और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भय अपनी कौम के तूर पहाड़ की तरफ़ रवाना हो गये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के इस वायदे की वजह से शौक़ भड़क उठा और अपनी कौम को यह वसीयत करके आगे चले गये कि तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, मैं आगे जाकर रोज़े वगैरह की इबादत

में मशगूल होता हूँ जिसकी मियाद मुझे तीस दिन बतलाई गयी है, मेरी गैर-हाजिरी में हारून मेरे नायब और कायम-मकाम (उत्तराधिकारी) होंगे। बनी इस्राईल मय हारून अलैहिस्सलाम के अपनी रफ्तार से पीछे चलते रहे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी करके आगे बढ़ गये और ख्याल यह था कि कौम के लोग भी पीछे-पीछे तूर पहाड़ के करीब पहुँचेंगे मगर वहाँ वह सामरी का फितना गौसाला परस्ती का पेश आ गया। बनी इस्राईल के तीन फिर्के होकर इख़िलाफ़ (मतभेद व विवाद) में मुब्तला हो गये और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे-पीछे पहुँचने का मामला रुक गया।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हाज़िर हुए तो हक़ तआला ने यह ख़िताब फ़रमाया:

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ

यानी ऐ मूसा आप अपनी कौम से आगे जल्दी करके क्यों आ गये।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जल्द बाज़ी का सवाल और उसकी हिक्मत

सवाल का मक़सद बज़ाहिर यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हालत से बेख़बर रहकर यह उम्मीद कर रहे थे कि वे भी तूर पहाड़ के करीब पहुँच गये होंगे और कौम फ़ितने में मुब्तला हो चुकी है इसकी ख़बर मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी जाये। (तफ़सीर इब्ने कसीर) और तफ़सीर रुहुल-मअज़नी में कश्फ़ के हवाले से इस सवाल की वजह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरबियत के मुताल्लिक़ एक ख़ास हिदायत देना और उनकी इस जल्द बाज़ी पर तंबीह करना था कि आपके रिसालत के मन्सब (पद और जिम्मेदारी) का तकाज़ा यह था कि कौम के साथ रहते, उनको अपनी नज़र में रखते और साथ लाते। आपकी जल्द बाज़ी का यह नतीजा हुआ कि कौम को सामरी ने गुमराह कर दिया। इसमें खुद जल्द बाज़ी के काम की बुराई की तरफ़ भी इशारा है कि नबियों की यह शान न होनी चाहिये। और 'इन्तिसाफ़' के हवाले से नक़ल किया है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के साथ सफ़र करने का तरीका बतलाया गया कि कौम के सरदार को पीछे रहना चाहिये जैसे लूत अलैहिस्सलाम के वाक़िए में हक़ तआला ने उनको हुक्म दिया कि मोमिनों को अपने साथ लेकर शहर से निकल जाईये, उनको आगे रखकर खुद उन सब के पीछे रहिये 'वत्तबिअ् अद्बारहुम्'।

अल्लाह तआला के उक्त सवाल के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुमान के मुताबिक़ अर्ज़ किया कि मेरी कौम के लोग भी पीछे-पीछे पहुँचना ही चाहते हैं और मैं कुछ जल्दी करके आगे इसलिये आ गया कि हुक्म की तामील में आगे बढ़ना हाकिम की ज़्यादा खुशनूदी का सबब हुआ करता है। उस वक़्त हक़ तआला ने उनको कौम बनी इस्राईल में पेश आने वाले फ़ितने गौसाला परस्ती (गण्य के बछड़े की पूजा) की इत्तिला दे दी और यह कि उनको तो सामरी ने गुमराह कर दिया है और वे फ़ितने में मुब्तला हो चुके हैं।

सामरी कौन था?

छ हज़रत ने कहा है कि यह आले फिरऔन का क़िस्ती आदमी था जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुड़ास में रहता था। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इस्राईल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले तो यह भी साथ हो लिया। कुछ ने कहा कि यह बनी इस्राईल ही के एक कबीले सामरा का सरदार था और कबीला सामरा मुल्क शाम में परिचित है। हज़रत सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि यह फ़ारसी शख्स किरमान का रहने वाला था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि यह एक ऐसी क़ौम का आदमी था जो गाय की पूजा करने वाली थी यह किसी तरह मिस्र पहुँच गया और बज़ाहिर बनी इस्राईल के दीन में दाख़िल हो गया मगर इसके दिल में निफ़ाक़ (खोट) था। (तफ़सीरे कुर्तुबी) हाशिया कुर्तुबी में है कि यह शख्स हिन्दुस्तान का हिन्दू था जो गाय की इबादत करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया फिर अपने कुफ़्र की तरफ़ लौट गया या पहले ही से मुनाफ़िक़ाना तौर पर ईमान का इज़हार किया। वल्लाहु आलम

मशहूर यह है कि सामरी का नाम मूसा इब्ने ज़फ़र था। इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि मूसा सामरी पैदा हुआ तो फिरऔन की तरफ़ से तमाम इस्राईली लड़कों के क़त्ल का हुक्म जारी था, उसकी वालिदा को ख़ौफ़ हुआ कि फिरऔनी सिपाही इसको क़त्ल कर देंगे तो बच्चे को अपने सामने क़त्ल होता देखने की मुसीबत से यह बेहतर समझा कि उसको जंगल के एक ग़ार (खोह) में रखकर ऊपर से बन्द कर दिया। (कभी-कभी उसकी खबरगीरी करती होगी) उधर अल्लाह तआला ने जिब्रीले अमीन को उसकी हिफ़ाज़त और ग़िज़ा देने पर मामूर कर दिया, वह अपनी एक उंगली पर शहद एक पर मक्खन एक पर दूध लाते और इस बच्चे को चटा देते थे, यहाँ तक कि यह ग़ार ही में पलकर बड़ा हो गया और इसका अन्जाम यह हुआ कि कुफ़्र में मुब्तला हुआ और बनी इस्राईल को मुब्तला किया, फिर अल्लाह के क़हर में गिरफ़्तार हुआ। इसी मज़मून को किसी शायर ने दो शेरों में इस तरह अदा किया है। (रुहुल-मआनी)

إذا المرء لم يخلق سعيداً تحيرت عقول مربيّه و خاب المؤمن

فموسى الذى ربّاه جبريل كافر وموسى الذى ربّاه فرعون مرسل

तर्जुमा: जब कोई शख्स असल पैदाईश में नेकबख़्त न हो तो उसके परवरिश करने वालों की अक़लें भी हैरान रह जाती हैं और उससे उम्मीद करने वाला मेहरूम हो जाता है। देखो जिस मूसा को जिब्रीले अमीन ने पाला था वह तो काफ़िर हो गया और जिस मूसा को फिरऔन मर्दूद ने पाला था वह खुदा का रसूल बन गया।

أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا.

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रंज व ग़म के आलम में वापस आकर क़ौम से ख़िताब किया और पहले उनको अल्लाह तआला का वायदा याद दिलाया जिसके लिये वह सब क़ौम को लेकर तूर की जानिब ऐमन की तरफ़ चले थे कि यहाँ पहुँचकर अल्लाह तआला अपनी हिदायत की किताब अता फ़रमायेंगे और जिसके ज़रिये तुम्हारे दीन व दुनिया के तमाम मक़सिद पूरे होंगे।

यानी अल्लाह के इस वायदे पर कोई बड़ी मुद्दत भी तो नहीं गुज़री जिसमें तुम्हारे भूल जाने का गुमान व संभावना हो कि वायदे का इन्तिज़ार लम्बे ज़माने तक करने के बाद मायूस हो गये इसलिये दूसरा तरीका इख़्तियार कर लिया।

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ.

यानी भूल जाने या इन्तिज़ार से थक जाने का तो कोई शुब्हा व गुमान नहीं तो अब इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि तुमने खुद ही अपने इरादे व इख़्तियार से अपने स्व के गुज़ब को दावत दी।

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا.

लफ़्ज़ 'मल्क' और 'मुल्क' दोनों के मायने तक़रीबन एक हैं और मुराद इस जगह इससे अपना इख़्तियार है, और मक़सद इसका यह है कि हमने गौसाला (गाय के बछड़े) की पूजा की शुरुआत अपने इख़्तियार से नहीं की बल्कि सामरी के अ़मल को देखकर हम मजबूर हो गये। ज़ाहिर है कि उनका यह दावा ग़लत और बेबुनियाद है। सामरी या उसके अ़मल ने उनको मजबूर तो नहीं कर दिया था, खुद ही सोच-विचार से काम न लिया तो इसमें फंस गये। आगे सामरी का वह वाकिअ बयान किया।

وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ.

लफ़्ज़ 'औज़ार' 'विज़र' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने भारीपन और बोझ के हैं। इनसान के गुनाह भी चूँकि क़ियामत के दिन उस पर बोझ बनकर लादे जायेंगे इसलिये गुनाह को विज़र और गुनाहों को औज़ार कहा जाता है। 'ज़ीनतुल-क़ौमि' लफ़्ज़ ज़ीनत से मुराद ज़ेवर है और क़ौम से मुराद क़ौमे फ़िरऔन (क़िब्ती लोग) है, जिनसे बनी इस्राईल ने ईद का बहाना करके कुछ ज़ेवरात माँगे के तौर पर ले लिये थे, और वो फिर उनके साथ रहे। उनको औज़ार गुनाहों का बोझ के मायने में इसलिये कहा कि माँगे के तौर पर उन लोगों से लिये थे जिसका हक़ यह था कि उनको वापस किये जायें, चूँकि वापस नहीं किये गये तो इसको गुनाह करार दिया। और 'हदीस-ए-फ़ुतून' के नाम से जो तफ़सीली हदीस ऊपर नक़ल की गयी है उससे मालूम होता है कि हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने उन लोगों को इसके गुनाह होने पर चेताया और एक गढ़े में ये सब ज़ेवरात डाल देने का हुक्म दिया। कुछ रिवायतों में है कि सामरी ने अपना मतलब निकालने के लिये उनको कहा कि ये ज़ेवरात दूसरों का माल है तुम्हारे लिये इनका रखना बबाल है, उसके कहने से गढ़े में डाले गये।

काफ़िरों का माल मुसलमान के लिये किस सूरत में हलाल है

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि काफ़िर जो ज़िम्मी के तौर पर यानी मुसलमानों की हुक्मूत में उनके क़ानून की पाबन्दी करके बसते हैं, इसी तरह वे काफ़िर जिनसे मुसलमानों का कोई समझौता जान व माल वग़ैरह के अमन का हो जाये, उन काफ़िरों का माल तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिये

हलाल नहीं, लेकिन जो काफ़िर न मुसलमानों का जिम्मे वाला है न उससे उनका कोई अहद व मुआहदा है जिनको फ़ुक़हा की परिभाषा में हरबी काफ़िर कहा जाता है उनके माल तो मुसलमानों के लिये हलाल हैं फिर हारून अलैहिस्सलाम ने उनको विज़र व गुनाह कैसे करार दिया और उनके कब्ज़े से निकालकर गढ़े में डालने का हुक्म क्यों दिया। इसका एक जवाब तो मशहूर है जो ज़्यादातर मुफ़स्सरीन ने लिखा है कि हरबी काफ़िर का माल लेना अगरचे मुसलमान के लिये जायज़ है मगर वह माल माले ग़नीमत के हुक्म में है और माले ग़नीमत का क़ानून इस्लामी शरीअत से पहले यह था कि काफ़िरो के कब्ज़े से निकाल लेना तो उसका जायज़ था मगर मुसलमानों के लिये इस्तेमाल करना और उससे नफ़ा उठाना हलाल नहीं था, बल्कि माले ग़नीमत जमा करके किसी टीले वगैरह पर रख दिया जाता था और आसमानी आग (बिजली वगैरह) आकर उसको खा जाती थी। यही निशानी उनके जिहाद कुबूल होने की थी, और जिस माले ग़नीमत को आसमानी आग न खाये वह निशानी इसकी थी कि जिहाद मक़बूल नहीं, इसलिये वह माल भी मन्हूस समझा जाता और कोई उसके पास न जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत में जो मख़सूस रियायतें और सहूलतें दी गयी हैं उनमें से एक यह भी है कि माले ग़नीमत को मुसलमानों के लिये हलाल कर दिया गया जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में इसकी वज़ाहत है।

इस क़ायदे के एतिबार से बनी इस्राईल के कब्ज़े में आया हुआ माल जो कौम से लिया था माले ग़नीमत ही के हुक्म में करार दिया जाये तब भी उसका इस्तेमाल उनके लिये जायज़ नहीं था, इसी वज़ह से उस माल को औज़ार (गुनाह और बोझ) के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया और हज़रत हारून के हुक्म से उसको एक गढ़े में डाल दिया गया।

एक अहम फ़ायदा

लेकिन फ़िक्ही नज़र से इस मामले की जो तहकीक़ इमाम मुहम्मद रह. की 'किताबुस्सियर' और उसकी शरह 'सरख़्सी' में बयान की गयी है वह बहुत अहम और ज़्यादा सही मालूम होती है। वह यह है कि हरबी काफ़िर का माल भी हर हाल में माले ग़नीमत नहीं होता बल्कि उसकी शर्त यह है कि बाक़यदा जिहाद व क़िताल के ज़रिये तलवार के जोर पर उनसे हासिल किया जाये, इसी लिये शरह सियर में 'मुग़ालबा बिल्मुहारबा' शर्त करार दिया है, और हरबी काफ़िर का जो माल मुग़ालबा और मुहारबा (यानी उनसे जंग करने और उन पर ग़ालिब आने) की सूरत से हासिल न हो वह माले ग़नीमत नहीं बल्कि उसको माल-ए-फ़ै कहते हैं, मगर उसके हलाल होने में उन काफ़िरो की रज़ा व इजाज़त शर्त है जैसे कोई इस्लामी हुक्मत उन पर टैक्स लगा दे और वे उस पर राज़ी हों कि यह टैक्स दे दें तो अगरचे यह कोई जंग व जिहाद नहीं मगर रज़ामन्दी से दिया हुआ माल माल-ए-फ़ै के हुक्म में है और वह भी हलाल है।

यहाँ कौमे फिरऔन से लिये हुए ज़ेवरात इन दोनों किस्मों में दाख़िल नहीं, क्योंकि ये उनसे माँगे और उधार के तौर पर कहकर लिये गये थे, वे इनको मालिकाना तौर पर देने के लिये रज़ामन्द न थे कि इसको माले-ए-फ़ै कहा जाये और कोई जंग व जिहाद तो वहाँ हुआ ही नहीं कि माले ग़नीमत शमार किया जाये, इसलिये इस्लामी शरीअत के हिसाब से भी यह माल उनके लिये हलाल न था।

हिजरत के वाकिए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब मदीना तय्यिबा जाने का इरादा फरमा लिया और आपके पास अरब के काफिरों की बहुत सी अमानतें रखी थीं, क्योंकि सारा अरब आपको अमानतदार यकीन करता और अमीन के लफ्ज से खिताब करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी अमानतों को वापस करने का इतना एहतिमाम फरमाया कि हजरत अली कर्मल्लाहु वज्हू के सुपर्द करके अपने पीछे उनको छोड़ा और हुक्म दिया कि जिस जिसकी अमानत है उसको वापस कर दी जाये, आप इससे फारिग होकर हिजरत करें। इस माल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने माले गनीमत के तहत हलाल करार नहीं दिया वरना वह मुसलमानों का हक होता, काफिरों को वापस करने का कोई सवाल ही नहीं था। वल्लाहु आलम

فَقَدْ فَتِنَهَا

यानी हमने उन जेवरात को फेंक दिया। ऊपर बयान हुई हदीस-ए-फुतून के एतिबार से यह अमल हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हुक्म से किया गया, और कुछ रिवायतों में है कि सामरी ने उनको बहका कर जेवरात गढ़े में डलवा दिये और दोनों बातें जमा हो जायें यह भी कोई मुहाल नहीं।

فَكَذَلِكَ الْقِي السَّامِرِيُّ ۝

ऊपर बयान हो चुकी हदीस-ए-फुतून में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत से मालूम होता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब बनी इस्राईल के सब जेवरात गढ़े में डलवा दिये और उसमें आग जलवा दी कि सब जेवरात पिघल कर एक जिस्म हो जायें फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद इसका मामला तय किया जायेगा कि क्या किया जाये। जब सब लोग अपने-अपने जेवरात उसमें डाल चुके तो सामरी भी मुट्ठी बन्द किये हुए पहुँचा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं भी डाल दूँ? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि इसके हाथ में भी कोई जेवर होगा, फरमाया कि डाल दो। उस वक्त सामरी ने हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं जब डालूँगा कि आप यह दुआ करें कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वह पूरा हो जाये। हारून अलैहिस्सलाम को उसका निफाक व कुफ्र मालूम नहीं था दुआ कर दी। अब जो उसने अपने हाथ से डाला तो जेवर के बजाय मिट्टी थी जिसको उसने जिब्रीले अमीन के घोड़े के कदम के नीचे से कहीं यह हैरत-अंगेज वाकिआ देखकर उठा लिया था कि जिस जगह उसका कदम पड़ता वहीं मिट्टी में जिन्दगी और फलने-फूलने के आसार पैदा हो जाते हैं, जिससे उसने समझा कि इस मिट्टी में जिन्दगी के आसार (निशानात) रखे हुए हैं, शैतान ने उसको इस पर आमादा कर दिया कि यह उसके जरिये एक बछड़ा जिन्दा करके दिखलाये। बहरहाल उस मिट्टी का जाती असर हो या हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दुआ का कि यह सोने चाँदी का पिघला हुआ जखीरा उस मिट्टी के डालने और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ करने के साथ एक जिन्दा बछड़ा बनकर बोलने लगा। जिन रिवायतों में है कि सामरी ही ने बनी इस्राईल को जेवरात उस गढ़े में डालने का मशिवरा दिया था उनमें यह भी है कि उसने जेवरात को पिघलाकर एक बछड़े की मूरत तैयार कर ली थी मगर उसमें कोई जिन्दगी नहीं थी। फिर यह जिब्रीले अमीन के कदम के निशान की मिट्टी डालने के बाद उसमें जिन्दगी पैदा हो गयी (यह सब

रिवायतें तफसीरे कुतुबी वगैरह में बयान हुई हैं, और ज़ाहिर है कि इस्राईली रिवायतें हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इनको ग़लत कहने की भी कोई दलील मौजूद नहीं।

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٍ.

यानी निकाल लिया सामरी ने उन ज़ेवरात से एक बछड़े का जिस्म जिसमें गाय की आवाज़ थी। लफ्ज़ 'ज-सदन' से कुछ हज़राते मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि यह महज़ एक ढाँचा और जिस्म था जिन्दगी उसमें नहीं थी, और आवाज़ भी एक खास सिफ़त के सबब उससे निकलती थी। लेकिन आम मुफ़स्सरीन का कौल वही है जो ऊपर लिखा गया कि उसमें जिन्दगी के आसार थे।

فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ. فَنَسِيَ ۝

यानी सामरी और उसके साथी यह बछड़ा बोलने वाला देखकर दूसरे बनी इस्राईल से कहने लगे कि यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, मूसा अलैहिस्सलाम भूल-भटककर कहीं और चले गये। यहाँ तक बनी इस्राईल के बेबुनियाद और न चलने वाले उज़्र का बयान था जो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से व नाराज़गी के वक़्त पेश किया, इसके बाद:

أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

में उनकी बेवकूफी और गुमराही को बयान फ़रमाया है कि अगर यह वास्तव में एक जिन्दा बछड़ा ही हो गया और गाय की तरह बोलने भी लगा तो अक़ल के दुश्मनो यह तो समझो कि खुदाई का उससे क्या वास्ता है? जबकि न वह तुम्हारी किसी बात का जवाब दे सकता है, न तुम्हें कोई नफ़ा या नुक़सान पहुँचा सकता है, तो उसको खुदा मानने की बेवकूफी कैसे सही हो सकती है।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عِقَابِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝ قَالَ يَهُودُؤُنَّ مَا

مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝ أَلَا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۝ قَالَ يَبْنَؤُمْرًا لَا تَأْخُذُ بِلِحِيَّتِي وَلَا يَدْرَأُ سِيءُ

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝

व ल-क़द् का-ल लहुम् हारुनु मिन्
क़ब्लु या कौमि इन्नमा फ़ुतिन्तुम्
बिही व इन्-न रब्बकुमुर्-रहमानु
फ़त्तबिअूनी व अतीअू अम्री (90)
कालू लन् नब्-ह अलैहि आकिफी-न
हत्ता यर्जि-अ इलैना मूसा (91)

और कहा था उनको हारून ने पहले से ऐ
कौम! बात यही है कि तुम बहक गये इस
बछड़े से और तुम्हारा रब तो रहमान है सो
मेरी राह चलो और मानो मेरी बात। (90)
बोले हम बराबर इसी पर लगे बैठे रहेंगे जब
तक लौटकर आये हमारे पास मूसा। (91)

का-ल या हारुनु मा म-न-अ-क इज़्
 रए-तहुम् ज़ल्लू (92) अल्ला
 तत्तबि-अनि, अ-फ़-असै-त अम्री
 (93) का-ल यब्नउम्-म ला तअखुज़्
 बिलिह्यती व ला बिरअसी इन्नी
 ख़शीतु अन् तकू-ल फ़रक़-त बै-न
 बनी इस्राई-ल व लम् तरकुब्
 कौली (94)

कहा मूसा ने- ऐ हारुन! किस चीज़ ने
 रोका तुझको जब देखा था तूने कि वे
 बहक गये (92) कि तू मेरे पीछे न आया,
 क्या तूने रद्द किया मेरा हुक्म। (93) वह
 बोला ऐ मेरी माँ के जने! न पकड़ मेरी
 दाढ़ी और न सर, मैं डरा कि तू कहेगा
 फूट डाल दी तूने बनी इस्राईल में, और
 याद न रखी मेरी बात। (94)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और उन लोगों से हारुन (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लौटने से) पहले भी कहा था कि ऐ मेरी कौम! तुम इस (गौसाला) के सबब गुमराही में फँस गये हो (यानी इसकी पूजा किसी तरह दुरुस्त नहीं हो सकती, यह खुली गुमराही है) और तुम्हारा (वास्तविक) रब रहमान है (न कि यह गौसाला) सो तुम (दीन के बारे में) मेरी राह पर चलो और (इस बारे में) मेरा कहना मानो (यानी मेरे कौल व फ़ेल की पैरवी करो)। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जब तक मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारे पास वापस (होकर) आएँ इसी (की इबादत) पर बराबर जमे बैठे रहेंगे। (गुर्ज कि हारुन अलैहिस्सलाम का कहना नहीं माना था यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गये और कौम से पहले खिताब किया जो ऊपर आ चुका, बाद उसके हारुन अलैहिस्सलाम की तरफ़ मुतवज्जह हुए और) कहा कि ऐ हारुन! जब तुमने (इनको) देखा था कि ये (बिल्कुल) गुमराह हो गये (और नसीहत भी नहीं सुनी) तो (उस वक़्त) तुमको मेरे पास चले आने से कौनसी चीज़ रुकावट हुई थी (यानी उस वक़्त मेरे पास चले आना चाहिए था ताकि इन लोगों को और ज़्यादा यक़ीन होता कि तुम इनके काम को बहुत ही नापसन्द करते हो और साथ ही ऐसे बागियों से ताल्लुकात ख़त्म करना जिस कद्र ज़्यादा हो बेहतर है) सो क्या तुमने मेरे कहने के खिलाफ़ किया (कि मैंने कहा था कि बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों के रास्ते की पैरवी मत करना जैसा कि पारा नम्बर 9 में है, जिसके उभूम में यह भी दाख़िल है कि फ़सादी लोगों से ताल्लुकात न रखें और सबसे अलग हो जायें)।

हारुन (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ मेरे माँ-जाय (यानी मेरे भाई)! तुम मेरी दाढ़ी मत पकड़ो और न सर (के बाल) पकड़ो (और मेरा उज़्र सुन लो, मेरे तुम्हारे पास न आने की यह वजह थी कि) मुझे यह अन्देशा हुआ कि (अगर मैं आपकी तरफ़ चला तो मेरे साथ वे लोग भी चलेंगे जो गौसाला परस्ती से अलग रहे तो बनी इस्राईल की जमाअत के दो टुकड़े हो जायेंगे, क्योंकि गौसाला की पूजा को बुरा समझने वाले मेरे साथ होंगे और दूसरे लोग उसकी इबादत पर ही जमे रहेंगे, और इस हालत

में) तुम यह कहने लगे कि तुमने बनी इस्राईल के बीच फूट डाल दी (जो बाजे समय उनके साथ रहने से ज्यादा नुकसानदेह होती है कि मुप्सिदीन खाली मैदान पाकर बेखौफ़ फ़साद में तरक्की करते हैं) और तुमने मेरी बात का पास न किया (कि मैंने कहा था इस्लाह, यानी उस सूरत में आप मुझे यह इल्जाम देते कि मैंने तुम्हें इस्लाह करने का हुक्म दिया था तुमने बनी इस्राईल में फूट डालकर फ़साद खड़ा कर दिया)।

मआरिफ़ व मसाईल

बनी इस्राईल में गौसाला परस्ती का फ़ितना फूट पड़ा तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफ़ा और नायब होने का हक़ अदा करके कौम को समझाया मगर जैसा कि पहले बयान हो चुका है उनमें तीन फ़िक्रें हो गये— एक फ़िक्र तो हज़रत हारून के साथ रहा, उनकी फ़रमाँबरदारी की, उसने गौसाला परस्ती को गुमराही समझा, उनकी संख्या बारह हज़ार बतलाई गयी है, जैसा कि तफ़सीरे कुर्तुबी में है। बाकी दो फ़िक्रें गौसाला परस्ती में तो शरीक हो गये फ़र्क़ इतना रहा कि उन दोनों में से एक फ़िक्रें ने यह इफ़रार किया कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर इससे मना करेंगे तो हम गौसाला परस्ती को छोड़ देंगे। दूसरा फ़िक्र इतना पुख़्ता था कि उसका यकीन यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम भी वापस आकर इसी को माबूद बना लेंगे और हमें इस तरीक़े को बहरहाल छोड़ना नहीं है। जब उन दोनों फ़िक्रों का यह जवाब हज़रत हारून ने सुना कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी तक गौसाला ही की इबादत पर जमे रहेंगे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने हम-अक़ीदा-बारह हज़ार साथियों को लेकर उनसे अलग तो हो गये मगर रहने-सहने बग़ैरह की जगह वही थी उसमें उनके साथ साझा रहा।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर अब्बल तो बनी इस्राईल को वह ख़िताब किया जो पिछली आयतों में बयान हुआ है, फिर अपने खलीफ़ा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ़ मुतवज्जह होकर उन पर सख़्त गुस्सा और नाराज़ी का इज़हार किया, उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिये और फ़रमाया कि जब इन बनी इस्राईल को आपने देख लिया कि खुली गुमराही यानी शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला होकर गुमराह हो गये तो तुमने मेरी पैरवी क्यों न की, मेरे हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी क्यों की।

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ

इस जगह मूसा अलैहिस्सलाम का यह इरशाद कि तुम्हें मेरी पैरवी करने से किस चीज़ ने रोका, इस पैरवी का एक मफ़हूम तो वही है जो खुलासा-ए-तफ़सीर में इख़्तियार किया गया कि पैरवी से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के पास तूर पर चले ज़ना है, और कुछ मुफ़स्सिरीन ने पैरवी की मुराद यह फ़रार दी कि जब ये लोग गुमराह हो गये तो आपने इनका मुकाबला क्यों न किया, क्योंकि मेरी मौजूदगी में ऐसा होता तो मैं यकीनन इस शिर्क व कुफ़्र पर क़ायम रहने वालों से जिहाद और जंग करता, तुमने ऐसा क्यों न किया। दोनों सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ से हारून अलैहिस्सलाम पर इल्जाम यह था कि ऐसी गुमराही की सूरत में या तो इनसे जंग और जिहाद किया जाता या फिर इनसे बराअत और अलैहदगी इख़्तियार करके मेरे पास आ जाते। इनके साथ रहते

बसते रहना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक उनकी ख़ता और ग़लती थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इस मामले के बावजूद अदब की पूरी रियायत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को नर्म करने के लिये ख़िताब 'यब्नउम्-म' के अलफ़ज़ से किया, यानी मेरी माँ के बेटे। इस ख़िताब में एक ख़ास इशारा सख़्ती का मामला न करने की तरफ़ था कि मैं आपका भाई ही तो हूँ कोई मुख़ालिफ़ तो नहीं, इसलिये आप मेरा उज़्र सुनें। फिर उज़्र यह बयान किया कि मुझे ख़तरा यह पैदा हो गया कि अगर मैंने इन लोगों से मुकाबला और जंग करने पर आपके आने से पहले क़दम उठा दिया या इनको छोड़कर खुद बारह हज़ार बनी इस्राईल के साथ आपके पास चला गया, तो बनी इस्राईल में फूट पैदा हो जायेगी और आपने जो चलते वक़्त मुझे यह हिदायत फ़रमाई थी कि:

أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

मैं इस्लाह का तकाज़ा यह समझा था कि इनमें फूट न पैदा होने दूँ (मुम्किन है कि आपके वापस आने के बाद ये सब ही समझ जायें और ईमान व तौहीद पर वापस आ जायें)। और दूसरी जगह कुरआने करीम में हारून अलैहिस्सलाम के उज़्र में यह कौल भी है कि:

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونَنِي وَكَادُوا يَكْتُلُونَنِي

यानी कौम बनी इस्राईल ने मुझे ज़ईफ़ व कमज़ोर समझा क्योंकि मेरे साथी दूसरों के मुकाबले में बहुत कम थे, इसलिये क़रीब था कि वे मुझे क़त्ल कर डालते।

खुलासा उज़्र का यह है कि मैं उनकी गुमराही का साथी नहीं था जितना समझाना और हिदायत पर रखना मेरे बस में था वह मैंने पूरा किया, उन लोगों ने मेरी बात न मानी और मेरे क़त्ल करने के पीछे लग गये, ऐसी सूरत में उनसे जंग करता या उनको छोड़कर आपके पास जाने का इरादा करता तो सिर्फ़ ये बारह हज़ार बनी इस्राईल मेरे साथ होते बाकी सब जंग और मुकाबले पर आ जाते और आपसी जंग का बाज़ार गर्म हो जाता, मैंने उससे बचने के लिये आपकी वापसी तक के लिये कुछ नर्मी बरतने की सूरत इख़्तियार की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह उज़्र सुना तो हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और फ़साद की असल जड़ सामरी की ख़बर ली। कुरआन में यह कहीं मज़कूर नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की राय को सही मान लिया या महज़ उनकी वैचारिक ख़ता समझकर छोड़ दिया।

दो पैग़म्बरों में मतभेद और दोनों के सही होने के पहलू

इस वाक़िए में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की राय इज्तिहाद व विचार के एतिबार से यह थी कि इस हालत में हारून अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को इस संयुक्त कौम के साथ नहीं रहना चाहिये था, इनको छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाते जिससे इनके अमल से मुकम्मल बेज़ारी का इज़हार हो जाता।

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की राय इज्तिहाद व विचार के एतिबार से यह थी कि अगर ऐसा किया गया तो हमेशा के लिये बनी इस्राईल के टुकड़े हो जायेंगे और फूट पड़ जायेगी, और चूँकि

उनकी इस्लाह की यह संभावना और उम्मीद मौजूद थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद उनके असर से फिर ये सब ईमान और तौहीद की तरफ लौट आये इसलिये कुछ दिनों के लिये उनके साथ नमी बरतने और साथ रहने को उनकी इस्लाह की उम्मीद तक गवारा किया जाये। दोनों का मकसद अल्लाह तआला के अहकाम की तामील, ईमान व तौहीद पर लोगों को कायम करना था मगर एक ने अलग होने और बायकाट करने को इसकी तदबीर समझा, दूसरे ने हालत के सुधार की उम्मीद तक उनके साथ नमी बरतने को इस मकसद के लिये फायदेमन्द समझा। दोनों जानिब अकल व समझ रखने और गौर व फिक्र करने वालों के लिये ध्यान देने और विचार के काबिल हैं। किसी को खता (गलती) कहना आसान नहीं, उम्मत के मुज्ताहिदीन के वैचारिक मतभेद उमूमन इसी तरह के होते हैं, उनमें किसी को गुनाहगार या नाफरमान नहीं कहा जा सकता। रहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम के बाल पकड़ने का मामला तो यह दीन के मामले में अल्लाह तआला के लिये सख्ती व गुज़ब का असर था कि असल हाल की तहकीक से पहले उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को एक ख़ुली गलती पर समझा और जब उनका उज़्र मालूम हो गया तो फिर अपने लिये और उनके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत फ़रमाई।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيُومُ ۖ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۖ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۗ وَانظُرِي إِلَى إِلٰهِكِ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۖ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ

का-ल फ़मा ख़ल्बु-क या सामिरिय्यु
(95) का-ल बसुरतु बिमा लम् यब्सुरु
बिही फ़-क़बज़तु कब्ज़-तम् मिन्
अ-सरिररसूलि फ़-नबज़तुहा व
कज़ालि-क सव्वलत् ली नफ़सी (96)
का-ल फ़ज़हब् फ़-इन्-न ल-क
फ़िल्हयाति अन् तकू-ल ला मिसा-स
व इन्-न ल-क मौज़िदल् लन्
तुख़्ल-फ़हू वन्ज़ुर इला इलाहि-कल्लज़ी
ज़ल्-त अलैहि आकिफ़न्,

कहा मूसा ने अब तेरी क्या हकीकत है ऐ सामरी। (95) बोला मैंने देख लिया जो औरों ने न देखा, फिर भर ली मैंने एक मुट्ठी पाँव के नीचे से उस भेजे हुए के फिर मैंने वही डाल दी और यही सलाह दी मुझको मेरे जी ने। (96) कहा मूसा ने दूर हो तेरे लिये जिन्दगी भर तो इतनी सज़ा है कि कहा करे मत छेड़ो और तेरे वास्ते एक वायदा है वह हरगिज़ तुझसे ख़िलाफ़ न होगा, और देख अपने माबूद को जिसका पूरे दिन तू चक्कर लगाता

लनु-हरिकन्नहू सुम्-म ल-नन्सिफन्नहू
 फिल्यम्मि नस्फ़ा (97) इन्नमा
 इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ता इला-ह
 इल्ला हु-व, वसि-अ कुल्-ल शैइन्
 अिल्मा (98)

रहता था हम उसको जला देंगे फिर बिखेर
 देंगे दरिया में उड़ाकर। (97) तुम्हारा
 माबूद तो वही अल्लाह है जिसके सिवा
 किसी की बन्दगी नहीं, सब चीज़ समा
 गई है उसके इल्म में। (98)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(फिर सामरी की तरफ़ मुतवज्जह हुए और उससे) कहा ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है (यानी तूने यह हरकत क्यों की)? उसने कहा कि मुझको ऐसी चीज़ नज़र आई थी जो औरों को नज़र न आई थी (यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम घोड़े पर चढ़े हुए जिस दिन दरिया से पार उतरे हैं जो मोमिनों की मदद की मस्तेहत व काफ़िरों के हलाक करने के लिये आये होंगे और तारीख़े तबरी में सुद्दी से सनद के साथ नक़ल किया है कि हज़रत जिब्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के पास यह हुक्म लेकर घोड़े पर सवार होकर आये थे कि आप तूर पर जायें, तो उस वक़्त सामरी ने देखा था) फिर मैंने उस खुदा की तरफ़ से भेजी हुई (अल्लाह की सवारी) के नक़शे क़दम "पैरों के निशान" से एक मुट्ठी (भरकर खाक) उठा ली थी (और खुद-ब-खुद मेरे दिल में यह बात आई कि इसमें ज़िन्दगी के असरात होंगे, जिस चीज़ पर डाली जायेगी उसमें ज़िन्दगी पैदा हो जायेगी) सो मैंने वह मिट्टी (उस बछड़े के ढाँचे के अन्दर) डाल दी, और मेरे जी को यही बात (भाई और) पसन्द आई। आपने फ़रमाया तो बस तेरे लिए इस (दुनियावी) ज़िन्दगी में यह सज़ा (तजवीज़ की गई) है कि तू यह कहता फिरा करेगा कि मुझको कोई हाथ न लगाना, और तेरे लिये (इस सज़ा के अलावा) एक और वायदा (हक़ तआला के अज़ाब का) है जो तुझसे टलने वाला नहीं (यानी आख़िरत में अज़ाब अलग से होगा)। और तू अपने इस (झूठे) माबूद को जिस (की इबादत) पर तू जमा हुआ बैठा था (देख) हम इसको जला देंगे फिर इस (की राख) को दरिया में बिखेर कर बहा देंगे (ताकि इसका नाम व निशान न रहे) बस तुम्हारा (असली) माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह (अपने) इल्म से तमाम चीज़ों को घेरे हुए है।

मअरिफ़ व मसाईल

بَصُرَتْ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

(यानी वह चीज़ देखी जो दूसरों ने नहीं देखी) इससे मुराद जिब्रीले अमीन हैं और उनके देखने के वाक़िए में एक रिवायत तो यह है कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भोजिजे से दरिया-ए-क़ुल्लुम में सूखे रास्ते बन गये और बनी इस्राईल उन रास्तों से गुज़र गये और फिर औनी लश्कर दरिया में दाख़िल हो रहा था तो जिब्रीले अमीन घोड़े पर सवार यहाँ मौजूद थे। दूसरी रिवायत यह है कि

दरिया से पार होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर आने की दावत देने के लिये जिब्रीले अमीन घोड़े पर सवार तशरीफ़ लाये थे, उनको सामरी ने देख लिया, दूसरे लोगों को मालूम न हो सका। इसकी वजह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में यह है कि सामरी की परवरिश खुद जिब्रीले अमीन के ज़रिये हुई थी, जिस वक़्त उसकी माँ ने उसको ग़ार में डाल दिया था तो जिब्रीले अमीन रोज़ाना उसको ग़िज़ा देने के लिये आते थे, इसकी वजह से वह उनसे मानूस था और पहचानता था, दूसरे लोग नहीं पहचान सके। (बयानुल-क़ुरआन)

فَقَبِضَتْ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ.

रसूल से मुराद इस जगह अल्लाह के भेजे हुए हज़रत जिब्रीले अमीन हैं। सामरी के दिल में शैतान ने यह बात डाली कि जिब्रीले अमीन के घोड़े का क़दम जिस जगह पड़ता है वहाँ की मिट्टी में हयात व ज़िन्दगी के खास असरात होंगे, यह मिट्टी उठा ली जाये। उसने पैरों के निशान की मिट्टी उठा ली। यह बात हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है:

القي في روعه انه لا يلقىها على شيء فيقول كن كذا الا كان.

यानी सामरी के दिल में खुद-ब-खुद यह बात पैदा हुई कि पाँव के निशान की इस मिट्टी को जिस चीज़ पर डालकर यह कहा जायेगा कि फ़ुल्लों चीज़ बन जा तो वह वही चीज़ बन जायेगी। और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि सामरी ने घोड़े के क़दमों के निशान का यह असर देखा कि जिस जगह क़दम पड़ता वहीं सब्ज़ा (हरियाली) फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता था जिससे यह दलील ली कि इस मिट्टी में ज़िन्दगी के आसार हैं, जैसा कि कमालैन में है। इसी तफ़सीर को तफ़सीर रुहुल-मआनी में सहाबा व ताबिईन और मुफ़स्सिग़िन की बड़ी जमाअत से मन्कूल कहा है, और इसमें आजकल ज़ाहिर परस्त लोगों ने जो शुब्हात निकाले हैं उन सब का जवाब दिया है। अल्लाह तआला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाये। (बयानुल-क़ुरआन)

फिर जब बनी इस्राईल के जमा किये ज़ेवरात से उसने एक बछड़े की शक़ल बना ली तो अपने गुमान के मुताबिक़ कि इस मिट्टी में ज़िन्दगी के आसार हैं जिस चीज़ में डाली जायेगी उसमें ज़िन्दगी पैदा हो जायेगी, उसने यह मिट्टी उस बछड़े के अन्दर डाल दी। अल्लाह की कुदरत से उसमें ज़िन्दगी के आसार पैदा हो गये और बोलने लगा। और हदीसे-ए-फ़ुतून जो पहले तफ़सील के साथ आ चुकी है उसमें यह है कि उसने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से दुआ कराई कि मैं अपने हाथ में जो कुछ है उसको डालता हूँ शर्त यह है कि आप यह दुआ कर दें कि जो मैं चाहता हूँ वह हो जाये। हज़रत हारून उसके निफ़ाक़ और गौसाला परस्ती से वाकिफ़ न थे, दुआ कर दी और उसने क़दमों के निशानात की वह ख़ाक़ उसमें डाल दी तो हज़रत हारून की दुआ से उसमें ज़िन्दगी के आसार पैदा हो गये। एक रिवायत के हवाले से यह पहले लिखा जा चुका है कि सामरी फ़ारस या हिन्दुस्तान का रहने वाला उस क़ौम का फ़र्द था जो गाय की पूजा करती है, मिस्र पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इमّान ले आया, बाद में फिर दीन से फिर गया या पहले ही इमّान का इज़हार मुनाफ़िक़ाना किया था फिर निफ़ाक़ ज़ाहिर हो गया। इस इमّान के इज़हार का फ़ायदा उसको यह पहुँचा कि बनी इस्राईल के

साथ दरिया से पार हो गया।

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ .

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिये दुनिया की ज़िन्दगी में यह सज़ा तजवीज़ की कि सब लोग उसका बायकाट करें, कोई उसके पास न जाये। और उसको भी यह हुक्म दिया कि किसी को हाथ न लगाये और ज़िन्दगी भर इसी तरह जंगली जानवरों की तरह सबसे अलग रहे। हो सकता है कि यह सज़ा एक क़ानून की सूरत में हो जिसकी पाबन्दी उस पर और दूसरे सब बनी इस्राईल पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ से लाज़िम कर दी गयी हो, और यह भी मुम्किन है कि क़ानूनी हैसियत की सज़ा से आगे खुद उसकी ज़ात में अल्लाह की कुदरत से कोई ऐसी बात पैदा कर दी गयी हो कि न वह दूसरों को छू सके न कोई दूसरा उसको छू सके, जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से उसमें यह कैफ़ियत पैदा हो गयी थी कि अगर यह किसी को हाथ लगा दे या कोई इसको हाथ लगा दे तो दोनों को बुखार चढ़ जाता था, जैसा कि मअ़ालिम में लिखा है। इस डर के मारे वह सबसे अलग भागा फिरता था, और जब किसी को क़रीब आता देखता तो दूर से पुकारता था 'ला मिसा-स' यानी कोई मुझे न छुए।

सामरी की सज़ा में एक लतीफ़ा

तफ़सीर रूहुल-मअ़ानी में तफ़सीर बहरे मुहीत के हवाले से नक़ल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को क़त्ल कर देने का इरादा किया था मगर अल्लाह तआला ने उसकी सख़ावत (दान-पुन करने) और लोगों की ख़िदमत करने की वजह से क़त्ल की सज़ा से मना फ़रमा दिया। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

لَنَحْرِقَنَّ

(यानी हम उसको आग में जलायेंगे) यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यह बछड़ा सोने चाँदी के ज़ेवरात से गढ़ा हुआ था तो उसके आग में जलाने की क्या सूरत होगी, सोना चाँदी पिघलने वाली चीज़ है जलने वाली नहीं। जवाब यह है कि अब्बल तो खुद इसमें मतभेद है कि बछड़े में ज़िन्दगी के आसार पैदा होने के बाद भी वह चाँदी सोने ही का रहा या उसकी हकीकत तब्दील होकर गोश्त और खून बन गया। अगर वह गोश्त और खून बन गया था तो ज़ाहिर है कि उसको जलाने का मतलब यह होगा कि ज़िबह करके जला दिया जायेगा, और अगर दूसरा कौल लिया जाये तो उसके जलाने का मतलब यह होगा कि उसको जलाकर रेती से ज़र्ज़ा-ज़र्ज़ा कर दिया जायेगा (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) या किसी अक्सीरी तरीके यह से जला दिया जायेगा (जैसा कि रूहुल-मअ़ानी में है) और यह भी कोई मुहाल और दूर की बात नहीं कि जलाना मोजिजे के तौर पर हो। बल्लाहु आलम (बयानुल-कुरआन)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۖ خَلِيدًا فِيهِ وَسَاءَ لِمِمْ لَئِيمًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ

الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
 أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا
 قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجٍ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ
 الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۖ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
 وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۖ وَعَدَّتِ الْجُودُ
 لِلْحَيِّ الْقِيُومَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ
 ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
 أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۖ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ
 وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۖ

कजालि-क नकुस्सु अलै-क मिन्
 अम्बा-इ मा कद् स-ब-क व कद्
 आतैना-क मिल्लदुन्ना जिक्का (99)
 मन् अअर-ज अन्हु फ-इन्नहू
 यस्मिलु यौमल्-कियामति विजरा
 (100) खालिदी-न फीहि व सा-अ
 लहुम् यौमल्-कियामति हिम्ला
 (101) यौ-म युन्फखु फिस्सूरि व
 नहशुरुल्-मुज्जिमी-न यौमइजिन्
 जुरका (102) य-तखाफतू-न बैनहुम्
 इल्लबिस्तुम् इल्ला अशरा (103)
 नहनु अअलमु बिमा यकूलू-न इज्ज
 यकूलु अमसलुहुम् तरी-कतन्
 इल्लबिस्तुम् इल्ला यौमा (104) ❀

यूँ सुनाते हैं हम तुझको उनके अहवाल जो
 पहले गुजर चुके, और हमने दी तुझको
 अपने पास से पढ़ने की किताब। (99)
 जो कोई मुँह फेर ले उससे सो वह
 उठायेगा कियामत के दिन एक बोझ।
 (100) सदा रहेंगे उसमें और बुरा है उन
 पर कियामत में वह बोझ उठाने का।
 (101) जिस दिन फूँकेंगे सूर में और घेर
 लायेंगे हम गुनाहगारों को उस दिन नीली
 आँखें। (102) चुपके चुपके कहते होंगे
 आपस में तुम नहीं रहे मगर दस दिन।
 (103) हमको खूब मालूम है जो कुछ कहते
 हैं जब बोलेगा उनमें अच्छी राह रविश वाला
 तुम नहीं रहे मगर एक दिन। (104) ❀

व यस्अलून-क अनिल्-जिबालि
 फकुल् यन्सिफुहा रब्बी नस्फा (105)
 फ-य-जरुहा काअन् सप्सफा (106)
 ला तरा फीहा अि-वजव्-व ला
 अस्ता (107) यौमइजिय्-यत्तबिअूनद्-
 -दाअि-य ला अि-व-ज लहू व
 छा-श-अतिल्-अस्वातु लिर्ह्मानि
 फला तस्मअु इल्ला हम्सा (108)
 यौमइजिल्-ला तन्फअुश्शफा-अतु
 इल्ला मन् अजि-न लहुरह्मानु व
 रजि-य लहू कौला (109) यअ्लमु
 मा बै-न ऐदीहिम् व मा खल्फहुम् व
 ला युहीतू-न बिही अिल्मा (110) व
 अ-नतलि-वुजूहु लिह्दियिल्-कय्यूमि,
 व कद् खा-ब मन् ह-य-ल जुल्मा
 (111) व मय्यअ्मल् मिनस्सालिहाति
 व हु-व मुअ्मिनुन् फला यखाफु
 जुल्मव्-व ला हज्मा (112) व
 कजालि-क अन्जल्नाहु कुरआनन्
 अ-रबिय्यव्-व सर्रफना फीहि
 मिनल्-वजीदि लअल्लहुम् यत्तकू-न
 औ युह्दिस्सु लहुम् जिक्का (113)
 फ-तअालल्लाहुल्-मलिकुल्-हक्कु व
 ला तअ्जल् बिल्कुरआनि मिन्
 कब्लि अय्युकजा इलै-क वस्युहू

और तुझसे पूछते हैं पहाड़ों का हाल सो
 तू कह उनको बिखेर देगा मेरा रब
 उड़ाकर। (105) फिर छोड़ेगा ज़मीन को
 साफ़ मैदान। (106) न देखे तो उसमें
 मोड़ और न टीला। (107) उस दिन पीछे
 दौड़ेंगे पुकारने वाले के टेढ़ी नहीं जिसकी
 बात और दब जायेंगी आवाज़ें रहमान के
 डर से फिर तू न सुनेगा मगर खिसखिसी
 आवाज़। (108) उस दिन काम न आयेगी
 सिफ़ारिश मगर जिसको इजाज़त दी रहमान
 ने और पसन्द की उसकी बात। (109)
 वह जानता है जो कुछ है इनके आगे
 और पीछे और ये काबू में नहीं ला सकते
 उसको मालूम कर-कर। (110) और रगड़ते
 हैं मुँह आगे उस हमेशा जीते रहने वाले
 के, और ख़राब हुआ जिसने बोझ उठाया
 जुल्म का। (111) और जो कोई करे कुछ
 भलाईयाँ और वह ईमान भी रखता हो
 सो उसको डर नहीं बेइन्साफी का और न
 नुक़सान पहुँचने का। (112) और इसी
 तरह उतारा हमने कुरआन अरबी भाषा का
 और फेर-फेरकर सुनाई उसमें डराने की
 बातें ताकि वे परहेज़ करें या डाले उनके
 दिल में सोच। (113) सो बुलन्द दर्जा
 अल्लाह का उस सच्चे बादशाह का और तू
 जल्दी न कर कुरआन के लेने में जब तक
 पूरा न हो चुके उसका उतरना, और कह

इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध

सूर: ताँ-हा में असल बयान तौहीद, रिसालत और आखिरत के उसूली मसाईल का है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाकिआत इसी सिलसिले में बयान हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी तफ़सील से जिक्र हुआ है, और उसके अन्तर्गत रिसालते मुहम्मदिया का सुबूत भी है, उसी रिसालते मुहम्मदिया के सुबूत का यह हिस्सा है जो अगली आयतों में बयान हुआ है कि इन वाकिआत और किस्सों का इज़हार एक नबी-ए-उम्मी की ज़बान से खुद दलील रिसालत व नुबुव्वत और अल्लाह की वही की है, और इन सब का स्रोत कुरआन है और कुरआन की हकीकत के तहत कुछ तफ़सील आखिरत और अन्जाम की भी आ गई है। आगे खुलासा-ए-तफ़सीर देखिये।

खुलासा-ए-तफ़सीर

(जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया) इसी तरह हम आप से और गुज़रे हुए वाकिआत की ख़बरें (और हिकायतें) भी बयान करते रहते हैं (ताकि नुबुव्वत की दलीलों में इज़ाफ़ा होता चला जाये) और हमने आपको अपने पास से एक नसीहत-नामा भी दिया है (यानी कुरआन, जिसमें वो ख़बरें हैं और वह खुद भी मुस्तक़िल तौर पर अपने बेजोड़ और मोजिज़ा होने के सबब नुबुव्वत की दलील है। और वह नसीहत-नामा ऐसा है कि) जो लोग उस (के मज़ामीन मानने) से मुँह मोड़ेंगे सो वे कियामत के दिन बड़ा भारी बोझ (अज़ाब का) लादे होंगे। (और) वे उस (अज़ाब) में हमेशा-हमेशा रहेंगे, और यह बोझ कियामत के दिन उनके लिये बड़ा (बोझ) होगा। जिस दिन सूर में फूँक मारी जायेगी (जिससे मुर्दे ज़िन्दा हो जाएँगे) और हम उस दिन मुजरिम (यानी काफ़िर) लोगों को (कियामत के मैदान में) इस हालत से जमा करेंगे कि (बहुत ही बद्सूरत होंगे कि आँखों से) नीले होंगे (जो आँखों का बहुत बुरा रंग शुमार होता है, और डरे हुए इस क़द्र होंगे कि) चुपके-चुपके आपस में बातें करते होंगे (और एक दूसरे से कहते होंगे) कि तुम लोग (क़ब्रों में) सिर्फ़ दस दिन रहे होंगे। (मतलब यह कि हम तो यूँ समझे थे कि मरकर फिर ज़िन्दा होना नहीं, यह गुमान तो बिल्कुल ग़लत निकला, न ज़िन्दा होना तो दरकिनार यह भी तो न हुआ कि देर ही में ज़िन्दा होते, बल्कि बहुत ही जल्दी ज़िन्दा हो गये, कि वह मुद्दत दस दिन के बराबर मालूम होती है। वजह इस मात्रा के बराबर मालूम होने की उस दिन की लम्बाई और हौल और परेशानी है कि क़ब्र में रहने की मुद्दत उसके सामने इस क़द्र कम मालूम होगी। हक़ तआला फ़रमाते हैं कि) जिस (मुद्दत) के बारे में वे बातचीत करेंगे उसको हम ख़ूब जानते हैं (कि वह किस क़द्र है) जबकि उन सब में का ज्यादा सही राय वाला यूँ कहता होगा कि नहीं! तुम तो (क़ब्र में) एक ही दिन रहे हो (इसको सही राय वाला इसलिए फ़रमाया कि दिन के लम्बे और हौलनाक होने के एतिबार से यही ज्यादा करीबी निस्बत है। पस उस

शख्स को सख्ती की हकीकत का ज्यादा इल्म व एहसास हुआ इसलिए उस शख्स की राय पहले शख्स के एतिबार से बेहतर है। और यह मकसूद नहीं कि उस शख्स की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जाहिर है कि दोनों अन्दाजे असली मुद्दत और हदबन्दी के एतिबार से सही नहीं, और न इन कहने वालों का यह मकसूद व उद्देश्य था।

और (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम! कियामत का हाल सुनकर बाजे) लोग आप से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं (कि कियामत में इनका क्या हाल होगा) सो आप (जवाब में) फ़रमा दीजिये कि मेरा रब इनको (रिज़ा-रेज़ा करके) बिल्कुल उड़ा देगा। फिर इस (ज़मीन) को एक हमवार मैदान कर देगा कि जिसमें तू (ऐ मुख़ातब!) न तो नाहमवारी देखेगा और न कोई बुलन्दी (पहाड़ टीले वगैरह की) देखेगा। उस दिन सब-के-सब (यानी मख़्लूक) बुलाने वाले (यानी सूर फूँकने वाले फ़रिश्ते) के कहने पर हो लेंगे, (यानी वह अपनी सूर फूँकने वाली आवाज़ से सब को क़ब्रों से बुलाएगा तो सब निकल पड़ेंगे) उसके सामने (किसी का) कोई टेढ़ापन न रहेगा (कि क़ब्र से जिन्दा होकर न निकले जैसे दुनिया में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सामने टेढ़े रहते थे कि तस्दीक़ न करते थे) और (मारे हैबत के) तमाम आवाज़ें अल्लाह तआला (रहमान) के सामने दब जाएँगी, सो (ऐ मुख़ातब!) तू सिवाय पाँव की आहट के (कि मैदाने हशर की तरफ़ चुपके-चुपके चल रहे होंगे) और कुछ (आवाज़) न सुनेगा। (चाहे इसकी वजह से कि उस वक़्त बोलते ही न होंगे अगरचे दूसरे मौक़े पर आहिस्ता-आहिस्ता बोलें जैसा कि ऊपर आया है 'य-तख़ाफ़तू-न' और चाहे इस वजह से कि बहुत आहिस्ता बोलते होंगे जो ज़रा फ़ासले से हो वह न सुन सके) उस दिन (किसी को किसी की) सिफ़ारिश नफ़ा न देगी, मगर ऐसे शख्स को (अम्बिया और नेक लोगों की सिफ़ारिश नफ़ा देगी) कि जिस (की सिफ़ारिश करने) के वास्ते अल्लाह तआला (रहमान) ने (शफ़ाअत करने वालों को) इजाज़त दे दी हो, और उस शख्स के वास्ते (शफ़ाअत करने वाले का) बोलना पसन्द कर लिया हो। (मुराद इससे मोमिन है कि शफ़ाअत करने वालों को उसकी सिफ़ारिश के लिये इजाज़त होगी और इस बारे में सिफ़ारिश करने वाले का बोलना हक़ तआला को पसन्दीदा होगा, और काफ़िरों के लिये सिफ़ारिश की किसी को इजाज़त ही न होगी पस नफ़ा न पहुँचना शफ़ाअत न होने से की वजह से है। इसमें एतिराज़ करने वाले काफ़िरों को डराना है कि तुम तो सिफ़ारिश से भी मेहरूम रहोगे और) वह (अल्लाह तआला) उन सब के अगले-पिछले हालात को जानता है और उस (के मामूलात) को उनका इल्म इहाता नहीं कर सकता। (यानी ऐसा तो कोई मामला नहीं जो मख़्लूक को मालूम हो और अल्लाह तआला को मालूम न हो और ऐसे बहुत से मामले हैं जो अल्लाह तआला को मालूम हैं और मख़्लूक को मालूम नहीं। पस मख़्लूक़ात के वो सब हालात भी उसको मालूम हैं जिन पर शफ़ाअत की योग्यता या अयोग्यता मुरत्तब है, सो जो उसका पात्र और योग्य होगा उसके वास्ते सिफ़ारिश करने की सिफ़ारिश करने वालों को इजाज़त होगी और जो पात्र व योग्य न होगा उसके लिये इजाज़त न होगी)।

और (उस दिन) तमाम चेहरे उसी हय्यु व कय्यूम "यानी अल्लाह" के सामने झुके होंगे (और सब घमण्डी व इन्कारी लोगों का तक़ब्बुर व इन्कार ख़त्म हो जाएगा) और (इस सिफ़त में तो सब

साझा होंगे फिर आगे उनमें यह फर्क होगा कि) ऐसा शख्स तो (हर तरह) नाकाम रहेगा जो जुल्म (यानी शिक) लेकर आया होगा, और जिसने नेक काम किए होंगे और वह ईमान भी रखता होगा, सो उसको (पूरा सवाब मिलेगा), न किसी ज्यादाती का अन्देशा होगा और न किसी कमी का। (मसलन यह कि कोई गुनाह उसके नामा आमाल में ज्यादा लिख दिया जाये या कोई नेकी कम लिख दी जाये, और इससे इशारा सवाब के कामिल होने की तरफ है, पर इसके मुक़ाबले में काफ़िरों से सवाब की नेफी मकसूद होगी सवाब के न होने के सबब, अगरचे जुल्म और हक-तल्फी काफ़िरों की भी न होगी और काफ़िरों के नेक आमाल का हिसाब में न लिखा जाना यह कोई जुल्म नहीं बल्कि इसलिए है कि उनके आमाल ईमान की शर्त से ख़ाली होने की वजह से बेकार और न होने के बराबर हो गये)।

और हमने (जिस तरह इस मक़ाम पर बयान हुए ये मज़ामीन साफ़-साफ़ इरशाद किये हैं) इसी तरह इसको (सारे को) अरबी कुरआन करके नाज़िल किया है (जिसके अलफ़ाज़ स्पष्ट हैं) और हमने इसमें तरह-तरह से वईद "यानी सज़ा की धमकी और डरावा" (क़ियामत व अज़ाब की) बयान की है, ताकि वे (सुनने वाले) लोग (इसके ज़रिये बिल्कुल) डर जाएँ (और फ़िलहाल ईमान ले आयेँ) या (अगर बिल्कुल न डरें तो यही हो कि) यह कुरआन उनके लिये किसी क़द्र (तो) समझ पैदा कर दे (यानी अगर पूरा असर न हो तो थोड़ा ही हो। और इसी तरह चन्द बार थोड़ा-थोड़ा जमा होकर काफ़ी मात्रा हो जाये, और किसी वक़्त मुसलमान हो जायें) सो अल्लाह तआला जो वास्तविक बादशाह है, बड़ा बुलन्द शान वाला है (कि ऐसा नफ़ा देने वाला कलाम नाज़िल फ़रमाया) और (जिस तरह अमल करना और नसीहत मानना जो ऊपर बयान हुए कुरआन की तब्लीग़ का हक़ वाजिब है, जिसका अदा करना सब मुसलमानों पर जो अहक़ाम के मुक़ल्लफ़ व पाबन्द हैं फ़र्ज़ है, इसी तरह बाज़े आदाब कुरआन के नाज़िल होने से भी संबन्धित हैं जिनके अदा करने का ताल्लुक आप से है, उनमें से एक यह है कि) कुरआन (पढ़ने) में इससे पहले कि आप पर उसकी वही नाज़िल हो चुके जल्दी न किया कीजिए (कि इसमें आपको तकलीफ़ होती है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनना और उसको पढ़ना साथ-साथ करना पड़ता है, सो ऐसा न कीजिए और इसका अन्देशा न कीजिए कि शायद याद न रहे, याद कराना हमारे ज़िम्मे है) और आप (भी याद होने के लिये हमसे) यह दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा दीजिए (इसमें हासिल शुदा इल्म के याद रहने की और ग़ैर-हासिल के हासिल करने की, और जो हासिल होने वाला नहीं उसमें हासिल न होने ही को ख़ैर और मस्लेहत समझने की, और सब उलूम में अच्छी समझ की ये सब दुआयें दाख़िल हैं तो 'ला तअज़ल्' के बाद इसका आना निहायत ही मुनासिब हुआ। हासिल यह कि याद करने की तदबीरों में से जल्दी करने की तदबीर को छोड़ दीजिए और दुआ की तदबीर को इख़्तियार कीजिये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

قَدْ آتَيْتَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا

ज़िक्र से मुराद इस जगह अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक कुरआन है:

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝

यानी जो शख्स कुरआन से मुँह मोड़ेगा कियामत के दिन उसके ऊपर गुनाहों का बड़ा बोझ लदा होगा। कुरआन से मुँह फेरने की विभिन्न सूतें हैं, उसकी तिलावत की तरफ कोई ध्यान ही न करे न कभी कुरआन पढ़ने और सीखने की फिक्र करे, या कुरआन को पढ़े मगर ग़लत-सलत पढ़े, हुरूफ़ के सही पढ़ने की फिक्र न करे, या सही भी पढ़े मगर बेदिली और बेपरवाही से पढ़े, या किसी दुनियावी माल व इज़्ज़त की इच्छा के लिये पढ़े। इसी तरह कुरआन के अहकाम को समझने की तरफ़ तवज्जोह न देना भी कुरआन से मुँह मोड़ना और बेतवज्जोही बरतना है, और समझने के बाद उन पर अमल करने में कोताही या उसके अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी यह तो मुँह मोड़ने का सबसे बड़ा दर्जा है। गर्ज़ कि कुरआन के हुक्क़ से बेपरवाही करने का बड़ा वबाल है जो कियामत के दिन भारी बोझ बनकर उसकी गर्दन पर लाद दिया जायेगा जैसा कि हदीस की रिवायतों में है कि इनसान के बुरे आमाल और गुनाह कियामत के दिन एक भारी बोझ बनाकर उसके ऊपर लादा जायेगा।

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक गाँव वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह सवाल किया कि सूर क्या चीज़ है, तो आपने फ़रमाया कि एक सींग है जिसमें फूँक मारी जायेगी। मुराद यह है कि सींग की तरह की कोई चीज़ है जिसमें फ़रिश्ते के फूँक मारने का पूरी दुनिया पर असर होगा, कि सब मुर्दे जिन्दा होकर खड़े हो जायेंगे। हकीकत इस सूर की अल्लाह तआला ही जानते हैं।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

सही हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि वही के शुरूआती दौर में जब जिब्रीले अमीन कुरआन की कोई आयत लेकर आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुनाते तो आप उनके साथ-साथ आयत को पढ़ने की भी कोशिश फ़रमाते थे कि कहीं ऐसा न हो कि याद से निकल जाये, इसमें आप पर दोहरी मशक्कत होती थी— अब्बल कुरआन को जिब्रील से सुनने और समझने की, उसके साथ उसको याद रखने के लिये अपनी ज़बान से अदा करने की, हक़ तआला ने इस आयत में तथा सूर: कियामत की आयत नम्बर 16 में आपके लिये आसानी यह पैदा फ़रमा दी कि कुरआन की जो आयतें आप पर नाज़िल की जाती हैं उनका याद रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं वह हमारे ज़िम्मे है, हम खुद आपको याद करा देंगे, इसलिये आपको जिब्रीले अमीन के साथ-साथ पढ़ने और ज़बान को हरकत देने की ज़रूरत नहीं, आप उस वक़्त सिर्फ़ इत्मीनान से सुना करें, अलबत्ता यह दुआ करते रहें कि:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। इस जामे दुआ में नाज़िल होने वाले कुरआन का याद रखना भी दाख़िल है और ग़ैर-नाज़िल शुदा की तलब भी, और उसके समझने की तौफ़ीक़ भी।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ وَ

إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۝ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ
وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَأَنَّكَ
لَا تَطْمَؤُنُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ۝ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةٍ
الْحُدَىٰ وَمُلْكٍ لَا يَبُوءُ ۝ فَكَلَامِنهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاطِئُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ رَوْعَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ ۝ قَالَ اهْبِطَا
مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى ۝
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ
حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۝ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ۝
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۝ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۝

व ल-क़द् अहिद्ना इला आद-म
मिन् क़ब्लु फ़-नसि-य व लम् नजिद्
लहू अज़्मा (115) ❀

व इज़् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू
लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स,
अबा (116) फ़कुल्ना या आदमु
इन्-न हाज़ा अदुव्वुल्-ल-क व
लिज़ौजि-क फ़ला युख़्रिजन्नकुमा
मिनल्-जन्नति फ़-तश्का (117)
इन्-न ल-क अल्ला तजू-अ फ़ीहा व
ला तज़्रा (118) व अन्न-क ला
तज़मउ फ़ीहा व ला तज़हा (119)
फ़-वस्व-स इलैहिश्शैतानु का-ल या

और हमने ताकीद कर दी आदम को
उससे पहले फिर भूल गया और न पाई
हमने उसमें कुछ हिम्मत। (115) ❀

और जब कहा हमने फ़रिश्तों को सज्दा
करो आदम को तो सज्दे में गिर पड़े,
मगर न माना इब्लीस ने। (116) फिर कह
दिया हमने ऐ आदम! यह तेरा दुश्मन है
और तेरे जोड़े का, सो निकलवा न दे तुम
को जन्नत से, फिर तू पड़ जाये तकलीफ़
में। (117) तुझको यह मिला है कि न
भूखा हो तो इसमें और न नंगा। (118)
और यह कि न प्यास खींचे तू इसमें और
न धूप। (119) फिर जी में डाला उसके
शैतान ने कहा- ऐ आदम! मैं बताऊँ तुझ

आदमु हल् अदुल्लु-क अ ला
 श-ज-रतिल्-खुल्दि व मुल्किल्-ला
 यब्ला (120) फ-अ-कला मिन्हा
 फ-बदत् लहुमा सौआतुहुमा व
 तफिका यखिसफानि अलैहिमा
 मिंव्व-रकिल्-जन्नति, व असा आदमु
 रब्बहू फ-गुवा (121) सुम्मज्जबाहु
 रब्बुहू फता-ब अलैहि व हदा (122)
 कालस्विता मिन्हा जमीअम्-बअजुकुम्
 लिबअज़िन् अदुव्वुन् फ-इम्मा यअति-
 -यन्नकुम् मिन्नी हुदन् फ-मनित्त-ब-अ
 हुदा-य फला यजिल्लु व ला यश्का
 (123) व मन् अअर-ज अन् जिक्री
 फ-इन्-न लहू मअी-शतन् जन्कव्-व
 नहशुरुहू यौमल्-कियामति अअ्मा
 (124) का-ल रब्बि लि-म हशर-तनी
 अअ्मा व कद् कुन्तु बसीरा (125)
 का-ल कज़ालि-क अतत्-क आयातुना
 फ-नसीतहा व कज़ालिकल्-यौ-म
 तुन्सा (126) व कज़ालि-क नजूजी
 मन् असूर-फ व लम् युअमिम्-
 बिआयाति रब्बिही, व ल-अज़ाबुल्-
 आखिरति अशदूदु व अब्का (127)

को पेड़ हमेशा जिन्दा रहने का और
 बादशाही जो पुरानी न हो। (120) फिर
 दोनों ने खा लिया उसमें से फिर खुल गई
 उन पर उनकी बुरी चीजें और लगे गाँठने
 अपने ऊपर जन्नत के पत्ते और हुक्म
 टाला आदम ने अपने रब का फिर राह से
 बहका। (121) फिर नवाज़ दिया उसको
 उसके रब ने फिर मुत्तवज्जह हुआ उस पर
 और राह पर लाया। (122) फरमाया उतरो
 यहाँ से दोनों इकट्ठे, रहो एक दूसरे के
 दुश्मन, फिर अगर पहुँचे तुमको मेरी तरफ
 से हिदायत फिर जो चला मेरी बतलाई
 राह पर सो वह न बहकेगा और न वह
 तकलीफ में पड़ेगा। (123) और जिसने
 मुँह फेरा मेरी याद से तो उसको मिली है
 गुज़रान तंगी की और लायेंगे हम उसको
 कियामत के दिन अन्धा। (124) वह
 कहेगा ऐ रब! क्यों उठा लाया तू मुझको
 अंधा और मैं तो था देखने वाला। (125)
 फरमाया यूँ ही पहुँची थीं तुझको हमारी
 आयतें फिर तूने उनको भुला दिया और
 इसी तरह आज तुझको भुला देंगे। (126)
 और इसी तरह बदला देंगे हम उसको जो
 हद से निकला और यकीन न लाया अपने
 रब की बातों पर, और आखिरत का
 अज़ाब सख्त है और बहुत बाकी रहने
 वाला। (127)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और इससे (बहुत ज़माने) पहले हम आदम (अलैहिस्सलाम) को एक हुक्म दे चुके थे (जिसका बयान आगे आता है) सो उनसे गुफ़लत (और बेएहतियाती) हो गई, हमने (उस हुक्म की पाबन्दी करने में) उनमें पुख़्तगी और (साबित-कदमी) न पाई।

और (इस संक्षिप्तता की तफ़सील अगर दरकार हो तो) वह वक़्त याद करो जबकि हमने फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमाया कि आदम (अलैहिस्सलाम) के सामने (सलामी) सज्दा करो, सो सब ने सज्दा किया सिवाय शैतान के, (कि) उसने इनकार किया। फिर हमने (आदम से) कहा कि ऐ आदम! (याद रखो) यह बिला शुब्हा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का (इस वजह से) दुश्मन है (कि तुम्हारे मामले में यह मरदूद हुआ), सो कहीं तुम दोनों को जन्नत से न निकलवा दे, (यानी इसके कहने से कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि जन्नत से बाहर किये जाओ) फिर मुसीबत (रोज़ी कमाने) में पड़ जाओ (और साथ में तुम्हारी बीवी भी, मगर ज़्यादा हिस्सा मुसीबत का तुमको भुगतना पड़े और) यहाँ जन्नत में तो तुम्हारे लिये यह (आराम) है कि तुम न भूखे रहोगे (जिससे तकलीफ़ हो या उसकी तदबीर में देर और परेशानी हो) और न नंगे होगे (कि कपड़ा न मिले या ज़रूरत के इतनी देर बाद मिले कि तकलीफ़ होने लगे) और न यहाँ प्यासे होगे (कि पानी न मिले या देर होने से तकलीफ़ हो) और न धूप में तपोगे (क्योंकि जन्नत में धूप ही नहीं, और मकान भी हर तरह पनाह के हैं, बख़िलाफ़ उस हालत के कि अगर जन्नत से निकलकर दुनिया में गये तो ये सारी मुसीबतें पेश आयेंगी इसलिए इन बातों को सामने रखकर ख़ूब ही होशियारी व सतर्कता से रहना) फिर उनको शैतान ने (झाँसा दिया यानी) बहकाया, कहने लगा कि ऐ आदम! क्या मैं तुमको हमेशगी (की खासियत) का पेड़ बतलाऊँ (कि उसके खाने से हमेशा खुश व आबाद रहो) और ऐसी बादशाही कि जिसमें कभी कमज़ोरी न आये। सो (उसके बहकाने से) दोनों ने उस पेड़ से खा लिया (जिससे मनाही हुई थी, और शैतान ने उसको हमेशगी वाला पेड़ कहकर बहकाया था) तो (उसके खाते ही) उन दोनों के सतर "यानी जिस्म की छुपाने की जगहें" एक-दूसरे के सामने खुल गये, और (अपना बदन ढाँकने को) दोनों अपने (बदन के) ऊपर जन्नत (के दरख़्तों) के पत्ते चिपकाने लगे, और आदम से अपने रब का क़सूर हो गया, सो (जन्नत में हमेशा रहने का मक़सद हासिल करने के बारे में) ग़लती में पड़ गये। फिर (जब उन्होंने माज़िरत की तो) उनको उनके रब ने (ज़्यादा) मक़बूल बना लिया, सो उन पर (मेहरबानी से) ज़्यादा तवज्जोह फ़रमाई और (हमेशा सीधे) रास्ते पर कायम रखा (कि फिर ऐसी ख़ता नहीं हुई। और जब दरख़्त खा लिया तो) अल्लाह ने फ़रमाया कि दोनों के दोनों इस जन्नत से उतरो (और दुनिया में) ऐसी हालत से जाओ कि (तुम्हारी औलाद में) एक का दुश्मन एक होगा। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हिदायत (का ज़रिया यानी रसूल या किताब) पहुँचे तो (तुम में) जो शख्स मेरी उस हिदायत का पालन करेगा तो वह न (दुनिया में) गुमराह होगा और न (आख़िरत में) शकी "यानी बदबख़्त और मेहरूम" होगा। और जो शख्स मेरी उस नसीहत से मुँह मोड़ेगा तो उसके लिये (क़ियामत से पहले दुनिया और क़ब्र में) तंगी का जीना होगा, और क़ियामत के दिन हम उसको अन्धा करके (क़ब्र से)

उठाएँगे। वह (ताज्जुब से) कहेगा कि ऐ मेरे रब! आपने मुझको अन्धा करके क्यों उठाया मैं तो (दुनिया में) आँखों वाला था। (मुझसे ऐसी क्या ख़ता हुई) इरशाद होगा कि (जैसी तुझको सज़ा हुई है) ऐसा ही (तुझसे अमल हुआ था, और यह कि) तेरे पास (नबियों व उलेमा के वास्ते से) हमारे अहकाम पहुँचे थे फिर तूने उनका कुछ ख़्याल न किया और ऐसे ही आज तेरा कुछ ख़्याल न किया जायेगा (जैसा तूने ख़्याल न किया था)। और (जिस तरह यह सज़ा अमल के मुनासिब दी गई) इसी तरह (हर) उस शख्स को हम (अमल के मुनासिब) सज़ा देंगे जो (इत्ताअत की) हद से गुज़र जाये और अपने परवर्दिगार की आयतों पर ईमान न लाये, और वाकई आखिरत का अज़ाब है बड़ा सख्त और बड़ा देर तक रहने वाला (कि उसकी कहीं इन्तिहा ही नहीं, तो उससे बचने का बहुत ही एहतिमाम करना वाजिब है)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान होता है, यह किस्सा इससे पहले सूर: ब-क़रह और सूर: आराफ़ में, फिर कुछ सूर: हिज़्र और सूर: कहफ़ में गुज़र चुका है, और आखिर में सूर: सौद में आयेगा। हर मक़ाम पर इस किस्से के मुनासिब हिस्सों (भागों) को संबन्धित हिदायतों के साथ बयान किया गया है।

इस मक़ाम पर इस किस्से की मुनासबत पिछले आयतों से हज़राते मुफ़स्सरीन ने विभिन्न पहलुओं से बयान फ़रमाई है, उनमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट और बेगुबार बात यह है कि पहले गुज़री आयतों में यह इरशाद आया है:

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ.

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब करके फ़रमाया गया है कि आपकी नुबुव्वत व रिसालत के सुबूत और आपकी उम्मत को सचेत व आगाह करने के लिये हम पहले नबियों के हालात व वाकिआत आप से बयान करते हैं, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली किस्सा इस आयत से पहले बयान हो चुका है। और उन तमाम किस्सों में सबसे पहला और कुछ हैसियतों में सबसे अहम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। यहाँ से उसको शुरू किया गया है जिसमें उम्मते मुहम्मदिया को इस पर तंबीह करना (चेताना) है कि शैतान तमाम इनसानों का पुराना दुश्मन है, उसने सबसे पहले तुम्हारे माँ-बाप से अपनी दुश्मनी निकाली और तरह-तरह के हीलों-बहानों और हमदर्दानी मशिवरों के जाल फैलाकर उनको एक चूक और भूल में मुब्तला कर दिया, जिसके नतीजे में जन्नत से उतरने के अहकाम जारी हुए और जन्नत की पोशाक उनसे छिन गयी, फिर हक़ तअल्ला की तरफ़ रुजू और चूक व ग़लती की माफ़ी होकर उनको रिसालत व नुबुव्वत का बुलन्द मक़ाम अता हुआ। इसलिये तमाम इंसानों को शैतान के बहकावे से कभी बेफ़िक्र न होना चाहिये, दीन के अहकाम के मामले में शैतानी बरबसों और हीलों से बचने का बड़ा एहतिमाम करना चाहिये।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

इमें लफ्ज़ 'अहिद्ना' अमरना या वसैना के मायने में है। (बहरे मुहीत) मतलब यह है हमने इस वाकिए के बारे में आप से बहुत पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक वसीयत की थी यानी ताकीदी हुक्म दिया था (जिसका जिक्र सूरः ब-करह वगैरह में भी आ चुका है और आगे भी कुछ आ रहा है) कि एक दरख्त को निर्धारित करके बतला दिया था कि उस दरख्त को यानी उसके फल-फूल या किसी हिस्से को न खाना, और उसके करीब भी न जाना, बाकी जन्नत के सारे बागात और नेमतें तुम्हारे लिये खुली हुई हैं उनको इस्तेमाल करते रहो। और जैसा कि आगे आता है यह भी बतला दिया था कि इब्लीस (शैतान) तुम्हारा दुश्मन है, कहीं उसके बहाने में न आ जाना कि तुम्हारे लिये मुसीबत बने। मगर आदम अलैहिस्सलाम भूल गये और उनमें हमने इरादे की पुख्तगी न पाई। यहाँ दो लफ्ज़ आये हैं एक निस्यान दूसरे अज़्म। निस्यान के मायने मशहूर हैं भूल जाना, गफलत में पड़ जाना और अज़्म के लफ्ज़ी मायने किसी काम के लिये अपने इरादे को मजबूत बाँधने के हैं। इन दोनों लफ्ज़ों से मुराद इस जगह क्या है इसके समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के बड़े रुतबे वाले पैग़म्बरों में से हैं और पैग़म्बर सब के सब गुनाहों से मासूम (सुरक्षित) होते हैं।

पहले लफ्ज़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर निस्यान और भूल तारी हो जाने का जिक्र है और चूँकि भूल और निस्यान गैर-इख्तियारी चीज़ है इसलिये इसको गुनाह में शुमार ही नहीं किया गया जैसा कि सही हदीस में है:

رُفِعَ عَنْ أُمَّيِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ.

यानी मेरी उम्मत से ख़ता और भूल का गुनाह माफ़ कर दिया गया। और क़ुरआने करीम का उम्मी इरशाद है:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا.

यानी अल्लाह तआला किसी शख्स को ऐसा हुक्म नहीं देते जो उसके इख्तियार व ताकत से बाहर हो। लेकिन यह भी सब को मालूम है कि हक़ तआला ने इस आलम में ऐसे असबाब भी रखे हैं कि उनको पूरी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाये तो इनसान भूल और ख़ता से बच सकता है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम चूँकि हक़ तआला के करीबी और ख़ास हैं उनसे इतनी बात पर भी सवाल और पकड़ हो सकती है कि उन इख्तियारी असबाब से क्यों काम न लिया जिनके ज़रिये उस भूल से बच सकते थे। बहुत सी बार हुक्मत के एक वज़ीर के लिये वह काम पकड़ के काबिल समझा जाता है जो आम नौकरों के लिये इनाम के काबिल होता है। इसी को हज़रत जुनैद बग़दादी ने फ़रमाया है:

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِيئِينَ.

यानी उम्मत के बुजुर्गों और नेक लोगों के बहुत से नेक अमल अल्लाह की बारगाह के ख़ास और करीबी बन्दों के हक़ में ख़ता और चूक करार दिये जाते हैं।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यह वाक़िआ अब्दुल तो नुबुव्वत व रिसालत से पहले का है

जिसमें नबियों से किसी गुनाह का हो जाना अहले सुन्नत के कुछ उलेमा के नज़दीक उनके गुनाहों से सुरक्षित होने के खिलाफ नहीं। दूसरे दर हकीकत यह भूल है जो गुनाह नहीं, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बुलन्द मक़ाम और अल्लाह तआला से उनकी निकटता के लिहाज़ से इसको भी उनके हक़ में एक ग़लती और चूक करार दिया गया, जिस पर अल्लाह तआला की तरफ़ से नाराज़गी का इज़हार हुआ और उनको मुतनब्बेह करने (चेताने) के लिये इस चूक और ग़लती को 'इस्यान' (नाफ़रमानी) के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया जैसा कि आगे आता है।

दूसरा लफ़्ज़ अज़्म है और इसी आयत में यह फ़रमाया कि आदम अलैहिस्सलाम में अज़्म न पाया गया। ऊपर मालूम हो चुका है कि अज़्म के मायने किसी काम के इरादे पर मज़बूती से कायम रहने के हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील का मुकम्मल फैसला और इरादा किये हुए थे मगर शैतानी बहकावे से उस इरादे की मज़बूती में फ़र्क आ गया और भूल ने उस पर कायम न रहने दिया। वल्लाहु आलम

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

यह उस अहद का मुख़्तसर बयान है जो अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिया था, उसमें आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के बाद सब फ़रिश्तों को और उनके तहत में शैतान को भी, क्योंकि उस वक़्त तक शैतान जन्नत में फ़रिश्तों के साथ रहता सहता था, यह हुक्म दिया गया कि सब के सब आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करें। सब फ़रिश्तों ने सज्दा कर लिया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह दूसरी आयतों में उसका तकब्बुर था कि मैं आग से बना हूँ यह मिट्टी से, और आग मिट्टी के मुकाबले में अफ़ज़ल व अशरफ़ है, मैं इसको सज्दा क्यों करूँ? इस पर इब्लीस तो मलऊन होकर जन्नत से निकाला गया। हज़रत आदम व हव्वा के लिये जन्नत के सब बागात और सारी नेमतों के दरवाज़े खोल दिये गये और हर चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त दी गयी सिर्फ़ एक खास दरख़्त के मुताल्लिक यह हिदायत की गयी कि उसको (यानी उसके फल-फूल वगैरह को) न खायें और उसके करीब भी न जायें। यह मज़मून भी सूर: ब-करह व सूर: आराफ़ की आयतों में आ चुका है, यहाँ इसका ज़िक्र करने के बजाय हक़ तआला ने अपना वह इरशाद ज़िक्र किया है जो उस अहद के महफूज़ रखने और उस पर कायम रहने के सिलसिले में फ़रमाया कि देखो शैतान इब्लीस जैसा कि सज्दे के वाक़िए के वक़्त ज़ाहिर हो चुका है तुम दोनों यानी आदम व हव्वा का दुश्मन है ऐसा न हो कि वह किसी फ़रेब व हीले से धोखा देकर तुमसे इस अहद की खिलाफ़वर्ज़ी करा दे जिसका नतीजा यह हो कि तुम जन्नत से निकाले जाओ।

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

यानी यह शैतान कहीं तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे जिसकी वजह से तुम मुसीबत और मशक्कत में पड़ जाओ। लफ़्ज़ तश्का शक़ावत से निकला है। यह लफ़्ज़ दो मायने के लिये इस्तेमाल होता है- एक आख़िरत की शक़ावत (बदनसीबी व मेहरूमी) के लिये, दूसरे दुनिया की शक़ावत यानी जिस्मानी मशक्कत व मुसीबत। इस जगह यही दूसरे मायने मुराद हो सकते हैं, क्योंकि पहले मायने में

किसी पैग़म्बर के लिये तो क्या किसी नेक मुसलमान के लिये भी यह लफ़ज़ नहीं बोला जा सकता, इसी लिये इमाम फ़र्रा रह. ने इस शक़ावत की तफ़्सीर यह की है कि:

هو ان ياكل من كذبديه.

यानी शक़ावत से इस जगह मुराद यह है कि अपने हाथों की मेहनत से खुराक हासिल करना पड़ेगी। (तफ़्सीरे कुर्तुबी) और इस जगह मौक़े के लिहाज़ से भी दूसरे ही मायने के लिये सुबूत है क्योंकि इसके बाद की आयत में जन्नत की नेमतों में से उन चार नेमतों का ज़िक्र फ़रमाया है जो हर इन्सान की ज़िन्दगी के लिये बुनियादी हैसियत रखती हैं और ज़िन्दगी की ज़रूरतों में सबसे अहम हैं। यानी खाना, पीना, लिबास और ठिकाना। इस आयत में यह इरशाद फ़रमाया है कि ये सब नेमतें जन्नत में तो बिना किसी कमाई व कोशिश और मेहनत व मशक़क़त के मिलती हैं। इसमें इशारा पाया गया कि यहाँ से निकल गये तो ये नेमतें छिन जायेंगी और शायद इसी इशारे के लिये यहाँ जन्नत की बड़ी-बड़ी नेमतों का ज़िक्र नहीं किया गया बल्कि सिर्फ़ उनका ज़िक्र किया जिन पर इन्सानी ज़िन्दगी मौक़ूफ़ है, और इससे डराया गया कि शैतानी बहकावे में आकर कहीं ऐसा न हो कि जन्नत से निकाले जायें और ये सब नेमतें छिन जायें और फिर ज़मीन पर ज़िन्दगी की इन ज़रूरतों को बड़ी मेहनत मुशक़क़त उठाकर हासिल करना पड़े। यह मफ़हूम लफ़ज़ “फ़-तश्क़ा” का है जो मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने लिखा है।

इमाम कुर्तुबी ने इस जगह यह भी ज़िक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से कुछ दाने गेहूँ चावल वगैरह के लाकर दिये कि इनको ज़मीन में बोओ फिर जब यह पौदा होकर निकले और इस पर दाने जमें तो इसको काटो फिर पीसकर रोटी बनाओ और इन सब कामों के तरीक़े भी हज़रत आदम को सुझा दिये, उसके मुताबिक़ आदम अलैहिस्सलाम ने रोटी पकाई और खाने के लिये बैठे थे कि रोटी हाथ से छूटकर पहाड़ के नीचे लुढ़क गयी, आदम अलैहिस्सलाम उसके पीछे चले और बड़ी मेहनत करके वापस लाये तो जिब्रीले अमीन ने कहा कि ऐ आदम! आपका और आपकी औलाद का रिज़क़ ज़मीन पर इसी तरह मेहनत मशक़क़त से हासिल होगा। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

बीवी का ज़रूरी ख़र्च शौहर के जिम्मे है

इस मक़ाम पर आयत के शुरू में हक़ तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा को भी ख़िताब में शरीक किया:

عَدُوْلَكَ وَبِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ

जिसमें बतलाया है कि शैतान आपका भी दुश्मन है और आपकी बीवी का भी, और यह कि ऐसा न हो कि तुम दोनों को यह जन्नत से निकलवा दे। मगर आयत के आख़िर में लफ़ज़ ‘फ़-तश्क़ा’ को एक वचन इस्तेमाल फ़रमाया, बीवी को इसमें शरीक नहीं किया वरना मौक़े के तकाज़े से ‘फ़-तश्क़या’ कहा जाता। इमाम कुर्तुबी ने इससे यह मसला निकाला है कि ज़िन्दगी की ज़रूरतें बीवी की मदद के जिम्मे हैं, उनके हासिल करने में जो मेहनत व मशक़क़त हो उसका तन्हा जिम्मेदार भव है

इसी लिये 'फ़-तश्का' एक वचन का कलिमा लाकर इशारा कर दिया कि ज़मीन पर उतारे गये तो जिन्दगी की उन ज़रूरतों के हासिल करने (यानी कमाने) में जो कुछ मेहनत मशक्कत उठानी पड़ेगी वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, क्योंकि हव्वा का खर्चा और जिन्दगी की ज़रूरतें उपलब्ध कराना उनके जिम्मे है।

वाजिब खर्च में सिर्फ़ चार चीज़ें दाख़िल हैं

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि इसी आयत ने हमें यह भी बतला दिया कि औरत का जो नफ़का (खर्च) मर्द के जिम्मे है वह सिर्फ़ चार चीज़ें हैं। खाना, पीना, लिबास और ठिकाना। इससे ज़ायद जो कुछ शौहर अपनी बीवी को देता या उस पर खर्च करता है वह उसका एहसान है, वाजिब व लाज़िम नहीं। इसी से यह भी मालूम हुआ कि बीवी के अलावा जिस किसी का खर्च शरीअत ने किसी शख्स के जिम्मे आयद किया है उसमें भी चार चीज़ें उसके जिम्मे वाजिब होती हैं जैसे माँ-बाप का नफ़का (खर्चा) औलाद के जिम्मे जबकि वे मोहताज और माज़ूर वगैरह हों जिसकी तफ़्सील मसाईल की किताबों में बयान हुई है।

إِنَّ لَكَ الْأَتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

जन्नत में जिन्दगी की ज़रूरतों की ये बुनियादी चारों चीज़ें बिना माँगे बिना मशक्कत मिलती हैं। और जन्नत में भूख न लगने से यह शुब्हा न किया जाये कि जब तक भूख न लगे खाने का ज़ायका और लज़ज़त ही नहीं आ सकती, इसी तरह जब तक प्यास न हो ठण्डे पानी की लज़ज़त व राहत नहीं महसूस हो सकती। वजह यह है कि जन्नत में भूख प्यास न लगने का मतलब यह है कि भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती कि भूख के वक़्त खाने को और प्यास के वक़्त पीने को न मिले या देर में मिले, बल्कि हर वह चीज़ जिसको उसका दिल चाहेगा फ़ौरन हाज़िर मौजूद मिलेगी।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ..... وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝

इन दो आयतों में जो यह सवालात पैदा होते हैं कि जब हक़ तआला ने हज़रत आदम व हव्वा को किसी खास दरख़्त के खाने और उसके पास जाने से भी रोक दिया था और इससे बढ़कर यह तंबीह भी फ़रमा दी थी कि शैतान तुम दोनों का दुश्मन है, उसके फ़रेब और जाल से बचते रहना, वह कहीं तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे। इतनी स्पष्ट हिदायतों के बाद भी यह बुलन्द रुतबे वाले पैग़म्बर शैतान के धोखे में किस तरह आ गये? और यह कि यह तो खुली नाफ़रमानी और गुनाह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी व रसूल हैं उनसे यह गुनाह कैसे सर्जद हुआ जबकि उम्मत की अक्सरियत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हर छोटे-बड़े गुनाह से मासूम (सुरक्षित) होते हैं। इन सब सवालों का जवाब सूर: ब-क़रह की तफ़्सीर मज़ारिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द एक में गुज़र चुका है वहाँ देख लिया जाये। और इस आयत में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में साफ़ लफ़्ज़ों में 'असा' और फिर 'ग़वा' फ़रमाया गया है, इसकी वजह भी सूर: ब-क़रह में बयान हो चुकी है कि अगरचे आदम अलैहिस्सलाम का यह अमल शरई क़ानून के एतिबार से गुनाह में दाख़िल नहीं था लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रसूल और अल्लाह के खास और करीबी हैं इसलिये

उनकी मामूली सी कोताही व चूक को भी भारी लफ्जों से इस्थान (नाफरमानी) कहकर ताबीर किया गया और उस पर नाराज़गी का इज़हार किया गया, और लफ्ज़ 'ग़वा' दो मायने के लिये इस्तेमाल होता है- एक मायने जिन्दगी तलख़ (बेमज़ा) हो जाने और ऐश ख़राब हो जाने के हैं। दूसरे मायने गुमराह हो जाने या ग़ाफ़िल हो जाने के। तफ़सीर के इमामों- कुशैरी और कुर्तुबी वगैरह ने इस जगह लफ्ज़ 'ग़वा' के पहले मायने ही को इख़्तियार किया है और मुराद यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो ऐश जन्नत में हासिल था वह न रहा और जिन्दगी तलख़ हो गयी।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में एक अहम हिदायत

उनके अदब व एहतिराम की हिफ़ाज़त

काज़ी अबू बक्र इब्ने अरबी ने 'अहकामुल-कुरआन' में उक्त आयत में जो अलफ़ाज़ 'असा' वगैरह आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हैं इस सिलसिले में उन्होंने एक अहम बात इरशाद फ़रमाई है, वह उन्हीं के अलफ़ाज़ में यह है:

لايجوز لأحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه في اثناء قوله تعالى عنه او قول نبيه، فاما يبتدىء

ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في ابائنا الا الذين ابينا المماثلين لنا فكيف في ابينا الاقدم الاعظم الاكرم النبي

المقدم الذي عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له.

यानी हम में से किसी के लिये आज यह जायज़ नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ़ यह लफ्ज़ 'इस्थान' (यानी नाफरमानी का) मन्सूब करे सिवाय इसके कि कुरआन की इस आयत के या किसी हदीसे नबवी के तहत में आया हो वह बयान करे, लेकिन यह कि अपनी तरफ़ से यह लफ्ज़ मन्सूब करना हमारे अपने करीबी बाप-दादा (पूर्वजों) के लिये भी जायज़ नहीं, फिर हमारे सबसे पहले बाप जो हर हैसियत में हमारे पूर्वजों से मुकद्दम, बड़े और सम्मानित हैं और अल्लाह तआला के सम्मानित पैग़म्बर हैं जिनका उज़्र अल्लाह तआला ने कुबूल फ़रमाया और माफ़ी का ऐलान कर दिया, उनके लिये तो किसी हाल में जायज़ नहीं।

इसी लिये कुशैरी अबू नस्र ने फ़रमाया कि इस लफ्ज़ की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुनाहगार व बहकने वाला कहना जायज़ नहीं, और कुरआने करीम में जहाँ कहीं किसी नबी या रसूल के बारे में ऐसे अलफ़ाज़ आये हैं या तो वो उन चीज़ों के बारे में हैं ख़िलाफ़े औला हैं या नुबुव्वत से पहले के हैं। इसलिये कुरआनी आयतों और हदीस की रियायतों के तहत में तो उनका तज़क़िरा दुरुस्त है लेकिन अपनी तरफ़ से उनकी शान में ऐसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

اهبطاً منها جميعاً.

यानी उतर जाओ जन्नत से (दोनों)। यह ख़िताब हज़रत आदम व इब्लीस दोनों के लिये भी हो सकता है और इस हालत में 'तुम में से एक दूसरे का दुश्मन है' का मज़मून स्पष्ट है कि दुनिया में जाकर भी शैतान की दुश्मनी जारी रहेगी। अगर यह कहा जाये कि शैतान को तो इस वाकिए से पहले

ही जन्नत से निकाला जा चुका था उसको इस खिताब में शरीक करार देना दूर की बात है तो दूसरा गुमान व संभावना यह भी है कि यह खिताब आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम दोनों को हो। इस सूत्र में आपसी दुश्मनी से मुराद उनकी औलाद में आपसी दुश्मनी होने को बयान करना है, और ज़ाहिर है कि औलाद में आपसी दुश्मनी माँ-बाप की जिन्दगी भी तलख (बेमज़ा और कड़वी) कर देती है।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي

यहाँ जिक्र से मुराद कुरआन भी हो सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जात भी, जैसा कि दूसरी आयतों में 'ज़िक्रु रसूलन्' आया है। दोनों का हासिल यह है कि जो शख्स कुरआन से या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुँह मोड़े यानी कुरआन की तिलावत और उसके अहकाम पर अमल से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअत से मुँह मोड़े उसका अन्जाम यह है:

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

यानी उसकी जिन्दगी तंग होगी और कियामत में उसको अन्धा करके उठाया जायेगा। पहला अज़ाब दुनिया ही में उसको मिल जायेगा और दूसरा यानी अन्धा होने का अज़ाब कियामत में होगा।

काफ़िर और बदकार की जिन्दगी दुनिया में बेमज़ा और तंग होने की हकीकत

यहाँ यह सवाल होता है कि दुनिया में जिन्दगी और गुज़रान की तंगी तो काफ़िरो व बदकारों के लिये मख़सूस नहीं, नेक मोमिनो को भी पेश आती है, बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को सबसे ज़्यादा सख़ियाँ व मुसीबतें इस दुनिया की जिन्दगी में उठानी पड़ती हैं। सही बुखारी और हदीस की तमाम किताबों में हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह की रिवायत से यह हदीस मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया की बलायें और मुसीबतें सबसे ज़्यादा नबियों पर सख़्त होती हैं उनके बाद जो जिस दर्जे का नेक और वली है उसी की मुनासबत से उसको ये तकलीफ़ें पहुँचती हैं। इसके विपरीत काफ़िर व बदकार लोगों को उमूमन खुशहाल और ऐश व मज़े में देखा जाता है, तो फिर कुरआन का यह इरशाद कि उनकी जिन्दगी और गुज़रान तंग होगी आख़िरत के लिये तो हो सकता है दुनिया में तो इसके खिलाफ़ देखने में आता है।

इसका साफ़ और स्पष्ट जवाब तो यह है कि यहाँ दुनिया के अज़ाब से क़ब्र का अज़ाब मुराद है कि क़ब्र में उनकी जिन्दगी तंग कर दी जायेगी। खुद क़ब्र जो उनका ठिकाना होगा वह उनको ऐसा दबायेगा कि उनकी पसलियाँ टूटने लगेंगी जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में इसकी वज़ाहत है और मुस्नद बज़्ज़ार में उम्दा सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से यह हदीस नक़ल की गयी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद इस आयत के लफ़ज़ 'मअीशतन् ज़न्कन्' की तफ़सीर यह फ़रमाई है कि इससे मुराद क़ब्र का आलम है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और हजरत सईद बिन जुबैर रह. ने जिन्दगी की तंगी का यह मतलब भी बयान किया है कि उनसे कनाअत की सिफत छीन ली जायेगी और दुनिया की हिंस बढ़ा दी जायेगी। (तफसीरे मजहरी) जिसका नतीजा यह होगा कि उसके पास कितना ही माल व दौलत जमा हो जाये कभी दिली सुकून उसको नसीब नहीं होगा, हमेशा माल बढ़ाने की फिक्र और उसमें नुकसान का खतरा उसको बेचैन रखेगा। और यह बात मालदारों में आम तौर पर देखी जाती है, जिसका हासिल यह होता है कि उन लोगों के पास राहत व आराम के सामान तो बहुत जमा हो जाते हैं मगर जिसका नाम राहत है वह नसीब नहीं होती, क्योंकि वह दिल के सुकून व इत्मीनान के बगैर हासिल नहीं होती।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي

مَسْكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِنَامًا وَ

أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ

وَمِنۢ مِّنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ

بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَقَالُوا كَوَلَا

يَأْتِينَا بَأْيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ نَأْتِهِم بِبَيِّنَةٍ ۚ مَا فِي الصُّفْحِ الْأُولَىٰ ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن

قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولٌ مِّن رَّبِّكَ لَفَلَّا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِمَّن قَبْلَ أَنْ نَذَلَكَ وَرَخْزَىٰ ۝

قُلْ كُلٌّ مَّتْرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ ۚ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۝

ع १५

ع १५

अ-फलम् यस्दि लहुम् कम् अह्लकना
कब्लहुम् मिनल्-कुरुनि यम्शू-न फी
मसाकिनिहिम्, इन्-न फी ज़ालि-क
लआयातिल् लि-उलिन्नुहा (128) ❀
व लौ ला कलि-मतुन् स-बकत्
मिर्-रब्बि-क लका-न लिज़ामं-व
अ-जलुम्-मुसम्मा (129) फ़स्बिर्
अला मा यकूलू-न व सब्बिह् बि-हम्दि

सो क्या इनको समझ न आई इस बात से कि कितनी ग़ारत कर दीं हमने इनसे पहले जमाअतें, ये लोग फिरते हैं उनकी जगहों में, इसमें ख़ूब निशानियाँ हैं अक़ल रखने वालों को। (128) ❀
और अगर न होती एक बात कि निकल चुकी तेरे रब की तरफ़ से तो ज़रूर हो जाती मुठभेड़ अगर न होता वायदा मुकर्रर किया गया। (129) सो तू सहता रह जो वे कहें और पढ़ता रह ख़ूबियाँ अपने रब

रब्बि-क कब्-ल तुलूअिश्शम्मि व
 कब्-ल गुरुबिहा व मिन् आनाइल्लैलि
 फ-सब्बिह व अत्राफन्नहारि
 लअल्ल-क तरजा (130) व ला
 तमुद्दन्-न ऐनै-क इला मा मत्तअना
 बिही अज्वाजम् मिन्दुम् जंहर-तल्-
 हयातिदुन्या लि-नफित्त-नहुम् फीहि,
 व रिज्कु रब्बि-क खैरुंव-व अब्का
 (131) वअमूर् अहल-क बिस्सलाति
 वस्तबिर् अलैहा, ला नस्अलु-क
 रिज्कन्, नहनु नर्जुकु-क, वल्आकि-बतु
 लित्तक्वा (132) व कालू लौ ला
 यअतीना बिआयतिम्-मिर्रब्बिही, अ-व
 लम् तअतिहिम् बय्यि-नतु मा
 फिस्सुहुफिल्-ऊला (133) व लौ
 अन्ना अहलक्नाहुम् बि-अजाबिम्
 मिन् कब्बिही लकालू रब्बना लौ ला
 अर्सल्-त इलैना रसूलन् फ-नत्तबि-अ
 आयाति-क मिन् कब्बि अन् नजिल्-ल
 व नख्जा (134) कुल् कुल्लुम्
 मु-तरब्बिसुन् फ-तरब्बसू फ-सतअलमू-न
 मन् अस्हाबुस्-सिरातिस्सविद्यि व
 मनिस्तदा (135) ❀

की सूरज निकलने से पहले और छुपने से
 पहले और कुछ घड़ियों में रात की पढ़ा
 कर और दिन की हदों पर शायद तू राजी
 हो। (130) और मत पसार अपनी आँखें
 उस चीज़ पर जो फायदा उठाने को दी
 हमने उन तरह-तरह के लोगों को रौनक
 दुनिया की जिन्दगी की उनके जाँचने को,
 और तेरे रब की दी हुई रोज़ी बेहतर है
 और बहुत बाकी रहने वाली। (131) और
 हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज़ का
 और खुद भी कायम रह उस पर, हम
 नहीं माँगते तुझसे रोज़ी, हम रोज़ी देते हैं
 तुझको और अन्जाम भला है परहेज़गारी
 का। (132) और लोग कहते हैं कि यह
 क्यों नहीं ले आता हमारे पास कोई
 निशानी अपने रब से, क्या पहुँच नहीं
 चुकी उनको निशानी अगली किताबों में
 की। (133) और अगर हम हलाक कर
 देते उनको किसी आफ़त में इससे पहले
 तो कहते ऐ रब! क्यों न भेजा हम तक
 किसी को पैग़ाम देकर कि हम चलते तेरी
 किताब पर ज़लील और रुस्वा होने से
 पहले। (134) तू कह- हर कोई राह देखता
 है सो तुम भी राह देखो आईन्दा जान
 लगे कौन हैं सीधी राह वाले और किसने
 राह पाई। (135) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(ये एतिराज़ करने वाले जो हक़ से मुँह मोड़ने पर अड़े हुए हैं तो) क्या इन लोगों को (अब तक) इससे भी हिदायत नहीं हुई कि हम इनसे पहले बहुत-से गिरोहों को (इस मुँह मोड़ने ही के सबब अज़ाब से) हलाक कर चुके हैं, कि उन (में से कुछ) के रहने के मक़ामात में ये लोग भी चलते (फिरते) हैं, (क्योंकि मुल्क शाम को जाते हुए मक्का वालों के रास्ते में कुछ उन कौमों के मकानात आते थे) इस (ज़िक्र हुए मामले) में तो समझ रखने वालों के (समझने के) लिये (मुँह मोड़ने के बुरे परिणाम होने के लिये काफ़ी) दलीलें मौजूद हैं।

और (इन पर फ़ौरी अज़ाब न आने से जो इनको अपने मज़हब के बुरा न होने का शुब्हा होता है तो इसकी हकीकत यह है कि) अगर आपके रब की तरफ़ से एक बात पहले से फ़रमाई हुई न होती (वह यह कि कुछ मस्लेहतों की वजह से उनको मोहलत दी जायेगी) और (अज़ाब के लिये) एक मियाद मुतैयन न होती (जो कि क़ियामत का दिन है) तो (इनके कुफ़्र व मुँह मोड़ने के सबब से) अज़ाब लाज़िमी तौर पर होता (खुलासा यह कि कुफ़्र तो अज़ाब को चाहता है लेकिन एक बाधा और रुकावट की वजह से उसमें देरी हो रही है। पस उनका वह शुब्हा और फ़ौरी अज़ाब न आने से अपने हक़ पर होने की दलील देना ग़लत है। गर्ज़ यह कि मोहलत देना है छोड़ देना नहीं)। सो (जब अज़ाब का आना यकीनी है तो) आप उनकी (कुफ़्र भरी) बातों पर सब्र कीजिए (और अल्लाह के लिये नफ़रत करने की वजह से जो उन पर गुस्सा आता है और उन पर अज़ाब आने में देरी से जो बेचैनी होती है उस परेशानी और बेचैनी को छोड़ दीजिये) और अपने रब की तारीफ़ (व सना) के साथ (उसकी) तस्बीह (व पाकी बयान) कीजिए (इसमें नमाज़ भी आ गई) सूरज निकलने से पहले (जैसे फ़जर की नमाज़) और उसके छुपने से पहले (जैसे ज़ोहर व असर की नमाज़ें) और रात के वक़्तों में (भी) तस्बीह किया कीजिये (जैसे मगरिब व इशा की नमाज़ें) और दिन के शुरू व आख़िर में (तस्बीह करने के वास्ते पाबन्दी के लिये एक बार फिर कहा जाता है जिससे फ़जर व मगरिब की नमाज़ के ज़िक्र की भी दोबारा ताकीद हो गई) ताकि (आपको जो सवाब मिले) आप (उससे) खुश हों (मतलब यह कि आप अपनी तवज्जोह अपने असली माबूद की तरफ़ रखिये लोगों की फ़िक्र न कीजिए)।

और हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ़ आप आँख उठाकर न देखिए (जैसा कि अब तक भी नहीं देखा) जिनसे हमने उन काफ़िरों के मुख़ालिफ़ गिरोहों को (मसलन यहूदियों, ईसाईयों और मुश्रिकों को) आज़माईश के लिये फ़ायदा उठाने वाला बना रखा है कि वह (सिर्फ़) दुनियावी ज़िन्दगी की रौनक़ है (मतलब औरों को सुनाना है कि जब गुनाहों से सुरक्षित नबी के लिये यह मनाही है जिनके बारे में यह गुमान व संभावना भी नहीं तो ग़ैर-सुरक्षित को तो इसका एहतिमाम क्योँकर ज़रूरी न होगा। और आज़माईश यह कि कौन एहसान मानता है और कौन नाफ़रमानी करता है) और आपके रब का अतीया (जो आख़िरत में मिलेगा वह इससे) कहीं ज़्यादा, बेहतर और देरपा है (कि कभी फ़ना ही न होगा। कलाम का खुलासा यह हुआ कि न उनके मुँह फेरने की तरफ़ ध्यान दिया जाये न उनके ऐश व आराम के सामान की तरफ़ आँख लगाई जाये, सब का अन्जाम अज़ाब है) और अपने से संबन्धित

लोगों (यानी खानदान वालों या मोमिनो) को भी नमाज़ का हुक्म करते रहिये और खुद भी उसके पाबन्द रहिये (यानी ज्यादा तवज्जोह के काबिल ये बातें हैं) हम आप से और (इसी तरह दूसरों से ऐसी) रोज़ी (कमवाना) नहीं चाहते (जो ज़रूरी इबादतों में बाधा हो) रोज़ी तो आपको (और इसी तरह औरों को) हम देंगे (यानी असल मक़सद कमाना नहीं बल्कि दीन और नेक काम हैं, कमाने की उसी हालत में इजाज़त या हुक्म है जबकि ज़रूरी इबादत व नेकी में वह बाधा और ख़लल डालने वाला न हो) और बेहतर अन्जाम तो परहेज़गारी ही का है (इसलिये हम हुक्म देते हैं कि आप उन लोगों के ऐश के सामान की तरफ़ आँख उठाकर भी न देखिये और अपने मुताल्लिकीन को नमाज़ का हुक्म करते रहिये.....। और एतिराज़ करने वालों के बाज़े हालात और उनकी बातें जो ऊपर मालूम हुई इसी तरह उनका एक और कौल भी बयान होता है कि) और वे लोग (दुश्मनी और मुख़ालफ़त के तौर पर) यूँ कहते हैं कि यह रसूल हमारे पास (अपनी नुबुव्वत की) कोई निशानी क्यों नहीं लाते। (आगे जवाब यह है कि) क्या उनके पास पहली किताबों के मज़ामीन का ज़ाहिर होना नहीं पहुँचा (मुराद इससे कुरआन है कि उससे पहली आसमानी किताबों के भविष्यवाणी के मज़मून का सच्चा होने का ज़हूर हो गया। मतलब यह कि क्या उनके पास कुरआन नहीं पहुँचा जिसकी पहले से शोहरत थी कि वह नुबुव्वत पर काफ़ी दलील है)।

और अगर हम उनको कुरआन आने से पहले (कुफ़्र की सज़ा में) किसी अज़ाब से हलाक कर देते (और फिर कियामत के दिन कुफ़्र की असली सज़ा दी जाती कि वह लाज़िम ही थी) तो ये लोग (उज़्र के तौर पर) यूँ कहते कि ऐ हमारे रब! आपने हमारे पास (दुनिया में) कोई रसूल क्यों नहीं भेजा था कि हम आपके अहकाम पर चलते इससे पहले कि हम (यहाँ खुद) बेक़द्र हों और (दूसरों की निगाह में) रुस्वा हों। (सो अब इस उज़्र की भी गुंजाईश नहीं रही, अगर वे यूँ कहें कि वह अज़ाब कब होगा तो) आप कह दीजिए कि (हम) सब इन्तिज़ार कर रहे हैं सो (थोड़ा) और इन्तिज़ार कर लो, अब जल्द ही तुमको (भी) मालूम हो जायेगा कि सही रास्ते वाले कौन हैं और वह कौन है जो (मन्ज़िले) मक़सूद तक पहुँचा (यानी वह फ़ैसला बहुत जल्दी मौत के बाद या कियामत के बाद ज़ाहिर हो जायेगा)।

मअरिफ़ व मसाईल

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

यहाँ हिदायत करने वाले से मुराद अगर कुरआन या रसूल है तो मायने यह है कि क्या कुरआन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनको यानी मक्का वालों को यह हिदायत नहीं दी और इससे बाख़बर नहीं किया कि तुमसे पहले कितनी उम्मतें और जमाअतें अपनी नाफ़रमानी की वजह से अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होकर हलाक हो चुकी हैं, जिनके घरों और ज़मीनों में अब तुम चलते फिरते हो। और यह भी मुश्किल है कि हिदायत की निस्वत अल्लाह तआला की तरफ़ हो और मायने यह हो कि क्या अल्लाह तआला ने इन लोगों को हिदायत नहीं दी।

मक्का वाले जो ईमान से भागने के लिये तरह-तरह के हीले बहाने तलाश करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुरे-बुरे कलिमात से याद करते थे, कोई जादूगर कोई शायर कोई झूठा कहता था, उनके सताने और तकलीफें देने का इलाज कुरआने करीम ने इस जगह दो चीजों से बतलाया है- अव्वल यह कि आप उनके कहने की तरफ तवज्जोह ही न करें बल्कि सब्र करें। दूसरी चीज अल्लाह तआला की इबादत में मशगूल हो जाना है जो अगले जुमले में 'फ-सब्बिह बि-हम्दि रब्बि-क' के अलफाज से बयान किया गया है।

दुश्मनों की तकलीफों से बचने का इलाज सब्र और अल्लाह की याद में मशगूल होना है

दुश्मनों से तो इस दुनिया में किसी छोटे बड़े, अच्छे बुरे इनसान को निजात नहीं मिलती। हर शख्स का कोई न कोई दुश्मन होता है, और दुश्मन कितना ही भामूली व कमजोर हो अपने मुखालिफ को कुछ न कुछ तकलीफ पहुँचा ही देता है। जबानी गाली-गलौज ही सही, सामने हिम्मत न हो तो पीछे ही सही। इसलिये दुश्मन की तकलीफों से बचने की फिक्र हर शख्स को होती है। कुरआने करीम ने उनका बेहतरीन और कामयाब नुस्खा दो चीजों से मिलाकर बयान फरमाया है। अव्वल सब्र यानी अपने नफ्स को काबू में रखना और बदला लेने की फिक्र में न पड़ना, दूसरे अल्लाह तआला की याद और इबादत में मशगूल हो जाना। तजुर्बा गवाह है कि सिर्फ यही नुस्खा है जिससे उन तकलीफों से निजात मिल सकती है वरना बदला लेने की फिक्र में पड़ने वाला कितना ही ताकतवर, बड़ा और सत्ता वाला हो बहुत सी बार मुखालिफ से बदला लेने पर कादिर नहीं होता, और यह बदले की फिक्र उसके लिये एक मुस्तकिल अज़ाब बन जाता है, और जब इनसान की तवज्जोह हक तआला की तरफ हो जाये और वह यह ध्यान करे कि इस दुनिया में कोई किसी को किसी तरह का नुकसान या तकलीफ अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं पहुँचा सकता और अल्लाह तआला के आमात और काम सब हिक्मत पर आधारित होते हैं, इसलिये जो सूरत पेश आई है उसमें जरूर कोई हिक्मत होगी तो मुखालिफ की तकलीफों से पैदा होने वाला गुस्सा व ग़ज़ब और आक्रोश खुद-ब-खुद खत्म हो जाता है, इसी लिये आयत के आखिर में फरमाया 'लअल्ल-क तर्ज़ा' यानी इस तदबीर से आप राजी खुशी बसर कर सकेंगे।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

यानी आप अल्लाह तआला की पाकी बयान करें, उसकी हम्द व शुक्र के साथ। इसमें इशारा है कि जिस बन्दे को अल्लाह तआला का नाम लेने या कुछ इबादत करने की तौफ़ीक़ हो जाये उसको चाहिये कि अपने उस अमल पर नाज़ व फ़ख़र करने के बजाय अल्लाह तआला की हम्द व शुक्र को अपना वज़ीफ़ा बनाये, यह अल्लाह का ज़िक्र या इबादत उसी की तौफ़ीक़ का नतीजा और फल है।

और यह लफ़ज़ "सब्बिह बिहम्दि" आम ज़िक्र व तारीफ़ के मायने में भी हो सकता है और ख़ास

माज़ के मायने में भी, उमूमन मुफ़्तिरीन हज़रात ने इसी को लिया है और उसके बाद औफ़ात समय) निर्धारित करके बतलाये हैं, वह भी नमाज़ों के वक़्त करार दिये हैं, मसलन 'क़ब्-ल [लूअिश्शमि] से मुराद फ़जर की नमाज़ और 'क़ब्-ल गुरुबिहा' से मुराद जोहर व अ़सर की नमाज़ और 'मिन् आनाइल्लैलि' से मुराद रात की सब नमाज़ें मग़रिब इशा, यहाँ तक कि तहज़ुद भी इसमें शामिल है, और फिर लफ़ज़ 'अतराफ़न्नहारि' से इसकी और अधिक ताकीद बतलाई गयी है।

दुनिया की दौलत चन्द दिन की है यह अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की निशानी नहीं बल्कि मोमिन के लिये ख़तरे की चीज़ है

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है और दर असल हिदायत करना उम्मत को है कि दुनिया के मालदारों और सरमायेदारों को किस्म-किस्म की दुनियावी रौनक और तरह तरह की नेमतें हासिल हैं, आप उनकी तरफ़ नज़र भी न उठाइये, क्योंकि यह सब ऐश फ़ानी और चन्द दिन की है, अल्लाह तआला ने जो नेमत आपको और आपके वास्ते से मोमिनों को अ़ता फ़रमाई है वह इस दुनिया की रौनक और ऐश से कहीं ज़्यादा बेहतर है।

दुनिया में काफ़िरो व गुनाहगारों के ऐश व आराम और दौलत व शान हमेशा ही से हर शख्स के लिये यह सवाल बनती रही है कि जब ये लोग अल्लाह के नापसन्दीदा और ज़लील हैं तो इनके पास ये नेमतें कैसी और क्यों हैं, और फ़रमाँबरदार मोमिनों के लिये गुर्बत व तंगदस्ती क्यों है? यहाँ तक कि फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बुलन्द मर्तबे वाले सहाबी को इस सवाल ने मुतास्सिर किया जिस वक़्त वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आपके ख़ास हुजरे में दाख़िल हुए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तन्हाई में आराम फ़रमा रहे थे और यह देखा कि आप एक मोटी-मोटी तीलियों के बोरिये पर लेटे हुए हैं और उन तीलियों के निशानात आपके बदन मुबारक पर खड़े हो गये हैं तो बेइख़्तियार रो पड़े और अज़ किया या रसूलुल्लाह! यह किसरा व कैसर और उनके सरदार व अमीर कैसी-कैसी नेमतों और राहतों में हैं और आप सारी मख़्लूक में अल्लाह के चुनिन्दा रसूल और महबूब हैं और आपके ज़िन्दगी गुज़ारने का यह हाल है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम अब तक शक व शुब्हे में मुब्तला हो? ये लोग तो वे हैं जिनकी लज़ज़तें और पसन्दीदा चीज़ें अल्लाह ने इसी दुनिया में इनको दे दी हैं, आख़िरत में इनका कोई हिस्सा नहीं, वहाँ अज़ाब ही अज़ाब है (और मोमिनों का मामला इसके उलट है) यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया की ज़ीनत और राहत-तलबी से बिल्कुल बेनियाज़ और बेताल्लुक़ ज़िन्दगी को पसन्द फ़रमाते थे इसके बावजूद कि आपको पूरी कुदरत हासिल थी कि अपने लिये बेहतर से बेहतर राहत का सामान जमा कर लें। और जब कभी दुनिया की दौलत आपके पास दग़ैर किसी मेहनत मशक्क़त और कोशिश व तलब के आ भी जाती तो फ़ौरन अल्लाह की राह में शरीबों फ़कीरों पर उसको ख़र्च कर डालते थे और अपने वास्ते कल के लिये भी कुछ बाक़ी न छोड़ते थे। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अबू सईद

खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

ان اخوف ما اخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا (ابن كثير)

मुझे तुम लोगों के बारे में जिस चीज़ का सबसे ज्यादा ख़ौफ़ और ख़तरा है वह दुनिया की जीन्त और दौलत है जो तुम पर खोल दी जायेगी।

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को पहले ही यह ख़बर भी दे दी है कि आने वाले ज़माने में तुम्हारी फ़तूहात दुनिया में होंगी और माल व दौलत और ऐश व आराम की अधिकता हो जायेगी। वह सूरतेहाल कुछ ज़्यादा खुश होने की नहीं बल्कि डरने की चीज़ है कि उसमें मुब्तला होकर अल्लाह तआला की याद और उसके अहकाम से ग़फ़लत न हो जाये।

अपने घर वालों और मुताल्लिकीन को नमाज़ की पाबन्दी की ताकीद और उसकी हिक्मत

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

यानी आप अपने अहल (घर वालों और बाल-बच्चों) को भी नमाज़ का हुक्म कीजिए और खुद भी उस पर जमे रहिये। ये बज़ाहिर दो हुक्म अलग-अलग हैं- एक अहल व अयाल (बाल-बच्चों और घर वालों) को नमाज़ की ताकीद, दूसरे खुद उसकी पाबन्दी। लेकिन गौर किया जाये तो खुद अपनी नमाज़ की पूरी पाबन्दी के लिये भी यह ज़रूरी है कि आपका माहौल आपके अहल व अयाल और मुताल्लिकीन नमाज़ के पाबन्द हों, क्योंकि माहौल इसके ख़िलाफ़ हुआ तो तबई तौर पर इनसान खुद भी कोताही का शिकार हो जाता है।

लफ़ज़ अहल में बीवी, औलाद और मुताल्लिकीन भी दाख़िल हैं जिनसे इनसान का माहौल और समाज बनता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब यह आयत नाज़िल हुई तो आप रोज़ाना सुबह की नमाज़ के वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर जाकर आवाज़ देते थे 'अस्सलातु अस्सलातु' (यानी नमाज़ नमाज़)। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और हज़रत उरवा इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब कभी हाकिमों और बादशाहों की दौलत और ठाठ-बाट पर उनकी नज़र पड़ती तो फ़ौरन अपने घर में लौट जाते और घर वालों को नमाज़ के लिये दावत देते और यह आयत पढ़कर सुनाते थे। और हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जब रात की तहज्जुद के लिये जागते तो अपने घर वालों को भी जगा देते थे और यही आयत पढ़कर सुनाते थे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

जो आदमी नमाज़ और अल्लाह की इबादत में लग जाता है
अल्लाह तआला उसके लिये रिज़क का मामला आसान बना देते हैं
لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا

यानी हम तुमसे यह मुतालबा नहीं करते कि तुम अपना और अपने अहल व अयाल (घर वालों और बाल-बच्चों) का रिज़क अपने इल्म व अमल के जोर से पैदा करो, बल्कि यह मामला हमने अपने जिम्मे रखा है, क्योंकि रिज़क का हासिल करना दर असल इनसान के बस में है ही नहीं, वह ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकता है कि ज़मीन को नर्म, काश्त के काबिल बनाये और कुछ दाने उसमें डाल दे, मगर दाने के अन्दर से पेड़ निकालना और पैदा करना इसमें तो उसका कोई मामूली सा दखल नहीं, वह डायरेक्ट हक़ तआला का काम है। पेड़ निकल आने के बाद भी इनसान का सारा अमल उसकी हिफ़ाज़त करना और जो फल-फूल कुदरत ने उसके अन्दर पैदा फ़रमाये हैं उनसे फ़ायदा उठाना है। और जो शख्स अल्लाह तआला की इबादत में मशगूल हो जाये अल्लाह तआला मेहनत का यह बोझ भी उसके लिये आसान और हल्का कर देते हैं। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

يقول الله تعالى يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد ففرك وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا

ولم اسد ففرك. (ابن كثير)

अल्लाह तआला फ़रमाता है- ऐ आदम के बेटे! तू मेरी इबादत के लिये अपने आपको फ़ारिग़ कर ले तो मैं तेरे सीने को ग़िना व इस्तिग़ना (माल से बेनियाज़ी) से भर दूँगा और तेरी मोहताज़ी को दूर कर दूँगा, और अगर तूने ऐसा न किया तो तेरा सीना फ़िक्र और काम-धंधे से भर दूँगा और मोहताज़ी दूर न करूँगा (यानी जितना माल बढ़ता जायेगा हिंस भी उतनी ही बढ़ती चली जायेगी इसलिये हमेशा मोहताज ही रहेगा)।

और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि:

من جعل همومه همًا واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم فى احوال الدنيا لم يبال

الله اى اودية هلك. رواه ابن ماجه. (ابن كثير)

जो शख्स अपने सारे फ़िक्रों को एक फ़िक्र यानी आख़िरत की फ़िक्र बना दे तो अल्लाह तआला उसके दुनिया के फ़िक्रों की खुद जिम्मेदारी ले लेता है और जिसके फ़िक्र दुनिया के मुक़्तलिफ़ कामों में लगे रहे तो अल्लाह तआला को कोई परवाह नहीं कि वह उन फ़िक्रों के किसी जंगल में हलाक हो जाये।

بَيِّنَةُ مَا فِي السُّحُفِ الْاُولَى ۝

यानी पिछली आसमानी किताबें तौरात व इंजील और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वगैरह पर उतरे सहीफे सब के सब आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की गवाही देते आये हैं, क्या ये निशानियाँ उन इनकारियों के लिये काफी से ज्यादा सुबूत नहीं है।

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۝

यानी आज तो अल्लाह तआला ने हर शख्स को ज़बान दी हुई है, हर एक अपने तरीके और अपने अमल के बेहतर और सही होने का दावा कर सकता है। लेकिन यह दावा कुछ काम देने वाला नहीं। बेहतर और सही तरीका तो वही हो सकता है जो अल्लाह के नज़दीक मकबूल व सही हो, और इसका पता क़ियामत के दिन सब को लग जायेगा कि कौन ग़लती और गुमराही पर था, कौन सही और सीधे रास्ते पर।

या अल्लाह! हमें भी तमाम झगड़ों से बचाते हुए हक़ का रास्ता नसीब फ़रमा। तेरे सिवा हमारा कोई ठिकाना और उम्मीद का मर्कज़ नहीं। और तमाम ताक़त व इख़्तियार का मालिक तू ही है।

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: तौ-हा की तफ़्सीर आज जुमेरात के दिन 14 ज़िलहिज्जा सन् 1390 हिजरी में पूरी हुई। अल्लाह तआला बाकी सूरतों की तकमील की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमायें आमीन। वही हैं मदद करने वाले और उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: तौ-हा की तफ़्सीर पूरी हुई।

सूर: अम्बिया (पारा 17)

सूर: अम्बिया मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 112 आयतें और 7 रुकूअ हैं।

أَيَّانَهَا ۱۱۲ (۲۱) سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ (۱۷) رُكُوعَاتُهَا ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝ مَا يَا نَبِيَّهُمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ رَزَاهُمْ مَخْلُودًا إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ
وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى ۝ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلَكُمۥ أَفَتَأْتُونَ
السَّحَرَاءَ أَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ۝ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بَلْ
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ۝ مَا آمَنَتْ
قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ
فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिररह्मानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इक़त-र-ब लिन्नासि हिसाबुहुम् व
हुम् फी ग़फ़लतिम्-मुअरिज़ून (1) मा
यअतीहिम् मिन् ज़िक्रिम्-मिररब्बिहिम्
मुहदसिन् इल्लस्त-मअहु व हुम्
यलअबून (2) लाहि-यतन् कुलूबुहुम्,
व अ-सरुन्नज्वल्लाज़ी-न ज़-लमू हल्
हाज़ा इल्ला ब-शरुम्-मिस्तुकुम्

नज़दीक आ गया लोगों के उनके हिसाब
का वक़्त और वे बेख़बर टला रहे हैं।
(1) कोई नसीहत नहीं पहुँचती उनको
उनके रब से नई मगर उसको सुनते हैं
खेल में लगे हुए। (2) खेल में पड़े हैं
दिल उनके और छुपाकर मस्तेहत की
बेइन्साफ़ों ने, यह शख़्स कौन है एक
आदमी है तुम ही जैसा फिर क्यों फंसते

अ-फ़तअतूनस्सिह-र व अन्तुम्
 तुब्सिरुन (3) का-ल रब्बी यअलमुल्-
 कौ-ल फ़िस्समा-इ वल्अर्जि व
 हुवस्समीअुल्-अलीम (4) बल् कालू
 अज्गासु अह्लामिम्-बलिफ़तराहु बल्
 हु-व शाअिरुन् फ़ल्यअतिना
 बिआयतिन् कमा उर्सिलल्-अव्वलून
 (5) मा आम-नत् कब्लहुम् मिन्
 कूरयतिन् अह्लकनाहा अ-फ़हुम्
 युअ्मिन्नू (6) व मा अर्सलना
 कब्ल-क इल्ला रिजालन् नूही इल्लैहिम्
 फ़स्अलू अह्लज्जिकिर इन् कुन्तुम् ला
 तअलमून (7) व मा जअल्लाहुम्
 ज-सदल्-ला यअकुलूनत्तअ-म व
 मा कानू ख़ालिदीन (8) सुम्-म
 सदकनाहुमुल्-वअ-द फ़-अन्जैनाहुम्
 व मन्-नशा-उ व अह्लकनल्-मुस्सिफ़ीन
 (9) ल-कद् अन्जलना इल्लैकुम्
 किताबन् फ़ीहि ज़िक्रकुम्, अ-फ़ला
 तअकिलून (10) ❀

हो इसके जादू में आँखों देखते। (3) उसने कहा मेरे रब को ख़बर है बात की आसमान में हो या ज़मीन में, और वह है सुनने वाला जानने वाला। (4) उसको छोड़कर कहते हैं बेहूदा ख़्वाब हैं, नहीं! झूठ बाँध लिया है, नहीं! शे'र कहता है, फिर चाहिये कि ले आये हमारे पास कोई निशानी जैसे पैग़ाम लेकर आये हैं पहले। (5) नहीं माना इनसे पहले किसी बस्ती ने जिनको ग़ारत कर दिया हमने, क्या अब ये मान लेंगे। (6) और पैग़ाम नहीं भेजा हमने तुझसे पहले मगर यही मर्दों के हाथ वही भेजते थे हम उनको, सो पूछ लो याद रखने वालों से अगर तुम नहीं जानते। (7) और नहीं बनाये थे हमने उनके ऐसे बदन कि वे खाना न खायें और न थे वे हमेशा रह जाने वाले। (8) फिर सच्चा कर दिया हमने उनसे वायदा सो बचा दिया उनको और जिसको हमने चाहा और ग़ारत कर दिया हद से निकलने वालों को। (9) हमने उतारी है तुम्हारी तरफ़ किताब कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, क्या तुम समझते नहीं? (10) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

उन (इनकार करने वाले) लोगों से उनका हिसाब (का वक़्त) नज़दीक आ पहुँचा (यानी क़ियामत हर लम्हा नज़दीक होती जाती है) और ये (अभी) ग़फ़लत (ही) में (पड़े) हैं (और उसके यकीन करने और उसके लिये तैयारी करने से) मुँह मोड़े हुए हैं। (और उनकी ग़फ़लत यहाँ तक बढ़ गई है कि) उनके पास उनके रब की तरफ़ से (उनके हाल के मुताबिक़) जो ताज़ा नसीहत आती है (बजाय इसके

कि उनको तंबीह होती) ये उसको ऐसे तरीके से सुनते हैं कि (उसके साथ) हंसी करते हैं (और) उनके दिल (बिल्कुल भी उधर) मुतवज्जह नहीं होते। और ये लोग यानी ज़ालिम (और काफिर) लोग (आपस में) चुपके-चुपके सरगोशी करते हैं (इसलिए नहीं कि इनको मुसलमानों का खौफ था क्योंकि मक्का में काफिर लोग कमज़ोर न थे बल्कि इसलिए कि इस्लाम के खिलाफ़ खुफिया साज़िश करके उसको मिटायें) कि यह (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) महज़ तुम जैसे एक (मामूली) आदमी हैं, (यानी नबी नहीं, और यह जो एक दिलकश और उम्दा कलाम सुनाते हैं उसके मोजिज़ा होने और उस मोजिज़े से नुबुव्वत का शुब्हा व ख्याल न करना, क्योंकि वह हकीकत में जादू भरा कलाम है) तो क्या (बावजूद इस बात के) फिर भी तुम जादू की बात सुनने को (उनके पास) जाओगे, हालाँकि तुम (इस बात को ख़ूब) जानते (बूझते) हो।

पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जवाब देने का हुक्म हुआ और उन्होंने) ने (हुक्म के मुवाफ़िक़ जवाब में) फ़रमाया कि मेरा ख़ब हर बात को (चाहे) आसमान में हो और (चाहे) ज़मीन में (हो, और चाहे ज़ाहिर हो या छुपी हो ख़ूब) जानता है, और वह ख़ूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है (सो तुम्हारी इन कुफ़िया बातों को भी जानता है और तुमको ख़ूब सज़ा देगा। और उन्होंने हक़ कलाम को सिर्फ़ जादू कहने पर बस नहीं किया) बल्कि यूँ (भी) कहा कि (यह कुरआन) परेशान ख्यालात हैं (कि वास्तव में दिलकश और उम्दा भी नहीं) बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) इन्होंने (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने) इसको (जान-बूझकर अपने इख़्तियार से अपने दिल से) गढ़ लिया है (और सपने के ख्यालात में तो इनसान किसी क़द्र बेइख़्तियार माज़ूर और शुब्हे में मुब्तला भी हो सकता है, और यह बौहतान सिर्फ़ कुरआन ही के साथ ख़ास नहीं) बल्कि यह तो एक शायर शख्स हैं (इनकी तमाम बातें ऐसी ही खुद बनाई हुई और ख्याली होती हैं। खुलासा यह कि रसूल नहीं हैं। और रिसालत के बड़े दावेदार हैं) तो इनको चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसी (बड़ी) निशानी लाएँ जैसा कि पहले लोग रसूल बनाये गये (और बड़े-बड़े मोजिज़े ज़ाहिर किये, उस वक़्त हम रसूल मानें और ईमान लायें। और यह कहना भी एक बहाना था वरना पहले नबियों को भी न मानते थे। हक़ तआला जवाब में फ़रमाते हैं कि) इनसे पहले कई बस्ती वाले जिनको हमने हलाक़ किया है (बावजूद उनके फ़रमाईशी मोजिज़े ज़ाहिर हो जाने के) ईमान नहीं लाये, सो क्या ये लोग (इन मोजिज़ों के ज़ाहिर होने पर) ईमान ले आएँगे (और ऐसी हालत में ईमान न लाने पर अज़ाब नाज़िल हो जायेगा इसलिए हम वो मोजिज़े ज़ाहिर नहीं फ़रमाते, और कुरआन काफ़ी मोजिज़ा है)।

और (रिसालत के बारे में जो उनका यह शुब्हा है कि रसूल बशर न होना चाहिए इसका जवाब यह है कि) हमने आप से पहले सिर्फ़ आदमियों ही को पैग़म्बर बनाया है जिनके पास हम वही भेजा करते थे, सो (ऐ इनकार करने वालों!) अगर तुमको (यह बात) मालूम न हो तो अहले किताब से मालूम कर लो (क्योंकि ये लोग अगरचे काफ़िर हैं मगर निरंतर ख़बर में रिवायत करने वाले का मुसलमान या मोतबर होना शर्त नहीं, फिर तुम उनको अपना दोस्त समझते हो तो तुम्हारे नज़दीक उनकी बात मोतबर होनी चाहिए) और (इसी तरह रिसालत के बारे में जो इस शुब्हे की दूसरी तक़रीर है कि रसूल फ़रिश्ता होना चाहिए उसका जवाब यह है कि) हमने उन रसूलों के (जो कि गुज़र चुके

ऐसे बदन नहीं बनाये थे जो खाना न खाते हों (यानी फरिश्ता न बनाया था) और (ये लोग जो आपकी वफात के इन्तिज़ार में खुशियाँ मना रहे हैं जैसा कि उनके इस कौल का सूर: तूर की आयत 30 में जिक्र है, तो यह वफात भी नुबुव्वत के विरुद्ध नहीं, क्योंकि) वे (पहले गुज़रे) हज़रात (भी दुनिया में) हमेशा रहने वाले नहीं हुए (पस अगर आपकी भी वफात हो जाये तो नुबुव्वत में क्या एतिराज़ लाज़िम आया? गर्ज़ कि जैसे पहले रसूल थे वैसे ही आप भी हैं और ये लोग जिस तरह आपको झुठला रहे हैं इसी तरह उन हज़रात को भी उस ज़माने के काफ़िरों ने झुठलाया) फिर हमने जो उनसे वायदा किया था (कि झुठलाने वालों को अज़ाब से हलाक करेंगे और तुमको और मोमिनों को महफूज़ रखेंगे, हमने) उस (वायदे) को सच्चा किया, यानी उनको और जिन-जिनको (निजात देना) मन्ज़ूर हुआ (उस अज़ाब से) हमने निजात दी और (उस अज़ाब से फरमाँबरदारी की) हद से गुज़रने वालों को हलाक किया। (सो उन लोगों को डरना चाहिये। ऐ इनकार करने वालो! इस झुठलाने के बाद तुम पर दुनिया व आख़िरत में अज़ाब आये तो ताज्जुब नहीं क्योंकि) हम तुम्हारे पास ऐसी किताब भेज चुके हैं कि उसमें तुम्हारी (काफ़ी) नसीहत मौजूद है, क्या (नसीहत की ऐसी तब्लीग़ के बावजूद) फिर भी तुम नहीं समझते (और नहीं मानते)।

मअरिफ़ व मसाईल

सूर: अम्बिया की फ़ज़ीलत

हज़रात अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि सूर: कहफ़, सूर: मरियम, सूर: ताँ-हा और सूर: अम्बिया ये चारों सूरतें नाज़िल होने के एतिबार से शुरू की सूरतें और मेरी यह पुरानी दौलत और कमाई हैं जिनकी मैं हमेशा हिफ़ाज़त करता हूँ। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

यानी वह वक़्त करीब आ गया जबकि लोगों से उनके आमाल का हिसाब लिया जायेगा। मुराद इससे कियामत है, और उसका करीब आ जाना दुनिया की पिछली उम्र के लिहाज़ से है, क्योंकि यह उम्मत आख़िरी उम्मत है, और अगर आम हिसाब मुराद लिया जाये तो कब्र का हिसाब भी इसमें शामिल है जो हर इनसान को मरने के फ़ौरन बाद देना होता है, और इसी लिये हर इनसान की मौत को उसकी व्यक्तिगत कियामत कहा गया है। फ़रमाया:

من مات فقد قامت قيامته

यानी जो शख्स मर गया उसकी कियामत तो अभी कायम ही गयी। इस मायने के एतिबार से हिसाब का वक़्त करीब होना तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हर शख्स की मौत चाहे कितनी ही उम्र हो कुछ दूर नहीं, खास तौर पर जबकि उम्र की इन्तिहा नामालूम है तो हर दिन हर घण्टे मौत का खतरा सामने है।

इस आयत से मक़सद ग़फलत में पड़े लोगों को चेताना और आगाह करना है जिसमें सब मोमिन व काफ़िर दाख़िल हैं, कि दुनिया की इच्छाओं में मशगूल होकर उस हिसाब के दिन को न भुलायें

क्योंकि उसको भुला देना ही सारी खराबियों और गुनाहों की बुनियाद है।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ

जो लोग आखिरत और क़ब्र के अज़ाब से ग़फ़लत और उसके लिये तैयारी से बेतवज्जोही करने वाले हैं यह उनके हाल का मज़ीद बयान है कि जब उनके सामने कुरआन की कोई नई आयत आती और पढ़ी जाती है तो वे उसको इस हालत में सुनते हैं कि खेल और हंसी मज़ाक करते हैं और उनके दिल अल्लाह से और आखिरत से बिल्कुल ग़ाफ़िल होते हैं। इसकी यह मुराद भी हो सकती है कि कुरआन की आयतें सुनने के वक़्त ये अपने खेल और धंधे में उसी तरह लगे रहते हैं कुरआन की तरफ़ कोई तवज्जोह नहीं देते, और यह मायने भी हो सकते हैं कि खुद कुरआनी आयतों ही से खेल और हंसी-मज़ाक का मामला करने लगते हैं।

اَفْتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝

यानी ये लोग आपस में आहिस्ता-आहिस्ता कानाफूसी करके यह कहते हैं कि यह जो अपने को नबी और रसूल कहते हैं यह तो हम जैसे ही इन्सान हैं, कोई फ़रिश्ता तो हैं नहीं कि हम इनकी बात मान लें, और फिर अल्लाह के उस कलाम को जो उनके सामने पढ़ा जाता था और उसकी मिठास व उम्दगी और दिलों में असर करने का कोई काफ़िर भी इनकार न कर सकता था, उससे लोगों को हटाने की सूरत यह निकाली कि उसको जादू क़रार दें और फिर लोगों को इस्लाम से रोकने के लिये यह कहें कि जब तुम समझ गये कि यह जादू है तो फिर उनके पास जाना और यह कलाम सुनना अक्लमन्दी के खिलाफ़ है, शायद यह गुफ़्तगू आपस में आहिस्ता इसलिये करते थे कि मुसलमान सुन लेंगे तो उनके बेवकूफी भरे इस धोखे की पोल खोल देंगे।

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۝

'अज़ग़ासु अहलाम' उन ख़्वाबों (सपनों) को कहा जाता है जिनमें कुछ नफ़सानी या शैतानी ख़्यालात शामिल हो जाते हैं, इसी लिये इसका तर्जुमा परेशान ख़्यालात से किया गया है। यानी उन इनकारियों ने अब्बल तो कुरआन को जादू कहा, फिर इससे आगे बढ़े तो परेशान ख़्वाब कहने लगे, फिर इससे भी आगे बढ़े तो कहने लगे यह तो खुदा तआला पर झूठ और बोहतान है कि यह उसका कलाम है, फिर कहने लगे कि असल बात यह है कि यह कोई शायर आदमी है शायराना ख़्यालात इसके कलाम में होते हैं।

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ ۝

यानी अगर यह वाकई नबी व रसूल हैं तो हमारे माँगे हुए ख़ास मोजिज़े दिखलायें। इसके जवाब में हक़ तआला ने फ़रमाया कि पिछली उम्मतों में इसका भी तजुर्बा और अनुभव हो चुका है कि जिस तरह का मोजिज़ा उन्होंने खुद तलब किया अल्लाह के रसूल के हाथों वही मोजिज़ा सामने आ गया मगर वे फिर भी ईमान न लाये, और मुँह माँगे मोजिज़े को देखने के बाद भी जो कौम ईमान से गुरेज़ करे उसके लिये अल्लाह का क़ानून यह है कि दुनिया ही में अज़ाब नाज़िल करके वह ख़त्म कर दी

जाती है, और चूँकि उम्मेते मुहम्मदिया को हक़ तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सम्मान में दुनिया के सार्वजनिक अज़ाब से महफ़ूज़ कर दिया है इसलिये इनको इनके माँगे हुए मोजिजे दिखलाना मस्लेहत नहीं। आगे 'अ-फ़हुम् युअ्मिन्नून्' में इसी तरफ़ इशारा है कि क्या मुँह माँगे मोजिजे को देखकर ये ईमान ले आयेंगे। मुराद यह है कि इनसे इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इसलिये मतलूबा मोजिजा नहीं दिखाया जाता।

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'अहले ज़िक्र' से इस जगह मुराद तौरात व इंजील के उलेमा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान ले आये थे। मतलब यह है कि अगर तुम्हें पिछले नबियों का हाल मालूम नहीं कि वे इनसान थे या फ़रिश्ते तो तौरात व इंजील के उलेमा से मालूम कर लो, क्योंकि वे सब जानते हैं कि पहले तमाम अम्बिया इनसान ही की नस्ल से थे, इसलिये अगर यहाँ अहले ज़िक्र से सिर्फ़ यहूदियों व ईसाईयों के अहले किताब ही मुराद हों तो कोई दूर की बात नहीं, क्योंकि इस मामले के सभी गवाह हैं। खुलासा-ए-तफ़सीर में इसी संभावना व ख्याल को इख़्तियार करके वज़ाहत की गयी है।

मसला: तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि इस आयत से मालूम हुआ कि जाहिल आदमी जिसको शरीअत के अहकाम मालूम न हों उस पर आलिम की पैरवी वाजिब है, कि आलिम से मालूम करके उसके मुताबिक़ अमल करे।

कुरआने करीम अरब वालों के लिये इज़्ज़त व फ़ख़र है

كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ

किताब से मुराद कुरआन है और ज़िक्र इस जगह सम्मान व बड़ाई और शोहरत के मायने में है। मुराद यह है कि यह कुरआन जो तुम्हारी अरबी भाषा में नाज़िल हुआ तुम्हारे लिये एक बड़ी इज़्ज़त और हमेशा की शोहरत की चीज़ है, तुम्हें इसकी क़द्र करनी चाहिये। जैसा कि दुनिया ने देख लिया कि अरब वालों को हक़ तआला ने कुरआन की बरकत से सारी दुनिया पर ग़ालिब और फ़ातेह बना दिया और पूरे आलम में उनकी इज़्ज़त व शोहरत का डंका बजा। और यह भी सब को मालूम है कि यह अरब वालों के मक़ामी या क़बाईली या भाषायी विशेषता की बिना पर नहीं बल्कि सिर्फ़ कुरआन की बदौलत हुआ। अगर कुरआन न होता तो शायद आज कोई अरब क़ौम का नाम लेने वाला भी न होता।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا

بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحْسَبُوا بِأَسْنَانِهِمْ مِنْهَا يُرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا

أَنْزَلْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ كَعَلْمِكُمْ تُسْأَلُونَ ۝ قَالُوا يَا بُولِيكْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ

دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِيرِينَ ۝

व कम् कसम्ना मिन् कर्यतिन्
 कानत् जालि-मतं व-व अन्शअना
 बअ-दहा कौमन् आ-खारीन (11)
 फ-लम्मा अ-हस्सू बअसना इजा हुम्
 मिन्हा यरकुजून (12) ला तरकुजू
 वर्जिअू इला मा उरिफ्तुम् फीहि
 व मसाकिनिकुम् लअल्लकुम् तुस्अतून
 (13) कालू या वैलना इन्ना कुन्ना
 जालिमीन (14) फमा जालत् तिल्-क
 दअवाहुम् हत्ता जअल्लाहुम् हसीदन्
 खामिदीन (15)

और कितनी पीस डालीं हमने बस्तियाँ जो
 थीं गुनाहगार और उठा खड़े किये उनके
 पीछे और लोग। (11) फिर जब आहट
 पाई उन्होंने हमारी आफत की तब लगे
 वहाँ से ऐड़ लगाने। (12) ऐड़ मत
 लगाओ और लौट जाओ जहाँ तुमने ऐश
 किया था और अपने घरों में, शायद कोई
 तुमको पूछे। (13) कहने लगे हाय खराबी
 हमारी हम थे बेशक गुनाहगार। (14)
 फिर बराबर यही रही उनकी फरियाद यहाँ
 तक कि ढेर कर दिये गये काटकर बुझे
 पड़े हुए। (15)

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने बहुत सी बस्तियाँ जहाँ के रहने वाले जालिम (यानी काफिर) थे, ग़रत कर दीं, और उनके बाद दूसरी कौम पैदा कर दी। तो जब उन्होंने हमारा अज़ाब आता देखा तो उस बस्ती से भागना शुरू कर किया (ताकि अज़ाब से बच जायें। हक़ तअला इरशाद फ़रमाते हैं कि) भागो मत और अपने ऐश के सामान की तरफ़ और अपने मकानों की तरफ़ वापस चलो, शायद तुमसे कोई पूछे-पाछे (कि तुम पर क्या गुज़री। इससे मक़सद कटाक्ष के तौर पर उनकी अहमकाना जुरत व साहस पर चेतावनी है कि जिस सामान और मकान पर तुमको नाज़ था अब न वह सामान रहा न मकान, किसी दोस्त हमदर्द का नाम व निशान रहा) वे लोग (अज़ाब नाज़िल होने के वक़्त) कहने लगे कि हाय हमारी कमबख़्ती! इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग जालिम थे। सो उनकी यही चीख़-पुकार रही यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा (नेस्त नाबूद) कर दिया जिस तरह खेती कट गई हो और आग ठन्डी हो गई हो।

मअरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में जिन बस्तियों के तबाह करने का ज़िक्र है कुछ मुफ़स्सिरीन ने उनको यमन की बस्तियाँ हज़ूर और क़लाबा करार दिया है, जहाँ अल्लाह तअला ने अपना एक रसूल भेजा था जिसके नाम में रियायतें भिन्न हैं। कुछ में मूसा बिन मीशा और कुछ में शुऐब ज़िक्र किया गया है, और अगर शुऐब नाम है तो वह मद्यन वाले शुऐब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और हैं। उन लोगों

ने अल्लाह के रसूल को कल्ल कर डाला। अल्लाह तआला ने उनको एक काफिर बादशाह बुख्रे नस्सर के हाथों तबाह कराया। बुख्रे नस्सर को उन पर मुसल्लत कर दिया जैसा कि बनी इस्राईल ने जब फिलिस्तीन में गलत राह इख्तियार की तो उन पर भी बुख्रे नस्सर को मुसल्लत करके सजा दी गयी थी। मगर साफ़ बात यह है कि कुरआन ने किसी खास बस्ती को चिन्हित नहीं किया इसलिये आम ही रखा जाये, इसमें यह यमन की बस्तियाँ भी दाखिल होंगी। वल्लाहु आलम

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ۖ كُو

أَرْدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَا تَخَذُنُهُ مِنَ الدُّنْيَا ۗ إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ۖ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۖ وَكَهْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَتَّكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۖ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۖ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۖ كُو كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۖ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۖ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۖ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۖ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۖ

व मा खलक्नस्समा-अ वल्अर्-ज़ व
मा बैनहुमा लाअिबीन (16) लौ
अरदना अन् नत्तखि-ज़ लस्वल-
लत्त-खज़नाहु मिल्लदुन्ना इन् कुन्ना
फ़ाअिलीन (17) बल् नकिज़फ़ु
बिल्हक्कि अलल्-बातिलि फ़-यद्मगुह
फ़-इज़ा हु-व ज़ाहिकुन्, व लकुमुल्-

और हमने नहीं बनाया आसमान और
ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है
खेलते हुए। (16) अगर हम चाहते कि
बना लें कुछ खिलौना तो बना लेते हम
अपने पास से अगर हमको करना होता।
(17) यूँ नहीं! पर हम फेंक मारते हैं सच
को झूठ पर वह उसका सर फोड़ डालता है
फिर वह जाता रहता है, और तुम्हारे लिये

वैलु मिम्मा तसिफून (18) व लहू मन्
 फ़िस्समावाति वल्अर्जि, व मन्
 अिन्दहू ला यस्तक्बिरू-न अन्
 अिबादतिही व ला यस्तस्सिरून (19)
 युसब्बिहूनल्लै-ल वन्नहा-र ला
 यफ़तुरून (20) अमित्त-ख़ाज़ू
 आलि-हतम् मिनल्अर्जि हुम् युन्शिरून
 (21) लौ का-न फ़ीहिमा आलि-हतुन्
 इल्लल्लाहु ल-फ़-स-दता
 फ़-सुब्हानल्लाहि रब्बिल्अर्शि अम्मा
 यसिफून (22) ला युस्अलु अम्मा
 यफ़अलु व हुम् युस्अलून (23)
 अमित्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही आलि-हतन्,
 कुल् हातू बुरहानकुम् हाज़ा जिक्रु
 मम्-मअि-य व जिक्रु मन् क़ब्ली,
 बल् अक्सरुहुम् ला यअलमूनल्-
 हक्-क़ फ़हुम् मुअ्रिज़ून (24) व मा
 अरसल्ला मिन् क़ब्लि-क़ मिरसूलिन्
 इल्ला नूही इल्लैहि अन्नहू ला इला-ह
 इल्ला अ-न फ़अ्बुदून (25) व
 क़ालुत्त-ख़र्ज़रह्मानु व-लदन् सुब्हानहू,
 बल् अिबादुम् मुकरमून (26) ला
 यस्बिकूनहू बिल्क़ौलि व हुम्
 बिअमिही यअमलून (27)

ख़राबी है उन बातों से जो तुम बतलाते
 हो। (18) और उसी का है जो कोई है
 आसमान और ज़मीन में और जो उसके
 नज़दीक रहते हैं सरकशी नहीं करते
 उसकी इबादत से, और नहीं करते सुस्ती।
 (19) याद करते हैं सत और दिन नहीं
 थकते। (20) क्या ठहराये हैं उन्होंने और
 माबूद ज़मीन में के कि वे जिन्दा कर
 उठायेंगे उनको। (21) अगर होते इन
 दोनों में और माबूद सिवाय अल्लाह के
 तो दोनों ख़राब हो जाते, सो पाक है
 अल्लाह अर्श का मालिक उन बातों से जो
 ये बतलाते हैं। (22) उससे पूछा न जाये
 जो वह करे और उनसे पूछा जाये। (23)
 क्या ठहराये हैं उन्होंने उससे वरे और
 माबूद तू कह- लाओ अपनी सनद, यही
 बात है मेरे साथ वालों की और यही बात
 है मुझसे पहलों की, कोई नहीं पर वे बहुत
 लोग नहीं समझते सच्ची बात सो टला रहे
 हैं। (24) और नहीं भेजा हमने तुझसे
 पहले कोई रसूल भगर उसको यही हुक्म
 भेजा कि बात यूँ है कि किसी की बन्दगी
 नहीं सिवाय मेरे सो मेरी बन्दगी करो।
 (25) और कहते हैं रहमान ने कर
 लिया किसी को बेटा वह हरगिज़ इस
 लायक नहीं, लेकिन वे बन्दे हैं जिनको
 इज़्ज़त दी है। (26) उससे बढ़कर नहीं
 बोल सकते और वे उसी के हुक्म पर
 काम करते हैं। (27)

यज़ल्मु मा बै-न ऐदीहिम् व मा
ख़ल्फ़हुम् व ला यश्फ़ज़ू-न इल्ला
लि-मनिरतज़ा व हुम् मिन् ख़श्यतिही
मुश्फ़कून (28) व मय्यकुल् मिन्हुम्
इन्नी इलाहुम्-मिन् दूनिही
फ़ज़ालि-क नज़्ज़ीहि जहन्न-म,
कज़ालि-क नज़्ज़िज़्ज़ालिमीन (29) ❀

उसको मालूम है जो उनके आगे है और
पीछे, और वे सिफ़ारिश नहीं करते मगर
उसकी जिससे अल्लाह राज़ी हो और
उसकी हैबत से डरते हैं। (28) और
जो कोई उनमें कहे कि मेरी बन्दगी है
उससे बरे सो उसको हम बदला देंगे
जहन्नम, यूँ ही हम बदला देते हैं
बेइन्साफ़ों को। (29) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (हमारे बेमिसाल होने पर हमारी बनाई हुई चीज़ें दलालत कर रही हैं क्योंकि) हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच है उसको इस तौर पर नहीं बनाया कि हम बेफ़ायदा काम करने वाले हों (बल्कि इनमें बहुत सी हिक्मतें हैं जिनमें बड़ी हिक्मत अल्लाह की तौहीद पर दलालत है और) अगर हमको (आसमान और ज़मीन के बनाने से कोई हिक्मत मक़सूद न होती बल्कि इनको महज़) मशग़ला ही बनाना मन्ज़ूर होता (जिसमें कोई ख़ास फ़ायदा मक़सूद न होता महज़ दिल बहलाना मन्ज़ूर होता है) तो हम ख़ास अपने पास की चीज़ को मशग़ला बनाते, (पसलन अपनी कमाल वाली सिफ़ात कमाल के दिखाने को) अगर हमको यह करना होता (क्योंकि मशग़ले को मशग़ला इख़्तियार करने वाले की शान से मुनासिब होना चाहिए, तो कहाँ ख़ालिके कायनात की ज़ात और कहाँ यह ग़ैर-फ़ानी चीज़ें, अलबत्ता सिफ़ात को कदीम और ज़ात के साथ लाज़िम होने के सबब आपस में मुनासबत है, सो जब अक्ली दलीलों और मज़हबों व मिल्लतों वालों के एकमत होने के सबब इसको भी मशग़ला करार दिया जाना मुहाल है तो ख़त्म हो जाने वाली ग़ैर-फ़ानी चीज़ों में तो किसी को इसका वहम भी न होना चाहिए। पस साबित हुआ कि हमने फ़ुज़ूल पैदा नहीं किया) बल्कि हक़ को साबित करने और बातिल (ग़ैर-हक़) को बातिल ठहराने के लिये पैदा किया है, और हम (उस) हक़ बात को (जिसके सबूत पर ये बनाई हुई चीज़ें दलालत करती हैं उस) बातिल पर (इस तरह ग़ालिब कर देते हैं जैसे यूँ समझो कि हम उसको उस पर) फेंक मारते हैं, सो वह (हक़) उस (बातिल) का भेजा निकाल देता है (यानी उसको पराजित कर देता है) सो वह (बातिल पराजित होकर) एक दम से जाता रहता है (यानी अल्लाह के एक होने की दलीलें जो उसकी बनाई हुई इन चीज़ों से हासिल होती हैं शिर्क "यानी इस कायनात के बनाने व चलाने में किसी के साझी होने" की पूरी तरह नफ़ी कर देती हैं जिसकी विपरीत दिशा का शुब्हा व गुमान ही नहीं रहता)। और (तुम जो इन ज़बरदस्त और मज़बूत दलीलों के बावजूद शिर्क करते हो तो) तुम्हारे लिये उस बात से बड़ी ख़राबी है जो तुम (हक़ के खिलाफ़) गढ़ते हो!

और (हक तआला की वह शान है कि) जितने कुछ आसमानों और जमीन में हैं सब उसी के (हुक्म के ताबे और मिल्क में) हैं, और (उनमें से) जो अल्लाह के नजदीक (बड़े मकबूल व खास) हैं (उनकी बन्दगी की यह कैफियत है कि) वे उसकी इबादत से शर्म नहीं करते और न ही थकते हैं (बल्कि) रात और दिन (अल्लाह की) तस्बीह (व पाकीजगी बयान) करते हैं (किसी वक्त) बन्द नहीं करते। (जब उनकी यह हालत है तो आम मख्लूक तो किस गिनती में है, पस इबादत के लायक वही है। और जब कोई दूसरा ऐसा नहीं तो फिर उसका शरीक समझना कितनी बेअक्ली है) क्या (तौहीद की इन दलीलों के बावजूद) उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं, (खासकर) जमीन की चीजों में से (जो कि और भी कम दर्जे की और मामूली हैं जैसे पत्थर या दूसरी धातुओं वगैरह के बुत) जो किसी को जिन्दा करते हैं (यानी जो जान भी न डाल सकता हो) ऐसा आजिज कब माबूद होने के काबिल होगा, और) जमीन (में या) आसमान में अल्लाह तआला के सिवा और माबूद (जिसका वजूद अपना जाती) होता तो दोनों (कभी के) दरहम-बरहम “यानी उलट-पुलट” हो जाते (क्योंकि आदतन दोनों के इरादों और कामों में टकराव होता, एक दूसरे से टकराते और उसके लिये फसाद लाजिम है लेकिन फसाद जाहिर नहीं है इसलिए अनेक माबूद भी नहीं हो सकते) सो (इन तकरीरों से साबित हुआ कि) अर्श का मालिक अल्लाह उन चीजों से पाक है जो ये लोग बयान कर रहे हैं (कि नऊजु बिल्लाह उसके और शरीक और साझी भी हैं। हालाँकि उसकी ऐसी बड़ी शान है कि) वह जो कुछ करता है उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, और औरों से पूछताछ की जा सकती है (यानी अल्लाह तआला बाज पुर्स कर सकता है। पस बड़ाई और शान में कोई उसका शरीक नहीं हुआ फिर माबूद होने में कोई कैसे शरीक हो सकता है। यहाँ तक तो रद्द करने, दलील काटने और एक चीज के मुहाल होने के एतिबार से कलाम था आगे सवाल और मना करने के तौर पर कलाम है कि) क्या उस खुदा को छोड़कर उन्होंने और माबूद बना रखे हैं? (उनसे) कहिये कि तुम (इस दावे पर) अपनी दलील पेश करो। (यहाँ तक तो सवाल और अक्ली दलील से शिर्क के बातिल होने का बयान था आगे रिवायती और किताबी दलील से दलील पेश की जाती है कि) यह मेरे साथ वालों की किताब (यानी कुरआन) और मुझसे पहले लोगों की किताबें (यानी तौरात व इन्जील व ज़बूर) मौजूद हैं, (जिनका सच्चा और अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ होना अक्ली दलील से साबित है, और औरों में अगरचे कमी-बेशी और रद्दोबदल हुई है मगर कुरआन में किसी तरह की रद्दोबदल का शुब्हा व गुमान नहीं, पस उन किताबों का जो मजमून कुरआन के मुताबिक होगा वह यकीनन सही है। और इन सब जिक्र हुई दलीलों का तकाजा यह था कि ये लोग तौहीद के कायल हो जाते लेकिन फिर भी कायल नहीं) बल्कि इनमें ज्यादा वही हैं जो हक बात का यकीन नहीं करते, सो (इस वजह से) वे (इसके कुबूल करने से) मुँह मोड़ रहे हैं।

और (यह तौहीद कोई नई बात नहीं जिससे ये बिदकें और भागें बल्कि पुराना कानून और शरीअत है, चुनाँचे) हमने आप से पहले कोई ऐसा पैगम्बर नहीं भेजा जिसके पास हमने यह वही न भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लायक) नहीं, पस मेरी (ही) इबादत किया करो। और ये (मुश्रिक) लोग (जो हैं इनमें बाजे) यूँ कहते हैं कि (नऊजु बिल्लाह) अल्लाह तआला (रहमान) ने

(फ़रिश्तों को) औलाद बना रखी है, (तौबा-तौबा!) वह (अल्लाह तआला इससे) पाक है (और वे फ़रिश्ते उसकी औलाद नहीं हैं) बल्कि (वे फ़रिश्ते उसके) बन्दे हैं (हों) सम्मानित (बन्दे हैं। इसी से बेअक्लों को शुक्का व धोखा हो गया, और उनकी बन्दगी, हुक्मों के पालन और अदब की यह कैफ़ियत है कि) वे उससे आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते (बल्कि हुक्म के मुन्तज़िर रहते हैं) और वे उसी के हुक्म के मुवाफ़िक़ अमल करते हैं (उसके खिलाफ़ नहीं कर सकते। क्योंकि वे जानते हैं कि) अल्लाह तआला उनके अगले-पिछले हालात को (ख़ूब) जानता है, (पस जो हुक्म होगा और जब हुक्म होगा हिक्मत के मुवाफ़िक़ होगा, इसलिये न अमल से मुख़ालफ़त करते हैं न क़ौल से आगे बढ़ते हैं) और (उनके अदब की यह कैफ़ियत है कि) वे सिवाय उस (शख़्स) के जिसके लिये (शफ़ाअत करने की) खुदा तआला की मर्ज़ी हो और किसी की सिफ़ारिश नहीं कर सकते, और वे सब अल्लाह तआला की हैबत से डरते रहते हैं। और (यह तो बयान था उनके मग़लूब और महकूम होने का, आगे बयान है अल्लाह तआला के ग़ालिब और हाकिम होने का, अगरचे हासिल दोनों का मिलता-जुलता है यानी) उनमें से जो शख़्स (मान लो यूँ) कहे कि (नऊजु बिल्लाह) खुदा के अलावा मैं माबूद हूँ, सो हम उसकी जहन्नम की सज़ा देंगे (और) हम ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं (यानी खुदा का उन पर पूरा क़ाबू है जैसे और मख़्लूक़ात पर, फिर वे खुदा की औलाद, जिसके लिये खुदा होना ज़रूरी है कैसे हो सकते हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝

यानी हमने आसमान और ज़मीन और इन दोनों के बीच की चीज़ों को खेल के लिये नहीं बनाया। पिछली आयतों में कुछ बस्तियों को तबाह व हलाक करने का ज़िक्र आया था, इस आयत में इशारा इस बात की तरफ़ है कि जिस तरह ज़मीन व आसमान और उनकी तमाम मख़्लूक़ात की पैदाईश बड़ी-बड़ी अहम हिक्मतों और मस्तेहतों पर आधारित है, जिन बस्तियों को तबाह किया गया उनका तबाह करना भी हिक्मत के मुताबिक़ था। इस मज़मून को इस आयत में इस तरह बयान किया गया कि ये तौहीद या रिसालत के इनकारी क्या हमारी कामिल कुदरत और इल्म व बसीरत की इन नुमायाँ निशानियों को जो ज़मीन व आसमान के बनाने में और तमाम मख़्लूक़ात की कारीगरी में नज़र आ रही हैं देखते समझते नहीं, या यह समझते हैं कि हमने ये सब चीज़ें फ़ुज़ूल ही महज़ खेल के लिये पैदा की हैं।

'लाज़िबीन' लज़िब से निकला है, लज़िब ऐसे काम को कहा जाता है जिससे कोई सही मक़सद जुड़ा हुआ न हो। (राग़िब) और लह्व उस काम को कहते हैं जिससे कोई सही या ग़लत मक़सद ही न हो, ख़ाली वक़्त गुज़ारी का मशग़ला बनाया जाये। इस्लाम के इनकारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और क़ुरआन पर एतिराज़ और तौहीद का इनकार करते हैं, अल्लाह की इन अज़ीमुश़ान निशानियों के बावजूद नहीं मानते तो उनका यह अमल गोया इसका दावा है कि ये सब चीज़ें फ़ुज़ूल ही खेल के लिये बनाई गयीं हैं। उनके ज़दाय में यह इरशाद हुआ कि यह खेल और

फुजूल नहीं, ज़रा भी ग़ौर व फ़िक्र से काम लो तो कायनात के एक-एक ज़र्रे में और कुदरत की एक-एक कारीगरी में हज़ारों हिक्मतें हैं और सब की सब अल्लाह को पहचानने और उसकी तौहीद के ख़ामोश सबक हैं:

हर गयाहे कि अज़ ज़मीं रोयद वस्दहू ला शरी-क लहू गोयद

हर उगने वाली चीज़ (यहाँ तक कि मामूली घास भी) जब ज़मीन से उगती है तो यही कहती है कि वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَخَذُنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَالِينَ ۝

यानी अगर हम-कोई मशग़ला बतौर खेल के बनाना ही चाहते और हमें यह काम करना ही होता तो हमें इसकी क्या ज़रूरत थी कि ज़मीन व आसमान वगैरह पैदा करें, यह काम अपने पास की चीज़ों से भी हो सकता था।

अरबी भाषा में हर्फ लौ फ़र्ज़ी चीज़ों के लिये बोला जाता है जिसका कोई वजूद न हो। इस जगह भी इसी हर्फ से यह मज़मून बयान हुआ है कि जो अहमक ऊपर नीचे की इन तमाम चीज़ों आसमानी और ज़मीनी मख़्लूक़ात और अजीब-अजीब चीज़ों को बेकार और खेल समझते हैं क्या वे इतनी भी अक्ल नहीं रखते कि इतने बड़े-बड़े काम बेकार और खेल के लिये नहीं हुआ करते, यह काम जिसको करना हो वह यूँ नहीं किया करता। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि बेकार और खेल का कोई काम भी हक़ तआला की अज़ीम शान तो बहुत बुलन्द व बाला है किसी अच्छे माक़ूल आदमी से भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

लह्व के असली और परिचित मायने बेकारी के मशग़ले के हैं, इसी के मुताबिक़ मज़कूर तफ़सीर की गयी है। कुछ मुफ़स्सरीन हज़रात ने फ़रमाया कि लफ़ज़ लह्व कभी बीवी के लिये और औलाद के लिये भी बोला जाता है और यहाँ यह भुराद ली जाये तो आयत का मतलब यहूदियों व ईसाईयों पर रद्द करना होगा जो हज़रत ईसा या हज़रत उज़ैर अलैहिमस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, कि अगर हमें औलाद ही बनानी होती तो इनसानी मख़्लूक़ को क्यों बनाते अपने पास की मख़्लूक़ में से बना लेते। वल्लाहु आलम

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

क़ज़फ़ू के लुग़वी मायने फेंकने और फेंक मारने के हैं, यद्मग़ु के मायने दिमाग़ पर चोट लगाने के हैं और ज़ाहिक़ के मायने जाने वाला और बेनाम व निशान हो जाने वाला। आयत का मतलब यह है कि ज़मीन व आसमान की अजीब व ग़रीब कायनात हमने खेल के लिये नहीं बल्कि बड़ी हिक्मतों पर आधारित करके बनाई हैं, उनमें से एक यह भी है कि उनके ज़रिये हक़ व बातिल का फ़र्क़ होता है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देखना इनसान को हक़ की तरफ़ ऐसी रहबरी करता है कि बातिल उसके सामने ठहर नहीं सकता। इसी मज़मून की ताबीर इस तरह की गयी है कि हक़ को बातिल के ऊपर फेंक मारा जाता है जिससे बातिल का दिमाग़ (भेजा) निकल जाता है और वह बेनाम व निशान होकर रह जाता है।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝

यानी हमारे जो बन्दे हमारे पास हैं, इससे मुराद फरिश्ते हैं, वे हर वक़्त हमारी इबादत में बग़ैर किसी अन्तराल के हमेशा मशगूल रहते हैं, अगर-तुम हमारी इबादत न करो तो हमारी खुदाई में कोई फ़र्क नहीं आता। इनसान चूँकि दूसरों को भी अपने हाल पर क़्यास करने का आदी होता है इसको हमेशा की इबादत से दो चीज़ें बाधा और रुकावट हो सकती हैं- एक तो यह कि वह किसी की इबादत करने को अपने दर्जे और मक़ाम के खिलाफ़ समझे इसलिये इबादत के पास ही न जाये, दूसरे यह कि इबादत तो करना चाहता है मगर हमेशा और लगातार इसलिये नहीं कर सकता कि इनसानी तबई तकाज़े के सबब वह थोड़ा काम करके थक जाता है, उसको आराम करने और सोने की ज़रूरत पेश आती है, इसलिये आयत के आख़िर में फ़रिश्तों से इन दोनों रुकावटों की नफ़ी कर दी गयी कि वे न तो हमारी इबादत से सरकशी करते हैं कि उसको अपनी शान के खिलाफ़ जानें और न इबादत करने से किसी वक़्त थकते हैं, इसी मज़मून की तकमील बाद की आयत में इस तरह फ़रमाई:

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝

यानी फ़रिश्ते रात दिन तस्बीह करते रहते हैं, किसी वक़्त सुस्त भी नहीं होते।

अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि मैंने हज़रत क़अब अहबार से पूछा कि क्या फ़रिश्तों को तस्बीह करने के सिवा और कोई काम नहीं, अगर है तो फिर दूसरे कामों के साथ हर वक़्त की तस्बीह कैसे जारी रहती है? हज़रत क़अब ने फ़रमाया ऐ मेरे भतीजे! क्या तुम्हारा कोई काम और मशग़ला तुम्हें साँस लेने से रोकता है और काम करने में रुकावट व बाधा डालने वाला होता है? हकीकत यही है कि तस्बीह फ़रिश्तों के लिये ऐसी है जैसे हमारा साँस लेना या आँख झपकना, कि ये दोनों चीज़ें हर वक़्त हर हाल में जारी रहती हैं और किसी काम में रुकावट और ख़लल डालने वाली नहीं होतीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी व बहरे मुहीत)

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۝

इसमें मुशिरक लोगों की जहालत को कई तरह ज़ाहिर फ़रमाया है। अब्वल यह कि ये कैसे अहमक हैं कि खुदा भी बनाया तो ज़मीन की मख़्लूक को बनाया, ये तो ऊपर की और आसमानी मख़्लूक़ात से बहरहाल कमतर व कमज़ोर हैं, दूसरे यह कि जिनको खुदा बनाया क्या उनको इन्होंने यह काम करते देखा है कि वे किसी को ज़िन्दा करते और उसमें जान डालते हैं? माबूद के लिये तो यह बात ज़रूरी है कि मख़्लूक की मौत व ज़िन्दगी उसके कब्जे में हो।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ

यह तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) की आदी दलील है जो आम आदतों के एतिबार पर आधारित है, और अक्ली दलील की तरफ़ भी इशारा है जिसकी विभिन्न वज़ाहते इल्मे कलाम की किताबों में बयान हुई हैं। और आदी दलील इस बिना पर है कि अगर ज़मीन व आसमान के दो खुदा और दोनों मालिक व मुख़्तार हों तो ज़ाहिर यह है कि दोनों के अहकाम पूरे-पूरे ज़मीन व आसमान में नाफ़िज़ होने चाहिये, और आदतन यह मुम्किन नहीं कि जो हुक़म एक दे वही दूसरा भी दे या जिस चीज़ को एक पसन्द करे दूसरा भी उसी को पसन्द करे, इसलिये कभी-कभी मतभेद और

अहकाम में भिन्नता होना लाजिमी है, और जब दो खुदाओं के अहकाम ज़मान व आसमान में मन्म हुए तो नतीजा इन दोनों के फसाद (खराबी और बरबादी) के सिवा क्या है। एक खुदा चाहता है कि इस वक़्त दिन हो, दूसरा चाहता है रात हो। एक चाहता है बारिश हो दूसरा चाहता है न हो, तो दोनों के एक-दूसरे के विपरीत अहकाम किस तरह जारी होंगे, और अगर एक झुक गया तो मालिक व मुख्तार और खुदा न रहा। इस पर यह शुब्हा कि दोनों आपस में मशिवरा करके अहकाम जारी किया करें इसमें क्या मुश्किल और दूर की बात है, इसके जवाबात इल्मे कलाम की किताबों में बड़ी तफ़सील से आये हैं। इतनी बात यहाँ भी समझ ली जाये कि अगर दोनों मशिवरे के पाबन्द हुए एक बगैर दूसरे के मशिवरे के कोई काम न कर सके तो इससे यह लाजिम आता है कि उनमें से एक भी मालिक व मुख्तार नहीं, दोनों नाकिस हैं, और नाकिस खुदा नहीं हो सकता। और शायद अगली आयत 'ला युस्अलु अम्मा यफ़अलु व हुम युस्अलून' (यानी आयत नम्बर 23) में भी इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि जो शख्स किसी क़ानून का पाबन्द हो, जिसके कामों व आमाल पर किसी को पकड़ और पूछगछ करने का हक़ हो वह खुदा नहीं हो सकता। खुदा वही है जो किसी का पाबन्द न हो, जिससे किसी को सवाल करने का हक़ न हो। अगर दो खुदा हों और दोनों मशिवरे के पाबन्द हों तो हर एक को दूसरे से सवाल करने और मशिवरा न करने पर पूछगछ करने का हक़ लाजिमी है जो खुद खुदाई के मक़ाम के विरुद्ध है।

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي

इसका एक मफ़हूम (मतलब) तो वह है जो खुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुआ है कि 'ज़िक्र मम्-मअि-य' से मुराद कुरआन और 'ज़िक्र मन् कब्ली' से मुराद तौरात व इंजील और ज़बूर वगैरह पहली आसमानी किताबें हैं, और आयत के मायने यह हैं कि मेरा और मेरे साथ वालों का कुरआन और पिछली उम्मतों की किताबें तौरात व इंजील वगैरह मौजूद हैं क्या इनमें से किसी किताब में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत की तल्कीन (तालीम व हिदायत) मौजूद है? तौरात व इंजील वगैरह में रद्दोबदल हो जाने के बावजूद यह तो अब तक भी कहीं साफ़ नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करके दूसरा माबूद बना लो। तफ़सीर बहरे मुहीत में इसका यह मतलब भी बयान किया गया है कि यह कुरआन ज़िक्र है मेरे साथ वालों के लिये भी और ज़िक्र है मुझसे पहलों के लिये भी। मतलब यह है कि अपने साथ वालों के लिये तो दावत और अहकाम की यज़ाहत के लिहाज़ से ज़िक्र है और पहले वालों के लिये इस मायने में ज़िक्र है कि इसके ज़रिये पहले वालों के अहवाल व मामलात और किस्से ज़िन्दा हैं।

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

यानी फ़रिश्ते हक़ तआला की औलाद तो क्या होते वे तो ऐसे डरे हुए और बा-अदब रहते हैं कि न कौल में अल्लाह तआला से आगे बढ़ते हैं न अमल में उसके खिलाफ़ कभी कुछ करते हैं। कौल में आगे न बढ़ने का मतलब यह है कि जब तक हक़ तआला ही की तरफ़ से कोई इरशाद न हो खुद कोई कलाम करने में पहल करने और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। इससे यह भी मालूम हुआ

कि बड़ों का एक अदब यह भी है कि जब मजलिस में कोई बात आये तो जो उस मजलिस का बड़ा है उसके कलाम का इन्तिज़ार किया जाये, पहले ही किसी और का बोल पड़ना खिलाफ़े अदब है।

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا

رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهُنًا
مَحْفُوظَةً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

अ-व लम् यरल्लजी-न क-फ़रू
अन्नस्समावाति वल्अर्-ज़ कानता
रत्कन् फ़-फ़तक़नाहुमा, व जअल्ना
मिनल्मा-इ कुल्-ल शैइन् हदियन्,
अ-फ़ला युअ्मिन्न (30) व जअल्ना
फिल्अर्जि रवासि-य अन् तमी-द
बिहिम् व जअल्ना फ़ीहा फ़िजाजन्
सुबुलल्-लअल्लहुम् यस्तदून (31)
व जअल्लस्समा-अ सक़फ़म्-महफूज़व्-
व हुम् अन् आयातिहा मुअ्रिज़ून
(32) व हुवल्लजी ख़ा-लक़ल्लै-ल
वन्नहा-र वशशम्-स वल्-क़-म-र,
कुल्लुन् फ़ी फ़-लकिंय्यस्वहून (33)

और क्या नहीं देखा उन मुन्किरों ने कि
आसमान और ज़मीन मुँह बन्द थे फिर
हमने उनको खोल दिया और बनाई हमने
पानी से हर एक चीज़ जिसमें जान है,
फिर क्या यकीन नहीं करते? (30) और
रख दिये हमने ज़मीन में भारी बोझ कभी
उनको लेकर झुक पड़े, और रखे उसमें
खुले रास्ते ताकि वे राह पायें। (31) और
बनाया हमने आसमान को सुरक्षित छत
और वे आसमान की निशानियों को ध्यान
में नहीं लाते। (32) और वही है जिसने
बनाये रात और दिन और सूरज और चाँद
सब अपने-अपने घर में फिरते हैं। (33)

खुलासा-ए-तफ़सीर

क्या उन काफ़िरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और ज़मीन (पहले) बन्द थे (यानी न
आसमान से बारिश होती थी न ज़मीन से कुछ पैदावार, इसी को बन्द होना फ़रमाया जैसा कि अब भी
अगर किसी जगह या किसी ज़माने में आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार न हो तो उस जगह
या उस ज़माने के एतिबार से इनको बन्द कहा जा सकता है) फिर हमने दोनों को (अपनी क़ुदरत से)

खोल दिया (कि आसमान से बारिश और ज़मीन से पेड़-पौधों का उगना शुरू हो गया) और (बारिश से सिर्फ़ पेड़-पौधे ही नहीं उगते और बढ़ते बल्कि) हमने (बारिश के) पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया है (यानी हर जिन्दा जानदार के वजूद और उसके बाकी रहने में पानी का दखल ज़रूर है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही या प्रत्यक्ष रूप से जैसा कि एक दूसरी आयत में यह मज़मून बयान हुआ है यानी सूरः ब-करह की आयत 164 में) क्या (इन बातों को सुनकर) फिर भी ईमान नहीं लाते।

और हमने (अपनी क़ुदरत से) ज़मीन में पहाड़ इसलिये बनाये कि ज़मीन उन लोगों को लेकर हिलने न लगे, और हमने इस (ज़मीन) में खुले-खुले रास्ते बनाये ताकि वे लोग (उनके ज़रिये से अपनी मतलूबा) मन्ज़िल को पहुँच जाएँ। और हमने (अपनी क़ुदरत से) आसमान को (ज़मीन के मुक़ाबले में उसके ऊपर) एक छत (के जैसा) बनाया जो (हर तरह से) महफ़ूज़ है (यानी गिरने से भी टूटने फूटने से भी, और इससे भी कि शैतान वहाँ तक पहुँचकर आसमान की बातें सुन सकें, मगर यह आसमान का महफ़ूज़ व मज़बूत होना भी हमेशा के लिये नहीं, एक निर्धारित ज़माने तक है) और ये लोग इस (आसमान) के (अन्दर की मौजूदा) निशानियों से मुँह मोड़े हुए हैं (यानी उनमें ग़ौर-फिक्र और विचार नहीं करते) और वह ऐसा (कादिर) है कि उसने रात और दिन और सूरज और चाँद बनाये (ये निशानियाँ यही हैं और सूरज व चाँद में से) हर एक एक-एक दायरे में (इस तरह चल रहे हैं कि गोया) तैर रहे हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

أُولَٰئِكَ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا

इस जगह 'देखने' के लफ़्ज़ से मुराद आम इल्म है चाहे वह आँखों से देखकर हासिल हो या अक्ल से दलील हासिल करने से। क्योंकि आगे जो मज़मून आ रहा है उसका ताल्लुक कुछ देखने और मुआयना करने से है और कुछ दलील हासिल करने के इल्म से।

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

लफ़्ज़ 'रत्क' के मायने बन्द होने और 'फ़तक' के मायने खोल देने के हैं। इन दो लफ़्ज़ों का मजमूआ 'रत्क' व 'फ़तक' किसी काम के इन्तिज़ाम और उसके पूरे इख्तियार के मायने में इस्तेमाल होता है। आयत के अलफ़ाज़ का तर्जुमा यह हुआ कि आसमान और ज़मीन बन्द थे हमने उनको खोल दिया। इसमें बन्द होने और खोल देने से मुराद क्या है इसकी मुराद में हज़राते मुफ़स्सिरीन ने विभिन्न अक़वाल नक़ल किये हैं मगर उन सब में जो मायने सहाबा-ए-किराम और मुफ़स्सिरीन हज़रात की बड़ी जमाअत ने इख्तियार फ़रमाये वो वही हैं जो खुलासा-ए-तफ़सीर में लिये गये हैं, कि बन्द होने से मुराद आसमान की बारिश और ज़मीन की पैदावार का बन्द होना है और खोलने से मुराद इन दोनों को खोल देना है।

तफ़सीर इब्ने कसीर में इब्ने अबी हातिम की सनद से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाक़िआ नक़ल किया है कि एक शख्स उनके पास आया और उनसे इस आयत की तफ़सीर मालूम की, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया कि

व के पास जाओ उनसे मालूम करो और वह जो जवाब दें मुझे भी उसकी इत्तिला करो। यह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और मालूम किया कि इस आयत में 'रत्कन्' और फ़तकना' से क्या मुराद है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि पहले आसमान बन्द थे बारिश न बरसाते थे और ज़मीन बन्द थी. कि उसमें पेड़-पौधे नहीं उगते थे, जब अल्लाह तआला ने ज़मीन पर इनसान को आबाद किया तो आसमान की बारिश खोल दी और ज़मीन का फलना-फूलना। यह शख्स आयत की तफ़सीर मालूम करके हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वापस गया और जो कुछ हज़रत इब्ने अब्बास से सुना था वह बयान किया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फ़रमाया कि अब मुझे साबित हो गया कि वाकई इब्ने अब्बास को कुरआन का इल्म अता किया गया है। इससे पहले मैं कुरआन की तफ़सीर के बारे में इब्ने अब्बास के बयानात को एक जुरत समझा करता था जो मुझे पसन्द न थी, अब मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने उनको कुरआनी उलूम का ख़ास जौक अता फ़रमाया है, उन्होंने रत्क व फ़तक की तफ़सीर सही बयान फ़रमाई है।

तफ़सीर रूहुल-मआनी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत को इब्नुल-मुन्ज़िर और अबू नुऐम और मुहदिसीन की एक जमाअत के हवाले से नक़ल किया है जिनमें मुस्तद्रक के लेखक इमाम हाकिम भी हैं, इमाम हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा है।

इब्ने अतीया औफ़ी इस रिवायत को नक़ल करके कहते हैं कि यह तफ़सीर हसन और जामे और इस जगह के कुरआनी मज़मून के मुनासिब है, इसमें मुन्किरों के ख़िलाफ़ इबत और हुज्जत भी है और अल्लाह तआला की ख़ास नेमतों और कामिल कुदरत का इज़हार भी जो (अल्लाह की) मारिफ़त व तौहीद की बुनियाद है। और बाद की आयत में जो 'व जअल्ना मिनल् मा-इ कुल्-ल शैइन् हय्यिन्' फ़रमाया है इससे इसी मायने के एतिबार से मुनासबत है। तफ़सीर बहरे मुहीत में भी इसी को इख़्तियार किया है। अल्लामा कुर्तुबी ने इसी को हज़रत इक्रिमा का कौल भी करार दिया है और फ़रमाया है कि एक दूसरी आयत से भी इस मायने की ताईद होती है यानी सूर: तारिक की आयत 11 व 12 से। इमाम तबरी ने भी इसी तफ़सीर को इख़्तियार किया है।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

मुराद यह है कि हर जानदार की पैदाईश व बनाने में पानी का दख़ल ज़रूर है और जानदार व रूह वाले अहले तहकीक के नज़दीक सिर्फ़ इनसान और हैवानात ही नहीं बल्कि नबातात (पेड़-पौधे और घास वगैरह) बल्कि जमादात (बेजान दिखाई देने वाली चीज़ों) में रूह और ज़िन्दगी मुहक्क़ीन (रिसर्च और तहकीक करने वालों) के नज़दीक साबित है, और ज़ाहिर है कि पानी को इन सब चीज़ों की पैदाईश व ईजाद और बढ़ोतरी व पालन-पोषण में बड़ा दख़ल है।

अल्लामा इब्ने कसीर ने इमाम अहमद रह. की सनद से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि हज़रत अबू हुरैरह ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया था रसूलुल्लाह! मैं जब आपकी ज़ियारत (दर्शन) करता हूँ तो मेरा दिल बाग़ बाग़ और आँखें ठण्डी हो जाती हैं। आप मुझे हर चीज़ (की पैदाईश) के बारे में बतला दीजिए। आपने फ़रमाया कि हर चीज़ पानी से पैदा की गयी है। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु

ने सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिस पर अमल करने से मैं जन्नत में पहुँच जाऊँ। आपने फरमाया:

افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. (تفرد به احمد

وهذا اسناد على شرط الشيخين..... الخ)

तर्जुमा:- सलाम करने को आम करो (चाहे सामने वाला अजनबी हो) और खाना खिलाया करो (इसको भी हदीस में आम रखा है, खाना खिलाना हर शख्स को चाहे काफिर व गुनाहगार ही हो सवाब से खाली नहीं) और सिला-रहमी किया करो, और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो जब सब लोग सोते हों, तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ.

लफ्ज़ 'मैद' अरबी भाषा में बेचैनी भरी हरकत को कहा जाता है, और आयत की मुराद यह है कि ज़मीन पर पहाड़ों का बोझ हक़ तआला ने इसका सन्तुलन बरकरार रखने के लिये डाल दिया है ताकि वह बेकरारी की हरकत न कर सके, जिससे उसके ऊपर बसने वालों को नुकसान पहुँचे। इसकी फ़ल्सफ़ियाना तहकीक (वैज्ञानिक शोध) कि पहाड़ों के बोझ को ज़मीन के करार (सुकून व ठहरने) में क्या दखल है उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं। तफ़सीरे कबीर वग़ैरह में इसका तफ़सीली बयान अहले इल्म देख सकते हैं, और बक़द्रे ज़रूरत सूरः नमल की तफ़सीर में हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना थानवी रह. ने तफ़सीर बयानुल-कुरआन में भी लिख दिया है।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

लफ्ज़ 'फलक' दर असल हर दायरे और गोल चीज़ को कहा जाता है। इसी वजह से चरखे में जो गोल चमड़ा लगा होता है उसको 'फलकतुल-मिगज़ल' कहते हैं। (रूहुल-मआनी) और इसी वजह से आसमान को भी फ़लक कह दिया जाता है। यहाँ मुराद सूरज व चाँद की वो मदारें (घूमने के दायरे) हैं जिन पर वो हरकत करते हैं। कुरआन के अलफ़ाज़ में इसकी कोई वज़ाहत नहीं है कि ये मदारें आसमान के अन्दर हैं या बाहर फ़ज़ा में। हाल के दिनों की ख़ला (अंतरिक्ष) की तहकीक़ात ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मदारें (घूमने की जगहें) ख़ला और फ़ज़ा में आसमान से बहुत नीचे हैं।

इस आयत के ज़ाहिर से यह भी समझ में आता है कि सूरज भी एक मदार पर हरकत करता है, नये ज़माने के वैज्ञानिक पहले इसके इनकारी थे अब वे भी इसके कायल हो गये हैं। अधिक तफ़सीलात की यह जगह नहीं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمْ بِالْأَشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَإِذَا

رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَفَتُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا ۗ هَذَا الَّذِي يُذَكِّرُ إِلَيْكُمْ ۗ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ

هُمْ كَفَرُونَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا
عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ
يُنظَرُونَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ ۝ اَمْ لَهُمْ اِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْعَبُونَ ۝
بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا اَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَنَاقِبًا
مِّنْ اَنْهَارٍ ۝ قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝
وَلٰكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ
الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۝ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكُفِيَ
بِنَا حِسْبِيْنَ ۝

۲
۳

व मा जअल्ना लि-ब-शरिम्-मिन्
कब्लिकल्-खुल्-द, अ-फइम्-मित्-त
फहुमुल्-खालिदून (34) कुल्लु
नफिसन् ज़ाइ-कतुल्-मौति, व
नब्लूकुम् बिश्शरिर् वल्-खौरि
फित्-नतन्, व इलैना तुर्जअून (35)
व इज़ा रआकल्लज़ी-न क-फरू
इय्यत्तख़िज़ून-क इल्ला हुज़ुवन्,
अ-हाज़ल्लज़ी यज़्कुरु आलि-ह-तकुम्
व हुम् बिज़िक्विररह्मानि हुम् काफिरून
(36) ख़ुलिकल्-इन्सानु मिन्
अ-जलिन्, स-उरीकुम् आयाती फ़ला
तस्तज़्जिलून (37) व यक्लू-न मता

और नहीं दिया हमने तुझसे पहले किसी
आदमी को हमेशा के लिये जिन्दा रहना,
फिर क्या अगर तू मर गया तो वे रह
जायेंगे। (34) हर जी को चखनी है मौत
और हम तुमको जाँचते हैं बुराई से और
भलाई से आजमाने को, और हमारी तरफ
फिरकर आ जाओगे। (35) और जहाँ
तुझको देखा मुन्किरों ने तो कोई काम
नहीं उनको तुझसे मगर ठट्ठा करना, क्या
यही शख्स है जो नाम लेता है तुम्हारे
माबूदों का, और वे रहमान के नाम से
मुन्किर हैं। (36) बना है आदमी जल्दी
का अब दिखलाता हूँ तुमको अपनी
निशानियाँ, सो गुझसे जल्दी मत करो।
(37) और कहते हैं कब होगा यह वायदा

हाज़ल्-वअदु इन् कुन्तुम् सादिकीन
(38) लौ यअलमुल्लज़ी-न क-फरू
ही-न ला यकुफ्रू-न अंब्वुजूहिहिमुन्-
नार व ला अन् जुहूरिहिम् व ला
हुम् युन्सरून (39) बल् तअतीहिम्
बग़त-तन् फ-तब्हतुहुम् फला
यस्ततीअू-न रद्दहा व ला हुम्
युन्ज़रून (40) व ल-कदिस्तुहिज़-अ
बिरुसुलिम्-मिन् कब्लि-क फहा-क
बिल्लज़ी-न सखिरू मिन्हुम्-मा कानू
बिही यस्तहिज़ऊन (41) ❀

कुल् मय्यक्ल-उकुम् बिल्लैलि वन्नहारि
मिनररत्मानि, बल् हुम् अन् जिक्कि
रब्बिहिम् मुअरिज़ून (42) अम् लहुम्
आलि-हतुन् तम्मअहुम् मिन् दूनिना,
ला यस्ततीअू-न नस्-र अन्फुसिहिम्
व ला हुम् मिन्ना युस्हबून (43) बल्
मत्तअना हा-उला-इ व आबाअहुम्
हत्ता ता-ल अलैहिमुल्-अमुरु, अ-फला
यरौ-न अन्ना नअतिल्-अर-ज़
नन्कुसुहा मिन् अत्राफिहा,
अ-फहुमुल्-ग़ालिबून (44) कुल्
इन्नामा उन्ज़िरुकुम् बिल्वस्थि व ला
यस्मअुस्-सुम्मुद्दुआ-अ इज़ा मा
युन्ज़रून (45) व ल-इम्-मस्सतहुम्

अगर तुम सच्चे हो। (38) अगर जान लें
ये मुन्किर उस वक्त को कि न रोक सकेंगे
अपने मुँह से आग और न अपनी पीठ से
और न इनको मदद पहुँचेगी। (39) कुछ
नहीं! वह आयेगी उन पर नागहानी फिर
उनके होश खो देगी, फिर न फेर सकेंगे
उसको और न उनको फुर्सत मिलेगी। (40)
और ठट्टे हो चुके हैं रसूलों से तुझसे
पहले फिर उलट पड़ी ठट्टा करने वालों पर
उनमें से वह चीज़ जिसका ठट्टा करते
(यानी मज़ाक उड़ाते) थे। (41) ❀

तू कह कौन निगहबानी करता है तुम्हारी
रात में और दिन में रहमान से, कोई नहीं!
वे अपने रब के जिक्र से मुँह फेरते हैं।
(42) या उनके वास्ते कोई माबूद हैं कि
उनको बचाते हैं हमारे सिवा, वे अपनी
भी मदद नहीं कर सकते और न उनको
हमारी तरफ़ से साथ मिले। (43) कोई
नहीं! पर हमने ऐश दिया उनको और
उनके बाप-दादों को यहाँ तक कि बढ़
गई उन पर जिन्दगी, फिर क्या नहीं
देखते कि हम चले आते हैं ज़मीन को
घटाते उसके किनारों से, अब क्या वे
जीतने वाले हैं। (44) तू कह मैं जो तुम
को डराता हूँ सो हुय्यम के मुवाफिक, और
सुनते नहीं बहरे पुकारने को जब कोई
उनको डर की बात सुनाये। (45) और
कहीं पहुँच जाये उन तक एक भाप

नफहतुम् मिन् अज़ाबि रब्बि-क
 ल-यकूलुन्-न या वैलना इन्ना कुन्ना
 ज़ालिमीन (46) व न-ज़ जुल्-
 मवाज़ीनल्-किस्-त लियौमिल्-
 कियामति फ़ला तुज़्लमु नफसुन्
 शैअन्, व इन् का-न मिस्का-ल
 हब्बतिम्-मिन् ख़ार्-दलिन् अतैना
 बिहा, व कफ़ा बिना हासिबीन (47)

तेरे रब के अज़ाब की तो ज़रूर कहने
 लगें हाय हमारी कमबख़्ती! बेशक हम थे
 गुनाहगार। (46) और रखेंगे हम तराजूएँ
 इन्साफ़ की कियामत के दिन, फिर जुल्म
 न होगा किसी जी पर एक ज़रा, और
 अगर होगा बराबर राई के दाने के तो
 हम ले आयेंगे उसको, और हम काफ़ी हैं
 हिसाब करने को। (47)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ये लोग जो आपकी वफ़ात की खुशियाँ मना रहे हैं, जैसा कि उनका कौल क़ुरआन की सूरः तूर आयत 30 में बयान हुआ है, यह वफ़ात भी नुबुव्वत के खिलाफ़ नहीं, क्योंकि) हमने आप से पहले भी किसी बशर के लिये (चाहे वह नबी हो या ग़ैर-नबी दुनिया में) हमेशा रहना तजवीज़ नहीं किया, (पस जैसे आप से पहले नबियों को मौत आई इससे उनकी नुबुव्वत में किसी को शुब्हा नहीं हुआ इसी तरह आपकी वफ़ात से आपकी नुबुव्वत में कोई शुब्हा नहीं हो सकता। खुलासा यह है कि नुबुव्वत और मौत दोनों एक शख्स में जमा हो सकती हैं) फिर (यह कि) अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाये तो क्या ये लोग (दुनिया में) हमेशा-हमेशा को रहेंगे (आख़िर यह भी मरेगे, फिर खुशी का क्या मक़ाम है? मतलब यह कि आपकी वफ़ात से उनकी खुशी अगर नुबुव्वत को बातिल करने के लिये है तब तो इसका जवाब यह है कि हमने किसी बशर के लिये हमेशा के लिये ज़िन्दा रहना नहीं बनाया, और अगर जाती बुग़ज़ व दुश्मनी से है तो 'अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाये तो क्या ये लोग दुनिया में हमेशा रहेंगे?' इसका जवाब है। गर्ज़ कि हर हाल में यह इन्तिज़ार बेकार और बेहूदा है और मौत तो ऐसी चीज़ है कि तुम में) हर जानदार मौत का मज़ा चखेगा, और (यह जो हमने चन्द दिन तुमको ज़िन्दगी दे रखी है तो इससे उद्देश्य महज़ यह है कि) हम तुमको बुरी-भली हालतों से अच्छी तरह आजमाते हैं (बुरी हालत से मुराद जो कि खिलाफ़े मिजाज़ हो जैसे बीमारी व तंगदस्ती और अच्छी हालत से मुराद जो कि मिजाज़ के मुवाफ़िक़ हो जैसे सेहत और मालदारी, ज़िन्दगी में वही हालतें मुख़्तलिफ़ तौर पर पेश आती हैं, कोई इनमें ईमान और नेकी को अन्जाम देता है और कोई कुफ़्र व नाफ़रमानी करता है। मतलब यह कि ज़िन्दगी इसलिये दे रखी है कि देखें कैसे-कैसे अमल करते हो) और (फिर इस ज़िन्दगी के ख़त्म पर) तुम सब हमारे पास चले आओगे (और हर एक को उसके मुनासिब सज़ा व जज़ा देंगे। पस असल चीज़ और अहम मामला तो मौत और मौत के बाद ही का मामला हुआ और ज़िन्दगी महज़ अस्थायी, फिर ये लोग इस पर इतराते हैं और पैग़म्बर की वफ़ात पर

खुशियाँ मनाते हैं। यह न हुआ कि इस अस्थायी जिन्दगी में ईमान व नेक अमल की दौलत कमा लेते जो उनके काम आती, और उल्टा नामा-ए-आमाल सियाह और आखिरत की मन्ज़िल भारी कर रहे हैं, डरते नहीं)।

और (इन इनकारियों की यह हालत है कि) ये काफिर लोग जब आपको देखते हैं तो बस आप से हंसी करने लगते हैं (और आपस में कहते हैं) कि क्या यही (साहिब) हैं जो तुम्हारे माबूदों का (बुराई से) जिक्र किया करते हैं, (सो आप पर तो बुलों के इनकार का भी एतिराज़ है) और (खुद) ये लोग (अल्लाह) रहमान के जिक्र पर इनकार (और कुफ़) किया करते हैं। (तो एतिराज़ की बात तो दर हकीकत यह है, इसलिये इनको अपनी इस हालत पर हंसी-ठट्टा करना चाहिए था और इनकी यह हालत है कि जब कुफ़ की सज़ा का मज़मून सुनते हैं जैसे ऊपर ही जिक्र हुआ है यानी आयत 35 में तो झुठलाने के सबब इसका तकाज़ा करते हैं कि यह सज़ा जल्द आ जाये और यह तकाज़ा और जल्द बाज़ी कुछ इनसानी तबीयत का अक्सरी खास्ता भी है, पस इसका तबई होना ऐसा है जैसे गोया) इनसान जल्दी ही (के खमीर) का बना हुआ है यानी जल्दबाज़ी और जल्दी जैसे उसकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, इसी वास्ते ये लोग अज़ाब जल्दी-जल्दी माँगते हैं और उसमें देर होने को उसके न आने की दलील समझते हैं, लेकिन ऐ काफ़िरो! यह तुम्हारी ग़लती है, क्योंकि उसका तयशुदा वक़्त है सो ज़रा सब्र करो) हम जल्द ही (उसका वक़्त आने पर) तुमको अपनी निशानियाँ (क़हर की यानी सज़ायें) दिखाए देते हैं, पस तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ (क्योंकि अज़ाब वक़्त से पहले आता नहीं और वक़्त पर टलता नहीं)।

और ये लोग (जब यह मज़मून सुनते हैं कि निर्धारित वक़्त पर अज़ाब आयेगा तो रसूल और मोमिनों से यूँ) कहते हैं कि यह वायदा किस वक़्त आयेगा अगर तुम (अज़ाब के आने की ख़बर में) सच्चे हो (तो देरी काहे की जल्दी से क्यों नहीं अज़ाब आ जाता। असल यह है कि इनको उस मुसीबत की ख़बर नहीं जो ऐसी बेफ़िक़्री की बातें करते हैं) काश! इन काफ़िरो को उस वक़्त की ख़बर होती जबकि (इनको सब तरफ़ से दोज़ख़ की आग़ घेरोगी और) ये लोग (उस) आग़ को न अपने सामने से रोक सकेंगे और न अपने पीछे से, और न इनकी कोई हिमायत करेगा। (यानी अगर उस मुसीबत का इल्म होता तो ऐसी बातें न बनाते और यह जो दुनिया ही में दोज़ख़ के अज़ाब की फ़रमाईश कर रहे हैं सो यह ज़रूरी नहीं कि इनकी फ़रमाईश के मुवाफ़िक़ दोज़ख़ का अज़ाब आ जाये) बल्कि वह आग़ (तो) इनको एकदम से आ पकड़ेगी, सो इनको बदहवास कर देगी, फिर न उसके हटाने की इनको कुदरत होगी और न इनको मोहलत दी जायेगी। और (अगर वे यूँ कहें कि अगर यह अज़ाब आखिरत में तय होने की वजह से दुनिया में नहीं होता तो अच्छा दुनिया में उसका कोई नमूना तो दिखला दो, तो मुनाज़रे के उसूल के मुताबिक़ नमूना दिखलाना ज़रूरी नहीं लेकिन इन पर एहसान रखते हुए नमूने का पता भी दिया जाता है, वह यह कि) आप से पहले जो पैग़म्बर हो गुज़रे हैं उनके साथ भी (काफ़िरो की तरफ़ से) मज़ाक़ और हंसी उड़ाना किया गया था, सो जिन लोगों ने हंसी-मज़ाक़ किया था, उन पर वह अज़ाब आ ही पड़ा जिसके साथ वे मज़ाक़-ठट्टा किया करते थे (कि अज़ाब कहाँ है। पस इससे मालूम हुआ कि कुफ़ अज़ाब को वाजिब करने वाला है। पस अगर

दुनिया में वह ज़ाहिर न हो तो आखिरत में होगा। और यह भी उनसे) कह दीजिए (कि दुनिया में जो तुम अज़ाब से बचे हुए हो तो यह हिफ़ाज़त और बचाव भी अल्लाह तआला ही कर रहा है इसमें भी उसी का एहसान और उसके एक होने पर दलालत है, और अगर तुम इसको तस्लीम नहीं करते तो फिर बतलाओ) कि वह कौन है जो रात और दिन में रहमान (के अज़ाब) से तुम्हारी हिफ़ाज़त करता हो, (और इस मज़मून का माना हुआ तफ़ाज़ा यह था कि तौहीद "यानी अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने" के कायल हो जाते मगर वे अब भी कायल न हुए) बल्कि वे लोग (अब भी बदस्तूर) अपने (वास्तविक) रब के ज़िक्र (तौहीद के कुबूल करने) से मुँह फेरने वाले (ही) हैं (हाँ हम निगहबानी और हिफ़ाज़त करने वाले की वज़ाहत के लिये स्पष्ट रूप से मालूम करते हैं कि) क्या उनके पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद हैं कि (उक्त अज़ाब से) उनकी हिफ़ाज़त कर लेते हों, (वे बेचारे उनकी तो क्या हिफ़ाज़त करते उनकी बेचारगी व मजबूरी की तो यह हालत है कि) वे खुद अपनी हिफ़ाज़त की ताक़त नहीं रखते (मसलन उनको कोई तोड़ने-फोड़ने लगे तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते जैसा कि कुरआन पाक की सूः हज की आयत 73 में इसकी वज़ाहत है। पस न वे उनके माबूद उनकी हिफ़ाज़त कर सकते हैं) और न हमारे मुक़ाबले में कोई उनका साथ दे सकता है। (और ये लोग बावजूद इन रोशन दलीलों के जो हक़ को कुबूल नहीं करते तो यह वजह नहीं कि दावे या दलील में कुछ खलल है) बल्कि (असल वजह इसकी यह है कि) हमने इनको और इनके बाप-दादाओं को (दुनिया का) ख़ूब सामान दिया, यहाँ तक कि इन पर (उसी हालत में) एक लम्बी मुद्दत गुज़र गई, (कि कई पुश्तों और नस्लों से ऐश आराम करते आ रहे हैं, पस खा खाके गुराने लगे और आँखें पथरा गई। मतलब यह कि इन्हीं में गुफ़लत कर खलल व कारण है लेकिन शर्ई और कुदरती इतनी चेतावनियों के बावजूद इतनी गुफ़लत भी न होनी चाहिए। चुनाँचे तंबीह व चेतावनी की एक बात को ज़िक्र किया जाता है वह यह कि) क्या उनको यह नज़र नहीं आता कि हम (उनकी) ज़मीन को (इस्लामी फ़तूहात के ज़रिये) चारों तरफ़ से बराबर घटाते चले जाते हैं, सो क्या ये लोग (उम्मीद रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और ईमान वालों पर) ग़ालिब आएँगे।

(क्योंकि हालात व इशारात और शर्ई दलाईल मुत्तफ़िक़ हैं उनके मग़लूब और अहले हक़ के ग़ालिब होते जाने पर, जब तक कि मुसलमान अल्लाह की फ़रमाँबरदारी व इताअत से मुँह न मोड़ें और इस्लाम की हिमायत न छोड़ें, पस इस मामले में सोच-विचार करना भी चेतने और सतर्क होने के लिये काफ़ी है। अगर इस पर भी दुश्मनी व जहालत से वे अज़ाब को ज़ाहिर करने ही की फ़रमाईश करें तो) आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ वही के ज़रिये से तुमको डराता हूँ (अज़ाब का आना मेरे बस से बाहर है) और (अगरचे हक़ की तरफ़ दावत देने और डराने का यह तरीक़ा काफ़ी है मगर) ये बहरे जिस वक़्त (हक़ की तरफ़ बुलाये जाने के वास्ते अज़ाब से) डराये जाते हैं सुनते ही नहीं (और हक़ को स्पष्ट तौर पर जानने के लिये सोच-विचार से काम नहीं लेते बल्कि वही मुर्गी की एक टाँग अज़ाब ही माँगे जाते हैं)।

और (इनकी बुलन्द-हिम्मती और हौसले की यह हालत है कि) अगर इनको आपके रब के अज़ाब का एक झोंका भी ज़रा लग जाये तो (सारी बहादुरी ख़त्म हो जाये और) यूँ कहने लगें कि हाय हमारी

कमबख्ती (कैसी हमारे सामने आई) वाकई हम खतावार थे। (बस इस हिम्मत पर अज़ाब की फरमाईश है। वाकई उनकी इस शरारत का तो यही तकाज़ा था कि दुनिया ही में फैसला कर देते मगर हम बहुत सी हिक्मतों से दुनिया में वायदा की गयी सज़ा देना नहीं चाहते बल्कि आखिरत के लिये उठा रखा है और (वहाँ) कियामत के दिन हम इन्साफ़ की तराजू खड़ी करेंगे (और सब के आमाल का वज़न करेंगे) सो किसी पर बिल्कुल भी जुल्म न होगा, और (जुल्म न होने का यह नतीजा होगा कि) अगर (किसी का कोई) अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसको (वहाँ) हाज़िर कर देंगे (और उसका भी वज़न करेंगे) और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं (हमारे उस वज़न और हिसाब के बाद फिर किसी हिसाब व किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी बल्कि उसी पर सब फैसला हो जाएगा। पस वहाँ लोगों की शरारतों की भी मुनासिब व काफ़ी सज़ा जारी कर दी जायेगी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुशिरकों के झूठे दावों और शिर्क भरे अक़ीदों की जिनमें हज़रत ईसा या हज़रत उज़ैर वगैरह को खुदा का शरीक या फ़रिश्तों और हज़रत ईसा को खुदा तआला की औलाद कहा गया, इन गुमराह करने वाले अक़ीदों की तरदीद व ग़लत होना स्पष्ट दलीलों के साथ आया है जिसका मुखालिफ़ों के पास कोई जवाब न था। ऐसे मौकों में जब मुखालिफ़ हुज्जत व दलील से मग़लूब हो जाये तो झुंझलाहट पैदा होती है, इसी का नतीजा था कि मक्का के मुशिरक लोग इसकी तमन्ना करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जल्द वफ़ात (इन्तिक़ाल) हो जाये जैसा कि कुछ आयतों में है उनमें से एक आयत सूर: तूर की आयत नम्बर 30 है यानी 'न-तरब्बसु बिही रैबल् मनून'।

इस आयत में हक़ तआला ने उनकी इस बेहूदा तमन्ना के दो जवाब दिये हैं। वो यह कि अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जल्द ही वफ़ात हो गयी तो तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा? अगर तुम्हारा मक़सद यह है कि उनकी मौत हो जायेगी तो हम लोगों को बतलायेंगे कि यह नबी व रसूल नहीं थे वरना मौत न आती, तो इसका यह जवाब दिया कि जिन अम्बिया की नुबुव्वत को तुम भी मानते हो क्या उनको मौत नहीं आई? जब उनकी मौत से उनकी नुबुव्वत व रिसालत में कोई फ़र्क़ नहीं आया तो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात से आपकी नुबुव्वत के खिलाफ़ कोई प्रोपेगण्डा कैसे किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा मक़सद आपकी जल्द वफ़ात से अपना गुस्सा ठण्डा करना है तो याद रखो कि यह मौत का मर्हला तुम्हें भी पेश आने वाला है आखिर तुम्हें भी मरना है, फिर किसी की मौत से खुश होने के क्या मायने:

अगर बमुर्द अदू जा-ए-शादमानी नेस्त कि जिन्दगानी-ए-मा नीज़ जाविदानी नेस्त

तर्जुमा: अगर दुश्मन मर गया तो यह कोई खुश होने की बात नहीं, क्योंकि हमारी जिन्दगी ही कौनसी हमेशा रहने वाली है, हमें भी एक दिन मौत आनी है। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

मौत क्या चीज़ है?

फिर इरशाद फ़रमाया:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

यानी हर नफ़्स मौत का मज़ा चखने वाला है। यहाँ हर नफ़्स से मुराद ज़मीनी जानदार हैं। इन सब को मौत आना लाज़िमी है, फ़रिश्तों के नफ़्स इसमें दाख़िल नहीं। इसमें मतभेद है कि क़ियामत के दिन फ़रिश्तों को भी मौत आयेगी या नहीं? कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि एक लम्हे के लिये तो सब पर मौत तारी हो जायेगी चाहे इनसान और ज़मीनी जानदार हों या फ़रिश्ते और आसमानी जानदार। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों और जन्नत के हूर व ग़िलमान को मौत से छूट है। वल्लाहु आलम। (रूहुल-मआनी) और मौत की हकीकत उलेमा की बड़ी जमाअत के नज़दीक रूह का इस जिस्म से निकल जाना है और रूह खुद एक नूरानी लतीफ़ जिस्म है जिसके अन्दर ज़िन्दगी भी है और वह हरकत भी करता है, जो इनसान के पूरे बदन में ऐसा समाया हुआ रहता है जैसे गुलाब का अर्क उसके फूल में। इमाम इब्ने क़य्यिम ने रूह की हकीकत बयान करके उसको सौ दलीलों से साबित किया है। (रूहुल-मआनी)

लफ़ज़ 'जाइकतुल-मौति' से इशारा इस तरफ़ पाया जाता है कि हर नफ़्स मौत की ख़ास तकलीफ़ महसूस करेगा, क्योंकि मज़ा चखने का मुहावरा ऐसे ही मौकों में इस्तेमाल होता है, और यह ज़ाहिर है कि रूह जिस तरह जिस्म का एक अंग बनी हुई है उसके निकलने के वक़्त तकलीफ़ और दर्द का एहसास एक तबई चीज़ है, रहा कुछ अल्लाह वालों का यह मामला कि उनको मौत से लज़्ज़त व राहत हासिल होती है कि दुनिया की तंगियों से निजात हुई और सबसे बड़े महबूब (यानी अल्लाह तआला) से मुलाक़ात का वक़्त आ गया, तो यह एक दूसरी तरह की लज़्ज़त है जो बदन से जुदाई की तबई तकलीफ़ के विरुद्ध नहीं, क्योंकि जब कोई बड़ी राहत और बड़ा फ़ायदा सामने होता है तो उसके लिये छोटी तकलीफ़ बरदाश्त करना आसान हो जाता है। इस मायने के लिहाज़ से कुछ अल्लाह वालों ने दुनिया के ग़म व रंज और मुसीबतों को भी महबूब करार दिया है कि "मुहब्बत की वजह से उनकी कड़वाहट मिठास में तब्दील हो जाती है"।

(अल्लाह वालों के सामने चूँकि बड़ी मन्ज़िल होती है इसलिये वे थोड़े-बहुत रंज व मुसीबत को खातिर में नहीं लाते और उनके लिये परेशानी का सबब नहीं रहता। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

दुनिया की हर तकलीफ़ व राहत आजमाईश है

وَنَلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.

यानी हम शर और ख़ैर दोनों के ज़रिये इनसान की आजमाईश करते हैं। शर से मुराद हर खिलाफ़े तबीयत चीज़ है जैसे बीमारी, रंज व ग़म, फ़क़ व फ़ाका, और ख़ैर से इसके विपरीत तबीयत की हर पसन्दीदा चीज़ है जैसे सेहत व आफ़ियत, खुशी व राहत, मालदारी व ऐश के सामान वगैरह। ये दोनों तरह की चीज़ें इस दुनिया में इनसान की आजमाईश के लिये आती हैं कि शर यानी खिलाफ़े

तबीयत बातों पर सब्र करके उसका हक अदा करना और खैर यानी अपनी पसन्दीदा चीजों पर शुक्र करके उसका हक अदा करना है। आजमाईश यह है कि कौन इस पर साबित-कदम रहता है कौन नहीं रहता। और बुजुर्गों ने फरमाया कि शुक्र के हुक्क पर साबित-कदम रहना सब्र के हुक्क की तुलना में मुश्किल है। इनसान को तकलीफ पर सब्र करना इतना भारी नहीं होता जितना ऐश व आराम और राहत व सुकून में उसके शुक्र का हक अदा करने पर साबित-कदमी मुश्किल होती है, इसी बिना पर हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया:

بَلَيْنَا بِالضَّرَاءِ فَصَبْرُنَا وَبَلَيْنَا بِالسَّرَاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ. (روح المعاني)

यानी हम तकलीफों में मुब्तला किये गये उस पर तो हमने सब्र कर लिया लेकिन जब राहत व ऐश में मुब्तला किये गये तो उस पर सब्र न कर सके, यानी उसके हुक्क अदा करने पर साबित-कदम न रह सके।

जल्दबाज़ी बुरी चीज़ है

خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ.

जल्दी करने का मतलब है किसी चीज़ को उसके वक़्त से पहले तलब करना, और यह सिफ़त अपने आप में बुरी है। कुरआने करीम में एक दूसरी जगह भी इसको इनसानी कमज़ोरी के तौर पर ज़िक्र फरमाया है। फरमाया:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا.

यानी इनसान बड़ा जल्दबाज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर अपनी कौम से आगे बढ़कर हक तआला की बारगाह में हाज़िर हुए तो वहाँ भी इस जल्दबाज़ी पर नाराज़गी का इज़हार हुआ। और अम्बिया व नेक लोगों के बारे में जो नेक कामों में आगे बढ़ने और जल्दी करने को तारीफ़ और खूबी के तौर पर ज़िक्र किया गया है वह जल्दबाज़ी के मफ़हूम में दाख़िल नहीं। क्योंकि वह वक़्त से पहले किसी चीज़ की तलब नहीं बल्कि वक़्त पर अच्छाईयों और नेकियों में अधिकता की कोशिश है। वल्लाहु आलम। और 'खुलिफ़ल् इन्सानु मिन् अ-जलिन्' का मतलब यह है कि इनसान की तबीयत में जिस तरह कुछ दूसरी कमज़ोरियाँ रख दी गयी हैं उनमें से एक कमज़ोरी जल्दबाज़ी की भी है, और जो चीज़ तबीयत और फ़ितरत में दाख़िल होती है अरब के लोग उसको इसी उनवान से ताबीर करते हैं कि यह शख्स उस चीज़ से पैदा किया गया। जैसे किसी के मिज़ाज में गुस्सा ग़ालिब होगा तो कहा जायेगा कि यह गुस्से का बना हुआ आदमी है।

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي.

इसमें आयात से मुराद वो मोजिज़े और हालतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चा व हक़ पर होने के सबूत व गवाह हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) जैसे ग़ज़वा-ए-बदर वगैरह में ये निशानियाँ खुले तौर पर ज़ाहिर हुईं और अन्जाम कार उन मुसलमानों का ग़लबा सब की आँखों ने देख लिया जिनको सबसे ज़्यादा कमज़ोर व ज़लील समझा जाता था।

क़ियामत में आमाल का वज़न और उसकी तराजू

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.

लफ़्ज़ मवाज़ीन मीज़ान की जमा (बहुवचन) है जो तराजू के मायने में आता है। इस जगह मीज़ान के लिये जमा का कलिमा इस्तेमाल किया गया है इससे कुछ मुफ़्त्सरीन हज़रत ने यह क़रार दिया है कि आमाल के तौले जाने के लिये बहुत सी तराजूएँ हों मगर उलेमा की अक्सरियत इस पर एक राय है कि तराजू एक ही होगी इसको बहुवचन के कलिमे से इसलिये ताबीर कर दिया है कि वह बहुत सी तराजूओं का काम देगी, क्योंकि सारी मख़्लूक़ात आदम अलैहिस्सलाम से क़ियामत तक जिनकी तायदाद अल्लाह ही जानता है उन सब के आमाल को यही तराजू तौलेगी। और क़िस्त के मायने अदल व इन्साफ़ के हैं, मायने यह हैं कि यह तराजू अदल व इन्साफ़ के साथ वज़न करेगी, ज़रा कमी-बेशी न होगी। मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जो तराजू आमाल के वज़न करने के लिये रखी जायेगी इतनी बड़ी और लम्बी-चौड़ी होगी कि उसमें आसमान व ज़मीन को तौलना चाहें तो वह भी उसमें समा जायें। (तफ़्सीरे मज़हरी)

हाफ़िज़ अबुल-क़ासिम लालकाई ने अपनी सुनन में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मीज़ान (तराजू) पर एक फ़रिश्ता मुक़रर होगा और हर इनसान को उस मीज़ान के सामने लाया जायेगा। अगर उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो फ़रिश्ता मुनादी करेगा जिसको तमाम मेहशर वाले सुनेंगे कि फ़ुलॉं शख़्स कामयाब हो गया अब कभी उसको मेहरूमी नहीं होगी। और अगर नेकियों का पल्ला हल्का रहा तो यह फ़रिश्ता मुनादी करेगा कि फ़ुलॉं शख़्स बदबख़्त और मेहरूम हो गया, अब कभी कामयाब बामुराद नहीं होगा। और इन्हीं हाफ़िज़ लालकाई ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि यह फ़रिश्ता जो तराजू पर मुक़रर होगा हज़रत जिब्रीले अमीन हैं। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

इमाम हाकिम और इमाम बैहक़ी और आजिरी ने हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि क्या क़ियामत के दिन भी आप अपने घर वालों और औलाद को याद रखेंगे तो फ़रमाया कि क़ियामत में तीन जगहें तो ऐसी होंगी कि उनमें कोई किसी को याद न करेगा। (तफ़्सीरे मज़हरी)

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا.

यानी हिसाब के दिन और आमाल के तौले जाने के वक़्त इनसान के सारे छोटे-बड़े अच्छे-बुरे आमाल हाज़िर किये जायेंगे ताकि हिसाब और वज़न में शामिल हों।

आमाल के तौले जाने की सूरत

आमाल का वज़न करने की यह सूरत भी हो सकती है कि फ़रिश्तों के लिखे हुए आमाल नामे तौले जायें जैसा कि बिताक़ा की हदीस से इस तरफ़ इशारा निकलता है, और यह भी हो सकता है कि

आमाल ही को वहाँ मुस्तकिल जिस्मों की शक्ल दे दी जाये और उनका वज़न किया जाय से रिवायतें इसी पर गवाह हैं और उलेमा की अक्सरियत ने इसी सूरत को इख्तियार कुरआन मजीद में 'व न-जदू मा अमिलू हाज़िरन्' (यानी सूः कहफ़ की आयत नम्बर 49) वगैरह आयतें और हदीस की बहुत सी रिवायतों से इसी की ताईद होती है।

आमाल का हिसाब-किताब

इमाम तिमिज़ी ने हज़रत अयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आकर बैठा और बयान किया या रसूलुल्लाह! मेरे दो गुलाम हैं जो मुझे झूठा कहते हैं और मामलात में ख़ियानत करते हैं और मेरे हुक्मों की ख़िलाफ़वर्जी करते हैं। उसके मुकाबले में मैं उनको ज़बान से भी बुरा-भला कहता हूँ और हाथ से मारता भी हूँ, तो मेरा और उन गुलामों का इन्साफ़ किस तरह होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उनकी नाफ़रमानी और ख़ियानत और सरकशी को तौला जायेगा, फिर तुम्हारे बुरा-भला कहने, उन पर ज़्यादती करने और मारपीट को तौला जायेगा, अगर तुम्हारी सज़ा और उनका जुर्म बराबर हुए तो मामला बराबर हो जायेगा और अगर तुम्हारी सज़ा उनके जुर्म से कम रही तो वह तुम्हारा एहसान शुमार होगा, और अगर उनके जुर्म से बढ़ गयी तो जितनी तुमने ज़्यादती की है उसका तुमसे बदला और इन्तिक़ाम लिया जायेगा। यह शख्स यहाँ से उठकर अलग बैठ गया और रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुमने कुरआन में यह आयत नहीं पढ़ी 'व न-जउल्-मवाज़ी-न....' (ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 47) उसने अर्ज़ किया कि अब तो मेरे लिये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं उनको आज़ाद करके इस हिसाब के ग़म से बेफ़िक्र हो जाऊँ। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

व ल-क़द् आतैना मूसा व हारूनल्-
फ़ुरक़ान व ज़ियाअन्व-व ज़िकरल्
लिल्मुत्तकीन (48) अल्लज़ी-न
यख़शौ-न रब्बहुम् बिल्ग़ैबि व हुम्
मिनस्सा-अति मुश्फ़कून् (49) व
हाज़ा ज़िकरुम् मुबा-रकुन्
अन्ज़ल्लाहु, अ-फ़अन्तुम् लहू
मुन्किरून् (50) ❀ ❖

और हमने दी थी मूसा और हारून को
कज़िये (फ़ैसले) चुकाने वाली किताब और
रोशनी और नसीहत डरने वालों को।
(48) जो डरते हैं अपने रब से बिना देखे
और वे क़ियामत का ख़तरा रखते हैं।
(49) और यह एक नसीहत है बरकत की
जो हमने उतारी, सो क्या तुम इसको नहीं
मानते। (50) ❀ ❖

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने (आप से पहले) मूसा और हारून (अलैहिमस्सलाम) को एक फैसले की और रोशनी की और मुत्तकियों के लिये नसीहत की चीज़ (यानी तौरात) अता फरमाई थी। जो (मुत्तकी) अपने परवर्दिगार से बिना देखे डरते हैं, और (खुदा ही से डरने के सबब) वे लोग कियामत से (भी) डरते हैं (क्योंकि कियामत में इसका डर है कि अल्लाह तआला की नाराज़ी और सज़ा न होने लगे) और (जैसे उनको वह किताब हमने दी थी इसी तरह) यह (कुरआन भी) बहुत ज़्यादा फायदों वाली नसीहत (की किताब) है, सो क्या (इसके बाद कि किताबें नाज़िल करना अल्लाह की आदत होना मालूम हो गया और खुद इसका अल्लाह की जानिब से उतारा हुआ होना दलील से साबित है) फिर भी तुम इसके (अल्लाह की तरफ़ से उतारा हुआ होने के) इनकारी हो?

मज़ारिफ़ व मसाईल

الْفُرْقَانُ وَضِيَاءٌ وَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝

ये तीनों सिफ़तें तौरात की हैं कि फ़ुरक़ान यानी हक़ व बातिल में फ़र्क़ करने वाली है, और दिलों के लिये रोशनी व नूर है, और लोगों के लिये ज़िक्र व याददेहानी और हिदायत का ज़रिया है। और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि 'फ़ुरक़ान' से मुराद अल्लाह तआला की मदद है जो हर मौक़े पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रही कि फिरऔन के घर में परवरिश हुई और फिर उससे मुक़ाबले के वक़्त अल्लाह तआला ने फिरऔन को ज़लील किया, फिर फिरऔनी लश्कर के पीछा करने के वक़्त दरिया में रास्ते पैदा होकर उससे निजात मिली और फिरऔनी लश्कर ग़र्क़ किया गया। इसी तरह बाद के हर मौक़े पर अल्लाह की इस मदद को देखा जाता रहा। और नूर व ज़िक्र दोनों तौरात की सिफ़तें हैं, इमाम कुर्तुबी ने इसी को तरजीह दी है, क्योंकि अल्फ़ुरक़ान के बाद वाव के ज़रिये फ़ासला करने से इस तरफ़ इशारा मालूम होता है कि फ़ुरक़ान तौरात के अलावा कोई चीज़ है। वल्लाहु आलम

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۝ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُودًا لَا كِبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝ قَالُوا فَتَأْوِيهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا إِنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ۝

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝ فَرَجَعُوا إِلَيْ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِيَّاكُمْ
 أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ
 مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ ۝ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَاعِلِينَ ۝ قُلْنَا يَبْنَؤُا كُونِي بَرْدًا
 وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۝ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى
 الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۝ وَكُلًّا جَعَلْنَا
 صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَ
 آتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

व ल-कद् आतैना इब्राही-म रुश्दहू
 मिन् कब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन
 (51) इज़् का-ल लि-अबीहि व
 कौमिही मा हाज़िहित्तमासीलुल्लती
 अन्तुम् लहा आकिफून (52) कालू
 वजदना आबा-अना लहा आबिदीन
 (53) का-ल ल-कद् कुन्तुम् अन्तुम्
 व आबाउकुम् फी ज़लालिम्-मुबीन
 (54) कालू अजिअ-तना बिल्हकिक्
 अम् अन्-त मिनल्-लाज़िबीन (55)
 का-ल बर्-रब्बुकुम् रब्बुस्समावाति
 वल्-अर्जिल्लजी फ-त-रहुन्-न व
 अ-न अला ज़ालिकुम् मिनश्शाहिदीन
 (56) व तल्लाहि ल-अकीदन्-न
 अस्नामकुम् बअ-द अन् तुवल्लू

और आगे दी थी हमने इब्राहीम को उसकी
 नेक राह और हम रखते हैं उसकी खबर।
 (51) जब कहा उसने अपने बाप को और
 अपनी कौम को ये कैसी मूर्ति हैं जिन पर
 तुम मुजाविर बने बैठे हो। (52) बोले
 हमने पाया अपने बाप-दादाओं को इन्हीं
 की पूजा करते। (53) बोला मुकर्रर रहे
 तुम और तुम्हारे बाप-दादा खुली गुमराही
 में। (54) बोले तू हमारे पास लाया है
 सच्ची बात या तू खिलाड़ियाँ करता है?
 (55) बोला नहीं! तुम्हारा रब वही है
 आसमान और ज़मीन का रब जिसने उनको
 बनाया और मैं इसी बात का कायल हूँ।
 (56) और कसम अल्लाह की मैं इलाज
 करूँगा तुम्हारे बुतों का जब तुम जा चुकोगे

मुद्बिरीन (57) फ-ज-अ-लहुम्
 जुजाज़न् इल्ला कबीरल्-लहुम्
 लअल्लहुम् इलैहि यरजिज़ून (58)
 कालू मन् फ-अ-ल हाज़ा
 बिआलि-हतिना इन्नहू लमिनज़-
 ज़ालिमीन (59) कालू समिज़ना
 फ-तयंय्यज़्कुरुहुम् युकालु लहू
 इब्राहीम (60) कालू फअतू बिही
 अला अज़्युनिन्नासि लअल्लहुम्
 यश्हदून (61) कालू अ-अन्-त
 फअल्-त हाज़ा बिआलि-हतिना या
 इब्राहीम (62) का-ल बल् फ-अ-लहू
 कबीरुहुम् हाज़ा फस्अलूहुम् इन्
 कानू यन्तिकून (63) फ-र-जअू
 इला अन्फुसिहिम् फकालू इन्नकुम्
 अन्तुमुज़्जालिमून (64) सुम्-म
 नुकिसू अला रुऊसिहिम् ल-कद्
 अलिम्-त मा हाउला-इ यन्तिकून
 (65) का-ल अ-फतअबुदू-न मिन्
 दूनिल्लाहि मा ला यन्फअुकुम्
 शैअंव-व ला यज़्जुरुकुम् (66)
 उफिफल्-लकुम् व लिमा तअबुदू-न
 मिन् दूनिल्लाहि, अ-फला तअकिलून
 (67) कालू हरिकूहु वन्सुरू

पीठ फेरकर। (57) फिर कर डाला उनको
 टुकड़े-टुकड़े मगर एक बड़ा उनका कि
 शायद उसकी तरफ़ रुजू करें। (58) कहने
 लगे- किसने किया यह काम हमारे माबूदों
 के साथ? वह तो कोई बेइन्साफ़ है। (59)
 वे बोले हमने सुना है एक जवान बुतों
 को कुछ कहा करता है उसको कहते हैं
 इब्राहीम। (60) वे बोले उसको ले आओ
 लोगों के सामने शायद वे देखें। (61)
 बोले क्या तूने किया है ये हमारे माबूदों
 के साथ ऐ इब्राहीम। (62) बोले नहीं! पर
 यह किया है उनके उस बड़े ने सो उनसे
 पूछ लो अगर वो बोलते हैं। (63) फिर
 सोचे अपने जी में फिर बोले- लोगो! तुम
 ही बेइन्साफ़ हो। (64) फिर औंधे हो गये
 सर झुकाकर, तू तो जानता है जैसा ये
 बोलते हैं। (65) बोला क्या फिर तुम पूजते
 हो अल्लाह से बरे ऐसे को जो तुम्हारा
 कुछ भला करे न बुरा। (66) बेज़ार हूँ मैं
 तुमसे और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह
 के सिवा, क्या तुमको समझ नहीं? (67)
 बोले उसको जलाओ और मदद करो

आलि-ह-तकुम् इन् कुन्तुम्
 फ़ाअलीन (68) कुल्ना या नारु
 कूनी बर्दं-व सलामन् अला
 इब्राहीम (69) व अरादू बिही कैदन्
 फ़-जअल्नाहुमुल्-अख़सरीन (70) व
 नज्जैनाहु व लूतन् इलल्-अर्जिल्लीती
 बारक्ना फ़ीहा लिल्आलमीन (71) व
 व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअक़ू-ब
 नाफ़ि-लतन्, व कुल्लन् जअल्ना
 सालिहीन (72) व जअल्नाहुम्
 अ-इम्म-तंय्यहदू-न बिअम्रिना व
 औहैना इलैहिम् फ़िअल्लल्-ख़ैराति व
 इक़ामस्सलाति व ईताअज़्ज़काति व
 कानू लना आबिदीन (73)

अपने माबूदों की अगर कुछ करते हो।
 (68) हमने कहा ऐ आग! ठंडी हो जा
 और आराम (देने वाली) इब्राहीम पर।
 (69) और चाहने लगे उसका बुरा फिर
 उन्हीं को डाला हमने नुक़सान में। (70)
 और बचा निकाला हमने उसको और लूत
 को उस ज़मीन की तरफ़ जिसमें बरकत
 रखी हमने जहान के वास्ते। (71) और
 बख़्शा हमने उसको इस्हाक़ और याक़ूब
 दिया इनाम में, और सब को नेकबख़्त
 किया। (72) और उनको किया हमने
 पेशवा राह बतलाते थे हमारे हुक्म से,
 और कहला भेजा हमने उनको करना
 नेकियों का और क़ायम रखनी नमाज़
 और देनी ज़कात, और वे थे हमारी
 बन्दगी में लगे हुए। (73)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने उस (मूसा के ज़माने) से पहले इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को उनकी (शान के मुनासिब)
 अक़ल व दानिश अता फ़रमाई थी, और हम उन (के इल्मी व अमली कमालात) को ख़ूब जानते थे
 (यानी वह बड़े कामिल थे। उनका वह वक़्त याद करने के काबिल है) जबकि उन्होंने अपने बाप से
 और अपनी बिरादरी से (उनको बुत-परस्ती में मशगूल देखकर) फ़रमाया कि क्या (वाहियात) मूर्तियाँ हैं
 जिन (की इबादत) पर तुम जमे बैठे हो (यानी ये हरगिज़ काबिले इबादत नहीं)। वे लोग (जवाब में)
 कहने लगे कि हमने अपने बड़ों को इनकी इबादत करते हुए देखा है (और वे लोग अक़लमन्द थे,
 इससे मालूम होता है कि मूर्तियाँ इबादत के लायक हैं)। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि बेशक
 तुम और तुम्हारे बाप-दादे (इनको इबादत के लायक समझने में) खुली ग़लती में (मुब्तला) हो (यानी
 खुद उन्हीं के पास इनके माबूद होने की कोई दलील और सनद नहीं है वह तो इसलिये गुमराही में हैं
 और तुम ऐसों की पैरवी करते हो जो बिना दलील और बिना सबूत के वहमी बातों के पीछे चलने
 वाले हैं इसलिए तुम गुमराही में हो, चूँकि उन लोगों ने ऐसी बात सुनी न थी निहायत ताज्जुब से) वे
 लोग कहने लगे कि क्या तुम (अपने नज़दीक) सच्ची बात (समझकर) हमारे सामने पेश कर रहे हो या

(यूँ ही) दिल्लगी कर रहे हो? इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि नहीं! (दिल्लगी नहीं बल्कि सच्ची बात है, और सिर्फ़ मेरे ही नज़दीक नहीं बल्कि वास्तव में भी सच्ची बात यही है कि ये इबादत के काबिल नहीं) बल्कि तुम्हारा (असली व हकीकी) रब (जो इबादत के लायक है) वह है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है, जिसने (अलावा तरबियत के) इन सब (आसमानों और ज़मीन और उनमें जो मख़्लूक है जिसमें ये बुत भी दाख़िल हैं सब) को पैदा किया, और मैं इस (दावे) पर दलील भी रखता हूँ (तुम्हारी तरह ख़ाली पैरवी से काम नहीं करता) और खुदा की क़सम! मैं तुम्हारे इन बुतों की ऐसी ग़त बनाऊँगा जब तुम (इनके पास से) पीठ फेरकर चले जाओगे (ताकि उनका अज़िज़ और बेबस होना ख़ूब ज़ाहिर हो जाये। उन लोगों ने यह समझकर कि यह अकेले हमारे ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं कुछ ध्यान न दिया होगा और चले गये) तो (उनके चले जाने के बाद) उन्होंने उन बुतों को (कुल्हाड़ी वगैरह से तोड़-फोड़कर) टुकड़े-टुकड़े कर दिया सिवाय उनके एक बड़े बुत के, (जो आकार में या उन लोगों की नज़रों में सम्मानित होने में बड़ा था कि उसको छोड़ दिया जिससे एक किस्म का उनका मज़ाक़ उड़ाना मक़सद था कि एक के सालिम और दूसरों के टूट-फूट जाने से यह वहम व गुमान होता है कि कहीं इसी ने तो सब को नहीं तोड़ा। पस शुरूआत में तो यह भ्रम व धोखे में डालना है फिर जब वे लोग तोड़-फोड़ करने वाले की तहकीक़ करेंगे और इस बड़े बुत पर शुब्हा व गुमान भी न करेंगे तो उनकी तरफ़ से इसकी बेबसी का भी इक़रार हो जायेगा और हुज्जत और ज़्यादा लाज़िम हो जाएगी। पस अंततः यह एक तरह से लाजवाब करना है और इस सबसे उद्देश्य इन बुतों का अज़िज़ व बेबस होने को साबित करना है। कुछ का इनकार से और एक का उनके इक़रार से। गर्ज़ कि एक को इस मस्लेहत से छोड़कर सब को तोड़ दिया) कि शायद वे लोग इब्राहीम की तरफ़ (पूछगछ करने के लिये) रुजू करें (और फिर वह जवाब में अपनी बात कहकर पूरी तरह हक़ को ज़ाहिर व साबित कर सकें। गर्ज़ कि वे लोग जो बुत ख़ाने में आये तो बुतों की बुरी ग़त बनी देखी, आपस में) कहने लगे कि यह (बेअदबी का काम) हमारे बुतों के साथ किसने किया है, इसमें कोई शक़ नहीं कि उसने बड़ा ही ग़ज़ब किया।

(यह बात ऐसे लोगों ने पूछी जिनको इस कौल की इत्तिला न थी कि 'अल्लाह की क़सम मैं इनकी बुरी ग़त बनाऊँगा.....' या तो इस वजह से कि वे उस वक़्त मौजूद न होंगे क्योंकि इस मुनाज़रे के वक़्त तमाम कौम का एकत्र होना ज़रूरी नहीं, और या मौजूद हों मगर सुना न हो और बाज़ों ने सुन लिया हो, जैसा कि तफ़सीर दुरै मन्सूर में हज़रत इब्ने मसऊद से यही रिवायत है) बाज़ों ने (जिनको इस कौल का इल्म था) कि हमने एक नौजवान आदमी को जिसको इब्राहीम करके पुकारा जाता है इन बुतों का (बुराई के साथ) तज़क़िरा करते सुना है। (फिर) वे (सब) लोग (या जिन्होंने शुरू में पूछा था) बोले कि (जब यह बात है) तो अच्छा उसको सब आदमियों के सामने हाज़िर करो ताकि (शायद वह इक़रार कर ले और) वे लोग (उसके इक़रार के) गवाह हो जाएँ। (फिर हुज्जत पूरी करने के बाद सज़ा दी जाये, जिस पर कोई मलामत न कर सके। गर्ज़ कि वह सब के सामने आये और उनसे) उन लोगों ने कहा, क्या हमारे बुतों के साथ तुमने यह हरकत की है ऐ इब्राहीम! उन्होंने (जवाब में) फ़रमाया कि (तुम यह इस संभावना पर विचार क्यों नहीं करते कि यह हरकत मैंने) नहीं

की, बल्कि उनके इस बड़े (गुरु) ने की, (और जब इस बड़े में काम करने की सलाहियत का गुमान व संभावना हो सकती है तो इन छोटों में बोलने वाला होने का गुमान भी होगा) सो उन (ही) से पूछ लो (ना!) अगर ये बोलते हों। (और अगर बड़े बुत का इस काम के करने वाला होने का और दूसरे बुतों में बोलने की ताकत होना बातिल है तो इनका आजिज़ व बेबस होना तुम्हारे नज़दीक भी मुसल्लम हो गया, फिर इनको खुदा समझने की क्या वजह) इस पर वे लोग अपने जी में सोचे फिर (आपस में) कहने लगे कि हकीकत में तुम लोग ही नाहक पर हो (और इब्राहीम हक पर है। जो ऐसा आजिज़ हो वह क्या माबूद होगा) फिर (शर्मिन्दगी के मारे) अपने सरों को झुका लिया (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निहायत दबे हुए लहजे में बोले कि) ऐ इब्राहीम! तुमको तो मालूम ही है कि ये (बुत कुछ) बोलते नहीं (हम इनसे क्या पूछें, और उससे बड़े वाले के किसी काम को करने की नफ़ी तो और भी स्पष्ट रूप से हो गयी, उस वक्त) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (ख़ूब ख़बर ली और) फ़रमाया कि (अफ़सोस जब ये ऐसे हैं) तो क्या तुम खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो तुमको न कुछ नफ़ा पहुँचा सके और न (अपने तौर पर) कुछ नुक़सान पहुँचा सके। तुफ़ "यानी लानत व अफ़सोस" है तुम पर (कि बावजूद हक़ सामने आ जाने के बातिल पर जमे हुए हो) और उन पर (भी) जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो, क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते?

(इस तमाम तक्ऱीर से ख़ासकर इस बात से कि तोड़ने-फोड़ने से इनकार नहीं फ़रमाया, इसके बावजूद कि बदले की कार्रवाई को देखते हुए हालात इसका तकाज़ा कर रहे थे कि इनकार कर दिया जाये, उनको साबित हो गया कि यह काम इन्हीं का है और तक्ऱीर का कुछ जवाब बन न आया तो इस क़ौल के मुताबिक़ कि:

चूँ हुज्जत न मानद् जफ़ा जू-ए-रा ब-पुरख़ाश दरहम कुशद रू-ए-रा

यानी जब जाहिल जवाब न रखता हो और ताक़त रखता हो तो लड़ने पर उतर आता है। आपस में वे लोग कहने लगे कि इन (इब्राहीम) को आग में जला दो, और अपने माबूदों का (इनसे) बदला लो, अगर तुमको कुछ करना है (तो यह काम करो, वरना बिल्कुल ही बात डूब जाएगी। गर्ज़ कि उन्होंने एक राय होकर इसका सामान किया और उनको जलती आग में डाल दिया। उस वक्त) हमने (आग को) हुक्म दिया कि ऐ आग! तू इब्राहीम के हक़ में ठन्डी और तकलीफ़ न पहुँचाने वाली बन जा (यानी न ऐसी गर्म रह जिससे जलने की नौबत आये और न बहुत ठन्डी बर्फ़ हो जा कि उसकी ठंडक से तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि एक नॉर्मल हवा की तरह बन जा। चुनाँचे ऐसा ही हो गया) और उन लोगों ने उनके साथ बुराई करना चाहा था (कि हलाक हो जायेंगे) सो हमने उन्हीं लोगों को नाकाम कर दिया (कि उनका मक़सद हासिल न हुआ बल्कि और उल्टा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हक़ पर और सच्चा होना और ज़्यादा साबित हो गया) और हमने उनको (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को) और (जैसा कि दुर्गे मन्सूर में हज़रत इब्ने अब्बास से रियायत है, उनके भतीजे) लूत अलैहिस्सलाम को (कि उन्होंने क़ौम के विपरीत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ की थी जैसा कि क़ुरआन में है 'फ़-आम-न लहू लूतुन' और इस वजह से लोग उनके भी मुख़ालिफ़ और पीछे पड़े हुए थे) ऐसे मुल्क (यानी मुल्क शाम) की तरफ़ भेजकर (काफ़िरों के सताने और तकलीफ़ों से) बचा लिया जिसमें हमने

दुनिया जहान वालों के वास्ते (ख़ैर व) बरकत रखी है। (दुनियावी भी कि हर किस्म के उम्दा फल-फूल वहाँ ख़ूब अधिक पैदा होते हैं और दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं, और दीनी भी कि अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम वहाँ कसरत से हुए जिनकी शरीअतों की बरकत दूर-दूर आलम में फैली यानी उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ़ हिजरत फ़रमाई) और (हिजरत के बाद) हमने उनको इस्हाक़ (बेटा) और याक़ूब पोता अता किया, और हमने उन सब (बाप बेटे पोते) को (आला दर्जे का) नेक बनाया। (आला दर्जे की नेकी का मिस्दाक़ उनका गुनाहों से सुरक्षित होना है जो कि नुबुव्वत की विशेषताओं में से है, पस मुराद यह है कि उन सब को नबी बनाया) और हमने उन (सब) को मुक्तदा "यानी पेशवा और रहनुमा" बनाया (जो कि नुबुव्वत की ख़ुसूसियत में से है) कि हमारे हुक्म से (मख़्लूक को) हिदायत किया करते थे (जो कि नुबुव्वत के मक़ाम व जिम्मेदारियों में से है) और हमने उनके पास नेक कामों के करने का और (खासकर) नमाज़ की पाबन्दी का और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा, (यानी यह हुक्म भी भेजा कि इन कामों को किया करो) और वे (हज़रात) हमारी इबादत (ख़ूब) किया करते थे। (यानी उनको जो हुक्म हुआ था उसका अच्छी तरह पालन करते थे। पस लफ़ज़ सालिहीन में नुबुव्वत के कमाल की तरफ़ और औहैना इल्लैहिम् फ़िअल्लल्-ख़ैराति में इल्म के कमाल की तरफ़ और कानू लना आबिदीन में अमल के कमाल की तरफ़ और अ-इम्मतंय्यहदून में दूसरों की हिदायत व तरबियत की तरफ़ काफ़ी इशारा है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَاللّٰهُ لَا يَكِيْدُنَّ اٰصْنَافَكُمْ

आयत के अलफ़ाज़ से ज़ाहिर यही है कि यह बात इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम ने अपनी बिरादरी के सामने कही थी, मगर इस पर शुब्हा यह होता है कि हज़रत इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम ने उनसे 'इन्नी सकीम' (मैं बीमार हूँ) का उज़्र करके उनके साथ ईद के इज्तिमा में जाने से गुरेज़ किया था, और जब बुतों को तोड़ने का वाकिआ पेश आया तो बिरादरी इस तलाश में पड़ी कि यह किसने किया। अगर इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम का यह कलाम पहले ही बिरादरी को मालूम था तो ये सब बातें कैसे हुईं। इसका जवाब ऊपर खुलासा-ए-तफ़सीर में यह दिया गया कि इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम इस ख़्याल के अकेले आदमी थे, पूरी बिरादरी के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत न समझकर मुम्किन है कि उनके कलाम की तरफ़ तवज्जोह न की हो और भूल भी गये हों। (बयानुल-क़ुरआन) और यह भी मुम्किन है कि यह तलाश व तहकीक़ करने वाले दूसरे लोग हों जिनको इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम की इस गुप्तगू का इल्म नहीं था, और मुफ़सिरीन में से मुजाहिद और क़तादा का कौल यह है कि यह कलाम हज़रत इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम ने बिरादरी के सामने नहीं कहा बल्कि अपने दिल में कहा या बिरादरी के जाने के बाद एक दो कमज़ोर आदमी जो रह गये थे उनसे कहा, फिर जब बुतों को तोड़ने का वाकिआ पेश आया और बिरादरी को ऐसा करने वाले की तलाश हुई तो उन लोगों ने मुखबिरी कर दी। (क़ुर्तुबी)

فَجَعَلَهُمْ حُدَادًا

'जुजाज़न्' जिज़ की जमा (बहुवचन) है जिसके मायन टुकड़ क ह। मुराद ५६ ह १०
अलैहिस्सलाम ने तोड़कर उन सब बुतों के टुकड़े कर दिये।

۱۰ سِيرًا لَهُمْ

यानी सिर्फ़ बड़े बुत को बगैर तोड़े हुए छोड़ दिया। उसका बड़ा होना या तो जिस्म और आकार के एतिबार से हो कि अपने जिस्म के एतिबार से वह दूसरे बुतों से बड़ा हो, और यह भी हो सकता है कि जिस्म और आकार में सब के बराबर होने के बावजूद यह बुत उन बुत-परस्तों के अक़ीदे में सबसे बड़ा मना जाता हो।

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

इसमें 'इलैहि' (उसकी तरफ़) में उस की मुराद में दो एहतिमाल और संभावनायें हैं- एक यह कि उस से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हों जैसा कि खुलासा-ए-तफ़सीर में ऐसा ही बयान किया गया और उसके मुनासिब आयत की यह वज़ाहत की गयी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक़सद इस अमल से खुद ही यह था कि ये लोग मेरी तरफ़ रुजू करें, मुझसे पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया तो मैं उनको उनकी बेवकूफी पर बाख़बर करूँ। और 'इलैहि यर्जिऊन' का एक मतलब यह भी हो सकता है कि यह अमल इस उम्मीद पर किया कि शायद अपने बुतों को टुकड़े-टुकड़े देखकर उनमें अक्ल आ जाये कि ये पूजा के काबिल नहीं, फिर वे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ़ रुजू हो जायें। और इमाम कल्बी ने फ़रमाया कि 'इलैहि' (उसकी तरफ़) में उस से मुराद बड़ा बुत है और मायने यह हैं कि जब ये लोग वापस आकर सारे बुतों के टुकड़े-टुकड़े और बड़े बुत को सही सालिम और उसके मोठे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ देखेंगे तो शायद उस बड़े बुत की तरफ़ रुजू हों और उससे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, वह कोई जवाब न देगा तो उसका भी आजिज़ व बेबस होना उन पर स्पष्ट हो जायेगा।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल झूठ नहीं बल्कि एक किनाया था, इसकी तफ़सील व तहकीक़

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ

यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी बिरादरी ने गिरफ़्तार करके बुलाया और उनसे इफ़रार लेने के लिये सवाल किया कि क्या आपने हमारे बुतों के साथ यह मामला किया है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बल्कि उनके बड़े ने यह काम किया है, तुम खुद इनसे मालूम कर लो अगर ये बोल सकते हों।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि यह काम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद किया था फिर इससे इनकार और उनके बड़े की तरफ़ मन्सूब करना बजाहिर हकीक़त के खिलाफ़ है जिसको झूठ कहा जाता है। हज़रत ख़लीलुल्लाह की शान इससे ऊँची व बरतर है। इसके जवाब के लिये हज़रते मुफ़स्सरीन ने बहुत सी संभावनायें और ख़्यालात बयान फ़रमाये हैं, उनमें से एक वह भी है

जिसको बयानुल-कुरआन से लिये गये खुलासा-ए-तफ़सीर में बयान किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह कौल बतौर फ़र्ज (मान लेने) के था, यानी तुम यह क्यों नहीं फ़र्ज कर लेते कि यह काम बड़े बुत ने किया होगा, और बतौर फ़र्ज के कोई ख़िलाफ़े हकीकत बात कहना झूठ में दाख़िल नहीं, जैसे खुद कुरआन में है:

إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ۝

यानी अगर अल्लाह रहमान के कोई लड़का होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वालों में दाख़िल होता। लेकिन बेगुबार और स्पष्ट वह बात है जिसको तफ़सीर बहरे मुहीत, तफ़सीरे कुर्तुबी और तफ़सीर रूहुल-मआनी वगैरह में इख़्तियार किया है, कि यह मजाज़ी निस्बत है, जो काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किया था उसको बड़े बुत की तरफ़ बतौर मजाज़ी निस्बत के मन्सूब कर दिया, क्योंकि इस काम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तैयार करने वाला यही बुत था, और उसको ख़ास करना शायद इस वजह से हो कि उनकी बिरादरी उस बुत का सम्मान सबसे ज़्यादा करती थी। इसकी मिसाल ऐसी होगी जैसे कोई चोर की सज़ा में उसका हाथ काट दे और फिर कहे कि यह मैंने नहीं काटा बल्कि तेरे अमल और तेरी ग़लत राह चलने ने हाथ काटा है, क्योंकि हाथ काटने का सबब उसका अमल है।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर भी बुतों के तोड़ने को बड़े बुत की तरफ़ मन्सूब किया था जैसा कि रिवायतों में है कि जिस तबर या कुल्हाड़े से उनके बुत तोड़े थे वह कुल्हाड़ा बड़े बुत के मोँढे पर या उसके हाथ में रख दिया था, ताकि देखने वाले को यह ख़्याल पैदा हो कि इसने ही यह काम किया है, और ज़बान से भी उसकी तरफ़ मन्सूब फ़रमाया तो यह एक मजाज़ी निस्बत है जैसे अरबी का मशहूर मक़ूला:

أنت الربيع البقلة.

इसकी जानी-पहचानी मिसाल है (यानी मौसम रबी की बारिश ने खेती उगाई है) कि अगरचे उगाने वाला दर हकीकत हक़ तआला है मगर उसके एक ज़ाहिरी सबब की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया है, और इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़े बुत की तरफ़ इस काम को अपने अमल और कौल से मन्सूब कर देना झूठ हरगिज़ नहीं, अलबत्ता बहुत सी दीनी मस्तेहतों के लिये यह तरीका और अन्दाज़ इख़्तियार फ़रमाया। उनमें से एक मस्तेहत यही थी कि देखने वालों को इस तरफ़ तवज्जोह हो जाये कि शायद इस बड़े बुत को इस पर गुस्सा आ गया हो कि मेरे साथ इबादत में इन छोटे बुतों को क्यों शरीक किया जाता है। अगर यह ख़्याल उनके दिलों में पैदा हो तो अल्लाह की तौहीद (यानी एक माबूद होने का यकीन लाने) का रास्ता खुल जाता है कि जब एक बड़ा बुत अपने साथ छोटे बुतों को शिकंठ गवारा नहीं करता तो रब्बुल-आलमीन इन पत्थरों की शिकंठ अपने साथ कैसे गवारा करे।

दूसरे यह कि उनको यह ख़्याल उस वक़्त पैदा होना अक्ल के करीब है कि जिसको हम खुदा और मुख्तार कुल कहते हैं अगर ये ऐसे ही होते तो कोई इनके तोड़ने पर कैसे कादिर होता। तीसरे

यह कि अगर इस काम को वे बड़े बुत की तरफ मन्सूब कर दें तो जो बुत यह काम कर सकता है कि दूसरे बुतों को तोड़ दे उसमें बोलने की ताकत भी होनी चाहिये। इसलिये फ़रमाया:

فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝

(यानी तुम खुद इनसे मालूम कर लो अगर ये बोल सकते हैं) खुलासा यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उक्त कौल को बिना किसी दूर का मतलब लिये अपने ज़ाहिर पर रखकर यह कहा जाये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काम को बड़े बुत की तरफ मन्सूब फ़रमाया और यह मजाज़ी निस्बत के तौर पर फ़रमाया तो इसमें कोई झूठ और खिलाफ़े हकीकत का शुब्हा नहीं रहता, सिर्फ़ एक किस्म का तौरिया (यानी बात को ऐसे अन्दाज़ से कहना जिससे सामने वाला कोई और मायने भी समझ सके) है।

हदीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ तीन झूठ मन्सूब करने की हकीकत

एक सवाल अब यह रह जाता है कि सही हदीसों में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث. (رواه البخاري ومسلم)

यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला सिवाय तीन जगहों के, फिर उन तीनों की तफ़सील इसी हदीस में इस तरह बयान फ़रमाई कि उनमें से दो झूठ तो ख़ालिस अल्लाह के लिये बोले गये, एक यही जो इस आयत में 'बल्कि उनके बड़े ने किया है' फ़रमाया है, दूसरा ईद के दिन बिरादरी से यह उज़्र करना कि 'मैं बीमार हूँ' और तीसरा (अपनी बीवी की हिफ़ाज़त के लिये बोला गया) वह यह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी मोहतरमा हज़रत सारा के साथ सफ़र में थे कि एक ऐसी बस्ती पर गुज़र हुआ जहाँ का सरदार ज़ालिम बदकार था। जब किसी शख्स के साथ उसकी बीवी को देखता तो बीवी को पकड़ लेता और उससे बदकारी करता। मगर यह मामला उस सूरत में न करता था जबकि कोई बेटी अपने बाप के साथ या बहन अपने भाई के साथ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस बस्ती में मय बीवी के पहुँचने की मुखबिरी उस ज़ालिम बदकार के सामने कर दी गयी तो उसने हज़रत सारा को गिरफ़्तार करके बुलवा लिया। पकड़ने वालों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह औरत रिश्ते में तुम से क्या ताल्लुक रखती है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम के ख़ौफ़ से बचने के लिये यह फ़रमा दिया कि यह मेरी बहन है (यही वह चीज़ है जिसको हदीस में तीसरे झूठ से ताबीर किया गया है), मगर इसके बावजूद वे पकड़कर ले गये और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को भी बतला दिया कि मैंने तुमको अपनी बहन कहा है तुम भी इसके खिलाफ़ न कहना। और वजह यह है कि इस्लामी रिश्ते से तुम मेरी बहन हो, क्योंकि इस वक़्त इस ज़मीन में हम दो ही मुसलमान हैं और इस्लामी भाईचारे का ताल्लुक रखते हैं।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुकाबले की ताकत न थी। अल्लाह के सामने आह व फ़रियाद के

लिये नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत सारा उसके पास पहुँची, वह ज़ालिम बुरी नीयत से उनकी तरफ़ बढ़ा तो कुदरत ने उसको अपाहिज व माज़ूर कर दिया। इस पर उसने हज़रत सारा से दरखास्त की कि तुम दुआ कर दो कि मेरी यह माज़ूरी दूर हो जाये, मैं तुम्हें कुछ न कहूँगा। उनकी दुआ से अल्लाह तआला ने फिर उसको सही सालिम कर दिया, मगर उसने अहद तोड़ा और फिर बुरी नीयत से उन पर हाथ डालना चाहा, फिर अल्लाह ने उसके साथ वही मामला किया, इसी तरह तीन मर्तबा यह वाक़िआ पेश आया तो उसने हज़रत सारा को वापस कर दिया (यह खुलासा हदीस के मज़मून का है)। बहरहाल इस हदीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ तीन झूठ की निस्बत स्पष्ट रूप से की गयी है जो नुबुव्वत और गुनाहों से सुरक्षित होने की शान के खिलाफ़ है। मगर इसका जवाब खुद इसी हदीस के अन्दर मौजूद है, वह यह कि दर असल उनमें से एक भी सही मायने झूठ न था, उक्त हदीस में यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा था कि मैंने तुम्हें अपनी बहन बतलाया है, तुम से पूछा जाये तो तुम भी मुझे भाई बतलाना, और बहन कहने की वजह भी उनको बतला दी कि हम दोनों इस्लामी बिरादरी के एतिबार से बहन-भाई हैं, इसी का नाम तौरिया है कि अलफ़ाज़ ऐसे बोले जायें जिनके दो मतलब हो सकें, सुनने वाला उससे एक मतलब समझे और बोलने वाले की नीयत दूसरे मतलब की हो, और जुल्म से बचने के लिये तौरिये की यह तदबीर तमाम उलेमा के नज़दीक जायज़ है, यह शियों के तकिय्ये से बिल्कुल अलग चीज़ है। तकिय्ये में खुला झूठ बोला जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है, तौरिये में खुला झूठ नहीं होता बल्कि जिस मायने से बोलने वाला बोल रहा है वो बिल्कुल सही और सच होते हैं। जैसे इस्लामी बिरादरी के लिहाज़ से भाई बहन होना। यह वजह तो खुद उक्त हदीस के अलफ़ाज़ में स्पष्ट तौर पर बयान हुई है जिससे मालूम हुआ कि यह दर हकीकत झूठ न था बल्कि एक तौरिया था।

ठीक इसी तरह की तौजीह (वज़ाहत) पहले दोनों कलामों में हो सकती है 'बल् फ़-अ-लहू कबीरुहुम्' का मतलब व वजह अभी ऊपर लिखी गयी है कि इसमें मजाज़ी निस्बत के तौर पर इस काम को बड़े बुत की तरफ़ मन्सूब किया है। इसी तरह 'इन्नी सकीम' का लफ़ज़ है, क्योंकि सकीम का लफ़ज़ जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर बीमार के मायने में आता है इसी तरह रंजीदा व ग़मगीन और कमज़ोर होने के मायने में भी बोला जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी दूसरे मायने के लिहाज़ से 'इन्नी सकीम' फ़रमाया था। सामने वालों ने इसको बीमारी के मायने में समझा। और इसी हदीस में जो ये अलफ़ाज़ आये हैं कि इन तीन झूठों में से दो अल्लाह की जात के लिये थे, यह खुद इशारा व सुबूत इसका है कि यह कोई गुनाह का काम न था वरना गुनाह का काम अल्लाह के लिये करने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता, और गुनाह का काम न होना तभी हो सकता है जबकि वह हकीकत में झूठ न हो बल्कि ऐसा कलाम हो जिसके दो मायने हो सकते हों, एक झूठ और दूसरा सही हो।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झूठ वाली हदीस को ग़लत

करार देना जहालत है

मिर्जा कादियानी और कुछ दूसरे इस्लाम का अध्ययन करने वाले ग़ैर-मुस्लिमों से मरऊब व

प्रभावित मुसलमानों ने इस हदीस को सही सनद वाली होने के बावजूद इसलिये ग़लत और बातिल कह दिया कि इससे हज़रत ख़लीलुल्लाह की तरफ़ झूठ की निस्बत होती है और सनद के सारे रावियों को झूठा कह देना इससे बेहतर है कि ख़लीलुल्लाह को झूठा करार दिया जाये, क्योंकि वह कुरआन के खिलाफ़ है, और फिर इससे एक कायदा-ए-कुल्लिया यह निकाल लिया कि जो हदीस कुरआन के खिलाफ़ हो चाहे वह कितनी ही मज़बूत और सही और मोतबर सनदों से साबित हो वह ग़लत करार दी जाये। यह बात अपनी जगह तो बिल्कुल सही और सारी उम्मत के नज़दीक बतौर फ़र्ज़ मुहाल के मुसल्लम है मगर उलेमा-ए-उम्मत ने हदीस के तमाम ज़ख़ीरे में अपनी उम्रें खर्च करके एक-एक हदीस को छान लिया है, जिस हदीस का सुबूत मज़बूत और सही सनदों से हो गया उनमें एक भी ऐसी नहीं हो सकती कि जिसको कुरआन के खिलाफ़ कहा जा सके, बल्कि वह अपनी कम-समझी या उल्टी समझ का नतीजा होता है कि जिस हदीस को रद्द और बातिल करना चाहा उसको कुरआन से टकरा दिया और यह कहकर फ़ारिग़ हो गये कि यह हदीस खिलाफ़े कुरआन होने के सबब ग़ैर-मोतबर है, जैसा कि इसी हदीस में आप देख चुके हैं कि 'कज़िबात' के अलफ़ाज़ से तौरिया मुराद होना खुद हदीस के अन्दर मौजूद है, रहा यह मामला कि फिर हदीस में तौरिया को कज़िबात (झूठ) के लफ़्ज़ से क्यों ताबीर किया गया तो इसकी वजह वही है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल और चूक को 'असा' और 'ग़वा' के अलफ़ाज़ से ताबीर करने की अभी सूर: तौ-हा में मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में गुज़र चुकी है, कि हक़ तआला के खास और करीबी बन्दों के लिये मामूली कमज़ोरी और महज़ छूट व रियायत और जायज़ पर अमल कर लेना और पुख़्तगी व आला दर्जे को छोड़ देना भी क़ाबिले पकड़ समझा जाता है और ऐसी चीज़ों पर कुरआन में हक़ तआला की नाराज़गी अम्बिया के बारे में अधिकतर नक़ल की गयी है।

शफ़ाअत वाली हदीस जो मशहूर व मारूफ़ है कि मेहशर में सारी मख़बूक जमा होकर हिसाब जल्द होने के मुताल्लिक़ अम्बिया से शफ़ाअत के तालिब होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुल-अम्बिया से पहले तक तमाम अम्बिया के पास पहुँचेंगे हर पैग़म्बर अपने किसी कसूर और कोताही का ज़िक्र करके शफ़ाअत की हिम्मत न करेगा, आख़िर में सब खातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होंगे और आप इस शफ़ाअते कुबरा के लिये खड़े होंगे। इस हदीस में हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह उन कलिमात को जो बतौर तौरिये के कहे गये थे हकीकत में झूठ न थे मगर पैग़म्बराना शान व आला दर्जे के खिलाफ़ थे अपना कसूर और कोताही करार देकर उज़्र कर देंगे। इसी कोताही की तरफ़ इशारा करने के लिये हदीस में उनको कज़िबात (झूठ) के अलफ़ाज़ से ताबीर कर दिया गया, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हक़ था, और आपकी हदीस रियायत करने और बयान करने की हद तक हमें भी हक़ है मगर अपनी तरफ़ से कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यूँ कहे कि उन्होंने झूठ बोला यह जायज़ नहीं जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ सूर: तौ-हा की तफ़सीर में तफ़सीरे कुर्तुबी और बहरे मुहीत के हवाले से बयान हो चुका है कि कुरआन या हदीस में जो इस तरह के अलफ़ाज़ किसी पैग़म्बर के बारे में आये हैं उनका ज़िक्र कुरआन की तिलावत के तौर पर या कुरआन की तालीम या

हदीस की रियायत के तौर पर किया जा सकता है, खुद अपनी तरफ से उन अलफाज का किसी पैगम्बर की तरफ मन्सूब करना बेअदबी है जो किसी के लिये जायज नहीं।

ऊपर बयान हुई हदीस में एक अहम हिदायत और इख्लासे अमल की बारीकी का बयान

हदीस में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जिन तीन झूठों का जिक्र आया है हदीस में उनमें से पहले दो के बारे में तो यह आया कि अल्लाह के लिये थे, मगर तीसरी बात जो हजरत सारा के बारे में कही गयी उसको अल्लाह के लिये नहीं फरमाया, हालाँकि बीवी की आबरू की हिफाजत भी दीन ही है। इस पर तफसीरे कुर्तुबी में काज़ी अबू बक्र बिन अरबी से एक बड़ा नुक्ता नकल किया है जिसके मुताल्लिक इब्ने अरबी ने फरमाया कि यह नेक लोगों और औलिया-अल्लाह की कमर तोड़ देने वाली बात है, वह यह कि तीसरी बात भी अगरचे दीन ही का काम था मगर इसमें कुछ अपना जाती फायदा बीवी की अस्मत और आबरू की हिफाजत का भी था, इतनी सी दुनियावी गर्ज शामिल हो जाने की बिना पर इसको 'फिल्लाहि' और 'लिल्लाही' की फेहरिस्त से अलग कर दिया गया, क्योंकि हक तआला का इरशाद है:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ.

यह मामला बीवी की अस्मत की हिफाजत का अगर हमारी या किसी और की तरफ से होता तो बिला शुब्हा इसको भी अल्लाह ही के लिये शमार किया जाता मगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का बुलन्द मकाम और ऊँची शान है उनके लिये इतना सा नफ्सानी फायदा शामिल होना भी कामिल इख्लास के विरुद्ध समझा गया। वल्लाहु आलम। अल्लाह तआला हमें भी हर अमल में इख्लास नसीब फरमाये।

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग के गुलज़ार बन जाने के हकीकत

जो लोग मोजिज़ों और खिलाफे आदत चीज़ों के जाहिर होने के इनकारी हैं उन्होंने तो इसमें अजीब व ग़रीब मानवी तब्दीलियाँ और उल्टी-सीधी वज़ाहतें की हैं। बात यह है कि फ़ल्सफ़े का यह उसूल कि जो चीज़ किसी चीज़ की ज़ात के लिये लाज़िम हो वह उससे किसी वस्तु जुदा नहीं हो सकती, खुद एक बातिल और बेदलील उसूल है, हकीकत यह है कि इस दुनिया में और तमाम मख़्लूक़ात में कोई चीज़ किसी की ज़ात के साथ लाज़िम नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह का यह क़ानून व दस्तूर जारी है कि आग के लिये हरात और जलाना लाज़िम है, पानी के लिये ठण्डा करना और बुझाना लाज़िम है। मगर यह लाज़िम सिर्फ़ आदी है अक़ली नहीं, क्योंकि फ़ल्सफ़ी हज़रात भी इसके अक़ली होने की कोई माकूल दलील नहीं पेश कर सके, और जब यह लाज़िमे आदी हुआ तो जब

अल्लाह तआला किसी खास हिक्मत से किसी आदत को बदलना चाहते हैं बदल देते हैं, उसके बदलने में कोई अक्ली मुहाल (असंभव होना) लाज़िम नहीं आता। जब अल्लाह तआला चाहे तो आग बुझाने और ठण्डा करने का काम करने लगती है और पानी जलाने का, हालाँकि आग अपनी हकीकत में आग ही होती है और पानी भी पानी ही होता है, मगर किसी खास फ़र्द या जमाअत के हक़ में अल्लाह के हुक्म से वह अपनी ख़ासियत छोड़ देती है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत के सबूत में जो मोजिजे हक़ तआला ज़ाहिर फ़रमाते हैं उन सब का हासिल यही होता है इसलिये अल्लाह तआला ने उस आग को हुक्म दे दिया कि ठण्डी हो जा, वह ठण्डी हो गयी। और अगर ठण्डा होने के साथ सलामती का लफ़्ज़ न होता तो आग बर्फ़ की तरह ठण्डी होकर तकलीफ़ का सबब बन जाती। और कौमे नूह जो पानी में डूबी थी उनके बारे में कुरआन ने फ़रमाया:

اَغْرَقُوا فَاذْخُلُوا نَارًا.

यानी ये लोग पानी में ग़र्क़ होकर आग में दाख़िल हो गये।

حَرْقُوهُ.

यानी पूरी बिरादरी और नमरूद ने यह फैसला कर लिया कि इनको आग में जला दिया जाये। तारीख़ी रिवायतों में है कि एक महीने तक सारे शहर के लोग इस काम के लिये लकड़ी वगैरह सोख़ते का सामान जमा करते रहे, फिर उसमें आग लगाकर सात दिन तक उसको धोंकते और भड़काते रहे यहाँ तक कि उसके शोले आसमानी फ़ज़ा में इतने ऊँचे हो गये कि अगर कोई परिन्दा उस पर गुज़रे तो जल जाये। उस वक़्त इरादा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला जाये, तो फ़िक्र हुई कि डालें कैसे, उसके पास तक जाना किसी के बस में नहीं था। शैतान ने उनको मिन्जनीक (गोपिया) में रखकर फेंकने की तरकीब बतलाई। जिस वक़्त अल्लाह के ख़लील मिन्जनीक के ज़रिये उस आग के समुद्र में फेंके जा रहे थे तो सब फ़रिश्ते बल्कि ज़मीन व आसमान और उनकी मख़्लूक़ात सब चीख़ उठे कि या रब! आपके ख़लील पर क्या गुज़र रही है। हक़ तआला ने उन सब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करने की इजाज़त दे दी। फ़रिश्तों ने मदद करने के लिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तआला काफी है, वह मेरा हाल देख रहा है। जिब्रीले अमीन ने अर्ज़ किया कि आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं ख़िदमत अन्जाम दूँ? जवाब दिया कि ज़रूरत तो है मगर आपकी तरफ़ नहीं बल्कि अपने रब की तरफ़। (तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

ऊपर गुज़र चुका है कि आग के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठण्डी व सलामती वाली होने की यह सूरत भी मुम्किन है कि आग आग ही न रही हो बल्कि हवा में तब्दील हो गयी हो, मगर ज़ाहिर यह है कि आग अपनी हकीकत में आग ही रही और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आस पास के अलावा दूसरी चीज़ों को जलाती रही बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन रसियों में बाँधकर आग में डाला गया था उन रसियों को भी आग ही ने जलाकर ख़त्म किया, मगर हज़रत

इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक तक कोई आँच नहीं आई। (जैसा कि कुछ रिवायतों में है)

तारीखी रिवायतों में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में सात दिन रहे और वह फ़रमाया करते थे कि मुझे अपनी उम्र में कभी ऐसी राहत नहीं मिली जितनी उन सात दिनों में हासिल थी। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝

यानी हज़रत इब्राहीम और उनके साथ लूत अलैहिस्सलाम को हमने उस ज़मीन से जिस पर नमरूद का ग़लबा था (यानी इराक़ की ज़मीन) निजात देकर एक ऐसी ज़मीन में पहुँचा दिया जिसमें हमने तमाम ज़हान वालों के लिये बरकत रखी है। इससे मुराद मुल्क शाम की ज़मीन है कि वह अपनी ज़ाहिरी और बातिनी हैसियत से बड़ी बरकतों का मजमूआ है, बातिनी बरकत तो यह है कि यह ज़मीन अम्बिया की पैदाईश का मक़ाम है, ज़्यादातर नबी इसी ज़मीन में पैदा हुए और ज़ाहिरी बरकतों आब व हवा का नॉर्मल होना, नहरों और चश्मों की अधिकता, फल-फूल और हर तरह के पेड़-पौधों व सब्जों का ग़ैर-मालूमी उगना और फलना-फूलना वग़ैरह है, जिसके फ़ायदे सिर्फ़ उस ज़मीन के रहने वालों को नहीं बल्कि आग़ दुनिया के लोगों तक पहुँचते हैं।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً.

यानी हमने अता कर दिया उसको बेटा इस्हाक़ (उनकी दुआ व दरख़्वास्त के मुताबिक) और उस पर ज़्यादा दे दिया पोता याक़ूब अलैहिस्सलाम, यानी दुआ तो सिर्फ़ बेटे के लिये थी अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से बेटा भी दिया फिर उससे पोता भी अपनी तरफ़ से ज़ायद अता फ़रमा दिया, इसी लिये इसको 'नाफ़िला' कहा गया है।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي

كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِينَ ۝ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ ۝

व लूतन् आतैनाहु हुक्मं-व इल्मं-व
व नज्जैनाहु मिनल्-क़र्यतिल्लती
कानत्-तअ्मलुल्-ख़बाइ-स, इन्नहुम्
कानू कौ-म सौइन् फ़ासिकीन (74)
व अदख़ल्नाहु फी रस्मतिना, इन्नहू
मिनस्-सालिहीन (75) ❀

और लूत को दिया हमने हुक्म और समझ
और बचा निकाला उसको उस बस्ती से
जो करते थे गन्दे काम, वे थे लोग बड़े
नाफ़रमान। (74) और उसको ले लिया
हमने अपनी रहमत में, वह है नेकबख़्तों
में। (75) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और लूत (अलैहिस्सलाम) को हमने हिक्मत और इल्म (जो नबियों की शान के मुनासिब होता है)

अता फ़रमाया, और हमने उनको उस बस्ती से निजात दी जिसके रहने वाले गन्दे गन्दे काम किया करते थे (जिनमें सबसे बदतर 'लवातत' "यानी मर्दों से अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करना" थी, और भी बहुत से बुरे कामों के ये लोग आदी थे जैसे शराब पीना, गाना-बजाना, दाढ़ी कटाना, मूँछे बढाना, कबूतर बाज़ी, ढेले फेंकना, सीटी बजाना, रेशमी लिबास पहनना। जैसा कि रूहुल-मअानी में ज़िक्र है और इस्हाक बिन बिशर, ख़तीब और इब्ने असाकिर ने हसन से मरफ़ूअन् नक़ल किया है) बेशक वे लोग बड़े बदज़ात बदकार थे। और हमने उसको (यानी लूत को) अपनी रहमत में (यानी जिन बन्दों पर रहमत होती है उनमें) दाख़िल किया, (क्योंकि) बेशक वह बड़े (दर्जे के) नेकों में थे (बड़े दर्जे के नेक से मुराद गुनाहों व ख़ताओं से सुरक्षित होना है जो नबी की विशेषता है)।

मअारिफ़ व मसाईल

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जिस बस्ती से निजात देने का ज़िक्र इन आयतों में आया है उस बस्ती का नाम 'सदूम' था। उसके अन्तर्गत सात बस्तियाँ और थीं जिनको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उलट कर तबाह कर डाला था, सिर्फ़ एक बस्ती बाकी छोड़ दी थी जिसमें लूत अलैहिस्सलाम मय अपने मुताल्लिकीन मोमिनों के रह सकें। (जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास का कौल है। कुरुबी)

تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ

ख़बाइस 'ख़बीसतु' की जमा (बहुवचन) है। बहुत सी ख़बीस और गन्दी आदतों को ख़बाइस कहा जाता है। यहाँ उनकी सबसे बड़ी ख़बीस और गन्दी आदत जिससे जंगली जानवर भी परहेज़ करते हैं लवातत थी, यानी मर्द का मर्द के साथ अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करना। यहाँ इसी एक आदत को उसके बड़े जुर्म होने के सबब ख़बाइस कह दिया गया हो तो यह भी बईद नहीं जैसा कि कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया है, और उसके अलावा दूसरी ख़बीस आदतें उनमें होना भी रिवायतों में बयान हुआ है जैसा कि खुलासा-ए-तफ़सीर में तफ़सीर रूहुल-मअानी के हवाले से गुज़र चुका है, इस लिहाज़ से मजमूए को ख़बाइस कहना तो ज़ाहिर ही है। वल्लाहु आलम

و نوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكبر العظيم ۝ ونصرته
من القوم الذين كذبوا بايتنا منهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين ۝

व नूहन् इज़् नादा मिन् क़ब्लु
फ़स्त-जब्ना लहू फ़नज्जैनाहु व
अस्तलहू मिनल् कर्बिल्-अज़ीम (76)
व नसरनाहु मिनल्-कौमिल्लज़ी-न
कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नहुम् कानू

और नूह को जब उसने पुकारा उससे
पहले फिर कुबूल कर ली हमने उसकी
दुआ सो बचा दिया उसको और उसके घर
वालों को बड़ी घबराहट से। (76) और
मदद की उसकी उन लोगों पर जो झुठलाते

कौ-म सौइन् फ-अगरकनाहुम्
अज्मजीन (77)

थे हमारी आयतें, वे थे बुरे लोग फिर
डुबा दिया हमने उन सब को। (77)

खुलासा-ए-तफसीर

और नूह (अलैहिस्सलाम के किस्से का) तज़क़िरा कीजिये जबकि उस (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने) से पहले उन्होंने (अल्लाह तआला से) दुआ की (कि इन काफ़िरों से मेरा बदला ले लीजिये) सो हमने उनकी दुआ कुबूल की और उनको और उनके पैरोकारों को बड़े भारी ग़म से निजात दी। (यह ग़म काफ़िरों के झुठलाने और इसके साथ तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने से पेश आया था) और (निजात इस तरह दी कि) हमने ऐसे लोगों से उनका बदला लिया जिन्होंने हमारे हुक्मों को (जो कि नूह अलैहिस्सलाम लाये थे) झूठा बताया था, बेशक वे लोग बहुत बुरे थे, इसलिये उन सब को हमने गर्क कर दिया।

मआरिफ़ व मसाईल

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ

'मिन क़ब्लु' (उससे पहले) से मुराद इब्राहीम व लूत अलैहिमस्सलाम से पहले होना है जिनका ज़िक्र ऊपर की आयतों में आया है। और नूह अलैहिस्सलाम की जिस पुकार का ज़िक्र इस जगह मुख़्तसर तौर पर आया है इसका बयान 'सूर: नूह' में यह है कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के लिये बददुआ की:

رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝

यानी ऐ परवर्दिगार रू-ए-ज़मीन पर काफ़िरों में किसी बसने वाले को न छोड़। और एक जगह यह है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किसी तरह उनका कहना न माना तो उन्होंने अल्लाह तआला की बारगाह में अज़ किया 'इन्नी मग़लूबुन् फ़न्तसिर्'। यानी मग़लूब और अज़िज़ हो चुका हूँ आप ही इन लोगों से बदला ले लीजिये।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَئْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

'करब-ए-अज़ीम' से मुराद या तो तूफ़ान में गर्क होना है जिसमें पूरी कौम मुब्तला हुई, या उस कौम की तकलीफ़ें देना मुराद हैं जो वे तूफ़ान से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को पहुँचाते थे।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ

عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَضَّلْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا هَارُونَ وَخَلَقْنَا

مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعَلِينَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ
بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ وَاسْلُكِمِنَ الرِّيحِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّكَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي
بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَفْضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ
ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

व दावू-द व सुलैमा-न इज़् यहकुमानि
फिल्हर्सि इज़् न-फ़शत् फ़ीहि
ग-नमुल्-कौमि व कुन्ना लिहुक्मिहिम्
शाहिदीन (78) फ़-फ़हम्नाहा
सुलैमा-न व कुल्लन् आतैना हुक्मं-व
व अिल्मं-व सख़्ख़रना म-अ
दावूदल्-जिबा-ल युसब्बिह-न वत्तै-र,
व कुन्ना फ़ाज़िलीन (79) व
अल्लम्नाहु सन्-अ-त लबूसिल्-लकुम्
लितुहिस-नकुम् मिम्-बअसिकुम्
फ़-हल् अन्तुम् शाकिरून (80) व
लिसुलैमानरी-ह आसि-फ़तन् तजरी
बिअमिही इलल्-अर्जिल्लीती बारक्ना
फ़ीहा, व कुन्ना बिकुल्लि शै इन्
आलिमीन (81) व मिनशशयातीनि
मय्यगूसू-न लहू व यअमलू-न
अ-मलन् दू-न ज़ालि-क व कुन्ना
लहुम् हाफ़िज़ीन (82)

और दाऊद और सुलैमान को जब लगे
फ़ैसला करने खेती के झगड़े का जब सँद
गई उसको रात में एक कौम की बकरियाँ
और सामने था हमारे उनका फ़ैसला। (78)
फिर समझा दिया हमने वह फ़ैसला सुलैमान
को और दोनों को दिया था हमने हुक्म
और समझ और ताबे किये हमने दाऊद
के साथ पहाड़, तस्बीह पढ़ा करते और
उड़ते जानवर, और यह सब कुछ हमने
किया। (79) और उसको सिखलाया हमने
बनाना एक तुम्हारा लिबास कि बचाव हो
तुमको तुम्हारी लड़ाई में, सो कुछ तुम
शुक्र करते हो। (80) और सुलैमान के
ताबे की हवा जोर से चलने वाली कि
चलती उसके हुक्म से उस ज़मीन की
तरफ़ जहाँ बरकत दी है हमने, और हम
को सब चीज़ की ख़बर है। (81) और
ताबे किये कितने शैतान जो गोता लगाते
उसके वास्ते और बहुत से काम बनाते
उसके अलावा, और हमने उनको थाम
रखा था। (82)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और दाऊद और सुलैमान (के किस्से का तज़क़िरा कीजिये) जबकि दोनों (हज़रात) किसी खेत के

बारे में (जिसमें ग़ल्ला था या अंगूर के दरख्त थे जैसा कि तफसीर दुर्रे मन्सूर में है) फैसला करने लगे जबकि उस (खेत में) कुछ लोगों की बकरियाँ रात के वक़्त जा घुसीं (और उसको चर गई) और हम उस फैसले को जो (मुक़द्दमे वाले) लोगों के मुताल्लिक हुआ था, देख रहे थे। सो हमने उस फैसले (की आसान सूरत) की समझ सुलैमान को दे दी और (यूँ) हमने दोनों (ही) को हिक्मत और इल्म अता फ़रमाया था (यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला भी खिलाफ़े शरीअत न था। मुक़द्दमे की सूरत यह थी कि जिस क़द्र खेत का नुक़सान हुआ था उसकी लागत बकरियों की कीमत के बराबर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बदले में खेत वाले को वो बकरियाँ दिलवा दीं और शरीअत के असल क़ानून का तकाज़ा यही था जिसमें मुद्दई "वादी" या मुद्दा अलैहि "प्रति वादी" की रज़ा की शर्त नहीं, मगर चूँकि इसमें बकरी वालों का बिल्कुल ही नुक़सान होता था इसलिए सुलैमान अलैहिस्सलाम ने समझौते के तौर पर जो कि मौक़ूफ़ थी दोनों पक्षों की रज़ामन्दी पर, यह सूरत जिसमें दोनों की सहूलत और रियायत थी तजवीज़ फ़रमाई कि चन्द दिन के लिये बकरियाँ तो खेत वाले को दी जायें कि उनके दूध वगैरह से अपना गुज़ारा करे और बकरी वालों को वह खेत सुपुर्द किया जाये कि उसकी खिदमत यानी सिंचाई वगैरह करें, जब खेत पहली हालत पर आ जाये तो खेत और बकरियाँ अपने अपने मालिकों को दे दी जायें। जैसा कि तफसीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत मुर्ता, इब्ने मसऊद, मसरूक, इब्ने अब्बास, मुजाहिद, क़तादा और जोहरी से मन्कूल है। पस इससे मालूम हो गया कि दोनों फैसलों में कोई टकराव नहीं कि एक को सही और दूसरे को ग़लत कहा जा सके, इसलिए 'कुल्लन् आतैना हुक्मय-व इल्मन्' कि दोनों ही को हमने हिक्मत और इल्म अता किया था)।

और (यहाँ तक तो आम करामत "बड़ाई और विशेषता" का जिक्र था जो दोनों हज़रत में साझा थी, आगे दोनों हज़रत की खास-खास करामतों का बयान है) हमने दाऊद (अलैहिस्सलाम) के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को, कि (उनकी तस्बीह के साथ) वे (भी) तस्बीह किया करते थे, और (इसी तरह) परिन्दों को भी (जैसा कि सूर: सबा की आयत नम्बर 10 में है) और (कोई इस बात पर ताज्जुब न करे क्योंकि इन कामों के) करने वाले हम थे (और हमारी क़ुदरत का अज़ीम होना ज़ाहिर है, फिर इन मोजिज़ों में ताज्जुब ही क्या है) और हमने उनको ज़िरह (बनाने) की कारीगरी तुम लोगों के (नफ़े के) वास्ते सिखलाई, (यानी) ताकि वह (ज़िरह) तुमको (लड़ाई में) एक-दूसरे की मार से बचाये, (और इस बड़े फ़ायदे का तकाज़ा यह है कि तुम शुक्र करो) सो तुम (इस नेमत का) शुक्र करोगे भी या नहीं)?

और हमने सुलैमान (अलैहिस्सलाम) का नेज़ हवा को ताबे बना दिया था कि वह उनके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ़ को चलती जिसमें हमने बरकत रखी है (इससे मुराद मुल्क शाम है जो उनका ठिकाना था जैसा कि तफसीर दुर्रे मन्सूर में इमाम सुद्दी की रिवायत से मन्कूल है। और इसी की तरफ़ उनका बैतुल-मुक़द्दस की इमारत बनाना है। यानी जब मुल्क शाम से कहीं चले जाते और फिर आते तो यह आना और इसी तरह जाना भी हवा के ज़रिये से होता था जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत है जिसको इमाम हाकिम ने सही क़रार दिया है, उसकी कैफ़ियत यह बयान की गयी है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम मग़ अपने मुल्क के वज़ीरों और ज़िम्मेदारों के कुसियों पर बैठ

जाते फिर हवा को बुलाकर हुक्म देते वह सब को उठाकर थोड़ी देर में एक-एक महीने की दूरी तय करती) और हम हर चीज़ को जानते हैं। (हमारे इल्म में सुलैमान को ये चीज़ें देने में हिक्मत थी इसलिये अता फ़रमाई)। और बाजे-बाजे शैतान (यानी जिन्न) ऐसे थे कि उनके (यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम के) लिये (दरियाओं में) डुबकी लगाते थे (ताकि मोती निकालकर उनके पास लायें) और वे और दूसरे काम भी इसके अलावा (सुलैमान के लिये) किया करते थे, और (अगरचे वे जिन्न बड़े सरकश और शरीर थे मगर) उनके संभालने वाले हम थे (इसलिए वे चूँ नहीं कर सकते थे)।

मअरिफ़ व मसाईल

نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ.

लफ़्ज़ 'न-फ-श' के मायने अरबी लुग़त के एतिबार से यह है कि रात के वक़्त कोई जानवर किसी के खेत पर जा पड़े और नुक़सान पहुँचाये।

فَقَهَّمَهَا سُلَيْمَانَ.

'फ-फहमनाहा' (फिर समझा दिया वह हमने सुलैमान को) में बज़ाहिर वह से मुराद फ़ैसला है और मायने यह है कि जो फ़ैसला अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा था अल्लाह तआला ने वह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। इस मुक़द्दमे और फ़ैसले की सूरत ऊपर खुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है, जिससे मालूम होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला भी शरई क़ानून के लिहाज़ से ग़लत नहीं था मगर जो फ़ैसला अल्लाह तआला ने सुलैमान अलैहिस्सलाम को सुझाया उसमें दोनों फ़रीकों की रियायत और मस्लेहत (बेहतरी) थी, इसलिये अल्लाह तआला के नज़दीक वह पसन्दीदा क़रार दिया गया।

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और क़तादा और जोहरी से इस वाक़िए की रिवायत इस तरह की है कि दो शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उनमें एक शख्स बकरियों वाला और दूसरा खेती वाला था। खेती वाले ने बकरियों वाले पर यह दावा किया कि उसकी बकरियाँ रात को छूटकर मेरे खेत में घुस गयीं और खेत को बिल्कुल साफ़ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा (ग़ालिबन दूसरे पक्ष ने इसका इक़रार कर लिया होगा और बकरियों की पूरी कीमत उसके बरबाद हुए खेत की कीमत के बराबर होगी, इसलिये) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला सुना दिया कि बकरियों वाला अपनी सारी बकरियाँ खेत वाले को दे दे (क्योंकि जो चीज़ें कीमत ही के ज़रिये ली और दी जाती हैं जिनको फ़ुक़हा की परिभाषा में 'ज़वातुल-क़थ़ियम' कहा जाता है, वह अगर किसी ने ज़ाया कर दी तो उसका ज़िमान कीमत ही के हिसाब से दिया जाता है। बकरियों की कीमत चूँकि बरबाद हुई खेती की कीमत के बराबर थी इसलिये यह उसूली और क़ानूनी फ़ैसला फ़रमाया गया)।

ये दोनों यानी दावा करने वाला और जिस पर दावा किया गया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत से वापस हुए तो (दरवाज़े पर उनके बेटे) हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई

उन्होंने मालूम किया कि तुम्हारे मुकद्दमे का क्या फैसला हुआ? उन लोगों ने बयान कर दिया तो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर इस मुकद्दमे का फैसला मैं करता तो इसके अलावा कुछ और होता जो दोनों पक्षों के लिये मुफ़ीद और लाभदायक होता। फिर खुद वालिद माजिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर होकर यही बात अर्ज की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जोर देकर मालूम किया कि वह क्या फैसला है जो दोनों के लिये इस फैसले से बेहतर है, तो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आप सारी बकरियाँ तो खेत वाले को दे दें कि वह उनके दूध और ऊन वग़ैरह से फ़ायदा उठाता रहे और खेत की ज़मीन बकरियों वाले के सुपर्द कर दें कि वह उसमें काश्त करके खेत उगाये। जब यह खेत उस हालत पर आ जाये जिस पर बकरियों ने खाया था तो खेत खेत वाले को दिलवा दें और बकरियाँ बकरियों वाले को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को पसन्द फ़रमाकर कहा कि बस अब फैसला यही रहना चाहिये और दोनों फ़रीकों को बुलाकर दूसरा फैसला नाफ़िज़ कर दिया। (तफ़सीरे मज़हरी व कुर्तुबी वग़ैरह)

क्या फैसला देने के बाद किसी काज़ी का फैसला

तोड़ा और बदला जा सकता है?

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब एक फैसला दे चुके थे तो सुलैमान अलैहिस्सलाम को उसके तोड़ने का क्या हक़ था? और अगर खुद हज़रत दाऊद ही ने उनका फैसला सुनकर अपने पहले फैसले को तोड़ा और दूसरा जारी किया तो क्या काज़ी को इसका इख़्तियार है कि एक फैसला दे देने के बाद उसको तोड़ दे और फैसला बदल दे?

इमाम कुर्तुबी रह. ने इस जगह इस तरह के मसाईल पर बड़ी तफ़सील से बहस फ़रमाई है ख़ुलासा उसका यह है कि अगर किसी काज़ी ने शरीअत के स्पष्ट अहक़ाम और उम्मत की अक्सरियत के खिलाफ़ कोई ग़लत फैसला महज़ अटकल से दे दिया है तो वह फैसला तमाम उम्मत के नज़दीक मर्दूद व बातिल है, दूसरे काज़ी को उसके खिलाफ़ फैसला देना न सिर्फ़ जायज़ बल्कि वाजिब और उस काज़ी को उसके ओहदे से हटाना वाजिब है, लेकिन अगर एक काज़ी का फैसला शरई इज्तिहाद (ग़ौर व ख़ौज़) पर आधारित और इज्तिहादी उसूल के मातहत था तो किसी दूसरे काज़ी को उस फैसले का तोड़ना जायज़ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया जायेगा तो ज़बरदस्त ख़राबी फैल जायेगी, इस्लामी क़ानून एक खेल बन जायेगा और रोज़ हलाल व हराम बदला करेंगे। अलबत्ता अगर खुद उसी फैसला देने वाले काज़ी को उसके बाद कि इज्तिहादी उसूल के तहत वह एक फैसला नाफ़िज़ कर चुका है अब इज्तिहाद के तौर पर यह नज़र आये कि पहले फैसले और पहले इज्तिहाद (सोच-विचार और तहकीक) में ग़लती हो गयी है तो उसका बदलना जायज़ बल्कि बेहतर है।

हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो एक तफ़सीली ख़त हज़रत अबू मूसा अश्शरी के नाम मुक़द्दमों के फैसले करने और मामले चुकाने के उसूल पर आधारित लिखा था उसमें इसकी यज़ाहत है कि फैसला देने के बाद इज्तिहाद बदल जाये तो पहले फैसले को बदल देना चाहिये! यह

खत दारे कुतनी ने सन्द के साथ नकल किया है। (तफसीरे कुर्तुबी संक्षिप्त रूप से) और शम्सुल-अइम्मा सरखसी रह. ने अपनी किताब 'मबसूत' बाबुल-कज़ा में भी यह खत तफसील से दिया है।

और इमामे तफसीर मुजाहिद रह. का कौल यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलैमान अलैहिस्सलाम दोनों के फैसले अपनी-अपनी जगह हैं और हकीकत इसकी यह है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला फ़रमाया था वह उसूल और नियम का फैसला था और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने जो फ़रमाया वह दर हकीकत मुक़दमे का फैसला नहीं बल्कि दोनों पक्षों में सुलह कराने का एक तरीका था और कुरआन में 'वस्तुल्लु खैरुन्' का इरशाद आया है, इसलिये यह दूसरी सूरत अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा ठहरी। (तफसीरे मज़हरी)

हज़रत फ़ारूके आजम ने अपने काज़ियों को यह हिदायत दे रखी थी कि जब आपके पास दो फ़रीकों का मुक़दमा आये तो पहले उन दोनों में रज़ामन्दी के साथ किसी बात पर सुलह कराने की कोशिश करें, अगर यह नामुम्किन हो जाये तो अपना शरई फैसला जारी करें, और हिक्मत इसकी यह इरशाद फ़रमाई कि हाकिमाना अदालती फैसले से वह शख्स जिसके खिलाफ़ फैसला हुआ हो दब तो जाता है मगर उन दोनों में नफ़रत व दुश्मनी का बीज कायम हो जाता है जो दो मुसलमानों में नहीं होना चाहिये, बख़िलाफ़ रज़ामन्दी और समझौते की सूरत के कि उससे दिलों की आपसी नफ़रत भी दूर हो जाती है। (मुईनुल-हुक्काम)

इमाम मुजाहिद रह. के इस कौल पर यह मामला काज़ी के फैसले को तोड़ने और बदलने का नहीं रहा बल्कि दोनों पक्षों को जो हुक्म सुनाया था वह अभी गये भी न थे कि उनमें समझौते की एक सूरत निकल आई और वे दोनों उस पर राज़ी हो गये।

दो मुज्ताहिद अगर अपने-अपने इज्तिहाद से दो अलग-अलग फैसले करें तो क्या उनमें से हर एक सही है या किसी एक को ग़लत कहा जाये?

इस मौक़े पर इमाम कुर्तुबी ने बड़े विस्तार से और दूसरे मुफ़स्सरीन ने तफ़सील से या मुख़्तसर तौर पर यह बहस भी की है कि हर मुज्ताहिद (कुरआन व हदीस में ग़ौर व फ़िक्र और सही बात की तलाश करने वाला) हमेशा सही होता है और दो एक दूसरे के विपरीत इज्तिहाद हों तो दोनों को हक़ समझा जायेगा या उनमें से एक फैसले को ख़ता और ग़लत करार दिया जायेगा? इसमें पुराने ज़माने से उलेमा के कौल भिन्न और अलग-अलग हैं। उक्त आयत से दोनों जमाअतों ने दलील पकड़ी है। जो हज़रत यह कहते हैं कि दोनों इज्तिहाद हक़ हैं अगरचे एक दूसरे के उलट हों वह आयत के आखिरी हिस्से से तर्क देते हैं जिसमें फ़रमाया 'व कुल्लन् आतैना हुक्मन्-व इल्मन्' इसमें हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम दोनों को हिक्मत और इल्म अता करने का इरशाद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं है, न उनको यह कहा गया कि उनसे ग़लती हो गयी। इससे मालूम हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला भी हक़ था और सुलैमान अलैहिस्सलाम का फैसला भी। अलबत्ता हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के फैसले को दोनों पक्षों के लिये ज़्यादा बेहतर होने की बिना पर तरज़ीह दे दी गयी।

और जो हज़रात यह फरमाते हैं कि इज्तिहाद के अलग-अलग होने और मतभेद के मौकों में हक एक तरफ़ होता है दूसरा ग़लत होता है, वे भी इसी आयत के पहले जुमले से दलील पकड़ते हैं यानी 'फ-फ़हमनाहा सुलैमा-न' से, कि इसमें विशेष तौर पर हज़रात सुलैमान के बारे में फरमाया है कि हमने उनको हक़ फैसला सुझा दिया। इससे साबित होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला हक़ न था, अगरचे वह अपने इज्तिहाद की वजह से उसमें माज़ूर हों और उनसे उस पर कोई पकड़ व पूछगछ न हो। यह बहस उसूले फ़िक्का की किताबों में बड़ी तफ़्सील से आई है वहाँ देखी जा सकती है, यहाँ सिर्फ़ इतना समझ लेना काफी है कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने इज्तिहाद किया (यानी दीनी मसला मालूम करने में कुरआन व हदीस और सहाबा के अक़वाल वग़ैरह में ख़ूब कोशिश करके कोई नतीजा निकाला) और कोई हुक्म दीनी उसूले इज्तिहाद के मातहत बयान किया, अगर उसका इज्तिहाद सही हुआ तो उसको दो अज़्र मिलेंगे, एक इज्तिहाद करने की मेहनत का, दूसरा सही व दुरुस्त हुक्म तक पहुँचने का। और अगर यह इज्तिहाद सही न हुआ, उससे ख़ता हो गयी तो फिर उसको एक अज़्र इज्तिहाद की मेहनत का मिलेगा, दूसरा अज़्र जो असल सही हुक्म तक पहुँचने का था वह न मिलेगा (यह हदीस, हदीस की अक्सर मोतबर किताबों में मन्कूल है)।

इस हदीस से उलेमा के इख़िलाफ़ (मतभेद) की हकीकत भी स्पष्ट हो जाती है कि दर हकीकत यह इख़िलाफ़ एक लफ़्ज़ी झगड़े की तरह है, क्योंकि हक़ दोनों तरफ़ होने का हासिल यह है कि इज्तिहाद में ख़ता करने वाले और उसके पैरोकारों के लिये भी इज्तिहाद हक़ व सही है, उस पर अमल करने से उनकी निजात हो जायेगी, चाहे यह इज्तिहाद अपनी ज़ात में ख़ता ही हो, मगर उस पर अमल करने वालों को कोई गुनाह नहीं। और जिन हज़रात ने यह फरमाया है कि हक़ उन दोनों में एक ही है, दूसरा ग़लत और ख़ता है। इसका हासिल भी इससे ज़्यादा नहीं कि हक़ तआला की असल पुराद और उसकी मतलूबा शक़्त तक न पहुँचने की वजह से उस मुज्ताहिद के सवाब में कमी आ जायेगी और यह कमी इस वजह से है कि उसका इज्तिहाद हक़ बात तक न पहुँचा, लेकिन यह मतलब उनका भी नहीं है कि ग़लती करने वाले मुज्ताहिद पर कोई मलामत होगी या उसके पैरोकारों को गुनाहगार कहा जायेगा। तफ़्सीरे क़ुर्तुबी में इस मक़ाम पर इन तमाम बहसों को पूरी तफ़्सील से लिखा है, अहले इल्म वहाँ देख सकते हैं।

उक्त मसले का फैसला शरीअते मुहम्मदी में

अगर किसी के जानवर दूसरे आदमी की जान या माल को नुक़सान पहुँचाये तो फैसला क्या होना चाहिये इसमें फ़िक्ही तफ़्सील इस प्रकार है—

हज़रात दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले से तो यह साबित होता है कि जानवर के मालिक पर ज़िमान (तावान) आयेगा अगर यह वाक़िआ रात में हुआ हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीअत का जो फैसला हो वही शरीअते मुहम्मदिया में रहे, इसी लिये इस मसले में मुज्ताहिद इमामों का मतभेद है। इमाम शाफ़ई रह. का मस्लक यह है कि अगर रात के वक़्त किसी के

जानवर किसी दूसरे के खेत में दाखिल होकर नुकसान पहुँचाये तो जानवर के मालिक पर जिमान आयेगा, और अगर दिन में ऐसा हो तो जिमान नहीं आयेगा। उनकी दलील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले से भी हो सकती है मगर शरीअते मुहम्मदिया के उसूल के तहत उन्होंने एक हदीस से दलील ली है जो मुवत्ता इमाम मालिक में मुर्सल तौर पर मन्कूल है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की ऊँटनी एक शख्स के बाग़ में दाखिल हो गयी और उसको नुकसान पहुँचा दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फैसला फ़रमाया कि बाग़ों और खेतों की हिफ़ाज़त रात में उनके मालिकों के जिम्मे है और उनकी हिफ़ाज़त के बावजूद अगर रात को किसी के जानवर नुकसान पहुँचा दें तो जानवर के मालिक पर जिमान (नुक़सान की भरपाई और तावान) है, और इमामे आजम अबू हनीफ़ा और कूफ़ा के फ़ुक़हा का मस्लक यह है कि जिस वक़्त जानवरों के साथ उनका चराने वाले या हिफ़ाज़त करने वाला कोई आदमी मौजूद हो, उसने ग़फलत की और जानवरों ने किसी के बाग़ या खेत को नुक़सान पहुँचा दिया, उस सूरत में तो जानवर के मालिक पर जिमान आता है, चाहे यह मामला रात में हो या दिन में, और अगर मालिक या मुहाफ़िज़ जानवरों के साथ न हो जानवर खुद ही निकल गये और किसी के खेत को नुक़सान पहुँचा दिया तो जानवर के मालिक पर जिमान नहीं, मामला दिन और रात का इसमें भी बराबर है। इमामे आजम रह. की दलील वह हदीस है जो बुख़ारी व मुस्लिम और तमाम मुहदिसीन ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

جرح العجماء جبار.

यानी जानवर जो किसी को नुक़सान पहुँचाये वह काबिले पकड़ नहीं। यानी जानवर के मालिक पर उसका जिमान नहीं है (बशर्ते कि जानवर का मालिक या मुहाफ़िज़ उसके साथ न हो, जैसा कि दूसरी दलीलों से साबित है)। इस हदीस में दिन रात का भेदभाव किये बग़ैर आम शरई क़ानून यह क़रार दिया गया है कि अगर जानवर के मालिक ने खुद अपने क़स्द व इरादे से किसी के खेत में नहीं छोड़ा, जानवर भागकर चला गया तो उसके नुक़सान का जिमान जानवर के मालिक पर नहीं होगा। और हज़रत बरा बिन आज़िब के वाक़िए की रिवायत की सनद में हनफ़ी फ़ुक़हा ने क़लाम किया और फ़रमाया है कि उसको बुख़ारी व मुस्लिम में बयान हुई उक्त हदीस के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं क़रार दिया जा सकता। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह

وَسَخِرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ بِسَخْنِ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا قَاعِلِينَ ۝

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने जाहिरी कमालात में से एक कमाल उम्दा आवाज़ का भी अता फ़रमाया था। जब वह ज़बूर पढ़ते थे तो परिन्दे हवा में ठहरने लगते थे और उनके साथ तस्बीह करने लगते थे। इसी तरह पहाड़ और हर पेड़-पौधे और पत्थर से तस्बीह की आवाज़ निकलने लगती थी। उनकी आवाज़ की उम्दगी का कमाल तो जाहिरी कमालात में से था और परिन्दों और पहाड़ों का तस्बीह में शरीक हो जाना अल्लाह तआला के उन चीज़ों को उनके ल़ाबे करने और मौजिज़

के तौर पर था, और मोजिजे के लिये यह भी जरूरी नहीं कि परिन्दों और पहाड़ों में जिन्दगी व शऊर हो बल्कि बतौर मोजिजे के हर गैर-जानदार व गैर-शऊर वाली चीज में भी शऊर पैदा हो सकता है। इसके अलावा तहकीक़ यही है कि पहाड़ों और पत्थरों में भी जिन्दगी व शऊर उनकी हैसियत के एतिबार से मौजूद है, सहाबा किराम में हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत अच्छी आवाज़ वाले थे, एक रोज़ कुरआन पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुज़र उनकी तरफ़ हुआ तो आप उनकी तिलावत सुनने के लिये ठहर गये और सुनते रहे, फिर फ़रमाया कि इनको अल्लाह तआला ने आवाज़ की उम्दगी और सुन्दरता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अता फ़रमाई है। जब हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी तिलावत सुन रहे थे तो अर्ज़ किया कि अगर मुझे आपका सुनना मालूम हो जाता तो मैं और ज़्यादा संवार कर षढ़ने की कोशिश करता। (इब्ने कसीर)

फ़ायदा: इससे मालूम हुआ कि कुरआन की तिलावत में आवाज़ का हुस्न और अच्छा लहजा जिससे दिलकशी पैदा हो एक दर्जे में मतलूब व पसन्दीदा है, बशर्ते कि आजकल के कारियों की तरह उसमें गुलू (हृद से बढ़ना) न हो, कि सिर्फ़ आवाज़ ही संवारने और लोगों को लुभाने की फ़िक्र रह जाये, तिलावत का असल मक़सद ही ग़ायब हो जाये। वल्लाहु आलम

ज़िरह बनाने की कारीगरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से अता की गयी

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ

लफ़ज़ 'लबूस' लुगत के एतिबार से असलेहा (हथियार) में से हर चीज़ को कहा जाता है जो इनसान ओढ़कर या गले में डालकर इस्तेमाल करे। इस जगह मुराद लोहे की ज़िरह है जो जंग में हिफ़ाज़त के लिये पहनी जाती है। एक दूसरी आयत में है:

وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ

यानी हमने उनके लिये लोहे को नर्म कर दिया था। चाहे इस तरह कि लोहा उनके हाथ में आकर खुद-ब-खुद नर्म हो जाता हो कि उसको जिस तरह मोड़ें मुड़ जाये और बारीक या मोटा करना चाहें तो हो जाये जैसे मोम होता है, या इस तरह कि उसको आग में पिघलाकर नर्म करने की तदबीर बतला दी जो सब लोहे के कारख़ानों में आज इस्तेमाल की जाती है।

ऐसी कारीगरी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे मतलूब और अम्बिया का अमल है

इस आयत में ज़िरह बनाने की कारीगरी (उद्योग) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाने के

ज़िक्र के साथ इसकी हिक्मत भी यह बतलाई है:

لَتُعْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ.

यानी ताकि यह ज़िरह तुम्हें जंग के वक़्त तेज़ तलवार के ख़तरे से महफ़ूज़ रख सके। यह एक ऐसी ज़रूरत है कि जिससे दीनदार व दुनियादार सब को काम पड़ता है इसलिये इस कारीगरी के सिखाने को अल्लाह तआला ने अपना एक इनाम करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि जिस कारीगरी और उद्योग के ज़रिये लोगों की ज़रूरतें पूरी हों उसका सीखना सिखाना सवाब में दाख़िल है बशर्ते कि नीयत मख़्लूक की ख़िदमत की हो, सिर्फ़ कमाई ही मक़सद न हो। हज़राते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से विभिन्न प्रकार की कारीगरी और उद्योगों का काम करना नक़ल किया गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खेती बोनो काटने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो कारीगर अपनी कारीगरी में नीयत नेक यानी मख़्लूक की ख़िदमत की रखे उसकी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जैसी हो जाती है कि उन्होंने अपने ही बच्चे को दूध पिलाया और मुआवज़ा फ़िरऔन की तरफ़ से मुफ़्त में मिला। इसी तरह मख़्लूक की ख़िदमत की नीयत से कोई काम करने और उद्योग लगाने वाले को अपना मक़सद मख़्लूक की ख़िदमत का सवाब तो हासिल होगा ही कारीगरी का दुनियावी नफ़ा उस पर अलग से मिलेगा। यह हदीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में सूर: तौ-हा में गुज़र चुकी है।

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये हवा को ताबे करना और उससे संबन्धित मसाईल

हज़रत हसन बसरी रह. से मन्कूल है कि जब हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का यह वाकिआ पेश आया कि लश्करी घोड़ों के मुआयने में मशगूल होकर अ़सर की नमाज़ जाती रही तो अपनी इस ग़फलत पर अफ़सोस हुआ और वो घोड़े जो उस ग़फलत का सबब बने थे उनको बेकार करके छोड़ दिया। चूँकि उनका यह अ़मल अल्लाह की रज़ा तलब करने के लिये हुआ था इसलिये अल्लाह तआला ने उनको घोड़ों से बेहतर और तेज़-रफ़्तार हवा की सवारी अ़ता फ़रमा दी। इस वाकिए की तफ़सील और इससे संबन्धित आयतों की तफ़सीर सूर: सौद में आयेगी इन्शा-अल्लाह तआला।

وَلَسَلِيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً.

यह जुमला पहले जुमले 'सख़्ख़रना म-अ दावूदल् जिबा-त' से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये पहाड़ों और परिन्दों को ताबे कर दिया था जिस पर सवार होकर वह जहाँ चाहते बहुत जल्द आसानी से पहुँच जाते थे, इस जगह यह बात ध्यान देने के काबिल है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे करने में तो लफ़ज़ 'म-अ' (साथ) इस्तेमाल फ़रमाया कि उनके साथ पहाड़ों परिन्दों को हुक्म के ताबे कर दिया था और यहाँ हरफ़ 'लाम' के साथ फ़रमाया कि हवा को सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये ताबे कर दिया था। इसमें बारीक इशारा इस बात की तरफ़ है

कि दोनों को कब्जे में और ताबे करने में फर्क था, दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत करते तो पहाड़ और परिन्दे खुद-ब-खुद तस्बीह करने लगते थे, उनके हुक्म के मुन्तज़िर न रहते थे, और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये हवा को उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया कि जब चाहें जिस वक़्त चाहें जिस तरफ़ जाना चाहें हवा को हुक्म दे दिया, उसने पहुँचा दिया। फिर जहाँ उतरना चाहें वहाँ उतार दिया, फिर जब वापस चलने का हुक्म हुआ वापस पहुँचा दिया। (रुहुल-मअज़नी, बैज़ावी से)

तफ्सीर इब्ने कसीर में सुलैमान अलैहिस्सलाम का तख़्त जो हवा पर चलता था उसकी कैफ़ियत यह बयान की है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा विशाल तख़्त बनवाया था जिस पर खुद मय अपनी हुक्मत के अहल कारों और मय लश्कर और लड़ाई के सामान के सब सवार हो जाते, फिर हवा को हुक्म देते वह उस अज़ीमुश्शान लम्बे-चौड़े तख़्त को अपने काँधों पर उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ जाकर उतार देती थी। यह हवाई तख़्त सुबह से दोपहर तक एक महीने की दूरी तय करता था और दोपहर से शाम तक एक महीने की, यानी एक दिन में दो महीनों का रास्ता हवा के ज़रिये तय हो जाता था। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर से नक़ल किया है कि इस तख़्तो सुलैमानी पर छह लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं जिसमें सुलैमान अलैहिस्सलाम के साथ ईमान वाले इन्सान सवार होते थे और उनके पीछे ईमान वाले जिन्न बैठते थे, फिर परिन्दों को हुक्म होता कि वो उस पूरे तख़्त पर साया कर लें ताकि सूरज की तपिश से तकलीफ़ न हो, फिर हवा को हुक्म दिया जाता था वह इस अज़ीमुश्शान मजमे को उठाकर जहाँ का हुक्म होता पहुँचा देती थी। और कुछ रिवायतों में है कि इस हवाई सफ़र के वक़्त पूरे रास्ते में हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम सर झुकाये हुए अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र में मशगूल रहते थे, दायें बायें कुछ न देखते थे, और अपने अमल से तवाज़ो (आजिज़ी और विनम्रता) का इज़हार फ़रमाते थे। (इब्ने कसीर)

'आसि-फ़तन्'। रीह-ए-आसिफ़ा के लफ़्ज़ी मायने सख़्त और तेज़ हवा के हैं। कुरआने करीम की दूसरी आयत में इस हवा की सिफ़त 'रुखाअन्' बयान की गई है जिसके मायने नर्म हवा के हैं, जिससे न गुबार उड़े न फ़ज़ा (स्पेस) में हलचल पैदा हो। बज़ाहिर ये दो विपरीत सिफ़तें हैं लेकिन दोनों सिफ़तों का जमा होना इस तरह मुम्किन है कि यह हवा अपनी ज़ात में बड़ी सख़्त और तेज़ हो जिसकी वजह से चन्द घन्टों में एक महीने की दूरी तय कर सके, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत ने उसको ऐसा बना दिया हो कि उससे फ़ज़ा में हलचल न पैदा हो, चुनाँचे उसका यह हाल बयान किया गया है कि जिस फ़ज़ा में यह तख़्त खाना होता था वहाँ किसी परिन्दे को भी कोई नुक़सान न पहुँचता था।

सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये जिन्नात व शैतानों का ताबे होना

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِيهِمْ لِيَبْغُوا صَوْلًا لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا ذُرًّا ذُرًّا ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ۝

यानी हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये ताबे और कब्जे में कर दिया जिन्नात में के ऐसे शैतानों को जो दरियाओं में गोता लगाकर सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये जवाहिरात निकाल कर लाते

थे और इसके अलावा दूसरे काम भी करते थे जिनमें से कुछ का जिक्र दूसरी आयतों में आया है:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

यानी बनाते हैं हज़रत सुलैमान के लिये मेहराबें और शानदार मकानात और मूर्ते और पत्थर के बड़े-बड़े प्याले जो हौज़ की तरह काम दें, उनसे सुलैमान अलैहिस्सलाम बड़ी मशक़त के काम भी लेते थे और अजीब व ग़रीब कारीगरी के भी, और हम ही उनके मुहाफ़िज़ थे।

‘शयातीन’। यह आग के बने हुए लतीफ़ जिस्म हैं जो अक़ल व शऊर रखते हैं और इनसान की तरह शरीअत के अहक़ाम के मुक़ल्लफ़ (पाबन्द) हैं। इस जाति के लिये असल लफ़ज़ जिन्न या जिन्नात इस्तेमाल होता है, उनमें जो ईमान कुबूल न करें काफ़िर रहें उनको शयातीन कहा जाता है। ज़ाहिर यह है कि हज़रत सुलैमान के लिये ताबे सभी जिन्नात थे चाहे मोमिन हों या काफ़िर, मगर मोमिन तो ताबे हुए बग़ैर भी सुलैमान अलैहिस्सलाम के अहक़ाम की तामील एक मज़हबी फ़रीजे की हैसियत से करते थे, उनके लिये ताबे और कब्जे में करने के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं।

इसलिये ताबे और कब्जे में सिर्फ़ शयातीन यानी काफ़िर जिन्नात का ज़िक्र फ़रमाया कि वे बावजूद अपने कुफ़्र व सरकशी के ज़बरदस्ती हज़रत सुलैमान के फ़रमान के ताबे रहते थे और शायद इसी लिये आयत के आख़िर में यह जुमला बढ़ाया गया कि हम ही उनके मुहाफ़िज़ थे वरना काफ़िर जिन्नात से तो हर वक़्त यह ख़तरा था कि वे कोई नुक़सान न पहुँचा दें, मगर अल्लाह की हिफ़ाज़त का पहरा उन पर लगा हुआ था इसलिये कोई तकलीफ़ न पहुँचा सकते थे।

एक लतीफ़ा

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये तो हक़ तआला ने सबसे ज़्यादा सख़्त और भारी जिस्मों को ताबे फ़रमाया जिनमें पहाड़ और लोहा जैसी सख़्त चीज़ें शामिल हैं, इसके मुक़ाबले में सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये ऐसे लतीफ़ जिस्मों को ताबे फ़रमाया जो देखने में भी न आ सकें जैसे हवा और जिन्नात, इसमें हक़ तआला की कामिल कुदरत का हर किस्म की मख़्लूक़ात पर हावी होना वाज़ेह किया गया है। (तफ़सीरे कबीर, इमाम राज़ी रह.)

وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّحِيمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ
عِنْدِنَا وَذَكَرَكَ لِلْعَبِيدِينَ ۝

व अय्यू-ब इज़् नादा रब्बहू अन्नी
मस्सनियज़्ज़ुर्हु व अन्-त अर्हमुर-
राहिमीन (83) फ़स्त-जब्ना लहू
फ़-कशफ़ना मा बिही मिन् जुरिर्व-व

और अय्यूब को जिस वक़्त पुकारा उसने
अपने रब को कि मुझ पर पड़ी है
तकलीफ़ और तू है सब रहम वालों से
(ज़्यादा) रहम वाला। (83) फिर हमने सुन
ली उसकी फ़रियाद सो दूर कर दी जो

आतैनाहु अस्तहू व मिस्तहुम् म-अहुम्
रह्म-तम् मिन् अिन्दिना व जिक्रा
लिल्आबिदीन (84)

उस पर थी तकलीफ़, और अता किये
उसको उसके घर वाले और इतने ही और
उनके साथ रहमत अपनी तरफ़ से, और
नसीहत बन्दगी करने वालों को। (84)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) के किस्से का तज़क़िरा कीजिये जबकि उन्होंने (सख़्त बीमारी में मुब्तला होने के बाद) अपने रब को पुकारा कि मुझको यह तकलीफ़ पहुँच रही है, और आप सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान हैं (तो अपनी मेहरबानी से मेरी यह तकलीफ़ दूर कर दीजिये) हमने उनकी दुआ कुबूल की और उनको जो तकलीफ़ थी उसको दूर कर दिया, और (बिना दरख्वास्त के) हमने उनको उनका कुनबा (यानी औलाद जो उनसे ग़ायब हो गये थे, जैसा कि दुर्गे मन्सूर में हज़रत हसन का कौल है) या मर गये थे (जैसा कि दूसरे हज़रात की राय है) अता फ़रमाया (इस तरह से कि वे उनके पास आ गये या इस मायने में कि इतने ही और पैदा हो गये जैसा कि 'फ़ह्ल-मन्नान' में हज़रत इक्रिमा का कौल नक़ल किया है) और उनके साथ (गिनती में) उनके बराबर और भी (दिये यानी जितनी औलाद पहले थी उसके बराबर और भी दे दिये चाहे खुद अपनी पीठ से या औलाद की औलाद होने की हैसियत से। जैसा कि 'फ़ह्ल-मन्नान' में किताबे अय्यूब से नक़ल किया है) अपनी खास रहमत से, और इबादत करने वालों के लिये यादगार रहने के सबब से।

मज़ारिफ़ व मसाईल

हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा

हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में इस्राईली रिवायतें बड़ी लम्बी-लम्बी हैं, उनमें से जिनको हज़राते मुहदिसीन ने तारीख़ी दर्जे में काबिले भरोसा समझा है वो नक़ल की जाती हैं। कुरआने करीम से तो सिर्फ़ इतनी बात साबित है कि उनको कोई सख़्त रोग पेश आया जिस पर वह सब्र करते रहे आख़िरकार अल्लाह तआला से दुआ की तो उससे निजात मिली और यह कि उस बीमारी के ज़माने में उनकी औलाद और यार-दोस्त सब ग़ायब हो गये, चाहे मौत की वजह से या किसी दूसरी वजह से, फिर हक़ तआला ने उनको सेहत व आफ़ियत दी और जितनी औलाद थी वह सब उनको दे दी बल्कि उतनी ही और भी ज्यादा दे दी। किस्से के बाकी हिस्से कुछ तो मोतबर हदीसों में मौजूद हैं और ज्यादातर तारीख़ी रिवायतें हैं। हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इस किस्से की तफ़्सील यह लिखी है कि:

अय्यूब अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने शुरू में माल व दौलत, जायदाद, शानदार मकानात, सवारियाँ, औलाद और नौकर-चाकर बहुत कुछ अता फ़रमाया था, फिर अल्लाह तआला ने उनको पैग़म्बराना आज़माईश में मुब्तला किया, ये सब चीज़ें उनके हाथ से निकल गयीं और बदन में भी ऐसी सख़्त बीमारी लग गयी जैसे कोढ़ होता है कि बदन का कोई हिस्सा सिवाय ज़बान और दिल के उस

बीमारी से न बचा। वह उस हालत में ज़बान व दिल को अल्लाह की याद में मशगूल रखते और शुक्र अदा करते रहते थे। इस सख्त बीमारी की वजह से सब अज़ीजों, दोस्तों और पड़ोसियों ने उनको अलग करके आबादी से बाहर एक कूड़ा-कचरा डालने की जगह पर डाल दिया। (1) कोई उनके पास न जाता था, सिर्फ़ उनकी बीवी उनकी ख़बरगीरी करती थी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी, जिसका नाम लय्या बिनते मीशा इब्ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बतलाया जाता है। (इब्ने कसीर)

माल व जायदाद तो सब ख़त्म हो चुका था उनकी बीवी मोहतरमा मेहनत मज़दूरी करके अपने और उनके लिये रिज़क और ज़िन्दगी की ज़रूरतें उपलब्ध कराती और उनकी ख़िदमत करती थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की यह आजमाईश व इम्तिहान कोई हैरत व ताज्जुब की चीज़ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

اشدّ الناس بلاء الانبياء ثمّ الصّالحون ثمّ الامثل فالامثل.

यानी सबसे ज़्यादा सख्त बलायें और आजमाईश अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को पेश आती हैं, उनके बाद दूसरे नेक लोगों को दर्जा-ब-दर्जा। और एक रिवायत में है कि हर इनसान का इम्तिहान और आजमाईश उसकी दीनी पुख़्तागी और मज़बूती के अन्दाज़े पर होता है, जो दीन में जितना ज़्यादा मज़बूत होता है उतनी उसकी आजमाईश ज़्यादा होती है (ताकि उसी हिसाब से उसके दर्जे अल्लाह के नज़दीक बुलन्द हों) हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत में दीनी पुख़्तागी और सब्र का एक विशेष मक़ाम अता फ़रमाया था (जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लश्कर का ऐसा ही ख़ास मक़ाम दिया गया था) मुसीबतों व सख्तियों पर सब्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है।

यज़ीद बिन मैसरा फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को माल व औलाद वगैरह सब दुनिया की नेमतों से ख़ाली करके आजमाईश फ़रमाई तो उन्होंने फ़ारिग़ होकर अल्लाह की याद और इबादत में और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी और अल्लाह तआला से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे माल जायदाद और दुनिया की दौलत और औलाद अता फ़रमाई जिसकी मुहब्बत मेरे दिल के एक-एक हिस्से पर छा गयी, फिर इस पर भी शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इन सब चीज़ों से फ़ारिग़ और ख़ाली कर दिया और अब मेरे और आपके बीच बाधा और रुकावट बनने वाली कोई चीज़ बाकी न रही।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ये मज़कूरा रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखते हैं कि वहब बिन मुनब्बेह से इस किस्से में बड़ी लम्बी रिवायतें नक़ल की गयी हैं जिनमें अजनबीपन पाया जाता है और लम्बी हैं इसलिये हम ने उनको छोड़ दिया है।

हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सब्र के ख़िलाफ़ नहीं

हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस सख्त मुसीबत में कि सब्र माल व जायदाद और दौलते दुनिया

(1) हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में इस रिवायत की असल वज़ाहत मअरिफ़ुल कुरआन की सातवीं जिल्द सूर: सौद की आयत 41-44 की तफ़सीर में देखिये। मुहम्मद तक़ी उस्मानी 18/3/1426 हिजरी

से अलग होकर ऐसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हुए कि लोग पास आते हुए घबरायें, बस्ती से बाहर एक कूड़े-कचरे की जगह पर सात साल चन्द माह पड़े रहे, कभी आह व फरियाद या शिकायत का कोई कलिमा ज़बान पर नहीं आया। नेक बीवी लय्या साहिबा ने अर्ज भी किया कि आपकी तकलीफ़ बहुत बढ़ गयी है अल्लाह से दुआ कीजिए कि यह तकलीफ़ दूर हो जाये, तो फ़रमाया कि मैंने सत्तर साल सही तन्दुरुस्त अल्लाह की बेशुमार नेमत व दौलत में गुज़ारे हैं, क्या उसके मुक़ाबले में सात साल भी मुसीबत के गुज़ारने मुश्किल हैं। पैग़म्बराना इरादे व बरदाश्त और सब्र व जमाव का यह आलम था कि दुआ करने की भी हिम्मत न करते थे कि कहीं सब्र के खिलाफ़ न हो जाये (हालाँकि अल्लाह तआला से दुआ करना और अपनी ज़रूरत व तकलीफ़ पेश करना बेसब्री में दाख़िल नहीं) आख़िरकार कोई ऐसा सबब पेश आया जिसने उनको दुआ करने पर मजबूर कर दिया और जैसा कि ऊपर लिखा गया है यह दुआ दुआ ही थी कोई बेसब्री नहीं थी, हक़ तआला ने उनके कमाले सब्र पर अपने कलाम में मुहर लगा दी है, फ़रमाया:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

(कि हमने उनको सब्र व बरदाश्त वाला पाया) उस सबब के बयान में रिवायतें बहुत भिन्न और लम्बी हैं इसलिये उनको छोड़ा जाता है।

इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल हुई और उनको हुक़्म हुआ कि ज़मीन पर ऐड़ लगाईये यहाँ से साफ़ पानी का चश्मा फूटेगा उससे गुस्ल कीजिये और उसका पानी पीजिये तो यह सारा रोग चला जायेगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक़ किया, तमाम बदन जो ज़ख़्मों से चूर था और सिवाय हड्डियों के कुछ न रहा था उस चश्मे के पानी से गुस्ल करते ही सारा बदन खाल और बाल एक दम से अपनी असली हालत पर आ गये तो) अल्लाह तआला ने उनके लिये जन्नत का एक लिबास भेज दिया, वह पहना और उस कूड़े-कचरे से अलग होकर एक तरफ़ को बैठ गये। बीवी मोहतरमा आदत के अनुसार उनकी ख़बरगीरी के लिये आई तो उनको अपनी जगह पर न पाकर रोने लगीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो एक तरफ़ को बैठे हुए थे उनको नहीं पहचाना क्योंकि हालत बदल चुकी थी, उन्हीं से पूछा कि ऐ खुदा के बन्दे क्या तुम्हें मालूम है कि वह बीमार मुब्तला जो यहाँ पड़ा रहता था कहाँ चला गया? क्या कुत्तों या भेड़ियों ने उसे खा लिया? और कुछ देर तक इस मामले में उनसे गुफ़्तगू करती रही। यह सब सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाया कि मैं ही अय्यूब हूँ मगर बीवी मोहतरमा ने अब तक भी नहीं पहचाना। कहने लगीं अल्लाह के बन्दे क्या आप मेरे साथ मज़ाक़ करते हैं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर फ़रमाया कि ग़ौर करो मैं ही अय्यूब हूँ अल्लाह तआला ने मेरी दुआ कुबूल फ़रमा ली और मेरा बदन नये सिरे से दुरुस्त फ़रमा दिया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह तआला ने उनका माल व दौलत भी उनको वापस दे दिया और औलाद भी, और औलाद की तायदाद के बराबर और औलाद भी दे दी। (इब्ने कसीर)

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सात लड़के सात लड़कियाँ थीं, उस इम्तिहान के ज़माने में वे सब मर गये थे, जब अल्लाह तआला ने उनको

आफियत दी तो उनको भी दोबारा जिन्दा कर दिया और उनकी बीवी से नई औलाद भी इतनी ही और पैदा हो गयी जिसको कुरआन में 'व मिस्तुहुम म-अहुम्' फरमाया है। सालबी ने कहा कि यह कौल कुरआन की आयत के जाहिर से ज्यादा मेल खाता है। (तफसीरे कुर्तुबी)

कुछ हज़रात ने फरमाया कि नई औलाद खुद अपने से उतनी ही मिल गयी जितनी पहले थी और उनके जैसी (बराबर) औलाद से मुराद औलाद की औलाद है। वल्लाहु आलम

وَأَسْمِعِیْلَ وَ إِدْرِیْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصّٰیِرِیْنَ ۝۸۵

وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِی رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝۸۶

व इस्माअी-ल व इदरी-स व ज़ल्किफ़िल, कुल्लुम् मिनस्साबिरीन (85) व अदख़ल्नाहुम् फी रस्मतिना, इन्नहुम् मिनस्सालिहीन (86)	और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ़ल को, ये सब हैं सब वाले। (85) और ले लिया हमने उनको अपनी रहमत में, वे हैं नेकबख़्तों में। (86)
--	--

खुलासा-ए-तफसीर

और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ़ल (के किस्से) का तज़क़िरा कीजिये ये सब (अल्लाह के क़ानूनी और क़ायनाती अहक़ाम पर) साबित-क़दम रहने वाले लोगों में से थे। और हमने इन (सब) को अपनी (ख़ास) रहमत में दाख़िल कर लिया था, बेशक ये (सब) पूरी सलाहियत वालों में से थे।

मअरिफ़ व मसाईल

हज़रत जुल्किफ़ल नबी थे या वली और उनका अजीब किस्सा

ऊपर बयान हुई आयतों में तीन हज़रात का ज़िक्र है जिनमें हज़रत इस्माईल और हज़रत इदरीस अल्लैहिस्सलाम का नबी व रसूल होना कुरआने करीम की बहुत सी आयतों से साबित और उनका तज़क़िरा भी कुरआन में कई जगह आया है। तीसरे बुजुर्ग जुल्किफ़ल हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फरमाया कि इनका नाम इन दोनों पैग़म्बरों के साथ शामिल करके ज़िक्र करने से जाहिर यही है कि यह भी कोई अल्लाह के नबी और पैग़म्बर थे, मगर कुछ दूसरी रिवायतों से यह मालूम होता है कि यह नबियों में से नहीं थे बल्कि एक नेक आदमी अल्लाह के वली थे। इमामे तफ़सीर इब्ने जरीर रह. ने अपनी सनद के साथ मुजाहिद रह. से नक़ल किया है कि हज़रत 'यसअ़् अल्लैहिस्सलाम' (जिनका नबी व पैग़म्बर होना कुरआन में मज़कूर है) जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो इरादा किया कि किसी को अपना ख़लीफ़ा बना दें जो उनकी जिन्दगी में वो सब काम उनकी तरफ़ से करे जो नबी के फ़राईज़ (ज़िम्मेदारियों) में दाख़िल हैं।

इस मक़सद के लिये हज़रत यसअ़् अलैहिस्सलाम ने अपने सब सहाबा को जमा किया कि मैं अपना ख़लीफ़ा बनाना चाहता हूँ जिसके लिये तीन शर्तें हैं, जो शख्स उन शर्तों को अपने अन्दर रखता हो उसको ख़लीफ़ा बनाऊँगा। वो तीन शर्तें ये हैं कि यह हमेशा रोज़ा रखता हो, हमेशा रात को इबादत में जागता हो और कभी गुस्सा न करता हो। मजमे में से एक ऐसा ग़ैर-मशहूर शख्स खड़ा हुआ जिसकी लोग हकीर ज़लील समझते थे और कहा कि मैं इस काम के लिये हाज़िर हूँ। हज़रत यसअ़् अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि क्या तुम हमेशा रोज़ा रखते हो और हमेशा रात में जागकर अल्लाह की इबादत करते हो और कभी गुस्सा नहीं करते? उस शख्स ने अर्ज किया कि बेशक मैं इन तीन चीज़ों का आमित हूँ। हज़रत यसअ़् अलैहिस्सलाम (को शायद कुछ उसके कौल पर भरोसा न हुआ इसलिये) उस दिन इस काम को स्थगित कर दिया फिर किसी दूसरे दिन इसी तरह मजमे से खिताब फरमाया और तमाम मौजूद हज़रात ख़ामोश रहे और यही शख्स फिर खड़ा हो गया। उस वक़्त हज़रत यसअ़् अलैहिस्सलाम ने इनको अपना ख़लीफ़ा नामित कर दिया। शैतान ने यह देखा कि जुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम इसमें कामयाब हो गये तो अपने मददगार शयातीन से कहा कि जाओ किसी तरह इस शख्स पर असर डालो कि यह कोई ऐसा काम कर बैठे जिससे इसका यह मर्तबा छिन जाये। शैतान के मददगारों ने उज़्र कर दिया कि वह हमारे काबू में आने वाला नहीं, शैतान इब्लीस ने कहा कि अच्छा तुम उसको मुझ पर छोड़ो (मैं उससे निपट लूँगा)।

हज़रत जुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम अपने इफ़रार के मुताबिक़ दिन भर रोज़ा रखते और रात भर जागते थे, सिर्फ़ दोपहर को कैलूला करते थे (कैलूला दोपहर के सोने को कहते हैं) शैतान ऐन दोपहर को उनके कैलूले के वक़्त आया और दरवाज़े पर दस्तक दी, यह जाग गये और पूछा कौन है? कहने लगा कि मैं बूढ़ा मज़लूम हूँ। इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उसने अन्दर पहुँचकर एक अफ़साना कहना शुरू कर दिया कि मेरी बिरादरी का मुझसे झगड़ा है उन्होंने मुझ पर यह जुल्म किया, एक लम्बी दास्तान शुरू कर दी यहाँ तक कि दोपहर के सोने का वक़्त ख़त्म हो गया। हज़रत जुल्किफ़्ल ने फरमाया कि जब मैं बाहर आऊँ तो मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा हक़ दिलवाऊँगा।

हज़रत जुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाये और अपनी अदालत की बैठक में उसका इन्तिज़ार करते रहे मगर उसको नहीं पाया। अगले दिन फिर जब वह अदालत में मुक़द्दमों के फैसले के लिये बैठे तो उस बूढ़े का इन्तिज़ार करते रहे और वह न आया। जब दोपहर को फिर कैलूले के लिये घर में गये तो यह शख्स आया और दरवाज़ा पीटना शुरू किया। इन्होंने फिर पूछा कौन है? जवाब दिया कि एक मज़लूम बूढ़ा है, इन्होंने फिर दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया कि क्या मैंने कल तुमसे नहीं कहा था कि जब मैं अपनी मज्लिस में बैठूँ तो तुम आ जाओ (तुम न कल आये न आज सुबह से आये)। उसने कहा कि हज़रत मेरे मुख़ालिफ़ बड़े ख़बीस लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि आप अपनी मज्लिस में बैठे हैं और मैं हाज़िर हूँगा तो आप उनको मेरा हक़ देने पर मजबूर करेंगे तो उन्होंने उस वक़्त इफ़रार कर लिया कि हम तेरा हक़ देते हैं, फिर जब आप मज्लिस से उठ गये तो इनकार कर दिया। इन्होंने फिर उसको यही फरमाया कि अब जाओ जब मैं मज्लिस में बैठूँ तो मेरे पास आ जाओ। इसी कहने-सुनने में आज के दोपहर का सोना भी रह गया और वह बाहर मज्लिस में तशरीफ़

ले गये और उस बूढ़े का इन्तिज़ार करते रहे (अगले दिन भी दोपहर तक इन्तिज़ार किया वह नहीं आया फिर जब तीसरे दिन दोपहर का वक़्त हुआ और नींद को तीसरा दिन हो गया था नींद का ग़लबा था) तो घर में आकर घर वालों को इस पर मुक़रर किया कि कोई शख्स दरवाज़े पर दस्तक न दे सके। यह बूढ़ा फिर तीसरे दिन पहुँचा और दरवाज़े पर दस्तक देनी चाही, लोगों ने मना किया तो एक रोशनदान के रास्ते से अन्दर दाख़िल हो गया और अन्दर पहुँचकर दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया यह फिर नींद से जाग गये और देखा कि यह शख्स घर के अन्दर है और देखा कि दरवाज़ा बदस्तूर बन्द है। उससे पूछा तू कहाँ से अन्दर पहुँचा? उस वक़्त हज़रत जुल्किफ़ल ने पहचान लिया कि यह शैतान है और फ़रमाया कि तू खुदा का दुश्मन इब्लीस है? उसने इक़रार किया कि हाँ, और कहने लगा कि तूने मुझे मेरी हर तदबीर में थका दिया, कभी मेरे जाल में नहीं आया, अब मैंने यह कोशिश की कि तुझे किसी तरह गुस्सा दिला दूँ ताकि तू अपने उस इक़रार में झूठा हो जाये जो यसअ़् नबी के साथ किया है, इसलिये मैंने ये सब हरकतें कीं। यह बाकिआ था जिसकी वजह से उनको जुल्किफ़ल का खिताब दिया गया, क्योंकि जुल्किफ़ल के मायने हैं ऐसा शख्स जो अपने अ़हद और जिम्मेदारी को पूरा करे। हज़रत जुल्किफ़ल अपने उस अ़हद पर पूरे उतरे। (इब्ने कसीर)

मुस्नद अहमद में एक रिवायत और भी है मगर उसमें जुल्किफ़ल के बजाय 'अल्-किफ़ल' का नाम आया है। इसी लिये इब्ने कसीर ने उस रिवायत को नक़ल करके कहा कि यह कोई दूसरा शख्स किफ़ल नाम का है, वह जुल्किफ़ल जिनका ज़िक्र इस आयत में आया है वह नहीं। रिवायत यह है:-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी है और एक दो मर्तबा नहीं बल्कि सात मर्तबा से ज़ायद सुनी है, वह यह कि आपने फ़रमाया कि किफ़ल बनी इस्राईल का एक शख्स था जो किसी गुनाह से परहेज़ न करता था, उसके पास एक औरत आई उसने उसको साठ दीनार (गिन्नियाँ) दीं और हराम काम के लिये उसको राज़ी कर लिया। जब वह सोहबत करने के लिये बैठ गया तो यह औरत काँपने और रोने लगी, उसने कहा कि रोने की क्या बात है? क्या मैंने तुम पर कोई ज़बरदस्ती की है? उसने कहा नहीं! ज़बरदस्ती तो नहीं की लेकिन यह ऐसा गुनाह है जो मैंने कभी उम्र भर नहीं किया और इस वक़्त मुझे अपनी ज़रूरत ने मजबूर कर दिया इसलिये इस पर तैयार हो गयी। यह सुनकर वह शख्स उसी हालत में औरत से अलग होकर खड़ा हो गया और कहा कि जाओ ये दीनार भी तुम्हारे हैं और अब से किफ़ल भी कोई गुनाह नहीं करेगा। इतिफ़ाक़ यह हुआ कि उसी रात मैं किफ़ल का इन्तिक़ाल हो गया और सुबह उसके दरवाज़े पर ग़ैब से यह तहरीर लिखी हुई देखी गयी:

غَفَرَ اللَّهُ لِلْكَفْلِ

यानी अल्लाह ने किफ़ल को बख़्श दिया है।

अल्लामा इब्ने कसीर ने मुस्नद अहमद की यह रिवायत नक़ल करने के बाद कहा है कि इसको सिहा-ए-सिल्ला (हदीस की छह बड़ी किताबों) में से किसी ने रिवायत नहीं किया और इसकी सनद ग़रीब है और बहरहाल अगर रिवायत साबित भी है तो इसमें ज़िक्र किफ़ल का है जुल्किफ़ल का नहीं, यह कोई दूसरा शख्स मालूम होता है। दल्लाहु आलम

कलाम का खुलासा यह है कि जुल्किफ्ल हज़रत यसज़् अलैहिस्सलाम नबी के खलीफ़ा, नेक आदमी और अल्लाह के वली थे, उनके खास महबूब आमाल की बिना पर हो सकता है कि उनका ज़िक्र इस आयत में नबियों के साथ कर दिया गया, और यह भी कोई मुहाल नहीं मालूम होता कि शुरू में यह हज़रत यसज़् अलैहिस्सलाम के खलीफ़ा ही हों फिर हक़ तआला ने इनको नुबुव्वत का मर्तबा अता फ़रमा दिया हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

وَذَا الثُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُجَيِّبُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

व ज़न्नूनि इज़् ज़-ह-ब मुगाज़िबन्
फ़-ज़न्-न अल्लन्-नकिद-र अलैहि
फ़नादा फ़िज़्जुलुमाति अल्-ला इला-ह
इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु
मिनज़्ज़ालिमीन (87) फ़स्त-जब्ना
लहू व नज्जैनाहु मिनल्-गम्मि, व
कज़ालि-क नुन्जिल्-मुअ्मिनीन (88)

और मछली वाले को जब चला गया
गुस्सा होकर फिर समझा कि हम न पकड़
सकेंगे उसको, फिर पुकारा उन अंधेरो में
कि कोई हाकिम नहीं सिवाय तेरे तू बेऐब
है मैं था गुनाहगारों (में) से। (87) फिर
सुन ली हमने उसकी फ़रियाद और बचा
दिया उसको उस घुटन से और यूँ ही हम
बचा देते हैं ईमान वालों को। (88)

खुलासा-ए-तफसीर

और मछली वाले (पैग़म्बर यानी यूनस अलैहिस्सलाम के किस्से) का तज़क़िरा कीजिये जब वह (अपनी क़ौम से जबकि वह ईमान न लाई) ख़फ़ा होकर चल दिये, (और उनकी क़ौम पर अज़ाब टलने के बाद भी खुद वापस न आये और उस सफ़र के लिये हमारे हुक्म का इन्तिज़ार नहीं किया) और उन्होंने (अपने सोच-विचार और ख़याल से) यह समझा कि हम (इस चले जाने में) उन पर कोई पकड़ न करेंगे (यानी चूँकि इस चले जाने को उन्होंने अपने विचार और ख़याल से जायज़ समझा इसलिये वही का इन्तिज़ार न किया, लेकिन चूँकि वही की उम्मीद तक वही का इन्तिज़ार अम्बिया के लिये मुनासिब है और यह मुनासिब काम उनसे रह गया लिहाज़ा उनको यह आज़माईश पेश आई कि रास्ते में उनको कोई दरिया मिला और वहाँ कश्ती में सवार हुए, कश्ती चलते-चलते रुक गई, यूनस अलैहिस्सलाम समझ गये कि मेरा यह बिना इजाज़त चले आना नापसन्द हुआ उसकी वजह से यह कश्ती रुकी। कश्ती वालों से फ़रमाया कि मुझको दरिया में डाल दो, वे राज़ी न हुए गर्ज़ कि कुरा निकालने पर सब का इत्तिफ़ाक़ हुआ तब भी इन्हीं का नाम निकला, आख़िर इनको दरिया में डाल दिया और खुदा के हुक्म से इनको एक मछली ने निगल लिया। जैसा कि दुरै मन्सूर में हज़रत इब्ने

अब्बास की रिवायत से नकल किया गया है) पस इन्होंने अंधेरो में पुकारा (एक अंधेरा मछली के पेट का, दूसरा दरिया के पानी का दोनों गहरे अंधेरे जो बहुत से अंधेरो के कायम-मकाम, या तीसरा अंधेरा रात का, जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल दुर्रे मन्सूर में है। गर्ज़ कि उन अंधेरियों में दुआ की) कि (इलाही) आपके सिवा कोई माबूद नहीं (यह तौहीद है। आप सब कमियों से) पाक हैं, (यह पाकीज़गी बयान करना है) मैं बेशक कसूरवार हूँ। (यह इस्तिग़फ़ार है जिससे मकसद है कि मेरा कसूर माफ़ करके इस सख़्ती से निजात दीजिये) सो हमने उनकी दुआ कुबूल की और हमने उनको उस घुटन से निजात दी, (जिसका किस्सा सूर: सॉफ़ात में आयत 145 में मज़कूर है) और हम इसी तरह (और) ईमान वालों को (भी मुसीबत और परेशानी से) निजात दिया करते हैं (जबकि कुछ वक़्त ग़म में रखना मस्लेहत न हो)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَذَاتُ النَّوْنِ

हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरआने करीम ने सूर: यूनुस, सूर: अम्बिया फिर सूर: सॉफ़ात और सूर: नून में ज़िक्र फ़रमाया। कहीं उनका असल नाम ज़िक्र फ़रमाया है कहीं जुन्नून या साहिबुल-हूत के अलफ़ाज से ज़िक्र किया गया है। नून और हूत दोनों के मायने मछली के हैं। जुन्नून और साहिबुल-हूत का तर्जुमा है मछली वाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मर्ज़ी व तक्दीर से चन्द दिन मछली के पेट में रहने का अजीब व ग़रीब वाकिआ पेश आया था उसकी मुनासबत से उनको जुन्नून भी कहा जाता है और साहिबुल-हूत के अलफ़ाज से भी ताबीर किया गया।

हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा

तफ़सीर इब्ने कसीर में है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मूसल के इलाके की एक बस्ती नैनवा के लोगों की हिदायत के लिये भेजा गया था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको ईमान व नेक अमल की दावत दी, उन्होंने नाफ़रमानी और सरकशी से काम लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे नाराज़ होकर बस्ती से निकल गये और उनको कह दिया कि तीन दिन के अन्दर तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जायेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर निकल गये तो उनको फ़िक्र हुई कि अब अज़ाब आ ही जायेगा (और कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि अज़ाब की कुछ निशानियाँ उनको दिखाई भी दीं) तो उन्होंने अपने शिर्क व कुफ़्र से तौबा की और बस्ती के सब मर्द औरत और बच्चे जंगल की तरफ़ निकल गये और अपने मवेशी जानवरों और उनके बच्चों को भी साथ ले गये और बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया और सब ने रोने-गिड़गिड़ाने के साथ फ़रियाद शुरू की और ख़ूब रो-रोकर अल्लाह से पनाह माँगी। जानवरों के बच्चों ने जिनको उनकी माँओं से अलग कर दिया गया था अलग शोर व गुल किया। हक़ तआला ने उनकी सच्ची तौबा और रोने-गिड़गिड़ाने को कुबूल कर लिया और अज़ाब उनसे हटा दिया।

उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस इन्तिज़ार में रहे कि कौम पर अज़ाब आ रहा है, वह हलाक हो गयी होगी। जब उनको यह पता चला कि अज़ाब नहीं आया और कौम सही सालिम अपनी जगह है तो (उनको यह फ़िक्र लाहिक हुई कि अब मैं झूठा समझा जाऊँगा और कुछ रिवायतों में है कि उनकी कौम में यह रस्म जारी थी कि किसी का झूठा होना साबित हो जाये तो उसको क़त्ल कर दिया जाता था। तफ़्सीरे मज़हरी। इससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी जान का भी ख़तरा लग गया तो) यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में वापस जाने के बजाय किसी दूसरी जगह को हिज़रत करने के इरादे से सफ़र इख़्तियार किया। रास्ते में दरिया था उसको पार करने के लिये एक कश्ती में सवार हुए। इत्तिफ़ाक़ से कश्ती ऐसे भंवर में फंसी कि गर्क होने का ख़तरा लाहिक हो गया। मल्लाहों ने यह तय किया कि कश्ती में सवार लोगों में से एक को दरिया में डाल दिया जाये तो बाकी लोग डूबने से बच जायेंगे। इस काम के लिये कश्ती वालों के नाम पर कुर्आ अन्दाज़ी की गयी इत्तिफ़ाक़ से कुर्आ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकल आया (कश्ती वाले शायद इनकी बुजुर्गी से वाकिफ़ थे) इनको दरिया में डालने से इनकार किया और दोबारा कुर्आ डाला फिर भी उसमें नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला, उनको फिर भी संकोच हुआ तो तीसरी मर्तबा कुर्आ डाला फिर भी इन्हीं का नाम निकल आया। इसी कुर्आ अन्दाज़ी का ज़िक्र कुरआने करीम में दूसरी जगह इन अलफ़ाज़ से आया है:

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝

यानी कुर्आ अन्दाज़ी की गयी तो यूनुस अलैहिस्सलाम ही इस कुर्आ में मुतैयन हुए। उस वक़्त यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गये और अपने फ़ालतू कपड़े उतारकर अपने आपको दरिया में डाल दिया। उधर हक़ तआला ने अख़ज़र दरिया की एक मछली को हुक्म दिया वह दरियाओं को चीरती फाड़ती फ़ौरन यहाँ पहुँच गयी (जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है) और यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अन्दर ले लिया। अल्लाह तआला ने मछली को यह हिदायत फ़रमा दी थी कि न उनके गोशत को कोई नुक़सान पहुँचे न हड्डी को, यह तेरी गिज़ा नहीं बल्कि तेरा पेट चन्द दिन के लिये इनका क़ैदख़ाना है (यहाँ तक यह सब वाकिआ इब्ने कसीर की रिवायत में है सिवाय उन कलिमात के जो ब्रेकिट में लिये गये हैं, वो दूसरी किताबों से लिये हुए हैं) कुरआने करीम के इशारात और कुछ वज़ाहतों से इतना मालूम होता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बग़ैर अल्लाह तआला के स्पष्ट हुक्म के अपनी कौम को छोड़कर निकल जाना अल्लाह तआला के नज़दीक नापसन्द हुआ इसी पर नाराज़गी नाज़िल हुई और दरिया में फिर मछली के पेट में रहने की नौबत आई।

हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो कौम को तीन दिन के अन्दर अज़ाब आ जाने से डराया था ज़ाहिर यह है कि यह अपनी राय से नहीं बल्कि अल्लाह की वही से हुआ था, और उस वक़्त कौम को छोड़कर उनसे अलग हो जाना भी जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की पुरानी आदत व दस्तूर है ज़ाहिर यह है कि यह भी अल्लाह के हुक्म से हुआ होगा, यहाँ तक कोई बात ख़ता और चूक की जो नाराज़गी का सबब हो न थी, मगर जब कौम की सच्ची तौबा और रोने-गिड़गिड़ाने को अल्लाह तआला ने कुबूल फ़रमाकर उनसे अज़ाब हटा दिया उस वक़्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी

कौम में वापस न आना और हिजरत का सफर अपने इरादे से इख्तियार करना यह अपने इस इज्तिहाद (विचार व ख्याल) की बिना पर हुआ कि इस हालत में अगर मैं वापस अपनी कौम में गया तो झूठा समझा जाऊँगा और मेरी दावत बेअसर बेफायदा हो जायेगी, बल्कि अपनी जान का भी खतरा है। और अगर मैं उनको छोड़कर कहीं चला जाऊँ तो यह बात अल्लाह तआला के नजदीक काबिले पकड़ नहीं होगी। अपने इज्तिहाद (सोच व ख्याल) की बिना पर हिजरत का इरादा कर लेना और अल्लाह तआला के स्पष्ट हुक्म का इन्तिज़ार न करना अगरचे कोई गुनाह नहीं था मगर अल्लाह तआला को यूनस अलैहिस्सलाम का यह तरीका-ए-अमल पसन्द न आया कि वही (अल्लाह के हुक्म व पैगाम) का इन्तिज़ार किये बगैर एक फ़ैसला कर लिया, यह अगरचे कोई गुनाह नहीं था मगर बेहतर सूरत के खिलाफ़ ज़रूर हुआ। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह की बारगाह के खास बन्दों की शान बहुत बुलन्द होती है, उनको मिज़ाज पहचानने वाला होना चाहिये, उनसे इस मामले में मामूली कोताही होती है तो उस पर भी नाराज़गी और पकड़ होती है यही मामला था जिस पर नाराज़गी का इज़हार हुआ।

तफ़सीरे कुर्तुबी में कुशैरी से भी यह नक़ल किया है कि ज़ाहिर यह है कि यूनस अलैहिस्सलाम पर नाराज़गी व गुस्से की यह सूरत उस वक़्त पेश आई जबकि कौम से अज़ाब हट गया, उनको यह पसन्द न था और मछली के पेट में चन्द दिन रहना भी कोई अज़ाब देना नहीं बल्कि अदब सिखाने के तौर पर था जैसे अपने नाबालिग़ बच्चों पर तंबीह व डाँट उनको सज़ा व तकलीफ़ देना नहीं होता बल्कि उनको अदब सिखाना होता है ताकि वे आईन्दा एहतियात बरतें। (तफ़सीरे कुर्तुबी) वाकिआ समझ लेने के बाद उक्त आयतों के अलफ़ज़ की तफ़सीर देखिये।

ذَهَبَ مُغَاضِبًا.

यानी चले गये गुस्से में आकर। ज़ाहिर है कि मुराद इससे अपनी कौम पर गुस्सा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यही मन्कूल है और जिन हज़रात ने नाराज़गी और गुस्से की निस्बत रब की तरफ़ की है उनकी मुराद भी यह है कि अपने रब के लिये गुस्से में भरकर चल दिये और काफ़िरों व बदकारों से अल्लाह के लिये गुस्सा करना ईमान ही की पहचान है (जैसा कि तफ़सीरे कुर्तुबी और तफ़सीरे बहरे मुहीत में है)।

فَطَنَ اِنَّ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ.

लफ़ज़ 'नक्दिर' में लुगत के एतिबार से एक शुब्हा व संभावना यह है कि यह कुदरत से निकला हो तो मायने यह होंगे कि उन्होंने यह गुमान कर लिया कि हम उन पर कुदरत और काबू न पा सकेंगे ज़ाहिर है कि यह बात किसी पैग़म्बर से तो क्या किसी मुसलमान से भी इसका गुमान नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा समझना खुला कुफ़्र है इसलिये यहाँ यह मायने कतई नहीं हो सकते। दूसरा गुमान यह है कि यह क़द्र से निकला हो जिसके मायने तंगी करने के हैं जैसे कुरआने करीम में है:

اللّٰهُ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ.

यानी अल्लाह तआला बुसूत कर देता है रिज़्क में जिसके लिये चाहे और तंग कर देता है जिस

पर चाहे। तफ़सीर के इमामों में से हज़रत अता, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी और बहुत से उलेमा ने इस आयत के यही मायने लिये हैं और मुराद आयत की यह करार दी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अन्दाज़े व गुमान और ग़ौर व फ़िक्र करने से यह गुमान था कि इन हालात में अपनी क़ौम को छोड़कर कहीं चले जाने के बारे में मुझ पर कोई तंगी नहीं की जायेगी।

और तीसरा शुब्हा व संभावना यह भी है कि यह लफ़ज़ 'क़दीर' तक़दीर से निकला है जिसके मायने क़ज़ा और फैसला देने के हैं, तो आयत के मायने यह होंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह गुमान हो गया कि इस मामले में मुझ पर कोई गिरफ़्त और पकड़ नहीं होगी। तफ़सीर के इमामों में से हज़रत क़तादा, मुजाहिद और फ़र्रा ने इसी मायने को इख़्तियार किया है। बहरहाल पहले मायने का तो इस जगह कोई शुब्हा व गुमान नहीं, दूसरे या तीसरे मायने हो सकते हैं।

यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ हर शख्स के लिये हर ज़माने में हर मक़सद के लिये मक़बूल है

وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝

यानी जिस तरह हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को ग़म और मुसीबत से निजात दी इसी तरह हम सब मोमिनों के साथ भी यही मामला करते हैं जबकि वे सच्चे दिल से और इख़्वास के साथ हमारी तरफ़ मुतवज्जह हों और हम से पनाह माँगें। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत यूनुस की वह दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अन्दर की थी यानी:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़ालिमीन।

जो मुसलमान अपने किसी मक़सद के लिये इन कलिमात के साथ दुआ करेगा अल्लाह तआला उसको कुबूल फ़रमायेंगे। (रिवायत किया इसको सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इमाम अहमद और तिर्मिज़ी ने, और इमाम हाकिम ने इसे सही करार दिया है। मज़हरी)

وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصَدَقْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ

يَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝

व ज़-करिय्या इज़् नादा रब्बहू रब्बि

ला तज़रनी फ़रदं-व अन्-त

ख़ैरुल्-वारिसीन (89) फ़स्त-जब्ना

और ज़करिया को जब पुकारा उसने

अपने रब को, ऐ रब! न छोड़ तू मुझको

अकेला और तू है सबसे बेहतर वारिस।

(89) फिर हमने सुन ली उसकी दुआ

लहू व व-हब्ना लहू यह्या व
अस्लह्ना लहू जौजहू इन्नहुम् कानू
युसारिअ-न फिल्खैराति व यद्अूनना
र-गुबं-व र-हबन्, व कानू लना
खाशिअीन (90)

और बख्शा उसको यह्या और उ
दिया उसकी औरत को, वे लोग
भलाईयों पर और पुकारते थे हमको
उम्मीद से और डर से, और थे हमारे
आगे आजिज़। (90)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ज़करिया (अलैहिस्सलाम के किस्से) का तज़क़िरा कीजिये जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब! मुझको लावारिस मत रखियो (यानी मुझको बेटा दे दीजिए कि मेरा वारिस हो) और (यूँ तो) सब वारिसों से बेहतर (यानी असली वारिस) आप ही हैं। (इसलिए बेटा भी असली वारिस न होगा बल्कि एक वक़्त वह भी फ़ना हो जायेगा लेकिन उस ज़ाहिरी वारिस से कुछ दीनी फ़ायदे और लाभ हासिल हो जायेंगे इसलिये उसकी तलब है) सो हमने उनकी दुआ़ा कुबूल कर ली और हमने उनको यह्या (बेटा) अ़ता फ़रमाया और उनकी ख़ातिर उनकी बीबी को (जो कि बाँझ थीं औलाद के) काबिल कर दिया, ये सब (अम्बिया जिनका इस सूरात में ज़िक्र हुआ है) नेक कामों में दौड़ते थे, और उम्मीद व ख़ौफ़ के साथ हमारी इबादत किया करते थे, और हमारे सामने दबकर रहते थे।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम की इच्छा थी कि एक बेटा वारिस अ़ता हो, उसकी दुआ़ा माँगी मगर साथ ही यह भी अ़र्ज़ कर दिया कि 'अन्-त ख़ैरुल्-वारिसीन' कि बेटा मिले या न मिले हर हाल में आप तो बेहतर वारिस हैं। यह अदब की रियायत का पैग़म्बराना अन्दाज़ है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की असल तवज्जोह हक़ तआला की तरफ़ होनी चाहिये ग़ैरुल्लाह की तरफ़ उनकी तवज्जोह हो भी तो असल केन्द्र से न हटने पाये।

يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا.

वह रग़बत (शौक) व ख़ौफ़ यानी राहत और तकलीफ़ की हर हालत में अल्लाह तआला को पुकारते हैं। और इसके यह मायने भी हो सकते हैं कि वे अपनी इबादत व दुआ़ा के वक़्त उम्मीद व डर दोनों के बीच रहते हैं, अल्लाह तआला से कुबूल करने और सवाब की उम्मीद भी रहती है और अपने गुनाहों और कोताहियों की वजह से ख़ौफ़ भी। (तफ़सीरे कुर्तबी)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ⑩

वल्लती अह-सनत् फरजहा
फ-नफख्ना फीहा मिरसहिना व
जअल्नाहा वब्नहा आयतल्
लिल्आलमीन (91)

और वह औरत जिसने काबू में रखी
अपनी शहवत (जिन्सी इच्छा) फिर फूँक
दी हमने उस औरत में अपनी रूह और
किया उसको और उसके बेटे को निशानी
जहान वालों के वास्ते। (91)

खुलासा-ए-तफसीर

और उन बीबी (मरियम के किस्से) का भी तज़क़िरा कीजिये जिन्होंने अपनी आबरू को (मर्दों से) बचाया (निकाह से भी और नाजायज़ से भी) फिर हमने उनमें (जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूँक दी (जिससे उनको बिना शौहर के गर्भ रह गया) और हमने उनको और उनके बेटे (ईसा अलैहिस्सलाम) को दुनिया जहान वालों के लिये (अपनी कामिल कुदरत की) निशानी बना दिया (कि उनको देख-सुनकर समझ लें कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर कादिर है, वह बग़ैर बाप के भी औलाद पैदा कर सकता है और बग़ैर माँ और बाप के भी जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम)।

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝

وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رُجْعُونَ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝ وَحَرِّمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هُوَآءَ إِلَهَةً مَا وَّرَدُوهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا زَوْجُرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۝ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ
خَالِدُونَ ۝ لَا يَحْزَنُهُمُ الْقُزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا
كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्-
वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम्

ये लोग हैं तुम्हारे दीन के सब एक दीन
पर और मैं हूँ तुम्हारा रब सो मेरी बन्दगी

फ़ज़्बुदून (92) व त-क़त्तज़्
 अमूरहुम् बैनहुम्, कुल्लुन् इलैना
 राजिज़ून (93) ❀
 फ़-मंय्यज़् मल् मिनस्सालिहाति व
 हु-व मुअ्मिनुन् फ़ला कुफ़रा-न
 लिसअ् यिही व इन्ना लहू कातिबून
 (94) व हरामुन् अला क़रयतिन्
 अह्लक़नाहा अन्नहुम् ला यर्जिज़ून
 (95) हत्ता इज़ा फ़ुतिहत् यअ्जूजु व
 मअ्जूजु व हुम् मिन् कुल्लि
 ह-दबिय्-यन्सिलून (96) वक़्त-रबल्-
 वअ्दुल्-हक्कु फ़-इज़ा हि-य
 शाख़ि-सतुन् अब्सारुल्लज़ी-न
 क-फ़रू, या वैलना क़द् कुन्ना फ़ी
 ग़फ़लतिम्-मिन् हाज़ा बल् कुन्ना
 ज़ालिमीन (97) इन्नकुम् व मा
 तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि ह-सबु
 जहन्न-म, अन्तुम् लहा वारिदून (98)
 लौ का-न हाउला-इ आलि-हतम् मा
 व-रदूहा, व कुल्लुन् फ़ीहा ख़ालिदून
 (99) लहुम् फ़ीहा ज़फ़ीरुव्-व हुम्
 फ़ीहा ला यस्मअून (100)
 इन्नल्लज़ी-न स-बक़त् लहुम् मिन्नल्-
 हुस्ना उलाइ-क अन्हा मुबूअदून
 (101) ला यस्मअू-न हसी-सहा व

करो। (92) और टुकड़े-टुकड़े बाँट लिया
 लोगों ने आपस में अपना काम, सब
 हमारे पास फिर आयेंगे। (93) ❀
 सो जो कोई करे कुछ नेक काम और वह
 रखता हो ईमान सो बेकार न करेंगे उस
 की कोशिश को और हम उसको लिख
 लेते हैं। (94) और मुक़रर हो चुका हर
 बस्ती पर जिसको ग़ारत कर दिया हमने
 कि वे फिरकर नहीं आयेंगे। (95) यहाँ
 तक कि जब खोल दिये जायें याजूज और
 माजूज और वे हर ऊँची जगह से फिसलते
 चले आयें (96) और नज़दीक आ लगे
 सच्चा वायदा फिर उस दम ऊपर लगी रह
 जायें इनकार करने वालों की आँखें, हाय
 हमारी कमबख़्ती हम बेख़बर रहे इससे,
 नहीं! पर हम थे गुनाहगार। (97) तुम
 और जो कुछ तुम पूजते हो अल्लाह के
 सिवा ईधन है दोज़ख़ का, तुमको उस पर
 पहुँचना है। (98) अगर ये बुत पाबूद होते
 तो न पहुँचते उस पर और सारे उसमें
 हमेशा पड़े रहेंगे। (99) उनको वहाँ
 चिल्लाना है और वे उसमें कुछ न सुनेंगे।
 (100) जिनके लिये पहले से ठहर चुकी
 हमारी तरफ़ से नेकी वह उससे दूर रहेंगे।
 (101) नहीं सुनेंगे उसकी आहट और वे

हुम् फी मशत-हत् अन्फु सुहुम्
 ख़ालिदून (102) ला यस्ज़ुनुहुमुल्-
 फ़-ज़अुल्-अक्बरु व त-तलक्काहुमुल्-
 मलाइ-कतु, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी
 कुन्तुम् तूअदून (103) यौ-म
 नत्विस्समा-अ क-तय्यिस्-सिजिल्लि
 लिल्कुतुबि, कमा बदअना अव्व-ल
 ख़ल्किन् नुअीदुह्, वअदन् अलैना,
 इन्ना कुन्ना फ़ाअिलीन (104) व
 लफ़द् कतब्ना फ़िज़्ज़बूरि मिम्-
 बअदिज़्ज़िक्किर अन्नल्-अर्-ज़ यरिसुहा
 अ़िबादियस्सालिहून (105)

अपने जी के मज़ों में सदा रहेंगे। (102)
 न गुम होगा उनको इस बड़ी घबराहट में
 और लेने आयेंगे उनको फ़रिश्ते आज
 दिन तुम्हारा है जिसका तुमसे वायदा
 किया गया था। (103) जिस दिन हम
 लपेट लेंगे आसमान को जैसे लपेटते हैं
 तूमार में कागज़ जैसा सिर से बनाया था
 हमने पहली बार, फिर उसको दोहरायेंगे,
 वायदा ज़रूर हो चुका है हम पर हमको
 पूरा करना है। (104) और हमने लिख
 दिया है ज़बूर में नसीहत के बाद कि
 आख़िर ज़मीन पर मालिक होंगे मेरे नेक
 बन्दे। (105)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

यहाँ तक अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से और वाकिआत और उनके तहत में बहुत से उसूली और ऊपर के मसाईल का बयान था। उसूली- मसलन तौहीद व रिसालत और आख़िरत का अ़कीदा, सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में उसूल (बुनियादी बातें) संयुक्त और साझा हैं जो उनकी दावत की बुनियाद है जैसा कि उक्त वाकिआत में उन हज़रत की सब कोशिशों की धुरी अल्लाह तआला की तौहीद का मज़मून था। अगली आयतों में किस्सों के नतीजे और परिणाम के तौर पर तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) का सुबूत और शिर्क की बुराई का बयान है।

ख़ुलासा-ए-तफसीर

ऐ लोगो! (ऊपर जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तौहीद का तरीका व अ़कीदा मालूम हो चुका है) यह तुम्हारा तरीका है (जिस पर तुमको रहना वाजिब है) कि वह एक ही तरीका है (जिसमें किसी नबी और किसी शरीअत को मतभेद नहीं हुआ) और (हासिल उस तरीके का यह है कि) मैं तुम्हारा (वास्तविक) रब हूँ सो तुम मेरी इबादत किया करो। और (लोगों को चाहिए था कि जब यह साबित हो चुका कि तमाम अम्बिया, तमाम आसमानी किताबें और शरीअतें इसी तरीके की तरफ बुलाने वाली हैं तो वे भी इसी तरीके पर रहते मगर ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन के मामले में मतभेद पैदा कर लिया (मगर इसकी सज़ा देखेंगे, क्योंकि) सब हमारे पास आने वाले हैं (और आने के बाद हर एक को उसके अमल का बदला मिलेगा)।

सो जो शख्स नेक काम करता होगा और वह ईमान वाला भी होगा तो उसकी मेहनत बेकार जाने वाली नहीं, और हम उसको लिख लेते हैं (जिसमें भूल और ग़लती की संभावना नहीं रहती, उस लिखे हुए के मुताबिक़ उसको सवाब मिलेगा)। और (हमने जो यह कहा है कि सब के सब हमारे पास आने वाले हैं इसमें इनकारी लोग यह शुब्हा करते हैं कि दुनिया की इतनी उम्र गुज़र चुकी है अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मुर्दे ज़िन्दा हुए हों, उनका हिसाब हुआ हो। उनका यह शुब्हा इसलिए ग़लत है कि अल्लाह की तरफ़ लौटने के लिये कियामत का एक दिन मुकर्रर है उससे पहले कोई नहीं लौटता, यही वजह है कि) हम जिन बस्तियों को (अज़ाब से या मौत से) फ़ना कर चुके हैं उनके लिये यह बात (शरीअत के मना करने के मुताबिक़) नामुम्किन है कि वे (दुनिया में हिसाब किताब के लिये) फिर लौटकर आएँ (मगर यह न लौटना हमेशा के लिये नहीं बल्कि वायदा किये गये और निर्धारित वक़्त यानी कियामत तक है) यहाँ तक कि जब (यह निर्धारित वक़्त आ पहुँचेगा जिसका प्रारम्भिक सामान यह होगा कि) याजूज व माजूज (जिनका अब सिकन्दरी दीवार के ज़रिये रास्ता रुका हुआ है वे) खोल दिये जाएँगे और वे (अपनी संख्या के ज़्यादा होने की वजह से) हर बुलन्दी (जैसे पहाड़ और टीले) से निकलते (मालूम) होंगे। (अल्लाह की तरफ़ लौटने का सच्चा वादा) नज़दीक आ पहुँचा होगा, तो बस फिर एकदम से यह किस्सा होगा कि इनकार करने वालों की निगाहें फटी-की-फटी रह जाएँगी (और यूँ कहते नज़र आएँगे) कि हाय हमारी कमबख़्ती! हम इस (चीज़) से ग़फलत में थे, (फिर कुछ सोचकर कहेंगे कि इसको ग़फलत तो तब कहा जा सकता कि किसी ने हमें आगाह न किया होता) बल्कि (हकीकत यह है कि) हम ही कसूरदार थे।

(हासिल यह हुआ कि जो लोग कियामत में दोबारा ज़िन्दा होने के मुन्किर थे वे भी उस वक़्त उसके कायल हो जायेंगे। आगे मुशिकरों के लिये डाँट और सज़ा की धमकी है) बेशक तुम और जिनको तुम खुदा तआला को छोड़कर पूज रहे हो सब जहन्नम में झोंके जाओगे, (और) तुम सब उसमें दाख़िल होगे। (इसमें वे अम्बिया और फ़रिश्ते दाख़िल नहीं हो सकते जिनको दुनिया में कुछ मुशिकर लोगों ने खुदा और माबूद बना लिया था, क्योंकि उनमें एक शर्ई रुकावट मौजूद है कि वे उसके मुस्तहिक़ नहीं और न उनका इसमें कोई कसूर है। आगे आयत में 'जिनके लिये पहले से ठहर चुकी हमारी तरफ़ से नेकी..' से भी इस शुब्हे को दूर किया गया है। और यह बात समझने की है कि) अगर (ये तुम्हारे माबूद) वाकई माबूद होते तो इस (जहन्नम) में क्यों जाते, और (जाना भी ऐसा कि चन्द दिन के लिये नहीं बल्कि) सब (इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जा रही है) उसमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे। (और) उनका उसमें शोर होगा, और वहाँ (अपने शोरो-गुल में किसी की) कोई बात सुनेंगे भी नहीं।

(यह तो दोज़खियों का हाल हुआ और) जिनके लिये हमारी तरफ़ से भलाई तय हो चुकी है (और उसका ज़हूर उनके आमाल और कामों में हुआ) वे लोग उस (दोज़ख) से (इस क़द्र) दूर किए जाएँगे कि उसकी आहट भी न सुनेंगे, (क्योंकि ये लोग जन्नत में होंगे और जन्नत दोज़ख़ में बड़ी दूरी और फ़ासला है) और वे लोग अपनी दिल चाही चीज़ों में हमेशा रहेंगे। (और) उनको बड़ी घबराहट (यानी दूसरी बार सूर फूँकने से ज़िन्दा होने की हालत) गुम में न डालेगी, और (क़ब्र से निकलते ही) फ़रिश्ते उनका स्वागत करेंगे (और कहेंगे कि) यह है तुम्हारा वह दिन जिसका तुमसे वायदा किया जाता था।

(यह इज्जत व सम्मान का मामला और खुशख़बरी उनके लिये ज़्यादा खुशी व प्रसन्नता का सबब हो जायेगा और अगर किसी रिवायत से यह साबित हो जाये कि क़ियामत के हौल और ख़ौफ़ से कोई अलग और बाहर नहीं, वह सब को पेश आयेगा तो चूँकि नेक बन्दों के लिये उसका ज़माना बहुत थोड़ा होगा इसलिये वह न होने के बराबर है। और) वह दिन (भी) याद करने के क़ाबिल है जिस दिन हम (पहली बार सूर फूँकने के वक़्त) आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह लिखे हुए मज़मून का काग़ज़ लपेट लिया जाता है, (फिर लपेटने के बाद चाहे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाये या दूसरी बार के सूर फूँकने तक उसी हालत पर रहे, दोनों बातें मुम्किन हैं। और) हमने जिस तरह पहली बार पैदा करने के वक़्त (हर चीज़ की) शुरुआत की थी उसी तरह (आसानी से) उसको दोबारा (पैदा) कर देंगे, यह हमारे ज़िम्मे वायदा है, (और) हम ज़रूर (इसको पूरा) करेंगे।

और (ऊपर जो नेक बन्दों से सवाब व नेमत का वायदा हुआ है वह बहुत पुराना और ताकीद वाला वायदा है, चुनाँचे) हम (सब आसमानी) किताबों में लौह-ए-महफूज़ (में लिखने) के बाद लिख चुके हैं कि इस ज़मीन (यानी जन्नत) के मालिक मेरे नेक बन्दे होंगे (इस वायदे का पुराना होना तो इससे ज़ाहिर है कि लौह-ए-महफूज़ में लिखा हुआ है, और ताकीद इस बात से कि कोई आसमानी किताब इससे ख़ाली नहीं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥٥

इस जगह लफ़्ज़ हराम शरई तौर पर मुहाल व नामुम्किन के मायने में है। जिसका तर्जुमा खुलासा-ए-तफ़्सीर में नामुम्किन से किया गया है। और “ला यर्जिऊन” में अक्सर मुफ़स्सिरीन हज़रात के नज़दीक हर्फ़ ‘ला’ ज़ायद है और आयत के मायने यह हैं कि जो बस्ती और उसके आदमी हमने हलाक कर दिये हैं उनके लिये मुहाल (असंभव) है कि वे फिर लौटकर दुनिया में आ जायें। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने लफ़्ज़ हराम को इस जगह वाजिब के मायने में क़रार देकर ‘ला’ को अपने जाने-पहचाने मायने यानी मना करने के लिये रखा है और आयत का मतलब यह लिखा है कि वाजिब है उस बस्ती पर जिसको हमने अज़ाब से हलाक कर दिया है कि वे दुनिया में नहीं लौटेंगे। (तफ़्सीरे क़ुर्तुबी) आयत का मतलब यह है कि मरने के बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाता है। अगर कोई दुनिया में आकर नेक अमल करना चाहे तो इसका मौक़ा नहीं मिलेगा, अब तो सिर्फ़ क़ियामत के दिन की ज़िन्दगी होगी।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ٥٦

लफ़्ज़ ‘हत्ता’ पहले बयान हुए मज़मून से जुड़े होने की तरफ़ इशारा करता है। पहले गुज़री आयतों में यह कहा गया था कि जो लोग कुफ़्र पर मर चुके हैं उनका दोबारा दुनिया में ज़िन्दा होकर लौटना नामुम्किन है, इस असंभावना की हद यह बतलाई गयी कि दोबारा ज़िन्दा होकर लौटना नामुम्किन उस वक़्त तक है जब तक कि यह याजूज-माजूज का अक़िआ पेश न आ जाये जो क़ियामत की क़रीबी निशानी है जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत

है कि हम चन्द सहाबा एक दिन आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम तशरीफ़ लाये, मालूम फ़रमाया कि क्या तुम्हारे दरमियान किस चीज़ का चर्चा जारी है, हमने अर्ज किया कि क़ियामत का ज़िक्र कर रहे हैं, आपने फ़रमाया कि क़ियामत उस वक़्त तक कायम न होगी जब तक दस निशानियाँ उससे पहले ज़ाहिर न हो जायें। उन दस निशानियों में याजूज-माजूज का निकलना भी ज़िक्र फ़रमाया।

आयत में याजूज-माजूज के लिये लफ़्ज़ 'फ़ुतिहत्' यानी खोलना इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके ज़ाहिरी मायने यही हैं कि उस वक़्त से पहले वे किसी बन्दिश और रुकावट में रहेंगे, क़ियामत के करीबी वक़्त जब अल्लाह तआला को उनका निकलना मन्ज़ूर होगा तो वह बन्दिश रास्ते से हटा दी जायेगी। और क़ुरआने करीम से ज़ाहिर यह है कि यह रुकावट जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार है जो क़ियामत के करीब ख़त्म हो जायेगी, चाहे उससे पहले भी वह टूट चुकी हो मगर उनके लिये बिल्कुल रास्ता हमवार उसी वक़्त होगा। सूर: कहफ़ में याजूज-माजूज और जुल्करनैन की दीवार के स्थान और दूसरे संबन्धित मसाले पर तफ़सीली बहस हो चुकी है, वहाँ देख लिया जाये।

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

लफ़्ज़ 'हदब्' हर ऊँची जगह को कहा जाता है, वह बड़े पहाड़ हों या छोटे-छोटे टीले। सूर: कहफ़ में जहाँ याजूज-माजूज के स्थान (रहने की जगह) पर गुफ़्तगू की गयी है उससे मालूम हो चुका है कि उनकी जगह दुनिया के उत्तरी पहाड़ों के पीछे है, इसलिये निकलने के वक़्त उसी तरफ़ से पहाड़ों टीलों से उमण्डते हुए नज़र आयेंगे।

انّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

यानी तुम और तुम्हारे माबूद सिवाय अल्लाह के सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इस आयत में तमाम झूठे माबूद जिनकी नाजायज़ पूजा काफ़िरों के मुख़ालिफ़ गिरोहों ने दुनिया में की सब का जहन्नम में दाख़िल होना बयान फ़रमाया गया है, इस पर यह शुब्हा हो सकता है कि नाजायज़ इबादत तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों की भी की गयी है, तो सब के जहन्नम में जाने का क्या मतलब होगा? इसका जवाब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया है, उनकी रिवायत तफ़सीरे कुर्तुबी में इस तरह है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क़ुरआन की एक आयत ऐसी है जिसमें लोग शुब्हे करते हैं मगर अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि उसके मुताल्लिक़ लोग मुझसे सवाल नहीं करते, मालूम नहीं कि शुब्हों का जवाब उन लोगों को मालूम हो गया है इसलिये सवाल नहीं करते या उन्हें शुब्हे और जवाब की तरफ़ तवज्जोह ही नहीं हुई। लोगों ने अर्ज किया वह क्या है? आपने फ़रमाया कि वह आयत:

انّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ.....الخ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 98) है। जब यह आयत नाज़िल हुई तो कुरैश के काफ़िरों को सख़्त नागवार हुआ और कहने लगे कि इसमें तो हमारे माबूदों की सख़्त तौहीन की गयी है, वे लोग (अहले क़िताब के आलिम) इब्नुज्ज़बअरी के पास गये और उनसे शिकायत की, उसने कहा

कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो उनको इसका जवाब देता। उन लोगों ने पूछा कि आप क्या जवाब देते, उसने कहा कि मैं उनसे कहता कि ईसाई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की और यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे (क्या मज़ल्लाह वे भी जहन्नम में जायेंगे)। कुरैश के काफ़िर यह सुनकर बड़े खुश हुए कि वाकई यह बात तो ऐसी है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, इस पर अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई जो आगे आती है:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝

यानी जिन लोगों के लिये हमारी तरफ़ से भलाई और अच्छा नतीजा मुक़द्दर हो चुका है वे उस जहन्नम से बहुत दूर रहेंगे।

और इसी इब्नुज्ज़ब़री के मुताल्लिक कुरआन की यह आयत नाज़िल हुई:

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝

यानी जब इब्ने ज़ब़री ने हज़रत इब्ने मरियम (यानी हज़रत ईसा) की मिसाल पेश की तो आपकी कौम के लोग कुरैश खुशी से शोर मचाने लगे।

لَا يَخْزَنُهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ ۝

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि 'फ़-ज़अ-अकबर' (बड़ी घबराहट) से मुराद सूर का दोबारा फूँकना है जिससे सब मुर्दे ज़िन्दा होकर हिसाब के लिये खड़े होंगे कुछ हज़रत ने पहली बार के सूर फूँके जाने को 'फ़-ज़अ-अकबर' करार दिया है। इब्ने अरबी का कौल यह है कि सूर तीन बार फूँके जायेंगे- पहली बार का फूँकना 'नफ़्खा-ए-फ़ज़अ' होगा जिससे सारी दुनिया के लोग घबरा उठेंगे उसी को यहाँ 'फ़-ज़अ-अकबर' (बड़ी घबराहट) कहा गया है। दूसरी बार का फूँकना 'नफ़्खा-ए-सअक' होगा जिससे सब मर जायेंगे और फ़ना हो जायेंगे, तीसरी बार का फूँकना 'नफ़्खा-ए-बअस' होगा जिससे सब मुर्दे ज़िन्दा हो जायेंगे। इसके सुबूत में मुस्नद अबू यज़ला और बैहकी, अब्द बिन हुमैद, अबुशशैख़, इब्ने जरीर तबरी वगैरह से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम

يَوْمَ نَطْرَى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتَبِ ۝

लफ़ज़ 'सिजिल' के मायने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सहीफ़े (छोटी किताब) के मन्कूल हैं। अली बिन तल्हा, औफ़ी, मुजाहिद, क़तादा वगैरह ने भी यही मायने बयान किये हैं। इमाम इब्ने जरीर, इब्ने कसीर वगैरह ने भी इसी को इख़्तियार किया है। और 'कुतुब' इस जगह मक्तूब (लिखी गयी चीज़) के है मायने में है, मतलब ये कि आसमान को इस तरह लपेट दिया जायेगा जिस तरह कोई सहीफ़ा (पुस्तक व अख़बार) अपने अन्दर लिखी हुई तहरीर के साथ लपेट दिया जाता है (जैसा कि इब्ने कसीर का कौल है जिसको तफ़सीर रुहुल-मआनी में ज़िक्र किया गया है)।

सिजिल के मुताल्लिक दूसरी रिवायतें कि वह किसी शख़्स या फ़रिश्ते का नाम है मुहदिसीन के नज़दीक साबित नहीं (इमाम इब्ने कसीर ने इस पर तफ़सील से रोशनी डाली है) आयत के मफ़हूम के

मुताल्लिक सही बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला कियामत के दिन सब जमीनों और आसमानों को लपेटकर अपने हाथ में रखेंगे, इब्ने अबी हातिम ने अपनी सनद से हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला सातों आसमानों को उनके अन्दर की तमाम मख्लूक़ात के साथ और सातों जमीनों को उनकी तमाम मख्लूक़ात के साथ लपेट कर एक जगह कर देंगे और वो सब अल्लाह तआला के हाथ में एक राई के दाने की तरह होंगे।

(तफसीर इब्ने कसीर)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

लफज़ 'ज़बूर' 'जुबुर' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने किताब के हैं और 'ज़बूर' उस खास किताब का नाम भी है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इस जगह ज़बूर से क्या मुराद है इसमें विभिन्न कौल हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में यह है कि जिक्र से मुराद आयत में तौरात है और 'ज़बूर' से मुराद वो सब किताबें हैं जो तौरात के बाद नाज़िल हुई- इन्जील, ज़बूर और कुरआन (रिवायत किया है इसको इब्ने जरीर ने)। यही तफसीर इमाम जह्साक से भी मन्कूल है। और इब्ने ज़ैद ने फरमाया कि जिक्र से मुराद लौह-ए-महफूज़ है और ज़बूर से मुराद तमाम किताबें जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल हुई हैं। जुजाज ने इसी को इख्तियार किया है। (तफसीर रूहुल-मआनी)

'अल-अर्ज़'। इस जगह अर्ज़ (जमीन) से मुराद मुफ़सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक जन्नत की जमीन है। इमाम इब्ने जरीर ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से यह तफसीर नक़ल की है और यही तफसीर मुजाहिद, इब्ने जुबैर, इक्रिमा, सुदी और अबुल-आलिया से भी मन्कूल है। इमाम राजी रह. ने फरमाया कि कुरआन की एक दूसरी आयत इसी की ताईद करती है जिसमें फरमाया है:

وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ نَبَوًّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ.

(यानी सूर: जुमर की आयत नम्बर 74) और आयत में जो यह फरमाया कि इस अर्ज़ (जमीन) के वारिस नेक लोग होंगे, यह भी इसी का इशारा है कि अर्ज़ (जमीन) से जन्नत की जमीन मुराद हो। दुनिया की जमीन के वारिस तो मोमिन और काफ़िर सभी हो जाते हैं। साथ ही यह कि यहाँ सालिहीन (नेक लोगों) का जमीन का वारिस होना कियामत के जिक्र के बाद आया है और कियामत के बाद जन्नत की जमीन के सिवा कोई दूसरी जमीन नहीं। और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत यह भी है कि इस अर्ज़ (जमीन) से मुराद आम जमीन है, दुनिया की जमीन भी और जन्नत की जमीन भी। जन्नत की जमीन के तो नेक लोगों का तन्हा वारिस होना ज़ाहिर है, दुनिया की पूरी जमीन के वारिस होना भी एक वक़्त में नेक मोमिनों के लिये वायदा शुदा है जिसकी ख़बर कुरआने करीम की अनेक आयतों में दी गयी है। एक आयत में है:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(यानी सूर: आराफ़ की आयत नम्बर 128) एक दूसरी आयत में है:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ..... الخ

(यानी सूर: नूर की आयत नम्बर 55) तीसरी एक आयत में:

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

(यानी सूर: मोमिन की आयत नम्बर 51 में) नेक मोमिनों का दुनिया के आबादी वाले अक्सर हिस्से पर काबिज़ और वारिस होना एक मर्तबा दुनिया पहले देख चुकी है और लम्बे ज़माने तक यह सूरत कायम रही और फिर मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होने वाली है। (रुहुल-मअानी व इन्ने कसीर)

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غَبِيٍّ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ قَهْلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِن أُدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّكَ يَٰعَلْمُ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَيَٰعَلْمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝ وَإِن أُدْرِي لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاءٌ إِلَيَّ حِينٍ ۝ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

इन्-न फी हाज़ा ल-बलागल्-
लिकौमिन् आबिदीन (106) व मा
अरसलना-क इल्ला रहम-तल्-
लिल्आलमीन (107) कुल् इन्नमा
यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम्
इलाहुव्वाहिदुन् फ़-हल् अन्तुम्
मुस्लिमून (108) फ़-इन् तवल्लौ
फ़कुल् आजन्तुकुम् अला सवाइन्, व
इन् अद्री अ-करीबुन् अम् बअीदुम्
मा तूअदून. (109) इन्नहू यअलमुल्-
जह्-र मिनल्-कौलि व यअलमु मा
तक्तुमून (110) व इन् अद्री
लअल्लहू फित्-नतुल्-लकुम् व
मताअुन् इला हीन (111) का-ल

इसमें मतलब को पहुँचते हैं लोग बन्दगी
वाले। (106) और तुझको जो हमने भेजा
सो मेहरबानी कर-कर जहान के लोगों
पर। (107) तू कह मुझको तो हुक्म यही
आया है कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है
फिर क्या तुम हो हुक्म का पालन करने
वाले? (108) फिर अगर वे मुँह मोड़ें तो
तू कह दे मैंने ख़बर कर दी तुमको दोनों
तरफ़ बराबर, और मैं नहीं जानता नज़दीक
है या दूर है जो तुमसे वायदा हुआ।
(109) वह रब जानता है जो बात पुकार
कर करो और जानता है जो तुम छुपाते
हो। (110) और मैं नहीं जानता शायद देर
करने में तुमको जाँचना है और फ़ायदा
देना है एक वक़्त तक। (111) रसूल ने

रब्बिस्कुम् बिल्हकिक् व रब्बुनर्-
 रहमानुल्-मुस्तअानु अला मा
 तसिफून (112) ● ●

कहा ऐ रब! फैसला कर इन्साफ़ का, और
 हमारा रब रहमान है उसी से मदद
 माँगते हैं उन बातों पर जो तुम बतलाते
 हो। (112) ● ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

बिला शुब्हा इस (कुरआन या उसके हिस्से यानी उक्त सूक्त) में काफी मज़मून है उन लोगों के लिए जो बन्दगी करने वाले हैं। (और जो इबादत और फ़रमाँबरदारी से सरकशी करने वाले हैं यह हिदायत तो उनके लिये भी है मगर उनमें हिदायत की तलब नहीं, इसलिये इसके फ़ायदे से मेहरूम हैं) और हमने आपको और किसी बात के वास्ते (रसूल बनाकर) नहीं भेजा मगर दुनिया जहान के लोगों पर (अपनी) मेहरबानी करने के लिये (वह मेहरबानी यही है कि लोग रसूल से इन मज़ामीन को कुबूल करें और हिदायत के परिणाम और फल हासिल करें, और जो कुबूल न करे वह उसका कसूर है, उससे इस मज़मून के सही होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता)।

आप उन लोगों से (कलाम के खुलासे के तौर पर एक बार फिर) फ़रमा दीजिये कि मेरे पास तो (ईमान वालों और मुशिरकों के आपसी झगड़े के बारे में) सिर्फ़ यह वही आती है कि तुम्हारा (असली) माबूद एक ही माबूद है, तो (इसकी हक़ानियत साबित हो जाने के बाद) अब भी तुम मानते हो (या नहीं? यानी अब तो मान लो) फिर भी अगर ये लोग (उसके कुबूल करने से) नाफ़रमानी करें तो आप (हुज्जत पूरी करने के तौर पर) फ़रमा दीजिये कि मैं तुमको बहुत ही साफ़ इतिला कर चुका हूँ (जिसमें ज़रा बराबर कोई बात छुपी और अस्पष्ट नहीं रही, तौहीद और इस्लाम के हक़ होने की इतिला भी और उसके इनकार पर जो सज़ा मिलेगी वह भी साफ़-साफ़ बयान हो चुकी है, अब न मुझ पर हक़ की तल्लीग़ की कोई जिम्मेदारी बाकी रही न तुम्हारा कोई उज़्र बाकी रहा)। और अगर (इसके हक़ होने में तुमको इस वजह से शुब्हा हो कि जो सज़ा बतलाई गई है वह मिल क्यों नहीं जाती तो समझ लो कि सज़ा का मिलना तो यकीनी है मगर) मैं यह नहीं जानता कि जिस (सज़ा) का तुमसे वायदा हुआ है क्या वह करीब (ज़ाहिर होने वाली है) है या लम्बे (ज़माने में ज़ाहिर होने वाली) है, (अलबत्ता इसका आना और पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि) अल्लाह तअाला को (तुम्हारी) पुकार कर कही हुई बात की ख़बर है, और जो (बात) तुम दिल में रखते हो उसकी भी ख़बर है। और (अज़ाब में देरी से इसके न आने और ज़ाहिर न होने के धोखे में न रहना, यह देरी किसी मस्लेहत व हिक्मत से हो रही है) मैं नहीं जानता (कि वह मस्लेहत क्या है, हाँ इतना कह सकता हूँ कि) शायद (अज़ाब में यह देरी) तुम्हारे लिये इम्तिहान हो (कि शायद सचेत होकर ईमान ले आयेँ) और एक (सीमित) वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक फ़ायदा पहुँचाना हो (कि ख़ूब ग़फलत बढ़े और अज़ाब बढ़ता चला जाये। पहला मामला यानी इम्तिहान रहमत है और दूसरा मामला यानी उम्र लम्बी और उसकी सहूलतें देना यह सज़ा व अज़ाब है, और जब इन सब मज़ामीन से हिदायत न हुई तो) पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (अल्लाह के हुक्म से) कहा कि ऐ मेरे रब! (हमारे और हमारी क़ौम के बीच) फैसला

कर दीजिये (जो कि हमेशा) हक़ के मुवाफ़िक़ (हुआ करता है। मतलब यह है कि अमली फैसला फ़रमा दीजिये कि मुसलमानों से जो फ़तह व मदद के वायदे हैं वो ज़ाहिर कर दीजिए ताकि उन पर और ज़्यादा हुज्जत पूरी हो जाये) और (पैग़म्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने काफ़िरों से यह भी फ़रमाया कि) हमारा रब हम पर बड़ा मेहरबान है, जिससे उन बातों के मुकाबले में मदद चाही जाती है जो तुम बनाया करते हो (कि मुसलमान जल्दी नेस्त व नाबूद हो जायेंगे यानी हम उसी मेहरबान रब से तुम्हारे मुकाबले में मदद चाहते हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

'आलमीन' आलम की जमा (बहुवचन) है जिसमें सारी मख़्लूक़ात इनसान, जिन्नात, हैयानात, पेड़-पौधे और बेजान चीज़ें सभी दाख़िल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इन सब चीज़ों के लिये रहमत होना इस तरह है कि तमाम कायनात की असली रूह अल्लाह का ज़िक़्र और उसकी इबादत है। यही वजह है कि जिस वक़्त ज़मीन से यह रूह निकल जायेगी और ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला न रहेगा तो सब चीज़ों की मौत यानी क़ियामत आ जायेगी, और जब अल्लाह के ज़िक़्र और इबादत का इन सब चीज़ों की रूह होना मालूम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इन सब चीज़ों के लिये रहमत होना खुद-ब-खुद ज़ाहिर हो गया। क्योंकि इस दुनिया में क़ियामत तक ज़िक़्रुल्लाह और इबादत आप ही के दम क़दम और तालीमात से कायम है, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है 'अ-न रहमतुन् मुहदातुन' में अल्लाह की तरफ़ से भेजी हुई रहमत हूँ। (इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से इमाम इब्ने असाकिर ने नक़ल किया है) और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

انارحمة مهداة برفع قوم وخفض اخرين.

यानी मैं अल्लाह की भेजी हुई रहमत हूँ ताकि (अल्लाह के हुक्म मानने वाली) एक क़ौम को सर बुलन्द कर दूँ (इज़्ज़त वाली बना दूँ) और दूसरी क़ौम (जो अल्लाह का हुक्म मानने वाली नहीं उनको) पस्त कर दूँ। (तफ़सीर इब्ने कसीर) इससे मालूम हुआ कि कुफ़्र व शिर्क को मिटाने के लिये काफ़िरों को पस्त करना और उनके मुकाबले में जिहाद करना भी रहमत ही है जिसके ज़रिये नाफ़रमानों और सरकशों को होश आकर ईमान और नेक अमल का पाबन्द हो जाने की उम्मीद की जा सकती है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: अम्बिया की तफ़सीर ज़िलहिज्जा की चौबीसवीं रात सन् 1390 हिजरी को इशा के वक़्त पूरी हुई। अल्लाह तआला तफ़सीर का बाकी काम भी अपने फ़ज़ल व करम से पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: अम्बिया की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूर: हज

सूर: हज मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 78 आयतें और 10 रुकूअ हैं।

أَيَّانَهَا ٤٨ (٢٢) سُورَةُ الْحَجِّ مَدِينَتُهُ (١٠٣) ذِكْرَانِهَا ١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम् इन्-न
ज़ल्ज़-लतस्सा-अति शैउन् अज़ीम
(1) यौ-म तरौनहा तज़हलु कुल्लु
मुर्जि-अतिन् अम्मा अरज़-अत् व
त-ज़अु कुल्लु ज़ाति-हम्लिन् हम्लहा
व तरन्ना-स सुकारा व मा हुम्
बिसुकारा व लाकिन्-न अज़ाबल्लाहि
शदीद (2)

लोगो! डरो अपने रब से बेशक भूचाल
क़ियामत का एक बड़ी चीज़ है। (1)
जिस दिन उसको देखोगे भूल जायेगी हर
दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाये को
और डाल देगी हर पेट वाली अपना पेट
और तू देखे लोगों पर नशा और उन पर
नशा नहीं पर आफ़त अल्लाह की सख़्त
है। (2)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! अपने रब से डरो (और ईमान व फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करो क्योंकि) यकीनन क़ियामत (के दिन) का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी (जिसका आना ज़रूरी है। उस दिन की सख़्तियों से बचने की अब फ़िक्र करो जिसका तरीका परहेज़गारी है। आगे उस ज़लज़ले की शिद्दत का बयान है) जिस दिन तुम लोग उस (ज़लज़ले) को देखोगे उस दिन (यह हाल होगा कि) तमाम दूध पिलाने वालियाँ (डर और दहशत की वजह से) अपने दूध पीते (बच्चे) को भूल जाएँगी और तमान

हमल "यानी गर्भ" वालियाँ अपने हमल (दिन पूरे होने से पहले) डाल देंगी। और (ऐ मुखातब!) तुझको लोग नशे जैसी हालत में दिखाई देंगे हालाँकि वे नशे में न होंगे, (क्योंकि वहाँ किसी नशे की चीज़ इस्तेमाल करने की कोई संभावना व गुमान ही नहीं) लेकिन अल्लाह का अज़ाब है ही सख्त चीज़ (जिसके ख़ौफ़ की वजह से उनकी हालत नशे वाले के जैसी हो जायेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत की विशेषतायें

इस सूरत के मक्की या मदनी होने में मुफ़स्सिरीन का मतभेद है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ही से दोनों रिवायतें मन्कूल हैं। मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत का कौल यह है कि यह सूरत मक्की और मदनी दोनों तरह की आयतों को शामिल है। इमाम कुर्तुबी ने इसी को ज़्यादा सही करार दिया है। साथ ही फ़रमाया कि इस सूरत के अज़ीब बातों में से यह बात है कि इसकी आयतों का नुज़ूल (उतरना) कुछ का रात में, कुछ का दिन में, कुछ का सफ़र में, कुछ का हज़र (वतन में रहने की हालत) में, कुछ का मक्का में, कुछ का मदीना में, कुछ का जंग व जिहाद के वक़्त और कुछ का सुलह व अमन की हालत में हुआ है, और इसमें कुछ आयतें नासिख़ (अहकाम को निरस्त करने वाली) हैं और कुछ मन्सूख़ (निरस्त होने वाली), कुछ मोहकम (आसानी से समझ में आने वाली) हैं कुछ मुतशाबे (यानी जिनका मतलब हर एक नहीं समझ सकता) क्योंकि नाज़िल होने की तमाम किस्मों पर आधारित है।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सफ़र की हालत में नाज़िल हुई तो आपने बुलन्द आवाज़ से इसकी तिलावत शुरू फ़रमाई। सफ़र के साथी सहाबा-ए-किराम हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज़ सुनकर जमा हो गये। आपने सहाबा-ए-किराम को ख़िताब करके फ़रमाया कि कियामत का ज़लज़ला जिसका ज़िक्र इस आयत में है आप जानते हैं कि किस दिन में होगा? सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह और रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया कि यह वह दिन होगा जिसमें अल्लाह तआला आदम अलैहिस्सलाम से ख़िताब करके फ़रमायेंगे कि जहन्नम में जाने वालों को उठाईये। आदम अलैहिस्सलाम मालूम करेंगे कि वे जहन्नम में जाने वाले कौन लोग हैं? तो हुक्म होगा कि हर एक हज़ार में नौ सौ निन्नानवे, और फ़रमाया कि यही वह वक़्त होगा कि हौल और ख़ौफ़ से बच्चे बूढ़े हो जायेंगे और हमल वाली औरतों का हमल (गर्भ) गिर जायेगा। सहाबा-ए-किराम यह सुनकर सहम गये और पूछने लगे फिर या रसूलुल्लाह हम में से वह कौन होगा जो निजात पाये तो फ़रमाया कि तुम बेफ़िक्र रहो जहन्नम में जाने वाले याजूज माजूज में से एक हज़ार और तुम में से एक होगा। यह भज़मून सही मुस्लिम वगैरह की रिवायतों में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है। और कुछ रिवायतों में है कि उस दिन तुम ऐसी दो मख़्लूकों के साथ होगे कि वो जब किसी जमाअत के साथ हों तो वही तायदाद में ग़ालिब और

अक्सर रहेंगे— एक याजुज माजुज और दूसरे इब्लीस और उसकी नस्ल व औलाद, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो लोग पहले मर चुके हैं (इसलिये नौ सौ निन्नानवे में बड़ी तायदाद उन्हीं की होगी)। तफसीरे कुर्तुबी वगैरह में ये सब रिवायतें नक़ल की हैं।

क़ियामत का ज़लज़ला कब होगा?

क़ियामत कायम होने और लोगों के दोबारा ज़िन्दा होने के बाद या उससे पहले, कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह क़ियामत से पहले इसी दुनिया में होगा और क़ियामत की आखिरी निशानी में शुमार होगा जिसका ज़िक्र कुरआने करीम की बहुत सी आयतों में आया है:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا

(यानी सूर: ज़लज़ल आयत 1, सूर: हाक्कह आयत 14, सूर: वाकिआ आयत 4) वगैरह। और कुछ हज़रात ने उक्त हदीस जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को खिताब करने का ज़िक्र है उससे दलील पकड़ते हुए यह क़रार दिया है कि यह ज़लज़ला हशर व नशर और दोबारा ज़िन्दा होने के बाद होगा। और हकीकत यह है कि दोनों में कोई टकराव नहीं। क़ियामत से पहले ज़लज़ला होना भी कुरआन की आयतों और सही हदीसों से साबित है और हशर व नशर के बाद होना इस ऊपर बयान हुई हदीस से साबित है। वल्लाहु आलम

क़ियामत के इस ज़लज़ले की जो कैफ़ियत आगे आयत में ज़िक्र की गयी है कि तमाम हमल (गर्भ) वाली औरतों के हमल गिर जायेंगे और दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को भूल जायेंगी। अगर यह ज़लज़ला इसी दुनिया में क़ियामत से पहले है तो ऐसा वाकिआ पेश आने में कोई शुब्हा व इश्काल नहीं और अगर दोबारा ज़िन्दा होकर उठने और क़ियामत के बाद है तो इसका मतलब यह होगा कि जो औरत इस दुनिया में गर्भ की हालत में मरी है क़ियामत के दिन उसी हालत में उसका हशर होगा (यानी वह ज़िन्दा होकर उठेगी) और जो दूध पिलाने के ज़माने में मर गयी है वह इसी तरह बच्चे के साथ उठाई जायेगी (जैसा कि तफ़सीरे कुर्तुबी में लिखा है)। वल्लाहु आलम

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَآتَاهُ يَصِغُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ مِّن مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مَن عَاقَبْتُمْ ثُمَّ مَن
مُّضَغَةٍ مَّخْلُوقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُوقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَّسْمًى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُنَّ أَشَدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ
أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمِ شَيْءٍ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

الْمَاءِ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيحٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝ ثَانِي عَظِيمٍ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ۝

व मिनन्नासि मय्युजादिलु फिल्लाहि
बिगैरि अलिम्व-व यत्तबिअु कुल्-ल
शैतानिम्-मरीद (3) कुति-ब अलैहि
अन्नहू मन् तवल्लाहु फ-अन्नहू
युजि ल्लुहू व यहदीहि इला
अजाबिस्सअीर (4) या अय्युहन्नासु
इन् कुन्तुम् फी रैबिम् मिनल्-बअसि
फ-इन्ना खलक्नाकुम् मिन् तुराबिन्
सुम्-म मिन् नुत्फतिन् सुम्-म मिन्
अ-ल-कतिन् सुम्-म मिम्-मुज्गतिम्
मुखल्ल-कतिव्-व गैरि मुखल्ल-कतिल्
लिनुबय्यि-न लकुम्, व नुकिरु फिल्-
अरहामि मा नशा-उ इला अ-जलिम्-
मुसम्भन् सुम्-म नुख्रिजुकुम् तिफलन्
सुम्-म लितब्लुगू अशुद्दकुम् व
मिन्कुम् मय्यु-तवफ्फा व मिन्कुम्
मय्युरद्दु इला अरजलिन्-अमुरि
लिकैला यअल्-म मिम्-बअदि
अलिमिन् शैअन्, व तरल्लअर्-ज

और बाजे लोग वे हैं जो झगड़ते हैं
अल्लाह की बात में बेखबरी से और पैरवी
करता है हर शैतान सरकश की। (3)
जिसके हक में लिख दिया गया है कि जो
कोई उसका साथी हो सो वह उसको
बहकाये और ले जाये अजाब में दोख
के। (4) ऐ लोगो! अगर तुमको धोखा है
जी उठने में तो हमने तुमको बनाया मिट्टी
से फिर कतरे से फिर जमे हुए खून से
फिर गोशत की बोटी नक्शा बनी हुई से
और बिना नक्शा बनी हुई से इस वास्ते
कि तुमको खोलकर सुना दें, और ठहरा
रखते हैं हम पेट में जो कुछ चाहें एक
निर्धारित वक्त तक फिर तुमको निकालते
हैं लड़का, फिर जब तक कि पहुँचो अपनी
जवानी के जोर को, और कोई तुम में से
कब्जा कर लिया जाता है और कोई तुम
में से फिर चलाया जाता है निकम्मी
तक ताकि समझने के बाद कुछ न स
लगे, और तू देखता है

हामि-दतन् फ-इजा अन्जल्ला अलैहल्
 मा-अस्तज्जत् व रबत् व अम्ब-तत्
 मिन् कुल्लि ज़रैजिम्-बहीज (5)
 ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल-हक्कु
 व अन्नहू युहियल्-मौता व अन्नहू
 अला कुल्लि शैइन् कदीर (6) व
 अन्नस्सा-अ-त आति-यतुल्-ला रै-ब
 फीहा व अन्नल्ला-ह यब्असु मन्
 फि लकुबूर (7) व मिनन्नासि
 मय्युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि
 अलिम्व-व ला हुदव्व-व ला
 किताबिम्-मुनीर (8) सानि-य
 अतिफ़ही लियुज़िल्-ल अन्
 सबीलिल्लाहि, लहू फिदुन्या
 खिज़्युव्व-व नुज़ीकुहू यौमल्-
 कियामति अज़ाबल्-हरीक (9)
 ज़ालि-क बिमा कद्-मत् यदा-क व
 अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल्-
 लिअबीद (10) ❀

खराब पड़ी हुई फिर जहाँ हमने उतारा
 उस पर पानी ताज़ी हो गयी और उमरी
 और उगाई हर किस्म किस्म रौनक की
 चीज़ें। (5) यह सब कुछ इस वास्ते कि
 अल्लाह वही है हस्ती में कामिल और वह
 जिलाता है मुर्दों को और वह हर चीज़
 कर सकता है। (6) और यह कि कियामत
 आनी है इसमें धोखा नहीं और यह कि
 अल्लाह उठायेगा कब्रों में पड़े हुएों को।
 (7) और बाज़ा शख्स वह है जो झगड़ता
 है अल्लाह की बात में बगैर जाने और
 बगैर दलील और बिना रोशन किताब के।
 (8) अपनी करवट मोड़कर ताकि बहकाये
 अल्लाह की राह से, उसके लिये दुनिया में
 रुस्वाई है और चखायेंगे हम उसको
 कियामत के दिन जलन की मार। (9) यह
 इसकी वजह से जो आगे भेज चुके तैरे
 दो हाथ और इस वजह से कि अल्लाह
 नहीं जुल्म करता बन्दों पर। (10) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और बाज़े आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में (यानी उसकी ज़ात या सिफ़ात या कामों के बारे में) बिना जाने-बूझे झगड़ा करते हैं और हर शैतान सरकश के पीछे हो लेते हैं (यानी गुमराही की ऐसी काबलियत है कि जो शैतान जिस तरह बहकाये उसके बहकाने में आ जाता है, पर उस शख्स में इन्तिहाई दर्जे की गुमराही हुई कि उस पर हर शैतान की पहुँच हो जाती है) जिसके बारे में (खुदा के यहाँ से) यह बात लिखी जा चुकी है (और तय हो चुकी है) कि जो शख्स उससे ताल्लुक रखेगा (यानी

जुल्म में निवृत्त जान बत बड़ी कर्म फूल घास स्पष्ट फल और (यह और बया होत अल

उसका कहना मानेगा) तो उसका काम ही यह है कि वह उसको (हक़ रास्ते से) बेराह कर देगा, और उसको दोज़ख़ के अज़ाब का रास्ता दिखला देगा। (आगे उन झगड़ने वालों को खिताब है कि) ऐ लोगो! अगर तुम (क़ियामत के दिन) दोबारा ज़िन्दा होने (की संभावना) से शक (व इनकार) में हो तो (ज़रा इस आगे आने वाले मज़मून में गौर कर लो ताकि शक दूर हो जाये और वह यह कि) हमने (पहले) तुमको मिट्टी से बनाया (क्योंकि ग़िज़ा जिससे नुत्फ़ा बनता है पहले अनासिर "तत्वों") से पैदा होती है जिसमें एक अंश मिट्टी भी है) फिर नुत्फ़े से (जो कि ग़िज़ा से पैदा होता है) फिर खून के लोथड़े से (कि नुत्फ़े में गाढ़ापन और सुर्खी आने से हासिल होता है) फिर बोटी से (कि जमे हुए खून में सख्ती आ जाने से हासिल होता है) कि (बाज़ी) पूरी होती है (कि उसमें पूरे अंग बन जाते हैं) और (बाज़ी) अधूरी भी (होती है कि कुछ अंग नाकिस रह जाते हैं। यह इस तरह की बनावट और तरतीब और फ़र्क से इसलिए बनाया) ताकि हम तुम्हारे सामने (अपनी कुदरत) ज़ाहिर कर दें (और इसी से ज़ाहिर है कि वह दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है) और (इस मज़मून का आखिरी हिस्सा यह है जिससे और ज़्यादा कुदरत ज़ाहिर होती है कि) हम (माँ के) रहम में जिस (नुत्फ़े) को चाहते हैं एक निर्धारित मुद्दत (यानी पैदाईश के वक़्त) तक ठहराये रखते हैं (और जिसको ठहराना नहीं चाहते हैं वहाँ गर्भपात हो जाता है) फिर (उस निर्धारित मुद्दत के बाद) हम तुमको बच्चा बनाकर (माँ के पेट से) बाहर लाते हैं, फिर (उसके बाद तीन किस्में हो जाती हैं एक किस्म यह कि तुम में से कुछ को जवानी तक मोहलत देते हैं) ताकि तुम अपनी भरी जवानी (की उम्र) तक पहुँच जाओ, और बाज़े तुम में वे भी हैं जो (जवानी से पहले ही) मर जाते हैं (यह दूसरी किस्म हुई), और बाज़े तुम में वे हैं जो निकम्मी उम्र (यानी ज़्यादा बुढ़ापे) तक पहुँचा दिये जाते हैं, जिसका असर यह है कि एक चीज़ के जानकार होकर फिर बेख़बर हो जाते हैं (जैसा कि अक्सर बूढ़ों को देखा गया है कि अभी एक बात बतलाई और अभी फिर पूछ रहे हैं। यह तीसरी किस्म हुई। ये सब अहवाल भी अल्लाह तआला की बड़ी कुदरत की निशानियाँ हैं)।

(एक दलील पकड़ना तो यह था) और (आगे दूसरा दलील लेना यह है कि) ऐ मुख़तब! तू ज़मीन को देखता है कि सूखी (पड़ी) है, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती है और फूलती है, और हर किस्म (यानी किस्म-किस्म) की खुशनुमा नबातात "यानी पेड़-पौधे और सब्जियाँ व घास वगैरह" उगाती है (सो यह भी दलील है कामिल कुदरत की। आगे इस दलील पकड़ने को और स्पष्ट करने के लिये उक्त कुदरत व इख़्तियार इस्तेमाल करने की वजह और हिक्मत का बयान फरमाते हैं यानी) यह (जो कुछ ऊपर दोनों दलीलें हासिल करने के तहत में उक्त चीज़ों का बनाना और ज़ाहिर करना बयान हुआ यह सब) इस सबब से हुआ कि अल्लाह तआला ही हस्ती में कामिल है (यह तो उसका ज़ाती कमाल है), और वही बेजानों में जान डालता है (यह उसका फ़ेती कमाल है), और वही हर चीज़ पर कादिर है (यह उसका सिफ़ाती कमाल है और ये तीनों चीज़ें मिलकर ऊपर बयान हुए मामलों की इल्लत और सबब हैं, क्योंकि अगर इन तीनों कमालात में से एक भी ज़ाहिर न होता और वजूद में न आता तो पैदा करना और बनाना न पाया जाता, जैसा कि ज़ाहिर है)।

और (साथ ही इस सबब से हुआ कि) क़ियामत आने वाली है इसमें ज़रा भी शुब्हा नहीं, और अल्लाह तआला (क़ियामत में) क़द्द वालों को दोबारा पैदा कर देगा। (ये ज़िक्र हुई बातों की हिक्मत हैं

यानी हमने वो उक्त उलट-फेर, अपनी कुदरत की निशानियाँ और इख्तियारात इसलिये जाहिर किये कि उसमें अन्य हिक्मतों के अलावा एक हिक्मत और वजह यह थी कि हमको कियामत का लाना और मुर्दों को जिन्दा करना मन्जूर था तो इन इख्तियारात व कुदरतों से उनका संभव होना लोगों पर जाहिर हो जायेगा। पस उक्त चीजों को बनाने और सामने लाने की तीन इल्लतें और दो हिक्मतें बयान हुई और आम मायने में होने के कारण सबब आम हुआ इसलिए 'बि-अन्नल्ला-ह' की सबब वाली 'बा' सब पर दाखिल हो गई) और (यहाँ तक तो झगड़ने और बहस करने वालों की गुमराही और उसके रद्द में दलील पेश करने का जिक्र था आगे उनका दूसरों को गुमराह करना और दोनों चीजों यानी गुमराह होने और गुमराह करने का जबरदस्त वबाल होने का जिक्र होता है) बाजे आदमी ऐसे होते हैं कि अल्लाह के बारे में (यानी उसकी ज़ात या सिफ़ात या कामों के बारे में) बिना जानकारी (यानी ज़रूरी इल्म) के और बिना दलील (यानी अक्ली तौर पर दलील लाने) और बिना किसी रोशन किताब (यानी किताबी दलील लाने) के (और दूसरे सही इल्म रखने वालों की पैरवी और अनुसरण से) तकब्बुर करते हुए झगड़ा करते हैं ताकि (दूसरे लोगों को भी) अल्लाह की राह से (यानी हक़ दीन से) बेराह कर दें, ऐसे शख्स के लिये दुनिया में रुस्वाई है (चाहे किसी किस्म की रुस्वाई हो, चुनाँचे बाजे गुमराह लोग क़त्ल व कैद वगैरह के ज़रिये ज़लील होते हैं बाजे अहले हक़ के साथ मुनाज़रे में पराजित होकर अक्लमन्दों की नज़र में बेइज़्जत होते हैं) और कियामत के दिन हम उसको जलती आग का अज़ाब चखाएँगे (और उससे कहा जायेगा) कि यह तेरे हाथ के किये हुए कामों का बदला है, और यह बात साबित ही है कि अल्लाह तआला (अपने) बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं (पस तुझको बिना जुर्म के सज़ा नहीं दी गई)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

यह आयत नज़र बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई जो बड़ा झगड़ालू था, फ़रिश्तों को खुदा तआला की बेटियाँ और कुरआन को पिछले लोगों के अफ़साने कहा करता था, और कियामत और दोबारा जिन्दा होने का इनकारी था (जैसा कि इब्ने अबी हातिम ने अबू मालिक की रिवायत से नक़ल किया है। तफ़सीरे मज़हरी)।

यह आयत अगरचे एक खास शख्स के बारे में नाज़िल हुई मगर इसका हुक्म सब के लिये आम है जिसमें इस तरह की बुरी ख़स्ततें पाई जायें।

माँ के पेट में इनसानी बनावट के दर्जे और विभिन्न हालात

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

इस आयत में माँ के पेट के अन्दर इनसान की तख़लीक़ (बनावट व पैदाईश) के विभिन्न दर्जों का बयान है। इसकी तफ़सील सही बुख़ारी की एक हदीस में है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद

ज्ञाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया और वह सच वाले और सच्चे सपने जाने वाले हैं, कि इनसान का मादा चालीस दिन तक रहम (गर्भ) में इता है, फिर चालीस दिन के बाद अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है, फिर चालीस ही दिन में वह मुजगा यानी गोश्त बन जाता है, उसके बाद अल्लाह तआला की तरफ से एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूँक देता है और उसके मुताल्लिक चार बातें उसी वक़्त फरिश्ते को लिखवा दी जाती हैं— अब्बल यह कि उसकी उम्र कितनी है? दूसरे रिज्क कितना है? तीसरे अमल क्या-क्या करेगा? चौथे यह कि अन्जामकार यह शकी और बदबख्त होगा या सईद व खुशनसीब।

(तफसीरे कुर्तुबी)

एक दूसरी एक रिवायत में जिसको इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत किया है उसमें यह भी है कि नुत्फ़ा (वीर्य का कतरा) जब कई दौर से गुज़रने के बाद गोश्त का लोथड़ा बन जाता है तो उस वक़्त वह फरिश्ता जो हर इनसान की तख़लीक (बनाने और वजूद में लाने) पर मामूर है वह अल्लाह तआला से मालूम करता है:

يَا رَبِّ مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ.

(यानी इस गोश्त के लोथड़े से इनसान का पैदा करना आपके नज़दीक मुक़द्दर है या नहीं) अगर अल्लाह तआला की तरफ से यह जवाब मिलता है कि यह पैदा होने वाला नहीं है तो रहम उसको गिरा देता है, उसकी बनावट दूसरे चरणों तक नहीं पहुँचती, और अगर हुक्म होता है कि यह पैदा होने वाला है तो फिर फरिश्ता सवाल करता है कि लड़का है या लड़की, और बदबख्त है या नेकबख्त, और इसकी उम्र क्या है और इसका अमल कैसा है, और कहाँ मरेगा (ये सब चीज़ें उसी वक़्त फरिश्ते को बतला दी जाती हैं। इब्ने कसीर) 'मुखल्लका' व 'गैरि मुखल्लका' की यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

مُخَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ.

ज़िक्र हुई हदीस से इन दोनों की तफ़सीर यह मालूम हुई कि जिस इनसानी नुत्फ़े का पैदा होना मुक़द्दर होता है वह 'मुखल्लका' (पैदा होने और बनने वाला) है और जिसका जाया और गिर जाना मुक़द्दर है वह 'गैरि-मुखल्लका' (न पैदा होने और न बनने वाला) है। और कुछ मुफ़सिरीन हज़रत 'मुखल्लका' और 'गैरि-मुखल्लका' की तफ़सीर यह करते हैं कि जिस बच्चे की तख़लीक (बनावट व पैदाईश) मुकम्मल और तमाम अंग सही सालिम और सन्तुलित हों वह 'मुखल्लका' और जिसके कुछ अंग नाकिस हों या क़द और रंग वगैरह 'असन्तुलित' हो वह 'गैरि-मुखल्लका' है। ऊपर दर्ज खुलासा-ए-तफ़सीर में इसी तफ़सीर को लिया गया है। वल्लाहु सुब्बानहू व तआला आलम।

ثُمَّ نَخْرُجُكُمْ طِفْلًا.

यानी फिर माँ के पेट से तुमको निकालते हैं। कमज़ोर बच्चा होने की सूरत में उसका वदन भी कमज़ोर होता है, सुनने और देखने की ताक़त भी, हवास व अक़्त भी, हरकत व पकड़ की कुव्वत भी, गर्ज कि सब कुव्वतें बहुत ज्यादा ज़ईफ़ व कमज़ोर होती हैं, फिर धीरे-धीरे उनमें तरक़्की दी जाती है।

यहाँ तक कि पूरी कुव्वत तक पहुँच जाते हैं, 'सुम्-म लितब्लुगू अशुद्दकुम्' के यही मायने हैं। लफ्ज़ अशद् शिद्त की जमा (बहुवचन) है जैसे 'अन्अम' नेमत की जमा आती है, मायने यह हुए कि धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीक से तरक्की का सिलसिला उस वक़्त तक चलता रहता है जब तक कि तुम्हारी हर कुव्वत मुकम्मल न हो जाये जो जवानी के वक़्त में होती है।

أَرَذَلِ الْعُمُرِ

यानी वह उम्र जिसमें इनसान की अक़ल व शऊर और हवास में ख़लल आने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी उम्र से पनाह माँगी है। नसाई में हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निम्नलिखित अलफ़ाज़ पर आधारित यह दुआ ख़ूब ज़्यादा माँगते थे, और हदीस के रिवायत करने वाले हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु यह दुआ अपनी सब औलाद को याद करा देते थे। वह दुआ यह है:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرَذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-बुख़्लि व अऊज़ु बि-क मिनल्-जुबि व अऊज़ु बि-क मिन् उरद्-द इत्ता अरज़लिल्-उमुरि व अऊज़ु बि-क मिन् फित्नतिद्दुन्या व अज़ाबिल्-कब्रि। (कुर्तुबी)

इनसान की शुरुआती बनावट व पैदाईश के बाद उम्र के विभिन्न चरण और उनके हालात

मुस्नद अहमद और मुस्नद अबू यज़ूला में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बच्चा जब तक बालिग़ नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वह न उसके हिसाब में लिखा जाता है न वालिदैन (माँ-बाप) के। फिर जब वह बालिग़ हो जाता है तो हिसाब का कलम उसके लिये जारी हो जाता है और दो फ़रिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि उसकी हिफ़ाज़त करें और ज़रूरी ताक़त उसको पहुँचायें। जब इस्लाम की हालत में चालीस साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह तआला उसको (तीन किस्म की बीमारियों से) महफ़ूज़ कर देते हैं यानी जुनून (पागलपन), और कोढ़ और सफ़ेदे की बीमारी से। जब पचास साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह तआला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब साठ साल को पहुँचता है तो अल्लाह उसको अपनी तरफ़ रुजू की तौफ़ीक़ दे देते हैं। जब सत्तर साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं और जब अस्सी साल को पहुँचता है तो अल्लाह तआला उसकी नेकियों को लिखते हैं और बुराईयों को माफ़ फ़रमा देते हैं, फिर जब नब्बे साल की उम्र हो जाये तो अल्लाह तआला उसके सब अलगे-पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में सिफ़ारिश करने का हक़ देते हैं और उसकी सिफ़ारिश कुबूल

ति हैं और उसका लकब अमानुल्लाह आर असाबुल्लाह। फल-जज (यानी जमान न ५१
 हो जाता है (क्योंकि इस उम्र में पहुँचकर उमूमन इनसान की कुव्वत खत्म हो जाती है किसी
 में लज्जत नहीं रहती, कैद की तरह उम्र गुज़ारता है, और जब उम्र के सबसे घटिया दौर को
 जाये तो उसके वो तमाम नेक अमल उसके नामा-ए-आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी
 सुहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वह लिखा
 नहीं जाता।

यह रिवायत हाफिज़ इब्ने कसीर ने मुस्नद अबू यज़ला से नक़ल करने के बाद फ़रमाया है:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدَا فِيهِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ.

(यह हदीस ग़रीब है और इसमें सख़्त नकारत है। यानी मज़बूत व मोतबर नहीं) फिर फ़रमाया:

وَمَعَ هَذَا قَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مُوقُوفًا وَمَرْفُوعًا.

(यानी इस ग़रीब व मुन्कर होने के बावजूद इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इसको मौकूफ़न
 और मरफूअन दोनों तरह रिवायत किया है, फिर इब्ने कसीर ने मुस्नद अहमद से ये दोनों किस्म की
 रिवायतें नक़ल की हैं जिनका मज़मून तक़रीबन वही है जो मुस्नद अबू यज़ला के हवाले से ऊपर
 नक़ल हुआ) वल्लाहु आलम।

ثَانِي عَطْفِهِ.

इत्फ़ के मायने जानिब और करवट के हैं, यानी करवट मोड़ने वाला। इससे मुराद उसका मुँह
 फेरना और बेतवज्जोही बरतना है।

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ

حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۗ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ۗ ذَلِكَ
 هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۗ يَدْعُوا لَمَن ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۗ لَيْسَ الْبَوْلُ وَالْبَيْسُ الْعَشِيرُ ۗ

व मिनन्नासि मंय्यअबुदुल्ला-ह अला
 हर्फिन् फ-इन् असा-बहू खैरु-
 नित्मअन्-न बिही व इन् असाबत्हु
 फित्नतु-निन्क-ल-ब अला वजिह्ही,
 खसिरद्दुन्या वल्आखिर-त, ज़ालि-क
 हुवल-खुस्सानुल्-मुबीन (11) यद्अ

और बाज़ा शख्स वह है कि बन्दगी करता
 है अल्लाह की किनारे पर फिर अगर
 पहुँची उसको भलाई तो कायम हो गया
 उस इबादत पर और अगर पहुँच गयी
 उसको जाँच फिर गया उल्टा अपने मुँह
 पर, गंवाई दुनिया और आखिरत, यही है
 खुला टोटा। (11) पुकारता है अल्लाह के

मिन् दूनिल्लाहि मा ला यज़ुरुहू व
 मा ला यन्फ़ुहू, ज़ालि-क
 हुवज़लालुल्-बज़ीद (12) यदु
 ल-मन् ज़रुहू अकरबु मिन् नफ़िअही,
 लबिअसल्-मौला व लबिअसल्-
 अशीर (13)

सिवाय ऐसी चीज़ को कि न उसका
 नुक़सान करे और न उसका फ़ायदा करे
 यही है दूर जा पड़ना गुमराह होकर। (12)
 पुकारे जाता है उसको जिसका नुक़सान
 पहले पहुँचे नफ़े से, बेशक बुरा दोस्त है
 और बुरा साथी। (13)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और बाज़ा आदमी अल्लाह की इबादत (ऐसे तौर पर) करता है (जैसे किसी चीज़ के) किनारे पर
 (खड़ा हो और मौक़ा पाकर चल देने पर तैयार हो) फिर अगर उसको कोई (दुनियावी) नफ़ा पहुँच गया
 तो उसकी वजह से (ज़ाहिरी) करार पा लिया, और अगर उसकी कुछ आजमाईश हो गई तो मुँह
 उठाकर (कुफ़्र की तरफ़) चल दिया, (जिससे) दुनिया और आख़िरत दोनों को खो बैठा, यही है खुला
 नुक़सान (दुनिया का नुक़सान तो दुनियावी आजमाईश जो किसी मुसीबत से होती वह ज़ाहिर ही है
 और आख़िरत का नुक़सान यह हुआ कि इस्लाम और) खुदा को छोड़कर उसी चीज़ की इबादत करने
 लगा जो (इस क़द आजिज़ और बेबस है कि) न उसको नुक़सान पहुँचा सकती है और न उसको नफ़ा
 पहुँचा सकती है (यानी उसकी इबादत न करो तो कोई नुक़सान पहुँचाने की और करो तो नफ़ा
 पहुँचाने की कोई कुदरत नहीं। ज़ाहिर है कि कामिल कुदरत वाले को छोड़कर ऐसी बेबस चीज़ को
 अपना ख़सारा ही ख़सारा है) यह इन्तिहाई दर्जे की गुमराही है। (सिर्फ़ यही नहीं कि उसकी इबादत
 से कोई नफ़ा न पहुँचे बल्कि उल्टा नुक़सान है क्योंकि) वह ऐसे की इबादत कर रहा है कि उसका
 नुक़सान उसके नफ़े के मुक़ाबले में ज़्यादा करीब है। ऐसा कारसाज़ भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा
 (जो किसी तरह किसी हाल किसी के काम न आये, कि उसको मौला और आका बना लो या दोस्त
 और साथी बना लो, किसी हाल में उससे कुछ नफ़ा नहीं)।

मअरिफ़ व मसाईल

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

बुखारी और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि
 जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना तथ्यिबा में मुक़ीम हो गये तो कुछ
 ऐसे लोग भी आकर मुसलमान हो जाते थे (जिनके दिल में इमान की पुख़्तगी नहीं थी) अगर इस्लाम
 लाने के बाद उसकी औलाद और माल में तरक्की हो गयी तो कहता था कि यह दीन अच्छा है, और
 अगर इसके खिलाफ़ हुआ तो कहता था कि यह बुरा दीन है। ऐसे ही लोगों के बारे में यह आयत

नाज़िल हुई है कि ये लोग ईमान के एक किनारे पर खड़े हैं, अगर इनको ईमान के बाद दुनियावी सहात और माल व सामान मिल गया तो इस्लाम पर जम गये, और अगर वे बतौर आजमाईश किसी तकलीफ व परेशानी में मुब्तला हो गये तो दीन से फिर गये।

لَنْ يَدْخُلَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝

इन्नल्ला-ह युदखिलुल्लजी-न आमनू
व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तजरी
मिन् तस्तिहल्-अन्हारु, इन्नल्ला-ह
यफअतु मा युरीद (14) मन् का-न
यजुन्नु अल्लंय्यन्सु-रहुल्लाहु फिद्दुन्या
वल्आखिरति फल्यन्दुद् बि-स-बबिन्
इलस्समा-इ सुम्मल्-यक्तञ् फल्यन्जुर
हल् युज़िहबन्-न कैदुहू मा यगीज़
(15) व कज़ालि-क अन्ज़ल्लाहु
आयातिम्-बय्यिनातिव्-व अन्नल्ला-ह
यस्दी मय्युरीद (16)

अल्लाह दाखिल करेगा उनको जो ईमान लाये और कौं भलाईयाँ बागों में, बहती हैं उनके नीचे नहरें, अल्लाह करता है जो चाहे। (14) जिसको यह ख्याल हो कि हरगिज़ न मदद करेगा उसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में तो तान ले एक रस्सी आसमान को फिर काट डाले अब देखे कुछ जाता रहा उसकी इस तदबीर से उसका गुस्सा। (15) और यूँ उतारा हमने यह कुरआन खुली बातें और यह है कि अल्लाह सुझा देता है जिसको चाहे। (16)

खुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआला ऐसे लोगों को जो ईमान लाये और अच्छे काम किये (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल फ़रमाएँगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, (और अल्लाह जिस शख्स या कौम को कोई सवाब या अज़ाब देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि) अल्लाह तआला (कादिरे मुत्तलक है) जो इरादा करता है कर गुज़रता है। (और जिन लोगों के दीने हक में झगड़ा करने का जिक्र आया है अगली आयत में उनकी नाकामी और मेहरूमी का बयान है। फ़रमाया) जो शख्स (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मुख़ालफ़त करके) इस बात का ख्याल रखता हो कि (मैं ग़ालिब आ जाऊँगा और आपके दीन की तरक्की को रोक दूँगा और यह कि) अल्लाह तआला रसूल

(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की (और आपके दीन की) दुनिया और आखिरत में मदद न करेगा तो उसको चाहिए कि एक रस्सी आसमान तक तान ले (और आसमान से बाँध दे), फिर (उस रस्सी के जरिये से आसमान पर पहुँच सके तो पहुँच जाये ताकि) इस वही को रुकवा दे, (और जाहिर है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता) तो फिर (अब) गौर करना चाहिए कि क्या उसकी (यह) तदबीर (जिससे बिल्कुल अजिज है) उसकी नागवारी की चीज को (यानी वही को) बन्द कर सकती है। और हमने इस (कुरआन) को इसी तरह उतारा है (कि इसमें हमारे इरादे और कुदरत के सिवा किसी का दखल नहीं) जिसमें खुली-खुली दलीलें (हक़ को मुतैयन करने की) हैं और अल्लाह तआला ही जिसको चाहता है हिदायत करता है।

मआरिफ़ व मसाईल

مَنْ كَانَ يَظُنُّ

हासिल यह है कि इस्लाम का रास्ता रोकने वाले विरोधी और दुश्मन जो यह चाहते हैं कि अल्लाह तआला अपने रसूल और उसके दीन की मदद न करे उनको समझना चाहिये कि यह तो तभी हो सकता है जबकि मआज़ल्लाह हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नुबुव्वत का मर्तबा छिन जाये और आप पर वही आनी बन्द हो जाये, क्योंकि अल्लाह तआला जिसको नुबुव्वत व रिसालत मुफ़्त फ़रमाता है और उसको अपनी वही से नवाज़ता है उसकी मदद तो दुनिया व आखिरत में करने का उसकी तरफ़ से पुख़्ता वायदा है, और अक्ली तौर पर भी इसके खिलाफ़ न होना चाहिये। तो जो ख़ुस आपकी और आपके दीन की तरक्की को रोकना चाहता है उसको अगर उसके कब्ज़े में हो तो उसी तदबीर करनी चाहिये कि यह नुबुव्वत का मर्तबा व मक़ाम छिन जाये और अल्लाह की वही बन्द हो जाये। इस मज़मून को एक फ़र्ज़ मुहाल के उनवान से इस तरह ताबीर किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वही को बन्द करने का काम करना चाहता है तो किसी तरह आसमान पर पहुँचे वहाँ जाकर वही के इस सिलसिले को ख़त्म कर दे। और जाहिर है कि न किसी का इस तरह आसमान पर जाना मुम्किन न अल्लाह तआला से वही बन्द करने को कहना मुम्किन, तो फिर अब कोई तदबीर कारगर नहीं तो इस्लाम व ईमान के खिलाफ़ गुस्से व आक्रोश का क्या नतीजा? यह तफ़सीर बिल्कुल इसी तरह दुर्गे मन्सूर में इब्ने ज़ैद से रिवायत की गयी है और मेरे नज़दीक यह सबसे हतर और साफ़ तफ़सीर है। (बयानुल-कुरआन, सरलता के साथ)

अल्लामा कुर्तुबी ने इसी तफ़सीर को अबू जाफ़र नुहास से नक़ल करके फ़रमाया कि यह सबसे अच्छी तफ़सीर है, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस तफ़सीर को नक़ल किया है। और कुछ हज़रत ने इस आयत की तफ़सीर यह की है कि समा (आसमान) से मुराद अपने मकान को छत है और आयत की मुराद यह है कि अगर किसी जाहिल दुश्मन की इच्छा यही है कि अल्लाह तआला अपने रसूल और उसके दीन की मदद न करे और वह इस्लाम के खिलाफ़ गुस्सा व आक्रोश लिये हुए है तो समझ ले कि उसकी यह मुराद तो कभी पूरी न होगी, इस अहमक़ाना गुस्से व आक्रोश का तो इलाज़ यही है कि छत में रस्सी डालकर फाँसी ले ले और मर जाये। (तफ़सीरे मज़हरी वगैरह)

لَٰنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ
 مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
 وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
 مَا يَشَآءُ ۗ

इन्नल्लजी-न आमनू वल्लजी-न हादू
 वस्साबिई-न वन्नसारा वल्मजू-स
 वल्लजी-न अशरकू इन्नल्ला-ह
 यफिसलु बैनहुम् यौमल्-कियामति,
 इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् शहीद
 (17) अलम् त-र अन्नल्ला-ह यस्जुदु
 लहू मन् फिस्समावाति व मन्
 फिल्अर्जि वशशम्सु वल्क-मरु वन्नुजूमु
 वल्जिबालु वशश-जरु वद्दवाब्बु व
 कसीरुम्-मिनन्नासि, व कसीरुन्
 हक्-क अलैहिल्-अज़ाबु, व
 मंय्युहिनिल्लाहु फ़मा लहू मिम्-
 मुकिरमिन्, इन्नल्ला-ह यफ़अलु मा
 यशा-उ (18) ॐ

जो लोग मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं
 और साबिईन और ईसाई और मजूस और
 जो शिर्क करते हैं, अल्लाह फैसला मुकर्र
 करेगा उनमें कियामत के दिन, अल्लाह के
 सामने है हर चीज़। (17) तूने नहीं देखा
 कि अल्लाह को सज्दा करता है जो कोई
 आसमान में है और जो कोई ज़मीन में है
 और सूरज और चाँद और तारे और पहाड़
 और पेड़ और जानवर और बहुत आदमी
 और बहुत हैं कि उन पर ठहर चुका
 अज़ाब, और जिसको अल्लाह ज़लील करे
 उसे कोई नहीं इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह
 करता है जो चाहे। (18) ॐ

खुलासा-ए-तफ़सीर

इसमें कोई शुब्हा नहीं कि मुसलमान और यहूदी और साबिईन और ईसाई और मजूस और
 मुशिरक लोग, अल्लाह तआला इन सब के बीच कियामत के दिन (अमली) फैसला कर देगा
 (मुसलमानों को जन्नत में और हर प्रकार के काफ़िरों को दोज़ख में दाखिल करेगा), बेशक खुदा
 तआला हर चीज़ से वाकिफ़ है।

ऐ मुक़ात्तब! क्या तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला के सामने (अपनी-अपनी

हालत के मुनासिब) सब आजिजी करते हैं जो कि आसमानों में हैं और जो कि ज़मीन में हैं, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और पेड़-पौधे और चौपाये और (तमाम मख्लूक़ात के ताबेदार व फ़रमाँबरदार होने के बावजूद इनसान जो ख़ास दर्जे की अक़ल भी रखता है वे सब के सब ताबेदार व फ़रमाँबरदार नहीं बल्कि) बहुत सारे (तो) आदमी भी (फ़रमाँबरदारी और आजिजी करते हैं) और बहुत-से ऐसे हैं जिन पर अज़ाब का हक़दार होना साबित हो गया है, और (सच यह है कि) जिसको खुदा ज़लील करे (कि उसको हिदायत की तौफ़ीक़ न हो) उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं, (और) अल्लाह तआला (को इख़्तियार है अपनी हिक्मत से) जो चाहे करे।

मआरिफ़ व मसाईल

पहली आयत में दुनिया की तमाम क़ौमों मोमिनों और काफ़िरों फिर काफ़िरों के विभिन्न अक़ीदों वाले गिरोहों के बारे में यह इरशाद फ़रमाया है कि अल्लाह तआला उन सब का फैसला फ़रमायेंगे और वह हर एक के ज़ाहिर व बातिन से बाख़बर हैं। फैसला क्या होगा इसका ज़िक्र बार-बार कुरआन में आ चुका है कि नेक मोमिनों के लिये हमेशा की और कभी ख़त्म न होने वाली राहत है और काफ़िरों के लिये हमेशा का अज़ाब। दूसरी आयत में तमाम मख्लूक़ात चाहे ज़िन्दा और रूह-वाली हों या बेजान व पेड़-पौधे वगैरह सब का हक़ तआला के लिये ताबेदार और फ़रमाँबरदार होना सज़्दे के उनवान से बयान फ़रमाकर इनसानी नस्ल की दो किस्में बयान फ़रमाई हैं— एक हुक्मों को मानने वाले व फ़रमाँबरदार सज़्दे में सब के साथ शरीक, और दूसरे-सरक़श व बागी सज़्दे से विमुख और मुँह मोड़ने वाले। और फ़रमान के ताबे होने को सज़्दा करने से ताबीर किया गया है जिसका तर्जुमा खुलासा-ए-तफ़सीर में आजिजी करने से किया है ताकि मख्लूक़ात की हर जाति व प्रजाति और हर किस्म के सज़्दे को शामिल हो जाये, क्योंकि उनमें से हर एक का सज़्दा उसके हाल के मुनासिब होता है। इनसान का सज़्दा ज़मीन पर माथा रखने का नाम है, दूसरी मख्लूक़ात का सज़्दा अपनी-अपनी वह ख़िदमत जिसके लिये उनको पैदा किया गया है उसको अन्जाम देने का और ख़िदमत का हक़ अदा करने का नाम सज़्दा है।

तमाम मख्लूक़ात के फ़रमाँबरदार और फ़रमान के ताबे होने की हकीक़त

तमाम कायनात व मख्लूक़ात का अपने ख़ालिक के हुक्म और मर्ज़ी के ताबे होना एक तो पैदाईशी और तक़दीरी तौर पर ग़ैर-इख़्तियारी है जिससे कोई भी मख्लूक़ मोमिन या काफ़िर ज़िन्दा या मुर्दा, बेजान चीज़ें या पेड़-पौधे इससे बाहर नहीं, इस हैसियत में सब के सब बराबर तौर पर हक़ तआला के हुक्म व मर्ज़ी के ताबे हैं। जहान का कोई ज़रा या पहाड़ उसके हुक्म व मर्ज़ी के बगैर कोई मामूली सी हरकत नहीं कर सकता। दूसरी इत्ताअत व फ़रमाँबरदारी इख़्तियारी है कि कोई मख्लूक़ अपने इरादे व इख़्तियार से अल्लाह तआला के हुक्मों का पालन करे, इसमें मोमिन व काफ़िर

का फ़र्क होता है कि मोमिन हुक्म मानने वाला और फ़रमाँबरदार होता है, काफ़िर उससे विमुख और इनकारी होता है। इस आयत में चूँकि मोमिन व काफ़िर का फ़र्क बयान फ़रमाया है यह इशारा इसका है कि इसमें सज्दे और फ़रमाँबरदारी से मुराद सिर्फ़ फ़ितरी व तकदीरी इताअत नहीं बल्कि इख़्तियारी और इरादी इताअत है। इसमें यह शुब्हा न किया जाये कि इख़्तियारी और इरादी इताअत तो सिर्फ़ अक्ल वाले इन्सान और जिन्नात वगैरह में हो सकती है, जानवरों, पेड़-पौधों और बेजान चीज़ों में अक्ल व शऊर ही नहीं तो फिर क़स्द व इरादा कहाँ और इताअत इख़्तियारी कैसी? क्योंकि कुरआने करीम के बेशुमार बयानात व दलीलों से यह बात साबित है कि अक्ल व शऊर और इरादे से कोई भी मख़्लूक ख़ाली नहीं, कम ज़्यादा होने का फ़र्क है। इन्सान और जिन्नात को अल्लाह तआला ने अक्ल व शऊर का एक कामिल दर्जा अता फ़रमाया है और इसी लिये उनको शरई अहकाम का पाबन्द बनाया गया है, उनके सिवा बाकी मख़्लूक़ात में से हर किस्म, हर वर्ग और हर प्रजाति को उस प्रजाति व किस्म और वर्ग की ज़रूरतों के मुवाफ़िक़ अक्ल व शऊर दिया गया है।

इन्सान के बाद सबसे ज़्यादा यह अक्ल व शऊर हैवानात (जानदार और प्राणियों) में है, उसके बाद दूसरे नम्बर में पेड़-पौधे हैं, तीसरे में जमादात (यानी बेजान चीज़ें) हैं। हैवानात का अक्ल व शऊर तो आम तौर पर महसूस किया जाता है, पेड़-पौधों का अक्ल व शऊर भी ज़रा सा गौर व तहकीक़ करने वाला पहचान लेता है, लेकिन जमादात का अक्ल व शऊर इतना कम और छुपा है कि आम इन्सान उसको नहीं पहचान सकते। मगर उनके ख़ालिक व मालिक ने ख़बर दी है कि वो भी अक्ल व शऊर और क़स्द व इरादे के मालिक हैं। कुरआने करीम ने आसमान व ज़मीन के बारे में फ़रमाया है:

قَالَتْ آتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

यानी जब अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को हुक्म दिया कि तुमको हमारे फ़रमान के ताबे रहना है अपनी खुशी से फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करो वरना जबरन और हुक्मन ताबे रहना ही है तो आसमान व ज़मीन ने अर्ज किया कि हम अपने इरादे और खुशी से इताअत व फ़रमाँबरदारी कुबूल करते हैं। और दूसरी जगह पहाड़ के पत्थरों के बारे में कुरआने करीम का इरशाद है:

وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

यानी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह तआला के डर और ख़ौफ़ के मारे ऊपर से नीचे लुढ़क जाते हैं। इसी तरह बहुत सी हदीसों में पहाड़ों की आपसी गुफ्तगू और दूसरी मख़्लूक़ात में अक्ल व शऊर की शहादतें कसरत से मिलती हैं। इसलिये इस आयत में जिस इताअत व फ़रमाँबरदारी को सज्दे के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है उससे इख़्तियारी व इरादी फ़रमाँबरदारी मुराद है और आयत के मायने यह हैं कि इन्सानी नस्ल के अलावा (जिनके तहत में जिन्नात भी दाख़िल हैं) बाकी तमाम मख़्लूक़ात अपने इरादे व इख़्तियार से अल्लाह तआला की बारगाह में सज्दा करने वाली यानी हुक्म के ताबे हैं, सिर्फ़ इन्सान और जिन्नात ऐसे हैं जिनमें दो हिस्से हो गये- एक मोमिन व फ़रमाँबरदार और सज्दा करने वाले, दूसरे काफ़िर व नाफ़रमान और सज्दे से बगावत करने वाले जिनको अल्लाह ने ज़लील कर दिया है कि उनको सज्दे की तौफ़ीक़ नहीं बख़्शी। वल्लाहु आलम

هَذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ ثَمَرِهِ
 يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ الْحَمِيْمُ ۝ يَصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝ وَكُهُمْ مَّقَامِعُ
 مِّنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝
 اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَوْنَ فِيْهَا
 مِنْ اَسْوَدٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّكُلُوْا وَّارْبٰٓءَ اَسْهَمٍ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝ وَهٰذَا رَآءِ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۝ وَهٰذَا
 اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۝

हाजानि खास्मानिखत-समू फी
 रब्बिहिम्, फल्लजी-न क-फरु
 कुत्तिअत् लहुम् सियाबुम्-मिन्
 नारिन्, युसब्बु मिन् फौकि-
 रुऊसिहिमुल्-हमीम (19) युस्हरु
 बिही मा फी बुतूनिहिम् वल्लुलूद
 (20) व लहुम् मकामिअु मिन् हदीद
 (21) कुल्लमा अरादू अंय्यरुजू
 मिन्हा मिन् गम्मिन् उअीदू फीहा, व
 जूकू अजाबल्-हरीक (22) ❀

इन्नल्ला-ह युदखिलुल्लजी-न आमनू
 व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तजरी
 मिन् तस्तिहल्-अन्हारु युहल्लौ-न
 फीहा मिन् असावि-र मिन् ज-हबिन्व-
 व लुअ्लुअन्, व लिबासुहुम् फीहा
 हरीर (23) व हुदू इलत्तय्यिबि
 मिनल्-कौलि व हुदू इला सिरातिल्-
 हमीद (24)

ये दो दावेदार हैं झगड़ते हैं अपने रब पर
 सो जो मुन्किर हुए उनके वास्ते कतरे गये
 हैं कपड़े आग के, डालते हैं उनके सर पर
 जलता पानी। (19) गल कर निकल जाता
 है उससे जो कुछ उनके पेट में है और
 खाल भी। (20) और उनके वास्ते हथोड़े
 हैं लोहे के। (21) जब चाहें कि निकल
 पड़ें दोख से घुटने के मारे फिर डाल
 दिये जायें उसके अन्दर और चखते रहो
 जलने का अजाब। (22) ❀

बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उनको जो
 यकीन लाये और कीं भलाईयाँ बागों में,
 बहती हैं उनके नीचे नहरें, गहना पहनायेंगे
 उनको वहाँ कंगन सोने के और मोती,
 और उनकी पोशाक है वहाँ रेशम की।
 (23) और राह पाई उन्होंने सुथरी बात
 की (यानी हक दीन की) और पाई उस
 तारीफों वाले की राह। (24)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(जिनका ज़िक्र ऊपर की आयत नम्बर 17 में हुआ है) ये दो फ़रीक़ हैं (एक मोमिन दूसरा काफ़िर। फिर काफ़िर ग़िरोह की कई किस्में हैं— यहूदी, ईसाई, साबिईन, मजूस और बुत-परस्त) जिन्होंने अपने रब के (दीन के) बारे में (एतिकाद के तौर पर और कभी-कभी बहस-मुबाहसे में भी) आपस में झगड़ा किया, (उस झगड़े व मतभेद का फैसला क़ियामत में इस तरह होगा कि) जो लोग काफ़िर थे उनके (पहनने के लिये) आग के कपड़े काटे जाएँगे (यानी आग उनके पूरे बदन को इस तरह घेरे होगी जैसे लिबास) और उनके सर के ऊपर से तेज़ गर्म पानी छोड़ा जायेगा जिससे उनके पेट की चीज़ें (यानी अंतड़ियाँ) और खालें सब गल जाएँगी (यानी यह खौलता हुआ तेज़ पानी कुछ पेट के अन्दर चला जायेगा जिससे आँतें और पेट के अन्दर के सब अंग व हिस्से गल जाएँगे, कुछ ऊपर बहेगा जिससे खाल गल जायेगी) और उनके (मारने के लिये) लोहे के गुर्ज़ होंगे। (और इस मुसीबत से कभी निजात न होगी) वे लोग जब (दोज़ख़ में) घुटे-घुटे (घबरा जाएँगे और) उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसमें धकेल दिये जाएँगे, और उनको कहा जायेगा कि जलने का अज़ाब (हमेशा के लिये है) चखते रहो (कभी निकलना नसीब न होगा। और) अल्लाह तआला उन लोगों को जो कि ईमान लाये और नेक काम किये (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी (और) उनको वहाँ सोने के कंगन और मोती पहनाये जाएँगे, और उनका लिबास वहाँ रेशम का होगा। और (यह सब इनाम उनके लिये इसलिये है कि दुनिया में उनको) कलिमा-ए-तय्यिबा (के यकीन व एतिकाद) की हिदायत हो गई थी और उनको उस (खुदा) के रास्ते की हिदायत हो गई थी जो तारीफ़ के लायक़ है (वह रास्ता इस्लाम है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

هَذَا خَصْمِنِ اخْتَصَمُوا.

ये दो फ़रीक़ जिनका ज़िक्र इस आयत में है आम मोमिन हज़रात और उनके मुक़ाबले में काफ़िरो के तमाम ग़िरोह हैं, चाहे ज़माना-ए-इस्लाम के शुरू के दौर के हों या बाद के ज़मानों के। अलबत्ता इस आयत का नुज़ूल (उतरना) उन दो फ़रीकों के बारे में हुआ है जो बदर के मैदान में मुक़ाबले और जंग में एक दूसरे के मुक़ाबिल लड़े थे, मुसलमानों में से हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम और काफ़िरो में से उतबा बिन रबीअ, उसका बेटा वलीद और उसका भाई शैबा थे जिनमें से काफ़िर तो तीनों मारे गये और मुसलमानों में से हज़रत अली व हज़रत हमज़ा रज़ि. सही सालिम वापस आये और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद ज़ख्मी होकर आये और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कदमों में पहुँचकर दम तोड़ दिया। आयत का नुज़ूल बदर में इन मुक़ाबला और जंग करने वालों के बारे में होना बुखारी व मुस्लिम की हदीसों से साबित है, लेकिन यह जाहिर है कि यह हुक्म उनके साथ मख़सूस नहीं, पूरी उम्मत के लिये आम है, किसी भी जमा

जन्नतियों को कंगन पहनाये जाने की हिक्मत

यहाँ यह शुद्धा होता है कि कंगन हाथों में पहनना औरतों का काम और उन्हीं का ज़ेवर है, मर्दों के लिये बुरा और ऐब की बात समझा जाता है। जवाब यह है कि दुनिया के बादशाहों की यह विशेष शान रही है कि सर पर ताज और हाथों में कंगन इस्तेमाल करते थे जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को जबकि वह मुसलमान नहीं थे और हिजरत के सफ़र में आपको गिरफ़्तार करने के लिये पीछा करने को निकले थे, जब उनका घोड़ा अल्लाह के हुक्म से ज़मीन में धंस गया और उन्होंने तौबा की तो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ से घोड़ा निकल गया, उस वक़्त सुराका बिन मालिक से वायदा फ़रमाया था कि फ़ारस के बादशाह किसरा के कंगन माले ग़नीमत में मुसलमानों के पास आयेंगे वह तुम्हें दिये जायेंगे, और जब हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में फ़ारस का मुल्क फ़तह हुआ और ईरान के ये कंगन ग़नीमत के दूसरे मालों के साथ आये तो सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुतालबा किया और उनको दे दिये गये।

खुलासा यह है कि जैसे सर पर ताज पहनना आम मर्दों का रिवाज नहीं, शाही सम्मान है इसी तरह हाथों में कंगन भी शाही सम्मान समझे जाते हैं इसलिये जन्नतियों को कंगन पहनाये जायेंगे। कंगन के मुताल्लिक इस आयत में और सूरः फ़ातिर में तो यह है कि वो सोने के होंगे और सूरः दहर में ये कंगन चाँदी के बतलाये गये हैं, इसलिये मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि जन्नतियों के हाथों में तीन तरह के कंगन पहनाये जायेंगे- एक सोने का, दूसरा चाँदी का, तीसरा मोतियों का जैसा कि इस आयत में मोतियों का भी ज़िक्र मौजूद है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

रेशम के कपड़े मर्दों के लिये हराम हैं

उक्त आयत में है कि जन्नत वालों का लिबास रेशम का होगा। मुराद यह है कि उनके पहनने के कपड़े वगैरह और फ़र्श और पर्दे वगैरह रेशम के होंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर लिबास समझा जाता है, और जन्नत का रेशम जाहिर है कि दुनिया के रेशम से सिर्फ़ नाम की शिक़त रखता है वरना उसकी उम्दगी और बेहतरी को इससे कोई मुनासबत नहीं।

इमाम नसाई, इमाम बज़्ज़ार और इमाम बैहकी ने हज़रत उम्दा सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत वालों का रेशमी लिबास जन्नत के फलों में से निकलेगा, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में है कि जन्नत में एक पेड़ ऐसा होगा जिससे रेशम पैदा होगा, जन्नत वालों का लिबास उसी से तैयार होगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

हदीस में इमाम नसाई ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن

شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. (از قرطبي بحواله نسائي)

जो शख्स रेशमी कपड़ा दुनिया में पहनेगा वह आखिरत में न पहनेगा, और जो दुनिया में शराब पियेगा वह आखिरत की शराब से मेहरूम रहेगा, और जो दुनिया में सोने चाँदी के बर्तनों में (खाये) पियेगा वह आखिरत में सोने चाँदी के बर्तनों में न खायेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ये तीनों चीजें जन्नत वालों के लिये खास हैं।

भुराद यह है कि जिस शख्स ने दुनिया में ये काम किये और तौबा नहीं की वह जन्नत की इन तीन चीजों से मेहरूम रहेगा अगरचे जन्नत में दाखिल भी हो जाये जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी, फिर उससे तौबा नहीं की वह आखिरत में जन्नत की शराब से मेहरूम रहेगा। (तफ्सीरे कुर्तुबी) और एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وان دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو (رواه ابو داود

الطيالسي في مسنده وقال القرطبي اسناده صحيح)

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि जब एक शख्स जन्नत में दाखिल कर लिया गया फिर अगर वह किसी चीज़ से मेहरूम किया गया तो उसको हसरत व अफसोस रहेगा और जन्नत उसकी जगह नहीं। वहाँ किसी शख्स को किसी का ग़म व अफसोस न होना चाहिये, और अगर यह हसरत व अफसोस न हो तो फिर इस मेहरूमी का कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसका जवाब अल्लामा कुर्तुबी ने अच्छा दिया है कि जन्नत वालों के जिस तरह मक़ामात और दर्जे भिन्न और अलग-अलग आला व अदना होंगे, उनके कम ज़्यादा और ऊँचा-नीचा होने का एहसास भी सब को होगा मगर उसके साथ ही हक़ तआला शानुहू जन्नत वालों के दिल ऐसे बना देगा कि उनमें हसरत व अफसोस किसी चीज़ का न रहेगा। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ.

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इससे मुराद कलिमा तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु है। कुछ हज़रात ने फरमाया कि कुरआन मुराद है। (तफ्सीरे कुर्तुबी) सही यह है कि ये सब चीजें उसमें दाखिल हैं।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ

مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ

इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व यसुद्दू-न
 अन् सबीलिल्लाहि वल्मस्जिदिल्
 -हरामिल्लज़ी जअल्लाहु लिन्नासि
 सवा-अ-निल्-आकिफ़ु फ़ीहि वल्बादि,
 व मंय्युरिद् फ़ीहि बि-इल्हादिम्-
 बिजुल्मिन् नुजिक्हु मिन् अज़ाबिन्
 अलीम (25) ❀

जो लोग मुन्किर हुए और रोकते हैं
 अल्लाह की राह से और मस्जिदे हराम से
 जो हमने बनाई सब लोगों के वास्ते
 बराबर है उसमें रहने वाला और बाहर से
 आने वाला, और जो उसमें चाहे टेढ़ी राह
 शरारत से उसे हम चखायेंगे एक दर्दनाक
 अज़ाब। (25) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक जो लोग काफ़िर हुए और (मुसलमानों को) अल्लाह के रास्ते से और मस्जिदे हराम से रोकते हैं (ताकि मुसलमान उमरा अदा न कर सकें हालाँकि हरम की हैसियत यह है कि उसमें किसी की खुसूसियत नहीं बल्कि) उसको हमने तमाम आदमियों के वास्ते मुकरर किया है, कि उसमें सब बराबर हैं, उस (हरम की अन्दर हदों) में रहने वाला भी (यानी जो लोग वहाँ मुकीम हैं) और बाहर से आने वाला (मुसाफ़िर) भी, और जो शख्स उसमें (यानी हरम शरीफ़ में) जुल्म के साथ कोई बेदीनी का काम करने का इरादा करेगा तो हम उस शख्स को दर्दनाक अज़ाब चखा देंगे।

मअरिफ़ व मसाईल

पिछली आयत में मोमिनों और काफ़िरों के दो फ़रीकों की आपसी दुश्मनी व लड़ाई का ज़िक्र था उसी लड़ाई और दुश्मनी की एक खास सूत्र इस आयत में बयान की गयी है कि उनमें बाज़े ऐसे काफ़िर भी हैं जो खुद गुमराही पर जमे हुए हैं, दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने से रोकते हैं। ऐसे ही लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके सहाबा को जबकि वे उमरे का एहराम बाँधकर हरम शरीफ़ में दाख़िल होना चाहते थे मस्जिदे हराम में दाख़िल होने से रोक दिया हालाँकि मस्जिदे हराम और हरम शरीफ़ का वह हिस्सा जिससे लोगों की इबादत उमरा व हज का ताल्लुक है उनकी मिल्क में दाख़िल नहीं था जिसकी बिना पर उनको रोकने और दख़ल-अन्दाज़ी का कोई हक़ पहुँचता, बल्कि वह सब लोगों के लिये बराबर है, जहाँ हरम के रहने वाले और बाहर के मुसाफ़िर और शहरी और परदेसी सब बराबर हैं।

आगे उनकी सज़ा का ज़िक्र है कि जो शख्स मस्जिदे हराम (यानी पूरे हरम शरीफ़) में कोई बेदीनी का काम करेगा, जैसे लोगों को हरम में दाख़िल होने से रोकना या दूसरा कोई ख़िलाफ़े दीन काम करना, उसको दर्दनाक अज़ाब चखाया जायेगा, खुसूसन जबकि उस बेदीनी के काम के साथ जुल्म यानी शिर्क भी मिला हुआ हो जैसा कि मक्का के मुश्रिकों का हाल था जिन्होंने मुसलमानों को

हरम में दाखिल होने से रोका, कि उनका यह अमल भी खिलाफ़े दीन और ग़लत था फिर इसके साथ वे कुफ़्र व शिर्क में भी मुब्तला थे। और अगरचे हर खिलाफ़े दीन काम विशेष तौर पर शिर्क व कुफ़्र हर जगह हर ज़माने में हराम और सख्त जुर्म व गुनाह और अज़ाब को लाने वाला है मगर जो ऐसे काम सम्मानित हरम के अन्दर करे उसका जुर्म दोगुना हो जाता है, इसलिये यहाँ हरम को ख़ास करके बयान किया गया है।

يُضَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

‘सबीलिल्लाह’ (अल्लाह के रास्ते) से मुराद इस्लाम है। आयत के मायने यह हैं कि ये लोग खुद तो इस्लाम से दूर हैं ही दूसरों को भी इस्लाम से रोकते हैं।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

यह उनका दूसरा गुनाह है कि वे मुसलमानों को मस्जिदे हराम में दाखिल होने से रोकते हैं। मस्जिदे हराम असल में उस मस्जिद का नाम है जो बैतुल्लाह के गिर्द बनाई हुई है और यह हरमे मक्का का एक अहम अंग और हिस्सा है, लेकिन बाज़ मर्तबा मस्जिदे हराम बोलकर पूरा हरमे मक्का भी मुराद लिया जाता है जैसे खुद इसी वाकिए यानी मुसलमानों को उमरे के लिये हरम में दाखिल होने से रोकने की जो सूरत पेश आई वह यही थी कि मक्का के काफ़िरों ने आपको सिर्फ़ मस्जिद में जाने से नहीं बल्कि हरम की सीमा मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था जो सही हदीसों से साबित है, और कुरआने करीम ने इस वाकिए में मस्जिदे हराम का लफ़्ज़ हरम के आ़म मायने में इस्तेमाल फ़रमाया है, जैसा कि इरशाद है ‘व सदूकुम् अनिल् मस्जिदिल् हरामि’।

तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर में इस जगह मस्जिदे हराम की तफ़्सीर में पूरा हरम मुराद होना हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है।

हरमे मक्का में सब मुसलमानों के बराबर हक़ का मतलब

इतनी बात पर तमाम उम्मत और फ़कीह इमामों का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है कि मस्जिदे हराम और मक्का के हरम शरीफ़ के वो तमाम हिस्से जिनसे हज के अरकान का ताल्लुक है जैसे सफ़ा मरवा के बीच का मैदान जिसमें सई होती है, और मिना का पूरा मैदान, इसी तरह अरफ़ात का पूरा मैदान और मुज़दलिफ़ा का पूरा मैदान, ये सब ज़मीनें सारी दुनिया के मुसलमानों के लिये आ़म वक्फ़ हैं, किसी शख्स की जाती मिलिकयत इन पर न कभी हुई न हो सकती है। इनके अलावा मक्का मुकर्रमा के आ़म मकानात और बाकी हरम की ज़मीनें उनके मुताल्लिक़ भी कुछ फ़कीह इमामों का यही कौल है कि वे भी आ़म वक्फ़ हैं, उनका फ़रोख्त करना या किराये पर देना हराम है, हर मुसलमान हर जगह ठहर सकता है। मगर दूसरे फ़ुक़हा का पसन्दीदा मस्तक़ यह है कि मक्का के मकानात ख़ास मिलक़ हो सकते हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त और उनको किराये पर देना जायज़ है। हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है कि उन्होंने सफ़वान बिन उमैया का मकान मक्का मुकर्रमा में ख़रीदकर उसको मुजरिमों के लिये क़ैदख़ाना बनाया था। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा र. से इसमें दो रिवायतें मन्कूल हैं- एक पहले कौल के मुताबिक़ दूसरी दूसरे कौल के मुताबिक़, और

फतवा दूसरे कौल पर है, जैसा कि तफसीर रूहुल-मआनी में इसकी वज़ाहत है। यह बहस फिका (मसाईल) की किताबों में तफसील से मज़कूर है, मगर इस आयत में हरम के जिन हिस्सों से रोकने का जिक्र है वो हिस्से बहरहाल सब के नज़दीक आम वक्फ हैं उनसे रोकना हराम है, उक्त आयत से इसी की हुर्मत (हराम होना) साबित होती है। वल्लाहु आलम

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظَلْمٍ

इल्हाद के मायने लुगत में सीधे रास्ते से हट जाने के हैं। इस जगह इल्हाद से मुराद इमाम मुजाहिद व क़तादा के नज़दीक कुफ़ व शिर्क है, मगर दूसरे मुफ़सिरीन ने इसको अपने आम मायने में करार दिया है जिसमें हर गुनाह और अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी दाख़िल है, यहाँ तक कि अपने ख़ादिम को गाली देना बुरा कहना भी। और इसी मायने के लिहाज़ से हज़रत अता ने फ़रमाया कि हरम में इल्हाद से मुराद उसमें बग़ैर एहराम के दाख़िल हो जाना या हरम में वर्जित और मना की हुई चीज़ों में से किसी चीज़ का करना है, जैसे हरम का शिकार मारना या उसका दरख़्त काटना वग़ैरह। और जो चीज़ें शरीअत में मना और नाजायज़ हैं वो सभी जगह गुनाह और अज़ाब का सबब बनने वाली हैं, हरम की विशेषता इस बिना पर की गयी कि जिस तरह हरमे मक्का में नेकी का सवाब बहुत बढ़ जाता है उसी तरह गुनाह का अज़ाब भी बहुत बढ़ जाता है (जैसा कि इमाम मुजाहिद ने फ़रमाया है)।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी एक तफ़सीर यह भी मन्कूल है कि हरम के अलावा दूसरी जगहों में महज़ गुनाह का इरादा करने से गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक अमल न करे, और हरम में सिर्फ़ पुख़्ता इरादा कर लेने पर भी गुनाह लिखा जाता है। अल्लामा कुर्तुबी ने यही तफ़सीर हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल की है और इस तफ़सीर को सही कहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिये जाते तो दो ख़ेमे लगाते थे एक हरम के अन्दर दूसरा बाहर। हरम में अगर अपने बाल-बच्चों या ख़ादिमों और खुद से जुड़े लोगों में किसी को किसी बात पर डाँट-फटकार और तंबीह करनी होती तो हरम से बाहर वाले ख़ेमे में जाकर यह काम करते थे। लोगों ने मस्तेहत मालूम की तो फ़रमाया हमसे यह बयान किया जाता था कि इनसान जो गुस्से व नाराज़गी के वक़्त 'कल्ला वल्लाह' (हरगिज़ नहीं खुदा की क़सम) या 'बला वल्लाह' (हाँ ज़रूर खुदा की क़सम) के अलफ़ाज़ बोलता है, यह भी हरम में इल्हाद (ख़िलाफ़े दीन) काम करने में दाख़िल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ

كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

व इज़् बव्वअना लिइब्राही-म
 मकानल्-बैति अल्ला तुशिरक् बी
 शैअंव-व तहिहर् बैति-य लिताइफी-न
 वल्काइमी-न वरुक्कअिस्-सुजूद (26)
 व अज़िज़न् फिन्नासि बिल्हज्जि
 यअतू-क रिजालंव-व अला कुल्लि
 ज़ामिरिंय्यअती-न मिन् कुल्लि फ़ज्जिन्
 अमीक (27) लि-यशहदू मनाफ़ि-अ
 लहुम् व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी
 अव्यामिम् मअलूमातिन् अला मा
 र-ज़-कहुम् मिम्-बहीमतिल्-अन्आमि
 फ़कुलू मिन्हा व अत्अिमुल्-बाइसल्-
 फ़कीर (28) सुम्मल्-यक्ज़ू त-फ़-सहुम्
 वल्यूफू नुज़ूरहुम् वल्यत्तव्वफू
 बिल्बैतिल्-अतीक (29)

और जब ठीक कर दी हमने इब्राहीम को
 जगह उस घर की कि शरीक न करना मेरे
 साथ किसी को और पाक रख मेरा घर
 तवाफ़ करने वालों के वास्ते और खड़े
 रहने वालों के और रुकूअ व सज्दे वालों
 के। (26) और पुकार दे लोगों में हज के
 वास्ते कि आयेँ तेरी तरफ़ पैरों चलकर
 और सवार होकर दुबले-दुबले ऊँटों पर
 चले आयेँ दूर की राहों से (27) ताकि
 पहुँचें अपने फ़ायदे की जगहों पर और
 पढ़ें अल्लाह का नाम कई दिन जो मालूम
 (जाने-पहचाने) हैं जिबह पर चौपायों
 मवेशियों के जो अल्लाह ने दिये हैं उनको
 सो खाओ उसमें से और खिलाओ बुरे
 हाल के मोहताज को। (28) फिर चाहिये
 कि ख़त्म कर दें अपना मैल-कुचैल और
 पूरी कर दें अपनी मन्नतें और तवाफ़ करें
 उस क़दीम (प्राचीन) घर का। (29)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (उस किस्से का तज़क़िरा कीजिये) जबकि हमने इब्राहीम (अल्लैहिस्सलाम) को ख़ाना काबा
 की जगह बतला दी (क्योंकि उस वक़्त ख़ाना काबा बना हुआ न था और हुक्म दिया) कि (इस
 मकान को इबादत के लिये तैयार करो और इस इबादत में) मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक मत
 करना (यह दर असल उनके बाद के लोगों को सुनाना था और बैतुल्लाह के निर्माण के साथ शिर्क की
 मनाही की एक ख़ास वजह यह भी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ और उसका तवाफ़ करने से
 किसी जाहिल को यह शुब्हा न हो जाये कि यही माबूद है) और मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों
 और (नमाज़ में) कियाम व रुकूअ व सज्दा करने वालों के वास्ते (जाहिरी और बातिनी गन्दगी व
 नापाकी यानी क़फ़ व शिर्क से) पाक रखना (यह भी दर असल दूसरों ही को सुनाना था, इब्राहीम
 अल्लैहिस्सलाम से तो इसके खिलाफ़ का शुब्हा व गुमान ही न था)।

और (इब्राहीम अल्लैहिस्सलाम से यह भी कहा गया कि) लोगों में हज (के फ़र्ज होने) का ऐलान

करो (उस ऐलान से) लोग तुम्हारे पास (यानी तुम्हारी इस पवित्र इमारत के पास) चल आएंगे, पदल भी और (लम्बे सफर की वजह से दुबली हो जाने वाली) ऊँटनियों पर भी, जो कि दूर-दराज़ रास्तों से पहुँची होंगी। (और वे लोग इसलिए आएँगे) ताकि अपने (अपने दीनी और दुनियावी) फायदों के लिये आ मौजूद हों (दीनी फायदे तो मालूम व परिचित हैं, दुनियावी फायदे भी अगर मकसद न हों मसलन खरीद व फरोख्त और कुरबानी का गोश्त वगैरह तो यह भी कोई बुरा नहीं) और (इसलिये आएँगे) ताकि निर्धारित दिनों में (जो कुरबानी के दिन दसवीं से बारहवीं जिलहिज्जा तक हैं) उन मखसूस चौपायों पर (यानी कुरबानी के जानवरों पर जिबह के वक़्त) अल्लाह का नाम लें, जो खुदा तआला ने उनको अता किये हैं।

(इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िताब का मजमून हो चुका, आगे उम्मत मुहम्मदिया मुखातब है) उन (कुरबानी के) जानवरों में से तुम भी खाया करो (कि यह जायज़ है और मुस्तहब यह है कि) मुसीबत के मारों मोहताजों को भी खिलाया करो। फिर (कुरबानी के बाद) लोगों को चाहिए कि अपना मैल-कुचैल दूर कर दें (यानी एहराम खोल डालें सर मुंडा लें) और अपने वाजिबात को (चाहे नज़्र व मन्नत से कुरबानी वगैरह वाजिब कर ली हो या बिना मन्नत के जो हज के अरकान वाजिब हैं उन सब को) पूरा करें, और (उन्हीं निर्धारित दिनों में) इस अमन वाले और सुरक्षित घर (यानी खाना-ए-काबा) का तवाफ़ करें (यह तवाफ़-ए-जियारत कहलाता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयत में मस्जिदे हराम और हरम से रोकने वालों पर सख्त अज़ाब की धमकी व डाँट आई है, आगे उसकी मुनासबत से बैतुल्लाह के खास फ़जाईल और बड़ाई का बयान है जिससे उनके फ़ैल (काम) की बुराई और ज़्यादा स्पष्ट हो जाये।

बैतुल्लाह के निर्माण की शुरुआत

وَأَذْبُرْنَا لِبُرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

'बव्वउन्' का लफ़ज़ लुग़त में किसी को ठिकाना और रहने का मकान देने के मायने में आता है। आयत के मायने यह है कि यह बात काबिले ज़िक्र और याद रखने की है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जगह का ठिकाना दिया जहाँ बैतुल्लाह है। इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले से इस ज़मीन पर आबाद न थे जैसा कि रिवायतों से साबित है कि उनको मुत्क ग़ाम से हिजरत कराकर यहाँ लाया गया था। और मकान 'अलबैत' में इस तरफ़ इशारा है कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद था जैसा कि मोतबर रिवायतों में है कि उसकी पहली तामीर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर लाने से पहले या उसके साथ हुई थी, और आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद के नबी बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के वक़्त बैतुल्लाह की तामीर उठा ली गयी थी, बुनियादें और उसकी निर्धारित जगह मौजूद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहीं लाकर ठहराया गया और उनको हुक्म दिया गया:

से मु अ

दर गय उस यह औ जैर है, दिर इस

(ब इब्र अ कैं सा इब्र रि दा अँ

दुँ बि चि

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا.

यानी मेरी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। जाहिर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शिर्क करने का कोई गुमान व संभावना नहीं। उनके बुल्लों को तोड़ने और शिर्क करने वालों का मुकाबला और उसमें बहुत सख्त आजमाईश के वाकिआल पहले पेश आ चुके थे, इसलिये इससे मुराद आम लोगों को सुनाना है कि शिर्क से परहेज़ करें। दूसरा हुक्म यह दिया गया:

وَطَهَّرْتَنِي.

(यानी मेरे घर को पाक कीजिये) उस वक़्त अगरचे घर मौजूद नहीं था मगर बैतुल्लाह दर असल दर व दीवार और तामीर का नाम नहीं, वह उस पवित्र जगह का नाम है जिसमें बैतुल्लाह पहले बनाया गया था और अब दोबारा बनाने का हुक्म दिया जा रहा है। वह जगह और मकान बहरहाल मौजूद था उसको पाक करने का हुक्म इसलिये दिया गया कि उस ज़माने में भी जुहुम और अमालिका कौमों ने यहाँ कुछ बुत रखे हुए थे जिनकी पूजा-पाठ होती थी (जैसा कि तफसीरे कुर्तुबी में इसका जिक्र है) और यह भी हो सकता है कि यह हुक्म आईन्दा आने वालों को सुनाना हो और पाक करने से मुराद जैसे कुफ़ व शिर्क से पाक रखना है ऐसे ही जाहिरी नापाकियों और गन्दगियों से पाक रखना भी मुराद है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसका खिताब करने से दूसरे लोगों को एहतिमाम की फिक्र दिलाना मकसूद है। जब खलीलुल्लाह को इसका हुक्म हुआ जो खुद ही इस पर आमिल थे तो हमें इसका कितना एहतिमाम (पाबन्दी और ख़ास ध्यान) करना चाहिये।

तीसरा हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह दिया गया:

أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ.

यानी लोगों में ऐलान कर दीजिये कि इस बैतुल्लाह का हज तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है (बग़वी)। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के फ़र्ज़ होने के ऐलान का हुक्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह तआला से अर्ज़ किया कि (यहाँ तो जंगली मैदान है, कोई सुनने वाला नहीं) जहाँ आबादी है वहाँ मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ़ ऐलान करने की है, उसको सारी दुनिया में पहुँचाने और फैलाने की जिम्मेदारी हम पर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक़ामे इब्राहीम पर खड़े होकर यह ऐलान किया जिसको अल्लाह तआला ने बहुत ऊँचा कर दिया और कुछ रिवायतों में है कि आपने अबी कुबैस पहाड़ पर चढ़कर यह ऐलान किया, कानों में उंगलियाँ रखकर दायें, बायें, पूरब व पश्चिम हर तरफ़ यह निदा दी कि ऐ लोगो! तुम्हारे रब ने अपना घर बनाया है और तुम पर उस घर का हज फ़र्ज़ किया है, तो तुम सब अपने रब के हुक्म की तामील करो।

इस रिवायत में यह भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह आवाज़ अल्लाह तआला ने सारी दुनिया में पहुँचा दी और सिर्फ़ उस वक़्त के ज़िन्दा इनसानों तक ही नहीं बल्कि जो इनसान आईन्दा कियामत तक पैदा होने वाले थे मौजिज़े के तौर पर उन सब तक यह आवाज़ पहुँचा दी गयी और जिस जिसकी किस्मत में अल्लाह तआला ने हज करना लिख दिया है उनमें से हर एक ने इस आवाज़

वाब में लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक कहा, यानी हाजिर होने का इकरार किया। हज़रत इब्ने स रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हज के तलबिये (लब्बैक कहने) की असल बुनियाद यही न इब्राहीम के ऐतान का जवाब है। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

आगे आयत में उस तासीर का जिक्र है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऐतान को तमाम इनसानों तक अल्लाह की तरफ़ से पहुँचाने से कियामत तक लिये कायम हो गयी। वह यह है:

يَا تَوَكُّرًا وَجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

यानी दुनिया के हर कोने से लोग बैतुल्लाह की तरफ़ चले आयेंगे, कोई पैदल कोई सवार, और सवारी से आने वाले भी दूर-दराज़ मुल्कों से आयेंगे जिससे उनकी सवारियाँ भी कमज़ोर हो जायेंगी। चुनाँचे उस वक़्त से आज तक जबकि हज़ारों साल गुज़र चुके हैं बैतुल्लाह की तरफ़ हज के लिये आने वालों की यही कैफ़ियत है। बाद में आने वाले सब नबी और उनकी उम्मतें भी इसकी पाबन्द रहीं और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो लम्बा दौर जाहिलीयत का गुज़रा है उसमें भी अरब के बाशिन्दे अगरचे बुत परस्ती की बला में मुब्तला हो गये थे मगर हज के अरकान के उसी तरह पाबन्द थे जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नक़ल होता और परम्परा चली आती थी।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ.

यानी उनकी यह हाजिरी दूर-दराज़ सफ़र तय करके अपने ही मुनाफ़े (फ़ायदे और लाभ) के लिये है। कुरआन में मुनाफ़े के लफ़्ज़ को आम रखकर इस तरफ़ इशारा कर दिया है कि इसमें दीनी मुनाफ़े तो बेशुमार हैं ही दुनियावी मुनाफ़े भी बहुत देखने में आते हैं। कम से कम इतनी बात खुद काबिले ताज्जुब व हैरत है कि हज के सफ़र पर उमूमन बड़ी रक़म ख़र्च होती है जो कई लोग सारी उम्र मेहनत करके थोड़ी-थोड़ी बचाकर जमा करते हैं और यहाँ एक ही वक़्त में ख़र्च कर डालते हैं लेकिन सारी दुनिया की तारीख़ में कोई एक वाक़िआ ऐसा नहीं बताया जा सकता कि कोई शख्स हज या उमरे में ख़र्च करने की वजह से फ़कीर व मोहताज हो गया हो। इसके सिवा दूसरे कामों मसलन विवाह-शादी की रस्मों में, मकान तामीर करने में ख़र्च करके हज़ारों आदमी मोहताज व फ़कीर होने वाले हर जगह नज़र आते हैं। अल्लाह तआला ने हज व उमरे के सफ़र में यह खुसूसियत भी रखी है कि उससे कोई शख्स दुनियावी फ़क्र व फ़ाके (तंगदस्ती) में मुब्तला नहीं होता बल्कि कुछ रिवायतों में है कि हज व उमरे में ख़र्च करना गुर्बत व मोहताजी को दूर कर देता है। ग़ौर किया जाये तो यह बात भी आम तौर पर देखने और तजुर्बे में आती है, और हज के दीनी फ़ायदे तो बहुत हैं, उनमें से एक यही कुछ कम नहीं जो हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिये हज किया और उसमें बेहयाई की बातों से और गुनाह के कामों से बचता रहा तो वह हज से ऐसी हालत में वापस आयेगा कि गोया यह अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ है, यानी जैसे पैदा होने के वक़्त बच्चा बेगुनाह मासूम होता है वह भी ऐसा ही हो जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम, तफ़सीरे मज़हरी)

बैतुल्लाह के पास जमा होने वाले हाजियों के आने का एक फ़ायदा तो ऊपर जिक्र हुआ कि वे

अपने दीनी और दुनियावी मुनाफे और फायदे को देख लें। दूसरा फायदा यह बतलाया गया:

وَبِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَيْهِمَةِ الْأَنْعَامِ.

यानी ताकि वे अल्लाह का नाम जिक्र करें निर्धारित दिनों में उन चौपाये जानवरों पर जो अल्लाह ने उनको अता फरमाये हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कुरबानी के गोشت और उससे हासिल होने वाले फायदों पर नज़र न होनी चाहिये, बल्कि असल चीज़ अल्लाह तआला का जिक्र है जो इन दिनों में कुरबान करने के वक़्त जानवरों पर किया जाता है, जो इबादत की जान है। कुरबानी का गोشت उनके लिये हलाल कर दिया गया यह एक अतिरिक्त इनाम है। और निर्धारित दिनों से मुराद वही दिन हैं जिनमें कुरबानी जायज़ है यानी ज़िलहिज्जा की दसवीं, ग्यारहवीं बारहवीं तारीखें। और “उन चौपाये जानवरों पर जो अल्लाह ने उनको अता फरमाये हैं” के अलफ़ाज़ आम हैं, इसमें हर तरह की कुरबानी दाख़िल है चाहे वाजिब हो या मुस्तहब।

فَكُلُوا مِنْهَا.

यहाँ लफ़्ज़ ‘कुलू’ अगरचे हुक्म के कलिमे से आया है मगर मुराद इससे उसका वाजिब होना नहीं बल्कि जायज़ व दुरुस्त होना है जैसा कि कुरआन की आयत:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا.

(यानी जब तुम एहराम से बाहर हो जाओ तो शिकार करो) में शिकार का हुक्म इजाज़त के मायने में है।

मसला: मक्का मुअज़्ज़मा और हज के ज़माने में मुख़लिफ़ किस्म के जानवर जिबह किये जाते हैं। एक किस्म वह है जो किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर जानवर की कुरबानी वाजिब हो जाती है जैसे किसी ने हरम शरीफ़ के अन्दर शिकार मार दिया तो उस पर उसकी जज़ा (बदले) में किसी जानवर की कुरबानी वाजिब होती है जिसकी तफ़्सील मसाईल की किताबों में है कि कौनसे जानवर के बदले में किस तरह का जानवर कुरबान करना है। इसी तरह जो काम एहराम की हालत में वर्जित और मना है अगर किसी ने वह काम कर लिया तो उस पर भी जानवर जिबह करना लाज़िम और वाजिब हो जाता है जिसको फ़ुक़हा की परिभाषा में दम-ए-जिनायत कहा जाता है। इसमें भी कुछ तफ़्सील है, कुछ मना किये हुए काम कर लेने से गाय या ऊँट ही की कुरबानी देना ज़रूरी होता है और कुछ के लिये बकरे दुबे की काफ़ी होती है। कुछ में दम वाजिब नहीं होता सिर्फ़ सदका देना काफ़ी होता है। इन तफ़्सीलात की यह जगह नहीं, अहक़र ने अपने रिसाले अहकामुल-हज्ज में ज़रूरत के मुताबिक़ लिख दिया है। दम की यह किस्म जो किसी जिनायत और जुर्म की सज़ा के तौर पर लाज़िम हुआ है उसका गोشت खाना खुद उस शख्स के लिये जायज़ नहीं बल्कि यह सिर्फ़ ग़रीबों और मिस्कीनों का हक़ है, किसी दूसरे मालदार आदमी को भी उसका खाना जायज़ नहीं। इस पर उम्मत के तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है। कुरबानी की बाकी किस्में चाहे वाजिब हों या नफ़ली, वाजिब में हनफ़िया, मालिकिया शाफ़ईया के नज़दीक दम-ए-तमत्तो और दम-ए-किरान भी दाख़िल है उन सब का गोشت कुरबानी करने वाला, उसके यार-दोस्त और रिश्तेदार चाहे मालदार हों वे भी खा

सकते हैं। इस आयत में इसी का बयान है और इसके मसाल की पूरी तफसील फ़िक्हा की किताबों में देखी जाये। अम कुरबानी का गोश्त हो या ख़ास हज की कुरबानियाँ इन सब का हुक्म यही है कि कुरबानी करने वाला खुद और हर मुसलमान ग़नी (मालदार) हो या फ़कीर उसमें से खा सकता है लेकिन मुस्तहब यह है कि कम से कम एक तिहाई हिस्सा ग़रीबों फ़कीरों को दे दिया जाये। इसी मुस्तहब हुक्म का बयान आयत के अगले जुमले में इस तरह फ़रमाया है:

وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

बाइस के मायने बहुत तंगदस्त मुसीबत के मारे हुए, और फ़कीर के मायने ज़रूरत मन्द के हैं। मतलब यह है कि कुरबानी के गोश्त में से उनको भी खिलाना और देना मुस्तहब और मतलूब है।

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

तफ़्स् के लुगवी मायने मैल-कुचैल के हैं जो इंसान के बदन पर जमा हो जाता है। एहराम की हालत में चूँकि बालों का मूँडना, काटना, नाचना इसी तरह नाखुन तराशना, खुशबू लगाना ये सब चीज़ें हराम होती हैं तो उनके नीचे मैल-कुचैल जमा होना तबई चीज़ है इस आयत में यह फ़रमाया कि जब हज में कुरबानी से फ़ारिग हो जाओ तो इस मैल-कुचैल को दूर करो। मतलब यह है कि अब एहराम खोल डालो और सर मुंडवा लो, नाखुन तराशो, नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लो। उक्त आयत में पहले कुरबानी करने का ज़िक्र आया उसके बाद एहराम खोलने का, इससे पता चलता है कि इसी तरतीब से काम करना चाहिये, कुरबानी से पहले सर मुंडवाना या नाखुन काटना वगैरह वर्जित और मना है और जो ऐसा करेगा उस पर दम-ए-जिनायत वाजिब होगा।

हज के कामों में तरतीब का दर्जा

जो तरतीब हज के कामों की कुरआन व हदीस में आई और फ़ुकहा ने उसको लिखा उसी तरतीब से हज के कामों का अदा करना उम्मत की सर्वसम्मति से कम से कम सुन्नत ज़रूर है, वाजिब होने में मतभेद है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रह. के नज़दीक वाजिब है जिसके खिलाफ़ करने से एक दम-ए-जिनायत लाज़िम होता है। इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक सुन्नत है इसलिये उसके खिलाफ़ करने से सवाब में कमी आती है मगर दम लाज़िम नहीं होता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है:

من قدم شيئاً من نسكِهِ او آخره فليهرق دماً (رواه ابن ابى شيبه موقوفاً وهو فى حكم المرفوع)

यानी जिस शख्स ने हज के कामों में से किसी को पहले या बाद में (यानी तरतीब के खिलाफ़) कर दिया उस पर लाज़िम है कि एक दम दे। (तफ़सीरे मज़हरी)

यह रिवायत इमाम तहावी ने भी मुख़ालिफ़ सनदों से नक़ल की है और हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत क़तादा, इमाम नख़ई, हसन बसरी रह. का भी यही मज़हब है कि खिलाफ़े तरतीब करने वाले पर दम लाज़िम करते हैं। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह इस मसले की पूरी तफ़सील व तहकीक़ ज़िक्र की है, साथ ही हज के दूसरे मसाल भी विस्तार से लिखे हैं।

وَلْيُوفُوا نُذْرَهُمْ

नुज़ूर 'नज़्र' की जमा (बहुवचन) है जिसको उर्दू में 'मन्नत' कहा जाता है। उसकी हकीकत यह है कि जो काम शरअन किसी शख्स पर लाज़िम और वाजिब नहीं था अगर वह ज़बान से यह नज़्र कर ले और मन्नत मान ले कि मैं यह काम करूँगा या अल्लाह के लिये मुझ पर लाज़िम है कि फुलौं काम करूँ तो यह नज़्र (मन्नत) हो जाती है। जिसका हुक्म यह है कि उसका पूरा करना वाजिब हो जाता है अगरचे असल से वाजिब नहीं था मगर उसके वाजिब हो जाने के लिये यह शर्त तो तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से है कि वह काम शरअन गुनाह और नाजायज़ न हो। अगर किसी शख्स ने गुनाह के काम की नज़्र मान ली तो उस पर उससे वह गुनाह करना लाज़िम नहीं हो जाता है बल्कि उसके खिलाफ़ करना वाजिब है, अलबत्ता उस पर क़सम का कफ़ारा लाज़िम हो जायेगा। और इमाम अबू हनीफ़ा रह. वगैरह फ़कीह इमामों के नज़दीक यह भी शर्त है कि वह काम ऐसा हो जिसकी जिन्स में कोई मक़सूद शरई इबादत पाई जाती हो जैसे नमाज़, रोज़ा, सदका, क़ुरबानी वगैरह कि उनकी जिन्स में कुछ शरई वाजिबात और मक़सूद इबादतें हैं। तो अगर कोई शख्स नफ़ली नमाज़ रोज़े सदके वगैरह की नज़्र (मन्नत) मान ले तो वह नफ़िल उसके जिम्मे वाजिब हो जाती है, उसका पूरा करना उसके जिम्मे लाज़िम व वाजिब है। उक्त आयत से यही हुक्म साबित होता है क्योंकि इसमें नज़्र के पूरा करने का हुक्म दिया गया है।

मसला: यह याद रहे कि सिर्फ़ दिल में किसी काम के करने का इरादा करने से नज़्र (मन्नत) नहीं होती जब तक ज़बान से नज़्र के अलफ़ाज़ अदा न करे। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह नज़्र और मन्नत के अहकाम व मसाईल बड़ी तफ़सील से ज़मा कर दिये हैं जो अपनी जगह बहुत अहम हैं मगर यहाँ उनकी गुंजाईश नहीं।

एक सवाल और उसका जवाब

इस आयत से पहले भी हज के आमाल क़ुरबानी और एहराम खोलने वगैरह का ज़िक्र हुआ है और आगे भी तवाफ़े ज़ियारत का बयान है बीच में मन्नत के पूरा करने का ज़िक्र किस मुनासबत से हुआ जबकि मन्नत का पूरा करना एक मुस्तक़िल हुक्म है हज में हो या हज के बगैर, और हरम शरीफ़ में हो या बाहर किसी मुल्क में।

जवाब यह है कि अगरचे मन्नत का पूरा करना एक मुस्तक़िल शरई हुक्म है, हज के दिनों और हज के कामों या हरम के साथ मख़सूस नहीं, लेकिन इसका ज़िक्र यहाँ हज के कामों के तहत में शायद इस वजह से है कि इनसान जब हज के लिये निकलता है तो दिल का तकाज़ा और ज़ब्बा होता है कि इस सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम और इबादतें अदा करे, उसमें बहुत सी चीज़ों की नज़्र (मन्नत) भी कर लेता है, खुसूसन जानवरों की क़ुरबानी की नज़्र करने का तो आम रिवाज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ नज़्र (मन्नत) से मुराद क़ुरबानी ही की नज़्र करार दी है। और हज के अहकाम के साथ एक मुनासबत नज़्र की यह भी है कि जिस तरह नज़्र और क़सम से इनसान पर बहुत सी चीज़ें जो शरीअत के असल हुक्म के एतबार से वाजिब नहीं थीं, वाजिब हो

जाती हैं। और बहुत सी चीजें जो असल अहकाम के एतिबार से हराम व नाजायज़ नहीं थीं वो उस शख्स पर नाजायज़ व हराम हो जाती हैं। एहराम के तमाम अहकाम तकरीबन ऐसे ही हैं कि सिले हुए कपड़े, खुशबू का इस्तेमाल, बाल मूँडना, नाखुन तराशना वगैरह अपने आप में कोई नाजायज़ काम न थे मगर उसने एहराम बाँधकर ये सब काम अपने ऊपर हराम कर लिये। इसी तरह हज के दूसरे आमाल व अरकान जो फर्ज़ तो उम्र में एक ही मर्तबा होते हैं मगर बाद में हज व उमरे के लिये एहराम बाँधकर ये सब काम उसके लिये फर्ज़ हो जाते हैं। इसी लिये हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह 'नुज़ूर' की तफ़सीर में यही फ़रमाया कि इससे वो अहकाम और चीजें मुराद हैं जो हज की वजह से उस पर लाज़िम हो गयी हैं।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

यहाँ तवाफ़ से मुराद तवाफ़े ज़ियारत है जो ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ को शैतानों को पत्थर मारने और कुरबानी के बाद किया जाता है, यह तवाफ़ का दूसरा रुक्न और फर्ज़ है, पहला रुक्न अरफ़ात में ठहरना है जो इससे पहले अदा हो जाता है। तवाफ़े ज़ियारत पर एहराम के सब अहकाम मुकम्मल होकर पूरा एहराम खुल जाता है (कुछ हज़रात के नज़दीक यह एहराम से निकलना कुरबानी के दिन है जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मअानी में लिखा है)।

بَيْتِ عَتِيقِ ۝

बैतुल्लाह का नाम बैत-ए-अतीक़ इसलिये है कि अतीक़ के मायने आज़ाद के हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने अपने घर का नाम बैत-ए-अतीक़ इसलिये रखा है कि अल्लाह तआला ने उसको काफ़िरों व ज़ोरावरों के ग़लबे और क़ब्ज़े से आज़ाद कर दिया है (जैसा कि इमाम तिमिज़ी ने नक़ल किया है, इमाम हाकिम ने इसको हसन कहा और इमाम इब्ने जरीर और तबरानी वगैरह ने इसको सही करार दिया है। तफ़सीर रूहुल-मअानी)। किसी काफ़िर की मजाल नहीं कि उस पर क़ब्ज़ा या ग़लबा हासिल कर सके। अस्थाब-ए-फ़ील (हाथी वालों) का वाकिआ इस पर सुबूत है। वल्लाहु आलम। तफ़सीरे मज़हरी में इस मौक़े पर तवाफ़ के तफ़सीली अहकाम व मसाईल जमा कर दिये हैं जो बहुत अहम और पढ़ने के काबिल हैं। वल्लाहु आलम

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ
الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۖ حُنَفَاءَ
لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ
تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ ۝
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

ज़ालि-क व मय्युअज़िज़म्

यह सुन चुके और जो कोई बड़ाई रखे

हुरुमातिल्लाहि फहु-व खौरुल्लहू
 जिन्-द रब्बिही, व उहिल्लत् लकुमुल्
 -अन्आमु इल्ला मा युत्ता अलैकुम्
 फज्जनिबुरिज्-स मिनल्-औसानि
 वज्जनिबू कौलज़्ज़ूर (30) हु-नफ़ा-अ
 लिल्लाहि गै-र मुशिरकी-न बिही, व
 मय्युशिरक् बिल्लाहि फ-कअन्नमा
 खर्-र मिनस्समा-इ फ-तख़्ताफ़ुहुतैरु
 औ तह्वी बिहिर्-रीहु फी मकानिन्
 सहीक् (31) ज़ालि-क व मय्युअज़्ज़िम्
 शअ-इरल्लाहि फ-इन्नहा मिन्
 तक्वल्-कुलूब (32) लकुम् फीहा
 मनाफ़िअु इला अ-जलिम् मुसम्मन्
 सुम्-म महिल्लुहा इलल्-बैतिल्-
 अतीक् (33) ❀

अल्लाह की हुर्मतों की सो वह बेहतर है
 उसके लिये अपने रब के पास, और
 हलाल हैं तुमको चौपाये मगर जो तुमको
 सुनाते हैं, सो बचते रहो बुतों की गन्दगी
 से और बचते रहो झूठी बात से (30)
 एक अल्लाह की तरफ़ के होकर, न कर
 उसके साथ शरीक बनाकर और जिसने
 शरीक बनाया अल्लाह का सो जैसे गिर
 पड़ा आसमान से फिर उचकते हैं उसको
 उड़ने वाले मुर्दार खाने वाले, या लेजा
 डाला उसको हवा ने किसी दूर मकान में।
 (31) यह सुन चुके, और जो कोई अदब
 रखे अल्लाह के नाम लगी चीज़ों का सो
 वह दिल की परहेज़गारी की बात है। (32)
 तुम्हारे वास्ते चौपायों में फ़ायदे हैं एक
 तयशुदा वायदे तक, फिर उनको पहुँचना
 उस क़दीम (पुराने) घर तक। (33) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

यह बात तो हो चुकी (जो हज के विशेष अहकाम थे) और (अब दूसरे आम अहकाम जिनमें हज और हज के अलावा दूसरे मसाईल भी हैं सुनो, कि) जो शख्स अल्लाह तआला के सम्मानित अहकाम की वक़अत करेगा सो यह उसके हक़ में उसके रब के नज़दीक बेहतर है। (अहकाम की वक़अत करने में यह भी दाख़िल है कि उनका इल्म भी हासिल करे और यह भी कि उन पर अमल का एहतिमाम करे। और अल्लाह के अहकाम की वक़अत का उसके लिये बेहतर होना इसलिये है कि वह अज़ाब से निजात और हमेशा की राहत का सामान है) और उन ख़ास चौपायों (में से बाज़-बाज़) को छोड़कर के जो तुमको पढ़कर सुना दिये गये हैं (यानी सूर: अन्आम वग़ैरह की आयत नम्बर 145 में हराम जानवरों की तफ़सील बतला दी गई है, उनके सिवा दूसरे चौपायों को) तुम्हारे लिये हलाल कर दिया गया है।

(इस जगह चौपाये जानवरों के हलाल होने का जिक्र इसलिये किया गया है कि एहराम की हालत

में शिकार की मनाही से किसी को एहराम की हालत में आम चौपाये जानवरों की मनाही का शुक्ल न हो जाये, और जब दीन व दुनिया की भलाई अल्लाह के अहकाम के सम्मान व अदब में सीमित है तो तुम लोग गन्दगी से यानी बुतों से (बिल्कुल) किनारा करने वाले रहो (क्योंकि बुतों को खुदा के साथ शरीक करना तो अल्लाह के हुक्म से खुली बगावत है। इस जगह शिर्क से बचने की हिदायत खास तौर पर इसलिये की गई है कि मक्का के मुशिरक अपने हज में जो तलबिया (लब्बैक के अलफाज़) पढ़ते थे उसमें 'इल्ला शरीकन् हु-व ल-क' मिला देते थे, यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं सिवाय उन बुतों के जो खुद उसी अल्लाह के हैं) और झूठी बात से बचते रहो (चाहे वह अफीदों का झूठ हो जैसे मुशिरक लोगों का शिर्क का एतिकाद या दूसरी किस्म का झूठ) इस तौर से कि अल्लाह ही की तरफ झुके रहो उसके साथ (किसी को) शरीक मत ठहराओ, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो (उसकी हालत ऐसी होगी जैसे) गोया वह आसमान से गिर पड़ा, फिर परिन्दों ने उसकी बोटियाँ नोच लीं या उसको हवा ने किसी दूर-दराज़ जगह में लेजा पटकवा।

यह बात भी (जो कायदा-ए-कुल्लिये के तौर पर थी) हो चुकी, और (अब एक जरूरी बात कुरबानी के जानवरों के मुताल्लिक और सुन लो कि) जो शख्स अल्लाह के दीन की इन (ज़िक्र हुई) यादगारों का पूरा लिहाज़ रखेगा तो उसका यह लिहाज़ रखना खुदा तआला से दिल के साथ डरने से होता है। (यादगारों का लिहाज़ रखने से मुराद अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी है जो कुरबानी से संबन्धित हैं चाहे ज़िबह से पहले के अहकाम हों या ज़िबह के वक़्त हों जैसा कि उस पर अल्लाह का नाम लेना या ज़िबह के बाद के हों जैसे उसका खाना या न खाना, कि जिसका खाना जिसके लिये हलाल है वह खाये जिसका खाना जिसके लिये हलाल नहीं वह न खाये। इन अहकाम में कुछ तो पहले भी ज़िक्र किये जा चुके और कुछ ये हैं कि) तुमको उनसे एक तयशुदा वक़्त तक फ़ायदे हासिल करना जायज़ है (यानी जब तक वो शरई कायदों के मुताबिक हदी न कर दिये जायें तो उनसे दूध या सवारी या बोझ ढोने वगैरह का फ़ायदा उठाना जायज़ है, मगर जब उनको बैतुल्लाह और हज व उमरे के लिये हदी बना दिया तो फिर उनसे कोई नफ़ा उठाना जायज़ नहीं) फिर (यानी हदी बनने के बाद) उसके ज़िबह हलाल होने का स्थान बैत-ए-अतीक "यानी बैतुल्लाह" के करीब है (इस से मुराद पूरा हरम है यानी हरम से बाहर ज़िबह न करें)।

मअरिफ़ व मसाईल

'हुरुमातिल्लाहि' से मुराद अल्लाह की इज़ज़त वाली सम्मानित बनाई हुई चीज़ें यानी शरीअत के अहकाम हैं। उनकी ताज़ीम यानी उनका इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना दुनिया व आखिरत की कामयाबी व नेकबख्ती का सरमाया है।

أَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا بَيَّنَّا عَلَيْكُمْ

'अन्आम' से मुराद ऊँट, गाय, बकरा, मेंढा, दुंबा वगैरह हैं कि ये जानवर एहराम की हालत में भी हलाल हैं और 'इल्ला मा युत्ला' में जिन जानवरों को इस हुक्म से अलग और बाहर रखने का ज़िक्र है उनका बयान दूसरी आयतों में आया है। वह मुर्दार जानवर और चोट से मरा हो और जिस

ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

यहाँ बैत-ए-अतीक से मुराद पूरा हरम शरीफ है जो दर हकीकत बैतुल्लाह ही का खास हरीम है जैसे पहले गुज़री आयतों में मस्जिदे हराम के लफ़्ज़ से पूरा हरम मुराद लिया गया, यहाँ बैते अतीक के लफ़्ज़ से भी पूरा हरम मुराद है। और 'महिल्लुहा' से मुराद ज़िबह का स्थान है, यानी हदी के जानवरों के ज़िबह करने का मक़ाम बैते अतीक के पास है, और मुराद पूरा हरम है कि वह बैते अतीक ही के हुक्म में है। इससे मालूम हुआ कि हदी (क़ुरबानी के जानवर) का ज़िबह करना हरम के अन्दर ज़रूरी है, हरम से बाहर जायज़ नहीं। और फिर हरम आम है चाहे मीना में क़ुरबानी की जगह हो या मक्का मुकर्रमा की कोई और जगह हो। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

الْأَنْعَامِ ۗ وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْخَبِيثِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۗ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالْبُدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

व लिक्वुल्लि उम्मतिन् जअलना
मन्-सकल् लि-यज़्कुरुस्मल्लाहि अला
मा र-ज़-कहुम् मिम्-बहीमतिल्-
अन्आमि, फ-इलाहुकुम् इलाहुब्वाहिदुन्
फ-लहू अस्लिम्, व बशिशरिल्-
मुखिबतीन (34) अल्लजी-न इज़ा
ज़ुकिरल्लाहु वजिलत् कुलूबुहुम्
वस्साबिरी-न अला मा असा-बहुम्
वल्गुकीमिस्सलाति व मिम्मा
रज़कनाहुम् युन्फिकून् (35) वल्बुद्-न

और हर उम्मत के वास्ते हमने मुकर्रर कर दी है क़ुरबानी कि याद करें अल्लाह के नाम ज़िबह पर चौपायों के जो उनको अल्लाह ने दिये, सो अल्लाह तुम्हारा एक अल्लाह है सो उसी के हुक्म में रहो और खुशख़बरी सुना दे आजिज़ी करने वालों को (34) वे कि जब नाम लीजिए अल्लाह का डर जायें उनके दिल और सहने वाले उसको जो उन पर पड़े, और कायम रखने वाले नमाज़ के और हमारा दिया हुआ कुछ ख़र्च करते रहते हैं। (35) और काबे

अल्लाहा लकुम् मिन् शआ-इरिल्लाहि
 इम् फीहा खैरुन् फज़्कुरुस्मल्लाहि
 अलैहा सवाफ़-फ़ फ़-इज़ा व-जबत्
 जुनुबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्तिमुल्-
 कानि-अ वल्मुज़्तर-र, कज़ालि-क
 सख़्ख़ार्नाहा लकुम् लअल्लकुम्
 तश्कुरुन (36) लंय्यनालल्ला-ह
 लुहूमुहा व ला दिमा-उहा व ला
 किंय्यनालुहुत्-तक् वा मिन्कुम्,
 कज़ालि-क सख़्खा-रहा लकुम्
 लितुकब्बिरुल्ला-ह अला मा हदाकुम्,
 व बशिशरिल्-मुस्सिनीन (37)

के चढ़ाने के ऊँट ठहराये हैं हमने तुम्हारे
 वास्ते निशानी अल्लाह के नाम की तुम्हारे
 वास्ते उसमें भलाई है सो पढ़ो उन पर
 नाम अल्लाह का क़तार बाँधकर फिर जब
 गिर पड़े उनकी करवट तो खाओ उसमें
 से और खिलाओ सब से बैठे को और
 बेकरारी करते को, इसी तरह तुम्हारे बस
 में कर दिया हमने उन जानवरों को ताकि
 तुम एहसान मानो। (36) अल्लाह को
 नहीं पहुँचता उनका गोशत और न उनका
 खून लेकिन उसको पहुँचता है तुम्हारे दिल
 का अदब, इसी तरह उनको बस में कर
 दिया तुम्हारे कि अल्लाह की बड़ाई पढ़ो
 इस बात पर कि तुमको राह सुझाई और
 खुशख़बरी सुना दे नेकी वालों को। (37)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऊपर जो क़ुरबानी का हरम में ज़िबह करने का हुक्म है इससे कोई यह न समझे कि
 असली मक़सद हरम का सम्मान है बल्कि असल मक़सद अल्लाह ही की ताज़ीम और उसके साथ
 निकटता पैदा करना है, और ज़िबह होने वाला और ज़िबह होने का मक़ाम उसका एक आला और
 ज़रिया है, और यह ख़ास करना कुछ हिक्मतों की वजह से है, और अगर यह ख़ास करना असली
 मक़सद होता तो किसी शरीअत में ये अहक़ाम न बदलते, मगर इनका बदलते रहना जाहिर है,
 अलबत्ता अल्लाह की निकटता और रज़ा जो असल मक़सद था वह सब शरीअतों में महफ़ूज़ रहा,
 चुनाँचे) हमने (जितने शरीअतों वाले गुज़रे हैं उनमें से) हर उम्मत के लिये क़ुरबानी करना इस गुज़ से
 मुक़रर किया था कि वे उन मख़सूस चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको अ़ता फ़रमाया
 था (पस असली मक़सद यह नाम लेना था)। सो (इससे यह बात निकल आई कि) तुम्हारा (असली
 और वास्तविक) माबूद एक ही खुदा है (जिसका ज़िक्र करके सब को उसकी निकटता और रज़ा
 हासिल करने का हुक्म होता रहा) तो तुम पूरी तरह उसी के होकर रहो। (यानी ख़ालिस तौहीद वाले
 रहो, किसी जगह व स्थान वगैरह को अपने आप में काबिले एहतिराम और सम्मानीय समझने से ज़रा
 दराबर शिकं का शुब्का भी आपने अ़मल में न होने दो)।

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जो लोग हमारी इस तालीम पर अ़मल करें) आप

(अल्लाह के अहकाम के सामने ऐसे) गर्दन झुका देने वालों को (जन्नत वगैरह की) खुशखबरी सुना दीजिये जो (इस खालिस तौहीद की बरकत से) ऐसे हैं कि जब (उनके सामने) अल्लाह (के अहकाम व सिफात और वायदा-वईद) का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जो उन मुसीबतों पर जो कि उन पर पड़ती हैं सब करते हैं, और जो नमाज की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से (हुक्म और तौफीक के मुताबिक) खर्च करते हैं (यानी खालिस तौहीद ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि उसकी बदौलत नफ्सानी, बदनी और माली कमालात पैदा हो जाते हैं)। और (इसी तरह ऊपर जो अल्लाह के शआइर..... में कुछ फायदे हासिल करने का वर्जित और मना होना मालूम हुआ है इससे भी उन कुरबानियों के अपनी ज़ात के एतिबार से सम्मानीय होने का शुक्ल न किया जाये, क्योंकि इससे भी असल वही अल्लाह तआला की और उसके दीन की ताज़ीम और सम्मान है, और ये विशेष करना उसका एक तरीका है, पस) कुरबानी के ऊँट और गाय को (और इसी तरह भेड़ और बकरी को भी) हमने अल्लाह (के दीन) की यादगार बनाया है (कि उसके मुताल्लिक अहकाम के इल्म और अमल से अल्लाह की बड़ाई और दीन की वक़अत ज़ाहिर होती है कि उसके लिये नामित की हुई चीज़ से लाभान्वित होने में वक़ती मालिक की राय काबिले एतिबार न रहे जिससे उसकी पूरी बन्दगी और असली मालिक का माबूद होना ज़ाहिर होता है, और इस दीनी हिक्मत के अलावा) इन जानवरों में तुम्हारे (और भी) फायदे हैं (मसलन दुनियावी फायदे खाना और खिलाना और आखिरी फायदा सवाब है)। सो (जब इसमें ये हिक्मतें हैं तो) तुम उन पर खड़े करके (ज़िबह करने के वक़्त) अल्लाह का नाम लिया करो (यह सिर्फ़ ऊँटों के एतिबार से फरमाया कि उनका खड़े करके ज़िबह करना बेहतर है क्योंकि इससे वो आसानी से ज़िबह हो जाते हैं और रूह भी सहूलत से निकल जाती है। पस इससे तो आखिरत का फायदा यानी सवाब हासिल हुआ और साथ ही अल्लाह की बड़ाई ज़ाहिर हुई कि उसके नाम पर एक जान कुरबान हुई जिससे उसका खालिक और इसका मख़्लूक होना ज़ाहिर कर दिया गया)। पस जब वो (किसी) करवट के बल गिर पड़े (और ठंडे हो जाएँ) तो तुम खुद भी खाओ और सवाल न करने वाले और सवाल करने वाले (मोहताज) को (जो कि फकीर की दो किस्में हैं) भी खाने को दो (कि यह दुनियावी फायदा भी है और) हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया (कि तुम बावजूद तुम्हारे कमज़ोरी और उनकी कुव्वत के इस तरह उसके ज़िबह पर कादिर हो गये) ताकि तुम (इस ताबे कर देने पर अल्लाह तआला का) शुक्र करो।

(यह हिक्मत उसके सिर्फ़ ज़िबह करने में है, उसकी कुरबानी होने का मामला अलग है। और आगे ज़िबह करने की विशेषता को अपने आप में मकसूद व उद्देश्य न होने को एक अक्ली कायदे से बयान फरमाते हैं कि देखो ज़ाहिर बात है कि) अल्लाह के पास न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़वा (जो कि अल्लाह की निकटता और रज़ा हासिल करने की नीयत करना उसके शोबों में से है, ज़रूर) पहुँचता है, (पस वही अल्लाह की बड़ाई व ताज़ीम का असल मकसूद होना साबित हो गया। और जैसे ऊपर 'इसी तरह तुम्हारे बस में कर दिया....' में ताबे और बस में करने की एक आम हिक्मत यानी कुरबानी होने की खुसूतियत से अलग बयान हुई थी

आगे ताबे और कब्जे में करने की एक खास हिक्मत यानी कुरबानी होने के लिहाज से इरशाद फरमाते हैं कि) इसी तरह अल्लाह तआला ने उन जानवरों को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया ताकि तुम (अल्लाह की राह में उनकी कुरबानी करके) इस बात पर अल्लाह की बड़ाई (बयान) करो कि उसने तुमको (इस तरह कुरबानी करने की) तौफीक दी, (वरना अगर अल्लाह की तौफीक साथ न होती तो या तो जिबह ही में शुब्हात निकालकर इस इबादत से मेहरूम रहते और या गैरुल्लाह के नाम पर जिबह करने लगते) और (ऐ मुहम्मद!) इख्लास वालों को खुशखबरी सुना दीजिए (इससे पहले खुशखबरी इख्लास के विभागों पर थी यह खास इख्लास पर है)।

मअरिफ़ व मसाईल

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

लफ़्ज़ 'मन्सक' और 'नुसुक' अरबी भाषा के एतिबार से कई मायने के लिये बोला जाता है। एक मायने जानवर की कुरबानी के दूसरे मायने हज के तमाम अरकान के और तीसरे मायने सिर्फ़ और आम इबादत के हैं। कुरआने करीम में मुख़ालिफ़ मौकों पर यह लफ़्ज़ इन तीन मायने में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तीनों मायने मुराद हो सकते हैं इसी लिये तफ़सीर के इमामों में से इमाम मुजाहिद वगैरह ने इस जगह मन्सक को कुरबानी के मायने में लिया है। इस पर आयत के मायने यह होंगे कि कुरबानी का हुक्म जो इस उम्मत के लोगों को दिया गया है कोई नया हुक्म नहीं, पिछली सब उम्मतों के भी जिम्मे कुरबानी की इबादत लगाई गयी थी। और क़तादा रह. ने दूसरे मायने में लिया है जिस पर आयत की मुराद यह होगी कि हज के अरकान जैसे इस उम्मत पर आयद किये गये हैं पिछली उम्मतों पर भी हज फ़र्ज़ किया गया था। इब्ने अरफ़ा ने तीसरे मायने लिये हैं, उस एतिबार से आयत की मुराद यह होगी कि हमने अल्लाह की इबादत गुज़ारी सब पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ की थी, इबादत के तरीके में कुछ-कुछ फ़र्क सब उम्मतों में रहा है मगर असल इबादत सब में मुश्तरक रही है।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

लफ़्ज़ 'ख़ब्त' अरबी भाषा में पस्त ज़मीन के मायने में आता है, इसी लिये "ख़बीत" उस शख्स को कहा जाता है जो अपने आपको हकीर (कमतर) समझे। इसी लिये हज़रत क़तादा व मुजाहिद ने मुख़िबतीन का तर्जुमा तवाज़ो करने वालों से किया है। अमर बिन औस फ़रमाते हैं कि मुख़िबतीन वे लोग हैं जो लोगों पर जुल्म नहीं करते और अगर कोई उन पर जुल्म करे तो उससे बदला नहीं लेते। सुफ़ियान ने फ़रमाया कि ये वे लोग हैं जो अल्लाह के फ़ैसले और तकदीर पर राहत व परेशानी फ़राख़ी और तंगी हर हाल में राज़ी रहते हैं।

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ

'क़जल' के असली मायने उस ख़ौफ़ व हैबत के हैं जो किसी की बड़ाई की बिना पर दिल में पैदा हो। अल्लाह के नेक बन्दों का यही हाल होता है कि अल्लाह तआला का ज़िक्र और नाम सुनकर उनके दिलों पर उसकी अज़मत और बड़ाई के सबब एक खास हैबत (रौब व डर) तारी हो जाती है।

وَالْبُذُنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

पहले गुज़र चुका है कि शआइर उन खास अहकाम व इबादत का नाम है जो दीने इस्लाम की निशानियाँ और पहचान समझी जाती हैं। कुरबानी भी उन्हीं में से है, ऐसे अहकाम की पाबन्दी ज्यादा अहम है।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً

सवाफ़ 'मस्कूफ़ा' के मायने में है, यानी सफ़ और क़तार बाँधकर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तफ़सीर यह बयान फ़रमाई है कि जानवर तीन पाँव पर खड़ा हो, एक हाथ बंधा हुआ हो। यह सूरत कुरबानी के ऊँट के साथ मख़सूस है, उसकी कुरबानी खड़े होने की हालत में सुन्नत और बेहतर है, बाकी जानवरों को लेटाकर ज़िबह करना सुन्नत है।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

यहाँ 'व-जबत्' स-कतत् के मायने में आया है और इससे जानवर की जान निकल जाना है।

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

पिछली आयत में जिन लोगों को कुरबानी का गोश्त देना चाहिये उनको 'बाइस फ़कीर' के लफ़्ज़ से याद किया गया है जिसके मायने हैं भुसीबत का मारा मोहताज। इस आयत में इसकी जगह 'क़ानेज़्' और 'मोअ़्तर' के दो लफ़्ज़ों में इसकी वज़ाहत व मतलब बयान किया गया है। 'क़ानेज़्' से मुराद वह मोहताज फ़कीर है जो लोगों से सवाल नहीं करता, अपनी गुर्बत व फ़क़ के बावजूद अपनी जगह बैठकर जो मिल जाये उस पर क़नाअत करता है, और 'मोअ़्तर' जो ऐसे मौकों (समय और जगहों) पर जाये जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो, चाहे ज़बान से सवाल करे या न करे। (तफ़सीरे मज़हरी)

इबादतों की खास सूरतें असल उद्देश्य नहीं बल्कि

दिल का इख़्लास व इताअत मक़सूद है

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا

ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 37 में यह बतलाना मक़सूद है कि कुरबानी जो एक अज़ीम इबादत है अल्लाह के पास उसका गोश्त और खून नहीं पहुँचता, न वह कुरबानी मक़सूद है, बल्कि असली मक़सूद और उद्देश्य उस पर अल्लाह का नाम लेना और हुक्मे रब्बी की तामील दिली इख़्लास के साथ है। यही हुक्म दूसरी तमाम इबादतों का है कि नमाज़ के रुकूअ सज्दे वगैरह, रोज़े में भूखा प्यासा रहना असल मक़सूद नहीं बल्कि असली मक़सूद अल्लाह तआला के हुक्म की तामील दिली इख़्लास व मुहब्बत के साथ है। अगर ये इबादतें उस इख़्लास व मुहब्बत से ख़ाली हैं तो सिर्फ़ सूरन और ढाँचा है, रुह ग़ायब है, मगर इबादतों की ज़ाहिरी सूरत और ढाँचा जो शरीअत ने बताया है वह भी इसलिये ज़रूरी है कि हुक्मे रब्बी की तामील के लिये उसकी तरफ़ से ये सूरतें भुतैयन फ़रमा दें।

गयी हैं। वल्लाहु आलम

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

الثالثة
٥
ع
١٢

इन्नल्ला-ह युदाफिअु अनिल्लजी-न आमनू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल खव्वानिन् कफूर। (38) ❁ ▲	अल्लाह दुश्मनों को हटा देगा ईमान वालों से, अल्लाह को पसन्द नहीं आता कोई दगाबाज नाशुक्रा। (38) ❁ ▲
---	---

खुलासा-ए-तफ़सीर

बिला शुब्हा अल्लाह तआला (उन मुशिरक लोगों के ग़लबे और तकलीफ़ पहुँचाने की कुदरत को) ईमान वालों से (जल्द ही) हटा देगा (कि फिर हज वगैरह से रोक ही न सकेंगे)। बेशक अल्लाह तआला किसी दगाबाज कुफ़र करने वाले को नहीं चाहता (बल्कि ऐसे लोगों से नाराज़ है इसलिए अन्जाम कार उन लोगों को मग़लूब और पक्के सच्चे मोमिनों को ग़ालिब करेगा)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इससे पहले की आयतों में इसका ज़िक्र था कि मुशिरक लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा को जो उमरे का एहराम बाँधकर मक्का मुकर्रमा के करीब हुदैबिया के मक़ाम पर पहुँच चुके थे, हरम शरीफ़ और मस्जिदे हराम में जाने और उमरा अदा करने से रोक दिया था। इस आयत में मुसलमानों को इस वायदे के साथ तसल्ली दी गयी है कि अल्लाह तआला बहुत जल्दी उन मुशिरकों की इस कुव्वत को तोड़ देगा जिसके ज़रिये वे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। यह वाकिआ सन् 6 हिजरी में पेश आया था, इसके बाद से लगातार काफ़िरों व मुशिरकों की ताक़त कमज़ोर और हिम्मत पस्त होती चली गयी, यहाँ तक कि सन् 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया। अगली आयतों में इसकी तफ़सील आ रही है।

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

उजि-न लिल्लजी-न युकातलू-न
 बि-अन्नहुम् जुलिम्, व इन्नल्ला-ह
 अला नसिरहिम् ल-कदीर (39)
 अल्लजी-न उख़िजू मिन् दियारिहिम्
 बिगैरि हक्किन् इल्ला अंय्यकूलू
 रब्बुनल्लाहु, व लौ ला
 दफ़्जुल्लाहिन्ना-स बअज़हुम्
 बिबअज़िल्-लहुदिमत् सवामिअु व
 बि-यअुं-व स-लवातुं-व मसाजिदु
 युज़करु फ़ीहस्मुल्लाहि कसीरन्, व
 ल-यन्सुरन्नल्लाहु मंय्यन्सुरुहू,
 इन्नल्ला-ह ल-कविय्युन् अज़ीज़
 (40) अल्लजी-न इम्-मक्कन्नाहुम्
 फ़िल्अर्जि अकामुस्सला-त व
 आ-तवुज़्ज का-त व अ-मरू
 बिल्-मअरूफ़ि व नहौ अनिल्-
 मुन्कारि, व लिल्लाहि आकि-बतुल्-
 उमूर (41)

हुक्म हुआ उन लोगों को जिनसे काफ़िर
 लड़ते हैं इस वास्ते कि उन पर जुल्म
 हुआ, और अल्लाह उनकी मदद करने पर
 कादिर है (39) वे लोग जिनको निकाला
 उनके घरों से और दावा कुछ नहीं सिवाय
 इसके कि वे कहते हैं हमारा रब अल्लाह
 है, और अगर न हटाया करता अल्लाह
 लोगों को एक को दूसरे से तो ढहाये जाते
 तकिये और मदरसे और इबादत ख़ाने
 और मस्जिदें जिनमें नाम पढ़ा जाता है
 अल्लाह का बहुत, और अल्लाह मुक़र्रर
 (तयशुदा) मदद करेगा उसकी जो मदद
 करेगा उसकी, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है
 जोर वाला। (40) वे लोग कि अगर हम
 उनको कुदरत दें मुल्क में तो वे कायम
 रखें नमाज़ और दें ज़कात और हुक्म करें
 भले काम का और मना करें बुराई से,
 और अल्लाह के इख़्तियार में है आख़िर
 (अन्जाम व परिणाम) हर काम का। (41)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(अगरचे अब तक काफ़िरों की मस्तेहत से लड़ने की मनाही थी लेकिन अब) लड़ने की उन लोगों
 को इजाज़त दे दी गई जिनसे (काफ़िरों की तरफ़ से) लड़ाई की जाती है, इस वजह से कि उन पर
 (बहुत) जुल्म किया गया है (यह वजह और सबब है जिहाद का हुक्म आने और उसके लागू होने का)
 और (इस इजाज़त की हालत में मुसलमानों की कमी और काफ़िरों की अधिकता पर नज़र न करनी
 चाहिए क्योंकि) बिला शुब्हा अल्लाह तआला उनके ग़ालिब कर देने पर पूरी कुदरत रखता है। (आगे
 उनकी मजलूमियत का बयान है कि) जो (बेचारे) अपने घरों से बेवजह निकाले गये सिर्फ़ इतनी बात
 पर कि वे यूँ कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है (यानी अल्लाह को एक मानने के अक़ीदे पर काफ़िरों

का यह सारा का सारा गुस्सा व नाराज़गी थी कि उनको इस कद्र परेशान किया कि वतन छोड़ना पड़ा। आगे जिहाद की हिक्मत है) और अगर यह बात न होती कि अल्लाह तआला (हमेशा से) लोगों का एक-दूसरे (के हाथ) से जोर न घटवाता रहता (यानी हक वालों को बातिल वालों पर वक्त वक्त पर ग़ालिब न करता रहता) तो (अपने-अपने ज़मानों में) ईसाइयों के तन्हाई के मक़ामात और इबादत खाने और यहूदियों के इबादत खाने और (मुसलमानों की) वो मस्जिदें जिनमें अल्लाह तआला का नाम कसरत से लिया जाता है, सब ध्वस्त (और नापैद) हो गये होते।

(आगे जिहाद में इख़लास पर ग़लबे और कामयाबी की खुशख़बरी है) और बेशक अल्लाह तआला उसकी मदद करेगा जो कि अल्लाह (के दीन) की मदद करेगा (यानी उसके लड़ने में ख़ालिस नीयत अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने की हो) बेशक अल्लाह कुव्वत वाला (और) ग़लबे वाला है (वह जिसको चाहे ग़लबा और कुव्वत दे सकता है। आगे उनकी फ़ज़ीलत है) ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम इनको दुनिया में हुकूमत दे दें तो ये लोग खुद भी नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दें और (दूसरों को भी) नेक कामों के करने को कहें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अन्जाम तो अल्लाह के ही इख़्तियार में है। (पस मुसलमानों की मौजूदा हालत देखकर ये कोई क्योंकर कह सकता है कि अन्जाम भी इनका यही रहेगा, बल्कि मुम्किन है कि इसका उल्टा हो जाये, चुनाँचे हुआ)।

मआरिफ़ व मसाईल

काफ़िरों के साथ जिहाद का पहला हुक्म

मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों पर काफ़िरों के जुल्म और अत्याचारों का यह हाल था कि कोई दिन ख़ाली न जाता था कि कोई मुसलमान उनके सितम के हाथ से ज़ख़मी और चोट खाया हुआ न आता हो। मक्का में रहने के आख़िरी दौर में मुसलमानों की संख्या भी अच्छी-खासी हो चुकी थी, वे काफ़िरों के जुल्म व ज़्यादती की शिकायतें और उनके मुक़ाबले में क़त्ल व क़िताल (जंग व जिहाद) की इजाज़त माँगते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जवाब में फ़रमाते कि सब करो मुझे अभी तक क़िताल (जिहाद और लड़ाई) की इजाज़त नहीं दी गयी। यह सिलसिला दस साल तक इसी तरह जारी रहा। (तफ़सीरे कुर्तुबी इब्ने अरबी के हवाले से)

जिस वक्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वतन मक्का छोड़ने और हिजरत करने पर मजबूर कर दिये गये और सिदीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथी थे तो मक्का मुकर्रमा से निकलते वक्त आपकी ज़बान से निकला:

اخرجوا نبیهم لیهلکن

यानी इन लोगों ने अपने नबी को निकाला है अब इनकी तबाही का वक्त आ गया है। इस पर मदीना तथ्यिया पहुँचने के बाद यह ऊपर बयान हुई आयतें नाज़िल हुई (जिनमें मुसलमानों को काफ़िरों से जिहाद और लड़ने की इजाज़त दे दी गयी)। (नसाई, तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास की रिवायत से; कुर्तुबी)

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माज़ा, इब्ने हिब्बान और

हाकिम बग़ैरह ने रियायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसको हसन फ़रमाया है। रियायत यह है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि यह पहली आयत है जो काफ़िरों से जिहाद व जंग के मामले में नाज़िल हुई, जबकि इससे पहले सत्तर से ज़्यादा आयतों में क़िताल (जंग व जिहाद) को वर्जित करार दिया गया था।

जंग व जिहाद की एक हिक्मत

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ.

इसमें लड़ाई व जिहाद की हिक्मत का और इसका बयान है कि यह कोई नया हुक्म नहीं पिछले नबियों और उनकी उम्मतों को भी काफ़िरों के साथ जंग व जिहाद के अहकाम दिये गये हैं, और अगर ऐसा न किया जाता तो किसी मज़हब और दीन की ख़ैर न थी। सारे ही दीन व मज़हब और उनकी इबादत के स्थान ढहा दिये जाते।

لَهَيْمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ.

जितने दीन व मज़हब दुनिया में ऐसे हुए हैं कि किसी ज़माने में उनकी असल बुनियाद अल्लाह की तरफ़ से और वही के ज़रिये से कायम हुई थी, फिर वह निरस्त व ख़त्म हो गये और उनमें रद्दोबदल होकर कुफ़्र व शिर्क में तब्दील हो गये, मगर अपने-अपने वक़्त में वही हक़ थे, उन सब की इबादत गाहों का इस आयत में ज़िक्र फ़रमाया है। क्योंकि अपने-अपने वक़्त में उनकी इबादत गाहों का सम्मान और हिफ़ाज़त फ़र्ज़ थी, उन मज़ाहिब के इबादत ख़ानों का ज़िक्र नहीं फ़रमाया जिनकी बुनियाद किसी वक़्त भी नुबुव्वत और अल्लाह की वही पर नहीं थी, जैसे आग को पूजने वाले मजूस या बुत-परस्त हिन्दू, क्योंकि उनके इबादत ख़ाने किसी वक़्त भी काबिले एहतिराम (सम्मानीय) न थे।

आयत में 'सवामेअ' सूमआ की जमा (बहुवचन) है जो ईसाईयों के दुनिया से किनारा किये हुए राहिबों की ख़ास इबादत गाह को कहा जाता है, और 'बियअ' 'बीअतुन' की जमा है, जो ईसाईयों की आम कनीसों का नाम है, और 'सलवात' 'सलूत' की जमा है जो यहूदियों के इबादत ख़ाने का नाम है और 'मसाजिद' मुसलमानों की इबादत गाहों का नाम है।

आयत का मतलब यह है कि अगर काफ़िरों से जंग व जिहाद के अहकाम न आते तो किसी ज़माने में किसी मज़हब व मिल्लत के लिये अमन की जगह न होती। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 'सलवात' और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 'सवामेअ' और 'बियअ' और ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में मस्जिदें ढहा दी जातीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के बारे में क़ुरआन की

भविष्यवाणी और उसका ज़ाहिर होना

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ.

इस आयत में 'अल्लाज़ी-न' सिफ़त है उन लोगों की जिनका ज़िक्र इससे पहले आयत में इन

अलफ़ाज़ से आया है 'अल्लज़ी-न ख़-रजू मिन् दियारिहिम् बिगैरि हक्किन्' यानी वे लोग जिनको उनके घरों से जुल्मन बगैर किसी हक़ के निकाल दिया गया। उन लोगों के बारे में इस आयत में यह फ़रमाया गया है कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको ज़मीन में हुकूमत व सत्ता दे दी जाये तो ये लोग अपने इख़्तियार व ताक़त को इन कामों में ख़र्च करेंगे कि नमाज़ें कायम करें और ज़कात अदा करें और नेक कामों की तरफ़ लोगों को दावत दें, बुरे कामों से रोकें। और यह ऊपर मालूम हो चुका है कि ये आयतें मदीने की हिजरत के फ़ौरन बाद उस वक़्त नाज़िल हुई हैं जबकि मुसलमानों को किसी भी ज़मीन में हुकूमत व ताक़त और सत्ता हासिल नहीं थी, मगर हक़ तआला ने उनके बारे में पहले ही यह ख़बर दे दी कि जब इनको हुकूमत की ताक़त मिलेगी तो ये दीन की मज़कूरा अहम ख़िदमतें अन्जाम देंगे, इसी लिये हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया:

ثناء قبل بلاء.

यानी अल्लाह तआला का यह इरशाद अमल के वजूद में आने से पहले उसके अमल करने वालों की तारीफ़ व प्रशंसा है। फिर अल्लाह तआला की इस ख़बर का जिसका वाक़े और ज़ाहिर होना यकीनी था, इस दुनिया में इस तरह ज़हूर हुआ कि चारों ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और मुहाजिरीन के ऊपर 'अल्लज़ी-न उख़िजू' पूरी तरह सही बैठता था, फिर अल्लाह तआला ने उन्हीं को सबसे पहले ज़मीन की हुकूमत व सल्तनत अता फ़रमाई और क़ुरआन की भविष्यवाणी के मुताबिक़ उनके आमाल व किरदार और कारनामों ने दुनिया को दिखला दिया कि उन्होंने अपनी ताक़त व इख़्तियार को इसी काम में इस्तेमाल किया कि नमाज़ें कायम कीं, ज़कात का निज़ाम मज़बूत किया, अच्छे कामों को रिवाज दिया, बुरे कामों का रास्ता बन्द किया।

इसी लिये उलेमा ने फ़रमाया कि यह आयत इसकी दलील है कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन सब के सब इसी खुशख़बरी के मिस्दाक़ हैं, और ख़िलाफ़त का जो निज़ाम उनके ज़माने में कायम हुआ वह हक़ व सही और अल्लाह तआला के इरादे और रज़ा और पेशगी ख़बर के पूरी तरह मुताबिक़ है।

(तफ़सीर रुहुल-मआनी)

यह तो इस आयत के उतरने और नाज़िल होने का वाक़िआती पहलू है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ जब आम हों तो वो किसी ख़ास वाक़िआ में सीमित नहीं होते, उनका हुक़म आम होता है। इसी लिये तफ़सीर के इमामों में से इमाम ज़ह्हाक़ रह. ने फ़रमाया कि इस आयत में उन लोगों के लिये हिदायत भी है जिनको अल्लाह तआला मुल्क व सल्तनत अता फ़रमा दें कि वे अपनी हुकूमत व सत्ता में ये काम अन्जाम दें जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने अपने वक़्त में अन्जाम दिये थे।

(तफ़सीरे कुर्तुबी, बज़ाहत के साथ)

وَإِنْ يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٍ ۚ فَكَايِنٍ مِّنْ قَرِيْبَةٍ

أَهْلَكْنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعْتَلَةٍ وَتَصْرٍ مَّشِيدٍ ۝
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا
 تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ
 لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ - وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَانَ مِنْ
 قَرِيْبَةٍ أَمْكَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا ۝ وَاللَّيْلِ الْمَصِيرُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

व इय्युकज्जिबू-क फ-कद् कज्ज-बत्
 कब्लहुम् कौमु नूहिन्-व आदुन्-व
 समूद (42) व कौमु इब्राही-म व
 कौमु लूत (43) व अस्थाबु मद्य-न
 व कुज्जि-ब मूसा फ अम्लै तु
 लिल्काफिरी-न सुम्-म अ-खज्तुहुम्
 कै-फ का-न नकीर (44)
 फ-कअरियम्-मिन् कर्-यतिन्
 अहलक्नाहा व हि-य जालि-मतुन्
 फहि-य खावि-यतुन् अला उरुशिहा
 व बिअरिम् मु-अत्त-लतिन्-व
 कस्मि-मशीद (45) अ-फलम् यसीरु
 फिल्अर्जि फ-तकू-न लहुम् कुलूबुय्-
 यअकिलू-न बिहा औ आजानुय्-
 यस्मअ-न बिहा फ-इन्नहा ला
 तअमल्-अब्सारु व लाकिन् तअमल्
 कुलूबुल्लती फिस्सुदूर (46) व

और अगर तुझको झुठलाये तो उनसे
 पहले झुठला चुकी है नूह की कौम और
 आद और समूद। (42) और इब्राहीम की
 कौम और लूत की कौम। (43) और
 मद्यन के लोग, और मूसा को झुठलाया
 फिर मैंने ढील दी मुन्किरों को फिर पकड़
 लिया उनको तो कैसा हुआ मेरा इनकार।
 (44) सो कितनी बस्तियाँ हमने गारत कर
 डालीं और वो गुनाहगार थीं, अब वो गिरी
 पड़ी हैं अपनी छतों पर, और कितने कुएँ
 निकम्मे पड़े और कितने महल गचकारी
 के। (45) क्या सैर नहीं की मुल्क की जो
 उनके दिल होते जिनसे समझते या कान
 होते जिनसे सुनते, सो कुछ आँखें अंधी
 नहीं होतीं पर अंधे हो जाते हैं दिल जो
 सीनों में हैं। (46) और तुझसे जल्दी

स्तअज़िलून-क बिल्-अज़ाबि व
 ध्युख़लिफ़ल्लाहु वअ़दहू, व इन्-न
 मन् अिन्-द रब्बि-क क-अल्फि
 स-नतिम्-मिम्मा तअुद्दून (47) व
 क-अय्यिम् मिन् करयतिन् अम्लैतु
 लहा व हि-य ज़ालि-मतुन् सुम्-म
 अख़ज़्तुहा व इलय्यल्-मसीर (48) ●
 कुल् या अय्युहन्नासु इन्नमा अ-न
 लकुम् नज़ीरुम्-मुबीन (49) फ़ल्लज़ी-न
 आमनू व अमिलुस्तालिहाति लहुम्
 मग़फ़ि-स्तुव-व रिज़्कुन् करीम (50)
 वल्लज़ी-न सऔ फ़ी आयातिना
 मुआजिज़ी-न उलाइ-क अस्हाबुल्-
 जहीम (51)

माँगते हैं अज़ाब और अल्लाह हरगिज़ न
 टालेगा अपना वायदा, और एक दिन तेरे
 रब के यहाँ हज़ार बरस के बराबर होता है
 जो तुम गिनते हो। (47) और कितनी
 बस्तियाँ हैं कि मैंने उनको ढील दी और
 वो गुनाहगार थीं फिर मैंने उनको पकड़ा
 और मेरी तरफ़ फिरकर आना है। (48) ●
 तू कह ऐ लोगो! मैं तो डर सुना देने
 वाला हूँ तुमको खोलकर। (49) सो जो
 लोग यकीन लाये और कीं भलाईयाँ उनके
 गुनाह बख़्श देते हैं और उनको रेज़ी है
 इज़्ज़त की। (50) और जो दौड़े हमारी
 आयतों के हराने को वही हैं दोख़ के
 रहने वाले। (51)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (झगड़ा करने वाले लोग) अगर आपको झुठलाते हैं तो (आप गुमगीन न होईये क्योंकि) इन लोगों से पहले कौमे नूह, आद और समूद और कौमे इब्राहीम और कौमे लूत और मद्यन वाले भी (अपने-अपने नबियों को) झुठला चुके हैं, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को भी झूठा करार दिया गया (मगर झुठलाने के बाद) मैंने उन काफ़िरों को (चन्द दिन की) मोहलत दी जैसे आज के मुन्किरों को मोहलत दे रखी है, फिर मैंने उनको (अज़ाब में) पकड़ लिया तो (दिखो) मेरा अज़ाब कैसा हुआ। ग़र्ज़ कि कितनी बस्तियाँ हैं जिनको हमने (अज़ाब से) हलाक किया, जिनकी यह हालत थी कि वो नाफ़रमानी करती थीं, तो (अब उनकी कैफ़ियत यह है कि) वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं, (यानी वीरान हैं क्योंकि आदतन पहले छत गिरा करती है फिर दीवारें आ पड़ती हैं) और (इस तरह उन बस्तियों में) बहुत-से बेकार कुएँ (जो पहले आबाद थे) और बहुत-से क़लई-चूने के महल (जो अब शिकस्ता हो गये, ये सब उन बस्तियों के साथ तबाह हुए। पस इसी तरह तयशुदा वक़्त पर इस ज़माने के लोग भी अज़ाब में पकड़े जायेंगे) तो क्या ये (सुनकर) लोग मुल्क में चले-फिरे नहीं, जिससे कि उनके दिल ऐसे हो जाएँ कि उनसे समझने लगे, या उनके कान ऐसे हो जाएँ कि उनसे सुनने लगे। बात यह है कि (न समझने वालों की कुछ) आँखें अंधी नहीं हो जाया करती बल्कि दिल जो

सीनों में हैं वे अंधे हो जाते हैं (इन मौजूदा मुन्किर लोगों के भी दिल अंधे हो गये वरना पिछली उम्मतों के हालात से सबक सीख लेते)।

और ये लोग (नुबुव्वत में शुब्हा डालने के लिये) आप से अज़ाब का तकाज़ा करते हैं (और अज़ाब के जल्दी न आने से यह दलील पकड़ते हैं कि अज़ाब आने वाला ही नहीं) हालाँकि अल्लाह कभी अपना वायदा ख़िलाफ़ न करेगा (यानी वायदे के वक़्त ज़रूर अज़ाब होगा) और आपके रब के पास का एक दिन (जिसमें अज़ाब ज़ाहिर होगा यानी क़ियामत का दिन लम्बा होने में या सख़्त होने में) एक हज़ार साल के बराबर है, तुम लोगों की गिनती के मुताबिक़ (तो ये बड़े बेवक़ूफ़ हैं कि ऐसी मुसीबत का तकाज़ा करते हैं)। और (ज़िक्र हुए जवाब का खुलासा फिर सुन लो कि) बहुत-सी बस्तियाँ हैं जिनको मैंने मोहलत दी थी, और वे नाफ़रमानी करती थीं, फिर मैंने उनको (अज़ाब में) पकड़ लिया और सब को मेरी ही तरफ़ लौटना होगा (उस वक़्त पूरी सज़ा मिलेगी)।

और आप (यह भी) फ़रमा दीजिये कि ऐ लोगो! मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे लिये एक खुला डराने वाला हूँ (अज़ाब लाने और न लाने में मेरा दख़ल नहीं, न मैंने इसका दावा किया है) तो जो लोग (इस डर को सुनकर) ईमान ले आये और अच्छे काम करने लगे, उनके लिये मग़फ़िरत और इज़्जत की रोज़ी (यानी जन्नत) है, और जो लोग हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनको झुठलाने और इनकार की) कोशिश करते रहते हैं (नबी को और ईमान वालों को) हराने (यानी अज़िज़ करने) के लिये, ऐसे लोग दोज़ख़ में (रहने वाले) हैं।

मअज़रिफ़ व मसाइल

ज़मीन की सैर व घूमना अगर नसीहत व सबक़ हासिल करने के लिये हो तो दीनी मतलूब है

أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ

इस आयत में ज़मीन की सैर व घूमना जबकि सबक़ लेने वाली आँख हो, उसकी तरफ़ तरगीब (यानी शौक़ व दिलचस्पी दिलाई गयी) है, और 'फ-तकू-न लहुम् कुलूबन्' से इस तरफ़ इशारा है कि गुज़रे ज़माने और दुनिया की पहली क़ौमों के हालात और क़ैफ़ियतों को देखना, जानना और अनुभव में लाना इनसान को अक्ल व समझ अता करने वाला है, बशर्ते कि उन हालात को सिर्फ़ तारीख़ी हालात व घटनाओं की हैसियत से नहीं बल्कि इब्रत (सीख व नसीहत लेने) की नज़र से देखे तो हर वाक़िआ एक नसीहत का सबक़ देगा। इब्ने अबी हातिम ने 'किताबुल्लफ़क्कुर' में हज़रत मालिक बिन दीनार रह. से नक़ल किया है कि हक़ तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोहे के जूते बनाओ और लोहे की लाठी हाथ में लो, और अल्लाह की ज़मीन में इतने फ़िरो कि वो लोहे के जूते घिस जायें और लोहे की लाठी टूट जाये। (रुहुल-मअज़नी) अगर यह रिवायत सही है तो इस सैर व घूमने का मक़सद वही इब्रत व समझ हासिल करना है।

आखिरत का दिन एक हजार साल का होने का मतलब

उक्त आयत में जो यह फरमाया है:

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ.

यानी आपके रब के पास एक दिन दुनिया के एक हजार साल के बराबर होगा। इसमें दो संभावनायें हैं- एक यह कि इस दिन से मुराद क़ियामत का दिन लिया जाये और उसका एक हजार साल के बराबर होने का मतलब यह है कि उस दिन के होलनाक बाक़िआत और हैबतनाक हालात की वजह से यह दिन इतना लम्बा महसूस होगा जैसे एक हजार साल, ऊपर खुलासा-ए-तफ़्सीर में इसी को सख़्त होने के लफ़्ज़ से ताबीर किया है, बहुत से मुफ़्त्सरीन हज़रात ने इसके यही मायने करार दिये हैं।

दूसरे यह कि वास्तव में आखिरत के जहान का एक दिन हमेशा के लिये दुनिया के एक हजार साल ही के बराबर हो। हदीस की कुछ रिवायतों से इसी मायने की शहादत मिलती है। मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन ग़रीब मुहाजिरीन को ख़िताब करके फ़रमाया कि तुमको मैं क़ियामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशख़बरी देता हूँ, और यह कि तुम मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में जाओगे और अल्लाह के यहाँ एक दिन एक हजार साल का होगा, इसलिये ग़रीब लोग मालदारों से पाँच सौ साल पहले जन्नत में दाख़िल होंगे। (तिर्मिज़ी, मज़हरी)

एक शुब्हे का जवाब

सूर: मअरिज में जो आखिरत के दिन को पचास हजार साल के बराबर करार दिया है:

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

इसमें भी दोनों तफ़्सीरें सख़्त और लम्बा होने की हो सकती हैं, और हर शख़्स की सख़्ती व मुसीबत चूँकि दूसरों से अलग और कम ज़्यादा होगी इसलिये वह दिन किसी को एक हजार साल का महसूस होगा, किसी को पचास हजार साल का, और अगर दूसरे मायने लिये जायें कि हकीकत में आखिरत का दिन पचास हजार साल का होगा तो इन दोनों आयतों में बज़ाहिर टकराव होता है कि एक में एक हजार साल और दूसरी में पचास हजार साल का ज़िक्र है, तो इनमें मुवाफ़क़त की सूरत को सथिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना धानवी) कुदिस सिरुहू ने बयानुल-कुरआन में बयान फ़रमाया है, जो उलेमा हज़रात के लिये इल्मी और इस्तिलाही अलफ़ाज़ ही में नक़ल की जाती है।

वह यह है कि यह एक हजार साल का पचास हजार साल तक का फ़र्क 'आफ़ाक' (उषाओं) के अलग-अलग होने के एतिबार से हो, जिस तरह दुनिया में 'मुअदिलुन्नहार' (नाडी वृत्त) की हरकत कहीं गोल चकर की है कहीं लटकी हुई सी कहीं पैचदार और इसी वजह से 'ख़त्ते इस्तिवा' (कर्क रेखा) पर एक रात दिन चौबीस घन्टे का होता है और 'कुतबे शिमाली' (उत्तरी ध्रुव) पर एक साल का, और इन दोनों के बीच विभिन्न मात्राओं पर अलग-अलग होता चला जाता है। इसी तरह मुम्किन है कि

सूरज के साथ जो पहली हरकत (उसका चलना) जो 'मुअदिलुन्नहार' के साथ है वह एक खुदाई मोजिजे और असाधारण अमल के तौर पर इस कद्र सुस्त (धीमी) हो जाये कि एक 'उफुक' (क्षितिज) पर एक हजार साल का दिन हो और जो 'उफुक' उससे पचास हिस्से हटा हुआ हो उस पर पचास हजार बरस का हो, और बीच में इसी निस्बत से अलग-अलग और भिन्न हो। वल्लाहु आलम (बयानुल-कुरआन)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ ۗ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ تَرَ يَوْمَ مَدْيَنَ إِذْ جَاءَتْهُمْ بَيْنَهُمْ فَالِقَاتِ الْوَادِيِّنَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمِنْ
جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

ع
१३

व मा अरसलना मिन् क़बिल-क
मिरसूलिन्-व ला नबियिन् इल्ला
इज़ा तमन्ना अल्क़शशैतानु फ़ी
उम्नियतिही फ़-यन्सख़ुल्लाहु मा
युल्किशशैतानु सुम्-म युहिकमुल्लाहु
आयातिही, वल्लाहु अलीमुन् हकीम
(52) लि-यज्जअ-ल मा युल्किशशैतानु
फ़ि त् न-तल्-लिल्लज़ी-न फ़ी
कुलूबिहिम् म-रज़ुंब्बल्-क़ासि-यति
कुलूबुहुम्, व इन्नज़ज़ालिमी-न लफ़ी
शिकाकिम्-बअ़ीद (53) व लियज़ल्-
-मल्लज़ी-न ऊतुल्-ज़िल्-म
अन्नहुल्-हक्कु मिरिब्बि-क फ़युज़्मिन्

और जो रसूल भेजा हमने तुझसे पहले या
नबी सो जब लगा ख़्याल बाँधने शैतान ने
मिला दिया उसके ख़्याल में, फिर अल्लाह
मिटा देता है शैतान का मिलाया हुआ,
फिर पक्की कर देता है अपनी बातें और
अल्लाह सब ख़ाबर रखता है हिक्मतों
वाला। (52) इस वास्ते कि जो कुछ
शैतान ने मिलाया उससे जाँचे उनको कि
जिनके दिल में रोग हैं और जिनके दिल
सख़्त हैं, और गुनाहगार तो हैं मुख़ालफ़त
में दूर जा पड़े। (53) और इस वास्ते कि
भालूम कर लें वे लोग जिनको समझ
मिली है कि यह तहकीक़ है तेरे रब की

बिही फतुख्बि-त लहू कुलूबुहुम्, व
 इन्नल्ला-ह लहादिल्लजी-न आमनू
 इला सिरातिम्-मुस्तकीम (54) व ला
 यज़ालुल्लजी-न क-फ़रू फ़ी
 मिर्यतिम् मिन्हु हत्ता तअति-यहुमुस्-
 सा-अतु बग़्त-तन् औ यअति-यहुम्
 अज़ाबु यौमिन् अकीम (55) अल्-
 मुल्कु यौमइज़िल्-लिल्लाहि, यस्कुमु
 बैनहुम्, फ़ल्लजी-न आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन्-
 नअीम (56) वल्लजी-न क-फ़रू व
 कज़्ज़बू बिआयातिना फ़-उलाइ-क
 लहुम् अज़ाबुम्-मुहीन (57) ❀

तरफ़ से फिर उस पर यकीन लायें और
 नर्म हो जायें उसके आगे दिल उनके, और
 अल्लाह सुझाने वाला है यकीन लाने वालों
 को राह सीधी। (54) और इनकारियों को
 हमेशा रहेगा उसमें धोखा जब तक आ
 पहुँचे उन पर क़ियामत बेख़बरी में, या
 आ पहुँचे उन पर आफ़त ऐसे दिन की
 जिसमें राह नहीं छुटकारे की। (55) राज
 उस दिन अल्लाह का है, उनमें फ़ैसला
 करेगा, सो जो यकीन लाये और कीं
 भलाईयाँ नेमत के बाग़ों में हैं। (56) और
 जो इनकारी हुए और झुठलाई हमारी
 बातें सो उनके लिये है ज़िल्लत का
 अज़ाब। (57) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ये लोग जो शैतान के बहकाने से आप से झगड़ा
 व बहस करते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) हमने आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा
 नहीं भेजा जिसको यह किस्सा पेश न आया हो कि जब उसने (अल्लाह तआला के अहकाम में से)
 कुछ पढ़ा (तब ही) शैतान ने उसके पढ़ने में (काफ़िरों के दिलों में) शुब्हा (और एतिराज़) डाला, (और
 काफ़िर लोग उन्हीं शुब्हों और एतिराज़ों को पेश करके अम्बिया से झगड़ा किया करते जैसा कि दूसरी
 आयतों में इरशाद है यानी सूर: अन्आम की आयत 112 और सूर: अन्आम ही की आयत 221 में)
 फिर अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शुब्हों को (न कटने वाले जवाबात और स्पष्ट दलीलों से)
 नेस्तनाबूद कर देता है (जैसा कि ज़ाहिर है कि सही जवाब के बाद एतिराज़ दूर हो जाता है) फिर
 अल्लाह अपनी आयतों (के मज़ामीन) को ज्यादा मज़बूत कर देता है (अगरचे वो अपने आप में भी
 स्थिर थीं लेकिन एतिराज़ों के जवाब से उस मज़बूती का और ज्यादा ज़हूर हो गया) और अल्लाह
 तआला (उन एतिराज़ों के बारे में) ख़ूब इल्म वाला है (और उनके जवाब की तालीम में) ख़ूब हिक्मत
 वाला है।

आखिरत का दिन एक हज़ार साल का होने का मतलब

उक्त आयत में जो यह फ़रमाया है:

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ.

यानी आपके रब के पास एक दिन दुनिया के एक हज़ार साल के बराबर होगा। इसमें दो संभावनायें हैं- एक यह कि इस दिन से मुराद क़ियामत का दिन लिया जाये और उसका एक हज़ार साल के बराबर होने का मतलब यह है कि उस दिन के हौलनाक वाक़िआत और हैबतनाक हालात की वजह से यह दिन इतना लम्बा महसूस होगा जैसे एक हज़ार साल, ऊपर खुलासा-ए-तफ़्सीर में इसी को सख़्त होने के लफ़्ज़ से ताबीर किया है, बहुत से मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इसके यही मायने फ़रार दिये हैं।

दूसरे यह कि वास्तव में आख़िरत के जहान का एक दिन हमेशा के लिये दुनिया के एक हज़ार साल ही के बराबर हो। हदीस की कुछ रिवायतों से इसी मायने की शहादत मिलती है। मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन ग़रीब मुहाजिरीन को ख़िताब करके फ़रमाया कि तुमको मैं क़ियामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशख़बरी देता हूँ, और यह कि तुम मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में जाओगे और अल्लाह के यहाँ एक दिन एक हज़ार साल का होगा, इसलिये ग़रीब लोग मालदारों से पाँच सौ साल पहले जन्नत में दाख़िल होंगे। (तिर्मिज़ी, मज़हरी)

एक शुब्हे का जवाब

सूर: मआरिज में जो आख़िरत के दिन को पचास हज़ार साल के बराबर फ़रार दिया है:

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

इसमें भी दोनों तफ़्सीरें सख़्त और लम्बा होने की हो सकती हैं, और हर शख़्स की सख़्ती व मुसीबत चूँकि दूसरों से अलग और कम ज़्यादा होगी इसलिये वह दिन किसी को एक हज़ार साल का महसूस होगा, किसी को पचास हज़ार साल का, और अगर दूसरे मायने लिये जायें कि हकीकत में आख़िरत का दिन पचास हज़ार साल का होगा तो इन दोनों आयतों में बज़ाहिर टकराव होता है कि एक में एक हज़ार साल और दूसरी में पचास हज़ार साल का ज़िक्र है, तो इनमें मुवाफ़क़त की सूरत को सधियदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना थानवी) कुद्दिस सिर्रुहु ने बयानुल-कुरआन में बयान फ़रमाया है, जो उलेमा हज़रात के लिये इल्मी और इस्तिलाही अलफ़ाज़ ही में नक़ल की जाती है।

वह यह है कि यह एक हज़ार साल का पचास हज़ार साल तक का फ़र्क 'आफ़ाक' (उषाओं) के अलग-अलग होने के एतिबार से हो, जिस तरह दुनिया में 'मुअदिलुन्नहार' (नाडी वृत्त) की हरकत कहीं गोल चकर की है कहीं लटकी हुई सी कहीं पैचदार और इसी वजह से 'ख़त्ते इस्तिवा' (कर्क रेखा) पर एक रात दिन चौबीस घन्टे का होता है और 'कुतबे शिमाली' (उत्तरी ध्रुव) पर एक साल का, और इन दोनों के बीच विभिन्न मात्राओं पर अलग-अलग होता चला जाता है। इसी तरह मुम्किन है कि

के साथ जो पहली हरकत (उसका चलना) जो 'मुअदिलुन्नहार' के साथ है वह एक खु
साधारण अमल के तौर पर इस कद्र सुस्त (धीमी) हो जाये कि एक 'उफुक' (क्षिति
साल का दिन हो और जो 'उफुक' उससे पचास हिस्से हटा हुआ हो उस पर पचास
और बीच में इसी निस्बत से अलग-अलग और भिन्न हो। वल्लाहु आलम (बयानुल-कुरआन)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۗ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ أَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ رَبُّهُمْ ۗ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

व मा अरसलना मिन् कब्लि-क
मिरसूलिन्-व ला नबियिन् इल्ला
इज़ा तमन्ना अल्कशशैतानु फी
उम्नियतिही फ-यन्सखुल्लाहु मा
युल्किशशैतानु सुम्-म युत्किमुल्लाहु
आयातिही, वल्लाहु अलीमुन् हकीम
(52) लि-यज्ज-ल मा युल्किशशैतानु
फि त् न-तल्-लिल्लजी-न फी
कुलूबिहिम् म-रज़ुव्वल्-कासि-यति
कुलूबुहुम्, व इन्नज़ालिमी-न लफी
शिकाकिम्-बअीद (53) व लियज़ल्-
-मल्लजी-न ऊतुल्-ज़िल्-म
अन्नहुल्-हक्कु मिरिब्बि-क फयुअमिन्

और जो रसूल भेजा हमने तुझसे पहले या
नबी सो जब लगा ख्याल बाँधने शैतान ने
मिला दिया उसके ख्याल में, फिर अल्लाह
मिटा देता है शैतान का मिलाया हुआ,
फिर पक्की कर देता है अपनी बातें और
अल्लाह सब ख़ाबर रखता है हिक्मतों
वाला। (52) इस वास्ते कि जो कुछ
शैतान ने मिलाया उससे जाँचे उनको कि
जिनके दिल में रोग हैं और जिनके दिल
सख्त हैं, और गुनाहगार तो हैं मुखालफत
में दूर जा पड़े। (53) और इस वास्ते कि
मालूम कर लें वे लोग जिनको समझ
मिली है कि यह तहकीक है तेरे रब की

बिही फतुख़्बि-त लहू कुलूबुहुम्, व
 इन्नल्ला-ह लहादिल्लजी-न आमनू
 इत्ता सिरातिम्-मुस्तकीम (54) व ला
 यज़ालुल्लजी-न क-फ़रु फ़ी
 मिरयतिम् मिन्हु हत्ता तअति-यहुमुस्-
 सा-अतु बग़्त-तन् औ यअति-यहुम्
 अज़ाबु यौमिन् अकीम (55) अल्-
 मुल्कु यौमइज़िल्-लिल्लाहि, यस्कुमु
 बैनहुम्, फ़ल्लजी-न आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन्-
 नअीम (56) वल्लजी-न क-फ़रु व
 कज़ज़बू बिआयातिना फ़-उलाइ-क
 लहुम् अज़ाबुम्-मुहीन (57) ❀

तरफ़ से फिर उस पर यकीन लायें और
 नर्म हो जायें उसके आगे दिल उनके, और
 अल्लाह सुझाने वाला है यकीन लाने वालों
 को राह सीधी। (54) और इनकारियों को
 हमेशा रहेगा उसमें धोखा जब तक आ
 पहुँचे उन पर क़ियामत बेख़बरी में, या
 आ पहुँचे उन पर आफ़त ऐसे दिन की
 जिसमें राह नहीं छुटकारे की। (55) राज
 उस दिन अल्लाह का है, उनमें फैसला
 करेगा, सो जो यकीन लाये और कीं
 भलाईयाँ नेमत के बाग़ों में हैं। (56) और
 जो इनकारी हुए और झुठलाई हमारी
 बातें सो उनके लिये है ज़िल्लत का
 अज़ाब। (57) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ये लोग जो शैतान के बहकाने से आप से झगड़ा
 व बहस करते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) हमने आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा
 नहीं भेजा जिसको यह किस्सा पेश न आया हो कि जब उसने (अल्लाह तआला के अहकाम में से)
 कुछ पढ़ा (तब ही) शैतान ने उसके पढ़ने में (काफ़िरों के दिलों में) शुब्हा (और एतिराज़) डाला, (और
 काफ़िर लोग उन्हीं शुब्हों और एतिराज़ों को पेश करके अम्बिया से झगड़ा किया करते जैसा कि दूसरी
 आयतों में इरशाद है यानी सूर: अन्आम की आयत 112 और सूर: अन्आम ही की आयत 221 में)
 फिर अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शुब्हों को (न कटने वाले जवाबात और स्पष्ट दलीलों से)
 नेस्तनाबूद कर देता है (जैसा कि ज़ाहिर है कि सही जवाब के बाद एतिराज़ दूर हो जाता है) फिर
 अल्लाह अपनी आयतों (के मज़ामीन) को ज़्यादा मजबूत कर देता है (अगरचे वो अपने आप में भी
 स्थिर थीं लेकिन एतिराज़ों के जवाब से उस मजबूती का और ज़्यादा ज़हूर हो गया) और अल्लाह
 तआला (उन एतिराज़ों के बारे में) ख़ूब इल्म वाला है (और उनके जवाब की तालीम में) ख़ूब हिक्मत
 वाला है।

(और यह सारा किस्सा इसलिये बयान किया है) ताकि अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शुब्हों को ऐसे लोगों के लिये आजमाईश (का ज़रिया) बना दे जिनके दिल में (शक की) बीमारी है, और जिनके दिल (बिल्कुल ही) सख्त हैं (कि वे शक से बढ़कर बातिल का यकीन किये हुए हैं, सो उनकी आजमाईश होती है कि देखें जवाब के बाद अब भी शुब्हात की पैरवी करते हैं या जवाब को समझकर हक़ को कुबूल करते हैं) और वाकई (ये) ज़ालिम लोग (यानी शक करने वाले भी और बातिल पर यकीन लाने वाले भी) बड़ी मुखालफ़त में हैं (कि हक़ को बावजूद स्पष्ट होने के महज़ दुश्मनी व मुखालफ़त के सबब कुबूल नहीं करते, शैतान को वस्वसा डालने का इख़्तियार तो इसलिए दिया गया था कि आजमाईश हो) और (उन शुब्हात को सही जवाबों और नूरे हिदायत से रद्द और बातिल इसलिये किया जाता है) ताकि जिन लोगों को (सही) समझ अता हुई है वे (उन जवाबों और नूरे हिदायत से) इस बात का ज़्यादा यकीन कर लें कि यह (जो नबी ने पढ़ा है वह) आपके रब की तरफ़ से हक़ है, सो ईमान पर ज़्यादा कायम हो जायें, फिर (ज़्यादा यकीन की बरकत से) उस (पर अमल करने) की तरफ़ उनके दिल और भी झुक जायें और वाकई उन ईमान वालों को अल्लाह तआला ही सीधा रास्ता दिखलाता है (फिर क्योंकि उनको हिदायत न हो। यह तो ईमान वालों की कैफ़ियत हुई) और (रह गये) काफ़िर लोग (सो वे) हमेशा इस (पढ़े हुए हुक्म) की तरफ़ से शक ही में रहेंगे, (जो उनके दिल में शैतान ने डाला था) यहाँ तक कि उन पर अचानक क़ियामत आ जाये (जिसकी हौल ही काफ़ी है चाहे अज़ाब न भी होता) या (इससे बढ़कर यह कि) उन पर किसी बेबरकत दिन का (जो कि क़ियामत का दिन है) अज़ाब आ पहुँचे (और दोनों का जमा होना जो कि वास्तव में होगा और भी सख्त मुसीबत है। मतलब यह है कि वे बिना अज़ाब को देखे कुफ़्र से बाज़ न आयेंगे, मगर उस वक़्त बाज़ आना फ़ायदा न देगा)। बादशाही उस दिन अल्लाह ही की होगी, वह इन सब (ज़िक्र हुए लोगों) के बीच (अमली) फ़ैसला फ़रमायेगा। सो जो लोग ईमान लाये होंगे और अच्छे काम किए होंगे वे चैन के बाग़ों में होंगे और जिन्होंने कुफ़्र किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा तो उनके लिये ज़िल्लत का अज़ाब होगा (यह होगा वह फ़ैसला)।

मआरिफ़ व मसाईल

مِنْ رُّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ

इन अलफ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूल और नबी दो अलग-अलग मफ़हूम रखते हैं एक नहीं, इन दोनों में फ़र्क़ क्या है? इसमें उलेमा के अलग-अलग क़ौल हैं, मशहूर और स्पष्ट यह है कि नबी तो उस शख्स को कहते हैं जिसको अल्लाह तआला की तरफ़ से नुबुव्वत का मर्तबा क़ौम की इस्लाह (सुधार) के लिये अता हुआ हो और उसके पास अल्लाह की तरफ़ से वही आती हो, चाहे उसको कोई मुस्तक़िल किताब और शरीअत दी जाये या किसी पहले नबी ही की किताब और शरीअत की तब्लीग़ के लिये पाबन्द किया गया हो। पहले की मिसाल हज़रत मूसा व ईसा और ख़ातमुल-अम्बिया अलैहिमुसलाम की है और दूसरे की मिसाल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात और उन्हीं की शरीअत की तब्लीग़ व तालीम के लिये लगाये गये

थे। और रसूल वह है जिसको मुस्तकिल शरीअत और किताब मिली हो। इससे यह भी मालूम हो गया कि हर रसूल का नबी होना जरूरी है मगर हर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। यह तक्सीम इनसानों के लिये है, फरिश्ता जो अल्लाह तआला की तरफ से वही लेकर आता है उसको रसूल कहना इसके खिलाफ नहीं, इसकी तफसील सूर: मरियम में आ चुकी है।

الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ.

लफ्ज़ 'तमन्ना' इस जगह 'क-र-अ' के मायने में है और 'उमनिय्या' के मायने 'किराअत' के हैं। अरबी लुग़त के एतिबार से यह भायने भी परिचित हैं। इस आयत की जो तफसीर ऊपर खुलासा-ए-तफसीर में लिखी है वह बहुत साफ़ बेगुबार है। अबू हय्यान ने 'बहरे मुहीत' में और बहुत से दूसरे हज़राते मुफ़त्सरीन ने इसी को इख़्तियार किया है। हदीस की किताबों में इस जगह एक वाक़िआ नक़ल किया गया है जो 'गरानीक' के नाम से मशहूर है, यह वाक़िआ मुहदिसीन की बड़ी जमाअत के नज़दीक साबित नहीं है, कुछ हज़रात ने इसको बेदीन और गुमराह लोगों की ईजाद करार दिया है, और जिन हज़रात ने इसको मोतबर भी करार दिया है तो इसके ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से जो शुब्हात कुरआन व सुन्नत के निश्चित और यकीनी अहकाम पर आयद होते हैं उनके विभिन्न जवाबात दिये हैं, लेकिन इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुरआन की इस आयत की तफसीर उस वाक़िए पर निर्भर नहीं बल्कि इसका सीधा-सादा मतलब वह है जो ऊपर बयान हो चुका है, बिना वजह इसको इस आयत की तफसीर का हिस्सा और अंग बनाकर शक व शुब्हात का दरवाज़ा खोलना और फिर जवाबदेही की फ़िक्र करना कोई मुफ़ीद काम नहीं, इसलिये उसको छोड़ दिया जाता है। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝ كَيْدُ خَلْقِهِمْ مَدْخَلًا يُرْضَوْنَ بِهِ

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

वल्लज़ी-न हाज़रु फ़ी सबीलिल्लाहि
सुम्-म कुतिलू औ मातू
ल-यर्ज़ुकन्न-हुमुल्लाहु रिज़कन्
ह-सनन्, व इन्नल्ला-ह लहु-व
खैरुराज़िकीन (58) लयुदख़िलन्नहुम्
मुद्-ख़लंय-यर्ज़ौनहू, व इन्नल्ला-ह
ल-अलीमुन् हलीम (59)

और जो लोग घर छोड़ आये अल्लाह की राह में फिर मारे गये या मर गये अलबत्ता उनको देगा अल्लाह रोज़ी ख़ासी, और अल्लाह है सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला। (58) अलबत्ता पहुँचायेगा उनको एक जगह जिसको पसन्द करेंगे और अल्लाह सब कुछ जानता है बरदाश्त वाला। (59)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में (यानी दीन की हिफाज़त के लिये) अपना वतन छोड़ा, (जिनका ज़िक्र पिछली आयत में भी 'अल्लज़ी-न उख़िज़ू मिन् दियारिहिम' के अलफ़ाज़ से आ चुका है) फिर वे लोग (कुफ़्र के मुक़ाबले में) क़त्ल किये गये या (वैसे ही मौत से) मर गये, (वे नाकाम व मेहरूम नहीं, अगरचे उनको दुनियावी फ़ायदे न मिले मगर आख़िरत में) अल्लाह तआला ज़रूर उनको (एक) उम्दा रिज़्क देगा (यानी जन्नत की बेशुमार नेमतें) और यकीनन अल्लाह तआला सब देने वालों से अच्छा (द देने वाला) है। (और उम्दा रिज़्क के साथ) अल्लाह तआला उनको (ठिकाना भी अच्छा देगा यानी) ऐसी जगह लेजाकर दाख़िल करेगा जिसको वे (बहुत ही) पसन्द करेंगे। (रही यह बात कि कुछ मुहाजिरीन इस तरह दुनियावी फ़तह व मदद और उसके फ़ायदे से मेहरूम क्यों हुए और उनके मुक़ाबले के काफ़िर लोग उनके क़त्ल करने पर कादिर क्यों हो गये, वे काफ़िर अल्लाह के क़हर से क्यों न हलाक कर दिये गये, तो इसकी वजह यह है कि) बिला शुब्हा अल्लाह तआला (हर काम की हिक्मत व मस्लेहत को) ख़ूब जानने वाला है (उनकी इस ज़ाहिरी नाकामी में भी बहुत सी मस्लेहतें और हिक्मतें हैं, और) बहुत बरदाश्त वाला है (इसलिये दुश्मनों को फ़ौरन सज़ा नहीं देता)।

ذٰلِكَ، وَ مَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

لَيَنْصُرَهُ اللّٰهُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

ज़ालि-क व मन् आक-ब बिमिस्ति
मा अूकि-ब बिही सुम्-म बुगि-य
अलैहि ल-यन्सुरन्नहुल्लाहु, इन्नल्ला-ह
ल-अफ़ुव्वुन् ग़फ़ूर। (60)

यह सुन चुके और जिसने बदला लिया
जैसा कि उसको दुख दिया था फिर उस
पर कोई ज़्यादती करे तो अलबत्ता उसकी
मदद करेगा अल्लाह, बेशक अल्लाह
दरगुज़र करने वाला बख़्शने वाला है। (60)

खुलासा-ए-तफ़सीर

यह (मज़मून तो) हो चुका और (आगे यह सुनो कि) जो शख्स (दुश्मन को) उसी क़द्र तकलीफ़ पहुँचाए जिस क़द्र (उस दुश्मन की तरफ़ से) उसको तकलीफ़ पहुँचाई गई थी, फिर (इस बराबर बराबर हो जाने के बाद अगर उस दुश्मन की तरफ़ से) उस शख्स पर ज़्यादती की जाये तो अल्लाह तआला उस शख्स की ज़रूर मदद करेगा, बेशक अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला है (ऐसी बारीकियों पर पकड़ नहीं करता)।

मअरिफ़ व मसाईल

चन्द आयतों पहले यह मज़मून बयान हुआ है कि अल्लाह तआला मज़तूम की मदद करता है

यानी ऊपर गुर्जरी आयत नम्बर 39 में। मगर मजलूम की दो किस्म हैं- एक तो वह जिसने दुश्मन से जुल्म का कोई इन्तिकाम और बदला लिया ही नहीं बल्कि माफ़ कर दिया या छोड़ दिया, दूसरा वह शख्स जिसने अपने दुश्मन से बराबर सराबर बदला और इन्तिकाम ले लिया, जिसका तकाज़ा यह था कि अब दोनों बराबर हो गये, आगे यह सिलसिला खत्म हो, मगर दुश्मन ने इसके इन्तिकाम लेने की बिना पर उत्तेजित होकर दोबारा हमला कर दिया और मज़ीद जुल्म किया तो वह शख्स फिर मजलूम ही रह गया। इस आयत में इस दूसरी किस्म के मजलूम की इमदाद का भी वायदा है, मगर चूँकि अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्द यह है कि आदमी पहले ही जुल्म पर सब्र करे और माफ़ कर दे, बदला न ले जैसा कि बहुत सी आयतों में इसका जिक्र है। मसलन:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

(यानी सूर: शूरा की आयत 40) और:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

(यानी सूर: ब-करह की आयत 237) और:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(यानी सूर: शूरा की आयत 43) इन सब आयतों में इसकी तरफ़ उभारा गया और दिलचस्पी दिलाई गयी है कि जुल्म का बदला न ले बल्कि माफ़ कर दे और सब्र करे। कुरआने करीम की इन हिदायतों से इसी तरीके का अफ़ज़ल व बेहतर होना साबित हुआ। उक्त शख्स जिसने अपने दुश्मन से बराबर का बदला ले लिया उसने इस अफ़ज़ल व बेहतर और कुरआन की उक्त हिदायतों पर अमल छोड़ दिया तो इससे शुब्हा हो सकता था कि अब यह शायद अल्लाह की मदद से मेहरूम हो जाये इसलिये आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमा दिया 'इन्नल्ला-ह ल-अफुव्वुन् ग़फ़ूर'। यानी अल्लाह तआला उस शख्स की इस कोताही पर कि अफ़ज़ल व बेहतर पर अमल नहीं किया उससे कोई पूछ और पकड़ नहीं फ़रमायेगा बल्कि अब भी अगर मुखालिफ़ ने उस पर दोबारा जुल्म कर दिया तो उसकी इमदाद अल्लाह तआला की तरफ़ से होगी। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ

فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ
الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِغُ
الْأَرْضَ فَخَضِرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَأْذِنُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَ
هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝

ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-त
फिन्नहारि व यूलिजुन्नहार फिल्लैलि
व अन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर (61)

ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल-हक्कु
व अन्-न मा यद्अू-न मिन् दूनिही
हुवल-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल-
अलिय्युल्-कबीर (62) अलम् त-र
अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ
मा-अन् फ़ तुस्बिहुल्-अरज़ु
मुख़र-तन्, इन्नल्ला-ह लतीफुन्
ख़बीर (63) लहू मा फ़िस्समावाति व
मा फ़िल्अर्ज़ि, व इन्नल्ला-ह
लहुवल-ग़निय्युल्-हमीद (64) ❀

अलम् त-र अन्नल्ला-ह सख़्खा-र
लकुम् मा फ़िल्अर्ज़ि वल्फ़ुल्-क तज़ी
फ़ि ल्बहिर बिअम्रिही, व
युम्सिकुस्समा-अ अन् त-क-अ अलल्-
अर्ज़ि इल्ला बि-इज़िनी, इन्नल्ला-ह
बिन्नासि ल-रऊफ़ुरहीम (65) व
हुवल्लज़ी अह्याकुम् सुम्-म युमीतुकुम्
सुम्-म युह्यीकुम्, इन्नल्-इन्सा-न
ल-कफ़ूर (66)

यह इस वास्ते कि अल्लाह ले लेता है रात
को दिन में और दिन को रात में, और
अल्लाह सुनता देखता है। (61) यह इस
वास्ते कि अल्लाह वही है सही और
जिसको पुकारते हैं उसके सिवाय वही है
ग़लत, और अल्लाह वही है सबसे ऊपर
बड़ा। (62) तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने
उतारा आसमान से पानी फिर ज़मीन हो
जाती है हरी-भरी बेशक अल्लाह जानता
है छुपी तदबीरें, ख़बरदार है। (63) उसी
का है जो कुछ है आसमान और ज़मीन
में और अल्लाह वही है बेपरवा तारीफ़ों
वाला। (64) ❀

तूने न देखा कि अल्लाह ने बस में कर
दिया तुम्हारे जो कुछ है ज़मीन में और
कश्ती को जो चलती है दरिया में उसके
हुक्म से, और थाप रखता है आसमान
को इससे कि गिर पड़े ज़मीन पर मगर
उसके हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों पर
नर्मी करने वाला मेहरबान है। (65) और
उसी ने तुमको जिलाया फिर मारता है
फिर जिन्दा करेगा, बेशक इनसान नाशुक्रा
है। (66)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह (मोमिनों का ग़ालिब कर देना) कि अल्लाह तआला (की क़ुदरत बड़ी कामिल है वह) रात

(के हिस्सों) को दिन में और दिन (के हिस्सों) को रात में दाखिल कर देता है, (यह कायनाती इन्किलाब एक कौम को दूसरी पर गालिब करने वाले इन्किलाब से ज्यादा अजीब है) और इस सबब से है कि अल्लाह तआला (इन सब हालात और बातों को) खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। (वह काफिरों के जुल्म और मोमिनों की मजलूमियत को सुनता देखता है इसलिये वह सब हालात से बाखबर भी है और कुव्वत व कुदरत भी उसकी सबसे बड़ी है, यह मजमूआ सबब हो गया कमजोरों को गालिब करने का)। और (साथ ही) यह (मदद) इस सबब से (यकीनी) है कि (इसमें किसी ताकत की मजाल नहीं जो अल्लाह तआला के लिये रुकावट पैदा करे क्योंकि) अल्लाह तआला ही वजूद में कामिल है, और जिन चीजों की ये लोग अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे हैं वो बिल्कुल लचर हैं (कि वो खुद अपने वजूद में मोहताज भी हैं कमजोर भी, वो क्या अल्लाह से रोक-टोक कर सकते हैं) और अल्लाह ही आलीशान और सबसे बड़ा है। (इसमें गौर करने से तौहीद का हक होना और शिर्क का बातिल होना हर शख्स समझ सकता है। इसके अलावा) क्या तुझको यह खबर नहीं कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया जिससे ज़मीन हरी-भरी हो गई, (फिर) बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान सब बातों की खबर रखने वाला है (इसलिए बन्दों की ज़रूरतों पर बाखबर होकर उनके मुनासिब मेहरबानी फरमाता है)। सब उसी का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, और बेशक अल्लाह ही ऐसा है जो किसी का मोहताज नहीं, हर तरह की तारीफ़ के लायक है।

(और ऐ मुखातब!) क्या तुझको यह खबर नहीं कि अल्लाह तआला ने तुम लोगों के काम में लगा रखा है ज़मीन की चीजों को और कश्ती को (भी) कि वह दरिया में उस (खुदा) के हुक्म से चलती है, और वही आसमानों को ज़मीन पर गिरने से थामे हुए है, हाँ! मगर यह कि उसी का हुक्म हो जाये (तो यह सब कुछ हो सकता है। और बन्दों के गुनाह और बुरे आमाल अगरचे ऐसा हुक्म हो जाने को चाहते हैं मगर फिर भी जो ऐसा हुक्म नहीं देता तो वजह यह है कि) यकीनन अल्लाह तआला लोगों पर बड़ी शफ़क़त और रहमत फरमाने वाला है। और वही है जिसने तुमको ज़िन्दगी दी, फिर (तयशुदा वक़्त पर) तुमको मौत देगा, फिर (क़ियामत में) तुमको ज़िन्दा करेगा। (इन इनामों व एहसानों का तकाज़ा था कि लोग तौहीद और अल्लाह के शुक्र को इख़्तियार करते मगर) वाकई इन्सान है बड़ा नाशुक्रा (कि अब भी कुफ़्र व शिर्क से बाज़ नहीं आता। मुराद सब इन्सान नहीं बल्कि वही जो इस नाशुक्रा में मुब्तला हों)।

मआरिफ़ व मसाईल

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

यानी ज़मीन की सब चीजों को इन्सान के ताबे और काबू में बना दिया। ताबे बनाने के ज़ाहिरी और आभ मायने यह समझे जाते हैं कि वह उसके हुक्म के ताबे चले। इस मायने के लिहाज़ से यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि ज़मीन के पहाड़ और दरिया और दरिन्दे परिन्दे और हज़ारों चीजें इन्सान के हुक्म के ताबे तो नहीं चलते? मगर किसी चीज़ को किसी शख्स की ख़िदमत में लगा देना जो हर वक़्त वह ख़िदमत अन्जाम देती रहे यह भी हकीक़त में उसके लिये ताबे करना ही है अगरचे वह

उसके हुक्म से नहीं बल्कि मालिके हकीकी के हुक्म से यह खिदमत अन्जाम दे रही है। इसीलिये यहाँ तस्खीर का तर्जुमा काम में लगा देने से किया गया है। अल्लाह तआला की कुदरत में यह भी था कि इन सब चीजों को इनसान के हुक्म के ताबे भी बना देते मगर इसका नतीजा खुद इनसान के हक में नुकसानदेह पड़ता, क्योंकि इनसानों की तबीयतें, इच्छायें और जरूरतें भिन्न और अलग-अलग होती हैं, एक इनसान दरिया को अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ने का हुक्म देता और दूसरा उसके खिलाफ तो अन्जाम सिवाय फसाद के क्या होता। अल्लाह तआला ने इसी लिये इन सब चीजों को हुक्म के ताबे तो अपने ही रखा मगर ताबे करने का जो असल फायदा था वह इनसान को पहुँचा दिया।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَاذِرُكَ فِي الْأَمْرِ

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَادَلْتُمْ فَذَلِكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۝

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

लिकुल्लि उम्मतिन् जअल्ना मन्स-कन्
हुम् नासिकूहु फला युनाज़िअन्न-क
फिल्अम्रि वदअु इला रब्बि-क,
इन्न-क ल-अला हुदम्-मुस्तकीम (67)
व इन् जादलू-क फकुलिल्लाहु
अअ्लमु बिमा तअ्लमून (68)
अल्लाहु यहकुमु बैनकुम् यौमल्-
कियामति फीमा कुन्तुम् फीहि
तख्रलिफून (69) अलम् तअ्लम्
अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फिस्समा-इ
वलअर्जि इन्-न जालि-क फी
किताबिन्, इन्-न जालि-क
अलल्लाहि यसीर (70)

हर उम्मत के लिये हमने मुकरर कर दी
एक राह बन्दगी की कि वह उसी तरह
करते हैं बन्दगी, सो चाहिये तुझसे झगड़ा
न करें इस काम में और तू बुलाये जा
अपने रब की तरफ, बेशक तू है सीधी
राह पर सूझ वाला। (67) और अगर तुझ
से झगड़ने लगें तो तू कह अल्लाह बेहतर
जानता है जो तुम करते हो। (68) अल्लाह
फैसला करेगा तुम में कियामत के दिन
जिस चीज में तुम्हारी राह जुदा-जुदा थी।
(69) क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह
जानता है जो कुछ है आसमान और
जमीन में, यह सब लिखा हुआ है किताब
में, यह अल्लाह पर आसान है। (70)

खुलासा-ए-तफसीर

(जितनी उम्मतें शरीअत वालों की गुजरी हैं उनमें) हमने हर उम्मत के वास्ते ज़िबह करने का

तरीका मुकर्रर किया है, कि वे उसी तरीके पर जिबह किया करते थे (एतिराज़ करने वाले) लोगों को चाहिए कि इस (जिबह के) मामले में आप से झगड़ा न करें, (उनको तो आप से बहस और झगड़ा करने का हक़ नहीं मगर आपको हक़ है, इसलिये) आप (उनको) अपने रब (यानी उसके दीन) की तरफ़ बुलाते रहिये, क्योंकि आप यकीनन सही रास्ते पर हैं (सही रास्ते पर चलने वाले को हक़ होता है कि ग़लत रास्ते पर चलने वाले को अपनी तरफ़ बुलाये, ग़लत रास्ते वाले को यह हक़ नहीं होता)। और अगर (इस पर भी) ये लोग आप से झगड़ा करते हैं तो आप फ़रमा दीजिये कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को ख़ूब जानता है (वही तुमको समझेगा। आगे इसी की वज़ाहत यह है कि) अल्लाह तआला तुम्हारे बीच क़ियामत के दिन (अमली) फ़ैसला फ़रमा देगा, जिन चीज़ों में तुम झगड़ा करते थे। (आगे इसकी ताईद है कि) ऐ मुखातब! क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह तआला सब चीज़ों को जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। (और अल्लाह के इल्म में महफ़ूज़ होने के साथ यह भी) यकीनी बात है कि यह (यानी उनके सब कौल व फ़ेल) आमाल नामे में (भी महफ़ूज़) है, (पस) यकीनन (साबित हो गया कि) यह (फ़ैसला करना) अल्लाह तआला के नज़दीक (बहुत) आसान है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا

यही मज़मून तकरीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ इसी सूरात की आयत 34 में गुज़र चुका है मगर दोनों जगह लफ़ज़ मन्सक के मायने और मुराद में फ़र्क़ है। वहाँ नुसुक और मन्सक कुरबानी के मायने में हज के अहक़ाम के तहत आया था और इसलिये वहाँ वाव के साथ 'व लिफ़ुल्लि उम्मतिन्' फ़रमाया गया। यहाँ मन्सक के दूसरे मायने (यानी जिबह करने के अहक़ाम या शरई अहक़ाम का इल्म) और दूसरा मफ़हूम मुराद है, और यह एक मुस्तक़िल हुक्म है इसलिये इसको पीछे से जोड़कर बयान नहीं किया गया। इस आयत की तफ़्सीर में एक कौल तो यह है जो खुलासा-ए-तफ़्सीर में लिया गया है कि कुछ काफ़िर लोग मुसलमानों से उनकी जिबह किये हुए जानवरों के मुताल्लिक़ फ़ुज़ूल बहस व झगड़ा करते थे और कहते थे कि तुम्हारे मज़हब का यह हुक्म अजीब है कि जिस जानवर को तुम खुद अपने हाथ से क़त्ल करो वह तो हलाल और जिसको अल्लाह तआला डायरेक्ट मार दे यानी आ़म मुर्दार जानवर वह हराम। उनके इस झगड़ने और बहस करने के जवाब में यह आयत नाज़िल हुई। (जैसा कि इमाम हाकिम और बैहकी ने अली बिन हसन व इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है। रूहुल-मज़ानी)

तो यहाँ मन्सक के मायने जिबह करने के तरीके के होंगे और हासिल जवाब का यह होगा कि अल्लाह ने हर एक उम्मत और शरीअत के लिये ज़बीहे के अहक़ाम अलग-अलग रखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत एक मुस्तक़िल शरीअत है इसके अहक़ाम का मुक़ाबला किसी पहली शरीअत के अहक़ाम से करना भी जायज़ नहीं कहाँ यह कि तुम उसका मुक़ाबला ख़ालिस अपनी राय और बातिल ख़्याल से कर रहे हो, यानी मुर्दार जानवर का हलाल न होना तो इस उम्मत व शरीअत के साथ मख़सूस नहीं सब पिछली शरीअतों में भी हराम रहा है, तो तुम्हारा यह कौल

तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इस बेबुनियाद ख्याल की बिना पर शरीअत वाले नबी से झगड़ा और मुकाबला करना हिमाकत ही हिमाकत है। (रुहुल-मआनी)

और जमहूर मुफ़्तिस्सीन (यानी कुरआन के व्याख्यापकों की अवसरियत) ने इस जगह लफ़्ज़ मन्सक आम शरई अहकाम के मायने में लिया है, क्योंकि असल लुग़त में मन्सक के मायने एक निर्धारित जगह के हैं जो किसी खास नेक अमल या बुराई के लिये मुकरर हो, और इसी लिये हज के अहकाम को मनासिके हज कहा जाता है कि उनमें खास-खास मक़ामात खास अहकाम व आमाल के लिये मुकरर हैं। (इब्ने कसीर) और कामूस में लफ़्ज़ नुसुक के मायने इबादत के लिखे हैं। कुरआन में 'अरिना मनासि-कना' इसी मायने के लिये आया है। मनासिक से मुराद इबादत के शरई अहकाम हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह दूसरी तफ़्सीर भी रिवायत की गयी है। तफ़्सीर इब्ने जरीर, तफ़्सीर इब्ने कसीर, तफ़्सीरे कुर्तुबी और तफ़्सीर रुहुल-मआनी वगैरह में इसी आम मायने की तफ़्सीर को इस्तियार किया गया है, और आयत का आगे-पीछे का मज़मून भी इसी का इशारा करता है कि मन्सक से मुराद शरीअत और उसके आम अहकाम हैं और आयत के मायने यह हैं कि मुश्रिक और इस्लाम के मुखालिफ़ लोग जो शरीअते मुहम्मदिया के अहकाम में बहस और झगड़े करते हैं और बुनियाद यह होती है कि उनके बाप-दादा के मज़हब में वो अहकाम न थे तो वे सुन लें कि पिछली किसी शरीअत व किताब से नई शरीअत व किताब का मुकाबला और झगड़ना करना बातिल है क्योंकि अल्लाह तआला ने हर उम्मत को उसके वक़्त में एक खास शरीअत और किताब दी है जिसकी पैरवी उस उम्मत पर उस वक़्त तक दुरुस्त थी जब तक कोई दूसरी उम्मत और दूसरी शरीअत अल्लाह तआला की तरफ़ से न आ गयी। और जब दूसरी शरीअत आ गयी तो पैरवी उस नई शरीअत की करनी है अगर उसका कोई हुक्म पहली शरीअतों के मुखालिफ़ है तो पहले हुक्म को मन्सूख (निरस्त हो जाने वाला) और इसको नासिख (निरस्त करने वाला) समझा जायेगा, इसलिये उस शरीअत वाले से किसी को झगड़ने, मुकाबला करने और विवाद करने की इजाज़त नहीं हो सकती। आयते के आखिरी अलफ़ाज़ 'फ़ला युनाज़िउन्न-क फ़िल्अमि' का यही हासिल है कि मौजूदा ज़माने में जबकि ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मुस्तफ़िल शरीअत लेकर आ गये तो किसी को इसका हक़ नहीं कि उनकी शरीअत के अहकाम में झगड़ा व विवाद पैदा करे।

इससे यह भी मालूम हो गया कि पहली तफ़्सीर और इस दूसरी तफ़्सीर में हकीकत में कोई टकराव नहीं, हो सकता है कि आयत का नुज़ूल ज़िबह करने के किसी खास झगड़े व विवाद के सबब से हुआ हो मगर आयत के आम अलफ़ाज़ तमाम शरई अहकाम पर मुश्तमिल हैं और एतिबार लफ़्ज़ के आम होने का होता है, किसी खास सबब से हुक्म के आने का नहीं होता। तो हासिल दोनों तफ़्सीरों का यही हो जायेगा कि जब अल्लाह तआला ने हर उम्मत को अलग-अलग शरीअत दी है जिनमें ऊपर के अहकाम अलग भी होते हैं तो किसी पिछली शरीअत पर अमल करने वाले को नई शरीअत से मुकाबला और झगड़ा करने का कोई हक़ नहीं, बल्कि उस पर उस नई शरीअत की पैरवी करना वाजिब है, इसीलिये आयत के आखिर में फ़रमाया गया:

ادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝

यानी आप उन लोगों की बातें बनाने और बहस व झगड़े से मुतास्सिर न हों बल्कि बराबर अपनी नुबुव्वती जिम्मेदारी यानी अल्लाह की तरफ़ दावत देने में मशगूल रहें क्योंकि आप हक़ और सही रास्ते पर हैं, आपके मुखालिफ़ ही रास्ते से हटे हुए हैं।

एक शुब्हे का जवाब

इससे यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि शरीअते मुहम्मदिया के नाज़िल होने के बाद किसी पहली शरीअत पर ईमान रखने वाले मसलन् यहूदी ईसाई वगैरह को यह कहने का हक़ नहीं कि खुद कुरआन ने हमारे लिये इस आयत में यह कहकर गुंजाईश दी है कि हर शरीअत अल्लाह ही की तरफ़ से है इसलिये अगर ज़माना-ए-इस्लाम में भी हम हज़रत मूसा या हज़रत ईसा की शरीअत पर अमल करते रहें तो मुसलमानों को हम से झगड़ा व मतभेद न करना चाहिये, क्योंकि आयत में हर उम्मत को एक खास शरीअत देने का ज़िक्र करने के बाद पूरी दुनिया के लोगों को यह हुक्म भी दे दिया गया है कि शरीअते मुहम्मदिया के कायम हो जाने के बाद वे इस शरीअत की मुखालफ़त न करें। यह नहीं फ़रमाया कि मुसलमान उनकी पहली शरीअत के किसी हुक्म के खिलाफ़ न बोलें। और इस आयत के बाद की आयतों से यह मज़मून और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है जिनमें इस्लामी शरीअत के खिलाफ़ झगड़ा व बहस करने वालों को तंबीह की गयी है कि अल्लाह तआला तुम्हारी इन हरकतों को ख़ूब जानता है, वही इसकी सज़ा देगा।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(यानी अगर तुझसे झगड़ने लगे तो तू कह- अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम करते हो।)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ

كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ

مِنْ دَلِكُمْ أَنْتَارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُوبٌ مَثَلٌ

فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَ

إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ مَا قَدَرُوا

اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

व यज़्बुदू-न भिन् दूनिल्लाहि मा

लम् युनज़िल् बिही सुल्लानव्-व मा

लै-स लहुम् बिही अिल्मुन्, व मा

और पूजते हैं अल्लाह के सिवाय उस

चीज़ को जिस चीज़ की सनद नहीं उतारी

उसने और जिसकी ख़बर नहीं उनको,

लिज़्जालिमी-न मिन्-नसीर (71) व
 इज़ा तुल्ला अलैहिम् आयातुना
 बय्यिनातिन् तअरिफु फी
 वुजूहिल्लज़ी-न क-फ़रुल्-मुन्क-र,
 यकादू-न यस्तू-न बिल्लज़ी-न यत्तू-न
 अलैहिम् आयातिना, कुल्
 अ-फ़-उन्बिउकुम् बिशरिम्-मिन्
 ज़ालिकुम्, अन्नारु, व-अ-दहल्लाहु-
 -ल्लज़ी-न क-फ़रु, व बिअसल्-
 मसीर (72) ❀

या अय्युहन्नासु जुरि-ब म-सलुन्
 फ़स्तमिअू लहू, इन्नल्लज़ी-न
 तदअू-न मिन् दूनिल्लाहि लंय्यख़्लुकू
 जुबाबं-व लविज्त-मअू लहू, व
 इय्यस्तुब्हुमुज़्जुबाबु शैअल्-ला
 यस्तन्किज़ूहु मिन्हु, ज़अुफ़त्तालिबु
 वल्मतूलूब (73) मा क-दरुल्ला-ह
 हक्-क क़दरिही, इन्नल्ला-ह
 ल-कवि्युन् अज़ीज़ (74)

और बेइन्साफ़ों का कोई नहीं मददगार।
 (71) और जब सुनाये उनको हमारी साफ़
 आयतें तो पहचाने तू मुन्किरों के मुँह की
 बुरी शकल, नज़दीक होते हैं कि हमला
 कर पड़ें उन पर जो पढ़ते हैं उनके पास
 हमारी आयतें, तू कह- मैं तुमको बतलाऊँ
 एक चीज़ उससे बदतर, वह आग है,
 उसका वायदा कर दिया है अल्लाह ने
 मुन्किरों को और वह बहुत बुरी है फिर
 जाने की जगह। (72) ❀

ऐ लोगो! एक मिसाल कही है सो उस पर
 कान रखो, जिनको तुम पूजते हो अल्लाह
 के सिवा हरगिज़ न बना सकेंगे एक
 मक्खी अगरचे सारे जमा हो जायें, और
 अगर कुछ छीन ले उनसे मक्खी छुड़ा न
 सकें वे उससे, बोदा है चाहने वाला और
 जिनको चाहता है। (73) अल्लाह की क़द्र
 नहीं समझे जैसी उसकी क़द्र है, बेशक
 अल्लाह ज़ोरावर है, ज़बरदस्त। (74)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (मुश्रिक) लोग अल्लाह तआला के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जिन (की इबादत के जायज़ होने) पर अल्लाह तआला ने (अपनी किताब में) कोई हुज्जत नहीं भेजी और न उनके पास उसकी कोई (अक़ली) दलील है। और (क़ियामत में) जब (उनको शिर्क पर सज़ा होने लगेगी तो) उन ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा (न कौली तौर पर कि उनके इस फ़ेल के अच्छा होने पर कोई हुज्जत पेश कर सके, न अमली तौर पर कि उनको अज़ाब से बचा ले) और (ये लोग

इसी गुमराही और अहले हक से दुश्मनी रखने में यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि) जब इन लोगों के सामने (तौहीद वगैरह के मुताल्लिक) हमारी आयतें जो कि (अपने मज़ामीन में) ख़ूब स्पष्ट हैं (अहले हक की ज़बान से) पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम उन काफ़ि़रों के चेहरों में (अन्दुरुनी नागवारी की वजह से) बुरे आसार देखते हो, (जैसे चेहरे पर बल पड़ जाना, नाक चढ़ जाना, तेवर बदल जाना और इन आसार से ऐसा मालूम होता है कि) करीब है कि ये उन लोगों पर (अब) हमला कर बैठें-गे) जो हमारी आयतें इनके सामने पढ़ रहे हैं। यानी हमले का संदेह व आशंका हमेशा होती है और कभी-कभी उस हमले का इज़हार भी हुआ है, पस 'यकादू-न' का लफ़ज़ इस हालत की निरंतरता बयान करने के लिये फ़रमाया।

आप (उन मुशिरकों से) कहिये कि (तुमको जो ये कुरआनी आयतें सुनकर नागवारी हुई तो) क्या मैं तुमको इस (कुरआन) से (भी) ज़्यादा नागवार चीज़ बतला दूँ, वह दोज़ख़ है (कि) उसका अल्लाह ने काफ़ि़रों से वायदा किया है, और वह बुरा ठिकाना है (यानी कुरआन से नागवारी का नतीजा नागवार दोज़ख़ है, इस नागवारी का गुस्से व नाराज़गी का इज़हार और बदला लेने से कुछ तलाफ़ी व भरपाई भी कर लेते हो मगर उस नागवारी का क्या इलाज करोगे जो दोज़ख़ से होगी। आगे एक आसानी से समझ में आने वाली दलील से शिर्क का बातिल होना समझाया है, कि) ऐ लोगो! एक अजीब बात बयान की जाती है इसको कान लगाकर सुनो। (वह यह है कि) इसमें कोई शुब्ह नहीं कि जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते हो, वे एक (मामूली) मक्खी को तो पैदा ही नहीं कर सकते चाहे सब के सब भी (क्यों न) जमा हो जाएँ। और (पैदा करना तो बड़ी बात है, वे तो ऐसे आजिज़ हैं कि) अगर उनसे मक्खी कुछ (उनके चढ़ावे में से) छीन ले जाये तो उसको (तो) उससे छुड़ा (ही) नहीं सकते, ऐसा इबादत करने वाला भी लचर और ऐसा माबूद भी लचर। (अफ़सोस है) उन लोगों ने अल्लाह की जैसी ताज़ीम करनी चाहिए थी (कि उसके सिवा किसी की इबादत न करते) वह न की, (कि शिर्क करने लगे, हालाँकि) अल्लाह तआला बड़ी कुव्वत वाला है सब पर ग़ालिब है। (तो इबादत उसका ख़ालिस हक़ था न कि उसका जो न ताक़त वाला हो और न ग़लबे वाला, जिसकी कुव्वत व ताक़त न होना अच्छी तरह मालूम हो चुकी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

शिर्क व बुत परस्ती की अहमक़ाना हरकत की एक मिसाल से वज़ाहत

ضَرْبٌ مَثَلٌ

'ज़ुरि-ब म-सलुन' का लफ़ज़ आम तौर पर जो किसी ख़ास किस्से की मिसाल देने के लिये इस्तेमाल होता है यहाँ 'ज़ुरि-ब म-सलुन' से यह सूरात मुराद नहीं बल्कि शिर्क व बुत-परस्ती की हिमाक़त को एक स्पष्ट मिसाल से बयान करना है, कि ये बुत जिनको तुम लोग अपना कारसाज़ समझते हो, यह तो ऐसे बेक़त्त व बेबस हैं कि सब मिलकर एक मक्खी जैसी हकीर चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते, और पैदा करना तो बड़ा काम है तुम रोज़ उनके सामने मिठाई और फल वगैरह खाने की

चीजें रखते हो और मक्खियाँ उसको खा जाती हैं, इनसे इतना तो होता नहीं कि मक्खियों से अपनी चीज ही को बचा लें, ये तुम्हें किसी आफत से क्या बचायेंगे। इसी लिये आयत के आखिर में उनकी जहालत और बेवकूफी को इन अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया है:

ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝

यानी जिसका माबूद ही ऐसा बेबस हो उसका आबिद (पुजारी) उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगा।

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

यानी कैसे बेवकूफ़ एहसान-फ़रामोश हैं, इन लोगों ने अल्लाह की कुछ कद्र न पहचानी कि ऐसे अज़ीमुशान क़ुदरत वाले के साथ ऐसे बेबस बेशऊर पत्थरों को बराबर कर दिया। वल्लाहु आलम

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۝

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا

فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۝ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۝ مِلَّةَ أَبِيكُمْ

إِبْرَاهِيمَ ۝ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۝ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۝ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ

مَوْلَاكُمْ ۝ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल्-मलाइ-कति
रुसुलं-व मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह
समीअुम्-बसीर (75) यअ्लमु मा
बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम्, व
इलल्लाहि तुर्जअुल्-उमूर (76) या
अय्युहल्लज़ी-न आमनुरकअू वस्जुदू
वअ़्बुदू रब्बकुम् वफ़अलुल्-ख़ौ-र
लअल्लकुम् तुफ़िलहून। (77) ॐ व
जाहिदू फ़िल्लाहि हक्-क़ जिहादिही,
हुवज्तबाकुम् व मा ज-अ-ल अलैकुम्

अल्लाह छँट लेता है फ़रिश्तों में पैग़ाम
पहुँचाने वाले और आदमियों में, अल्लाह
सुनता देखता है। (75) जानता है जो कुछ
उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे,
और अल्लाह तक पहुँच है हर काम की।
(76) ऐ ईमान वालो! रुकूअ़ करो और
सज्दा करो और बन्दगी करो अपने रब
की, और भलाई करो ताकि तुम्हारा भला
हो। (77) ॐ और मेहनत करो अल्लाह के
वास्ते जैसी कि चाहिये उसके वास्ते मेहनत,
उसने तुमको पसन्द किया और नहीं रखी

फिद्दीनि मिन् ह-रजिन्, मिल्ल-त
 अबीकुम् इब्राही-म, हु-व सम्माकुमुल्-
 मुस्लिमी-न मिन् कब्बु व फी हाज़ा
 लि-यकूनरसूलु शहीदन् अलैकुम् व
 तकूनू शु-हदा-अ अलन्नासि
 फ-अकीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त
 वअतसिमू बिल्लाहि, हु-व मौलाकुम्
 फ-निअमल्-मौला व निअमन्-
 नसीर (78) ❀

तुम पर दीन में कुछ मुश्किल, दीन तुम्हारे
 बाप इब्राहीम का, उसी ने नाम रखा
 तुम्हारा मुसलमान पहले से और इस
 कुरआन में ताकि रसूल हो बताने वाला
 तुम पर और तुम हो बताने वाले लोगों
 पर, सो कायम रखो नमाज़ और देते रहो
 ज़कात और मज़बूत पकड़ो अल्लाह को,
 वह तुम्हारा मालिक है, सो ख़ूब मालिक
 है और ख़ूब मददगार। (78) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआला (को इख़्तियार है रिसालत के लिये जिसको चाहता है) चुन लेता है, फ़रिश्तों में से (जिन फ़रिश्तों को चाहे अल्लाह के) अहकाम (नबियों के पास) पहुँचाने वाले (मुकर्रर फ़रमा देता है) और (इसी तरह आदमियों में से भी जिसको चाहे आम लोगों के लिये अहकाम पहुँचाने वाले मुकर्रर कर देता है, यानी रिसालत का मदार अल्लाह के चुन लेने पर है इसमें कुछ फ़रिश्ता होने की खुसूसियत नहीं बल्कि जिस तरह फ़रिश्ता होने के साथ रिसालत जमा हो सकती है जिसको मुश्किल लोग भी मानते हैं, चुनाँचे फ़रिश्तों के रसूल होने की वे खुद तजवीज़ करते थे, इसी तरह इनसान होने के साथ भी वह जमा हो सकती है, रहा यह कि यह चयन किसी एक खास के साथ क्यों जाहिर हुआ तो इसका जाहिरा सबब तो उन रसूलों के हालात की विशेषतायें हैं और यह) यकीनी बात है कि अल्लाह तआला ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है। (यानी) वह उन (सब फ़रिश्तों और आदमियों) की आने वाली और गुज़री हुई हालतों को (ख़ूब) जानता है (तो मौजूदा हालत को और भी अच्छी तरह जानेगा। गर्ज़ कि सुने और देखे जाने वाले तमाम अहवाल उसको मालूम हैं, उनमें से कुछ का हाल उस चयन का सबब हो गया) और (हकीकी सबब इसका यह है कि) तमाम कामों का मदार अल्लाह ही पर है (यानी वह अपनी ज़ात से मुस्तक़िल मालिक व मुकम्मल इख़्तियार का मालिक है, उसका इरादा खुद चयन का मालिक है, उस इरादे के लिये किसी और सबब की ज़रूरत नहीं, पस असली सबब अल्लाह का इरादा है और उसका सबब पूछना बेकार व बेहूदा काम है, अल्लाह तआला से उसके किसी फ़ल का सबब दरियाफ़्त करने का किसी को हक़ नहीं)।

(आगे सूरात के ख़त्म पर पहले शरीअतों और उनके ऊपर के अहकाम का बयान है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर जमने और उसकी पैरवी का हुक्म दिया गया है, और उसकी तरफ़ रुचि

दिलाने के लिये कुछ मजामीन इरशाद फरमाये हैं) ऐ ईमान वालो! (तुम उसूल के कुबूल करने के बाद अहकाम की भी पाबन्दी रखो खुसूसन नमाज़ की, पस तुम) रुकूअ किया करो और सज्दा किया करो, और (उमूमन दूसरे अहकाम भी पूरे करके) अपने रब की इबादत किया करो, और नेक काम किया करो। उम्मीद (यानी वायदा) है कि तुम फ़लाह पाओगे। और अल्लाह के काम में ख़ूब कोशिश किया करो, जैसा कि उसमें कोशिश करने का हक़ है, उसने तुमको (दूसरी उम्मतों से) विशेष और नुमायाँ फरमाया (जैसा कि आयत 'जअल्लाकुम् उम्मतं व-सतन्' वगैरह में बयान हुआ है)। और तुम पर दीन में किसी किस्म की तंगी नहीं की (और ऐ ईमान वालो! जिस इस्लाम का तुमको हुक्म किया गया है कि अहकाम की पूरी तामील हो और यही मिल्लते इब्राहीमी है) तुम अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर कायम रहो। उसने तुम्हारा लक़ब मुसलमान रखा पहले भी और इस (कुरआन) में भी, ताकि तुम्हारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के गवाह हों, और (इस रसूलुल्लाह की गवाही से पहले) तुम (एक बड़े मुकद्दमे में जिसमें एक फ़रीक अम्बिया हज़रात होंगे और दूसरा फ़रीक उनकी मुखालिफ़ कौमें होंगी, उन मुखालिफ़) लोगों के मुक़ाबले में गवाह हो। (और रसूल की शहादत से तुम्हारी गवाही की तस्दीक़ हो और हज़राते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के हक़ में फैसला हो) सो (हमारे अहकाम का पूरा पालन करो, पस) तुम लोग (खुसूसियत के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो, और (बाकी के अहकाम में भी) अल्लाह ही को मज़बूत पकड़े रहो (यानी पुख़्ता इरादे व हिम्मत के साथ दीन के अहकाम पर अमल करो, गैरुल्लाह की खुशी व नाखुशी और अपने नफ़्स की बेहतरी व नुक़सान की तरफ़ तवज्जोह मत करो) वह तुम्हारा कारसाज़ है, सो कैसा अच्छा कारसाज़ है और कैसा अच्छा मददगार है।

मअरिफ़ व मसाईल

सूर: हज का सज्दा-ए-तिलावत

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

सूर: हज में एक आयत तो पहले गुज़र चुकी है जिस पर सज्दा-ए-तिलावत करना सब के नज़दीक़ वाजिब है। इस आयत पर जो यहाँ बयान हुई है सज्दा-ए-तिलावत के वाजिब होने में इमामों का मतभेद है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, सुफ़ियान सौरी रह. के नज़दीक़ इस आयत पर सज्दा-ए-तिलावत वाजिब नहीं, क्योंकि इसमें सज्दे का ज़िक्र रुकूअ वगैरह के साथ आया है जिससे नमाज़ का सज्दा मुराद होना ज़ाहिर है जैसे 'वस्जुदी वर्कअी मअर्राकिअीन' में सब का इत्तिफ़ाक़ है कि इससे नमाज़ का सज्दा मुराद है, इसकी तिलावत करने से सज्दा-ए-तिलावत वाजिब नहीं होता, इसी तरह उक्त आयत पर भी सज्दा-ए-तिलावत वाजिब नहीं। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रह. वगैरह के नज़दीक़ इस आयत पर भी सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है, उनकी दलील एक हदीस है जिसमें यह इरशाद है कि सूर: हज को दूसरी सूक्तों पर यह फ़ज़ीलत हासिल है कि उसमें दो सज्दा-ए-तिलावत हैं। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक़ इस रिवायत के सुबूत में कलाम है। तफ़सील इसकी

मसाईल की किताबों और हदीसों में देखी जा सकती है।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

तफ़ज़ जिहाद और मुजाहदा किसी मक़सद के हासिल करने में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करने और उसके लिये मशक़त बरदाश्त करने के मायने में आता है। काफ़िरों के साथ लड़ाई और जंग में भी मुसलमान अपने कौल फ़ेल और हर तरह की संभावित ताक़त ख़र्च करते हैं इसलिये उसको भी जिहाद कहा जाता है, और जिहाद के हक़ से मुराद उसमें पूरा इख़्लास यानी अल्लाह के लिये होना है जिसमें किसी दुनियावी नाम व नमूद या माले ग़नीमत के लालच का शुब्हा तक न हो।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जिहाद का हक़ यह है कि जिहाद में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करे और किसी मलामत करने वाले की मलामत पर कान न लगाये। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रत ने इस जगह जिहाद के मायने आम इबादतों और अल्लाह के अहक़ाम की तामील में अपनी पूरी ताक़त पूरे इख़्लास के साथ ख़र्च करने के लिये हैं। इमाम ज़ह़ाक और इमाम मुक़ातिल ने फ़रमाया कि मुराद आयत की यह है कि:

اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته.

यानी अमल करो अल्लाह के लिये जैसा कि उसका हक़ है और इबादत करो अल्लाह की जैसा कि उसका हक़ है।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबास्क रह. ने फ़रमाया कि यहाँ जिहाद से मुराद अपने नफ़्स और उसकी बेजा इच्छाओं के मुक़ाबले में जिहाद करना है और यही जिहाद का हक़ है। इमाम बग़वी वग़ैरह ने इस कौल की ताईद में एक हदीस भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नक़ल की है कि एक मर्तबा सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत जो काफ़िरों से जिहाद के लिये गयी हुई थी वापस आई तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

قد تم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قال مجاهدة العبد لهواه (رواه البيهقي وقال هذا

استاد فيه ضعف)

यानी तुम लोग ख़ूब वापस आये छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ़, यानी अपने नफ़्स की बेजा इच्छाओं के मुक़ाबले का जिहाद अब भी जारी है। इस रिवायत को इमाम बैहकी ने रिवायत किया है मगर कहा है कि इसकी सनदों में कमज़ोरी है।

फ़ायदा

तफ़सीरे मज़हरी में इस दूसरी तफ़सीर को इख़्तियार करके इस आयत से यह मसला निकाला है कि सहाबा-ए-किराम जब काफ़िरों के मुक़ाबले में जिहाद कर रहे थे नफ़्सानी इच्छाओं के मुक़ाबले का जिहाद तो उस वक़्त भी जारी था, मगर हदीस में इसको वापसी के बाद ज़िक़्र किया है, इसमें इशारा यह है कि नफ़्स की इच्छाओं के मुक़ाबले का जिहाद अगरचे लड़ाई के मैदान में भी जारी था मगर आदतन यह जिहाद शैख़-ए-कामिल की सोहबत पर निर्भर है इसलिये वह जिहाद से वापसी और हुज़ूरे

पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िरी के वक़्त ही शुरू हुआ।

उम्मतें मुहम्मदिया अल्लाह तआला की मुन्तख़ब उम्मत है

هُوَ أَحَبُّكُمْ

हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआला ने हज़रत इस्माईल की तमाम औलाद किनाना का चयन फ़रमाया, फिर किनाना में से कुरैश का, फिर कुरैश में से बनू हाशिम का, फिर बनू हाशिम में से मेरा चयन फ़रमाया। (मुस्लिम, मज़हरी)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

यानी अल्लाह तआला ने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। दीन में तंगी न होने का मतलब कुछ हज़रत ने यह बयान फ़रमाया कि इस दीन में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो तौबा से माफ़ न हो सके और आख़िरत के अज़ाब से छुटकारे की कोई सूरत न निकले। बख़िलाफ़ पिछली उम्मतों के कि उनमें कुछ गुनाह ऐसे भी थे जो तौबा करने से भी माफ़ न होते थे।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तंगी से मुराद वह सख़्त व कड़े अहकाम हैं जो बनी इस्माईल पर आयद किये गये थे, जिनको कुरआन में इसूर और अग़लाल से ताबीर किया गया है। इस उम्मत पर ऐसा कोई हुक्म फ़र्ज नहीं किया गया। कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि तंगी से मुराद वह तंगी है जिसको इनसान बरदाश्त न कर सके, इस दीन के अहकाम में कोई हुक्म ऐसा नहीं जो अपने आप में नाक़ाबिले बरदाश्त हो। बाकी रही थोड़ी बहुत मेहनत व मशक्कत तो वह दुनिया के हर काम में होती है। तालीम हासिल करने फिर नौकरी, तिजारत, कारीगरी व उद्योग में कैसी कैसी मेहनतें बरदाश्त करनी पड़ती हैं मगर उसकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि ये काम बड़े सख़्त और शदीद हैं। माहौल के ग़लत और मुख़ालिफ़ होने या मुल्क व शहर में उसका रिवाज न होने के सबब जो किसी अमल में दुश्वारी पेश आये वह अमल की तंगी और सख़्ती नहीं कहलायेगी। करने वाले को इसलिये भारी मालूम होती है कि माहौल में कोई उसका साथ देने वाला नहीं। जिस मुल्क में रोटी खाने पकाने की आदत न हो वहाँ रोटी हासिल करना किस क़द्र दुश्वार हो जाता है यह सब जानते हैं, मगर इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि रोटी पकाना बड़ा सख़्त काम है।

और हज़रत काज़ी सनाउल्लाह रह. ने तफ़्सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि दीन में तंगी न होने का यह मतलब भी हो सकता है कि अल्लाह तआला ने इस उम्मत को सारी उम्मतों में से अपने लिये मुन्तख़ब फ़रमा (चुन) लिया है, इसकी बरकत से इस उम्मत के लोगों को दीन की राह में बड़ी से बड़ी मशक्कत उठाना भी आसान बल्कि मज़ेदार हो जाता है। मेहनत से राहत मिलने लगती है खुसूसन जब दिल में ईमान की मिठास पैदा हो जाये तो सारे भारी काम भी हल्के-फुल्के महसूस होने लगते हैं। सही हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

جَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

यानी नमाज़ में मेरी आँखों की ठण्डक कर दी गयी है। (अहमद नसाई, हाकिम)

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

यानी यह मिल्लत (तरीका और दीन) है तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। यह खिताब दर असल कुरैश के मोमिनो को है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्त में हैं, फिर सब लोग कुरैश के ताबे होकर इस फज़ीलत में शामिल हो जाते हैं। जैसे हदीस में है:

النَّاسُ تَبِعَ لِقْرِيشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبِعَ لِكَافِرِهِمْ (رواه البخاري ومسلم - منظري)

यानी सब लोग इस दीन में कुरैश के ताबे हैं, मुसलमान मुसलमान कुरैश के ताबे और काफ़िर लोग काफ़िर कुरैश के ताबे हैं। और कुछ हज़रत ने फरमाया कि 'अबीकुम् इब्राही-म' का खिताब सब उम्मत के मुसलमानों को है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उन सब के लिये बाप होना इस एतिबार से है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत के रूहानी बाप हैं जैसा कि आपकी पाक बीवियाँ मोमिनो की माँ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में होना ज़ाहिर व परिचित है।

هُوَ سَمُّكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا

यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने उम्मते मुहम्मदिया और तमाम ईमान वालों का नाम कुरआन से पहले मुस्लिम तजवीज़ किया है, और खुद कुरआन में भी, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरआने करीम में यह नक़ल की गयी है:

وَبَنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ

और कुरआन में जो ईमान वालों का नाम मुस्लिम रखा गया है इसके रखने वाले अगरचे डायरेक्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं मगर कुरआन से पहले उनका यह नाम तजवीज़ कर देना कुरआन में इसी नाम से नामित करने का सबब बना, इसलिये इसकी निस्बत भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ कर दी गयी।

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

यानी आप मेहशर में गवाही देंगे कि मैंने अल्लाह तआला के अहकाम इस उम्मत को पहुँचा दिये थे और उम्मते मुहम्मदिया इसका इकरार करेगी, मगर दूसरे अम्बिया जब यह कहेंगे तो उनकी उम्मतें मुकर जायेंगी, उस वक्त उम्मते मुहम्मदिया गवाही देगी कि बेशक सब अम्बिया ने अपनी-अपनी कौम को अल्लाह के अहकाम पहुँचा दिये थे। दूसरी उम्मतों की तरफ़ से इनकी गवाही पर यह जिरह होगी कि हमारे ज़माने में तो उम्मते मुहम्मदिया का वजूद भी न था ये हमारे मामले में कैसे गवाह बन सकते हैं? उनकी तरफ़ से जिरह का यह जवाब होगा कि बेशक हम मौजूद न थे मगर हमने यह बात अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनी है जिनकी सच्चाई में कोई शक व शुब्हा नहीं इसलिये हम यह गवाही दे सकते हैं, तो इनकी गवाही कुबूल की जायेगी। यह मज़मून उस हदीस का है जिसको इमाम बुखारी वगैरह ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

فَأَقِمْ وَالصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

मुराद यह है कि जब अल्लाह तआला ने तुम लोगों पर ऐसे अज़ीम और बड़े एहसानात फ़रमाये हैं जिनका जिक्र ऊपर आया है तो तुम्हारा फ़र्ज है कि अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी में पूरी कोशिश करो, उनमें से इस जगह नमाज़ और ज़कात के जिक्र पर बस इसलिये किया गया कि वदन से संबन्धित आमाल व अहकाम में नमाज़ सबसे अहम है, और माल से संबन्धित अहकाम में ज़कात सबसे ज़्यादा अहम, गोया मुराद शरीअत के तमाम ही अहकाम की पाबन्दी करना है।

وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ.

यानी अपने सब कामों में सिर्फ़ अल्लाह तआला ही पर भरोसा करो, उसी से मदद माँगो और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मुराद इस 'एतिसाम' (मजबूती से पकड़ने) से यह है कि अल्लाह तआला से दुआ माँग करो कि तुमको दुनिया व आख़िरत की तमाम बुराईयों से महफूज़ रखे। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि:

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه مالك في الموطأ مرسلًا. مطهری)

“मैंने तुम्हारे लिये दो चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं कि तुम जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह न होगे- एक अल्लाह की किताब, दूसरे उसके रसूल की सुन्नत।”

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: हज की तफ़सीर का अक्सर हिस्सा हज के महीनों के आख़िरी महीने ज़िलहिज्जा में पूरा हुआ। पूरी सूरत की तफ़सीर सात दिन में मुकम्मल हुई, पाँच दिन ज़िलहिज्जा 1390 हिजरी के और दो दिन मुहर्रम 1391 हिजरी के। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं और उसी से यह नाचीज़ इस तफ़सीर के बाकी हिस्से की तकमील की तौफ़ीक़ की मदद चाहता है। वह हर चीज़ पर ग़ालिब है, कोई चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: हज की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूर: मोमिनून (पारा 18)

सूर: मोमिनून मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 118 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

آيَاتُهَا ١١٨ ﴿٢٣﴾ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ ﴿٤٧﴾ ذِكْرًا لِّهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ الْأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

कद् अफ्तल-हल् मुअ्मिनून (1)
अल्लजी-न हुम् फी सलातिहिम्
खाशिअून (2) वल्लजी-न हुम्
अनिल्लग्वि मुअ्रिज़ून (3)
वल्लजी-न हुम् लिज़काति
फ़ाज़िलून (4) वल्लजी-न हुम्
लिफुरुजिहिम् हाफिज़ून (5) इल्ला
अला अज़्वाजिहिम् औ मा म-लकत्
ऐमानुहुम् फ़-इन्नहुम् गैरु मलूमीन
(6) फ़-मनिब्तगा वरा-अ ज़ालि-क
फ़-उलाइ-क हुमुल्-आदून (7)

काम निकाल ले गये ईमान वाले। (1) जो अपनी नमाज़ में झुकने वाले हैं। (2) और जो निकम्मी बात पर ध्यान नहीं करते। (3) और जो ज़कात दिया करते हैं। (4) और जो अपनी शहवत की जगह (यानी शर्मगाह) को धायते हैं (5) मगर अपनी औरतों पर या अपने हाथ के माल बाँदियों पर, सो उन पर नहीं कुछ इल्ज़ाम। (6) फिर जो कोई ढूँढे इसके सिवा सो वही हैं हद से बढ़ने वाले। (7)

ज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व
 दहिम् राजून (8) वल्लज़ी-न हुम्
 ता स-लवातिहिम् युहाफिज़ून ।
 (9) उलाइ-क हुमुल्-वारिसून (10)
 अल्लज़ी-न यरिसूनल् फिरदौ-स हुम्
 फीहा ख़ालिदून (11)

और जो अपनी अमानतों से और अपने
 इकरार से ख़बरदार हैं। (8) और जो
 अपनी नमाज़ों की ख़बर रखते हैं। (9)
 वही हैं मीरास लेने वाले। (10) जो मीरास
 पायेंगे बाग़ ठण्डी छाँव के, वह उसी में
 हमेशा रहेंगे। (11)

सूर: मोमिनून के फ़ज़ाईल और विशेषतायें

मुस्नद अहमद में हज़रत फारूके आजम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है
 उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी तो पास
 वालों के कान में ऐसी आवाज़ होती थी जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ होती है। एक रोज़
 आपके करीब ऐसी ही आवाज़ सुनी गयी तो हम ठहर गये कि ताज़ा आई हुई वही सुन लें। जब वही
 की खास कैफ़ियत से फ़रागत हुई तो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़िब्ला-रुख़ होकर बैठ
 गये और यह दुआ करने लगे:

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَقْصُصْنَا وَآكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضْنَا وَارْضِنَا.

(यानी या अल्लाह! हमें ज़्यादा दे कम न कर, और हमारी इज़्ज़त बढ़ा ज़लील न कर, और हम
 पर बख़्शिश फ़रमा मेहरूम न कर, और हमें दूसरों पर तरजीह दे हम पर दूसरों को तरजीह न दे, और
 हम से राज़ी हो और हमें भी अपनी रज़ा से राज़ी कर दे।) इसके बाद फ़रमाया कि मुझ पर इस वक़्त
 दस आयतें ऐसी नाज़िल हुई हैं कि जो शख्स इन पर पूरा-पूरा अमल करे तो वह (सीधा) जन्नत में
 जायेगा। फिर ये दस आयतें जो ऊपर लिखी गयी हैं पढ़कर सुनाई। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और इमाम नसाई ने किताबुल्लफ़सीर में यज़ीद बिन बाबनूस से नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत
 आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का
 खुल्फ़ कैसा और क्या था, उन्होंने फ़रमाया आपका खुल्फ़ यानी तबई आदत वह थी जो क़ुरआन में
 है, उसके बाद ये दस आयतें तिलावत करके फ़रमाया कि बस यही खुल्फ़ व आदत थी रसूलुल्लाह
 सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यकीनन उन मुसलमानों ने (आख़िरत में) फ़लाह पाई जो (अक़ीदों को सही रखने के साथ
 निम्नलिखित सिफ़तें अपने अन्दर रखते हैं यानी वे) अपनी नमाज़ में (चाहे फ़र्ज़ हो या ग़ैर-फ़र्ज़)
 खुशूअ (झुकने और अज़िज़ी) करने वाले हैं। और जो लग़व (यानी फ़ुज़ूल) बातों से (चाहे ज़बान की

हों या अमल की) अलग रहने वाले हैं। और जो (आमाल व अख्लाक में) अपनी सफाई करने वाले हैं। और जो अपनी शर्मगाहों की (हराम तरीके से जिन्सी इच्छा पूरी करने से) हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बाँदियों से (हिफाजत नहीं करते), क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इल्जाम नहीं। हाँ! जो इसके अलावा (और जगह जिन्सी इच्छा पूरी करने का) तलबगार हो ऐसे लोग (शरई) हद से निकलने वाले हैं। और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हुई) अमानतों और अपने अहदों का (जो किसी मुआहदे के तहत में किया हो या वैसे ही अपनी तरफ से शुरू करते हुए किया हो) ख्याल रखने वाले हैं। और जो अपनी (फर्ज) नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं। ऐसे ही लोग वारिस होने वाले हैं जो फिरदौस (यानी जन्नत के आला दर्जे) के वारिस होंगे (और) वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे।

मअरिफ़ व मसाईल

‘फ़लाह’ क्या चीज़ है और कहाँ और कैसे मिलती है?

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

लफ़्ज़ ‘फ़लाह’ कुरआन व सुन्नत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, अज़ान व तकबीर में पाँच वक़्त हर मुसलमान को फ़लाह की तरफ़ दावत दी जाती है। फ़लाह के मायने यह हैं कि हर मुराद हासिल हो और हर तकलीफ़ दूर हो। (क़ामूस) यह लफ़्ज़ जितना छोटा है उतना ही ज़ामे (मुकम्मल और पूर्ण) ऐसा है कि कोई इन्सान इससे ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा कर ही नहीं सकता। और यह ज़ाहिर है कि मुकम्मल फ़लाह कि एक मुराद भी ऐसी न रहे जो पूरी न हो और एक भी तकलीफ़ ऐसी न रहे जो दूर न हो, यह दुनिया में किसी बड़े से बड़े इन्सान के बस में नहीं। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा सातों अक़लीम का बादशाह हो या सबसे बड़ा रसूल और पैग़म्बर हो। इस दुनिया में किसी के लिये यह मुम्किन नहीं कि कोई चीज़ खिलाफ़े तबीयत पेश न आये और जो इच्छा जिस वक़्त दिल में पैदा हो बिना किसी देरी के पूरी हो जाये। अगर और भी कुछ नहीं तो हर नेमत के लिये ज़वाल और फ़ना का खटका और हर तकलीफ़ के आ.पड़ने का ख़तरा, इससे कौन ख़ाली हो सकता है?

इससे मालूम हुआ कि कामिल फ़लाह तो ऐसी चीज़ है जो दुनिया के इस जहान में हासिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया तो तकलीफ़ और मेहनत का घर भी है और इसकी किसी चीज़ को बका व क़रार भी नहीं। यह कीमती दौलत एक दूसरे जहान में मिलती है जिसका नाम जन्नत है। वही ऐसा मुल्क है जिसमें इन्सान की हर मुराद हर वक़्त बिना इन्तिज़ार हासिल होगी जैसा कि कुरआन में है:

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝

(यानी उनको मिलेगी हर वह चीज़ जो वे चाहेंगे) और वहाँ किसी मामूली से रंज व तकलीफ़ का गुज़र न होगा, और हर शख्स वहाँ यह कहता हुआ दाख़िल होगा:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ.

यानी शुक्र है अल्लाह का जिसने हम से गुम दूर कर दिया, बिला शुब्हा हमारा रब माफ़ करने

वाला कद्रदान है, जिसने हमें अपने फज़ल से एक मक़ाम में पहुँचा दिया जिसकी हर चीज़ कायम और हमेशा रहने वाली है।

इस आयत में यह भी इशारा मौजूद है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा न होगा जिसको कभी कोई रंज व ग़म न पहुँचा हो, इसलिये जन्नत में क़दम रखते हुए हर शख्स यह कहेगा कि अब हमारा ग़म दूर हुआ। कुरआने करीम ने सूर: अज़ला में जहाँ फ़लाह हासिल करने का यह नुस्खा बतलाया कि अपने आपको गुनाह से पाक करे:

فَلَا فَلَاحَ مَنْ تَزَاوَىٰ ۝

इसके साथ ही यह भी इशारा फ़रमाया कि पूरी फ़लाह की जगह असल में आख़िरत है, सिर्फ़ दुनिया से दिल लगाना फ़लाह के इच्छुक का काम नहीं। फ़रमाया है:

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرًا وَّأَبْقَىٰ ۝

यानी तुम लोग दुनिया ही को आख़िरत पर तरज़ीह (वरीयता) देते हो हालाँकि आख़िरत बेहतर भी है कि उसी में हर मुराद हासिल और हर तकलीफ़ दूर हो सकती है, और वह बाकी रहने वाली भी है।

खुलासा यह है कि कामिल व मुकम्मल फ़लाह तो सिर्फ़ जन्नत ही में मिल सकती है, दुनिया उसकी जगह ही नहीं। अलबत्ता अक्सरी हालात के एतिबार से फ़लाह यानी बामुराद होना और तकलीफ़ों से निजात पाना यह दुनिया में भी अल्लाह तआला अपने बन्दों को अ़ता फ़रमाते हैं। उक्त आयतों में अल्लाह तआला ने फ़लाह पाने का वायदा उन मोमिनों से किया है जिनमें वो सात सिफ़तें मौजूद हों जिनका ज़िक्र इन आयतों के अन्दर आया है। यह फ़लाह आम और हर चीज़ को अपने अन्दर लिये हुए है जिसमें आख़िरत की कामिल मुकम्मल फ़लाह भी दाख़िल है और दुनिया में जिस क़द्र फ़लाह हासिल होना मुम्किन है वह भी।

यहाँ एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि ज़िक्र हुई सिफ़तों वाले मोमिनों को आख़िरत की कामिल फ़लाह मिलना तो समझ में आता है लेकिन दुनिया में फ़लाह तो बज़ाहिर काफ़िरों और बुरे लोगों का हिस्सा बनी हुई है, और हर ज़माने के अम्बिया और उनके बाद उम्मत के नेक लोग उम्मन तकलीफ़ों में मुब्तला रहे हैं। मगर जवाब इसका ज़ाहिर है कि दुनिया में मुकम्मल फ़लाह का तो वायदा नहीं कि कोई तकलीफ़ पेश ही न आये, बल्कि कुछ न कुछ तकलीफ़ तो यहाँ पर नेक व मुत्तकी को भी और हर काफ़िर व गुनाहगार को भी पेश आना लाज़िमी है, और यही हाल मुराद के हासिल होने का है कि कुछ न कुछ यह मक़सद भी हर इनसान को चाहे वह नेक व मुत्तकी हो चाहे काफ़िर व बदकार हो हासिल होता ही है। फिर इन दोनों में फ़लाह पाने वाला किसको कहा जाये? तो इसका एतिबार परिणाम और अन्जाम पर है।

दुनिया का तजुर्बा और मुशाहदा (यानी जो कुछ आम तरीके से नज़र आता है) गवाह है कि जो अच्छे और बेहतर लोग इन सात सिफ़तों को अपने अन्दर रखने वाले, इन पर अमल करने वाले और इन पर कायम हैं चाहे दुनिया में बक़ती तकलीफ़ उनको भी पेश आ जाये मगर अन्जामकार उनकी तकलीफ़ जल्द दूर होती है और मुराद हासिल हो जाती है। सारी दुनिया उनकी इज़्ज़त करने पर मजबूर होती है और दुनिया में नेक नाम उन्हीं का बाकी रहता है। जितना दुनिया के हालात का ध्यान

व इन्साफ़ से मुताला किया जायेगा हर दौर हर ज़माने हर ख़िल्ले में इसके सुबूत मिलते चले जायेंगे।

कामिल मोमिन के वो सात गुण जिन पर उपर्युक्त आयतों में दुनिया व आख़िरत की फ़लाह का वायदा है

सबसे पहला गुण और सिफ़त तो मोमिन होना है, मगर वह एक बुनियादी चीज़ और जड़ है उसको अलग करके सात सिफ़तें जो यहाँ बयान की गयी हैं ये हैं—

अव्वल नमाज़ में खुशूअ। खुशूअ के लुग़वी मायने सुकून के हैं। शरीअत की इस्तिलाह में खुशूअ यह है कि दिल में भी सुकून हो यानी ग़ैरुल्लाह के ख़्याल को दिल में अपने इरादे से हाज़िर न करे और बदन के हिस्सों में भी सुकून हो कि बेकार और फ़ुज़ूल हरकतें न करे। (बयानुल-क़ुरआन) ख़ास तौर पर वो हरकतें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ में मना फ़रमाया है और दीन के उलेमा ने उनको नमाज़ की मक्रूह चीज़ों के उनवान से जमा कर दिया है। तफ़सीरे मज़हरी में खुशूअ की यही परिभाषा हज़रत अमर बिन दीनार से नक़ल की है। और दूसरे बुज़ुर्गों से जो खुशूअ की तारीफ़ में विभिन्न चीज़ें नक़ल की गयी हैं वो दर असल इसी दिल व बदनी अंगों के सुकून की तफ़सीलात हैं। मसलन हज़रत मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि नज़र और आवाज़ को नीची रखने का नाम खुशूअ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि दायें-बायें तवज्जोह यानी आँख के किनारे से देखने से बचना खुशूअ है। हज़रत अता ने फ़रमाया कि बदन के किसी हिस्से से खेल न करना खुशूअ है। हदीस में हज़रत अबूजूर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला नमाज़ के वक़्त अपने बन्दे की तरफ़ बराबर मुतवज्जह रहता है जब तक वह दूसरी तरफ़ तवज्जोह न करे, जब दूसरी तरफ़ तवज्जोह और ध्यान करता है यानी कन-अंखियों से देखता है तो अल्लाह तआला उससे रुख़ फ़ैर लेते हैं। (मुस्नद अहमद, नसाई व अबू दाऊद, तफ़सीरे मज़हरी) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अपनी निगाह उस जगह रखो जिस जगह सज्दा करते हो और यह कि नमाज़ में दायें-बायें ध्यान व तवज्जोह न करो। (बैहकी सुनने कुबरा में, तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक शख्स को देखा कि नमाज़ में अपनी दाढ़ी से खेल रहा है तो फ़रमाया:

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.

यानी अगर इस शख्स के दिल में खुशूअ होता तो इसके बदन के हिस्सों में भी सुकून होता।

(हाकिम, तिर्मिज़ी जईफ़ सनद के साथ। तफ़सीरे मज़हरी)

नमाज़ में खुशूअ की ज़रूरत का दर्जा

इमाम ग़ज़ाली, इमाम कुर्तुबी और कुछ दूसरे हज़रात ने फ़रमाया कि नमाज़ में खुशूअ फर्ज है, अगर पूरी नमाज़ खुशूअ के बग़ैर गुज़र जाये तो नमाज़ अदा ही न होगी। दूसरे हज़रात ने फ़रमाया

कि इसमें शुब्हा नहीं कि खुशूअ नमाज़ की जान और रूह है, उसके बग़ैर नमाज़ बेजान है मगर नमाज़ के रुकन की हैसियत से यह नहीं कहा जा सकता कि खुशूअ न हुआ तो नमाज़ ही न उसका लौटाना और दोबारा पढ़ना फ़र्ज करार दिया जाये।

हज़रत सय्यिदी हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अली धानवी) रह. ने बयानुल-कुरआन में फ़रमाया कि खुशूअ नमाज़ के सही होने के लिये शर्त तो नहीं और इस दर्जे में वह फ़र्ज नहीं, मगर नमाज़ का कुबूल होना उसी पर टिका हुआ है और इस दर्जे में फ़र्ज है। हदीस में तबरानी ने मोज़मे कबीर में हसन सनद के साथ हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सबसे पहले जो चीज़ इस उम्मत से उठ जायेगी यानी छिन जायेगी वह खुशूअ है, यहाँ तक कि कौम में कोई खुशूअ वाला नज़र न आयेगा।

(जैसा कि मज्मउज़्जवाइद में है। बयानुल-कुरआन)

मोमिन कामिल की दूसरी ख़ूबी और सिफ़त बेहूदा लगव से परहेज़ करना है। फ़रमाया:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

लगव के मायने हैं फ़ुज़ूल कलाम या काम जिसमें कोई दीनी फ़ायदा न हो। लगव का आला दर्जा नाफ़रमानी और गुनाह है जिसमें दीनी फ़ायदा न होने के साथ दीनी नुक़सान हो, उससे परहेज़ वाजिब है। और अदना दर्जा यह है कि न मुफ़ीद हो न नुक़सानदेह, उसका छोड़ना कम से कम बेहतर और काबिले तारीफ़ है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

यानी इनसान का इस्लाम तब अच्छा हो सकता है जबकि वह बेफ़ायदा चीज़ों को छोड़ दे। इसी लिये आयत में इसको कामिल मोमिन की ख़ास सिफ़त करार दिया है।

तीसरी सिफ़त और गुण ज़कात है। लफ़्ज़ ज़कात के मायने लुग़त में पाक करने के हैं। शरीअत की परिभाषा में माल की दर का एक ख़ास हिस्सा कुछ शर्तों के साथ सदका करने को ज़कात कहा जाता है, और कुरआने करीम में आम तौर पर यह लफ़्ज़ इसी पारिभाषिक मायने में इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में यह मायने भी मुराद हो सकते हैं और इस पर जो शुब्हा किया जाता है कि यह आयत मक्की है, मक्का में ज़कात फ़र्ज न हुई थी, मदीने की हिजरत के बाद फ़र्ज हुई, इसका जवाब अल्लामा इब्ने कसीर वग़ैरह मुफ़स्सरीन की तरफ़ से यह है कि ज़कात की फ़र्जियत मक्का ही में हो चुकी थी सूर: मुज़्जम्मिल जो सब के नज़दीक मक्की है उसमें भी 'अक़ीमुस्सला-त' के साथ 'आतुज़्ज़का-त' का ज़िक्र मौजूद है। मगर सरकारी तौर पर उसके वसूल करने का आम इन्तिज़ाम और निसाबों वग़ैरह की तफ़सीलात मदीना तय्यिबा जाने के बाद जारी हुई।

जिन लोगों ने ज़कात को मदनी अहकाम में शुमार किया है उनका यही मन्शा है। और जिन हज़रात ने ज़कात के फ़र्ज होने को मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद का हुक्म करार दिया है उन्होंने इस जगह ज़कात का मज़मून आम लुग़वी मायने में अपने नफ़्स को पाक करना करार दिया है। खुलासा-ए-तफ़सीर में भी यही लिया गया है। इस मायने का इशारा इस आयत में यह भी है कि आम तौर पर

कुरआन में जहाँ फर्ज ज़कात का जिक्र आया है तो उसको 'ईताउज़्ज़काति' 'युअ्तूनज़्ज़का-त' और 'आतुज़्ज़का-त' के उनवान से बयान किया गया है, यहाँ उनवान बदलकर 'लिज़्ज़काति फ़ाज़िलून' फ़रमाना इसकी तरफ़ एक इशारा है कि यहाँ ज़कात के वह इस्तिलाही मायने मुराद नहीं। इसके अलावा 'फ़ाज़िलून' का बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ फ़ेल (काम) से होता है और ज़कात इस्तिलाही फ़ेल नहीं बल्कि माल का एक हिस्सा है, माल के उस हिस्से के लिये 'फ़ाज़िलून' कहना बग़ैर मायने में दूर का मतलब लिये नहीं हो सकता। अगर आयत में ज़कात के मायने इस्तिलाही ज़कात के लिये जायें तो उसका फर्ज होना और मोमिन के लिये लाज़िम होना खुला हुआ मामला है, और अगर मुराद ज़कात से नफ़्स की पाकीज़गी है, यानी अपने नफ़्स को बुरी बातों और घटिया अख़्लाक़ से पाक करना है तो वह भी फर्ज ही है, क्योंकि शिर्क, दिखावा, तकब्बुर, हसद, बुग़ज़, हिंस, कन्ज़ूसी जिनसे नफ़्स को पाक करना तज़किया कहलाता है। ये सब चीज़ें हराम और कबीरा (बड़े) गुनाह हैं। नफ़्स को इनसे पाक करना फर्ज है।

चौथी सिफ़त शर्मगाहों की हराम से हिफ़ाज़त करना है:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

यानी वे लोग जो अपनी बीवियों और शरई बाँदियों के अलावा सबसे अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं। इन दोनों के साथ शरई कायदे के मुताबिक़ नफ़्स की इच्छा पूरी करने के अलावा और किसी से किसी नाजायज़ तरीक़े पर जिन्सी इच्छा पूरी करने में मुब्तला नहीं होते। इस आयत के ख़त्म पर इरशाद फ़रमाया:

فَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

यानी शरई कायदे के मुताबिक़ अपनी बीवी या बाँदी से नफ़्स की जिन्सी इच्छा को तस्कीन देने वालों पर कोई मलामत नहीं। इसमें इशारा है कि इस ज़रूरत को ज़रूरत के दर्जे में रखना है, जिन्दगी का मक़सद बनाना नहीं। इसका दर्जा इतना ही है कि जो ऐसा करे वह काबिले मलामत नहीं। वल्लाहु आलम।

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

यानी निकाह में आयी बीवी या शरई कायदे से हासिल होने वाली बाँदी के साथ शरई कायदे के मुताबिक़ जिन्सी इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई भी सूरत जिन्सी इच्छा को पूरा करने की हलाल नहीं। इसमें जिना भी दाख़िल है और जो औरत शरई तौर पर उस पर हराम है उससे निकाह भी जिना के हुक्म में है, और अपनी बीवी या बाँदी से माहवारी और निफ़ास की (यानी बच्चा पैदा होने बाद खून आने की) हालत में या ग़ैर-फ़ितरी (अप्राकृतिक) तौर पर सोहबत करना भी इसमें दाख़िल है। यानी किसी मर्द या लड़के से या किसी जानवर से जिन्सी इच्छा पूरी करना भी। और उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक हाथ के ज़रिये वीर्य निकालना भी इसमें दाख़िल है।

(तफ़सीर बयानुल-कुरआन, तफ़सीरे कुर्तुबी, तफ़सीर बहरे मुहीत वग़ैरह)

पाँचवीं सिफ़त है अमानत का हक़ अदा करना। फ़रमाया:

الَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

लफ़्ज़ अमानत के लुगवी मायने हर उस चीज़ को शामिल हैं जिसकी जिम्मेदारी किसी श उठाई हो और उस पर एतिमाद व भरोसा किया गया हो। इसकी किस्में चूँकि बेशुमार हैं इस मस्दर होने के बावजूद इसको बहुवचन के कलिमे में लाया गया है ताकि अमानत की सब किस्मा का शामिल हो जाये, चाहे वो अल्लाह के हुक्क से मुताल्लिक हों या बन्दों के हुक्क से। अल्लाह के हुक्क से मुताल्लिक अमानतों में तमाम शरई फ़राईज़ व वाजिबात का अदा करना और तमाम हराम और बुरी चीज़ों और बातों से परहेज़ करना है, और बन्दों के हुक्क से मुताल्लिक अमानतों में माली अमानत का दाखिल होना तो परिचित व मशहूर है कि किसी शख्स ने किसी के पास अपना कोई माल अमानत के तौर पर रख दिया, यह उसकी अमानत है, उसकी हिफ़ाज़त उसके वापस करने तक उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा किसी ने कोई राज़ की बात किसी से कही वह भी उसकी अमानत है, बग़ैर शरई इजाज़त के किसी का राज़ जाहिर करना अमानत में ख़ियानत है। मजदूर, मुलाज़िम को जो काम सुपर्द किया गया उसके लिये जितना वक़्त खर्च करना आपस में तय हो गया उसमें उस काम को पूरा करने का हक़ अदा करना और मजदूरी व मुलाज़मत के लिये जितना वक़्त मुकर्रर है उसको उसी काम में लगाना भी अमानत है, काम की चोरी या वक़्त की चोरी ख़ियानत है। इससे मालूम हुआ कि अमानत की हिफ़ाज़त और उसका हक़ अदा करना बड़ा ज़ामे (मुकम्मल) लफ़्ज़ है, उक्त सब तफ़्सीलात इसमें दाखिल हैं।

छठी सिफ़त और ख़ूबी अहद पूरा करना है। अहद एक तो वह मुआहदा (समझौता) है जो दो तरफ़ से किसी मामले के सिलसिले में लाज़िम करार दिया जाये, उसका पूरा करना फ़र्ज़ और उसके ख़िलाफ़ करना ग़दर और धोखा है जो हराम है। दूसरा वह जिसको वायदा कहते हैं यानी एक तरफ़ा सूरत से कोई शख्स किसी शख्स से किसी चीज़ के देने का या किसी काम के करने का वायदा कर ले, उसका पूरा करना भी शरअन लाज़िम व वाजिब हो जाता है। हदीस में है 'अल्अिदतु दीनुन' यानी वायदा एक किस्म का कर्ज़ है। जैसे कर्ज़ की अदायेगी वाजिब है ऐसे ही वायदे का पूरा करना वाजिब है, बिना शरई उज़्र के उसके ख़िलाफ़ करना गुनाह है। फ़र्क़ दोनों किस्मों में यह है कि पहली किस्म के पूरा करने पर दूसरा आदमी उसको अदालत के ज़रिये भी मजबूर कर सकता है, एक तरफ़ा वायदे को पूरा करने के लिये अदालत के ज़रिये मजबूर नहीं किया जा सकता। अख़्लाकी और दियानत दारी के तौर पर उसका पूरा करना भी वाजिब और बिना शरई उज़्र के ख़िलाफ़ करना गुनाह है।

सातवीं सिफ़त नमाज़ की मुहाफ़ज़त करना है:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

नमाज़ की मुहाफ़ज़त से मुराद उसकी पाबन्दी करना और हर एक नमाज़ को उसके मुस्तहब वक़्त में अदा करना है (जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. ने इसकी यही तफ़्सीर बयान की है)।

यहाँ सलवात का लफ़्ज़ जमा (बहुवचन) इसलिये लाया गया है कि इससे मुराद पाँच वक़्त की नमाज़ें हैं जिनको अपने-अपने मुस्तहब वक़्त में पाबन्दी से अदा करना मकसूद है, और शुरू में जहाँ

असल मकसद खुशूअ का जिक्र करना था वहाँ लफज़ मुफ़रद (एक वचन) लाया गया कि बिना किसी क़ैद और शर्त के नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो या वाजिब, सुन्नत हो या नफ़िल सब की रूह और जान खुशूअ है। ग़ौर किया जाये तो जिक्र किये गये इन सात गुणों और सिफ़तों में अल्लाह और बन्दों के तमाम हुक्क और उनसे संबन्धित अहकाम आ जाते हैं, जो शख्स इन सिफ़तों को अपना ले और इन पर अमल करने वाला बन जाये और इन पर जमा रहे वह कामिल मोमिन दुनिया व आखिरत की फ़लाह (कामयाबी) का हक़दार है।

यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि इन सात सिफ़तों को शुरू भी नमाज़ से किया गया और ख़त्म भी नमाज़ पर किया गया, इसमें इशारा है कि अगर नमाज़ को नमाज़ की तरह पाबन्दी और नमाज़ के आदाब के साथ अदा किया जाये तो बाकी गुण और सिफ़तें उसमें अपने आप पैदा होते चले जायेंगे। वल्लाहु आलम

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

ऊपर बयान किये गये कमालात और सिफ़तों वाले लोगों को इस आयत में जन्नतुल-फ़िरदौस का वारिस फ़रमाया है। लफ़ज़ वारिस में इशारा इस तरफ़ है कि जिस तरह मूरिस (वारिस बनाने वाले) का माल उसके वारिस को पहुँचना निश्चित और लाज़िमी है इसी तरह इन सिफ़तों वालों का जन्नत में दाख़िला यकीनी है, और 'क़द् अफ़्ल-ह' के बाद फ़लाह पाने वालों की सिफ़ात पूरी जिक्र करने के बाद इस जुमले में इस तरफ़ भी इशारा है कि कामिल और असली फ़लाह की जगह जन्नत ही है।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ثُمَّ إِنكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۝ وَمَا كُنَّا مِنَ الْخَالِقِ غُفْلِينَ ۝ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرِضِ ۝ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ ۝ وَأَعْنَابٍ ۝ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ ۝ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِيْنَ ۝ وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۝ لُئَلَّيْسَ لَكُمْ فِي بَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

व ल-क़द् ख़लक्नल्-इन्सा-न मिन्
सुलालतिम्-मिन् तीन (12) सुम्-म
जअल्नाहु नुत्फ-तन् फी करारिम्-

और हमने बनाया आदमी को चुनी हुई
मिट्टी से। (12) फिर हमने रखा उसको
पानी की बूँद करके एक जमे हुए ठिकाने

मकीन (13) सुम्-म खलक्नन्-नुत्फ-त
 अ-ल-कतन् फ-खलक्नल् अ-ल-क-त
 मुज्-गतन् फ-खलक्नल्-मुज्-त
 अिजामन् फ-कसौनल्-अिजा-म
 लस्मन्, सुम्-म अन्शअनाहु खल्कन्
 आख-र, फ-तबा-रकल्लाहु अस्सनुल्-
 खालिकीन (14) सुम्-म इन्नकुम्
 बअ-द जालि-क ल-मथियतून (15)
 सुम्-म इन्नकुम् यौमल्-कियामति
 तुब्असून (16) व ल-कद् खलक्ना
 फौककुम् सब्-अ तराइ-क व मा
 कुन्ना अनिल्-खल्कि गाफिलीन (17)
 व अन्जल्ना मिनस्समा-इ माअम्
 बि-क-दरिन् फअस्कन्नाहु फिल्अर्जि
 व इन्ना अला जहाबिम् बिही
 लकादिस्न (18) फ-अन्शअना लकुम्
 बिही जन्नातिम् मिन् नखीलिव्-व
 अअनाबिन्। लकुम् फीहा फवाकिहु
 कसीरतुंव्-व मिन्हा तअकुलून (19)
 व श-ज-रतन् तखरुजु मिन् तूरि
 सैना-अ तम्बुतु बिद्दुस्ति व सिब्गिल्
 लिल्आकिलीन (20) व इन्-न लकुम्
 फिल्-अन्अामि ल-अिब्-रतन्,
 नुस्कीकुम् मिम्मा फी बुतूनिहा व
 व लकुम् फीहा मनाफिअु कसी-रतुंव्-

में। (13) फिर बनाया उस बूँद से लहू
 जमा हुआ, फिर बनाया जमे हुए लहू से
 गोश्त की बोटी, फिर बनाई उस बोटी से
 हड्डियाँ, फिर पहनाया उन हड्डियों पर
 गोश्त, फिर उठा खड़ा किया उसको एक
 नई सूरत में, सो बड़ी बरकत अल्लाह की
 जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। (14)
 फिर तुम उसके बाद मरोगे। (15) फिर
 तुम कियामत के दिन खड़े किये जाओगे।
 (16) और हमने बनाये तुम्हारे ऊपर सात
 रस्ते और हम नहीं हैं मख्लूक से बेखबर।
 (17) और उतारा हमने आसमान से पानी
 माप कर फिर उसको ठहरा दिया ज़मीन में
 और हम उसको लेजायें तो लेजा सकते
 हैं। (18) फिर उगा दिये तुम्हारे वास्ते
 उससे बाग़ खजूर और अंगूर के। तुम्हारे
 वास्ते उनमें घेदे हैं बहुत और उन्हीं में से
 खाते हो। (19) और वह पेड़ जो निकलता
 है सीना पहाड़ से; ले उगता है तेल और
 रोटी डुबोना खाने वालों के वास्ते। (20)
 और तुम्हारे लिये चौपायों में ध्यान करने
 की बात है, पिलाते हैं हम तुमको उनके
 पेट की चीज़ से, और तुम्हारे लिये उनमें

व मिन्हा तअकुलून (21) व अलैहा
व अलल्-फुल्कि तुस्मलून (22) ❀

बहुत फ़ायदे हैं और बाज़ों को खाते हो
(21) और उन पर और कशितयों पर लदे
फिरते हो। (22) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(पहले बयान है इनसान के बनाये जाने और इसकी शुरूआत का) और हमने इनसान को मिट्टी के खुलासे (यानी गिज़ा) से बनाया (यानी पहले मिट्टी होती है फिर उससे पेड़-पौधों के ज़रिये गिज़ा हासिल होती है) फिर हमने उसको नुत्फ़े से बनाया जो कि (एक निर्धारित मुद्दत तक) एक सुरक्षित मक़ाम (यानी गर्भ) में रहा (और वह गिज़ा से हासिल हुआ था)। फिर हमने उस नुत्फ़े को खून का लोथड़ा बना दिया, फिर हमने उस खून के लोथड़े को (गोश्त की) बोटी बना दिया, फिर हमने उस बोटी (के कुछ हिस्सों) को हड्डियाँ बना दिया, फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया (जिस से वे हड्डियाँ ढक गईं), फिर (इन सब तब्दीलियों के बाद) हमने (उसमें रूह डालकर) उसको एक दूसरी ही (तरह की) मख़्लूक बना दिया (जो पहले के हालात से निहायत ही विशेष और अलग है, क्योंकि इससे पहले सब तब्दीलियाँ और उलट-फेर एक बेजान चीज़ में हो रहे थे और अब यह एक रूह वाला ज़िन्दा इनसान बन गया) सो कैसी बड़ी शान है अल्लाह की जो तमाम बनाने वालों से बढ़कर है (क्योंकि दूसरे बनाने वाले तो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में जोड़-तोड़ करके ही बना सकते हैं, ज़िन्दगी पैदा करना यह खास अल्लाह ही का काम है। और नुत्फ़े "वीर्य के कतरे" पर उक्त तब्दीलियाँ और उलट-फेर की तफ़सील इसी तरतीब के साथ तिब्बी किताबों कानून वगैरह में भी बयान हुई है। आगे इनसान के आखिरी अन्जाम यानी फ़ना का बयान है)।

फिर तुम इस (तमाम अजीब किस्से) के बाद ज़रूर ही मरने वाले हो। (आगे बयान है वापस लौटने का यानी) फिर तुम कियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे (और जिस तरह हमने तुमको शुरू में वजूद अता फरमाया इसी तरह तुम्हारे बाकी रहने का सामान भी किया कि) हमने तुम्हारे ऊपर सात आसमान (जिनमें फ़रिश्तों के आने जाने के लिये राहें हैं) बनाये (कि उससे तुम्हारी भी कुछ मस्लेहतें संबन्धित हैं) और हम मख़्लूक (की मस्लेहतों) से बेख़बर न थे (बल्कि हर मख़्लूक को मस्लेहतों और हिक्मतों की रियायत करके बनाया)। और हमने (इनसान के बाकी रहने और फलने-फूलने "बढ़ने व तरक्की" के लिये) आसमान से (मुनासिब) मात्रा के साथ पानी बरसाया, फिर हमने उसको (मुद्दत तक) ज़मीन में ठहराया (चुनाँचे कुछ पानी तो ज़मीन के ऊपर रहता है और कुछ अन्दर उतर जाता है जो वक़्त वक़्त पर निकलता रहता है) और हम (जिस तरह उसके बरसाने पर कादिर हैं उसी तरह) उस (पानी) के ख़त्म कर देने पर (भी) कादिर हैं (चाहे हवा की शक़्ल में उसको तब्दील करके चाहे इतनी दूर ज़मीन की गहराई में उतारकर कि यंत्र व साधनों के ज़रिये से न निकाल सको, मगर हमने बाकी रखा) फिर हमने उस (पानी) के ज़रिये से बाग़ पैदा किये खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे वास्ते उन (खजूरों अंगूरों) में कसरत से मेवे भी हैं (जबकि उनको ताज़ा-ताज़ा खाया जाये तो

मेवा समझा जाता है) और उनमें से (जो बचाकर सुखा करके रख लिया जाता है उसको बतौर गिज़ा के) खाते भी हो। और (उसी पानी से) एक (जैतून का) पेड़ भी (हमने पैदा किया) जो कि तूरे-सीना में (कसरत से) पैदा होता है, जो कि उगता है तेल लिये हुए और खाने वालों के लिये सालन लिये हुए (यानी उसके फल से दोनों फ़ायदे हासिल होते हैं चाहे रोशन करने के और मालिश करने के काम में लाओ चाहे उसमें रोटी डुबाकर खाओ। यह उक्त सामान पानी और पेड़-पौधों से था) और (आगे हैवानात के ज़रिये इनसान के फ़ायदों और आसानियों का बयान है कि) तुम्हारे लिये मवेशियों में (भी) गौर करने का मौक़ा है कि हम तुमको उनके पेट में की चीज़ (यानी दूध) पीने को देते हैं, और तुम्हारे लिये उनमें और भी बहुत-से फ़ायदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती है) और (साथ ही) उनमें से कुछ को खाते भी हो। और उन (में जो बोझ ढोने के काबिल हैं उन) पर और क़श्ती पर लदे-लदे फिरते (भी) हो।

मज़ारिफ़ व मसाइल

पिछली आयतों में इनसान की दुनिया व आख़िरत की फ़लाह (कामयाबी) का तरीक़ा अल्लाह तआला की इबादत और उसके अहक़ाम की तामील में अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक रखने और तमाम इनसानों के हुक्क़ अदा करने से बयान किया गया था। इन आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल क़ुदरत और इनसानियत की तख़लीक़ (पैदाईश और बनाने) में उसकी ख़ास निशानियों का ज़िक़्र है, जिससे स्पष्ट हो जाये कि इनसान जिसको अक़ल व शऊर हो वह इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता इख़्तियार कर ही नहीं सकता।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝

सुलाला के मायने हैं खुलासा और तीन गीली मिट्टी को कहते हैं, जिसके मायने यह हैं कि ज़मीन की मिट्टी के ख़ास हिस्से और अंश निकालकर उससे इनसान को पैदा किया गया। इनसान की तख़लीक़ (पैदाईश) की शुरूआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और उनकी तख़लीक़ इस मिट्टी के खुलासे से हुई। इसलिये शुरूआती तख़लीक़ को मिट्टी की तरफ़ मन्सूब किया गया। उसके बाद एक इनसान का नुफ़ा दूसरे इनसान की तख़लीक़ (पैदाईश) का सबब बना। अगली आयत में इसी का बयान 'सुम्-म ज़अल्लाहु नुफ़तन्' से फ़रमाया है। मतलब यह है कि शुरूआती पैदाईश मिट्टी से हुई फिर आगे पैदाईश का सिलसिला इसी मिट्टी के लतीफ़ अंग यानी नुफ़े से जारी कर दिया गया। मुफ़त्सरीन की अक्सरियत ने उक्त आयत की तफ़सीर यही लिखी है। और यह भी कहा जा सकता है कि 'सुलालतिम् मिन् तीन' से मुराद भी इनसानी नुफ़ा (वीर्य का क़तरा) हो क्योंकि वह गिज़ा से पैदा होता है और इनसानी गिज़ा मिट्टी से बनती है। वल्लाहु आलम

इनसानी पैदाईश के सात दौर

उपर्युक्त आयतों में इनसान की तख़लीक़ (पैदाईश) के सात दौर ज़िक़्र किये गये हैं। सबसे पहले 'सुलालतिम् मिन् तीन', दूसरे दर्जे में नुफ़ा, तीसरे में अलका, चौथे में मुज़गा पाँचवें में इज़ाम यानी

हड्डियाँ, छठे दौर में हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना सातवाँ दौर पैदाईश के पूरा होने का है यानी रूह फूँकना।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल

एक अजीब लतीफ़ा

तफसीरे कुर्तुबी में इस जगह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसी आयत से दलील पकड़ते हुए एक अजीब लतीफ़ा शबे क़द्र के निर्धारण में नक़ल किया है, वह यह है कि हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा सहाबा के एक बड़े मजमे से सवाल किया कि शबे क़द्र रमज़ान की कौनसी तारीख़ में है? सब ने जवाब में सिर्फ़ इतना कहा कि 'अल्लाहु आलम' (यानी अल्लाह की को इसका इल्म है) कोई तारीख़ मुतैयन नहीं की। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन सब में छोटे थे, इनसे खिताब फ़रमाया कि आप क्या कहते हैं तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अमीरुल-मोमिनीन! अल्लाह तआला ने आसमान सात पैदा किये, ज़मीनें सात पैदा कीं, इनसान की पैदाईश सात दर्जों में फ़रमाई, इनसान की गिज़ा सात चीज़ें बनाई इसलिये मेरी समझ में तो यह आता है कि शबे क़द्र सत्ताईसवीं रात होगी। फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलील पकड़ने का यह अजीब अन्दाज़ सुनकर उन बड़े सहाबा से फ़रमाया कि आप से वह बात न हो सकी जो इस लड़के ने की, जिसके सर के बाल भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। यह लम्बी हदीस इब्ने अबी शैबा के मुस्नद में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसानी पैदाईश के सात दर्जों से मुराद वही लिया है जो इस आयत में है, और इनसान की गिज़ा की सात चीज़ें सूर: अ-ब-स की आयत में हैं जो ये हैं:

فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غَلْبًا وَقَكَّهَةً وَأَبْنَا

इस आयत में आठ चीज़ें ज़िक्र हुई हैं जिनमें पहली सात इनसान की गिज़ा हैं और आखिरी यानी अब्ब यह जानवरों की गिज़ा है। (तफसीरे कुर्तुबी)

फिर इनसानी तख़लीक़ (पैदाईश और बनावट) पर जो सात दौर गुज़रते हैं कुरआने करीम की बलाग़त (दिल में उतर जाने वाला और मौफ़े के लिहाज़ से कलाम करना) देखिये कि उन सब को एक ही अन्दाज़ से बयान नहीं फ़रमाया बल्कि कहीं एक दौर से दूसरे दौर तक इन्क़िलाब (तब्दीली) को लफ़ज़ 'सुम्-म' से ताबीर किया है जो कुछ देर से होने पर दलालत करता है, कहीं इस इन्क़िलाब का ज़िक्र हर्फ़ 'फ़ा' से किया है जो बिना देरी के होने पर दलालत करता है। इसमें इशारा उस तरतीब की तरफ़ है जो एक इन्क़िलाब से दूसरे इन्क़िलाब (तब्दीली) के बीच फ़ितरी तौर पर होता है कि कुछ तब्दीलियाँ इनसानी अक़ल के लिहाज़ से बहुत मुश्किल और बहुत देर-तलब होती हैं। कुछ इतनी देर-तलब नहीं होतीं। चुनाँचे कुरआने करीम ने शुरू के तीन दौर को लफ़ज़ 'सुम्-म' के साथ बयान किया है- अब्बल सुलाला-ए-तीन (मिट्टी का खुलासा), फिर उसको नुत्फ़े की सूरत में तब्दील करना, इसको लफ़ज़ 'सुम्-म' से बयान फ़रमाया क्योंकि मिट्टी से गिज़ा का पैदा होना फिर गिज़ा का बदन का

हिस्सा होना फिर उसमें से खास हिस्से का नुत्फे (वीर्य के कतरे) की सूरत में तब्दील होना इनसानी क्यास के हिसाब से बड़ा वक़्त चाहता है। इसी तरह उसके बाद तीसरा दर्जा नुत्फे का गोश्त के टुकड़े की शक़्त में तब्दील होना यह भी एक लम्बा वक़्त चाहता है, इसको भी 'सुम्-म ख़लक़न्नुत्फ-त अ-ल-क़तन्' से ताबीर फ़रमाया। इसके बाद के तीन दौर अ-लक़ा से मुज़गा मुज़गे से हड्डियाँ और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना इन सब का थोड़ी-थोड़ी मुद्त में हो जाना कुछ मुशक़िल और दूर की बात नहीं मालूम होता तो इन तीनों को हर्फ़ 'फ़ा' से बयान फ़रमाया है। फिर आख़िरी दौर जो रूह फूँकने और ज़िन्दगी पैदा करने का है उसको भी लफ़ज़ 'सुम्-म' से ताबीर फ़रमाया, क्योंकि एक ग़ैर-जानदार में रूह और ज़िन्दगी पैदा करना अक़ल के अन्दाज़े में बड़ी मुद्त चाहता है, इसलिये यहाँ फिर लफ़ज़ 'सुम्-म' लाया गया।

ख़ुलासा यह है कि एक दौर से दूसरे दौर की तरफ़ इन्क़िलाब (तब्दीली) जिन सूरतों में इनसानी अक़ल व क्यास के मुताबिक़ देर-तलब और मुद्त का काम था वहाँ लफ़ज़ 'सुम्-म' से इसकी तरफ़ इशारा कर दिया गया और जहाँ आम इनसानी अन्दाज़े के एतिबार से ज़्यादा मुद्त दरकार नहीं थी वहाँ हर्फ़ 'फ़ा' से ताबीर करके उसकी तरफ़ इशारा कर दिया गया। इसलिये इस पर उस हदीस से शुब्हा नहीं हो सकता जिसमें यह बयान फ़रमाया है कि हर दौर से दूसरे दौर तक पहुँचने और तब्दील होने में चालीस-चालीस दिन ख़र्च होते हैं, क्योंकि यह अल्लाह तआला की कामिल कुदरत का काम है जो इनसानी समझ व क्यास के ताबे नहीं।

इनसानी पैदाईश का आख़िरी मक़ाम यानी उसमें रूह व ज़िन्दगी पैदा करना

इसका बयान क़ुरआने करीम ने एक खास और विशेष अन्दाज़ से इस तरह फ़रमाया:

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ.

यानी फिर हमने उसको एक खास किस्म की दूसरी पैदाईश अता की। इस विशेष बयान की वजह यह है कि पहले छह दौर पैदाईश के इस अनासिर (तत्वों) और माददी आलम से और उनमें इन्क़िलाब व तब्दीली से संबन्धित थे और यह आख़िरी सातवाँ दौर दूसरे आलम यानी रूहों के आलम से रूह को उसके जिस्म में मुन्तक़िल करने का दौर था, इसलिये इसको 'ख़ल्क़न् आख़-र' (एक नई सूरत व पैदाईश) से ताबीर किया गया।

असली रूह और हैवानी रूह

यहाँ 'ख़ल्क़न् आख़-र' की तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम मुजाहिद, इमाम शाबी, इक्रिमा, ज़ह्राक और अबुल-आलिया रह. वग़ैरह ने रूह के फूँके जाने से फ़रमाई है। तफ़सीरे मज़हरी में है कि ग़ालिबन मुराद इस रूह से रूह-ए-हैवानी है, कि वह भी मादी और एक लतीफ़ जिस्म है जो हैवानी जिस्म के हर-हर अंग में समाई हुई होती है, जिसको तबीब (हकीम) और फ़ल्साफ़ी

हज़रत रूह कहते हैं। उसकी तख़लीक़ (पैदाईश) भी तमाम इनसानी अंगों की तख़लीक़ के बाद होती है, इसलिये उसको लफ़्ज़ 'सुम्-म' से ताबीर फ़रमाया है। और असली रूह जिसका ताल्लुक़ रूहों के जहान से है, वहीं से लाकर उस हैवानी रूह के साथ उसका कोई ताल्लुक़ और जोड़ हक़ तआला अपनी कुदरत से पैदा फ़रमा देते हैं जिसकी हकीक़त का पहचानना इनसान के बस का नहीं। इस असली रूह की तख़लीक़ तो तमाम इनसानों की तख़लीक़ से बहुत पहले है, उन्हीं रूहों को हक़ तआला ने अज़ल (कायनात के पहले दिन) में जमा करके 'अलस्तु बि-रब्बिकुम्' (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?) फ़रमाया और सब ने 'बला' (हाँ बेशक) के लफ़्ज़ से अल्लाह तआला के रब होने का इक़रार किया। हाँ इसका ताल्लुक़ इनसानी जिस्म के साथ बदनी हिस्सों की बनावट के बाद होता है। इस जगह रूह फूँकने से अगर यह मुराद लिया जाये कि हैवानी रूह के साथ असली रूह का ताल्लुक़ उस वक़्त कायम फ़रमाया गया तो यह भी मुम्किन है, और दर हकीक़त इनसानी जिन्दगी इसी असली रूह से मुताल्लिक़ (संबन्धित) है, जब इसका ताल्लुक़ हैवानी रूह के साथ हो जाता है तो इनसान जिन्दा कहलाता है, जब टूट जाता है तो इनसान मुर्दा कहलाता है। वह हैवानी रूह भी अपना अमल छोड़ देती है।

فَتَبَرَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

ख़ल्क़ व तख़लीक़ के असली मायने किसी चीज़ को नये सिरे से बग़ैर किसी पहले के मादे के पैदा करना है जो हक़ तआला जल्ल शानुहू की ख़ास सिफ़त है। इस मायने के एतिबार से ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है कोई दूसरा शख्स फ़रिश्ता हो या इनसान किसी अदना चीज़ का भी ख़ालिक़ नहीं हो सकता। लेकिन कभी-कभी यह लफ़्ज़ ख़ल्क़ व तख़लीक़ कारीगरी के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है और कारीगरी की हकीक़त इससे ज़्यादा नहीं कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने जो माद्दे और अनासिर (तत्व) इस जहान में अपनी कामिल कुदरत से पैदा फ़रमा दिये हैं उनको जोड़-तोड़कर एक दूसरे के साथ मिश्रित करके एक नई चीज़ बना दी जाये। यह काम हर इनसान कर सकता है और इसी मायने के लिहाज़ से किसी इनसान को भी किसी ख़ास चीज़ का ख़ालिक़ कह दिया जाता है। खुद कुरआने करीम ने फ़रमाया:

تَخْلُقُونَ أَفْكَاءَ

(झूठी बातें तराशते हो) और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ.

(मैं तुम लोगों के लिये गारे से ऐसी शक़ल बनाता हूँ जैसी परिन्दे की शक़ल होती है) इन तमाम मौकों में लफ़्ज़ ख़ल्क़ असल मायनों से हटकर कारीगरी और बनाने के मायने में बोला गया है।

इसी तरह यहाँ लफ़्ज़ 'ख़ालिक़ीन' जमा (बहुवचन) के कलिमे के साथ इसी लिये लाया गया है कि आम इनसान जो अपनी कारीगरी के एतिबार से अपने को किसी चीज़ का ख़ालिक़ समझते हैं अगर उनको असल मायनों से हटकर दूसरे मायनों में ख़ालिक़ कहा भी जाये तो अल्लाह तआला इन सब ख़ालिक़ों यानी कारीगरों और बनाने वालों में सबसे बेहतर कारीगरी करने वाले हैं। वल्लाहु आलम

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيّتُونَ ۝

पिछली तीन आयतों में इनसान की शुरूआत यानी उसकी पैदाईश का जिक्र था, अब दो आयतों में उसके आखिर यानी अन्जाम का जिक्र है। उक्त आयत में फ़रमाया कि फिर तुम सब इस दुनिया में आने और रहने के बाद मौत से दोचार होने वाले हो जिससे कोई अलग और बाहर नहीं हो सकता। फिर फ़रमाया कि:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝

यानी मरने के बाद फिर क़ियामत के दिन तुम सब ज़िन्दा करके उठाये जाओगे ताकि तुम्हारे आमाल का हिसाब लेकर असली ठिकाने जन्नत या दोज़ख तक पहुँचा दिया जाये। यह इनसान का अन्जाम हुआ, आगे आगाज़ व अन्जाम यानी शुरूआत व आखिर के बीच के हालात और उनमें इनसान पर हक़ तआला के एहसानात व इनामात की थोड़ी सी तफ़सील है जिसको अगली आयत में आसमान के बनाने के जिक्र से शुरू फ़रमाया है।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۝

‘तराइक’ तरी-क़तु की जमा (बहुवचन) है इसको तब्के के मायने में भी लिया जा सकता है जिसके मायने यह होंगे कि तह-ब-तह सात आसमान तुम्हारे ऊपर बनाये गये। और तरीके के मशहूर मायने रास्ते के हैं, यह मायने भी हो सकते हैं कि ये सब आसमान फ़रिश्तों के गुज़रने की जगहें हैं जो अल्लाह के अहकाम लेकर ज़मीन पर आते जाते हैं।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

इसमें यह बतलाया कि हमने इनसान को सिर्फ़ पैदा करके नहीं छोड़ दिया और उससे गाफ़िल नहीं हो सकते, बल्कि उसके पालन-पौषण, फलने-फूलने, रहने-सहने और आराम व राहत के सामान भी मुहैया किये। जिसकी शुरूआत आसमानों की तख़लीक़ (पैदाईश) से हुई। फिर आसमान से बारिश बरसाकर इनसान के लिये गिज़ा और उसकी सहूलत व आराम का सामान फलों फूलों से पैदा किया जिसका जिक्र बाद की आयत में इस तरह फ़रमाया।

इनसानों को पानी पहुँचाने का अजीब व ग़रीब कुदरती सिस्टम

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ. وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهٍ لَقَدِرُونَ ۝

इस आयत में आसमान से पानी बरसाने के जिक्र के साथ एक क़ैद ‘बि-क-दरिन्’ की बढाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि इनसान ऐसा पैदाईशी कमज़ोर है कि जो चीज़ें उसके लिये ज़िन्दगी का मददर हैं अगर वो निर्धारित मात्रा से ज़ायद हो जायें तो वही उसके लिये बबाले जान और अज़ाब बन जाती हैं। पानी जैसी चीज़ जिसके बग़ैर कोई इन्सान व हैवान ज़िन्दा नहीं रह सकता अगर ज़रूरत से ज़्यादा बरस जाये तो तूफ़ान आ जाता है और इनसान और उसके सामान के लिये बबाल व अज़ाब

बन जाता है। इसलिये आसमान से पानी बरसाना भी एक खास पैमाने से होता है जो इनसान की ज़रूरत पूरी कर दे, और तूफ़ान की सूस्त इख़्तियार न करे, सिवाय उन खास मक़ामात के जिन पर अल्लाह तआला की हिवमत का तकाज़ा ही किसी वजह से तूफ़ान मुसल्लत करने का सबब हो जाये।

इसके बाद बड़ा ग़ौर-तलब मसला यह था कि पानी अगर रोज़ाना की ज़रूरत का रोज़ाना बरसा करे तो भी इनसान मुसीबत में आ जाये, रोज़ की बारिश उसके कारोबार और मिज़ाज के खिलाफ़ है। और अगर साल भर या छह महीने या तीन महीने की ज़रूरत का पानी एक दफ़ा बरसाया जाये और लोगों को हुक्म हो कि अपना-अपना कोटा पानी का छह महीने के लिये जमा करके रखो और इस्तेमाल करते रहो तो हर इनसान क्या अक्सर इनसान भी इतने पानी के जमा रखने का इन्तिज़ाम कैसे करें, और किसी तरह बड़े हौज़ों और गढ़ों में भर लेने का इन्तिज़ाम भी कर लें तो चन्द दिन के बाद यह पानी सड़ जायेगा जिसे पीना बल्कि इस्तेमाल करना भी दुश्वार हो जायेगा। इसलिये अल्लाह की कुदरत ने इसका निज़ाम यह बनाया कि पानी जिस वक़्त बरसता है उस वक़्त वक़्ती तौर पर जितने दरख़्त और ज़मीनें सैराबी के काबिल हैं वह सैराब हो जाते हैं फिर ज़मीन के मुख़लिफ़ तालाबों, हौज़ों, कुदरती गढ़ों में यह पानी जमा रहता है जिसको इनसान और जानवर ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल करते हैं। मगर जाहिर है यह पानी चन्द दिन में ख़त्म हो जाता है। मुस्तक़िल तौर पर रोज़ाना इनसान को ताज़ा पानी किस तरह पहुँचे जो हर ख़िल्ले के बाशिन्दों को मिल सके? इसका निज़ाम कुदरत ने यह बनाया कि पानी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ की सूस्त में एक जमा हुआ समन्दर बनाकर पहाड़ों के सरों पर ऐसी पाक-साफ़ फ़ज़ा में रख दिया जहाँ न गर्द व गुबार की रसाई न किसी आदमी और जानवर की, और जिसमें न सड़ने की संभावना है न उसके नापाक या ख़राब होने की कोई सूस्त है।

फिर यह बर्फ़ का पानी आहिस्ता-आहिस्ता रिस-रिसकर पहाड़ों की रगों के ज़रिये ज़मीन के अन्दर फैलता है और यह कुदरती पाईप लाईन पूरी ज़मीन के गोशे-गोशे में पहुँच जाती है, जहाँ से कुछ तो चश्मे खुद फूट निकलते हैं और नदी नाले और नहरों की शक़ल में ज़मीन पर बहने लगते हैं, ताज़ा ताज़ा जारी पानी करोड़ों इनसानों और जानवरों को सैराब करता है, और कुछ यही पहाड़ी बर्फ़ से बहने वाला पानी ज़मीन की तह में उतरकर नीचे-नीचे बहता रहता है और इसको कुआँ खोदकर हर जगह निकाला जा सकता है। कुरआने करीम की उक्त आयत में इस पूरे निज़ाम को एक लफ़ज़ 'फ़-अस्कन्नाहु फ़िल्अर्ज़ि' से बयान फ़रमा दिया है। आख़िर में इस तरफ़ भी इशारा कर दिया कि ज़मीन की तह से जो पानी कुआँ के ज़रिये निकाला जाता है यह भी कुदरत की तरफ़ से आसानी है कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं बल्कि थोड़ी गहराई में यह पानी रखा गया है, वरना यह भी मुम्किन था बल्कि पानी की तबई ख़ासियत का तकाज़ा यही था कि यह पानी ज़मीन की गहराई में उतरता चला जाता, जहाँ तक इनसान की रसाई मुम्किन नहीं। इसी मज़मून को आयत के आख़िरी जुमले में इरशाद फ़रमाया:

وَأَنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَا لَقَادِرُونَ

(यानी हम उसके लेजाने और ख़त्म कर देने पर भी कादिर हैं) आगे पानी के ज़रिये पैदा होने

वाली खास-खास चीज़ों को अरब वालों के मिज़ाज व रुझान के मुताबिक़ ज़िक्र फ़रमाया कि ख़जूर और अंगूर के बाग़ात उससे पैदा हुए और दूसरे फलों को एक आम लफ़्ज़ में जमा करके ज़िक्र फ़रमाया:

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ.

यानी उन बाग़ों में भी तुम्हारे लिये ख़जूर व अंगूर के अलावा हजारों किस्म के फल पैदा किये जिनको तुम महज़ तफ़रीही और शौकिया तौर पर भी खाते हो और उनमें से कुछ फलों का ज़खीरा करके तुम्हारी मुस्तक़िल ग़िज़ा भी उनसे तैयार होती है 'व मिन्हा तअकुलून' का यही मतलब है। आगे खुसूसियत से जैतून और उसके तेल के पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाया क्योंकि उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और चूँकि जैतून के पेड़ तूर पहाड़ पर ज़्यादा पैदा होते हैं इसलिये उसकी तरफ़ निस्बत कर दी गयी:

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ.

'सैना' और 'सीनीन' उस स्थान का नाम है जिसमें तूर पहाड़ स्थित है। जैतून का तेल, तेल की ज़रूरतें जैसे बदन की मालिश और चिराग़ में जलाने के भी काम आता है और खाने में सालन का भी काम देता है। इसी को फ़रमाया:

تَنْبَتُ بِالذُّهْنِ وَصَبْغٌ لِلْأَكْلِينَ ۝

जैतून के पेड़ के लिये तूर पहाड़ की खुसूसियत यह है कि यह दरख़्त सबसे पहले तूर पहाड़ ही पर पैदा हुआ है, और कुछ हज़रात ने कहा कि तूफ़ाने नूह के बाद सबसे पहला पेड़ जो ज़मीन पर उगा है वह जैतून था। (तफ़्सीरे मज़हरी)

इसके बाद उन नेमतों का ज़िक्र फ़रमाया जो अल्लाह तआला ने जानवरों, चौपायों के ज़रिये इनसान को अता फ़रमाई ताकि इनसान उनसे इब्रत हासिल करे और हक़ तआला की कामिल कुदरत और पूर्ण रहमत पर दलील पकड़कर तौहीद व इबादत में मशगूल हो। इसी लिये फ़रमाया:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً.

यानी तुम्हारे लिये चौपाये जानवरों में एक इब्रत व नसीहत है। आगे इसकी कुछ तफ़्सील इस तरह बतलाई:

نُسُقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا.

कि उन जानवरों के पेट में हमने तुम्हारे लिये पाकीज़ा दूध तैयार किया जो इनसान की बेहतरीन ग़िज़ा है। और फिर फ़रमाया कि सिर्फ़ दूध ही नहीं उन जानवरों में तुम्हारे लिये बहुत से (बेशुमार) फ़ायदे और लाभ हैं। फ़रमाया 'व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअु कसीरतुन्'।

गौर करो तो जानवरों के जिस्म का एक-एक अंग रुवाँ-रुवाँ इनसान के काम आता है और उसरो इनसान के गुज़ारे और ज़िन्दगी बिताने के लिये बेशुमार किस्म के सामान तैयार होते हैं। जानवरों के बाल, हड्डी, आँतें, पट्टे और सभी अंगों से इनसान अपनी रहन-सहन और गुज़ारे के कितने सामान बनाता और तैयार करता है। इसका शुमार भी मुश्किल है, उन बेशुमार फ़ायदों के अलावा एक बड़ा नफ़ा यह भी है कि उनमें से जो जानवर हलाल हैं उनका गोश्त भी इनसान की बेहतरीन ग़िज़ा है।

जैसा कि फरमाया 'व मिन्हा तअकुलून' ।

आखिर में उन जानवरों का एक और बड़ा फायदा जिक्र किया गया कि तुम उन पर सवार भी होते हो और बोझ ढोने का भी उनसे काम लेते हो । इस आखिरी फायदे में चूँकि जानवरों के साथ दरिया में चलने वाली कश्तियाँ भी शरीक हैं कि सवारी और सामान ढोने का बड़ा काम उनसे निकलता है, इसलिये कश्तियों को भी इसके साथ जिक्र फरमा दिया । चुनाँचे फरमाया:

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

फुल्क यानी कश्तियों ही के हुक्म में वो तमाम सवारियाँ भी हैं जो पहियों के जरिये चलने वाली हैं ।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ووَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝

व ल-कद् अरसल्ला नूहन् इला
कौमिही फ़का-ल या कौमिअबुदुल्ला-ह
मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरुहू,
अ-फ़ला तत्तकून (23) फ़कालल्-
म-लउल्लजी-न क-फ़रू मिन् कौमिही
मा हाज़ा इल्ला ब-शरुम्-मिस्तुकुम्
युरीदु अय्य-तफ़ज़ज़-ल अलैकुम्, व
लौ शा-अल्लाहु ल-अन्ज़-ल
मलाइ-कतम् मा समिअना बिहाज़ा
फी आबाइनल्-अव्वलीन (24) इन्

और हमने भेजा नूह को उसकी कौम के
पास तो उसने कहा ऐ कौम! बन्दगी करो
अल्लाह की तुम्हारा कोई हाकिम नहीं
उसके सिवा, क्या तुम डरते नहीं। (23)
तब बोले सरदार जो काफ़िर थे उसकी
कौम में- यह क्या है आदमी है जैसे तुम,
चाहता है कि बड़ाई करे तुम पर और
अगर अल्लाह चाहता तो उतारता फ़रिश्ते,
हमने यह नहीं सुना अपने अगले बाप
दादों में। (24) और कुछ नहीं यह एक

हु-व इल्ला रजुलुम्-बिही जिन्नतुन्
 फ-तरब्बसू बिही हत्ता हीन (25)
 का-ल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून
 (26) फ-औहैना इलैहि अनिस्नअिल्-
 फुल्-क बि-अज़्ज़ुनिना व वस्थिना
 फ-इज़ा जा-अ अम्रुना व फ़ारत्तन्नूरु
 फ़स्तुक् फ़ीहा मिन् कुल्लिन्
 ज़ौजैनिस्नैनि व अस्ल-क इल्ला मन्
 स-ब-क अलैहिल्-कौलु मिन्हुम् व
 ला तुखातिब्नी फ़िल्लज़ी-न
 ज़-लम् इन्नहुम्-मुग्रकून (27)
 फ-इज़स्तवै-त अन्-त व मम्म-अ-क
 अलल्-फ़ुल्कि फ़कुलिल्-हम्दु
 लिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिन्ल्-
 कौमिज़्ज़ालिमीन (28) व कुरब्बि
 अन्ज़िल्ली मुन्ज़-लम् मुबा-रकव्-व
 अन्-त ख़ैरुल्-मुन्ज़िलीन (29) इन्-न
 फ़ी ज़ालि-क लआयातिंव्-व इन्
 कुन्ना लमुब्तलीन (30)

मर्द है कि इसको सौदा है, सो राह देखो
 इसकी एक वक़्त तक। (25) बोला ऐ
 रब! तू मदद कर मेरी कि उन्होंने मुझको
 झुठलाया। (26) फिर हमने हुक्म भेजा
 उसको कि बना कश्ती हमारी आँखों के
 सामने और हमारे हुक्म से, फिर जब पहुँचे
 हमारा हुक्म और उबले तन्नूर तो तू डाल
 ले कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा दो-दो
 और अपने घर के लोग मगर जिसकी
 किस्मत में पहले से ठहर चुकी है बात,
 और मुझसे बात न कर उन ज़ालिमों के
 वास्ते, बेशक उनको डूबना है। (27) फिर
 जब चढ़ चुके तू और जो तेरे साथ हैं
 कश्ती पर तो कह- शुक्र अल्लाह का
 जिसने छुड़ाया हमको गुनाहगार लोगों से
 (28) और कह ऐ रब! उतार मुझको
 बरकत का उतारना, और तू है बेहतर
 उतारने वाला। (29) इसमें निशानियाँ हैं
 और हम हैं जाँचने वाले। (30)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(इससे पहली आयतों में इनसान की पैदाईश और उसकी बका व सहूलत के लिये मुख्तलिफ़
 किस्म के सामान पैदा करने का ज़िक्र था, आगे उसकी रूहानी तरबियत और दीनी फ़लाह का जो
 इन्तिज़ाम फ़रमाया उसका ज़िक्र है) और हमने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम की तरफ़ पैग़म्बर
 बनाकर भेजा, सो उन्होंने (अपनी कौम से) फ़रमाया ऐ मेरी कौम! अल्लाह ही की इबादत किया करो,
 उसके सिवा कोई तुम्हारे लिये माबूद बनाने के लायक नहीं (और जब यह एक बात साबित है तो)

फिर क्या तुम (दूसरों को माबूद बनाने से) डरते नहीं हो। पस (नूह अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर) उनकी कौम में जो काफिर सरदार थे, (अवाम से) कहने लगे कि यह शख्स सिवाय इसके कि तुम्हारी तरह का एक (मामूली) आदमी है और कुछ (रसूल वगैरह) नहीं है, (इस दावे से) इनका (असल) मतलब यह है कि तुमसे बरतर होकर रहे, (यानी इसका मक़सद महज़ अपना रुतबा व इज़्जत बनाना है) और अल्लाह तआला को (रसूल भेजना) मन्ज़ूर होता तो (इस काम के लिये) फ़रिश्तों को भेजता, (पस दावा इनका ग़लत है, इसी तरह इनकी दावत करना तौहीद की तरफ़ यह दूसरी ग़लती है क्योंकि) हमने यह बात (कि और किसी को माबूद मत करार दो) अपने पहले बड़ों में (कभी) नहीं सुनी। बस यह एक आदमी है जिसको जुनून हो गया है। (इस वास्ते सारी दुनिया के खिलाफ़ बातें करता है कि मैं रसूल हूँ और माबूद एक है) सो एक खास वक़्त (यानी उसके मरने के वक़्त) तक उस (की हालत) का और इन्तिज़ार कर लो (आख़िर एक वक़्त पर पहुँचकर ख़त्म हो जायेगा और सब पाप कट जायेगा)।

नूह (अलैहिस्सलाम) ने (उनके इमान लाने से मायूस होकर अल्लाह तआला की बारगाह में) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! (इनसे) मेरा बदला ले, इस वजह से कि इन्होंने मुझको झुठलाया है। पस हमने (उनकी दुआ कुबूल की और) उनके पास हुक्म भेजा कि तुम कश्ती तैयार कर लो हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से (कि अब तूफ़ान आयेगा और तुम और मोमिन लोग उसके ज़रिये महफूज़ रहोगे)। फिर जिस वक़्त हमारा हुक्म (अज़ाब का करीब) आ पहुँचे और (निशानी उसकी यह है कि) ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो तो (उस वक़्त) हर किस्म (के जानवरों) में से (जो कि इनसान के लिये कारामद हैं और पानी में जिन्दा नहीं रह सकते, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऊँट घोड़ा, गधा वगैरह) एक-एक नर और एक-एक मादा यानी दो-दो अदद उस (कश्ती) में दाख़िल कर लो, और अपने घर वालों को भी (सवार कर लो) उसको छोड़कर जिस पर उनमें से (गर्क होने का) हुक्म नाफ़िज़ हो चुका है (यानी आपके घर वालों में जो काफ़िर हो उसको मत सवार करो)। और (यह सुन लो कि अज़ाब आने के वक़्त) मुझसे काफ़िरों (की निजात) के बारे में कुछ गुफ़्तगू मत करना (क्योंकि) वे सब गर्क किये जाएँगे। फिर जिस वक़्त तुम और तुम्हारे साथी (मुसलमान) कश्ती में बैठ चुको तो यूँ कहना कि शुक्र है खुदा का जिसने हमको काफ़िर लोगों से (यानी उनके फ़ेलों से और उनके बबाल से) निजात दी। और (जब तूफ़ान ख़त्म होने के बाद कश्ती से ज़मीन पर आने लगे तो) यूँ कहना कि ऐ मेरे रब! मुझको (ज़मीन पर) बरकत का उतारना उतारियो, (यानी ज़ाहिरी व बालिनी इत्मीनान के साथ रखियो) और आप सब (अपने पास बतौर मेहमानी के) उतारने वालों से अच्छे हैं। (यानी और लोग जो मेहमान को उतार लेते हैं वे अपने मेहमान का मक़सद पूरा करने और मुसीबतों से निजात दिलाने पर क़ुदरत नहीं रखते, आपको इन सब चीज़ों पर क़ुदरत है)।

इस (ज़िक्र हुए वाक़िए) में (अक़ल वालों के लिये हमारी क़ुदरत की) बहुत-सी निशानियाँ हैं, और हम (ये निशानियाँ मालूम कराकर अपने बन्दों को) आजमाते हैं (कि देखें कौन इनसे नफ़ा उठाता है कौन नहीं उठाता, और निशानियाँ ये हैं- रसूल भेजना, इमान वालों को बचा लेना, काफ़िरों को हलाक कर देना, एक दम और अचानक तूफ़ान पैदा कर देना, कश्ती को महफूज़ रखना वगैरह-वगैरह)।

मअरिफ व मसाईल

وَفَارَاتُورٌ

'तन्नूर' उस खास जगह को भी कहा जाता है जो रोटी पकाने के लिये बनाई जाती है और यही मायने परिचित व मशहूर हैं। दूसरे मायने में तन्नूर पूरी जमीन के लिये भी बोला जाता है। खुलासा-ए-तफसीर में इसी मायने के एतिबार से तर्जुमा किया गया है। और कुछ हज़रात ने इससे एक खास तन्नूर रोटी पकाने वाला (यानी तन्दूर) मुराद लिया है जो कूफ़ा की मस्जिद में और कुछ हज़रात के नज़दीक मुल्क शाम में किसी जगह था। उस तन्नूर से पानी उबलने लगना यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिये तूफ़ान की निशानी करार दी गयी थी। (तफसीरे मज़हरी) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके तूफ़ान और क़शती का वाकिआ पिछली सूरतों में तफसील से गुज़र चुका है।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝ فَآرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَأُتْرَفْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنِ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ ۝ أَيْعِدُكُمْ أَنكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنكُمْ تُخْرَجُونَ ۝ هِيَ هَاتِ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝ إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ إِن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِجَعَنَّ نَدِيمِينَ ۝ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَابًا ۚ فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

सुम्-म अन्शअना मिम्-बअदिहिम्
करनन् आखरीन (31) फ-अरसल्ला
फीहिम् रसूलमिन्हुम् अनिअबुदुल्ला-ह
मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरुहू,
अ-फला तत्तकून (32) ❀

व कालत्-मल-उ मिन् कौमिहिल्लज़ी-न
क-फरू व कज़ज़बू बिलिकाइल्-
आखिरति व अत्रफनाहुम् फिल्-

फिर पैदा की हमने उनसे बाद एक
जमाअत और। (31) फिर भेजा हमने उन
में एक रसूल उनमें का कि बन्दगी करो
अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा हाकिम
उसके सिवा, फिर क्या तुम डरते
नहीं। (32) ❀

और बोले सरदार उसकी कौम के जो
काफिर थे और झुठलाते थे आखिरत की
मुलाकात को और आराम दिया था

हयातिद्दुन्या मा हाज़ा इल्ला
 ब-शरुम्-मिस्तुकुम् यअकुलु मिम्मा
 तअकुलू-न मिन्हु व यशरबु मिम्मा
 तशरबून (33) व ल-इन् अ-तअतुम्
 ब-शरुम् मिस्तुकुम् इन्नकुम् इज़ल्-
 लख़ासिरून (34) अ-यअिदुकुम्
 अन्नकुम् इज़ा मित्तुम् व कुन्तुम्
 तुराबं-व अिज़ामन् अन्नकुम्
 मुख़जून (35) हैहा-त हैहा-त लिमा
 तूअदून (36) इन् हि-य इल्ला
 हयातुनद्दुन्या नमूतु व नह्या व मा
 नहनु बिमब्अूसीन (37) इन् हु-व
 इल्ला रजुलु-निफ़तरा अलल्लाहि
 कज़िबं-व मा नहनु लहू बिमुअ्मिनीन
 (38) का-ल रब्बिन्सुरनी बिमा
 कज़्ज़बून (39) का-ल अम्मा
 कलीलिल्-लयुस्बिहुन्-न नादिमीन
 (40) फ़-अ-ख़ाज् तहुमुस्सै-हतु
 बिल्हक्कि फ़-जअल्लाहुम् गुसा-अन्
 फ़बुअ़दल्-लिक्कौमिज़्ज़ालिमीन (41)

उनको हमने दुनिया की ज़िन्दगी में, और
 कुछ नहीं यह एक आदमी है जैसे तुम,
 खाता है जिस किस्म से तुम खाते हो
 और पीता है जिस किस्म से तुम पीते
 हो। (33) और कहीं तुम चलने लगे
 कहने पर एक आदमी के अपने बराबर के
 तो तुम बेशक ख़राब हुए। (34) क्या
 तुमको वायदा देता है कि जब तुम मर
 जाओ और हो जाओ मिट्टी और हड्डियाँ
 तो तुमको निकलना है। (35) कहाँ हो
 सकता है कहाँ हो सकता है जो तुमसे
 वायदा होता है। (36) और कुछ नहीं
 यही जीना है हमारा दुनिया का, मरते हैं
 और जीते हैं और हमको फिर उठना
 नहीं। (37) और कुछ नहीं यह एक मर्द
 है बाँध लाया है अल्लाह पर झूठ और
 इसको हम नहीं मानने वाले। (38) बोला
 ऐ रब! मेरी मदद कर कि इन्होंने मुझको
 झुठलाया। (39) फ़रमाया अब थोड़े दिनों
 में सुबह को रह जायेंगे पछताते। (40)
 फिर पकड़ा उनको चिंघाड़ ने तहकीक,
 फिर कर दिया हमने उनको कूड़ा, सो
 दूर हो जायें गुनाहगार लोग। (41)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

फिर (कौमे नूह के बाद) हमने दूसरा गिरोह पैदा किया (मुराद आद है या समूद)। फिर हमने
 उनमें एक पैग़म्बर को भेजा जो उन्हीं में के थे, (मुराद हूद अलैहिस्सलाम या सालेह अलैहिस्सलाम हैं,
 उन पैग़म्बर ने कहा कि) तुम लोग अल्लाह तआला ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा और कोई
 (वास्तविक) माबूद नहीं, क्या तुम (शिकं से) डरते नहीं हो। और (उन पैग़म्बर की यह बात सुनकर)

उनकी कौम में जो सरदार थे, जिन्होंने (खुदा और रसूल के साथ) कुफ़ किया था और आखिरत के आने को झुठलाया था, और हमने उनको दुनियावी ज़िन्दगी में ऐश व आराम भी दिया था, कहने लगे कि बस यह तो तुम्हारी तरह एक (मामूली) आदमी हैं, (चुनाँचे) ये वही खाते हैं जो तुम खाते हो और वही पीते हैं जो तुम पीते हो। और (जब यह तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं तो) अगर तुम अपने जैसे एक (मामूली) आदमी के कहने पर चलने लगे तो बेशक तुम (अक्ल के) घाटे में हो (यानी बड़ी बेवकूफी है)। क्या यह शख्स तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और (मरकर) मिट्टी और हड्डियाँ हो जाओगे (चुनाँचे जब गोश्त के हिस्से खाक हो जाते हैं तो हड्डियाँ बिना गोश्त के रह जाती हैं, फिर कुछ समय के बाद वो भी खाक हो जाती हैं, तो यह शख्स कहता है कि जब उस हालत पर पहुँच जाओगे) तो (फिर दोबारा ज़िन्दा करके ज़मीन से) निकाले जाओगे। (तो भला ऐसा शख्स कहीं पैरवी व इताअत के काबिल हो सकता है, और) बहुत ही दूर और बहुत ही दूर है जो बात तुमसे कही जाती है। बस ज़िन्दगी तो यही हमारी दुनियावी ज़िन्दगी है कि हम में कोई मरता है और कोई पैदा होता है, और हम दोबारा ज़िन्दा न किये जाएँगे। बस यह एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह पर झूठ बाँधता है (कि उसने मुझको रसूल बनाकर भेजा है और कोई दूसरा माबूद नहीं और क़ियामत आयेगी) और हम तो हरगिज़ इसको सच्चा न समझेंगे।

पैग़म्बर ने दुआ की कि ऐ मेरे रब! मेरा बदला ले, इस वजह से कि इन्होंने मुझको झुठलाया, इरशाद हुआ कि ये लोग जल्द ही शर्मिन्दा होंगे। चुनाँचे उनको एक सख्त आवाज़ ने (या सख्त अज़ाब ने) सच्चे वायदे के मुताबिक़ (कि ये सुबह को रह जायेंगे पछताते) आ पकड़ा (जिससे वे सब हलाक हो गये)। फिर (हलाक करने के बाद) हमने उनको कूड़े-करकट (की तरह बरबाद) कर दिया, सो खुदा की मार काफ़िर लोगों पर।

मआरिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा हिदायत के सिलसिले में ज़िक्र किया गया था, आगे दूसरे पैग़म्बरों और उनकी उम्मतों का कुछ हाल मुख़्तसर तौर पर बग़ैर नाम मुतैयन किये ज़िक्र किया गया है। आसार व निशानियों से हज़रते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि मुराद इन उम्मतों से आद या समूद या दोनों हैं। आद कौम की तरफ़ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था और समूद कौम के पैग़म्बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। इस क़िस्से में इन कौमों का हलाक होना सैहा (एक ग़ैबी सख्त आवाज़) के ज़रिये बयान फ़रमाया है, और सख्त ग़ैबी आवाज़ के ज़रिये हलाक होना दूसरी आयतों में कौमे समूद का बयान हुआ है, इससे कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि इन आयतों में 'क़रनन् आख़रीन' से मुराद समूद हैं। मगर यह भी हो सकता है कि सैहा का लफ़ज़ इस जगह बिना किसी शर्त के सिर्फ़ अज़ाब के मायने में लिया गया हो, तो फिर यह कौमे आद के साथ भी लग सकता है। वल्लाहु आलम

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

(इस दुनिया की ज़िन्दगी के सिवा और कोई ज़िन्दगी नहीं। पस मरना जीना इसी दुनिया का है और फिर दोबारा ज़िन्दा होना नहीं) यही कौल आम काफ़िरों का है जो क़ियामत के इनकारी हैं। यह इनकार जो ज़बान से करते हैं वह तो खुले काफ़िर हैं ही, लेकिन अफ़सोस और बहुत फ़िक्र की चीज़ यह है कि अब बहुत से मुसलमानों में भी अमली तौर पर यह इनकार उनके हर कौल व फ़ेल से ज़ाहिर होता है कि आख़िरत और क़ियामत के हिसाब की तरफ़ कभी ध्यान भी नहीं होता। अल्लाह तआला ईमान वालों को इस मुसीबत से निजात अता फ़रमायें।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرَاءُ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ذُرِّيَّتَيْنَا وَسُلْطٰنِ
مُؤْمِنِينَ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا
عِبَادُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَ
جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۝ وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

सुम्-म अन्शअना मिम्-बअदिहिम्
कुरुनन् आ-खरीन (42) मा तस्बिक्कु
मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा
यस्तअखिरून (43) सुम्-म अरसल्ला
रुसु-लना ततरा, कुल्लमा जा-अ
उम्तररसूलुहा कज़्ज़बूहु फ-अत्वअना
बअ-जहुम् बअज़व-व जअल्लाहुम्
अहादी-स फबुअदल् लिकौमिल्-ला
युअमिनून (44) सुम्-म अरसल्ला
मूसा व अखाहु हारून-न बिआयातिना
व सुल्लतानिम् मुबीन (45) इला
फिरऔ-न व म-लइही फस्तक्बरू व
कानू कौमन् आलीन (46) फकालू

फिर पैदा कीं हमने उनसे बाद जमाअतें।
(42) और न आगे जाये कोई कौम अपने
वायदे से और न पीछे रहे। (43) फिर
भेजते रहे हम अपने रसूल लगातार, जहाँ
पहुँचा किसी उम्मत के पास उनका रसूल
उसको झुठला दिया, फिर चलाते गये हम
एक के पीछे दूसरे और कर डाला उनको
कहानियाँ, सो दूर हो जायें जो लोग नहीं
मानते। (44) फिर भेजा हमने मूसा और
उसके भाई हारून को अपनी निशानियाँ
देकर और खुली सनद (45) फिरऔन
और उसके सरदारों के पास फिर लगे
बड़ाई करने और वे लोग जोर पर बढ़ रहे
थे। (46) सो बोले क्या हम मानेंगे अपनी

अनुअमिनु लि-ब-शरैनि मिस्तिना व
 कौमुहुमा लना आबिदून (47)
 फ-कज़्जबूहुमा फकानू मिनल्-
 मुह्लकीन (48) व ल-कद् आतैना
 मूसल्-किता-ब लअल्लहुम् यस्तदून
 (49) व जअल्लब्-न मर्य-म व उम्महू
 आ-यतंव-व आवैनाहुमा इला रब्बतिन्
 ज़ाति करारिंव-व मज़ीन (50) ❀

बराबर के दो आदमियों को और उ
 कौम हमारी ताबेदार हैं। (47)
 झुठलाया उन दोनों को फिर हो गये
 होने वालों में। (48) और हमने दी मूसा
 को किताब ताकि वे राह पायें। (49) और
 बनाया हमने मरियम के बेटे और उसकी
 माँ को एक निशानी, उनको ठिकाना दिया
 एक टीले पर जहाँ ठहरने का मौका था
 और निथरा पानी। (50) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिर उन (आद या समूह) के (हलाक होने के) बाद हमने और उम्मतों को पैदा किया (जो कि
 रसूल को झुठलाने के सबब वे भी हलाक हुए और उनके हलाक होने की जो मुद्दत अल्लाह के इल्म
 में मुकर्रर थी) कोई उम्मत (उन उम्मतों में से) अपनी (उस) तयशुदा मुद्दत से (हलाक होने) में न आगे
 आ सकती थी और न (उस मुद्दत से) वे लोग पीछे हट सकते थे (बल्कि ऐन वक़्त पर हलाक किये
 गये। गर्ज़ कि वे उम्मतें पहले पैदा की गईं) फिर (उनके पास) हमने अपने पैग़म्बरों को एक के बाद
 एक (हिदायत के लिये) भेजा, (जिस तरह वे उम्मतें एक के बाद एक पैदा हुईं मगर उनकी हालत यह
 हुई कि) जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का (खास) रसूल (खुदा के अहकाम लेकर)
 आया, उन्होंने उसको झुठलाया, सो हमने (भी हलाक करने में) एक के बाद एक का नम्बर लगा
 दिया। और हमने उनकी कहानियाँ बना दीं (यानी वे ऐसे नेस्त व नाबूद हुए कि सिवाय कहानियों के
 उनका कुछ नाम व निशान न रहा) सो खुदा की मार उन लोगों पर जो (अम्बिया के समझाने पर भी)
 ईमान न लाते थे।

फिर हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनके भाई हारून (अलैहिस्सलाम) को अपने अहकाम और
 खुली दलील (यानी स्पष्ट मोजिज़े जो कि तुबुव्वत की निशानी है) देकर फिरऔन और उसके दरबारियों
 के पास (भी पैग़म्बर बनाकर) भेजा (और बनी इस्राईल की तरफ़ भेजा जाना भी मालूम है), सो उन
 लोगों ने (उनकी तरदीक व फ़रमाँबरदारी से) तक्रबुर किया, और वे लोग थे ही घमण्डी (यानी पहले
 ही से उनका दिमाग़ सड़ा हुआ था)। चूनाँचे वे (आपस में) कहने लगे कि क्या हम ऐसे दो शख्सों पर
 जो हमारी तरह के आदमी हैं (उनमें कोई बात विशेषता की नहीं) ईमान ले जाएँ (और उनके
 फ़रमाँबरदार बन जायें)? हालाँकि उनकी कौम के लोग (तो खुद) हमारे हुक्म के ताबे हैं। (यानी हमको
 तो खुद उनकी कौम पर सरदारी हासिल है, फिर उन दोनों के गुलबे व सरदारी को हम कैसे तस्लीम
 कर सकते हैं। उन लोगों ने दीनी सरदारी को दुनियावी सरदारी पर गुमान किया कि हमको एक किस्म

। सरदारी यानी दुनियावी हासिल है तो दूसरी किस्म के भी हम ही पात्र और हकदार हैं, और जब
 की दुनियावी सरदारी नहीं मिली तो दीनी कैसे मिल सकती है, और इस गुमान व क्यास का ग़लत
 ना जाहिर है। गर्ज कि वे लोग उन दोनों को झुठलाते ही रहे पस (इस झुठलाने की वजह से)
 ताक किये गये।

और (उनके हलाक होने के बाद) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरात) अता
 फरमाई ताकि (उसके जरिये से) वे लोग (यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इस्राईल) हिदायत
 पायें। और हमने (अपनी कुदरत व तौहीद पर दलालत के लिये और साथ ही बनी इस्राईल की
 हिदायत के लिये) मरियम (अलैहस्सलाम) के बेटे (ईसा अलैहिस्सलाम) को और उनकी माँ (हज़रत
 मरियम अलैहस्सलाम) को (अपनी कुदरत और उनके सच्चा होने की) बड़ी निशानी बनाया (कि बिना
 बाप के पैदा होना दोनों के बारे में बड़ी निशानी है) और (चूँकि उनको नबी बनाना मन्ज़ूर था और
 एक ज़ालिम बादशाह बचपन ही में उनके क़त्ल के पीछे पड़ गया था इसलिये) हमने (उससे बचाकर)
 उन दोनों को एक ऐसी बुलन्द ज़मीन पर लेजाकर पनाह दी जो (ग़ल्लों और मेवों के पैदा होने की
 वजह से) ठहरने के काबिल और (नहर जारी होने के सबब) हरी-भरी जगह थी (यहाँ तक कि अमन
 व अमान से जवान हुए और नुबुव्वत अता हुई तो तौहीद और रिसालत के दावे में उनकी तस्दीक
 ज़रूरी थी, मगर कुछ लोगों ने न की)।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۝ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
 فَرِحُونَ ۝ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ أَيْحَسِبُونَ أَنبَاءُ غَدَاهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَ ۝ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي
 الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

या अय्युहरुसुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति
 वअमलू सालिहन्, इन्नी बिमा
 तअमलू-न अलीम (51) व इन्-न
 हाज़ि ही उम्मतुकुम् उम्मतं व-
 -वाहि-दतं व-व अ-न रब्बुकुम् फत्तकून
 (52) फ-तकत्तअू अम्रहुम् बैनहुम्
 जुबुरन्, कुल्लु हिज़िबम्-बिमा लदैहिम्
 फरिहून (53) फ-ज़रहुम् फी

ऐ रसूलो! खाओ सुथरी चीजें और काम
 करो भला, जो तुम करते हो मैं जानता हूँ।
 (51) और ये लोग हैं तुम्हारे दीन के सब
 एक दीन पर और मैं हूँ तुम्हारा रब सो
 मुझसे डरते रहो। (52) फिर फूट डालकर
 कर लिया अपना काम आपस में टुकड़े-
 टुकड़े, हर फ़िका जो उनके पास है उस
 पर रीझ रहे हैं। (53) सो छोड़ दे उनको

गम्रतिहिम् हत्ता हीन (54)
 अ-यत्सबू-न अन्नमा नुमिदुहुम्
 बिही मिम्-मालिं-व बनीन (55)
 नुसारिअु लहुम् फिल्-खैराति, बल्
 ला यश्रुन (56)

उनकी बेहोशी में डूबे हुए एक वक्त तक। (54) क्या वे ख्याल करते हैं कि यह जो हम उनको दिये जाते हैं माल और औलाद (55) सो दौड़-दौड़कर पहुँचा रहे हैं हम उनको भलाईयाँ, यह बात नहीं वे समझते नहीं। (56)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(हमने जिस तरह तुमको अपनी नेमतों के इस्तेमाल की इजाज़त दी और इबादत का हुक्म दिया इसी तरह सब पैग़म्बरों को और उनके माध्यम से उनकी उम्मतों को भी हुक्म दिया कि) ऐ पैग़म्बरो! तुम (और तुम्हारी उम्मतें) नफ़ीस चीज़ें खाओ (कि खुदा की नेमत हैं) और (खाकर शुक्र अदा करो कि) नेक काम करो (यानी इबादत, और) मैं तुम सब के किये हुए कामों को ख़ूब जानता हूँ (तो इबादत और नेक कामों पर उनकी जज़ा और फल अता करूँगा)। और (हमने उनसे यह भी कहा कि जो तरीका तुम्हें अभी बताया गया है) यह है तुम्हारा तरीका (जिस पर तुमको चलना और रहना वाजिब है) कि वह एक ही तरीका है, (सब नबियों और उनकी उम्मतों का, किसी शरीअत में यह तरीका नहीं बदला) और (हासिल उस तरीके का यह है कि) मैं तुम्हारा रब हूँ सो तुम मुझसे डरते रहो (यानी मेरे अहकाम की मुखालफ़त न करो, क्योंकि रब होने की हैसियत से तुम्हारा ख़ालिक व मालिक भी हूँ और नेमतें देने वाला होने की हैसियत से तुमको बेशुमार नेमतें भी देता हूँ। इन सब चीज़ों का तकाज़ा इताअत व फ़रमाँबरदारी है) सो (इसका नतीजा तो यह होना था कि सब एक ही उक्त तरीके पर रहते मगर ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन में अपना तरीका अलग-अलग करके मतभेद व विवाद पैदा कर लिया। हर ग़िरोह के पास जो दीन (यानी अपना बनाया हुआ तरीका) है वह उसी पर भगन और खुश है (उसके बातिल होने के बावजूद उसी को हक़ समझता है)। तो आप उनको उनकी जहालत में एक खास वक्त (यानी मौत तक) रहने दीजिये। (यानी उनकी जहालत पर आप ग़म न कीजिये, जब मुकर्रर वक्त उनकी मौत का आ जायेगा तो सब हकीकत खुल जाएगी और अब जो फ़ौरी तौर पर उन पर अज़ाब नहीं आता तो) क्या (इससे) ये लोग यूँ गुमान कर रहे हैं कि हम उनको जो कुछ माल व औलाद देते चले जाते हैं तो हम उनको जल्दी-जल्दी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, (यह बात हरगिज़ नहीं) बल्कि ये लोग (इस ढील देने की वजह) नहीं जानते। (यानी यह ढील तो उनको ग़ाफ़िल होने और एक दम से पकड़ लिये जाने के तौर पर दी जा रही है जो अन्जामकार इनके लिये और ज़्यादा अज़ाब का सबब बनेगी, क्योंकि हमारी मोहलत और ढील देने से ये और घमण्डी होकर सरकशी और गुनाहों में ज़्यादाती करेंगे और अज़ाब ज़्यादा होंगा)।

मअारिफ़ व मसाईल

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.

लफ़्ज़ तय्यिबात के लुग़वी मायने हैं पाकीज़ा, उम्दा नफ़ीस चीज़ें। और चूँकि इस्लामी शरीअत में जो चीज़ें हराम कर दी गयी हैं न वो पाकीज़ा हैं न अक्ल रखने वालों के लिये उम्दा व पसन्दीदा, इसलिये तय्यिबात से मुराद सिर्फ़ हलाल चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी हर एतिबार से पाकीज़ा व उम्दा हैं। इस आयत में यह बतलाया गया है कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अपने-अपने वक़्त में दो हिदायतें दी गयी हैं- एक यह कि खाना हलाल और पाकीज़ा खाओ, दूसरे यह कि अमल नेक सालेह करो। और जब नबियों को यह ख़िताब किया गया है जिनको अल्लाह ने मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) बनाया है तो उनकी उम्मत के लोगों के लिये यह हुक्म ज़्यादा क़ाबिले एहतिमाम है और असल मक़सद भी उम्मतों ही को इस हुक्म पर चलाना है।

उलेमा ने फ़रमाया कि इन दोनों हुक्मों को एक साथ लाने में इस तरफ़ इशारा है कि हलाल ग़िज़ा का नेक अमल में बड़ा दख़ल है, जब ग़िज़ा हलाल होती है तो नेक आमाल की तौफ़ीक़ खुद-ब-खुद होने लगती है, और ग़िज़ा हराम हो तो नेक काम का इरादा करने के बावजूद भी उसमें मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हदीस में है कि कुछ लोग लम्बे-लम्बे सफ़र करते हैं और गुबार में भरे रहते हैं फिर अल्लाह के सामने दुआ के लिये हाथ फैलाते हैं और या रब! या रब! पुकारते हैं मगर उनका खाना भी हराम होता है पीना भी, लिबास भी हराम से तैयार होता है और हराम ही की उनको ग़िज़ा मिलती है, ऐसे लोगों की दुआ कहाँ कुबूल हो सकती है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि इबादत और दुआ के कुबूल होने में हलाल खाने को बड़ा दख़ल है, जब ग़िज़ा हलाल न हो तो इबादत और दुआ की मक़बूलियत का हक़दार बनना भी नहीं रहता।

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ.

लफ़्ज़ उम्मत एक जमाअत और किसी ख़ास पैग़म्बर की क़ौम के मायने में परिचित व मशहूर है और कभी यह लफ़्ज़ तरीक़े और दीन के मायने में भी आता है जैसे कुरआन की एक आयत है:

وَجَدْنَا آيَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ.

इसमें उम्मत से मुराद एक दीन और तरीक़ा है। यही मायने इस जगह भी मुराद हैं।

فَنَقُطُّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا.

“जुबुर” ज़बूर की जमा (बहुवचन) है जो किताब के मायने में आता है। इस मायने के एतिबार से आयत की मुराद यह है कि अल्लाह तआला ने तो तमाम नबियों और उनकी उम्मतों को बुनियादी चीज़ों और अक़ीदों के मसाईल में एक ही दीन और तरीक़े पर चलने की हिदायत फ़रमाई थी मगर उम्मतों ने इसको न माना और आपस में विभिन्न और अनेक टुकड़े हो गये। हर एक ने अपना-अपना तरीक़ा अलग और अपनी किताब अलग बना ली। और जुबुर कभी जुवरा की जमा भी आती है जिसके मायने हिस्से, टुकड़े और फ़िर्के के हैं, यही मायने इस जगह ज़्यादा स्पष्ट हैं और आयत की

मुराद यह है कि ये लोग अकीदों और उसूल में भी मुख्तलिफ़ फ़िर्के बन गये। लेकिन मुज्ताहिद इमामों का ऊपर के मसाले में मतभेद इसमें दाख़िल नहीं, क्योंकि उन मतभेदों से दीन व मिल्तत अलग नहीं हो जाती और ऐसा मतभेद करने वाले अलग-अलग फ़िर्के नहीं कहलाते। और इस इज्तिहादी और ऊपर के अहकाम के मतभेद को फ़िर्के बनाने का रंग देना ख़ालिस जहालत है जो किसी मुज्ताहिद के नज़दीक जायज़ नहीं।

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا كُفِرُوا ۝

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ وَلَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَكَذَٰلِكَ كَتَبْنَا بِالنُّطْقِ

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

इन्नल्लज़ी-न हुम् मिन् ख़ाशयति
रब्बिहिम् मुशिफ़कून (57) वल्लज़ी-न
हुम् बिआयाति रब्बिहिम् युअ्मिनून
(58) वल्लज़ी-न हुम् बिरब्बिहिम् ला
युशिरकून (59) वल्लज़ी-न युअ्तू-न
मा आतौ व कुलूबुहुम् वजि-लतुन्
अन्नहुम् इला रब्बिहिम् राजिअून
(60) उलाइ-क युसारिअू-न फ़िल्-
ख़ैराति व हुम् लहा साबिकून (61)
व ला नुकल्लिफ़ु नफ़सन् इल्ला
वुस्रअहा व लदैना किताबुंय्यन्तिकु
बिल्हकिफ़ व हुम् ला युज़्लमून (62)

अलबत्ता जो लोग अपने रब के ख़ौफ़ से
अन्देशा रखते हैं (57) और जो लोग
अपने रब की बातों पर यकीन करते हैं
(58) और जो लोग अपने रब के साथ
किसी को शरीक नहीं मानते (59) और
जो लोग कि देते हैं जो कुछ देते हैं और
उनके दिल डर रहे हैं इसलिये कि उनको
अपने रब की तरफ़ लौटकर जाना है
(60) वे लोग दौड़-दौड़कर लेते हैं भलाईयाँ
और वे उन पर पहुँचे सबसे आगे। (61)
और हम किसी पर बोझ नहीं डालते मगर
उसकी गुंजाईश के मुवाफ़िक़ और हमारे
पास लिखा हुआ है जो बोलता है सच
और उन पर जुल्म न होगा। (62)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब की हैबत से डरते रहते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ शिक नहीं करते हैं, और जो लोग (अल्लाह की राह में) देते हैं जो कुछ देते हैं, और (बावजूद अल्लाह की राह में देने और खर्च करने

के) उनके दिल इससे खौफज़दा होते हैं कि वे अपने रब के पास जाने वाले हैं (देखिये वहाँ जाकर इन सदकों का क्या नतीजा ज़ाहिर हो, कहीं ऐसा न हो कि यह देना हुक्म के मुवाफ़िक़ न हो मसलन माल हलाल न हो, या नीयत अल्लाह के लिये ख़ालिस न हो, और नीयत में कामिल इख़्लास न होना या माल का हराम होना हमें मालूम न हो तो उल्टा उस पर प्रकड़ होने लगे, तो जिन लोगों में ये सिफ़ात हों) ये लोग (अलबत्ता) अपने फ़ायदे जल्दी-जल्दी हासिल कर रहे हैं, और वे उनकी तरफ़ दौड़ते हैं, और (यह ज़िक्र हुए आमाल कुछ सख़्त नहीं जिनका करना मुश्किल हो, क्योंकि) हम किसी को उसकी वुस्तअत व गुंजाईश से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते (इसलिये ये सब काम आसान हैं और इसके साथ उनका अच्छा अन्जाम और फल यकीनी है, क्योंकि) हमारे पास (नामा-ए-आमाल का) एक दफ़्तर (महफ़ूज़) है जो ठीक-ठीक (सब का हाल) बता देगा और लोगों पर ज़रा भी जुल्म न होगा।

मअरिफ़ व मसाईल

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ

लफ़्ज़ 'युत्तू-न' 'ईता' से निकला है जिसके मायने देने और खर्च करने के हैं, इसलिये इसकी तफ़्सीर सदकों के साथ की गयी है। और हज़रत आयशा सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा से इसकी एक किराअत 'युत्तू-न मा अतौ' भी मन्कूल है, यानी अमल करते हैं जो कुछ करते हैं। इसमें सदके, नमाज़, रोज़ा और तमाम नेक काम शामिल हो जाते हैं, और मशहूर किराअत पर अगरचे ज़िक्र यहाँ सदकों ही का होगा मगर मुराद बहरहाल आम नेक आमाल हैं जैसा कि एक हदीस से साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने इस आयत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि यह काम करके डरने वाले लोग वे हैं जो शराब पीते या चोरी करते हैं? हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ सिदीक की बेटी! यह बात नहीं बल्कि ये वे लोग हैं जो रोज़े रखते और नमाज़ें पढ़ते हैं और सदके देते हैं, इसके बावजूद इससे डरते रहते हैं कि शायद हमारे ये अमल अल्लाह के नज़दीक (हमारी किसी कोताही के सबब) कुबूल न हों, ऐसे ही लोग नेक कामों में तेज़ी दिखाते और आगे निकला करते हैं।

(अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, तफ़्सीरे मज़हरी)

और हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो नेक अमल करके इतने डरते थे कि तुम बुरे अमल करके भी उतना नहीं डरते। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

أُولَئِكَ بُسِرَ عَوْنٌ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ۝

नेक कामों की तरफ़ दौड़ने से मुराद यह है कि जैसे आम लोग दुनिया के फ़ायदों के पीछे दौड़ते और दूसरों से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहते हैं, ये हज़रत दीन के फ़ायदों में ऐसा ही अमल करते हैं। इसी लिये वे दीन के कामों में दूसरों से आगे रहते हैं।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ

هَذَا أَوْلَاهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيَهُم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ۝
 لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصُرُونَ ۝ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنزلُ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ۝
 مُسْتَكْبِرِينَ ۝ بِهِ سِيرًا تَهْجُرُونَ ۝ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝
 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ
 لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ
 فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا وَخَيْرًا مِنْ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ وَإِنَّكَ
 لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ۝ وَلَوْ
 رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ اللَّجْوَةِ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
 لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسِئُونَ ۝

बल् कुलूबुहुम् फी गम्रतिम्-मिन्
 हाज़ा व लहुम् अज़्मालुम्-मिन् दूनि
 ज़ालि-क हुम् लहा अमिलून (63)
 हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफीहिम्
 बिल्-अज़ाबि इज़ा हुम् यज़्अरून
 (64) ला तज़्अरुल्-यौ-म, इन्नकुम्
 मिन्ना ला तुन्सरून (65) कद् कानत्
 आयाती तुत्ला अलैकुम् फकुन्तुम्
 अला अज़्काबिकुम् तन्किसून (66)
 मुस्तक्बिरी-न बिही सामिरन् तहज़ुरून
 (67) अ-फलम् यद्दब्बरुल्-कौ-ल
 अम् जा-अहुम् मा लम् यअत्ति
 आबा-अहुमुल्-अव्वलीन (68) अम्
 लम् यज़्रिफू रसूलहुम् फहुम् लहू

कोई नहीं! उनके दिल बेहोश हैं इस
 तरफ़ से और उनको और काम लग रहे
 हैं उसके सिवाय कि वे उनको कर रहे हैं।
 (63) यहाँ तक कि जब पकड़ेंगे हम उनके
 खुशहाल लोगों को आफ़त में तभी वे
 लगेंगे चिल्लाने। (64) मत चिल्लाओ
 आजके दिन तुम हमसे छूट न सकोगे।
 (65) तुमको सुनाई जाती थीं मेरी आयतें
 तो तुम एड़ियों पर उल्टे भागते थे। (66)
 उससे तकब्बुर करके एक कहानी सुनाने
 वाले को छोड़कर चले गये। (67) सो
 क्या उन्होंने ध्यान नहीं किया इस कलाम
 में या आई है उनके पास ऐसी चीज़ जो न
 आई थी उनके पहले बाप-दादों के पास।
 (68) या पहचाना नहीं उन्होंने अपने
 पैग़ाम लाने वाले को, सो वे उसको

मुन्किरून (69) अम् यकूलू-न बिही जिन्नतुन्, बल् जा-अहुम् बिल्हक्कि व अक्सरुहुम् लिहक्कि कारिहून (70) व लवित्त-बअल्हक्कु अस्वा-अहुम् ल-फ़-स-दतिस्समावातु वल्अरज़ु व मन् फ़ीहिन्-न, बल् अतैनाहुम् बिज़िकिरहिम् फ़हुम् अन् जि़िकिरहिम् मुज़्रिज़ून (71) अम् तस्अलुहुम् ख़रज़न् फ़-ख़राज़ु रब्बि-क ख़ैरुव्-व हु-व ख़ैरु-राज़िकीन (72) व इन्न-क ल-तद्अहुम् इला सिरातिम्-मुस्तकीम (73) ❖ व इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिन्-न बिल्-आख़िरति अनिस्सिराति लनाकिबून (74) व लौ रहिम्नाहुम् व कशफ़ना मा बिहिम् मिन् ज़ुरिल् ल-लज्जू फ़ी तुग़्यानिहिम् यअ्महून (75) व ल-क़द् अख़ज़्नाहुम् बिल्अज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम् व मा य-तज़रअून (76) हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम् बाबन् ज़ा-अज़ाबिन् शदीदिन् इज़ा हुम् फ़ीहि मुब्लिसून (77) ❀

ओपरा समझते हैं। (69) या कहते हैं उसको सौदा है, कोई नहीं! वह तो लाया है उनके पास सच्ची बात और उनमें बहुतों को सच्ची बात बुरी लगती है। (70) और अगर सच्चा रब चले उनकी खुशी पर तो ख़राब हो जायें आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें है, कोई नहीं! हमने पहुँचाई है उनको उनकी नसीहत से वे अपनी नसीहत को ध्यान नहीं करते। (71) या तू उनसे माँगता है कुछ महसूल तो महसूल तेरे रब का बेहतर है और वह है बेहतर रोज़ी देने वाला। (72) और तू तो बुलाता है उनको सीधी राह पर। (73) ❖ और जो लोग नहीं मानते आख़िरत को राह से टेढ़े हो गये हैं। (74) और अगर हम उन पर रहम करें और खोल दें जो तकलीफ़ पहुँची उनको तो भी बराबर लगे रहेंगे अपनी शरारत में बहके हुए। (75) और हमने पकड़ा था उनको आफ़त में फिर न आजिजी की अपने रब के आगे और न गिड़गिड़ाये। (76) यहाँ तक कि जब खोल दें हम उन पर दरवाज़ा एक सख़्त आफ़त का तब उसमें उनकी आस टूटेगी। (77) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(यह तो ऊपर मोमिनों की हालत सुनी मगर काफ़िर लोग ऐसे नहीं हैं) बल्कि (इसके उलट) उन

काफ़िरोँ के दिल इस दीन की तरफ़ से (जिसका ज़िक्र आयत 58 में है) जहालत (और शक) में (डूबे हुए) हैं (जिनका हाल ऊपर भी मालूम हो चुका आयत 54 में) और इस (जहालत व इनकार) के अलावा इन लोगों के और भी (बुरे-बुरे ख़बीस) अमल हैं जिनको (ये बराबर) करते रहते हैं। (ये लोग शिर्क और बुरे आमाल के निरंतर आदी रहेंगे) यहाँ तक कि हम जब इनके खुशहाल लोगों को (जिनके पास माल व दौलत और नौकर-चाकर सब कुछ है मौत के बाद) अज़ाब में धर पकड़ेंगे (और ग़रीब ग़ुरबा तो किस गिनती में हैं और वे तो अज़ाब से क्या बचाव कर सकते हैं। गर्ज़ कि जब सब पर अज़ाब नाज़िल होगा) तो फ़ौरन चिल्ला उठेंगे (और सारा इनकार व घमण्ड जिसके अब आदी हैं वह हवा हो जायेगा, उस वक़्त इनसे कहा जायेगा कि) अब मत चिल्लाओ (कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि) हमारी तरफ़ से तुम्हारी बिल्कुल मदद न होगी (क्योंकि यह बदले का जहान है अमल का जहान नहीं है जिसमें चिल्लाना और आजिज़ी करना मुफ़ीद हो, जो अमल का जहान और जगह थी उसमें तो तुम्हारा यह हाल था कि) मेरी आयतें तुमको पढ़-पढ़कर (रसूल की ज़बान से) सुनाई जाया करती थीं तो तुम उल्टे पाँव भागते थे तकब्बुर करते हुए, क़ुरआन का मशग़ला बनाते हुए, (इस क़ुरआन की शान) में बेहूदा बकते हुए (कि कोई इसको जादू कहता था कोई शे'र कहता था और मशग़ले का यही मतलब है। पस तुमने अमल के जहान में जैसा किया आज बदले के जहान में वैसा भुगतो। और ये लोग जो क़ुरआन को और नबी पाक को झुठला रहे हैं तो इसका क्या सबब है) क्या इन लोगों ने (अल्लाह के) इस क़लाम में ग़ौर नहीं किया (जिससे इसका बेमिसाल होना ज़ाहिर हो जाता और ये ईमान ले आते) या (झुठलाने की यह वजह है कि) इनके पास ऐसी चीज़ आई है जो इनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी (इससे मुराद अल्लाह के अहक़ाम का आना है, जो कोई नई बात नहीं, हमेशा से नबियों के ज़रिये उनकी उम्मतों को यही अहक़ाम दिये जाते रहे हैं जैसा कि क़ुरआने करीम की सूर: अहक़ाफ़ आयत 9 में बयान किया गया है, पस झुठलाने की यह वजह भी बातिल ठहरी, और ये दो वजह तो क़ुरआन के बारे में हैं। आगे क़ुरआन वाले यानी नबी पाक के बारे में फ़रमाते हैं यानी) या (झुठलाने की वजह यह है कि) ये लोग अपने रसूल (की ईमानदारी, अमानत और सच्चाई) से वाकिफ़ न थे इस वजह से उनके इनकारी हुए (यानी यह वजह भी बातिल है, क्योंकि आपकी सच्चाई व ईमानदारी पर सब का इत्तिफ़ाक़ था)। या (यह वजह है कि) ये लोग (नऊज़ु बिल्लाह) आपके बारे में जुनून के कायल हैं (सो आपका आला दर्जे का सही राय वाला होना मुसल्लम है। सो वास्तव में इनमें से कोई वजह भी माक़ूल नहीं) बल्कि (असली वजह यह है कि) यह रसूल इनके पास हक़ बात लेकर आए हैं, और इनमें अक्सर लोग हक़ से नफ़रत रखते हैं (बस सारी वजह यह है झुठलाने और हक़ की पैरवी न करने की। और ये लोग उस दीने हक़ की पैरवी तो क्या करते ये तो और उल्टा यह चाहते हैं कि वह दीने हक़ ही इनके ख़्यालात के ताबे कर दिया जाये और जो मज़ामीन क़ुरआन में इनके खिलाफ़ हैं उनको निकाल दिया या उनमें संशोधन कर दिया जाये जैसा कि सूर: यूनुस की आयत 15 के अन्दर अल्लाह तआला ने उनकी यह बात बयान कर दी है)।

और (अगरचे यह मुहाल है लेकिन थोड़ी देर के लिये मान लो कि) अगर (ऐसा मामला उत्पन्न हो जाता) और दीने हक़ उनके ख़्यालात के ताबे (और मुवाफ़िक़) हो जाता तो (तमाम आलम में क़ुफ़

व शिर्क फैल जाता और उसका असर यह होता कि हक़ तअ़ाला का ग़ज़ब तमाम आलम पर मुतवज्जह हो जाता, और फिर उससे यह होता कि) तमाम आसमान और ज़मीन और जो उनमें (आबाद) हैं सब तबाह हो जाते (जैसा कि क़ियामत में तमाम इनसानों में गुमराही आम हो जाने के सबब अल्लाह तअ़ाला का ग़ज़ब भी सब पर आम होगा और अल्लाह का ग़ज़ब आम होने से सब की हलाकत भी आम होगी, और अव्वल तो किसी मामले का हक़ होना चाहता है कि उसको लाज़िमी तौर पर कुबूल किया जाये चाहे उसमें नफ़ा भी न हो, और उसका कुबूल न करना खुद ऐब है, मगर इन लोगों में सिर्फ़ यही एक ऐब नहीं कि हक़ को बुरा समझते हों) बल्कि (इससे बढ़कर दूसरा ऐब और भी है कि हक़ की पैरवी जो इन्हीं के फ़ायदे का सामान है उससे दूर भागते हैं, बस) हमने इनके पास इनकी नसीहत (और नफ़े) की बात भेजी, सो ये लोग अपनी (नफ़े वाली) नसीहत से भी मुँह मोड़ते हैं। या (इनके झुठलाने की जो वजहें और कारण बयान हुए हैं उनके अलावा यह वजह है कि इनको यह शुब्हा हुआ हो कि) आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं, तो (यह भी ग़लत है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि) आमदनी तो आपके रब की सबसे बेहतर है और वह सब देने वालों से अच्छा है (तो आप लोगों से क्यों माँगते हैं)।

और (खुलासा उनकी हालत का यह है कि) आप तो उनको सीधे रास्ते की तरफ़ (जिसको ऊपर हक़ कहा है) बुला रहे हैं और उन लोगों की जो आख़िरत पर इमान नहीं रखते यह हालत है कि उस (सीधे) रास्ते से हटते जाते हैं। (मतलब यह कि हक़ होना, सीधी राह होना और फ़ायदेमन्द होना इन चीज़ों का तफ़ाज़ा है कि इमान लाया जाये और जो वजह और कारण रुकावट हो सकते थे वो कोई मौजूद नहीं, फिर इमान न लाना सख़्त दर्जे की जहालत और गुमराही है) और (इनकी सख़्त-दिली और दुश्मनी की यह हालत है कि जिस तरह ये लोग शरई आयतों और निशानियों से मुतास्सिर नहीं होते इसी तरह क़हर व ग़ज़ब की निशानियों यानी मुसीबतों और परेशानियों का भी असर नहीं लेते, यह अलग बात है कि मुसीबत के वक़्त तबई तौर पर हमको पुकारते भी हैं लेकिन वह वक़्ती परेशानी को दूर करने के लिये होता है, चुनाँचे) अगर हम उन पर मेहरबानी फ़रमा दें और उन पर जो तकलीफ़ है उसको हम दूर भी कर दें तो वे लोग (फिर) अपनी गुमराही में भटकते हुए जमे रहें। (और वो कौल व क़रार जो मुसीबत में किये थे सब ख़त्म हो जायें जैसा कि उनकी इस हालत को अल्लाह तअ़ाला ने सूरः यूनुस की आयत 12 और सूरः अन्कबूत की आयत 65 में बयान फ़रमाया है)।

और (सुबूत इसका यह है कि कई बार) हमने उनको अज़ाब में गिरफ़्तार भी किया है, सो उन लोगों ने अपने रब के सामने (पूरे तौर से) न इन्क़िसारी की और न अज़िज़ी इख़्तियार की। (पस जब ऐन मुसीबत में और मुसीबत भी ऐसी सख़्त जिसको अज़ाब कहा जा सके जैसे सूखा जो मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बददुआ से हुआ था, उन्होंने अज़िज़ी इख़्तियार नहीं की तो मुसीबत के दूर होने के बाद और भी ज़्यादा उनसे इसकी उम्मीद नहीं, मगर उनकी यह सारी लापरवाई और निडरता उन मुसीबतों तक है जिनके आदी हो चुके हैं) यहाँ तक कि हम जब उन पर सख़्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे (जो कि आदत से ऊपर हो चाहे दुनिया ही में कि कोई ग़ैबी क़हर आ पड़े या मौत के बाद जो कि ज़रूर ही पड़ेगा) तो उस वक़्त बिल्कुल हैरान रह जाएँगे (कि यह क्या हो गया और उस वक़्त सारा नशा एक दम उतर जायेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

‘गमरा’ ऐसे गहरे पानी को कहते हैं जिसमें आदमी डूब जाये, और जो उसमें दाखिल होने वाले को अपने अन्दर छुपा ले, इसी लिये लफ़्ज़ गमरा पर्दे और हर ढाँप लेने वाली चीज़ के लिये भी बोला जाता है। यहाँ उनकी शिकंभरी जहालत को गमरा कहा गया है जिसमें उनके दिल डूबे हुए और छुपे हुए हैं कि किसी तरफ़ से उनको रोशनी की किरण नहीं पहुँचती।

وَأَلْهَمَهُمْ أَعْمَالَ مِن دُونِ ذَلِكَ.

यानी उनकी गुमराही के लिये तो एक शिकं व कुफ़-ही की ग़फलत का पर्दा काफी था मगर वे इसी पर बस नहीं करते इसके साथ दूसरे बुरे आमाल भी लगातार करते ही रहते हैं।

‘मुत्तर्फ़ीहिम’। मुत्तर्फ़, तरफ़ से निकला है जिसके मायने ऐश व नेमत में होने और खुशहाली के हैं। इस जगह इस कौम को अज़ाब में पकड़ने का जिक्र है जिसमें अमीर ग़रीब खुशहाल बदहाल सभी दाखिल होंगे, मगर खुशहालों का जिक्र ख़ास तौर पर इसलिये किया कि ऐसे ही लोग दुनिया की मुसीबतों से अपने बचाव का कुछ सामान कर लिया करते हैं मगर अल्लाह तआला का अज़ाब जब आता है तो सबसे पहले यही लोग बेबस होकर रह जाते हैं। इस आयत में जिस अज़ाब के अन्दर उनके पकड़े जाने का जिक्र है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद वह अज़ाब है जो ग़ज़वा-ए-बदर में मुसलमानों की तलवार से उनके सरदारों पर पड़ा था। और कुछ हज़रत ने इस अज़ाब से मुराद कहत (सूखा पड़ने) का अज़ाब लिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बददुआ से मक्का वालों पर मुसल्लत कर दिया गया था, यहाँ तक कि वे मुर्दार जानवर, कुत्ते और हड्डियाँ खाने पर मजबूर हो गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने काफ़िरों के लिये बददुआ बहुत कम की है लेकिन उस मौक़े में मुसलमानों पर उनके जुल्मों और अत्याचारों की ज़्यादती व सख्ती से मजबूर होकर यह बददुआ की थी। (इस बददुआ के अलफ़ाज़ बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसों में जिक्र किये गये हैं। तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

مُسْتَكْبِرِينَ بِهٖ سَمِيرًا تَهْجُرُونَ

इसमें लफ़्ज़ ‘बिही’ (उस से) में उस से अक्सर मुफ़्तिरीन ने हरम मुराद लिया है जो अगरचे ऊपर कहीं मज़कूर नहीं मगर हरम से मक्का के कुरैश का गहरा ताल्लुक़ और उस पर उनका नाज़ (फ़ख़ करना) इतना परिचित व मशहूर था कि जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और मायने इसके यह है कि मक्का के कुरैश का अल्लाह की आयतें सुनकर पिछले पाँव भागने और न मानने का सबब हरमे मक्का की निस्बत और उसकी ख़िदमत पर उनका तकब्बुर और नाज़ था। और ‘सामिरन’ ‘समर’ से निकला है जिसके असल मायने चाँदनी रात के हैं। अरब के लोगों की आदत थी कि चाँदनी रात में बैठकर किस्से कहानियाँ कहा करते थे इसलिये लफ़्ज़ समर किस्से-कहानी के मायने में इस्तेमाल होने लगा और सामिर किस्सा बयान करने वाले को कहा जाता है। यह लफ़्ज़ अगरचे मुफ़रद (अकेला और एक वचन) है मगर मायने में जमा (बहुवचन) के लिये भी बोला जाता है। इस जगह सामिर सामिरीन

के मायने में जमा (बहुत सारी) के लिये इस्तेमाल हुआ है। मुशरिक लोगों का एक हाल जो अल्लाह की आयतों से इनकार का सबब बना हुआ था हरमै मक्का की निस्बत व ख़िदमत पर उनका नाज़ (फ़ख़र करना) था। दूसरा हाल यह बयान फ़रमाया कि ये लोग बेअसल और बेबुनियाद किस्से कहानियों में मशगूल रहने के आदी हैं, इनको अल्लाह की आयतों से दिलचस्पी नहीं।

‘तहज़ुख़न’। यह लफ़ज़ ‘हुज़ूर’ से निकला है जिसके मायने फ़ुज़ूल बकवास और गाली-गलौज के हैं। यह तीसरा हाल उन मुशरिक लोगों का बयान किया गया कि ये लोग फ़ुज़ूल बकवास और गाली गलौज के आदी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में कुछ ऐसे ही गुस्ताख़ाना कलिमात कहते रहते हैं।

इशा के बाद कहानी सुनाने की मनाही और ख़ास हिदायतें

रात को किस्से-कहानी कहने और सुनाने का मशग़ला अरब व अज़म (यानी सारी दुनिया) में पुराने ज़माने से चला आता है और इसमें बहुत सी ख़राबियाँ और वक़्त की बरबादी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस रस्म को मिटाने के लिये इशा से पहले सोने को और इशा के बाद फ़ुज़ूल के किस्से सुनने-सुनाने को मना फ़रमाया। हिकमत यह थी कि इशा की नमाज़ पर इनसान के दिन भर के आमाल ख़त्म हो रहे हैं जो दिन भर के गुनाहों का भी कफ़ारा हो सकता है, यही उसका आख़िरी अमल उस दिन का हो तो बेहतर है। अगर इशा के बाद फ़ुज़ूल के किस्से सुनने सुनाने में लग गया तो अब्बल तो यह खुद बेकार का काम और मक्रूह है, इसके अलावा इसके अन्तर्गत ग़ीबत झूठ और दूसरे तरह-तरह के गुनाहों का करना होता है। और एक बुरा अन्जाम इसका यह है कि रात को देर तक जागेगा तो सुबह को सवेरे नहीं उठ सकेगा, इसी लिये हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी को इशा के बाद फ़ुज़ूल के किस्सों में मशगूल देखते तो तंबीह फ़रमाते थे और कई को तो सज़ा भी देते थे, और फ़रमाते कि जल्द सो जाओ शायद रात के आख़िरी हिस्से में तहज़ुद की तौफ़ीक़ हो जाये। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ

(यानी आयत नम्बर 68 से 70) तक ऐसी पाँच चीज़ों का ज़िक्र है जो मुशरिक लोगों के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने से किसी दर्जे में रुकावट और बाधा हो सकती थीं और उनमें से हर एक वजह के मन्फ़ी (नकारात्मक) होने का बयान उसके साथ कर दिया है। हासिल इसका यह है कि जो वजह उन लोगों के लिये ईमान से रुकावट हो सकती थीं उनमें से कोई भी वजह मौजूद नहीं और ईमान लाने के लिये जो असबाब और कारण दावत देने वाले हैं वो सब मौजूद हैं, इसलिये अब उनका इनकार ख़ालिस दुश्मनी और हठधर्मी के सिवा कुछ नहीं, जिसका ज़िक्र इसके बाद की आयत में इस तरह फ़रमाया है:

بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝

यानी रिसालत के इनकार की कोई अक्ली या तबई वजह तो मौजूद नहीं फिर इनकार का सबब इसके सिवा कुछ नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक़ बात लेकर आये हैं और ये

लोग हक़ बात ही को बुरा समझते हैं, सुनना नहीं चाहते, जिसका सबब अपनी इच्छा पर चलने का गुलबा और जाहिलों को जो सरदारी व रसूख हासिल है उसकी मुहब्बत और जाहिलों की पैरवी है। ये पाँच वजह (सबब और कारण) जिनका जिक्र ईमान लाने और नुबुव्वत का इकरार करने से रुकावट व बाधा होने की हैसियत में किया गया है, इनमें एक यह भी बयान फ़रमाया है:

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ.

यानी इनके इनकार की एक वजह यह हो सकती थी कि जो शख्स हक़ की दावत और नुबुव्वत का दावा लेकर आया है यह कहीं बाहर से आया होता ताकि ये लोग उसके नाम व नसब और आदतों व अख़्लाक़ और किरदार से वाकिफ़ न होते तो यह कह सकते थे कि हम नुबुव्वत के इस दावेदार के हालात से वाकिफ़ नहीं, इसको कैसे नबी व रसूल मानकर अपना पेशवा बना लें। मगर यहाँ तो यह बात खुली हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुरैश ही के ऊँचे ख़ानदान में इसी शहर मक्का में पैदा हुए और बचपन से लेकर जवानी और उसके बाद का सारा ज़माना उन्हीं लोगों के सामने गुज़रा। आपका कोई अमल कोई आदत उनसे छुपी हुई नहीं थी और नुबुव्वत के दावे से पहले तक सारे मक्का के काफ़िर आपको सादिक् व अमीन (सच्चा और अमानतदार) कहा करते थे, आपके किरदार व अमल पर किसी ने भी कभी कोई शुब्हा ज़ाहिर नहीं किया था, तो अब उनका यह उज़्र भी नहीं चल सकता कि वे इनको पहचानते नहीं।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا رَبَّهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝

इससे पहली आयत में मुश्रिक लोगों के बारे में यह कहा गया था कि ये लोग जो अज़ाब में मुब्तला होने के वक़्त अल्लाह से या रसूल से फ़रियाद करते हैं, अगर हम इनकी फ़रियाद पर रहम खाकर अज़ाब हटा दें तो इनकी फ़ितरी शरारत व नाफ़रमानी का आलम यह है कि अज़ाब से निजात पाने के बाद फिर अपनी सरकशी और नाफ़रमानी में मशगूल हो जायेंगे। इस आयत में उनके एक इसी तरह के वाक़िए का बयान है कि उनको एक अज़ाब में पकड़ा गया मगर अज़ाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ से निजात पाने के बाद भी ये अल्लाह के सामने नहीं झुके और बराबर अपने कुफ़्र व शिर्क पर जमे रहे।

मक्का वालों पर सूखे का अज़ाब और रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ से उसका दूर होना

पहले मालूम हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का वालों पर क़हत (सूखा पड़ने) का अज़ाब मुसल्लत होने की दुआ की थी। इसकी वजह से ये लोग सख़्त क़हत में मुब्तला हुए और मुर्दार वगैरह खाने पर मजबूर हो गये। यह देखकर अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में मदीना तय्यिबा हाज़िर हुए और कहने लगे कि मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ और सिला-रहमी की, क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं ज़हान

धालों के लिये रहमत बनाकर भेजा गया हूँ? आपने फरमाया बेशक कहा है और हकीकत भी यँ ही है। अब सुफियान रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपने अपनी कौम के बड़ों को तो बदर की लड़ाई में तलवार से क़त्ल कर दिया और जो अब रह गये हैं उनको भूख से क़त्ल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि यह अज़ाब हम से हट जाये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ फरमाई यह अज़ाब उसी वक़्त ख़त्म हो गया, इसी पर यह उक्त आयत नाज़िल हुई:

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا رَبَّهُمْ.

इस आयत में यह इरशाद है कि अज़ाब में मुब्तला होने फिर उससे निजात पाने के बाद भी ये लोग अपने रब के सामने नहीं झुके। चुनाँचे वाकिआ यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ से क़हत (सूखे की हालत) दूर भी हो गया मगर मक्का के मुशिरक लोग अपने शिर्क व कुफ़्र पर उसी तरह जमे रहे। (तफ़सीरे मज़हरी वगैरह)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ بَلْ اتَّيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا الذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

५
५

व हुवल्लजी अन्श-अ लकुमुस्सम्-अ
वल्-अब्सा-र वल्-अफ़इ-द-त,
क़लीलम्-मा तश्कुरुन (78) व
हुवल्लजी ज़-र-अंकुम् फ़िल्अर्जि व
इलैहि तुहशरुन (79) व हुवल्लजी
युह्यी व युमीतु व लहुख़ितलाफ़ुल्-

और उसी ने बना दिये तुम्हारे कान और
आँखें और दिल, तुम बहुत थोड़ा हक
मानते हो। (78) और उसी ने तुमको
फैला रखा है ज़मीन में और उसी की
तरफ़ जमा होकर जाओगे। (79) और
वही है जिलाता और मारता और उसी का

लैलि वन्नहारि, अ-फला तअकिलून
 (80) बल् कालू मिस्र-ल मा कालल्-
 अव्वलून (81) कालू अ-इजा मित्ना
 व कुन्ना तुराबं-व अिजामन्
 अ-इन्ना लमब्अूसून (82) ल-कद्
 वुअिदना नह्नु व आबाउना हाजा
 मिन् कब्बु इन् हाजा इल्ला
 असातीरुल्-अव्वलीन (83) कुल्
 लि-मनिल्-अरजु व मन् फीहा इन्
 कुन्तुम् तअलमून (84) स-यकूलू-न
 लिल्लाहि, कुल् अ-फला तजक्करून
 (85) कुल् मरब्बुस्समावातिसु-सब्बिअ
 व रब्बुल्-अशिल्-अजीम (86)
 स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल् अ-फला
 तत्तकून (87) कुल् मम्-बि-यदिही
 म-लकूतु कुल्लि शैइव्-व हु-व युजीरु
 व ला युजारु अलैहि इन् कुन्तुम्
 तअलमून (88) स-यकूलू-न लिल्लाहि,
 कुल् फ-अन्ना तुस्हरून (89) बल्
 अतैनाहुम् बिल्हकिक् व इन्नहुम्
 लकाजिबून (90) मत्त-खाजल्लाहु
 मिंव्व-लदिं-व मा का-न म-अहू
 मिन् इलाहिन् इजल् ल-ज-ह-ब कुल्लु
 इलाहिम्-बिमा ख-ल-क व ल-अला
 बअज्जुहुम् अला बअजिन्,

काम है बदलना रात और दिन का, सो
 क्या तुमको समझ नहीं। (80) कोई बात
 नहीं! ये तो वही कह रहे हैं जैसा कहा
 करते थे पहले लोग। (81) कहते हैं- क्या
 जब हम मर गये और हो गये मिट्टी और
 हड्डियाँ क्या हमको जिन्दा होकर उठना
 है? (82) वायदा दिया जाता है हमको
 और हमारे बाप-दादों को यही पहले से,
 और कुछ भी नहीं ये नकलें हैं पहलों की।
 (83) तू कह किसकी है ज़मीन और जो
 कोई उसमें है, बताओ अगर तुम जानते
 हो। (84) अब कहेंगे सब कुछ अल्लाह
 का है, तू कह फिर तुम सोचते नहीं। (85)
 तू कह कौन है मालिक सातों आसमानों
 का और मालिक इस बड़े तख्त का? (86)
 अब बतायेंगे अल्लाह को, तू कह फिर
 तुम डरते नहीं? (87) तू कह किसके हाथ
 में है हुक्मत हर चीज़ की और वह बचा
 लेता है और उससे कोई बचा नहीं सकता
 बताओ अगर तुम जानते हो। (88) अब
 बतायेंगे अल्लाह को, तू कह फिर कहाँ से
 तुम पर जादू आ पड़ता है। (89) कोई
 नहीं! हमने उनको पहुँचाया सच और वे
 यकीनन झूठे हैं। (90) अल्लाह ने कोई
 बेटा नहीं किया और न उसके साथ किसी
 का हुक्म चले, यूँ होता तो लेजाता हर
 हुक्म वाला अपनी बनाई चीज़ को और
 चढ़ाई करता एक पर एक, अल्लाह

सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून (91)
 अलिमिल् यू बि वशहा-दति
 फ-तअला अम्मा युशिरकून (92) ❀

निराला है उनकी बतलाई बातों से (91)
 जानने वाला छुपे और खुले का, वह बहुत
 ऊपर है उससे जिसको ये शरीक बतलाते
 हैं। (92) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और वह (अल्लाह तआला) ऐसा (कादिर व नेमत देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिये कान और आँखें और दिल बनाये, (कि आराम भी बरतो और दीन की भी समझ व इल्म हासिल करो, लेकिन) तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो (क्योंकि असली शुक्र यह था कि उस नेमत देने वाले के पसन्दीदा दीन को कुबूल करते और क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा करने का इनकार न करते)। और वह ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में फैला रखा है, और तुम सब (क़ियामत में) उसी के पास लाये जाओगे (उस वक़्त इस नेमत की नाशुकी की हकीकत मालूम होगी)। और वह ऐसा है जो जित्लाता है और मारता है, और उसी के इख़्तियार में है रात और दिन का घटना-बढ़ना, सो क्या तुम (इतनी बात) नहीं समझते (कि कुदरत की ये दलीलें तौहीद और क़ियामत में दूसरी ज़िन्दगी दोनों का पता देती हैं मगर) फिर भी मानते नहीं, बल्कि ये भी वैसी ही बात कहते हैं जो अगले (काफ़िर) लोग कहते चले आये हैं। (यानी) यूँ कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएँगे और हम मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे? इसका तो हम से और (हम से) पहले हमारे बड़ों से वायदा होता चला आया है, ये कुछ नहीं बिल्कुल बे-सन्द बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आती हैं।

(चूँकि उनके इस कौल से अल्लाह की कुदरत का इनकार करना लाज़ि़म आता है और इससे दोबारा ज़िन्दा होने के इनकार से तौहीद यानी अल्लाह के एक होने का इनकार भी होता है इसलिए इस कौल के जवाब में अल्लाह की कुदरत को साबित करने के साथ उसकी तौहीद का सुबूत भी इरशाद है, यानी) आप (जवाब में) कह दीजिये कि (अच्छा यह बतलाओ कि) यह ज़मीन और जो इस पर रहते हैं, यह किसके हैं? अगर तुमको कुछ ख़बर है। वे ज़रूर यही कहेंगे कि अल्लाह के हैं (तो) उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं ग़ौर “व फ़िक्र” करते (कि दोबारा ज़िन्दा करने की कुदरत और तौहीद दोनों के हुक्म का सुबूत हो जाये, और) आप यह भी कहिये कि (अच्छा यह बतलाओ कि) इन सात आसमानों का मालिक और अलीशान अर्श का मालिक कौन है? (इसका भी) वे ज़रूर यही जवाब देंगे कि यह भी (सब) अल्लाह का है, (उस वक़्त) आप कहिये कि फिर तुम (उससे) क्यों नहीं डरते (कि उसकी कुदरत और दोबारा ज़िन्दा करने की आयतों का इनकार करते हो)। और) आप (उससे) यह भी कहिये कि (अच्छा) वह कौन है जिसके हाथ में तमाम चीज़ों का इख़्तियार है और वह (जिसको चाहता है) पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता, अगर तुमको कुछ ख़बर है। (तब भी जवाब में) वे ज़रूर यही कहेंगे कि ये सब सिफ़तें भी अल्लाह ही की हैं, आप (उस वक़्त) कहिये कि फिर तुमको कैसा जुनून हो रहा है (कि इन सब बातों को मानते हो

और इनका जो नतीजा निकलता है याना ताहाद आर कियामत पर चर्चा
मानते। यह तो दलील पकड़ना था मकसद पर उनके जवाब में, आगे उनके ख्याल व एतिकाद की
दलील यानी 'ये तो पहले लोगों से नकल होती चली आ रही बेसनद बातें हैं' का रद्द है, यानी ये जो
इनको बतलाया जा रहा है कि कियामत आयेगी और मुर्दे जिन्दा होंगे यह पहले लोगों की बेसनद बातें
नहीं हैं) बल्कि हमने इनको सच्ची बात पहुँचाई है, और यकीनन ये (खुद ही) झूठे हैं।

(यहाँ तक मुकालमा और गुफ्तगू खत्म हो चुकी और तौहीद व कियामत दोनों साबित हो गये
मगर इन दोनों मसलों में चूँकि तौहीद "अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने का यकीन करने" का
मसला ज्यादा अहम और हकीकत में कियामत व आखिरत के मसले का भी आधार, और ज्यादा
गुफ्तगू और बात भी इसी पर होती थी इसलिए तक्रीर के आखिर में इसको मुस्तकिल तौर पर इरशाद
फरमाते हैं कि) अल्लाह तआला ने किसी को औलाद करार नहीं दिया (जैसा कि मुशरिक लोग फरिश्तों
के बारे में कहते थे) और न उसके साथ कोई और खुदा है, अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी
मख्लूक को (तकसीम करके) अलग कर लेता और (फिर दुनिया के बादशाहों की आदत के मुताबिक
दूसरे की मख्लूकत छीनने के लिये) एक-दूसरे पर चढ़ाई करता, (फिर मख्लूक की तबाही का क्या
आलम होता। लेकिन दुनिया का निजाम व सिस्टम बदस्तूर कायम है इससे साबित हुआ कि) अल्लाह
तआला उन (बुरी और बेहूदा) बातों से पाक है जो ये लोग (उसके बारे में) बयान करते हैं, जानने
वाला है सब छुपे हुए और ज़ाहिर का। गर्ज़ कि इन लोगों के शिर्क से वह बुलन्द (और पाक) है।

मआरिफ व मसाईल

وَهُوَ جَبَّارٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ.

यानी अल्लाह तआला जिसको चाहे अज़ाब और मुसीबत, रंज व तकलीफ से पनाह दे दे और यह
किसी की मजाल नहीं कि उसके मुकाबले पर किसी को पनाह देकर उसके अज़ाब व तकलीफ से बचा
ले। यह बात दुनिया के एतिबार से भी सही है कि अल्लाह तआला जिसको कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे
उसको कोई रोक नहीं सकता और जिसको कोई तकलीफ व अज़ाब देना चाहे उससे कोई बचा नहीं
सकता, और आखिरत के एतिबार से भी यह मजमून सही है कि जिसको वह अज़ाब में मुब्तला करेगा
उसको कोई बचा न सकेगा, और जिसको जन्नत और राहत देगा उसको कोई रोक न सकेगा। (कुर्तुबी)

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيدَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلَّذِينَ هُمْ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝ وَ

قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۝ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ

بِرزخهم يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

कुरैब्बि इम्मा तुरियन्नी मा यूअदून
 (93) रब्बि फला तजूअल्ली फिल्-
 कौमिज़्जालिमीन (94) व इन्ना अला
 अन्-नुरि-य-क मा नअि दुहुम्
 लकादिरून (95) इदफ़अ् बिल्लती
 हि-य अहसनुस्सय्यि-अ-त, नहनु
 अअ्लमु बिमा यसिफून (96) व
 कुरैब्बि अअूजु बि-क मिन्
 ह-मज़ातिश्-शयातीन (97) व
 अअूजु बि-क रब्बि अय्यह्जुरून (98)
 हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-दहुमुल्-मौतु
 का-ल रब्बिरजिअून (99) लअल्ली
 अअ्मलु सालिहन् फीमा तरक्तु
 कल्ला, इन्नहा कलि-मतुन् हु-व
 काइलुहा, व मिव्वरा-इहिम् बरज़खुन्
 इला यौमि युब्असून (100)

तू कह ऐ रब! अगर तू दिखाने लगे मुझ
 को जो उनसे वायदा हुआ है (93) तो ऐ
 रब! मुझको न करियो उन गुनाहगार लोगों
 में। (94) और हमको कुदरत है कि तुझको
 दिखलायें जो उनसे वायदा कर दिया है।
 (95) बुरी बात के जवाब में वह कह जो
 बेहतर है, हम खूब जानते हैं जो ये बताते
 हैं। (96) और कह ऐ रब! मैं तेरी पनाह
 चाहता हूँ शैतान की छेड़ से (97) और
 तेरी पनाह चाहता हूँ ऐ रब! इससे कि
 मेरे पास आयें। (98) यहाँ तक कि जब
 पहुँचे उनमें किसी को मौत कहेगा ऐ रब!
 मुझको फिर भेज दो (99) शायद कुछ मैं
 भला काम कर लूँ उसमें जो पीछे छोड़
 आया, हरगिज़ नहीं यह एक बात है कि
 वही कहता है, और उनके पीछे पर्दा है
 उस दिन तक कि उठाये जायें। (100)

खुलासा-ए-तफ़सीर

आप (अल्लाह तआला से) दुआ कीजिये कि ऐ मेरे परवर्दिगार! जिस अज़ाब का उन काफ़िरों से
 वायदा किया जा रहा है (जैसा कि ऊपर आयत 77 से भी मालूम हुआ) अगर आप मुझको दिखा दें
 (मसलन यह कि वह अज़ाब उन पर मेरी ज़िन्दगी में इस तौर से आये कि मैं भी देखूँ क्योंकि उस
 वायदा किये गये अज़ाब का कोई खास वक़्त नहीं बतलाया गया है, चुनाँचे उक्त आयत भी अस्पष्ट है
 जिसमें यह संभावना भी है कि मेरे सामने वह अज़ाब आ जाये। गर्ज़ कि अगर ऐसा हुआ) तो ऐ मेरे
 रब! मुझको उन ज़ालिम लोगों में शामिल न कीजिये। और हम इस बात पर क़ादिर हैं कि जो उनसे
 वायदा कर रहे हैं आपको भी दिखला दें (बाकी जब तक उन पर अज़ाब न आये) आप (उनके साथ
 यह मामला रखिये कि) उनकी बदी को ऐसे बर्ताव से दूर कर दिया कीजिए जो बहुत ही अच्छा (और
 नरम) हो, (और अपनी ज़ात के लिये बदला न लीजिये बल्कि हमारे हवाले कर दिया कीजिए) हम खूब

जानते हैं जो-जो कुछ ये (आपके बारे में) कहा करते हैं। और (अगर आपको इनसानी तबीयत होने के नाते गुस्सा आ जाया करे तो) आप यूँ दुआ किया कीजिए कि ऐ मेरे रब! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ शैतानों के वस्वसों से (जो लेजाने वाले हो जायें किसी ऐसे मामले की तरफ जो खिलाफे मस्लेहत हो अगरचे खिलाफे शरीअत न हो)।

और ऐ मेरे रब! आपकी पनाह माँगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास भी आएँ (और वस्वसा डालना तो दरकिनार। पर इससे वह गुस्सा जाता रहेगा। ये काफ़िर लोग अपने कुफ़्र और आख़िरत के इनकार से बाज़ नहीं आते) यहाँ तक कि जब इनमें से किसी (के सर) पर मौत आ (खड़ी हो-) ती है, (और आख़िरत को देखने लगता है) उस वक़्त (आँखें खुलती हैं और अपने जहल व कुफ़्र पर शर्मिन्दा होकर) कहता है कि ऐ मेरे रब! (मुझसे मौत को टाल दीजिए और) मुझको (दुनिया में) फिर वापस भेज दीजिए ताकि जिस (दुनिया) को मैं छोड़कर आया हूँ उसमें (फिर जाकर) नेक काम करूँ (यानी हक़ तआला की तस्दीक़ और फ़रमाँबरदारी। आगे इस दरख़्वास्त को रद्द फ़रमाते हैं कि) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (होगा)। यह (उसकी) एक बात ही बात है जिसको यह कहे जा रहा है (और पूरी होने वाली नहीं), और (वजह इसकी यह है कि) उन लोगों के आगे एक (चीज़) आइ (की आने वाली) है (कि जिसका आना ज़रूरी है, और वही दुनिया में वापस आने से रुकावट है, इससे मुराद मौत है कि उसका आना और पड़ना भी निर्धारित वक़्त पर ज़रूरी है जैसा कि एक दूसरी जगह कुरआन में है कि मौत आगे-पीछे नहीं होती, और मौत के बाद दुनिया में लौटकर आना भी) क़ियामत के दिन तक (अल्लाह के क़ानून के खिलाफ़ है)।

मअरिफ़ व मसाईल

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

इन दोनों आयतों का मलतब यह है कि कुरआने करीम की बहुत सी आयतों में मुशिरकों व काफ़िरों पर अज़ाब की वईद (वायदा और धमकी) मज़कूर है जो आम है। क़ियामत में तो उसका वाक़े होना निश्चित और यकीनी है, दुनिया में होने का भी संदेह व संभावना है। फिर यह अज़ाब अगर दुनिया में उन पर वाक़े हो तो उसमें यह शुब्हा भी है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने के बाद आये और यह भी हो सकता है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में आप ही के सामने उन पर अल्लाह का कोई अज़ाब आ जाये। और दुनिया में जब किसी कौम पर अज़ाब आता है तो कई बार उस अज़ाब का असर सिर्फ़ ज़ालिमों ही तक सीमित नहीं रहता बल्कि नेक लोग भी उससे दुनियावी तकलीफ़ में मुतास्सिर होते हैं अगरचे आख़िरत में उनको कोई अज़ाब न हो, बल्कि इस दुनिया की तकलीफ़ पर जो उनको पहुँचती है अज़्र भी मिले। कुरआने करीम का इरशाद है:

اِنَّوَا فِتْنَةً لَا تُصِيْبُ الدّٰلِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

यानी ऐसे अज़ाब से डरो जो अगर आ गया तो सिर्फ़ ज़ालिमों ही तक नहीं रहेगा दूसरे लोग भी

उसकी लपेट में आयेंगे।

इन आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह दुआ तालीम फ़रमाई गयी है कि या अल्लाह! अगर इन लोगों पर आपका अज़ाब मेरे सामने और मेरे देखते हुए ही आना है तो मुझे इन ज़ालिमों के साथ न रखिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मासूम (सुरक्षित) और अल्लाह के अज़ाब से महफ़ूज़ होना अगरचे आपके लिये यकीनी था मगर फिर भी इस दुआ की हिदायत इसलिये फ़रमाई गयी कि आप हर हाल में अपने रब को याद रखें, उससे फ़रियाद करते रहें ताकि आपका अज़्र बढ़े। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ۝

यानी हमको इस पर पूरी कुदरत है कि हम आपके सामने ही आपको उन पर अज़ाब आता हुआ दिखला दें। कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि अगरचे इस उम्मत पर हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बरकत से आम अज़ाब न आने का वायदा अल्लाह तआला की तरफ़ से हो चुका है:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ.

यानी हम उन लोगों को इस हालत में हलाक करने वाले नहीं कि आप उनके अन्दर मौजूद हों। लेकिन खास-खास लोगों पर खास हालात में अज़ाब दुनिया ही में आ जाना इसके विरुद्ध नहीं। इस आयत में जैसा कि फ़रमाया है कि हम इस पर कादिर हैं कि आपको भी उनका अज़ाब दिखला दें, वह मक्का वालों पर कहत (सूखे) और भूख का अज़ाब फिर बदर की जंग में मुसलमानों की तलवार का अज़ाब आपके सामने ही उन पर पड़ चुका था। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

ادْفَعِ بِأَلْسِنِي هِيَ أَحْسَنُ السِّيَرَةِ.

यानी आप बुराई को भलाई के ज़रिये, जुल्म को इन्साफ़ के ज़रिये और बेरहमी को रहम के ज़रिये दफ़ा फ़रमा दें। यह बुलन्द और ऊँचे अख़्लाक की तालीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दी गयी है, जो मुसलमानों के आपस के मामलात के लिये हमेशा जारी है, अलबत्ता काफ़िरों व मुशिरकों से उनके जुल्मों और अत्याचारों के मुक़ाबले में माफ़ी व दरगुज़र ही करते रहना, उन पर हाथ न उठाना। यह हुक्म जिहाद की आयतों के ज़रिये ख़त्म हो गया, मगर ऐन जिहाद की हालत में भी इस उम्दा अख़्लाक के बहुत से निशानात बाकी रखे गये कि औरत को क़त्ल न किया जाये, बच्चे को क़त्ल न किया जाये, जो मज़हबी लोग मुसलमानों के मुक़ाबले पर जंग में शरीक नहीं उनको क़त्ल न किया जाये, और जिसको भी क़त्ल करें तो उसकी लाश को बिगाड़ कर बेहुर्मती न की जाये कि नाक कान वगैरह काट लें। इसी तरह की और दूसरी हिदायतें जो बेहतर रवैये और व्यवहार पर आधारित हैं।

इसी लिये बाद वाली आयत में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शैतान और उसके वस्वसों (बुरे ख़्यालात) से पनाह माँगने की दुआ तालीम की गई कि ऐन जंग के मैदान में भी आपकी तरफ़ से अदल व इन्साफ़ और ऊँचे अख़्लाक के खिलाफ़ कोई चीज़ शैतान के गुस्सा दिलाने से सादिर न होने पाये, वह दुआ यह है:

وَقُلْ رَبِّ اعْوِذْ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 97 और 98) लफ्ज़ 'ह-म-ज़' के मायने 'धक्का देने और दबाने' के आते हैं। और पीछे की तरफ़ से आवाज़ देने के मायने में भी इस्तेमाल होता है। यह दुआ अपने आम मफहूम के एतिबार से शैतान के शर और फरेब से बचने के लिये एक जामे और मुकम्मल दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों को इस दुआ की तालीम व हिदायत फरमाई है, ताकि ऐसे गुस्से और गैज़ व ग़ज़ब की हालत में जबकि इनसान को अपने नफ़्स पर काबू नहीं रहता और उसमें शैतान के धक्का देने (भड़काने और फुसलाने) का दख़ल होता है, इससे महफूज़ रहें। इसके अलावा शैतानों और जिन्नात के दूसरे आसार और हमलों से बचने के लिये भी यह दुआ तजुर्बा शुदा है। हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रात में नींद न आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको दुआ के ये कलिमात तालीम फरमाये कि यह पढ़कर लेटा करें। उन्होंने पढ़ा तो यह शिकायत जाती रही, वह दुआ यह है:

اعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ۝

अऊज़ु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन् ग-ज़बिल्लाहि व अिकाबिही व मिन् शरि अिबादिही व मिन् ह-मजातिशशयातीनि व अंव्यहजुरुन।

सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे हर काम में हर हाल में तुम्हारे पास आता है और हर काम में गुनाहों और ग़लत कामों का वस्वसा (ख़्याल) दिल में डालता रहता है। (तफ़सीरे कुर्तुबी) उसी से पनाह माँगने के लिये यह दुआ तालीम फरमाई गयी है।

رَبِّ ارْجِعُونِ ۝

यानी मौत के वक़्त काफ़िर पर जब आख़िरत का अज़ाब सामने आने लगता है तो वह तमन्ना करता है कि काश मैं फिर दुनिया में लौट जाऊँ और नेक अमल करके इस अज़ाब से निजात हासिल कर लूँ।

इमाम इब्ने जरीर ने इब्ने जुरैज रह. की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मौत के वक़्त मोमिन जब रहमत के फ़रिश्ते और रहमत के सामान सामने देखने लगता है तो फ़रिश्ते उससे पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाये? तो वह कहता है कि मैं इस ग़मों और तकलीफ़ों के अ़ालम में जाकर क्या करूँगा, मुझे तो अब अल्लाह के पास ले जाओ। और काफ़िर से पूछते हैं तो वह कहता है 'रब्बिर्जिऊन' यानी मुझे दुनिया में लौटा दो।

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. وَمِنْ وَرَاءِ هِمِّ بَرْزَخٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

'बर्ज़ख़' के लफ्ज़ी मायने आड़ और फ़ासिल के हैं। दो हालतों या दो चीज़ों के बीच में जो चीज़ फ़ासिल हो उसको बर्ज़ख़ कहते हैं, इसी लिये मौत के बाद क़ियामत और हशर तक के ज़माने को बर्ज़ख़ कहा जाता है कि यह दुनियावी ज़िन्दगी और आख़िरत की ज़िन्दगी के बीच हद्वे फ़ासिल है।

और आयत के मायने यह हैं कि जब मरने वाला काफिर, फरिश्तों से दोबारा दुनिया में भेजने को कहता है तो यह कलिमा तो उसको कहना ही था क्योंकि अब अज़ाब सामने आ चुका है, मगर इस कलिमे का अब कोई फायदा इसलिये नहीं कि वह अब बर्ज़ख में पहुँच चुका है, जिसका कानून यह है कि बर्ज़ख से लौटकर कोई दुनिया में नहीं आता, और कियामत और दोबारा हिसाब-किताब के लिये उठने से पहले दूसरी ज़िन्दगी नहीं मिलती। वल्लाहु आलम

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ فَمَنْ

ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَتْلُو عَلَيْنَا فَاذًا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ اسْوَأْتُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۝ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۝ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِثِينَ ۝ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝

फ-इज़ा नुफ़ि-ख़ा फ़िस्सूरि फ़ला
अन्सा-ब बैनहुन् यौमइज़िन्-व ला
य-तसा-अलून (101) फ़-मन् सकुलत्
मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-क हुमुल्-
मुफ़िलहून (102) व मन् ख़ाफ़त्
मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-कल्लज़ी-न
ख़ासिरू अन्फु-सहुम् फ़ी जहन्न-म
ख़ालिदून (103) तल्फ़ हु
वुजू-हहुमुन्नारु व हुम् फ़ीहा
कालिहून (104) अलम् तकुन्
आयाती तुल्ला अलैकुम् फ़कुन्तुम्

फिर जब फूँक मारें सूर में तो न
रिश्तेदारियाँ हैं उनमें उस दिन और न
एक दूसरे को पूछे। (101) सो जिसकी
भारी हुई तौल तो वही लोग काम के
निकले (102) और जिसकी हल्की निकली
तौल तो वही लोग हैं जो हार बैठे अपनी
जान, दोज़ख ही में रहा करेंगे। (103)
शुलस देगी उनके मुँह को आग और वे
उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। (104) क्या
तुमको सुनाई न थीं हमारी आयतें फिर

बिहा तुकज़िजबून (105) कालू
 रब्बना ग-लबत् अलैना शिक्वतुना व
 कुन्ना कौमन् ज़ाल्लीन (106) रब्बना
 अख़िरज्ना मिन्हा फ-इन् अुदना
 फ-इन्ना ज़ालिमून (107) कालख़सऊ
 फीहा व ला तुकल्लिमून (108) इन्नहू
 कान्न फ़रीकुम् मिन् अिबादी यकूलू-न
 रब्बना आमन्ना फ़िफ़र् लना वरहम्ना
 व अन्-त ख़ौरूर-राहिमीन (109)
 फत्त-खाज़्तुमूहुम् सिख़रिय्यन् हत्ता
 अन्सौकुम् जिक्री व कुन्तुम् मिन्हुम्
 तज़्हकून (110) इन्नी जज़ैतुहुमुल्-
 यौ-म बिमा स-बरू अन्नहुम् हुमुल्-
 फाइज़ून (111) का-ल कम् लबिस्तुम्
 फ़िल्अर्जि अ-द-द सिनीन (112)
 कालू लबिस्ना यौमन् औ बअ-ज
 यौमिन् फ़स्अलिल्-आद्दीन (113)
 का-ल इल्लबिस्तुम् इल्ला कलीलल्-
 लौ अन्नकुम् कुन्तुम् तअ़्लमून (114)
 अ-फ-हसिब्तुम् अन्नमा ख़लक्नाकुम्
 अ-बसंव-व अन्नकुम् इलैना ला
 तुर्जअून (115)

तुम उनको झुठलाते थे। (105) बोले ऐ
 रब! जोर किया हम पर हमारी कमबख़्ती
 ने और रहे हम लोग बहके हुए। (106)
 ऐ हमारे रब! निकाल ले हमको इसमें से
 अगर हम फिर करें तो हम गुनाहगार।
 (107) फ़रमाया पड़े रहो फटकारे हुए
 उसमें और मुझसे न बोलो। (108) एक
 फ़िक्र था मेरे बन्दों में जो कहते थे ऐ
 हमारे रब! हम यकीन लाये सो माफ़ कर
 हमको और रहम कर हम पर और तू सब
 रहम वालों से बेहतर है। (109) फिर
 तुमने उनको ठट्ठों में पकड़ लिया यहाँ
 तक कि भूल गये उनके पीछे मेरी याद
 और तुम उनसे हंसते रहे। (110) मैंने
 आज दिया उनको बदला उनके सब्र करने
 का कि वही हैं मुराद को पहुँचने वाले।
 (111) फ़रमाया तुम कितनी देर रहे ज़मीन
 में बरसों की गिनती से? (112) बोले हम
 रहे एक दिन या कुछ दिन से कम, तू पूछ
 ले गिनती वालों से। (113) फ़रमाया तुम
 उसमें बहुत नहीं थोड़ा ही रहे हो अगर
 तुम जानते होते। (114) सो क्या तुम
 ख़्याल रखते हो कि हमने तुमको बनाया
 खेलने को और तुम हमारे पास फिरकर न
 आओगे। (115)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर जब (कियामत का दिन होगा और) सूर फूँका जायेगा तो (ऐसी हौल व हैबत में गिरफ़्तार

होंगे कि) उनमें (जो) आपसी रिश्ते-नाते (थे) उस दिन (वे भी गोया) न रहेंगे, (यानी कोई किसी की हमदर्दी न करेगा जैसे अजनबी-अजनबी होते हैं) और न कोई किसी को पूछेगा (कि भाई तुम किस हालत में हो, गुर्ज कि न रिश्ता-नाता काम आयेगा न दोस्ती और जान-पहचान, पस यहाँ काम की चीज़ एक ईमान होगा जिसकी आम पहचान के लिये कि सब पर ज़ाहिर हो जाये एक तराजू खड़ी की जायेगी और उससे आमाँल व अक़ीदों का वज़न होगा) सो जिस शख्स का (ईमान का) पल्ला भारी होगा (यानी वह मोमिन होगा) तो ऐसे लोग कामयाब (यानी निजात पाने वाले) होंगे (और ऊपर जिक्र हुए हौल व हैबत के हालात कि न किसी का रिश्ता काम आये न दोस्ती और न कोई किसी को पूछे कि किस हाल में हो, ये इन मोमिनों को पेश न आयेंगे जैसा कि कुरआन पाक की एक दूसरी जगह यानी सूर: अम्बिया आयत 103 में अल्लाह तआला ने इसकी ख़बर दी है)।

और जिस शख्स का (ईमान का) पल्ला हल्का होगा (यानी वह काफ़िर होगा) सो ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया और जहन्नम में हमेशा के लिये रहेंगे। उनके चेहरों को (उस जहन्नम की) आग झुलसती होगी, और उस (जहन्नम) में उनके मुँह बिगड़े हुए होंगे। (और उनसे हक़ तआला डायरेक्ट या किसी माध्यम से इरशाद फ़रमा देंगे कि) क्यों क्या मेरी आयतें (दुनिया में) तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाया करती थीं, और तुम उनको झुठलाया करते थे (यह उसकी सज़ा मिल रही है)। वे कहेंगे कि ऐ हमारे रब! (वाक़ई) हमारी बदबख़्ती ने हमको (हमारे हाथों) घेर लिया था और (बेशक) हम गुमराह लोग थे (यानी हम जुर्म का इकरार और उस पर शर्मिन्दगी व माज़िरत का इज़हार करके दरख़्वास्त करते हैं कि) ऐ हमारे रब! हमको इस (जहन्नम) से (अब) निकाल दीजिए (और दोबारा दुनिया में भेज दीजिए। उनकी इस फ़रियाद को अल्लाह तआला ने सूर: अलिफ़ लाम मीम अस्सज्दा की आयत 12 में भी बयान फ़रमाया है) फिर अगर हम दोबारा (ऐसा) करें तो हम बेशक क्रसूरवार हैं (उस वक़्त हमको ख़ूब सज़ा दीजिए और अब छोड़ दीजिए)। इरशाद होगा कि इसी (जहन्नम) में धुतकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो (यानी हम मन्ज़ूर नहीं करते। क्या तुमको याद नहीं रहा कि) मेरे बन्दों में एक ग़िरोह (ईमान वालों का) था जो (बेचारे हमसे) अर्ज़ किया करते थे कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ले आये सो हमको बख़्श दीजिए और हम पर रहमत फ़रमाइये और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। सो तुमने (महज़ इस बात पर जो हर तरह काबिले क़द्र थी) उनका मज़ाक़ बनाया था (और) यहाँ तक (उसका मशग़ला किया) कि मशग़ले ने तुमको हमारी याद भी भुला दी, और तुम उनसे हंसी-मज़ाक़ किया करते थे (सो उनका तो कुछ न बिगड़ा चन्द दिन की परेशानी थी सब करना पड़ा, जिसका यह नतीजा मिला कि) मैंने उनको आज उनके सब्र का यह बदला दिया है, कि वही कामयाब हुए (और तुम इस नाकामी में गिरफ़्तार हुए। जवाब का मतलब यह हुआ कि तुम्हारा क्रसूर इस काबिल नहीं कि सज़ा के वक़्त इकरार करने से माफ़ कर दिया जाये, क्योंकि तुमने ऐसा मामला किया जिससे हमारे हुक्क की भी बरबादी हुई और बन्दों के हुक्क की भी। और बन्दे भी कैसे, हमारे मक़बूल और महबूब जो हमसे ख़ास लगाव और खुसूसियत रखते थे, क्योंकि उनको मज़ाक़ का निशाना बनाने में उनको सताना जो कि बन्दों के हुक्क को जाया करना है और हक़ को झुठलाना जो मज़ाक़ बनाने का मन्शा है यह अल्लाह के हक़ को

जाया करना है, दोनों लाज़िम आये, पस इसकी सज़ा के लिये पूरी और हमेशा वाली सज़ा ही मुनासिब है, और मोमिनों को उनके सामने जन्नत की नेमतों से कामयाब करना यह भी एक सज़ा है काफ़िरों के लिये, क्योंकि दुश्मनों और मुखालिफ़ों की कामयाबी से रूहानी तकलीफ़ होती है।

(यह तो जवाब हो गया उनकी दरख्वास्तों का, आगे चेताना है उनके तरीके और अक़ीदे के बातिल होने पर ताकि ज़िल्लत पर ज़िल्लत और हसरत पर हसरत होने से सज़ा पाने में सख्ती हो, इसलिये) इरशाद होगा कि (अच्छा यह बतलाओ) तुम बरसों की गिनती से किस क़द्र मुद्दत ज़मीन पर रहे होगे। (चूँकि वहाँ के हौल व हैबत से उनके होश व हवास गुम हो चुके होंगे और उस दिन का लम्बा होना भी आँखों के सामने होगा) वे जवाब देंगे कि (बरस कैसे, बहुत रहे होंगे तो) हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे (और सच यह है कि हमको याद नहीं) सो गिनने वालों से (यानी फ़रिश्तों से जो कि आमाल और उम्रों सब का हिसाब करते थे) पूछ लीजिए। इरशाद होगा कि (एक दिन या एक दिन से कम तो ग़लत है मगर इतना तो तुम्हारे इकरार से जो कि सही भी है साबित हो गया कि) तुम (दुनिया में) थोड़ी ही मुद्दत रहे (लेकिन) क्या अच्छा होता कि तुम (यह बात उस वक़्त) समझते होते (कि दुनिया की बक़ा नाक़ाबिले एतिबार है और इसके अलावा और कोई रहने और ठिकाने की जगह है, मगर वहाँ तो दुनिया ही को बाकी रहने वाली समझा और इस आलम का इनकार करते रहे जैसा कि क़ुरआन की एक दूसरी आयत में उनके इस कौल का जिक्र है- सूर: अन्आम आयत 29 में। और अब जो ग़लती जाहिर हुई और सही समझे तो बेफ़ायदा)।

(और एतिक़ाद की ग़लती पर तंबीह और चेताने के बाद आगे फिर उस एतिक़ाद पर डाँट है जो मज़मून के खुलासे के तौर पर एक तरह से जुर्म की क़रारदाद है कि) हाँ! तो क्या तुमने यह ख़्याल किया था कि हमने तुमको यूँ ही (हिक्मत से ख़ाली) बेकार पैदा कर दिया है, और यह (ख़्याल किया था) कि तुम हमारे पास नहीं लाये जाओगे? (मतलब यह कि जब हमने अपनी आयतों में जिनका सच्चा होना सही और यकीनी दलीलों से साबित है क़ियामत और उसमें आमाल का बदला दिये जाने की ख़बर दी थी तो मालूम ही गया था कि क़ानून की पाबन्द मख़्लूक़ की पैदाईश की हिक्मतों में से एक हिक्मत यह भी है कि उसका इनकारी होना कितना बड़ा बुरा और गुनाह का काम था)।

मअरिफ़ व मसाईल

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

क़ियामत के दिन सूर दो मर्तबा फूँका जायेगा, नफ़खा-ए-ऊला यानी पहले सूर का यह असर होगा कि सारा आलम ज़मीन व आसमान और जो इसके बीच है फ़ना हो जायेगा और नफ़खा-ए-सानिया यानी दूसरे बार के फूँकने से फिर सारे मुर्दे ज़िन्दा होकर खड़े हो जायेंगे। क़ुरआने करीम की आयत 'सुम्-म नुफ़ि-ख़ फ़ीहि उख़्रा फ़-इज़ा हुम् क़ियामुंय्यन्जुरून' (यानी सूर: जुमर की आयत 68) में इसकी वज़ाहत मौजूद है। इस आयत में सूर का नफ़खा-ए-ऊला मुराद है या नफ़खा-ए-सानिया इसमें मतभेद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्ने जुबैर रह. की रिवायत से मन्कूल है कि इस आयत में मुराद नफ़खा-ए-ऊला (पहली बार का सूर फूँकना) है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद

अब्दुल्लाहु अन्हु ने फरमाया और अता रह. की रिवायत से यही बात हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मन्कूल है कि मुराद इस जगह नफ़्खा-ए-सानिया (दूसरी बार का सूर फूँकना) है, तफ़सीरे मज़हरी में इसी को सही करार दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल यह है कि क़ियामत के दिन एक-एक बन्दे मर्द व औरत को मेहशर के मैदान में लाया जायेगा और तमाम पहले और बाद वालों के उस भरे मजमे के सामने खड़ा किया जायेगा, फिर अल्लाह तआला का एक मुनादी यह निदा करेगा कि यह शख्स फुल्लौ बिन फुल्लौ है अगर किसी का कोई हक़ इसके जिम्मे है तो सामने आ जाये इससे अपना हक़ वसूल कर ले। यह वह वक़्त होगा कि बेटा इस पर खुश होगा कि मेरा हक़ बाप के जिम्मे निकल आया, और बाप का कोई हक़ बेटे पर हुआ तो बाप खुश होगा कि उससे वसूल करूँगा। इसी तरह मियाँ बीवी और भाई बहन जिसका जिस पर कोई हक़ होगा यह मुनादी सुनकर उससे वसूल करने पर तैयार और खुश होगा, यही वह वक़्त है जिसके मुताल्लिक ऊपर बयान हुई इस आयत में आया है:

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ.

यानी उस वक़्त आपसी नसबी रिश्ते और ताल्लुकात काम न आयेंगे, कोई किसी पर रहम न करेगा, हर शख्स को अपनी फ़िक्र लगी होगी। यही मज़मून इस आयत का है:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.

यानी वह दिन जिस में हर इनसान अपने भाई से, माँ और बाप से, बीवी और औलाद से दूर भागेगा। (सूर: अ-ब-स आयत ३४-३६)

मेहशर में मोमिनों और काफ़िरों के हालात में फ़र्क

मगर यह हाल काफ़िरों का ज़िक्र किया गया है जैसा कि ऊपर मौजूद है, मोमिनों का यह हाल नहीं होगा क्योंकि मोमिनों का हाल खुद कुरआन ने यह ज़िक्र किया है:

الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

(सूर: तूर आयत २१) यानी नेक मोमिनों की औलाद को भी अल्लाह तआला (बशर्ते कि वह मोमिन हो) अपने नेक माँ-बाप के साथ लगा देंगे। और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जिस वक़्त मेहशर में सब प्यासे होंगे तो मुसलमान बच्चे जो नाबालिगी की हालत में मर गये थे वे जन्नत का पानी लिये हुए निकलेंगे, लोग उनसे पानी माँगेगे तो वे कहेंगे कि हम तो अपने माँ-बाप को तलाश कर रहे हैं, यह पानी उनके लिये है।

(इब्ने अबिदुदुन्या, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से। मज़हरी) इसी तरह एक सही हदीस में जिसको इब्ने असाकिर ने सही सनद के साथ हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन हर नसबी ताल्लुक या मियाँ-बीवी के ताल्लुक से जो रिश्ते पैदा होंगे वो सब ख़त्म हो जायेंगे (कोई किसी के काम न आयेगा) सिवाय मेरे नसब और मेरे निकाह के रिश्ते के। उलेमा ने फरमाया कि हुज़ुरे पाक के इस नसब में सारी उम्मत के मुसलमान भी दाख़िल हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत के बाप और आपका पाक भावया उम्मत का नाए व यह है कि रिश्ते और दोस्ती का कोई ताल्लुक किसी के काम न आना यह हाल मेहशर में क होगा, मोमिन एक दूसरे की शफ़ाअत और मदद करेंगे और उनके ताल्लुक एक दूसरे के काम

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

यानी आपस में कोई किसी की बात न पूछेगा। और दूसरी एक आयत में जो यह जिक्र है:

وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

(सूर: सॉफ़ात आयत 27) यानी मेहशर में लोग आपस में एक दूसरे से सवालात करेंगे और हालात पूछेंगे, इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मेहशर में खड़े होने की अनेक जगह और मौके होंगे, हर जगह का हाल अलग होगा। एक वक़्त ऐसा भी आयेगा कि कोई किसी को न पूछेगा, फिर किसी मौके और मक़ाम में जब वह हैबत और हौल का ग़लबा कम हो जायेगा तो आपस में एक दूसरे का हाल भी मालूम करेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

यानी आमाल की तराजू में जिस शख्स का नेकियों का पल्ला भारी होगा वही फ़लाह पाने वाले हैं और जिसका पल्ला नेकियों का हल्का रहेगा तो ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में खुद अपने हाथों अपना नुक़सान किया और अब वे हमेशा के लिये जहन्नम में रहने वाले हैं।

इस आयत में मुक़ाबला सिर्फ़ कामिल मोमिनोँ और काफ़िरोँ का है और उन्हीं के आमाल का वज़न करना और उनमें से हर एक के अन्जाम का जिक्र किया गया है, कि कामिल मोमिनोँ का पल्ला भारी होगा, उनको फ़लाह (कामयाबी) हासिल होगी, काफ़िरोँ का पल्ला हल्का रहेगा उनको हमेशा के लिये जहन्नम में रहना पड़ेगा।

और कुरआने करीम की दूसरी वज़ाहतों और बयानात से साबित है कि इस जगह कामिल मोमिनोँ का पल्ला भारी होने का मतलब यह है कि दूसरे पल्ले यानी गुनाहों और बुरे कामों के पल्ले में कोई वज़न ही न होगा, वह ख़ाली नज़र आयेगा। और काफ़िरोँ का पल्ला हल्का होने का मतलब यह है कि नेकियों के पल्ले में कोई वज़न ही न होगा बिल्कुल ख़ाली जैसा हल्का रहेगा, जैसा कि कुरआन पाक में इरशाद है:

فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا

(सूर: कहफ़ आयत 105) यानी हम काफ़िरोँ और उनके आमाल का कियामत के दिन कोई वज़न ही कायम न करेंगे।

यह हाल तो कामिल मोमिनोँ का हुआ और जिनसे गुनाह हुए ही नहीं या तौबा वगैरह से माफ़ कर दिये गये, आमाल के वज़न करने के वक़्त बुराईयों के पल्ले में उनके नाम पर कुछ न होगा। दूसरी तरफ़ काफ़िर हैं जिनके नेक आमाल भी ईमान की शर्त के मौजूद न होने के सबब इन्साफ़ की तराजू में बेवज़न होंगे। बाक़ी रहा आमाल गुनाहगार मुसलमानों का जिनके नेकियों के पल्ले में भी

आमाल होंगे और बुराईयों के पल्ले में भी आमाल होंगे उनका ज़िक्र इस आयत में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया बल्कि अम तौर पर कुरआने करीम में गुनाहगार मुसलमानों की सज़ा व जज़ा से चुप्पी ही इख़्तियार की गयी है। इसकी वजह शायद यह हो कि कुरआन पाक उतरने के ज़माने में जितने मोमिन हज़रत यानी सहाबा-ए-क़िराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे वे सब के सब अदूल थे, यानी उमूमन तो वे बड़े गुनाहों से पाक ही रहे और अगर किसी से कोई गुनाह हो भी गया तो उसने तौबा कर ली, तौबा से माफ़ हो गया। (तफ़्सीरे मज़हरी)

कुरआन मजीद की एक आयत:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا.

(यानी सूर: तौबा की आयत 102) में ऐसे लोगों का ज़िक्र है जिनके नेक व बुरे आमाल मिलेजुले हैं। उनके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन उन लोगों के आमाल का हिसाब इस तरह होगा कि जिस शख्स की नेकियाँ उसके गुनाहों से बढ़ जायें चाहे एक ही नेकी की मिक़दार से बढ़े वह जन्नत में जायेगा। और जिस शख्स की बुराईयाँ और गुनाह नेकियों से बढ़ जायें चाहे वह एक ही गुनाह की मात्रा से बढ़े वह दोज़ख़ में जायेगा, मगर उस मोमिन गुनाहगार का दोज़ख़ में दाख़िला उसकी सफ़ाई और पाक करने के लिये होगा जैसे लोहे, सोने वगैरह को आग में डालकर मैल और जंग से साफ़ किया जाता है, उसका जहन्नम में जाना भी ऐसा ही होगा। जिस वक़्त जहन्नम की आग से उसके गुनाहों का जंग (मैल) दूर हो जायेगा तो जन्नत में भेज दिया जायेगा। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क़ियामत की आमाल की तराजू ऐसा सही वज़न करने वाली होगी कि एक राई के दाने के बराबर भी कमी-बेशी होगी तो पल्ला झुक जायेगा या उठ जायेगा। और जिस शख्स की नेकियाँ और बुराईयाँ अमल की तराजू में बिल्कुल बराबर बराबर रहेंगी तो वह आराफ़ वालों में दाख़िल होगा और एक ज़माने तक दोज़ख़ और जन्नत के बीच दूसरे हुक्म का मुन्तज़िर रहेगा, और आख़िरकार उसको भी जन्नत में दाख़िला मिल जायेगा।

(इब्ने अबी हातिम, तफ़्सीरे मज़हरी)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस क़ौल में काफ़िरों का ज़िक्र नहीं सिर्फ़ गुनाहगार मोमिनों का ज़िक्र है।

आमाल के वज़न करने की कैफ़ियत

हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि खुद मोमिन व काफ़िर इनसान को अदल की तराजू में रखकर तौला जायेगा। काफ़िर का कोई वज़न न होगा चाहे वह कितना ही मोटा-ताजा हो।

(बुख़ारी व मुस्लिम, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से)

और हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उनके नामा-ए-आमाल तौले जायेंगे। इमाम तिर्मिज़ी, इब्ने भाजा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने यह मज़मून हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। और कुछ रिवायतों से यह मालूम होता है कि हर इनसान के आमाल जो दुनिया में बिना जिम्म और वज़न के होते हैं मेहशर में उनको जिम्म अता करके अमल की तराजू में

रखा जायेगा, वो तौले जायेंगे। इमाम तबरानी वगैरह ने यह रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है।

हदीस की इन सब रिवायतों के अलफ़ाज़ और मतन तफ़सीरे मज़हरी में मुकम्मल मौजूद हैं वहाँ देखे जा सकते हैं। इसी आख़िरी क़ौल की ताईद में एक हदीस इमाम अब्दुरज़ज़ाक़ ने 'फ़ज़्लुल-इल्म' में इब्राहीम नख़ई रह. से नक़ल की है कि क़ियामत के दिन एक शख़्स के आमाल वज़न के लिये लाये जायेंगे और तराजू के पल्ले में रखे जायेंगे तो यह पल्ला हल्का रहेगा। फिर एक चीज़ ऐसी लाई जायेगी जो बादल की तरह होगी उसको भी उसके नेकियों के पल्ले में रख दिया जायेगा तो यह पल्ला भारी हो जायेगा, उस वक़्त उस शख़्स से कहा जायेगा कि तुम जानते हो यह क्या चीज़ है (जिसने तुम्हारी नेकियों का पल्ला भारी कर दिया)? वह कहेगा मुझे कुछ मालूम नहीं। तो बतलाया जायेगा कि यह तेरा इल्म है जो तू लोगों को सिखाया करता था। और इमाम ज़हबी ने 'फ़ज़ल-ए-इल्म' में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन शहीदों का खून और उलेमा की रोशनाई (जिससे उन्होंने इल्मे दीन की किताबें लिखी थीं) आपस में तौले जायेंगे तो उलेमा की रोशनाई का वज़न शहीदों के खून से ज़्यादा निकलेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

आमाल के तौले और वज़न किये जाने की कैफ़ियत के मुताल्लिक़ तीनों किस्म की रिवायतें नक़ल करने के बाद तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया है कि इसमें कोई दूर की और मुश्किल बात नहीं कि खुद इनसान और उसके आमाल को जिस्मानी शक्ल में तौला जाये या उसके नामा-ए-आमाल को उसके साथ रखकर तौला जाये, इसलिये इन तीनों रिवायतों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं।

وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ ۝

'कालिह' लुगत में उस शख़्स को कहा जाता है जिसके दोनों होंठ उसके दाँतों को न छुपायें, एक ऊपर रहे दूसरा नीचे, दाँत निकले हुए नज़र आयें जो निहायत बदसूरत है। जहन्नम में जहन्नमी का ऊपर का होंठ ऊपर चढ़ जायेगा और नीचे का होंठ नीचे लटक जायेगा, दाँत खुले निकले नज़र आयेंगे।

وَلَا تَكَلِّمُوهُ ۝

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि जहन्नम वालों का यह आख़िरी कलाम होगा जिसके जवाब में हुक्म हो जायेगा कि हमसे कलाम न करो, फिर वे किसी से कुछ कलाम न कर सकेंगे, जानवरों की तरह एक दूसरे की तरफ़ भौंकेंगे। और इमाम बैहकी वगैरह ने मुहम्मद बिन कअब रह. से नक़ल किया है कि क़ुरआन में जहन्नम वालों की पाँच दरख्वास्तें नक़ल की गयी हैं उनमें से चार का जवाब दिया गया और पाँचवीं के जवाब में हुक्म हो गया 'ला तुकल्लिमून' (यानी मुझसे मत बोलो) बस यह उनका आख़िरी कलाम होगा इसके बाद कुछ न बोल सकेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ

يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

फ़-तअलल्लाहुल्-मलिकुल्-हक्कु ला
इला-ह इल्ला हु-व रब्बुल् अशिल्-
करीम (116) व मय्यदु मअल्लाहि
इलाहन् आख़ा-र ला बुरहा-न लहू
बिही फ़-इन्नमा हिसाबुहू अिन्-द
रब्बिही, इन्नहू ला युफ़िलहुल्-
काफिरून (117) व कुरीब्बिग़फ़िर वहम्
व अन्-त खैरुराहिमीन (118) ❀

सो बहुत ऊपर है अल्लाह वह बादशाह सच्चा, कोई हाकिम नहीं उसके सिवाय, मालिक उस इज्जत के तख्त का। (116) और जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ दूसरा हाकिम जिसकी सनद नहीं उसके पास सो उसका हिसाब है उसके रब के नज़दीक, बेशक भला न होगा मुन्क़िरोँ का। (117) और तू कह ऐ रब! माफ़ कर और रहम कर और तू है बेहतर सब रहम वालों से। (118) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(और ये सब मज़ामीन जब मालूम हो चुके) सो (इससे यह पूर्ण रूप से साबित हो गया कि) अल्लाह तअला बहुत ही अलीशान है जो कि बादशाह (है और बादशाह भी) हकीकी है उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, (और वह) अर्श अज़ीम का मालिक है। और जो शख्स (इस बात पर दलील कायम होने के बाद) अल्लाह के साथ किसी और माबूद की भी इबादत करे कि जिस (के माबूद होने) पर उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसी के रब के यहाँ होगा, (जिसका लाज़िमी नतीजा यह है कि) यकीनन काफ़िरोँ को फ़लाह न होगी (बल्कि हमेशा-हमेशा के लिये अज़ाब में रहेंगे)। और (जब हक़ तअला की यह शान है तो) आप (और दूसरे लोग और भी ज्यादा) यूँ कहा करें कि ऐ मेरे रब! (मेरी ख़ताएँ) माफ़ कर और (हर हालत में मुझ पर) रहम कर (रोज़ी और दुनिया की ज़िन्दगी में भी, नेकियों की तौफ़ीक़ में भी, आख़िरत की निजात में भी, जन्नत अता फ़रमाने में भी) और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है।

मअरिफ़ व मसाईल

ये सूर: मोमिनून की आख़िरी आयतें यानी आयत नम्बर 115 से लेकर 118 तक की चार आयतें खास फ़ज़ीलत रखती हैं। इमाम बग़वी और सालबी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु

अन्हु से रिवायत किया है कि उनका गुज़र एक ऐसे बीमार पर हुआ जो सख्त बीमारियों में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके कान में सूर: मोमिनून की ये आयतें (यानी आखिर की चार आयतें) पढ़ दीं, वह उसी वक़्त अच्छा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे मालूम किया कि आपने उसके कान में क्या पढ़ा? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया ये आयतें पढ़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो ये आयतें पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

यहाँ 'इग़्फ़िर' और 'इर्हम्' दोनों का मफ़ऊल ज़िक्र नहीं किया गया कि क्या माफ़ करें और किस चीज़ पर रहम करें। इससे इशारा इसके आम होने की तरफ़ है कि दुआ-ए-मग़फ़िरत शामिल है हर नुक़सान देने वाली और तकलीफ़देह चीज़ के दूर करने को, और दुआ-ए-रहमत शामिल है हर मुराद और महबूब चीज़ के हासिल होने को। क्योंकि तकलीफ़ व नुक़सान का दूर होना और फ़ायदे व मतलूब चीज़ का हासिल होना जो इनसानी ज़िन्दगी और उसके मक़सिद का खुलासा हैं दोनों इसमें शामिल हो गये। (तफ़सीरे मज़हरी) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुआ-ए-मग़फ़िरत व रहमत की तल्कीन (तालीम व हिदायत) इसके बावजूद कि आप मासूम (ख़ताओं से सुरक्षित) और मरहूम (हर वक़्त अल्लाह की रहमत में) ही हैं, दर असल उम्मत को सिखाने के लिये है कि तुम्हें इस दुआ का कितना एहतिमाम करना चाहिये। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

सूर: मोमिनून की शुरूआत 'कद् अफ़्लहल्-मुअ्मिनून' से हुई थी और समापन 'ला युफ़्लिहुल्-काफ़िरून' पर किया गया जिससे मालूम हुआ कि फ़लाह यानी मुकम्मल कामयाबी मोमिनों ही का हिस्सा है, काफ़िर इससे मेहरूम हैं।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: मोमिनून की तफ़सीर मुहर्रम सन् 1391 हिजरी के शुरू हिस्से के आठ दिनों में पूरी हुई जिसका आख़िरी यौम-ए-आशूरा पीर का दिन था। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं और उसी से यह नाचीज़ इस तफ़सीर के बाकी हिस्से की तकमील की तौफ़ीक़ की मदद चाहता है। वह हर चीज़ पर ग़ालिब है, कोई चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: मोमिनून की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूर: नूर

सूर: नूर मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 64 आयतें और 9 रुकूअ हैं।

أَنزَلْنَاهَا ۝ (107) سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدِيْنَةُ ۝ (108) وَكُلُوْمُهُنَّ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنٰ فِيْهَا اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۝ وَلَا تَاْخُذْ كُرْبُهُمَا رَافِعَةٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۝ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सूरतुन् अन्ज़ल्नाहा व फ़रज़नाहा व
अन्ज़ल्ना फ़ीहा आयातिम् बय्यिनातिल्
लअल्लकुम् तज़क्करुन (1)
अज़ज़ानि-यतु वज़ज़ानी फज़्ज़लिदू
कुल्-ल वाहिदिम्-मिन्हुमा मि-अ-त
जल्दतिव्-व ला तअख्खुज़्कुम् बिहिमा
रअ-फ़तुन् फ़ी दीनिल्लाहि इन्
कुन्तुम् तुअ्मिनु-न बिल्लाहि
वल्यौमिल्-आख़्ख़ारि वल्यशहद्
अज़ाबहुमा ताइ-फ़तुम् मिनल्-
मुअ्मिनीन (2)

यह एक सूरात है कि हमने उतारी और
ज़िम्मे पर लाज़िम की और उतारी इसमें
बातें साफ़ ताकि तुम याद रखो। (1)
बदकारी करने वाली औरत और मर्द सो
मारो हर एक को दोनों में से सौ-सौ दुरें
और न आये तुमको उन पर तरस अल्लाह
के हुक्म चलाने में अगर तुम यकीन रखते
हो अल्लाह पर और पिछले दिन
पर, और देखें उनको मारना कुछ लोग
मुसलमान। (2)

सूर: नूर की कुछ विशेषतायें

इस सूरात में ज्यादातर अहकाम जावरु और पाक़शमनी की हिफ़ाज़त और सलाह व परहेज़गारी के बारे में

हैं और इसी को पूरा करने के लिये जिना की सज़ा का बयान आया। पिछली सूरा यानी सूर: मोमिनून में मुसलमानों की दुनिया व आखिरत की फ़लाह व कामयाबी को जिन सिफ़तों और गुणों पर मौकूफ़ रखा गया है उनमें से एक अहम सिफ़त शर्मगाहों की हिफ़ाज़त थी जो खुलासा है पाकदामनी और आबरू के बयानात का। इस सूरा में पाकदामनी के एहतिमाम के लिये संबन्धित अहकाम ज़िक्र किये गये हैं, इसी लिये औरतों को इस सूरा की तालीम की खुसूसी हिदायतें आई हैं।

हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफ़ा वालों के नाम अपने एक फ़रमान में लिखा था:

عَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ.

यानी अपनी औरतों को सूर: नूर की तालीम दो।

खुद इस सूरा की शुरूआत जिन अलफ़ाज़ से की गयी है 'सूरतुन् अन्ज़ल्लाहा व फ़रज़्नाहा' यह भी इस सूरा के खास एहतिमाम और पाबन्दी की तरफ़ इशारा है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

यह एक सूरा है जिस (के अलफ़ाज़) को (भी) हम (ही) ने नाज़िल किया है और इस (के मायने यानी अहकाम) को (भी) हम (ही) ने मुकरर किया है (चाहे वो फ़र्ज़ व वाजिब हों या मुस्तहब) और हमने (उन अहकाम पर दलायल करने के लिये) इस (सूरा) में साफ़-साफ़ आयतें नाज़िल की हैं ताकि तुम समझो (और अमल करो)। जिना कराने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, (दोनों का हुक़्म यह है कि) उनमें से हर एक को सौ दुर्रें मारो, और तुम लोगों को उन दोनों पर अल्लाह के मामले में ज़रा रहम न आना चाहिए (कि रहम खाकर छोड़ दो या सज़ा में कमी कर दो) अगर अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो, और दोनों की सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमाअत को हाज़िर रहना चाहिए (ताकि उनकी रुस्वाई हो और देखने सुनने वालों को इबत हो)।

मअरिफ़ व मसाईल

इस सूरा की पहली आयत तो बतौर प्रारम्भिका के है जिससे इसके अहकाम का खास एहतिमाम बयान करना मक़सद है, और अहकाम में सबसे पहले जिना की सज़ा का ज़िक्र जो सूरा का उद्देश्य, पाकदामनी और उसके लिये निगाहों तक की हिफ़ाज़त, बग़ैर इजाज़त किसी के घर में जाने और नज़र करने की मनाही के अहकाम आगे आने वाले हैं, जिना का अपराध करना इन तमाम एहतियातों को तोड़कर आबरू व पाकदामनी के खिलाफ़ इन्तिहाई हद पर पहुँचना और अल्लाह के अहकाम की खुली बगावत है। इसी लिये इस्लाम में इनसानी अपराधों पर जो सज़ायें (हदें) क़ुरआन में मुतयन कर दी गयी हैं जिना की सज़ा भी उन तमाम अपराधों की सज़ा से सख़्त और ज़्यादा है। जिना खुद एक बहुत बड़ा जुर्म होने के अलावा अपने साथ सैकड़ों जुर्म लेकर आता है और उसके परिणाम पूरी इनसानियत की तबाही है। दुनिया में जितने क़त्ल व ग़ारतगरी के वाकिआत पेश आते हैं तहकीक़ की जाये तो उनमें ज़्यादातर का संबन्ध कोई औरत और उससे हराम ताल्लुक़ होता है, इसलिये सूरा के शुरू में इस बहुत बड़े जुर्म व बेहयाई का ख़ात्मा करने के लिये इसकी शरई सज़ा बतलाई गयी है।

जिना एक बड़ा जुर्म और बहुत से अपराधों का मजमूआ है इसलिये इस्लाम में इसकी सज़ा भी सबसे बड़ी रखी गयी है

कुरआने करीम और निरन्तर हदीसों ने चार जुर्मों की सज़ा और उसका तरीका खुद मुतयन कर दिया है, किसी काज़ी या अमीर की राय पर नहीं छोड़ा। उन्हीं निर्धारित सज़ाओं को शरीअत की परिभाषा में हुदूद कहा जाता है, उनके अलावा बाकी जुर्मों की सज़ा को इस तरह मुतयन नहीं किया गया बल्कि अमीर या काज़ी मुजरिम की हालत और जुर्म की हैसियत और माहौल वगैरह के मजमूए पर नज़र करके जिस क़द्र सज़ा देने को जुर्म के रोकने और ख़ात्मे के लिये काफ़ी समझे वह सज़ा दे सकता है। ऐसी सज़ाओं को शरीअत की परिभाषा में ताज़ीरात कहा जाता है। शरई हुदूद चार हैं।

(१) चोरी। (२) किसी पाकदामन औरत पर तोहमत रखना। (३) शराब पीना और (४) जिना करना। इनमें से हर जुर्म अपनी जगह बड़ा सख़्त और दुनिया के अमन व अमान को बरबाद करने वाला और बहुत सी ख़राबियों का मजमूआ है, लेकिन इन सब में भी जिना के बुरे परिणाम और नतीजे जैसे दुनिया के निज़ामे इन्सानियत को तबाह व बरबाद करने वाले हैं वे शायद किसी दूसरे जुर्म में नहीं।

१. किसी शख्स की बेटी, बहन, बीवी पर हाथ डालना उसके हलाक व तबाह करने के बराबर है। शरीफ़ इन्सान को सारा माल व जायदाद और अपना सब कुछ कुरबान कर देना इतना मुश्किल नहीं जितना अपने हरम (घर की औरतों) की आबरू पर हाथ डालना। यही वजह है कि दुनिया में रोज़मर्रा यह वाक़िआत पेश आते रहते हैं कि जिन लोगों के हरम पर हाथ डाला गया है वे अपनी जान की परवाह किये बगैर ज़ानी के क़त्ल व फ़ना करने के पीछे लग जाते हैं और बदले का यह जोश नस्लों में चलता है और ख़ानदानों को तबाह कर देता है।

२. जिस क़ौम में जिना आम हो जाये वहाँ किसी का नसब महफूज़ नहीं रहता। माँ बहन बेटी वगैरह जिनसे निकाह हराम है जब ये रिश्ते भी ग़ायब हो गये तो अपनी बेटी और बहन भी निकाह में आ सकती है जो जिना से भी ज़्यादा सख़्त जुर्म है।

३. ग़ौर किया जाये तो दुनिया में जहाँ कहीं बद-अमनी और फ़ितना व फ़साद होता है उसका ज़्यादातर सबब औरत और उससे कम माल होता है। जो क़ानून औरत और दौलत की हिफ़ाज़त सही अन्दाज़ में कर सके, उनको उनकी निर्धारित सीमाओं से बाहर न निकलने दे वही क़ानून दुनिया के अमन का ज़ामिन (गारंटी देने वाला) हो सकता है। यह जगह जिना की तमाम बुराईयाँ और ख़राबियाँ जमा करने और तफ़सील से बयान करने की नहीं, इन्सानी समाज के लिये उसकी तबाहकारी के मालूम होने के लिये इतना भी काफ़ी है, इसी लिये इस्लाम ने जिना की सज़ा को दूसरे सारे जुर्मों की सज़ाओं से ज़्यादा सख़्त करार दिया है। वह सज़ा उक्त आयत में इस तरह बयान की है:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

इसमें जिना करने वाली औरत का ज़िक्र पहले और जिना करने वाले मर्द का बाद में लाया गया है, सज़ा दोनों की एक ही है। अहक़ाम के बयान करने का आम अन्दाज़ यह है कि अक्सर तो सिर्फ़

मर्दों को मुख़ातब करके हुक्म दे दिया जाता है औरतें भी उसमें उनके तहत में शामिल होती हैं, उनका अलग से ज़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। सारे कुरआन में 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' के पुल्लिंग कलिमे से जो अहकाम बयान किये गये हैं औरतें भी उसमें बगैर ज़िक्र के शामिल करार दी गयी हैं। शायद हिक्मत इसकी यह है कि जिस तरह अल्लाह तआला ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है उनके ज़िक्र को भी मर्दों के ज़िक्र की तहत में छुपा करके बयान किया गया है। और चूँकि इस तरीके से यह गुमान था कि किसी को यह शुब्हा हो जाये कि ये सब अहकाम मर्दों ही के लिये हैं औरतें इनसे मुक्त और बरी हैं इसलिये खास-खास आयतों में मुस्तक़िल तौर पर औरतों का ज़िक्र भी कर दिया जाता है जैसे एक आयत में है:

أَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ.

और जहाँ मर्द व औरत दोनों ही का ज़िक्र करना होता है तो तबई तरतीब यह होती है कि मर्द का ज़िक्र पहले और औरत का बाद में होता है। चोरी की सज़ा में इसी आम परिचित उसूल के मुताबिक 'अस्तारिकु वस्तारि-कतु फ़क्तऊ ऐदियहुमा' फ़रमाया है, जिसमें चोरी करने वाले मर्द को पहले और औरत को बाद में ज़िक्र किया गया है, मगर जिना की सज़ा में अब्वल तो औरत के ज़िक्र के मर्दों के तहत में आ जाने पर बस नहीं किया गया बल्कि स्पष्ट तौर पर ज़िक्र मुनासिब समझा गया, दूसरे औरत का ज़िक्र मर्द से पहले बयान किया गया। इसमें बहुत सी हिक्मतें हैं अब्वल तो औरत पैदाईशी तौर पर कमज़ोर और तबई तौर पर क़ाबिले रहम समझी जाती है, अगर उसका स्पष्ट रूप से ज़िक्र न होता तो किसी को यह शुब्हा हो सकता था कि शायद औरत इस सज़ा से अलग और बाहर है। और औरत का ज़िक्र पहले इसलिये किया गया कि जिना का काम एक ऐसी बेहयाई है जिसका औरत की तरफ़ से होना बहुत ही बेबाकी और बेपरवाही से हो सकता है। क्योंकि क़ुदरत ने उसके मिज़ाज में फ़ितरी तौर पर एक हया और अपनी आबरू की हिफ़ाज़त का ताक़तवर ज़ब्बा रखा है और उसकी हिफ़ाज़त के लिये बड़े सामान जमा फ़रमाये हैं। उसकी तरफ़ से इस काम का ज़ाहिर होना मर्द की तुलना में ज़्यादा सख़्त है, बख़िलाफ़ चोर के कि मर्द को अल्लाह तआला ने कमाने की कुव्वत दी है, अपनी ज़रूरतें अपने अमल (काम व मेहनत) से हासिल करने के मौके उसके लिये उपलब्ध किये हैं, न यह कि उनको छोड़कर चोरी करने पर उतर आये, यह मर्द के लिये बड़ी शर्म और ऐब की बात है। औरत के चूँकि ये हालात नहीं हैं अगर उससे चोरी का काम हो जाये तो मर्द की तुलना में वह कम दर्जे का ऐब है।

فَاجْلِدُوا

लफ़ज़ 'जल्द' कोड़ा मारने के मायने में आता है। वह जिल्द से निकला है, क्योंकि कोड़ा उमूमन चमड़े से बनाया जाता है। कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि लफ़ज़ 'जल्द' से ताबीर करने में इस तरफ़ इशारा है कि यह कोड़ों या दुर्ों की चोट इस हद तक रहनी चाहिये कि उसका असर इनसान की खाल तक रहे, गोश्त तक न पहुँचे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोड़े लगाने की सज़ा में इसी दरमियानी दर्जे की हिदायत अमलन फ़रमाई है कि कोड़ा न बहुत सख़्त हो जिससे गोश्त तक उधड़ जाये और न बहुत नम हो कि उससे कोई खास तकलीफ़ ही न पहुँचे। इस

अक्सर हज़रते मुफ़स्सरीन ने हदीस की ये रिवायतें सनद और अलफ़ाज़ के साथ लिख दी हैं।

कोड़ों की उक्त सज़ा सिर्फ़ ग़ैर-शादीशुदा मर्द और औरत के लिये

खास है, शादीशुदा लोगों की सज़ा संगसारी है

यह बात याद रखने की है कि जिना की सज़ा के अहक़ाम दर्जा-ब-दर्जा आये हैं और आंसानी से सख़्ती की तरफ़ बढ़ते गये हैं, जैसे शराब की हुर्मत (हराम होने) में भी इसी तरह की चरणबद्धता खुद कुरआन में मज़कूर है जिसकी तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है। जिना की सज़ा का सबसे पहला हुक्म तो वह था जो सूर: निसा की आयत नम्बर 15 और 16 में मज़कूर है, वह यह है:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَمَا تَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۗ وَالَّذِي يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْرَاهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

“और जो कोई बदकारी करे तुम्हारी औरतों में से तो गवाह लाओ उन पर चार मर्द अपनों में से, फिर अगर वे गवाही दें तो बन्द रखो उन औरतों को घरों में यहाँ तक कि उठा ले उनको मौत या मुक़रर कर दे अल्लाह तआला उनके लिये कोई राह। और जो मर्द करें तुम में से वही बदकारी तो उनको तकलीफ़ दो, फिर अगर वे तौबा कर लें और अपना सुधार कर लें तो उनका ख़्याल छोड़ दो। बेशक अल्लाह तआला तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है।” (सूर: निसा आयत 15-16)

इन दोनों आयतों की मुकम्मल तफ़्सीर और ज़रूरी बयान सूर: निसा में आ चुका है। यहाँ इसलिये इसको दोहराया गया है कि जिना की सज़ा का शुरूआती दौर सामने आ जाये। इन आयतों में एक तो जिना के साबित होने का खास तरीक़ा चार मर्दों की गवाही के साथ होना बयान फ़रमाया है। दूसरे जिना की सज़ा औरत के लिये घर में कैद रखना और दोनों के लिये तकलीफ़ पहुँचाना मज़कूर है और साथ ही इसमें यह भी बयान कर दिया गया है कि जिना की सज़ा का यह हुक्म आख़िरी नहीं आईन्दा और कुछ हुक्म आने वाला है ‘औ यज़अलल्लाहु लहुन्-न सबीला’ का यही मतलब है।

ज़िक्र हुई सज़ा में औरतों को घर में कैद रखना उस वक़्त काफ़ी क़रार दिया गया और दोनों को तकलीफ़ देने की सज़ा काफ़ी क़रार दी गयी, मगर उस ईज़ा और तकलीफ़ की कोई खास सूरत खास मात्रा और सज़ा बयान नहीं फ़रमाई है बल्कि कुरआन के अलफ़ाज़ से मालूम होता है कि जिना की शुरूआती सज़ा सिर्फ़ ताज़ीरी थी जिसकी मात्रा शरीअत से मुतैयन नहीं हुई बल्कि काज़ी या अमीर की मर्ज़ी और उसके बेहतर समझने पर मौकूफ़ थी। इसलिये तकलीफ़ देने का अस्पष्ट लफ़ज़ इख़्तियार फ़रमाया गया। मगर साथ ही ‘औ यज़अलल्लाहु लहुन्-न सबीला’ फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि यह हो सकता है कि आगे चलकर इन मुजरिमों के लिये सज़ा का कोई और तरीक़ा जारी किया जाये। जब सूर: नूर की ये आयतें नाज़िल हुईं तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सूर: निसा में जो वायदा किया गया था ‘औ यज़अलल्लाहु लहुन्-न सबीला’ यानी यह कि “या अल्लाह तआला उनके लिये कोई और रास्ता बता दे” तो सूर: नूर की इस आयत ने वह रास्ता

और तरीका बतला दिया यानी सौ कोड़े मारने की सज़ा औरत मर्द दोनों के लिये मुतैयन फ़रमा दी। इसके साथ ही हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सौ कोड़े मारने की सज़ा को ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के लिये ख़ास करार देकर फ़रमाया:

عَنِ الرَّجْمِ لِلثَّيْبِ وَالْجِلْدُ لِلْبِكْرِ

“यानी वह तरीका, राह और ज़िना की सज़ा का निर्धारण यह है कि शादीशुदा मर्द व औरत से यह गुनाह हो जाये तो उनको संगसार (पत्थर मार-मार) करके ख़त्म किया जाये, और ग़ैर-शादीशुदा के सौ कोड़े मारना सज़ा है।” (बुख़ारी शरीफ़, किताबुल्लफ़सीर पेज नम्बर 657)

ज़ाहिर है कि सूर: नूर की उक्त आयत में तो बग़ैर किसी तफ़सील के ज़िना की सज़ा सौ कोड़े होना मज़कूर है। इस हुक्म का ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के साथ मख़सूस होना और शादीशुदा के लिये रजम यानी संगसारी की सज़ा होना उनको किसी दूसरी दलील यानी हदीस से मालूम हुआ होगा और वह हदीस सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, सुनन नसाई, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدًا مِائَةً وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدًا

مِائَةً وَالرَّجْمُ. (ابن كثير)

“मुझसे इल्म हासिल कर लो मुझसे इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह तआला ने ज़ानी मर्द व औरत के लिये वह रास्ता जिसका वायदा सूर: निसा की आयत में हुआ था अब सूर: नूर में बयान फ़रमा दिया है, वह यह है कि ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के लिये सौ कोड़े और साल भर जिला-वतनी और शादीशुदा मर्द व औरत के लिये सौ कोड़े और संगसारी।” (इब्ने कसीर)

ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत की सज़ा सौ कोड़े जो सूर: नूर की आयत में बयान हुई है, इस हदीस में उसके साथ एक और सज़ा का ज़िक्र है कि मर्द को साल भर के लिये जिला-वतन भी कर दिया जाये। इसमें फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) का मतभेद है कि यह साल भर की जिला-वतनी (दिस-निकाले) की सज़ा ज़ानी मर्द को सौ कोड़ों की तरह लाज़िमी है या काज़ी की मर्जी और बेहतर समझने पर मौकूफ़ है, कि वह ज़रूरत समझे तो साल भर के लिये जिला-वतन भी कर दे। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक यही आखिरी सूरत सही है, यानी हाकिम की राय पर मौकूफ़ है।

दूसरी बात इस हदीस में यह है कि शादीशुदा मर्द व औरत के लिये संगसारी (पत्थर मार-मारकर हलाक करने) से पहले सौ कोड़ों की सज़ा भी है मगर हदीस की दूसरी रिवायतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अक्सर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अमल व तरीके से साबित यह है कि ये दोनों सज़ायें जमा नहीं होंगी। शादीशुदा पर सिर्फ़ संगसारी की सज़ा जारी की जायेगी। इस हदीस में ख़ास तौर पर यह बात ग़ौर करने के काबिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसमें 'औ यज़अल्लाहु लहुन्-न सवीला' की तफ़सीर बयान फ़रमाई है। और तफ़सीर में जो बात सूर: नूर की आयत में मज़कूर है यानी सौ कोड़े लगाना, उस पर कुछ अतिरिक्त चीज़ों का इज़ाफ़ा भी है,

अब्वल सौ कोड़ों की सज़ा का गैर-शादीशुदा मर्द व औरत के लिये मख्सूस होना, दूसरे साल भर की जिला-वतनी का इज़ाफ़ा, तीसरे शादीशुदा मर्द व औरत के लिये रजम व संगसारी का हुक्म। ज़ाहिर है कि इसमें सूर: नूर की आयत पर जिन चीज़ों की ज्यादाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाई वो भी अल्लाह की वही और उसके हुक्म ही से थी क्योंकि नबी पाक जो कुछ फ़रमाते हैं वह अल्लाह तआला की तरफ़ से वही के ज़रिये बतलाया जाता है, और पैग़म्बर और उनसे डायरेक्ट सुनने वालों के हक़ में वह वही जो कुरआन की शक़्ल में तिलावत की जाती है और वह वही जिसकी तिलावत नहीं होती दोनों बराबर हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम के आम मजमे के सामने इस पर अमल फ़रमाया। हज़रत माइज़ और ग़ामदिया पर संगसारी की सज़ा जारी फ़रमाई जो हदीस की तमाम किताबों में सही सनदों के साथ मज़कूर है। और हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम में है कि एक गैर-शादीशुदा मर्द ने जो एक शादीशुदा औरत का मुलाज़िम था उसके साथ ज़िना किया। ज़ानी लड़के का बाप उसको लेकर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। वाकिआ उसके इफ़रार से साबित हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَا قَاضِيْنَ بَيْنَكُمْ بِيَكْتَابِ اللّٰهِ.

यानी मैं तुम दोनों के मामले का फैसला किताबुल्लाह के मुताबिक़ कर दूँगा।

फिर यह हुक्म सादिर फ़रमाया कि ज़ानी लड़का जो गैर-शादीशुदा था उसको सौ कोड़े लगाये जायें और औरत शादीशुदा थी उसको रजम व संगसार करने के लिये हज़रत उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म फ़रमाया। उन्होंने खुद औरत से बयान लिया उसने स्वीकार कर लिया तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म से संगसारी की सज़ा जारी हुई। (इब्ने कसीर)

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक को सौ कोड़े लगाने की दूसरे को संगसार करने की सज़ा दी, और दोनों सज़ाओं को किताबुल्लाह का फैसला फ़रमाया, हालाँकि सूर: नूर की आयत में सिर्फ़ कोड़ों की सज़ा का ज़िक़्र है, संगसारी की सज़ा मज़कूर नहीं। वज़ह वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो इस आयत की मुकम्मल तफ़सीर व वज़ाहत और तफ़सीली हुक्म वही के ज़रिये अल्लाह तआला ने बतला दिया था वह सारा किताबुल्लाह ही के हुक्म में है अगरचे उसमें से कुछ हिस्सा किताबुल्लाह में ज़िक़्र नहीं हुआ और न उसकी तिलावत की जाती है। सही बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह हदीस की किताबों में हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का खुतबा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है, सही मुस्लिम के अलफ़ाज़ ये हैं:

قال عمر بن خطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمد صلى الله

عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها وعيناها وعلقناها فرجم رسول

الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشي ان طال بالناس زمان ان يقول قائل مانجد الرجم في كتاب الله

تعالى فبضلوا بتركه فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء

اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. (مسلم ص ٦٥، ج ٢)

“हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया जबकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मिम्बर पर तशीफ़ रखते थे कि अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हक़ के साथ भेजा और आप पर किताब नाज़िल फ़रमाई तो जो कुछ किताबुल्लाह में आप पर नाज़िल हुआ उसमें रजम की आयत भी है जिसको हमने पढ़ा, याद किया और समझा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी रजम किया और हमने आपके बाद रजम किया। अब मुझे यह ख़तरा है कि ज़माना गुज़रने पर कोई यूँ न कहने लगे कि हम रजम (संगसारी) का हुक्म किताबुल्लाह में नहीं पाते तो वे एक दीनी फ़रीज़ा छोड़ देने से गुमराह हो जायें जो अल्लाह ने नाज़िल किया है। और समझ लो कि रजम का हुक्म किताबुल्लाह में हक़ है उस शख्स पर जो मर्दों और औरतों में से शादीशुदा हो जबकि उसके ज़िना करने पर शरई गवाही कायम हो जाये या गर्भ और खुद अपने कसूर को स्वीकार करना पाया जाये। (मुस्लिम पेज 65 जिल्द 2)

यह रिवायत सही बुख़ारी में भी ज़्यादा तफ़्सील के साथ मज़कूर है (बुख़ारी पेज 1009 जिल्द 2) और नसाई में इस रिवायत के कुछ अलफ़ाज़ ये हैं:

انا لانجد من الرجم بدأفانه حد من حدود الله ألا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولو ان يقول قائلون ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية لمصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده.

الحديث (ابن كثير)

“ज़िना की सज़ा में हम शरई हैसियत से रजम करने पर मजबूर हैं क्योंकि वह अल्लाह की हदों में से एक हद है, ख़ूब समझ लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद रजम किया और हमने आपके बाद भी रजम किया। और अगर यह ख़तरा न होता कि कहने वाले कहेंगे कि उमर ने अल्लाह की किताब में अपनी तरफ़ से कुछ बढ़ा दिया है तो मैं कुरआन के किसी गोशे में भी इसको लिख देता। और उमर बिन ख़त्ताब गवाह है अब्दुरहमान बिन औफ़ गवाह हैं और फ़ुलॉ-फ़ुलॉ सहाबा गवाह हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रजम किया और आपके बाद हमने रजम किया। (इब्ने कसीर)

हज़रत फ़ारुके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के इस ख़ुतबे से बज़ाहिर यह साबित होता है कि रजम (संगसारी) के हुक्म की कोई मुस्तक़िल आयत है जो सूर: नूर की उक्त आयत के अलावा है, मगर हज़रत फ़ारुके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस आयत के अलफ़ाज़ नहीं बतलाये कि क्या थे, और न यह फ़रमाया कि अगर वह सूर: नूर की इस आयत के अलावा कोई मुस्तक़िल आयत है तो कुरआन में क्यों नहीं, और क्यों उसकी तिलावत नहीं की जाती। सिर्फ़ इतना फ़रमाया कि अगर मुझे यह ख़तरा न होता कि लोग मुझ पर किताबुल्लाह में ज़्यादती (अपनी तरफ़ से बढ़ाने) का इल्ज़ाम लगायेंगे तो मैं उस आयत को कुरआन के हाशिये पर लिख देता। (जैसा कि इमाम नसाई ने रिवायत किया है)

इस रिवायत में यह बात ग़ौर करने के काबिल है कि अगर वह वाकई कुरआन की कोई आयत है और दूसरी आयतों की तरह उसकी तिलावत वाजिब है तो फ़ारुके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों

की बदगोई के खौफ़ से उसको कैसे छोड़ दिया जबकि अल्लाह के मामले में उनकी सख्ती परिचित व मशहूर है, और यह भी क़ाबिले गौर है कि खुद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह नहीं फ़रमाया कि मैं उस आयत को कुरआन में दाख़िल कर देता बल्कि इरशाद यह फ़रमाया कि मैं उसको कुरआन के हाशिये पर लिख देता।

ये सब बातें इसके करीने और इशारे हैं कि हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूर: नूर की उपर्युक्त आयत की जो तफ़सीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनी जिसमें आपने सौ कोड़े लगाने के हुक्म को ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के साथ मख़सूस फ़रमाया और शादीशुदा के लिये रजम का हुक्म दिया, इस मजमूई तफ़सीर को और फिर इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अमल को किताबुल्लाह और किताबुल्लाह की आयत के अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया, इस मायने में कि आपकी यह तफ़सीर व तफ़सील किताबुल्लाह के हुक्म से है, वह कोई मुस्तक़िल आयत नहीं। वरना हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई ताक़त इससे न रोक सकती कि कुरआन की जो आयत रह गयी है उसको उसकी जगह लिख दें। हाशिये पर लिखने का जो इरादा ज़ाहिर फ़रमाया वह भी इसकी दलील है कि दर हकीक़त वह कोई मुस्तक़िल आयत नहीं बल्कि सूर: नूर की आयत ही की व्याख्या में कुछ तफ़सीलात हैं। और कुछ रिवायतों में जो इस जगह एक मुस्तक़िल आयत के अलफ़ाज़ बयान हुए हैं वह सनदों और सुबूत के एतिबार से इस दर्जे में नहीं कि उसकी बिना पर कुरआन में उसका इज़ाफ़ा किया जा सके। फ़ुक़हा हज़रत ने जो उसके बारे में यह कहा है कि उसकी तिलावत तो मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) हो चुकी है मगर हुक्म बाक़ी है और उसको मिसाल में पेश किया है, वह मिसाल ही की हैसियत में है इससे वास्तव में उसका कुरआन की आयत होना साबित नहीं होता।

खुलासा-ए-कलाम यह है कि सूर: नूर की उपर्युक्त आयत में जो ज़ानिया और ज़ानी की सज़ा सौ कोड़े लगाना बयान हुआ है यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुकम्मल वज़ाहत व तफ़सीर की बिना पर ग़ैर-शादीशुदा लोगों के लिये मख़सूस है, और शादीशुदा की सज़ा रजम है। यह तफ़सीर अगरचे आयत के अलफ़ाज़ में मज़कूर नहीं मगर जिस पाक ज़ात पर यह आयत नाज़िल हुई खुद उनकी तरफ़ से इसकी स्पष्ट वज़ाहत के साथ यह तफ़सील बयान हुई है, और सिर्फ़ ज़बानी तालीम व इरशाद ही नहीं बल्कि अनेक बार इस तफ़सील पर अमल भी सहाबा-ए-किराम के मजमे के सामने साबित है, और यह सुबूत हम तक लगातार रिवायतों के ज़रिये पहुँचा हुआ है। इसलिये शादीशुदा मर्द व औरत पर रजम (संगसारी) की सज़ा का हुक्म दर हकीक़त किताबुल्लाह ही का हुक्म और उसी की तरह कतई और यकीनी है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि रजम की सज़ा किताबुल्लाह का हुक्म है और यह भी कहा जा सकता है कि रजम की सज़ा निरन्तर सुन्नत से यकीनी तौर पर साबित है जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से यही अलफ़ाज़ नक़ल किये गये हैं कि रजम (संगसार करने) का हुक्म सुन्नत से साबित है और हासिल दोनों का एक ही है।

एक ज़रूरी तंबीह

इस मक़ाम पर जहाँ-जहाँ शादीशुदा और ग़ैरशादीशुदा के अलफ़ाज़ अहक़र ने लिखे हैं उन

अलफ़ज़ को एक आसान ताबीर की हैसियत से लिखा गया है। असली अलफ़ज़ मोहसिन और ग़ैर-मोहसिन या सय्यिब और बिक्र के हदीस में आये हैं। और मोहसिन की शर्ई परिभाषा असल में यह है कि जिस शख्स ने सही निकाह के साथ अपनी बीवी से मुबाशरत (सोहबत व तन्हाई) कर ली हो और वह अक़िल भी हो। अहक़ाम में सब जगह यही मफ़हूम मुराद है, ताबीर की सहूलत के लिये शादीशुदा का लफ़ज़ लिखा जाता है।

ज़िना की सज़ा में सिलसिलेवार तीन दर्जे

ऊपर ज़िक्र हुई हदीस की रिवायतों और कुरआन की आयतों में ग़ौर करने से मालूम होता है कि शुरू में ज़िना की सज़ा हल्की रखी गयी कि काज़ी या अमीर अपनी मर्ज़ी से जो बेहतर और मुनासिब समझे इस जुर्म के अपराधी मर्द व औरत को सज़ा दें। और औरत को घर में बन्दी बनाकर रखा जाये, जैसा कि सूर: निसा में इसका हुक्म आया है। दूसरा दौर वह है जिसका हुक्म सूर: नूर की इस आयत में आया है कि दोनों को सौ-सौ कोड़े लगाये जायें। तीसरा दर्जा वह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उपर्युक्त आयत नाज़िल होने के बाद इरशाद फ़रमाया कि सौ कोड़ों की सज़ा पर उन लोगों के लिये बस किया जाये जो शादीशुदा न हों, और शादीशुदा मर्द व औरत इसके करने वाले हों तो उनकी सज़ा रजम व संगसारी (यानी पत्थर मार-मारकर उनको ख़त्म करना) है।

इस्लामी क़ानून में जिस जुर्म की सज़ा सख़्त है उसके सुबूत के लिये शर्तें भी सख़्त रखी गयी हैं

जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि ज़िना की सज़ा इस्लाम में सब जुर्मों की सज़ाओं से ज़्यादा सख़्त है। इसके साथ इस्लामी क़ानून में इसके सुबूत के लिये शर्तें भी बहुत सख़्त रखी गयी हैं जिनमें ज़रा भी कमी रहे या शुब्हा पैदा हो जाये तो ज़िना की आखिरी सज़ा जिसको हद कहा जाता है वह माफ़ हो जाती है, सिर्फ़ ताज़ीरी सज़ा जुर्म के मुताबिक़ बाकी रह जाती है। तमाम मामलात में दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की गवाही सुबूत के लिये काफ़ी हो जाती है मगर ज़िना की सज़ा जारी करने के लिये चार मर्द गवाहों की आँखों देखी गवाही जिसमें कोई संदेह व धोखा न हो ज़रूरी शर्त है जैसा कि सूर: निसा की आयत में गुज़र चुका है।

दूसरी एहतियात और सख़्ती इस गवाही में यह है कि अगर ज़िना की गवाही किसी शर्त के न पाये जाने की बिना पर रद्द की गयी तो फिर गवाही देने वालों की ख़ैर नहीं। उन पर क़ज़फ़ यानी ज़िना की झूठी तोहमत का जुर्म कायम होकर क़ज़फ़ की सज़ा अस्सी कोड़े लगाये जाने की सूरत में जारी की जाती है। इसलिये ज़रा सा शुब्हा होने की सूरत में कोई शख्स इसकी गवाही देने पर क़दम आगे नहीं बढ़ा सकता। अलबत्ता जिस सूरत में खुले तौर पर ज़िना का सुबूत न हो मगर गवाही से दो मर्द व औरत का ग़ैर-शर्ई हालत में देखना साबित हो जाये तो काज़ी उनके जुर्म की हैसियत के मुताबिक़ ताज़ीरी सज़ा कोड़े लगाने वग़ैरह की जारी कर सकता है। ज़िना की सज़ा और उसकी शर्तों वग़ैरह के विस्तृत अहक़ाम मसाईल की किताबों में बयान हुए हैं वहाँ देखे जा सकते हैं।

किसी मर्द या जानवर के साथ कुकर्म का मसला

यह मसला कि मर्द किसी मर्द के साथ या जानवर के साथ यह फ़ेल करे तो वह जिना में दाखिल है या नहीं और उसकी सज़ा भी जिना की सज़ा है या कुछ और, इसकी तफ़्सील सूर: निसा की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है कि अगरचे लुग़त और परिभाषा में यह फ़ेल जिना नहीं कहलाता और इसी लिये इस पर जिना की सज़ा का हुक्म नहीं होता मगर इसकी सज़ा भी अपनी सख़्ती में जिना की सज़ा से कम नहीं। सहाबा-ए-किराम ने ऐसे शख्स को जिन्दा जला देने की सज़ा दी है।

لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

जिना की सज़ा चूँकि बहुत सख़्त है और इसका संदेह व गुमान है कि सज़ा जारी करने वालों को उन पर रहम आ जाये, सज़ा को छोड़ बैठें या कम कर दें, इसलिये इसके साथ यह हुक्म भी दिया गया कि दीन के इस अहम फ़रीजे की अदायेगी में मुजरिमों पर रहम और तरस खाना जायज़ नहीं। नमी व मेहरबानी और माफ़ी व करम हर जगह पसन्दीदा है मगर मुजरिमों पर रहम खाने का नतीजा अल्लाह की सारी मख़्लूक के साथ बेरहमी है इसलिये मना और नाजायज़ है।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

यानी जिना की सज़ा जारी करने के वक़्त मुसलमानों की एक ज़माअत को हाज़िर रहना चाहिये। इस्लाम में सब सज़ाओं और खुसूसन हदों को सार्वजनिक तौर पर जारी कर देने का तरीका राइज है ताकि देखने वालों को इब्रत हो, मगर एक जमाअत को इसमें हाज़िर व मौजूद रहने का हुक्म यह भी जिना की सज़ा की विशेषता है।

इस्लाम में बुराईयों की पर्दापोशी

इस्लाम में शुरूआत में अपराधों और बुराईयों की पर्दापोशी का हुक्म है लेकिन जब मामला गवाही से साबित हो जाये तो फिर मुजरिमों की पूरी रुस्वाई भी हिक्मत ही करार दी गयी है।

बुराई और बेहवाई की रोकथाम के लिये इस्लामी शरीअत ने दूर-दूर तक पहरे बैठाये हैं, औरतों पर पर्दा लाज़िम कर दिया गया, मर्दों को नज़र नीची रखने का हुक्म दिया गया, ज़ेवर की आवाज़ या औरत के गाने की आवाज़ को वर्जित और मना करार दिया गया कि वह बेहवाई की तरफ़ उकसाने वाली हैं। इसके साथ ही जिस शख्स से इन मामलात में कोताही देखी जाये उसको तन्हाई में तो समझाने का हुक्म है मगर उसको रुस्वा करने की इजाज़त नहीं। लेकिन जो शख्स इन तमाम शरई एहतियातों को तोड़कर इस दर्जे में पहुँच गया कि उसका जुम शरई गवाही से साबित हो गया तो अब उसकी पर्दापोशी दूसरे लोगों की जुरत बढ़ाने का सबब हो सकती है इसलिये अब तक जितना एहतियाम पर्दापोशी का शरीअत ने किया था अब उतना ही एहतियाम उसकी फ़ज़ीहत और रुस्वाई का किया जाता है, इसी लिये जिना की सज़ा को सिर्फ़ सार्वजनिक रूप से जारी करने को काफ़ी नहीं समझा बल्कि मुसलमानों की एक जमाअत को उसमें हाज़िर और शरीक रहने का हुक्म दिया गया।

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ①

अज़्जानी ला यन्किहु इल्ला	बदकार मर्द नहीं निकाह करता मगर
ज़ानि-यतन् औ मुशिर-कतंव-व	बदकार औरत से या शिरक वाली से, और
वज़्जानि-यतु ला यन्किहुहा इल्ला	बदकार औरत से निकाह नहीं करता मगर
ज़ानिन् औ मुशिरकुन् व हुरि-म	बदकार मर्द या मुशिरक, और यह हराम
ज़ालि-क अलल्-मुअ्मिनीन (3)	हुआ है ईमान वालों पर। (3)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ज़िना ऐसी गन्दी चीज़ है कि इससे इनसान की तबीयत का मिज़ाज ही बिगड़ जाता है, उसकी दिलचस्पी बुरी ही चीज़ों की तरफ़ हो जाती है। ऐसे आदमी की तरफ़ रुचि व दिलचस्पी भी किसी ऐसे ही ख़बीस नफ़्स की हो सकती है जिसका अख़्लाकी मिज़ाज बिगड़ चुका हो। चुनौचे) ज़ानी (अपने ज़ानी और ज़िना की तरफ़ दिलचस्पी रखने वाला होने की हैसियत से) निकाह भी किसी के साथ नहीं करता सिवाय ज़ानिया या मुशिरका के, और (इसी तरह) ज़ानिया के साथ भी (उसके ज़ानिया और ज़िना की तरफ़ रुझान होने की हैसियत से) और कोई निकाह नहीं करता सिवाय ज़ानी या मुशिरक के, और यह (ऐसा निकाह जो ज़ानिया के ज़ानिया होने की हैसियत के साथ हो जिसका नतीजा आईन्दा भी उसका ज़िना में मुब्तला रहना है, या किसी मुशिरक औरत के साथ हो) मुसलमानों पर हराम (और गुनाह को वाजिब करने वाला) किया गया है (अगरचे निकाह के सही होने या न होने दोनों में फ़र्क हो, कि ज़ानिया से उसके ज़ानिया होने की हैसियत से कोई निकाह कर ही ले तो गुनाह होने के बावजूद निकाह आयोजित और सही हो जाएगा, और मुशिरक औरत से निकाह किया तो नाजायज़ और गुनाह होने के अलावा वह निकाह ही नहीं होगा बल्कि बातिल होगा)।

मअरिफ़ व मसाईल

ज़िना के बारे में दूसरा हुक्म

पहला हुक्म ज़िना की सज़ा का था जो इससे पहली आयत में बयान हो चुका, यह दूसरा हुक्म ज़ानी और ज़ानिया के साथ निकाह करने से मुताल्लिक है। इसी के साथ मुशिरक मर्द या मुशिरक औरत से निकाह का भी हुक्म ज़िक्र किया गया है। इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीर के उलेमा के अक़वाल बहुत भिन्न हैं, उन सब में आसान और ज़्यादा सही तफ़सीर वही मालूम होती है जिसको खुलासा-ए-तफ़सीर में ब्रेकिट की वज़ाहतों के ज़रिये बयान किया गया है। खुलासा इसका यह है कि

आयत का शुरू हिस्सा कोई शर्ह हुक्म नहीं बल्कि एक आम दिखाई देने वाली चीज़ और तजुर्बे का बयान है जिसमें जिना का बुरा काम होना और उसके असरात के दूरगामी नुकसानात का जिक्र है। आयत का मतलब यह है कि जिना एक अख्लाकी ज़हर है, इसके ज़हरीले असरात से इनसान का अख्लाकी मिज़ाज ही बिगड़ जाता है, उसे भले-बुरे की तमीज़ नहीं रहती बल्कि बुराई और गन्दगी ही उसकी पसन्दीदा चीज़ हो जाती है, हलाल हराम की बहस नहीं रहती। और जो औरत उसको पसन्द आती है उसका असली मक़सद उससे जिना करना और उसको जिनाकारी पर राज़ी करना होता है, अगर जिना के इरादे में नाकाम हो जाये तो मजबूरी से निकाह पर राज़ी होता है मगर निकाह को दिल से पसन्द नहीं करता, क्योंकि निकाह के जो मक़सिद हैं कि आदमी पाकदामन और आबरू वाला होकर रहे और नेक औलाद पैदा करे और उसके लिये बीवी के हुक्कू और खर्चे वगैरह का हमेशा के लिये पाबन्द हो जाये, यह ऐसे शख्स को बबाल मालूम होते हैं। और चूँकि ऐसे शख्स को दर असल निकाह से कोई गर्ज़ ही नहीं इसलिये उसकी दिलचस्पी सिर्फ़ मुसलमान औरतों ही की तरफ़ नहीं बल्कि मुशिरक औरतों की तरफ़ भी होती है, और मुशिरक औरत अगर अपने मज़हब की वजह से या किसी बिरादरी की रस्म की वजह से निकाह की शर्त लगा ले तो मजबूरन वह उससे निकाह पर भी तैयार हो जाता है। इसकी उसको कुछ बहस ही नहीं कि यह निकाह हलाल और सही होगा या शर्ह तौर पर बातिल ठहरेगा। इसलिये उस पर यह बात सही फिट आ गयी कि उसकी जिस औरत की तरफ़ असली दिलचस्पी होगी अगर वह मुसलमान है तो ज़ानिया की तरफ़ रुज़ान होगा चाहे पहले से जिना की आदी हो या उसी के साथ जिना करके ज़ानिया कहलाये, या फिर किसी मुशिरक औरत की तरफ़ रग़बत (दिलचस्पी) होगी जिसके साथ निकाह भी जिना ही के हुक्म में है, यह मायने हुए आयत के पहले जुमले यानी:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً.

के। इसी तरह जो औरत जिना की आदी हो और इससे तौबा नहीं करती तो सच्चे मोमिन मुसलमान जिनका असली उद्देश्य निकाह और निकाह के शर्ह फ़ायदे व मक़सिद हैं उनकी ऐसी औरत से उम्पीद नहीं की जा सकती। इसलिये उनको ऐसी औरत की तरफ़ असली रुचि नहीं हो सकती। खुसूसन जबकि यह भी मालूम हो कि यह औरत निकाह के बाद भी अपनी जिना की बुरी आदत न छोड़ेगी। हाँ ऐसी औरत की तरफ़ दिलचस्पी या तो ज़ानी को होगी जिसका असली मक़सद अपनी इच्छा पूरी करना है, निकाह मक़सद नहीं। इसमें अगर वह ज़ानिया किसी अपनी दुनियावी मस्लेहत से उसके साथ मिलने के लिये निकाह की शर्त लगा दे तो दिल के न चाहते हुए निकाह को भी ग़वारा कर लेता है, या फिर ऐसी औरत के निकाह पर वह शख्स राज़ी होता है जो मुशिरक हो। और चूँकि मुशिरक से निकाह भी शरअन जिना है इसलिये इसमें दो चीज़ें जमा हो गयीं कि मुशिरक भी है और ज़ानी भी। यह मायने हैं आयत के दूसरे जुमले यानी:

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.

के। ऊपर बयान हुई तफ़सीर से यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस आयत में ज़ानी और ज़ानिया से

मुराद वे हैं जो जिना से तौबा न करें और अपनी इस बुरी आदत पर कायम रहें। और अगर उनमें से कोई मर्द घरेलू जिन्दगी या औलाद की मस्लेहत से किसी पाकदामन शरीफ औरत से निकाह कर ले या ऐसी औरत किसी नेक मर्द से निकाह कर ले तो इस आयत से उस निकाह की नफी लाजिम नहीं आती, यह निकाह शरअन दुरुस्त हो जायेगा। उम्मत के फुकहा की अक्सरियत- इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई वगैरह का यही मज़हब है, और सहाबा-ए-किराम से ऐसे निकाह कराने के वाकिआत साबित हैं। तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही फतवा नक़ल किया है। अब रहा आयत का आखिरी जुमला यानी:

وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

इसमें कुछ हज़राते मुफ़स्सरीन ने तो ज़ालि-क का इशारा जिना की तरफ़ करार दिया है तो जुमले के मायने यह हो गये कि जब जिना ऐसा ख़बीस काम है तो जिना मोमिनों पर हराम कर दिया गया। इस तफ़सीर पर मायने में तो कोई इश्काल व शुब्हा नहीं रहता, लेकिन ज़ालि-क (वह) से जिना मुराद लेना आयत के मज़मून से किसी क़द्र दूर की बात ज़ख़र है। इसलिये दूसरे मुफ़स्सरीन ने ज़ालि-क का इशारा ज़ानी व ज़ानिया और मुशिक व मुशिका के निकाह की तरफ़ करार दिया है। इस सूत में मुशिक औरत से मुसलमान मर्द का निकाह और मुशिक मर्द से मुसलमान औरत का निकाह हराम होना तो दूसरी क़ुरआनी वज़ाहतों से भी साबित है और तमाम उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़का मसला है, और ज़ानी मर्द से पाकदामन औरत का निकाह या ज़ानिया औरत से पाकदामन मर्द का निकाह हराम होना जो इस जुमले से निकलेगा वह उस सूत के साथ मख़सूस है कि पाकदामन मर्द ज़ानिया औरत से निकाह करके उसको जिना से न रोके बल्कि निकाह के बाद भी उसकी जिनाकारी पर राज़ी रहे, क्योंकि उस सूत में यह दय्यूसियत (बुरे काम पर राज़ी रहना) होगी जो शरअन हराम है। इसी तरह कोई शरीफ़ पाकदामन औरत जिना के अ़दी शख़्स से निकाह करे और निकाह के बाद भी उसकी जिनाकारी पर राज़ी रहे वह भी हराम है। यानी उन लोगों का यह काम हराम और बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि उनका आपस में निकाह सही न हो बातिल हो जाये। लफ़ज़ हराम शरीअत की परिभाषा में दो मायने के लिये इस्तेमाल होता है- एक यह कि वह गुनाह है उसका करने वाला आखिरत में सज़ा व अज़ाब का मुस्तहिक़ है और दुनिया में भी यह अ़मल बिल्कुल बातिल न होने के बराबर है, इस पर कोई शर्ई फल दुनिया के अहकाम का भी मुरत्तब नहीं होगा। जैसे किसी मुशिक औरत से या जो औरतों हमेशा के लिये हराम हैं उनमें से किसी से निकाह कर लिया तो यह ज़बरदस्त गुनाह भी है और ऐसा निकाह शरअन कंडम है, जिना में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। दूसरे यह कि हराम काम है, यानी गुनाह और सज़ा का सबब है, मगर दुनिया में इस काम के कुछ फल हासिल रहते हैं, मामला सही हो जाता है। जैसे किसी औरत को धोखा देकर या अगवा करके ले आया, फिर शर्ई क़ायदे के मुताबिक़ दो गवाहों के सामने उसकी मर्ज़ी से निकाह कर लिया तो यह काम तो नाजायज़ व हराम था मगर निकाह सही हो गया, औलाद सही नसब वाली होगी।

इसी तरह ज़ानिया और ज़ानी का निकाह जबकि उनका असली मक़सद जिना ही हो, निकाह महज़ किसी दुनियावी मस्लेहत से करते हों और जिना से तौबा नहीं करते, ऐसा निकाह हराम है, मगर

दुनियावी अहकाम में बातिल और कंडम नहीं। निकाह के शरई परिणाम खर्चा, मेहर, बच्चे के नसब का सही व साबित होना और मीरास सब जारी होंगे। इस तरह लफज़ 'हर-म' इस आयत में मुशिक औरत के हक में पहले मायने के एतिबार से और ज़ानिया और ज़ानी के हक में दूसरे मायने के एतिबार से सही और दुरुस्त हो गया। इस तफ़सीर पर आयत को मन्सूख (निरस्त) कहने की ज़रूरत न रही जैसा कि कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

वल्लजी-न यर्मूनल्-मुह्सनाति सुम्-म
लम् यअतू बि-अर्ब-अति शु-हदा-अ
फज़िलदूहुम् समानी-न जल्दतंव-व ला
तक़बलू लहुम् शहा-दतन् अ-बदन् व
उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिकून (4)
इल्लल्लजी-न ताबू मिम्-बअ्दि
ज़ालि-क व अस्लहू फ़-इन्नल्ला-ह
गफ़ूररहीम (5)

और जो लोग ऐब लगाते हैं हिफ़ाज़त
वालियों को फिर न लाये चार मर्द गवाह
तो मारो उनको अस्सी दुरे और न मानो
उनकी कोई गवाही कभी, और वही लोग
हैं नाफ़रमान। (4) मगर जिन्होंने तौबा
कर ली उसके बाद और संवर गये तो
अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (5)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग (ज़िना की) तोहमत लगाएँ पाकदामन औरतों को (जिनका ज़ानिया होना किसी शरई दलील या अन्दाजे से साबित नहीं) और फिर (अपने दावे पर) चार गवाह न ला सकें तो ऐसे लोगों को अस्सी दुरे लगाओ, और उनकी कोई गवाही कभी कुबूल मत करो, (यह भी तोहमत लगाने की सज़ा ही का हिस्सा है कि वे हमेशा के लिये गवाही में रद्द किये जाने के काबिल हो गये। यह तो दुनिया की सज़ा का ज़िक्र था) और ये लोग (आखिरत में भी सज़ा के मुस्तहिक हैं, क्योंकि) फ़ासिक हैं। लेकिन जो लोग इस (तोहमत लगाने) के बाद (खुदा के सामने) तौबा कर लें (क्योंकि तोहमत लगाने में उन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी की और अल्लाह के हक़ को बरबाद किया) और (जिस पर तोहमत लगाई थी उससे माफ़ कराकर भी) अपनी (हालत की) इस्लाह कर लें (क्योंकि उसका हक़ बरबाद किया था) तो (इस हालत में) अल्लाह तआला ज़रूर मग़फ़िरत करने वाला, रहमत करने वाला है (यानी सच्ची तौबा करने से आखिरत का अज़ाब माफ़ हो जायेगा अगरचे गवाही का मक़बूल न होना जो दुनियावी सज़ा थी वह बाक़ी रहेगी, क्योंकि वह शरई सज़ा का हिस्सा है और जुर्म के साबित

होने के बाद तौबा करने से शर्ई हद और सज़ा खत्म नहीं होती)।

मआरिफ़ व मसाईल

ज़िना के मुताल्लिक़ तीसरा हुक्म झूठी तोहमत का जुर्म होना और उसकी शर्ई सज़ा

जैसा कि पहले बयान किया गया है कि ज़िना चूँकि सारे अपराधों से ज़्यादा समाज में बिगाड़ और फ़साद का ज़रिया है, इसलिये इसकी सज़ा इस्लामी शरीअत ने दूसरे सब अपराधों से ज़्यादा सख़्त रखी है। इसलिये अदल व इन्साफ़ का तकाज़ा था कि इस मामले के सुबूत को बड़ी अहमियत दी जाये, बग़ैर शर्ई सुबूत के कोई किसी मर्द या औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम या तोहमत लगाने की जुरत न करे, इसलिये इस्लामी शरीअत ने बग़ैर शर्ई सुबूत के जिसका कोटा चार मर्द गवाह आदिल होना है अगर कोई किसी पर खुली तोहमत ज़िना की लगाये तो उस तोहमत लगाने को भी सख़्त जुर्म करार दिया और उस जुर्म पर भी शर्ई सज़ा अस्सी कोड़े मुकर्र की जिसका लाज़िमी असर यह होगा कि किसी शख्स पर ज़िना का इल्ज़ाम कोई शख्स उसी वक़्त लगाने की जुरत करेगा जबकि उसने इस ख़बीस काम को खुद अपनी आँख से देखा भी हो और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि उसको यह यकीन हो कि मेरे साथ और तीन मर्दों ने देखा है, और वे गवाही देंगे। क्योंकि अगर दूसरे गवाह हैं ही नहीं या चार से कम हैं या उनके गवाही देने में शुब्हा है तो अकेला यह शख्स गवाही देकर ज़िना की तोहमत की सज़ा का मुस्तहिक़ बनना किसी हाल गवारा न करेगा।

एक शुब्हा और उसका जवाब

रहा यह मामला कि जब ज़िना की गवाही के लिये ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी गयीं तो मुजरिमों को खुली छूट मिल गयी, न किसी को गवाही की जुरत होगी न कभी शर्ई सुबूत हासिल होगा, न ऐसे मुजरिम कभी सज़ा पा सकेंगे। मगर यह ख़्याल इसलिये ग़लत है कि ज़िना की शर्ई सज़ा यानी सौ कोड़े या रजम व संगसारी की सज़ा देने के लिये तो ये शर्तें हैं लेकिन दो ग़ैर-मेहरम मर्द व औरत को एक जगह काबिले एतिराज़ हालत में या बेहयाई की बातें करते हुए देखकर उसकी गवाही देने पर कोई पाबन्दी नहीं, और ऐसी तमाम बातें और काम जो ज़िना की तरफ़ लेजाने वाले होते हैं वो भी शरअन काबिले सज़ा जुर्म हैं, लेकिन शर्ई हद की सज़ा नहीं बल्कि ताज़ीरी सज़ा काज़ी या हाकिम की मर्जी और बेहतर समझने के मुताबिक़ कोड़े लगाने की दी जाती है। इसलिये जिस शख्स ने दो मर्द व औरत को ज़िना में मुब्तला देखा मगर दूसरे गवाह नहीं हैं तो स्पष्ट ज़िना के अलफ़ाज़ से तो गवाही न दे मगर बेपर्दा मेलजोल की गवाही दे सकता है और हाकिम व काज़ी जुर्म के साबित होने के बाद उस पर ताज़ीरी सज़ा जारी कर सकता है।

मुह्सनात कौन हैं?

यह लफ़ज़ 'एहसान' से निकला है, शरीअत की परिभाषा में एहसान की दो किस्में हैं- एक वह

जिसका ज़िना की हद में एतिबार किया गया है। वह यह कि जिस पर ज़िना का सुबूत हो जाये वह अक़िल बालिग़ आज़ाद मुसलमान हो और किसी औरत के साथ सही निकाह कर चुका हो और उससे मुबाशरत (तन्हाई व सोहबत) भी हो चुकी हो तो उस पर रजम और संगसारी की सज़ा जारी होगी। दूसरी किस्म वह है जिसका एतिबार ज़िना की तोहमत की सज़ा में किया गया है, वह यह है कि जिस शख्स पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया है वह अक़िल बालिग़ आज़ाद मुसलमान हो और पाकदामन हो यानी पहले कभी उस पर ज़िना का सुबूत न हुआ हो। इस आयत में मुहसनात के यही मायने हैं।

(तफ़सीरे जस्सास)

मसला: कुरआन की आयत में आम परिचित आदत के मुताबिक़ या उस वाक़िए की वजह से जो इस आयत के उतरने का सबब और मौक़ा है, ज़िना की तोहमत और उसकी सज़ा का ज़िक्र इस तरह किया गया है कि तोहमत लगाने वाले मर्द हों और जिस पर तोहमत लगाई गयी वह पाकदामन औरत हो, मगर शरई हुक्म इल्लत और सबब के एक होने की वजह से आम है, कोई औरत दूसरी औरत पर या किसी मर्द पर या मर्द किसी दूसरे मर्द पर ज़िना की तोहमत लगाये और शरई सुबूत मौजूद न हो तो ये सब भी उसी शरई सज़ा के हक़दार होंगे। (तफ़सीरे जस्सास व हिदाया)

मसला: यह शरई सज़ा जो ज़िना की तोहमत पर ज़िक्र की गयी है सिर्फ़ उसी तोहमत के साथ मख्सूस है किसी दूसरे जुर्म की तोहमत किसी शख्स पर लगाई जाये तो यह शरई सज़ा उस पर जारी नहीं होगी। हाँ ताज़ीरी सज़ा हाकिम जो बेहतर व मुनासिब समझे हर जुर्म की तोहमत पर दी जा सकती है। कुरआन के अलफ़ाज़ में अगरचे स्पष्ट रूप से इस हद का ज़िना की तोहमत के साथ मख्सूस होना ज़िक्र नहीं मगर चार गवाहों की गवाही का ज़िक्र इस खुसूसियत की दलील है, क्योंकि चार गवाह की शर्त सिर्फ़ ज़िना के सुबूत ही के लिये ख़ास है। (जस्सास व हिदाया)

मसला: तोहमत लगाने की सज़ा में चूँकि बन्दे का हक़ यानी जिस पर तोहमत लगाई गयी है उसका हक़ भी शामिल है इसलिये यह हद जभी जारी की जायेगी जबकि जिस पर तोहमत लगाई गयी वह हद (सज़ा) जारी करने का मुतालबा भी करे, वरना सज़ा ख़त्म हो जायेगी। (हिदाया) बख़िलाफ़ ज़िना की सज़ा के कि वह ख़ालिस अल्लाह का हक़ है इसलिये कोई मुतालबा करे या न करे ज़िना की हद (सज़ा) जुर्म साबित होने पर जारी की जायेगी।

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا.

यानी जिस शख्स पर ज़िना की झूठी तोहमत लगाने का जुर्म साबित हो जाये और मक़ज़ूफ़ (यानी जिस पर तोहमत लगाई है) के मुतालबे से उस पर तोहमत की सज़ा जारी हो जाये तो उसकी एक सज़ा तो फ़ोरी हो गयी कि अस्सी कोड़े लगाये गये, दूसरी सज़ा हमेशा के लिये जारी रहेगी, वह यह है कि उसकी गवाही किसी मामले में कुबूल न की जायेगी जब तक यह शख्स अल्लाह तआला के सामने शर्मिन्दगी के साथ तौबा न करे और जिस पर तोहमत लगाई है उस शख्स से माफ़ी हासिल करके तौबा को पूरा न करे उस वक़्त तक तौबा तमाम उम्मत की सर्वसम्पत्ति से उसकी गवाही किसी भी मामले में मक़बूल न होगी। और अगर तौबा कर ले तब भी हनफ़ी हज़रत के नज़दीक उसकी गवाही कुबूल नहीं होती, हाँ गुनाह माफ़ हो जाता है जैसा कि खुलासा-ए-तफ़सीर में गुज़रा।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

यानी वे लोग जिन पर जिना की तोहमत की शरई सज़ा जारी की गयी है अगर वे तौबा कर लें और अपनी हालत दुरुस्त कर लें कि आगे से इस तरह का कदम उठाने का उससे खतरा न रहे और जिस पर तोहमत लगाई थी उससे भी माफ़ करा लें तो अल्लाह तआला मग़फ़िरत करने वाला और रहमत करने वाला है।

इस आयत में 'इल्लल्लजी-न ताबू' में जिनको गवाही कुबूल न किये जाने से अलग किया है, यह अलग करना इमामे आजम अबू हनीफ़ा और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक 'गवाही' के हुक्म से अलग करना नहीं बल्कि 'उलाइ-क हुमुल-फ़ासिकून' से अलग करना है। मतलब इस अलग करने का यह है कि जिस पर जिना की तोहमत लगाने की सज़ा जारी हुई है वह फ़ासिक है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी हालत की सुधार भी जिस पर तोहमत लगाई है उससे माफ़ी लेकर करे तो फिर वह फ़ासिक नहीं रहेगा और आख़िरत की सज़ा उससे माफ़ हो जायेगी। इसका नतीजा यह है कि दुनिया में जो उस पर दो सज़ाओं का ज़िक्र इस आयत के शुरू में है यानी अस्सी कोड़े लगाना और गवाही कुबूल न करना ये सज़ायें तौबा के बावजूद अपनी जगह रहेंगी क्योंकि इनमें एक बड़ी सज़ा कोड़े लगाने की वह तो जारी हो ही चुकी है दूसरी सज़ा भी चूँकि उसी शरई सज़ा का अंग और हिस्सा है और यह सब के नज़दीक मुसल्लम है कि तौबा से शरई सज़ा माफ़ नहीं होती अगरचे आख़िरत का अज़ाब माफ़ होकर टल जाता है। तो जब गवाही के काबिल न होना भी शरीअत की सज़ा का अंग और हिस्सा है तो वह तौबा से माफ़ न होगा। इमाम शाफ़ई रह. और कुछ दूसरे इमामों ने इस अलग किये जाने वाले हिस्से को पहली की आयत के तमाम जुमलों की तरफ़ लौटाया है जिसका मतलब यह होगा कि तौबा कर लेने से जैसे वह फ़ासिक नहीं रहा इसलिये गवाही के मामले में भी नाकाबिले एतिबार न रहेगा। तफ़सीरे जस्सास और तफ़सीरे मज़हरी में दोनों तरफ़ की दलीलों और उनके जवाबों की तफ़सील बयान हुई है, उलेमा हज़रात वहाँ देख सकते हैं। वल्लाहु आलम

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِينَ ۝ وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَةً شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ وَالخَامِسَةُ اَنْ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝ وَلَوْ اَفْضَلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَ

رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

वल्लजी-न यरूमू-न अज़वाजहुम् व
लम् यकुल्लहुम् शु-हदा-उ इल्ला
अन्फ़ुसुहुम् फ़-शहा-दतु अ-हदिहिम्

और जो लोग ऐब लगायें अपनी बीवियों
को और गवाह न हों उनके पास सिवाय
उनकी जान के तो ऐसे शख्स की गवाही

अर्बअु शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू
 मिनस्-सादिकीन (6) वल्लामि-सतु
 अन्-न लअूनतल्लाहि अलैहि इन्
 का-न मिनल्-काज़िबीन (7) व यदूरउ
 अन्हल्-अज़ा-ब अन् तशह-द अर्ब-अ
 शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनल्-
 काज़िबीन (8) वल्लामि-स-त अन्-न
 ग-ज़ बल्लाहि अलैहा इन् का-न
 मिनस्-सादिकीन (9) व लौ ला
 फज़्लुल्लाहि अलैकुम् व रस्मतुहू व
 अन्नल्ला-ह तव्वाबुन् हकीम (10) ❀

की यह सूरत है कि चार बार गवाही दे
 अल्लाह की कसम खाकर, कि बेशक वह
 शख्स सच्चा है। (6) और पाँचवीं बार
 यह कि अल्लाह की फटकार हो उस शख्स
 पर अगर हो वह झूठा। (7) और औरत
 से टल जायेगी मार यूँ कि वह गवाही दे
 चार गवाही अल्लाह की कसम खाकर कि
 बेशक वह शख्स झूठा है (8) और पाँचवीं
 यह कि अल्लाह का गज़ब आये उस औरत
 पर अगर वह शख्स सच्चा है। (9) और
 अगर न होता अल्लाह का फज़ल तुम्हारे
 ऊपर और उसकी रहमत और यह कि
 अल्लाह माफ़ करने वाला है हिक्मतें जानने
 वाला तो क्या कुछ न होता। (10) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग अपनी बीवियों को (ज़िना की) तोहमत लगाएँ और उनके पास सिवाय अपने (ही दावे के) और कोई गवाह न हों (जिनको संख्या में चार होने चाहिएँ) तो उनकी गवाही (जो कि औरतों को घर में बन्दी बनाने या तोहमत की सज़ा को रोकने और खत्म करने हो) यही है कि चार बार अल्लाह की कसम खाकर यह कह दे कि बेशक मैं सच्चा हूँ और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझ पर खुदा की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। और (उसके बाद) उस औरत से (कैद रखने या ज़िना की) सज़ा इस तरह टल सकती है कि वह चार बार कसम खाकर कहे कि बेशक यह मर्द झूठा है और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझ पर खुदा का गज़ब हो अगर यह सच्चा हो (इस तरीके से दोनों मियाँ-बीवी दुनिया की सज़ा से बच सकते हैं अलबत्ता वह औरत उस मर्द पर हराम हो जायेगी)। और अगर यह बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फज़ल और उसका करम है (कि ऐसे-ऐसे अहकाम मुकर्रर किये जिसमें इन्सान के फितरी जज़्बात की पूरी रियायत है) और यह कि अल्लाह तआला तौबा कुबूल करने वाला हिक्मत वाला है तो तुम बड़ी दिक्कतों और परेशानियों में पड़ जाते (जिनका बयान आगे आता है)।

मअरिफ़ व मसाईल

ज़िना से संबन्धित चीज़ों में चौथा हुक्म लिआन का है

लिआन और मुलाअनत के मायने एक दूसरे पर तानत और अल्लाह के ग़ज़ब की बददुआ करने के हैं। शरीअत की परिभाषा में मियाँ और बीवी दोनों को चन्द खास क़समें देने को लिआन कहा जाता है। जिसकी सूत यह है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाये या अपने बच्चे को कहे कि यह मेरे नुस्फ़े से नहीं है और वह औरत जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको झूठा बतला दे और इसका मुतालबा करे कि मुझ पर झूठी तोहमत लगाई है इसलिये शौहर पर ज़िना की तोहमत की सज़ा अस्सी कोड़े जारी की जाये, तो उस वक़्त शौहर से मुतालबा किया जायेगा कि ज़िना के इल्ज़ाम पर चार गवाह पेश करे। अगर उसने गवाह पेश कर दिये तो औरत पर ज़िना की सज़ा लगाई जायेगी। और अगर वह चार गवाह न ला सका तो उन दोनों में लिआन कराया जायेगा। यानी पहले मर्द से कहा जायेगा कि वह चार मर्तबा उन अलफ़ाज़ से जो कुरआन में ज़िक्र हुए हैं यह गवाही दे कि मैं इस इल्ज़ाम में सच्चा हूँ और पाँचवीं मर्तबा यह कहे कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह की तानत हो।

अगर शौहर इन अलफ़ाज़ के कहने से रुके तो उसको क़ैद कर दिया जायेगा कि या तो अपने झूठे होने का इक़रार करो या उक्त अलफ़ाज़ के साथ पाँच मर्तबा ये क़समें खाओ, और जब तक वह इन दोनों में से कोई काम न करे उसको क़ैद रखा जायेगा। अगर उसने अपने झूठे होने का इक़रार कर लिया तो उस पर ज़िना की तोहमत की शर्ई सज़ा जारी होगी, और अगर उक्त अलफ़ाज़ के साथ पाँच मर्तबा क़समें खा लीं तो फिर उसके बाद औरत से उन अलफ़ाज़ में पाँच क़समें ली जायेंगी जो कुरआन में औरत के लिये बयान हुए हैं। अगर वह क़सम खाने से इनकार करे तो उसको उस वक़्त तक क़ैद रखा जायेगा जब तक कि वह या तो शौहर की तस्दीक़ करे और अपने ज़िना के जुर्म का इक़रार करे, अगर उसने ऐसा किया तो उस पर ज़िना की शर्ई सज़ा जारी कर दी जाये, और या फिर उक्त अलफ़ाज़ के साथ पाँच क़समें खाये। अगर वह कुरआन में बयान हुए अलफ़ाज़ से क़समें खाने पर राज़ी हो जाये और क़समें खा ले तो अब लिआन पूरा हो गया। जिसके नतीजे में दुनिया की सज़ा से दोनों बच गये, आख़िरत का मामला अल्लाह तआला को मालूम ही है कि उनमें से कौन झूठा है, झूठे को आख़िरत में सज़ा मिलेगी। लेकिन दुनिया में भी जब दो मियाँ बीवी में लिआन का मामला हो गया तो ये एक दूसरे पर हमेशा के लिये हाराम हो जाते हैं, शौहर को चाहिये कि उसको तलाक़ देकर आज़ाद कर दे। अगर वह तलाक़ न दे तो हाकिम उन दोनों में जुदाई कर सकता है जो तलाक़ के हुक्म में होगी। बहरहाल अब इन दोनों का आपस में दोबारा निकाह भी कभी नहीं हो सकता। लिआन के मामले को यह तफ़्सील मसाईल की किताबों में मज़कूर है।

लिआन का क़ानून इस्लामी शरीअत में शौहर के ज़ब्बात व नफ़्तियात की रियायत की बिना पर नाफ़िज़ हुआ है। क्योंकि किसी शख्स पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने का क़ानून जो पहली आयतों में

गुज़र चुका है उसके एतिबार से यह ज़रूरी है कि जिना का इल्ज़ाम लगाने वाला चार मौके के गवाह पेश करे, और जो यह न कर सके तो उल्टी उसी पर जिना की तोहमत की सज़ा जारी की जायेगी। आम आदमी के लिये तो यह मुम्किन है कि जब चार गवाह मयस्सर न हों तो वह जिना का इल्ज़ाम लगाने से खामोश रहे ताकि जिना की तोहमत की सज़ा से महफूज़ रह सके लेकिन शौहर के लिये यह मामला बहुत संगीन है। जब उसने अपनी आँख से देख लिया और गवाह मौजूद नहीं अगर वह बोले तो जिना की तोहमत की सज़ा पाये और न बोले तो सारी उम्र खून के घूँट पीता रहे और उसकी ज़िन्दगी वबाल हो जाये। इसलिये शौहर के मामले को आम क़ानून से अलग करके उसका मुस्तक़िल क़ानून बना दिया गया। इससे यह भी मालूम हो गया कि लिआन सिर्फ़ मियाँ बीवी के मामले में हो सकता है दूसरों का हुक्म वही है जो पहली आयतों में गुज़र चुका है। हदीस की किताबों में इस जगह दो वाकिए जिक्र किये गये हैं उनमें से लिआन की आयतों का शाने नुज़ूल कौनसा वाक़िआ है इसमें तफ़्सीर के इमामों के अक़वाल अलग-अलग हैं। इमाम कुर्तुबी ने आयतों का नुज़ूल दो बार मानकर दोनों को शाने नुज़ूल करार दिया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर शारेह बुख़ारी और इमाम नववी शारेह मुस्लिम ने दोनों में मुवाफ़क़त देकर एक ही नुज़ूल में दोनों को लिआन की आयतों का शाने नुज़ूल करार दिया है। उन्होंने जो वजह और वज़ाहत बयान की वह ज़्यादा साफ़ है जो आगे आ जायेगी।

एक वाक़िआ हज़रत हिलाल बिन उमैया और उनकी बीवी का है जो सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है, और उस वाक़िआ का शुरूआती हिस्सा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ही की रिवायत से मुस्नद अहमद में इस तरह आया है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब कुरआने करीम में जिना की तोहमत की सज़ा के अहक़ाम की आयतें नाज़िल हुई यानी:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 4 और 5) जिसमें किसी औरत पर जिना का इल्ज़ाम लगाने वाले मर्द पर लाज़िम किया गया है कि या तो उस इल्ज़ाम पर चार गवाह पेश करे जिनमें एक यह खुद होगा और जो ऐसा न कर सके तो उसको झूठा करार देकर उस पर अस्सी कोड़ों की सज़ा और हमेशा के लिये गवाही से मर्दूद होने की सज़ा जारी की जायेगी। ये आयतें सुनकर मदीना के अन्सार के सरदार हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! क्या ये आयतें इसी तरह नाज़िल हुई हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (को सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से ऐसी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ) आपने हज़राते अन्सार को ख़िताब करके फ़रमाया कि आप सुन रहे हैं कि आपके सरदार क्या बात कह रहे हैं। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! आप इनको मलामत न फ़रमायें। इनके इस कलाम की वजह इनकी ग़ैरत की इन्तिहा है। फिर सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मेरे बाप और माँ आप पर कुरबान, मैं पूरी तरह जानता हूँ ये आयतें हक़ हैं और अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल हुई हैं लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि अगर मैं बेहया बीवी को इस हाल में देखूँ कि ग़ैर-मर्द उस पर चढ़ा हुआ है तो क्या मेरे लिये यह जायज़ नहीं होगा कि मैं

उसको वहाँ डाँटूँ और वहाँ से हटा दूँ, बल्कि मेरे लिये यह ज़रूरी होगा कि मैं चार आदमियों को लाकर यह हालत दिखलाऊँ और उस पर गवाह बनाऊँ, और जब तक मैं गवाहों को जमा करूँ वह अपना काम करके भाग जाये (हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के अलफ़ाज़ इस जगह अलग-अलग मन्कूल हैं खुलासा सब का एक ही है। क़ुर्तबी)।

ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा की आयतें नाज़िल होने और सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कलाम पर थोड़ा ही वक़्त गुज़रा था कि हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु को यह वाकिआ पेश आया कि वह इशा के वक़्त अपनी ज़मीन से वापस हुए तो अपनी बीवी के साथ एक मर्द को खुद अपनी आँख से देखा और उनकी बातें अपने कानों से सुनीं, मगर कोई क़दम नहीं उठाया यहाँ तक कि सुबह हो गयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह वाकिआ अर्ज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह वाकिआ सुनकर दिल बुरा हुआ और बड़ा भारी महसूस किया। उधर हज़राते अन्सार जमा हो गये और आपस में तज़क़िरा करने लगे कि जो बात हमारे सरदार सअद बिन उबादा ने कही थी हम उसी में मुब्तला हो गये अब शरई क़ानून के मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिलाल बिन उमैया को अस्ती कोड़े ज़िना की तोहमत की सज़ा के लगायेंगे और लोगों में उनको हमेशा के लिये गवाही के लिये ना-अहल (अयोग्य) क़रार दे देंगे। मगर हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खुदा की क़सम मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह तआला मुझे इस मुसीबत से निकालेंगे। और सही बुख़ारी की रिवायत में यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिलाल का मामला सुनकर क़ुरआनी हुक्म के मुताबिक़ हज़रत हिलाल से फ़रमा भी दिया कि या तो अपने इस दावे पर चार गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर ज़िना की तोहमत की सज़ा जारी होगी। हिलाल इब्ने उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही से अर्ज़ किया कि क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है मैं अपने कलाम में सच्चा हूँ और यकीनन ही अल्लाह तआला कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फ़रमायेंगे जो मेरी पीठ को तोहमत की सज़ा से बरी कर देगा। यह गुफ़्तगू जारी ही थी कि जिब्रीले अमीन ये आयतें जिनमें लिआन का क़ानून है लेकर नाज़िल हुए यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 6 से 10 तक।

अबू यज़ला ने यही रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल की है। उसमें यह भी है कि जब लिआन की आयतें नाज़िल हुईं तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिलाल इब्ने उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु को खुशख़बरी दी कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी मुश्किल का हल नाज़िल फ़रमा दिया। हज़रत हिलाल ने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह तआला से इसी की उम्मीद लगाये हुए था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी को भी बुलवा लिया और जब दोनों मियाँ-बीवी जमा हो गये तो बीवी से मामले के मुताबिक़ पूछा गया। उसने कहा कि मेरा शौहर हिलाल बिन उमैया मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला जानता है कि तुम में से कोई एक झूठा है। क्या तुम में कोई है जो (अल्लाह के अज़ाब से डरकर) तौबा करे और सच्ची बात जाहिर कर दे। इस पर

हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया "भरे माँ-बाप आप पर कुरबान हों मैंने बिल्कुल सच बात कही है, और जो कुछ कहा है हक़ कहा है।" तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि नाज़िल हुई कुरआनी आयतों के मुताबिक़ दोनों मियाँ-बीवी से लिआन कराया जाये। पहले हज़रत हिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि तुम चार मर्तबा इन अलफ़ाज़ से गवाही दो जो कुरआन में ज़िक्र हुए हैं। यानी मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझकर कहता हूँ कि मैं अपने इल्ज़ाम में सच्चा हूँ। हज़रत हिलाल ने इसके मुताबिक़ चार मर्तबा इसकी गवाही दी। जब पाँचवीं गवाही का नम्बर आया जिसके कुरआनी अलफ़ाज़ ये हैं कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। उस वक़्त हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताकीद के तौर पर हिलाल बिन उमैया से फ़रमाया कि देखो हिलाल खुदा से डरो क्योंकि दुनिया की सज़ा आख़िरत के अज़ाब से हल्की है और अल्लाह का अज़ाब लोगों की दी हुई सज़ा से कहीं ज़्यादा सख़्त है, और यह पाँचवीं गवाही आख़िरी गवाही है, इसी पर फैसला होना है। मगर हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मैं क़सम खाकर कह सकता हूँ कि अल्लाह तआला मुझे दुनिया में ज़िना की तोहमत की सज़ा नहीं देंगे, और फिर ये पाँचवीं गवाही के अलफ़ाज़ अदा कर दिये।

उसके बाद आपने हज़रत हिलाल की बीवी से इसी तरह की चार गवाहियाँ या चार क़समें लीं उसने भी हर दफ़ा में कुरआनी अलफ़ाज़ के मुताबिक़ ये गवाही दी कि मेरा शौहर झूठा है। जब पाँचवीं गवाही और क़सम का नम्बर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया ज़रा ठहरो, फिर उस औरत से फ़रमाया कि खुदा से डरो कि यह पाँचवीं गवाही और क़सम आख़िरी बात है और खुदा का अज़ाब लोगों के अज़ाब यानी ज़िना की शरई सज़ा से कहीं ज़्यादा सख़्त है। यह सुनकर वह क़सम खाने से झिझकने लगी, कुछ देर इस कैफ़ियत में रही मगर फिर आख़िर में कह कि अल्लाह की क़सम मैं अपनी कौम को रुस्वा नहीं करूँगी, और पाँचवीं क़सम भी इन लफ़्ज़ों के साथ अदा कर दी कि अगर मेरा शौहर सच्चा है तो मुझ पर खुदा का ग़ज़ब हो। यह लिआन की कार्रवाई मुकम्मल हो गयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन दोनों मियाँ-बीवी में जुदाई कर दी यानी उनका निकाह तोड़ दिया और यह फैसला फ़रमाया कि इस हमल से जो बच्चा पैदा हो वह इस औरत का बच्चा कहलायेगा, बाप की तरफ़ मन्सूब नहीं किया जायेगा, मगर बच्चे को किसी तरह का ताना नहीं दिया जायेगा। (तफ़्सीरे मजहरी, मुस्नद अहमद के हवाले से इब्ने अब्बास रज़ि. की रिवायत से)

दूसरा वाकिआ भी बुख़ारी व मुस्लिम में मज़कूर है और वाकिए की तफ़्सील इमाम बग़वी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह नक़ल फ़रमाई है कि ज़िना की तोहमत लगाने वाले पर तोहमत की सज़ा जारी करने के अहक़ाम जिन आयतों में नाज़िल हुए यानी:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ..... الخ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 4 और 5) तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर खड़े होकर ये आयतें लोगों को सुनायीं। मजमे में आसिम बिन अदी अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे, यह खड़े हो गये और अर्ज किया या रसूलुल्लाह! मेरी जान आप पर कुरबान हो, अगर हम में से कोई शख्स अपनी औरत को किसी मर्द के साथ मुब्तला देखे तो अगर वह अपने देखे हुए

वाकिए को बयान करे तो उसको सौ कोड़े लगाये जायेंगे और हमेशा के लिये उसकी गवाही नाकाबिले कुबूल कर दी जायेगी, और मुसलमान उसको फासिक कहा करेंगे। ऐसी हालत में हम गवाह कहाँ से लायेंगे, और अगर गवाहों की तलाश में निकलेंगे तो गवाह आने तक वह अपना काम करके भाग चुका होगा। वही सवाल था जो पहले वाकिए में हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, इस दूसरे वाकिए में आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया है।

यह सवाल एक जुमे के दिन किया गया था उसके बाद यह किस्सा पेश आया कि आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक चचाज़ाद भाई उवैमर था जिसका निकाह भी आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु की चचाज़ाद बहन खौला रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था। उवैमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रोज़ देखा कि उनकी बीवी खौला शुरैक बिन सहमा के साथ मुब्तला है और यह शुरैक बिन सहमा भी आसिम का चचाज़ाद भाई था। हज़रत उवैमर ने यह वाकिआ आकर आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, हज़रत आसिम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिकुन पढ़ा और अगले दिन जुमे में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में फिर हाज़िर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! पिछले जुमे में मैंने आप से जो सवाल किया था अफसोस है कि मैं खुद उसमें मुब्तला हो गया, क्योंकि मेरे ही घर वालों में एक ऐसा वाकिआ पेश आ गया। इमाम बगवी रह. ने इन दोनों को हाज़िर करने और फिर आपस में लिआन कराने का वाकिआ बड़ी तफ़सील से बयान किया है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और बुखारी व मुस्लिम में इसका खुलासा हज़रत सहल बिन सअद साअिदी की रिवायत से यह मज़कूर है कि उवैमर अज़लानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी गैर-मर्द को देखे तो क्या वह उसको क़त्ल कर दे, जिसके नतीजे में लोग उसको क़त्ल करेंगे या फिर वह क्या करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मामले में हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है, जाओ बीवी को लेकर आओ। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को बयान करने वाले फ़रमाते हैं कि उन दोनों को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिद के अन्दर लिआन कराया (जिसकी सूरत पहले ज़िक्र हुए वाकिए में बयान हो चुकी है) जब दोनों तरफ़ से पाँचों गवाहियाँ और क़समें पूरी होकर लिआन ख़त्म हुआ तो हज़रत उवैमर अज़लानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह! अगर मैं अब इसको बीवी बनाकर रखूँ तो गोया मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है इसलिये मैं इसे तीन तलाक़ देता हूँ। (मज़हरी, बुखारी व मुस्लिम)

इन दोनों वाकिआत में से हर एक में यह ज़िक्र है कि लिआन की आयतें उसके बारे में नाज़िल हुई हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर और शैख़ुल-इस्लाम इमाम नववी रह. ने दोनों में जोड़ की यह सूरत बयान की है कि ऐसा मालूम होता है कि पहला वाकिआ हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु का था और लिआन की आयतों का उतरना उसी वाकिए के बारे में हुआ, उसके बाद उवैमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसा ही वाकिआ पेश आ गया और उन्होंने हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, उनको हिलाल बिन उमैया का पहले हो चुका मामला मालूम न होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम ने उनको बतलाया कि तुम्हारे मामले का फैसला यह है, और करीना इसका यह है कि हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु के वाकिए में तो हदीस के अलफ़ाज़ ये हैं 'फ़न्ज़-ल जिबीलु' (पस जिबील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए) और हज़रत उवैमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाकिए में अलफ़ाज़ ये हैं 'कद् अन्ज़लल्लाहु फ़ी-क' (कि तुम्हारे मामले के बारे में अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है) जिसका मफ़हूम यह हो सकता है कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे वाकिए जैसे एक वाकिए में इसका हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है। वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसला: जब दो मियाँ बीवी के दरमियान हाकिम के सामने लिआन हो जाये तो यह औरत उस मर्द पर हमेशा के लिये हराम हो जाती है जैसे कि दूध पीने के रिश्ते की वजह से हराम होना हमेशा के लिये होता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

الْمَتْلَا عِنَانٍ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

हुर्मत (हराम होना) तो लिआन होने ही से साबित हो जाती है लेकिन औरत को दूसरे शख्स से इदत के बाद निकाह करना इमामे आजम रह. के नज़दीक तब जायज़ होगा जबकि मर्द तलाक़ दे दे या ज़बान से कह दे कि मैंने इसको छोड़ दिया, और अगर मर्द ऐसा न करे तो हाकिम काज़ी उन दोनों में जुदाई का हुक्म कर देगा, वह भी तलाक़ के हुक्म में हो जायेगा, फिर तलाक़ की इदत तीन हैज़ (माहवारी) पूरे होने के बाद औरत आज़ाद होगी और दूसरे किसी शख्स से निकाह कर सकेगी।

(तफ़सीरे मज़हरी वगैरह)

मसला: जब लिआन हो चुका उसके बाद उस हमल (गर्भ) से जो बच्चा पैदा हो वह उसके शौहर की तरफ़ मन्सूब नहीं होगा बल्कि उसकी निस्बत उसकी माँ की तरफ़ की जायेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिलाल इब्ने उमैया और उवैमर अज़लानी दोनों के मामले में यही फैसला फ़रमाया।

मसला: लिआन के बाद अगरचे उनमें जो झूठा है उसका आख़िरत का अज़ाब पहले से ज्यादा बढ़ गया मगर दुनिया की सज़ा उससे ख़त्म हो गयी। इसी तरह दुनिया में उसको ज़ानिया और बच्चे को ज़िना की औलाद कहना भी किसी के लिये जायज़ नहीं होगा। हिलाल इब्ने उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फैसले में यह हुक्म भी फ़रमाया कि बच्चे और उसकी माँ को तानों और बुरा-भला कहने की इजाज़त नहीं है।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُوا
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكُنْتُمْ فِي مَا أَقْضَيْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَ

تَقُولُونَ بِأَقْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
 قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ۖ ابْدَأْ
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَحْتَبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
 فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ
 خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ
 أَحَدٍ أَبَدًا ۖ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
 يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۖ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
 اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ يَوْمَ تُنْهَدُ عَلَيْهِمْ السَّيْئَةُ ۖ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ يَوْمَئِذٍ
 يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۖ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
 لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ۝

التفسير

28

इन्नल्लज़ी-न जाऊ बिल्-इफ़िक
 अुस्वतुम्-मिन्कुम्, ला तह्सबूहु शरल्-
 लकुम्, बल् हु-व ख़ौरुल्-लकुम्,
 लिकुल्लिम्-रिइम् मिन्हुम् मक्त-स-ब
 मिनल्-इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किबहू
 मिन्हुम् लहू अज़ाबुन् अज़ीम (11)
 लौ ला इज़् समिअतुमूहु ज़न्नल्-
 मुअ्मिन्-न वल्-मुअ्मिनातु
 बिअन्फुसिहिम् ख़ैरव्-व कालू हाज़ा
 इफ़कुम्-मुबीन (12) लौ ला जाऊ

जो लोग लाये हैं यह तूफ़ान तुम्हीं में एक
 जमाअत हैं तुम इसको न समझो बुरा
 अपने हक में बल्कि यह बेहतर है तुम्हारे
 हक में, हर आदमी के लिये उनमें से वह
 है जितना उसने गुनाह कमाया, और
 जिसने उठाया है इसका बड़ा बोझ उसके
 वास्ते बड़ा अज़ाब है। (11) क्यों न जब
 तुमने इसको सुना था ख़्याल किया होता
 ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों
 ने अपने लोगों पर भला ख़्याल और कहा
 होता यह खुला तूफ़ान है। (12) क्यों न

अलैहि बि-अर्-ब-अति शु-हदा-अ
 फ-इज़् लम् यअतू बिश्शु-हदा-इ
 फ-उलाइ-क अिन्दल्लाहि हुमुल्-
 काज़िबून (13) व लौ ला फज़्लुल्लाहि
 अलैकुम् व रहमतुहू फिद्दुन्या
 वल्-आखिरति ल-मस्सकुम् फीमा
 अफज़्तुम् फीहि अज़ाबुन् अज़ीम
 (14) इज़् तलक्कौनहू
 बिअल्लिस-नतिकुम् व तकूलू-न
 बिअफ्वाहिकुम् मा लै-स लकुम् बिही
 अिल्मुं-व तह्सबूनहू हय्यिनं-व
 हु-व अिन्दल्लाहि अज़ीम (15) व
 लौ ला इज़् समिअ्तुमूहु कुल्लुम् मा
 यकूनु लना अन् न-तकल्ल-म
 बिहाज़ा सुब्हान-क हाज़ा बुस्तानुन्
 अज़ीम (16) यअिज़्कुमुल्लाहु अन्
 तअूदू लिमिस्लिही अ-बदन् इन्
 कुन्तुम् मुअ्मिनीन (17) व
 युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति,
 वल्लाहु अलीमुन् हकीम (18)
 इन्नल्लज़ी-न युहिब्बू-न अन्
 तशीअल्-फ़ाहि-शतु फिल्लज़ी-न
 आमनू लहुम् अज़ाबुन् अलीमुन्
 फिद्दुन्या वल्-आखिरति, वल्लाहु

लाये वे इस बात पर चार गवाह, फिर
 जब न लाये गवाह तो वे लोग अल्लाह के
 यहाँ वही हैं झूठे। (13) और अगर न
 होता अल्लाह का फज़ल तुम पर और
 उसकी रहमत दुनिया और आखिरत में
 तो तुम पर पड़ती इस चर्चा करने में कोई
 बड़ी आफ़त। (14) जब लेने लगे तुम
 इसको अपनी ज़बानों पर और बोलने लगे
 अपने मुँह से जिस चीज़ की तुमको ख़बर
 नहीं और तुम समझते हो इसको हल्की
 बात और यह अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी
 है। (15) और क्यों न जब तुमने इसको
 सुना था कहा होता- हमको नहीं लायक
 कि मुँह पर लायें यह बात, अल्लाह तो
 पाक है यह तो बड़ा बोहतान है। (16)
 अल्लाह तुमको समझाता है कि फिर न
 करो ऐसा काम कभी अगर तुम ईमान
 रखते हो। (17) और खोलता है अल्लाह
 तुम्हारे वास्ते पते की बातें, और अल्लाह
 सब जानता है हिक्मत वाला है। (18) जो
 लोग चाहते हैं कि चर्चा हो बदकारी का
 ईमान वालों में उनके लिये अज़ाब है
 दर्दनाक दुनिया और आखिरत में, और

यअलमु व अन्तुम् ला तअलमून
(19) व लौ ला फज़लुल्लाहि अलैकुम्
व रहमतुहू व अन्नल्ला-ह
रऊफ़ुर-रहीम। (20) ❀ ●

या अय्युहल्लजी-न आमनू ला
तत्तबिअू ख़ुतुवातिशशैतानि, व
मंय्यत्तबिअू ख़ुतुवातिशशैतानि
फ़-इन्नहू यअमुरु बिल्फ़हशा-इ
वल्मुन्करि, व लौ ला फज़लुल्लाहि
अलैकुम् व रस्मतुहू मा ज़का
मिन्कुम् मिन् अ-हदिन् अ-बदं-व
लाकिन्नल्ला-ह युज़क्की मंय्यशा-उ,
वल्लाहु समीअुन् अलीम (21) व ला
यअतलि उलुल्-फ़ज़िल मिन्कुम्
वस्स-अति अय्युअतू उलिल्-क़ुरबा
वल्मसाकी-न वल्मुहाजिरी-न फ़ी
सबीलिल्लाहि वल्-यअफ़ू वल्-यस्फ़हू
अला तुहिब्बू-न अय्यग़िफ़रल्लाहु
लकुम्, वल्लाहु ग़फ़ूररहीम (22)
इन्नल्लजी-न यरमूनल्-मुस्सनातिल्-
ग़ाफ़िलातिल्-मुअ्मिनाति लुअ़िन्
फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति व लहुम्
अज़ाबुन् अज़ीम (23) यौ-म
तश्-हदु अलैहिम् अल्लि-नतुहुम् व

अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। (19)
और अगर न होता अल्लाह का फज़ल तुम
पर और उसकी रहमत और यह कि
अल्लाह नर्मी करने वाला है मेहरबान तो
क्या कुछ न होता। (20) ❀ ●

ऐ ईमान वाले! न चलो क़दमों पर शैतान
के, और जो कोई चलेगा क़दमों पर
शैतान के सो वह तो यही बतलायेगा
बेहयाई और बुरी बात, और अगर न
होता अल्लाह का फज़ल तुम पर और
उसकी रहमत तो न संवरता तुम में एक
शख्स भी कभी लेकिन अल्लाह संवारता है
जिसको चाहे, और अल्लाह सब कुछ
सुनता जानता है। (21) और कसम न
खायें बड़े दर्जे वाले तुम में से और
गुंजाईश वाले इस पर कि दें क़राबतियों
(क़रीबी लोगों और रिश्तेदारों) को और
मोहताजों को और बतन छोड़ने वालों को
अल्लाह की राह में, और चाहिये कि माफ़
करें और दरग़ुज़र करें, क्या तुम नहीं
चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे, और
अल्लाह बख़्शने वाला है मेहरबान। (22)
जो लोग ऐब लगाते हैं हिफ़ाज़त वालियों
बेइबाब ईमान वालियों को, उनको
फटकार है दुनिया में और आख़िरत में
और उनके लिये है बड़ा अज़ाब। (23)
जिस दिन कि ज़ाहिर कर देंगी उनकी

ऐदीहिम् व अर्जुलुहुम् बिमा कानू
 यअमलून (24) यौमइज़िय्-
 युवफ्फीहिमुल्लाहु दीनहुमुल्-हक्-क
 व यअलमू-न अन्नल्ला-ह हुवल्-
 हक्कुल्-मुबीन (25) अल्खाबीसातु
 लिल्खाबीसी-न वल्खाबीसू-न
 लिल्खाबीसाति वत्तय्यिबातु
 लित्ताय्यिबी-न वत्ताय्यिबू-न
 लित्ताय्यिबाति उलाइ-क मुबर्ऊ-न
 मिम्मा यकूलू-न, लहुम् मग्फि-रतुं-
 व रिज़्कुन् करीम (26) ❀

जुबानें और हाथ और पाँव जो कुछ वे करते थे। (24) उस दिन पूरी देगा उनको अल्लाह उनकी सजा जो चाहिये, और जान लेंगे कि अल्लाह वही है सच्चा खोलने वाला। (25) गन्दियाँ हैं गन्दों के वास्ते और गन्दे वास्ते गन्दियों के, और सुथरियाँ हैं सुथरों के वास्ते और सुथरे वास्ते सुथरियों के, वे लोग बेताल्लुक हैं उन बातों से जो ये कहते हैं, उनके वास्ते बद्दिशश है और रोज़ी है इज़्जत की। (26) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि सूर: नूर का ज्यादातर हिस्सा उन अहकाम से संबन्धित है जो पाकदामनी व आबरू की हिफाज़त के लिये जारी किये गये हैं। इसके मुक़ाबले में पाकदामनी व आबरू पर हाथ डालने और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की दुनियावी सज़ायें और उन पर आख़िरत का ज़बरदस्त वबाल ज़िक्र किया गया है। इस सिलसिले में पहले ज़िना की सज़ा, फिर ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा और फिर लिआन का बयान आ चुका है। ज़िना की तोहमत की सज़ा के तहत में किसी पाकदामन औरत पर जब तक चार गवाहों की गवाही न हो ज़िना का इल्ज़ाम लगाना ज़बरदस्त गुनाह करार दिया है और ऐसा करने वाले के लिये शर्ई सज़ा अस्सी कोड़े लगाने की जारी फ़रमाई है। यह मसला आम मुसलमान पाकदामन औरतों से संबन्धित था। और चूँकि सन् 6 हिजरी में कुछ मुनाफ़िकों ने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा पर ऐसी तोहमत गढ़ी थी और उनके साथ लगकर कुछ मुसलमान भी उसका तज़क़िरा करने लगे थे, यह मामला आम मुसलमान पाकदामन औरतों के मामले से कहीं ज्यादा सख्त था इसलिये कुरआने करीम ने हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत और पाकी के बयान में इस जगह दस आयतें जो ऊपर बयान हुई हैं नाज़िल फ़रमाई जिनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत व पाकीज़गी का ऐलान और उनके मामले में जिन लोगों ने झूठ गढ़ने और बोहतान लगाने में किसी तरह का हिस्सा लिया था उन सब को तंबीह और दुनिया व आख़िरत में उनके वबाल का बयान है।

यह बोहतान लगाने का वाक़िआ कुरआन व हदीस में वाक़िआ-ए-इफ़्क के नाम से मशहूर है।

इफ़क कहते हैं बदतरीन किस्म के झूठ व तोहमत लगाने को। इन आयतों की तफ़सीर समझने में किस्सा-ए-इफ़क के मालूम होने को बड़ा दख़ल है, इसलिये मुनासिब है कि पहले मुख़्तसर तौर पर यह किस्सा बयान कर दिया जाये।

इफ़क व बोहतान का किस्सा

बुख़ारी व मुस्लिम और हदीस की दूसरी किताबों में यह वाकिआ ग़ैर-मामूली लम्बा और तफ़सील के साथ ज़िक्र किया गया है। इसका मुख़्तसर बयान यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ज़वा-ए-बनी मुस्तलिक़ में जिसको ग़ज़वा-ए-मुरैसीअ भी कहा जाता है सन् 6 हिजरी में तशरीफ़ ले गये तो अम्महातुल-मोमिनीन (हुज़ूर की पाक बीवियों) में से हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ऊँट जिस पर उनका होदज (पर्देदार कजावा) होता था, और चूँकि उस वक़्त पर्दे के अहकाम नाज़िल हो चुके थे तो मामूल यह था कि सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने होदज में सवार हो जातीं फिर लोग उस होदज को उठाकर ऊँट पर रख देते थे। ग़ज़वे (मुहिम) से फ़राग़त और मदीना तय्यिबा की तरफ़ वापसी में एक दिन यह किस्सा पेश आया कि एक मन्ज़िल में काफ़िला ठहरा, रात के आख़िरी हिस्से में कूच से कुछ पहले ऐलान किया गया कि काफ़िला ख़ाना होने वाला है ताकि लोग अपनी-अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग़ होकर तैयार हो जायें। हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़े इस्तिन्जे की ज़रूरत थी उससे फ़राग़त के लिये जंगल की तरफ़ चली गयीं, वहाँ इत्तिफ़ाक़ से उनका हार टूटकर गिर गया, उसकी तलाश में उनको देर लग गयी। जब वापस अपनी जगह पहुँचीं तो देखा कि काफ़िला ख़ाना हो चुका है। उनके ऊँट का किस्सा यह हुआ कि जब कूच होने लगा तो आदत के मुताबिक़ हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का होदज यह समझकर ऊँट पर सवार कर दिया गया कि हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसमें मौजूद हैं। उठते वक़्त भी कुछ शुब्हा इसलिये न हुआ कि उस वक़्त हज़रत सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कम और बदन में दुबली थी, किसी को यह अन्दाज़ा ही न हुआ कि होदज ख़ाली है। चुनाँचे ऊँट को हाँक दिया गया।

हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जगह वापस आकर काफ़िले को न पाया तो बड़ी समझदारी और संजीदगी व हिम्मत से काम लिया कि काफ़िले के पीछे दौड़ने या इधर-उधर तलाश करने के बजाय अपनी जगह चादर ओढ़कर बैठ गयीं, और ख़याल किया कि जब हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और साथियों को यह मालूम होगा कि मैं होदज में नहीं हूँ तो मुझे तलाश करने के लिये यहाँ पहुँचेंगे, अगर मैं इधर-उधर कहीं और गयी तो उनको तलाश करने में मुश्किल होगी इसलिये अपनी जगह पर चादर लपेटकर बैठ रही। रात का आख़िरी वक़्त था, नींद का ग़लबा हुआ वहीं लेटकर आँख़ लग गयी।

दूसरी तरफ़ कुदरत ने यह सामान किया कि हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सहाबी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी ख़िदमत के लिये मुकरर किया हुआ था कि वह काफ़िले के पीछे रहें और काफ़िला ख़ाना होने के बाद गिरी-पड़ी कोई चीज़ रह गयी हो तो उसको उठाकर

महफ़ूज़ कर लें। वह सुबह के वक़्त उस जगह पहुँचे, अभी रोशनी पूरी न थी, इतना देखा कि कोई आदमी पड़ा सो रहा है। करीब आये तो हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले उनको देखा था। पहचानने के बाद इन्तिहाई अफ़सोस के साथ उनकी ज़बान से 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रजिऊन' निकला। यह कलिमा सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान में पड़ा तो आँख खुल गयी और चेहरा ढाँप लिया। हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ऊँट करीब लाकर बैठा दिया। हज़रत सिद्दीका उस पर सवार हो गयीं और खुद ऊँट की नक़ेल पकड़कर पैदल चलने लगे, यहाँ तक कि काफ़िले में मिल गये।

अब्दुल्लाह बिन उबई बड़ा ख़बीस मुनाफ़िक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दुश्मन था, उसको एक बात हाथ लग गयी और कमबख़्त ने उल्टा-सीधा बकना शुरू किया और कुछ भोले भाले मुसलमान भी सुमी सुनाई इसका तज़क़िरा करने लगे। जैसे हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु मर्दों में से और हज़रत हमना रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों में से। तफ़सीर दुरै मन्सूर में इब्ने मर्दूया के हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यही कौल नक़ल किया है कि:

اعانه ای عبدالله ابن ابی حسان و مسطح و حمنة.

जब इस मुनाफ़िक़ के बोहतान का चर्चा हुआ तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इससे सख़्त सदमा पहुँचा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तो इन्तिहाई सदमा पहुँचना ज़ाहिर ही है, आम मुसलमानों को भी इससे सख़्त रंज व अफ़सोस हुआ। एक महीने तक यही किस्सा चलता रहा। आख़िर अल्लाह तआला ने हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत और बोहतान बाँधने या उसमें शरीक होने वालों की निंदा में उपरोक्त आयतें नाज़िल फ़रमा दीं जिनकी तफ़सीर आगे आती है। कुरआनी क़ानून के मुताबिक़ जिसका ज़िक़्र अभी ज़िना की तोहमत की सज़ा के तहत में आ चुका है तोहमत लगाने वालों से गवाही का मुतालबा किया गया। वह तो एक बिल्कुल ही बेबुनियाद ख़बर थी गवाह कहाँ से आते। नतीजा यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तोहमत लगाने वालों पर शरई क़ानून के मुताबिक़ तोहमत की सज़ा जारी की, हर एक को अस्सी अस्सी कोड़े लगाये। बज़ार और इब्ने मर्दूया ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन मुसलमानों पर तोहमत की सज़ा जारी फ़रमाई। हज़रत मिस्तह, हज़रत हमना और हज़रत हस्सान। और तबरानी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मौक़े पर अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ जिसने असल तोहमत गढ़ी थी उस पर दोहरी हद जारी फ़रमाई। फिर मोमिनो ने तौबा कर ली और मुनाफ़िक़ लोग अपने हाल पर कायम रहे। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुसलमानो! तुम जो सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताल्लिक़ झूठी तोहमत की

शोहरत से रंजीदा हो इसमें खुद सिद्दीका भी दाखिल हैं तो तुम ज्यादा ग़म न करो क्योंकि) जिन लोगों ने यह तूफ़ान (हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में) बरपा किया है वे तुम्हारे में का एक (छोटा-सा) गिरोह है, (क्योंकि तोहमत लगाने वाले कुल चार थे, एक तो डायरेक्ट तौर पर झूठी तोहमत गढ़ने वाला यानी अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक, और तीन प्रत्यक्ष रूप से जो उसकी ख़बर से प्रभावित हो गये यानी हज़रत हस्सान, हज़रत मिस्तह और हज़रत हमना जो पक्के सच्चे मोमिन थे, इन सब को क़ुरआन ने (तुम में से) में दाखिल किया यानी मुसलमानों में, हालाँकि अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक था, इसकी वजह उसका ज़ाहिरी इस्लाम का दावा था। आयत का मतलब तसल्ली देना है कि ज्यादा ग़म न करो, अब्बल तो ख़बर झूठी, फिर नक़ल करने वाले भी कुल चार ही आदमी, और ज्यादा आदमी तो इसके मुख़ालिफ़ ही हैं, पस उर्फ़ के हिसाब से भी यह ज्यादा ग़म का सबब न होना चाहिए। आगे एक और तरीक़े पर तसल्ली है कि) तुम इस (तूफ़ान बन्दी) को अपने हक़ में बुरा न समझो (अगरचे ज़ाहिर में ग़म की बात है मगर वास्तव में इससे तुम्हारा नुक़सान नहीं) बल्कि यह (अन्जाम के एतिबार से) तुम्हारे हक़ में बेहतर है (क्योंकि इस ग़म से तुमको सब्र का सवाब मिला, तुम्हारे दर्जे बढ़े। विशेष तौर पर जिन हज़रात पर तोहमत लगाई गयी उनकी बराअत के लिये क़तई दलील आई। और आईन्दा भी मुसलमानों के हक़ में ख़ैर है कि ऐसे मुसीबत ज़दा इस वाक़िए से तसल्ली हासिल कियें करेंगे। पस तुम्हारा तो कोई नुक़सान न हुआ अलबत्ता इन चर्चा करने वालों का नुक़सान हुआ कि) उनमें से हर शख़्त को जितना किसी ने कुछ किया था गुनाह हुआ (मसलन जुबान से कहने वालों को ज्यादा गुनाह और सुनकर ख़ामोश रह जाने वालों को या दिल से बदगुमानी करने वालों को उसके मुवाफ़िक़ गुनाह हुआ)। और उनमें जिसने इस (तूफ़ान) में सबसे बड़ा हिस्सा लिया (कि इसको गढ़ा, मुराद इससे अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ है) उसको (सबसे बढ़कर) सज़ा सज़ा होगी (इससे मुराद जहन्नम है जिसकी पात्रता पहले से क़ुफ़ व निफ़ाक़ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुश्मनी रखने की वजह से भी थी अब और ज्यादा सज़ा का मुस्तहिक़ हो गया। यह तो ग़मज़दों के नुक़सान की नफ़ी और बोहतान बाँधने वालों के नुक़सान को साबित किया गया था आगे उनमें जो मोमिन हज़रात थे उनको नसीहत के तौर पर मलामत है कि) जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों (जिनमें हज़रत हस्सान व मिस्तह भी आ गये) और मुसलमान औरतों ने (जिनमें हज़रत हमना भी आ गई) अपने आपस वालों के साथ (यानी हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा और उन सहाबी के साथ दिल से) नेक गुमान क्यों न किया, और (जुबान से) यह क्यों न कहा कि यह खुला झूठ है (जैसा कि दुरै मन्सूर में हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी का यही कौल नक़ल किया गया है। इसमें बोहतान बाँधने वालों के साथ वे शामिल हैं जो सुनकर ख़ामोश रहे या शक़ में पड़ गये, उन सब पर भी मलामत है जिनमें आम मोमिन मर्द व औरत भी दाखिल हो गये)।

(आगे इस तोहमत को रद्द करने और नेक गुमान रखने के वाजिब होने की वजह इरशाद है कि) यह (बोहतान लगाने वाले) लोग (अपने) उस (कौल) पर चार गवाह क्यों न लाये (जो कि ज़िना को साबित करने के लिये शर्त है) सो जिस सूरात में ये लोग (कायदे के मुवाफ़िक़) गवाह नहीं लाये तो

बस अल्लाह के नज़्दीक (जो क़ानून है उसके एतबार से) ये झूठे हैं। (आगे बोहतान लगाने वालों में जो मोमिन थे उन पर भी रहमत का ज़िक्र है) और अगर (ऐ हस्सान व मिस्तह व हमना) तुम पर अल्लाह तआला का करम व फज़ल न होता दुनिया में (भी कि तौबा की मोहलत दी) और आख़िरत में (भी कि तौबा की तौफ़ीक़ दी और उसको कुबूल भी कर लिया, अगर यह न होता) तो जिस शग़ल में तुम पड़े थे उसमें तुम पर सख़्त अज़ाब आ पड़ता (जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उबई को तौबा न करने के सबब होगा अगरचे इस वक़्त दुनिया में मोहलत उसको भी दे दी गई मगर कुल मिलाकर दोनों ज़हान में रहमत नहीं है, और इससे मालूम हो गया कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तौबा कुबूल हुए और पाक होकर आख़िरत में रहमत के पाने वाले हैं, और अलैकुम में ख़िताब मोमिनों को होने का इशारा सबसे पहले ऊपर की आयत में यह इरशाद है 'ज़न्नल् मुअ्मिनु-न' दूसरे 'फ़िल्आख़िरति' फ़रमाना कि मुनाफ़िक् तो आख़िरत में जहन्नम के सबसे निचले दर्जे का मुस्तहिक़ है, वह यकीनन आख़िरत में रहमत पाने वाला नहीं हो सकता। तीसरे आगे 'यअिजुकुम' और 'व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि' में तबरानी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नक़ल किया कि इससे हज़रत हस्सान, मिस्तह और हमना मुराद हैं। और यही कौल तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल किया गया है कि 'लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम' से मुखातब सिर्फ़ तीन मोमिन हैं- यानी मिस्तह, हमना, हस्सान)।

(आगे इसका बयान है कि मोमिनों पर अगर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल न होता कि उनको तौबा की तौफ़ीक़ दी और तौबा भी कर ली तो जो काम उन्होंने किया था वह अपनी ज़ात में ज़बरदस्त अज़ाब का सबब था, फ़रमाया) जबकि तुम इस (झूठ बात) को अपनी ज़बानों से नक़ल दर नक़ल कर रहे थे और अपने मुँह से ऐसी बात कह रहे थे जिसकी तुमको (किसी दलील से) बिल्कुल ख़बर नहीं, (और ऐसी ख़बर के नक़ल करने वाले का झूठा होना 'फ़-उलाइ-क़ अिन्दल्लाहि हुमुल्-काज़िबून' में बयान हो चुका है) और तुम उसको हल्की बात समझ रहे थे, हालाँकि वह अल्लाह के नज़्दीक बहुत भारी बात (यानी ज़बरदस्त गुनाह वाली) थी। (अब्वल तो किसी पाकदामन औरत पर जिना की तोहमत खुद बड़ा गुनाह है फिर वह भी कौन! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों में से कि उन पर तोहमत लगाना जनाब रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचने का सबब बना। पस इसमें बहुत से नाफ़रमानी और गुनाह के असबाब जमा थे) और तुमने जब इस (बात) को (पहले) सुना था तो यूँ क्यों न कहा कि हमारे लिये यह मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बात मुँह से भी निकालें, अल्लाह की पनाह! वह तो बड़ा बोहतान है। (जैसा कि कुछ सहाबा ने इसी तरह कहा था जैसा कि सअद बिन मुअज़्ज़, जैद बिन हारिसा और हज़रत अबू अय्यूब से इसी तरह का कौल मन्कूल है। और ज़ायद की नफ़ी नहीं है मुश्किन है और बहुतों ने कहा हो। मतलब यह कि तोहमत लगाने वालों और ख़ामोश रहने वालों सब को यही कहना चाहिए था)।

(यहाँ तक तो गुज़रे हुए हालात पर मलामत थी अब आगे के लिये नसीहत है जो कि असल मक़सद है मलामत का। पस इरशाद है कि) अल्लाह तआला तुमको नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। और अल्लाह तआला तुम से साफ़-साफ़ अहक़ाम बयान करता है (जिसमें नसीहत, तोहमत की सज़ा और तौबा का कुबूल होना जो ऊपर मज़कूर हो चुके हैं

सब दाखिल हैं) और अल्लाह तआला बड़ा जानने वाला, बड़ा हिक्मत वाला है (तुम्हारे दिल की शर्मिन्दगी का हाल भी उसको मालूम है इसलिए तौबा कुबूल कर ली और सियासत 'कानून व व्यवस्था' की हिक्मत भी खूब जानता है इसलिए तुम्हें सियासत के तौर पर दुनिया में सजा दी गई। हज़रत इब्ने अब्बास से तफ़सीर दुरै मन्सूर में यही तफ़सीर नक़ल की गयी है)।

(यहाँ तक बराअत व पाकदामनी के नाज़िल होने से पहले तोहमत का तज़क़िरा करने वालों का ज़िक्र था, आगे उनका ज़िक्र है जो कुरआन में बराअत नाज़िल होने के बाद भी बाज़ न आयें और जाहिर है कि ऐसा शख्स बेईमान ही होगा। पस इरशाद है) जो लोग (इन आयतों के नाज़िल होने के बाद भी) चाहते हैं (यानी इसकी अमली कोशिश करते हैं) कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो (यानी यह ख़बर फैले कि इन मुसलमानों में बेहयाई की बात है। हासिले मतलब यह कि जो लोग उन पाकीज़ा व मुक़द्दस हज़रात की तरफ़ जिना की निस्वत करते हैं) उनके लिये दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक सज़ा (मुकरर) है। और (इस मामले पर सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि) अल्लाह तआला जानता है (कि कौनसी नाफ़रमानी किस दर्जे की है) और तुम (उसकी हकीक़त पूरी) नहीं जानते। (दुरै मन्सूर, हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से)

(आगे उन लोगों को खिताब है जिन्होंने तौबा कर ली और उसके सबब आख़िरत के बड़े भारी अज़ाब से महफूज़ हो गये) और (ऐ तौबा करने वालो!) अगर यह बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल व करम है (जिसने तुमको तौबा की तौफ़ीक़ दी) और यह कि अल्लाह तआला बड़ा शफ़ीक़ बड़ा रहीम है (जिसने तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली) तो तुम भी (इस सज़ा के वायदे से) न बचते।

(आगे मुसलमानों को अपनी रहमत से इस गुनाह को ख़ास किये बग़ैर तमाम ही गुनाहों से बचने का हुक्म और तौबा के ज़रिये खुद को पाक करने की वज़ाहत है जो एहतिमाम के साथ विभिन्न उनवानात से दोहराई गयी है। इरशाद फ़रमाते हैं कि) ऐ ईमान वालो! तुम शैतान के क़दम-से-क़दम मिलाकर मत चलो (यानी उसके बहकाने पर अमल मत करो) और जो शख्स शैतान के क़दम-से-क़दम मिलाकर चलता है तो वह (हमेशा हर शख्स को) बेहयाई और नामाकूल काम करने को ही कहेगा (जैसा कि इस तोहमत लगाने के वाक़िए में तुमने देख लिया) और (शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर चलने के और गुनाह समेट लेने के बाद उसके वबाल व नुक़सान से जो कि साबित हो ही चुका था निजात दे देना यह भी हमारा ही फ़ज़ल था वरना) अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल व करम न होता तो तुम में से कोई कभी भी (तौबा करके) पाक व साफ़ न होता। (या तो तौबा की तौफ़ीक़ ही न होती जैसा कि मुनाफ़िक़ लोगों को न हुई और या तौबा कुबूल न की जाती, क्योंकि हम पर कोई चीज़ धाजिब तो है नहीं) व लेकिन अल्लाह तआला जिसको चाहता है (तौबा की तौफ़ीक़ देकर) पाक-साफ़ कर देता है। (और तौबा के बाद अपने फ़ज़ल से कुबूलियत का वायदा भी फ़रमा लिया है) और अल्लाह तआला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है (पस तुम्हारी तौबा सुन ली और तुम्हारी शर्मिन्दगी जान ली इसलिए फ़ज़ल फ़रमा दिया)।

(आगे इसका बयान है कि बराअत की आयतों के नाज़िल होने के बाद कुछ सहाबा ने (जिनमें हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं जैसा कि बुख़ारी में है, और दूसरे सहाबा भी हैं जैसा

कि दुर्गे मन्सूर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है) गुस्से व नाराज़गी की शिद्दत में कसम खा ली कि जिस जिसने यह चर्चा किया है जिनमें ज़रूरत मन्द भी थे उनको अब से किसी किस्म की माली इमदाद न देंगे। अल्लाह तआला उनकी ग़लती की माफ़ी और इमदाद जारी कर देने के लिये इरशाद फ़रमाते हैं) और जो लोग तुम में (दीनी) बुजुर्गी और (दुनियावी) गुंजाईश वाले हैं, वे रिश्तेदारों को और मिस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से कसम न खा बैठें (यानी उस कसम के तकाज़े पर कायम न रहें बल्कि तोड़ डालें। यह मतलब है वरना कसम तो हो ही चुकी थी, यानी ये सिफ़ात चाहती हैं इमदाद करने को खुसूसन जिसमें कोई सबब इमदाद करने का हो जैसे हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु कि वह हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक के रिश्तेदार भी हैं और मिस्कीन और मुहाजिर भी हैं, आगे शौक़ और तवज्जोह दिलाने के लिये फ़रमाते हैं कि) और चाहिए कि वे माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम यह बात नहीं चाहते कि अल्लाह तआला तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे (सो तुम भी अपने कसूरवारों को माफ़ कर दो) बेशक अल्लाह तआला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है (सो तुमको भी अल्लाह की सिफ़ात को अपनाना चाहिये)।

(आगे मुनाफ़िकों को धमकाने और सज़ा के वायदे की तफ़्सील है जिसका ऊपर आयत नम्बर 19 में मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र था, यानी) जो लोग (कुरआनी आयतों के नाज़िल होने के बाद बदकारी की) तोहमत लगाते हैं उन औरतों को जो पाकदामन हैं (और) ऐसी बातों (के करने और उसके इरादे) से (भी बिल्कुल) बेख़बर हैं (और) ईमान वालीयाँ हैं, (और जिनकी बराअत कुरआनी वज़ाहत व दलील से साबित हो चुकी है, और बहुवचन का लफ़ज़ इसलिए लाये हैं कि नबी करीम की तमाम पाक बीवियों को शामिल हो जाये कि 'तय्यिबात' के लफ़ज़ से सब की पवित्रता साबित है, और ज़ाहिर है कि ऐसे लोग जो ऐसी पाकीज़ा हस्तियों को तोहमत लगायें काफ़िर और मुनाफ़िक ही हो सकते हैं) उन पर दुनिया और आख़िरत में लानत की जाती है (यानी खुदा तआला की ख़ास रहमत से दोनों जहान में कुफ़्र के सबब दूर होंगे) और उनको (आख़िरत में) बड़ा अज़ाब होगा। जिस दिन उनके खिलाफ़ उनकी जुबानें गवाही देंगी और उनके हाथ और उनके पाँव भी (गवाही देंगे) उन कामों की जो ये लोग करते थे। (मसलन जुबान कहेगी कि इसने मेरे ज़रिये से फुल्लौ-फुल्लौ कुफ़्र की बात बकी, और हाथ पाँव कहेंगे कि इसने कुफ़्रिया बातों और कामों को फैलाने और बढ़ाने के लिये यूँ कोशिश और भाग-दौड़ की) उस दिन अल्लाह तआला उनको वाजिबी बदला पूरा-पूरा देगा। (उस दिन ठीक-ठीक) उनको मालूम होगा कि अल्लाह ही ठीक फैसला करने वाला (और) बात (की हकीकत) को खोल देने वाला है। (यानी अब तो कुफ़्र के सबब इस बात का एतिकाद उनको सही तौर पर नहीं मगर कियामत के दिन मालूम हो जायेगा और यह मालूम करके बिल्कुल निजात से मायूस हो जायेंगे, क्योंकि उनके मुनासिब फैसला हमेशा का अज़ाब है। ये आयतें तौबा न करने वाले उन लोगों के बारे में हैं जो बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद भी तोहमत का यकीन करने से बाज़ नहीं आये। तौबा करने वालों को 'फ़ज़्लुल्लाहि व रस्मतुहु' में दोनों जहान में रहमत पाने वाले फ़रमाया और तौबा न करने वालों को 'लुज़िनु' में दोनों जहान में लानत पड़ने वाले फ़रमाया। तौबा करने वालों को

'ल-मस्सकुम् फी मा अफज्तुम् फीहि अज़ाबुन् अज़ीम' में अज़ाब से महफूज़ बतलाया था और करने वालों को 'लहुम् अज़ाबुन् अज़ीम' और इससे पहले 'वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू.....' में मुब्तला होने वाले बतलाया। तौबा करने वालों के लिये 'इन्नल्ला-ह ग़फ़ूररहीम' में माफी व नाज़ारा यानी गुनाह व नाफरमानी को छुपाने की खुशख़बरी दी थी और तौबा न करने वालों के लिये 'तश्हदु' और 'युवफ़्फ़ीहिम्' माफी न होने और फ़ज़ीहत व रुस्याई हाथ आने की डाँट व धमकी बयान फ़रमाई। तौबा करने वालों को 'मा ज़का मिन्कुम्.....' में पवित्र बतलाया था और तौबा न करने वालों को अगली आयत में ख़बीस फ़रमाया जिसमें बराअत के मज़मून पर दलील पकड़कर किस्से को ख़त्म फ़रमाया है।

(यानी यह कायदा कुल्लिया है कि) गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लायक होती हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लायक होते हैं, और पाक-साफ़ औरतें पाक-साफ़ मर्दों के लायक होती हैं और पाक-साफ़ मर्द पाक-साफ़ औरतों के लायक होते हैं। (एक उसूल तो यह हुआ और दूसरी बात लाज़िमी चीज़ों में से है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हर चीज़ आपके लायक और मुनासिब ही दी गई है और वो सुथरी ही चीज़ें हैं तो ज़रूर इस लाज़िमी उसूल के एतिबार से आपकी बीवी भी सुथरी और पाकीज़ा हैं, और उनके सुथरे होने से इस खास तोहमत से हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु का बरी व पाक-साफ़ होना भी लाज़िम आया, इसी लिये आगे फ़रमाते हैं कि) ये उस बात से पाक हैं जो ये (मुनाफ़िक) बकते फिरते हैं। इन (हज़रात) के लिये (आख़िरत में) मग़फ़िरत और इज़ज़त की रोज़ी (यानी जन्नत) है।

मअरिफ़ व मसाईल

हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खुसूसी फ़ज़ाईल व कमालात और बोहतान वाले किस्से का कुछ बाकी हिस्सा

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुश्मनों ने आपके खिलाफ़ अपनी सारी ही तदबीरें इस्तेमाल कर डालीं और आपको तकलीफ़ पहुँचाने की जो-जो सूत्रें किसी के ज़ेहन में आ सकती थीं वो सभी जमा की गयीं। काफ़िरों की तरफ़ से जो तकलीफ़ें आपको पहुँची हैं उनमें शायद यह आख़िरी सख़्त और रूहानी तकलीफ़ थी कि आपकी पाक बीवियों में सबसे ज़्यादा आलिम व फ़ाज़िल और पवित्र उम्मुल-मोमिनीन सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर और उनके साथ हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे मुक़द्दस सहाबी पर अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक ने तोहमत गढ़ी। मुनाफ़िकों ने इसको रंग दिये और फैलाया। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली यह बात हुई कि चन्द सीधे-सादे मुसलमान भी उनकी साज़िश से मुतास्सिर होकर तोहमत के तज़किरे करने लगे। इस बेअसल व बेदलील हवाई तोहमत की चन्द दिन में खुद ही हकीकत खुल जाती मगर उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा को और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो इस तोहमत से रूहानी तकलीफ़ पहुँची थी हक़ तआला ने उसको दूर करने और सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत के

लिये अपनी वही के किसी इशारे पर बस नहीं फरमाया बल्कि कुरआन के तकरीबन दो रुकूअ उनकी बराअत में नाज़िल फरमाये। और जिन लोगों ने यह तोहमत गढ़ी या जिन लोगों ने इसके तज़किरे में हिस्सा लिया उन सब पर दुनिया व आखिरत के अज़ाब की ऐसी धमकियाँ और वईदें बयान फरमायीं कि शायद और किसी मौके पर ऐसी वईदें नहीं आयीं।

दर हकीकत बोहतान के इस वाकिए ने हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकदामनी व पवित्रता के साथ उनकी आला अक्ल व समझ के कमालात को भी रोशन कर दिया। इसी लिये इस वाकिए में जो आयतें ऊपर मज़कूर हुईं उनमें से पहली आयत में हक़ तआला ने फरमाया है कि इस हादसे को अपने लिये शर (बुराई) न समझो बल्कि यह तुम्हारे लिये ख़ैर है, इससे बड़ी ख़ैर क्या होगी कि अल्लाह तआला ने दस आयतों में उनकी पाकी और पाकदामनी की गवाही दी जो कियामत तक तिलावत की जायेगी। खुद सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे अपनी जगह यह तो यकीन था कि अल्लाह तआला वही के ज़रिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर मेरी सफ़ाई और बराअत ज़ाहिर फरमा देंगे, मगर मैं अपने आपको इस क़ाबिल नहीं समझती थी कि मेरे मामले में कुरआन की आयतें नाज़िल हो जायेंगी जो हमेशा पढ़ी जायेंगी। इस जगह वाकिए की कुछ अधिक तफ़सील जान लेना भी आयतों के समझने में मददगार होगा, इसलिये उसको मुख़्तसर तौर पर लिखा जाता है।

इस सफ़र से वापस आने के बाद हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घरेलू कामों में मशगूल हो गयीं, उनको कुछ ख़बर नहीं थी कि मुनाफ़िकों ने उनके बारे में क्या ख़बर उड़ाई है। सही बुखारी की रिवायत में खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान यह है कि सफ़र से वापसी के बाद कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गयी और सबसे बड़ी वजह तबीयत ख़राब होने की यह हो गयी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह लुत्फ़ व करम अपने साथ न देखती थी जो हमेशा से मामूल था, बल्कि उस समय में आपका मामला यह रहा कि घर में तशरीफ़ लाते और सलाम करते फिर पूछ लेते क्या हाल है और वापस तशरीफ़ ले जाते थे।

मुझे चूँकि इसकी कुछ ख़बर न थी कि मेरे बारे में क्या ख़बर मशहूर की जा रही है इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस व्यवहार का राज़ मुझ पर न खुलता था। मैं इसी ग़म में घुलने लगी। एक दिन अपनी कमज़ोरी की वजह से मिस्तह सहाबी की वालिदा उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ लेकर मैंने बड़े इस्तिन्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये बाहर जाने का इरादा किया, क्योंकि उस वक़्त घरों में बैतुलख़ला (लैट्रीन) बनाने का रिवाज न था। जब मैं ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर घर की तरफ़ आने लगी तो उम्मे मिस्तह का पाँव उनकी बड़ी चादर में उलझा और वह गिर पड़ी। उस वक़्त उनकी ज़बान से यह कलिमा निकला 'तअि-स मिस्तह'। यह ऐसा कलिमा है जो अरब में बददुआ के लिये इस्तेमाल होता है। इसमें माँ की ज़बान से अपने बेटे मिस्तह के लिये बददुआ का कलिमा सुनकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को ताज्जुब हुआ। उनसे फरमाया कि यह बहुत बुरी बात है तुम एक नेक आदमी को बुरा कहती हो जो ग़ज़वा-ए-बदर का शरीक था, यानी उनका बेटा मिस्तह! इस पर उम्मे मिस्तह ने ताज्जुब से कहा कि बेटी क्या तुमको ख़बर नहीं कि मिस्तह मेरा

बेटा क्या कहता फिरता है। मैंने पूछा वह क्या कहता है? तब उनकी वालिदा ने मुझे यह सारा वाकिआ बोहतान लगाने वालों की चलाई हुई तोहमत का और मिस्तह का उसमें शरीक होना बयान किया। सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि यह सुनकर मेरा मर्ज़ दोगुना हो गया। जब मैं घर में वापस आई और मामूल के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, सलाम किया और मिजाज पूछा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी-ए-करीम से इजाज़त तलब की कि मैं अपने माँ-बाप के घर चली जाऊँ। आपने इजाज़त दे दी। मन्शा यह था कि माँ-बाप से इस मामले की तहकीक़ करें। मैंने जाकर वालिदा से पूछा, उन्होंने तसल्ली दी कि तुम जैसी औरतों के दुश्मन हुआ करते हैं और ऐसी चीज़ें मशहूर किया करते हैं, तुम इसके ग़म में न पड़ी, खुद-ब-खुद मामला साफ़ हो जायेगा। मैंने कहा सुब्हानल्लाह! लोगों में इसका चर्चा हो चुका, मैं इस पर कैसे सब्र करूँ? मैं सारी रात रोती रही, न मेरा आँसू थमा न आँख लगी।

दूसरी तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो इस ख़बर के फैलने से सख़्त ग़मगीन थे और इस अरसे में इस मामले में मुताल्लिक़ कोई वही भी आप पर न आई थी इसलिये हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो दोनों घर के ही आदमी थे उनसे मशिवरा किया कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिये? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो खुलकर अर्ज़ किया कि जहाँ तक हमारा इल्म है हमें आयशा के बारे में कोई बदगुमानी नहीं। उनकी कोई बात ऐसी नहीं जिससे बदगुमानी की राह पैदा हो। आप इन अफ़वाहों की कुछ परवाह न करें। हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू ने (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़म व बेचैनी से बचाने के लिये) यह मशिवरा दिया कि अल्लाह तआला ने आप पर कुछ तंगी नहीं फ़रमाई, अगर अफ़वाहों की बिना प्र आयशा की तरफ़ से कुछ दिल में मैल आ गया है तो औरतें और बहुत हैं। और आपका यह मैल इस तरह भी दूर हो सकता है कि बरीरा जो सिद्दीका आयशा की बाँदी हैं उनसे उनके हालात की तहकीक़ फ़रमा लीजिए। चुनाँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत बरीरा से पूछा फ़रमाई। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि और तो कोई बात ऐब की मुझे उनमें नज़र नहीं आई सिवाय इसके कि नयउम्र लड़की हैं, कभी-कभी आटा गूँधकर रख देती हैं, खुद सो जाती हैं, बकरी आकर आटा खा जाती है।

(इसके बाद हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ुतबा देना और मिम्बर के ऊपर तोहमत गढ़ने वालों और अफ़वाह फैलाने वालों की शिकायत का ज़िक्र फ़रमाना और लम्बा किस्सा बयान हुआ है। आगे का मुख़्तसर किस्सा यह है कि) आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मुझे यह सारा दिन फिर दूसरी रात भी लगातार रोते हुए गुज़री, मेरे माँ-बाप भी मेरे पास आ गये थे, वे डर रहे थे कि रोने से मेरा कलेजा फट जायेगा। मेरे माँ-बाप मेरे पास बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और मेरे पास बैठ गये। और जब से यह किस्सा चला था उससे पहले आप मेरे पास आकर न बैठे थे। फिर आपने एक मुख़्तसर ख़ुतबा-ए-शहादत पढ़ा और फ़रमाया मे आयशा! मुझे तुम्हारे बारे में ये बातें पहुँची हैं। अगर तुम बरी हो तो ज़रूर अल्लाह तआला तुम्हें बरी कर देंगे (यानी वराअत का इज़हार वही के ज़रिये फ़रमा देंगे) और

अगर तुमसे कोई भूल-चूक हो गयी है तो अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि बन्दा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल फ़रमा लेते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना कलाम पूरा फ़रमा लिया तो मेरे आँसू बिल्कुल खुश्क हो गये, मेरी आँखों में एक कतरा न रहा। मैंने अपने वालिद अबू बक्र सिद्दीक से कहा कि आप रसूलुल्लाह की बात का जवाब दीजिये। अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उज़्र किया कि मैं क्या कह सकता हूँ। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप जवाब दीजिये, उन्होंने भी उज़्र कर दिया कि मैं क्या कह सकती हूँ। अब मजबूर होकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैं एक कमउम्र लड़की थी, अब तक क़ुरआन भी ज्यादा नहीं पढ़ सकी थी। उस वक़्त इस रंज व ग़म और इन्तिहाई सदमे की हालत में जबकि अच्छे-अच्छे अक्लमन्दों को भी कोई उचित कलाम करना आसान नहीं होता, हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो कुछ फ़रमाया वह एक अजीब व ग़रीब अक्ल व दानिश भरा कलाम है, उसके अलफ़ाज़ बिल्कुल उसी तरह लिखे जाते हैं। फ़रमाया:

والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم اني بريئة
والله يعلم اني بريئة لا تصدقوني ولان اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئة لتصدقوني. والله لا اجد لي
ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 0

“खुदा की कसम मुझे मालूम हो गया है कि आपने इस बात को सुना और सुनते रहे यहाँ तक कि आपके दिल में बैठ गयी और आपने उसकी (अमली तौर पर) तस्दीक़ कर दी। अब अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं इससे बरी हूँ जैसा कि अल्लाह जानता है कि वाकई मैं बरी हूँ तो आप मेरी तस्दीक़ न करेंगे, और अगर मैं ऐसे काम को स्वीकार कर लूँ जिससे मेरा बरी होना अल्लाह तआला जानता है तो आप मेरी बात मान लेंगे। अल्लाह की कसम अब मैं अपने और आपके मामले की कोई मिसाल सिवाय उसके नहीं पाती जो हज़रत यूसुफ़ के वालिद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की ग़लत बात सुनकर फ़रमाई थी कि मैं सब्र जमील इस्त्रियार करता हूँ और अल्लाह से उस मामले में मदद तलब करता हूँ जो तुम बयान कर रहे हो।”

हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि इतनी बात करके मैं अलग अपने बिस्तर पर जाकर लेट गयी और फ़रमाया कि मुझे यकीन था कि जैसा कि मैं वास्तव में बरी हूँ अल्लाह तआला मेरी बराअत का इज़हार वही के ज़रिये ज़रूर फ़रमायेंगे। लेकिन यह वहम व ख़्याल भी न था कि मेरे मामले में क़ुरआन की आयतें नाज़िल होंगी जो हमेशा तिलावत की जायेंगी, क्योंकि मैं अपना मक़ाम इससे बहुत कम महसूस करती थी। हाँ यह ख़्याल था कि ग़ालिबन आपको ख़्वाब में मेरी बराअत ज़ाहिर कर दी जायेगी। सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी मज्लिस से अभी नहीं उठे थे और घर वालों में भी कोई नहीं उठा था कि आप पर वह कैफ़ियत तारी हुई जो वही उतरने के वक़्त हुआ करती थी, जिससे सख़्त सर्दी के ज़माने में आपकी पेशानी मुबारक से पसीना फूटने लगता था। जब यह कैफ़ियत दूर हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हंसते हुए उठे और सबसे पहला क़लिमा जो फ़रमाया वह यह था:

यानी ऐ आयशा! खुशखबरी सुनो, अल्लाह तआला ने तो तुम्हें बरी कर दिया।

मेरी वालिदा ने कहा कि खड़ी हो जाओ और हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हाज़िर हो। मैंने कहा कि न मैं इस मामले में अल्लाह के सिवा किसी का एहसान मानती हूँ न खड़ी हूँगी, मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसी ने मुझे बरी फ़रमाया।

हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की चन्द खुसूसियतें

इमाम बग़वी रह. ने इन्हीं आयतों की तफ़सीर में फ़रमाया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चन्द खुसूसियतें (विशेषतायें) ऐसी हैं जो उनके अलावा किसी दूसरी औरत को नसीब नहीं हुईं। और सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी (अल्लाह की नेमत के इज़हार के तौर पर) इन चीज़ों को फ़ख़ के साथ बयान फ़रमाया करती थीं। एक यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह में आने से पहले जिब्रीले अमीन अलैहिस्सलाम एक रेशमी कपड़े में मेरी तस्वीर लेकर हुजूरे पाक के पास आये और फ़रमाया कि यह तुम्हारी बीवी है। (तिर्मिज़ी, हज़रत आयशा की रिवायत से) और कुछ रिवायतों में है कि जिब्रीले अमीन अपनी हथेली में यह सूरत लेकर तशरीफ़ लाये थे।

दूसरी यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके सिवा किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया।

तीसरी यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात उनकी गोद में हुई।

चौथी यह कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ही में आप दफ़न हुए।

पाँचवीं यह कि आप पर उस वक़्त भी वही नाज़िल होती थी जबकि आप हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ एक लिहाफ़ में होते थे, दूरी किसी बीवी को यह विशेषता हासिल न थी।

छठी यह कि आसमान से उनकी बराअत नाज़िल हुई।

सातवीं यह कि वह ख़लीफ़ा-ए-रसूलुल्लाह की बेटी हैं और सिद्दीका हैं। और उनमें से हैं जिनसे दुनिया ही में मग़फ़िरत का और इज़्ज़त की सेज़ी का अल्लाह तआला ने वायदा फ़रमा लिया है।

(तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दीनी समझ, और इल्मी तहकीकात और फ़ाज़िलाना तकरीर को देखकर हज़रत मूसा बिन तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने सिद्दीका आयशा से ज़्यादा फ़सीह व बलीग़ (उम्दा और असरदार अन्दाज़ में बात करने वाला) नहीं देखा। (तिर्मिज़ी)

तफ़सीरे कुर्तुबी में नक़ल किया है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआला ने एक छोटे बच्चे को बोलने की ताक़त देकर उसकी गवाही से उनकी बराअत जाहिर फ़रमाई और हज़रत मरियम अलैहस्सलाम पर तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआला ने उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही से उनको बरी किया, और हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआला ने कुरआने करीम की दस आयतें नाज़िल करके उनकी बराअत का ऐलान किया, जिसने उनके फ़ज़ल व इज़्ज़त को और बढ़ा दिया।

उपर्युक्त आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर खुलासा-ए-तफ़सीर के उनवान में आ चुकी है, अब आयतों के खास-खास जुमलों से बारे में कुछ बातें देखिये।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ

इफ़्क के असली लुग़वी मायने पलट देने और बदल देने के हैं। बदतरीन किस्म का झूठ जो हक़ को बातिल से बातिल को हक़ से बदल दे। पाकबाज़ मुत्तकी को बदकार, बदकार व गुनाहगार को मुत्तकी परहेज़गार बना दे उस झूठ को भी इफ़्क कहते हैं। 'उस्बतुन' के मायने जमाअत के हैं जो दस से चालीस तक हो, इससे कम व ज़्यादा के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। 'मिन्कुम' से मुराद मोमिन हैं। इस तोहमत का असल गढ़ने वाला अंगरचे मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफ़िक़ अब्दुल्लाह इब्ने उबई था जो मोमिनों में दाख़िल नहीं मगर मुनाफ़िक़ लोग जो इस्लाम का दावा करते थे उन पर भी ज़ाहिरी अहक़ाम मोमिनों के जारी होते थे, इसलिये 'मिन्कुम' (तुम में से) के लफ़्ज़ में उसको भी शामिल कर लिया गया।

मुसलमानों में से दो मर्द और एक औरत इसमें मुत्तला हुए जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आयतें नाज़िल होने के बाद जिना की तोहमत की सज़ा जारी फ़रमाई। मगर तमाम मोमिन हज़रत ने तौबा कर ली और अल्लाह ने उनकी तौबा क़ुबूल फ़रमा ली, उनमें से हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मिस्तह दोनों बदर में शरीक होने वालों में से हैं जिनके लिये अल्लाह तआला ने क़ुरआन में मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमा दिया है। इसी लिये हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने कोई हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु की बुराई करता तो वह पसन्द न करती थीं अंगरचे यह भी उन दो मर्दों में शामिल थे जिन पर तोहमत लगाने की सज़ा लगाई गयी थी। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती थीं कि हस्सान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से काफ़िरों का शायरी में मुक़ाबला ख़ूब किया है इसलिये उनको बुरा नहीं कहना चाहिये। और वह जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाज़िर होते तो उनको इज़्ज़त व सम्मान के साथ बैठाती थीं। (तफ़सीरे मज़हरी वगैरह)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ

यह ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम मोमिनों को है जिनको इस अफ़वाह के फैलने से सदमा पहुँचा। और मायने यह है कि इस वाक़िए को आप बुरा न समझें क्योंकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन में बराअत नाज़िल फ़रमाकर उनका सम्मान और बढ़ा दिया। और जिन लोगों ने ये हरकतें की थीं उनके अज़ाब की सख़्त वईद नाज़िल फ़रमा दी जो क़ियामत तक मेहराबों में पढ़ी जायेगी।

لِكُلِّ امْرَأٍ مِّنْهُم مَّا كَتَبَ مِنَ الْإِثْمِ

यानी जिन लोगों ने इस बोहतान में जितना हिस्सा लिया उसी हिस्सा से उसका गुनाह लिखा गया है और उसी अनुपात से उसको अज़ाब होगा। जिसने यह ख़बर गढ़ी और चलती की जिसका जिक़्र आगे आता है वह सबसे ज़्यादा अज़ाब का हक़दार है, जिसने ख़बर सुनकर ताइद की वह उससे कम,

जिसने सुनकर खामोशी इख्तियार की वह उससे कम।

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

लफ्ज़ 'किब्र' के मायने बड़े के हैं। मुराद यह है जिसने इस तोहमत में बड़ा काम किया यानी इसको गढ़ा और चलता किया उसके लिये ज़बरदस्त और बड़ा अज़ाब है। मुराद इससे अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक है। (बग़वी वग़ैरह)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

यानी ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने इस तोहमत की खबर सुनी थी तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें अपने बारे में यानी अपने मुसलमान भाई-बहन के बारे में नेक गुमान करते और कह देते कि यह खुला झूठ है।

इस आयत में कई चीज़ें काबिले गौर हैं- अब्बल यह कि 'बिअन्फुसिहिम' के लफ्ज़ से कुरआने करीम ने यह इशारा किया कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को बदनाम व रुस्वा करता है वह वास्तव में अपने आप ही को रुस्वा करता है, क्योंकि इस्लाम के रिश्ते ने सब को एक बना दिया है। कुरआने करीम ने ऐसे तमाम मौकों में यह इशारा इस्तेमाल फ़रमाया है जैसा एक जगह फ़रमाया:

لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

यानी ऐब न लगाओ अपने आपको। मुराद इससे यह है कि किसी भाई मुसलमान मर्द या औरत को। दूसरी जगह फ़रमाया:

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

अपने आपको क़त्ल न करो। मुराद वही है कि किसी भाई मुसलमान को क़त्ल न करो। तीसरी जगह फ़रमाया:

وَلَا تُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

यानी न निकालो अपने आपको अपने घरों से। यहाँ भी किसी मुसलमान भाई को उसके घर से निकालना मुराद है। चौथी जगह फ़रमाया:

فَسَلِّمُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ

यानी अपने आपको सलाम करो। मुराद वही भाई मुसलमान को सलाम करना है। कुरआन की ये सब आयतें ज़िम्नी तौर पर यह हिदायत देती हैं कि एक मुसलमान जो दूसरे किसी भी मुसलमान पर ऐब लगाता या उसको तकलीफ़ व नुक़सान पहुँचाता है हकीकत के एतिबार से खुद अपने को ऐबदार करता है और खुद नुक़सान व तकलीफ़ उठाता है, क्योंकि इसका अन्जाम पूरी क़ौम की रुस्वाई और बदनामी होती है। शैख़ सअदी ने फ़रमाया है:

चू अज़ क़ौमे यके बेदानिशी कर्द न कह रा मन्ज़िलत मानद न मह रा

यानी किसी क़ौम में से जब कोई शख्स बेवक़ूफी कर बैठता है तो उसका परिणाम क़ौम के हर शख्स को भुगतना पड़ता है, सभी की इज़्ज़त को बड़ा लगता है। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

कुरआन पाक की इसी तालीम का असर था कि जब मुसलमान उभरे तो पूरी कौम के साथ उभरे, उनका हर फर्द उभरा। और इसी के छोड़ने का नतीजा आज आँखों से देखा जा रहा है कि सब गिरे और हर फर्द गिरा। दूसरी बात इस आयत में यह ध्यान देने के काबिल है कि मक़ाम का तकाज़ा यह था कि:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّتُمْ بِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا.

बहुवचन के कलिमे के साथ कहा जाता जैसा कि शुरू में 'समिअ्तुमूहु' खिताब के कलिमे के साथ आया है। मगर कुरआने करीम ने इस मुख़्तसर जुमले को छोड़कर इस जगह अन्दाज़ कि खिताब के कलिमे यानी 'ज़नन्तुम' के बजाय 'ज़न्नल्-मुअ्मिनू-न' फ़रमाया। इसमें हल्का सा इशारा इस बात की तरफ़ है कि यह फ़ेल (अमल) जिन लोगों से हुआ वे इस फ़ेल की हद तक मोमिन कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं, क्योंकि ईमान का तकाज़ा यह था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अच्छा गुमान कायम रखता।

तीसरी बात यह गौर करने के काबिल है कि इस आयत के आखिरी जुमले:

وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝

में यह तालीम दी गयी है कि ईमान का तकाज़ा यह था कि मुसलमान इस ख़बर को सुनते ही कह देते कि यह खुला झूठ है। इससे साबित हुआ कि किसी मुसलमान के बारे में जब तक किसी गुनाह या ऐब का इल्म किसी शरई दलील से न हो जाये उस वक़्त तक उसके साथ नेक गुमान रखना और बिना किसी दलील के ऐब व गुनाह की बात उसकी तरफ़ मन्सूब करने को झूठ करार देना पूरी तरह ईमान का तकाज़ा है।

मसला: इससे साबित हुआ कि हर मुसलमान मर्द व औरत के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है जब तक किसी शरई दलील से उसके खिलाफ़ साबित न हो जाये। और जो शख्स बिना शरई दलील के उस पर इल्ज़ाम लगाता है, उसकी बात को रद्द करना और झूठा करार देना भी वाजिब है क्योंकि वह महज़ एक ग़ीबत और मुसलमान को बिना वजह रुस्वा करना है। (तफ़सीरे मज़हरी)

لَوْلَا إِجَاءُ وَ عَلَيْهِ بَارِعَةٌ شَهَدَاءٌ فَأَذْلَمَ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَوْلَيْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۝

इस आयत के पहले जुमले में तो इसकी हिदायत है कि ऐसी ख़बर मशहूर करने वालों के बारे में मुसलमानों को चाहिये था कि उनकी बात को चलता करने के बजाय उनसे दलील का मुतालबा करते और चूँकि जिना की तोहमत के मामले में शरई दलील चार गवाहों के बग़ैर कायम नहीं होती इसलिये उनसे मुतालबा यह करना चाहिये कि तुम जो कुछ कह रहे हो उस पर चार गवाह पेश करो, या ज़बान बन्द करो। दूसरी जुमले में फ़रमाया कि जब वे चार गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही लोग झूठे हैं।

यहाँ यह बात गौर तलब है कि ऐसा होना कुछ मुश्किल और दूर की बात नहीं कि एक शख्स ने अपनी आँख से एक वाक़िआ देखा मगर उसको उस पर दूसरे गवाह नहीं मिले तो अगर यह शख्स अपने चश्मदीद वाक़िआ को बयान करता है तो इसको झूठा कैसे कहा जा सकता है, ख़ुसूतन अल्लाह

नज़दीक झूठा कहना तो किसी तरह समझ ही में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह तआला को तो सब केआत की हकीकतें मालूम हैं, और यह वाकिआ वजूद में आना भी मालूम है तो वह अल्लाह के दीक झूठ बोलने वाला कैसे करार पाया? इसके दो जवाब हैं- अव्वल यह कि यहाँ अल्लाह के दीक से मुराद अल्लाह के हुक्म और उसके क़ानून से है, यानी यह शख्स क़ानूने इलाही और हुक्मे शरिफ़ की एतिबार से झूठा करार दिया जायेगा और इस पर जिना की तोहमत की सज़ा जारी की जायेगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यह था कि जब चार गवाह न हों तो वाकिआ देखने के बावजूद उसको बयान न करो, और जो बग़ैर चार गवाहों के बयान करेगा वह क़ानूनन और हुक्मन झूठा करार पाकर सज़ा पायेगा।

दूसरा जवाब यह है कि मुसलमान की शान यह है कि कोई काम फुज़ूल न करे, जिसका कोई फ़ायदा व नतीजा न हो, खासकर ऐसा काम जिसमें दूसरी मुसलमान पर कोई इल्जाम आयद होता हो। तो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ़ किसी ऐब व गुनाह की गवाही सिर्फ़ इस नीयत से दे सकता है कि जुर्म व गुनाह का बन्द करना मक़सद हो, किसी को रुस्वा करना या तकलीफ़ देना मक़सद न हो। तो जिस शख्स ने चार गवाहों के बग़ैर इस किस्म की गवाही ज़बान से निकाली गोया उसका दावा यह है कि मैं यह कलाम मख़्लूक के सुधार और समाज को बुराई से बचाने और अपराधों को रोकने की नीयत से कर रहा हूँ। मगर जब शरीअत का क़ानून उसको मालूम है कि बग़ैर चार गवाहों के ऐसी गवाही देने से न उस शख्स पर कोई हद व सज़ा जारी होगी और न सुबूत बन सकेगा, बल्कि उल्टा झूठ बोलने की सज़ा का मैं मुस्तहिक़ हो जाऊँगा, तो उस वक़्त वह अल्लाह के नज़दीक अपनी इस नीयत के दावे में झूठा है कि मैं मख़्लूक के सुधार और अपराधों के रोकने की नीयत से यह गवाही दे रहा हूँ। क्योंकि शरई क़ानून के मुताबिक़ गवाही न होने की सूरत में यह नीयत हो ही नहीं सकती। (तफ़सीरे मज़हरी)

एक अहम और ज़रूरी तंबीह

ऊपर बयान हुई दोनों आयतों में हर मुसलमान को दूसरे मुसलमानों से अच्छा गुमान रखने की हिदायत और उसके खिलाफ़ बिना दलील बातों की तरदीद को वाजिब करार दिया है। इस पर किसी को यह शुक्हा न होना चाहिये कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहले ही से इस ख़बर के ग़लत होने पर यकीन क्यों न फ़रमाया, और इस ख़बर की तरदीद (खण्डन) क्यों न कर दी और एक महीने तक असमंजस और दुविधा की हालत में क्यों रहे, यहाँ तक कि हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया कि अगर तुम से कोई ख़ता और चूक हो गयी हो तो तौबा कर लेना चाहिये। (जैसा कि बुखारी शरीफ़ में है)

वजह यह है कि यहाँ एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर अच्छा गुमान रखने का जो हुक्म है वह उस दुविधा और असमंजस के विरुद्ध नहीं जो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पेश आया। क्योंकि आपने इस ख़बर की न तस्दीक़ फ़रमाई और न इसके तकाज़े पर कोई अमल फ़रमाया, न इसका चर्चा करना पसन्द फ़रमाया बल्कि सहाबा-ए-किराम के मजमे में यही फ़रमाया कि:

ما علمت على اهلى الأخرى. (رواه البخارى)

यानी मैं अपनी बीवी के बारे में भलाई और नेकी के सिवा कुछ नहीं जानता।

यह सब इन्हीं उपर्युक्त आयतों के तफ़ाज़े पर अमल और अच्छा गुमान रखने के सबूत हैं। अलबत्ता निश्चित और यकीनी इल्म जिससे तबई दुविधा और असमंजस भी दूर हो जाये वह उस वक़्त हुआ जब बराअत की आयतें नाज़िल हो गयीं।

खुलासा यह है कि दिल में कोई शक व दुविधा पैदा हो जाना और एहतियाती तदबीरें इस्तेमाल करना जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया मोमिनों के साथ अच्छे गुमान के विरुद्ध नहीं था जबकि उसके तफ़ाज़े पर कोई अमल न किया गया हो। जिन मुसलमानों पर इस मामले में जिना की तोहमत की सज़ा जारी की गयी और इन दो आयतों में उन पर नाराज़गी का इज़हार किया गया उन्होंने इस ख़बर के तफ़ाज़े पर अमल किया था कि उसका चर्चा किया और फैलाया वह आयतों के नाज़िल होने से पहले भी नाजायज़ और सज़ा को वाजिब करने वाला था।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

यह आयत उन मोमिनों के बारे में नाज़िल हुई जो ग़लती से इस तोहमत में किसी किस्म की शिकत कर बैठे थे, फिर तौबा कर ली, और कई पर सज़ा भी जारी हुई। उन सब को इस आयत ने यह भी बतला दिया कि जो जुर्म तुमसे हुआ वह बहुत बड़ा जुर्म था, उस पर दुनिया में भी अज़ाब आ सकता था जैसे पिछली कौमों के मुजरिमों पर आया है, और आख़िरत में भी उस पर सज़ा अज़ाब होता मगर अल्लाह तआला का मामला तुम मोमिनों के साथ फ़ज़ल व रहमत का है, दुनिया में भी, आख़िरत में भी, इसलिये यह अज़ाब तुमसे टल गया। दुनिया में अल्लाह के फ़ज़ल व रहम की निशानियाँ इस तरह ज़ाहिर हुई कि अब्बल इस्लाम व इमान की तौफ़ीक़ बख़्शी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत का सम्मान अता फ़रमाया जो कि अज़ाब के नाज़िल होने से रुकावट है, और फिर जो गुनाह हो गया था उससे सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ बख़्शी, फिर उस पर तौबा को कुबूल फ़रमा लिया। और आख़िरत में अल्लाह के फ़ज़ल व रहमत का असर यह है कि तुम से माफ़ी व दरगुज़र और मग़फ़िरत का वायदा फ़रमा लिया।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّبْتِ كُمْ ۝

“तलक्का” का मफ़हूम यह है कि एक दूसरे से बात पूछे और नक़ल करे। यहाँ बात को सुनकर बिना दलील और बिना तहक्कीक़ के आगे चलती कर देना मुराद है।

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

यानी तुम तो इसको मामूली बात ख़्याल करते थे कि हमने जैसा सुना वैसा दूसरे से नक़ल कर दिया मगर वह अल्लाह के नज़दीक़ बहुत बड़ा गुनाह था कि बिना दलील और बिना तहक्कीक़ के ऐसी बात को चलता कर दिया जिससे दूसरे मुसलमान को सज़ा तकलीफ़ हो, उसकी रुस्वाई हो और उसके लिये ज़िन्दगी दुभर हो जाये।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝

यानी ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने यह अफवाह सुनी थी तो यूँ कह देते कि हमारे लिये ऐसी बात ज़बान से निकालना जायज़ नहीं। पाक है अल्लाह, यह तो बड़ा बोहतान है।

इस आयत में एक बार फिर वही हिदायत है जो इससे पहली एक आयत में आ चुकी है। इसमें यह और अधिक वज़ाहत है कि मुसलमानों को ऐसी ख़बर सुनने के वक़्त क्या अमल करना चाहिये, वह यह कि ये साफ़ कह दें कि ऐसी बात बिना किसी दलील के ज़बान से निकालना भी हमारे लिये जायज़ नहीं, यह तो बड़ा बोहतान है।

एक शुब्हा और उसका जवाब

अगर किसी को यह शुब्हा हो कि जैसे किसी वाकिए की सच्चाई बग़ैर दलील के मालूम नहीं होती इसलिये उसका ज़बान से निकालना और चर्चा करना नाजायज़ करार पाया, इसी तरह किसी कलाम का झूठा होना भी तो बग़ैर दलील के साबित नहीं होता कि उसको बड़ा बोहतान कह दिया जाये। जवाब यह है कि हर मुसलमान को गुनाहों से पाक-साफ़ समझना शर्ई असल है जो दलील से साबित है, उसके खिलाफ़ जो बात बग़ैर दलील के कही जाये उसको झूठा समझने के लिये किसी और दलील की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ इतना काफी है कि एक मोमिन मुसलमान पर बग़ैर किसी शर्ई दलील के इल्जाम लगाया गया है लिहाज़ा यह बोहतान है।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

इस आयत में फिर उन लोगों की निंदा व बुराई और उन पर दुनिया व आख़िरत के अज़ाब की वईद (सज़ा की धमकी) है जिन्होंने इस तोहमत में किसी तरह का हिस्सा लिया। इस आयत में यह बात ज़्यादा है कि जो लोग ऐसी ख़बरें मशहूर करते हैं गोया वे यह चाहते हैं कि मुसलमानों में बदकारी और बुराई फैल जाये।

बदकारियों को रोकने का कुरआनी निज़ाम

बुराईयों और बदकारियों पर बन्दिश का कुरआनी सिस्टम और एक अहम तदबीर जिसके नज़र-अन्दाज़ करने का नतीजा आजकल बुराई और बदकारी की अधिकता है।

कुरआने हकीम ने बुराई और बदकारी के ख़ात्मे का यह ख़ास निज़ाम बनाया है कि अव्वल तो इस किस्म की ख़बर कहीं मशहूर न होने पाये, और शोहरत हो तो शर्ई सुबूत के साथ हो ताकि उस शोहरत के साथ ही आम मजमे में ज़िना की सज़ा उस पर जारी करके उस शोहरत ही को रुकावट का ज़रिया बना दिया जाये। और जहाँ शर्ई सुबूत न हो वहाँ इस तरह की बेहयाई की ख़बरों को चलता कर देना और शोहरत देना जबकि उसके साथ कोई सज़ा नहीं, तबई तौर पर लोगों के दिलों से बेहयाई और बदकारी की नफ़रत कम कर देने और अपराधों पर क़दम बढ़ाने और उसको फैलाने का सबब होती है जिसको आजकल के अख़बारों में रोज़ाना देखा जा रहा है कि इस तरह की ख़बरें हर रोज़ हर अख़बार में छपती रहती हैं, नौजवान मर्द और औरतें उनको देखते रहते हैं, रोज़ाना ऐसी

ख़बरों के सामने आने और उन पर किसी खास सज़ा के मुरत्तब न होने का लाज़िमी और तबई असर यह होता है कि देखते-देखते वह बुरा काम नज़रों में हल्का नज़र आने लगता है और फिर नफ़्स में उभार पैदा करने का ज़रिया होता है। इसी लिये कुरआने करीम ने ऐसी ख़बरों के प्रचार की इजाज़त सिर्फ़ उस सूरात में दी है जबकि वह शरई सुबूत के साथ हो, उसके नतीजे में ख़बर के साथ ही उस बेहयाई की हौलनाक सज़ा व परिणाम भी देखने सुनने वालों के सामने आ जाये। और जहाँ सुबूत और सज़ा न हो तो ऐसी ख़बरों के प्रचार व प्रसार को कुरआन ने मुसलमानों में बुराई व बेहयाई फैलाने का सबब करार दिया है। काश मुसलमान इस पर गौर करें।

इस आयत में ऐसी ख़बरें बिना सुबूत के मशहूर करने वालों पर दुनिया व आख़िरत दोनों में दर्दनाक अज़ाब होने का जिक्र है। आख़िरत का अज़ाब तो ज़ाहिर है कि क़ियामत के बाद होगा जिसका यहाँ अनुभव और देखना नहीं हो सकता मगर दुनिया का अज़ाब तो देखने में आना चाहिये। सो जिन लोगों पर तोहमत की सज़ा जारी कर दी गयी उन पर तो दुनिया का अज़ाब आ ही गया। और अगर कोई शख्स सज़ा की शर्तों के मौजूद न होने की वजह से तोहमत की सज़ा से बच निकला तो वह कुल मिलाकर दुनिया में भी अज़ाब का मुस्तहक़ तो ठहरा, आयत के मिस्ताक़ (चस्पॉ होने) के लिये यह भी काफी है।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَلْيَعْفُوا

وَلْيَصْفَحُوا. أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

सहाबा-ए-किराम को ऊँचे अख़लाक़ की तालीम

‘व ला यअतलि’। ‘इअतिला’ के मायने क़सम खाने के हैं। हज़रत सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत के वाक़िए में मुसलमानों में से हज़रत मिस्तह और हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुब्तला हो गये थे जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद तोहमत की सज़ा जारी फ़रमाई। हज़रत मिस्तह और हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ही बड़े रुतबे वाले सहाबी और जंगे बदर में शरीक होने वालों में से हैं, मगर एक चूक और भूल हो गयी जिस से सच्ची तौबा नसीब हुई और हक़ तअ़ला ने जिस तरह हज़रत सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत नाज़िल फ़रमा दी इसी तरह इन मोमिनों की तौबा कुबूल करने और माफ़ करने का भी ऐलान फ़रमा दिया।

हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सिदीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार भी थे और ग़रीब भी। हज़रत सिदीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी माली मदद फ़रमाया करते थे। जब बोहतान लगाने के इस वाक़िए में उनकी किसी दर्जे में शिक़त साबित हुई तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद की बाप की शफ़क़त और बेटी को ऐसा सख़्त सदमा पहुँचाने की वजह से तबई तौर पर मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु से रंज पैदा हो गया और क़सम खा बैठे कि आईन्दा उनकी कोई माली मदद नहीं करेंगे। यह ज़ाहिर है कि किसी खास फ़कीर की माली मदद करना किसी खास मुसलमान पर उसको खास करके वाज़िब नहीं, और जिसकी माली मदद कोई करता है अगर वह उसको रोक ले

तो गुनाह की कोई वजह नहीं, मगर सहाबा-ए-किराम की जमाअत को हक़ तआला दुनिया के लिये एक मिसाली समाज बनाने वाले थे इसलिये एक तरफ़ जिन लोगों से ख़ता और चूक हुई उनको सच्ची तौबा और आईन्दा अपनी हालत के सुधार की नेमत से नवाज़ा, दूसरी तरफ़ जिन बुजुर्गों ने तबई रंज व मलाल के सबब ऐसे ग़रीब फ़कीर की मदद बन्द करने की क़सम खा ली उनको ऊँचे अख़लाक़ की तालीम इस आयत में दी गयी कि उनको यह क़सम तोड़ देना और उसका कफ़ारा अदा कर देना चाहिये। उनकी माली इमदाद से हाथ खींचना उनके ऊँचे मक़ाम के मुनासिब नहीं। जिस तरह अल्लाह तआला ने उनको माफ़ कर दिया इनको भी माफ़ी व दरगुज़र से काम लेना चाहिये।

चूँकि हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु की माली इमदाद करना कोई शरई वाजिब हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जिम्मे नहीं था इसी लिये कुरआने करीम ने अन्दाज़ यह इख़्तियार फ़रमाया कि इल्म व फ़ज़ल वाले जिनको अल्लाह ने दीनी कमालात अता फ़रमाये हैं और जिनको अल्लाह की राह में ख़र्च करने की वुस्अत व गुंजाईश भी है, उनको ऐसी क़सम नहीं खानी चाहिये। आयत में दो लफ़्ज़ 'उलुल-फ़ज़ल' और 'वस्स-अति' इसी मायने के लिये आये हैं।

इस आयत के आखिरी जुमले में जो इरशाद हुआ कि:

أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

यानी क्या तुम यह पसन्द नहीं करते कि अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा दे, तो सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कहा:

وَاللَّهُ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي

यानी खुदा की क़सम मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अल्लाह तआला मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे। और फौरन हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु की माली इमदाद जारी फ़रमा दी, और यह भी फ़रमाया अब कभी यह इमदाद बन्द न होगी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यह ऊँचे अख़लाक़ का वह नमूना है जिनसे सहाबा-ए-किराम की तरबियत की गयी है। सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها.

“यानी सिला-रहमी करने वाला वह नहीं जो रिश्तेदारों के सिर्फ़ एहसान का बदला कर दे बल्कि असल सिला-रहमी करने वाला वह है कि रिश्तेदारों के ताल्लुक़ तोड़ लेने के बावजूद यह ताल्लुक़ कायम रखे।” (तफ़सीरे मज़हरी)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَعْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

इस आयत में बज़ाहिर दोबारा वह मज़मून बयान हुआ है जो इससे पहले तोहमत की सज़ा वाली आयतों में आ चुका है। यानी:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا.

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنۢمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

लेकिन दर हकीकत इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। क्योंकि तोहमत की सज़ा की आयतों के आख़िर में तौबा करने वालों को अलग किया गया और उनके लिये मग़फ़िरत का वायदा है। इस आयत में ऐसा नहीं बल्कि दुनिया व आख़िरत की लानत और बड़ा अज़ाब बिना किसी को अलग किये बयान हुआ है। इससे मालूम होता है कि इस आयत का ताल्लुक उन लोगों से है जिन्होंने हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई और फिर उससे तौबा नहीं की, यहाँ तक कि कुरआन में उनकी बराअत नाज़िल होने के बाद भी वे अपने इस बोहतान व इल्ज़ाम पर कायम और तोहमत का चर्चा करने में मशगूल रहे। ज़ाहिर है कि यह काम किसी मुसलमान से मुम्किन नहीं। और जो मुसलमान भी कुरआनी वज़ाहतों की ऐसी मुखालफ़त करे वह मुसलमान नहीं रह सकता। इसलिये यह मजमून उन मुनाफ़िकों के बारे में आया है जिन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीका की बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद भी तोहमत के इस मशगले को नहीं छोड़ा, उनके काफ़िर मुनाफ़िक होने में कोई शक व शुब्हा नहीं। तौबा करने वालों के लिये अल्लाह तआला ने 'फ़ज़्लुल्लाहि व रस्मतुहु' फ़रमाकर दोनों जहान में रहमत पा लेने वाला क़रार दिया और जिन्होंने तौबा नहीं की उनको इस आयत में दुनिया व आख़िरत में लानत का हक़दार फ़रमाया। तौबा करने वालों को अज़ाब से निजात की खुशख़बरी दी और तौबा न करने वालों के लिये बड़े अज़ाब की धमकी बयान फ़रमाई। तौबा करने वालों को 'इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम' फ़रमाकर मग़फ़िरत की खुशख़बरी दी और तौबा न करने वालों को अगली आयत 'यौ-म तश्हदु अलैहिम्' में माफ़ी न होने की वईद (सज़ा की धमकी) बयान फ़रमाई। (तफ़्सीर बयानुल-क़ुरआन में इसी तरह तफ़्सीर की गयी है)

एक अहम तंबीह

हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत के क़ज़िये में जो बाज़े मुसलमान भी शरीक हो गये थे यह क़ज़िया उस वक़्त का था जब तक बराअत (बरी होने) की आयतें कुरआन में नाज़िल नहीं हुई थीं। बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद जो शख्स हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाये वह बिल्हा शुब्हा काफ़िर और कुरआन का इनकारी है जैसा कि शियों के कुछ फ़िके और कुछ दूसरे अफ़राद इसमें मुब्तला पाये जाते हैं, उनके काफ़िर होने में कोई शक व शुब्हा करने की भी गुंजाईश नहीं, वे तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से काफ़िर हैं।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

यानी उस दिन जबकि उनके खिलाफ़ खुद उनकी ज़बानें और हाथ-पाँव बोलेंगे और उनके गुनाहों और बुरे आमाल की गवाही देंगे जैसा कि हदीस की रिवायतों में है कि क़ियामत के दिन जो गुनाहगार अपने गुनाह का इक़रार कर लेगा तो अल्लाह तआला उसको माफ़ फ़रमा देंगे और मेहशर के आम मजमे की नज़रों से उसके गुनाह को छुपा देंगे, और जो वहाँ भी इनकार करेगा कि मैंने तो यह काम नहीं किया, निगराँ फ़ारिश्तों ने ग़लत मेरे नामा-ए-आमाल में लिख दिया है तो उस वक़्त उनके मुँह बन्द कर दिये जायेंगे और हाथ-पाँव से गवाही ली जायेगी, वे बोलेंगे और गवाही देंगे:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

(सूर: यासीन आयत 65) में इसी का बयान है। इस आयत में यह फ़रमाया कि उनके मुँहों पर मोहर लगा दी जायेगी मगर ऊपर बयान हुई आयत में यह है कि खुद उनकी ज़बानें गवाही देंगी। इन दोनों में कोई टकराव इसलिये नहीं कि वे अपनी ज़बान को अपने इख़्तियार से इस्तेमाल न कर सकेंगे कि उस वक़्त जो चाहें झूठी या सच्ची बात कह दें, जैसे दुनिया में इसका इख़्तियार है, बल्कि उनकी ज़बान उनके इरादे और क़स्द के ख़िलाफ़ हक़ बात का इक़रार करेगी। और यह भी मुम्किन है कि एक वक़्त में मुँह और ज़बान बिल्कुल बन्द कर दी जायें फिर खुद ज़बान को भी हुक्म हो कि सच्ची बात बोले। वल्लाहु आलम

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ. أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

مِمَّا يَقُولُونَ. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

यानी गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लायक होती हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लायक होते हैं, और पाक-साफ़ औरतें पाक-साफ़ मर्दों के लायक होती हैं और पाक-साफ़ मर्द पाक-साफ़ औरतों के लायक होते हैं।

इस आखिरी आयत में अब्बल तो आ़म नियम यह बतला दिया गया कि अल्लाह तआ़ला ने तबीयतों में तबई तौर पर जोड़ रखा है। गन्दी और बदकार औरतें बदकार मर्दों की तरफ़ और गन्दे बदकार मर्द गन्दी बदकार औरतों की तरफ़ दिलचस्पी और रुचि लिया करते हैं। इसी तरह पाक-साफ़ औरतों की दिलचस्पी पाक-साफ़ मर्दों की तरफ़ होती है और पाक-साफ़ मर्दों की दिलचस्पी पाक-साफ़ औरतों की तरफ़ हुआ करती है। और हर एक अपनी-अपनी रुचि और दिलचस्पी के मुताबिक़ अपना जोड़ तलाश करता है, और कुदरती तौर पर उसको वही मिल जाता है।

इस आ़म आदत और उसूल व कायदे से स्पष्ट हो गया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो दुनिया में जाहिरी व बातिनी पाकी और सफ़ाई में मिसाली शख़्सियत होते हैं इसलिये अल्लाह तआ़ला उनको बीवियाँ भी उनके मुनासिब अ़ता फ़रमाते हैं। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं उनको बीवियाँ भी अल्लाह तआ़ला ने पाकी और जाहिरी सफ़ाई और अख़्लाकी बरतरी में आप ही की शान के मुनासिब अ़ता फ़रमाई हैं। और सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन सब में विशेष और नुमायाँ हैं। उनके बारे में शक़ व शुब्हा वही कर सकता है जिसको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इमान न हो। और हज़रत नूह व हज़रत लूत अलैहिमुस्सलाम की बीवियों के बारे में जो कुरआने करीम में उनका काफ़िर होना बयान हुआ है तो उनके मुताल्लिक़ भी यह साबित है कि काफ़िर होने के बावजूद बुराई व बदकारी में मुब्तला नहीं थीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया:

مَا بَعَثَ امْرَأَةٌ نَبِيًّا قَطُّ.

यानी किसी नबी की औरत ने कभी जिना नहीं किया। (दुरै मन्सूर)

इससे मालूम हुआ कि किसी नबी की बीवी काफ़िर हो जाये इसकी तो संभावना है मगर बदकार

व बेहया हो जाये यह मुम्किन नहीं। क्योंकि बदकारी तबई तौर पर अ़वाम की नफ़रत का सबब है, कुफ़्र तबई नफ़रत का सबब नहीं। (बयानुल-कुरआन)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

या अय्युहल्लजी-न आमनू ला
तदखुलू बुयूतन् गै-र बुयूतिकुम् हत्ता
तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला
अस्तिहा, ज़ालिकुम् खैरुल्-लकुम्
लअल्लकुम् तजक्करून (27)
फ-इल्लम् तजिदू फीहा अ-हदन्
फला तदखुलूहा हत्ता युअ-ज़-न
लकुम् व इन् की-ल लकुमर्जिअ
फर्जिअ हु-व अज़्का लकुम्, वल्लाहु
बिमा तअमलू-न अलीम (28) लै-स
अलैकुम् जुनाहुन् अन् तदखुलू
बुयूतन् गै-र मस्कूनतिन् फीहा
मताअुल्-लकुम्, वल्लाहु यअुलमु मा
तुब्दू-न व मा तक्तुमून (29)

ऐ इमान वालो! मत जाया करो किसी घर में अपने घर के सिवाय जब तक बोल-चाल न कर लो, और सलाम कर लो उन घर वालों पर, यह बेहतर है तुम्हारे हक में ताकि तुम याद रखो। (27) फिर अगर न पाओ उसमें किसी को तो उसमें न जाओ जब तक कि इजाज़त न मिले तुम को, और अगर तुमको जवाब मिले कि लौट जाओ तो लौट जाओ, इसमें ख़ूब सुथराई है तुम्हारे लिये, और अल्लाह जो तुम करते हो उसको जानता है। (28) नहीं गुनाह तुम पर इसमें कि जाओ उन घरों में जहाँ कोई नहीं बसता, उसमें कुछ चीज़ हो तुम्हारी, और अल्लाह को मालूम है जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो। (29)

इजाज़त लेने और आपस में मुलाक़ात के आदाब

यह पाँचवाँ हुक्म है जिसमें इजाज़त लेने, आपस में मुलाक़ात करने और किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त हासिल करने के मुताल्लिक़ बयान है।

सूर: नूर के शुरू ही से बुराई व बदकारी और बेहयाई की रोकथाम के लिये उनसे संबन्धित अपराधों की सज़ाओं का ज़िक्र और बिना दलील किसी पर तोहमत लगाने की बुराई और निंदा का

बयान था, आगे उन्हीं बुराईयों के रोकने और ख़ात्मे तथा आबरू व पाकदामनी की हिफ़ाज़त के लिये ऐसे अहक़ाम दिये गये हैं जिनसे ऐसे हालात ही पैदा न हों जहाँ से बेहयाई को रास्ता मिले। उन्हीं अहक़ाम में से इजाज़त लेने के मसाले व अहक़ाम हैं कि किसी शख्स के मकान में बग़ैर उसकी इजाज़त के दाख़िल होना या अन्दर झाँकना वर्जित और ममनू कर दिया गया, जिसमें एक हिक्मत यह भी है कि ग़ैर-मेहरम औरतों पर नज़र न पड़े। ऊपर बयान हुई आयतों में विभिन्न किस्म के मकानात के विभिन्न अहक़ाम बयान किये गये हैं।

मकानात की चार किस्में हैं— एक ख़ास अपने रहने का मकान, जिसमें किसी दूसरे के आने का शुब्हा व गुमान नहीं। दूसरे वह मकान जिसमें कोई और भी रहता हो चाहे वह अपने मेहरम ही क्यों न हों, या किसी और के उसमें आ जाने का शुब्हा व गुमान हो। तीसरी किस्म वह मकान जिसमें किसी का फ़िलहाल रहना या न रहना दोनों का गुमान व संभावना हो। चौथी किस्म वह मकान जो किसी ख़ास शख्स के रहने के लिये मख़सूस न हो जैसे मस्जिद, मदरसा, ख़ानकाह बग़ैरह, आम लोगों के फ़ायदा उठाने और आने-जाने की जगहें। इनमें से पहली किस्म का हुक्म तो ज़ाहिर था कि उसमें जाने के लिये किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसका ज़िक्र इन आयतों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, बाकी तीन किस्मों के मकानात के अहक़ाम अगली आयतों में बयान फ़रमाते हैं।

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! तुम अपने (ख़ास रहने के) घरों के सिवा दूसरे घरों में (जिनमें दूसरे लोग रहते हों चाहे वे उनकी मिल्क हों या किसी से इस्तेमाल करने को ले लिये हों या किराये पर लिये हों) दाख़िल मत हो, जब तक कि (उनसे) इजाज़त हासिल न कर लो (यानी पहले बाहर से सलाम करो फिर उनसे पूछो कि क्या हमें अन्दर आने की इजाज़त है, और बग़ैर इजाज़त लिये वैसे ही मत घुस जाओ। और अगरचे बाज़े लोग इजाज़त लेने को अपनी शान के खिलाफ़ समझें लेकिन हकीकत में यही तुम्हारे लिये बेहतर है (कि इजाज़त लेकर जाओ। और यह बात तुमको इसलिए बताई) ताकि तुम ख़याल रखो (और इस पर अमल करो कि इसमें बड़ी हिक्मतें हैं। यह हुक्म हुआ मकानात की दूसरी किस्म का)। फिर अगर उन घरों में तुमको कोई आदमी मालूम न हो (चाहे वास्तव में वहाँ कोई हो या न हो) तो (भी) उन घरों में न जाओ जब तक कि तुमको इजाज़त न दी जाये (क्योंकि अब्बल तो यह हो सकता है कि उसमें कोई आदमी मौजूद हो अगरचे तुम्हें मालूम नहीं। और वास्तव में कोई मौजूद न हो तो दूसरे के ख़ाली मकान में भी बिना इजाज़त के घुस जाना, दूसरे की मिल्क में उसकी इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ करना है जो नाजायज़ है। यह हुक्म हुआ तीसरी किस्म का)। और अगर (इजाज़त तलब करने के वक़्त) तुमसे यह कह दिया जाये कि (इस वक़्त) लौट जाओ तो तुम लौट आया करो, यही बात तुम्हारे लिये बेहतर है, (इस बात से कि वहीं जम जाओ कि कभी तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसमें अपनी ज़िल्लत और दूसरे पर बिना वजह दबाव डालकर तकलीफ़ पहुँचाना है, और किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है)। और अल्लाह तआला को तुम्हारे आमाल की सब ख़बर है (अगर खिलाफ़ करोगे तो सज़ा पाओगे। और यही हुक्म उस सूरात का है कि घर वालों ने

अगरचे लौट जाने की कहा नहीं मगर कोई बोला भी नहीं। ऐसी हालत में तीन मर्तबा इजाज़त तलब करना इस एहतियात पर कर लिया जाये कि शायद सुना न हो। तीन मर्तबा तक जब कोई जवाब न आये तो लौट आना चाहिए जैसा कि हदीस में इसकी वज़ाहत मौजूद है। और तुमको ऐसे मकानों में (बगैर खास इजाज़त के) चले जाने का गुनाह न होगा जिनमें (घर के तौर पर) कोई न रहता हो, (और) उनमें तुम्हारी कुछ इस्तेमाली ज़रूरत हो (यानी उन मकानों के बरतने और इस्तेमाल करने का तुम्हें हक हो, यह हुक्म है चौथी किस्म का, जो आम पब्लिक के फ़ायदे के मकानात हैं और जिनसे आम लोगों के फ़ायदे व लाभ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाने की आदतन आम इजाज़त होती है)। और तुम जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर करते हो और जो पोशीदा तौर पर करते हो अल्लाह तआला सब जानता है (इसलिये हर हाल में परहेज़गारी और ख़ौफ़े खुदा लाज़िम है)।

मञारिफ़ व मसाईल

कुरआनी आदाब सामाजिक ज़िन्दगी का एक अहम अध्याय

किसी की मुलाक़ात को जाओ तो पहले इजाज़त लो, बगैर इजाज़त

किसी के घर में दाख़िल न हो

अफ़सोस है कि इस्लामी शरीअत ने जिस क़दर इस मामले का एहतियाम फ़रमाया कि कुरआने हकीम में इसके तफ़सीली अहकाम नाज़िल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कौल व अमल से इसकी बड़ी ताकीद फ़रमाई, उतना ही आजकल मुसलमान इससे गाफ़िल हो गये। लिखे-पढ़े नेक लोग भी न इसको कोई गुनाह समझते हैं न इस पर अमल करने की फ़िक्र करते हैं। दुनिया की दूसरी सभ्य कौमों ने इसको इख़्तियार करके अपने समाज और ज़िन्दगी के रहन-सहन को दुरुस्त कर लिया मगर मुसलमान ही इसमें सबसे पीछे नज़र आते हैं। इस्लामी अहकाम में सबसे पहले सुस्ती इसी हुक्म में शुरू हुई। बहरहाल इजाज़त लेना कुरआने करीम का वह लाज़िमी हुक्म है कि इसमें ज़रा सी सुस्ती और तब्दीली को भी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 'कुरआन की आयत के इनकार' के सख़्त अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमा रहे हैं, और अब तो लोगों ने वाकई इन अहकाम को ऐसा नज़र-अन्दाज़ कर दिया है कि गोया उनके नज़दीक ये कुरआन के अहकाम ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रजिकुन।

इजाज़त लेने की हिक्मतें और बड़े फ़ायदे

हक़ तआला जल्ल शानुहू ने हर इनसान को जो उसके रहने की जगह अता फ़रमाई चाहे मालिकाना हो या किराये वगैरह पर, बहरहाल उसका घर उसका ठिकाना है और ठिकाने का असल मक़सद सुकून व राहत है। कुरआने करीम ने जहाँ अपनी इस कीमती नेमत का ज़िक्र फ़रमाया है उसमें भी इस तरफ़ इशारा है। फ़रमाया:

यानी अल्लाह ने तुम्हारे घरों से तुम्हारे लिये सुकून व राहत का सामान दिया, और यह सुकून व राहत तभी बाकी रह सकता कि इनसान दूसरे किसी शख्स की दखल अन्दाजी के बगैर अपने घर में अपनी जरूरत के मुताबिक आजादी से काम और आराम कर सके। उसकी आजादी में खलल डालना घर की असल मस्लेहत को खत्म करना है, जो बड़ी तकलीफ व मुसीबत है। इस्लाम ने किसी को भी नाहक तकलीफ पहुँचाना हराम करार दिया है।

इजाजत लेने के अहकाम में एक बड़ी मस्लेहत लोगों की आजादी में खलल डालने और उनको तकलीफ पहुँचाने से बचना है, जो हर शरीफ़ इनसान का अद्वली फ़रीज़ा भी है। दूसरी मस्लेहत खुद उस शख्स की है जो किसी की मुलाकात के लिये उसके पास गया है कि जब वह इजाजत लेकर सभ्य इनसान की तरह मिलेगा तो मुखातब भी उसकी बात कद्र व इज़्ज़त से सुनेगा और अगर उसकी कोई हाजत है तो उसके पूरा करने का ज़ब्बा व तकाज़ा उसके दिल में पैदा होगा। बख़िलाफ़ इसके कि वहशियाना तरीके से किसी शख्स पर बगैर उसकी इजाजत के मुसल्लत हो गया तो मुखातब उसको एक नागहानी आफ़त व मुसीबत समझकर टाल-मटोल और पीछा छुड़ाने से काम लेगा, खैरख्वाही का ज़ब्बा अगर हुआ भी तो कमज़ोर हो जायेगा और उसको मुस्लिम को सताने का गुनाह अलग होगा।

तीसरी मस्लेहत बुराई और बेहयाई का रोकना और बन्द करना है कि बिना इजाजत किसी के मकान में दाख़िल हो जाने से यह भी हो सकता है कि ग़ैर-मेहरम औरतों पर नज़र पड़े और शैतान दिल में कोई रोग पैदा कर दे और इसी मस्लेहत से इजाजत लेने के अहकाम को कुरआने करीम में जिना और तोहमत लगाने की सज़ा वगैरह अहकाम के साथ लाया गया है।

चौथी मस्लेहत यह है कि इनसान कई बार अपने घर की तन्हाई में कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिस पर दूसरों को इत्तिला करना मुनासिब नहीं समझता। अगर कोई शख्स बगैर इजाजत के घर में आ जाये तो वह जिस चीज़ को दूसरों से छुपाना चाहता था उस पर मुत्तला हो जायेगा। किसी के गुप्त राज़ को ज़बरदस्ती मालूम करने की फ़िक्र भी गुनाह और दूसरों के लिये तकलीफ़ का सबब है। इजाजत लेने के कुछ मसाईल तो खुद उक्त आयतों में आ गये हैं पहले उनकी तफ़सील व वज़ाहत देखिये, बाकी दूसरे मसाईल बाद में लिखे जायेंगे।

मसला: इन आयतों में 'या अय्युहल्लाज़ी-न आमनू' से ख़िताब किया गया जो मर्दों के लिये इस्तेमाल होता है, मगर औरतें भी इस हुक्म में दाख़िल हैं जैसा कि आम कुरआनी अहकाम इसी तरह मर्दों को मुखातब करके आते हैं, औरतें भी उसमें शामिल होती हैं सिवाय मख़सूस मसाईल के जिनकी ख़ुसूसियत मर्दों के साथ बयान कर दी जाती है। चुनौचे सहाबी औरतों का भी यही मामूल था कि किसी के घर जायें तो पहले उनसे इजाजत तलब करें। हज़रत उम्मे अयास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हम चार औरतें अक्सर हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाया करती थीं और घर में जाने से पहले उनसे इजाजत लिया करती थीं, जब वह इजाजत देती तो अन्दर जाती थीं।

(इब्ने कसीर, इब्ने अबी हातिम के हवाले से)

मसला: इसी आयत के आम होने से मालूम हुआ कि किसी दूसरे शख्स के घर में जाने से पहले

इजाज़त लेने का हुक्म आम है, मर्द औरत, मेहरम ग़ैर-मेहरम सब को शामिल है। औरत किसी औरत के पास जाये या मर्द मर्द के पास, सब को इजाज़त लेना वाजिब है। इसी तरह एक शख्स अगर अपनी माँ और बहन या दूसरी मेहरम औरतों के पास जाये तो भी इजाज़त लेना चाहिये। इमाम मालिक रह. ने मुवत्ता में मुर्सल तौर पर अता बिन यसार रह. से रिवायत किया है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि क्या मैं अपनी माँ के पास जाते वक़्त भी इजाज़त लिया करूँ? आपने फ़रमाया हँ इजाज़त लिया करो। उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह! मैं तो अपनी वालिदा ही के साथ घर में रहता हूँ। आपने फ़रमाया फिर भी इजाज़त लिये बग़ैर घर में न जाओ। उसने फिर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैं तो हर वक़्त उनकी ख़िदमत में रहता हूँ। आपने फ़रमाया फिर भी इजाज़त लिये बग़ैर घर में न जाओ, क्या तुम्हें यह बात पसन्द है कि अपनी वालिदा को नंगी देखो? उसने कहा कि नहीं। फ़रमाया इसी लिये इजाज़त लेना चाहिये, क्योंकि यह शुब्हा व संभावना है कि वह घर में किसी ज़रूरत से सतर खोले हुए हों। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि कुरआन की आयत में जो 'ग़ैर बुयूतिकुम' आया है इसमें 'बुयूतिकुम' (तुम्हारे घरों) से मुराद वो घर हैं जिनमें इनसान तन्हा खुद ही रहता हो। माँ-बाप, बहन-भाई वग़ैरह उसमें न हों।

मसला: जिस घर में सिर्फ़ अपनी बीवी रहती हो उसमें दाख़िल होने के लिये अगरचे इजाज़त लेना वाजिब नहीं मगर मुस्तहब और सुन्नत तरीक़ा यह है कि वहाँ भी अचानक बग़ैर किसी इत्तिला के अन्दर न जाये, बल्कि दाख़िल होने से पहले अपने पाँव की आहट से या खंकार से किसी तरह पहले बाख़बर कर दे फिर दाख़िल हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी मोहतरमा फ़रमाती हैं कि अब्दुल्लाह जब कभी बाहर से घर में आते थे तो दरवाज़े में खंकार कर पहले अपने आने से बाख़बर कर देते थे ताकि वह हमें किसी ऐसी हालत में न देखें जो उनको पसन्द न हो। (इब्ने कसीर, इब्ने जरीर के हवाले से) और इस सूरत में इजाज़त लेने का वाजिब न होना इससे मालूम होता है कि इब्ने जुरैज ने हज़रत अता रह. से मालूम किया कि एक शख्स को अपनी बीवी के पास जाने के वक़्त भी इजाज़त लेना ज़रूरी है? उन्होंने फ़रमाया कि नहीं। इब्ने कसीर ने इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया है कि इससे मुराद यही है कि वाजिब तो नहीं लेकिन मुस्तहब और बेहतर वहाँ भी है।

इजाज़त लेने का सुन्नत तरीक़ा

आयत में जो तरीक़ा बतलाया गया है वह है:

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا.

यानी किसी के घर में उस वक़्त तक दाख़िल न हो जब तक दो काम न कर लो। अव्वल 'इस्तीनास', इसके लफ़्ज़ी मायने उन्स व ताल्लुक़ तलब करने के हैं। मुफ़स्सरीन की बड़ी जमाअत के नज़दीक इससे मुराद 'इस्तीज़ान' यानी इजाज़त हासिल करना है। 'इस्तीज़ान' को 'इस्तीनास' के लफ़्ज़ से ज़िक़र करने में इशारा इस तरफ़ है कि दाख़िल होने से पहले इजाज़त हासिल करने में मुखातब

मानूस होता है, उसको परेशानी व घबराहट नहीं होती। दूसरा काम यह है कि घर वालों को सलाम करो। इसका मफहूम कुछ हज़राते मुफस्सिरीन ने तो यह लिया कि पहले इजाज़त हासिल करो और जब घर में जाओ तो सलाम करो। इमाम कुर्तुबी ने इसी को इख़्तियार किया है कि इस मफहूम के एतिबार से आयत में तरतीब में कोई फ़र्क नहीं। पहले इजाज़त ली जाये, जब इजाज़त मिल जाये और घर में जायें तो सलाम करें, मगर हदीस की आम रिवायतों से जो सुन्नत तरीका मालूम होता है वह यही है कि पहले बाहर से सलाम करे 'अस्सलामु अलैकुम' उसके बाद अपना नाम लेकर कहे कि फुलाँ शख्स मिलना चाहता है।

इमाम बुख़ारी ने 'अल-अदबुल्-मुफ़रद' में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि जो शख्स सलाम से पहले इजाज़त तलब करे उसको इजाज़त न दो (क्योंकि उसने सुन्नत तरीके को छोड़ दिया)। (तफसीर रूहुल-मआनी)

अबू दाऊद की हदीस में है कि बनू अमिर के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस तरह इजाज़त तलब की कि बाहर से कहा 'अ-अलिजु' (क्या मैं घुस जाऊँ) आपने अपने खादिम से फ़रमाया कि यह शख्स इजाज़त लेने का तरीका नहीं जानता, बाहर जाकर इसको तरीका सिखलाओ कि यूँ कहे 'अस्सलामु अलैकुम् अ-अदखुलु' यानी क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ। अभी यह खादिम बाहर नहीं गया था कि उसने खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कलिमात सुन लिये और इस तरह कहा 'अस्सलामु अलैकुम् अ-अदखुलु' तो आपने अन्दर आने की इजाज़त दे दी। (इब्ने कसीर) और इमाम बैहकी ने शुअबुल-ईमान में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لا تاذنوا لمن لم يبدأ بالسلام.

यानी जो शख्स पहले सलाम न करे उसको अन्दर आने की इजाज़त न दो। (तफसीरे मज़हरी)

इस वाकिए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो इस्त्वाहें फ़रमाई- एक यह कि पहले सलाम करना चाहिये, दूसरे यह कि उसने 'अदखुलु' के बजाय 'अलिजु' का लफज़ इस्तेमाल किया था। यह नामुनासिब था, क्योंकि 'अलिजु' वलूज से निकला है जिसके मायने किसी तंग जगह में घुसने के हैं। यह तहज़ीबी अलफ़ाज़ के खिलाफ़ था। बहरहाल इन रिवायतों से यह मालूम हुआ कि कुरआन की आयत में जो सलाम करने का इरशाद है यह इजाज़त वाला सलाम है जो इजाज़त हासिल करने के लिये बाहर से किया जाता है ताकि अन्दर जो शख्स है वह मुतवज्जह हो जाये और जो अलफ़ाज़ इजाज़त तलब करने के लिये कहेगा वह सुन ले। घर में दाखिल होने के वक्त कायदे के मुताबिक़ दोबारा सलाम करे।

मसला: पहले सलाम और फिर दाखिल होने की इजाज़त लेने का जो बयान ऊपर हदीसों से साबित हुआ उसमें बेहतर यह है कि इजाज़त लेने वाला खुद अपना नाम लेकर इजाज़त तलब करे जैसा कि हज़रत फारूके आजम का अमल था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरवाजे पर आकर ये अलफ़ाज़ कहे:

السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَّدْخُلْ عَمْرُ

यानी सलाम के बाद कहा कि क्या उमर दाखिल हो सकता है। (इब्ने कसीर)

और सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गये तो इजाज़त लेने के लिये ये अलफ़ाज़ फ़रमाये:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا أَبُو مُوسَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ (قرطبي)

इसमें भी पहले अपना नाम अबू मूसा बतलाया फिर अधिक वज़ाहत के लिये अश्शरी का ज़िक्र किया। और यह इसलिये कि जब तक आदमी इजाज़त लेने वाले को पहचाने नहीं तो जवाब देने में तशवीश होगी। उस तशवीश से भी मुख़ातब को बचाना चाहिये।

मसला: और इस मामले में सबसे बुरा वह तरीका है जो कुछ लोग करते हैं कि बाहर से अन्दर दाखिल होने की इजाज़त माँगी, अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया। अन्दर से मुख़ातब ने पूछा कौन साहिब हैं? तो जवाब में यह कह दिया कि मैं हूँ। क्योंकि यह मुख़ातब की बात का जवाब नहीं, जिसने पहली आवाज़ से नहीं पहचाना वह मैं के लफ़ज़ से क्या पहचानेगा।

ख़तीबे बग़दादी ने अपनी किताब जामे में अली बिन आसिम वास्ती से नक़ल किया है कि वह बसरा गये तो हज़रत मुगीरा बिन शौबा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात को हाज़िर हुए। दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अन्दर से पूछा कौन है? तो जवाब दिया 'अ-न' (यानी मैं हूँ) तो हज़रत मुगीरा ने फ़रमाया कि मेरे दोस्तों में तो कोई भी ऐसा नहीं जिसका नाम 'अ-न' हो फिर बाहर तशरीफ़ लाये और उनको हदीस सुनाई कि एक दिन हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इजाज़त लेने के लिये दरवाज़े पर दस्तक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अन्दर से पूछा कौन साहिब हैं? तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही लफ़ज़ कह दिया 'अ-न' यानी मैं हूँ। आपने बतौर डॉट और तंबीह के फ़रमाया 'अ-न, अ-न' यानी 'मैं मैं' कहने से क्या हासिल है, इससे कोई पहचाना नहीं जाता।

मसला: इससे भी ज़्यादा बुरा यह तरीका है जो आजकल बहुत से लिखे-पढ़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि दरवाज़े पर दस्तक दी, जब अन्दर से पूछा गया कि कौन साहिब हैं तो ख़ामोश खड़े हैं कोई जवाब ही नहीं देते। यह मुख़ातब को परेशानी व उलझन में डालने और तकलीफ़ पहुँचाने का बदतरनीन तरीका है, जिससे इजाज़त लेने की मस्लेहत ही ख़त्म हो जाती है।

मसला: ऊपर बयान हुई रिवायतों से यह भी साबित हुआ कि इजाज़त लेने का यह तरीका भी जायज़ है कि दरवाज़े पर दस्तक दी जाये बशर्ते कि साथ ही अपना नाम भी ज़ाहिर करके बतला दिया जाये कि फ़ुलौं शख़्स मिलना चाहता है।

मसला: लेकिन अगर दस्तक हो तो इतनी ज़ोर से न दे कि जिससे सुनने वाला घबरा उठे, बल्कि दरमियानी अन्दाज़ से दे, जिससे अन्दर तक आवाज़ तो चली जाये लेकिन कोई सख़्ती ज़ाहिर न हो। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरवाज़े पर दस्तक देते थे तो उनकी आदत यह थी कि नाखुनों से दरवाज़े पर दस्तक देते ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ न हो। (जामे ख़तीब, तफ़सीरे कुर्तुबी) जो शख़्स इजाज़त लेने के मक़सद को समझ ले कि असल इससे मुख़ातब (सामने वाले) को मानूस करके इजाज़त हासिल करना है वह खुद-ब-खुद उन सब चीज़ों की

यायत को ज़रूरी समझेगा जिन चीज़ों से मुखातब को तकलीफ़ हो उनसे बचेगा। अप
रे और दस्तक दे तो दरमियानी अन्दाज़ से दे। ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं।

ज़रूरी तंबीह

आजकल अक्सर लोगों को तो इजाज़त लेने की तरफ़ कोई तयज़ोह ही बाकी नहीं रही जो खुला
वाजिब के छोड़ने का गुनाह है, और जो लोग इजाज़त लेना चाहें और सुन्नत तरीक़े के मुताबिक़ बाहर
से पहले सलाम करें फिर अपना नाम बतलाकर इजाज़त लें, उनके लिये इस ज़माने में कुछ दुश्वारियाँ
यूँ भी पेश आती हैं कि उमूमन मुखातिब जिससे इजाज़त लेता है वह दरवाज़े से दूर है, वहाँ तक
सलाम की आवाज़ और इजाज़त लेने के अलफ़ाज़ पहचानने मुश्किल हैं इसलिये यह समझ लेना
चाहिये कि असल वाजिब यह बात है कि बग़ैर इजाज़त के घर में दाख़िल न हो। इजाज़त लेने के
तरीक़े हर ज़माने और हर मुल्क में अलग और भिन्न हो सकते हैं। उनमें से एक तरीक़ा दरवाज़े पर
दस्तक देने का तो खुद हदीस की रियायतों से साबित है। इसी तरह जो लोग अपने दरवाज़ों पर घन्टी
लगा सकते हैं उस घन्टी का बजा देना भी वाजिब इजाज़त लेने की अदायेगी के लिये काफी है। बशर्ते
कि घन्टी के बाद अपना नाम भी ऐसी आवाज़ से ज़ाहिर कर दे जिसको मुखातब सुन ले। इसके
अलावा और कोई तरीक़ा जो किसी जगह रिवाज में हो उसका इस्तेमाल कर लेना भी जायज़ है।
आजकल जो शनाख़्ती कार्ड का रिवाज यूरोप से चला है यह रस्म अगरचे यूरोप वालों ने जारी की
मगर इजाज़त लेने का मक़सद इसमें बहुत अच्छी तरह पूरा हो जाता है कि इजाज़त देने वाले को
इजाज़त चाहने वाले का पूरा नाम व पता अपनी जगह बैठे हुए बग़ैर किसी तकलीफ़ के मालूम हो
जाता है, इसलिये इसको इख़्तियार कर लेने में कोई हर्ज नहीं।

मसला: अगर किसी शख़्स ने किसी शख़्स से इजाज़त तलब की और उसने जवाब में कह दिया
कि इस वक़्त मुलाकात नहीं हो सकती लौट जाइये, तो इससे बुरा न मानना चाहिये, क्योंकि हर शख़्स
के हालात और उसके तकाज़े अलग-अलग होते हैं, कई बार वह मजबूर होता है बाहर नहीं आ
सकता, न आपको अन्दर बुला सकता है तो ऐसी हालत में उसके उज़्र को कुबूल करना चाहिये।
उपर्युक्त आयत में यही हिदायत है यानी:

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ

कि जब आप से कहा जाये कि इस वक़्त लौट जायें तो आपको खुशदिली से लौट आना चाहिये
इससे बुरा मानना या वहीं जमकर बैठ जाना दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं। पहले कुछ बुजुर्गों से मन्कूल है
कि वह फ़रमाते थे— मैं उम्रभर इस तमन्ना में रहा कि किसी के पास जाकर इजाज़त माँगूँ और वह
मुझे यह जवाब दे कि लौट जाओ, तो मैं क़ुरआन के इस हुक्म पर अमल करने का सवाब हासिल
करूँ मगर अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि मुझे कभी यह नेमत नसीब न हुई।

मसला: इस्लामी शरीअत ने सामाजिक ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब सिखाने और सब को तकलीफ़
व परेशानी से बचाने को दो तरफ़ा नॉर्मल निज़ाम कायम फ़रमाया है, इस आयत में जिस तरह आने
वाले को यह हिदायत दी गयी है कि अगर इजाज़त तलब करने पर आपको इजाज़त न मिले और

कहा जाये कि इस वक़्त लौट जाओ तो कहने वाले को माज़ूर समझो और दिल की खुशी के साथ वापस लौट जाओ, बुरा न मानो, इसी तरह एक हदीस में इसका दूसरा रुख इस तरह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

إن لزورك عليك حقاً.

यानी जो शख्स आप से मुलाकात के लिये आये उसका भी आप पर हक़ है। यानी उसका यह हक़ है कि उसको अपने पास बुलाओ या बाहर आकर उससे मिलो, उसका सम्मान करो, बात सुनो, बिना किसी सख्त मजबूरी और उज़्र के मुलाकात से इनकार न करो।

मसला: अगर किसी के दरवाज़े पर जाकर इजाज़त माँगी और अन्दर से कोई जवाब न आया तो सुन्नत यह है कि दोबारा फिर इजाज़त तलब करे और फिर भी जवाब न आये तो तीसरी मर्तबा ऐसा ही करे। अगर तीसरी मर्तबा भी जवाब न आये तो उसका हुक्म वही है जो 'इर्जिऊ' का है, यानी लौट जाना चाहिये। क्योंकि तीन मर्तबा कहने से तक़रीबन यह तो मुतैयन हो जाता है कि आवाज़ सुन ली मगर या तो वह शख्स ऐसी हालत में है कि जवाब नहीं दे सकता, मसलन नमाज़ पढ़ रहा है या बैतुलख़ला में है, या गुस्ते कर रहा है। और या फिर उसको उस वक़्त मिलना मन्ज़ूर नहीं, दोनों हालतों में वहीं जमे रहना और लगातार दस्तक वगैरह देते रहना भी तकलीफ़ पहुँचाने का ज़रिया है जिससे बचना वाजिब है, और इजाज़त लेने का असल मक़सद ही तकलीफ़ से बचना है।

हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

إذا استأذن احدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع.

यानी जब कोई आदमी तीन मर्तबा इजाज़त तलब करे और कोई जवाब न आये तो उसको लौट जाना चाहिये। (इब्ने कसीर, सही बुख़ारी के हवाले से) और मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत सअद बिन उबादा के मकान पर तशरीफ़ ले गये और सुन्नत के मुताबिक़ बाहर से इजाज़त लेने के लिये सलाम किया 'अस्सलामु अलैकुम'। हज़रत सअद बिन उबादा ने सलाम का जवाब तो दिया मगर आहिस्ता कि हुज़ूर न सुनें। आपने दोबारा और फिर तिवारा सलाम किया। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते और आहिस्ता जवाब देते रहे। तीन मर्तबा ऐसा करने के बाद आप लौट गये। जब सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि अब आवाज़ नहीं आ रही तो घर से निकलकर पीछे दौड़े और यह उज़्र पेश किया कि या रसूलुल्लाह! मैंने हर मर्तबा आपकी आवाज़ सुनी और जवाब भी दिया मगर आहिस्ता दिया ताकि ज़बान मुबारक से ज़्यादा से ज़्यादा सलाम के अलफ़ाज़ मेरे बारे में निकलें वह मेरे लिये बरकत का ज़रिया होगा (आपने उनको सुन्नत तरीक़ा बतला दिया कि तीन मर्तबा जवाब न आने पर लौट जाना चाहिये) इसके बाद हज़रत सअद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने घर साथ ले गये उन्होंने कुछ मेहमान नवाज़ी की, आपने उसको कुबूल फ़रमाया।

हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह अमल इश्क़ व मुहब्बत के हद से बढ़े हुए होने का असर

था कि उस वक्त ज़ेहन इस तरफ़ न गया कि सरदारों दो आलम दरवाजे पर तशरीफ़ फ़रमा हैं मुझे फ़ौरन जाकर उनके क़दम चूम लेने चाहियें, बल्कि ज़ेहन इस तरफ़ मुतवज्जह हो गया कि आपकी ज़बाने मुबारक से 'अस्सलामु अलैकुम' जितनी मर्तबा ज़्यादा निकलेगा मेरे लिये ज़्यादा मुफ़ीद होगा। बहरहाल इससे यह मसला साबित हो गया कि तीन मर्तबा इजाज़त तलब करने के बाद जयाब न आवे तो सुन्नत यह है कि लौट जाये, वहीं जमकर बैठ जाना खिलाफ़े सुन्नत और मुखातब के लिये तकलीफ़ पहुँचाने का सबब है, कि उसको दबाव डालकर निकलने पर मजबूर करना है।

मसला: यह हुक्म उस वक्त है जबकि सलाम या दस्तक वगैरह के ज़रिये इजाज़त हासिल करने की कोशिश तीन मर्तबा कर ली हो, कि अब वहाँ जमकर बैठ जाना तकलीफ़ पहुँचाने का सबब है, लेकिन अगर कोई किसी आलिम या बुजुर्ग के दरवाजे पर बगैर इजाज़त लिये हुए और बगैर उनको इत्तिला दिये हुए इन्तिज़ार में बैठा रहे कि जब अपनी फ़ुर्सत के मुताबिक़ बाहर तशरीफ़ लायेंगे तो मुलाक़ात हो जायेगी, यह इसमें दाख़िल नहीं बल्कि पूरी तरह अदब की बात है। खुद कुरआने करीम ने लोगों को यह हिदायत दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब घर में हों तो उनको आवाज़ देकर बुलाना अदब के खिलाफ़ है, बल्कि लोगों को चाहिये कि इन्तिज़ार करें, जिस वक्त आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ बाहर तशरीफ़ लायें उस वक्त मुलाक़ात करें। आयत यह है:

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ.

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं मैं कई बार किसी अन्सारी सहाबी के दरवाजे पर पूरी दोपहर इन्तिज़ार करता रहता हूँ कि जब वह बाहर तशरीफ़ लायें तो उनसे किसी हदीस की तहकीक़ करूँ और अगर मैं उनसे मिलने के लिये इजाज़त माँगता तो वह ज़रूर मुझे इजाज़त दे देते, मगर मैं इसको खिलाफ़े अदब समझता था इसलिये इन्तिज़ार की मशक्कत गवारा करता था। (सही बुख़ारी)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ.

लफ़ज़ 'मताअ' के लुगवी मायने किसी चीज़ के बरतने, इस्तेमाल करने और उससे फ़ायदा उठाने के हैं, और जिस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाये उसको भी मताअ कहा जाता है। इस आयत में मताअ के लुगवी मायने ही मुराद हैं जिसका तर्जुमा बरत से किया गया है यानी बरतने का हक़दार होना। हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब इजाज़त लेने की उक्त आयतें नाज़िल हुईं जिनमें बगैर इजाज़त के किसी मकान में दाख़िल होने की मनाही है तो सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया या रसूलुल्लाह! इस मनाही के बाद कुरैश के तिजारत पेशा लोग क्या करेंगे, क्योंकि मक्का और मदीना से मुल्क शाम तक उनके तिजारती सफ़र होते हैं और इस रास्ते में जगह-जगह उनके मुसाफ़िर ख़ाने बने होते हैं जिनमें सफ़र के दौरान वे लोग ठहरते हैं, उनमें कोई मुस्तक़िल रहने वाला नहीं होता तो वहाँ इजाज़त लेने की क्या सूरत होगी, इजाज़त किस से हासिल की जायेगी? इस पर ऊपर त्रिक्र हुई आयत नाज़िल हुई।

(इब्ने अबी हातिम, तफ़सीरे मज़हरी)

आयत के उतरने के इस मौके और सबब से मालूम हुआ कि आयत में 'बुयूते गैरे मस्कूना' से मुराद वह मकान और स्थान हैं जो किसी खास फर्द या कौम के लिये खुसूसी तौर पर रहने की जगह नहीं, बल्कि कौम के अफ़राद को आम इजाज़त वहाँ जाने ठहरने और इस्तेमाल करने की है, जैसे वो मुसाफ़िर खाने जो शहरों और जंगलों में इसी गर्ज के लिये बनाये गये हों और सबब व मक़सद के एक होने के सबब आम मस्जिदें, खानकाहें, दीनी मदरसे, अस्पताल, डाकखाना, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज़ों के ठिकाने और कौमी तफ़रीहात के लिये जो मकानात बनाये गये हो, गर्ज कि उमूमी फ़ायदे और जनकल्याण के सब इदारे इसी हुक्म में हैं कि वहाँ हर शख्स बिना इजाज़त जा सकता है।

मसला: आम पब्लिक के फ़ायदे के लिये बनाये गये इदारों (संस्थाओं) में जिस मक़ाम पर उसके मालिक या मुतवल्ली हज़रात की तरफ़ से दाख़िले के लिये कुछ शर्तें और पाबन्दियाँ हों उनकी पाबन्दी शरअन वाजिब है, मसलन रेलवे स्टेशन पर अगर बग़ैर प्लेट फ़ार्म के जाने की इजाज़त नहीं है तो प्लेट फ़ार्म टिकट हासिल करना ज़रूरी है, उसकी खिलाफ़वर्ज़ी नाजायज़ है। हवाई अड्डे के जिस हिस्से में जाने की महकमे की तरफ़ से इजाज़त न हो वहाँ बग़ैर इजाज़त के जाना शरअन जायज़ नहीं।

मसला: इसी तरह मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, अस्पतालों वग़ैरह में जो कमरे वहाँ के जिम्मेदारों या दूसरे लोगों की रिहाईश के लिये खास हों जैसे मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों के खास हुजरे या रेलवे, ऐयर्डरूम और अस्पतालों के दफ़तर और विशेष कमरे जो मरीज़ों या दूसरे लोगों के रहने की जगह हैं वो 'बुयूते गैरे मस्कूना' (जहाँ कोई नहीं बसता) के हुक्म में नहीं, बल्कि मस्कूना के हुक्म में हैं उनमें बग़ैर इजाज़त जाना शरअन मना, वर्जित और गुनाह है।

इजाज़त लेने से संबन्धित चन्द दूसरे मसाईल

जबकि यह मालूम हो चुका कि इजाज़त लेने के शर्ई अहकाम का असल मक़सद लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने से बचना और अच्छी सामाजिक जिन्दगी गुज़ारने के आदाब सिखाना है तो सबब और मक़सद एक होने की वजह से निम्नलिखित मसाईल का हुक्म भी मालूम हो गया।

टेलीफ़ोन से संबन्धित कुछ मसाईल

मसला: किसी शख्स को ऐसे वक़्त टेलीफ़ोन पर मुखातब करना जो आदतन उसके सोने या दूसरी ज़रूरतों में या नमाज़ में मशगूल होने का वक़्त हो बिना सख़्त ज़रूरत के जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें भी वही तकलीफ़ पहुँचाना है जो किसी के घर में बग़ैर इजाज़त दाख़िल होने और उसकी आज़ादी में खलल डालने से होता है।

मसला: जिस शख्स से टेलीफ़ोन पर अक्सर बातचीत करनी हो तो मुनासिब यह है कि उससे मालूम कर लिया जाये कि आपको टेलीफ़ोन पर बात करने में किस वक़्त सहूलत होती है, फिर उसकी पाबन्दी करे।

मसला: टेलीफ़ोन पर अगर कोई लम्बी बात करनी हो तो पहले मुखातब से मालूम कर लिया जाये कि आपको ज़रा सी फ़ुर्सत हो तो मैं अपनी बात अर्ज़ करूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि

टेलीफोन की घन्टी आने पर आदमी तबई तौर पर मजबूर होता है कि फौरन मालूम करे कि कौन क्या कहना चाहता है, और इस ज़रूरत से वह किसी भी हाल में और अपने ज़रूरी काम में हो तो उसको छोड़कर टेलीफोन उठाता है। कोई बेरहम आदमी उसी वक्त लम्बी बात करने लगे तो सख्त तकलीफ महसूस होती है।

मसला: कुछ लोग टेलीफोन की घन्टी बजती रहती है और कोई परवाह नहीं करते, न पूछते हैं कि कौन है क्या कहना चाहता है? यह इस्लामी अख़्लाक के खिलाफ और बात करने वाले की हक-तल्फी है जैसा कि हदीस में आया है:

ان لزورك عليك حقا.

यानी जो शख्स आपकी मुलाकात को आये उसका तुम पर हक है कि उससे बात करो और बिना ज़रूरत मुलाकात से इनकार न करो। इसी तरह जो आदमी टेलीफोन पर आप से बात करना चाहता है उसका हक है कि आप उसको जवाब दें।

मसला: किसी के मकान पर मुलाकात के लिये जाओ और इजाज़त हासिल करने के लिये खड़े हो तो घर के अन्दर न झाँको, क्योंकि इजाज़त लेने की मस्तेहत तो यही है कि दूसरा आदमी जो चीज़ आप पर जाहिर नहीं करना चाहता आपको उसकी इत्तिला न होनी चाहिये, अगर पहले ही घर में झाँककर देख लिया तो यह मस्तेहत ख़त्म हो जायेगी, हदीस में इसकी सख्त मनाही आई है।

(बुखारी व मुस्लिम, हज़रत सहल बिन सअद साअिदी की रिवायत से)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदत शरीफ यह थी कि किसी के पास जाते और इजाज़त हासिल करने के लिये खड़े होते तो दरवाज़े के सामने खड़े होने के बजाय दायें या बायें खड़े होकर इजाज़त तलब फ़रमाते थे, दरवाज़े के सामने खड़े होने से इसलिये बचते कि अब्बल तो उस ज़माने में दरवाज़ों पर पर्दे बहुत कम थे, और पर्दे भी हों तो हवा से खुल जाने का शुब्हा व गुमान बहरहाल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसला: जिन मकानों में दाख़िल होना उपर्युक्त आयतों में बग़ैर इजाज़त के वर्जित और मना करार दिया है यह आम हालात में है, अगर इत्तिफ़ाक़न कोई हादसा आग लगने या मकान गिरने का पेश आ जाये तो इजाज़त लिये बग़ैर उसमें जा सकते हैं और इमदाद के लिये जाना चाहिये। (मज़हरी)

मसला: जिस शख्स को किसी ने बुलाने भेजा है अगर वह उसके कासिद के साथ ही आ गया तो अब उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, कासिद का आना ही इजाज़त है। हाँ अगर उस वक्त न आया कुछ देर के बाद पहुँचा तो इजाज़त लेना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

اذا دعى احدكم فاجاء مع الرسول فان ذلك له اذن.

यानी जो आदमी बुलाया जाये और वह कासिद के साथ ही आ जाये तो यही उसके लिये अन्दर आने की इजाज़त है। (अबू दाऊद, तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَ

لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِقِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنَ الزَّيْنَتِ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

कुल लिल्-मुअ्मिनी-न यग्ज्जू मिन्
अब्सारिहिम् व यस्फज्जू फुरु-जहुम्,
जालि-क अज्का लहुम्, इन्नल्ला-ह
खबीरुम्-बिमा यस्नअून (30) व कुल
लिल्-मुअ्मिनाति यग्ज्जू-न मिन्
अब्सारिहिन्-न व यस्फज्जू-न
फुरु-जहुन्-न व ला युब्दी-न
जीन-तहुन्-न इल्ला मा ज-ह-र मिन्हा
वल्यज़िब्-न बिख्मुमुरिहिन्-न अला
जुयूबिहिन्-न व ला युब्दी-न
जीन-तहुन्-न इल्ला लिबुजू-लतिहिन्-न
औ आबाइ-हिन्-न औ आबाइ-
बुजू-लतिहिन्-न औ अब्नाइ-हिन्-न
औ अब्ना-इ बुजू-लतिहिन्-न औ
इख्वानिहिन्-न औ बनी इख्वानिहिन्-न
औ बनी अ-ख्वातिहिन्-न औ
निसाइ-हिन्-न औ मा म-लकत्

कह दे ईमान वालों को नीची रखें ज़रा
अपनी आँखें और थामते रहें अपने सतर
को, इसमें ख़ूब सुधराई है उनके लिये,
बेशक अल्लाह को ख़बर है जो कुछ करते
हैं। (30) और कह दे ईमान वालियों को
नीची रखें ज़रा अपनी आँखें और थामती
रहें अपने सतर को और न दिखलायें
अपना सिंगार मगर जो खुली चीज़ है
उसमें से, और डाल लें अपनी ओढ़नी
अपने गिरेबान पर, और न खोलें अपना
सिंगार मगर अपने शौहर के आगे या
अपने बाप के या अपने शौहर के बाप के
या अपने बेटे के या अपने शौहर के बेटे
के या अपने भाई के या अपने भतीजों के
या अपने भानजों के या अपनी औरतों के
या अपने हाथ के माल के या कारोबार

नुहुन्-न अविताबिअी-न गैरि
 ल्-इरबति मिनर्-रिजालि अवित्-
 ...फिलल्लजी-न लम् यज़हरू अला
 औरातिन्निसा-इ व ला यज़रिब्-न
 बि-अर्जुलिहिन्-न लियुअ-ल-म मा
 युख्फ़ी-न मिन् जीनतिहिन्-न, व तूबू
 इलल्लाहि जमीअन् अय्युहल्-मुअ्मिन्-न
 लअल्लकुम् तुफिलहून (31)

करने वालों के जो मर्द कि कुछ गर्ज नहीं
 रखते, या लड़कों के जिन्होंने अभी नहीं
 पहचाना औरतों के भेद को, और न मारें
 ज़मीन पर अपने पाँव को कि जाना जाये
 जो छुपाती हैं अपने सिंगार, और तौबा
 करो अल्लाह के आगे सब मिलकर ऐ ईमान
 वालो! ताकि तुम भलाई पाओ। (31)

खुलासा-ए-तफ़सीर

हुक्म नम्बर छह— औरतों के पर्दे के अहकाम

आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिये कि अपनी निगाहें नीची रखें (यानी बदन के जिस अंग की तरफ़ बिल्कुल ही देखना नाजायज़ है उसको बिल्कुल न देखें और जिसको देखना अपने आप में जायज़ है मगर जिन्सी निगाह से जायज़ नहीं उसको शहवत की निगाह से न देखें) और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें (यानी नाजायज़ मौके में जिन्सी इच्छा पूरी न करें जिसमें जिना और अप्राकृतिक दुष्कर्म सब दाख़िल है) यह उनके लिये ज्यादा सफ़ाई की बात है (और इसके खिलाफ़ करने में लिप्त होना है जिना या जिना की तरफ़ ले जाने वाली चीज़ों में), बेशक अल्लाह तआला को सब ख़बर है जो कुछ लोग किया करते हैं (पस खिलाफ़ करने वाले सज़ा पाने के हक़दार होंगे)।

और (इसी तरह) मुसलमान औरतों से कह दीजिये कि (वे भी) अपनी निगाहें नीची रखें (यानी जिस बदनी अंग की तरफ़ बिल्कुल ही देखना नाजायज़ है उसके बिल्कुल न देखें और जिसको अपने आप में देखना जायज़ है मगर जिन्सी इच्छा की नज़र से जायज़ नहीं उसको उस निगाह से न देखें) और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें (यानी नाजायज़ मौके में जिन्सी इच्छा पूरी न करें जिसमें जिना व समलैंगिकता सब दाख़िल है) और अपनी ज़ीनत "यानी बनाव-सिंघार" (की जगहों) को ज़ाहिर न करें (ज़ीनत से मुराद हाथ, पिण्डली, बाज़ू, गर्दन, सर, सीना, कान, यानी इन सब मौकों और जगहों को सबसे छुपाये रखें उन दो हालतों को छोड़कर जो आगे बयान होती हैं, और जब इन मौकों और जगहों को अजनबियों से छुपाकर रखना वाजिब है जिनका ज़ाहिर करना मेहरमों के सामने जायज़ है जैसा कि आगे आता है तो जो दूसरे अन्य मौके और बदन के अंग रह गये जैसे पीठ और पेट वगैरह जिनका खोलना मेहरमों के सामने भी जायज़ नहीं उनका छुपाना आयत के इशारे से वाजिब हो गया। हासिल यह हुआ कि सर से पाँव तक अपना तमाम बदन छुपाकर रखें। दो हालतें जो इस हुक्म से

बाहर रखी गयी हैं उनमें से पहली हालत ज़रूरत के मौकों के लिहाज़ से है कि रोज़मर्रा के कामकाज में जिन बदनी अंगों के खोलने की ज़रूरत होती है उनको हुक्म से अलग रखा गया, इसकी तफ़सील यह है) मगर जो उस (ज़ीनत की जगह) में से खुला (ही) रहता है (जिसके छुपाने में हर वक़्त दिक्कत व परेशानी है, मुराद इस ज़ीनत के मौके से चेहरा और हाथ की हथेलियाँ और सही कौल के मुताबिक़ दोनों क़दम भी। क्योंकि चेहरा तो कुदरती तौर पर ज़ीनत व सिंगार का मजमूआ है और कुछ ज़ीनतें अपने इरादे से भी इसमें की जाती हैं मसलन सुर्मा वग़ैरह, और हथेलियाँ और उंगलियाँ अंगूठी छल्ले मेहंदी का स्थान है, और दोनों क़दम भी छल्लों और मेहंदी का स्थान हैं। पस इन जगहों और मौकों को इस ज़रूरत की वजह से छुपाने के हुक्म से अलग रखा है कि इनको खोले बग़ैर कामकाज नहीं हो सकता। और 'मा ज़-ह-र' की तफ़सीर चेहरे और दोनों हाथ की हथेलियों के साथ हदीस में आई है और दोनों क़दमों को फ़ुकहा ने इस पर क़ियास करके इस हुक्म में शामिल करार दिया है। और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें (अगरचे सीना क़मीज़ से ढक जाता है लेकिन अक्सर क़मीज़ में सामने से गिरेबान खुला रहता है और सीने की शक़्ल व हालत क़मीज़ के बावजूद ज़ाहिर होती है इसलिए एहतिमाम की ज़रूरत हुई)।

आगे दूसरी हालत और मौके का बयान किया जाता है जिनमें मेहरम मर्दों वग़ैरह को पर्दे के उक्त हुक्म से अलग और बाहर रखा गया है) और अपनी ज़ीनत (की ज़िक्र हुई जगहों) को (किसी पर) ज़ाहिर न होने दें मगर अपने शौहरों पर या अपने (मेहरम रिश्तेदारों पर, यानी) बाप पर या अपने शौहर के बाप पर या अपने बेटों पर या अपने शौहर के बेटों पर या अपने (सगे और माँ-शरीक व बाप-शरीक) भाईयों पर (न कि चचाज़ाद मामूज़ाद वग़ैरह भाईयों पर), या अपने (ज़िक्र हुए) भाईयों के बेटों पर या अपनी (सगी, माँ-शरीक और बाप-शरीक) बहनों के बेटों पर (न कि चचाज़ाद ख़ालाज़ाद बहनों की औलाद पर) या अपनी (यानी दीन की शरीक) औरतों पर (मतलब यह कि मुसलमान औरतों पर, क्योंकि काफ़िर औरतों का हुक्म अजनबी मर्द के जैसा है। यही तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इमाम ताऊस, मुजाहिद, अता, सईद बिन मुसैयब और इब्राहीम से नक़ल की गयी है) या अपनी लौंडियों पर (चाहे वे काफ़िर ही हों। क्योंकि मर्द गुलाम का हुक्म इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक अजनबी मर्द की तरह है, उससे भी पर्दा वाजिब है। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इमाम ताऊस, मुजाहिद, अता, सईद बिन मुसैयब और इब्राहीम से यही तफ़सीर मन्कूल है) या उन मर्दों पर जो (महज़ खाने पीने के वास्ते) तुफ़ैली (के तौर पर रहते) हों और उनको (हवास दुरुस्त न होने की वजह से औरतों की तरफ़) ज़रा भी तवज्जोह न हो (ताबिईन यानी तुफ़ैली की विशेषता इसलिए है कि उस वक़्त ऐसे ही लोग मौजूद थे जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अब्बास से नक़ल किया गया है। और इसी हुक्म में है हर मंदबुद्धि, पस हुक्म का मदार अक़्ल व हवास से बेगाना होने पर है न कि ताबे और तुफ़ैली होने पर, मगर उस वक़्त वे ताबे ऐसे ही थे इसलिए ताबे "तुफ़ैली" का ज़िक्र कर दिया गया जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि जो औरतों के मामलात से बेसमझ और ग़ाफ़िल हो। और जो समझ रखता हो तो वह बहरहाल अजनबी मर्द है चाहे बूढ़ा या ख़स्ती या नामर्द ही क्यों न हो, उससे पर्दा वाजिब है) या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दे की बातों से अभी

वाकिफ नहीं हुए (मुराद वे लड़के हैं जो अभी बालिग होने के करीब न हुए हों, और उन्हें जिन्सी इच्छा की कुछ खबर नहीं। पस इन सब के सामने चेहरा, दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों कदमों के अलावा जीन्त के उक्त मौकों और स्थानों का जाहिर करना भी जायज़ है, यानी सर और सीना। और शौहर के सामने किसी जगह का भी छुपाना वाजिब नहीं अगरचे बदन के खास हिस्से को देखना खिलाफे औला "यानी अच्छा नहीं" है। मिश्कात शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी मेरे खास हिस्से को नहीं देखा और न मैंने कभी आपके खास हिस्से को देखा। और हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत में भी इसकी मनाही है कि सोहबत के वक़्त भी मर्द औरत खास अंगों को देखें और (पर्दे का यहाँ तक एहतिमाम रखें कि चलने में) अपने पाँव को जोर से न रखें कि उनका छुपा हुआ ज़ेवर मालूम हो जाये (यानी ज़ेवर की आवाज़ गैर-मेहरमों के कान तक पहुँचे) और मुसलमानो! (तुमसे जो इन अहकाम में कोताही हो गई हो तो) तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फ़लाह पाओ (वरना नाफ़रमानी का मिल फ़लाह के हासिल होने में रुकावट हो जाती है)।

मआरिफ़ व मसाईल

बुराईयों व बेहयाई को रोकने और आबरू की हिफ़ाज़त का एक अहम
अध्याय, औरतों का पर्दा

औरतों के लिये हिजाब और पर्दे के अहकाम की पहली आयतें वो हैं जो सूर: अहज़ाब में उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह मुबारक में आने के वक़्त नाज़िल हुई, जिसकी तारीख़ कुछ हज़रात ने सन् 3 हिजरी और कुछ ने सन् 5 हिजरी बतलाई है। तफ़सीर इब्ने कसीर और नीलुल-अवतार में सन् 5 हिजरी में यह निकाह हुआ है और इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि पर्दे की पहली आयत उसी मौके पर नाज़िल हुई। और सूर: नूर की ये आयतें किस्सा-ए-इफ़क़ के साथ नाज़िल हुई हैं जो बनी मुस्तलिक् या मुरैसीअ की जंग से वापसी में पेश आया है। यह जंग सन् 6 हिजरी में हुई है। इससे मालूम हुआ कि सूर: नूर की पर्दे व हिजाब की आयतें नाज़िल होने के एतिबार से बाद की हैं, सूर: अहज़ाब की पर्दे के बारे में चार आयतें पहले उतरी हैं, और शरई पर्दे के अहकाम उसी वक़्त से शुरू हुए जबकि सूर: अहज़ाब की आयतें नाज़िल हुई, इसलिये हिजाब और पर्दे की पूरी बहस तो इन्शा-अल्लाह सूर: अहज़ाब में आयेगी यहाँ सिर्फ़ उन आयतों की तफ़सीर लिखी जाती है जो सूर: नूर में आई हैं।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ آبَائِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ. ذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

'यगुज़ू' 'गज़ू-ज़' से निकला है जिसके मायने कम करने और झुकाने के हैं (राग़िब) निगाह पस्त और नीची रखने से मुराद निगाह को उन चीज़ों से फेर लेना है जिनकी तरफ़ देखना शरअन मना व नाजायज़ है। इमाम इब्ने कसीर और इब्ने हिब्बान ने यही तफ़सीर फ़रमाई है। इतमें गैर-मेहरम औरत

फ़ बुरी नीयत से देखना हराम होने और बग़ैर किसी नीयत के देखना मक्रूह होने में दाख़िल है केसी औरत या मर्द के शर्ई सतर (छुपाने वाले अंगों) पर नज़र डालना भी इसमें दाख़िल है त के मौके जैसे इलाज व उपचार वग़ैरह इससे अलग हैं) किसी का राज़ मालूम करने के लिये उसके घर में झाँकना और तमाम वो काम जिनमें निगाह के इस्तेमाल करने को शरीअत ने मना और वर्जित करार दिया है इसमें दाख़िल हैं।

وَيَحْفَظُوا أَعْرُوسَهُمْ

शर्मगाहों की हिफ़ाज़त से मुराद यह है कि नफ़्स की इच्छा पूरा करने की जितनी नाजायज़ सूरतें हैं उन सबसे अपनी शर्मगाहों को महफूज़ रखें। इसमें जिना, लवातत (औरत या मर्द के साथ पीछे के मक़ाम में जिन्सी इच्छा पूरा करना) और दो औरतों का आपस में समलैंगिक संबन्ध बनाना जिससे जिन्सी इच्छा पूरी हो जाये, हाथ से जिन्सी इच्छा पूरी करना ये सब नाजायज़ व हराम चीज़ें दाख़िल हैं। मुराद इस आयत की नाजायज़ व हराम तरीके से जिन्सी इच्छा पूरी करना और उसकी तरफ़ लेजाने वाली तमाम चीज़ों से सेकना है जिनमें से शुरू और आख़िर के अमल को स्पष्ट रूप से बयान फ़रमा दिया, बाकी दरमियान की सब बातें जो इससे संबन्धित हैं वो सब इसमें दाख़िल हो गईं। जिन्सी इच्छा का सबसे पहला सबब और शुरूआती चीज़ निगाह डालना और देखना है और आख़िरी नतीजा जिना है, इन दोनों को स्पष्ट रूप से ज़िक्र करके हराम कर दिया गया, इनके दरमियान की हराम चीज़ें जो इस काम की तरफ़ दावत दें जैसे बातें सुनना, हाथ लगाना वग़ैरह यह सब अपने आप इसमें आ गये।

इमाम इब्ने कसीर ने हज़रत उबैदा रह. से नक़ल किया है कि:

كُلُّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ الطَّرْفَيْنِ.

यानी जिस चीज़ से भी अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी होती हो सब कबीरा (बड़े गुनाह) ही हैं लेकिन आयत में उनके दो किनारों शुरू और आख़िर को ज़िक्र कर दिया गया। शुरूआत नज़र उठाकर देखना और इन्तिहा जिना है। तबरानी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتَهُ إِيمَانًا يَجِدُ حِلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ. (ابن كثير)

“नज़र शैतान के तीरों में से एक ज़हरीला तीर है जो शख्स बावजूद दिल के तकाज़े के अपनी नज़र फेर ले तो मैं उसके बदले उसको ऐसा पुख़्ता ईमान दूँगा जिसकी लज़ज़त वह अपने दिल में महसूस करेगा।”

और सही मुस्लिम में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया— अगर बिना इरादे के अचानक किसी ग़ैर-मेहरम औरत पर नज़र पड़ जाये तो क्या करना चाहिये? हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी नज़र उस तरफ़ से फेर लो। (इब्ने कसीर) हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू की हदीस में जो यह आया है कि पहली नज़र तो माफ़ है दूसरी गुनाह है, इसका मतलब भी

यही है कि पहली नज़र जो बिना इरादे के अचानक पड़ जाये वह ग़ैर-इख़्तियारी होने के सबब माफ़ है वरना इरादे के साथ पहली नज़र भी माफ़ नहीं।

नवयुवकों की तरफ़ इरादे से नज़र करना भी इसी हुक्म में है

इमाम इब्ने कसीर रह. ने लिखा है कि उम्मत के बहुत से बुजुर्ग किसी नवयुवक (बिना दाढ़ी वाले) लड़के की तरफ़ देखते रहने से बड़ी सख़्ती के साथ मना फ़रमाते थे और बहुत से उलेमा ने इसको हराम फ़रार दिया है (ग़ालिबन यह उस सूरत में है जबकि बुरी नीयत और नफ़्स की इच्छा के साथ नज़र की जाये। वल्लाहु आलम। मुहम्मद शफी)

ग़ैर-मेहरम की तरफ़ नज़र करना हराम है, इसकी तफ़सील

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ..... الآية

इस लम्बी आयत के शुरू के हिस्से में तो वही हुक्म है जो इससे पहली आयत में मर्दों को दिया गया है कि अपनी नज़रें पस्त रखें यानी निगाह फेर लें। मर्दों के हुक्म में औरतें भी दाख़िल थीं मगर उनका ज़िक्र अलग से ताकीद के लिये किया गया है। इससे मालूम हुआ कि औरतों को अपने मेहरमों के सिवा किसी मर्द को देखना हराम है। बहुत से उलेमा का कौल यह है कि ग़ैर-मेहरम मर्द को देखना औरत के लिये हर तरह हराम है चाहे नफ़्स की इच्छा और बुरी नीयत से देखे या बग़ैर किसी नीयत व नफ़्सानी इच्छा के, दोनों सूरतें हराम हैं। और इस पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से दलील ली गयी है जिसमें बयान हुआ है कि एक दिन हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थीं अचानक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी आ गये और यह वाक़िआ पर्दे के अहकाम नाज़िल होने के बाद पेश आया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम दोनों को हुक्म दिया कि उनसे पर्दा करो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! वह तो नाबीना (अंधे) हैं, न हमें देख सकते हैं न हमें पहचानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो उनको देख रही हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही फ़रार दिया है) और दूसरे कुछ फ़ुक़हा ने कहा कि बग़ैर जिन्सी इच्छा के ग़ैर-मर्द को देखने में औरत के लिये हर्ज नहीं। उनकी दलील सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस हदीस से है जिसमें बयान हुआ है कि मस्जिदे नबवी के इहाते में कुछ हब्शी नौजवान ईद के दिन अपना सिपाहियाना खेल दिखा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसको देखने लगे और सिद्दीका आयशा ने आपकी आड़ में खड़े होकर उनका खेल देखा और उस वक़्त तक देखती रहीं जब तक कि खुद ही उससे उक्ता न गयीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे नहीं रोका। और इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि नफ़्सानी इच्छा की नज़र तो हराम है और बिना नफ़्सानी इच्छा के देखना भी अच्छा नहीं है।

और एक औरत का दूसरी औरत के सतर के स्थानों को देखना बग़ैर ख़ास ज़रूरतों के यह भी इसी आयत के अलफ़ाज़ से हराम है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि सतर की जगहें

यानी मर्दों का नाफ़ से घुटनों तक और औरतों का पूरा बदन सिवाय चेहरे और हथेलियों के, ये सतर और छुपाने की जगहें हैं, इनका छुपाना सब से फर्ज है (1) न कोई मर्द दूसरे मर्द का सतर देख सकता है न कोई औरत दूसरी औरत का सतर देख सकती है, और मर्द किसी औरत का या औरत किसी मर्द का सतर देखे यह कहीं ज्यादा हराम है और ऊपर जिक्र हुई आयत के निगाह पस्त करने के हुक्म के खिलाफ़ है, क्योंकि आयत का मतलब जो ऊपर बयान हो चुका है उसमें हर ऐसी चीज़ से नज़र पस्त रखना और हटा लेना मुराद है जिसकी तरफ़ देखने को शरीअत में वर्जित और मना किया गया है, इसमें औरत के लिये औरत का सतर देखना भी दाख़िल है।

وَلَا يَدِينُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدِينُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... الآية.

ज़ीनत लुग़वी मायने के एतिबार से उस चीज़ को कहा जाता है जिससे इनसान अपने आपको संवारे और अच्छा दिखने वाला बनाये। वो उम्दा कपड़े भी हो सकते हैं, ज़ेवर भी। ये चीज़ें जबकि किसी औरत के बदन पर न हों अलग हों तो सब की सर्वसम्पत्ति से उनका देखना मर्दों के लिये हलाल है, जैसे बाज़ार में बिकने वाले ज़नाने कपड़े और ज़ेवर कि उनके देखने में कोई हर्ज नहीं। इसलिये मुफ़स्सरीन की अक्सरियत ने इस आयत में ज़ीनत से मुराद ज़ीनत की जगह यानी वो बदनी अंग जिनमें ज़ीनत की चीज़ें ज़ेवर वगैरह पहनी जाती हैं वो मुराद लिये हैं, और आयत के मायने ये हैं कि औरतों पर वाजिब है कि वे अपनी ज़ीनत यानी ज़ीनत के मौकों और जगहों को ज़ाहिर न करें। (तफ़सीर रूहुल-मआनी में यही बयान किया है) इस आयत में जो औरत के ज़ीनत व सिंगार के मौकों और जगहों को हराम करार दिया है आगे इस हुक्म से दो को अलग रखा है- एक मन्ज़ूर के एतिबार से है यानी जिसकी तरफ़ देखा जाये, दूसरा नाज़िर यानी देखने वालों के एतिबार से।

पर्दे के अहकाम से जिन्हें अलग रखा गया है

छूट और अलग रखने का पहला मौका 'मा ज़-ह-र मिन्हा' का है, यानी औरत के लिये अपनी ज़ीनत (बनाव-सिंगार) की किसी चीज़ को मर्दों के सामने ज़ाहिर करना जायज़ नहीं सिवाय उन चीज़ों के जो खुद-ब-खुद ज़ाहिर हो ही जाती हैं, यानी कामकाज और चलने-फिरने के वक़्त जो चीज़ें आदतन खुल ही जाती हैं और आदतन उनका छुपाना मुश्किल है वे इस हुक्म से बाहर हैं, उनके इज़हार में कोई गुनाह नहीं। (इब्ने कसीर) इससे क्या मुराद है इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफ़सीरें अलग-अलग हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फ़रमाया 'मा ज़-ह-र मिन्हा' में जिस चीज़ को अलग और हुक्म से बाहर रखा गया है वह ऊपर के कपड़े हैं जैसे बुर्का या लम्बी चादर जो बुर्के के कायम-मक़ाम होती है। ये कपड़े ज़ीनत के कपड़ों को छुपाने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। तो आयत की मुराद यह हो गयी कि ज़ीनत की किसी चीज़ को ज़ाहिर करना जायज़ नहीं सिवाय उन ऊपर के कपड़ों के जिनका छुपाना ज़रूरत से बाहर निकलने के वक़्त मुम्किन नहीं जैसे बुर्का वगैरह।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इससे, मुराद चेहरा और हथेलियाँ हैं

(1) यानी तमाम ना-मेहरमों से। मेहरम का हुक्म आगे आ रहा है। (मुहम्मद तकी उस्मानी सन् 1419 हिजरी)

क्योंकि जब औरत किसी ज़रूरत से बाहर निकलने पर मजबूर हो तो चलने-फिरने, उठने-बैठने और लेन-देन के वक़्त चेहरे और हथेलियों को छुपाना मुश्किल है। इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की तफ़सीर के मुताबिक़ तो ग़ैर-मेहरम मर्दों के सामने औरत को चेहरा और हाथ खोलना भी जायज़ नहीं, सिर्फ़ ऊपर के कपड़े बुर्के वग़ैरह का इज़हार ज़रूरत की वजह से अलग है। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफ़सीर के मुताबिक़ चेहरा और हाथों की हथेलियाँ भी ग़ैर-मेहरमों के सामने खोलना जायज़ है। इसलिये उम्मत के फ़ुक़हा (कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) में भी इस मसले में मतभेद है कि चेहरा और हथेलियाँ पर्दे के हुक्म से अलग और उनका ग़ैर-मेहरमों के सामने खोलना जायज़ है या नहीं? मगर इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर चेहरे और हथेलियों पर नज़र डालने से फ़ितने का अन्देशा हो तो उनका देखना भी जायज़ नहीं, और औरत को उनका खोलना भी जायज़ नहीं। इसी तरह इस पर भी सब का इत्तिफ़ाक़ है कि सतर-ए-औरत जो नमाज़ में सब के नज़दीक और नमाज़ से बाहर ज़्यादा सही कौल के मुताबिक़ फ़र्ज़ है, उससे चेहरा और हथेलियाँ अलग और बाहर हैं, अगर उनको खोलकर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ सब के नज़दीक सही व दुरुस्त हो जायेगी।

फ़ाज़ी बैजावी और अल्लामा ख़ाज़िन ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि आयत से यह तफ़ाज़ा मालूम होता है कि औरत के लिये असल हुक्म यह है कि वह अपनी ज़ीनत की किसी चीज़ को भी ज़ाहिर न होने दे सिवाय उसके जो चलने-फिरने, उठने-बैठने और कामकाज करने में आदतन खुल ही जाती हैं, इनमें बुर्का और चादर भी दाख़िल हैं और चेहरा और हथेलियाँ भी, कि जब औरत किसी मजबूरी और ज़रूरत से बाहर निकलती है तो बुर्का चादर वग़ैरह का ज़ाहिर होना तो तय ही है लेन-देन की ज़रूरत में कई बार चेहरा और हाथ की हथेलियाँ भी खुल जाती हैं तो वह भी माफ़ है गुनाह नहीं। लेकिन इस आयत से यह कहीं साबित नहीं कि मर्दों को चेहरा और हथेलियाँ देखना भी बिना ज़रूरत जायज़ है, बल्कि मर्दों का तो वही हुक्म है कि निगाह पस्त रखें, अगर औरत कहीं चेहरा और हाथ खोलने पर मजबूर हो जाये तो मर्दों को लाज़िम है कि बिना शर्इ मजबूरी और बिना ज़रूरत के उसकी तरफ़ न देखें। इस वज़ाहत में दोनों रिवायतें और तफ़सीरें जमा हो जाती हैं।

इमाम मालिक रह. का मशहूर मज़हब भी यही है कि ग़ैर-मेहरम औरत के चेहरे और हथेलियों पर नज़र करना भी बग़ैर जायज़ ज़रूरत के जायज़ नहीं। और ज़वाज़िर में इब्ने हजर मक्की शाफ़ई ने इमाम शाफ़ई रह. का भी यही मज़हब नक़ल किया है कि अगरचे औरत का चेहरा और हथेलियाँ सतरे औरत (छुपाने के ज़रूरी हिस्से) के फ़र्ज़ में दाख़िल नहीं उनको खोलकर भी नमाज़ हो जाती है मगर ग़ैर-मेहरम मर्दों को उनका बिना शर्इ ज़रूरत के देखना जायज़ नहीं। और यह ऊपर मालूम हो चुका है कि जिन फ़ुक़हा (उलेमा-ए-दीन) ने चेहरे और हथेलियों को देखना जायज़ करार दिया है वे भी इस पर एक राय हैं कि अगर फ़ितने का अन्देशा हो तो चेहरा वग़ैरह देखना भी नाजायज़ है। और यह ज़ाहिर है कि हुस्न और ज़ीनत का असल केन्द्र इनसान का चेहरा है और ज़माना फ़ितना व फ़साद और इच्छा परस्ती के गुलबे और ग़फ़लत का है, इसलिये सिवाय ख़ास ज़रूरतों के मसलन इलाज व उपचार या कोई सख़्त ख़तरा वग़ैरह हो, औरत को ग़ैर-मेहरमों के सामने जान-बूझकर चेहरा खोलना भी वर्जित और मना है और मर्दों को उसकी तरफ़ जान-बूझकर और इरादा करके नज़र करना भी

बगैर शरई ज़रूरत के जायज़ नहीं।

मज़कूरा आयत में जाहिरी ज़ीनत (बनाव-सिंगार के मौकों) के पर्दे के हुक्म से अलग रखने के बाद इरशाद है:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

यानी आँचल मार लिया करें अपने दुपट्टों का अपने सीनों पर।

खुमुर खिमार की जमा (बहुवचन) है, यह उस कपड़े को कहते हैं जो औरत सर पर इस्तेमाल करे और उससे गला और सीना भी छुप जाये। जुयूब जेब की जमा है जिसके भायने हैं गिरेबान। चूँकि पुराने ज़माने से गिरेबान सीने ही पर होने का मामूल है इसलिये जुयूब के छुपाने से मुराद सीने का छुपाना है। आयत के शुरू में ज़ीनत व सिंगार के इज़हार की मनाही थी इस जुमले में ज़ीनत को छुपाने की ताकीद और उसकी एक सूरत का बयान है जिसकी असल वजह जाहिलीयत की एक रस्म को मिटाना है। जाहिलीयत के ज़माने में औरतें दुपट्टा सर पर डालकर उसके दोनों किनारे पुश्त पर छोड़ देती थीं जिससे गिरेबान और गला और सीने और कान खुले रहते थे इसलिये मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया कि वे ऐसा न करें बल्कि दुपट्टे के दोनों पल्ले एक दूसरे पर उलट लें ताकि ये सब हिस्से छुप जायें। (इब्ने अबी हातिम, अबू जुबैर रह. की रिवायत से। रूहुल-मअानी)

आगे पर्दे के हुक्म से बाहर रखी गयी दूसरी सूरत है यानी उन मर्दों का बयान जिनसे शरअन पर्दा नहीं, जिसके दो सबब हैं- अब्वल तो जिन मर्दों को पर्दे के हुक्म से बाहर रखा गया है उनसे किसी फितने का खतरा नहीं, वे मेहरम हैं, जिनकी तबीयत को हक़ तअ़ाला ने पैदाईशी तौर पर ऐसा बनाया है कि वे उन औरतों की आबरू के मुहाफ़िज़ होते हैं, उनसे खुद किसी फितने का गुमान व शुब्हा और डर नहीं। दूसरे हर वक़्त एक जगह रहने-सहने की ज़रूरत भी सहूलत पैदा करने का तकाज़ा करती है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि शौहर के सिवा दूसरे मेहरमों को जो पर्दे के हुक्म से अलग रखा गया है वे हिजाब व पर्दे के अहक़ाम से अलग रखे गये हैं, औरत का जो सतर (छुपाने के हिस्से और मक़ाम हैं उन) से अलग नहीं रखे गये, औरत का जो बदन सतर में दाख़िल है जिसका खोलना नमाज़ में जायज़ नहीं उसका देखना मेहरमों के लिये भी जायज़ नहीं। (1)

इस आयत में आठ किस्म के मेहरम मर्दों को और चार दूसरी किस्मों को पर्दे के हुक्म से अलग रखा गया है और सूर: अहज़ाब की आयत जो नाज़िल होने में इससे पहले है उसमें सिर्फ़ सात किस्मों का ज़िक्र है, पाँच का इज़ाफ़ा सूर: नूर की आयत में किया गया है जो इसके बाद नाज़िल हुई है।

(1) यहाँ मसले में थोड़ी सी तफ़सील है जो बयान होने से रह गयी है। वह तफ़सील यह है कि औरत के सतर का वह हिस्सा जो नाफ़ और घुटनों के बीच है तथा पेट और कमर मेहरम के लिये भी देखना जायज़ नहीं। अलबत्ता इसके अलावा बदन के दूसरे हिस्से मसलन सर, कलाईयाँ, पिण्डली वगैरह मेहरम के सामने खोली जा सकती है। लेकिन ज़माना चूँकि फितने और बिगाड़ का है इसलिये बिना ज़रूरत खोलने की आदत डालना मुनासिब नहीं। शायद इसी वजह से तफ़सीर के लेखक हज़रत मुफ़्ती साहिब रह. ने नमाज़ के सतर ही को मेहरम का सतर करार दिया है। बल्लाहु आलम। (मुहम्मद तकी उस्मानी सन् 1419 हिजरी)

तंबीह

याद रहे कि इस जगह लफ़्ज़ मेहरम आम मायने में इस्तेमाल हुआ है जो शौहर को भी शामिल है। फ़ुक़हा की परिभाषा में मेहरम की जो ख़ास तफ़्सीर है कि जिससे कभी निकाह जायज़ न हो वह यहाँ मुराद नहीं। जिन बारह लोगों को पर्दे के हुक्म से अलग रखा गया है उनकी तफ़्सील इस तरह है जो सूरः नूर की उक्त आयत में है। सबसे पहले शौहर है जिससे बीवी के किसी अंग और बदनी हिस्से का पर्दा नहीं अगरचे ख़ास अंगों को बिना ज़रूरत देखना अच्छा नहीं है। हज़रत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया “भा रआ मिन्नी व ला रएतु मिन्हु” यानी न आपने मेरे ख़ास अंग को देखा न मैंने आपके।

दूसरे अपने बाप हैं, जिसमें दादा, परदादा सब दाख़िल हैं। तीसरे शौहर का बाप है, इसमें भी दादा, परदादा दाख़िल हैं। चौथे अपने लड़के जो अपनी औलाद में हैं। पाँचवें शौहर के लड़के जो किसी दूसरी बीवी से हों। छठे अपने भाई, इसमें सगे भाई भी दाख़िल हैं और बाप-शरीक यानी अल्लाती और माँ-शरीक यानी अख़्याफी भी। लेकिन मामूँ, ख़ाला या चचा, ताया और फूफी के लड़के जिनको आम उर्फ़ में भाई कहा जाता है वे इसमें दाख़िल नहीं वे ग़ैर-मेहरम हैं। सातवें भाईयों के लड़के यहाँ भी सिर्फ़ सगे या बाप-शरीक या माँ-शरीक भाई के लड़के मुराद हैं दूसरे उर्फ़ी भाईयों के लड़के शामिल नहीं। आठवें बहनों के लड़के, इसमें भी बहनों से सगे और बाप-शरीक व माँ-शरीक बहनें मुराद हैं। मामूँ ज़ाद चचा ज़ाद बहनें दाख़िल नहीं। ये आठ किस्में तो मेहरमों की हैं।

नवीं किस्म ‘औ निसा-इहिन्-न’ यानी अपनी औरतें जिससे मुराद मुसलमान औरतें हैं कि उनके सामने भी वे तमाम बदनी अंग खोलना जायज़ है जो अपने बाप-बेटों के सामने खोले जा सकते हैं और यह ऊपर लिखा जा चुका है कि यह हिजाब व पर्दे से अलग करना है, सतर के अहकाम से नहीं। इसलिये जो बदनी अंग एक औरत अपने मेहरम मर्दों के सामने नहीं खोल सकती उनका खोलना किसी मुसलमान औरत के सामने भी जायज़ नहीं। इलाज-मुआलजे वग़ैरह की ज़रूरतें इससे अलग हैं।

‘निसाइहिन्-न’। मुसलमान औरतों की क़ैद (शर्त) से यह मालूम हुआ कि काफ़िर मुश्रिक औरतों से भी पर्दा वाजिब है, वे ग़ैर-मेहरम मर्दों के हुक्म में हैं। अल्लामा इब्ने कसीर ने हज़रत मुजाहिद रह. से इस आयत की तफ़्सीर में नक़ल किया है कि इससे मालूम हुआ कि मुसलमान औरत के लिये जायज़ नहीं कि किसी काफ़िर औरत के सामने अपने बदन के हिस्से खोले, लेकिन सही हदीसों में ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिनमें काफ़िर औरतों का नबी करीम की पाक बीवियों के पास जाना साबित है, इसलिये इस मसले में मुज्ताहिद इमामों का मतभेद है। कुछ ने काफ़िर औरतों को ग़ैर-मेहरम मर्दों की तरह करार दिया है कुछ ने इस मामले में मुसलमान और काफ़िर दोनों किस्म की औरतों का एक ही हुक्म रखा है कि उनसे पर्दा नहीं। इमाम राज़ी रह. ने फ़रमाया कि असल बात यह है कि लफ़्ज़ ‘निसाइहिन्-न’ में तो सभी औरतें मुस्लिम और काफ़िर दाख़िल हैं और पहले बुजुर्गों से जो काफ़िर औरतों से पर्दा करने की रिवायतें नक़ल की गयी हैं वो मुस्तहब यानी अच्छा और बेहतर

होने पर आधारित हैं। तफसीर रूहुल-मअानी में मुफ्ती-ए-बगदाद अल्लामा आलूसी रह. ने इसी कौल को इख्तियार फरमाकर कहा है:

هذا القول اوفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. (روح المعاني)

“यही कौल आजकल लोगों के हाल के मुनासिब है क्योंकि इस ज़माने में मुसलमान औरतों का काफिर औरतों से पर्दा तकरीबन नामुम्किन हो गया है।”

दसवीं किस्म ‘औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न’ है। यानी वे जो उन औरतों के ममलूक (गुलाम) हों। इन अलफाज़ के आम होने में तो गुलाम और बाँदियाँ दोनों दाखिल हैं, लेकिन फिका के अक्सर इमामों के नज़दीक इससे मुराद सिर्फ बाँदियाँ हैं, गुलाम मर्द इसमें दाखिल नहीं। उनसे आम मेहरमों की तरह पर्दा वाजिब है। हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. ने अपने आखिरी कौल में फरमाया:

لا يفرنكم آية النور فإنه في الإناث دون الذكور.

यानी तुम लोग कहीं सूर: नूर की इस आयत से मुग़ालते (धोखे) में न पड़ जाओ कि ‘औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न’ के अलफाज़ आम हैं, मर्द गुलामों को भी शामिल हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, यह आयत सिर्फ औरतों यानी कनीज़ों (बाँदियों) के हक में है, मर्द गुलाम इसमें दाखिल नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हसन बसरी और अल्लामा इब्ने सीरीन रह. ने फरमाया कि गुलाम मर्द के लिये अपनी आका औरत के बाल देखना जायज़ नहीं। (रूहुल-मअानी) बाकी रहा यह सवाल कि जब लफज़ ‘औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न’ से सिर्फ औरतें बाँदियाँ ही मुराद हैं तो वे इससे पहले लफज़ ‘निसाइहिन्-न’ में दाखिल हैं कि उनको अलग से बयान करने की ज़रूरत क्या थी? इसका जवाब अल्लामा जस्सास रह. ने यह दिया है कि लफज़ ‘निसाइहिन्-न’ अपने ज़ाहिर के एतिबार से सिर्फ मुसलमान औरतों के लिये है, और ममलूका बाँदियों में अगर काफिर भी हों तो उनको अलग करने के लिये यह लफज़ अलग लाया गया है।

ग्यारहवीं किस्म-

أَوَالْتَبِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इससे मुराद वे बेशऊर और बदहवास किस्म के लोग हैं जिनको औरतों की तरफ कोई रुचि व दिलचस्पी न हो। (इब्ने कसीर)

और यही मज़मून इमाम इब्ने जरीर ने अबू अब्दुल्लाह, इब्ने जुबैर और इब्ने अतीया रह. वगैरह से नकल किया है, इसलिये इससे मुराद वे मर्द हैं जो औरतों की तरफ न कोई दिलचस्पी व जिन्सी इच्छा रखते हों, न उनके हुस्न की सिफ़्तों और हालात से कोई दिलचस्पी रखते हों कि दूसरे लोगों से बयान कर दें। बख़िलाफ़े मुखन्नस (नामर्द और हिजड़े) किस्म के लोगों के जो औरतों की विशेष सिफ़्तों से ताल्लुक रखते हों उनसे भी पर्दा वाजिब है जैसा कि सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में है कि एक मुखन्नस नबी करीम की घाक बीवियों के पास आया करता था और वे उसको औरतों के मामलात से बेताल्लुक रुज़ान न रखने वाला समझकर उसके सामने आ जाती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब उसको देखा और उसकी बातें सुनीं तो घरों में दाखिल होने से

रोक दिया। (तफसीर खुल-मआनी)

इसी लिये अल्लामा इब्ने हजर मक्की रह. ने शरह मिन्हाज में फरमाया है कि मर्द अगरचे इन्नीन (नामर्द) या मजबूब (खास अंग कटा हुआ) या बहुत बूढ़ा हो वह इस 'गैरि उलिल् इर्बति' के लफ्ज में दाखिल नहीं, इन सबसे पर्दा वाजिब है। इसमें 'गैरि उलिल् इर्बति' के लफ्ज के साथ जो 'अत्ताबिई-न' का लफ्ज बयान हुआ है इससे मुराद यह है कि ऐसे गाफिल व बदहवास लोग जो तुफैली बनकर खाने पीने के लिये घरों में चले जायें वे इस हुक्म से अलग हैं। इसका जिक्र सिर्फ इसलिये किया गया कि उस वक्त ऐसे बेसमझ किस्म के कुछ मर्द ऐसे ही थे जो तुफैली बनकर खाने पीने के लिये घरों में जाते थे, असल मदार हुक्म का उनके गाफिल व बेसमझ और बदहवास होने पर है, ताबे और तुफैली होने पर नहीं। वल्लाहु आलम

बारहवीं किस्म 'अवित्तिफिल्लजी-न' है। इससे मुराद वे नाबालिग बच्चे हैं जो अभी बालिग होने के करीब भी नहीं पहुँचे और औरतों के विशेष हालात व सिफात और गतिविधियों से बिल्कुल बेखबर हों। और जो लड़का इन बातों में दिलचस्पी लेता हो वह मुराहिक (बालिग होने के करीब) है, उससे पर्दा वाजिब है। (इब्ने कसीर) इमाम जस्सास रह. ने फरमाया कि यहाँ 'तिफल' से मुराद वे बच्चे हैं जो विशेष मामलात के लिहाज से औरतों और मर्दों में कोई फर्क न करते हों। (मुजाहिद की रिवायत से) पर्दे के अहकाम से जिन सूरतों और व्यक्तियों को अलग रखा गया उनका बयान खत्म हुआ।

وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

यानी औरतों पर लाजिम है कि अपने पाँव इतनी जोर से न रक्खें जिससे ज़ेवर की आवाज़ निकले और उनकी छुपी ज़ीनत मर्दों पर जाहिर हो।

ज़ेवर की आवाज़ गैर-मेहरमों को सुनाना जायज़ नहीं

आयत के शुरू में औरतों को अपनी ज़ीनत गैर-मर्दों पर जाहिर करने से मना फरमाया था, आखिर में इसकी और ज़्यादा ताकीद है कि ज़ीनत की जगहों सर और सीने वगैरह का छुपाना तो वाजिब था ही, अपनी छुपी ज़ीनत का इज़हार चाहे किसी ज़रिये से हो वह भी जायज़ नहीं। ज़ेवर के अन्दर खुद कोई चीज़ ऐसी डाली जाये जिससे वह बजने लगे या एक ज़ेवर दूसरे ज़ेवर से टकराकर बजे, या पाँव ज़मीन पर इस तरह मारे जिससे ज़ेवर की आवाज़ निकले और गैर-मेहरम मर्द सुनें ये सब चीज़ें इस आयत की रू से नाजायज़ हैं। और इसी वजह से बहुत से फुकहा (दीन के उलेमा) ने फरमाया कि जब ज़ेवर की आवाज़ गैर-मेहरमों को सुनाना इस आयत से नाजायज़ साबित हुआ तो खुद औरत की आवाज़ का सुनाना उससे भी ज़्यादा सख्त और कहीं ज़्यादा नाजायज़ होगा। इसलिये औरत की आवाज़ को भी इन हज़रात ने सतर (छुपाने की चीज़) में दाखिल करार दिया है और इसी बिना पर किताब नवाज़िल में फरमाया कि औरतों को जहाँ तक मुम्किन हो कुरआन की तालीम भी औरतों ही से लेनी चाहिये, मर्दों से तालीम लेना मजबूरी के दर्जे में जायज़ है।

सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि नमाज़ में अगर कोई सामने से गुज़रने लगे तो मर्द को चाहिये कि बुलन्द आवाज़ से सुब्हानल्लाह कहकर गुज़रने वाले को खबरदार कर दे, मगर औरत

आवाज़ न निकाले बल्कि अपनी एक हथेली की पुश्त पर दूसरा हाथ मारकर उसको सचेत करे।

औरत की आवाज़ का मसला

क्या औरत की आवाज़ अपने आप में सतर (छुपाने वाली चीज़ों) में दाखिल है और गैर-मेहरम को आवाज़ सुनाना जायज़ है। इस मामले में इमामों का मतभेद है। इमाम शाफ़ई रह. की किताबों में औरत की आवाज़ को सतर में दाखिल नहीं किया गया। हनफी हज़रात के नज़दीक भी विभिन्न अफ़वाल हैं। इब्ने हुमाम रह. ने नवाज़िल की रियायत की बिना पर सतर में दाखिल करार दिया है। इसी लिये हनफी हज़रात के नज़दीक औरत की अज़ान मक्रूह है, लेकिन हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियाँ पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद भी पर्दे के पीछे से गैर-मेहरमों से बात करती थीं। कुल मिलाकर ज़्यादा सही बात यह मालूम होती है कि जिस मौके और जिस जगह में औरत की आवाज़ से फ़ितना पैदा होने का ख़तरा हो वहाँ मना है, जहाँ यह न हो जायज़ है। (तफ़सीरे जस्सास) और एहतियात इसी में है कि बिना ज़रूरत औरतें पर्दे के पीछे से भी गैर-मेहरमों से गुफ़्तगू न करें। वल्लाहु आलम

खुशबू लगाकर बाहर निकलना

इसी हुक्म में यह भी दाखिल है कि औरत जब ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकले तो खुशबू लगाकर न निकले, क्योंकि वह भी उसकी छुपी ज़ीनत है, गैर-मेहरम तक यह खुशबू पहुँचे तो नाजायज़ है। तिर्मिज़ी में हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जिसमें खुशबू लगाकर बाहर जाने वाली औरत को बुरा कहा गया है।

सजा हुआ बुर्का पहनकर निकलना भी नाजायज़ है

इमाम जस्सास रह. ने फ़रमाया कि जब ज़ेवर की आवाज़ तक को कुरआन ने ज़ीनत के इज़हार में दाखिल करार देकर मना और वर्जित करार दिया है तो सजे हुए रंगों का काम किया हुआ बुर्का पहनकर निकलना कहीं ज़्यादा ममनू होगा, और इसी से यह भी मालूम हुआ कि औरत का चेहरा अगरचे सतर में दाखिल नहीं मगर वह ज़ीनत का सबसे बड़ा केन्द्र है इसलिये इसका भी गैर-मेहरमों से छुपाना वाजिब है, हाँ अगर कोई ज़रूरत और मजबूरी हो तो और बात है। (तफ़सीरे जस्सास)

وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ.

यानी तौबा करो अल्लाह से तुम सब के सब ऐ मोमिन बन्दो। इस आयत में पहले मर्दों को नज़रें पस्त रखने का हुक्म फिर औरतों को ऐसा ही हुक्म फिर औरतों को गैर-मेहरमों से पर्दा करने का हुक्म अलग-अलग देने के बाद इस जुमले में सब मर्द व औरत को शामिल करके हिदायत की गयी है कि जिन्सी व नफ़्सानी इच्छा का मामला गहरा और बारीक है, दूसरे को उस पर इत्तिला होना मुश्किल है, मगर अल्लाह तआला पर हर-हर छुपी और खुली चीज़ बराबर ज़ाहिर है इसलिये अगर किसी से ज़िक्र हुए अहक़ाम में किसी वक़्त कोई कोताही हो गयी हो तो उस पर लाज़िम है कि उससे तौबा करे गुज़रे हुए पर शर्मिन्दगी के साथ अल्लाह से मग़फ़िरत माँगे और आगे उसके पास न जाने का पक्का

और मजबूत इरादा करे।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

व अन्किहुल्-अयामा मिन्कुम्
वस्सालिही-न मिन् अिबादिकुम् व
इमा-इकुम्, इय्यकून् फु-करा-अ
युग्निहिमुल्लाहु मिन् फज़िलही,
वल्लाहु वासिअुन् अलीम (32)
वल्-यस्तअ् फि फिल्लजी-न ल्हा
यजिदू-न हत्ता युग्नि-यहुमुल्लाहु मिन्
फज़िलही,

और निकाह कर दो राण्डों का अपने
अन्दर और जो नेक हों तुम्हारे गुलाम
और बाँदियाँ, अगर वे होंगे मुफ़िलस
अल्लाह उनको ग़नी कर देगा अपने फज़ल
से, और अल्लाह वुस्अत वाला है सब
कुछ जानता है। (32) और अपने आपको
धामते रहें जिनको नहीं मिलता निकाह
का सामान जब तक कि गुंजाईश वाला
कर दे उनको अल्लाह अपने फज़ल से।

खुलासा-ए-तफ़सीर

(आज़ाद में से) जो बिना निकाह के हों (चाहे मर्द हों या औरतें, और बेनिकाह होना भी अ़ाम है चाहे अभी तक निकाह हुआ ही न हो या होने के बाद बीवी की मौत या तलाक़ के सबब बेनिकाह रह गये) तुम उनका निकाह कर दिया करो और (इसी तरह) तुम्हारे गुलाम और बाँदियों में जो इस (निकाह) के लायक हों (यानी निकाह के हुक्क़ अदा कर सकते हों) उनका भी (निकाह कर दिया करो, सिर्फ़ अपनी मस्लेहत से उनकी निकाह की इच्छा की मस्लेहत को ख़त्म न किया करो। और आज़ाद लोगों में के निकाह का पैग़ाम देने वाले की तंगदस्ती व गुर्बत पर नज़र करके इनकार न कर दिया करो जबकि उसमें रोज़ी कमाने की सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि) अगर वे लोग मुफ़िलस होंगे तो खुदा तआला (अगर चाहेगा) उनको अपने फज़ल से ग़नी "मालदार व खुशहाल" कर देगा। (खुलासा यह है कि न तो मालदार न होने की वजह से निकाह से इनकार करो और न यह ख़्याल करो कि निकाह हो गया तो खर्च बढ़ जायेगा, जो मौजूदा हालत में ग़नी व मालदार है वह भी निकाह करने से मोहताज व मुफ़िलस हो जायेगा, क्योंकि रिज़क़ का मदार असल में अल्लाह तआला की मर्ज़ी पर है, वह किसी मालदार को बग़ैर निकाह के भी फ़कीर व मोहताज कर सकता है, और किसी ग़रीब निकाह वाले को निकाह के बावजूद तंगदस्ती व गुर्बत से निकाल सकता है) और अल्लाह तआला वुस्अत वाला है (जिसको चाहे मालदार कर दे, और सब का हाल) ख़ूब जानने वाला है (जिसको मालदार करना उसकी हिक्मत व मस्लेहत का तकाज़ा होगा उसको मालदार कर दिया जायेगा और जिसके मोहताज व फ़कीर रहने ही में उसकी मस्लेहत व बेहतरी है उसको फ़कीर रखा जायेगा)।

और (अगर किसी को अपनी गुर्बत व तंगदस्ती की वजह से निकाह का सामान मयस्सर न हो तो) ऐसे लोगों को कि जिनको निकाह की ताकत व कुदरत नहीं उनको चाहिए कि (अपने नफ्स को) काबू में करें यहाँ तक कि अल्लाह तआला (अगर चाहे) उनको अपने फज़ल से ग़नी कर दे (उस वक़्त निकाह कर लें)।

मअरिफ़ व मसाईल

निकाह के कुछ अहकाम

पहले बयान हो चुका है कि सूर: नूर में ज्यादातर वो अहकाम हैं जिनका ताल्लुक आबरू व पाकदामनी की हिफ़ाज़त और बुराई व बेहयाई की रोकथाम से है। इस सिलसिले में जिना और उससे संबन्धित चीज़ों की सख़्त सज़ाओं का ज़िक्र किया गया, फिर इजाज़त लेने का, फिर औरतों के पर्दे का। इस्लामी शरीअत चूँकि एक मोतदिल (यानी सख़्ती व नर्मी में दरमियानी दर्जे की) शरीअत है इसके अहकाम सब ही एतदाल (दरमियानी राह) पर और इनसान के फ़ितरी ज़ब्बात व इच्छाओं की रियायत के साथ हद से निकलने की मनाही और रोकथाम के उसूल पर दायर हैं, इसलिये जब एक तरफ़ इनसान को नाजायज़ जिन्सी इच्छा पूरी करने से सख़्ती के साथ रोका गया तो ज़रूरी था कि फ़ितरी ज़ब्बात व इच्छाओं की रियायत से उसका कोई जायज़ और सही तरीक़ा भी बतलाया जाये। इसके अलावा इनसानी नस्ल को बाकी रखने का अक्ली और शरई तकाज़ा भी यही है कि कुछ हदों के अन्दर रहकर मर्द व औरत के मिलाप की कोई सूरत तजवीज़ की जाये। इसी का नाम क़ुरआन व सुन्नत की परिभाषा में निकाह है। उक्त आयत में इसके मुताल्लिक़ आज़ाद औरतों के सरपरस्तों और बाँदियों व गुलामों के आकाओं को हुक्म दिया है कि वे उनका निकाह कर दिया करें, फ़रमाया:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ.....الآية.

‘अयामा’ ‘ऐम’ की जमा (बहुवचन) है जो हर उस मर्द व औरत के लिये इस्तेमाल किया जाता है जिसका निकाह मौजूद न हो। चाहे शुरू ही से निकाह न किया हो या भियाँ-बीवी में से किसी एक की मौत से या तलाक़ से निकाह ख़त्म हो चुका हो। ऐसे मर्दों व औरतों के निकाह के लिये उनके सरपरस्तों को हुक्म दिया गया है कि वे उनके निकाह का इन्तिज़ाम करें।

ज़िक्र हुई आयत के ख़िताब के अन्दाज़ से इतनी बात तो तमाम फ़कीह इमामों के नज़दीक साबित है कि निकाह का सुन्नत और बेहतर तरीक़ा यही है कि खुद अपना निकाह करने के लिये कोई मर्द या औरत अप्रत्यक्ष रूप से क़दम उठाने के बजाय अपने सरपरस्तों के वास्ते से यह काम अन्जाम दे। इसमें दीन व दुनिया की बहुत सी मस्लेहतें और फ़ायदे हैं। ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में, कि लड़कियाँ अपने निकाह का मामला खुद तय करें यह एक किस्म की बेहयाई भी है और इसमें बुराईयों के रास्ते खुल जाने का ख़तरा भी। इसी लिये हदीस की कुछ रिवायतों में औरतों को खुद अपना निकाह बिना वली के वास्ते के करने से रोका भी गया है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक यह हुक्म एक ख़ास सुन्नत और शरई हिदायत की हैसियत में है, अगर कोई बालिग़ लड़की अपना निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर अपने बराबर वालों में करे तो निकाह

सही हो जायेगा अगरचे खिलाफे सुन्नत करने की वजह से वह लान-तान की पात्र होगी, किसी मजबूरी से ऐसा कदम न उठाया हो।

इमाम शाफई रह. और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक उसका निकाह ही बातिल और अमान्य होगा जब तक वली के वास्ते से न हो। यह जगह मतभेदी मसाईल की मुकम्मल तहकीक और दोनों इमामों की दलीलें बयान करने की नहीं लेकिन इतनी बात ज़ाहिर है कि जिक्र हुई आयत से ज्यादा से ज्यादा यही साबित होता है कि निकाह में सरपरस्तों और वलियों का वास्ता होना चाहिये, बाकी यह सूत कि कोई अपने वली के माध्यम के बिना निकाह करे तो उसका क्या हुक्म होगा कुरआन की यह आयत उसके बारे में खामोश है। खुसूसन इस वजह से भी कि लफ़्ज़ अयामा में बालिग़ मर्द व औरत दोनों दाख़िल हैं और बालिग़ लड़कों का निकाह बिना वली के माध्यम के सब के नज़दीक सही हो जाता है, उसको कोई बातिल नहीं कहता। इसी तरह ज़ाहिर यह है कि बालिग़ लड़की अगर अपना निकाह खुद करे तो वह भी सही और आयोजित हो जाये। हाँ खिलाफे सुन्नत काम करने पर मलामत दोनों को की जायेगी।

निकाह वाजिब है या सुन्नत या विभिन्न हालात में हुक्म अलग-अलग है

इस पर तकरीबन सभी मुज्ताहिद इमाम हज़रात एक राय हैं कि जिस शख्स को निकाह न करने की सूत में ग़ालिब गुमान यह हो कि वह शरीअत की हदों पर कायम नहीं रह सकेगा, गुनाह में मुक्त्ला हो जायेगा और निकाह करने पर उसको कुदरत भी हो कि उसके वसाईल मौजूद हों तो ऐसे शख्स पर निकाह करना फ़र्ज़ या वाजिब है, जब तक निकाह न करेगा गुनाहगार रहेगा। हाँ अगर निकाह के वसाईल (असबाब) मौजूद नहीं कि कोई मुनासिब औरत मयस्सर नहीं या उसके लिये फ़ोरी अदायेगी वाले मेहर वगैरह की हद तक ज़रूरी खर्च उसके पास नहीं तो उसका हुक्म अगली आयत में यह आया है कि उसको चाहिये कि वसाईल की उपलब्धता की कोशिश करता रहे और जब तक वो मयस्सर न हों अपने नफ़्स को काबू में रखने और सब्र करने की कोशिश करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे शख्स के लिये इरशाद फ़रमाया है कि वह लगातार रोज़े रखे, इससे जिन्सी इच्छा के ग़लबे में ठहराव आ जाता है।

मुस्नद अहमद में रिवायत है कि हज़रत उकाफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी है? उन्होंने अर्ज़ किया नहीं। फिर पूछा कोई शरई बाँदी है? कहा कि नहीं। फिर आपने मालूम किया कि तुम गुंजाईश वाले हो या नहीं? उन्होंने अर्ज़ किया कि हैसियत व गुंजाईश वाला हूँ। मुराद यह थी कि क्या तुम निकाह के लिये ज़रूरी खर्चों का इन्तिज़ाम कर सकते हो? जिसके जवाब में उन्होंने इकरार किया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि फिर तो तुम शैतान के भाई हो, और फ़रमाया कि हमारी सुन्नत निकाह करना है, तुम में बदतरीन आदमी वे हैं जो बिना निकाह के हों, और तुम्हारे मुदों में सबसे रज़ील (घटिया) वे

हैं जो बेनिकाह के मर गये। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस रिवायत को भी फ़ुक़हा की अक्सरियत ने उसी हालत पर महमूल फ़रमाया है जबकि निकाह न करने की सूरत में गुनाह का ख़तरा ग़ालिब हो। हज़रत उकाफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम होगा कि वह सब नहीं कर सकते। इसी तरह मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निकाह करने का हुक्म दिया और तबल्लुल यानी बेनिकाह रहने से सख़्ती के साथ मना फ़रमाया। (मज़हरी) इसी तरह की और भी हदीस की रिवायतें हैं। उन सब का मौक़ा व मतलब फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की अक्सरियत के नज़दीक वही सूरत है कि निकाह न करने में गुनाह में फंसने का ख़तरा ग़ालिब हो। इसी तरह इस पर भी तफ़रीबन सभी फ़ुक़हा की सर्वसम्मति है कि जिस शख्स को प्रबल अन्दाज़े और ग़ालिब गुमान से यह मालूम हो कि वह निकाह करने की वजह से गुनाह में मुब्तला हो जायेगा, मसलन बीवी के हुक्क़ अदा करने पर कुदरत नहीं, उस पर जुल्म कर बैठेगा या उसके लिये निकाह करने की सूरत में कोई दूसरा गुनाह यकीनी तौर पर लाज़िम आ जायेगा, ऐसे शख्स को निकाह करना हराम या मक्रूह है।

अब उस शख्स का हुक्म बाकी रहा जो दरमियानी हालत में है कि न तो निकाह न करने से गुनाह का ख़तरा मज़बूत है और न निकाह की सूरत में किसी गुनाह का अन्देशा ग़ालिब है। ऐसे शख्स के बारे में फ़ुक़हा के कौल अलग-अलग हैं कि उसको निकाह करना अफ़ज़ल है या निकाह न करके नफ़ली इबादतों में मशगूल होना अफ़ज़ल है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक नफ़ली इबादतों में लगने से अफ़ज़ल निकाह करना है, और इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक इबादत में मशगूल होना अफ़ज़ल है। वजह इस मतभेद की असल में यह है कि निकाह अपनी ज़ात के एतिबार से तो एक मुबाह (यानी इजाज़त वाला और दुरुस्त अमल) है, जैसे खाना-पीना, सोना वगैरह जिन्दगी की ज़रूरतें सब मुबाह हैं। उसमें इबादत का पहलू इस नीयत से आ जाता है कि उसके ज़रिये आदमी अपने आपको गुनाह से बचा सकेगा, और नेक औलाद पैदा होगी तो उसका भी सवाब मिलेगा। और ऐसी नेक नीयत से जो मुबाह काम भी इनसान करता है वह उसके लिये प्रत्यक्ष रूप से इबादत बन जाती है। खाना पीना और सोना भी इसी नीयत से इबादत हो जाता है, और इबादत में मशगूल होना अपनी ज़ात में इबादत है, इसलिये इमामे शाफ़ई रह. इबादत के लिये तन्हाई इख़्तियार करने को निकाह से अफ़ज़ल करार देते हैं।

और इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक निकाह में इबादत का पहलू दूसरे जायज़ कामों के मुकाबले में ग़ालिब है। सही हदीसों में इसको रसूलों की सुन्नत और अपनी सुन्नत करार देकर बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। हदीस की उन रिवायतों के मजमूए से इतना वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि निकाह आम जायज़ व दुरुस्त कामों की तरह मुबाह नहीं बल्कि नबियों की सुन्नत भी है जिसकी ताकीदें भी हदीस में आई हैं, सिर्फ़ नीयत की वजह से इबादत की हैसियत इसमें नहीं बल्कि नबियों की सुन्नत होने की हैसियत से भी है। अगर कोई कहे कि इस तरह तो खाना-पीना और सोना भी नबियों की सुन्नत है कि सबने ऐसा किया है, मगर जवाब वाज़ेह है कि इन चीज़ों पर सब नबियों का अमल

होने के बावजूद यह किसी ने नहीं कहा न किसी हदास में आया कि खाना-पाना जार सागर की सुन्नत है, बल्कि इसको आम इनसानी आदत के ताबे नबियों का अमल करार दिया है, व निकाह के कि इसको स्पष्ट रूप से नबियों व रसूलों की सुन्नत और अपनी सुन्नत फरमाया है

तफसीरे मजहरी में इस मौके पर एक मोतदिल बात यह कही है कि जो शख्स दरमियानी हालत में हो कि न जिन्सी इच्छा के गुलबे से मजबूर व दबा हुआ हो और न निकाह करने से किसी गुनाह में पड़ने का अन्देशा रखता हो, यह शख्स अगर यह महसूस करे कि निकाह करने के बावजूद निकाह और बीवी-बच्चों की मशगूलियत मेरे लिये जिक्रुल्लाह और अल्लाह की तरफ तवज्जोह की अधिकता से रुकावट नहीं होगी तो उसके लिये निकाह अफज़ल और बेहतर है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उम्मत के नेक लोगों का आम हाल यही था। और अगर उसका अन्दाज़ा यह है कि निकाह और बीवी-बच्चों के धन्धे और व्यस्तता उसको दीनी तरक्की, जिक्र वगैरह की कसरत से रोक देंगे तो दरमियानी हालत में उसके लिये इबादत के लिये तन्हाई इख्तियार करना और निकाह न करना अफज़ल है। कुरआने करीम की बहुत सी आयतों से इस मज़मून की वज़ाहत मिलती है। उनमें से एक यह है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

इसमें यही हिदायत है कि इनसान के माल व औलाद उसको अल्लाह तआला के जिक्र से गाफिल कर देने का सबब न बनने चाहिये। वल्लाहु सुब्हानहु तआला आलम

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

यानी अपने गुलामों और बाँदियों में जो नेक हों उनके निकाह करा दिया करो। यह खिताब उनके आकाओं और मालिकों को है। इस जगह सालिहीन का लफज़ अपने लुगवी मायने में आया है यानी उनमें जो शख्स निकाह की काबलियत व गुंजाईश रखता हो उसका निकाह करा देने का हुक्म उनके आकाओं को दिया गया है। मुराद इस सलाहियत व काबलियत से वही है कि बीवी के निकाह के हुक्क और खर्चे व फोरी अदायेगी वाला मेहर अदा करने के काबिल हों। और अगर सालिहीन को परिचित यानी नेक लोगों के मायने में लिया जाये तो फिर उनका विशेष तौर पर जिक्र करना इस वजह से होगा कि निकाह का असल मकसद हराम से बचना है, वह सालिहीन ही में हो सकता है।

बहरहाल अपने गुलामों और बाँदियों में जो निकाह की सलाहियत रखने वाले हों उनके निकाह का हुक्म उनके आकाओं को दिया गया है, और इससे मुराद यह है कि अगर वे अपनी निकाह की ज़रूरत ज़ाहिर करें और इच्छा करें कि उनका निकाह कर दिया जाये तो आकाओं पर कुछ उलेमा के नज़दीक वाजिब होगा कि उनके निकाह कर दें, और दीनी मसाईल के माहिर उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक उन पर लाज़िम है कि उनके निकाह में रुकावट न डालें बल्कि इजाज़त दे दें, क्योंकि ऐसे गुलामों और बाँदियों का निकाह जो दूसरे की मिल्क में हों बगैर मालिकों की इजाज़त के नहीं हो सकता। तो यह हुक्म ऐसा ही होगा जैसा कि कुरआने करीम की एक आयत में है:

فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَن يُبْكَحُوا أَزْوَاجَهُمْ

यानी औरतों के सरपरस्तों पर लाज़िम है कि अपनी सरपरस्ती वाली औरतों को निकाह से न रोके, और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स मंगनी लेकर आये और अख़्लाक़ आपको पसन्द हों तो ज़रूर निकाह कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और बड़े पैमाने का फ़साद पैदा हो जायेगा। (तिर्मिज़ी)

खुलासा यह है कि यह हुक्म आकाओं को इसलिये दिया गया कि वे निकाह की इजाज़त देने में कोताही न करें। खुद निकाह कराना उनके ज़िम्मे वाजिब हो, यह ज़रूरी नहीं। वल्लाहु आलम

إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

इसमें उन ग़रीब फ़कीर मुसलमानों के लिये खुशख़बरी है जो अपने दीन की हिफ़ाज़त के लिये निकाह करना चाहते हैं मगर माली साधन उनके पास नहीं कि जब वे अपने दीन की हिफ़ाज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नेक नीयत से निकाह करेंगे तो अल्लाह तआला उनको माली फ़रावानी भी अता फ़रमायेंगे, और इसमें उन लोगों को भी हिदायत है जिनके पास ऐसे ग़रीब लोग मंगनी लेकर जायें कि वे महज़ उनके फ़िलहाल ग़रीब फ़कीर होने की वजह से रिश्ते से इनकार न कर दें। माल आने जाने वाली चीज़ है, असल चीज़ काम करने की सलाहियत है, अगर वह उनमें मौजूद है तो उनके निकाह से इनकार न करें।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इस आयत में हक़ तआला ने सब मुसलमानों को निकाह करने की तरगीब दी (शौक़ व तवज्जोह दिलाई) है, इसमें आज़ाद और गुलाम सबको दाख़िल फ़रमाया है और निकाह करने पर उनसे खुशहाली का वायदा फ़रमाया है। (इब्ने कसीर)

और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सिदीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि उन्होंने मुसलमानों को ख़िताब करके फ़रमाया कि तुम निकाह करने में अल्लाह तआला के हुक्म की तामील करो तो अल्लाह तआला ने जो वायदा खुशहाली व मालदारी अता फ़रमाने का किया है वह पूरा फ़रमा देंगे, फिर यह आयत पढ़ी:

إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ.

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तुम ग़नी (मालदार) होना चाहते हो तो निकाह कर लो, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ.

(इब्ने जरीर, बग़वी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से। इब्ने कसीर)

तंबीह

तफ़सीरे मज़हरी में है कि मगर यह याद रहे कि निकाह करने वाले को खुशहाली और माल अता फ़रमाने का वायदा अल्लाह तआला की तरफ़ से उसी हाल में है जबकि निकाह करने वाले की नीयत अपनी आबरू की हिफ़ाज़त और सुन्नत पर अमल करने की हो, और फिर अल्लाह तआला पर भरोसा व तवक्कुल हो, इसकी दलील अगली आयत के ये अलफ़ाज़ हैं:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

यानी जो लोग माल व असबाब के लिहाज से निकाह पर कुदरत नहीं रखते और निकाह करने में यह खतरा है कि बीवी के हुक्क अदा न करने की वजह से गुनाहगार हो जायेंगे उनको चाहिये कि पाकदामनी और सब्र के साथ इसका इन्तिज़ार करें कि अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल से उनको ग़नी (खुशहाल) कर दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल से उनको इतने माली साधन अता फ़रमायेंगे जिनसे निकाह पर कुदरत हो जाये।

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ

مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْشَرَكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كُرْهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

वल्लजी-न यब्तगूनल्-किता-ब मिम्मा
म-लकत् ऐमानुकुम् फ़कातिबूहुम् इन्
अलिम्तुम् फ़ीहिम् ख़ैरंव-व आतूहुम्
मिम्-मालिल्लाहिल्लजी आताकुम्, व
ला तुकिरहू फ़-तयातिकुम् अलल्-
बिगा-इ इन् अरद्-न त-हस्सुनल्-
लितब्तगू अ-रज़ल्-हयातिदुदुन्या, व
मय्युकिरहहुन्-न फ़-इन्नल्ला-ह मिम्-
बअदि इकराहिहिन्-न ग़फ़ूर-
रहीम (33)

और जो लोग चाहें लिखित आज़ादी की माल देकर उनमें से कि जो तुम्हारे हाथ के माल हैं तो उनको लिखकर दे दो अगर समझो उनमें कुछ नेकी, और दो उनको अल्लाह के माल से जो उसने तुमको दिया है, और न ज़बरदस्ती करो अपनी छोकरीयों पर बदकारी के वास्ते अगर वे चाहें कैद से रहना (यानी इससे बचना) कि तुम कमाना चाहो असबाब दुनिया की ज़िन्दगानी का, और जो कोई उन पर ज़बरदस्ती करेगा तो अल्लाह उनकी बेबसी के बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। (33)

खुलासा-ए-तफसीर

और तुम्हारे ममलूकों "यानी गुलाम-बाँदियों" में से (गुलाम हों या बाँदियाँ) जो मुकातब होने के इच्छुक हों तो (बेहतर है कि) उनको मुकातब बना दिया करो, अगर उनमें बेहतरी (के आसार) पाओ। और अल्लाह के (दिए हुए) उस माल में से उनको भी दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है (ताकि जल्दी आज़ाद हो सकें) और अपनी (ममलूका) बाँदियों को जिना करने पर मजबूर मत करो, (और खास तौर पर) जबकि वे पाकदामन रहना चाहें, (और तुम्हारी यह ज़लील हरकत) महज़ इसलिये कि दुनियावी ज़िन्दगी का कुछ फ़ायदा (यानी माल) तुमको हासिल हो जाये, और जो शख्स उनको मजबूर

करेगा (और वे बचना चाहेंगी) तो अल्लाह उनके मजबूर किये जाने के बाद (उनके लिये) बख़्शने वाला, मेहरबान है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयत में ममलूक गुलामों और बाँदियों को अगर निकाह करने की ज़रूरत हो तो आकाओं को हिदायत की गयी थी कि उनको निकाह की इजाज़त दे देना चाहिये, अपनी मस्तेहत के लिये उनकी तबई मस्तेहतों को न टालें, यह उनके लिये अफ़ज़ल और बेहतर है। खुलासा इस हिदायत का अपने ममलूक गुलामों-बाँदियों के साथ अच्छा मामला करना और उनको तकलीफ़ से बचाना है। इसकी मुनासबत से उक्त आयत में एक दूसरी हिदायत उनके आकाओं के लिये यह दी गयी है कि अगर ये ममलूक गुलाम या बाँदी आकाओं से मुकातबत का मामला करना चाहें तो उनकी इस इच्छा को पूरा कर देना भी आकाओं के लिये अफ़ज़ल, अच्छा और सवाब का सबब है। हिदाया के लेखक और आम फ़ुक़हा ने इस हुक्म को मुस्तहब वाला हुक्म ही करार दिया है, यानी आका के जिम्मे वाजिब तो नहीं कि अपने ममलूक को मुकातब बना दे लेकिन मुस्तहब और अफ़ज़ल है। और मुकातबत के मामले की सूरत यह है कि कोई ममलूक (गुलाम) अपने आका से कहे कि आप मुझ पर कुछ रक़म मुक़रर कर दें कि वह रक़म मैं अपनी मेहनत व कमाई से हासिल करके आपको अदा कर दूँ तो मैं आज़ाद हो जाऊँ। आका इसको कुबूल करे, या मामला इसके उलट हो कि आका चाहे कि उसका गुलाम कुछ निर्धारित रक़म उसको दे दे तो आज़ाद हो जाये और गुलाम इसको कुबूल कर ले। अगर आका और ममलूक के दरमियान ईजाब व कुबूल (यानी आपसी इकरार व समझौते) के ज़रिये यह मुकातबत का मामला तय हो जाता है तो वह शरअन लाज़िम हो जाता है, आका को उसके तोड़ने और ख़त्म करने का इख़्तियार नहीं रहता, जिस वक़्त भी गुलाम तयशुदा रक़म कमाकर उसको दे देगा खुद-ब-खुद आज़ाद हो जायेगा।

यह रक़म जो बदल-ए-किताबत कहलाती है शरीअत ने इसकी कोई हद मुक़रर नहीं फ़रमाई चाहे गुलाम की कीमत के बराबर हो या उससे कम या ज़्यादा, जिस पर दोनों फ़रीकों में बात तय हो जाये वह किताबत का बदल ठहरेगा। अपने ममलूक गुलाम या बाँदी को मुकातब बना देने की हिदायत और इसको मुस्तहब और अफ़ज़ल करार देना इस्लामी शरीअत के उन ही अहक़ाम में से है जिनसे मालूम होता है कि इस्लामी शरीअत का तकाज़ा यह है कि जो लोग शरई हैरियत से गुलाम हैं उनकी आज़ादी के ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खोले जायें। तमाम कफ़ारों में उनके आज़ाद करने के अहक़ाम दिये गये हैं। वैसे भी गुलाम आज़ाद करने में बहुत बड़े सवाब का वायदा है। मुकातब का मामला भी इसी का रास्ता है, इसलिये इसकी तरगीब दी गयी। अलबत्ता इसके साथ शत यह लगाई गयी कि:

إِنْ عَيْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

यानी मुकातब बनाना जब दुरुस्त होगा जबकि तुम उनमें बेह्तरी के आसार देखो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अक्सर इमाम हज़रत ने इस बेह्तरी से मुराद कमाने की

कुव्वत बतलाई है, यानी जिस शख्स में यह देखो कि अगर उसको मुकातब बना दिया तो कमाकर निर्धारित रकम जमा कर लेगा उसको मुकातब बनाओ, वरना जो इस काबिल न हो उसको मुकातब बना देने से गुलाम की मेहनत भी जाया होगी, आका का नुकसान भी होगा। और हिदाया किताब के लेखक ने फरमाया कि ख़ैर और बेहतरी से मुराद इस जगह यह है कि उसके आज़ाद होने से मुसलमान को किसी नुकसान के पहुँचने का ख़तरा न हो, मसलन यह कि वह काफ़िर हो और अपने काफ़िर भाईयों की मदद करता हो। और सही बात यह है कि लफ़ज़ ख़ैर इस जगह दोनों चीज़ों को शामिल है कि गुलाम में कमाने की ताक़त व क्षमता भी हो और उसकी आज़ादी से मुसलमानों को कोई ख़तरा भी न हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّنَبِّئَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ

यानी बख़्शिश करो उन पर उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है।

यह ख़िताब मुसलमानों को उमूमन और आकाओं को खुसूसन किया गया है कि जब इस गुलाम की आज़ादी एक तयशुदा रकम जमा करके आका को देने पर निर्भर है तो मुसलमानों को चाहिये कि उसमें उसकी मदद करें। ज़कात का माल भी उनको दे सकते हैं और आकाओं को इसकी तरगीब (शौक व तवज्जोह दिलाई) है कि खुद भी उनकी माली इमदाद करें या किताबत की तयशुदा रकम में से कुछ कम कर दें। सहाबा-ए-किराम का मामूल इसी लिये यह रहा है कि बदल-ए-किताबत में जो रकम उस पर लगाई जाती थी उसमें से तिहाई चौथाई या इससे कम गुंजाईश के मुताबिक कम कर दिया करते थे। (तफ़सीरे मज़हरी)

अर्थव्यवस्था का एक अहम मसला और उसमें

कुरआन का फैसला

आजकल दुनिया में मादा परस्ती का दौर और चलन है। सारी दुनिया अन्जाम व आखिरत को भुलाकर सिर्फ अर्थ व्यवस्था के जाल में फंस गयी है, उनकी इल्मी तहकीक़ात और गौर व फ़िक्र का दायरा सिर्फ अर्थ व्यवस्था और कमाने ही तक सीमित होकर रह गया है और इसमें बहस व तहकीक़ के जोर ने एक-एक मामूली मसले को एक मुस्तक़िल फ़न बना दिया है। उन फ़ुनून में सबसे बड़ा फ़न अर्थ व्यवस्था का है।

इस मामले में आजकल दुनिया के अक़ल मन्दों और बुद्धिमानों के दो नज़रिये ज़्यादा परिचित व मशहूर हैं और दोनों ही आपस में टकराते हैं, उनके टकराव ने दुनिया की कौमों में टकराव और जंग व झगड़े के ऐसे दरवाज़े खोल दिये हैं कि सारी दुनिया अमन व इत्मीनान से मेहरूम हो गयी।

एक निज़ाम सरमायेदाराना निज़ाम है जिसको परिभाषा में कैपिटलिज़म कहा जाता है। दूसरा निज़ाम साम्यवाद का है जिसको कम्यूनियज़म या सोशलिज़म कहा जाता है। इतनी बात तो नज़र आती है जिसका दोनों निज़ामों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस दुनिया में इन्सान अपनी मेहनत और कोशिश से जो कुछ कमाता और पैदा करता है उस सब की असल बुनियाद

कुदरती संसाधन, ज़मीन की पैदावार, पानी और ज़मीन के अन्दर पैदा होने वाली कुदरती चीज़ों पर है। इनसान अपने ग़ौर व फ़िक्र और मेहनत व मशक्कत के ज़रिये उन्हीं पैदावार के साधनों में जोड़ तोड़ और घुला-मिलाकर उसके ज़रिये अपनी ज़रूरत की लाखों चीज़ें पैदा करता और बनाता है। अक़ल का तकाज़ा तो यह था कि ये दोनों निज़ाम पहले यह सोचते कि ये कुदरती संसाधन खुद तो पैदा नहीं हो गये, इनका कोई पैदा करने वाला है। और यह भी ज़ाहिर है कि इनका असल मालिक भी वही होगा जो इनका पैदा करने वाला है। हम इन साधनों पर कब्ज़ा करने और इनके मालिक बनने या इस्तेमाल करने में आज़ाद नहीं, बल्कि असल मालिक व ख़ालिक ने अगर कुछ हिदायतें दी हैं तो उनके ताबे चलना हमारा फर्ज़ है। मगर मादा परस्ती (भौतिकवाद) के जुनून ने उन सभी को असल ख़ालिक व मालिक के तसव्वुर ही से ग़ाफ़िल कर दिया। उनके नज़दीक अब बहस सिर्फ़ यह रह गयी कि पैदावार के साधनों पर कब्ज़ा करके उनसे जिन्दगी की ज़रूरतें पैदा करने वाला इन सब चीज़ों को खुद-ब-खुद आज़ाद मालिक व मुख्तार हो जाता है, या ये सब चीज़ें सबके लिये वक्फ़ और साज़ा हैं, हर एक को इनसे नफ़ा उठाने का बराबर तौर पर हक़ हासिल है।

पहला नज़रिया सरमायेदाराना निज़ाम का है जो इनसान को इन चीज़ों पर आज़ाद मिल्कियत का हक़ देता है कि जिस तरह चाहे उसको हासिल करे और जहाँ चाहे उसको खर्च करे, इसमें उस पर कोई रोक-टोक बरदाश्त नहीं। यही नज़रिया पुराने ज़माने के मुशिरकों व काफ़िरों का था, जिन्होंने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम पर एतिराज़ किया था कि ये माल हमारे हैं, हम इनके मालिक हैं, आपको क्या हक़ है कि हम पर पाबन्दी लगायें कि फुलों काम में खर्च करना जायज़ और फुलों में हराम है। कुरआन की आयत:

أَوَإِن نَّفَعَلْ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ.

(सूर: हूद की आयत 87) का यही मतलब है। और दूसरा नज़रिया इश्तिराकियत का है जो किसी को किसी चीज़ पर मिल्कियत का हक़ नहीं देता बल्कि हर चीज़ को तमाम इनसानों में साज़ा, संयुक्त और सब को उससे फ़ायदा उठाने का बराबर हक़दार करार देता है, और कम्प्यूनिज़म (साम्यवाद) के नज़रिये की असल बुनियाद यही है। मगर फिर जब देखा कि यह नाक़ाबिले अमल तसव्वुर (सोच और धारणा) है, इस पर कोई निज़ाम नहीं चलाया जा सकता तो फिर कुछ चीज़ों को मिल्कियत के लिये अलग भी कर दिया है।

कुरआने करीम ने इन दोनों बेहूदा नज़रियों पर रद्द करके उसूल यह बनाया कि कायनात की हर चीज़ दर असल अल्लाह तआला की मिल्क है जो उनका ख़ालिक है। फिर उसने अपने फ़ज़ल व करम से इनसान को एक खास क़ानून के तहत मिल्कियत अता फ़रमाई है, जिन चीज़ों का इस क़ानून के हिसाब से वह मालिक बना दिया गया है उसमें दूसरों के अमल-दख़ल और इख़्तियार चलाने को बग़ैर उसकी इज़ाज़त के हराम करार दिया, मगर मालिक बनने के बाद भी उसको आज़ाद मिल्कियत नहीं दी कि जिस तरह चाहे कमाये और जिस तरह चाहे खर्च करे, बल्कि दोनों तरफ़ एक न्यायपूर्ण और हाकीमाना क़ानून रखा है कि फुलों तरीक़ा कमाने का हलाल है फुलों हराम, और फुलों जगह खर्च करना हलाल है और फुलों हराम। और यह कि जो चीज़ इसकी मिल्कियत में दी है उसमें कुछ और

लोगों के हुक्म भी लगा दिये हैं जिनको अदा करना इसी की जिम्मेदारी है।

ऊपर बयान हुई आयत अगरचे एक और मजमून के लिये आई है मगर उसके तहत में इसी अहम आर्थिक मसले के चन्द उसूल भी आ गये हैं। आयत के अलफ़ाज़ पर नज़र डालिये:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.

यानी दो उन ज़रूरत मन्द लोगों को अल्लाह के उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। इसमें तीन बातें साबित हुई- अख्त यह कि असल मालिक माल और हर चीज़ का अल्लाह तआला है। दूसरे यह कि उसी ने अपने फ़ज़ल से उसके एक हिस्से का तुम्हें मालिक बना दिया है। तीसरे यह कि जिस चीज़ का तुमको मालिक बनाया है उस पर कुछ पाबन्दियाँ भी उसने लगाई हैं। कुछ चीज़ों में खर्च करने को मना और वर्जित करार दिया और कुछ चीज़ों में खर्च करने को लाज़िम व वाजिब और कुछ में मुस्तहब और अफ़ज़ल करार दिया है। वल्लाहु आलम

दूसरा हुक्म इस आयत में एक जाहिलीयत की रस्म मिटाने और ज़िना व बुराईयों के रोकने और खत्म करने के लिये यह दिया गया है:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيئَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ.

यानी अपनी बाँदियों को इस पर मजबूर न करो कि वे ज़िनाकारी के ज़रिये माल कमाकर तुम्हें दिया करें। जाहिलीयत में बहुत से लोग बाँदियों को इसी काम के लिये इस्तेमाल करते थे, इस्लाम ने जब ज़िना पर सख्त सज़ायें जारी कीं, आज़ाद और गुलाम सब को इसका पाबन्द किया तो ज़रूरी था कि जाहिलीयत की इस रस्म को मिटाने के लिये ख़ास अहकाम दे।

إِنْ أَرَادَنْ تَحْصُنَا.

यानी जबकि वे बाँदियाँ ज़िना से बचने और पाकदामन रहने का इरादा करें तो तुम्हारा उनको मजबूर करना बड़ी बेहयाई और बेग़ैरती की बात है। ये अलफ़ाज़ अगरचे देखने में शर्त के तौर पर आये हैं मगर तमाम उम्मत यह राय है कि दर हकीकत मुराद इनसे शर्त नहीं कि बाँदियाँ ज़िना से बचना चाहें तो उनको ज़िना पर मजबूर न किया जाये वरना मजबूर करना जायज़ है, बल्कि बतलाना यह है कि आम उर्फ़ व आदत के एतिबार से बाँदियों में हया और पाकदामनी ज़माना-ए-जाहिलीयत में नापैद थी। इस्लाम के अहकाम के बाद उन्होंने तौबा की। उनके आकाओं ने मजबूर करना चाहा तो इस पर ये अहकाम आये कि जब वे ज़िना से बचना चाहती हैं तो तुम मजबूर न करो। इसमें उनके आकाओं को डाँट व तंबीह और बुरा-भला कहना है कि बड़ी बेग़ैरती और बेहयाई की बात है कि बाँदियाँ तो पाक रहने का इरादा करें और तुम उन्हें ज़िना पर मजबूर करो।

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

इस जुमले का हासिल यह है कि बाँदियों को ज़िना पर मजबूर करना हराम है। अगर किसी ने ऐसा किया और वह आका के मजबूर व ज़बरदस्ती करने से झुककर ज़िना में मुबाला हो गयी तो अल्लाह तआला उसके गुनाह को माफ़ फ़रमा देंगे और उसका सारा गुनाह मजबूर करने वाले पर होगा। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
 لِّلْمُتَّقِينَ ۝ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِ نُورِهِ كَمِثْلِ شِكْوَةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ
 لَمْ تَنسَسْهُ نَارُهُ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فِي يَبُوتِ أِذْنَ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمَاءُ ۚ يُسَمِّيُهَا بِهَا بِالغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝
 رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن
 يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
 لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَةً ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ
 يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظَلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ
 يَكِدْ يَرَاهَا ۚ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝

२
६
१०
५
६
॥

व ल-कद् अन्जलना इलैकुम्
 आयातिम्-मुबय्यिनातिव्-व म-सलम्-
 मिनल्लजी-न खालौ मिन् कब्लिकुम्
 व मौअि-जतल्-लिल्-मुत्तकीन (34) *
 अल्लाहु नूरुस्समावाति वल्अजि,
 म-सलु नूरिही कमिशकातिन् फीहा
 मिस्बाहुन्, अल्-मिस्बाहु फी
 जुजाजतिन्, अज्जुजा-जतु क-अन्नहा
 कौकबुन् दुरिय्-युय्यू-कदु मिन्
 श-ज-रतिम्-मुबार-कतिन् जैतूनतिल्-
 ला शर्किय्यतिव् व ला गरबिय्यतिव्-
 यकादु जैतुहा युजी-उ व लौ लम्

और हमने उतारीं तुम्हारी तरफ आयतें
 खुली हुई और कुछ हाल उनका जो हो
 चुके तुमसे पहले और नसीहत डरने वालों
 को। (34) *
 अल्लाह रोशनी है आसमानों की और
 ज़मीन की, मिसाल उसकी रोशनी की
 जैसे एक ताक़ उसमें हो एक चिराग़, वह
 चिराग़ धरा हो एक शीशे में, वह शीशा
 है जैसे एक तारा चमकता हुआ, तेल
 जलता है उसमें एक बरकत के दरख़्त का
 वह जैतून है, न पूरब की तरफ है और न
 पश्चिम की तरफ, करीब है उसका तेल
 कि रोशन हो जाये अगरचे न लगी हो
 उसमें आग, रोशनीं पर रोशनी, अल्लाह
 राह दिखला देता है अपनी रोशनी की

तम्सस्हु नारुन्, नूरुन् अला नूरिन्,
 यहिदल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा-उ, व
 यज़िरबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि,
 वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम
 (35) फी बुयूतिन् अज़िनल्लाहु अन्
 तुर-फ-अ व युज़्क-र फीहस्मुहू
 युसब्बिहु लहू फीहा बिल्-गुदुव्वि
 वल्-आसाल (36) रिजालुल् ला
 तुल्हीहिम् तिजा-रतुं-व ला बैअुन्
 अन् जिक्विरल्लाहि व इक़ामिस्सलाति
 व ईताइज़्ज़काति यख़ाफू-न यौमन्
 त-तक़ल्लबु फीहिल्-कुलूबु वल्-
 अब्सार (37) लियज़्ज़ि-यहुमुल्लाहु
 अह्स-न मा अमिलू व यज़ी-दहुम्
 मिन् फज़िलही, वल्लाहु यरज़ुकु
 मंय्यशा-उ बिग़ैरि हिसाब (38)
 वल्लज़ी-न क-फ़रू अज़्-मालुहुम्
 क-सराबिम् बिकी-अतिय-यह्सबुहुज़्-
 ज़म्आनु मा-अन्, हत्ता इज़ा जा-अहू
 लम् यजिद्हु शैअं-व व-जदल्ला-ह
 अिन्दहू फ-वफ़ाहु हिसा-बहू,
 वल्लाहु सरीअुल्-हिसाब (39) औ
 क-ज़ुलुमातिन् फी बस्तिल्
 लुज्जियिं-य-शहाहु मौजुम्-मिन्
 फौकिही मौजुम्-मिन् फौकिही

जिसको चाहे, और बयान करता है
 अल्लाह मिसालें लोगों के वास्ते, और
 अल्लाह सब चीज़ को जानता है। (35)
 उन घरों में कि अल्लाह ने हुक्म दिया
 उनको बुलन्द करने का और वहाँ उसका
 नाम पढ़ने का, याद करते हैं उसकी वहाँ
 सुबह और शाम (36) वे भर्द कि नहीं
 गाफ़िल होते सौदा करने में और न बेचने
 में अल्लाह की याद से, और नमाज़ कायम
 रखने से और ज़कात देने से डरते रहते हैं
 उस दिन से जिसमें उलट जायेंगे दिल
 और आँखें (37) ताकि बदला दे उनको
 अल्लाह उनके बेहतर से बेहतर कामों का
 और ज़्यादती दे उनको अपने फज़ल से,
 और अल्लाह रोज़ी देता है जिसको चाहे
 बेशुमार। (38) और जो लोग इनकारी हैं
 उनको काम जैसे रेत जंगल में प्यासा जाने
 उसको पानी यहाँ तक कि जब पहुँचा उस
 पर उसको कुछ न पाया, और अल्लाह को
 पाया अपने पास, फिर उसको पूरा पहुँचा
 दिया उसका लिखा, और अल्लाह जल्द
 लेने वाला है हिसाब। (39) या जैसे
 अंधेरे गहरे दरिया में चढ़ी आती है उस
 पर एक लहर उस पर एक और लहर,
 उसके ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर एक,

सहाबुनु, जुलुमातुमु-बअजुहा फौ-क
बअजिनु, इजा अख्र-ज य-दहू लम्
य-कद् यराहा, व मल्लम् यज्जअलिल्लाहु
लहू नूरन् फमा लहू मिन्-नूर (40) ❀

जब निकाले अपना हाथ लगता नहीं कि
उसको वह सूझे, और जिसको अल्लाह ने
न दी रोशनी उसके वास्ते कहीं नहीं
रोशनी। (40) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने (तुम लोगों की हिदायत के वास्ते इस सूरात में या कुरआन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरिये से) तुम्हारे पास (इल्मी व अमली) खुले-खुले अहकाम भेजे हैं, और जो लोग तुमसे पहले हो गुजरे हैं उनकी (या उन जैसे लोगों की) कुछ हिकायतें और (खुदा से) डरने वालों के लिये नसीहत की बातें (भेजी हैं)।

अल्लाह तआला नूर (हिदायत) देने वाला है आसमानों (में रहने वालों) का और जमीन (में रहने वालों) का, (यानी आसमान व जमीन वालों में जिनको हिदायत हुई है उन सब को अल्लाह ही ने हिदायत दी है, और मुराद आसमान व जमीन से पूरा आलम है, पस जो मख्तूक़ात आसमान व जमीन से बाहर हैं वो भी दाखिल हो गई जैसे अर्श को उठाने वाले)। उसके (हिदायत के) नूर की अजीब हालत ऐसी है जैसे (फर्ज करो) एक ताक है (और) उसमें एक चिराग़ (रखा) है (और) वह चिराग़ (खुद ताक में नहीं रखा बल्कि) एक किन्दील में है (और वह किन्दील ताक में रखा है, और) वह किन्दील ऐसा (साफ़-सुथरा) है जैसा कि एक चमकदार सितारा हो, (और) वह चिराग़ एक बहुत ही मुफ़ीद दरख़्त (के तेल) से रोशन किया जाता है जो जैतून (का दरख़्त) है, जो (किसी आड़ के) न पूरब-रुख़ है और न (किसी आड़ के) पश्चिम-रुख़ है। (यानी न उसकी पूर्वी दिशा में किसी पेड़ या पहाड़ की आड़ है कि शुरू दिन में उस पर धूप न पड़े और न उसकी पश्चिमी दिशा में पहाड़ की कोई आड़ है कि दिन के आखिरी हिस्से में उस पर धूप न पड़े बल्कि खुले मैदान में है, जहाँ तमाम दिन धूप रहती है, ऐसे पेड़ का रोगन बहुत लतीफ़, साफ़ और रोशन होता है और) उसका तेल (इस कद्र साफ़ और सुलगने वाला है कि) अगर उसको आग भी न छुए फिर भी ऐसा मालूम होता है कि खुद-बखुद जल उठेगा। (और जब आग भी लग गई तब तो) नूर पर नूर है, (यानी एक तो उसमें खुद नूर की काबलियत आला दर्जे की थी फिर ऊपर से आग के साथ उसका इज्तिमा हो गया और फिर इज्तिमा भी इन कैफ़ियतों के साथ कि चिराग़ किन्दील में रखा हो जिससे जाहिर में भी चमक बढ़ जाती है और फिर वह ऐसे ताक में रखा हो जो एक तरफ़ से बन्द हो ऐसे मौके पर किरणें एक जगह सिमटकर बहुत तेज़ रोशनी होती है, और फिर तेल भी जैतून का जो साफ़ रोशनी और धुआँ कम होने में मशहूर है, तो इस कद्र तेज़ रोशनी होगी जैसे बहुत सी रोशनियाँ जमा हो गई हों इसको 'नूरुन् अला नूर' फ़रमाया। यहाँ मिसाल ख़त्म हो गई। पस इसी तरह मोमिन के दिल में अल्लाह तआला जब हिदायत का नूर डालता है तो दिन-ब-दिन उसी का खुलना हक़ के कुबूल करने के लिये बढ़ता

चला जाता है और हर वक्त अहकाम पर अमल करने के लिये तैयार रहता है। चाहे कुछ अहकाम का फौरी तौर पर इल्म भी न हुआ हो, क्योंकि इल्म धीरे-धीरे हासिल होता है, जैसे वह जैतून का तेल आग लगने से पहले ही रोशनी के लिये तैयार था, मोमिन भी अहकाम के इल्म से पहले ही उन पर अमल के लिये तैयार होता है, और जब उसको इल्म हासिल होता है तो अमल के नूर यानी अमल के पक्के इरादे के साथ इल्म का नूर भी मिल जाता है जिससे वह फौरन ही कुबूल कर लेता है। पस अमल व इल्म जमा होकर 'नूर पर नूर' होना सादिक आ जाता है। और यह नहीं होता कि अहकाम के इल्म और जानने के बाद उसको कुछ संकोच व दुविधा हो कि अगर अपने नफ्स के मुवाफिक पाया तो कुबूल कर लिया वरना रद्द कर दिया। इसी दिल के इत्मीनान और नूर को दूसरी आयत में इस तरह बयान फरमाया है:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ.

(सूर: जुमर आयत 22) यानी जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिये खोल दिया तो वह अपने रब की तरफ से एक नूर पर होता है। और एक जगह फरमाया है:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.

(सूर: अन्आम आयत 125) गर्ज कि अल्लाह की हिदायत की यह मिसाल है और) अल्लाह तआला अपने (इस हिदायत के) नूर तक जिसको चाहता है राह दे देता (और पहुँचा देता) है और (हिदायत की जो यह मिसाल दी गई इसी तरह कुरआन में बहुत सी मिसालें बयान की गई हैं तो इससे भी लोगों की हिदायत ही मकसूद है इसलिए) अल्लाह तआला लोगों (की हिदायत) के लिये (ये) मिसालें बयान फरमाता है (ताकि अक्ली मजामीन महसूस चीजों की तरह समझ के करीब हो जायें) और अल्लाह तआला हर चीज को खूब जानने वाला है (इसलिए जो मिसाल मकसद के फायदे के लिये काफी हो और जिसमें मिसाल की गर्ज व उद्देश्यों की पूरी रियायतें हों उसी को इख्तियार करता है। मतलब यह कि अल्लाह तआला मिसालें बयान करता है और वह मिसाल बहुत ही मुनासिब होती है ताकि खूब हिदायत हो)।

(आगे हिदायत वालों का हाल बयान फरमाते हैं कि) वे ऐसे घरों में (इबादत करते) हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनका अदब किया जाये, और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाये, (मुराद इन घरों से मस्जिदें हैं और उनका अदब यह कि उनमें नहाने की हाजत वाले मर्द व औरत दाखिल न हों और उनमें कोई गन्दी चीज दाखिल न की जाये, वहाँ शोर न मचाया जाये। दुनिया के काम और बातें करने के लिये वहाँ न बैठें। बदबू की चीज खाकर उनमें न जायें, इसी तरह की और बातों का लिहाज रखा जाये। गर्ज कि) उन (मस्जिदों) में ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह तआला की पाकी (नमाजों में) बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद (यानी अहकाम पर अमल करने) से (जिस वक्त के मुताल्लिक जो हुक्म हो) और (खास तौर पर) नमाज पढ़ने से और जकात देने से (कि ये ऊपर के अहकाम में सबसे अहम हैं) न खरीद गफ़लत में डालने पाती हैं और न बेच (और बावजूद फरमाँबरदारी व इबादत के उनके अल्लाह से डरने का यह हाल है कि) वे ऐसे दिन (की पकड़) से

डरते रहते हैं जिसमें बहुत-से दिल और बहुत-सी आँखें उलट जाएँगी। (जैसा कि एक दूसरी जगह सूर: मोमिनून आयत 60 में है, यानी ये लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और इसके बावजूद इनके दिल कियामत की पूछताछ से डरते रहते हैं, और इससे मकसद नूर वालों की हिदायत की सिफतों और आमाल का बयान फरमाना है, और आगे उनके अन्जाम का जिक्र है कि) अन्जाम (उन लोगों का) यह होगा कि अल्लाह उनको उनके आमाल का बहुत ही अच्छा बदला देगा (यानी जन्नत) और (बदले के अलावा) उनको अपने फज़ल से और भी ज़्यादा देगा, (बदला वह जिसका तफ़सीली वायदा बयान हुआ है और ज़्यादा वह जिसका तफ़सीली वायदा नहीं अगरचे संक्षिप्त रूप से हुआ हो)। और अल्लाह तआला जिसको चाहे बेशुमार (यानी बहुत कसरत से) दे देता है (पस उन लोगों को जन्नत में इस तरह बेशुमार देगा)।

यहाँ तक तो हिदायत और हिदायत वालों का बयान था, आगे गुमराही और गुमराहों का जिक्र है, यानी) और जो लोग काफ़िर (और गुमराह और हिदायत के नूर से दूर) हैं उनके आमाल (काफ़िरों की दो किस्में होने की वजह से दो मिसालों के जैसे हैं, क्योंकि एक किस्म तो वे काफ़िर हैं जो आख़िरत और कियामत के कायल हैं और अपने कुछ आमाल पर यानी जो उनके गुमान के मुताबिक़ सवाब का काम और नेकियाँ हैं आख़िरत की जज़ा और अच्छे बदले की उम्मीद रखते हैं, और दूसरे किस्म वे काफ़िर हैं जो आख़िरत और कियामत के इनकारी हैं। पहली किस्म के काफ़िरों के आमाल तो) ऐसे हैं कि एक चटियल मैदान में चमकता हुआ रेत, कि प्यासा (आदमी) उसको (दूर से) पानी ख़्याल करता है, (और उसकी तरफ़ दौड़ता है) यहाँ तक कि जब उसके पास आया तो उसको (जो समझ रखा था) कुछ भी न पाया, और (बहुत ज़्यादा प्यास, फिर बहुत ही मायूसी से जो जिस्मानी और रूहानी सदमा पहुँचा और उससे तड़प-तड़पकर मर गया तो यूँ कहना चाहिए कि बजाय पानी के) अल्लाह की क़ज़ा को पाया, सो अल्लाह तआला ने उस (की उम्र) का हिसाब उसको बराबर-सराबर चुका दिया (और बेबाक़ कर दिया। यानी उम्र का ख़ात्मा कर दिया) और अल्लाह तआला (जिस चीज़ की मियाद आ जाती है उसका) दम भर में हिसाब (यानी फ़ैसला) कर देता है (उसको कुछ बखेड़ा नहीं करना पड़ता कि देर लगे और मियाद से कुछ भी लेट हो जाये। बस यह मज़मून ऐसा है जैसा कि एक दूसरी जगह इरशाद है कि 'अल्लाह का मुक़रर किया हुआ वक़्त है जब वह आ जायेगा तो टलेगा नहीं'। और एक जगह यह है कि 'और अल्लाह तआला किसी शख्स को जबकि उसकी उम्र की मियाद ख़त्म होने पर आ जाती है हरगिज़ मोहलत नहीं देता'। हासिल इस मिसाल का यह हुआ कि जैसे प्यासा रेत को ज़ाहिरी चमक से पानी समझा इसी तरह यह काफ़िर अपने आमाल को ज़ाहिरी सूरत से मक़बूल और आख़िरत में फ़ायदा देने वाले समझा, और जैसे वह पानी नहीं इसी तरह ये आमाल कुबूल होने की शर्त यानी ईमान न होने के सबब मक़बूल और फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। और जब वहाँ जाकर उस प्यासे को हकीक़त मालूम हुई इसी तरह उसको आख़िरत में पहुँचकर हकीक़त मालूम होगी, और जिस तरह यह प्यासा अपनी उम्मीद के ग़लत होने से हसरत व अफ़सोस में घटा उठाने वाला होकर मर गया इसी तरह ये काफ़िर भी अपनी उम्मीद के ग़लत होने पर उस वक़्त हसरत में और हमेशा की तबाही यानी जहन्नम की सज़ा में मुब्तला होगा)।

(एक किस्म की मिसाल तो यह हुई। आगे दूसरी किस्म के काफ़िरों के आमाल यानी) या (क़ियामत के इनकारियों के) वो (आमाल खुसूसियत के एतिबार से) ऐसे हैं ७११ ७२ ७१२ समुद्र में अन्दुरुनी अंधेरे, (जिनका एक सबब दरिया की गहराई है और फिर यह) कि उस (समुद्र की असली सतह) को एक बड़ी लहर ने ढाँक लिया हो, (फिर वह लहर भी अकेली नहीं बल्कि) उस (लहर) के ऊपर दूसरी लहर (हो फिर) उसके ऊपर बादल (हो जिससे सितारे वगैरह की रोशनी भी न पहुँचती हो। गर्ज़ कि) ऊपर नीचे बहुत-से अंधेरे (ही अंधेरे) हैं, कि अगर (ऐसी हालत में कोई आदमी दरिया की तह में) अपना हाथ निकाले (और उसको देखना चाहे) तो (देखना तो छोड़िये) देखने का गुमान व संभावना भी नहीं (इस मिसाल का हासिल यह है कि ऐसे काफ़िर जो आख़िरत और क़ियामत के और उसमें जज़ा व सज़ा ही के मुन्किर हैं उनके पास वहमी नूर भी नहीं, जैसे पहली किस्म के काफ़िरों के पास एक वहमी और ख़्याली नूर था। क्योंकि उन्होंने कुछ नेक आमाल को अपनी आख़िरत का सामान समझा था मगर वो ईमान की शर्त न होने के सबब वास्तविक नूर न था एक वहमी नूर था। ये लोग जो आख़िरत के इनकारी हैं इन्होंने अपने एतिक़ाद व ख़्याल के मुताबिक भी कोई काम आख़िरत के लिये किया ही नहीं, जिसके नूर का इनको वहम व ख़्याल हो। गर्ज़ कि इनके पास अंधेरा ही अंधेरा है, नूर का वहम व ख़्याल भी नहीं हो सकता, जैसा कि दरिया की तह की मिसाल में है। और नज़र न आने में हाथ की विशेषता शायद इसलिए कि इनसानी हिस्सों और अंगों में हाथ ज़्यादा नज़दीक है, फिर उसको जितना नज़दीक करना चाहो नज़दीक आ जाता है और जब हाथ ही नज़र न आया तो दूसरे बदनी अंगों का मामला ज़ाहिर है)। और (आगे इन काफ़िरों के अंधेरे में होने की वजह यह बयान फ़रमाई है कि) जिसको अल्लाह तआला ही (हिदायत का) नूर न दे उसको (कहीं से भी) नूर नहीं (मयस्सर आ सकता)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयत को उलेमा हज़रात नूर की आयत लिखते हैं क्योंकि इसमें ईमान के नूर और कुफ़्र की अंधेरी को बड़ी तफ़सीली मिसाल से समझाया गया है।

नूर की परिभाषा व मतलब

इमाम गुज़ाली रह. ने यह फ़रमाया कि नूर वह है जो—

الظّاهرُ بِنَفْسِهِ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهِ.

(यानी खुद अपनी ज़ात से ज़ाहिर और रोशन हो और दूसरी चीज़ों को ज़ाहिर व रोशन करने वाला हो)। और तफ़सीरे मज़हरी में है कि नूर दर असल उस क़ैफ़ियत का नाम है जिसको इनसान की देखने वाली कुव्वत पहले महसूस करती है और फिर उसके ज़रिये उन तमाम चीज़ों का इल्म व एहसास करती है जो आँख से देखी जाती हैं, जैसे सूरज और चाँद की किरणें उनके सामने के गाढ़े और भारी जिस्मों पर पड़कर पहले उस चीज़ को रोशन कर देती हैं फिर उससे किरणें पलटकर दूसरी चीज़ों को रोशन करती हैं।

इससे मालूम हुआ कि लफ़्ज़ नूर का अपने लुग़वी और उर्फ़ी मायने के एतिबार से हक़ तआला जल्ल शानुहू की ज़ात पर इतलाफ़ (हुक्म) नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिस्म और जिस्मानियात सबसे बरी और बालातर है। इसलिये उक्त आयत में जो हक़ तआला के लिये लफ़्ज़ नूर का इतलाफ़ हुआ है उसके मायने तफ़सीर के तमाम इमामों के नज़दीक मुनव्विर यानी रोशन करने वाले के हैं, या फिर मुबालगे के लफ़्ज़ की तरह नूर वाले को नूर से ताबीर कर दिया गया जैसे करम वाले को करम और इन्साफ़ वाले को इन्साफ़ कह दिया जाता है। और आयत के मायने वह हैं जो खुलासा-ए-तफ़सीर में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तआला नूर बख़्शने वाले हैं आसमान व ज़मीन को और उसमें बसने वाली सब मख़्लूक को। और मुराद इस नूर से हिदायत का नूर है। इब्ने कसीर रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी तफ़सीर में नक़ल किया है:

الله هادي اهل السموات والارض.

(कि अल्लाह तआला हिदायत देने वाले हैं ज़मीन व आसमान वालों को।)

मोमिन का नूर

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ..... الآية.

अल्लाह तआला का हिदायत का नूर जो मोमिन के दिल में आता है, यह उसकी एक अज़ीब मिसाल है, जैसा कि इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी तफ़सीर में नक़ल किया है:

هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقران في صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السموات والارض فبدأ

بنور نفسه ثم ذكر نور للمؤمن فقال مثل نور من امن به فكان ابي بن كعب يقرأ هامثل نور من امن به. (ابن كثير)

यानी यह मिसाल उस मोमिन की है जिसके दिल में अल्लाह तआला ने ईमान और कुरआन का हिदायत का नूर डाल दिया है। इस आयत में पहले तो अल्लाह तआला ने खुद अपने नूर को ज़िक्र फ़रमाया:

الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

फिर मोमिन के दिल के नूर का ज़िक्र फ़रमाया 'म-सलु नूरिही' और इस आयत की क़िराअत भी हज़रत उबई इब्ने कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की 'म-सलु नूरिही' के बजाय 'म-सलु नूरिम् मन् आम-न बिही' की है, और सईद बिन जुबैर रह. ने यही क़िराअत और आयत का यही मफ़हूम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत किया है। इमाम इब्ने कसीर ने ये रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखा है कि "म-सलु नूरिही" (उसके नूर की मिसाल) में उस के बारे में तफ़सीर के इमामों के दो कौल हैं- एक यह कि यह उस अल्लाह तआला की तरफ़ इशारा है और आयत के मायने यह है कि अल्लाह का नूर हिदायत जो मोमिन के दिल में फ़ितरी तौर पर रखा गया है उसकी मिसाल यह है 'क-मिशकातिन्.....' यह कौल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का है। दूसरा कौल यह है कि यहाँ उस से मोमिन मुराद हो जिस पर कलाम का बाद का हिस्सा दलालत कर रहा है। इसलिये

हासिल इस मिसाल का यह है कि मोमिन का सीना एक ताक की तरह है उसमें उसका दिल एक किन्दील की मिसाल है, उसमें बहुत ही साफ-सुथरा जैतून का रोगन फितरी नूर हिदायत की मिसाल है जो मोमिन की फितरत में अमानत रखा गया है। जिसकी खासियत खुद-ब-खुद भी हक को कुबूल करना है, फिर जिस तरह जैतून का तेल आग के शोले से रोशन होकर दूसरों को रोशन करने लगता है इसी तरह फितरी नूर हिदायत जो मोमिन के दिल में रखा गया है जब अल्लाह की वही और अल्लाह के इल्म के साथ उसका मिलाप व जोड़ हो जाता है तो रोशन होकर आलम को रोशन करने लगता है। और हज़राते सहाबा व ताबिईन ने जो इस मिसाल को मोमिन के दिल के साथ मख्सूस फरमाया वह भी ग़ालिबन इसलिये है कि फ़ायदा इस नूर का सिर्फ़ मोमिन ही उठाता है। वरना वह फितरी नूर हिदायत जो शुरू पैदाईश के वक़्त इनसान के दिल में रखा जाता है वह मोमिन के साथ ही खास नहीं बल्कि हर इनसान की फितरत और पैदाईश में वह नूर हिदायत रखा जाता है, इसी का यह असर दुनिया की हर क़ौम हर ख़िल्ले हर मज़हब व मस्लक के लोगों में देखा जाता है कि वह खुदा के वजूद को और उसकी अज़ीम कुदरत को फितरी तौर पर मानता है, उसकी तरफ़ रुजू करता है, उसके तसव्वुर (कल्पना) और ताबीर (बयान व व्याख्या) में चाहे कैसी ही ग़लतियाँ करता हो मगर अल्लाह तआला के वजूद का हर इनसान फितरी तौर पर कायल होता है सिवाय चन्द माहा परस्त (भौतिकवादी) अफ़राद के, जिनकी फितरत बिगड़ गयी है कि वे खुदा ही के वजूद के इनकारी हैं।

एक सही हदीस से इसके आम होने की ताईद होती है जिसमें यह इरशाद है:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

यानी हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ-बाप उसको फितरत के तकाज़ों से हटाकर ग़लत रास्तों पर डाल देते हैं।

इस फितरत से मुराद ईमान की हिदायत है। यह ईमान की हिदायत और उसका नूर हर इनसान की पैदाईश के वक़्त उसमें रखा जाता है और उसी हिदायत के नूर की वजह से उसमें हक को कुबूल करने की सलाहियत होती है। जब अम्बिया और उनके नायबों के ज़रिये अल्लाह की वही का इल्म उनको पहुँचता है तो वे उसको आसानी से कुबूल कर लेते हैं सिवाय उन फितरत बिगड़े लोगों के जिन्होंने उस फितरी नूर को अपनी हरकतों से मिटा ही डाला है। शायद यही वजह है कि इस आयत के शुरू में तो नूर के अता होने को आम बयान फरमाया है जो तमाम आसमान वालों और ज़मीन वालों को शामिल है, मोमिन काफ़िर की भी कोई विशेषता और भेद नहीं, और आयत के आख़िर में यह फरमाया:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ.

यानी अल्लाह तआला अपने नूर की तरफ़ जिसको चाहता है हिदायत कर देता है। यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत की क़ैद फितरत के उस नूर के लिये नहीं जो हर इनसान में रखा है बल्कि क़ुरआन के नूर के लिये है जो हर शख्स को हासिल नहीं होता सिवाय उस खुशनसीब के जिसको अल्लाह तआला की तरफ़ से तौफ़ीक़ नसीब हो, वरना इनसान की कोशिश भी अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर

बेकार बल्कि कभी-कभी नुक़सानदेह भी पड़ जाती है। जैसा कि एक शायर ने कहा है:

اذالم يكن عون من الله للفتى
فاول ما يجنى عليه اجتهاده

यानी अगर अल्लाह की तरफ़ से बन्दे की मदद न हो तो उसकी कोशिश ही उसको उल्टा नुक़सान पहुँचा देती है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नूर

और इमाम बग़वी रह. ने एक रिवायत नक़ल की है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कअ़बे अहबार से पूछा कि इस आयत की तफ़्सीर में आप क्या कहते हैं:

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ.....الخ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 35) हज़रत कअ़बे अहबार जो तौरात व इंजील के बड़े आलिम मुसलमान थे उन्होंने फ़रमाया कि यह मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल मुबारक की बयान की गयी है। 'मिशकात' आपका सीना और 'जुजाजतुन' (किन्दील) आपका दिल मुबारक, और मिस्बाह (चिराग़) नुबुव्वत है। और इस नूरे नुबुव्वत का खास्सा यह है कि नुबुव्वत के इज़हार व ऐलान से पहले ही इसमें लोगों के लिये रोशनी का सामान है, फिर अल्लाह की वही और उसके ऐलान का उसके साथ मिलाप हो जाता है तो यह ऐसा नूर होता है कि सारे आलम को रोशन करने लगता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नुबुव्वत के इज़हार बल्कि आपकी पैदाईश से भी पहले जो बहुत से अजीब व ग़रीब वाकिआत आलम में ऐसे पेश आये जो आपकी नुबुव्वत की खुशख़बरी देने वाले थे, जिनको मुहद्दीसीन की ज़बान में इरहासात कहा जाता है। क्योंकि मोज़िजात का लफ़्ज़ तो उस किस्म के उन वाकिआत के लिये मख़सूस है जो नुबुव्वत के दावे की तस्दीक़ के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी पैग़म्बर के हाथ पर जारी किये जाते हैं। और नुबुव्वत के दावे से पहले जो इस किस्म के वाकिआत दुनिया में ज़ाहिर हों उनको इरहासात का नाम दिया जाता है। इस तरह के बहुत से अजीब वाकिआत सही रिवायतों से साबित हैं जिनको शैख़ जलालुद्दीन सुथूती रह. ने 'ख़साइस-ए-कुबरा' में और अबू नुएम ने 'दलाईलुनुबुव्वत' में और दूसरे उलेमा ने भी अपनी मुस्तक़िल किताबों में जमा कर दिया है। उसका एक काफ़ी हिस्सा इस जगह तफ़्सीरे मज़हरी में भी नक़ल कर दिया है।

रोग़ने जैतून की बरकतें

شَجَرَةٌ مُّبْرَكَةٌ زَيْتُونَةٌ

इससे जैतून और उसके दरख़्त का मुबारक और नाफ़े व मुफ़ीद होना साबित होता है। उलेमा ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआला ने इसमें बेशुमार मुनाफ़े और फ़ायदे रखे हैं। इसको चिराग़ों में रोशनी के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रोशनी हर तेल की रोशनी से ज़्यादा साफ़-सुथरी होती है, उसको रोटी के साथ सालन की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके फल को मेवे के

पर खाया भी जाता है और यह ऐसा तेल है जिसके निकालने के लिये किसी मशीन या चर्खी ह की ज़रूरत नहीं, खुद-ब-खुद उसके फल से निकल आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रोगने जैतून को खाओं भी और बदन पर मालिश भी करो, क्योंकि यह ए-ए-मुबारका (बरकत वाला पेड़) है। (बग़वी, तिभिर्जी हज़रत उमर रज़ि. की रिवायत से। मज़हरी)

فِي بُيُوتِ أَذُنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ..... الآية.

पहले की आयत में हक़ तआला ने मोमिन के दिल में अपना नूरे हिदायत डाल देने की एक खास मिसाल बयान फ़रमाई थी और आखिर में यह फ़रमाया था कि इस नूर से फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जिनको अल्लाह चाहता और तौफ़ीक़ देता है। इस आयत में ऐसे मोमिनों का ठिकाना और मक़ाम बयान फ़रमाया गया कि ऐसे मोमिनों का असल मक़ाम व ठिकाना जहाँ वे अक्सर वक़्तों खुसूसन पाँच नमाज़ों के वक़्तों में देखे जाते हैं, वे मकानात हैं जिनके लिये अल्लाह तआला का हुक्म यह है कि उनको बुलन्द व बाला रखा जाये और उनमें अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाये, और उन घरों व मकानात की शान यह है कि उनमें अल्लाह के नाम की तस्बीह व पाकीज़गी सुबह शाम यानी तमाम वक़्तों में ऐसे लोग करते रहते हैं जिनकी खास सिफ़ात का बयान आगे आता है।

(मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक उन बुयूत (घरों) से मुसद मस्जिदें हैं। इसी को इस तफ़सीर में सामने रखा गया है।)

मस्जिदें अल्लाह के घर हैं उनका अदब व सम्मान वाजिब है

इमाम क़ुर्तुबी ने इसी को तरजीह दी और दलील में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस पेश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

من أحبّ الله عزّ وجلّ فليحبّ اصحابي ومن أحبّ اصحابي فليحبّ القرآن ومن أحبّ القرآن فليحبّ المساجد فانها اقية الله اذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم والله عزّ وجلّ في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم. (قرطبي)

“जो शख्स अल्लाह तआला से मुहब्बत रखना चाहता है उसको चाहिये कि मुझसे मुहब्बत करे। और जो मुझसे मुहब्बत रखना चाहे उसको चाहिये कि मेरे सहाबा से मुहब्बत करे। और जो सहाबा से मुहब्बत रखना चाहे उसको चाहिये कि कुरआन से मुहब्बत करे। और जो कुरआन से मुहब्बत रखना चाहे उसको चाहिये कि मस्जिदों से मुहब्बत करे, क्योंकि वो अल्लाह के घर हैं, अल्लाह ने उनके अदब व सम्मान का हुक्म दिया है और उनमें बरकत रखी है, वो भी बरकत वाले हैं और उनके रहने वाले भी बरकत वाले। वो भी अल्लाह की हिफ़ाज़त में हैं और उनके रहने वाले भी हिफ़ाज़त में। वे लोग अपनी नमाज़ों में मशगूल होते हैं अल्लाह तआला उनके काम बनाते और हाजतें पूरी करते हैं। वे मस्जिदों में होते हैं तो अल्लाह तआला उनके पीछे उनकी चीज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं।” (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मस्जिदों को बुलन्द करने के मायने

إِذْ قَالَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعُ

'अज़ि-न' इज़्जत से निकला है जिसके मायने इजाज़त देने के हैं। और 'तुरफ़-अ' र-फ़-अ से निकला है जिसके मायने बुलन्द करने और सम्मान करने के हैं। आयत के मायने यह हैं कि अल्लाह तआला ने इजाज़त दी है मस्जिदों को बुलन्द करने की। इजाज़त देने से मुराद इसका हुक्म करना है और बुलन्द करने से मुराद उनका अदब व सम्मान करना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि बुलन्द करने के हुक्म में अल्लाह तआला ने मस्जिदों में बेहूदा और बेकार काम और बात करने से मना फ़रमाया है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हज़रत इक्रिमा व मुजाहिद रह. (तफ़सीर के इमामों) ने फ़रमाया कि र-फ़-अ से मुराद मस्जिद का बनाना है जैसे काबे के निर्माण के बारे में कुरआन में आया है:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

कि इसमें र-फ़-अ से मुराद बिना और तामीर है। और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि मस्जिदों के उठाने और बुलन्द करने से मुराद मस्जिदों की ताज़ीम व एहतियाम और उनको नजासतों और गन्दी चीज़ों से पाक रखना है जैसा कि हदीस में आया है कि मस्जिद में जब कोई नजासत (नापाकी व गंदगी) लाई जाये तो मस्जिद उससे इस तरह सिमटती है जैसे इनसान की खाल आग से। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने मस्जिद में से नापाकी और गन्दगी और तकलीफ़ देने वाली चीज़ को निकाल दिया अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेंगे। (इब्ने माजा)

और हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने घरों में (भी) मस्जिदें (यानी नमाज़ पढ़ने की खास जगहें) बनायें और उनको पाक-साफ़ रखने का एहतियाम करें। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और असल बात यह है कि लफ़्ज़ 'तुरफ़-अ' में मस्जिदों का बनाना भी दाख़िल है और उनका अदब व सम्मान करना और पाक-साफ़ रखना भी। पाक-साफ़ रखने में यह भी दाख़िल है कि हर नजासत और गन्दगी से पाक रखें, और यह भी दाख़िल है कि उनको हर बदबू की चीज़ से पाक रखें। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लहसुन या प्याज़ खाकर बग़ैर मुँह साफ़ किये हुए मस्जिद में आने से मना फ़रमाया है जो हदीस की आ़म किताबों में परिचित है। सिगरेट, हुक्का, पान का तम्बाकू खाकर मस्जिद में जाना भी इसी हुक्म में है। मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना जिसमें बदबू होती है वह भी इसी हुक्म में है।

सही मुस्लिम में हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फ़रमाया कि मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस शख्स के मुँह से लहसुन या प्याज़ की बदबू महसूस फ़रमाते थे उसको मस्जिद से निकाल कर बकीअ (मदीने के कब्रिस्तान) में भेज देते थे और फ़रमाते

क जिसका लहसुन प्याज़ खाना ही हो तो उसको ख़ूब अच्छी तरह पकाकर खाये कि उनकी बदबू री जाये। फ़ुकहा हज़रत ने इस हदीस से दलील लेकर फ़रमाया कि जिस शख्स को कोई ऐसी मारी हो कि उसके पास खड़े होने वालों को उससे तकलीफ़ पहुँचे उसको भी मस्जिद से हटाया जा कता है, उसको खुद चाहिये कि जब तक ऐसी बीमारी में है नमाज़ घर में पढ़े।

मस्जिदों के उठाने और बुलन्द करने का मफ़हूम सहाबा व ताबिईन की अक्सरियत के नज़दीक यही है कि मस्जिदें बनाई जायें और उनको हर बुरी चीज़ से पाक-साफ़ रखा जाये। कुछ हज़रत ने इसमें मस्जिदों की ज़ाहिरी शान व शौकत और तामीरी बुलन्दी को भी दाख़िल करार दिया है और दलील दी है कि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिदे नबवी की तामीर साल की लकड़ी से शानदार बनाई थी और हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रह. ने मस्जिदे नबवी में नक्श व निगार (फूल-बूटे) और तामीरी ख़ूबसूरती का काफ़ी एहतिमाम फ़रमाया था और यह ज़माना बड़े सहाबा का था किसी ने उनके इस काम पर एतिराज़ नहीं किया, और बाद के बादशाहों ने तो मस्जिदों की तामीरत में बड़े माल खर्च किये हैं। वलीद बिन अब्दुल-मलिक ने अपने ज़माना-ए-ख़िलाफ़त में दमिश्क की जामा मस्जिद की तामीर व सजावट पर पूरे मुल्क शाम की सालाना आमदनी से तीन गुना ज़्यादा माल खर्च किया था, उनकी बनाई हुई यह मस्जिद आज तक कायम है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक अगर नाम व नमूद और शोहरत के लिये न हो, अल्लाह के नाम और अल्लाह के घर की ताज़ीम (सम्मान) की नीयत से कोई शख्स मस्जिद की तामीर शानदार बुलन्द मज़बूत ख़ूबसूरत बनाये तो कोई मनाही नहीं, बल्कि सवाब की उम्मीद है।

मस्जिदों के कुछ फ़ज़ाईल

इमाम अबू दाऊद ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स अपने घर से वुजू करके फ़र्ज़ नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ निकला उसका सवाब उस शख्स जैसा है जो एहराम बाँधकर घर से हज़ के लिये निकला हो, और जो शख्स इश्राक़ की नमाज़ के लिये अपने घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ़ चला तो उसका सवाब उमरा करने वाले जैसा है। और एक नमाज़ के बाद दूसरी (नमाज़) बशर्ते कि उन दोनों के बीच कोई काम या कलाम न करे, इल्लिय्यीन में लिखी जाती है। और हज़रत बरीदा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों को जाते हैं उनको कियामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशख़बरी सुना दीजिये। (मुस्लिम)

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मर्द का नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना, घर में या दुकान में नमाज़ पढ़ने की निस्बत बीस से ज़ायद दर्जे अफ़ज़ल है, और यह इसलिये कि जब कोई शख्स वुजू करे और अच्छी तरह (सुन्नत के मुताबिक़) वुजू करे फिर मस्जिद को सिर्फ़ नमाज़ की नीयत से चले और कोई ग़र्ज़ न हो तो हर क़दम पर उसका मर्तबा एक दर्जे बुलन्द हो जाता है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है, यहाँ तक कि वह मस्जिद में पहुँच जाये। फिर जब तक जमाअत के इन्तिज़ार में बैठा रहेगा उसको नमाज़

ही का सवाब मिलता रहेगा और फ़रिश्ते उसके लिये यह दुआ करते रहेंगे कि या अल्लाह! इस पर रहमत नाज़िल फ़रमा और इसकी मग़फ़िरत फ़रमा, जब तक कि वह किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये और उसका बुजू न टूटे। और हज़रत हक़म बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया में मेहमानों की तरह रहो और मस्जिदों को अपना घर बनाओ और अपने दिलों को रिक्कत की आदत डालो (यानी नर्म दिल वाले बनो) और (अल्लाह की नेमतों में) कसरत से ग़ौर व फ़िक्र किया करो और कसरत से (अल्लाह के ख़ौफ़ से) रोया करो। ऐसा न हो कि दुनिया की इच्छायें तुम्हें इस हाल से अलग कर दें और हटा दें कि तुम घरों की फुज़ूल तामीरात में लग जाओ जिनमें रहना भी न हो और ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा करने की फ़िक्र में लग जाओ और भविष्य के लिये ऐसी फुज़ूल तमन्नाओं में मुब्तला हो जाओ जो पा न सको। और हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत फ़रमाई कि तुम्हारा घर मस्जिद होना चाहिये क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि मस्जिदें मुत्तकी लोगों के घर हैं, जिस शख्स ने मस्जिदों को (ख़ूब ज़्यादा ज़िक्र करने के ज़रिये) अपना घर बना लिया, अल्लाह तआला उसके लिये राहत व सुकून और पुलसिरात पर आसानी से गुज़रने का ज़ामिन (गारंटी देने वाला) हो गया। और अबू सादिक अज़दी ने शुऐब बिन जिहाब को ख़त लिखा कि मस्जिदों को लाज़िम पकड़ो क्योंकि मुझे यह रिवायत पहुँची है कि मस्जिदें ही अम्बिया की मज्लिसें थीं।

और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि आख़िर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में आकर जगह-जगह हल्के बनाकर बैठ जायेंगे और वहाँ दुनिया ही की और उसकी मुहब्बत की बातें करेंगे, तुम ऐसे लोगों के साथ न बैठो क्योंकि अल्लाह तआला को ऐसे मस्जिद में आने वालों की ज़रूरत नहीं।

और हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. ने फ़रमाया कि जो शख्स मस्जिद में बैठा गया वह अपने रब की मज्लिस में बैठा है, इसलिये उसके ज़िम्मे है कि ज़बान से सिवाय अच्छी बात के और कोई कलिमा न निकाले। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मस्जिदों के पन्द्रह आदाब

उलेमा हज़रत ने मस्जिदों के आदाब में पन्द्रह चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया है। अब्वल यह कि मस्जिद में पहुँचने पर अगर कुछ लोगों को बैठा देखे तो उनको सलाम करे और कोई न हो तो 'अस्सलामु अलैना व अला अ़िबादिल्लाहिस्सालिहीन' कहे (लेकिन यह उस सूरात में है जबकि मस्जिद में मौजूद लोग नफ़ली नमाज़ या तिलावत व तस्बीह वगैरह में मशगूल न हों वरना इसको सलाम करना दुरुस्त नहीं। शफ़ी)।

दूसरे यह कि मस्जिद में दाख़िल होकर बैठने से पहले दो रक़अत तहिय्यतुल-मस्जिद की पढ़े (यह भी जब है कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ना मक़रूह न हो, जैसे सूरज के बिल्कुल निकलने या छुपने या दोपहर में सीधा खड़ा होने यानी ज़वाल से कुछ पहले निस्फ़ुन्नहार का वक़्त न हो। शफ़ी)।

तीसरे यह कि मस्जिद में ख़रीद व बेच न करे। चौथे यह कि वहाँ तीर तलवार न निकाले।

पाँचवें यह कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज तलाश करने का ऐलान न करे। छठे यह कि मस्जिद में आवाज़ ऊँची न करे। सातवें यह कि वहाँ दुनिया की बातें न करे। आठवें यह कि मस्जिद में बैठने की जगह में किसी से झगड़ा न करे। नवें यह कि जहाँ सफ़ में पूरी जगह न हो वहाँ घुसकर लोगों पर तंगी पैदा न करे। दसवें यह कि किसी नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से न गुज़रे। ग्यारहवें यह कि मस्जिद में धूकने नाक साफ़ करने से परहेज़ करे। बारहवें अपनी उंगलियाँ न चटकाये। तेरहवें यह कि अपने बदन के किसी हिस्से से खेल न करे। चौदहवें यह कि गंदगियों से पाक-साफ़ रहे और किसी छोटे बच्चे या मजनूँ (कम-अक़ल व पागल) को साथ न ले जाये। पन्द्रहवें यह कि वहाँ कसरत से ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहे।

अल्लामा कुर्तुबी ने ये पन्द्रह आदाब लिखने के बाद फ़रमाया है कि जिसने ये काम कर लिये उसने मस्जिद का हक़ अदा कर दिया और मस्जिद उसके लिये बचाव व अमान की जगह बन गयी।

अहक़र ने मस्जिदों के आदाब व अहक़ाम एक मुस्तक़िल रिसाले जिसका नाम आदाबुल-मसाजिद है में जमा कर दिये हैं जिनको ज़रूरत हो उसका मुताला फ़रमायें।

उन जगहों का ज़िक्र जो मस्जिदों के हुक्म में हैं

जो मकानात अल्लाह के ज़िक्र, कुरआन की तालीम देने, दीनी इल्म सिखाने के लिये मख़सूस हों वो भी मस्जिदों के हुक्म में हैं।

तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान रह. ने फ़रमाया कि 'फी बुयूतिन' का लफ़ज़ कुरआन में आम है, जिस तरह मसाजिद इसमें दाख़िल हैं इसी तरह वो मकानात जो ख़ास कुरआन और दीन की तालीम या वअज़ व नसीहत या ज़िक्र व शग़ल के लिये बनाये गये हों जैसे मदरसे और ख़ानकाहें, वो भी इस हुक्म में दाख़िल हैं, उनका भी अदब व एहतियाम लाज़िम है।

'अज़िनल्लाहु अन् तुरफ़-अ' में लफ़ज़ 'अज़ि-न' की ख़ास हिक्मत

तफ़सीर के उलेमा की इस पर सहमति है कि इस जगह 'अज़ि-न' हुक्म के मायने में है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि फिर लफ़ज़ 'अज़ि-न' के इस जगह लाने में क्या मस्लेहत है। तफ़सीर रूहुल-मआनी में एक बारीक मस्लेहत यह बयान की है कि इसमें नेक मोमिनों को इस अदब की तालीम व तरगीब देना है कि वे अल्लाह तआला की मर्ज़ी हासिल करने के हर काम के लिये ऐसे मुस्तैद और तैयार होने चाहियें कि हुक्म की ज़रूरत न पड़े, सिर्फ़ इसके मुन्तज़िर हों कि कब हमें इस काम की इजाज़त मिले तो हम यह सौभाग्य हासिल करें।

يَذَكِّرُ فِيهَا اسْمَهُ

यहाँ अल्लाह का नाम ज़िक्र करने में हर किस्म का ज़िक्र शामिल है। तस्बीह व तहमीद (अल्लाह की पाकी और तारीफ़ बयान करना) वगैरह भी, नफ़ली नमाज़ भी, कुरआन का पढ़ना, वअज़ व नसीहत, दीन के इल्म की तालीम और दीनी उलूम के सब काम और मशग़ले इसमें दाख़िल हैं।

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

इसमें उन मोमिनों की खास सिफ़ात बयान की गयी हैं जिन पर अल्लाह तआला का नूरे हिदायत खास तौर पर नाज़िल होता है और जो मस्जिदों को आबाद रखने वाले हैं। इसमें लफ़्ज़ रिजाल की ताबीर में इस तरफ़ इशारा है कि मसाजिद की हाज़िरी दर असल मर्दों के लिये है औरतों की नमाज़ उनके घरों में अफ़ज़ल (बेहतर) है।

मुस्नद अहमद और बैहकी में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

خير مساجد النساء قعربيوتهن.

यानी औरतों की बेहतरीन मस्जिदें उनके घरों के तंग व अंधेरे गोशे हैं।

इस आयत में नेक मोमिनों की यह सिफ़त बयान की है कि उनको तिजारत और बेचने का काम-धंधा अल्लाह की याद से गाफ़िल नहीं करता। लफ़्ज़ तिजारत में चूँकि बै (बेचना) भी दाख़िल है इसलिये कुछ मुफ़स्सरीन ने मुकाबले की वज़ह से इस जगह तिजारत से मुराद ख़रीदारी और बै से मुराद फ़रोख़्त करना लिया है, और कुछ हज़रात ने तिजारत को अपने आम मायनों में रखा है, यानी लेन-देन ख़रीद-फ़रोख़्त के मामलात, फिर बै को अलग करके बयान करने की हिक्मत यह बतलाई है कि तिजारत के मामलात तो एक विस्तृत मायने में है जिसके फ़ायदे व लाभ कभी मुद्दतों में वसूल होते हैं और किसी चीज़ को फ़रोख़्त कर देने और कीमत मय नफ़े के नक़द वसूल कर लेने का फ़ायदा फ़ौरी और नक़द है, उसको खुसूसियत से इसलिये ज़िक्र फ़रमाया कि अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ के मुकाबले में वह किसी बड़े से बड़े दुनियावी फ़ायदे का भी ख़्याल नहीं करते।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि यह आयत बाज़ार वालों के बारे में नाज़िल हुई है और उनके बेटे हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार से गुज़रे तो नमाज़ का वक़्त हो गया था, लोगों को देखा कि दुकानें बन्द करके मस्जिद की तरफ़ जा रहे हैं तो फ़रमाया कि इन्हीं लोगों के बारे में कुरआन का यह इरशाद है:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

और हुजुरे पाक के ज़माने में दो सहाबी थे- एक तिजारत करते थे दूसरे कारीगरी यानी लुहार का काम करते और तलवारें बनाकर बेचते थे। पहले सहाबी की तिजारत का हाल यह था कि अगर सौदा तौलने के वक़्त अज़ान की आवाज़ कान में पड़ जाती तो वहीं तराजू को पटक कर नमाज़ के लिये खड़े हो जाते थे। दूसरे बुजुर्ग का यह आलम था कि अगर गर्म लोहे पर हथोड़े की चोट लगा रहे हैं और कान में अज़ान की आवाज़ आ गयी तो अगर हथोड़ा मोंढे पर उठाये हुए हैं तो वहीं मोंढे के पीछे हथोड़ा डालकर नमाज़ को चल देते थे, उठाये हुए हथोड़े की चोट से काम लेना भी गवारा न था। उनकी तारीफ़ में यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

अधिकतर सहाबा-ए-किराम कारोबारी थे

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि सहाबा-ए-किराम ज्यादातर तिजारत-पेशा या हाथ के हुनर

वाले थे, जो काम कि बाजारों से संबन्धित हैं, क्योंकि तिजारत व ब का अल्लाह का याद से रफायात व बाधक न होना उन्हीं लोगों की सिफत हो सकता है जिनका मशगला तिजारत व बै का हो, वरना यह कहना फुजूल होगा। (तबरानी, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से। रूहुल-मअानी)

بَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

ये मोमिन हज़रात जिनका जिक्र ऊपर आयत में आया है उनका आखिरी गुण और खूबी जिसमें बतलाया है कि ये हज़रात हर वक्त जिक्रुल्लाह और नेकी व इबादतों में मशगूल होने के बावजूद बेफिक्र और निडर भी नहीं हो जाते बल्कि फियामत के हिसाब का खौफ़ इन पर मुसल्लत रहता है। और यह उस नूरे हिदायत का कमाल है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से उनको अता हुआ है, जिसका जिक्र ऊपर आयत में 'यहदिल्लाहु लिनूरिही मय्यशा-उ' में फ़रमाया। आखिर में ऐसे हज़रात की जज़ा (सवाब और उम्दा बदले) का जिक्र है कि अल्लाह तआला उनको उनके अमल की बेहतरीन जज़ा अता फ़रमायेंगे और फिर फ़रमाया 'व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज़िलिही' यानी सिर्फ़ अमल की जज़ा देने पर बस नहीं होगा बल्कि अपनी तरफ़ से अतिरिक्त इनामात भी उनको मिलेंगे।

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

यानी अल्लाह तआला न किसी क़ानून का पाबन्द है न उसके ख़ज़ाने में कभी कमी आती है, वह जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क दे देता है। यहाँ तक नेक मोमिन जिनके सीने हिदायत के नूर किन्दील होते हैं और जो नूरे हिदायत को ख़ास तौर से कुबूल करते हैं, उनका जिक्र था। आगे उन काफ़िरों का जिक्र है जिनकी फ़ितरत में तो अल्लाह तआला ने हिदायत के नूर का मादा रखा था मगर जब उस मादे को रोशन करने वाली अल्लाह की वही उनको पहुँची तो उससे मुँह फेरने और इनकार करके नूर से मेहरूम हो गये और अंधेरे ही अंधेरे में रह गये, और उनमें चूँकि काफ़िर व इनकारी दो किस्म के थे इसलिये उनकी दो मिसालें बयान की गयीं जिनकी तफ़सील खुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है। दोनों मिसालें बयान फ़रमाने के बाद इरशाद फ़रमाया:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

यह जुमला काफ़िरों के बारे में ऐसा ही है जैसा मोमिनों के बारे में यह इरशाद हुआ था 'यहदिल्लाहु लिनूरिही मय्यशा-उ'। काफ़िरों के लिये इस जुमले में हिदायत के नूर से मेहरूमी का जिक्र है कि उन्होंने अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़कर अपना फ़ितरी नूर भी फना कर लिया, अब जबकि अल्लाह के हिदायत वाले नूर से मेहरूम हो गये तो नूर कहाँ से आये।

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कोई शख्स केवल इल्म व समझ के साधन जमा होने से आलिम व समझदार नहीं होता बल्कि वह सिर्फ़ अल्लाह तआला की अता से होता है। यही वजह है कि बहुत से आदमी जो दुनिया के कामों में बिल्कुल नावाकिफ़ बेख़बर समझे जाते हैं आखिरत के मामले में वे बड़े समझदार व अक्लमन्द साबित होते हैं। इसी तरह इसके विपरीत बहुत से आदमी जो दुनिया के कामों में बड़े माहिर और समझदार माने जाते हैं मगर आखिरत के मामले में बड़े बेवकूफ़ जाहिल साबित होते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ
 تَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ
 أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنْ
 السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ وَيَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ
 يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ وَاللَّهُ
 خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ
 مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

अलम् त-र अन्नल्ला-ह युसब्बिहु लंहू
 मन् फिस्समावाति वल्अर्जि वत्तैरु
 साफ़फ़ातिन्, कुल्लुन् कद् अलि-म
 सला-तहू व तस्बी-हहू, वल्लाहु
 अलीमुम् बिमा यफ़अलून (41) व
 लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि
 व इलल्लाहिल्-मसीर (42) अलम्
 त-र अन्नल्ला-ह युज़्जी सहाबन्
 सुम्-म युअल्लिफु बैनहू सुम्-म
 यज्जअलुहू रुकामन् फ-तरल्-वद्-क
 यख़रुजु मिन् ख़िलालिही व युनज़िज़लु
 मिनस्समा-इ मिन् जिबालिन् फ़ीहा
 मिम्-ब-रदिन् फ़युसीबु बिही
 मय्यशा-उ व यस्सिफ़ुहू अम्-मय्यशा-उ,
 यकादु सना बर्किही यज़हबु
 बिल्अब्सार (43) युक्ल्लिबुल्लाहुल्-
 लै-ल वन्नहा-र, इन्-न फ़ी ज़ालि-क

क्या तूने न देखा कि अल्लाह की याद
 करते हैं जो कोई हैं आसमान व ज़मीन
 में और उड़ते जानवर पंख खोले हुए, हर
 एक ने जान रखी है अपनी तरह की
 बन्दगी और याद, और अल्लाह को मालूम
 है जो कुछ करते हैं। (41) और अल्लाह
 की हुकूमत है आसमान और ज़मीन में
 और अल्लाह ही तक फिर जाना है। (42)
 तूने न देखा कि अल्लाह हाँक लाता है
 बादल को फिर उनको मिला देता है फिर
 उनको रखता है तह-ब-तह (यानी एक
 दूसरे के ऊपर नीचे) फिर तू देखे मींह
 निकलता है उसके बीच से, और उतारता
 है आसमान से उसमें जो पहाड़ हैं ओलों
 के फिर वह डालता है जिस पर चाहे, और
 बचा देता है जिससे चाहे, अभी उसकी
 बिजली के कोंद लेजाये आँखों को। (43)
 अल्लाह बदलता है रात और दिन को

लज़िब्-रतल्-लिउलिल्-अब्सार (44)

वल्लाहु ख़-ल-क़ कुल्-ल दाब्बतिम्

मिम्-माइन् फ़-मिन्हुम् मंय्यम्शी अला

बत्निही व मिन्हुम् मंय्यम्शी अला

रिज्जैनि व मिन्हुम् मंय्यम्शी अला

अर्-बज़िन्, यख़लुकुल्लाहु मा

यशा-उ, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि

शैइन् क़दीर (45)

इसमें ध्यान करने की जग

वालों को। (44) और अल्लाह ने बनाया

हर फिरने वाले को एक पानी से, फिर

कोई है कि चलता है अपने पेट पर और

कोई है कि चलता है दो पाँव पर और

कोई है कि चलता है चार पर, बनाता है

अल्लाह जो चाहता है, बेशक अल्लाह हर

चीज़ कर सकता है। (45)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको (दलीलों, अनुभव और देखने से) मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ कि आसमानों में और ज़मीन में (मख़्लूक़ात) हैं, (चाहे बोलकर जो कुछ मख़्लूक़ात में देखा भी जाता है चाहे हाल के एतिबार से जो तमाम मख़्लूक़ात में अक्ल की दलालत से मालूम है) और (खासकर) परिन्दे (भी) जो पर फैलाये हुए (उड़ते फिरते) हैं (कि उनकी दलालत उनके पैदा करने और बनाने वाले पर और ज़्यादा अज़ीब है कि बावजूद उनके भारी जिस्मों वाले होने के फिर फ़ज़ा में रुके हुए हैं और) सब (परिन्दों) को अपनी-अपनी दुआ (और इत्तिजा अल्लाह से) और अपनी तस्बीह (व पाकीज़गी बयान करने का तरीक़ा इल्हाम से) मालूम है, और (बावजूद इन दलीलों के फिर भी बाज़े तौहीद को नहीं मानते, तो) अल्लाह तआला को उन लोगों के सब कामों का पूरा इल्म है (इस इनकार व मुँह मोड़ने पर उनको सज़ा देगा)। और अल्लाह तआला ही की हुकूमत है आसमानों और ज़मीन में, (अब भी) और (इन्तिहा में) अल्लाह तआला ही की तरफ़ (सब को) लौटकर जाना है (उस वक़्त भी हाकिमाना तसरूफ़ उसी का होगा। चुनाँचे हुकूमत का एक असर बयान किया जाता है वह यह कि ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला (एक) बादल को (दूसरे बादल की तरफ़) चलता करता है (और) फिर उस बादल (के मजमूए) को आपस में मिला देता है, फिर उसको तह-ब-तह करता है, फिर तू बारिश को देखता है कि उस (बादल) के बीच में से निकल (-निकलकर) आती है, और उसी बादल से यानी उसके बड़े-बड़े हिस्सों में से ओले बरसाता है, फिर उनको जिस (की जान पर या माल) पर चाहता है गिराता है (कि उसका नुक़सान हो जाता है) और जिससे चाहता है उसको हटा देता है, (और उसके जान व माल को बचा लेता है और) उस बादल (में से बिजली भी पैदा होती है और ऐसी चमकदार कि उस बादल) की बिजली की चमक की यह हालत है कि ऐसा मालूम होता है कि गोया उसने अब बीनाई "यानी आँखों की रोशनी" को उचक लिया (यह भी अल्लाह तआला ही के तसरूफ़ात में से है! और) अल्लाह

तआला रात और दिन को बदलता रहता है (यह भी अल्लाह तआला के उलट-फेर करने और इख्तियार इस्तेमाल करने से है) इस (सब मजमूए) में समझ रखने वालों के लिये दलील हासिल करने (का मौका) है। (जिससे अल्लाह के एक होने और तमाम कायनात का मालिक होने पर दलील पकड़ते हैं) और अल्लाह (ही का यह तसरूफ़ भी है कि उस) ने हर चलने वाले जानदार को (पानी का हो या खुश्की का) पानी से पैदा किया है। फिर उन (जानवरों) में बाजे तो वो (जानवर) हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं (जैसे साँप, मछली) और बाजे उनमें वो हैं जो दो पैरों पर चलते हैं (जैसे इनसान और परिन्दे जबकि हवा में न हों) और बाजे उनमें वो हैं जो चार (पैरों) पर चलते हैं (जैसे मवेशी, इसी तरह बाजे ज़्यादा पर भी। असल यह है कि) अल्लाह जो चाहता है बनाता है। बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर कादिर है (उसको कुछ भी मुश्किल नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

आयत के शुरू में यह फ़रमाया कि ज़मीन व आसमान और उनके बीच की हर मख़्लूक और हर चीज़ अल्लाह तआला की तस्बीह व पाकी करने में मशगूल है। इस तस्बीह का मतलब हज़रत सुफ़ियान रह. ने यह बयान फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने दुनिया की हर चीज़ आसमान, ज़मीन, सूरज व चाँद और तमाम सितारे व सय्यारे (ग्रह) और ज़मीन के तत्व आग, पानी, मिट्टी हवा सब को खास-खास कामों के लिये पैदा फ़रमाया है, और जिसको जिस काम के लिये पैदा फ़रमाया है वह बराबर उस पर लगा हुआ है, उससे बाल बराबर भी ख़िलाफ़ नहीं करता। इसी इताअत व फ़रमाँबरदारी को इन चीज़ों की तस्बीह फ़रमाया है। हासिल यह है कि उनकी तस्बीह हाली है बोलने और जुबान से बयान करने की नहीं। उनकी ज़बाने हाल बोल रही है कि ये अल्लाह तआला को पाक व बरतर समझकर उसकी इताअत में लगे हुए हैं।

अल्लामा ज़मख़शरी और दूसरे मुफ़त्सिरीन ने फ़रमाया कि इसमें भी कोई दूर की और असंभव बात नहीं कि अल्लाह तआला ने हर एक चीज़ के अन्दर इतनी समझ व शऊर रखी हो जिससे वह अपने ख़ालिक व मालिक को पहचाने और इसमें भी कोई मुश्किल और दूर की बात नहीं कि उनको किसी खास किस्म की बोलने की ताक़त अता फ़रमाई हो और खास किस्म की तस्बीह व इबादत उनको सिखा दी हो, जिसमें वो मशगूल रहते हों। आखिरी जुमले 'कुल्लुन् कद् अलि-म सलातहू' में इसी मज़मून की तरफ़ इशारा पाया जाता है कि अल्लाह तआला की तस्बीह और नमाज़ में सारी मख़्लूक लगी हुई है, मगर हर एक की नमाज़ और तस्बीह का तरीका और सूरत भिन्न और अलग है। फ़रिश्तों का और तरीका, इनसान का दूसरा, और पेड़-पौधों किसी और तरह से नमाज़ व तस्बीह की इबादत अदा करते हैं, बेजान चीज़ें किसी और तरीके से। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत से भी इसी मज़मून की ताईद होती है जिसमें इरशाद है:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

यानी अल्लाह तआला ने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसको हिदायत दी। वह हिदायत यही है कि वह हर वक़्त हक़ तआला की इताअत में लगी हुई, अपनी सौपी हुई इयूटी को पूरा कर रही है, इसके अलावा उसकी अपनी ज़रूरियाते जिन्दगी के बारे में भी उसको ऐसी हिदायत दे दी है कि बड़े बड़े अक्लमन्दों की अक्ल हैरान हो जाती है। अपने रहने बसने के लिये कैसे-कैसे घोंसले और बिल वगैरह बनाते हैं और अपनी गिज़ा वगैरह हासिल करने के लिये कैसी-कैसी तदबीरें करते हैं।

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا.

यहाँ समा (आसमान) से मुराद बादल है और जिबाल (पहाड़) से मुराद बड़े-बड़े बादल हैं और बर्द ओले को कहा जाता है।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَيَقُولُونَ
 آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَ
 إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ
 يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ
 بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
 يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ أُحْرَجَهُمْ وَلَا يَتَّخِذُوا مِنْ سِعْتِهِمْ هَيْبَةً
 وَلَا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
 عَلَيْهِ مَا حَبَلٌ وَعَلَيْكُمْ مَا حَبَلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوا نُهَيِّدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

लक़्द अन्जलना आयातिम्
 मुबयिनातिन् वल्लाहु यहदी
 मय्यशा-उ इला सिरातिम् मुस्तकीम।
 (46) व यकूलू-न आमन्ना बिल्लाहि
 व बिरसूलि व अ-तअना सुम्-म
 य-तवल्ला फरीकुम्-मिन्हुम् मिम्-
 बअदि जालि-क, व मा उलाइ-क
 बिल्-मुअमिनीन (47) व इजा दुअू

हमने उतारीं आयतें खोल-खोलकर बतलाने
 वाली, और अल्लाह चलाये जिसको चाहे
 सीधी राह पर। (46) और लोग कहते हैं
 हमने माना अल्लाह को और रसूल को
 और हुक्म में आ गये फिर फिर जाता है
 एक फिर्का उनमें से उसके बाद और वे
 लोग नहीं मानने वाले। (47) और जब

इलल्लाहि व रसूलिही लि-यस्कु-म
 बैनहुम् इज़ा फ़रीकुम्-मिन्हुम्
 मुअ्रिज़ून (48) व इय्यकुल्-लहुमुल्-
 हक्कु यअतू इलैहि मुज़ज़िनीन (49)
 अ-फी कुलूबिहिम् म-रज़ुन् अमिरताबू
 अम् यखाफू-न अय्यहीफ़ल्लाहु
 अलैहिम् व रसूलुहू बल् उलाइ-क
 हुमुज़्ज़ालिमून (50) ❀ ▲

इन्नमा का-न कौलल्-मुअ्रिनी-न
 इज़ा दुअू इलल्लाहि व रसूलिही
 लि-यस्कु-म बैनहुम् अय्यकुलू
 समिअ़ना व अतअ़ना, व उलाइ-क
 हुमुल्-मुफ़िलहून (51) व
 मय्युतिअ़िल्ला-ह व रसूलहू व
 यख़ाल्ला-ह व यत्तक्हि फ़-उलाइ-क
 हुमुल्-फ़ाइज़ून (52) व अक्समू
 बिल्लाहि जह-द ऐमानिहिम् ल-इन्
 अमर्-तहुम् ल-यख़रुजुन्-न, कुल्-ला
 तुक्समू ता-अ़तुम् मअ़रू-फ़तुन्,
 इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ़मलून
 (53) कुल् अतीअ़ुल्ला-ह व
 अतीअ़ुर्सू-ल फ़-इन् तवल्लौ
 फ़-इन्नमा अ़लैहि मा हुम्मि-ल व
 अ़लैकुम् मा हुम्मिल्लुम्, व इन्

उनको बुलाईये अल्लाह और रसूल की
 तरफ़ कि उनमें कज़िया चुकाईये तब ही
 एक फ़िर्के के लोग उनमें मुँह मीड़ते हैं।
 (48) और अगर उनको कुछ पहुँचता हो
 तो चले आयें उसकी तरफ़ कुबूल कर-
 कर। (49) क्या उनके दिलों में रोग है
 या धोखे में पड़े हुए हैं, या डरते हैं कि
 बेइन्साफी करेगा उन पर अल्लाह और
 उसका रसूल, कुछ नहीं! वही लोग
 बेइन्साफ़ हैं। (50) ❀ ▲

ईमान वालों की बात यही थी कि जब
 बुलाईये उनको अल्लाह और रसूल की
 तरफ़ फ़ैसला करने को- उनमें तो कहें
 हमने सुन लिया और हुक्म मान लिया
 और वे लोग कि उन्हीं का भला है। (51)
 और जो कोई हुक्म पर चले अल्लाह के
 और उसके रसूल के और डरता रहे
 अल्लाह से और बचकर चले उससे सो
 वही लोग हैं मुराद को पहुँचने वाले। (52)
 और कसमें खाते हैं अल्लाह की अपनी
 ताकीद की कसमें कि अगर तू हुक्म करे
 तो सब कुछ छोड़कर निकल जायें, तू कह-
 कसमें न खाओ हुक्म का पालन करना
 दरकार है जो दस्तूर है, यकीनन अल्लाह
 को ख़बर है जो तुम करते हो। (53) तू
 कह- हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म
 मानो रसूल का फिर अगर तुम मुँह फ़ेरोगे
 तो उसका जिम्मा है जो बोझ उसपर रखा
 और तुम्हारा जिम्मा है जो बोझ तुम पर
 रखा, और अगर उसका कहा मानो तो राह

तुतीज़्हू तहतदू, व मा अलरसूलि

इल्लल्-बलागुल्-मुबीन (54)

पाओ, और पैग़ाम लाने वाले का जिम्मा

नहीं मगर पहुँचा देना खोलकर। (54)

खुलासा-ए-तफ़सीर

हमने (हक़ के) समझाने वाली दलीलें (आम हिदायत के लिये) नाज़िल फ़रमाई हैं, और (उन आम में से) जिसको अल्लाह चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ (खास) हिदायत फ़रमाता है (कि वह माबूद होने के इल्मी हुक्क़ यानी सही अक़ीदे और अमली हुक्क़ यानी नेकी को बजा लाता है, वरना बहुत से मेहसूम ही रहते हैं) और ये मुनाफ़िक़ लोग (ज़बान से) दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आये और (खुदा और रसूल का) हुक्म (दिल से) माना, फिर उसके बाद (जब अमल करके अपना दावा साबित करने का वक़्त आया तो) उनमें का एक ग़िरोह (जो बहुत ज़्यादा शरीर है खुदा और रसूल के हुक्म से) नाफ़रमानी करता है। (उस वक़्त से वह सूरात मुराद है कि जब उनके जिम्मे किसी का हक़ चाहता हो और हक़ वाला उस मुनाफ़िक़ से दरख़्वास्त करे कि चलो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मुक़दमा ले चलें उस मौक़े पर ये नाफ़रमानी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपके इजलास में जब हक़ साबित हो जायेगा तो उसी के मुवाफ़िक़ आप फैसला करेंगे, जैसा कि आयत नम्बर 48 में उस मौक़े का यही बयान आ रहा है, और एक फ़रीक़ को ख़ास करना जबकि तमाम मुनाफ़िक़ लोग ऐसे ही थे इसलिए है कि ग़रीब-ग़ुरबा को दिली नागवारी के बावजूद इनकार करने की जुरत व हिम्मत नहीं हुआ करती, यह काम वही लोग करते हैं जिनको कुछ रुतबा व मक़ाम और क़ुव्वत हासिल हो) और ये लोग बिल्कुल भी ईमान नहीं रखते (यानी दिल में तो किसी मुनाफ़िक़ के भी ईमान नहीं मगर इनका तो वह ज़ाहिरी दिखावे का ईमान भी न रहा जैसा कि सूरात तौबा की आयत 74 और आयत 66 में है)।

(और उस नाफ़रमानी और हुक्म न मानने का बयान यह है कि) ये लोग जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ इस ग़र्ज़ से बुलाये जाते हैं कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उनके (और उनके मुख़ालिफ़ के) बीच फैसला कर दें तो इनमें का एक ग़िरोह (वहाँ हाज़िर होने से) किनारा करता है (और टालता है, और यह बुलाना अगरचे रसूल ही की तरफ़ है मगर चूँकि आपका फैसला अल्लाह के हुक्म की बिना पर होता है इसलिये अल्लाह तआला की तरफ़ भी निस्वत कर दी गई, ग़र्ज़ कि जब उनके जिम्मे किसी का हक़ चाहता है तब तो उनकी यह हालत होती है) और अगर (इत्तिफ़ाक़ से) उनका हक़ (किसी दूसरे के जिम्मे हो) तो सर झुकाये हुए (बेतक़ल्लुफ़ आपके बुलाने पर) आपके पास चले आते हैं (क्योंकि इत्मीनान होता है कि वहाँ हक़ का फैसला होगा, उसमें हमारा फ़ायदा है)।

(आगे उन लोगों के मुँह मोड़ने और हाज़िर न होने की वजह व असबाब चन्द संभावनाओं और गुमान व शुब्हात के तौर पर बयान करके और सब गुमानों व संभावनाओं की नफ़ी और एक गुमान व संभावना का सुबूत है) आया (इस मुँह मोड़ने का सबब यह है कि) उनके दिलों में (जड़ पकड़े हुए

कुफ़ का) रोग है (यानी उनको इसका यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं) या ये (नुबुव्वत की तरफ़ से) शक में पड़े हैं (कि रसूल न होने का यकीन तो नहीं मगर रसूल होने का भी यकीन नहीं) या उनको यह अन्देशा है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करने लगे (और उनके जिम्मे जो हक़ है उससे ज़्यादा दिला दें, सो हकीकत यह है कि इन असबाब में से कोई भी सबब) नहीं (है) बल्कि (असली सबब यह है) कि ये लोग (उन मुक़दमों में) जुल्म पर उतरे हुए (होते) हैं (इसलिये नबी करीम के दरबार में मुक़दमा लाना पसन्द नहीं करते कि हम हार जायेंगे, और पहले बयान हुए बाकी सब असबाब का कोई वजूद नहीं)।

मुसलमानों (की शान और उन) का कौल तो जबकि उनको (किसी मुक़दमे में) अल्लाह की और उसके रसूल की तरफ़ बुलाया जाता है यह है कि वे (दिली खुशी से) कहते हैं कि हमने (तुम्हारा कलाम) सुन लिया और (उसको) मान लिया, (और फिर फौरन चले जाते हैं। यह है निशानी इसकी कि ऐसों का आमन्ना "हम ईमान ले आये" और अतज़ूना "हमने फ़रमाँबरदारी इख़्तियार की" कहना दुनिया में भी सच्चा है) और ऐसे (ही) लोग (आख़िरत में भी) फ़लाह पायेंगे। और (हमारे यहाँ का तो मुस्तक़िल नियम है कि) जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का कहा माने और अल्लाह से डरे और उसकी मुख़ालफ़त से बचे, बस ऐसे लोग कामयाब होंगे और (उन मुनाफ़िकों की यह हालत है कि) वे लोग बड़ा जोर लगाकर क़समें खाया करते हैं कि अल्लाह की क़सम (हम ऐसे फ़रमाँबरदार हैं कि) अगर आप उनको (यानी हमको) हुक़म दें (कि घर-बार सब छोड़ दो) तो वे (यानी हम) अभी (सब छोड़-छाड़कर) निकल खड़े हों। आप (उनसे) कह दीजिये कि बस क़समें न खाओ (तुम्हारी) फ़रमाँबरदारी की हकीकत मालूम है, (क्योंकि) अल्लाह तज़ाला तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखता है (और उसने मुझको बतला दिया है। जैसा कि एक दूसरी जगह सूर: तौबा की आयत ११४ में इरशाद है। और) आप (उनसे) कहिये कि (बातें बनाने से काम नहीं चलता काम करो यानी) अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो।

(आगे अल्लाह तज़ाला इस मज़मून की अहमियत को बयान करने के वास्ते खुद उन लोगों को ख़िताब फ़रमाता है कि रसूल के इस कहने के और तब्लीग़ के बाद) फिर अगर तुम लोग (हुक़म मानने से) मुँह मोड़ोगे तो समझ लो कि (रसूल का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) रसूल के जिम्मे वही तब्लीग़ (का काम) है जिसका भार उन पर रखा गया है (जिसको वह कर चुके और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गये) और तुम्हारे जिम्मे वह (हुक़म मानने का काम) है जिसका तुम पर भार रखा गया है। (जिस को तुमने पूरा नहीं किया। पस तुम्हारा ही नुक़सान होगा) और अगर (मुँह न मोड़ा बल्कि) तुमने उनकी फ़रमाँबरदारी कर ली (जो अल्लाह ही की फ़रमाँबरदारी है) तो राह पर जा लगोगे, और (बहरहाल) रसूल के जिम्मे सिर्फ़ साफ़ तौर पर पहुँचा देना है (आगे तुमसे पूछगछ होगी कि क़बूल किया या नहीं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ये आयतें एक ख़ास वाक़िए में नाज़िल हुई हैं। तबरी वग़ैरह ने यह वाक़िआ इस तरह बयान

किया है कि मुनाफिकों में से एक शख्स बिशर नाम का था, उसके और एक यहूदी के बीच एक ज़मीन के मुताल्लिक झगड़ा और विवाद था। यहूदी ने उसको कहा कि चलो तुम्हारे ही रसूल से हम फैसला करा लें मगर बिशर मुनाफिक नाहक पर था, यह जानता था कि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मुकद्दमा गया तो आप हक के मुवाफिक फैसला करेंगे और मैं हार जाऊँगा। उसने इससे इनकार किया और हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बजाय कअब बिन अशरफ यहूदी के पास मुकद्दमा लेजाने को कहा। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। और आयत नम्बर 50 में जो उनके दिलों में यकीनी कुफ़्र के रोग या नुबुव्वत में शक होने की नफ़ी की गयी है उसकी मुराद यह है कि यह यकीनी कुफ़्र या शक उनके दरबारे नबवी में मुकद्दमा लाने से गुरेज़ करने का सबब नहीं, अगरचे कुफ़्र व शक का होना मुनाफिकों में साबित और स्पष्ट है मगर मुकद्दमा न लाना असल में इस सबब से है कि वे जानते हैं कि हक का फैसला होगा तो हम हार जायेंगे।

कामयाबी के लिये चार शर्तें

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

इस आयत में चार चीज़ें बयान करके फ़रमाया है कि जो इन चार चीज़ों के पाबन्द हैं वही कामयाब और दुनिया में अपनी मुराद को पाने वाले हैं।

एक अजीब वाकिआ

तफ़सीरे कुर्तुबी में इस जगह एक वाकिआ हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का नक़ल किया जिससे इन चारों चीज़ों के मतलब का फ़र्क और वज़ाहत हो जाती है। वाकिआ यह है कि हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन मस्जिदे नबवी में खड़े थे, अचानक एक रूमी देहाती आदमी बिल्कुल आपके बराबर में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा:

انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله.

(मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इसकी गवाही देता हूँ मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी उसने इस्लाम लाने का कलिमा पढ़ा) हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या बात है? तो कहा मैं अल्लाह के लिये मुसलमान हो गया हूँ। हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या इसका कोई सबब है? उसने कहा हाँ। बात यह है कि मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और पहले नबियों की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं मगर हाल में एक मुसलमान कैदी कुरआन की एक आयत पढ़ रहा था वह सुनी तो मालूम हुआ कि उस छोटी सी आयत ने तमाम पुरानी किताबों को अपने अन्दर समो लिया है, तो मुझे यकीन हो गया कि यह अल्लाह ही की तरफ़ से है। फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि वह कौनसी आयत है? उस रूमी देहाती ने यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 52 तिलावत की और इसके साथ इसकी तफ़सीर भी अजीब व ग़रीब इस तरह बयान की कि 'मय्युतिअल्ला-ह' अल्लाह के फ़राईज़ से संबन्धित है, 'वरसूलहू' नबी की सुन्नत (यानी हदीसे पाक) से संबन्धित है, 'व यख़शाल्ला-ह' पहले गुज़री उम्र से मुताल्लिक है 'व

यत्तक़हि' आने वाली बाकी उम्र के मुताल्लिक है। जब इन्सान इन चार चीज़ों का आमिल (अमल करने वाला) हो जाये तो उसको 'उलाइ-क हुमुल्-फाइज़ून' की खुशख़बरी है, और फाइज़ (कामयाब) वह शख्स है जो जहन्नम से निजात पाये और जन्नत में उसको ठिकाना मिले। हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (के कलाम में इसकी तस्दीक मौजूद है, आप) ने फ़रमाया है:

أُوتِيَتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ

यानी अल्लाह तआला ने मुझे ऐसे जामे कलिमात अता फ़रमाये हैं जिनके अलफ़ाज़ मुख़्तसर और मायने बहुत ही विस्तृत हैं। (तफ़्सीरे कुर्तबी)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

كَيْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سَوْ يُؤْتِيهِمْ لَهْمٌ مِنْ دِينِهِمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

7
11

व-अदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम्
व अमिलुस्सालिहाति ल-यस्तख़लि-
-फन्नहुम् फ़िल्अर्ज़ि क-मस्तख़लफ़-
-ल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व
ल-युमक्किनन्-न लहुम् दीनहुमु-
-ल्लज़िरतज़ा लहुम् व लयुबदिलन्नहुम्
मिम्-बअ़्दि ख़ौफ़िहिम् अमनन्,
यअ़्बुदू-ननी ला युशिरकू-न बी शैअन्,
व मन् क-फ़-र बअ़-द ज़ालि-क
फ़-उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिकून् (55) व
अकीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व
अतीअुरसू-ल लअ़ल्लकुम् तुहमून् (56)

वायदा कर लिया अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में इमान लाये हैं और किये हैं उन्होंने नेक काम, अलबत्ता पीछे हाकिम कर देगा उनको मुल्क में जैसा कि हाकिम किया था उनसे पहलों को, और जमा देगा उनके लिये दीन उनका जो पसन्द कर दिया उनके वास्ते, और देगा उनको उनके डर के बदले में अमन, मेरी बन्दगी करेंगे शरीक न करेंगे मेरा किसी को, और जो कोई नाशुक्री करेगा उसके बाद सो वही लोग हैं नाफ़रमान। (55) और कायम रखो नमाज़ और देते रहो ज़कात और हुक्म पर चलो रसूल के ताकि तुम पर रहम हो (56)

ला तहस-बन्नल्लजी-न क-फ़रु
मुअ्जिजी-न फिल्अर्जि व
मअ्वाहुमुन्-नारु, व ल-बिअ्सल्-
मसीर (57) ❀

न ख्याल कर कि ये जो काफ़िर हैं थका
देंगे भागकर मुल्क में, और उनका ठिकाना
आग है और वह बुरी जगह है फिर जाने
की। (57) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ पूरी उम्मत!) तुम में जो लोग ईमान लाएँ और नेक अमल करें (यानी अल्लाह के भेजे हुए हिदायत के नूर की कामिल पैरवी करें) उनसे अल्लाह तआला वायदा फ़रमाता है कि उनको (उस पैरवी की बरकत से) ज़मीन में हुकूमत अता फ़रमायेगा, जैसा कि उनसे पहले (हिदायत वाले) लोगों को हुकूमत दी थी। (मसलन बनी इस्राईल को फिरऔन और उसकी कौम किब्तियों पर ग़ालिब किया फिर मुल्के शाम में अमालिका जैसी बहादुर कौम पर उनको ग़लब अता फ़रमाया और मिस्र व शाम की हुकूमत का उनको वारिस बनाया) और (मक़सद उस हुकूमत देने से यह होगा कि) जिस दिन को (अल्लाह तआला ने) उनके लिये पसन्द फ़रमाया है (यानी इस्लाम, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'व रज़ीतु लकुमुल् इस्लाम दीनन्') उसको उनके (आख़िरत के नफ़े के) लिये क़ुव्वत देगा और (उनको जो दुश्मनों से तबई ख़ौफ़ है) उनके उस ख़ौफ़ के बाद उसको अमन से बदल देगा, बशर्ते कि मेरी इबादत करते रहें (और) मेरे साथ किसी किस्म का शिर्क न करें (न खुला न छुपा, जिसको रिया यानी दिखावा कहते हैं। यानी यह वायदा अल्लाह तआला का इस शर्त के साथ है दीन पर पूरी तरह साबित क़दम रहा जाये। और यह वायदा तो दुनिया में है और आख़िरत में ईमान और नेक अमल पर जो बड़ी जज़ा और हमेशा की राहत का वायदा है वह इसके अलावा है)।

और जो शख्स इस (वायदे के ज़ाहिर होने) के बाद नाशुक्री करेगा (यानी दीन के खिलाफ़ रास्ते इख़्तियार करेगा) तो (ऐसे शख्स के लिये यह वायदा नहीं, क्योंकि) ये लोग नाफ़रमान हैं (और वायदा था फ़रमाँबरदारों के लिये इसलिये उनसे दुनिया में भी वायदा हुकूमत देने का नहीं है और आख़िरत का अज़ाब इसके अलावा है)। और (ऐ मुसलमानो! जब ईमान और नेक अमल के दुनियावी और दीनी फ़ायदे सुन लिये तो तुमको चाहिए कि ख़ूब) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात दिया करो और (बाकी अहकाम में भी) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत किया करो, ताकि तुम पर (पूरा) रहम किया जाये। (आगे कुफ़ व नाफ़रमानी का अन्जाम ज़िक्र किया गया है कि ऐ मुखातब!) काफ़िरों के बारे में यह ख्याल मत करना कि ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भाग जायेंगे और हमको) हरा देंगे (और हमारे क़हर से बच जायेंगे, नहीं! बल्कि वे खुद हारेंगे और पराजय व क़हर का शिकार होंगे। यह तो नतीजा दुनिया में है) और (आख़िरत में) उनका ठिकाना दोज़ख़ है, और बहुत ही बुरा ठिकाना है।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों के उतरने का मौका व सबब

अल्लामा कुर्तुबी ने अबुल-आलिया रह. से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वही उतरने और नुबुव्वत के ऐलान के बाद दस साल मक्का मुकर्रमा में रहे तो हर वक्त काफ़िर व मुश्रिक लोगों के खौफ़ में रहे, फिर मदीना की हिजरत का हुक्म हुआ तो यहाँ भी मुश्रिक लोगों के हमलों से हर वक्त के खतरे में रहे। किसी शख्स ने हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह! कभी हम पर ऐसा वक्त भी आयेगा कि हम हथियार खोलकर अमन व इत्मीनान के साथ रह सकें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। (तफ़सीरे कुर्तुबी व बहरे मुहीत)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इन आयतों में अल्लाह तआला का वायदा है जो उसने उम्मत मुहम्मदिया से उनके वजूद में आने से पहले ही तौरात व इंजील में फ़रमाया था। (बहरे मुहीत)

अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तीन चीज़ों का वायदा फ़रमाया कि आपकी उम्मत को ज़मीन के खलीफ़ा हुक्मराँ बनाया जायेगा और अल्लाह के पसन्दीदा दीन इस्लाम को ग़ालिब किया जायेगा और मुसलमानों को इतनी कुव्वत व शौकत दी जायेगी कि उनको दुश्मनों का कोई खौफ़ न रहेगा। अल्लाह तआला ने अपना यह वायदा इस तरह पूरा फ़रमा दिया कि खुद हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में मक्का, ख़ैबर, बहरीन और पूरा अरब महाद्वीप और पूरा यमन देश हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के ज़रिये फ़तह हुआ और हिज़्र के मजूसियों (आग के पुजारियों) से और मुल्क शाम के आस-पास के कुछ इलाकों से आपने जिज़्या वसूल फ़रमाया। और रोम के बादशाह हिरक्ल ने और मिस्र व स्कन्दरिया के बादशाह मक्रोकिस और अम्मान के बादशाहों और हब्शा के बादशाह नजाशी वगैरह ने हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हदिये भेजे और आपका एहतिराम व सम्मान किया। फिर आपकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा हुए तो वफ़ात के बाद जो कुछ फ़ितने पैदा हो गये थे उनको ख़त्म किया और फ़ारस के राज्यों और मुल्क शाम व मिस्र के इलाकों की तरफ़ इस्लामी लश्कर भेजे और बूसरी और दमिश्क आप ही के ज़माने में फ़तह हुए और दूसरे मुल्कों के भी कुछ हिस्से फ़तह हुए।

हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात का वक्त आया तो अल्लाह तआला ने उनके दिल में अपने बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफ़ा बनाने का इल्हाम फ़रमाया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा हुए तो उन्होंने ख़िलाफ़त का निज़ाम ऐसा संभाला कि आसमान ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद ऐसा निज़ाम कहीं न देखा था। उनके ज़माने में मुल्क शाम पूरा फ़तह हो गया, इसी तरह पूरा मुल्क मिस्र और मुल्क फ़ारस का अक्सर हिस्सा। उन्हीं के ज़माने में

कैसर व कितरा की कैसरी और कितरवी का खात्मा हुआ। उसके बाद हज़रत उस्मान की ख़िलाफ़त का वक़्त आया तो इस्लामी फ़तूहात (विजयों) का दायरा पूरब व पश्चिम तक फैल गया। पश्चिमी मुल्कों उन्दुलुस और क़ब्रस तक और पूरबी इलाकों में चीन के राज्यों तक और इराक़, ख़ुरासान, अहवाज़ सब आपके ज़माने में फ़तह हुए। और सही हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया था कि मुझे पूरी ज़मीन के पूरब व पश्चिम समेटकर दिखाये गये हैं और मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों तक पहुँचेगी जो मुझे दिखाये गये हैं, अल्लाह तआला ने यह वायदा ख़िलाफ़ते उस्मानिया के ज़माने ही में पूरा फ़रमा दिया (यह सब मजमून तफ़सीर इब्ने कसीर से लिया गया है)।

और एक हदीस में यह आया है कि ख़िलाफ़त मेरे बाद तीस साल रहेगी इससे मुराद ख़िलाफ़ते राशिदा है जो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नक्शे क़दम पर कायम रही और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक चली, क्योंकि यह तीस साल की मुद्दत हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हहू के ज़माने तक पूरी हुई।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस जगह सही मुस्लिम की यह हदीस भी नक़ल की है कि हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत का काम चलता रहेगा जब तक बारह ख़लीफ़ा रहेंगे। इब्ने कसीर ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि यह हदीस बारह आदिल (नेक व इन्साफ़ करने वाले) ख़लीफ़ा इस उम्मत में होने की ख़बर दे रही है जिसका जाहिर होना ज़रूरी है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वे सब के सब लगातार और एक साथ ही हों, बल्कि हो सकता है कि कुछ-कुछ समय और अन्तराल के बाद हों। उनमें से चार तो एक के बाद एक हो चुके जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन थे, फिर कुछ अन्तराल के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रह. हुए, उनके बाद भी मुख़ालिफ़ ज़मानों में ऐसे ख़लीफ़ा होते रहे और क़ियामत तक रहेंगे, आख़िरी ख़लीफ़ा हज़रत महदी होंगी। शियों ने जिन बारह ख़लीफ़ाओं को मुतैयन किया है उसकी कोई दलील हदीस में नहीं बल्कि उनमें से कुछ तो वे हैं जिनका ख़िलाफ़त से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, और यह भी ज़रूरी नहीं कि उन सब के दर्जे बराबर हों और सब के ज़माने में अमन व सुकून दुनिया का एक जैसा हो, बल्कि इस वायदे का मदार ईमान और नेक अमल पर जमाव और मुकम्मल पैरवी पर है, इसके दर्जों के भिन्न होने, हुकूमत के अन्दाज़ और ताक़त में भी फ़र्क़ व भिन्नता लाज़िमी है। इस्लाम का चौदह सौ साल का इतिहास इस पर गवाह है कि विभिन्न ज़मानों और विभिन्न मुल्कों में जब और जहाँ कोई इन्साफ़ वाला मुसलमान और नेक बादशाह हुआ है उसको अपने अमल व नेकी के पैमाने पर अल्लाह के इस वायदे का हिस्सा मिला है, जैसा कि क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह फ़रमाया है:

إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

यानी अल्लाह की जमाअत ही ग़ालिब रहेगी।

उक्त आयत से ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की ख़िलाफ़त और अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत का सुबूत

यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की दलील भी है क्योंकि जो भविष्यवाणी इस आयत में फ़रमाई गयी थी वह बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई। इसी तरह यह आयत हज़रात ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम) की ख़िलाफ़त के हक़ व सही और अल्लाह के नज़दीक मक़बूल होने की भी दलील है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह तआला ने जो वायदा अपने रसूल और उनकी उम्मत से फ़रमाया था उसका पूरा-पूरा ज़हूर इन्हीं हज़रात के ज़माने में हुआ। अगर इन हज़रात की ख़िलाफ़त को हक़ व सही न माना जाये जैसा कि शियों का ख़्याल है तो फिर क़ुरआन का यह वायदा ही कहीं पूरा नहीं हुआ। और शियों का यह कहना कि यह वायदा हज़रत महदी के ज़माने में पूरा होगा एक हंसी आने वाली चीज़ है। इसका हासिल तो यह हुआ कि चौदह सौ बरस तो पूरी उम्मत ज़िल्लत व रुस्वाई में रहेगी और क़ियामत के करीब जो चन्द दिन के लिये उनको हुकूमत मिलेगी वही हुकूमत इस वायदे से मुराद है। अल्लाह की पनाह।

हकीकत यह है कि यह वायदा अल्लाह तआला ने ईमान और नेक अमल की जिन शर्तों की बुनियाद पर किया था वो शर्तें भी इन्हीं हज़रात में सबसे ज़्यादा कामिल व मुकम्मल थीं और अल्लाह तआला का वायदा भी पूरा-पूरा इन्हीं के दौर में पूरा हुआ। उनके बाद न ईमान व अमल का वह दर्जा कायम रहा न ख़िलाफ़त व हुकूमत का वह वक़ार कभी कायम हुआ।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

लफ़ज़ 'कुफ़्र' के लुगवी मायने नाशुक्री के और पारिभाषिक मायने ईमान की ज़िद हैं। यहाँ लफ़ज़ी मायने भी मुराद हो सकते हैं और पारिभाषिक भी। आयत के मायने यह हैं कि जिस वक़्त अल्लाह तआला मुसलमानों के साथ अपना यह वायदा पूरा कर दे, मुसलमानों को हुकूमत, ताक़त और अमन व इत्मीनान और दीन को मज़बूती व स्थिरता हासिल हो जाये उसके बाद भी अगर कोई शख्स कुफ़्र करे यानी इस्लाम से फिर जाये या नाशुक्री करे कि उस इस्लामी हुकूमत की इताअत से गुरेज़ करे तो ऐसे लोग हद से निकल जाने वाले हैं। पहली सूरत में ईमान ही से निकल गये और दूसरी सूरत में इताअत से निकल गये। कुफ़्र और नाशुक्री हर वक़्त हर हाल में बड़ा गुनाह है मगर इस्लाम और मुसलमानों की ताक़त व दबदबा और हुकूमत कायम होने के बाद ये चीज़ें दोहरे जुर्म हो जाती हैं इसलिये 'बअ-द ज़ालिक' से इसकी ताकीद की गयी। इमाम बग़वी ने फ़रमाया कि तफ़सीर के उलेमा ने कहा है कि क़ुरआन के इस जुमले के सबसे पहले मिस्दाक़ (चरितार्थ) वे लोग हुए जिन्होंने अपने वक़्त के ख़लीफ़ा हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को क़त्ल किया और जब वे उस भारी जुर्म के दोषी हुए तो अल्लाह तआला के उक्त इनामात में भी कमी आ गयी, आपस के क़त्ल व क़िताल से ख़ौफ़ व परेशानी में मुब्तला हो गये और इसके बाद कि आपस में भाई-भाई थे एक दूसरे को क़त्ल

करने लगे। इमाम बग़वी ने अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम का यह खुतबा (संबोधन) नक़ल किया है जो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ़ हंगामे के वक़्त दिया था। खुतबे के अलफ़ाज़ ये हैं:

“अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारे शहर के गिर्द घेरा डाले हुए हिफ़ाज़त में उस वक़्त से मशगूल थे जब से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये और आज तक यह सिलसिला जारी था। खुदा की क़सम अगर तुमने उस्मान को क़त्ल कर दिया तो ये फ़रिश्ते वापस चले जायेंगे और फिर कभी न लौटेंगे। खुदा की क़सम तुम में से जो शख्स उनको क़त्ल कर देगा वह अल्लाह के सामने हाथ कटा हुआ हाज़िर होगा, उसके हाथ न होंगे। और समझ लो कि अल्लाह की तलवार अब तक म्यान में थी, खुदा की क़सम अगर वह तलवार म्यान से निकल आई तो फिर कभी म्यान में न जायेगी। क्योंकि जब कोई नबी क़त्ल किया जाता है तो उसके बदले में सत्तर हज़ार आदमी मारे जाते हैं, और जब किसी ख़लीफ़ा को क़त्ल किया जाता है तो पैंतीस हज़ार आदमी मारे जाते हैं।” (तफ़सीरे मजहरी)

चुनाँचे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के क़त्ल से जो आपसी खून बहाने का सिलसिला शुरू हुआ था उम्मत में चलता ही रहा है, और जैसे अल्लाह तआला की हुकूमत व ताक़त देने की नेमत और दीन की मज़बूती की मुख़ालफ़त और नाशुक़ी हज़रत उस्मान के कातिलों ने की थी उनके बाद शियों और ख़ारजियों की जमाअतों ने खुलफ़ा-ए-राशिदीन की मुख़ालफ़त में गिरोह बना लिये। इसी सिलसिले में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का बड़ा हादसा पेश आया। हम अल्लाह तआला से हिदायत और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ माँगते हैं।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ

الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ② وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ③

या अर्यु हल्लजी-न आमनू	ऐ इमान वालो! इजाज़त लेकर आये
लि-यस्तअज़िन्कुमुल्लजी-न म-लकत्	तुमसे जो तुम्हारे हाथ के माल हैं और
ऐमानुकुम् वल्लजी-न लम् यल्लुगुल्-	जो कि नहीं पहुँचे तुम में अक़ल की हद

हुलु-म मिन्कुम् सला-स मर्रातिन्
 मिन् क़ब्लि सलातिल्-फ़ज्रि व ही-न
 त-ज़अ-न सिया-बकुम् मिनज़्ज़ही-रति
 व मिम्-बअदि सलातिल्-अ़िशा-इ,
 सलासु अ़ौरातिल्-लकुम्, लै-स
 अ़लैकुम् व ला अ़लैहिम् जुनाहुम्
 बअ-दहुन्-न, तव्वाफू-न अ़लैकुम्
 बअज़ुकुम् अ़ला बअज़िन्, कज़ालि-क
 युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति,
 वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (58) व
 इज़ा ब-लगल्-अत्फ़ालु मिन्कुमुल्-
 हुलु-म फ़ल्यस्तअ़ज़िनु कमस्तअ़ज़नल्-
 -लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, कज़ालि-क
 युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही,
 वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (59)
 वल्क़वाअ़िदु मिनन्निसाइल्लाती ला
 यरजू-न निकाहन् फ़लै-स अ़लैहिन्-न
 जुनाहुन् अंय्य-ज़अ-न सिया-बहुन्-न
 ग़ै-र मु-तबर्रिजातिम्-बिज़ी-नतिन्, व
 अंय्यस्तअ़फ़िफ़-न ख़ैरुल् लहुन्-न,
 वल्लाहु समीअ़ुन् अ़लीम (60)

को, तीन बार- फ़ज्र की नमाज़ से पहले
 और जब उतार रखते हो अपने कपड़े
 दोपहर में और इशा की नमाज़ से पीछे,
 ये तीन वक़्त बदन खुलने के हैं तुम्हारे,
 कुछ तंगी नहीं तुम पर और न उन पर
 इन वक़्तों के पीछे, फिरा ही करते हो
 एक दूसरे के पास यूँ खोलता है अल्लाह
 तुम्हारे आगे बातें और अल्लाह सब कुछ
 जानने वाला हिक्मत वाला है। (58) और
 जब पहुँचें लड़के तुम में के अक़ल की हद
 को तो उनको वैसी ही इजाज़त लेनी
 चाहिये जैसे लेते रहे हैं उनसे पहले, यूँ
 खोलकर सुनाता है अल्लाह तुमको अपनी
 बातें और अल्लाह सब कुछ जानने वाला
 हिक्मत वाला है। (59) और जो बैठ रही
 हैं घरों में तुम्हारी औरतों में से जिनको
 उम्मीद नहीं रही निकाह की उन पर
 गुनाह नहीं कि उतार रखें अपने कपड़े,
 यह नहीं कि दिखाती फिरें अपना सिंगार,
 और इससे भी बचें तो बेहतर है उनके
 लिये, और अल्लाह सब बातें सुनता
 जानता है। (60)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (तुम्हारे पास आने के लिये) तुम्हारे ममलूकों "यानी गुलाम बाँदियों वगैरह" को
 और तुम में से जो अभी बालिग़ होने की हद को नहीं पहुँचे उनको तीन वक़्तों में इजाज़त लेना

चाहिए- (एक तो) सुबह की नमाज़ से पहले, और (दूसरे) जब दोपहर का (ताज़) खत्म हो जाय (कुछ) कपड़े उतार दिया करते हो, और (तीसरे) इशा की नमाज़ के बाद। ये तीन वक़्त तुम्हारे पर्दे के हैं (यानी ये वक़्त चूँकि आम आदत के मुताबिक तन्हाई और आराम के हैं, जिसमें आदमी बेतकल्लुफी से रहना चाहता है और तन्हाई में किसी वक़्त बदन के छुपे अंग भी खुल जाते हैं, या किसी ज़रूरत से खोले जाते हैं इसलिये अपने ममलूक गुलामों बाँदियों को और अपने नाबालिग बच्चों को समझा दो कि बिना इत्तिला दिये और बग़ैर इजाज़त लिये हुए इन वक़्तों में तुम्हारे पास न आया करें, और) इन वक़्तों के अलावा न (तो बिना इजाज़त आने देने और मना न करने में) तुम पर कोई इल्ज़ाम है और न (बिना इजाज़त चले आने में) उन पर कुछ इल्ज़ाम है, (क्योंकि) वे कसरत से तुम्हारे पास आते-जाते रहते हैं, कोई किसी के पास और कोई किसी के पास (पस हर वक़्त इजाज़त लेने में तकलीफ़ है और चूँकि ये वक़्त पर्दे के नहीं हैं इसलिए इनमें अपने बदन के छुपे अंगों और हिस्सों को छुपाये रखना कुछ मुश्किल नहीं) इसी तरह अल्लाह तआला तुम से (अपने) अहकाम साफ़-साफ़ बयान करता है, और अल्लाह तआला जानने वाला, हिक्मत वाला है।

और जिस वक़्त तुम में के (यानी आज़ाद लोगों में के) वे लड़के (जिनका हुक्म ऊपर आया है) बालिग़ होने की हद को पहुँचें (यानी बालिग़ या बालिग़ होने के करीब हो जायें) तो उनको भी उसी तरह इजाज़त लेना चाहिए जैसा कि उनसे अगले (यानी उनसे बड़ी उम्र के) लोग इजाज़त लेते हैं, इसी तरह अल्लाह तआला तुमसे अपने अहकाम साफ़-साफ़ बयान करता है, और अल्लाह तआला जानने वाला, हिक्मत वाला है। और (एक बात यह जानना चाहिए कि पर्दे के अहकाम में सख़्ती फ़ितने के ख़ौफ़ पर आधारित है, जहाँ फ़ितने का आदतन शुब्हा व गुमान न हो मसलतन जो) बड़ी-बूढ़ी औरतें जिनको (किसी के) निकाह (में आने) की कुछ उम्मीद न हो, (यानी वे मर्दों के लिये कशिश और रुचि के लायक नहीं रहीं, यह तफ़सीर है बड़ी-बूढ़ी होने की) उनको इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वे अपने (फ़ालतू) कपड़े (जिससे चेहरा वग़ैरह छुपा रहता है, ग़ैर-मेहरम के रूबरू भी) उतार रखें बशर्ते कि बनने-संवरने (की जगहों) का इज़हार न करें (जिनका ज़ाहिर करना ग़ैर-मेहरम के सामने बिल्कुल नाजायज़ है। पस मुराद इससे चेहरा हथेलियाँ हैं और कुछ हज़रात के कौल के मुताबिक़ दोनों क़दम भी, बख़िलाफ़ जवान औरत के कि फ़ितने का डर होने की वजह से उसके चेहरे वग़ैरह का भी पर्दा ज़रूरी है) और (अगरचे बड़ी-बूढ़ी औरतों के लिये ग़ैर-मेहरमों के सामने चेहरा खोलने की इजाज़त है लेकिन अगर) इससे भी एहतियात रखें तो उनके लिये और ज़्यादा बेहतर है (क्योंकि हर उम्र में फ़ितने का अन्देशा रहता है, दूसरे बेपर्दगी को पूरी तरह ही ख़त्म करना मक़सद है) और अल्लाह तआला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरत के शुरू में यह बयान हो चुका है कि सूर: नूर के ज़्यादातर अहकाम बेहयाई और बुराईयों की रोक-धाम के लिये आये हैं और उन्हीं की मुनासबत से कुछ अहकाम आपस में रहने-सहने के आदाब और आपसी मुलाकात के भी बयान हुए हैं। फिर औरतों के पर्दे के अहकाम बयान किये गये।

करीबी अफ़राद और मेहरमों के लिये ख़ास वक़्तों में इजाज़त लेने का हुक्म

रहन-सहन के आदाब और आपस में मुलाक़ात के आदाब इससे पहले इसी सूरत की आयत 27, 28, 29 में इजाज़त लेने के अहक़ाम के उनवान से बयान हुए हैं कि किसी से मुलाक़ात को जाओ तो बग़ैर इजाज़त लिये उसके घर में दाख़िल न हो। घर ज़नाना हो या मर्दाना आने वाला मर्द हो या औरत सब के लिये किसी के घर में जाने से पहले इजाज़त को वाजिब करार दिया गया है, मगर इजाज़त लेने के ये अहक़ाम अजनबियों और ग़ैरों के लिये थे जो बाहर से मुलाक़ात के लिये आये हों।

अब ऊपर बयान हुई आयतों में एक दूसरी इजाज़त के अहक़ाम का बयान है जिनका ताल्लुक उन रिश्तेदारों और मेहरमों से है जो उमूमन एक घर में रहते और हर वक़्त आते-जाते रहते हैं और उनसे औरतों का पर्दा भी नहीं, ऐसे लोगों के लिये भी अगरचे घर में दाख़िल होने के वक़्त इसका हुक्म है कि इत्तिला करके या कम से कम कदमों की आहट को ज़रा तेज़ करके या ख़ाँस-खंकार कर घर में दाख़िल हों और यह इजाज़त लेना ऐसे करीबी अफ़राद के लिये वाजिब नहीं, मुस्तहब है जिस पर अमल न करना मक्रूहे तन्जीही है। तफ़्सीरे मज़हरी में है:

فمن اراد الدخول في بيت نفسه وفيه محرّماته يكره له الدخول فيه من غير استئذان تنزيها لاحتمال روية

واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف ومقتضاه التنزه. (مظهری)

यह हुक्म तो घर में दाख़िल होने से पहले का था लेकिन घर में दाख़िल होकर फिर ये सब एक जगह एक दूसरे के सामने रहते हैं और एक दूसरे के पास आते-जाते रहते हैं। उनके लिये तीन ख़ास वक़्तों में जो इनसान के तन्हाई में रहने के वक़्त हैं एक और इजाज़त लेने का हुक्म इन आयतों में दिया गया है, वो तीन वक़्त- सुबह की नमाज़ से पहले, दोपहर को आराम करने के वक़्त और इशा की नमाज़ के बाद के वक़्त हैं। इनमें मेहरमों और करीबी अफ़राद को यहाँ तक कि समझदार नाबालिग़ बच्चों और ममलूका बाँदियों को भी इस इजाज़त लेने का पाबन्द किया गया है, कि तन्हाई के इन तीन वक़्तों में उनमें से भी कोई किसी की तन्हाई की जगह में बग़ैर इजाज़त के न जाये। क्योंकि ऐसे वक़्तों में हर इनसान आज़ाद बेतकल्लुफ़ रहना चाहता है, फ़ालतू कपड़े भी उतार देता है और कभी अपनी बीवी के साथ बेतकल्लुफ़ मेल-मिलाप में मशगूल होता है। इन वक़्तों में कोई होशियार बच्चा या घर की कोई औरत या अपनी औलाद में से कोई बग़ैर इजाज़त के अन्दर आ जाये तो बहुत सी बार वह ऐसी हालत में पायेगा जिसके ज़ाहिर होने से इनसान शर्माता है, उसको सख़्त तकलीफ़ पहुँचेगी और कम से कम उसकी बेतकल्लुफी और आराम में ख़लल पड़ना तो ज़ाहिर ही है। इसलिये उक्त आयतों में उनके लिये खुसूसी इजाज़त लेने के अहक़ाम आये हैं कि इन तीन वक़्तों में कोई किसी के पास बग़ैर इजाज़त के न जाये। इन अहक़ाम के बाद फिर यह भी फ़रमाया कि:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مِّمَّا بَعَدَهُنَّ

यानी इन वक्तों के अलावा कोई हज नहा कि एक दूसरे का पाठ पढ़ाए रखता है ...
 क्योंकि वे वक्त उमूमन हर शख्स के काम-काज में मशगूल होने और बदन के छुपाने वाले अंगों को छुपाये रहने के हैं, जिनमें आदतन आदमी बीवी के साथ मेल-मिलाप भी नहीं करता।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि इस आयत में बालिग मर्द व औरत को इजाज़त लेने का हुक्म देना तो जाहिर है मगर नाबालिग बच्चे जो शरअन किसी हुक्म के मुकल्लफ़ (पाबन्द) नहीं उनको भी इस हुक्म का पाबन्द करना बजाहिर उसूल के खिलाफ़ है।

जवाब यह है कि इसके मुखातब दर असल बालिग मर्द व औरत हैं कि वे छोटे बच्चों को भी समझा दें कि ऐसे वक्त में बगैर पूछे अन्दर न आया करो। जैसे हदीस में है कि बच्चों को जब वे सात साल के हो जायें तो नमाज़ सिखाओ और पढ़ने का हुक्म दो, और दस साल की उम्र के बाद उनको सख़्ती से नमाज़ का पाबन्द करो, न मानें तो मारकर नमाज़ पढ़वाओ। इसी तरह इस इजाज़त लेने का असल हुक्म बालिग मर्द व औरत को है और ज़िक्र हुए जुमले में जो ये अलफ़ाज़ हैं कि इन वक्तों के अलावा दूसरे वक्तों में न तुम पर हर्ज है कि उनको बिना इजाज़त आने दो और न उन पर कोई हर्ज है कि वे बिना इजाज़त आ जायें, इसमें अगरचे लफ़ज़ जुनाह आया है जो उमूमन गुनाह के मायने में इस्तेमाल होता है मगर कभी सिर्फ़ हर्ज और मुज़ायक़े के मायने में भी आता है, यहाँ ला जुना-ह के मायने यही हैं कि कोई हर्ज और तंगी नहीं है। इससे बच्चों के पाबन्द और गुनाहगार होने का शुब्हा ख़त्म हो गया। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

मसला: ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 58 में जो 'अल्लज़ी-न म-लकत् ऐमानुकुम्' का लफ़ज़ आया है जिसके मायने ममलूक गुलाम और बाँदी दोनों शामिल हैं, इनमें ममलूक गुलाम जो बालिग हो वह तो शरई तौर पर अजनबी गैर-मेहरम के हुक्म में है। उसकी आका और मालिक औरत को भी उससे पर्दा करना वाजिब है, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है इसलिये यहाँ इस लफ़ज़ से मुराद बाँदियाँ या ममलूक गुलाम जो बालिग न हो वह है, जो हर वक्त घर में आने-जाने के आदी हैं।

मसला: इसमें उलेमा व फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर हज़रात) का मतभेद है कि यह ख़ास इजाज़त लेना रिश्ते के करीबी अफ़राद के लिये वाजिब है या मुस्तहब हुक्म है, और यह कि यह हुक्म अब भी जारी है या मन्सूख़ (ख़त्म) हो गया। फ़ुक़हा के नज़दीक यह आयत मोहकम गैर-मन्सूख़ (यानी इसका हुक्म अपनी जगह कायम) है और हुक्म वजूब के लिये है, मर्दों के वास्ते भी और औरतों के वास्ते भी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

लेकिन यह जाहिर है कि उसके वाजिब होने का सबब और वजह वह है जो ऊपर बयान हो चुकी है कि इन तीन वक्तों में आम आदमी तन्हाई चाहता है और उसमें बहुत सी बार अपनी बीवी के साथ भी मशगूल होता है, कई बार बदन के छुपाने वाले अंग भी खुले होते हैं। अगर कुछ लोग इसकी एहतियात कर लें कि उन वक्तों में भी बदन के छुपाने वाले हिस्सों को छुपाने की आदत डालें और बीवी से मेल-मिलाप भी सिवाय इस सूरत के न करें कि किसी के आने का गुमान व अदेशा न रहे जैसे उमूमन यही आदत बन गयी है तो उस सूरत में उन पर यह भी वाजिब नहीं रहता कि अपने करीबी अफ़राद और बच्चों को इजाज़त लेने का पाबन्द करें, और न अज़ीजों व करीबी अफ़राद पर

वाजिब रहता है। अलबत्ता यह हर हाल में अच्छा और मुस्तहब है। मगर आम तौर पर अमल इस पर लम्बे ज़माने से छूट सा गया है इसी लिये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रिवायत में तो इस पर बड़ी सख्ती के अलफ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये और एक रिवायत में अमल न करने वाले लोगों का कुछ उज़्र बयान कर दिया।

पहली रिवायत इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम की सनद से यह नक़ल की है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तीन आयतें ऐसी हैं जिन पर लोगों ने अमल को छोड़ ही दिया है। एक यही इजाज़त लेने वाली आयत:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 58) जिसमें अपने करीबी अफ़राद और नाबालिग़ बच्चों को भी इजाज़त लेने की तालीम है। दूसरी यह आयत:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ.

(यानी सूर: निसा की आयत 8) जिसमें मीरास की तक़सीम के वक़्त वारिसों को इसकी हिदायत की गयी है कि अगर विरासत का माल तक़सीम करने के वक़्त कुछ ऐसे रिश्तेदार भी मौजूद हों जिनका मीरास के क़ानून से कोई हिस्सा नहीं है तो उनको भी कुछ दे दिया करो, कि उनका दिल न टूटे। और तीसरी यह आयत है:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

(यानी सूर: हुजुरात की आयत 13) जिसमें बतलाया है कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व सम्मान वाला वह आदमी है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। और आजकल लोग सम्मानित व इज़्ज़तदार उसको समझते हैं जिसके पास पैसा बहुत हो, जिसका मकान कोठी बंगला शानदार हो। कुछ रिवायतों के अलफ़ाज़ इसमें यह भी हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तीन आयतों के मामले में लोगों पर शैतान ग़ालिब आ गया है और फिर फ़रमाया कि मैंने तो अपनी बाँदी को भी इसका पाबन्द कर रखा है कि इन तीन वक़्तों में बग़ैर इजाज़त मेरे पास न आया करें।

दूसरी रिवायत इब्ने अबी हातिम ही के हवाले से हज़रत इक्रिमा से यह मन्कूल है कि दो शख्सों ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से करीबी और रिश्तेदारों के इस इजाज़त लेने के मुताल्लिक सवाल किया कि इस पर लोग अमल नहीं करते तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया:

إِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ يَحِبُّ السِّرَّ.

यानी अल्लाह बहुत सतर रखने वाला है और सतर की हिफ़ाज़त को पसन्द फ़रमाता है। बात यह है कि इन आयतों के उतरने के वक़्त रहन-सहन बहुत सादा था, न लोगों के दरवाज़ों पर पर्दे थे न घर के अन्दर पर्दे वाली मसेहरियाँ थीं, उस वक़्त कभी ऐसा होता था कि आदमी का नौकर या बेटा-बेटी अचानक आ जाते और यह आदमी अपनी बीवी के साथ मशगूल होता, इसलिये अल्लाह जल्ल शानुहु ने इन आयतों में तीन वक़्तों में इजाज़त लेने की पाबन्दी लगा दी थी। और अब चूँकि दरवाज़ों पर पर्दे और घर में पर्देदार मसेहरियाँ होने लगीं इसलिये लोगों ने यूँ समझ लिया कि

बस यह पर्दा काफी है, अब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं (इब्ने कसीर ने यह रिवायत नक़ल करके फ़रमाया है कि हज़रत इब्ने अब्बास तक इस रिवायत की सनद सही है)।

बहरहाल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस दूसरी रिवायत से इतनी बात निकलती है कि जब इस तरह के वाकिआत का अन्देशा न हो कि आदमी बीवी के साथ मशगूल या बदन के छुपाये जाने वाले हिस्से खोले हुए हो और किसी के आने का गुमान व संभावना हो ऐसे हालात में कुछ नर्मी है, लेकिन कुरआन ने पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने की तालीम दी है कि कोई किसी की आज़ादी में खलल डालने वाला न हो, सब आराम व राहत से रहें, जो लोग इस तरह के इजाज़त लेने का घर वालों को पाबन्द नहीं बनाते वे खुद तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, अपनी ज़रूरत व इच्छा का काम करने में तंगी बरतते हैं।

औरतों के पर्दे के अहकाम ताकीद और उसमें से एक और छूट का मौका

इससे पहले औरतों के हिजाब और पर्दे के अहकाम दो आयतों में तफ़सील के साथ आ चुके हैं और उनमें दो मौकों को अलग भी ज़िक्र किया गया, एक रिवायत और छूट का मौका नाज़िर यानी देखने वाले के एतिबार से, दूसरा छूट का मौका मन्ज़ूर यानी जिसको देखा जाये उसके एतिबार से। नाज़िर के एतिबार से तो मेहरमों को और अपनी मिल्क वाली बाँदियों नाबालिग बच्चों को हुक्म से अलग रखा गया था और मन्ज़ूर यानी जिस चीज़ को नज़रों से छुपाना मक़सद है उसके एतिबार से 'ज़ाहिरी जीनत' को अलग किया गया जिसमें ऊपर के कपड़े बुर्का या बड़ी चादर सब के नज़दीक मुराद हैं, और कुछ के नज़दीक औरत का चेहरा और हथेलियाँ भी इस छूट में दाख़िल हैं।

यहाँ अगली आयत में एक तीसरा छूट का मौका औरत के ज़ाती हाल के एतिबार से यह दिया गया कि जो औरत बड़ी-बूढ़ी ऐसी हो जाये कि न उसकी तरफ़ किसी को रुचि हो और न वह निकाह के काबिल हो तो उसके लिये पर्दे के अहकाम में यह सहूलत दे दी गयी है कि अजनबी लोग भी उसके हक़ में मेहरमों की तरह हो जाते हैं। बदन के जिन अंगों का छुपाना अपने मेहरमों से ज़रूरी नहीं है उस बूढ़ी औरत के लिये ग़ैर-मर्दों ग़ैर-मेहरमों से भी उनका छुपाना ज़रूरी नहीं। इसलिये फ़रमाया:

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي.....الآية.

जिसकी मुख़्तसर तफ़सीर ऊपर गुज़र चुकी है, मगर ऐसी बड़ी-बूढ़ी औरत के लिये भी एक क़ैद तो यह है कि बदन के जो हिस्से मेहरम के सामने खोले जायें यह औरत ग़ैर-मेहरम के सामने भी खोल सकती है बशर्ते कि बन-संवर कर सिंगार करके न बैठे। दूसरी बात आख़िर में यह फ़रमाई:

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

यानी अगर वे ग़ैर-मेहरमों के सामने आने से बिल्कुल ही बचें तो यह उनके लिये बेहतर है।

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(अगर तुम किसी अंधे लंगड़े बीमार ग़रीब को अपने किसी रिश्तेदार या मुलाकाती के घर लेजाकर कुछ खिला पिला दो, या खुद खा-पी लो तो जब यह यकीनी तौर पर मालूम हो कि वह रिश्तेदार मुलाकाती हमारे खाने और खिलाने पर राज़ी होगा उसको कोई तकलीफ़ न होगी तो इन सूक्तों में) न तो अंधे आदमी के लिये कुछ हर्ज है और न लंगड़े आदमी के लिये कुछ हर्ज है और न बीमार आदमी के लिये कुछ हर्ज है और न खुद तुम्हारे लिये इस बात में (कुछ हर्ज है) कि तुम (चाहे खुद या तुम मय इन माज़ूर लोगों के सब) अपने घरों से (जिनमें बीवी और औलाद के घर भी आ गये) खाना खा लो, या (उन घरों में जिनका ज़िक्र आगे आता है खा लो, यानी न तुमको खुद खाने में गुनाह है और न इन माज़ूरों को खिलाने में। इसी तरह तुम्हारे खिला देने से उन माज़ूरों को भी खा लेने में कोई गुनाह नहीं, और वो घर ये हैं- मसलन) अपने बाप के घर से (खा लो खिला दो) या अपनी माँओं के घर से या अपने भाईयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुन्जियाँ तुम्हारे इख्तियार में हैं या अपने दोस्तों के घरों से, (फिर इसमें भी) कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग। फिर (यह भी जान लो) जब तुम अपने घरों में जाने लगे तो अपने लोगों को (यानी वहाँ जो मुसलमान हों उनको) सलाम कर लिया करो, (जो कि) दुआ के तौर पर (है, और) जो खुदा की तरफ़ से मुकरर है, और (इस पर सवाब मिलने की वजह से) बरकत वाली (और मुखातब का दिल खुश करने के सबब) उम्दा चीज़ है। इसी तरह अल्लाह तआला तुम से (अपने) अहकाम बयान फ़रमाता है ताकि तुम समझो (और अमल करो)।

मआरिफ़ व मसाईल

घरों में दाख़िल होने के बाद के कुछ अहकाम और

ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब

पिछली आयतों में किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेने का हुक्म आया है। इस आयत में वो अहकाम व आदाब बयान हुए हैं जो इजाज़त मिलने पर घर में जाने के बाद मुस्तहब या वाजिब हैं। इस आयत का मफ़हूम और इसमें ज़िक्र हुए अहकाम को समझने के लिये पहले उन हालात को मालूम कर लेना मुनासिब है जिनमें यह आयत नाज़िल हुई है।

क़ुरआने करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आ़म तालीमात में बन्दों के हुक्क की हिफ़ाज़त व रियायत के लिये जितनी ताकीदें आई हैं उनसे कोई मुसलमान बेख़बर नहीं। किसी दूसरे के माल में बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई तसरुफ़ (इख्तियार चलाने और अमल-दख़ल)

करने पर सख्त बर्दाह (सज़ा की धमकियाँ) आई हैं। दूसरी तरफ़ अल्लाह तआला ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत के लिये ऐसे खुशनसीब लोगों को चुन लिया था कि वे अल्लाह व रसूल के फ़रमान पर हर वक़्त कान लगाये रहते और हर हुक्म की तामील में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करते थे। कुरआनी तालीमात पर अमल और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कीमियाई सोहबत से अल्लाह तआला ने एक ऐसी जमाअत तैयार कर दी थी कि फ़रिश्ते भी उन पर फ़ख़र करते हैं। दूसरों के माल में उनकी मर्ज़ी व इजाज़त के बग़ैर मामूली किस्म का भी तसरूफ़ ग़वारा न होना, किसी को ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचाने से परहेज़ करना और इसमें तक़वे के आला मेयार पर कायम होना सभी सहाबा का गुण और खूबी थी। इसी सिलसिले के चन्द वाकिआत नबी पाक के ज़माने में पेश आये जिनकी वजह से इस आयत के अहकाम नाज़िल हुए। हज़राते मुफ़स्सरीन ने ये सब वाकिआत लिखे हैं। किसी ने उनमें से किसी को शाने नुज़ूल (आयत के उतरने का सबब व मौक़ा) क़रार दिया किसी ने किसी दूसरे वाकिए को, मगर सही बात यह है कि इन अक़वाल में कोई टकराव नहीं, वाकिआत का यह मजमूआ ही इस आयत का शाने नुज़ूल है। वाकिआत ये हैं।

1. इमाम बग़वी रह. ने तफ़सीर के इमामों हज़रत सईद बिन जुबैर और ज़ह्हाक रह. से नक़ल किया है कि दुनिया के उर्फ़ आम और अक्सर लोगों की तबीयतों का हाल यह है कि लंगड़े लूले अंधे और बीमार आदमी के साथ बैठकर खाने से घिन करते हैं और नापसन्द करते हैं। हज़राते सहाबा में से जो ऐसे माज़ूर थे उनको यह ख़्याल हुआ कि हम किसी के साथ खाने में शरीक होंगे तो शायद उसको तकलीफ़ हो इसलिये ये लोग तन्दुरुस्त आदमियों के साथ खाने में शिर्कत से गुरेज़ करने लगे। साथ ही नाबीना (अंधे) आदमी को यह भी फ़िक्र हुई कि जब चन्द आदमी खाने में शरीक हों तो इन्साफ़ व मुरब्वत का तकाज़ा यह है कि कोई शरीक दूसरे से ज़्यादा न ख़ाये सब को बराबर हिस्सा मिले, और मैं नाबीना होने की वजह से इसका अन्दाज़ा नहीं कर सकता, मुम्किन है कि मैं दूसरों से ज़्यादा खा लूँ इसमें दूसरों की हक़-तल्फ़ी होगी। लंगड़े आदमी ने ख़्याल किया कि आम तन्दुरुस्त लोगों की तरह बैठ नहीं सकता, दो आदमी की जगह लेता हूँ, खाने पर दूसरों के साथ बैठूँगा तो मुम्किन है उनको तंगी और तकलीफ़ पेश आये, उनकी इस हद से ज़्यादा एहतियात में ज़ाहिर है कि खुद उनको तंगी और तकलीफ़ पेश आती थी, इसलिये यह आयत नाज़िल हुई जिसमें उनको दूसरों के साथ मिलकर खाने की इजाज़त और ऐसी बारीक एहतियात को छोड़ने की तालीम फ़रमाई जिससे तंगी में पड़ जायें। और इमाम बग़वी ने इब्ने जरीर की रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरा वाकिआ नक़ल किया है जो उक्त वाकिए का दूसरा रुख़ है, वह यह कि कुरआने करीम की जब यह आयत नाज़िल हुई:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

(सूर: ब-क़रह की आयत 188) यानी न खाओ एक दूसरे का माल नाहक तौर पर। तो लोगों को अंधे, लंगड़े, बीमार लोगों के साथ मिलकर खाने में यह दुविधा पेश आने लगी कि बीमार तो आदतन

कम खाता है, नाबीना को खाने की चीजों में यह अन्दाज़ा नहीं होता कि कौनसी चीज़ उम्दा है, लंगड़े को अपनी बैठक हमवार न होने के सबब खाने में तकल्लुफ़ होता है तो मुम्किन है कि ये लोग कम खायें और हमारे पास ज़्यादा आ जाये, तो इनकी हक़-तल्फ़ी हुई, क्योंकि संयुक्त और साझा खाने में सब का हिस्सा बराबर होना चाहिये। इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें इस गहराई में जाने और तकल्लुफ़ में पड़ने से उनको आज़ाद कर दिया गया कि सब मिलकर खाओ मामूली कमी बेशी की फ़िक्र न करो। और सर्ईद बिन मुसैयब रस्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि मुसलमान जब किसी जिहाद व ग़ज़वे के लिये जाते तो अपने घरों की कुन्जियाँ इन माज़ूर लोगों के सुपुर्द कर देते थे और यह कह देते थे कि घर में जो कुछ है वह तुम लोग खा-पी सकते हो। मगर ये लोग इस एहतियात की बिना पर उनके घरों में से कुछ न खाते कि शायद उनकी मन्शा के खिलाफ़ खर्च हो जाये। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

मुस्नद बज़्ज़ार में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सही सनद के साथ भी यही मज़मून नक़ल किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी ग़ज़वा (इस्लामी जंग) में तशरीफ़ ले जाते तो आम सहाबा किराम की दिली इच्छा यह होती थी कि सब आपकी साथ में शरीके जिहाद हों और अपने मकानों की कुन्जियाँ उन ग़रीब माज़ूर लोगों के सुपुर्द कर देते थे और उनको इजाज़त देते थे कि हमारे पीछे आप हमारे घरों में जो कुछ है खा-पी सकते हो, मगर ये लोग अपनी हद से बढ़ी हुई परहेज़गारी के सबब इस डर से कि शायद उनकी यह इजाज़त दिली रज़ामन्दी से न हो इससे परहेज़ करते थे। इमाम बग़वी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह भी नक़ल किया है कि उक्त आयत में जो लफ़ज़ 'सदीकिकुम' का आया है, यानी अपने दोस्त के घर से भी खाने-पीने में कोई हर्ज नहीं। यह हारिस बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़िए में नाज़िल हुआ कि वह किसी जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ चले गये और अपने दोस्त मालिक बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर और घर वालों की निगरानी सुपुर्द कर दी, जब हज़रत हारिस वापस आये तो देखा कि मालिक बिन ज़ैद बहुत ज़ईफ़ कमज़ोर हो रहे हैं, वजह मालूम करने पर उन्होंने कहा कि मैंने आपके घर से कुछ खाना आपके पीछे मुनासिब नहीं समझा (यह सब रिवायतें तफ़सीरे मज़हरी में हैं) और साफ़ बात यही है कि इस किस्म के तमाम वाक़िआत इस आयत के नाज़िल होने का सबब हुए हैं।

मसला: जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि जिन घरों में से बग़ैर खास इजाज़त के खाने पीने की इजाज़त इस आयत में दी गयी है उसकी बुनियाद इस पर है कि अरब की आम आदत के मुताबिक़ ऐसे करीबी रिश्तेदारों में कोई तकल्लुफ़ बिल्कुल न था, एक दूसरे के घर से कुछ खाते पीते तो घर वाले को किसी किस्म की तकलीफ़ या नागवारी न होती थी बल्कि वह इससे खुश होता था। इसी तरह इससे भी कि वह अपने साथ किसी माज़ूर बीमार मिस्कीन को भी खिला दे। इन सब चीज़ों की अगरचे स्पष्ट रूप से इजाज़त न दी हो मगर आदतन इजाज़त थी, जायज़ होने के इस कारण से साबित हुआ कि जिस ज़माने या जिस मक़ाम (जगह, मुल्क और इलाक़े) में ऐसा रिवाज़ न हो और

मालिक की इजाज़त में शक हो वहाँ मालिक की बग़ैर स्पष्ट इजाज़त के खाना पीना हराम है, जैसा कि आजकल आम तौर पर न यह आदत रही न कोई इसको गवारा करता है कि कोई अजीज़ करीब उनके घर में से जो चाहे खाये पिये या दूसरों को खिलाये पिलाये। इसलिये आजकल आम तौर पर इस इजाज़त पर अमल करना जायज़ नहीं, सिवाय इसके कि किसी दोस्त अजीज़ के बारे में किसी को यकीनी तौर पर साबित हो जाये कि वह उसके खाने पीने या दूसरों को खिलाने पिलाने से कोई तकलीफ़ या नागवारी महसूस न करेगा बल्कि खुश होगा, तो खास उसके घर से खाने पीने में इस आयत के तकाज़े पर अमल जायज़ है।

मसला: ऊपर जिक्र हुए बयान से यह भी साबित हो गया कि यह कहना सही नहीं कि यह हुक्म इस्लाम के शुरू के ज़माने में था फिर मन्सूख (ख़त्म और निरस्त) हो गया, बल्कि हुक्म शुरू से आज तक जारी है, अलबत्ता इसकी शर्त मालिक की इजाज़त का यकीन है, जब यह न हो तो आयत के तकाज़े में वह दाख़िल ही नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसला: इसी तरह इससे यह भी साबित हो गया कि यह हुक्म सिर्फ़ उन खास रिश्तेदारों ही में सीमित नहीं बल्कि दूसरे शख्स के बारे में अगर यह यकीन हो कि उसकी तरफ़ से हमारे खाने पीने और खिलाने पिलाने की इजाज़त है, वह इससे खुश होगा, उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचेगी तो उसका भी यही हुक्म है। (तफ़सीरे मज़हरी)

ऊपर बयान हुए अहकाम का ताल्लुक उन कामों से है जो किसी के घर में इजाज़त के साथ दाख़िल होने के बाद जायज़ या मुस्तहब हैं। उन कामों में बड़ा मसला खाने पीने का था उसको पहले जिक्र फ़रमा दिया।

दूसरा मसला घर में दाख़िल होने के आदाब का यह है कि जब घर में इजाज़त से दाख़िल हो तो घर में जो मुसलमान हों उनको सलाम करो। आयत 'अला अन्फुसिकुम' से यही मुराद है, क्योंकि मुसलमान सब एक संयुक्त जमाअत हैं। बहुत सी सही हदीसों में मुसलमानों को आपस में एक दूसरे को सलाम करने की बड़ी ताकीद और फ़ज़ीलत आई है।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

इन्नमल्-मुअ्मिन्नू-नल्लजी-न आमनू
 बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू
 म-अहू अला अमिन् जाभिअिल् लम्
 यज़हबू हत्ता यस्तअ्जिन्नूहु,
 इन्नल्लजी-न यस्तअ्जिन्नू-क
 उलाइ-कल्लजी-न युअ्मिन्नू-न बिल्लाहि
 व रसूलिही फ़-इजस्तअ्-ज़नू-क
 लिबअ्जि शअ्निहिम् फ़अ्जल्-
 लिमन् शिअ्-त मिन्हुम् वस्तग़्फिर्
 लहुमुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूर-
 रहीम (62) ला तज्जलू दुआअर्सूलि
 बैनकुम् क-दुआ-इ बअ्जिकुम्
 बअ्जन्, कद् यअ्जलमुल्लाहुल्लजी-न
 य-तसल्ललू-न मिन्कुम् लिवाज़न्
 फ़त्यह्जरिल्लजी-न युख़ालिफ़ू-न अन्
 अमिही अन् तुसी-बहुम् फ़ित्तनुन्
 औ युसी-बहुम् अज़ाबुन् अलीम (63)
 अला इन्-न लिल्लाहि मा
 फ़िस्समावाति वल्अर्जि, कद् यअ्जलमु
 मा अन्तुम् अलैहि, व यौ-म युर्जअू-न
 इलैहि फ़युनब्बिउहुम् बिमा अमिलू,
 वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम (64) ❀

ईमान वाले वे हैं जो यकीन लाये हैं
 अल्लाह पर और उसके रसूल पर और
 जब होते हैं उसके साथ किसी जमा होने
 के काम में तो चले नहीं जाते जब तक
 उससे इजाज़त न ले लें। जो लोग तुझसे
 इजाज़त लेते हैं वही हैं जो मानते हैं
 अल्लाह को और उसके रसूल को, फिर
 जब इजाज़त माँगें तुझसे अपने किसी काम
 के लिये तो इजाज़त दे जिसको उनमें से
 तू चाहे और माफी माँग उनके वास्ते
 अल्लाह से, अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान
 है। (62) मत कर लो बुलाना रसूल का
 अपने अन्दर बराबर उसके जो बुलाता है
 तुम में एक दूसरे को, अल्लाह जानता है
 उन लोगों को तुम में से जो सिटक जाते
 हैं आँख बचाकर सो डरते रहें वे लोग जो
 ख़िलाफ़ करते हैं उसके हुक्म का इससे
 कि आ पड़े उन पर कुछ ख़राबी या पहुँचे
 उनको दर्दनाक अज़ाब। (63) सुनते हो!
 अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों
 और ज़मीन में, उसको मालूम है जिस हाल
 पर तुम हो और जिस दिन फेरे जायेंगे
 उसकी तरफ़ तो बतायेगा उनको जो कुछ
 उन्होंने किया, और अल्लाह हर एक चीज़
 को जानता है। (64) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बस मुसलमान तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, और जब रसूल

के पास किसी ऐसे काम पर जमा होते हैं जिसके लिये लोगों को जमा किया गया है (और इतिफाकन वहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ती है) तो जब तक आप से इजाज़त न ले लें (और आप उस पर इजाज़त न दे दें मज्लिस से उठकर) नहीं जाते। (ऐ पैग़म्बर!) जो लोग आप से (ऐसे मौकों पर) इजाज़त लेते हैं बस वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। (आगे ऐसे लोगों को इजाज़त देने का बयान है) तो जब ये (ईमान वाले) लोग (ऐसे मौकों पर) अपने किसी (ज़रूरी) काम के लिये आप से (जाने की) इजाज़त तलब करें तो उनमें से जिसके लिये (मुनासिब समझें और इजाज़त देना) चाहें इजाज़त दे दिया करें (और जिसको मुनासिब न समझें इजाज़त न दें क्योंकि यह हो सकता है कि इजाज़त तलब करने वाले उस काम को ज़रूरी समझते हों जिसके लिये इजाज़त तलब कर रहे हैं और वह वास्तव में ज़रूरी न हो, या ज़रूरी भी हो मगर उसके जाने से उससे बड़ा कोई नुक़सान पैदा होने का ख़तरा हो, इसलिए इजाज़त देने या न देने का फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मर्ज़ी और सही समझने पर छोड़ दिया गया) और (इजाज़त देकर भी) आप उनके लिये अल्लाह तआला से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए (क्योंकि उनका यह इजाज़त चाहना अगरचे सख़्त उज़्र और मजबूरी ही की वजह से हो मगर उसमें दुनिया को दीन पर आगे रखने की सूरत तो लाज़िम आती है जिसमें एक कोताही का शुक़्ा नज़र आता है, इसके लिये आपकी दुआ-ए-मग़फ़िरत दरकार है। दूसरे यह भी मुम्किन है कि इजाज़त चाहने वाले ने जिस मजबूरी व ज़रूरत को सख़्त और अत्यन्त ज़रूरी समझकर इजाज़त ली है उसमें उससे वैचारिक और फैसला लेने की ख़ता हो गई हो कि ग़ैर-ज़रूरी को ज़रूरी समझ लिया और यह विचार व समझ की ख़ता ऐसी हो कि ज़रा ध्यान देने और गौर करने से दूर हो सकती हो तो ऐसी सूरत में सोच-विचार की कमी भी एक कोताही है, उससे इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत हुई)। बेशक अल्लाह तआला बख़्शने वाला, मेहरबान है (चूँकि उनकी नीयत अच्छी थी इसलिए ऐसी बारीक और दूर की बातों पर पकड़ नहीं फ़रमाता)।

तुम लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बुलाने को (जब वह किसी इस्लामी ज़रूरत के लिये तुमको जमा करें) ऐसा (मामूली बुलाना) मत समझो जैसा तुम में एक-दूसरे को बुलाता है (कि चाहे आया या न आया, फिर आकर भी जब तक चाहा बैठा जब चाहा उठकर बिना इजाज़त के चल दिया। रसूल का बुलाना ऐसा नहीं बल्कि उनके उस हुक्म की तामील वाजिब है और बिना इजाज़त वापस जाना हराम, और अगर कोई बिना इजाज़त चला गया तो यह तो मुम्किन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उसका जाना छुपा रह जाये लेकिन यह याद रखो कि) अल्लाह तआला उन लोगों को (ख़ूब) जानता है जो (दूसरे की) आड़ में होकर तुम में से (मज्लिसे नबवी से) खिसक जाते हैं। सो जो लोग अल्लाह के हुक्म की (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के माध्यम से पहुँचा है) मुख़ालफ़त करते हैं उनको इससे डरना चाहिए कि उन पर (दुनिया में) कोई आफ़त आन पड़े, या उन पर (आख़िरत में) कोई दर्दनाक अज़ाब नाज़िल हो जाये (और यह भी मुम्किन है कि दुनिया व आख़िरत दोनों में अज़ाब हो। और यह भी) याद रखो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में (मौजूद) है सब खुदा ही का है। अल्लाह तआला उस हालत को भी जानता है जिस पर तुम (अब) हो, और उस दिन को भी जिसमें सब उसके पास (दोबारा जिन्दा करके) लाये जाएँगे। तो वह उनको

सब जतलायेगा जो कुछ उन्होंने किया था (और तुम्हारी मौजूदा हालत और कियामत के दिन ही की कुछ विशेषता नहीं) अल्लाह तआला (तो) सब कुछ जानता है।

मआरिफ़ व मसाईल

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस के खुसूसन और

आम रहन-सहन के कुछ आदाब व अहकाम

ऊपर जिक्र हुई आयतों में दो हुक्म दिये गये हैं- पहला यह कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों को किसी दीनी जिहाद वगैरह के लिये जमा करें तो ईमान का तकाज़ा यह है कि सब जमा हो जायें और फिर आपकी मज्लिस से बगैर आपकी इजाज़त के न जायें। कोई ज़रूरत पेश आये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इजाज़त हासिल कर लें और उसमें हुज़ूर पाक को यह हिदायत है कि कोई खास हर्ज और ज़रूरत न हो तो इजाज़त दे दिया करें। इसी के तहत में उन मुनाफ़िकों की निंदा है जो इस ईमानी तकाज़े के खिलाफ़ बदनामी से बचने के लिये हाज़िर तो हो जाते हैं मगर फिर किसी की आड़ लेकर चुपके से खिसक जाते हैं।

यह आयत अहज़ाब की लड़ाई के मौके पर नाज़िल हुई है जबकि अरब के मुशिरक लोगों और दूसरी जमाअतों के संयुक्त मोर्चे ने एक ही बार में मदीने पर हमला किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा के मशिवरे से उनके हमले से बचाव के लिये खन्दक खोदी थी, इसी लिये इस जिहाद को ग़ज़वा-ए-खन्दक भी कहा जाता है। यह ग़ज़वा शव्वाल सन् 5 हिजरी में हुआ है।

(तफ़सीरे कुर्तुबी)

इमाम बैहकी और इब्ने इस्हाक की रिवायत में है कि उस वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बज़ाते खुद और तमाम सहाबा खन्दक (खाई) खोदने के काम में लगे हुए थे मगर मुनाफ़िक लोग अब्वल तो आने में सुस्ती करते और फिर आकर भी मामूली सा काम दिखाने को कर लेते और फिर चुपके से ग़ायब हो जाते थे। इसके विपरीत मोमिन हज़रात सब के सब मेहनत के साथ लगे रहते और कोई मजबूरी और ज़रूरत पेश आती तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इजाज़त लेकर जाते थे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे मज़हरी)

एक सवाल और उसका जवाब

इस आयत से यह मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस से बगैर आपकी इजाज़त के चला जाना हराम है, हालाँकि सहाबा-ए-किराम के बेशुमार वाकिआत हैं जिनमें वे आपकी मज्लिस में होते और फिर जब चाहते चले जाते थे, इजाज़त लेना ज़रूरी न समझते थे। जवाब यह है कि यह आम मज्लिसों का हुक्म नहीं बल्कि उस वक़्त का है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको किसी ज़रूरत से जमा किया हो जैसा कि खन्दक के वाकिए में हुआ था। इस विशेषता की तरफ़ खुद आयत के लफ़ज़ 'अला अम्रिन् जामिअिन्' में इशारा मौजूद है।

‘अम्रिन् जामिअिन्’ से क्या मुराद है?

इसमें अक़वाल भिन्न और अनेक हैं (कि जमा होने के काम का क्या मतलब है) मगर स्पष्ट बात यह है कि ‘अम्रिन् जामिअिन्’ से मुराद वह काम है जिसके लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों को जमा करना ज़रूरी समझें, और किसी खास काम के लिये जमा फ़रमायें जैसे गज़वा-ए-अहज़ाब में खन्दक (खाई) खोदने का काम था। (तफ़सीरे कुर्तुबी, मज़हरी)

यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस के साथ खास है या आम

तमाम फ़ुकहा (कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) के नज़दीक सर्वसम्मति से चूँकि यह हुक्म एक दीनी और इस्लामी ज़रूरत के लिये जारी किया गया है और ऐसी ज़रूरतें हर ज़माने में हो सकती हैं इसलिये हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस के साथ खास नहीं बल्कि मुसलमानों के हर इमाम व अमीर जिसके कब्ज़े में हुक्मत की बाग-डोर हो उसका और उसकी ऐसी मज्लिस का भी यही हुक्म है कि वह सब को जमा होने का हुक्म दे तो उसकी तामील बाजिब और वापस जाना बग़ैर इजाज़त के नाजायज़ है। (तफ़सीरे कुर्तुबी, तफ़सीरे मज़हरी, बयानुल-कुरआन)

और यह जाहिर है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस के लिये यह हुक्म ज़्यादा ताक़ीद के साथ और इसकी मुख़ालफ़त खुली बदबख़्ती है जैसे मुत्ताफ़िकों से सादिर हुई। और इस्लामी तर्ज़े जिन्दगी के लिहाज़ से यह हुक्म आपसी इज्तिमाआत और आम मज्लिसों के लिये भी कम से कम मुस्तहब और पसन्दीदा ज़रूर है कि जब मुसलमान किसी मज्लिस में किसी सामूहिक मामले में ग़ौर करने या अमल करने के लिये जमा हुए हों तो जब जाना हो मज्लिस के अध्यक्ष से इजाज़त लेकर जायें।

दूसरा हुक्म आख़िरी आयत में यह दिया गया है:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ الآية

इसकी एक तफ़सीर तो वह है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान की गयी है कि ‘दुआअरसूलि’ से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का लोगों को बुलाना है इस तफ़सीर के अनुसार आयत के मायने यह हैं कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब लोगों को बुलायें तो उसको आम लोगों के बुलाने की तरह न समझो कि उसमें आने न आने का इख़्तियार रहता है बल्कि उस वक़्त आना फ़र्ज़ हो जाता है और बग़ैर इजाज़त जाना हराम हो जाता है। आयत के आगे-पीछे के मज़मून से यह तफ़सीर ज़्यादा मुनासबत रखती है, इसी लिये तफ़सीरे मज़हरी और तफ़सीर बयानुल-कुरआन में इसको इख़्तियार किया है। और इसकी एक दूसरी तफ़सीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इमाम इब्ने कसीर और इमाम कुर्तुबी बग़ैरह ने यह नक़ल की है कि ‘दुआअरसूलि’ (रसूल के बुलाने) से मुराद लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी काम के लिये पुकारना और बुलाना है।

इस तफ़सीर की बिना पर आयत के मायने यह होंगे कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी ज़रूरत से बुलाओ या मुख़ातब करो तो आम लोगों की तरह आपका नाम लेकर या मुहम्मद न कहो कि बेअदबी है बल्कि सम्मानित अलकाब के साथ 'या रसूलल्लाह' 'या नबिय्यल्लाह' वगैरह कहा करो। इसका हासिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम व सम्मान का मुसलमानों पर वाजिब होना और हर ऐसी चीज़ से बचना है जो अदब के खिलाफ़ हो, या जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। यह हुक्म ऐसा होगा जैसे सूर: हुजुरात में इसी तरह के कई हुक्म दिये गये हैं मसलन:

لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. (سورة الحجرات: २)

यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात करो तो अदब की रियायत रखो, ज़रूरत से ज़्यादा ऊँची आवाज़ से बातें न करो, जैसे लोग आपस में किया करते हैं। और मसलन यह कि जब आप घर में तशरीफ़ रखते हों तो बाहर से आवाज़ देकर न बुलाओ बल्कि आपके बाहर तशरीफ़ लाने का इन्तिज़ार करो:


إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ.

(सूर: हुजुरात आयत 4) में इसी का बयान है।

तंबीह

इस दूसरी तफ़सीर में एक आम अदब बुजुर्गों और बड़ों का भी मालूम हुआ कि अपने बुजुर्गों बड़ों को उनका नाम लेकर पुकारना और बुलाना बेअदबी है, अदब व इज़्ज़त के लक़ब (उपनाम या मदनाम) से मुख़ातब करना चाहिये।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: नूर की तफ़सीर मुकम्मल हुई।



सूरः फुरकान

सूरः फुरकान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 77 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ (77) آیاتھا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۝ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَهٗ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَّخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا ۝
وَإِن تَخْذُوا مِنْ دُوْنِہِ الْاِلهَۃُ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّهَمُّ یُخْلَقُوْنَ وَلَا یَمْلِكُوْنَ لٰنَفْسِہِمۡ ضَرًّا
وَّلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَیوَةً وَلَا نَشُوْرًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तबा-रकल्लज़ी नज़ज़लल्-फुरका-न
अ ला अब्दिही लि-यकू-न
लिल्आलमी-न नज़ीरा (1) अल्लज़ी
लहू मुल्कुस्समावाति वल्लअर्ज़ि व लम्
यत्तख़िज़् व-लदंव्-व लम् यकुल्लहू
शरीकुन् फिल्-मुल्कि व ख़-ल-क
कुल्-ल शैइन् फ-कद-रहू तक्दीरा
(2) वत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही
आलि-हतल्-ला यख़्लुकू-न शैअंव् व
हुम् युख़्लकू-न व ला यम्लिकू-न
लिअन्फुसिहिम् ज़र्रंव्-व ला नफ़अंव्-
व ला यम्लिकू-न भौतंव्-व ला
हयातंव्-व ला नुशूरा (3)

बड़ी बरकत है उसकी जिसने उतारी
फैसले की किताब अपने बन्दे पर ताकि
रहे जहान वालों के लिये डराने वाला।
(1) वह कि जिसकी है सल्तनत आसमान
और ज़मीन में और नहीं पकड़ा उसने बेटा
और नहीं कोई उसका साज़ी सल्तनत में
और बनाई हर चीज़ फिर ठीक किया
उसको मापकर। (2) और लोगों ने पकड़
रखे हैं उससे वरे कितने हाकिम जो नहीं
बनाते कुछ चीज़ और वे खुद बनाये गये
हैं, और नहीं मालिक अपने हक में बुरे
के और न भले के और नहीं मालिक
मरने के और न जीने के और न जी
उठने के। (3)

खुलासा-ए-तफसीर

बड़ी आलीशान जात है जिसने यह फैसले की किताब (यानी कुरआन) अपने खास बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर नाज़िल फ़रमाई ताकि वह तमाम दुनिया जहान वालों के लिये (ईमान न लाने की सूरत में अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला हो। ऐसी जात जिसके लिये आसमानों और ज़मीन की हुकूमत हासिल है, और उसने किसी को (अपनी) औलाद करार नहीं दिया, और न कोई हुकूमत में उसका साज़ी है, और उसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर सब का अलग-अलग अन्दाज़ रखा (कि किसी चीज़ की विशेषता और असरात कुछ हैं किसी के कुछ हैं)। और इन मुश्रिकों ने खुदा को छोड़कर और ऐसे माबूद करार दिये हैं जो (किसी तरह माबूद होने के काबिल नहीं क्योंकि वे) किसी चीज़ के पैदा करने वाले नहीं, और बल्कि वे खुद मख़्लूक "थानी पैदा किए हुए" हैं, और खुद अपने लिये न किसी नुक़सान (के दूर करने) का इख़्तियार रखते हैं और न किसी नफ़े (के हासिल करने) का, और न किसी के मरने का इख़्तियार रखते हैं (कि किसी जानदार की जान निकाल सकें) और न किसी के जीने का (इख़्तियार रखते हैं कि किसी बेजान में जान डाल दें) और न किसी को (कियामत में) दोबारा जिन्दा करने का (इख़्तियार रखते हैं। और जो शख्स इन चीज़ों पर कुदरत नहीं रखता वह माबूद नहीं हो सकता)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत की विशेषतायें

यह पूरी सूरत मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक मक्की है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम क़तादा रह. ने तीन आयतों के बारे में बयान फ़रमाया कि ये मक्की नहीं, मदनी हैं, बाकी सूरत मक्की है। और कुछ हज़रत ने यह भी कहा है कि यह सूरत मदनी है और इसमें कुछ आयतें मक्की हैं। (तफ़सीरे कुर्तुबी) और खुलासा इस सूरत के मज़ामीन का कुरआने करीम की बड़ाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की सच्चाई और हक़ होना बयान और दुश्मनों की तरफ़ से इस पर जो एत़िराज़ थे उनका जवाब है।

तबार-क बरक़त से निकला है। बरक़त के मायने ख़ैर की अधिकता के हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि आयत के मायने यह हैं कि हर ख़ैर व बरक़त अल्लाह तआला की तरफ़ से है। फ़ुरक़ान, कुरआने करीम का लक़ब है, इसके लुग़वी मायने तमीज़ और फ़र्क़ करने के हैं। कुरआन चूँकि अपने अपने स्पष्ट इरशादात के ज़रिये हक़ व बातिल में तमीज़ और फ़र्क़ बतलाता है और मौजिज़े (खुदाई चमत्कार) के ज़रिये हक़ व बातिल वालों में तमीज़ व फ़र्क़ कर देता है इसलिये इसको फ़ुरक़ान कहा जाता है।

लिल्आलमीन। इससे साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत सारे आलम के लिये है, जबकि पिछले नबियों की नुबुव्वत व रिसालत किसी खास जमाअत

या विशेष मक़ाम के लिये होती थी। सही मुस्लिम की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो अपने छह खुसूसी फ़ज़ाईल (विशेषताओं) का ज़िक्र फ़रमाया है उनमें से एक यह भी है कि आपकी नुबुव्वत सारे जहान के लिये आ़म है।

मख़्लूक़ात में से हर एक चीज़ में ख़ास-ख़ास हिक्मतें

फ़क़द-रहू तक़दीरा। तख़लीक़ (पैदा करने) के बाद तक़दीर का ज़िक्र फ़रमाया गया। तख़लीक़ के मायने तो इतने हैं कि बग़ैर किसी पूर्व माद्रे वग़ैरह के एक चीज़ को अ़दम (नापैदी) से वजूद में लाया जाये, वह कैसी भी हो, और तक़दीर का मतलब यह है कि जिस चीज़ को भी पैदा फ़रमाया उसके हिस्सों (अंगों) की बनावट और शक़ल व सूरत और असरात व ख़ासियतें बड़ी हिक्मत के साथ उस काम के मुनासिब पैदा किये जिस काम के लिये उस चीज़ को पैदा किया गया है। आसमान की बनावट, उसके अन्दर शामिल तत्वों, उसकी शक़ल व सूरत उस काम के मुनासिब है जिसके लिये अल्लाह तआ़ला ने आसमान बनाया है। सय्यारों (ग्रहों) और सितारों के बनाने में वे चीज़ें रखी गयीं जो उनके वजूद में लाने के मक़सद के मुनासिब हैं। ज़मीन और उसके अन्दर पैदा होने वाली हर चीज़ जिस पर नज़र डालो हर एक की बनावट, शक़ल व सूरत, नर्मी व सख़्ती उस काम के मुनासिब बनाई गयी है जिस काम के लिये कुदरत ने उसको पैदा किया है। ज़मीन को न इतना पतला माद़ा पानी की तरह बनाया कि जो कुछ इस पर रखा जाये वह इसके अन्दर डूब जाये, न इतना सख़्त पत्थर और लोहे की तरह बनाया कि इसको खोद न सकें, क्योंकि इससे यही ज़रूरतें संबन्धित थीं कि इसको खोदकर पानी भी निकाला जा सके, इसमें बुनियादे खोदकर बड़ी ऊँची इमारतें इस पर खड़ी की जा सकें। पानी को बहने वाला बनाया जिसमें हज़ारों हिक्मतें हैं। हवा भी बहने और चलने वाली ही है मगर पानी से अलग अन्दाज़ से, पानी हर जगह खुद-ब-खुद नहीं पहुँचता उसमें इनसान को कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, हवा को कुदरत ने अपना ज़बरी (लाज़िमी और मजबूर करने वाला) इनाम बनाया कि वह बग़ैर किसी मेहनत व अ़मल के हर जगह पहुँच जाती है बल्कि कोई शख़्स हवा से बचना चाहे तो उसको इसके लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह मक़ाम अल्लाह की मख़्लूक़ात की हिक्मतों की तफ़सील बयान करने का नहीं। एक-एक मख़्लूक़ को देखो उनमें से हर एक कुदरत व हिक्मत का मुकम्मल नमूना है। इमाम ग़ज़ाली रह. ने अपनी एक मुस्तक़िल किताब इस विषय पर लिखी है जिसका नाम 'अल्हिक्मतु फ़ी मख़्लूक़िल्लाहि तआ़ला' है।

इन आयतों में शुरू ही से कुरआन की अज़मत (बड़ाई) और जिस बुलन्द-मर्तबे वाली जात पर वह नाज़िल हुआ है उसको 'अपने बन्दे' का ख़िताब देकर उसकी इज़ज़त व सम्मान का अज़ीब व ग़रीब बयान है। क्योंकि किसी मख़्लूक़ के लिये इससे बड़ा कोई शर्फ़ (गौरव व सम्मान) नहीं हो सकता कि ख़ालिक़ (उसका बनाने वाला) उसको यह कह दे कि यह मेरा है (यही बात फ़ारसी के इस शेर में कही गयी है)।

बन्दा हसन बसद् जुबाँ गुफ़्त कि बन्दा-ए-तू अम् तू बजुबाने खुद बगो बन्दा-नवाज़ कीस्ती

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ هَذَا إِلَّا

إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۖ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأُولِينَ اكْتَتَبَهَا فِيهَا تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ فَقَدْ لَبِئْسَ الْمُرْسَلُ ۗ وَإِن يَأْتِيهِمْ آيَةٌ فَسَوْفَ يُنكِرُنَّهَا سِوَى اللَّهِ وَنَحْنُ عَنْهَا نَذِيرُونَ ۗ وَإِن يَأْتِيهِمْ آيَةٌ فَسَوْفَ يُنكِرُنَّهَا سِوَى اللَّهِ وَنَحْنُ عَنْهَا نَذِيرُونَ ۗ وَإِن يَأْتِيهِمْ آيَةٌ فَسَوْفَ يُنكِرُنَّهَا سِوَى اللَّهِ وَنَحْنُ عَنْهَا نَذِيرُونَ ۗ

أُنظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۗ

व कालल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा
इल्ला इफकु-निफतराहु व अ-आनहू
अलैहि कौमुन् आ-खरू-न फ-कद्
जाऊ जुल्मव्-वज़ूरा (4) व कालू
असातीरुल् अव्वलीनक्त-त-बहा
फहि-य तुम्ला अलैहि बुकर-तव्-व
असीला (5) कुल् अन्ज़-लहुल्लज़ी
यअल्मुस्सिर-र फिस्समावाति
वल्अर्ज़ि, इन्नहू का-न ग़फूररहीमा
(6) व कालू मालि-हाज़रसूलि
यअकुलुत्तआ-म व यम्शी फिल्-
अस्वाकि, लौ ला उन्ज़ि-ल इलैहि
म-लकुन् फ-यकू-न म-अहू नज़ीरा
(7) औ युल्फा इलैहि कन्ज़ुन् औ
तकूनु लहू जन्नतुंय-यअकुलु मिन्हा,
व कालज़ालिमु-न इन् तत्तबिअू-न

और कहने लगे जो मुन्किर हैं- और कुछ नहीं है मगर तूफ़ान बाँध लाया है और साथ दिया है उसका उसमें और लोगों ने, सो आ गये बेइन्साफी और झूठ पर। (4) और कहने लगे ये नकलें हैं पहलों की जिनको उसने लिख रखा है, सो वही लिखवाई जाती हैं उसके पास सुबह और शाम। (5) तो कह इसको उतारा है उसने जो जानता है छुपे हुए भेद आसमानों में और ज़मीन में, बेशक वह बख़्शने वाला मेहरबान है। (6) और कहने लगे- यह कैसा रसूल है खाता है खाना और फिरता है बाज़ारों में, क्यों न उतरा इसकी तरफ़ कोई फ़रिश्ता कि रहता इसके साथ डराने को। (7) या आ पड़ता इसके पास खज़ाना या हो जाता इसके लिये एक बाग़ कि खाया करता उसमें से। और कहने लगे बेइन्साफ़- तुम पैरवी करते हो उस एक

इल्ला रजुलम्-मस्हूरा (8) उन्जुर कै-फ़
ज़-रबू ल-कल्-अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू
फ़ला यस्ततीज़ू-न सबीला (9) ❀

मर्द जादू-मारे की। (8) देख कैसी बिठलाते
हैं तुझ पर मिसालें सो बहक गये अब पा
नहीं सकते रास्ता। (9) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और काफ़िर लोग (क़ुरआन के बारे में) यूँ कहते हैं कि यह (क़ुरआन) तो कुछ भी नहीं निरा झूठ (ही झूठ) है, जिसको एक शख्स (यानी पैग़म्बर) ने गढ़ लिया है, और दूसरे लोगों ने उस (गढ़ने) में उसकी मदद की है (इससे मुराद वे अहले किताब हैं जो मुसलमान हो गये थे या आपकी खिदमत में वैसे ही हाज़िर हुआ करते थे) सो (ऐसी बात कहने से) ये लोग बड़े जुल्म और झूठ के दोषी हुए (इसका जुल्म और झूठ होना आगे बयान में आयेगा)। और ये (काफ़िर) लोग (अपने इसी एतिराज़ की ताईद में) यूँ कहते हैं कि यह (क़ुरआन) बे-सनद बातें हैं जो अंगलों से नक़ल होती चली आती हैं, जिनको उस शख्स (यानी पैग़म्बर) ने (उम्दा इब़ारत में सोच-सोचकर अपने सहाबा के हाथ से) लिखवा लिया है (ताकि महफ़ूज़ रहे) फिर वही (मज़ामीन) उसको सुबह व शाम पढ़कर सुनाये जाते हैं (ताकि याद रहें, फिर वही याद किये हुए मज़ामीन मजमे में बयान करके खुदा की तरफ़ मन्सूब कर दिये जाते हैं) आप (इसके जवाब में) कह दीजिए कि इस (क़ुरआन) को तो उस (पाक) जात ने उतारा है जिसको सब छुपी बातों की, चाहे वो आसमान में हों या ज़मीन में, ख़बर है। (खुलासा जवाब का यह है कि इस कलाम का बेमिसाल होना इसकी खुली दलील है कि काफ़िरों का यह एतिराज़ ग़लत और झूठ और जुल्म है क्योंकि अगर क़ुरआन पुराने लोगों की कहानियाँ होता या किसी दूसरे की मदद से तैयार किया गया होता तो सारी दुनिया इसकी मिसाल लाने से अज़िज़ क्यों होती) याक़ई अल्लाह तआला मग़फ़िरत करने वाला, रहमत करने वाला है (इसलिए ऐसे-ऐसे झूठ और जुल्म पर फ़ौरन सज़ा नहीं देता)।

और ये काफ़िर लोग (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में) यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हुआ कि वह (हमारी तरह) खाना (भी) खाता है और (जीविका के इन्तिज़ाम के लिये हमारी ही तरह) बाज़ारों में चलता-फिरता है (मतलब यह है कि रसूल पैग़म्बर इनसान के बजाय फ़रिश्ता होना चाहिए जो खाने-पीने वगैरह की ज़रूरतों से बेपरवाह हो और कम से कम इतना तो ज़रूर ही होना चाहिए कि रसूल अगर खुद फ़रिश्ता नहीं है तो उसका साथी व सलाहकार कोई फ़रिश्ता होना चाहिए इसलिए कहा कि) इस (रसूल) के पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वह इसके साथ रहकर (लोगों को अल्लाह के अज़ाब से) डराता। (और अगर यह भी न होता तो कम से कम रसूल को अपने खाने-पीने की ज़रूरतों से तो बेफ़िक़्री होती, इस तरह) कि इसके पास (ग़ैब से) कोई खज़ाना आ पड़ता या इसके पास कोई (ग़ैबी) बाग़ होता जिससे यह खाया (पिया) करता। और (मुसलमानों से) ये ज़ालिम यूँ (भी) कहते हैं कि (जब उनके पास न कोई फ़रिश्ता है न खज़ाना न बाग़, और फिर भी यह नुबुव्वत का दावा करते हैं तो मालम होता है कि उनकी ग़लत में क्या है)

इसलिये) तुम लोग एक बेअकल आदमी की राह पर चल रहे हो। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) देखिए तो ये लोग आपके लिये कैसी अजीब-अजीब बातें बयान कर रहे हैं, सो (इन खुराफात से) वे (बिल्कुल) गुमराह हो गये, फिर वे राह नहीं पा सकते।

मआरिफ़ व मसाईल

काफ़िर व मुश्रिक लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और कुरआन पर एतिराज़ात किया करते थे, यहाँ से उनके एतिराज़ों और फिर जवाबों का सिलसिला शुरू होकर कुछ दूर तक चला है।

पहला एतिराज़ यह था कि कुरआन कोई अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल किया हुआ कलाम नहीं बल्कि आपने इसको खुद ही झूठ गढ़ लिया है, या पिछले लोगों के किस्से यहूदी व ईसाई वगैरह लोगों से सुनकर अपने सहाबा से लिखवा लेते हैं, और चूँकि खुद उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) हैं, न लिखना जानते हैं न पढ़ना इसलिये उन लिखे हुए किस्सों को सुबह शाम सुनते रहते हैं ताकि वो याद हो जायें फिर लोगों के सामने जाकर यह कह दें कि यह अल्लाह का कलाम है।

इस एतिराज़ का जवाब कुरआने करीम ने यह दिया:

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

इस जवाब का हासिल यह है कि यह कलाम खुद इसका सुबूत व गवाह है कि इसकी नाज़िल करने वाली वह पाक ज़ात हक़ तआला की है जो आसमानों और ज़मीन के सब खुफ़िया राज़ों से वाकिफ़ व बाख़बर है। इसी लिये कुरआन को एक बेमिसाल और दूसरों को आजिज़ कर देने वाला कलाम बनाया और सारी दुनिया को चुनौती दी कि अगर इसको तुम खुदा का कलाम नहीं मानते किसी इनसान का कलाम समझते हो तो तुम भी इनसान हो इस जैसा कलाम ज़्यादा नहीं तो एक सूरात बल्कि एक आयत ही बनाकर दिखला दो। और यह चुनौती जिसका जवाब देना अरब के साहित्य व भाषा के माहिर लोगों के लिये कुछ भी मुश्किल नहीं मगर वे इस चुनौती से भागते नज़र आये, किसी को इतनी जुरत नहीं हुई कि कुरआन की एक आयत के मुकाबले में उस जैसी दूसरी आयत लिख लाये। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त में अपना माल व असबाब बल्कि अपनी औलाद और अपनी जान तक खर्च करने को तैयार हो गये। यह मुख़तसर सी बात न कर सके कि कुरआन के जैसी एक सूरात लिख लाते, स्पष्ट तौर पर यह इस बात की दलील है कि यह कलाम किसी इनसान का नहीं, वरना दूसरे इनसान भी ऐसा कलाम लिख सकते, सिर्फ़ अल्लाह तआला अलीम व ख़बीर ही का है। साहित्य व भाषा के आला मेयार का होने के अलावा इसके तमाम मायने व मज़ामीन भी ऐसे उलूम पर आधारित हैं जो उस ज़ात की तरफ़ से हो सकते हैं जो ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला है (इस मज़मून की पूरी तफ़सील सूर: ब-करह में कुरआन के बेजोड़ और दूसरों का आजिज़ कर देने वाला होने की मुकम्मल बहस की सूरात में बयान हो चुकी है उसको 'मआरिफ़ुल-कुरआन' पहली जिल्द में देख सकते हैं)।

दूसरा एतिराज़ यह था कि अगर यह रसूल होते तो आम इनसानों की तरह खाते-पीते नहीं

बल्कि फ़रिश्तों की तरह खाने-पीने की ज़रूरतों से बेपरवाह और अलग होते। और अगर यह भी न होता तो कम से कम इनके पास अल्लाह की तरफ़ से इतना खज़ाना या बागात होते कि इनको अपने रोज़गार और गुज़ारे की फ़िक्र न करनी पड़ती। बाज़ारों में चलना-फिरना न पड़ता। इसके अलावा इनका अल्लाह की तरफ़ से रसूल होना हम कैसे मान लें कि अब्बल तो यह फ़रिश्ते नहीं, दूसरे कोई फ़रिश्ता भी इनके साथ नहीं रहता जो इनके साथ इनके कलाम की तस्दीक़ किया करता, इसलिये ऐसा मालूम होता है कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है जिससे इनका दिमाग़ चल गया और यह ऐसी बेसर पैर की बातें कहते हैं। इसका संक्षिप्त जवाब तो इस आयत में यह दिया गया:

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

यानी देखो तो ये लोग आपकी शान में कैसी-कैसी अजीब-अजीब बातें करते हैं जिसका नतीजा यह है कि ये सब गुमराह हो गये और अब इनको राह मिलने की कोई सूरत न रही। तफ़सीली जवाब अगली आयतों में आया है।

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَدَّتِ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا
لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ سَبَعُوا لَهَا تَعْفُظًا وَ
زَفِيرًا ۝ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا
وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝ قُلْ أَدْرِكُ خَيْرًا مِنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيرًا ۝ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝ وَ
يَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ۙ أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ
هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
بِمَا تَقُولُونَ ۚ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُدَاقَهُ عَدَابًا كَبِيرًا ۝
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَسْهُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ ۚ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

तबा-रकल्लजी इन् शा-अ ज-अ-ल
ल-क खैरम्-मिन् जालि-क जन्नातिन्
तजरी मिन् तस्तिहल्-अन्हारु व

बड़ी बरकत है उसकी जो चाहे तो कर दे
तेरे वास्ते उससे बेहतर बाग़ कि नीचे
बहती हैं उनके नहरों और

यज्जल् ल-क कुसूरा (10) बल्
 कज्जबू बिस्सा-अति व अज्जतदना
 लिमन् कज्ज-ब बिस्सा-अति सजीरा
 (11) इजा र-अल्हुम् मिम्-मकानिम्-
 बजीदिन् समिज्जू लहा त-गय्युज्व-व
 जफीरा (12) व इजा उल्कू मिन्हा
 मानन् जयिकम्-मुकरनी-न दऔ
 हुनालि-क सुबूरा (13) ला तदुल्-
 यौ-म सुबूरव्-वाहिदव्-वदुज्जू सुबूरन्
 कसीरा (14) कुल् अ-जालि-क खैरुन्
 अम् जन्नतुल्-खुल्दिल्लती वुज्जिदल्
 मुत्तकू-न, कानत् लहुम् जजाअव्-व
 मसीरा (15) लहुम् फीहा मा
 यशाऊ-न खालिदी-न, का-न अला
 रब्बि-क वज्जदम् मस्कला (16) व
 यौ-म यश्शुरुहुम् व मा यज्जबुदू-न
 मिन् दूनिल्लाहि फ-यकूलु अ-अन्तुम्
 अज्जल्लुम् जिबादी हाउला-इ अम्
 हुम् जल्लुस्सबील (17) कालू
 सुब्हान-क मा का-न यम्बगी लना
 अन्-नत्तखि-ज मिन् दूनि-क मिन्
 औलिया-अ व लाकिम्-मत्तज्ज-तहुम्
 व आबा-अहुम् हत्ता नसुज्जिक्-र व
 कानू कौमम्-बूरा (18) फ-कद्
 कज्जबूकुम् बिमा तकूलू-न फमा

वास्ते महल। (10) कुछ नहीं वे झुठलाते
 हैं कियामत को और हमने तैयार की है
 उसके वास्ते आग जो कि झुठलाता है
 कियामत को। (11) जब वह देखेगी
 उनको दूर की जगह से सुनेंगे उसका
 झुंझलाना और चिल्लाना। (12) और जब
 डाले जायेंगे उसके अन्दर एक तंग जगह
 में एक जंजीर में कई-कई बंधे हुए पुकारेंगे
 उस जगह मौत को। (13) मत पुकारो
 आज एक मरने को और पुकारो बहुत से
 मरने को। (14) तू कह भला यह चीज
 बेहतर है या बाग़ हमेशा रहने का जिस
 का वायदा हो चुका परहेजगारों से, वह
 होगा उनका बदला और फिर जाने की
 जगह। (15) उनके वास्ते वहाँ है जो वे
 चाहें, रहा करें हमेशा, हो चुका तेरे रब
 के जिम्मे वायदा माँगा मिलता। (16) और
 जिस दिन जमा करके बुलायेगा उनको
 और जिनको वे पूजते हैं अल्लाह के
 सिवाय, फिर उनसे कहेगा क्या तुमने
 बहकाया मेरे उन बन्दों को या वे खुद
 बहके राह से? (17) बोलेंगे तू पाक है,
 हमसे बन न आता था कि पकड़ लें किसी
 को तेरे बग़ैर साथी लेकिन तू उनको
 फ़ायदा पहुँचाता रहा और उनके बाप-दादों
 को यहाँ तक कि भुला बैठे तेरी याद और
 ये तबाह होने वाले लोग थे। (18) सो वे
 तो झुठला चुके तुमको तुम्हारी बात में

तस्ततीअू-न सरफंव-व ला नसरन् व
 मय्यज़लिम् मिन्कुम् नुज़िक्हु अज़ाबन्
 कबीरा (19) व मा अरसल्ला कब्ल-क
 मिनल्-मुरसली-न इल्ला इन्नहुम्
 ल-यअकुलूनत्तआ-म व यमशू-न
 फिल्-अस्वाकि, व जअल्ना
 बअ-ज़कुम् लि-बअज़िन फिल्तन्
 अ-तस्बिरु-न व का-न रब्बु-क
 बसीरा (20) ❀

अब न तुम लौटा सकते हो और न मदद
 कर सकते हो, और जो कोई तुम में
 गुनाहगार है उसको हम चखायेंगे बड़ा
 अज़ाब। (19) और जितने भेजे हमने
 तुझसे पहले रसूल सब खाते थे खाना
 और फिरते थे बाजारों में, और हमने
 रखा है तुम में एक दूसरे के जाँचने को,
 देखें साबित भी रहते हो, और तेरा रब
 सब कुछ देखता है। (20) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

वह ज़ात बड़ी बुलन्द शान वाली है कि अगर वह चाहे तो आपको (काफ़िरों की) इस (फ़रमाईश) से (भी) अच्छी चीज़ दे दे, यानी बहुत-से (गैबी) बाग़ात जिनके नीचे से नहरें बहती हों (बेहतर इसलिए कहा कि वे तो सिर्फ़ बाग़ की फ़रमाईश करते थे चाहे एक ही हो और अनेक बाग़ों का एक से बेहतर होना ज़ाहिर है) और (बल्कि उन बाग़ों के साथ और भी मुनासिब चीज़ें दे दे जिनकी उन्होंने फ़रमाईश भी नहीं की, यानी) आपको बहुत-से महल दे दे (जो उन बाग़ों में बने हों, या बाहर ही हों जिससे उनकी फ़रमाईश और भी ज़्यादा नेमतों के साथ पूरी हो जाये। मतलब यह कि जो जन्नत में मिलेगा अगर अल्लाह चाहे तो आपको दुनिया ही में दे दे लेकिन कुछ हिक्मतों से नहीं चाह, और अपने आप में यह ज़रूरी था भी नहीं पस यह एतिराज़ व शुब्हा बिल्कुल बेहूदा है। उन काफ़िरों के इन ज़िक्क हुए शुब्हों का सबब यह नहीं है कि इनको हक़ की तलब और फ़िक्र हुई है और इस दौरान में तहकीक़ से पहले ऐसे शुब्हात पैदा हो गये हों, बल्कि एतिराज़ों की वजह महज़ शरारत और हक़ की तलब से बेफ़िक्री है, और इस बेफ़िक्री और शरारत का सबब यह है कि) ये लोग क़ियामत को झूठ समझ रहे हैं (इसलिए अन्जाम की फ़िक्र नहीं है और जो जी में आता है कर लेते हैं, बक देते हैं) और (अन्जाम इसका यह होगा कि) हमने ऐसे शख्स (की सज़ा) के लिये जो कि क़ियामत को झूठ समझे, दोज़ख़ तैयार कर रखी है (क्योंकि क़ियामत के झुठलाने से अल्लाह व रसूल का झुठलाना लाज़िम आता है जो असलं सबब है दोज़ख़ में जाने का। और उस दोज़ख़ की यह कैफ़ियत होगी कि) वह (दोज़ख़) उनको दूर से देखेगी तो (देखते ही गुस्से में होकर इस कद्र जोश मारेगी कि) वे लोग (दूर ही से) उसका जोश व ख़रोश सुनेंगे। और (फिर) जब वे उस (दोज़ख़) की किसी तंग जगह में हाथ-पाँव जकड़कर डाल दिये जाएँगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे (जैसा कि मुसीबत में आदत है कि मौत को बुलाते और उसकी तमन्ना करते हैं, उस वक़्त उनसे कहा जायेगा कि) एक मौत को न

पुकारो बल्कि बहुत-सी मौतों को पुकारो (क्योंकि मौत के पुकारने की वजह मुसीबत है और तुम्हारी मुसीबत कभी खत्म न होने वाली है, और हर मुसीबत का तकाज़ा मौत को पुकारना है तो पुकारना भी ज्यादा हुआ और इसी की अधिकता को मौत की अधिकता कहा गया)।

आप (उनको यह मुसीबत सुनाकर) कहिए कि (यह बतलाओ कि) क्या यह (मुसीबत की हालत) अच्छी है (जो कि तुम्हारे कुफ़्र व इनकार की वजह से होगी) या वह हमेशा रहने की जन्नत (अच्छी है) जिसका खुदा से डरने वालों से (यानी ईमान वालों से) वायदा किया गया है, कि वह उनके लिये (उनकी फरमाँबरदारी का) सिला है, और उनका (आखिरी) ठिकाना। (और) उनको वहाँ वे सब चीज़ें मिलेंगी जो कुछ वे चाहेंगे (और) वे (उसमें) हमेशा रहेंगे।

(ऐ पैग़म्बर!) यह एक वायदा है जो (फज़ल व इनायत के तौर पर) आपके रब के जिम्मे है और माँगने के काबिल दरख्वास्त है। (और ज़ाहिर है कि हमेशा की जन्नत ही बेहतर है सो इसमें डरावे के बाद ईमान की तरफ़ शौक व दिलचस्पी हो गई)। और (वह दिन इनको याद दिलाइये कि) जिस दिन अल्लाह उन (काफ़िर) लोगों को और जिनको वे लोग खुदा के सिवा पूजते थे (जिन्होंने अपने इख़्तियार से किसी को गुमराह नहीं किया चाहे सिर्फ़ बुत मुराद हों या फ़रिश्ते वगैरह भी) उन (सब) को जमा करेगा, फिर (उन माबूदों से उन इबादत करने वालों की रुस्वाई के लिये) फ़रमायेगा- क्या तुमने मेरे इन बन्दों को (हक़ रास्ते से) गुमराह किया था या ये (खुद ही हक़) राह से गुमराह हो गये थे (मतलब यह कि इन्होंने तुम्हारी इबादत जो वास्तव में गुमराही है तुम्हारे हुक्म व रज़ामन्दी से की थी जैसा कि इन लोगों का गुमान था कि ये माबूद हमारी इस इबादत से खुश होते हैं और खुश होकर अल्लाह तआला से हमारी सिफ़ारिश करेंगे, या अपनी ग़लत राय से खुद इन्होंने यह बात गढ़ ली थी)? वे (माबूद) अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह की पनाह! हमारी क्या मजाल थी कि हम आपके सिवा और कारसाज़ों को (अपने एतिकाद में) तजवीज़ करें, (चाहे वह कारसाज़ हम हों या हमारे सिवा और कोई हो। मतलब यह कि जब खुदाई को आप में सीमित समझते हैं तो हम शिर्क करने का उनको हुक्म या उसपर रज़ामन्दी क्यों ज़ाहिर करते) व लेकिन (ये खुद ही गुमराह हुए और गुमराह भी ऐसे नामाकूल तौर पर हुए कि शुक्र के असबाब को इन्होंने कुफ़्र के असबाब बनाया। चुनाँचे) आपने (तो) इनको और इनके बड़ों को (ख़ूब) ऐश व आराम दिया (जिसका तकाज़ा यह था कि नेमत देने वाले को पहचानते और उसका शुक्र व इताअत करते, मगर ये लोग) यहाँ तक (इच्छाओं और मजे उड़ाने में मशगूल हुए) कि (आपकी) याद (ही) को भुला बैठे, और ये लोग खुद ही बरबाद हुए (मतलब जवाब का ज़ाहिर है कि दोनों पहलुओं में से इस पहलू को इख़्तियार किया कि ये खुद ही गुमराह हुए हमने नहीं किया। और इनकी गुमराही को अल्लाह की बड़ी नेमतें उन पर मुतवज्जह होने का ज़िक्र करके और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। उस वक़्त अल्लाह तआला उन इबादत करने वालों को लाजवाब करने के लिये जो उक्त सवाल से असल मक़सद था यह फ़रमायेगा) तो तुम्हारे इन माबूदों ने तो तुमको तुम्हारी (सब) बातों में झूठा (ही) ठहरा दिया (और इन्होंने भी तुम्हारा साथ न दिया और जुर्म पूरे तौर पर कायम हो गया) सो (अब) तुम न तो खुद (अज़ाब को अपने ऊपर से) टाल सकते हो और न (किसी दूसरे की तरफ़ से) मदद दिये जा सकते हो (यहाँ तक कि जिन पर पूरा भरोसा था वे भी साफ़ जवाब दे रहे हैं और तुम्हारी खुली मुखालफ़त कर रहे हैं) और जो (जो) तुम में ज़ालिम (यानी मुशिरक)

गा हम उसको बड़ा अज़ाब चंखाएँगे (और अगरचे उस वक़्त मुखातब सब मुशिरक ही होंगे मगर इस ह फ़रमाने की यह वजह है कि जुल्म का तकाज़ा अज़ाब होना बयान फ़रमाना उद्देश्य है)।

और हमने आप से पहले जितने पैग़म्बर भेजे सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी त्ते-फिरते थे (मतलब यह कि नुबुव्वत और खाना खाने वगैरह में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, चुनाँचे जिनकी नुबुव्वत दलीलों से साबित है अगरचे एतिराज़ करने वाले न मानें, उन सबसे इस काम का करना साबित है, पस आप पर भी यह एतिराज़ ग़लत है)। और (ऐ पैग़म्बर और ऐ पैग़म्बर के ताबेदारो! इन काफ़िरों की ऐसी बेहूदा बातों से ग़मगीन मत हो, क्योंकि) हमने तुम (तमाम ही मुकल्लफ़ लोगों) में एक को दूसरे के लिये आज़माईश बनाया है (पस इसी निरन्तर चले आ रहे उसूल के मुवाफ़िक़ नबियों को ऐसी हालत पर बनाया कि उम्मत की आज़माईश हो कि कौन उनके इनसानी हालात पर नज़र करके उनको झुठलाता है और कौन उनके नुबुव्वत के कमालात पर नज़र करके उनकी तस्दीक़ करता है, सो जब यह बात मालूम हो गई तो) क्या तुम (अब भी) सब्र करोगे? (यानी सब्र करना चाहिए) और (यह बात यकीनी है कि) आपका रब ख़ूब देख रहा है (तो वायदा किये गये वक़्त पर उनको सज़ा देगा, फिर आप क्यों परेशानी व ग़म में पड़ें)।

मआरिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुशिरकों की तरफ़ से हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत पर जो शुक्हात (सदेह व एतिराज़ात) पेश किये गये थे और वहाँ उनका मुख़ासर तौर पर जवाब दिया गया था, इन आयतों में उसकी कुछ तफ़सील बयान हुई है। जिसका हासिल यह है कि तुमने अपनी जहालत और हकीक़त पहचानने से दूर होने की वजह से एक बात यह कही है कि अगर यह अल्लाह के रसूल होते तो इनके पास बहुत दौलत के ख़ज़ाने होते, बहुत बड़ी जायदाद और बागात होते ताकि यह रोज़ी कमाने से बेफ़िक़र रहते। इसका जवाब यह दिया गया कि ऐसा कर देना हमारे लिये कुछ मुशिकल नहीं कि अपने रसूल को दौलत के ख़ज़ाने दे दें, बल्कि बड़ी से बड़ी हुकूमत व सत्तनत का मालिक बना दें जैसा कि इससे पहले हज़रत दाऊद और सुलैमान अलैहिमस्सलाम को ऐसी दौलत और पूरी दुनिया पर बेमिसाल हुकूमत अता फ़रमाकर अपनी इस कामिल कुदरत का इज़हार भी किया जा चुका है; मगर आम मख़्लूक की मस्तेहत और बेशुमार हिक्मतों का तकाज़ा यह है कि अम्बिया की जमाअत को मादी और दुनियावी माल व दौलत से अलग ही रखा जाये। खुसूसन तमाम नबियों के सरदार के लिये हक़ तआला को यही पसन्द हुआ कि वह आम ग़रीब मुसलमानों की सफ़ों में और उन्हीं जैसे हालात में रहें, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने लिये इसी हालात को पसन्द फ़रमाया जैसा कि मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी में हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरे रब ने मुझसे फ़रमाया कि मैं आपके लिये पूरे मक्का की वादी और उसके पहाड़ों को सोना बना देता हूँ, तो मैंने अर्ज़ किया नहीं, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे तो यह पसन्द है कि मुझे एक रोज़ पेट भराई खाना मिले (जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ) और एक रोज़ भूखा रहूँ (उस पर

सब करूँ) और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ फिरा करते। (तफ़सीरे मज़हरी)

इसका खुलासा यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का आम तौर पर ग़रीबी व तंगदस्ती में रहना अल्लाह तआला की हज़ारों हिक्मतों और आम इनसानों की मस्तेहतों की बिना पर है और इसमें भी वे उस हालत पर मजबूर नहीं होते, अगर वे चाहें तो अल्लाह तआला उनको बड़ा मालदार जायदाद वाला बना सकते हैं, मगर उनकी ज़ात को हक़ तआला ने ऐसा बनाया है कि वे माल व दौलत से कोई दिलचस्पी ही नहीं रखते, ग़रीबी व तंगदस्ती ही को पसन्द करते हैं।

दूसरी बात काफ़िरों ने यह कही थी कि यह पैग़म्बर होते तो आम इनसानों की तरह न खाते-पीते और रोज़ी कमाने के लिये बाज़ारों में न फिरते। इस एतिराज़ की बुनियाद बहुत से काफ़िरों का यह ख़्याल है कि अल्लाह तआला का रसूल इनसान नहीं हो सकता, फ़रिश्ता ही रसूल हो सकता है जिसका जवाब कुरआने करीम में अनेक जगह आया है, और यहाँ इसका यह जवाब दिया गया कि जिन अम्बिया को तुम भी नबी व रसूल मानते हो वे भी तो इनसान ही थे, इनसानों की तरह खाते पीते बाज़ारों में फिरते थे, जिससे तुम्हें यह नतीजा निकाल लेना चाहिये था कि खाना-पीना और बाज़ार में फिरना नुबुव्वत व रिसालत के मुक़ाम व मर्तबे के खिलाफ़ नहीं। ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 20 में इसी मज़मून का बयान है।

मख़्लूक़ में आर्थिक समानता का न होना बड़ी हिक्मत पर आधारित है

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً

इसमें इशारा इस तरफ़ है कि हक़ तआला को क़ुदरत तो सब कुछ थी, वह सारे इनसानों को समान रूप से मालदार बना देते, सब को तन्दुरुस्त रखते, कोई बीमार न होता। सब को इज़्ज़त व रुतबे के आला मर्तबे पर कायम कर देते कोई अदना या कम-रुतबे वाला न रह जाता, मगर दुनिया के निज़ाम में इसकी वजह से बड़ी रुकावटें और दिक्कतें पैदा हो जातीं, इसलिये हक़ तआला ने किसी को मालदार बनाया, किसी को ग़रीब तंगदस्त। किसी को ताक़तवर किसी को कमज़ोर। किसी को तन्दुरुस्त किसी को बीमार। किसी को इज़्ज़त व मर्तबे वाला किसी को गुमनाम। इस विभिन्न प्रकार के वर्गों, किस्मों और हालात में होने से हर तब्क़े का इम्तिहान और आजमाईश है। मालदार के शुक्र का, ग़रीब के सब्र का इम्तिहान है। इसी तरह बीमार व तन्दुरुस्त का हाल है। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम यह है कि जब तुम्हारी नज़र किसी ऐसे शख़्स पर पड़े जो माल व दौलत में तुमसे ज़्यादा है या सेहत व ताक़त और इज़्ज़त व मर्तबे में तुमसे बड़ा है तो तुम फ़ौरन ऐसे लोगों पर नज़र करो जो इन चीज़ों में तुमसे कम हैसियत रखते हैं (ताकि तुम दूसरों से जलन के गुनाह से भी बच जाओ और अपनी मौजूदा हालत में अल्लाह तआला का शुक्र करने की तौफ़ीक़ हो)। (बुख़ारी व मुस्लिम, मज़हरी)

पारा (19) व कालल्लजी-न

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نُنزَلُ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا ۝

व कालल्लजी-न ला यरजू-न
लिका-अना लौ ला उन्जि-ल
अलैनल्-मलाइ-कतु औ नरा रब्बना,
ल-क़दिस्तक्बरू फी अन्फुसिहिम् व
अतौ अतुव्वन् कबीरा (21) यौ-म
यरौनल्-मलाइ-क-त ला बुशरा
यौ मइज़ि ल्-लिल्-मुज़िमी-न व
यकूलू-न हिज़्म्-महज़ूरा (22)

और बोले वे लोग जो उम्मीद नहीं रखते
कि हमसे मिलेंगे, क्यों न उतरे हम पर
फ़रिश्ते या हम देख लेते अपने रब को,
बहुत बड़ाई रखते हैं अपने जी में और सर
चढ़ रहे हैं बड़ी शरारत में। (21) जिस
दिन देखेंगे फ़रिश्तों को कुछ खुशख़बरी
नहीं उस दिन गुनाहगारों को और कहेंगे-
कहीं रोक दी जाये कोई आड़। (22)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग हमारे सामने पेश होने से अन्देशा नहीं करते (क्योंकि वे क़ियामत और उसकी पेशी और हिसाब के इनकारी हैं) वे (रिसालत के इनकार के लिये) यूँ कहते हैं कि हमारे पास फ़रिश्ते क्यों नहीं आते (कि अगर फ़रिश्ते आकर हमसे कहें कि यह रसूल हैं) या हम अपने रब को देख लें (और वह खुद हम से कह दे कि यह रसूल हैं तब हम तस्दीक करें। इसके जवाब में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि) ये लोग दिलों में अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं (कि अपने आपको इस काबिल समझते हैं कि फ़रिश्ते आकर इनसे खिताब करें या खुद हक़ तआला से हम-कलाम हों) और (विशेष तौर पर अल्लाह तआला के दुनिया में देखने और उससे गुफ़्तगू करने की फ़रमाईश में तो) ये लोग (इनसानियत की) हद से बहुत दूर निकल गये हैं (क्योंकि फ़रिश्तों और इनसान की तो कुछ चीज़ों में शिर्कत भी है कि दोनों अल्लाह की मख़्लूक हैं मगर अल्लाह तआला और इनसान में तो कोई बराबरी और समानता नहीं। और ये लोग खुदा को देखने के लायक़ तो क्या होते मगर फ़रिश्ते इनको एक रोज़ दिखलाई देंगे मगर जिस तरह ये चाहते हैं उस तरह नहीं बल्कि इनके अज़ाब व मुसीबत और परेशानी लेकर) चुनाँचे जिस दिन ये लोग फ़रिश्तों को देखेंगे (और वह दिन क़ियामत का है) उस दिन मुजरिमों (यानी काफ़िरों) के लिये कोई खुशी की बात (नसीब) न होगी, और (फ़रिश्तों को जब अज़ाब के सामान के साथ आता देखेंगे तो घबराकर) कहेंगे कि पनाह है, पनाह है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

लफ़्ज़ 'रजा' के आम मायने किसी महबूब व पसन्दीदा चीज़ की उम्मीद के आते हैं, और कभी यह लफ़्ज़ ख़ौफ़ व डर के मायने में भी इस्तेमाल होता है जैसा कि इब्नुल-अंबारी ने किताबुल-अज़दाद में लिखा है। इस जगह भी यही डर और ख़ौफ़ के मायने ज्यादा स्पष्ट हैं, यानी वे लोग जो हमारे सामने पेशी से नहीं डरते। इसमें इशारा इस बात की तरफ़ है कि बेकार के और जाहिलाना सवालात और फ़रमाइशों की जुरत उसी शख्स को हो सकती है जो आख़िरत का बिल्कुल मुन्किर हो। आख़िरत के कायल पर आख़िरत की फ़िक्र ऐसी ग़ालिब होती है कि उसको ऐसे सवाल व जवाब की फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। आजकल जो नई तालीम के असर से इस्लाम और उसके अहकाम के बारे में बहुत से लोग शुब्हात और बहस व मुबाहसे में मशगूल नज़र आते हैं यह भी इसकी निशानी होती है कि अल्लाह की पनाह दिल में आख़िरत का सच्चा यक़ीन नहीं है, अगर यह होता तो इस किस्म के फ़ुज़ूल सवालात दिल में पैदा ही न होते।

حَجْرًا مَّحْجُورًا

हिज़्र के लफ़्ज़ी मायने सुरक्षित जगह के हैं। और महजूरा इसकी ताकीद है। यह लफ़्ज़ अरब के मुहावरे में उस वक़्त बोला जाता था जब कोई मुसीबत सामने हो, उससे बचने के लिये लोगों से कहते थे कि पनाह है पनाह, यानी हमें इस मुसीबत से पनाह दो। क़ियामत के दिन भी जब काफ़िर लोग फ़रिश्तों को अज़ाब का सामान लाता हुआ देखेंगे तो दुनिया की आदत के मुताबिक़ यह लफ़्ज़ कहेंगे। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस लफ़्ज़ के यह मायने नक़ल किये गये हैं 'हरामम् मुहरमन्' और मुराद यह है कि क़ियामत के दिन जब ये लोग फ़रिश्तों को अज़ाब के साथ देखेंगे और उनसे माफ़ करने और जन्नत में जाने की दरख़्वास्त करेंगे या तमन्ना ज़ाहिर करेंगे तो फ़रिश्ते उनके जवाब में कहेंगे 'हिज़्रम् महजूरा' यानी जन्नत काफ़िरों पर हराम और ममनू है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ۝ اصْحَابُ

الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُرْتَلُّ الْمَلَكَةُ تَزْرِيلاً ۝ الْمَلِكُ يُومِئِدُهُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۝ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يُؤْيَلِكُنِي لَيْتَنِي لَمَّا تَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ۝ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۝ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ۝ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَلِيَّةٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكُنِيَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

व क़दिम्ना इला मा अमिलू मिन्
अ-मलिन् फ़-जअल्नाहु हबाअम्-
मन्सूरा (23) अस्हाबुल्-जन्नति

और हम पहुँचे उनके कामों पर जो उन्होंने
किये थे, फिर हमने कर डाला उसको
उड़ती हुई खाक। (23) जन्नत के लोगों

यौमइजिन् खौरुम्-मुस्त-कर्रं-व
 अहसनु मकीला (24) व यौ-म
 त-शक्ककुस्समा-उ बिल्-गुमामि व
 नुज्जिलल्-मलाइ-कतु तन्जीला (25)
 अल्मुल्कु यौमइजि-निल्हक्कु
 लिर्स्मानि, व का-न यौमन् अलल्-
 काफिरी-न असीरा (26) व यौ-म
 य-अज्जुज्जालिमु अला यदैहि यकूलु
 यालै-तनित्छाज्जु मअर्-रसूलि
 सबीला (27) या वैलता लै-तनी लम्
 अत्तख्रिज् फुलानन् खलीला (28)
 ल-कद् अजल्लनी अ निज्जिक्किर
 बअ-द इज् जा-अनी, व कानश्शैतानु
 लिल्इन्सानि खज्जूला (29) व
 कालर्सूलु या रब्बि इन्-न
 कौमित्त-खज्जू हाजल्-कुरआ-न
 महजूरा (30) व कज्जालि-क जअल्ना
 लिकुल्लि नबियिन् अदुव्वम् मिनल्-
 मुज्जिमी-न, व कफा बिरब्बि-क
 हादियं-व नसीरा (31)

का उस दिन खूब है ठिकाना, और खूब है
 जगह दोपहर के आराम की। (24) और
 जिस दिन फट जाये आसमान बादल से
 और उतारे जायें फरिश्ते तार लगाकर (25)
 बादशाही उस दिन सच्ची है रहमान की,
 और है वह दिन इनकार करने वालों पर
 मुश्किल। (26) और जिस दिन काट काट
 खायेगा गुनाहगार अपने हाथों को कहेगा
 ऐ काश कि मैंने पकड़ा होता रसूल के
 साथ रस्ता। (27) ऐ मेरी खराबी काश
 कि न पकड़ा होता मैंने फुलों को दोस्त।
 (28) उसने तो बहका दिया मुझको नसीहत
 से मुझ तक पहुँच चुकने के बाद, और
 शैतान है आदमी को वक्त पर दगा देने
 वाला। (29) और कहा रसूल ने ऐ मेरे
 रब! मेरी कौम ने ठहराया है इस कुरआन
 को झक-झक। (30) और इसी तरह रखे
 हैं हमने हर नबी के लिये दुश्मन गुनाहगारों
 में से, और काफी है तेरा रब राह
 दिखलाने को और मदद करने को। (31)

खुलासा-ए-तफसीर

और हम (उस दिन) उनके (यानी काफिरों के) उन (नेक) कामों की तरफ जो कि वे (दुनिया में)
 कर चुके थे मुतवज्जह होंगे, सो उनको (ऐलानिया तौर पर) ऐसा (बेकार) कर देंगे जैसे परेशान गुबार
 (कि किसी काम नहीं आता, इसी तरह काफिरों के आमाल पर कुछ सवाब न होगा, अलबत्ता) जन्नत
 वाले उस दिन ठिकाने में भी अच्छे रहेंगे और आराम करने की जगह में भी खूब अच्छे होंगे (आराम
 की जगह और ठिकाने से मुराद जन्नत है, यानी जन्नत उनके लिये ठहरने और आराम की जगह होगी)

और अच्छा होना उसका ज़ाहिर है)। और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट जायेगा और (उस बदली के साथ आसमान से) फरिश्ते (ज़मीन पर) बहुत ज़्यादा उतारे जाएँगे (और उसी वक्त हक़ तआला़ा हिसाब व किताब के लिये तजल्ली फरमायेंगे और) उस दिन असल हुक्ूमत (हज़रत) रहमान (ही) की होगी (यानी हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा में किसी को दख़ल न होगा जैसा कि दुनिया में ज़ाहिरी तसरूफ़ थोड़ा बहुत दूसरों के लिये भी हासिल है) और वह (दिन) काफ़िरों पर बड़ा सख़्त दिन होगा (क्योंकि उनके हिसाब का अन्जाम जहन्नम ही है)।

और जिस दिन ज़ालिम (यानी काफ़िर आदमी बहुत ज़्यादा हसरत से) अपने हाथ काट खायेगा (और) कहेगा क्या अच्छा होता कि मैं रसूल के साथ (दीन की) राह पर लग लेता। हाय मेरी शामत (कि ऐसा न किया, और) क्या अच्छा होता कि मैं फुल्लों शख़्स को दोस्त न बनाता, उस (कमबख़्त) ने मुझको नसीहत आने के बाद उससे बहका दिया (और हटा दिया); और शैतान तो इनसान को (ऐन वक्त पर) मदद करने से जवाब दे ही देता है (चुनाँचे उस काफ़िर की इस हसरत व अफ़सोस के वक्त उसने कोई हमदर्दी न की, अगरचे करने से भी कुछ न होता, सिर्फ़ दुनिया ही में बहकाने को था)। और (उस दिन) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक़ तआला़ा से काफ़िरों की शिकायत के तौर पर) कहेंगे कि ऐ मेरे रब! मेरी (इस) कौम ने इस कुरआन को (जिस पर कि अमल करना वाजिब था) बिल्कुल नज़र-अन्दाज़ कर रखा था (और तवज्जोह ही न करते थे अमल तो दूर की बात है। मतलब यह कि खुद काफ़िर लोग भी अपनी गुमराही का इकरार करेंगे और रसूल भी गवाही देंगे और अपराध के साबित होने की आदतन यही दो सूरतें हैं, इकरार और गवाही, और दोनों के इकट्ठा होने से यह सुबूत और भी मज़बूत हो जायेगा और सज़ा पाने वाले होंगे) और हम इसी तरह मुजरिम लोगों में से हर नबी के दुश्मन बनाते रहते हैं (यानी ये लोग जो कुरआन का इनकार करके आपकी मुख़ालफ़त कर रहे हैं कोई नई बात नहीं जिसका ग़म किया जाये) और (जिसको हिदायत देना मन्ज़ूर हो उसकी) हिदायत करने को और (जो हिदायत से मेहरूम है उसके मुक़ाबले में आपकी) मदद करने को आपका रब काफ़ी है।

मआरिफ़ व मसाईल

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

मुस्तक़र मुस्तक़िल के ठिकाने को कहा जाता है, और मक़ील कैलूला से निकला है, दोपहर को आराम करने की जगह को मक़ील कहते हैं। इस जगह मक़ील का ज़िक्र खुसूसियत से शायद इसलिये भी हुआ है कि एक हदीस में आया है कि क़ियामत के दिन हक़ तआला़ा दोपहर के वक्त सारी मख़्लूक़ात के हिसाब-किताब से फ़ारिग़ हो जायेंगे और दोपहर के सोने के वक्त जन्नत वाले जन्नत में पहुँच जायेंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

نَشْفُقُ السَّمَاءَ بِالْعَمَامِ.

मायने यह है कि आसमान शक़ होकर (फटकर) उसमें से एक पतला बादल उतरेगा जिसमें

फ़रिश्ते होंगे। यह बादल सायबान और छज्जे की शक्त में आसमान से आयेगा और इसमें हक तआला की तजल्ली होगी, और इसके चारों तरफ़ फ़रिश्ते होंगे। यह हिसाब शुरू होने का वक़्त होगा और उस वक़्त आसमान का फटना सिर्फ़ खुलने के तौर पर होगा, यह वह फटना नहीं होगा जो पहली मर्तबा सूर फूँके जाने के वक़्त आसमान ज़मीन को फना करने के लिये होगा, क्योंकि यह बादल का उतरना जिसका जिक्र आयत में है दूसरी बार के सूर फूँके जाने के बाद है जबकि सब ज़मीन व आसमान दोबारा दुरुस्त हो चुके होंगे। (तफ़्सीर बयानुल-कुरआन)

يَقُولُ يَلَيْتَنِي لِمَ اتَّخَذْتُ لَنَا خَلِيلًا

यह आयत एक खास वाकिए में नाज़िल हुई है मगर हुक्म आम है। वाकियाँ यह था कि उक्बा इब्ने अबी मुईत मक्का के मुशिरक सरदारों में से था, इसकी आदत थी कि जब किसी सफ़र से वापस आता तो शहर के सम्मानित लोगों की दावत करता था और अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी मिला करता था। एक मर्तबा आदत के अनुसार उसने शहर के बड़े और इज़्जतदार लोगों की दावत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी बुलाया। जब उसने आपके सामने खाना रखा तो आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हारा खाना उस वक़्त तक नहीं खा सकता जब तक तुम इसकी गवाही न दो कि अल्लाह तआला एक है उसका इबादत में कोई शरीक नहीं है, और यह कि मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ। उक्बा ने यह कलिमा पढ़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शर्त के मुताबिक़ खाना खा लिया।

उक्बा का एक गहरा दोस्त उबई बिन ख़लफ़ था, जब उसको ख़बर लगी कि उक्बा मुसलमान हो गया तो यह बहुत नाराज़ हुआ। उक्बा ने उज़्र किया कि कुरैश के सम्मानित मेहमान मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मेरे घर पर आये हुए थे, अगर वह बग़ैर खाना खाये मेरे घर से चले जाते तो मेरे लिये बड़ी रुस्वाई थी, इसलिये मैंने उनका दिल रखने के लिये यह कलिमा कह लिया। उबई बिन ख़लफ़ ने कहा कि मैं तेरी ऐसी बातों को कुबूल नहीं करूँगा जब तक तू जाकर उनके मुँह पर न धूके। यह कमबख़्त बदनसीब दोस्त के कहने से इस गुस्ताख़ी पर तैयार हो गया और इस हरकत को कर गुज़रा। अल्लाह तआला ने दुनिया में भी इन दोनों को ज़लील किया कि जंगे-बदर में दोनों मारे गये (तफ़्सीरे बग़वी) और आख़िरत में इनके अज़ाब का जिक्र इस आयत में किया गया है कि जब आख़िरत का अज़ाब सामने देखेगा तो उस वक़्त शर्मिन्दगी व अफ़सोस से अपने हाथ काटने लगेगा और कहेगा काश मैं फुलाँ यानी उबई बिन ख़लफ़ को दोस्त न बनाता। (मज़हरी व कुर्तुबी)

बुरे और बेदीन दोस्तों की दोस्ती कियामत के दिन

हसरत व शर्मिन्दगी का सबब होगी

तफ़्सीरे मज़हरी में है कि ये आयतें अगरचे खास उक्बा के वाकिए में नाज़िल हुई थीं लेकिन जैसा कि आयत के अलफ़ज़ आम हैं हुक्म भी आम है, और शायद इस जगह उस दोस्त के नाम के बजाय कुरआन में फुला का लफ़ज़ इसी आम होने की तरफ़ इशारा करने के लिये इख़्तियार किया गया

है। इन आयतों ने यह बतलाया है कि जो दो दोस्त किसी नाफरमाना आर गुनाह पर जमा खिलाफे शरीअत कामों में एक दूसरे की मदद करते हों उन सब का यही हुक्म है कि कि दिन उस गहरे दोस्त की दोस्ती पर रोयेंगे। मुस्नद अहमद, तिर्मिजी, अबू दाऊद वगैरह ने हज़ सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

لا تصاحب المؤمنا ولا ياكل مالك الا تقي. (تفسير مظهرى)

यानी किसी गैर-मुस्लिम को अपना साथी न बनाओ और तुम्हारा माल (बतौर दोस्ती के) सिर्फ़ मुत्तकी आदमी खाये। यानी गैर-मुत्तकी (बुरे और गुनाहगार लोगों) से दोस्ती न करो। और हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

المراء على دين خليله فلينظر من يخال. (رواه البخارى)

“हर इनसान (आदतन) अपने दोस्त के दीन और तरीके पर चला करता है, इसलिये दोस्त बनाने से पहले खूब गौर कर लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो।”

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया गया कि हमारे मज्लिसी दोस्तों में कौन लोग बेहतर हैं तो आपने फरमाया:

من ذكركم بالله رويته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله (رواه البزار. قرطبي)

“वह शख्स जिसको देखकर खुदा याद आये और जिसकी गुफ्तगू से तुम्हारा इल्म बढ़े और जिसके अमल को देखकर आखिरत की याद ताज़ा हो।”

وقال الرسولُ يرب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

यानी कहेंगे रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी कौम ने इस कुरआन को छोड़ और नज़र-अन्दाज़ कर दिया है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह शिकायत अल्लाह की बारगाह में कियामत के दिन होगी या इसी दुनिया में आपने यह शिकायत फरमाई? तफ़सीर के इमामों की इसमें अलग-अलग राय हैं, दोनों का गुमान व संभावना है। अगली आयत बज़ाहिर इसका इशारा करती है कि यह शिकायत आपने दुनिया ही में पेश फरमाई थी जिसके जवाब में आपको तसल्ली देने के लिये अगली आयत में फरमाया:

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.

यानी अगर आपके दुश्मन कुरआन को नहीं मानते तो आपको इस पर सब्र करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह तआला का दस्तूर हमेशा से यही रहा है कि हर नबी के कुछ मुजरिम लोग दुश्मन हुआ करते हैं और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उस पर सब्र करते रहे हैं।

कुरआन को अमली तौर पर छोड़ देना भी बड़ा गुनाह है

इससे ज़ाहिर यह है कि कुरआन को छोड़ने और नज़र-अन्दाज़ कर देने से मुराद कुरआन का

जकार है जो काफ़िरों ही का काम है। मगर कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि जो मुसलमान कुरआन पर ईमान तो रखते हैं मगर न उसकी तिलावत की पाबन्दी करते हैं न उस पर अमल करने की वे भी इस हुक्म में दाखिल हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

من تعلم القرآن وعلق مصحفه يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيمة متعلقا به يقول يا رب العالمين ان

عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه. (ذكره الثعلبي. قرطبي)

“जिस शख्स ने कुरआन पढ़ा मगर फिर उसको बन्द करके घर में लटका दिया, न उसकी तिलावत की पाबन्दी की न उसके अहकाम में गौर किया, कियामत के दिन कुरआन उसके गले में पड़ा हुआ आयेगा और अल्लाह तआला की बारगाह में शिकायत करेगा कि आपके इस बन्दे ने मुझे छोड़ दिया था अब आप मेरे और इसके मामले का फैसला फ़रमा दें।”

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लौ ला
नुज़िज़-ल अलैहिल्-कुरआनु
जुम्ल-तंव-वाहि-दतन् कज़ालि-क
लिनुसब्बि-त बिही फुआद-क व
रत्तल्लाहु तरतीला (32)

और कहने लगे वे लोग जो मुन्किर हैं-
क्यों न उतरा इस पर कुरआन सारा एक
जगह होकर, इसी तरह उतारा ताकि
साबित रखें हम इससे तेरा दिल और पढ़
सुनाया हमने इसको ठहर-ठहरकर। (32)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और काफ़िर लोग यूँ कहते हैं कि इन (पैग़म्बर) पर यह कुरआन एक ही बार में क्यों नाज़िल नहीं किया गया (इस एतिराज़ से मक़सद यह है कि अगर खुदा का कलाम होता तो थोड़ा-थोड़ा नाज़िल करने की क्या ज़रूरत थी। इस धीरे-धीरे नाज़िल करने से तो यह शुब्हा होता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद ही सोच-सोचकर थोड़ा-थोड़ा बना लेते हैं। आगे इस एतिराज़ का जवाब है कि) इस तरह (धीरे-धीरे हमने) इसलिये (नाज़िल किया) है ताकि हम इसके ज़रिये आपके दिल को मज़बूत रखें, और (इसी लिये) हमने इसको बहुत ठहरा-ठहराकर उतारा है (चुनाँचे तेईस साल की मुद्दत में आहिस्ता-आहिस्ता पूरा हुआ)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

यह वही काफ़िरों व मुश्रिकों के एतिराज़ों और उनके जवाबों का सिलसिला है जो सूरत के शुरु

और अच्छे हो

(33) अल्लज्जी-न युहशरू-न

(34) अल्लज्जी-न युहशरू-न

कुरआन को आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल करने की एक
आसान राह के जरिये आपके दिल को मज़बूत व ताक़तवर रखना
सबसे आसान हो गया, एक बड़ी और मोटी किताब एक ही वक़्त में
आसानी से पढ़नी न रहती और आसानी के साथ याद होते रहने से दिल में कोई
दुःख या कष्ट नहीं आता। जब काफ़िर आप पर कोई एत़िराज़ या आपके साथ कोई नागवार मामला
आए तो आपकी तसल्ली के लिये कुरआन में आयत नाज़िल हो जाती, और अगर पूरा
कुरआन आ गया होता और उस खास वाक़िए पर तसल्ली का ज़िक्र भी नाज़िल हो गया

होता। बहरहाल उसको कुरआन में तलाश करने की ज़रूरत पड़ती और ज़ेहन का उस तरफ़
मुतवज़्जह हो जाना भी आदतन ज़रूरी नहीं था। तीसरे अल्लाह के पैग़ाम का आना ताज़ा सुबूत है
अल्लाह के साथ की जो बहुत बड़ी बुनियाद है दिल की तसल्ली और मज़बूती की। और इस जगह जो
दिल की मज़बूती की हिक्मत बतलाई गयी है कुरआन के धीरे-धीरे उतरने की हिक्मतें इसी में सीमित
नहीं दूसरी हिक्मतें भी हैं जिनमें से कुछ को सूरः बनी इस्राईल की आयत नम्बर 106 में पहले बयान
किया जा चुका है। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

تَفْسِيرًا ۗ الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۖ وَقَدْ
آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۖ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا ۖ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۖ

व ला यअतून-क बि-म-सलिन् इल्ला
जिअना-क बिल्हकिक् व अहस-न
तफसीरा (33) अल्लज्जी-न युहशरू-न
अला वुजूहिहिम् इला जहन्न-म
उलाइ-क शरूम-मकानंव-व अजल्लु
सबीला (34) ❀

व ल-कद् आतैना मूसल्-किता-ब व
जअल्ला म-अहू अख़ाहु हारून-न
वज़ीरा (35) फ़-कुल्लज्जहबा इलल्-

और नहीं लाते तेरे पास कोई मिसाल कि
हम नहीं पहुँचा देते तुझको ठीक बात
और उससे बेहतर खोलकर। (33) जो
लोग कि घेरकर लाये जायेंगे औंधे पड़े
हुए अपने मुँह पर दोज़ख़ की तरफ़, उन्हीं
का बुरा दर्जा है और बहुत बहके हुए हैं
राह से। (34) ❀

और हमने दी मूसा को किताब और कर
दिया हमने उसके साथ उसका भाई हारून
काम बंटाने वाला। (35) फिर कहा हमने
तुम दोनों जाओ उन लोगों के पास

कौमिल्लजी-न कज़्ज़बू बिआयातिना,
फ-दम्मरनाहुम् तद्मीरा (36)

जिन्होंने झुठलाया हमारी बातों को, फिर
दे मारा हमने उनको उखाड़कर। (36)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग कैसा ही अजीब सवाल आपके सामने पेश करें मगर हम (उसका) ठीक जवाब और स्पष्टता में बड़ा हुआ आपको इनायत कर देते हैं (ताकि आप मुखालिफों को जवाब दे सकें)। यह बजाहिर दिल की उस मज़बूती का बयान है जिसका जिक्र इससे पहली आयत में हुआ है कि अहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल करने में एक हिक्मत आपके दिल की तसल्ली और दिल को ताक़त देना है कि जब काफ़िरों की तरफ़ से कोई एतिराज़ आये तो उसी वक़्त अल्लाह तआला की तरफ़ से जवाब नाज़िल कर दिया जाये। ये लोग वे हैं जो अपने मुँहों के बल जहन्नम की तरफ़ लेजाये जाएंगे (यानी घसीटकर), ये लोग जगह में भी बदतर हैं और तरीक़े में भी बहुत गुमराह हैं।

(यहाँ तक रिसालत के इनकार पर सज़ा की धमकी और कुरआन पर एतिराज़ों के जवाब थे, आगे इसकी ताईद में गुज़रे ज़माने के कुछ वाक़िआत नक़ल किये गये हैं जिनमें रिसालत के इनकारियों का अन्जाम और नसीहत लेने वाले हालात बयान किये गये हैं, और इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये तसल्ली और दिल की मज़बूती का सामान है कि पिछले नबियों की अल्लाह तआला ने जिस तरह मदद फ़रमाई और दुश्मनों पर ग़ालिब फ़रमाया वह आपके लिये भी होने वाला है। इसमें पहला किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि) और तहकीक़ कि हमने मूसा को किताब (यानी तौरात) दी थी (इस किताब मिलने से पहले) और हमने उनके साथ उनके भाई हारून को (उनका) मददगार बनाया था। फिर हमने (दोनों को) हुक्म दिया कि दोनों आदमी उन लोगों के पास (हिदायत करने के लिये) जाओ जिन्होंने हमारी (तौहीद की) दलीलों को झुठलाया है (इससे मुराद फिरऔन और उसकी कौम है, चुनाँचे ये दोनों हज़रत वहाँ पहुँचे और समझाया मगर उन्होंने न माना) सो हमने उनको (अपने क़हर से) बिल्कुल ही ग़ारत कर दिया (यानी दरिया में ग़र्क़ किये गये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

इसमें फिरऔन की कौम के बारे में यह फ़रमाया है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है हालाँकि उस वक़्त तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल भी नहीं हुई थी, इसलिये इस झुठलाने से तौरात की आयतों का झुठलाना तो मुराद नहीं हो सकता बल्कि आयतों से मुराद या तो तौहीद (अल्लाह के एक होने) की अक्ली दलीलें हैं जो हर इनसान को अपनी अक्ल के मुताबिक़ समझ में आ सकती हैं, उनमें ग़ौर न करने को आयतों का झुठलाना फ़रमाया और या यह कि पहले के नबियों की रिवायतें जो कुछ न कुछ हर कौम में नक़ल होती आई हैं उनका इनकार मुराद है जैसा कि कुरआने करीम में फ़रमाया है:

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ .

+ में, कि 'और इससे पहले तुम लोगों के पास यूसुफ़ लेकर आ चुके हैं')

लोम का उन लोगों तक नकल होते हुए चला आना बतलाया

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ

لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ ك-

الأمثال وكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ۝ وَلَقَدْ اتَّوَعْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُنْ

كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝ إِنْ كَادَ

لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْئَةِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ؕ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

व कौ-म नूहिल्-तम्मा कज़्जबुरुसु-ल
अग्रकनाहुम् व जअल्लाहुम् लिन्नासि
आ-यतन्, व अज़्तदना लिज़्जालिमी-न
अज़ाबन् अलीमा (37) व आदव्-व
समू-द व अस्ताबरीसि व कुरुनम्-
बै-न ज़ालि-क कसीरा (38) व
कुल्लन् ज़रब्ना लहुल्-अम्सा-ल व
कुल्लन् तब्बरना तत्वीरा (39) व
ल-कद् अतौ अलल्-क़र्-यतिल्लती
उम्ति-रत् म-तरस्सौ-इ, अ-फ़लम्
यकूनू यरौनहा बल् कानू ला यरजू-न
नुशूरा (40) व इज़ा रऔ-क
इव्यत्तख़िज़ून-क इल्ला हुज़ुवा,

और नूह की कौम को जब उन्होंने
झुठलाया पैग़ाम लाने वालों को हमने
उनको डुबा दिया और किया उनको लोगों
के हक़ में निशानी, और तैयार कर रखा
है हमने गुनाहगारों के वास्ते दर्दनाक
अज़ाब। (37) और आद को और समूद
को और कुएँ वालों को और उसके बीच
में बहुत-सी जमाअतों को। (38) और
सब को कह सुनाई हमने मिसालें और
सब को खो दिया हमने ग़ारत कर-कर।
(39) और ये लोग हो आये हैं उस बस्ती
के पास जिन पर बरसा बुरा बरसाव, क्या
देखते न थे उसको, नहीं! पर उम्मीद नहीं
रखते जी उठने की। (40) और जहाँ
तुझको देखें फिर काम नहीं उनको तुझसे

अहाज़ल्लज़ी ब-असल्लाहु रसूला
 (41) इन् का-द लयुज़िल्लुना अन्
 आलि-हतिना लौ ला अन् सबरना
 अलैहा, व सौ-फ़ यज़लमू-न ही-न
 यरौलन्-अज़ा-ब मन् अज़ल्लु सबीला
 (42) अ-रए-त मनित्त-ख-ज़ इला-हहू
 हवाहु, अ-फ़अन्-त तकूनु अलैहि
 वकीला (43) अम् तह्सबु अन्-न
 अक्स-रहुम् यस्मअ-न औ
 यज़क़िलू-न, इन् हुम् इल्ला
 कल्-अन्आमि बल् हुम् अज़ल्लु
 सबीला । (44) ❀

मगर ठट्ठे करते (मज़ाक़ उड़ाते)- क्या
 यही है जिसको भेजा अल्लाह ने पैग़ाम
 देकर? (41) यह तो हमको बिचला ही
 देता हमारे माबूदों से अगर हम न जमे
 रहते उन पर, और आगे जान लेंगे जिस
 वक़्त देखेंगे अज़ाब को कि कौन बहुत
 बिचला हुआ है राह से। (42) भला देख
 तो उस शख़्स को जिसने पूजना इख़्तियार
 किया अपनी इच्छा का, कहीं तू ले सकता
 है उसका ज़िम्मा। (43) या तू ख़याल
 रखता है कि बहुत से उनमें सुनते या
 समझते हैं? और कुछ नहीं वे बराबर हैं
 चौपायों के बल्कि वे ज़्यादा बहके हुए हैं
 राह से। (44) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और नूह की क़ौम को भी (उनके ज़माने में) हम हलाक कर चुके हैं (जिनकी हलाकत और
 हलाक होने के सबब का बयान यह है कि) जब उन्होंने पैग़म्बरों को झुठलाया तो हमने उनको (तूफ़ान
 से) गर्क कर दिया, और हमने उन (के वाक़िए) को लोगों (के सबक़ लेने) के लिये एक निशान बना
 दिया। (यह तो दुनिया में सज़ा हुई) और (आख़िरत में) हमने (उन) ज़ालिमों के लिये दर्दनाक सज़ा
 तैयार कर रखी है। और हमने अ़ाद और समूद और रस्स वालों और उनके बीच-बीच में बहुत-सी
 उम्मतों को हलाक कर दिया। और हमने (उक्त उम्मतों में से) हर एक (की हिदायत) के वास्ते
 अ़जीब-अ़जीब (यानी असरदार और दिल में उतर जाने वाले) मज़ामीन बयान किये, और (जब न
 माना तो) हमने सब को बिल्कुल ही बरबाद कर दिया। और ये (काफ़िर लोग मुल्क शाम के सफ़र में)
 उस बस्ती पर होकर गुज़रते हैं जिस पर बुरी तरह पत्थर बरसाये गये थे (इससे मुराद लूत
 अ़लैहिस्सलाम की क़ौम की बस्ती है) सो क्या ये लोग उसको देखते नहीं रहते (फिर भी इब्रत नहीं
 पकड़ते कि कुफ़्र व झुठलाने को छोड़ दें जिसकी बदौलत क़ौमे लूत को सज़ा हुई। सो बात यह है कि
 सबक़ न लेने की वजह यह नहीं है कि उस बस्ती को देखते न हों) बल्कि (असल वजह उसकी यह है
 कि) ये लोग मरकर ज़िन्दा होने का अन्देशा ही नहीं रखते (यानी आख़िरत के इनकारी हैं इसलिये
 कुफ़्र को सज़ा का सबब ही क़रार नहीं देते, और इसलिये उनकी हलाकत को कुफ़्र का ववाल नहीं
 समझते बल्कि इत्तिफ़ाक़िया मामलों में से समझते हैं। यह वजह सबक़ न लेने की है)।

और जब ये लोग आपको देखते हैं तो बस आप से हंसी करने लगते हैं (और कहते हैं) कि क्या

यहाँ (सज्जन) हैं जिनको खुदा तआला ने रसूल बनाकर भेजा है (यानी ऐसा ग़रीब आदमी होना चाहिए। अगर रिसालत कोई चीज़ है तो कोई रईस मालदार होना चाहिए था, पर नहीं। अलबत्ता) इस शख्स (के बात करने का अन्दाज़ इस ग़ज़ब का है कि इस) ने तो हमका हमार माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उन पर (मज़बूती से) कायम न रहते, (यानी हम तो हिदायत पर हैं और यह हमको गुमराह करने की कोशिश करता था। अल्लाह तआला उनकी तरदीद के लिये फरमाते हैं कि ये ज़ालिम अब तो अपने आपको हिदायत पाने वाले और हमारे पैग़म्बर को गुमराह बतला रहे हैं) और (मरने के बाद) जल्दी ही इनको मालूम हो जायेगा जब अज़ाब को अपनी आँखों से देखेंगे कि कौन शख्स गुमराह था (आया वे खुद या नऊजु बिल्लाह पैग़म्बर। इसमें उनके बेहूदा एतिराज़ के जवाब की तरफ़ भी इशारा है कि नुबुव्वत और मालदारी में कोई जोड़ नहीं, मालदार न होने के सबब नुबुव्वत से इनकार जहालत व गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मगर दुनिया में जो चाहें ख्याल पका लें लेकिन कियामत में सब हकीकत खुल जायेगी)।

ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आपने उस शख्स की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपनी नफ़्सानी इच्छा को बना रखा है, सो क्या आप उसकी निगरानी कर सकते हैं। या आप ख्याल करते हैं कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं (मतलब यह कि आप उनकी हिदायत न होने से दुखी न हो जाईये क्योंकि आप उन पर मुसल्लत नहीं कि चाहे न चाहे उनको राह पर लायें, और न हिदायत की उनसे अपेक्षा और उम्मीद कीजिए क्योंकि न ये हक़ बात को सुनते हैं न अक्ल है कि गौर करें) ये तो बिल्कुल चौपायों की तरह हैं (कि वे बात को न सुनते हैं, न समझते हैं) बल्कि ये उनसे भी ज़्यादा राह से भटके हुए हैं (क्योंकि वे दीनी अहक़ाम के मुकल्लफ़ नहीं तो उनका न समझना बुरा और निंदनीय नहीं और ये मुकल्लफ़ “शरई क़ानून में बंधे हुए” हैं फिर भी नहीं समझते। फिर यह कि अगर वे दीन की ज़रूरी बातों के मोतकिद नहीं है तो इनकारी भी तो नहीं, और ये तो इनकारी हैं और अ-रए-त... “यानी आयत नम्बर 43” में उनकी गुमराही का मन्शा भी बयान कर दिया कि किसी शुब्हे व दलील से इनको धोखा नहीं लगा बल्कि इसका असल सबब अपनी नफ़्सानी इच्छा की पैरवी करना है)।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क़ौम के मुताल्लिक़ यह इरशाद कि उन्होंने रसूलों को झुठलाया हालाँकि उनसे पहले गुज़रे रसूल न उनके ज़माने में थे न उन्होंने झुठलाया, तो मन्शा इसका यह है कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और चूँकि दीन के उसूल (बुनियादी चीज़ों) सब नबियों की साज़ा हैं इसलिये एक को झुठलाना सभी के झुठलाने के हुक्म में है।

अस्थाबररसि। ‘रसस’ लुग़त में कच्चे कुएँ को कहते हैं। क़ुरआने करीम और किसी सही हदीस में इन लोगों के तफ़सीली हालात ज़िक्र नहीं हुए। इस्राईली रिवायतें मुख़्तलिफ़ हैं। वरीयता प्राप्त और सही यह है कि क़ौमे समूद के कुछ बाकी बचे लोग थे जो किसी कुएँ पर आबाद थे। (कामूस, दुर्ग मन्सूर हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से) इनके अज़ाब की कौफ़ियत भी क़ुरआन में या किसी सही

हदीस में भी बयान नहीं हुई। (बयानुल-कुरआन)

खिलाफे शरीअत इच्छाओं की पैरवी एक किस्म की बुत-परस्ती है

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ.

इस आयत में उस शख्स को जो इस्लाम व शरीअत के खिलाफ अपनी इच्छाओं की पैरवी करने वाला हो यह कहा गया है कि उसने अपनी इच्छाओं को अपना माबूद (पूज्य) बना लिया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खिलाफे शरीअत नफ़्सानी इच्छायें भी एक बुत है जिसकी पूजा की जाती है, फिर दलील में यह आयत तिलावत फरमाई। (तफ़सीरे कुर्तबी)

الْمُرُّ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَائِمًا

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۖ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا
وَالنُّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۖ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً تِينًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيًا كَثِيرًا ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ
بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۖ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۖ فَلَا تُطِعِ الْكُفْرِيْنَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۖ وَ
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ
نَذِيرًا ۖ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا لِّرَبِّهِ سَبِيلًا ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبٍ عِبَادَةَ خَيْرًا ۖ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَنُ أَنْسَجِدُ لِمَا نَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۖ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَ
قَمَرًا مُنِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ

السجدة (2)
50

अलम् त-र इला रबिब-क कै-फ
मद्दज़िज़ल्-ल व लौ शा-अ

तूने नहीं देखा अपने रब की तरफ कैसे
लम्बा किया साये को? और अगर चाहता

ल-ज-अ-लहू साकिनन् सुम्-म
जअल्लशशम्-स अलैहि दलीला (45)
सुम्-म कबज़्नाहु इलैना कब्ज़य्यसीरा
(46) व हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्-
लै-ल लिबासंव-वन्नौ-म सुबातंव-व
ज-अ-लन्नहा-र नुशूरा (47) व
हुवल्लज़ी अर्-सलर्रिया-ह बुशरम्-
बै-न यदै रहमतिही व अन्नज़ला
मिनस्समा-इ माअन् तहूरा (48)
लिनुस्थिय-य बिही बल्द-तम् मैतंव-व
नुस्कियहू मिम्मा ख़लक़ना अन्ज़ामंव-
व अनासिय-य कसीरा (49) व ल-कद्
सरफ़नाहु बैनहुम् लियज़्ज़क्क़रु फ़-अबा
अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा (50)
व लौ शिअना ल-बअस्ना फ़ी कुल्लि
करयतिन् नज़ीरा (51) फ़ला
तुतिअिल्-काफ़िरी-न व जाहिद्हुम्
बिही जिहादन् कबीरा (52) व
हुवल्लज़ी म-रजल्-बहरैनि हाज़ा
अज़्ज़ुबुन् फ़ुरातुंव-व हाज़ा मिल्हुन्
उजाजुन् व ज-अ-ल बैनहुमा
बरज़ख़ंव-व हिज़रम्-महज़ूरा (53) व
हुवल्लज़ी ख़ा-ल-क़ मिनल्-मा-इ
ब-शरन् फ़-ज-अ-लहू न-सबंव-व

तो उसको ठहरा रखता, फिर हमने
किया सूरज को उसका राह
वाला। (45) फिर खींच लिया हमने उस
को अपनी तरफ़ सहज-सहज समेटकर।
(46) और वही है जिसने बना दिया
तुम्हारे वास्ते रात को ओढ़ना और नींद
को आराम और दिन को बना दिया उठ
निकलने के लिये। (47) और वही है
जिसने चलाई हवायें ख़ुशख़बरी लाने
वालियाँ उसकी रहमत से आगे, और
उतारा हमने आसमान से पानी पाकी
हासिल करने का (48) कि जिन्दा कर दें
उससे मरे हुए देस को और पिलायें उस
को अपने पैदा किये हुए बहुत से चौपायों
और आदमियों को। (49) और तरह-तरह
से तक़सीम किया हमने उसको उनके बीच
में ताकि ध्यान रखें, फिर भी नहीं रहते
बहुत लोग बिना नाशुक़ी किये। (50)
और अगर हम चाहते तो उठाते हर बस्ती
में कोई डराने वाला। (51) सो तू कहना
मत मान इनकारी लोगों का और मुक़बाला
कर उनका इसके साथ बड़े ज़ोर से। (52)
और वही है जिसने मिले हुए चलाये दो
दरिया यह मीठा है प्यास बुझाने वाला
और यह ख़ारी है कड़वा, और रखा उन
दोनों के बीच पर्दा और आड़ रोकी हुई।
(53) और वही है जिसने बनाया पानी से
आदमी फिर ठहराया उसके लिये ज़द
(ख़ानदान) और ससुराल और तेरा रब

सिहरन्, व का-न रब्बु-क कदीरा
 (54) व यअबुदू-न मिन् दूनिल्लाहि
 मा ला यन्फ़अहुम् व ला यजुरुहुम्,
 व कानल्-काफ़िरु अला रब्बिही
 ज़हीरा (55) व मा अरसल्ना-क
 इल्ला मुबशिशरं-व नज़ीरा (56)
 कुल् मा अस्अलुकुम् अलैहि मिन्
 अज़िन् इल्ला मन् शा-अ
 अय्यत्तख़ि-ज़ इला रब्बिही सबीला
 (57) व तवक्कल् अलल्-हय्यिल्लज़ी
 ला यमूतु व सब्बिह् बिहम्दिही, व
 कफ़ा बिही बिज़्नुबि अ़िबादिही
 ख़बीरा (58) अल्लज़ी ख़-लक़स्-
 समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा
 फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा
 अलल्-अर्शि, अर्रह्मानु फ़स्अल् बिही
 ख़बीरा (59) व इज़ा की-ल लहुमुस्जुदू
 लिर्रह्मानि कालू व मर्रह्मानु
 अ-नस्जुदु लिमा तअ्मुरुना व
 ज़ा-दहुम् नुफ़ूरा (60) ❁ ❁
 तबा-रकल्लज़ी ज-अ-ल फ़िस्समा-इ
 बुरूजं-व ज-अ-ल फ़ीहा सिराजं-व
 क-मरम्-मुनीरा (61) व हुवल्लज़ी
 ज-अलल्लै-ल वन्नहा-र ख़िल्फ-तल्

सब कुछ कर सकता है। (54) और पूजते
 हैं अल्लाह को छोड़कर वह चीज़ जो न
 भला करे उनका न बुरा, और है काफ़िर
 अपने रब की तरफ़ से पीठ फेर रहा।
 (55) और तुझको हमने भेजा यही खुशी
 और डर सुनाने के लिये। (56) तू कह मैं
 नहीं माँगता तुमसे इस पर कुछ मज़दूरी
 मगर जो कोई चाहे कि पकड़ ले अपने
 रब की तरफ़ राह। (57) और भरोसा कर
 ऊपर उस ज़िन्दे के जो नहीं मरता और
 याद कर उसकी ख़ूबियाँ और वह काफ़ी
 है अपने बन्दों के गुनाहों से ख़बरदार।
 (58) जिसने बनाये आसमान और ज़मीन
 और जो कुछ उनके बीच में है छह दिन
 में, फिर कायम हुआ अ़र्श पर, वह बड़ी
 रहमत वाला सो पूछ उससे जो उसकी
 ख़बर रखता है। (59) और जब कहिये
 उनसे सज़्दा करो रहमान को कहें रहमान
 क्या है? क्या सज़्दा करने लगें हम जिस
 को तू फ़रमाये? और बढ़ जाता है उनका
 बिदकना। (60) ❁ ❁

बड़ी बरकत है उसकी जिसने बनाये
 आसमान में बुर्ज और रखा उसमें चिराग़
 और चाँद उजाला करने वाला। (61) और
 वही है जिसने बनाये रात और दिन

लिमन् अरा-द अय्यज्जक्क-र औ
अरा-द शुकूरा (62)

बदलते-सदलते, उस शख्स के वास्ते कि
चाहे ध्यान रखना या चाहे शुक्र
करना। (62)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ मुखातब! क्या तुमने अपने रब (की इस कुदरत) पर नज़र नहीं की; उसने (जब सूरज आसमान से निकलता है उस वक़्त खड़ी हुई चीज़ों के) साये को क्योंकर (दूर तक) फैलाया है। (क्योंकि यह निकलने के वक़्त हर चीज़ का साया लम्बा होता है) और अगर वह चाहता तो उसको एक हालत पर ठहराया हुआ रखता (यानी सूरज के बुलन्द होने से भी न घटता, इस तरह पर कि उतनी दूर तक सूरज की किरणों को न आने देता क्योंकि सूरज की किरणों का ज़मीन के हिस्सों पर पहुँचना अल्लाह के इरादे है न कि मजबूरन, मगर हमने अपनी हिक्मत से उसको एक हालत पर नहीं रखा बल्कि उसको फैलाया हुआ बनाकर) फिर हमने सूरज को (यानी उसके आसमानी किनारे के करीब होने और फिर उस किनारे से बुलन्द होने को) उस (साये के लम्बा और कम होने) पर (एक ज़ाहिरी) निशानी मुकर्रर किया। (मतलब यह कि अगरचे रोशनी और साया और उनके घटने बढ़ने की असल वजह हक़ तआला का इरादा और मर्ज़ी है, सूरज या कोई दूसरी चीज़ असली प्रभावी नहीं है मगर अल्लाह तआला ने दुनिया में पैदा होने वाली चीज़ों के लिये ज़ाहिरी असबाब बना दिये हैं और असबाब के साथ उनसे संबन्धित चीज़ों का ऐसा आपसी जोड़ कायम कर दिया कि सबब के बदलने से उससे पैदा होने वाली चीज़ में बदलाव होता है) फिर (उस ज़ाहिरी ताल्लुक़ की वजह से) हमने उस (साये) को अपनी तरफ़ आहिस्ता-आहिस्ता समेट लियां (यानी जैसे-जैसे सूरज ऊँचा हुआ वह साया ख़त्म और नापैद होता गया, और चूँकि उसका ग़ायब होना बिना किसी की शिक़त के महज़ अल्लाह तआला की कुदरत से है और आम लोगों की नज़रों से ग़ायब होने के बावजूद अल्लाह के इल्म से ग़ायब नहीं है इसलिए यह फ़रमाया गया कि अपनी तरफ़ समेट लिया)।

और वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिये रात को पर्दे की चीज़ और नींद को राहत की चीज़ बनाया, और दिन को (इस एतिबार से कि सोना मौत के जैसा है और दिन का वक़्त जागने का है गोया) ज़िन्दा होने का वक़्त बनाया। और वह ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिल को) खुश कर देती हैं, और हम आसमान से पानी बरसाते हैं जो पाक-साफ़ करने की चीज़ है। ताकि उसके ज़रिये से मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें, और अपनी मख़्लूक़ात में से बहुत-से चार पैरों वाले और बहुत-से आदमियों को सैराब कर दें। और हम उस (पानी) को (मस्लेहत के मुताबिक़) उन लोगों के बीच तकसीम कर देते हैं, ताकि लोग ग़ौर करें (कि यह तसरूफ़ात किसी बड़े कुदरत वाले के हैं कि वही इबादत का हक़दार है) सो (चाहिए था कि ग़ौर करके उसका हक़ अदा करते, लेकिन) अक्सर लोग बग़ैर नाशुक़ी किये न रहे (जिसमें सबसे बड़कर कुफ़ व शिक़ है, लेकिन आप उनकी और ख़ास तौर पर उनमें अक्सर की नाशुक़ी सुनकर या देखकर तल्लीग़ में मेहनत व कोशिश करने से हिम्मत न हारिये कि मैं तन्हा इन सबसे कैसे ज़िम्मेदारी पूरी कर पाऊँगा, बल्कि आप तन्हा ही अपना काम किये जाईये क्योंकि आपको तन्हा ही नबी बनाने से खुद

हमारा मकसूद यह है कि आपका अज़्र और अल्लाह की निकटता बढ़े) और अगर हम चाहते तो (आपके अलावा इसी ज़माने में) हर बस्ती में एक पैग़म्बर भेज देते (और तन्हा आप पर तमाम काम न डालते, लेकिन चूँकि आपका अज़्र बढ़ाना मकसूद है इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, तो इस तरीके से इतना काम आपके सुपुर्द करना खुदा तआला की नेमत है) सो (इस नेमत के शुक्रिये में) आप काफ़िरोँ की खुशी का काम न कीजिये (यानी काफ़िर तो इससे खुश होंगे कि तब्लीग़ न हो या उसमें कमी हो जाये, और उनकी आज़ादी से छेड़-छाड़ न की जाये) और कुरआन (में जो हक़ की दलीलें बयान हुई हैं जैसा इसी जगह पर तौहीद की दलीलें इरशाद हुई हैं उन) से उनका जोर से मुकाबला कीजिये (यानी आम और मुकम्मल दावत व तब्लीग़ कीजिये, यानी सब से कहिये और बार-बार कहिये और हिम्मत मज़बूत रखिये जैसा कि अब तक आप करते हैं उस पर कायम रहिये। आगे फिर बयान है तौहीद की दलीलों का)।

और वह ऐसा है जिसने दो दरियाओं को (देखने में) मिलाया जिनमें एक (का पानी) तो मीठा सुकून-बख़्श है और एक (का पानी) खारा कड़वा है। और (बावजूद जाहिरी मिलाप के हकीकत में) उनके बीच में (अपनी कुदरत से) एक पर्दा और (वास्तव में मिलने से) एक मज़बूत रोक रख दी। (जो खुद छुपी ग़ैर-महसूस है मगर उसका असर यानी दोनों पानी के मजे में फ़र्क़ महसूस और आँखों के सामने है। मुराद इन दो दरियाओं से वो स्थान हैं जहाँ मीठी नदियाँ और नहरें बहते-बहते समन्दर में आकर गिरी हैं, वहाँ बावजूद इसके कि ऊपर से दोनों की सतह एक मालूम होती है लेकिन अल्लाह की कुदरत से उनमें एक ऐसी फ़ासला करने वाली हद है कि उस संगम की एक जानिब से पानी लिया जाये तो मीठा और दूसरी तरफ़ से जो कि पहली जानिब से बिल्कुल क़रीब है, पानी लिया जाये तो खारा। दुनिया में जहाँ जिस जगह मीठे पानी की नहरें चश्मे समन्दर के पानी में गिरते हैं वहाँ इसको देखा जाता है कि मीलों दूर तक मीठा और खारा पानी अलग-अलग चलते हैं, दाईं तरफ़ मीठा बाईं तरफ़ खारा और कड़वा, या ऊपर नीचे मीठे और खारे पानी अलग-अलग पाये जाते हैं)।

(हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रह. ने इस आयत के तहत लिखा है कि बयानुल-कुरआन में दो मोतबर बंगाली उलेमा की गवाही नक़ल की है कि अरकान से चाटगाँव तक दरिया की शान यह है कि उसकी दो जानिबें बिल्कुल अलग-अलग अन्दाज़ के दो दरिया नज़र आते हैं- एक का पानी सफ़ेद है और एक का सियाह। सियाह में समन्दर की तरह तूफ़ानी उफ़ान और पानी का चढ़ाव होता है और सफ़ेद बिल्कुल शांत रहता है, कश्ती सफ़ेद में चलती है और दोनों के बीच में एक धारी सी बराबर चली गई है जो दोनों का संगम है। लोग कहते हैं कि सफ़ेद पानी मीठा है और सियाह कड़वा। और मुझसे बारेसाल के कुछ तलबा ने बयान किया कि ज़िला बारेसाल में दो नदिया हैं जो एक ही दरिया से निकली हैं, एक का पानी खारा बिल्कुल कड़वा और एक का बहुत ही मीठा और मजेदार है। यहाँ गुजरात में यह नाचीज़ जिस जगह आजकल रहता है (डाभेल सिमलक ज़िला सूरत) समन्दर वहाँ से तक़रीबन दस बारह मील के फ़ासले पर है। इधर की नदियों में बराबर पानी का उतार-चढ़ाव (ज्वारभाटा) होता रहता है, बहुत से मोतबर लोगों ने बयान किया कि क्या उफ़ान और पानी के चढ़ने के वक़्त जब समन्दर का पानी नदी में आ जाता है तो मीठे पानी की सतह पर खारा पानी बहुत जोर से चढ़ जाता है, लेकिन उस वक़्त भी दोनों पानी एक-दूसरे में गड़मड़ नहीं होते।

ऊपर खारा रहता है नीचे मीठा। पानी के उतार के वक्त ऊपर से खारा उतर जाता है और मीठा ज्यों का त्यों मीठा बाकी रह जाता है। वल्लाहु अल्लम)।

(इन सबूतों और प्रमाणों को देखते हुए आयत का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है यानी खुदा की कुदरत देखो कि खारी और मीठे दोनों दरियाओं के पानी कहीं न कहीं मिल जाने के बावजूद भी किस तरह एक दूसरे से अलग और नुमायाँ रहते हैं) और वह ऐसा है जिसने पानी से (यानी नुत्फे से) आदमी को पैदा किया, फिर उसको खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया (चुनाँचे बाप-दादा वगैरह शरई खानदान और माँ नानी वगैरह उर्फी खानदान हैं जिनसे पैदाईश के साथ ही ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं, फिर शादी के बाद ससुराली रिश्ते पैदा हो जाते हैं)। यह कुदरत की दलील भी है कि नुत्फा क्या चीज़ था फिर उसको कैसा बना दिया कि वह इतनी जल्दी खून वाला हो गया और नेमत भी है कि इन ताल्लुकात पर सामाजिक जिन्दगी और आपसी इमदाद की तामीर कायम है) और (ऐ मुखातब!) तेरा परवर्दिगार बड़ी कुदरत वाला है और (बावजूद इसके कि अल्लाह तआला अपनी जात व सिफात में ऐसा कामिल है जैसा बयान हुआ और यह कमालात तकाज़ा करते हैं कि उसी की इबादत की जाये मगर) ये (मुशिरक) लोग (ऐसे) खुदा को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो (इबादत करने पर) न उनको कुछ नफा पहुँचा सकती हैं और न (इबादत न करने की सूरत में) उनको कुछ नुकसान पहुँचा सकती हैं, और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ़ है (कि उसको छोड़कर दूसरे की इबादत करता है, और काफिरों की मुखालफ़त मालूम करके आप न तो उनके ईमान न लाने से गमगीन हों क्योंकि) हमने आपको सिर्फ़ इसलिये भेजा है कि (मोमिनों को जन्नत की) खुशख़बरी सुनाएँ और (काफिरों को दोख़ से) डराएँ (उनके ईमान न लाने से आपका क्या नुकसान है, फिर आप क्यों ग़म करें, और न आप उस मुखालफ़त को मालूम करके फ़िक्र में पड़ें कि जब ये हक़ तआला के मुखालिफ़ हैं तो मैं जो हक़ तआला की तरफ़ दावत करता हूँ उस दावत को ये लोग ख़ैरख़्वाही कब समझेंगे बल्कि मेरी खुदग़र्ज़ी पर महमूल करके तवज्जोह भी न करेंगे तो उनके गुमान की क्योंकि इस्लाह की जाये ताकि रुकावट दूर हो। सो अगर आपको उनका यह ख़्याल किसी अन्दाज़े से या ज़बानी गुफ्तगु से मालूम हो तो) आप (जवाब में इतना) कह दीजिये (और बेफ़िक्र हो जाईये) कि मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कोई (माली या रुतबे का) मुआवज़ा नहीं माँगता, हाँ जो शख्स यूँ चाहे कि अपने रब तक (पहुँचने का) रास्ता इख़्तियार कर ले (तो यकीनन मैं यह ज़रूर चाहता हूँ चाहे इसको मुआवज़ा कहो या न कहो), और (न काफ़िरों की उस मुखालफ़त को मालूम करके उनके नुकसान पहुँचाने से अन्देशा कीजिए बल्कि तब्लीग़ में) उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिये और (इत्मीनान के साथ) उसकी तस्बीह व तारीफ़ बयान करने में लगे रहिये, और (न मुखालफ़त सुनकर सज़ा की जल्दी की इस ख़्याल से तमन्ना कीजिए कि उनका नुकसान दूसरों को न पहुँच जाये, क्योंकि) वह (खुदा) अपने बन्दों के गुनाहों से काफ़ी (तौर पर) ख़बरदार है (वह जब मुनासिब समझेगा सज़ा देगा। पस इन जुमलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रंज व फ़िक्र और ख़ौफ़ को दूर फ़रमाया है, आगे फिर तौहीद का बयान है)।

वह ऐसा है जिसने आसमान व ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान में है सब छह दिन (की

मात्रा) में पैदा किया, फिर अर्श पर (जो सल्तनत के शाही तख़्त के जैसा है, इस तरह) कायम (और जलवा-फ़रमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक है, जिसका बयान सूर: आराफ़ के रुकूअ नम्बर सात में आयत के शुरू में गुज़र चुका) वह बड़ा मेहरबान है, सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछना चाहिए (कि वह कैसा है, काफ़िर मुश्रिक क्या जानें, और इस सही पहचान के न होने से शिर्क करते हैं जैसा कि एक जगह पर खुद अल्लाह तआला का इरशाद है कि उन्होंने अल्लाह की वैसी क़द्र न जानी जैसी जाननी चाहिये थी)।

और जब उन (काफ़िरो) से कहा जाता है कि रहमान को सज्दा करो तो (जहालत व बैर की वजह से) कहते हैं कि रहमान क्या चीज़ है (जिसके सामने हमको सज्दा करने को कहते हो)? क्या हम उसको सज्दा करने लगेंगे जिसको तुम सज्दा करने के लिये हमको कहोगे, और इससे उनको और ज़्यादा नफ़रत होती है। (लफ़ज़ रहमान उनमें कम मशहूर था मगर यह नहीं कि जानते न हों, मगर इस्लामी तालीम से जो मुख़ालफ़त बढ़ी हुई थी तो मुहावरों और बोल-चाल में भी मुख़ालफ़त को निभाते थे। क़ुरआन में जो यह लफ़ज़ अधिकता के साथ आया तो वे इसकी भी मुख़ालफ़त कर बैठे)। वह ज़ात बहुत बुलन्द शान वाली है जिसने आसमान में बड़े-बड़े सितारे बनाये और (उन सितारों में से दो बड़े नूरानी और फ़ायदा पहुँचाने वाले सितारे बनाये यानी) उस (आसमान) में एक चिराग़ (अर्थात् सूरज) और नूरानी चाँद बनाया (शायद सूरज को सिराज उसकी तेज़ी की वजह से कहा) और वह ऐसा है जिसने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने-जाने वाले बनाये (और यह सब कुछ जो अल्लाह के एक होने और उसकी नेमतों का ज़िक्र हुआ है) उस शख्स के (समझने के) लिये (हैं) जो समझना चाहे या शुक्र करना चाहे (कि इसमें समझने वाले की नज़र में दलीलें हासिल करना है और शुक्रगुज़ारी करने वाले की नज़र में इनामात है वरना अगर नासमझ व बेवकूफ़ के सामने कितनी भी अक़्त व समझ की बातें बताई जायें वो उसके दिमाग़ में कहाँ उतरती हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अल्लाह की मख़्लूक़ात में असबाब और उनसे पैदा हुई चीज़ों का

रिश्ता और उन सब का अल्लाह की क़ुदरत के ताबे होना

उपर्युक्त आयतों में हक़ तआला की कामिल क़ुदरत और बन्दों पर उसके इनामात व एहसानात का ज़िक्र है, जिससे हक़ तआला की तौहीद और इबादत का हक़दार होने में उसके साथ किसी का शरीक न होना भी साबित होता है।

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلْمَ

धूप और छाँव दोनों ऐसी नेमतें हैं कि इनके बग़ैर इनसानी ज़िन्दगी और उसके कारोबार नहीं चल सकते। हर वक़्त हर जगह धूप ही धूप हो जाये तो इनसान और हर जानदार के लिये कैसी मुसीबत हो जाये यह तो ज़ाहिर है, और साये का भी यही हाल है कि अगर हर जगह हर वक़्त साया ही रहे कभी धूप न आये तो इनसान की सेहत व तन्दुस्त्य नहीं रह सकती। और भी हज़ारों कामों में

खलल आये। अल्लाह तआला ने ये दोनों नेमतें अपनी कामिल कुदरत से पैदा फ़रमाई और इनसानों के लिये इनको राहत व सुकून का सबब बनाया। लेकिन हक़ तआला ने अपनी कामिल हिक्मत से इस दुनिया में पैदा होने वाली तमाम चीज़ों को खास-खास असबाब (साधनों) के साथ जोड़ दिया है कि जब वो असबाब मौजूद होते हैं तो वो चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, जब नहीं होते तो वो चीज़ें भी नहीं रहतीं। असबाब ताक़तवर या ज़्यादा होते हैं तो उनके मुसब्बबात (असबाब के परिणाम और उनसे जुड़ी चीज़ों) का वजूद मज़बूत और ज़्यादा हो जाता है, वो कमज़ोर या कम होते हैं तो मुसब्बबात भी कमज़ोर या कम हो जाते हैं।

ग़ल्ला और घास उगाने का सबब ज़मीन और पानी और हवा को बना रखा है, रोशनी का सबब सूरज व चाँद को बना रखा है, बारिश का सबब बादल और हवाओं को बना रखा है, और इन असबाब और इन पर मुत्तब होने वाले असरात में ऐसा स्थिर और मज़बूत ताल्लुक़ कायम फ़रमा दिया है कि हज़ारों साल से बग़ैर किसी अदना फ़र्क़ के चल रहे हैं। सूरज और उसकी हरकत और उससे पैदा होने वाले दिन रात और धूप छाँव पर नज़र डालो तो ऐसा मज़बूत व स्थिर निज़ाम है कि सदियों बल्कि हज़ारों साल में एक मिनट बल्कि एक सैकिण्ड का फ़र्क़ नहीं आता। न कभी सूरज और चाँद बग़ैरह की मशीनरी में कोई कमज़ोरी आती है, न कभी उनको सुधार व मरम्मत की ज़रूरत होती है, जब से दुनिया वजूद में आई एक अन्दाज़ एक रफ़्तार से चल रहे हैं, हिसाब लगाकर हज़ारों साल बाद तक की चीज़ों का वक़्त बतलाया जा सकता है।

सबब और मुसब्बब का यह मज़बूत निज़ाम जो हक़ तआला की कामिल कुदरत का अजीब व ग़रीब नमूना और उसकी कामिल कुदरत और पूर्ण हिक्मत की निश्चित दलील है, इसकी स्थिरता ही ने लोगों को ग़फ़लत में डाल दिया कि उनकी नज़रों में सिर्फ़ ये ज़ाहिरी असबाब ही रह गये और इन्हीं असबाब को तमाम चीज़ों और तासीरात का ख़ालिक व मालिक समझने लगे, असबाब को बनाने वाले की असली कुव्वत जो इन असबाब को पैदा करने वाली है वह असबाब के पर्दों में छुप गयी। इसलिये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबें इनसान को बार-बार इस पर सचेत करती हैं कि ज़रा नज़र को बुलन्द और तेज़ करो, असबाब के पर्दों के पीछे देखो कौन इस निज़ाम को चला रहा है, ताकि हकीक़त तक रास्ता पाओ। इसी सिलसिले के यह इरशादात हैं जो उपर्युक्त आयतों में आये हैं। आयत नम्बर 45 में ग़ाफ़िल इनसान को इस पर सचेत किया गया है कि तू रोज़ाना देखता है कि सुबह को हर चीज़ का साया पश्चिम की तरफ़ लम्बा होता है, फिर वह घटना शुरू होता है यहाँ तक कि दिन आधा हो जाता है उस वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद यही साया इसी धीमी रफ़्तार के साथ पूरब की जानिब में फैलना शुरू होता है। हर इनसान इस धूप और छाँव के फ़ायदे हर दिन हासिल करता है और उसकी आँखें देखती हैं कि यह सब कुछ सूरज के निकलने फिर बुलन्द होने फिर गुरुब होने की तरफ़ माईल होने के लाज़िमी नतीजे और परिणाम हैं, लेकिन सूरज की पैदाईश फिर उसके एक खास निज़ाम के तहत बाकी रखने का काम किसने किया, यह आँखों से नज़र नहीं आता इसके लिये दिल की आँखें और समझ दरकार है।

उक्त आयत में यही समझ व दानाई इनसान को देना मक़सूद है कि यह सायों का बढ़ना घटना

अगरचे तुम्हारी नज़रों में सूरज से संबन्धित है मगर इस पर भी तो गौर करो कि सूरज को इस शान के साथ किसने पैदा किया और उसकी हरकत को एक खास निज़ाम के अन्दर किसने बाँकी रखा, जिसकी कामिल कुदरत ने यह सब कुछ किया है वही दर हकीकत इस धूप छाँव की नेमतों का अला करने वाला है। अगर वह चाहता तो इस धूप छाँव को एक हालत पर कायम कर देता, जहाँ धूप है वहाँ हमेशा धूप रहती, जहाँ छाँव है हमेशा छाँव रहती, मगर उसकी हिक्मत ने इनसानी ज़रूरतों व फ़ायदों पर नज़र करके ऐसा नहीं किया 'ब लौ शा-अ ल-जअल्लाहु साकिनन्' का यही मतलब है।

इनसान को इसी हकीकत से आगाह करने के लिये साये के वापस लौटने और घटने को उक्त आयत में इस उनवान से ताबीर फ़रमाया है:

قَبْضَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝

यानी फिर साये को हमने अपनी तरफ़ समेट लिया। यह ज़ाहिर है कि हक़ तआला जिस्म और जिस्मानियत और दिशा और रुख़ से बालातर है, उसकी तरफ़ साये का समेटना, इसका मफ़हूम यही है कि उसकी कामिल कुदरत से यह सब काम हुआ।

रात में नींद और दिन में काम को खास करना भी बड़ी हिक्मत पर आधारित हैं

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَأْسَ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ تُشُورًا ۝

इस आयत में रात को लिबास के लफ़्ज़ से ताबीर फ़रमाया कि जिस तरह लिबास इनसान के पूरे बदन को ढाँकने वाला है इसी तरह रात एक कुदरती पर्दे की चादर है जो पूरी कायनात पर डाल दी जाती है। सुबाता 'सबत' से निकला है जिसके असल मायने काटने के हैं। 'सुबात' वह चीज़ है जिससे किसी दूसरी चीज़ को काट दिया जाये।

नींद को अल्लाह तआला ने ऐसी चीज़ बनाया है कि दिन भर की मेहनतों की थकान और कमज़ोरी इससे कट जाती है। अफ़कार व ख़्यालात कटकर दिमाग़ को आराम मिलता है, इसलिये सुबात का तर्जुमा राहत का किया जाता है। आयत के मायने यह हो गये कि हमने रात को एक छुपाने वाली चीज़ बनाया, फिर उसमें इनसान और सारे जानदारों पर नींद मुसल्लत कर दी जो उनके आराम व राहत का सामान है।

यहाँ कई चीज़ें ध्यान देने के काबिल हैं— अब्बल यह कि नींद का राहत होना वल्कि राहत की जान होगा तो हर शख्स जानता है मगर इनसानी फ़ितरत यह है कि रोशनी में नींद आना मुश्किल होता है और आ भी जाये तो जल्द आँख खुल जाती है। हक़ तआला ने नींद के मुनासिब रात को अंधेरी भी बनाया और ठण्डी भी। इसी तरह रात खुद एक नेमत है और नींद दूसरी नेमत, और तीसरी नेमत यह है कि सारे जहान के इनसानों जानवरों की नींद एक ही वक़्त रात में लाज़िमी कर दी, वरना अगर हर इनसान की नींद के वक़्त दूसरे इनसान से अलग होते तो जिस वक़्त कुछ लोग सोना चाहते

दूसरे लोग कामों में मसरूफ़ और शोर-शराबे का सबब बने रहते। इसी तरह जब दूसरों के सोने की बारी आती तो उस वक़्त काम करने वाले चलने-फिरने वाले उनकी नींद में खलल-अन्दाज़ होते। इसके अलावा हर इन्सान की हज़ारों हाज़तें दूसरे इन्सानों से जुड़ी होती हैं, आपसी मदद और सहयोग और कामों में भी सख़्त नुक़सान होता कि जिस शख़्स से आपको काम है उसके सोने का वक़्त है और जब उसके ज़ग़ाने का वक़्त आयेगा तो आपका सोने का वक़्त होगा।

अगर इन उद्देश्यों के पूरा करने के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से काम लिया जाता कि सब लोग अपने सोने का वक़्त एक ही मुक़रर कर लें, अब्बल तो ऐसा समझौता अरबों करोड़ों इन्सानों में होना आसान न था, फिर उस पर अमल कराने के लिये हज़ारों महकमे खोलने पड़ते, इसके बावजूद आम क़ानूनी और समझौतों के तरीक़ों से तय होने वाली चीज़ों में जो खलल हर जगह रिश्वत, रियायत वगैरह के कारण पाया जाता है वह फिर भी बाकी रहता।

अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने अपनी कामिल कुदरत से नींद का एक वक़्त ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर मुक़रर कर दिया है कि हर इन्सान और हर जानवर को उसी वक़्त नींद आती है, कभी किसी ज़रूरत से जागना भी चाहे तो उसके लिये मुश्किल से इन्तिज़ाम कर पाता है। वाकई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरक़त वाली है जो सबसे बेहतर बनाने वाली है।

इसी तरह 'ब ज-अलन्नहा-र नुशूरा' में दिन को नुशूर यानी ज़िन्दगी फ़रमाया, क्योंकि उसके मुक़ाबिल यानी नींद एक किस्म की मौत है, और इस ज़िन्दगी के वक़्त को भी सारे इन्सानों में ज़बरी (लाज़िमी और ग़ैर-इख़्तियारी) तौर पर एक कर दिया है, वरना कुछ कारख़ाने और दुकानें दिन को बन्द रहतीं, रात को खुलतीं, और जब वो खुलतीं तो दूसरी बन्द हो जातीं। इस लिहाज़ से दोनों में कारोबारी मुश्किलें पेश आतीं।

जिस तरह रात को नींद के लिये ख़ास फ़रमाकर एक बड़ा इनाम हक़ तआला ने फ़रमाया इसी तरह ज़िन्दगी की दूसरी ज़रूरतें जो आपसी साझेदारी और सहयोग चाहती हैं उनके लिये भी तक़रीबी तौर पर ऐसे ही संयुक्त और एक साथ होने वाले वक़्त मुक़रर कर दिये। मसलन भूख और खाने की ज़रूरत सुबह शाम एक साज़ा चीज़ है सब को इन वक़्तों में इसकी फ़िक्र होती है जिसके नतीजे में ज़रूरतों की सब चीज़ों को एकत्र करना हर एक के लिये आसान हो जाता है, खाने के होटल और दुकानें इन वक़्तों में तैयार खाने से भरे हुए नज़र आते हैं। हर घर में यह वक़्त खाने की मसरूफ़ियत (व्यस्तता) के लिये मुतैयन हैं। यह तय होना बड़ी नेमत है जो हक़ तआला ही की कामिल हिक्मत ने फ़ितरी तौर पर इन्सान की तबीयत में रख दी है।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

'तहूर' का लफ़ज़ अरबी भाषा में मुबालगे का लफ़ज़ है। तहूर उसको कहा जाता है जो खुद भी पाक हो और दूसरी चीज़ों को भी उससे पाक किया जा सके। हक़ तआला ने पानी को यह ख़ास सिफ़त अता फ़रमाई है कि जैसे वह खुद पाक है उससे दूसरी हर किस्म की ज़ाहिरी व बातिनी नापाकी व गन्दगी को भी दूर किया जा सकता है। और जिस पानी को आदमी इस्तेमाल करते हैं वह उमूमन वही है जो आसमान से नाज़िल होता है। कभी बारिश की सूरत में कभी बर्फ़ और ओले की

सूरत में। फिर वही पानी पहाड़ों की रगों के जरिये कुदरती पाईप लाईन की सूरत में सारी ज़मीन पर फैलता है, जो कहीं खुद-बखुद चश्मों की सूरत में निकलकर ज़मीन पर बहने लगता है, कहीं ज़मीन खोदकर कुएँ की सूरत में निकाला जाता है, यह सब पानी अपनी ज़ात से पाक और दूसरी चीज़ों को पाक करने वाला है, इस पर कुरआन व सुन्नत में वज़ाहतें भी हैं और उम्मत भी इस पर एकमत है।

यह पानी जब तक भारी मात्रा में हो, जैसे तालाब, हौज़, नहर का पानी, उसमें कोई नापाकी भी गिर जाये तो नापाक नहीं होता, इस पर भी सब का इत्तिफ़ाक़ है, बशर्ते कि पानी में गन्दगी नापाकी का असर ज़ाहिर न हो, और उसका रंग, ज़ायका और बू तब्दील न हो, लेकिन थोड़ा पानी हो और उसमें गन्दगी व नापाकी गिर जाये तो उसका क्या हुक्म है? इस मसले में मुज्ताहिद इमामों का मतभेद है, इसी तरह पानी की ज़्यादा या कम मात्रा निर्धारित करने में अलग-अलग अक़वाल हैं। तफ़सीरे मज़हरी और तफ़सीरे कुर्तुबी में इस जगह पानी से मुताल्लिक़ तमाम मसाईल तफ़सील के साथ लिखे हैं और ये मसाईल इस्लामी क़ानून की आ़म किताबों में भी बयान हुए हैं इसलिये यहाँ नक़ल करने की ज़रूरत नहीं।

وَسُقِيَهُمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيُّ كَثِيرًا

'अनासी' अनसा की जमा (बहुवचन) है और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इनसान की जमा है। आयत में यह बतलाया है कि आसमान से नाज़िल किये हुए पानी से अल्लाह तआला ज़मीन को भी सैराब करता है और जानवरों को भी, और बहुत से इनसानों को भी। यहाँ यह बात ग़ौर करने के फ़ायिल है कि जिस तरह जानवर सब के सब इस पानी से सैराब होते हैं इसी तरह इनसान भी सभी इस पानी से फ़ायदा उठाते और सैराब होते हैं। फिर उनमें यह ख़ास करना कि बहुत से इनसानों को सैराब किया, इस से तो यह लाज़िम आता है कि बहुत से इनसान इस सैराबी से मेहरूम और अलग हैं। जवाब यह है कि यहाँ बहुत से इनसानों से वे जंगल के रहने वाले लोग मुराद हैं जिनका उमूमन गुज़ारा बारिश के पानी से होता है, शहरी आबादी वाले तो नहरों के किनारों पर कुओं के करीब आबाद होते हैं, बारिश के मुन्तज़िर नहीं रहते।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ

आयत का मतलब यह है कि बारिश को हम बदलते और फेरते रहते हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे में। हज़रत इब्ने अब्बास रज़िधल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि यह जो लोगों में शोहरत होती है कि इस साल बारिश ज़्यादा है, इस साल कम है, यह हकीक़त के एतिबार से सही नहीं, बल्कि बारिश का पानी तो हर साल अल्लाह तआला की तरफ़ से बराबर नाज़िल होता है अलबत्ता अल्लाह के हुक्म से यह होता रहता है कि उसकी मात्रा किसी शहर बस्ती में ज़्यादा कर दी किसी में कम कर दी। कई बार कमी करके किसी बस्ती के लोगों को सज़ा देना और चेताना होता है और कई बार ज़्यादती भी अज़ाब बन जाती है। तो वही पानी जो ख़ालिस रहमत है, जो लोग अल्लाह तआला की नाशुक़ी और नाफ़रमानी करते हैं उनके लिये इसी को अज़ाब और सज़ा बना दिया जाता है।

कुरआन की दावत को फैलाना बहुत बड़ा जिहाद है

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

यह आयत मक्की है जबकि काफ़िरों से क़िताल व जंग के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे इसी लिये यहाँ जिहाद को बिही के साथ सशर्त किया गया। बिही (इससे) में इस से कुरआन मुराद है आयत के मायने यह हैं कि कुरआन के ज़रिये इस्लाम के मुखालिफ़ों से जिहाद करो बड़ा जिहाद। कुरआन के ज़रिये इस जिहाद का हासिल उसके अहकाम की तब्तीग़ और अल्लाह की मख़्लूक को उसकी तरफ़ तवज्जोह देने की हर कोशिश है, चाहे ज़बान से हो या क़लम से या दूसरे तरीकों से, इस सब को यहाँ जिहाद-ए-कबीर (बड़ा जिहाद व कोशिश) फ़रमाया है।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

लफ़्ज़ मरज आज़ाद छोड़ देने के मायने में आता है, इसी वजह से 'मरज' चरागाह को कहते हैं जहाँ जानवर आज़ादी से चलें फिरें और चरें। अज़ब मीठे पानी को कहा जाता है। फ़ुरात अच्छे ज़ायके और खुशगवार, और मिल्ह नमकीन, उजाज तेज़ व कड़वे को कहते हैं।

हक़ तआला ने अपने फ़ज़ल और कामिल हिक्मत से दुनिया में दो तरह के दरिया पैदा फ़रमाये हैं- एक सबसे बड़ा बहर-ए-मुहीत जिसको समुद्र कहते हैं और ज़मीन के सब किनारे उसमें घिरे हुए हैं एक चौथाई के करीब हिस्सा है जो इससे खुला हुआ है, उसमें सारी दुनिया आबाद है। यह सबसे बड़ा दरिया अल्लाह की हिक्मत के तकाज़े से सख़्त नमकीन, कड़वा और बुरे ज़ायके वाला है। ज़मीन के आबाद हिस्से पर आसमान से उतारे हुए पानी के चश्मे, नदियाँ, नहरें और बड़े-बड़े दरिया हैं, यह सब मीठे खुशगवार और अच्छे ज़ायके वाले हैं। इनसान को अपने पीने और प्यास बुझाने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ऐसे ही मीठे पानी की ज़रूरत है जो हक़ तआला ने ज़मीन के आबाद हिस्से में मुख़लिफ़ सूरतों में मुहैया फ़रमा दिया है। लेकिन बहर-ए-मुहीत समुद्र अगर मीठा होता तो मीठे पानी का खास्सा है कि बहुत जल्द सड़ जाता है, खुसूसन समुद्र जिसमें खुशकी की आबादी से ज़्यादा दरियाई इनसानों जानवरों की आबादी भी है जो उसमें मरते हैं, वहीं सड़ते और मिट्टी हो जाते हैं और पूरी ज़मीन के पानी और उसमें बहने वाली सारी गंदगियाँ भी आख़िरकार समुद्र में जाकर पड़ती हैं। अगर यह पानी मीठा होता तो दो-चार दिन में ही सड़ जाता। और यह सड़ता तो इसकी बदबू से ज़मीन वालों को ज़मीन पर रहना मुसीबत हो जाता इसलिये अल्लाह की हिक्मत ने इसको इतना सख़्त नमकीन, कड़वा और तेज़ बना दिया कि दुनिया भर की गंदगियाँ उसमें जाकर भस्म हो जाती हैं और खुद उसमें रहने वाली मख़्लूक भी जो उसी में मरती है वह भी सड़ने नहीं पाती।

उक्त आयत में एक तो इस इनाम व एहसान का ज़िक्र है कि इनसान की ज़रूरत का लिहाज़ फ़रमाकर दो किस्म के दरिया पैदा फ़रमाये। दूसरे इस कामिल कुदरत का कि जिस जगह मीठे पानी का दरिया या नहर समुद्र में जाकर गिरते हैं और मीठा और कड़वा दोनों पानी एकत्र हो जाते हैं वहाँ यह देखा जाता है कि दोनों पानी मीलों दूर तक इस तरह साथ लगे हुए चलते हैं कि एक तरफ़ मीठा,

दूसरी तरफ़ कड़वा और एक दूसरे से नहीं मिलते, हालाँकि उन दोनों के बीच कोई आड़ बाधा और रुकावट नहीं होती।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝

नसब उस रिश्ते और कराबत को कहा जाता है जो बाप या माँ की तरफ़ से हो, और सहर वह रिश्ता व ताल्लुक है जो बीवी की तरफ़ से हो, जिसको उर्फ़ में ससुराल बोलते हैं। ये सब ताल्लुकात और रिश्ते अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जो इनसान की खुशगवार ज़िन्दगी के लिये लाज़िमी हैं, अकेला आदमी कोई काम भी नहीं कर सकता।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

यानी तुम्हीं ईमान की दावत और अल्लाह तआला के अहकाम पहुँचाने और दुनिया व आख़िरत में तुम्हारे लिये फ़लाह की कोशिश करने में मेरा कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं। मैं अपनी इस मेहनत का तुमसे कोई अज़्र व मुआवज़ा नहीं माँगता, मेरा फ़ायदा इसके सिवा नहीं कि जिसका जी चाहे अल्लाह का रास्ता इख़्तियार कर ले। और यह ज़ाहिर है कि कोई शख्स राह पर आ जाये तो फ़ायदा उसी का है, इसको अपना फ़ायदा करार देना पैग़म्बराना शफ़क़त की तरफ़ इशारा है कि मैं तुम्हारे फ़ायदे ही को अपना फ़ायदा समझता हूँ। यह ऐसा है जैसे कोई बूढ़ा ज़ईफ़ बाप औलाद को कहे कि तुम खाओ पियो और खुश रहो, यही मेरा खाना पीना और खुश रहना है। और यह भी मुम्किन है कि इसको अपना फ़ायदा इस लिहाज़ से फ़रमाया हो कि इसका सवाब आपको मिलेगा जैसा कि सही हदीसों में आया है कि जो शख्स किसी को नेक कामों की हिदायत (रहनुमाई) करता है और वह उसके कहने के मुताबिक़ नेक अमल करे तो उसके अमल का सवाब खुद करने वाले को भी पूरा-पूरा मिलेगा और उतना ही सवाब हिदायत करने वाले शख्स को भी मिलेगा। (तफ़्सीरे मज़हरी)

فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا ۝

यानी आसमानों ज़मीनों को पैदा करना फिर अपनी शान के मुताबिक़ उन पर जलवा-अफ़रोज़ होना सब अल्लाह रहमान का काम है, इसकी तस्दीक़ व तहकीक़ मतलूब हो तो किसी जानने वाले से पूछिये। जानने वाले से मुराद हक़ तआला या जिब्रीले अमीन हैं, और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद पहली आसमानी किताबों के उलेमा हों जिनको अपने-अपने पैग़म्बरों के ज़रिये इस मामले की इत्तिला मिली है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ۝

लफ़ज़ रहमान अरबी भाषा का लफ़ज़ है, इसके मायने सब अरब जानते थे मगर यह लफ़ज़ वे अल्लाह तआला के लिये न बोलते थे इसी लिये यहाँ यह सवाल किया कि रहमान कौन और क्या है।

تَسْرُكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا مُّنِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

इन आयतों से इनसान को यह बतलाना मक़सद है कि हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे और

सूरज व चाँद और उनके ज़रिये रात-दिन का अदलना-बदलना और उनका अंधेरा और रोशनी और ज़मीन व आसमान की तमाम कायनात इसलिये पैदा किये हैं कि ग़ौर व फ़िक्र करने वाले को इसमें हक़ तआला की कामिल कुदरत और तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने) की दलीलें हासिल हों। और शुक्रगुज़ार के लिये शुक्र के मौक़े मिलें। तो जिस शख्स का वक़्त दुनिया में इन दोनों चीज़ों से ख़ाली गुज़र गया उसका वक़्त ज़ाया हो गया, और उसकी असल पूँजी भी फ़ना हो गयी। या अल्लाह! आप हमें ज़िक्र और शुक्र करने वालों में से बना दीजिये।

इब्ने अरबी फ़रमाते हैं कि मैंने शहीद-ए-अक़बर से सुना है कि बड़े ग़बन और ख़सारे में है वह आदमी जिसकी उम्र साठ साल हुई। उसमें से आधा वक़्त तीस साल रात को सोने में गुज़र गये और छठा हिस्सा यानी दस साल दिन को आराम करने में गुज़र गया तो साठ में से सिर्फ़ बीस साल काम में लगे। क़ुरआने हकीम ने इस जगह बड़े-बड़े सितारों और सव्यारों (ग्रहों) और आसमानी चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद यह भी बतला दिया कि क़ुरआन इन चीज़ों का ज़िक्र बार-बार इसलिये करता है कि तुम इनकी पैदाईश और इनकी हरकतों (गर्दिशों और गतिविधियों), इनसे पैदा होने वाले असरात में ग़ौर करके इनके पैदा करने वाले और चलाने वाले को पहचानो और शुक्रगुज़ारी के साथ उसे याद करते रहो। बाक़ी रहा यह मसला कि आसमानी चीज़ों और वहाँ के जिस्मों की हकीक़त और शक़्ल व सूरत क्या है यह आसमानों के जिस्म (पिण्ड) और ढाँचे के अन्दर समाये हुए हैं या उनसे बाहर की आसमानी फ़ज़ा (अंतरिक्ष) में हैं, इनसान की ज़िन्दगी या आख़िरत का कोई मसला इससे जुड़ा हुआ नहीं, और उनकी हकीक़त का मालूम करना इनसान के लिये आसान भी नहीं। जिन लोगों ने अपनी उम्रें इस काम में लगा दी हैं उनके इक़्रार से साबित है कि वे भी कोई निश्चित और आख़िरी फ़ैसला नहीं कर सके, और जो फ़ैसले किये वो भी खुद दूसरे वैज्ञानिकों की विभिन्न तहक़ीक़ात ने सदिग्ध और नाक़ाबिले भरोसा कर दिये, इसलिये क़ुरआन की तफ़सीर में इससे ज़्यादा किसी बहस में पड़ना भी क़ुरआन की कोई ज़रूरी ख़िदमत नहीं। लेकिन इस ज़माने के वैज्ञानिकों ने मरनूई सव्यारे (तैयार किये हुए उपग्रह) उड़ाने और चाँद तक पहुँच जाने और वहाँ की मिट्टी पत्थर, ग़ारों, पहाड़ों के फ़ोटो उपलब्ध करने में बिला शुब्हा हैरत-अंग्रेज़ कारनामे अन्जाम दिये मगर अफ़सोस है कि क़ुरआने हकीम इन चीज़ों से इनसान को जिस हकीक़त के पहचानने का सबक़ देना चाहता है ये लोग अपनी तहक़ीकी मेहनतों के ग़ुरुर में मस्त होकर उससे और ज़्यादा दूर हो गये और आम लोगों के जेहनों को भी बुरी तरह उलझा दिया, कोई इन चीज़ों को क़ुरआन के ख़िलाफ़ समझकर इन अनुभवों और देखी जा रही चीज़ों का ही इनकार कर देता है कोई क़ुरआने करीम में दूर के मतलब बयान करने लगता है, इसलिये ज़रूरी मालूम हुआ कि ज़रूरत के मुताबिक़ तफ़सील के साथ इस मसले को वाज़ेह कर दिया जाये। सूर: हिज़्र की आयत:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

(सूर: हिज़्र आयत 16) के तहत इसका वायदा भी किया गया था कि सूर: क़ुरक़ान में इसकी तफ़सील लिखी जायेगी। वह इस प्रकार है। अल्लाह अपनी तौफ़ीक़ शामिले हाल रखे।

सितारे और सव्यारे आसमानों के अन्दर हैं या बाहर? पुराने व नये खगोल विद्या के नज़रियात और क़ुरआने करीम के इरशादात

جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.

'ज-अ-ल फ़िस्समा-इ बुरूजन्' के अलफ़ाज़ से बज़ाहिर यह समझा जाता है कि ये बुरूज यानी सव्यारे आसमानों के अन्दर हैं, क्योंकि हर्फ़ फी किसी चीज़ के अन्दर होने के लिये इस्तेमाल होता है। इसी तरह सूर: नूह में है:

أَلَمْ تَرَوْكَيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا

इसमें फ़ीहिन्-न (उन में) से उन से सात आसमान मुराद है जिससे ज़ाहिरन यही समझ में आता है कि चाँद आसमानों के अन्दर है। लेकिन यहाँ दो बातें गौर करने के काबिल हैं— अव्वल तो यह कि क़ुरआने करीम में लफ़ज़ 'समा' जिस तरह उस अज़ीमुशशान और वहम व गुमान से ज़ायद बुस्तत व गुंजाईश रखने वाली मख़्लूक के लिये इस्तेमाल होता है जिसमें क़ुरआन की वज़ाहतों के मुताबिक़ दरवाज़े हैं और दरवाज़ों पर फ़रिश्तों के पहेरे हैं, जो खास-खास वक़्तों में खोले जाते हैं और जिनकी संख्या क़ुरआने करीम ने सात बतलाई है। इसी तरह यह लफ़ज़ 'समा' हर बुलन्द चीज़ जो आसमान की तरफ़ हो उस पर भी बोला जाता है। आसमान व ज़मीन के दरमियान की फ़ज़ा (ख़ाली और खुली) जगह) और उससे आगे जिसको आजकल की परिभाषा में ख़ला (अंतरिक्ष) बोलते हैं यह सब दूसरे मायने के एतिबार से लफ़ज़ 'समा' के मायने में दाख़िल हैं। 'अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ माअन् तहूरन्' (उतारा हमने आसमान से पानी पाकी हासिल करने का) और इसी तरह की दूसरी आयतें जिनमें आसमान से पानी बरसाने का ज़िक्र है उनको अक्सर मुफ़स्सरीन ने इसी दूसरे मायने पर महमूल फ़रमाया है। क्योंकि आम अनुभव और देखने से भी यह साबित है कि बारिश उन बादलों से बरसती है जो आसमान की बुलन्दी से कोई निस्बत नहीं रखते, और खुद क़ुरआने करीम ने भी दूसरी आयतों में बादलों से पानी बरसाने की वज़ाहत फ़रमाई है। इरशाद है:

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

इसमें 'मुज़्ज' 'मुज़्जतु' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने सफ़ेद बादल के आते हैं। मायने यह है कि क्या बारिश को सफ़ेद बादलों से तुमने उतारा है या हमने? दूसरी जगह इरशाद है:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا

इसमें 'मुअ्सिरात' के मायने पानी से भरे हुए बादल हैं, और आयत के मायने यह है कि हमने ही पानी भरे बादलों से ख़ूब ज़्यादा पानी बरसाया। क़ुरआन मजीद की इन स्पष्ट वज़ाहतों और आम अनुभवों की बिना पर जिन क़ुरआनी आयतों में बारिश का आसमान से बरसाना बयान हुआ है उनमें भी अक्सर मुफ़स्सरीन ने लफ़ज़ सव्या के यही दूसरे मायने लिये हैं, यानी आसमानी फ़ज़ा।

खुलासा यह है कि जब क़ुरआने करीम और लुग़त के बयान के मुताबिक़ लफ़ज़ समा आसमानी फ़ज़ा (अंतरिक्ष) के लिये भी बोला जाता है और खुद आसमान के जिस्म (पिण्ड) और ढाँचे के लिये

ना, ता एसा सूरत म जिन आयता में सितारों और सय्यारों (ग्रहों) के लिये 'फ़ेस्समा-इ' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है उनके मफ़हूम में दोनों गुमान व संभावना मौजूद हैं कि यह सितारे और सय्यारे आसमानी जिस्म (पिण्ड) के अन्दर हों या आसमानी फ़ज़ा में आसमानों के नीचे हों। और दो संभावनाओं के होते हुए कोई निश्चित फ़ैसला कुरआन की तरफ़ मन्सूब नहीं किया जा सकता कि कुरआन ने सितारों और सय्यारों को आसमान के अन्दर करार दिया है या उनसे बाहर अन्तरिक्ष में। बल्कि कुरआन के अलफ़ाज़ के एतिबार से दोनों सूरतें मुम्किन हैं। कायनात की तहकीक़ात और तजुर्वे व मुशाहदे से जो सूरत भी साबित हो जाये कुरआन की कोई वज़ाहत व बयान उसके विरुद्ध नहीं है।

कायनात की हकीकतें और कुरआन

यहाँ एक बात उसूली तौर पर समझ लेना ज़रूरी है कि कुरआने करीम कोई फ़ल्सफ़े या खगोल विद्या की किताब नहीं जिसमें बहस का विषय कायनात की हकीकतें या आसमानों और सितारों की शक़ल व सूरत और उनकी हरकतों व ग़ौरह का बयान हो, मगर इसके साथ ही वह आसमान व ज़मीन और उनके बीच की कायनात का ज़िक्र बार-बार करता है, उनमें ग़ौर व फ़िक्र की तरफ़ दावत भी देता है। कुरआने करीम की इन तमाम आयतों में ग़ौर करने से स्पष्ट तौर पर यह साबित हो जाता है कि कुरआन पाक कायनात के इन तथ्यों और हकीकतों के मुताल्लिक़ इनसान को सिर्फ़ वो चीज़ें बतलाना चाहता है जिनका ताल्लुफ़ उसके अज़ीबे और नज़रिये को ठीक करने से हो, या उसके दीनी और दुनियावी फ़ायदे उनसे संबन्धित हों। मसलन कुरआने करीम ने आसमान व ज़मीन और सितारों, सय्यारों (ग्रहों) का और उनकी हरकतों (गर्दिश) से पैदा होने वाले असरात का ज़िक्र बार-बार एक तो इस मक़सद से किया है कि इनसान उनकी अज़ीब व ग़रीब कारीगरी और इनसानी ताक़त से ऊपर आसार को देखकर यह यकीन करे कि ये चीज़ें खुद-बखुद पैदा नहीं हो गयीं इनको पैदा करने वाला कोई सबसे बड़ा हकीम (हिक्मत वाला) सब से बड़ा अलीम (जानने वाला) और सब से बड़ा कुदरत व ताक़त वाला है। और इस यकीन के लिये हरगिज़ इसकी ज़रूरत नहीं कि आसमानों की और फ़ज़ाई मख़्लूक़ात और सितारों सय्यारों के भादे की हकीकत और उनकी असली शक़ल व सूरत और उनके पूरे निज़ाम की पूरी कैफ़ियत इसको मालूम हो। बल्कि इसके लिये सिर्फ़ इतना ही काफी है जिसको हर शख्स अपने अनुभव से देखता और अक़ल व समझ से समझता है कि सूरज व चाँद और दूसरे सितारों के कभी सामने आने और कभी ग़ायब हो जाने से तथा चाँद के घटने बढ़ने से और रात दिन के अदलने-बदलने से, फिर मुख़लिफ़ मौसमों और मुख़लिफ़ इलाक़ों में दिन-रात के घटने बढ़ने के अज़ीब व ग़रीब निज़ाम से जिसमें हज़ारों साल से कभी एक मिनट एक सैकिण्ड का फ़र्क़ नहीं आता, इन सब बातों से एक मामूली अक़ल व समझ रखने वाला इनसान यह यकीन करने पर मजबूर हो जाता है कि यह सब कुछ हकीमाना निज़ाम यूँ ही खुद-बखुद नहीं चल रहा, कोई इसका बनाने चलाने वाला और बाकी रखने वाला है, और इतना समझने के लिये इनसान को न किसी वैज्ञानिक खोज व शोध और उपकरणों व सैटेलाइट व ग़ौरह की हाज़त पड़ती है न कुरआन ने इसकी तरफ़ दावत दी। कुरआन की दावत सिर्फ़ उसी हद तक इन चीज़ों में ग़ौर व फ़िक्र की है जो आम अनुभव और तजुर्वे

से हासिल हो सकते हैं। यही वजह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम ने आलाते रसदिया बनाने या मुहैया करने और आसमानी जिस्म व ढाँचे (पिण्ड) की हालतें व कैफ़ियतें मालूम करने का बिल्कुल भी कोई एहतिमाम नहीं फ़रमाया। अगर इन कायनाती निशानियों में ग़ौर व फ़िक्र और गहन विचार करने का यह मतलब होता कि इनके तथ्यों, शक्त व सूरत और इनकी हरकतों (गर्दिशों व गतिविधियों) का फ़ल्सफ़ा (इल्म व ज्ञान) मालूम किया जाये तो यह नामुम्किन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसका एहतिमाम न फ़रमाते, खुसूसन जबकि इन उलूम का रिवाज और सीखने सिखाने का सिलसिला दुनिया में उस वक़्त मौजूद भी था।

मिस्र, शाम, हिन्द, चीन वगैरह में इन उलूम व फ़ुनून के जानने वाले और इन पर काम करने वाले मौजूद थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पाँच सौ साल पहले फ़ीसागौरस (फ़ल्सफ़ी) का और उसके कुछ बाद बतलीमूस का नज़रिया दुनिया में फैल और राइज हो चुका था, और उस ज़माने के हालात के मुताबिक़ सितारों की गर्दिश देखने के उपकरण वगैरह बनाये भी जा चुके थे मगर जिस पाक ज़ात पर ये आयतें नाज़िल हुईं और जिन सहाबा-ए-किराम ने डायरेक्ट आप से इनको पढ़ा उन्होंने कभी इस तरफ़ तवज्जोह तक नहीं फ़रमाई। इससे निश्चित तौर पर मालूम हुआ कि इन कायनाती आयतों में गहन विचार और ग़ौर व फ़िक्र का वह मन्शा हरगिज़ न था जो आजकल के कुछ तजद्दुद पसन्द उलेमा ने यूरोप और उसकी तहकीक़ात से प्रभावित होकर इख़्तियार किया है कि अंतरिक्ष सफ़र, चाँद और मंगल ग्रह व जोहरा पर कमन्दें फ़ैकने की कोशिशें कुरआने करीम के तकाज़े को पूरा करना है।

बस सही बात यह है कि कुरआने करीम न इन फ़ल्सफ़ी और नई व पुरानी वैज्ञानिक तहकीक़ात की तरफ़ लोगों को दावत देता है न इनसे बहस करता है, और न इनकी मुखालफ़त करता है। कुरआने करीम का हकीमाना उसूल व अन्दाज़ कायनात व मख़्लूक़ात से संबन्धित तमाम फ़ुनून के बारे में यही है कि वह हर फ़न की चीज़ों से सिर्फ़ उसी क़द्र लेता और बयान करता है जिस क़द्र इनसान की दीनी या दुनियावी ज़रूरत से संबन्धित है, और जिसको इनसान आसानी से हासिल भी कर सकता है, और जिसके हासिल होने पर अन्दाज़न उसको इत्मीनान भी हो सकता है। फ़ल्सफ़ियाना ग़ैर-ज़रूरी बहसों से और ऐसी तहकीक़ात से जो आम इनसानों के काबू से बाहर हैं और जिनको कुछ हासिल कर लेने के बाद भी क़तई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वही सही हैं बल्कि हैरानी और शक़ बढ़ते हैं, ऐसी बहसों में इनसान को नहीं उलझाता। क्योंकि कुरआन की नज़र में इनसान की मन्ज़िले मक़सूद इन तमाम ज़मीनी और आसमानी कायनात व मख़्लूक़ात से आगे अपने ख़ालिक़ की पसन्दीदा बातों और कामों पर चलकर जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतों और राहतों को हासिल करना है। कायनात के तथ्यों की बहस न इसके लिये ज़रूरी है और न उस पर पूरी महारत इनसान के बस में है। हर ज़माने के फ़्लौस्फ़रों और आसमानी चीज़ों के विशेषज्ञों के नज़रियों में सख़्त मतभेद और रोज़मर्रा की नई-नई चीज़ों का ज़ाहिर होना इसकी स्पष्ट दलील हैं कि किसी नज़रिये और तहकीक़ को यकीनी और आख़िरी नहीं कहा जा सकता। इनसानी ज़रूरत से संबन्धित तमाम फ़ुनून, आकाशीय चीज़ें, अंतरिक्ष की कायनात, बादल व बारिश, स्पेस, ज़मीन तबके और परत, फिर ज़मीन पर पैदा होने वाली मख़्लूक़ात, बेजान चीज़ें, खनिज पदार्थ, पेड़-पौधे, जानवरों से और आम इनसान

और इन्सानी उत्तम व फुनून, व्यापार, खेती-बाड़ी, कारीगरी व हुनर वगैरह इन सब में से कुरआने हकीम सिर्फ़ इनकी रूह और जाहिर में दिखाई देने वाले हिस्से को उस कद्र लेता है जिसमें इनसान की दीनी या दुनियावी ज़रूरत संबन्धित है, बेकार और फालतू की तहकीकात की दलदल में इनसान को नहीं फंसाता, अलबत्ता कहीं-कहीं किसी खास मसले की तरफ़ इशारा या स्पष्टता भी पाई जाती है।

कुरआन की तफ़सीर में फ़िल्सफ़ी नज़रियों की

मुवाफ़क़त या मुख़ालफ़त का सही मेयार

पहले और बाद के अहले हक़ उलेमा इस पर सहमत हैं कि इन मसाले के मुताल्लिक़ जो बात कुरआने करीम से यकीनी तौर पर साबित है अगर कोई पुराना या नया नज़रिया उससे भिन्न और अलग हो तो उसकी वजह से कुरआनी आयतों में खींच-तान और दूर का और ग़ैर-मशहूर मतलब बयान करना जायज़ नहीं। उस नज़रिये ही को मुग़ालता (धोखे में डालने वाला) करार दिया जायेगा, अलबत्ता जिन मसाले में कुरआने करीम की कोई स्पष्टता मौजूद नहीं, कुरआनी अलफ़ाज़ में दोनों मायनों की गुंजाईश है वहाँ अगर तहकीकात और तजुर्बे से किसी एक नज़रिये को प्रबलता हासिल हो जाये तो कुरआन की आयत को भी उसी मायने पर महमूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे इसी आयत 'ज-अ-ल फ़िस्समा-इ बुरूजन्' में है कि कुरआने करीम ने इस बारे में कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया कि सितारे आसमान के अन्दर हैं या बाहर आसमानी फ़ज़ा में हैं। आजकल जबकि फ़ज़ाई (अंतरिक्ष की) तहकीकात ने यह साबित कर दिया कि इन सध्यों (ग्रहों) तक पहुँचा जा सकता है तो इससे फ़ीसाग़ौरस के नज़रिये की ताईद हो गयी कि सितारे आसमानों में जड़े और मिले हुए नहीं, क्योंकि कुरआने करीम और स्पष्ट हदीसों की वज़ाहतों के हिसाब से आसमान एक ऐसा हिसार (घेराबन्दी वाला) है जिसमें दरवाज़े हैं और दरवाज़ों पर फ़रिश्तों का पहरा है, उनमें हर शख्स दाख़िल नहीं हो सकता। इस तहकीक़ और तजुर्बे की बिना पर उक्त आयत का यह मफ़हूम करार दिया जायेगा कि सितारों को आसमानी फ़ज़ा में पैदा किया गया है, और यह कोई तावील (दूर का और ग़ैर-मशहूर मतलब लेना) नहीं बल्कि दो मतलबों में से एक को मुतयन करना है।

लेकिन अगर कोई सिरे से आसमानों के वजूद का इनकार करे जैसे आसमानी चीज़ों के इल्म का दावा करने वाले कुछ लोग कहते हैं, या कोई यह दावा करे कि रॉकेटों और हवाई जहाज़ों के ज़रिये आसमानों के अन्दर दाख़िल हो सकता है तो कुरआनी वज़ाहत के हिसाब से इस दावे को ग़लत करार दिया जायेगा। क्योंकि कुरआने करीम ने अनेक आयतों में यह बात स्पष्ट तौर पर बतलाई है कि आसमानों में दरवाज़े हैं और वो दरवाज़े ख़ास-ख़ास हालात में खोले जाते हैं, उन दरवाज़ों पर फ़रिश्तों का पहरा लगा हुआ है। आसमानों में दाख़िला हर शख्स का जब चाहे नहीं हो सकता। इस दावे की वजह से उन आयतों में कोई तावील (मतलब में तब्दीली) नहीं की जायेगी और इस दावे को ग़लत करार दिया जायेगा।

इसी तरह जबकि कुरआने करीम की आयत:

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

(सूरः अम्बिया आयत 33) से सितारों का हरकत करना साबित है, तो इस मामले में बतलीमूस फ़ल्सफी के नज़रिये को ग़लत करार दिया जायेगा जिसके हिसाब से सितारे आसमान के जिस्म (पिण्ड) में जड़े हुए हैं, वे खुद हरकत नहीं करते बल्कि आसमान की हरकत के ताबे उनकी हरकत होती है।

इससे मालूम हुआ कि पहले ज़माने के मुफ़स्सरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) में से कुछ लोग जो आकाशीय तहकीकात से मुताल्लिक बतलीमूस के नज़रिये को मानते थे उन्होंने उन कुरआनी आयतों में तावीलों से काम लिया जिनसे बतलीमूस के नज़रिये के खिलाफ़ कोई चीज़ समझी जाती थी। इसी तरह आजके कुछ लेखक जिन आयतों को आजकी आकाशीय मालूमात के नज़रियों से अलग और भिन्न समझते हैं, उनमें तावीलें करके उसके मुताबिक़ बनाने की फ़िक्र करते हैं, ये दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं, पहले के उलेमा व बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ़ और नकारने के काबिल है। अलबत्ता हकीकत यही है कि इस वक़्त तक आकाशीय उलूम की आधुनिक खोज ने जो नई तहकीकात पेश की हैं उनमें आसमानों के इनकार के सिवा कोई भी कुरआन व सुन्नत के खिलाफ़ नहीं, कुछ लोग अपनी इल्मी और मालूमाती कमी से उनको कुरआन या सुन्नत के खिलाफ़ समझकर उनका उल्टा-सीधा मतलब बयान करने के पीछे पड़ जाते हैं।

मौजूदा ज़माने के सबसे बड़े कुरआन के मुफ़स्सिर सैयद महमूद आलूसी बग़दादी जिनकी तफ़सीर 'रुहुल-मआनी' पहले उलेमा व बुजुर्गों की तफ़सीरों का बेहतरीन खुलासा और अरब व अज़म, पूरब व पश्चिम में मक़बूल व मोतबर तफ़सीर है, यह जिस तरह कुरआन व सुन्नत के ज़बरदस्त आलिम हैं इसी तरह फ़ल्सफ़े और नये पुराने इल्मे हैयत (खगोल विद्या) के भी बड़े आलिम हैं। इन्होंने अपनी तफ़सीर में फ़ल्सफी तहकीकात के मुताल्लिक यही उसूल करार दिया है जो ऊपर ज़िक्र किया गया है और इनके पोते अल्लामा सैयद महमूद शक़ी आलूसी ने इन मसाल पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है, जो अरबी भाषा में है और उसका नाम:

مادل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان.

है। जिसमें नये इल्मे हैयत (खगोल विद्या) के नज़रियों की ताईद कुरआने करीम की रोशनी में की गयी है, मगर दूसरे तजद्दुद पसन्द उलेमा की तरह कुरआनी आयतों में किसी किस्म की तावील को जायज़ नहीं रखा। उनके चन्द जुमले इस जगह नक़ल कर देना काफी हैं जो नये इल्मे हैयत की ताईद में लिखे हैं। वह फ़रमाते हैं:

رأيت كثيرا من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة على انها لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولم نزول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذاهب السلف الخيرية بالقبول بل لا بد ان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل كل منهما يصدق الآخر ويؤيده. (مادل عليه القرآن)

“मैंने नये इल्मे हैयत (आधुनिक खगोल विद्या) के बहुत से उसूलों और कावदों को देखा है,

वो कुरआन व सुन्नत के बयानात के खिलाफ नहीं। और इसके बावजूद अगर वह कुरआन व सुन्नत की किसी वजाहत के खिलाफ हो तो हम उसकी तरफ रुख न करेंगे और कुरआन व सुन्नत की वजाहतों व दलीलों में उसकी वजह से तावील न करेंगे, क्योंकि ऐसी तावील पहले के बुजुर्गों व उलेमा के मकबूल तरीके व अमल में नहीं है, बल्कि हम उस वक्त यह कहेंगे जो नज़रिया कुरआन व सुन्नत के खिलाफ है उसमें ही कोई खलल है क्योंकि सलामती वाली अक़ल और सही नक़ल में कभी टकारव नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे की ताईद करते हैं।"

कलाम का खुलासा यह है कि आकाशीय चीजों, सितारों, सय्यारों (ग्रहों) की हरकतों और हालतों के मुताल्लिक बहस व तहकीक़ कोई नया फ़न नहीं, हजारों साल पहले से इन मसाईल पर तहकीक़ात का सिलसिला जारी है। मिस्र, शाम, हिन्द, चीन वगैरह में इन फ़ुनून का चर्चा पुराने ज़माने से चला आ रहा है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पाँच सौ साल पहले इस फ़न का बड़ा विद्वान फ़ीसागौरस गुज़रा है जो इतालिया के मदरसे करोतोना में बाक़ायदा इसकी तालीम देता था, उसके बाद मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाईश से तक़रीबन एक सौ चालीस साल पहले इस फ़न का दूसरा विद्वान बतलीमूस रोमी आया और उसी ज़माने में एक दूसरे फ़िलॉस्फ़र हेयर ख़ोस की शोहरत हुई जिसने ज़ाविये (कोण) नापने के उपकरण ईजाद किये।

आसमानी चीजों की शक़ल व सूरत और हालत व अमल के नज़रिये के मुताल्लिक़ फ़ीसागौरस और बतलीमूस के एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। बतलीमूस को अपने ज़माने की हुकूमत और अ़वाम का सहयोग व मदद हासिल हुई, उसका नज़रिया इतना फैला कि फ़ीसागौरस का नज़रिया गुमनामी में जा पड़ा। और जब यूनानी फ़ल्सफ़े का अरबी भाषा में तर्जुमा हुआ तो यही बतलीमूस का नज़रिया उन किताबों में मुन्तक़िल हुआ और इल्म रखने वालों में आम तौर से यही नज़रिया जाना पहचाना गया। बहुत से मुफ़त्सिरीन ने कुरआनी आयतों की तफ़्सीर में भी यही नज़रिया सामने रखकर कलाम किया। ग्यारहवीं सदी हिजरी और पन्द्रहवीं सदी ईसवी जिसमें यूरोप की कौमों की तरक्की की शुरूआत हुई और यूरोप के मुहक्क़ (रिसर्च और शोध कर्ता) लोगों ने इन मसाईल पर काम करना शुरू किया जिनमें सबसे पहले कोपरंक फिर जर्मनी में केलर और इतालिया में गिलेलियो वगैरह के नाम आते हैं। उन्होंने नये सिरे से इन बहसों और विषयों का जायज़ा लिया, यह सब इस पर सहमत हो गये कि आसमानी चीजों की हालत और शक़ल व सूरत के मुताल्लिक़ बतलीमूस का नज़रिया ग़लत और फ़ीसागौरस का नज़रिया सही है। अठारहवीं सदी ईसवी और तेरहवीं सदी हिजरी में इस्हाक़ न्यूटन की शोहरत हुई। उसकी तहकीक़ात व ईजादात ने इसको और ज़्यादा मज़बूती पहुँचाई। उसने यह तहकीक़ की कि वज़नी चीज़ें अगर हवा में छोड़ी जायें तो उनके ज़मीन पर आ गिरने का सबब वह नहीं जो बतलीमूस के नज़रिये में बतलाया गया है कि ज़मीन के बीच में दुनिया का केन्द्र है और तमाम वज़नी चीज़ें केन्द्र की तरफ़ फ़ितरी तौर पर रुजू करती (पलटती) हैं, बल्कि उसने बतलाया कि जितने सितारे और सय्यारे (ग्रहों) हैं सब में एक कशिश और अपनी तरफ़ खींचने का माद्दा है, ज़मीन भी इसी तरह का एक सय्यारा है, इसमें भी कशिश है। जिस हद तक ज़मीन की कशिश का असर रहता है वहाँ से हर वज़नी चीज़ ज़मीन पर आवेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ इसकी

कशिश के दायरे से बाहर निकल जाये तो वह फिर नीचे नहीं आयेगी।

हाल में रूसी और अमेरिकी विशेषज्ञों ने पुराने इस्लामी फ़्लॉस्फ़र अबू रैहान बैरूनी की तहकीक़ात की मदद से रॉकेट वगैरह ईजाद करके इसका अमली तजुर्बा और मुशाहदा कर लिया कि रॉकेट जब अपनी सख़्त कुव्वत और तेज़-रफ़्तारी के सबब ज़मीन की कशिश को तोड़कर उसके दायरे से बाहर निकल गया तो फिर वह नीचे नहीं आता बल्कि एक मस्नूई सय्यारे (निर्मित ग्रह) की सूत इख़्तियार कर लेता और अपने मदार (दायरे) पर चक्कर लगाता है। फिर इन मस्नूई सय्यारों का तजुर्बा करते-करते उसके विशेषज्ञों ने सय्यारों (ग्रहों) तक पहुँचने की तदबीरें शुरू कीं और आख़िरकार चाँद पर पहुँच गये, जिसकी तस्दीक़ इस ज़माने के इस मैदान के तमाम मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ माहिरीन ने की और अब तक चाँद पर बार-बार जाने, वहाँ के पत्थर, मिट्टी वगैरह लाने और उसके फ़ोटो मुहैया करने का सिलसिला जारी है। दूसरे सय्यारों (ग्रहों) तक पहुँचने की भी कोशिशें हो रही हैं और अंतरिक्ष में घूमने और उसकी पैमाईश की मशक़ें जारी हैं।

इनमें से अमेरिकन ख़लाबाज़ (अंतरिक्ष यात्री) जान गिलीन जो कामयाबी के साथ ख़ला का सफ़र करके वापस आया और उसकी कामयाबी पर उसके मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ सभी ने एतिमाद किया, उसका एक बयान अमेरिका के मशहूर मासिक मैगज़ीन 'रीडर्स डायजस्ट' में और उसका उर्दू तजुर्मा अमेरिका के उर्दू माहनामे 'सैरबीन' में तफ़सील से छपा है, यहाँ उसके अहम अंश और हिस्से माहनामे सैरबीन से नक़ल किये जाते हैं जिनसे हमारे ज़ेर-ए-बहस मसले पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। जान गिलीन ने अपने लम्बे मज़मून में ख़ला की आश्चर्य जनक चीज़ों को बयान करते हुए लिखा है:

“यही वह एक एकमात्र चीज़ है जो ख़ला (स्पेस) में खुदा के वजूद पर दलालत करती है, और यह कि कोई ताक़त है जो उन सब को केन्द्र व धुरी से जोड़े रखती है।”

आगे लिखा है कि:

“इसके बावजूद ख़ला में पहले ही से जो अमल जारी है उसको देखते हुए हमारी कोशिशें बहुत ही मामूली हैं। विज्ञान की परिभाषाओं व पैमानों में ख़ला की पैमाईश नामुम्किन है।”

आगे हवाई जहाज़ की मशीनी ताक़त का तज़क़िरा करके लिखा है कि:

“लेकिन एक यकीनी और ग़ैर-महसूस कुव्वत के बग़ैर उसका इस्तेमाल भी सीमित और बेमानी होकर रह जाता है। इसलिये कि जहाज़ को अपने मक़सद के पूरा करने के लिये दिशा व रुख़ के मुतैयन करने की ज़रूरत होती है और यह काम कुतब-नुमा से लिया जाता है। वह कुव्वत जो कुतब-नुमा को सक्रिय रखती है हमारे तमाम पाँचों हवास के लिये एक खुली चुनौती है, उसे न हम देख सकते हैं न सुन सकते हैं न छू सकते हैं न चख़ सकते हैं न सूँघ सकते हैं हालाँकि परिणामों का ज़हूर इस पर स्पष्ट दलालत कर रहा होता है कि यहाँ कोई ग़ैबी और छुपी कुव्वत ज़रूर मौजूद है।”

आगे सैर व सफ़र के सारे नतीजे के तौर पर लिखता है:

“ईसाईयत के उसूल व नज़रिये की हकीक़त भी ठीक यही कुछ है। अगर हम उनको अपना रहनुमा बनायें तो इसके बावजूद कि हमारे हवास उनके समझने से आजिज़ होते हैं लेकिन उस

रहनुमा क़ुव्वत के परिणाम और असरात अपने और अपने दूसरे भाईयों की ज़िन्दगियों में खुली आँखों देखेंगे। यही वजह है कि हम जानते हैं और इस बिना पर कहते हैं कि इस कायनात में एक रहनुमा (रास्ता दिखाने वाली) क़ुव्वत मौजूद है।”

यह हैं ख़ला के मुसाफ़िरो (अंतरिक्ष यात्रियों) और सय्यारों (ग्रहों) पर कमन्द फ़ैकने वालों की कोशिश व मेहनत के परिणाम और जो कुछ उन्होंने इस मैदान में हासिल किया है जो आपने अमेरिकी ख़लाबाज़ (अंतरिक्ष यात्री) के बयान में पढ़े, कि इस तमाम मेहनत व कोशिश के नतीजे में कायनात के राज़ और उसकी हकीक़त तक पहुँच तो क्या होती, बेहद बेहिसाब सय्यारों व सितारों की गर्दिशों का इदराक (इल्म) होकर और हैरानी बढ़ गयी। वैज्ञानिक उपकरणों से उनकी पैमाईश के नामुम्किन होने और अपनी सब कोशिशों की उसके मुक़ाबले में बेहकीक़त होने का इक़रार करना पड़ा। पस इतनी बात हासिल हुई कि कायनात का यह सब निज़ाम और सितारे व सय्यारे (ग्रह) खुद-बख़ुद नहीं बल्कि किसी अज़ीम और ग़ैर-महसूस ताक़त के फ़रमान के ताबे चल रहे हैं। यही वह बात है जिसको अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने पहले क़दम पर आम इनसानों को बतला दिया था और क़ुरआने करीम की बेशुमार आयतों में इसी चीज़ का यकीन दिलाने के लिये आसमान व ज़मीन, सितारों व सय्यारों व ग़ैरह के हालात पर ग़ौर व फ़िक्र करने की तालीम व हिदायत की गयी है।

आपने देख लिया कि जिस तरह ज़मीन में बैठकर आसमानी फ़ज़ाओं और सितारों व सय्यारों (ग्रहों) की तहकीक़ात और उनकी हालत व सूरत पर फ़ल्सफ़ियाना बहसें करने वाले इन चीज़ों की हकीक़त तक न पहुँच सके और आख़िरकार अपनी अज़िज़ी व बेबसी का इक़रार किया, इसी तरह ये ज़मीन से लाखों मील ऊपर का सफ़र करने वाले और चाँद के पत्थर और मिट्टी और वहाँ के फ़ोटो लाने वाले भी हकीक़त पहचानने के मैदान में इससे कुछ आगे न बढ़ सके।

इन तहकीक़ात ने इनसान और इनसानियत को क्या दिया

जहाँ तक इनसानी जिद्दोज़हद और वैचारिक तरक्की और उसकी अजूबा कारी और हैरत-अंगेज़ नयी-नयी चीज़ों के सामने आने का मामला है वह अपनी जगह दुरुस्त और आम नज़रों के एतिबार से सराहनीय भी है। लेकिन अगर इस पर ग़ौर किया जाये कि फ़ालतू की करतब बाज़ी और तमाशबीनी जिससे इनसान और इनसानियत का कोई ख़ास फ़ायदा न हो वह वैज्ञानिकों व अक्लमन्दों का काम नहीं। देखना यह चाहिये कि इस पचास साल की जिद्दोज़हद और अरबों ख़रबों रुपये जो बहुत से इनसानों की मुसीबतें व परेशानियाँ दूर करने के लिये काफ़ी होते उसको आग की भेंट चढ़ा देने और चाँद तक पहुँचकर वहाँ की ख़ाक और पत्थर समेट लाने से इनसान और इनसानियत को क्या फ़ायदा पहुँचा। इनसानों में बड़ी भारी तायदाद ऐसे लोगों की है जो भूख से मरते हैं, उनको लिबास और सर छुपाने की जगह मयस्सर नहीं, क्या इस जिद्दोज़हद ने उनकी गुर्बत व मुसीबत का कोई हल निकाला? या उनकी बीमारियों व आफ़तों से सेहत व अफ़ियत का कोई इन्तिज़ाम किया? या उनके लिये दिली सुकून व राहत का कोई सामान उपलब्ध किया? तो यकीन है कि किसी के पास इसका जवाब सिवाय नफ़ी के नहीं होगा।

यही वजह है कि कुरआन व सुन्नत इनसान को ऐसे बेफ़ायदा मशग़ले में मुब्तला करने से गुरेज़ करते हैं और इस कायनात में ग़ौर व फ़िक्र और विचार की दावत सिर्फ़ दो हैसियतों से देते हैं- पहली हैसियत जो असल मक़सद है यह है कि इन अजीब निशानियों को देखकर इनके असल बनाने वाले और उस ग़ौर-महसूस ताक़त का यकीन कर लें जो इस सारे निज़ाम को चला रही है, उसी का नाम खुदा है। दूसरे इन ज़मीनी और आसमानी मख़्लूक़ात में अल्लाह तआला ने इनसान के फ़ायदे के लिये हर ज़रूरत की चीज़ रख दी है इनसान का काम यह है कि अपनी अक़ल व शऊर और जिदोज़हद से काम लेकर उन चीज़ों को ज़मीन के ख़ज़ानों से निकालने और इस्तेमाल करने के तरीक़े सीख ले। पहली हैसियत असल मक़सद है और दूसरी हैसियत दूसरे दर्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये है, इसलिये ज़रूरत से जायद इसमें मशग़ूल होना पसन्दीदा नहीं, और दुनिया की इस कायनात में ग़ौर व फ़िक्र और विचार की दोनों हैसियतें इनसान के लिये आसान भी हैं, नतीजा पेश करने वाली भी। और इन दोनों हैसियतों के नतीजों में पुराने व नये फ़्लॉस्फ़रों का कोई मतभेद भी नहीं। उनके सब मतभेद व झगड़े आसमानों और सय्यारों की हालत, शक़ल व हकीक़त से संबन्धित हैं जिनको कुरआन ने बेज़रूरत और नाक़ाबिले हासिल करार देकर नज़र-अन्दाज़ कर दिया है। अल्लामा बख़ीत मुफ़्ती-ए-मिस्त्र ने अपनी किताब 'तौफीक़ुर्रहमान' में इल्मे हैयत (खगोल विद्या) को तीन हिस्सों में तक्सीम किया है, एक हिस्सा वसफ़ी (यानी चीज़ों के परिचय और उनकी सिफ़ात से संबन्धित है) जो आसमान के जिस्मों की हरकतों और हिसाबात से मुताल्लिक़ है। दूसरा अमली जो उन हिसाबात को मालूम करने के लिये नये व पुराने उपकरणों व माध्यमों से संबन्धित है। तीसरा तबई जो आसमानों व सय्यारों की हालत व हकीक़त से मुताल्लिक़ है, और लिखा है कि पहली दोनों किस्मों में पहले और बाद के विशेषज्ञों (वैज्ञानिकों) में मतभेद न होने के बराबर हैं। इदराक़ व इल्म के असबाब व सामानों में बहुत बड़ा मतभेद होने के बावजूद नतीजों पर अक्सर बातों में सब का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है, उनका सख़्त मतभेद सिर्फ़ तीसरी किस्म में है।

ग़ौर कीजिए तो इनसानी ज़रूरत के मुताल्लिक़ भी यही पहली दो किस्में हैं। तीसरी किस्म मक़सद से दूर की चीज़ भी है और मुशिकल भी। इसलिये कुरआन व सुन्नत और अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम की आम तालीमात ने इनसान को इस तीसरी बहस में नहीं उलझाया, और पहले बुजुर्गों ने यह नसीहत फ़रमाई है कि आसमानों व फ़ज़ा की कायनात और ज़मीनी कायनात में ग़ौर व फ़िक्र इस हैसियत से कि उनसे पैदा करने वाले के वजूद और तौहीद और उसके बेमिसाल इल्म व कुदरत पर दलील पकड़ी जा सके कुरआनी मक़सद के पूरी तरह मुताबिक़ है, और कुरआन जगह जगह इसकी दावत दे रहा है, और इस हैसियत से कि इन चीज़ों से इनसान की आर्थिक समस्याओं का ताल्लुक़ है वह भी ज़रूरत की हद तक कुरआनी मक़सद है, और कुरआन इसकी तरफ़ भी दावत देता है, मगर इस फ़र्क़ के साथ कि ज़िन्दगी गुज़ारने और ज़िन्दगी की ज़रूरतों को असल मक़सद करार देकर उसमें ही लग जाना न करे, बल्कि इस मौजूदा ज़िन्दगी को असली ज़िन्दगी की तरफ़ एक सफ़र का दर्जा करार देकर उसके मुताबिक़ इसमें मशग़ूल हो।

और तीसरी हैसियत चूँकि इनसानी ज़रूरत से जायद भी है और उसका हासिल होना भी मुश्किल है, उसमें यह कीमती उम्र खर्च करने से गुरेज़ की तरफ़ इशारा करता है। यहाँ से यह भी वाज़ेह हो गया कि मौजूदा विज्ञान की नई तरक़ियाँ और तहकीक़ात को पूरी तरह कुरआनी मन्शा के मुताबिक़ समझना भी ग़लत है जैसा कि कुछ तजद्दुद-पसन्द (आधुनिकी) उलेमा ने लिखा है, और कुरआन को उनका मुखालिफ़ कहना भी ग़लत है जैसा कि कुछ क़दामत-पसन्द (रूढ़िवादी) उलेमा ने कहा है। हकीक़त यह है कि कुरआन न इन चीज़ों के बयान के लिये आया है न यह इसकी बहस का विषय है न इनसान के लिये इनका हासिल करना आसान है, न इनसानी ज़रूरतों से इसका कोई ताल्लुक़ है। कुरआन इन मामलात में ख़ामोश है, तजुर्बों और तहकीक़ात से कोई चीज़ साबित हो जाये तो उसके कुरआन के खिलाफ़ कहना भी सही नहीं। चाँद के ऊपर पहुँचना, रहना बसना और वहाँ की मादनी (खान से निकलने वाली) चीज़ों वगैरह से नफ़ा उठाना वगैरह सब इसमें दाख़िल हैं। इनमें से कोई चीज़ मुशाहदे और तजुर्बे से साबित हो जाये तो उसके इनकार की कोई वजह नहीं, और जब तक साबित न हो ख़्वाह-मख़्वाह उसके ख़्यालात बाँधना और कल्पनायें करना और उसमें इस अनमोल जिन्दगी के वक़्तों को खर्च करना भी कोई अक्लमन्दी नहीं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

इबादुर्रहमान (रहमान के बन्दे)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ

الَّذِينَ يَشُورُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُنْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ خَلِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُؤْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

व अ़िबादुर्रह्मानिल्लज़ी-न यम्शू-न
 अलल्-अर्जि हौनव्-व इज़ा
 खा-त-बहुमुल्-जाहिलू-न कालू
 सलामा (63) वल्लज़ी-न यबीतू-न
 लिरब्बिहिम् सुज्जदव्-व कियामा
 (64) वल्लज़ी-न यकूलू-न रब्ब-नस्रिफ्
 अन्ना अज़ा-ब जहन्न-म इन्-न
 अज़ाबहा का-न गरामा (65) इन्नहा
 साअत् मुस्त-कररव्-व मुकामा (66)
 वल्लज़ी-न इज़ा अन्फ़कू लम् युस्रिफ्
 व लम् यक्तुरू व का-न बै-न
 ज़ालि-क क़वामा (67) वल्लज़ी-न ला
 यद्अू-न मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र
 व ला यक्तूलून्नफ़सल्लती हरमल्लाहु
 इल्ला बिल्-हक्कि व ला यज़नू-न, व
 मय्यफ़अल् ज़ालि-क यल्-क असामा
 (68) युज़ाअफ् लहुल्-अज़ाबु यौमल्
 -कियामति व यख़्लुद् फ़ीही मुहाना
 (69) इल्ला मन् ता-ब व आम-न व
 अमि-ल अ-मलन् सालिहन्
 फ़-उलाइ-क युबदिलु ल्लाहु
 सय्यिआतिहिम् ह-सनातिन्, व
 कानल्लाहु ग़फ़ूर-रहीमा (70) व मन्
 ता-ब व अमि-ल सालिहन् फ़-इन्नहू
 यतूबु इलल्लाहि मताबा (71)

और बन्दे रहमान के वे हैं जो चलते हैं
 ज़मीन पर दबे पाँव और जब बात करने
 लगें उनसे बेसमझ लोग तो कहें साहब
 सलामत। (63) और वे लोग जो रात
 काटते हैं अपने रब के आगे सज्दे में और
 खड़े। (64) और वे लोग कि कहते हैं ऐ
 रब! हटा हमसे दोज़ख़ का अज़ाब, बेशक
 उसका अज़ाब चिमटने वाला है। (65)
 वह बुरी जगह है ठहरने की और बुरी
 जगह रहने की। (66) और वे लोग कि
 जब ख़र्च करने लगें न बेजा उड़ायें और
 न तंगी करें, और है इसके बीच एक
 सीधी गुज़रान। (67) और वे लोग कि
 नहीं पुकारते अल्लाह के साथ दूसरे हाकिम
 को और नहीं खून करते जान का जो
 मना कर दी अल्लाह ने मगर जहाँ चाहिये,
 और बदकारी नहीं करते और जो कोई
 करे यह काम वह जा पड़ा गुनाह में।
 (68) दुगना होगा उसको अज़ाब कियामत
 के दिन और पड़ा रहेगा उसमें ज़लील
 होकर। (69) मगर जिसने तौबा की और
 यकीन लाया और किया कुछ काम नेक
 सो उनको बदल देगा अल्लाह बुराईयों की
 जगह भलाईयाँ, और है अल्लाह बख़्शने
 वाला मेहरबान। (70) और जो कोई
 तौबा करे और करे काम नेक सो वह फिर
 आता है अल्लाह की तरफ़ फिर आने की
 जगह। (71)

वल्लजी-न ला यश्हदूनज़्ज़ूर व इज़ा
 मरू बिल्लग्वि मरू किरामा (72)
 वल्लजी-न इज़ा जुक्कूरु बिआयाति
 रब्बिहिम् लम् यख़िरू अलैहा
 सुम्मं-व अुम्याना (73) वल्लजी-न
 यकूलू-न रब्बना हब् लना मिन्
 अज़्वाजिना व ज़ुरिय्यातिना कुर-त
 अज़्युनिं-वज्जल्ला लिम्मुत्तकी-न
 इमामा (74) उलाइ-क युज्जौनल्-
 गुरफ-त बिमा स-बरू व युलक्कौ-न
 फीहा तहिद्य-तं-व सलामा (75)
 ख़ालिदी-न फीहा हसुनत् मुस्तकरं-व-
 व मुक़ामा (76) कुल् मा यज़्-बउ
 बिकुम् रब्बी लौ ला दुआउकुम्
 फ-कद् कज़्जबुम् फसौ-फ यकूनु
 लिज़ामा (77) ❀ ❖

और जो लोग शामिल नहीं होते झूठे काम
 में और जब गुज़रते हैं खेल की बातों पर
 निकल जायें बुजुर्गाना। (72) और वे
 लोग कि जब उनको समझाईये उनके रब
 की बातें न पड़ें उन पर बहरे अंधे होकर।
 (73) और वे लोग जो कहते हैं ऐ रब! दे
 हमको हमारी औरतों की तरफ़ से और
 औलाद की तरफ़ से आँख की ठण्डक और
 कर हमको परहेज़गारों का पेशवा। (74)
 उनको बदला मिलेगा कोठों के झरोखे
 इसलिये कि वे साबित-कदम रहे और लेने
 आयेंगे उनको वहाँ दुआ और सलाम
 कहते हुए। (75) सदा रहा करें उनमें ख़ूब
 जगह है ठहरने की और ख़ूब जगह रहने
 की। (76) तू कह परवाह नहीं रखता मेरा
 रब तुम्हारी अगर तुम उसको न पुकारा
 करो, सो तुम तो झुठला चुके अब आगे
 को होनी है मुठभेड़। (77) ❀ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (हज़रत) रहमान (यानी अल्लाह तआला) के (खास) बन्दे वे हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के
 साथ चलते हैं, (मतलब यह कि उनके मिज़ाज में तवाज़ो है तमाम बातों में, और उसी का असर
 चलने में भी ज़ाहिर होता है और खास चाल का अन्दाज़ व कैफ़ियत बयान करना मक़सद नहीं क्योंकि
 चलने में सोचकर नर्म रफ़्तारी कोई तारीफ़ की चीज़ नहीं, और यह तवाज़ो तो उनका खास तरीका
 अपने आमाल में है) और (दूसरों के साथ उनका तरीका यह है कि) जब उनसे जहालत वाले लोग
 (जहालत की) बात (चीत) करते हैं तो वे बुराई को दूर करने की बात कहते हैं (मतलब यह कि अपने
 नफ़स के लिये ज़वान से या अपने अमल से बदला नहीं लेते और जो नागवारी व सख़्त-मिज़ाजी अदब
 सिखाने, सुधार, शरई सियासत या अल्लाह के कल्लिम को बुलन्द करने के लिये हो उसकी नफ़ा
 मक़सद नहीं) और जो (अल्लाह के साथ अपना यह अन्दाज़ व तरीका रखते हैं कि) रतों को अपने
 रब के आगे मल्ल-अल-मिज़ाम (यानी मल्ल-अल-मिज़ाम) में लगे रखते हैं और जो (अल्लाह और बन्दों के इक्क

की अदायेगी के बावजूद अल्लाह तआला से इस क़द्र डरते हैं कि) दुआएँ माँगते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमसे जहन्नम को दूर रखिये क्योंकि उसका अज़ाब पूरी तबाही है, बेशक वह जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरा मक़ाम है (यह तो उनकी हालत बदनी इबादत व फ़रमाँबरदारी में है)।

और (माली इबादतों में उनका यह तरीका है कि) वे जब खर्च करने लगते हैं तो न फ़ुज़ूलखर्ची करते हैं (कि नाफ़रमानी और गुनाह के काम में खर्च करने लगे) और न तंगी करते हैं (कि ज़रूरी नेकी और अच्छे काम में भी खर्च की कोताही करें)। और फ़ुज़ूलखर्ची में वह खर्च भी आ गया कि बिना ज़रूरत गुंजाईश व हिम्मत से ज़्यादा मुबाह चीज़ों या ग़ैर-ज़रूरी नेकी के कामों में खर्च करें जिसका अन्जाम आख़िर में बेसब्री, लालच और बदनीयती हो, क्योंकि ये चीज़ें गुनाह और नाफ़रमानी हैं और जो चीज़ नाफ़रमानी और गुनाह का सबब बने वह भी गुनाह है, इसलिये वह भी अंततः गुनाह के काम ही में खर्च करना ही गया। इसी तरह ख़ैर के ज़रूरी मौकों में बिल्कुल खर्च न करने की निंदा लम् यक्तुरू से समझ में आ गई, क्योंकि जब खर्च में कमी करना जायज़ नहीं तो बिल्कुल ही खर्च न करना तो कहीं ज़्यादा नाजायज़ होगा, परस यह शुब्हा न रहा कि खर्च में कमी करने की तो नफ़ी और मनाही हो गई लेकिन बिल्कुल ही खर्च न करने की नफ़ी और मनाही न हुई। गुर्ज़ कि वह खर्च करने में ग़ैर-ज़रूरी ज़्यादती और कमी दोनों से बरी और पाक हैं)। और उनका खर्च करना इस (कमी-बेशी) के बीच दरमियानी तरीके पर होता है (और यह उक्त हालत तो नेकी और अच्छे आमाल की अदायेगी से संबन्धित थी) और जो (गुनाह से बचने में यह शान रखते हैं) कि अल्लाह तआला के साथ किसी और माबूद की पूजा नहीं करते (जो अक़ीदों से मुताल्लिक़ नाफ़रमानी है) और जिस शख्स (के क़त्ल करने) को अल्लाह तआला ने (शरई क़ानून व हिदायत के अनुसार) हराम फ़रमाया है उसको क़त्ल नहीं करते, हाँ मगर हक़ पर (यानी जब क़त्ल के वाजिब या जायज़ होने का कोई शरई सबब पाया जाये उस वक़्त और बात है) और वे जिना नहीं करते (कि यह क़त्ल व जिना आमाल से संबन्धित गुनाहों में से हैं) और जो शख्स ऐसे काम करेगा (कि शिर्क करे या शिर्क के साथ नाहक़ क़त्ल भी करे या जिना भी करे जैसे मुक्का के मुशिरक थे) तो सज़ा से उसको साबक़ा पड़ेगा, कि क़ियामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ता चला जायेगा (जैसा कि काफ़िरों के हक़ में दूसरी आयतों में आया है कि उन पर एक के ऊपर एक अज़ाब बढ़ता जायेगा) और वह उस (अज़ाब) में हमेशा-हमेशा ज़लील (व रुस्वा) होकर रहेगा (ताकि जिस्मानी अज़ाब के साथ ज़िल्लत का रूहानी अज़ाब भी हो, और अज़ाब की सख़्ती यानी उसके कई गुना होने के साथ मात्रा की ज़्यादती यानी उसका हमेशा रहना भी हो)। और इस 'व मय्यफ़अल् ज़ालि-क' से मुराद काफ़िर व मुशिरक लोग हैं जिस पर अज़ाब का दुगना होना और ज़िल्लत के साथ हमेशा के लिये होना इशारा कर रहे हैं। क्योंकि मोमिन गुनाहगार के लिये अज़ाब में ज़्यादती और हमेशा के लिये न होगा बल्कि उसका अज़ाब उसको पाक-साफ़ करने के लिये होगा न कि उसकी ज़िल्लत व रुस्वाई के लिये, और उसके लिये इम़ान के नवीकरण की ज़रूरत नहीं सिर्फ़ तौबा काफ़ी है, जिसका आगे आयत नम्बर 70 में बयान है। मज़क़ूर इशारात के अलावा सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत का शाने मुज़ूल भी वही मन्कूल है कि मुशिरकों के बारे में यह आयत नाज़िल हुई। मगर जो (शिर्क व गुनाहों से) तौबा कर ले और

(उस तौबा के कुबूल होने की शर्त यह है कि) ईमान (भी) ले आये और नेक काम करता रहे (यानी जरूरी इबादतें अदा करे और हुकमों पर अमल करता रहे) तो (उसको जहन्नम में हमेशा रहना तो क्या होता जहन्नम से ज़रा भी टच न होगा बल्कि) अल्लाह तआला ऐसे लोगों के (पिछले) गुनाहों (को मिटाकर उन) की जगह (आईन्दा) नेकियाँ इनायत फरमायेगा।

(यानी चूँकि गुज़िश्ता कुफ़ व गुनाह कुफ़ के ज़माने के बाद इस्लाम की बरकत से माफ़ हो जायेंगे और आईन्दा नेक आमाल की वजह से नेकियाँ लिखी जाती रहेंगी और उन पर सवाब मिलेगा इसलिए जहन्नम से उनका कुछ ताल्लुक न होगा। पस या तो इल्ला के बाद का मज़मून पिछले मज़मून से अलग है और जो तौबा करके ईमान ले आये और नेक अमल करे उसके लिये इस बात की ख़बर है कि उसकी बुराईयाँ नेकियों में बदल दी जायेंगी जो ईमान व तौबा और नेक अमल के मजमूए पर मुत्तब होगा, और जहन्नम की आग से महफ़ूज़ रहना उसका लाज़िमी असर है और जहन्नम में जब दाख़िला ही नहीं तो हमेशा के लिये न रहना तो ज़ाहिर है। और अगर इल्ला के बाद के मज़मून को इससे पीछे के मज़मून से जुड़ा हुआ मान लें तो हमेशा के लिये दाख़िल न होने के लिये ईमान व तौबा और नेक अमल के मजमूए की शर्त न हो मगर मजमूए के साथ हमेशा के लिये दाख़िल न होने का पाया जाना इस आयत में बयान हुआ, और सिर्फ़ ईमान पर हमेशा के लिये दाख़िल न होने का मुत्तब होना दूसरी दलीलों से साबित हो) और (यह बुराईयों का मिटाना और नेकियों का लिखना इसलिये हुआ कि) अल्लाह तआला माफ़ करने वाला है (इसलिये गुनाहों और बुराईयों को मिटा दिया और) रहम करने वाला है (इसलिए नेकियों को कायम फ़रमाया। यह तो कुफ़ से तौबा करने वाले का बयान था) और (आगे उस मोमिन का ज़िक्र है जो गुनाह से तौबा करे ताकि मज़मून तौबा का पूरा हो जाये, साथ ही मफ़बूल बन्दों की बाक़ी सिफ़तों और गुणों का बयान है कि वे लोग हमेशा नेकियों और अच्छे आमाल के पाबन्द और बुराईयों से परहेज़ के आदी रहते हैं, लेकिन अगर कभी उनसे कोई नाफ़रमानी और गुनाह हो जाये तो तौबा कर लेते हैं इसलिये तौबा करने वालों का हाल इरशाद फ़रमाया, यानी) जो शख़्स (जिस गुनाह व नाफ़रमानी से) तौबा करता है और नेक काम करता है (यानी आईन्दा नाफ़रमानी से बचता है) तो वह (भी अज़ाब से बचा रहेगा, क्योंकि वह) अल्लाह तआला की तरफ़ खास तौर पर रुजू कर रहा है (यानी ख़ौफ़ व इख़्लास के साथ जो कि तौबा की शर्त है)।

(आगे फिर रहमान के बन्दों के औसाफ़ "ख़ूबियाँ और गुण" बयान फ़रमाते हैं यानी) और (उनमें यह बात है कि) वे बेहूदा बातों में (जैसे खेल-तमाशे, बेफ़ायदा और ख़िलाफ़े शरीअत कामों में) शामिल नहीं होते, और अगर (इत्तिफ़ाक़ से) बेहूदा मशग़लों के पास को होकर गुज़रें तो सन्जीदगी (व शराफ़त) के साथ गुज़र जाते हैं (यानी न उसकी तरफ़ मुतवज्जह होते हैं और न उनके हालात व निशानियों से गुनाहगारों के ज़लील व बुरा और अपने को शान व बड़ाई वाला समझने का अमल ज़ाहिर होता है) और वे ऐसे हैं कि जिस वक़्त उनको अल्लाह के अहक़ाम के ज़रिये से नसीहत की जाती है तो उन (अहक़ाम) पर बहरे-अंधे होकर नहीं गिरते (जिस तरह काफ़िर कुरआन पर एक नई बात समझकर तमाशे के तौर पर और साथ ही उसमें एतिराज़ पैदा करने के लिये उसके तथ्यों और

उलूम व मज़ारिफ़ से अंधे-बहरे होकर अंधाधुंध बेतरतीब हुजूम कर लेते थे, जैसा कि एक दूसरी जगह कुरआन का इरशाद है 'कादू यकूनू-न अलैहि लि-बदा' (जैसा कि कुछ तफ़्सीरों में इसकी वज़ाहत है) सो रहमान के उक्त बन्दे ऐसा नहीं करते बल्कि अक्ल व समझ के साथ कुरआन पर मुतवज्जह होते और उसकी तरफ़ दौड़ते हैं जिसका परिणाम व फल ईमान की बढ़ोतरी और अहकाम पर अमल करना है। पस आयत में अंधे-बहरे होने की नफ़ी करना मक़सद है न कि कुरआन की तरफ़ शौक के साथ मुतवज्जह होने और उस पर गिरने की, क्योंकि वह तो पसन्दीदा है। और इससे काफ़िरों के लिये भी कुरआन पर गिरना तो साबित होता है मगर वे मुख़ालफ़त और रुकावट डालने के तौर पर अंधों-बहरों की तरह था, इसलिए वह बुरा और नापसन्दीदा है।

और वे ऐसे हैं कि (खुद जैसे दीन के आशिक हैं उसी तरह अपने बीवी-बच्चों के लिये भी उसके दावत देने वाले और प्रयासरत हैं, चुनाँचे अमली कोशिश के साथ हक़ तआला से भी) दुआ करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ़ से आँखों की ठंडक (यानी राहत) अता फ़रमा (यानी उनको दीनदार बना दे, और हमको हमारी इस दीनदारी की कोशिश में कामयाब फ़रमा कि उनको दीनदारी की हालत में देखकर राहत और खुशी हो) और (तूने हमको हमारे ख़ानदान का अफ़सर तो बनाया ही है मगर हमारी दुआ यह है कि उन सब को मुत्तकी करके) हमको मुत्तकियों का अफ़सर बना दे। (तो असल मक़सद अफ़सरी माँगना नहीं है अगरचे उसमें भी कोई बुराई नहीं मगर इस जगह उसका इशारा नहीं मिलता बल्कि असल मक़सद अपने ख़ानदान के मुत्तकी होने की दरख़्वास्त है, यानी बजाय इसके कि हम सिर्फ़ ख़ानदान के अफ़सर हैं हमको मुत्तकी व परहेज़गार ख़ानदान का अफ़सर बना दीजिये। यहाँ तक रहमान के बन्दों की सिफ़ात का बयान था आगे उनकी जज़ा है यानी) ऐसे लोगों को (जन्नत में रहने को) बालाख़ाने मिलेंगे, इस वज़ह से कि वे (दीन और बन्दगी पर) साबित-क़दम रहे, और उनको उस (जन्नत) में (फ़रिश्तों की ओर से) बाकी रहने की दुआ और सलाम मिलेगा (और) उस (जन्नत) में वे हमेशा-हमेशा रहेंगे, वह कैसा अच्छा ठिकाना और मक़ाम है (जैसे जहन्नम के बारे में 'ठहरने की बुरी जगह' फ़रमाया है)।

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप (सार्वजनिक तौर पर लोगों से) कह दीजिये कि मेरा रब तुम्हारी ज़रा भी परवाह न करेगा अगर तुम इबादत न करोगे। सो (इससे समझ लेना चाहिए कि ऐ काफ़िरों!) तुम तो (अल्लाह के अहकाम को) झूठा समझते हो तो जल्द ही यह (झूठा समझना तुम्हारे लिये जान का) वबाल हो (कर रहे) गा (चाहे दुनिया में जैसे जंगे बदर के वाकिए में काफ़िरों पर मुसीबत आई या आख़िरत में और वह ज़ाहिर है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूरः फुरकान के ज़्यादातर मज़ामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत के सबूत और काफ़िर व मुशिरक लोग जो इस पर एतिसाज़ करते थे उनके जवाबों पर आधारित थे और इसमें काफ़िरों व मुशिरकों और अहकाम की नाफ़रमानी करने वालों पर अज़ाब व

सज़ा का भी ज़िक्र था। सूरत के आखिर में अपने उन खास और मक़बूल बन्दों का ज़िक्र फरमाते हैं जिनका रिसालत पर ईमान भी मुकम्मल है और उनके अकीदे, आमाल, अख़लाक, आदतें सब अल्लाह व रसूल की मर्ज़ी के ताबे और शरई अहकाम के मुताबिक़ हैं।

क़ुरआने करीम ने ऐसे खास और विशेष बन्दों को 'इबादुर्रहमान' का लक़ब (ख़िताब) अता फ़रमाया जो उनका सबसे बड़ा सम्मान है। यूँ तो सारी ही मख़्लूक़ फ़ितरी और ज़बरी तौर पर अल्लाह की बन्दगी और उसकी मशीयत व इरादे के ताबे है, उसके इरादे के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर यहाँ बन्दगी से मुराद शरई और इख़्तियारी बन्दगी है। यानी अपने इख़्तियार से अपने वजूद और अपनी तमाम इच्छाओं और तमाम कामों को अल्लाह तआला की मर्ज़ी के ताबे बना देना, ऐसे मख़सूस बन्दे जिनको हक़ तआला ने खुद अपना बन्दा कहकर इज़्ज़त बख़्शी है उनके औसाफ़ (सिफ़तें, ख़ूबियाँ और गुण) सूरत के आखिर तक बयान किये गये हैं, बीच में कुफ़ व नाफ़रमानी से तौबा और उसके प्रभावों का ज़िक्र आया है।

यहाँ इन मख़सूस बन्दों को अपना बन्दा फ़रमाकर उनको सम्मानित लक़ब देना था मगर अपनी तरफ़ निस्बत करने के लिये अल्लाह तआला के तमाम पाक नामों और कमाली सिफ़ात में से इस जगह लफ़्ज़ रहमान को शायद इसलिये चुना गया कि अल्लाह के मक़बूल बन्दों की आदात व सिफ़ात अल्लाह तआला की सिफ़त रहमानियत की तर्जुमान और प्रतीक होनी चाहियें, इसकी तरफ़ इशारा करना मन्ज़ूर है।

अल्लाह तआला के मक़बूल बन्दों की मख़सूस सिफ़ात व निशानियाँ

उपर्युक्त आयतों में अल्लाह के मख़सूस और मक़बूल बन्दों की तेरह सिफ़तों और निशानियों का ज़िक्र आया है जिनमें अकीदों के सही करने और अपने ज़ाती आमाल में चाहे वो बदन से मुताल्लिक हों या माल से, सब में अल्लाह व रसूल के अहकाम और मर्ज़ी की पाबन्दी। दूसरे इनसानों के साथ मुआशरत (रहन-सहन और ज़िन्दगी गुज़ारने) और ताल्लुकात का तरीक़ा, रात-दिन की इबादत गुज़ारी के साथ अल्लाह का ख़ौफ़, तमाम गुनाहों से बचने की पाबन्दी और अपने साथ अपनी औलाद व बीवियों की इस्लाह की फ़िक्र वग़ैरह शामिल हैं।

उनका सबसे पहला वस्फ़ (सिफ़त और गुण) इबाद होना है। इबाद अब्द की जमा (बहुवचन) है अब्द का तर्जुमा है बन्दा जो अपने आका की मिल्क में हो, उसका वजूद और उसके तमाम इख़्तियार व आमाल आका के हुक्म व मर्ज़ी के ताबे होते हैं।

अल्लाह तआला का बन्दा कहलाने का मुस्तहिक़ वही शख्स हो सकता है जो अपने अकीदों व ख़्यालात को और अपने हर इरादे और इच्छा को और अपनी हर हरकत व सुकून को अपने रब के हुक्म और मर्ज़ी के ताबे रखे, हर वक़्त कान लगाये रहे कि जिस काम का हुक्म हो वह पूरा करूँ।

दूसरी सिफ़त है:

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.

यानी चलते हैं वे ज़मीन पर तवाज़ो (आजिज़ी और विनम्रता) के साथ। लफ़्ज़ हौन का मफ़हूम

इस जगह सुकून व बकार और तवाजो है, कि अकड़ कर न चले, कदम घमण्ड भरे अन्दाज़ से न रखे, बहुत आहिस्ता चलना मुराद नहीं, क्योंकि वह बिना ज़रूरत हो तो ख़िलाफ़े सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चलने की जो सिफ़त हदीस की किताबों में मन्कूल है उससे मालूम होता है कि आपका चलना बहुत आहिस्ता नहीं बल्कि किसी क़द्र तेज़ी के साथ था। हदीस में है:

كَانَ مَا الْأَرْضَ تَطْوِي لَهٗ.

यानी आप ऐसे चलते थे कि गोया ज़मीन आपके लिये सिमटती है। (इब्ने कसीर) इसी लिये पहले बुजुर्गों ने तकल्लुफ़ के साथ मरीजों की तरह आहिस्ता चलने को तकब्बुर व बनावट की निशानी होने के सबब मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) करार दिया है। हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नौजवान को देखा कि बहुत आहिस्ता चल रहा है, पूछा क्या तुम बीमार हो? उसने कहा नहीं, तो आपने उस पर दुरा उठाया और हुक्म दिया कि क़ुव्वत के साथ चला करो। (इब्ने कसीर)

हज़रत हसन बसरी रह. ने इस आयत:

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.

की तफ़सीर में फ़रमाया कि सच्चे मोमिनों के तमाम बदनी हिस्से व अंग- आँख, कान, हाथ पाँव सब अल्लाह के सामने पस्त और अज़िज़ होते हैं। नावाक़िफ़ उनको देखकर माज़ूर अज़िज़ समझता है हालाँकि न वे बीमार हैं न माज़ूर बल्कि तन्दुरुस्त व क़वी हैं मगर उन पर हक़ तआला का ख़ौफ़ ऐसा तारी है जो दूसरों पर नहीं है। उनको दुनिया के धंधों से आख़िरत की फ़िक्र ने रोका हुआ है। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा नहीं करता और उसकी फ़िक्र दुनिया ही के कामों में लगी रहती है तो वह हमेशा हसरत ही हसरत (अफ़सोस व मायूसी) में रहता है (कि दुनिया तो सारी मिलती नहीं और आख़िरत में उसने हिस्सा नहीं लिया)। और जिस शख्स ने अल्लाह की नेमत सिर्फ़ खाने पीने की ही चीज़ों को समझा है और ऊँचे अक्लाक़ की तरफ़ ध्यान नहीं दिया उसका इल्म बहुत थोड़ा है और अज़ाब उसके लिये तैयार है। (इब्ने कसीर, संक्षिप्तता के साथ)

तीसरी सिफ़त है:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

यानी जब जहालत वाले उनसे ख़िताब करते हैं तो वे कहते हैं- सलाम। यहाँ जाहिलून का तर्जुमा जहालत वालों से करके यह बात वाज़ेह कर दी गयी है कि मुराद इससे बेइल्म आदमी नहीं बल्कि वह जो जहालत के काम और जाहिलाना बातें करे, चाहे वास्तव में वह इल्म वाला भी हो। और लफ़ज़ सलाम से मुराद यहाँ रिवाजी सलाम नहीं बल्कि सलामती की बात है। इमाम कुर्तुबी ने नुहास से नक़ल किया है कि इस जगह सलाम तस्लीम से नहीं निकला बल्कि तसल्लुम से निकला है जिसके मायने हैं सलामत रहना। मुराद यह है कि जाहिलों के जवाब में वह सलामती की बात कहते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचे और यह गुनाहगार न हो। वही तफ़सीर हज़रत मुजाहिद, मुफ़ातल वग़ैरह से नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे मज़हरी)

हासिल यह है कि बेवक़ूफ़ जाहिलाना बातें करने वालों से ये हज़रत बदला लेने का मामला नहीं

करते बल्कि उनसे दरगुज़र करते हैं।

चौथी सिफ़त है:

وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

यानी वे रात गुज़ारते हैं अपने रब के सामने सज्दा करते हुए और खड़े हुए। इबादत में रात को जागने का जिक्र खुसूसियत से इसलिये किया गया कि वह वक़्त सोने और आराम करने का है, उसमें नमाज़ व इबादत के लिये खड़ा होना खास मशक़त भी है और उसमें रिया और दिखावे के ख़तरे भी नहीं हैं। मन्शा यह है कि उनके रात व दिन अल्लाह की फ़रमाँबरदारी में लगा हुआ है, दिन को तालीम व तब्लीग़ और अल्लाह के रास्ते में जिहाद वगैरह के काम हैं रात को अल्लाह के सामने इबादत गुज़ारी करना है। तहज्जुद की नमाज़ की हदीस में बड़ी फ़ज़ीलत आई है। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रात के खड़े होने यानी तहज्जुद की पाबन्दी करो क्योंकि वह तुम से पहले भी सब नेक बन्दों की आदत रही है, और वह अल्लाह तआला से तुमको करीब करने वाली और बुराईयों का कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने इशा के बाद दो या ज़्यादा रकअतें पढ़ लीं वह भी इस हुक्म में दाख़िल है कि 'उसने अल्लाह के लिये रात सज्दे और कियाम में गुज़ारी'। (तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने इशा की नमाज़ जमाअत के साथ अदा कर ली तो आधी रात इबादत में गुज़ारने के हुक्म में हो गया, और जिसने सुबह की नमाज़ जमाअत से अदा कर ली वह बाकी आधी रात भी इबादत में गुज़ारने वाला समझा जायेगा। (अहमद व मुस्लिम, अज़ तफ़सीरे मज़हरी)

पाँचवीं सिफ़त है:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ..... الآية.

ये यानी अल्लाह के मक़बूल और खास बन्दे रात-दिन इबादत व नेकी में मसरूफ़ रहने के बावजूद बेख़ौफ़ होकर नहीं बैठ रहते, बल्कि हर वक़्त खुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र रखते हैं जिसके लिये अमली कोशिश भी जारी रहती है और अल्लाह तआला से दुआयें भी।

छठी सिफ़त है:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا..... الآية.

यानी अल्लाह के मक़बूल बन्दे माल खर्च करने के वक़्त न फ़ुज़ूलखर्ची करते हैं न कन्ज़ूसी व कोताही, बल्कि दोनों के बीच दरमियानी तरीके पर कायम रहते हैं। आयत में इसराफ़ और उसके मुक़ाबले में इक़तार के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किये गये हैं।

इसराफ़ के लुग़वी मायने हद से निकलने के हैं। शरीअत की परिभाषा में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रह., कतादा रह., इब्ने ज़रैज रह. के नज़दीक अल्लाह की नाफ़रमानी में

खर्च करना इसराफ़ है, अगरचे एक पैसा ही हो। और कुछ हज़रत ने फरमाया कि जायज़ और मुबाह कामों में ज़रूरत से जायद खर्च करना जो तब्ज़ीर यानी फुज़ूलखर्ची की हद में दाखिल हो जाये वह भी इसराफ़ के हुक्म में है, क्योंकि तब्ज़ीर यानी फुज़ूलखर्ची कुरआन के स्पष्ट बयान के मुताबिक़ हaram व नाफ़रमानी है। हक़ तआला का इरशाद है:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ.

इस लिहाज़ से इस तफ़सीर का हासिल भी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह की बयान हुई तफ़सीर हो गया, यानी नाफ़रमानी व गुनाह में जो कुछ खर्च किया जाये वह इसराफ़ (फुज़ूलखर्ची) है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और इक़तार के मायने खर्च में तंगी और कन्जूसी करने के हैं। शरीअत की परिभाषा में इसके मायने यह हैं कि जिन कामों में अल्लाह व रसूल ने खर्च करने का हुक्म दिया है उनमें खर्च करने में तंगी बरतना (और बिल्कुल ही खर्च न करना और भी ज़्यादा इसमें दाखिल है)। यह तफ़सीर भी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, क़तादा रह. वग़ैरह से मन्कूल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

आयत का मफ़हूम (मतलब) यह हुआ कि अल्लाह के मक़बूल बन्दों की सिफ़त माल खर्च करने में यह होती है कि फुज़ूलखर्ची और कन्जूसी व तंगी बरतने के बीच दरमियानी चलन पर अमल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्ल. का इरशाद है:

مِنْ فَقِهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مَعِيشَتِهِ.

यानी इनसान की अक़्लमन्दी की निशानी यह है कि खर्च करने में दरमियानी चाल इख़्तियार करे (न फुज़ूलखर्ची में मुब्तला हो न कन्जूसी में)। (अहमद, हज़रत अबूदर्दा की रिवायत से। इब्ने कसीर)

एक दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ.

यानी जो शख्स खर्च में दरमियानी चाल पर कायम रहता है वह कभी फ़कीर व मोहताज नहीं होता। (अहमद, इब्ने कसीर)

सातवीं सिफ़त है:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ.

पहली छह सिफ़तों में नेकी व फ़रमाँबरदारी के उसूल आ गये हैं। अब गुनाह व नाफ़रमानी की बुनियादी बातों का बयान है जिनमें पहली चीज़ अक़ीदे से मुताल्लिक़ है कि ये लोग अल्लाह के साथ किसी और को इबादत में शरीक नहीं करते, जिससे शिर्क का सबसे बड़ा गुनाह होना मालूम हुआ।

आठवीं और नवीं सिफ़त है:

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ..... الآية.

यह अमली गुनाहों में से बड़े-बड़े और सख़्त गुनाहों का बयान है कि अल्लाह के मक़बूल बन्दे इनके पास नहीं जाते। किसी को नाहक़ क़त्ल नहीं करते, और ज़िना के पास नहीं जाते। अक़ीदे और

यानी जो शख्स इन जिक्र हुए गुनाहों का करने वाला होगा वह इसकी सज़ा पायेगा। हज़रत अबू उबैदा ने इस जगह लफ़्ज़ असाम की तफ़्सीर गुनाह की सज़ा से की है। और कुछ मुफ़्स्सरीन ने फ़रमाया कि असाम जहन्नम की एक घाटी का नाम है जो सख़्त व दर्दनाक अज़ाबों से भरी हुई है। हदीस की कुछ रिवायतें भी इसके सुबूत में लिखी हैं। (तफ़्सीरे मज़हरी)

आगे उस अज़ाब का बयान है जो उक्त अपराधों के करने वालों पर होगा और आयतों के आगे पीछे के मज़मून से यह बात मुतयन है कि यह अज़ाब काफ़िरों के लिये खास है जिन्होंने शिर्क व कुफ़्र भी किया और उसके साथ क़त्ल व जिना में भी मुब्तला हुए। क्योंकि अब्दल तो 'युज़ाअफ़ लहुल् अज़ाबु' (दुगना होगा उसको अज़ाब) के अलफ़ाज़ मुसलमान गुनाहगारों के लिये नहीं हो सकते, क्योंकि उनके एक गुनाह पर एक ही सज़ा का वायदा कुरआन व सुन्नत में बयान हुआ है। सज़ा में बढ़ोतरी और ज्यादाती मोमिनों के लिये नहीं होगी, यह काफ़िरों की विशेषता है कि कुफ़्र पर जो अज़ाब होना था अगर कुफ़्र के साथ और गुनाह भी किये तो अज़ाब दोहरा हो जायेगा। दूसरे इस अज़ाब में यह भी बयान हुआ है 'व यख़्लुद् फ़ीही मुहाना' यानी वह हमेशा-हमेशा रहेगा उस अज़ाब में ज़लील व रुस्वा होकर। कोई मोमिन हमेशा हमेशा अज़ाब में नहीं रहेगा, कितना ही बड़ा गुनाहगार हो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से निकाल लिया जायेगा।

खुलासा यह है कि जो लोग शिर्क व कुफ़्र में भी मुब्तला हुए और क़त्ल व जिना में भी, उनका अज़ाब दोहरा और सख़्त भी होगा और फिर वह अज़ाब हमेशा के लिये भी रहेगा। आगे यह बयान है कि ऐसे सख़्त मुजरिम जिनका अज़ाब यहाँ बयान हुआ है अगर वे तौबा कर लें और ईमान लाकर नेक अमल करने लगे तो अल्लाह तआला उनकी बुराईयों को अच्छाईयों और नेकियों से तब्दील कर देंगे। मतलब यह है कि उस तौबा के बाद उनके आमाल नामे में नेकियाँ ही नेकियाँ रह जायेंगी क्योंकि शिर्क व कुफ़्र से तौबा करने पर अल्लाह तआला का वायदा यह है कि शिर्क व कुफ़्र की हालत में जितने गुनाह किये हों इस्लाम व ईमान क़बूल कर लेने से वो पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसलिये पिछले ज़माने में जो उनका नामा-ए-आमाल बुराईयों और गुनाहों ही से भरा हुआ था अब ईमान लाने से वो तो सब माफ़ हो गये आगे उन गुनाहों और बुराईयों की जगह ईमान और उसके बाद के नेक आमाल ने ले ली। बुराईयों को अच्छाईयों में तब्दील करने की यह तफ़्सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, मुजाहिद रह. वगैरह तफ़्सीर के इमामों से नक़ल की गयी है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

इमाम इब्ने कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी एक दूसरी तफ़्सीर यह भी नक़ल की है कि उन्होंने जितने गुनाह कुफ़्र व जहालत के ज़माने में किये थे, ईमान लाने के बाद उन सब गुनाहों की जगह नेकियाँ लिख दी जायेंगी। और वज़ह इसकी यह है कि ईमान लाने के बाद जब कभी उन लोगों को अपने पिछले गुनाह याद आयेंगे तो उन पर शर्मिन्दा होंगे और फिर नये सिरे से तौबा करेंगे, उनके इस अमल से वो गुनाह नेकियों में तब्दील हो जायेंगे। इसकी दलील में हदीस की कुछ रिवायतें भी पेश

फरमाई हैं।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

बज़ाहिर यह उसी मज़मून को दोहराया गया है जो इससे पहले आयत में आया है यानी:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا.

और इमाम कुर्तुबी ने क़िफ़ाल से यह नक़ल किया है कि यह तौबा पहली तौबा से भिन्न और अलग है। क्योंकि पहला मामला काफ़िरों व मुशिरकों का था जो क़त्ल व ज़िना में भी मुब्तला हुए थे, फिर ईमान ले आये तो उनकी बुराईयाँ नेकियों से बदल दी गयीं। और यहाँ मुसलमान गुनाहगारों की तौबा का ज़िक्र है। इसलिये पहली तौबा के साथ व आम-न यानी उसके ईमान लाने का ज़िक्र था, इस दूसरी तौबा में वह बयान नहीं हुआ जिससे मालूम होता है कि यह तौबा उन लोगों की ज़िक्र की गयी है जो पहले से मोमिन ही थे मगर ग़फ़लत से क़त्ल व ज़िना में मुब्तला हो गये, तो उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई कि ऐसे लोग अगर तौबा कर लेने के बाद सिर्फ़ ज़बानी तौबा पर बस न करें बल्कि आईन्दा के लिये अपने अमल को भी अच्छा और दुरुस्त बना लें तो उनका तौबा करना सही और दुरुस्त समझा जायेगा। इसी लिये शर्त के तौर पर तौबा कर लेने के शुरू का हाल ज़िक्र करने के बाद उसकी जज़ा में भी यतूबु का ज़िक्र करना सही हो गया, क्योंकि शर्त में जिस तौबा का ज़िक्र है वह सिर्फ़ ज़बानी तौबा है और जज़ा में जिस तौबा का ज़िक्र है वह नेक अमल पर मुरत्तब है।

मतलब यह हो गया कि जिसने तौबा कर ली फिर अपने अमल से भी उस तौबा का सुबूत दिया तो व सही तौर पर अल्लाह की तरफ़ रुजू करने वाला समझा जायेगा, बख़िलाफ़ उसके जिसने पिछले गुनाह से तौबा तो की मगर आगे के अमल में उसका कोई सुबूत न दिया तो उसकी तौबा गोया तौबा ही नहीं। इस आयत के मज़मून का खुलासा यह हो गया कि जो मुसलमान ग़फ़लत से गुनाह में मुब्तला हो गया फिर तौबा कर ली और उस तौबा के बाद अपने अमल की भी ऐसी इस्लाह (सुधार) कर ली कि उसके अमल से तौबा का सुबूत मिलने लगा तो यह तौबा भी अल्लाह के यहाँ मक़बूल हो गयी और बज़ाहिर इसका फ़ायदा भी वही होगा जो पहली आयत में बतलाया गया है कि उसके गुनाह और बुराईयों को अच्छाईयों और नेकियों से बदल दिया जायेगा।

अल्लाह के ख़ास और मक़बूल बन्दों की विशेष सिफ़ात का बयान ऊपर से हो रहा था, बीच में गुनाह के बाद तौबा कर लेने के अहक़ाम का बयान आया, उसके बाद बाकी सिफ़ात का बयान है।

दसवीं सिफ़त है:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ.

यानी ये लोग झूठ और बातिल की मज्लिसों में शरीक नहीं होते। सब से बड़ा झूठ और बातिल तो शिर्क व कुफ़्र है, उसके बाद झूठ और गुनाह के आम काम हैं। आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला के मक़बूल बन्दे ऐसी मज्लिसों में शिर्कत से भी गुरेज़ करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद मुशिरकों के मेले, उत्सव और त्यौहार वगैरह हैं। हज़रत मुजाहिद और मुहम्मद बिन हनफ़िया ने फ़रमाया कि इससे मुराद गाने बजाने की मेहफ़िलें हैं। अमर

बिन कैस ने फरमाया कि बेहयाई और नाच रंग की मेहफिलें मुराद हैं। जोहरी और इमाम मालिक ने फरमाया कि शराब पीने पिलाने की मज्लिसें मुराद हैं। (तफसीर इब्ने कसीर)

और हकीकत यह है कि इन अक़वाल में कोई भिन्नता और टकराव नहीं, ये सारी ही मज्लिसें झूठ की मज्लिसें कही जाने के लायक हैं। अल्लाह के नेक बन्दों को ऐसी मेहफिलों ही से परहेज़ करना चाहिये, क्योंकि बेहूदा व बातिल चीजों को अपने इरादे से देखना भी उनमें शरीक होने के हुक्म में है।

(तफसीरे मजहरी)

और मुफ़सिरीन में से कुछ हज़रत ने 'ला यशहदूनज़्ज़ूर' में यशहदू-न को शहादत गवाही के मायने में लिया है, और आयत के मायने यह करार दिये कि ये लोग झूठी गवाही नहीं देते। झूठी गवाही का बड़ा गुनाह और सख्त वबाल होना कुरआन व सुन्नत में मालूम व मशहूर है। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने झूठी गवाही को बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह फरमाया है।

हज़रत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस शख्स के मुताल्लिक साबित हो जाये कि उसने झूठी गवाही दी है तो उसको चालीस कोड़ों की सज़ा दी जाये और उसका मुँह काला करके बाज़ार में फिराया जाये और रुस्वा किया जाये, फिर लम्बे समय तक कैद में रखा जाये।

(इब्ने अबी शैबा व अब्दुरज़्ज़ाक। तफसीरे मजहरी)

ग्यारहवीं सिफ़त है:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُومِ مَرُّوا كِرَامًا

यानी अगर बेकार और बेहूदा मज्लिसों पर कभी उनका गुज़र इत्तिफ़ाक़न हो जाये तो वे संजीदगी और शराफ़त के साथ गुज़र जाते हैं। मतलब यह है कि ऐसी मज्लिसों में ये लोग जिस तरह अपने इरादे से शरीक नहीं होते इसी तरह अगर कहीं इत्तिफ़ाकी तौर पर उनका किसी ऐसी मज्लिस पर गुज़र हो जाये तो उस बुराई और गुनाह की मज्लिस पर से शराफ़त के साथ गुज़रे चले जाते हैं। यानी उनके उस फ़ैल को बुरा और काबिले नफरत जानते हुए, न गुनाहों में मुब्तला लोगों की बेइज़्ज़ती व अपमान करते हैं और न खुद अपने आपको उनसे अफ़ज़ल व बेहतर समझकर तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दिन इत्तिफ़ाक़ से किसी बेहूदा और ग़लत मज्लिस पर गुज़र हो गया तो वहाँ ठहरे नहीं, गुज़रे चले गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह मालूम हुआ तो फरमाया कि इब्ने मसऊद करीम हो गये और यह आयत तिलावत फरमाई जिसमें बेहूदा मज्लिस से करीम व शरीफ़ लोगों की तरह गुज़र जाने का हुक्म है। (इब्ने कसीर)

बारहवीं सिफ़त है:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

यानी उन मक़बूल बन्दों की यह शान है कि जब उनको अल्लाह की आयतों और आख़िरत की याद दिलाई जाती है तो वे उन आयतों की तरफ़ अंधों बहरों की तरह मुतवज्जह नहीं होते बल्कि सुनने देखने वाले इन्सान की तरह उनमें गौर करते हैं और उन पर अमल करते हैं। ग़ाफ़िल और

लापरवाह लोगों की तरह ऐसा मामला नहीं करते कि उन्होंने सुना ही नहीं या देखा ही नहीं। इस आयत में दो चीजें बयान हुई हैं- एक अल्लाह की आयतों पर गिर पड़ना यानी एहतिमाम के साथ मुतवज्जह होना, यह तो अच्छा व पसन्दीदा काम और बहुत बड़ी नेकी है। दूसरे अंधों बहरों की तरह गिरना कि कुरआन की आयतों पर तवज्जोह तो दें मगर या तो उस पर अमल करने में मामला ऐसा करें कि गोया उन्होंने सुना और देखा ही नहीं, और या कुरआन की आयतों पर अमल भी करें मगर उनको सही उसूल और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व ताबिर्इन रह. की तफ़सीर व बयान के खिलाफ़ अपनी राय या सुनी सुनाई बातों के ताबे करके ग़लत अमल करें, यह भी एक तरह से अंधे बहरे होकर ही गिरने के हुक्म में है।

दीनी अहकाम का सिर्फ़ पढ़ लेना काफी नहीं

दीन के अहकाम का सिर्फ़ पढ़ना और अध्ययन काफी नहीं बल्कि उम्मत के पहले बुजुर्गों की तफ़सीर के मुताबिक़ समझकर अमल करना ज़रूरी है।

ऊपर बयान हुई आयतों में जिस तरह इस बात की सख़्त निंदा है कि अल्लाह की आयतों की तरफ़ तवज्जोह ही न दें, अंधों बहरों के जैसा मामला करें, इसी तरह इसकी भी बुराई व निंदा है कि तवज्जोह तो दें और अमल भी करें मगर बिना समझ-बूझ के, अपनी राय से जिस तरह चाहें अमल करने लगे। इमाम इब्ने कसीर रह. ने इब्ने औन से नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत शअबी रह. से पूछा कि अगर मैं किसी मज्लिस में पहुँचूँ जहाँ लोग सज्दे में पड़े हों और मुझे मालूम नहीं कि कैसा सज्दा है तो क्या मैं भी उनके साथ सज्दे में शरीक हो जाऊँ? हज़रत शअबी रह. ने फ़रमाया- नहीं। मोमिन के लिये यह दुरुस्त नहीं है कि बेसमझे किसी काम में लग जाये, बल्कि उस पर लाज़िम है कि समझ-बूझ के साथ अमल करे। जब तुमने सज्दे की वह आयत नहीं सुनी जिसकी बिना पर वे लोग सज्दा कर रहे हैं और तुम्हें उनके सज्दे की हकीक़त भी मालूम नहीं तो इस तरह उनके साथ सज्दे में शरीक होना जायज़ नहीं।

इस ज़माने में यह बात तो काबिले शुक्र है कि नौजवान और नई तालीम पढ़े हुए तबके में कुरआन पढ़ने और उसके समझने की तरफ़ कुछ तवज्जोह पैदा हुई है और उसके तहत वे अपने आप कुरआन का तर्जुमा या किसी की तफ़सीर देखकर कुरआन को खुद समझने की कोशिश भी करते हैं, मगर यह कोशिश बिल्कुल बेउसूल है। इसलिये कुरआन को सही समझने के बजाय बहुत से मुग़ालतों (धोखों और ग़लत फ़हमियों) के शिकार हो जाते हैं। उसूल की बात यह है कि दुनिया का कोई मामूली से मामूली फ़न भी सिर्फ़ किताब के मुताले (अध्ययन) से किसी को सही मायनों में हासिल नहीं हो सकता, जब तक उसको किसी उस्ताद से न पड़े। मालूम नहीं कुरआन और कुरआनी उलूम ही को क्यों ऐसा समझ लिया गया है कि जिसका जी चाहे खुद तर्जुमा देखकर जो चाहे उसका मतलब मुतैयन कर ले। यह बेउसूल मुताला (अध्ययन) जिसमें किसी साहिर उस्ताद की रहनुमाई शामिल न हो यह भी अल्लाह की आयतों पर अंधे बहरे होकर गिरने के मतलब में शामिल है। अल्लाह तआला हम सब को सही रास्ते की तौफ़ीक़ बख़्शें।

तहरवी सिफत हैं:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

इसमें अपनी औलाद और बीवियों के लिये अल्लाह तआला से यह दुआ है कि उनको मेरे लिये आँखों की ठण्डक बना दे। आँखों की ठण्डक बनाने से मुराद हज़रत हसन बसरी रह. की तफ़सीर के मुताबिक यह है कि उनको अल्लाह की फ़रमाँबरदारी हैं मशगूल देखे, यही एक इनसान के लिये आँखों की असली ठण्डक है, और अगर औलाद व बीवियों की जाहिरी सेहत व आफ़ियत और खुशहाली भी इसमें शामिल की जाये तो वह भी दुरुस्त है।

यहाँ इस दुआ से इस तरफ़ इशारा है कि अल्लाह के मक़बूल बन्दे सिर्फ़ अपने नफ़्स की इस्लाह (सुधार) और नेक आमाल पर क़नाअत नहीं कर लेते बल्कि अपनी औलाद और बीवियों के भी आमाल व अख़्लाक की इस्लाह (दुरुस्त होने) की फ़िक्र करते हैं और उसके लिये कोशिश करते रहते हैं। इसी कोशिश में से एक यह भी है कि उनकी बेहतरी के लिये अल्लाह तआला से दुआ माँगता रहे। इस आयत के अगले जुमले में दुआ का यह हिस्सा भी है:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

यानी हमें मुत्तकी लोगों का इमाम और पेशवा बना दे। इसमें बज़ाहिर अपने लिये रुतबा व पद और बड़ाई हासिल करने की दुआ है जो दूसरी क़ुरआनी वज़ाहतों की रू से मना है, जैसे क़ुरआन का इरशाद है:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا.

यानी हमने आख़िरत के घर को मख़सूस कर रखा है उन लोगों के लिये जो ज़मीन में अपनी बुलन्दी और बड़ाई नहीं चाहते, और न ज़मीन में फ़साद बरपा करना चाहते हैं। इसलिये कुछ उलेमा ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि हर शख़्स अपने घर वालों और बाल-बच्चों का कुदरती तौर पर इमाम व पेशवा होता ही है इसलिये इस दुआ का हासिल यह हो गया कि हमारी औलाद और घर वालों को मुत्तकी बना दीजिए और जब वे मुत्तकी हो जायेंगे तो तबई तौर पर यह शख़्स मुत्तकी लोगों का इमाम व पेशवा (रहबर व सरदार) कहलायेगा। जिसका हासिल यह है कि यहाँ अपनी बड़ाई की दुआ नहीं बल्कि औलाद व बीवियों के परहेज़गार बनाने की दुआ है। और हज़रत इब्राहीम नख़ई रह. ने फ़रमाया कि इस दुआ में अपने लिये कोई सरदारी व इमामत और पेशवाई तलब करना मक़सूद नहीं बल्कि मक़सद इस दुआ का यह है कि हमें ऐसा बना दीजिये कि लोग दीन व अमल में हमारी पैरवी किया करें और हमारे इल्म व अमल से उनको नफ़ा पहुँचे, ताकि उसका सवाब हमें हासिल हो। और हज़रत मक़हूल शामी रह. ने फ़रमाया कि दुआ का मक़सद अपने लिये तक़वे का ऐसा आला मुक़ाम हासिल करना है कि दुनिया के मुत्तकी लोगों को भी हमारे अमल से फ़ायदा पहुँचे। इमाम कुर्तुबी ने ये दोनों कौल नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि इन दोनों का हासिल एक ही है कि सरदारी व इमामत की तलब जो दीन के लिये और आख़िरत के फ़ायदे के लिये हो वह बुरी नहीं बल्कि जायज़ है। और आयत 'لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا' (वे अपनी बड़ाई और ऊँचा उठने का इरादा नहीं

करते) में उस सरदारी व सत्ता की इच्छा की बुराई और निंदा है जो दुनियावी इज्जत व रुतबे के लिये हो। वल्लाहु आलम। यहाँ तक 'इबादुर्रहमान' यानी कामिल मोमिनो की अहम सिफ़ात का बयान पूरा हो गया, आगे उनकी जज़ा (बदले) और आखिरत के दर्जों का ज़िक्र है।

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ

गुरफ़ा के लुगवी मायने बालाख़ाने (चौबारे) के हैं। जन्नत में अल्लाह के खास और करीबी बन्दों के लिये ऐसे बालाख़ाने होंगे जो आम जन्नत वालों को ऐसे नज़र आयेंगे जैसे ज़मीन वाले सितारों को देखते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह, मज़हरी)

मुस्नद अहमद, बैहकी, तिर्मिज़ी, हाकिम में हज़रत अबू मालिक अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत में ऐसे बालाख़ाने होंगे जिनका अन्दरूनी हिस्सा बाहर से और बाहरी हिस्सा अन्दर से नज़र आता होगा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह! ये बालाख़ाने किन लोगों के लिये हैं? आपने फ़रमाया जो शख्स अपने कलाम को नर्म और पाक रखे और हर मुसलमान को सलाम करे और लोगों को खाना खिलाये और रात को उस वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़े जब लोग सो रहे हों। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

यानी जन्नत की दूसरी नेमतों के साथ उनको यह सम्मान भी हासिल होगा कि फ़रिश्ते उनको मुबारकबाद देंगे और सलाम करेंगे। यहाँ तक पक्के सच्चे मोमिनो की खुसूसी आदतों, आमाल और उनकी जज़ा व सवाब का ज़िक्र था, आखिरी आयत में फिर काफ़िरो व मुशिरको को अज़ाब से डराकर सूरत को ख़त्म किया गया है। फ़रमाया:

قُلْ مَا يَعْبُؤْاِبِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

इस आयत की तफ़सीर में विभिन्न अक़वाल हैं, ज़्यादा स्पष्ट और आसान वह है जिसको खुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर लिखा गया है कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई वक़अत व हैसियत न होती अगर तुम्हारी तरफ़ से अल्लाह को पुकारना और उसकी इबादत करना न होता। क्योंकि इन्सान की तख़लीक़ (पैदाईश) का मन्शा व मक़सद ही यह है कि वह अल्लाह की इबादत करे जैसा कि सूर: तूर की एक आयत में है:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

यानी मैंने इन्सान और जिन्नात को और किसी काम के लिये पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वे मेरी इबादत करें।

यह तो एक आम क़ानून बयान हुआ कि बगैर इबादत के इन्सान की कोई क़द्र व कीमत और वक़अत व हैसियत नहीं है, उसके बाद काफ़िर व मुशिरक लोग जो रिसालत और इबादत ही के इनकारी हैं उनको ख़िताब है:

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ


यानी तुमने तो सब चीजों को झुठला ही दिया है अब तुम्हारी कोई वक़्त अल्लाह के नज़दीक नहीं। आगे फ़रमाया:

فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَامٍ

यानी अब यह झुठलाना और कुफ़्र तुम्हारे गले का हार बन चुके हैं और तुम्हारे साथ लगे रहेंगे यहाँ तक कि जहन्नम के हमेशा वाले अज़ाब में मुब्तला करके छोड़ेंगे। हम दोज़ख़ वालों के हाल से अल्लाह की पनाह माँगते हैं।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: फ़ुरक़ान की तफ़सीर 13 सफ़र सन् 1391 इतवार के दिन पूरी हुई। यहाँ पहुँचकर अल्हम्दु लिल्लाह सात मन्ज़िलों में से चार मन्ज़िलें मुकम्मल हो चुकीं। अल्लाह की ज़ात पाक है और यह नाचीज़ इस तफ़सीर के बाकी हिस्से की तकमील की तौफ़ीक़ की उसी से मदद चाहता है। वह हर चीज़ पर ग़ालिब है।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: फ़ुरक़ान की तफ़सीर मुकम्मल हुई।



सूर: शु-अरा

सूर: शु-अरा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 227 आयतें और 11 रुकूअ हैं।

أَيَّاتُهَا ١١ (٢١) سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ (٢٢) رُكُوعَاتُهَا ١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طَسْمٌ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُخَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ الْأَرْضُ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۝ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

बिस्मिल्लाहिररह्मानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ताँ-सीन्-मीम् (1) तिल्-क आयातुल्-किताबिल्-मुबीन (2) लअल्ल-क बाख़िअन्-नफ़स-क अल्-ला यकूनु मुअ्मिनीन (3) इन् न-शअ् नुनज़िज़ल् अलैहिम् मिनस्समा-इ आ-यतन् फ़-ज़ल्लत् अअ्नाकुहुम् लहा ख़ाज़िअीन (4) व मा यअ्तीहिम् मिन् जिक्विरम् मिनररह्मानि मुह्दसिन् इल्ला कानू अन्हु मुअ्रिज़ीन (5) फ़-क़द् कज़्ज़बू फ़-सयअ्तीहिम् अम्बा-उ मा कानू बिही

ताँ-सीन्-मीम् । (1) ये आयतें हैं खुली किताब की (2) शायद तू घोंट मारे अपनी जान इस बात पर कि वे यकीन नहीं करते। (3) अगर हम चाहें उतारें उन पर आसमान से एक निशानी फिर रह जायें उनकी गर्दनें उसके आगे नीची। (4) और नहीं पहुँचती उनके पास कोई नसीहत रहमान से नई जिससे गुँह नहीं मोड़ते। (5) सो ये तो झुठला चुके अब पहुँचेगी उन पर हकीकत उस बात की जिस पर

यस्तहिजऊन (6) अ-व लम् यरौ
 इलल्-अर्जि कम् अम्बत्ना फीहा
 मिन् कुल्लि जौजिन् करीम (7)
 इन्-न फी जालि-क लआ-यतन्, व
 मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (8)
 व इन्-न रब्ब-क लहुवल्
 अजीजुरहीम (9) ❀

ठट्टे करते थे। (6) क्या नहीं देखते वे
 ज़मीन को कितनी उगाई हमने उसमें हर
 एक किस्म की खासी चीजें। (7) उसमें
 यकीनन निशानी है और उनमें बहुत लोग
 नहीं मानने वाले। (8) और तेरा रब वही
 है ज़बरदस्त रहम वाला। (9) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

ता-सीन्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (मज़ामीन जो आप पर नाज़िल होते हैं) स्पष्ट किताब (यानी कुरआन) की आयतें हैं। (और ये लोग जो इस पर ईमान नहीं लाते तो आप इतना ग़म क्यों करते हैं कि मालूम होता है कि) शायद आप उनके ईमान न लाने पर (अफ़सोस करते-करते) अपनी जान दे देंगे। (असल यह है कि यह इम्तिहान का जहान है इसमें हक़ के साबित करने पर वही दलीलें कायम की जाती हैं जिनके बाद भी ईमान लाना बन्दे के इख़्तियार में रहता है वरना) अगर हम (जबरन और बेइख़्तियार करके उनको मोमिन करना) चाहें तो उन पर आसमान से एक (ऐसी) बड़ी निशानी नाज़िल कर दें (कि उनका इख़्तियार ही बिल्कुल ख़त्म हो जाये) फिर उनकी गर्दनें उस निशानी (के आने) से झुक जाएँ। (और मजबूर होकर मोमिन बन जायें लेकिन ऐसा करने से आजमाईश बाकी न रहेगी इसलिये ऐसा नहीं किया जाता, और मामला जबर व इख़्तियार के दरमियान रहता है) और (उनकी हालत यह है कि) उनके पास कोई ताज़ा तंबीह (हज़रते) रहमान (जल्ल शानुह) की तरफ़ से ऐसी नहीं आती जिससे ये बेरुखी न करते हों। सो (उस बेरुखी की यहाँ तक नौबत पहुँची कि) उन्होंने (दीने हक़ को) झूठा बतला दिया, (जो मुँह मोड़ने का आखिरी दर्जा है और सिर्फ़ उसके शुरूआती दर्जे यानी बेतवज्जोही पर बस नहीं किया, और फिर झुठलाना भी ख़ाली नहीं बल्कि मज़ाक़ उड़ाने के साथ) सो अब जल्द ही उनको उस बात की हकीक़त मालूम हो जायेगी जिसके साथ ये हंसी-मज़ाक़ किया करते थे (यानी जब अल्लाह के अज़ाब का मौत के वक़्त या क़ियामत में मुआयना होगा उस वक़्त कुरआन के और जो कुछ कुरआन में है यानी अज़ाब वगैरह उसका हक़ होना इन पर ज़ाहिर हो जायेगा)।

क्या इन्होंने ज़मीन को नहीं देखा (जो इनसे बहुत करीब और हर वक़्त आँखों के सामने है) कि हमने उसमें किस क़द्र उम्दा-उम्दा किस्म की बूटियाँ उगाई हैं (जो दूसरी तमाम चीजों की तरह अपने बनाने वाले के वजूद और उसके बेमिसाल और कामिल कुदरत वाला होने पर दलालत करती हैं कि) इसमें (अल्लाह के अपनी ज़ात, सिफ़ात और कामों में अकेला व बेमिस्त होने की) एक बड़ी (अक्ली) निशानी है, (और यह मसला भी अक्ली है कि खुदाई के लिये ज़ाती व सिफ़ाती कमाल शर्त है और

मज़कूर कमाल की अनिवार्यता में से है कि वह खुदाई में अकेला हो) और (बावजूद इसके) उनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाते (और शिर्क करते हैं। गर्ज कि शिर्क करना नुबुव्वत के इनकार से भी बढ़कर है। इससे मालूम हुआ कि उनकी दुश्मनी व बैर ने उनकी फितरत को बिल्कुल बेकार और ख़राब कर दिया, फिर ऐसों के पीछे क्यों जान खोई जाये) और (अगर उनको अल्लाह के नज़दीक शिर्क के बुरा व नापसन्दीदा होने में यह शुब्हा हो कि हम पर अज़ाब फ़ौरन क्यों नहीं आ जाता तो इसकी वजह यह है कि) बेशक आपका रब (बावजूद इसके कि) ग़ालिब (और कामिल कुदरत वाला) है (मगर इसके साथ ही) रहीम (भी) है (और उसकी सार्वजनिक रहमत दुनिया में काफ़िरों से भी जुड़ी हुई है, उसका असर यह है कि इनको मोहलत दे रखी है वरना कुफ़्र यकीनन बुरा और अज़ाब को लाने वाला है)।

मआरिफ़ व मसाईल

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ الآية

बाख़िउन् बख़उन् से निकला है जिसके मायने यह हैं कि जिबह करते-करते बिखाज़ तक पहुँच जाये जो गर्दन की एक रग है। और इस जगह बाख़िउन् से मुराद अपने आपको तकलीफ़ और मशक्कत में डालना है। अल्लामा अस्करी ने फ़रमाया कि इस जैसे मक़ामात में अगरचे सूरत ख़बर देने वाले जुमले की है मगर हकीकत में इससे मुराद नहीं और मना करना है। मतलब यह है कि ऐ पैग़म्बर! अपनी क़ौम के कुफ़्र और इस्लाम से मुँह फेर लेने के सबब इतना रंज न कीजिए कि जान घुलने लगे। इस आयत से एक तो यह मालूम हुआ कि किसी काफ़िर के बारे में अगर यह मालूम भी हो जाये कि उसकी तकदीर में ईमान लाना नहीं है तब भी उसको तब्लीग़ करने से रुकना नहीं चाहिये। दूसरे यह मालूम हुआ कि मेहनत व मशक्कत में दरमियानी राह इख़्तियार करनी चाहिए और जो शख्स हिदायत न पाये उस पर ज़्यादा रंज व ग़म न किया जाये।

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝

अल्लामा ज़मख़शरी रह. ने फ़रमाया कि असल कलाम 'फ़ज़ल्लू लहा ख़ाज़िज़ीन' है। यानी काफ़िर इस बड़ी निशानी को देखकर ताबे हो जायें और झुक जायें, लेकिन यहाँ अज़नाक़ का लफ़ज़ यह ज़ाहिर करने के लिये लाया गया है कि झुकने और अज़िज़ी करने की जगह ज़ाहिर हो जाये, क्योंकि झुकना वगैरह और अज़िज़ी करना सबसे पहले गर्दन पर ज़ाहिर होता है। इस आयत का मज़मून यह है कि हम इस पर भी क़ादिर हैं कि अपनी तौहीद और कामिल कुदरत की कोई निशानी ज़ाहिर कर दें जिससे शरई अहक़ाम और अल्लाह की निशानियाँ बिल्कुल आसान होकर सामने आ जायें और किसी को इनकार करने की मजाल न रहे, और यही ग़ौर व फ़िक्र इनसान की आजमाईश है, इसी पर सबाब व अज़ाब मुरत्तब है। आसानी से समझ में आने वाली चीज़ों का इक़रार तो एक तबई और ज़रूरी चीज़ है, उसमें बन्दगी और इत्ताअत की शान नहीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

رُوحِ كَرِيمٍ

जौज के लफ्जी मायने जोड़े के हैं, इसी लिये मर्द व औरत, नर व मादा को जौज कहा जाता है। बहुत से पेड़-पौधों में भी नर व मादा होते हैं, उनको इस मुनासबत से भी जौज कहा जा सकता है। और कभी लफ्ज 'जौज' एक खास किस्म और प्रजाति के मायने में भी आता है, इस मायने के लिहाज से पेड़-पौधों की हर किस्म को जौज कहा जा सकता है। और करीम के मायने हैं उम्दा और पसन्दीदा चीज।

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ اثْنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ۝ أَلَا يَتَّقُونَ ۝ قَالَ رَبِّ

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيُضِيقُ صَدْرِي ۝ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ لِي هَرُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝ فَاتَّبَعَا فِرْعَوْنَ فَتُولا إِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَّتْهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذتِ الْهٰأ غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ۝ قَالَ أَوْلَوْجُنَّتْكَ بِشْيءٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَ فَاِن يَبِءْ بِهٖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعْنَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضًا لِلنَّظِيرِينَ ۝

व इज़् नादा रब्बु-क मूसा अनिअतिल्
कौमज़्जालिमीन (10) कौ-म
फिरऔ-न, अला यत्तकून (11) का-ल
रब्बि इन्नी अखाफु अय्यु-कज़्ज़बून
(12) व यज़ीकु सदरी व ला
यन्तलिकु लिसानी फ-अरसिल् इला
हारून (13) व लहुम् अलय्-य जम्बुन्
फ-अखाफु अय्यक्तुलून (14) का-ल

और जब पुकारा तेरे रब ने मूसा को कि
जा उस गुनाहगार कौम के पास (10)
कौमे फिरऔन के पास, क्या वे डरते
नहीं? (11) बोला ऐ रब! मैं डरता हूँ कि
मुझको झुठलायें (12) और रुक जाता है
मेरा जी और नहीं चलती है मेरी जुबान
सो पैग़ाम दे हारून को। (13) और उनको
मुझ पर है एक गुनाह का दावा, सो डरता
हूँ कि मुझको मार डालें। (14) फ़रमाया

कल्ला फ़हबा बिआयातिना इन्ना
 म-अकुम् मुस्तमिअून (15) फ़अतिया
 फिरअौ-न फ़कूला इन्ना रसूलु
 रब्बिल्-आलमीन (16) अन् अर्सिल्
 म-अना बनी इस्राईल। (17) का-ल
 अलम् नुरब्बि-क फीना वलीदं-व
 लबिस्-त फीना मिन् अुमुरि-क
 सिनीन (18) व फ़अल्-त
 फ़अ-ल-तकल्लती फ़अल्-त व अन्-त
 मिनल्-काफ़िरीन (19) का-ल
 फ़अल्लुहा इज़-व-व अ-न
 मिनज़ज़ाल्लीन (20) फ़-फ़ररतु
 मिन्कुम् लम्मा ख़िफ़्तुकुम् फ़-व-ह-ब
 ली रब्बी हुक्मं-व-व ज-अ-लनी
 मिनल्-मुर्सलीन (21) व तिल्-क
 निअ-मतुन् तमुन्नुहा अलय-य अन्
 अब्बत्-त बनी इस्राईल (22) का-ल
 फिरअौनु व मा रब्बुल्-आलमीन
 (23) का-ल रब्बुस्समावाति वल्अर्जि
 व मा बैनहुमा, इन् कुन्तुम् मूकिनीन
 (24) का-ल लिमन् हौलहू अला
 तस्तमिअून (25) का-ल रब्बुकुम् व
 रब्बु आबाइकुमुल्-अव्वलीन (26)
 का-ल इन्-न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सि-ल

कभी नहीं! तुम दोनों जाओ लेकर हमारी
 निशानियाँ हम तुम्हारे साथ सुनते हैं।
 (15) सो जाओ फिरअौन के पास और
 कहो हम पैग़ाम लेकर आये हैं परवर्दिगारे
 आलम का (16) यह कि भेज दे हमारे
 साथ बनी इस्राईल को। (17) बोला क्या
 नहीं पाला हमने तुझको अपने अन्दर
 लड़का सा और रहा तू हम में अपनी उम्र
 में से कई बरस। (18) और कर गया तू
 अपनी वह करतूत जो कर गया, और तू
 है नाशुक्रा। (19) कहा किया तो था मैंने
 वह काम और मैं था चूकने वाला। (20)
 फिर भागा मैं तुमसे जब तुम्हारा डर देखा,
 फिर बख़्शा मुझको मेरे रब ने हुक्म और
 ठहराया मुझको पैग़ाम पहुँचाने वाला।
 (21) और क्या वह एहसान है जो तू
 मुझ पर रखता है कि गुलाम बनाया तूने
 बनी इस्राईल को। (22) बोला फिरअौन-
 क्या मायने हैं परवर्दिगारे आलम के। (23)
 कहा परवर्दिगार आसमान और ज़मीन का
 और जो कुछ उनके बीच में है अगर तुम
 यकीन करो। (24) बोला अपने गिर्द वालों
 से क्या तुम नहीं सुनते हो? (25) कहा
 परवर्दिगार तुम्हारा और परवर्दिगार तुम्हारे
 अगले बाप-दादों का। (26) बोला तुम्हारा
 पैग़ाम लाने वाला जो तुम्हारी तरफ़ भेजा

इलैकुम् ल-मजून (27) का-ल
 रब्बुल्-मशिरकि वल्-मगिरबि व मा
 बैनहुमा, इन् कुन्तुम् तअकिलून
 (28) का-ल ल-इनित्त-खज़-त
 इलाहन् ग्रैरी ल-अज्ज-लन्न-क
 मिनल्-मस्जूनीन (29) का-ल अ-व
 लौ जिअतु-क बिशैइम्-मुबीन (30)
 का-ल फ़अति बिही इन् कुन्-त
 मिनस्सादिकीन (31) फ़-अल्का
 असाहु फ़-इजा हि-य सुअबानुम्-मुबीन
 (32) व न-ज़-अ य-दहू फ़-इजा
 हि-य बैजा-उ लिन्नाजिरीन (33) ❀

गया जरूर बावला है। (27) कहा
 परवर्दिगार पूरब का और पश्चिम का और
 जो कुछ उनके बीच में है, अगर तुम समझ
 रखते हो। (28) बोला अगर तूने ठहराया
 कोई और हाकिम मेरे सिवाय तो जरूर
 डालूँगा तुझको कैद में। (29) कहा और
 अगर लेकर आया हूँ तेरे पास एक चीज़
 खोल देने वाली? (30) बोला तू वह चीज़
 ला अगर तू सच कहता है। (31) फिर
 डाल दिया अपना असा (लाठी), सो उसी
 वक्त वह स्पष्ट अज़्दहा हो गया। (32)
 और अन्दर से निकाला अपना हाथ, सो
 उसी वक्त वह सफ़ेद था देखने वालों के
 सामने। (33) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (उन लोगों से उस वक्त का किस्सा ज़िक्र कीजिये) जब आपके रब ने मूसा (अलैहिस्सलाम)
 को पुकारा (और हुक्म दिया) कि तुम उन ज़ालिम लोगों के पास जाओ (और ऐ मूसा! देखो) क्या ये
 लोग (हमारे गुज़ब से) नहीं डरते। (यानी उनकी हालत अजीब और बुरी है इसलिए उनकी तरफ़
 तुमको भेजा जाता है) उन्होंने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! (मैं इस ख़िदमत के लिये हाज़िर हूँ लेकिन
 इस ख़िदमत की तकमील के लिये एक मददगार चाहता हूँ क्योंकि) मुझको यह अन्देशा है कि वे
 मुझको (अपनी पूरी बात कहने से पहले ही) झुठलाने लगे। और (तबई तौर पर ऐसे वक्त में) मेरा
 दिल तंग होने लगता है और मेरी ज़बान (अच्छी तरह) नहीं चलती, इसलिये हारून के पास (भी वही
 भेज दीजिये (और उनको नुबुव्वत अता फ़रमा दीजिये कि अगर मुझे झुठलाया जाये तो वह तस्दीक
 करने लगे ताकि दिल तंग न हो और ज़बान जारी रहे, और अगर मेरी ज़बान किसी वक्त बन्द हो
 जाये तो वह तकरीर करने लगे और हर चन्द कि यह गर्ज जैसे भी हारून अलैहिस्सलाम को बिना
 नुबुव्वत के अता हुए साथ रखने से हासिल हो सकती थी मगर नुबुव्वत के अता होने में और ज्यादा
 अच्छी तरह पूरी हुई)।

और (एक बात यह काबिले अर्ज है कि) मेरे जिम्मे उन लोगों का एक जुर्म भी है (कि मेरे हाथ
 से एक किस्ती क़त्ल हो गया था जिसका किस्सा सूर: क़सस में आयेगा) सो (इसलिये) मुझको (एक)
 यह डर है कि वे लोग मुझको (रिसालत की तब्लीग़ से पहले) क़त्ल कर डालें (तब भी तब्लीग़ न कर

सकूंगा तो उसकी भी कोई तदबीर फरमा दीजिये) इरशाद हुआ क्या मजाल है (जो ऐसा कर सकें और हमने हारून को भी पैगम्बरी दी, अब तब्लीग की दोनों रुकावटें दूर हो गयीं) सो (अब) तुम दोनों हमारे अहकाम लेकर जाओ (कि हारून भी नबी हो गये और) हम (हिमायत और इमदाद से) तुम्हारे साथ हैं, (और जो गुफ्तगू तुम्हारी और उन लोगों की होगी उसको) सुनते हैं। सो तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ और (उस) से कहो कि हम रब्बुल-आलमीन के भेजे हुए हैं (और तौहीद की तरफ दावत के साथ यह हुक्म भी लाये हैं) कि तू बनी इस्राईल को (अपनी बेगार और जुल्म से रिहाई देकर उनके असली वतन मुल्क शाम की तरफ) हमारे साथ जाने दे। (खुलासा इस दावत का अल्लाह और बन्दों के हुक्क में जुल्म व ज्यादती का बन्द करना है। चुनाँचे ये दोनों हज़रात गये और फिरऔन से सब बातें कह दीं) फिरऔन (ये सब बातें सुनकर पहले मूसा अलैहिस्सलाम को पहचानकर उनकी तरफ मुत्तवज्जह हुआ और) कहने लगा कि (आहा! तुम हो) क्या हमने तुमको बचपन में परवरिश नहीं किया, और तुम अपनी (उस) उम्र में बरसों हममें रहा-सहा किये। और तुमने अपनी वह हरकत भी की थी जो की थी (यानी किल्ली को कत्ल किया था) और तुम बड़े नाशुक्रे हो (कि मेरा ही खाया, मेरा ही आदमी कत्ल किया और फिर मुझको अपने ताबे बनाने आये हो। चाहिए तो यह था कि तुम मेरे सामने दबकर रहते) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि (वाकई) उस वक़्त वह हरकत मैं कर बैठा था और मुझसे ग़लती हो गई थी। (यानी जान-बूझकर मैंने कत्ल नहीं किया, उसकी ज़ालिमाना रविश से उसको रोकना मक़सद था इत्तिफ़ाक़ से वह मर गया) फिर जब मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से फ़रार हो गया, फिर मुझको मेरे रब ने दानिशमन्दी “यानी खुसूसी समझ व शकर” अता फ़रमाई और मुझको पैगम्बरों में शामिल कर दिया। (और वह अक़्त व समझ इसी नुबुव्वत की खुसूसियतों में से है। जवाब का खुलासा यह है कि मैं पैगम्बरी की हैसियत से आया हूँ जिसमें दबने की कोई वजह नहीं और पैगम्बरी उस ग़लती से कत्ल हो जाने वाले वाकिए के विरुद्ध नहीं, क्योंकि यह कत्ल चूक और ग़लती से हुआ था जो नुबुव्वत की काबलियत व सलाहियत के खिलाफ़ नहीं। यह तो जवाब है कत्ल वाले एतिराज़ का) और (रहा परवरिश करने का एहसान जतलाना सो) वह यह नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है कि तूने बनी इस्राईल को सख़्त ज़िल्लत (और जुल्म) में डाल रखा था (कि उनके लड़कों को कत्ल करता था जिसके ख़ौफ़ से मैं सन्दूक में रखकर दरिया में डाला गया और तेरे हाथ लग गया और तेरी परवरिश में रहा, तो इस पर परवरिश की असली वजह तो तेरा जुल्म ही है, तू ऐसी परवरिश का क्या एहसान जतलाता है बल्कि इससे तो तुझे अपनी ग़लत और बेहूदा हरकतों को याद करके शर्माना चाहिए)।

फिरऔन (इस बात में लाजवाब हुआ और गुफ्तगू का पहलू बदलकर उस) ने कहा कि (जिसको तुम) रब्बुल-आलमीन (कहते हो जैसा कि ऊपर आयत 16 में इरशाद है ‘इन्ना रसूलु रब्बिल्-आलमीन’ उस) की माहियत (और हकीकत) क्या है? मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि वह परवर्दिगार है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ (मख़्लूक़ात) उनके दरमियान में है उस (सब) का, अगर तुमको यकीन (हासिल) करना हो (तो यह पता बहुत है। मतलब यह कि उसकी हकीकत का इल्म इनसान को नहीं हो सकता, इसलिए जब उसका सवाल होगा सिफ़ात से ही जवाब मिलेगा)। फिरऔन ने अपने इर्द-गिर्द (बैठने) वालों से कहा कि तुम लोग (कुछ) सुनते हो (कि सवाल कुछ और जवाब

कुछ)। मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने फरमाया कि वह परवर्दिगार है तुम्हारा और तुम्हारे पहले बड़ों का। (इस जवाब में एक बार फिर ध्यान दिलाना है उस बयान हुए मतलब पर, मगर) फिरऔन (न समझा और) कहने लगा कि यह तुम्हारा रसूल जो (अपने ख्याल के मुताबिक) तुम्हारी तरफ रसूल होकर आया है, मजनुँ (मालूम होता) है। मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने फरमाया कि वह परवर्दिगार है पूरब और पश्चिम का, और जो कुछ उनके दरमियान में है उसका भी, अगर तुमको अक्ल हो (तो इसी से मान लो)। फिरऔन (आखिर मजबूर होकर) कहने लगा कि अगर तुम मेरे सिवा कोई और माबूद तजवीज़ करोगे तो मैं तुमको जेलखाने भेज दूँगा। मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने फरमाया अगर मैं कोई साफ और खुली दलील पेश करूँ तब भी (न मानेगा)? फिरऔन ने कहा कि अच्छा तो वह दलील पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने अपनी लाठी डाल दी तो वह एकदम एक नुमायाँ अज़्दहा बन गया। (और दूसरा मौजिज़ा दिखलाने के लिये) अपना हाथ (गिरेबान में देकर) बाहर निकाला तो वह देखते ही देखते सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया (कि उसको भी सब ने अपनी ज़ाहिरी आँख से देखा)।

मआरिफ़ व मसाईल

इताअत के लिये मददगार असबाब की तलब बहाना ढूँढना नहीं

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

इन मुबारक आयतों से साबित हुआ कि किसी हुक्म के बजा लाने (यानी उस पर अमल करने) में कुछ ऐसी चीज़ों की दरख्वास्त करना जो हुक्म की तामील में मददगार साबित हों कोई बहाना ढूँढना नहीं है, बल्कि जायज़ है। जैसा कि हज़रत मूसा अल्लैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर उसकी तामील को आसान और मुफ़ीद करने के लिये खुदा तआला से दरख्वास्त की। लिहाज़ा इससे यह नतीजा निकालना ग़लल होगा कि हज़रत मूसा अल्लैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को बिना देरी के सर आँखों पर क्यों न लिया? और संकोच क्यों फरमाया? क्योंकि हज़रत मूसा अल्लैहिस्सलाम ने जो कुछ किया वह हुक्म की तामील ही के सिलसिले में किया।

हज़रत मूसा अल्लैहिस्सलाम के हक़ में लफ़ज़ 'ज़लाल' का मतलब

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا رَأَىٰ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

फिरऔन के इस सवाल पर कि ऐ मूसा! तुमने एक क़िब्ती को क़त्ल किया था, हज़रत मूसा अल्लैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि हाँ मैंने क़त्ल ज़रूर किया था लेकिन वह क़त्ल इरादे और क़स्द से न था बल्कि उस क़िब्ती को उसकी ख़ता पर तंबीह करने के लिये घूसा मारा जिससे वह हलाक हो गया। खुलासा यह कि नुबुव्वत के खिलाफ़ जान-बूझकर क़त्ल करना है और यह क़त्ल बिना इरादे के हुआ था जो नुबुव्वत के विरुद्ध नहीं। हासिल यह हुआ कि यहाँ 'ज़लाल' का मतलब

'बेखबरी' है और इससे मुराद किस्ती का बिना इसदे के कत्ल हो जाना है। इस मायने की ताईद हज़रत क़तादा और इब्ने ज़ैद रह. की रिवायतों से भी होती है कि दर असल अरबी में ज़लाल के कई मायने आते हैं, और हर जगह इसका मतलब गुमराही नहीं होता। यहाँ भी इसका तर्जुमा 'गुमराह' करना दुरुस्त नहीं।

खुदा तआला की ज़ात व हकीकत का इल्म इनसान के लिये नामुम्किन है

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارِبُ الْعَلَمِينَ ۝

इस आयत मुबारक से साबित हुआ कि खुदा तआला की ज़ात व हकीकत का जानना मुम्किन नहीं क्योंकि फिरऔन का सवाल खुदा तआला की हकीकत, माहियत के मुताल्लिक था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बजाय बारी तआला की हकीकत बतलाने के खुदा तआला की सिफ़ात बयान फ़रमाई जिससे इशारा फ़रमा दिया कि खुदा तआला की ज़ात और हकीकत का इल्म नामुम्किन है, और ऐसा सवाल ही करना बेजा है। (रुहुल-मअानी)

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

बनी इस्राईल मुल्क शाम के रहने वाले थे, वहाँ जाना चाहते तो फिरऔन उनको जाने न देता था, इस तरह चार सौ साल से वे उसकी कैद में गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे थे। उनकी तायदाद उस वक़्त छह लाख तीस हज़ार थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को पैग़ामे हक़ पहुँचाने के साथ ही बनी इस्राईल पर जो जुल्म उसने कर रखा था उससे रुकने और उनको आज़ाद छोड़ देने की हिदायत फ़रमाई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

पैग़म्बराना मुनाज़रे का एक नमूना, मुनाज़रे के प्रभावी आदाब

दो अलग-अलग ख़्यालात रखने वाले शख्सों और जमाअतों में नज़रियाती बहस व मुबाहसा जिसको इस्तिलाह (आम उर्फ़) में मुनाज़रा कहा जाता है, पुराने ज़माने से प्रचलित है, मगर आम तौर पर मुनाज़रा एक हार-जीत का खेल होकर रह गया है। लोगों की नज़र में मुनाज़रे का हासिल इतना ही है कि अपनी बात ऊँची हो, चाहे उसका गुलत होना खुद भी मालूम हो चुका हो, उसको सही और मज़बूत साबित करने के लिये दलीलों और समझ व दिमाग़ का सारा ज़ोर खर्च किया जाये। इसी तरह मुख़ालिफ़ की कोई बात सूच्ची और सही भी हो तो बहरहाल रद्द ही करना और उसके रद्द करने में पूरी ताक़त खर्च करना है। इस्लाम ही ने इस काम में ख़ास दरमियानी राह पैदा की है, उसके उसूल व कायदे और हदें मुतैयन करके उसको एक मुफ़ीद व प्रभावी तब्तीग़ व इस्लाह का ज़रिया बनाया है।

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इसका एक मुख़्तसर सा नमूना देखिये। हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम ने जब फिरऔन जैसे ज़ालिम व ज़ोर-ज़बरदस्ती करने वाले और खुदाई के दावेदार को उसके दरबार में हक़ की दावत पहुँचाई तो उसने मुख़ालिफ़ाना बहस का आगाज़ अव्वल दी ऐसी बातों

मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात से था। जैसा कि होशियार मुखालिफ़ जवाब पर कादिर नहीं होता तो मुख़ातब की ज़ाती कमज़ोरियाँ ढूँढा और ताकि वह कुछ शर्मिन्दा हो जाये और लोगों में उसकी हवा उखड़ जाये। यहाँ

दो बातें कहीं- अब्बल तो यह कि तुम हमारे पाले हुए हो हमारे घर में पलकर जवान

मने तुम पर एहसानात किये हैं, तुम्हारी क्या मजाल है कि हमारे सामने बोलो। दूसरी बात

है कि तुमने एक क़िब्ती शख्स को बिना वजह क़त्ल कर डाला है जो अलावा जुल्म के हक़ न

पहचानना और नाशुक्री भी है कि जिस क़ौम में पले और जवान हुए उसी के आदमी को मार डाला।

इसके मुक़ाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैग़म्बराना जवाब देखिये कि अब्बल तो जवाब में

सवाल की तरतीब को बदला, यानी क़िब्ती के क़त्ल का क़िस्सा जो फिरऔन ने बाद में बयान किया

था उसका जवाब पहले आया। और घर में पलने के एहसान का ज़िक्र जो पहले किया था उसका

जवाब बाद में। इस तरतीब बदलने में हिक्मत यह मालूम होती है कि क़िब्ती के क़त्ल के वाक़िफ़ में

अपनी एक कमज़ोरी ज़रूर वाक़े हुई थी, आजकल के मुनाज़रा करने वालों के अन्दाज़ पर तो ऐसी

चीज़ के ज़िक्र को रत्ता-मि़त्ता दिया जाता है और दूसरी बातों की तरफ़ तवज्जोह फेरने की कोशिश की

जाती है, मगर अल्लाह तआला के रसूल ने उसी के जवाब को प्राथमिकता दी। और जवाब भी कुल

मिलाकर अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करने के साथ दिया। इसकी बिल्कुल परवाह न की कि

मुख़ालिफ़ लोग कहेंगे कि इन्होंने अपनी ग़लती को स्वीकार करके हार मान ली।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इसका तो इक़रार कर लिया कि उस क़त्ल में

मुझसे ग़लती और ख़ता हो गयी, मगर साथ ही इस हकीक़त को भी स्पष्ट कर दिया कि यह ग़लती

जान-बूझकर नहीं थी, एक सही क़दम उठाना था जो इत्तिफ़ाक़न ग़लत परिणाम पर पहुँच गया कि

मक़सद तो क़िब्ती को इस्राईली शख्स पर जुल्म से रोकना था इसी इरादे से उसको एक चोट लगाई

थी इत्तिफ़ाक़न वह उसी से मर गया, इसलिये यह काम ख़ता होने के बावजूद हमारे असल मामले

यानी नुबुव्वत के दावे और उसकी हक्कानियत पर कोई असर नहीं डालता। मैं इस ग़लती पर चेता

और क़ानूनी गिरफ़्त के ख़ौफ़ से शहर से निकल गया। अल्लाह तआला ने फिर क़रम फ़रमाया और

नुबुव्वत व रिसालत से सम्मानित फ़रमा दिया।

गौर कीजिए कि उस वक़्त दुश्मन के मुक़ाबले में मूसा अलैहिस्सलाम का सीधा साफ़ जवाब यह

था कि मक़तूल क़िब्ती को वाजिबुल-क़त्ल साबित करते, उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाते जिससे उसका

क़त्ल करना सही साबित होता। कोई दूसरा आदमी झुठलाने वाला भी वहाँ मौजूद न था जिससे तरदीद

का अन्देशा होता, और उस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई दूसरा आदमी होता तो

उसका जवाब इसके सिवा कुछ न होता मगर वहाँ तो खुदा तआला का एक बुलन्द-रुतबा और सच्चा

रसूल था जो हक़ व सच्चाई और हकीक़त के इज़हार को अपनी फ़तह समझता था। दुश्मन के भरे

दरबार में अपनी ख़ता का इक़रार भी कर लिया और उससे जो नुबुव्वत व रिसालत पर शुब्हा हो

सक़ता था उसका जवाब भी दे दिया। इसके बाद पहली बात यानी घर में पालने का एहसान जतलाने

के जवाब की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई तो उसके इस ज़ाहिरो एहसान की असल हकीक़त की तरफ़

तबज्जोह दिला दी कि ज़रा सोचो मैं कहाँ और फिरज़ौन का दरबार कहाँ? मेरी परवरिश तुम्हारे घर में होने के सबब पर गौर करो तो यह हकीकत खुल जायेगी कि तुम जो बनी इस्राईल की पूरी कौम पर यह खिलाफ़े इन्सानियत जुल्म तोड़ रहे थे कि उनके बेगुनाह मासूम लड़कों को क़त्ल कर देते थे, बज़ाहिर तो तुम्हारे इस जुल्म व सितम से बचने के लिये मेरी वालिदा ने मुझे दरिया में डाला और तुमने इत्तिफ़ाकी तौर पर मेरा ताबूत दरिया से निकालकर घर में रख लिया और हकीकत में यह अल्लाह तआला का हकीमाना इन्तिज़ाम और तुम्हारे जुल्म की ग़ैबी सज़ा थी कि जिस बच्चे के ख़तरे से बचने के लिये तुमने हज़ारों बच्चे क़त्ल कर डाले थे कुदरत ने उस बच्चे को तुम्हारे ही हाथों पलवाया। अब सोचो कि यह मेरी परवरिश तुम्हारा क्या एहसान था। इसी पैग़म्बराना जवाब के अन्दाज़ का यह असर तो तबई और अक्ली तौर पर वहाँ हाज़िर लोगों पर होना ही था कि ये बुजुर्ग कोई बात बनाने वाले नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते, इसके बाद जब मोजिजे देखे तो और ज़्यादा उसकी तस्दीक़ हो गयी। और अगरचे इक़रार नहीं किया मगर मरऊब इतना हो गया कि यह सिर्फ़ दो आदमी जिनके आगे-पीछे कोई तीसरा मददगार नहीं, दरबार सारा उसका, शहर और मुल्क उसका, मगर यह ख़ौफ़ उस पर तारी है कि ये दो आदमी हमें अपने इस मुल्क व हुकूमत से निकाल देंगे।

यह होता है खुदा का दिया हुआ और कुदरती रौब और हक़ व सच्चाई की हैबत। हज़राते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का बहस करना और मुनाज़रे भी सच्चाई और मुखातब की दीनी ख़ैरख़्वाही के ज़बात से भरे होते हैं। वही दिलों में उतर जाते हैं और बड़े-बड़े सरकशों को काबू में कर लेते हैं।

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَيَّمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِ ۖ فَإِذَا تَأَمَّرُونَ ۖ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ يَا تَوَكُّلْ بِكُلِّ سَخَرٍ عَلَيَّمْ ۖ
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۖ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ
إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَجَرٌّ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۖ
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ أَمَّا أَنْتُمْ فَمَلْفُونَ ۖ فَالْقَوَاجِبَ لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ
وَقَالُوا بَعْرَةٌ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۖ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۖ فَأَلْقَى
السَّحَرَةُ سِجِّدِينَ ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۖ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ
أُذِنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِمَّنْ
خَلَفَ وَلَا وَصِيَّتِكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۖ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا
رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

का-ल लिल्म-लइ हौलहू इन्-न हाज़ा

बोला अपने मिर्द के सरदारों से- यह तो

लसाहिरुन् अलीम (34) युरीदु
अंयुखिर-जकुम् मिन् अरजिकुम्
बिसिस्त्रिही फ-माजा तअमुरून (35)
कालू अरजिह् व अखाहु वब्अस्
फिल्मदाइनि हाशिरीन (36) यअतू-क
बिकुल्लि सहारिन् अलीम (37)
फजुमिअस्स-ह-रतु लिमीक़ाति
यौमिम्-मअलूम (38) व की-ल
लिन्नासि हल् अन्तुम् मुज्तमिअून
(39) लअल्लना नत्तबिअुस्स-ह-र-त
इन् कानू हुमुल्-ग़ालिबीन (40)
फ-लम्मा जाअस्स-ह-रतु कालू
लिफिरऔ-न अ-इन्-न लना ल-अज्रन्
इन् कुन्ना नहनुल्-ग़ालिबीन (41)
का-ल न-अम् व इन्नकुम् इज़ल्
लमिनल्-मुकर्रबीन (42) का-ल लहुम्
मूसा अल्कू मा अन्तुम् मुल्कून (43)
फ-अल्कौ हिबा-लहुम् व अिसिय्यहुम्
व कालू बिअिज़्जति फिरऔ-न इन्ना
ल-नहनुल्-ग़ालिबून (44) फ-अल्का
मूसा असाहु फ-इज़ा हि-य तल्कफ़ु
मा यअफ़िकून (45) फ-उल्कियस्-
-स-ह-रतु साजिदीन (46) कालू
आमन्ना बिरब्बिल्-आलमीन (47)

कोई जादूगर है पढ़ा हुआ। (34) चाहता
है कि निकाल दे तुमको तुम्हारे देस से
अपने जादू के जोर से, सो अब क्या
हुक्म देते हो? (35) बोले ढील दे इसको
और इसके भाई को और भेज दे शहरों
में नकीब। (36) ले आयें तेरे पास जो
बड़ा जादूगर हो पढ़ा हुआ। (37) फिर
इकट्ठे किये जादूगर वायदे पर एक मुकर्रर
दिन के। (38) और कह दिया लोगों को
क्या तुम भी इकट्ठे हो गये? (39) शायद
हम राह कुबूल कर लें जादूगरों की अगर
हो उनको ग़लबा। (40) फिर जब आये
जादूगर कहने लगे फिरऔन से भला कुछ
हमारा हक़ भी है अगर हो हमको ग़लबा?
(41) बोला ज़रूर! और तुम उस वक़्त
ख़ास लोगों में होगे। (42) कहा उनको
मूसा ने डालो जो तुम डालते हो। (43)
फिर डालीं उन्होंने अपनी रस्सियाँ और
लाठियाँ और बोले फिरऔन के इक़बाल
(रुतबे व इज़्जत) से हमारी ही फ़तह है।
(44) फिर डाला मूसा ने अपना असा
(लाठी) फिर तभी वह निगलने लगा जो
साँग उन्होंने बनाया था। (45) फिर औंधे
गिरे जादूगर सज्दे में। (46) बोले हमने
मान लिया जहान के रब को (47)


रब्बि मूसा व हारून (48) का-ल
 आमन्तुम् लहू कब्-ल अन् आज-न
 लकुम् इन्नहू लकबीरुकुमुल्लज़ी
 अल्ल-मकुमुस्-सिह-र फ-लसौ-फ
 तअ-लमू-न, ल-उक़त्तिअन्-न
 ऐदि-यकुम् व अरजु-लकुम् मिन्
 ख़िलाफ़िं-व ल-उसल्लिबन्नकुम्
 अज्मअीन (49) कालू ला ज़ै-र इन्ना
 इला रब्बिना मुन्क़लिबून (50) इन्ना
 नत्मअु अय्यग्फ़ि-र लना रब्बुना
 ख़ातायाना अन् कुन्ना अव्वलल्-
 मुअ्मिनीन (51) ❀

जो रब है मूसा और हारून का। (48)
 बोला तुमने उसको मान लिया अभी मैंने
 हुक्म नहीं दिया तुमको, तय बात है कि
 वह तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको
 सिखलाया जादू, सो अब मालूम कर लोगे
 अलबत्ता काटूंगा तुम्हारे हाथ और दूसरी
 तरफ़ के पाँव और सूली पर चढ़ाऊंगा तुम
 सब को। (49) बोले कुछ डर नहीं, हमको
 अपने रब की तरफ़ फिर जाना है। (50)
 हम गर्ज रखते हैं कि बरूश दे हमको
 हमारा रब हमारी ख़तायें इस वास्ते कि
 हम हुए पहले कुबूल करने वाले। (51) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो ये मोज़िज़े ज़ाहिर हुए तो) फिरऔन ने दरबार वालों से जो उसके आस-पास (बैठे) थे, कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। इसका (असल) मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से (खुद सरदार हो जाये और) तुमको तुम्हारी सरज़मीन से बाहर कर दे (ताकि बिना किसी टकराव और रोक-टोक के अपनी क़ौम को लेकर हुक्मत करे) सो तुम लोग क्या मश्विरा देते हो? दरबारियों ने कहा कि आप उनको और उनके भाई को (थोड़ी) मोहलत दीजिये और (अपने मुल्क की सीमाओं के) शहरों में (फिरने वालों को यानी) चपरासियों को (हुक्म नामे देकर) भेज दीजिये कि वे (सब शहरों से) सब माहिर जादूगरों को (जमा करके) आपके पास लाकर हाज़िर कर दें।

गर्ज वे जादूगर एक मुक़र्ररा दिन के ख़ास वक़्त पर जमा कर लिये गये। (निर्धारित दिन से मुराद जीनत का दिन है, और ख़ास वक़्त से मुराद सूरज चढ़े का वक़्त है जैसा कि सूरः तौ-हा के शुरू में रुकूअ तीन के अन्दर बयान हुआ है। यानी उस वक़्त के करीब तक सब लोग जमा कर लिये गये और फिरऔन को जमा होने की इत्तिला दे दी गई) और (फिरऔन की तरफ़ से आम ऐलान के तौर पर) लोगों को यह इशितहार दिया गया कि क्या तुम लोग (फुलाँ मौके पर बाकिआ देखने के लिये) जमा होगे? (यानी जमा हो जाओ) ताकि अगर जादूगर ग़ालिब आ जाएँ (जैसा कि उम्मीद उनके ग़ालिब होने की है) तो हम उन्हीं की राह पर रहें (यानी वही राह जिस पर फिरऔन था और दूसरों



मतलब यह कि जमा हाकर दखा उम्माद ह कि जादूगर गालिब ह होना हुज्जत से साबित हो जायेगा)।

फिर (मूसा की पेशी में) आये तो फिरऔन से कहने लगे कि अगर (मूसा आ गये तो क्या हमको कोई बड़ा सिला (और इनाम) मिलेगा? इनाम भी बड़ा मिलेगा) और (उस पर अतिरिक्त यह मर्तबा मिलेगा कि) तूरीबी लोगों में दाखिल हो जाओगे। (गर्ज इस गुफ्तगू के बाद ऐन मुकाबले दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाये और मुकाबला शुरू हुआ और अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप अपना असा पहले डालियेगा या हम डालें) मूसा उनसे फरमाया कि तुमको जो कुछ डालना (मन्जूर) हो (मैदान में) डालो। सो उन्होंने अपनी रास्तियाँ और लाटियाँ डालीं (जो जादू के असर से साँप मालूम होते थे) और कहने लगे कि फिरऔन के इकबाल "यानी बुलन्दी और इज्जत" की कसम बेशक हम ही गालिब आएँगे।

फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के हुक्म से) अपनी लाठी डाली, सो डालने के साथ ही (अज्दहा बनकर) उनके तमाम-के-तमाम बनाए हुए धन्धे को निगलना शुरू कर दिया। सो (यह देखकर) जादूगर (ऐसे प्रभावित हुए कि) सब सन्दे में गिर पड़े (और पुकार-पुकारकर) कहने लगे कि हम ईमान ले आये रब्बुल-आलमीन पर, जो मूसा और हारून (अलैहिमस्सलाम) का भी रब है। (फिरऔन बड़ा घबराया कि कहीं ऐसा न हो कि सारी प्रजा ही मुसलमान हो जाये तो एक मजमून तैयार करके नाराजगी के इजहार के तौर पर जादूगरों से) कहने लगा कि हाँ, तुम मूसा पर ईमान ले आये बिना इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूँ? जरूर (मालूम होता है कि) यह (जादू में) तुम सब का उस्ताद है, जिसने तुमको जादू सिखाया है (और तुम इसके शार्गिद हो इसलिए आपस में छुपी साजिश कर ली है कि तुम यूँ करना हम यूँ करेंगे, फिर इस तरह हार-जीत जाहिर करेंगे ताकि क्बितियों से हुकूमत लेकर आराम से खुद हुकूमत करो जैसा कि अल्लाह तआला ने उनका यह कौल कुरआने करीम में सूर: आराफ़ की आयत 123 में बयान किया है) सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है (और वह यह है कि) मैं तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव काटूँगा, और तुम सब को सूली पर लटकऊँगा (ताकि औरों को सबक मिले)। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हर्ज नहीं, हम अपने मालिक के पास जा पहुँचेंगे (जहाँ हर तरह अमन व राहत है, फिर ऐसे मरने से नुकसान ही क्या, और) हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवर्दिगार हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे इस वजह से कि हम (इस मौक़े पर मौजूद लोगों में से) सबसे पहले ईमान लाये (पस इस पर वह शुब्हा नहीं हो सकता कि उनसे पहले कुछ लोग ईमान ला चुके थे जैसे हज़रत आसिया और आले फिरऔन में का मोमिन शख्स और बनी इस्राईल। "क्योंकि ये सबसे पहले वहाँ मौजूद लोगों के एतिबार से थे। हिन्दी अनुवादक")।

मआरिफ़ व मसाईल

الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُنْقَرُونَ

यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि "आप जो कुछ जादू दिखाना चाहते हो

वह दिखाओ।" इस पर सरसरी नज़र डालने से यह शुद्ध पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको जादू का हुक्म दे रहे हैं।" लेकिन ज़रा से गौर करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ से जादू दिखाने का हुक्म नहीं था बल्कि जो कुछ वह करने वाले थे उसको बातिल करना मक़सद था, लेकिन उसका बातिल होना बग़ैर उसके ज़ाहिर करने के नामुम्किन था, इसलिये आपने उनको जादू के इज़हार का हुक्म दिया जैसे किसी बेदीन व गुमराह शख्स को कहा जाये कि तुम अपनी गुमराही और बेदीनी की दलीलें पेश करो ताकि मैं उनको बातिल (ग़लत) साबित कर सकूँ। ज़ाहिर है कि इसे कुफ़्र पर रज़ामन्दी नहीं कहा जा सकता।

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ

यह कलिमा उन जादूगरों के लिये कसम खाने के तौर पर है जो ज़माना-ए-जाहिलीयत में राज़ थी। अफ़सोस कि मुसलमानों में भी अब ऐसी कसमें प्रचलित हो गयी हैं जो इससे ज़्यादा बुरी और क़बीह हैं, मसलन बादशाह की कसम, तेरे सर की कसम, तेरी दाढ़ी की कसम या तेरे बाप की कब्र की कसम, इस किस्म की कसमें खाना शरअन जायज़ नहीं, बल्कि उनके मुताल्लिक यह कहना ग़लत नहीं होगा कि खुदा के नाम की झूठी कसम खाने में जो बड़ा गुनाह है इन नामों की सच्ची कसम भी गुनाह में उससे कम नहीं। (रूहुल-मअनी)

قَالُوا لَا ضَيْرَ، إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

यानी जब फिरऔन ने जादूगरों को इमान क़बूल करने पर क़त्ल की और हाथ-पाँव काटने और सूली चढ़ाने की धमकी दी तो जादूगरों ने बड़ी बेपरवाही से यह जवाब दिया कि तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, हमारा कोई नुक़सान नहीं। हम क़त्ल भी होंगे तो अपने रब के पास चले जायेंगे जहाँ आराम ही आराम है।

यहाँ गौर करने की बात यह है कि ये जादूगर जो उम्रभर जादूगरी के कुफ़्र में मुब्तला, उस पर मज़ीद यह कि फिरऔन के खुदाई दावे को मानने वाले और उसकी पूजा करने वाले थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोज़िज़ा देखकर अपनी पूरी क़ौम के ख़िलाफ़, फिरऔन जैसे ज़ालिम व जाबिर बादशाह के ख़िलाफ़ इमान का ऐलान कर दें, यही एक हैरत-अंगेज़ चीज़ थी, मगर यहाँ तो सिर्फ़ इमान का ऐलान ही नहीं बल्कि इमान का वह गहरा रंग चढ़ जाने का प्रदर्शन है कि क़ियामत व आख़िरत गोया उनके सामने नज़र आने लगी। आख़िरत की नेमतें दिखाई देने लगी हैं जिसके मुक़ाबले में दुनिया की हर सज़ा और मुसीबत से बेपरवाह होकर 'फ़दिज़ मा अन्-त क़ाज़िन्' कह दिया यानी जो तेरा जी चाहे कर ले हम तो इमान से फिरने वाले नहीं। यह भी दर हक़ीक़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही का मोज़िज़ा है जो लाठी वाले और चमकते हाथ के मोज़िज़े से कम नहीं। इसी तरह के बहुत से वाक़िआत हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथों ज़ाहिर हुए हैं कि एक मिनट में सत्तर बरस के काफ़िर में ऐसा इन्क़िलाब (बदलाव) आ गया कि सिर्फ़ मोमिन ही नहीं हो गया बल्कि गाज़ी (मुजाहिद) बनकर शहीद होने की तमन्ना करने लगा।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٰ إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ۝

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۝ وَأَنَا لَجَبِيئٌ حَذِرُونَ ۝ فَأَخْرَجْنَهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَعَيْوُنَ ۝ وَكُنُوزَ وَمَقَامِرَ كَرِيمٍ ۝ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ ۝ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَاءَىٰ الْجَمْعِينَ قَالَ أَعْصَبُ مُوسَىٰ أَنَا الْمَذْرُؤُونَ ۝ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝ وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ۝ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

व औहैना इला मूसा अन् असि
बिअिबादी इन्नकुम मुत्त-बअून (52)
फ-अरस-ल फिरऔनु फिल्मदाइनि
हाशिरीन (53) इन्-न हाउला-इ
लशिरज़ि-मतुन् कलीलून (54) व
इन्नहुम् लना लगाइज़ून (55) व इन्ना
ल-जमीअुन् हाज़िरून (56)
फ-अखरज्नाहुम् मिन् जन्नातिंव-व
अुयून (57) व कुनूज़िंव-व मकामिन्
करीम (58) कज़ालि-क, व औरस्नाहा
बनी इस्राईल (59) फ-अत्वअूहुम्-
मुशिरकीन (60) फ-लम्मा तराअल्-
जम्आनि का-ल अस्हाबु मूसा इन्ना
लमुद्-रकून (61) का-ल कल्ला
इन्-न मअि-य रब्बी स-यह्दीन (62)
फ-औहैना इला मूसा अनिज़ूरिब्
बिअसाकल्-बह-र, फन्फ-ल-क

और हुक्म भेजा हमने मूसा को कि रात
को ले निकल मेरे बन्दों को यकीनन
तुम्हारा पीछा करेंगे। (52) फिर भेजे
फिरऔन ने शहरों में नकीब। (53) ये
लोग जो हैं सो एक जमाअत है थोड़ी सी
(54) और वह तय है कि हमसे दिल जले
हुए हैं। (55) और हम सारे उनसे खतरा
रखते हैं। (56) फिर निकाल बाहर किया
हमने उनको बागों और चश्मों से (57)
और खज़ानों और उम्दा मकानों से। (58)
इसी तरह और हाथ लगा दीं हमने ये
बनी इस्राईल के। (59) फिर पीछे पड़े
उनके सूरज निकलने के वक़्त। (60) फिर
जब मुक़ाबिल हुई दोनों फ़ौजें कहने लगे
मूसा के लोग हम तो पकड़े गये। (61)
कहा हरगिज़ नहीं! मेरे साथ है मेरा रब,
वह मुझको राह बतलायेगा। (62) फिर
हुक्म भेजा हमने मूसा को कि मार अपने
असा "लाठी" से दरिया को फिर दरिया

फका-न कुल्लु फिरकिन् कतौदिल्-
अज़ीम (63) व अज़्लफना सम्मल्-
आखरीन (64) व अन्जैना मूसा व
मम्-म-अहू अज्मज़ीन (65) सुम्-म
अग्रक्नल्-आखरीन (66) इन्-न
फी ज़ालि-क लआ-यतनु, व मा
का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (67) व
इन्-न रब्ब-क लहुवल् अज़ीजुर-
रहीम। (68) ❀

फट गया तो हो गयी हर फाँक जैसे बड़ा
पहाड़। (63) और पास पहुँचा दिया हमने
उसी जगह दूसरों को। (64) और बचा
दिया हमने मूसा को और जो लोग थे
उसके साथ सब को। (65) फिर डुबा दिया
हमने उन दूसरों को। (66) इस चीज़ में
एक निशानी है, और नहीं थे बहुत लोग
उनमें मानने वाले। (67) और तेरा रब
वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (68) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और (जब फिरऔन को इस वाकिए से भी हिदायत न हुई और उसने बनी इस्राईल को सताना न छोड़ा तो) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म भेजा कि मेरे (उन) बन्दों को (यानी बनी इस्राईल को) रातों-रात (मिस्र से बाहर) निकाल ले जाओ, (और फिरऔन की जानिब से) तुम लोगों का पीछा (भी) किया जायेगा। (चुनाँचे हुक्म के मुताबिक वह बनी इस्राईल को लेकर रात को चल दिये। सुबह यह खबर मशहूर हुई तो) फिरऔन ने (पीछा करने की तदबीर के लिये आस-पास के) शहरों में चपरासी दौड़ा दिये (और यह कहला भेजा) कि ये लोग (यानी बनी इस्राईल हमारे मुकाबले में) थोड़ी-सी जमाअत है (उनके मुकाबले से कोई अन्देशा न करे) और उन्होंने (अपनी कार्रवाई से) हमको बहुत गुस्सा दिलाया है (वह कार्रवाई यह है कि छुपी चालाकी से निकल गये, या यह कि हमारा बहुत सारा ज़ेवर भी माँगने के बहाने से ले गये, ग़र्ज़ कि हमको बेवकूफ बनाकर गये, ज़रूर उनको इसका मज़ा चखाना चाहिए) और हम सब हथियारों से लैस एक जमाअत (और बाकायदा फौज) हैं, ग़र्ज़ कि (दो-चार दिन में जब सामान और फौज से ठीक-ठाक हो गया तो लाव-लश्कर लेकर बनी इस्राईल का पीछा करने के लिये चला और यह खबर न थी कि अब लौटना नसीब न होगा तो इस हिसाब से गोया) हमने उनको बागों से और चश्मों से "निकाला" और खज़ानों से और उम्दा मकानात से निकाल बाहर किया।

(हमने उनके साथ तो) यूँ किया और उनके बाद बनी इस्राईल को उनका मालिक बनाया। (ऊपर से बयान हो रहे मज़मून से हटकर बीच में यह एक दूसरी बात का बयान था, आगे फिर वही किस्सा है) ग़र्ज़ कि (एक दिन) सूरज निकलने के वक़्त उनको पीछे से जा लिया (यानी करीब पहुँच गये, उस वक़्त बनी इस्राईल दरिया-ए-कुल्लुम से उतरने की फ़िक्र में थे कि क्या सामान करें) फिर दोनों जमाअतें (आपस में ऐसी करीब हुईं कि) एक-दूसरे को देखने लगीं, तो मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथ

वाले (घबराकर) कहने लगे कि (ऐ मूसा!) बस हम तो हाथ आ गये। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझको अभी (दरिया से निकलने का) रास्ता बतला देगा। (क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को खानगी के वक्त ही कह दिया गया था कि समुद्र में खुश्क रास्ता पैदा हो जायेगा, जैसा कि सूः तौ-हा की आयत 77 में इसकी वज़ाहत है। अगरचे खुश्क होने की कैफियत उस वक्त न बतलाई थी। पस मूसा अलैहिस्सलाम उस वायदे पर मुत्मईन थे, और बनी इस्राईल कैफियत मालूम न होने से परेशान थे)। फिर हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो, चुनाँचे (उन्होंने उस पर लाठी मारी, जिस से) वह (दरिया) फट (कर कई हिस्से हो) गया (यानी पानी कई जगह से, इधर-उधर हटकर बीच में अनेक सड़कें खुल गई) और हर हिस्सा इतना (बड़ा) था जैसा बड़ा पहाड़। (ये लोग दरिया में अमन व इत्मीनान से पार हो गये) और हमने दूसरे फ़रीक़ को भी उस जगह के करीब पहुँचा दिया (यानी फिरऔन और फिरऔनी लोग भी दरिया के नज़दीक पहुँचे और पहले से की गयी भविष्यवाणी के मुताबिक़ दरिया उस वक्त तक उसी हाल पर ठहरा हुआ था, इसलिए खुले रास्ते को ग़नीमत समझा और आगा-पीछा कुछ सोचा नहीं, सारा लश्कर अन्दर घुस गया और चारों तरफ़ से पानी सिमटना शुरू हुआ और सारे लश्कर का काम तमाम हुआ) और (किस्से का अन्जाम यह हुआ कि) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को और उनके साथ वालों को सब को (ग़र्क़ होने से) बचा लिया, फिर दूसरों को (यानी उनके मुखालिफ़ों को) ग़र्क़ कर दिया।

(और) इस वाकिए में (भी) बड़ी इब्त है (यानी यह इस काबिल है कि काफ़िर लोग इससे दलील हासिल करें कि अल्लाह के अहकाम और उसके रसूलों की मुखालफ़त अल्लाह के अज़ाब को लाने वाली है और इसको समझकर मुखालफ़त से बचें), और (इसके बावजूद) इन (मक्का के काफ़िरी) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और आप का रब बड़ा ज़बरदस्त है (अगर चाहता दुनिया में ही इनको अज़ाब देता लेकिन) बड़ा मेहरबान है (इसलिए अपनी उमूमी रहमत से अज़ाब की मोहलत मुक़रर कर दी है, पस अज़ाब के फ़ौरन आने से भी बेफ़िक़्र न होना चाहिए)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

इस आयत में बज़ाहिर यह वज़ाहत है कि फिरऔन की क़ौम की छोड़ी हुई मिल्कियतें और जायदाद, बग़ात व ख़जानों का मालिक फिरऔन के ग़र्क़ होने के बाद बनी इस्राईल को बना दिया गया, लेकिन इसमें एक तारीख़ी इश्काल (शुब्हा व एतिराज़) यह है कि खुद क़ुरआन की अनेक आयतें इस पर सुबूत हैं कि क़ौमे फिरऔन की हलाक़त के बाद बनी इस्राईल मिस्र की तरफ़ नहीं लौटे बल्कि अपने असली वतन पवित्र ज़मीन मुल्क शाग़ की तरफ़ खाना हुए, वहीं उनको एक काफ़िर क़ौम से जिहाद करके उनके शहर को फ़तह करने का हुक्म मिला, जिसकी तामील से बनी इस्राईल ने इनकार कर दिया, इस पर अज़ाब के तौर पर उस खुले मैदान में जिसमें बनी इस्राईल मौजूद थे एक कुदरती ज़ेलाख़ाना बना दिया गया, कि वे उस मैदान से निकल नहीं सकते थे, इसी हाल में चालीस साल गुज़रे

और उसी वादी-ए-तीह में उनके दोनों पैगम्बरों हज़रत मूसा और हारून अलैहिमस्सलाम की वफ़ात हो गयी। उसके बाद भी तारीख़ की किताबों से यह साबित नहीं होता कि किसी वक़्त बनी इस्राईल सामूहिक और कौमी सूरत से मिस्र में दाख़िल हुए हों कि कौमे फिरऔन की जायदादों व ख़ज़ानों पर उनका कब्ज़ा हुआ हो।

तफ़सीर रूहुल-मआनी में सूर: शु-अरा की इसी आयत के तहत तफ़सीर के इमामों ने इसके दो ब़वाब हज़रत हसन व क़तादा रह. के हवाले से नक़ल किये हैं। हज़रत हसन रह. का इरशाद है कि उक्त आयत में बनी इस्राईल को फिरऔन और उसकी कौम की छोड़ी हुई जायदाद का वारिस बनाने का ज़िक्र है मगर यह कहीं मज़कूर नहीं कि यह वाक़िआ फिरऔन की हलाक़त के बाद हो जायेगा। तीह की वादी के वाक़िए और चालीस पचास साल के बाद भी अगर वे मिस्र में दाख़िल हुए हों तो आयत के मफ़हूम में कोई फ़र्क़ नहीं आता। रहा यह मामला कि तारीख़ से उनका मिस्र में सामूहिक दाख़िला साबित नहीं, तो यह एतिराज़ इसलिये काबिले तवज्जोह नहीं है कि उस ज़माने की तारीख़ यहूदियों व ईसाईयों की लिखी हुई झूठी बातों से भरपूर है जो किसी तरह काबिले भरोसा नहीं, उसकी वजह से कुरआनी आयतों में कोई तावील (मतलब में उलट-फेर) करने की ज़रूरत नहीं।

हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि इस वाक़िए के बारे में जितनी आयतें कुरआने करीम की अनेक सूरतों में आई हैं मसलन सूर: आराफ़ आयत 128 और 137 और सूर: कसस आयत 5 और सूर: दुख़ान की आयत 25 से 28 और सूर: शु-अरा की ऊपर बयान हुई यह आयत 59, इन सब के ज़ाहिर से अगरचे ज़ेहन इस तरफ़ जाता है कि बनी इस्राईल को खास उन्हीं बाग़ों और जायदादों का मालिक बनाया गया था जो कौमे फिरऔन ने मिस्र की ज़मीन में छोड़ी थीं जिसके लिये बनी इस्राईल को मिस्र की तरफ़ लौटना ज़रूरी है, लेकिन इन सब आयतों के अलफ़ाज़ में इसकी भी स्पष्ट गुंजाईश मौजूद है कि इससे मुराद यह हो कि बनी इस्राईल को उसी तरह के ख़ज़ानों और बाग़ों वग़ैरह का मालिक बना दिया गया जिस तरह के बाग़ात कौमे फिरऔन के पास थे। जिसके लिये यह ज़रूरी नहीं कि वे मिस्र की ज़मीन ही में पहुँचकर हासिल हों बल्कि शाम के मुल्क में भी हासिल हो सकते हैं। और सूर: आराफ़ की आयत में 'अल्लती बारक्ना फ़ीहा' (आयत नम्बर 147) के अलफ़ाज़ से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि मुल्क शाम मुराद है, क्योंकि कुरआने करीम की अनेक आयतों में 'बारक्ना' वग़ैरह के अलफ़ाज़ अक्सर शाम की सरज़मीन ही के बारे में आये हैं, इसलिये हज़रत क़तादा रह. का कौल यह है कि बिना ज़रूरत कुरआनी आयतों को ऐसे मायनों पर फ़िट करना जो वैश्विक तारीख़ से टकरायें दुरुस्त नहीं।

ख़ुलासा यह है कि अगर वाक़िआत (तथ्यों) यह साबित हो जाये कि फिरऔन की हलाक़त के बाद किसी वक़्त भी बनी इस्राईल सामूहिक रूप में मिस्र पर काबिज़ नहीं हुए तो हज़रत क़तादा रह. की तफ़सीर के मुताबिक़ इन तमाम आयतों में मुल्क शाम की सरज़मीन और उसके बाग़ों व ख़ज़ानों का वारिस होना मुराद लिया जा सकता है। वल्लाहु सुब्बानहू व तआला आलम

قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۚ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

उस वक़्त जबकि फिरऔनी लश्कर उनका पीछा कर रहा था, जब बिल्कुल सामने आ गया तो

बनी इस्राईल की पूरी क़ौम चिल्ला उठी कि हम तो पकड़ लिये गये और पकड़े जाने में शुब्हा और देर ही क्या थी कि पीछे यह ज़बरदस्त लश्कर और आगे दरिया रुकावट, यह सूरतेहाल मूसा अलैहिस्सलाम से भी छुपी न थी मगर वह हिम्मत व मज़बूती के पहाड़ अल्लाह के वायदे पर यकीन किये हुए उस वक़्त भी बड़े जोर से कहते हैं 'कल्ला' हरगिज़ नहीं पकड़े जा सकते, और वजह यह बतलाते हैं कि:

إِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

मेरे साथ मेरा परवर्दिगार है जो मुझे रास्ता देगा। ईमान का इम्तिहान ऐसे ही मौकों में होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी, वह गोया बचने का रास्ता अपनी आँखों से देख रहे थे। बिल्कुल इसी तरह का वाक़िआ हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर में छुपने के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पेश आया था कि दुश्मन आपका पीछा कर रहे थे, उस ग़ार के दहाने पर आ खड़े हुए, ज़रा नीचे नज़र करें तो आप उनके सामने आ जायें, उस वक़्त सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को घबराहट हुई तो आपने बिल्कुल यही जवाब दिया:

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝

कि ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है। इन दोनों वाक़िआत में एक बात यह भी ध्यान देने के काबिल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम को तसल्ली देने के लिये कहा कि "मेरे साथ मेरा रब है" और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब 'म-अना' फ़रमाया कि हम दोनों के साथ हमारा रब है। यह उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है कि उसके अफ़राद भी अपने रसूल के साथ अल्लाह के साथ होने के सम्मान से नवाज़े गये।

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِيرَاهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظُرُ لَهَا غَافِقِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْعَوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ۝ قَالُوا هُمْ عَدُوٌّ لَنَا إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يُسْقِينِي ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۝ وَالَّذِي أَطْعَمُنِي أَنْ يَقْفِرَ لِي خِطْبَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْخَقِيئِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝ وَقِيلَ لَهُمْ أَيَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ۝ فَكُنِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاُونَ ۝ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يُخْتَصِمُونَ ۝

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نَسُوْا بَرِيْءَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمَجْرُمُوْنَ ۝ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ۝ وَلَا صٰدِقِيْنَ حَسِيْمٍ ۝ فَلَا اَنْتَ كُنَّا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةًۭ ۝
 مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

५
६५
९

वत्तु अलैहिम् न-ब-अ इब्राहीम ।
 (69) इज़् का-ल लि-अबीहि व
 कौमिही मा तअबुदून (70) कालू
 नअबुदु अस्नामन् फ-नज़ल्लु लहा
 आकिफ़ीन (71) का-ल हल्
 यस्मअूनकुम् इज़् तदअून (72) औ
 यन्फअूनकुम् औ यज़ुररून (73)
 कालू बल् वजदना आबा-अना
 कज़ालि-क यफअलून (74) का-ल
 अ-फ-रऐतुम् मा कुन्तुम् तअबुदून
 (75) अन्तुम् व आबाउकुमुल्-अक्दमून
 (76) फ-इन्नहुम् अदुव्वुल्-ली इल्ला
 रब्बल्-आलमीन (77) अल्लज़ी
 ख़-ल-कनी फ़हु-व यहदीन (78)
 वल्लज़ी हु-व युत्अिमुनी व यस्कीन
 (79) व इज़ा मरिज़्तु फ़हु-व यशफ़ीन
 (80) वल्लज़ी युमीतुनी सुम्-म
 युहयीन (81) वल्लज़ी अत्मअु
 अंय्यग़िफ़-र ली ख़ती-अती यौमद्दीन
 (82) रब्बि हब् ली हुक्मं व-व
 अल्हिक्नी बिस्सालिहीन (83)

और सुना दे उनको ख़बर इब्राहीम की ।
 (69) जब कहा अपने बाप को और उसकी
 कौम को- तुम किसको पूजते हो । (70)
 वे बोले हम पूजते हैं मूर्तियों को, फिर
 सारे दिन उन्हीं के पास लगे बैठे रहते हैं ।
 (71) कहा कुछ सुनते हैं तुम्हारा कहा
 जब तुम पुकारते हो? (72) या कुछ भला
 करते हैं तुम्हारा या बुरा? (73) बोले
 नहीं, पर हमने पाया अपने बाप-दादों को
 यही काम करते । (74) कहा भला देखते
 हो जिनको पूजते रहे हो (75) तुम और
 तुम्हारे अगले बाप-दादे । (76) सो वे मेरे
 दुश्मन हैं, मगर जहान का रब (77) जिस
 ने मुझको बनाया सो वही मुझको राह
 दिखलाता है । (78) और वह जो मुझको
 खिलाता है और पिलाता है । (79) और
 जब मैं बीमार हूँ तो वही शिफ़ा देता है ।
 (80) और वह जो मुझको मारेगा और फिर
 जिलायेगा । (81) और वह जो मुझको
 उम्मीद है कि बख़्शे मेरी ख़ता इन्साफ़ के
 दिन । (82) ऐ मेरे रब दे मुझको हुक्म
 और मिला मुझको नेकों में । (83)

वजूअल्ली लिसा-न सिदकिन् फ़िल्-
 आख़िरीन (84) वजूअल्नी
 मिन्व-र-सति जन्नतिन्-नज़ीम (85)
 वग़्फ़िर् लि-अबी इन्नहू का-न
 मिनज़्ज़ॉल्लीन (86) व ला तुख़्ज़िनी
 यौ-म युबूअसून (87) यौ-म ला
 यन्फ़ज़ु मालुंव-व ला बनून (88)
 इल्ला मन् अतल्ला-ह बि-क़ल्बिन्
 सलीम (89) व उज़्लि-फ़तिल्-जन्नतु
 लिन्मुत्तकीन (90) व बुरि-ज़तिल्-
 जहीमु लिग़्ावीन (91) व की-ल
 लहुम् ऐ-नमा कुन्तुम् तअबुदून (92)
 मिन् दूनिल्लाहि, हल् यन्सुरूनकुम्
 औ यन्तसिरून (93) फ़कुब्किबू
 फ़ीहा हुम् वल्गावून (94) व जुनूदु
 इब्ली-स अज्मअून (95) क़ालू व हुम्
 फ़ीहा यख़्तसिमून (96) तल्लाहि इन्
 कुन्ना लफी ज़लालिम् मुबीन (97)
 इज़् नुसव्वीकुम् बिरब्बिल्-आलमीन
 (98) व मा अज़ल्लना इल्लल्-
 मुज़्रिमून (99) फ़मा लना मिन्
 शाफ़िज़ीन (100) व ला सदीकिन्
 हमीम (101) फ़लौ अन्-न लना
 कर्तन् फ़-नकू-न मिन्ल्-मुअ्मिनीन
 (102) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्,

और रख मेरा बोल सच्चा बाद वालों में।
 (84) और कर मुझको वारिसों में नेमत के
 बाग़ के। (85) और माफ़ कर मेरे बाप
 को वह था राह भूले हुआं में। (86) और
 रुखा न कर मुझको जिस दिन सब जिन्दा
 होकर उठें। (87) जिस दिन न काम आये
 कोई माल और न बेटे (88) मगर जो
 कोई आया अल्लाह के पास लेकर चंगा
 दिल। (89) और पास लायें जन्नत को
 डर वालों के वास्ते (90) और निकालें
 दोख़ को सामने बेराहों के (91) और
 कहें उनको कहाँ हैं जिनको तुम पूजते थे
 (92) अल्लाह के सिवाय क्या कुछ मदद
 करते हैं तुम्हारी या बदला ले सकते हैं?
 (93) फिर औंधे डालें उसमें उनको और
 सब बेराहों को। (94) और इब्लीस के
 लश्कर को सभों को। (95) कहेंगे जब वे
 वहाँ आपस में झगड़ने लगें। (96) कसम
 अल्लाह की हम थे खुली गुलती में। (97)
 जब हम तुमको बराबर करते थे परवर्दिगारे
 आलम के। (98) और हमको राह से
 बहकाया सो उन गुनाहगारों ने। (99) फिर
 कोई नहीं हमारी सिफ़ारिश करने वाले
 (100) और न कोई दोस्त मुहब्बत करने
 वाला। (101) सो किसी तरह हमको फिर
 जाना मिले तो हम हों ईमान वालों में।
 (102) इस बात में निशानी है,

व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन
(103) व इन्-न रब्ब-क लहुवल्
अज़ीजुर्-रहीम (104) ❁

और बहुत लोग उनमें नहीं मानने वाले।
(103) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त
रहम वाला। (104) ❁

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और आप इन लोगों के सामने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का किस्सा बयान कीजिए (ताकि इनको शिर्क की बुराई की दलीलें मालूम हों, खुसूसन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मन्कूल होकर, क्योंकि अरब के ये मुशिरक लोग अपने को इब्राहीमी तरीके पर बतलाते हैं, और वह किस्सा उस वक़्त हुआ था) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से (जो कि बुत-परस्त थे) फ़रमाया कि तुम किस (वाहियात) चीज़ की इबादत किया करते हो, उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत किया करते हैं और हम उन्हीं की (इबादत) पर जमे बैठे रहते हैं। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इनको (अपनी ज़रूरत पेश करने के वक़्त) पुकारा करते हो? या (तुम जो इनकी इबादत करते हो तो क्या) ये तुमको कुछ नफ़ा पहुँचाते हैं, या (अगर तुम इनकी इबादत करना छोड़ दो तो क्या) ये तुमको कुछ नुक़सान पहुँचा सकते हैं? (यानी माबूद बनने का मुस्तहिक़ होने के लिये इल्म और कामिल कुदरत तो ज़रूरी है)। उन लोगों ने कहा नहीं (यह बात तो नहीं है कि ये कुछ सुनते हों या नफ़ा व नुक़सान पहुँचा सकते हों, और इनकी इबादत करने की यह वजह नहीं) बल्कि हमने अपने बड़ों को इसी तरह करते देखा है (इसीलिये हम भी वही करते हैं)।

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि भला तुमने उन (की हालत) को (ग़ौर से) देखा भी जिनकी तुम इबादत किया करते हो? तुम भी और तुम्हारे पुराने बड़े भी कि ये (माबूद) मेरे (यानी तुम्हारे लिये) नुक़सान का सबब हैं (यानी अगर इनकी इबादत की जाये, चाहे नऊजु बिल्लाह में करूँ या तुम करो तो सिवाय नुक़सान के और कोई नतीजा नहीं) मगर हाँ रब्बुल-आलमीन (ऐसा है कि वह अपनी इबादत करने वालों का दोस्त है और उसकी इबादत पूरी तरह नफ़ा देने वाली है) जिसने मुझको (और इसी तरह सब को) पैदा किया, फिर वही मुझको (मेरी मस्तेहतों तक) रहनुमाई करता है (यानी अक्ल व समझ देता है जिससे नफ़े व नुक़सान को समझता हूँ) और जो कि मुझको खिलाता-पिलाता है। और जब मैं बीमार हो जाता हूँ (जिसके बाद शिफ़ा हो जाती है) तो वही मुझको शिफ़ा देता है। और जो मुझको (वक़्त पर) मौत देगा, फिर (क़ियामत के दिन) मुझको ज़िन्दा करेगा। और जिससे मुझको यह उम्मीद है कि मेरी ग़लतियों को क़ियामत के दिन माफ़ कर देगा (ये सारी की सारी सिफ़ात इसलिये सुनाई कि कौम को खुदा तआला की इबादत की तरफ़ तवज्जोह और रुचि हो, फिर क़माल वाली सिफ़ात बयान फ़रमाते-फ़रमाते अल्लाह तआला की तरफ़ तवज्जोह व ध्यान के ग़लबे के सबब मुनाजात करने लगे कि) ऐ मेरे रब! मुझको हिक्मत (यानी इल्म व अमल के दरमियान जमा करने में ज़्यादा क़माल) अता फ़रमा (क्योंकि जहाँ तक सिर्फ़ हिक्मत का ताल्लुक है तो वह तो दुआ के वक़्त भी हासिल है) और (अपनी निकटता के दर्जों में) मुझको (आला दर्जों के) नेक लोगों में

शामिल फरमा (इससे मुराद बुलन्द रुतबे वाले नबी हैं), और मेरा जिक्र आगे आने वालों में जारी रख (ताकि मेरे तरीके पर चलें जिसमें मुझको ज्यादा सवाब मिले) और मुझको जन्नत-ए-नईम के हकदारों में से कर। और मेरे बाप (को ईमान की तौफीक देकर उस) की मगफिरत फरमा, कि वह गुमराह लोगों में है। और जिस दिन सब जिन्दा होकर उठेंगे उस दिन मुझको रुखा न करना।

(आगे उस दिन के कुछ दिल दहला देने वाले वाकिआत का भी जिक्र फरमा दिया ताकि कौम सुने और डरे। यानी वह ऐसा दिन होगा) उस दिन में कि (निजात के लिये) न माल काम आयेगा और न औलाद। मगर हाँ (उसको निजात होगी) जो अल्लाह तआला के पास (कुफ़ व शिर्क से) पाक दिल लेकर आयेगा। और (उस दिन) खुदा से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के लिये जन्नत नज़दीक कर दी जायेगी (कि उसको देखें और यह मालूम करके कि हम इसमें जायेंगे खुश हों) और गुमराहों (यानी काफ़िरी) के लिये दोज़ख सामने जाहिर की जायेगी (कि उसको देखकर गुमगीन हों कि हम इसमें जायेंगे)। और (उस दिन) उन (गुमराहों) से कहा जायेगा कि वे माबूद कहाँ गये जिनकी तुम इबादत करते थे, क्या (इस वक़्त) वे तुम्हारा साथ दे सकते हैं या अपना ही बचाव कर सकते हैं। फिर (यह कहकर) वे (माबूद) और गुमराह लोग और शैतान का लश्कर सब के सब दोज़ख में औंधे मुँह डाल दिये जाएँगे। (पस वे बुत और शयातीन न अपने को बचा सके न अपनी पूजा करने वालों को)।

वे काफ़िर दोज़ख में बातचीत करते हुए (उन माबूदों से) कहेंगे कि अल्लाह की क़सम! बेशक हम खुली गुमराही में थे जबकि तुमको (इबादत में) रब्बुल-अलमीन के बराबर करते थे। और हमको तो बस इन बड़े मुजरिमों ने (जो कि गुमराही की बुनियाद रखने वाले थे) गुमराह किया। सो (अब) न कोई हमारा सिफ़ारिशी है (कि छुड़ा ले) और न कोई सच्चा दोस्त है (कि ख़ाली दिल को तसल्ली ही दे) सो क्या अच्छा होता कि हमको (दुनिया में) फिर वापस जाना मिलता ताकि हम मुसलमान हो जाते। (यहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तक़रीर हो गई आगे अल्लाह तआला का इरशाद है कि) बेशक इस वाक़िये (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाज़रे और क़ियामत के वाक़िए) में (भी हक़ के तालिबों और अन्जाम का डर रखने वालों के लिये) एक बड़ी इबत है (कि मुनाज़रे के मज़ामीन में गौर करके तौहीद का एतिकाद करें और क़ियामत के वाक़िआत से डरें और ईमान लायें) और (बावजूद इसके) इन (मक्का के मुशिरकों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त, रहमत वाला है (कि अज़ाब दे सकता है मगर मोहलत दे रखी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

क़ियामत तक़ इनसानों में ख़ैर के साथ ज़िक्र रखने की दुआ

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

इस आयत में 'लिसान' से मुराद ज़िक्र है और 'ली' का लाम नफ़े के लिये है। आयत के मायने यह हुए कि ऐ खुदाया! मुझे ऐसे पसन्दीदा तरीके और उम्दा निशानियाँ अता फ़रमा जिसकी दूसरे लोग क़ियामत तक़ पैरवी करें, और मुझे भलाई के साथ और अच्छी सिफ़त से याद किया करें।

(इब्ने कसीर, रूहुल-मआनी)

खुदा तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल फ़रमाई। यहूदी व ईसाई और मक्का के मुशरिक लोग तक मिल्लते इब्राहीमी (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके) से मुहब्बत व उलफ़त रखते हैं और अपने आपको उसकी तरफ़ मन्सूब करते हैं, अगरचे उनका तरीका मिल्लते इब्राहीमी के खिलाफ़ कुफ़्र व शिर्क है मगर वे दावा यही करते हैं कि हम मिल्लते इब्राहीमी पर हैं और उम्मत मुहम्मदिया तो वास्तविक तौर पर मिल्लते इब्राहीमी पर होने को अपने लिये फ़ख़ व गर्व का सबब समझती है।

रुतबे व इज़्ज़त की चाह बुरी है मगर कुछ शर्तों के साथ जायज़ है

लोगों से अपनी इज़्ज़त करने और तारीफ़ करने की इच्छा शरअन बुरी है, कुरआने करीम ने आख़िरत के घर की नेमतों को रुतबे व इज़्ज़त की चाह के छोड़ने पर मौक़ूफ़ करार दिया है (जैसा कि अल्लाह तआला ने सूर: कसस की आयत 83 में इरशाद फ़रमाया है)। इस जगह आयत:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

(ऊपर बयान हुई आयत 84) में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह दुआ कि आने वाली नस्लों में मेरी तारीफ़ व प्रशंसा हुआ करे बज़ाहिर इज़्ज़त व तारीफ़ की चाह में दाख़िल मालूम होती है लेकिन आयत के अलफ़ज़ में ग़ौर किया जाये तो मालूम हो जायेगा कि इस दुआ का असल मक़सद इज़्ज़त व नाम की चाह नहीं बल्कि अल्लाह तआला से इसकी दुआ है कि ऐसे नेक आमाल की तौफ़ीक़ बख़्शें जो मेरी आख़िरत का सामान बनें और उसको देखकर दूसरे लोगों को भी नेक आमाल की रुचि व दिलचस्पी हो, और मेरे बाद भी लोग नेक आमाल में मेरी पैरवी करते रहें। जिसका खुलासा यह है कि इससे कोई इज़्ज़त व नाम का फ़ायदा हासिल करना मक़सूद ही नहीं, जिसको मक़ाम व मर्तबे की चाह कहा जा सके। कुरआन व हदीस में जहाँ नाम व इज़्ज़त और रुतबे व मक़ाम के हासिल करने को मना और बुरा करार दिया है उसकी मुराद वही है दुनियावी नाम व रुतबा और उससे दुनियावी फ़ायदे हासिल करना।

इमाम तिमिज़ी व नसाई ने हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वे भूखे भेड़िये जो बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिये जायें वे बकरियों के रेवड़ को इतना नुक़सान नहीं पहुँचाते जितना दो ख़स्ततें इनसान के दीन को नुक़सान पहुँचाती हैं- एक माल की मुहब्बत दूसरे अपनी इज़्ज़त व तारीफ़ की तलब। (तबरानी हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत से, बज़ार हज़रत अबू हरैरह की रिवायत से)

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जईफ़ सनद के साथ दैलमी ने यह रिवायत नक़ल की है कि इज़्ज़त व तारीफ़ की मुहब्बत इनसान को अंधा बहरा कर देती है। इन तमाम रिवायतों से मुराद वह नाम व रुतबे की तलब और तारीफ़ की चाह है जो दुनियावी मक़सिद के लिये मतलूब हो या जिसकी खातिर दीन में कोताही या किसी गुनाह को करना पड़े, और जब यह सूरत न हो तो रुतबे व इज़्ज़त को तलब करना बुरा और नापसन्दीदा नहीं। हदीस में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह दुआ मन्कूल है:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي عَيْنِ النَّاسِ كَبِيرًا.

यानी या अल्लाह! मुझे खुद अपनी निगाह में तो छोटा और हकीर बना दीजिए और लोगों की नज़र में बड़ा बना दीजिये।

यहाँ भी लोगों की नज़र में बड़ा बनाने का मक़सद यह है कि लोग नेक आमाल में मेरी पैरवी करें। इसी लिये इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया कि जो शख्स वास्तव में नेक हो, लोगों की नज़र में नेक बनने के लिये रियाकारी (दिखावा) न करे उसके लिये लोगों की तरफ़ से तारीफ़ व प्रशंसा की चाहत बुरी नहीं। इब्ने अरबी ने फ़रमाया कि उक्त आयत से साबित हुआ कि जिस नेक अमल से लोगों में तारीफ़ होती हो उस नेक अमल की तलब व इच्छा जायज़ है। और इमाम ग़ज़ाली रह. ने फ़रमाया कि दुनिया में इज़्ज़त व नाम और रुतबे की मुहब्बत तीन शर्तों के साथ जायज़ है- अब्बल यह कि उससे मक़सूद अपने आपको बड़ा और उसके मुक़ाबले में दूसरे को छोटा या हकीर करार देना न हो, बल्कि आख़िरत के फ़ायदे के लिये हो कि लोग मेरे मोतकिद होकर नेक आमाल में मेरी पैरवी करें। दूसरे यह कि झूठी तारीफ़ कराना मक़सद न हो कि जो सिफ़त अपने अन्दर नहीं है लोगों से इसकी इच्छा रखे कि वे उस सिफ़त में उसकी तारीफ़ करें। तीसरे यह कि उसके हासिल करने के लिये किसी गुनाह या दीन के मामले में सुस्ती व कोताही इख़्तियार न करनी पड़े।

मुश्रिक लोगों के लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत जायज़ नहीं

وَاعْفِرْ لِأَيِّبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

क़ुरआन मजीद के इस फ़रमान के बाद:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ صَحْبَ

الْحَجِيمِ ۝

अब किसी ऐसे शख्स के लिये जिसका कुफ़्र पर मरना यकीनी हो इस्तिग़फ़ार और दुआ-ए-मग़फ़िरत तलब करना नाजायज़ और हराम है, क्योंकि उपरोक्त आयत का तर्जुमा यह है कि किसी नबी और ईमान वालों के लिये यह क़तई जायज़ नहीं कि वे मुश्रिकों के लिये मग़फ़िरत तलब करें चाहे वे उसके रिश्तेदार और करीबी ही क्यों न हों, जबकि उनका जहन्नमी होना बिल्कुल स्पष्ट हो चुका हो।

एक सवाल और उसका जवाब

अब यहाँ यह सवाल पैदा हो जाता है कि इस मनाही और रोकने के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुश्रिक बाप के लिये क्यों दुआ-ए-मग़फ़िरत माँगी? इसका जवाब खुद अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद में दे दिया कि:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ عُرْدَةٍ وَعَدِّهَا آيَاتٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ

حَلِيمٌ ۝ (سورة التوبة)

जवाब का खुलासा यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिये उनकी जिन्दगी में इस्तिग़फ़ार इस नीयत और ख़्याल से किया था कि अल्लाह रब्बुल-इज्ज़त उनको ईमान लाने की तौफ़ीक़ दे जिसके बाद मग़फ़िरत यकीनी है, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह ख़्याल था कि मेरा बाप खुफ़िया तौर पर ईमान ले आया है अगरचे उसका इज़हार और ऐलान नहीं किया, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मेरा बाप तो कुफ़्र पर मरा है तो उन्होंने उससे अपनी पूरी बेज़ारी और बरी होने का इज़हार फ़रमाया।

फ़ायदा:- इस बात की तहकीक़ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप का कुफ़्र और शिर्क अपने बाप की जिन्दगी में मालूम हो गया था या मरने के बाद या कियामत के दिन होगा, इसकी पूरी तफ़्सील सूर: तौबा में बयान हुई है।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

यानी कियामत के उस दिन में जिसमें न कोई माल किसी को फ़ायदा देगा न उसके लड़के सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर पहुँचे। इस आयत की तफ़्सीर कुछ हज़रत ने इल्ला के मज़मून को अलग करार देकर यह की है कि उस दिन किसी को न उसका माल काम आयेगा न औलाद, हाँ काम आयेगा तो सिर्फ़ अपना सलामती वाला दिल जिसमें शिर्क व कुफ़्र न हो। और इस जुमले की मिसाल ऐसी होगी जैसे कोई शख्स ज़ैद (किसी व्यक्ति) के मुताल्लिक किसी से पूछे कि क्या ज़ैद के पास माल और औलाद भी है, वह इसके जवाब में कहे कि उसका माल व औलाद तो उसका सही सालिम दिल है। जिसका मतलब यह होता है कि माल व औलाद तो कुछ नहीं मगर उन सब के बदले उसके पास अपना सलामती वाला दिल मौजूद है।

आयत के मज़मून का खुलासा इस तफ़्सीर पर यह होता है कि माल या औलाद तो उस दिन कुछ काम न आयेंगे, काम सिर्फ़ अपना ईमान और नेक अमल आयेगा जिसको सही सालिम दिल से ताबीर कर दिया गया है। और मशहूर तफ़्सीर अक्सर मुफ़त्सिरीन के नज़दीक यह है कि इल्ला के बाद वाला मज़मून भी पीछे के मज़मून से जुड़ा हुआ है और मायने यह हैं कि माल और औलाद कियामत के दिन किसी शख्स के काम न आयेंगे सिवाय उस शख्स के जिसका दिल सलीम है यानी वह मोमिन है। इसका हासिल यह हुआ कि ये सब चीज़ें कियामत में भी मुफ़ीद व लाभदायक हो सकती हैं मगर सिर्फ़ मोमिन के लिये नफ़ा देने वाली होंगी, काफ़िर को कुछ नफ़ा न देंगी। यहाँ एक बात यह गौर करने के काबिल है कि इस जगह कुरआने करीम ने 'व ला बनून' फ़रमाया जिसके मायने लड़कों के हैं, आम औलाद का ज़िक्र ग़ालिबन इसलिये नहीं किया कि आड़े वक़्त में काम आने की उम्मीद दुनिया में लड़कों ही से हो सकती है, लड़कियों से किसी मुसीबत के वक़्त इमदाद मिलने का तो यहाँ भी बहुत कम और इत्तिफ़ाक़ से ही गुमान व संभावना होती है, इसलिये कियामत में विशेष तौर पर लड़कों के फ़ायदा न देने वाले होने का ज़िक्र किया गया जिनसे दुनिया में नफ़े और फ़ायदे की उम्मीद रखी जाती थी।

दूसरी बात यह है कि सलामती वाले दिल के लफ़्ज़ी मायने तन्दुरुस्त दिल के हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद वह दिल है जो कलिमा-ए-तौहीद की गवाही दे

जार शक स पाक हा। यहा मज़मून मुजाहिद, हसन बसरी, सईद बिन मुसैयब से अलग-अलग उनवानों से नकल किया गया है। सईद बिन मुसैयब रह. ने फरमाया कि तन्दुरुस्त दिल सिर्फ मोमिन का हो सकता है काफिर का दिल बीमार होता है जैसा कि कुरआन का इरशाद है:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ.

(उनके दिलों में रोग है।)

माल व औलाद और ख़ानदानी ताल्लुकात आख़िरत में भी ईमान की शर्त के साथ नफ़ा पहुँचा सकते हैं

उपर्युक्त आयत की मशहूर तफ़सीर के मुताबिक़ मालूम हुआ कि इनसान का माल क़ियामत के दिन भी उसके काम आ सकता है शर्त यह है कि वह मुसलमान हो। इसकी सूरत यह है कि जिस शख्स ने दुनिया में अपना माल अल्लाह की राह और नेक कामों में खर्च किया था या कोई सदका जारिया (जारी रहने वाला नेक काम) करके छोड़ा था, अगर उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ, मेहशर में मोमिनों की फ़ेहरिस्त में दाख़िल हुआ तो यहाँ का खर्च किया हुआ माल और सदका-ए-जारिया का सवाब इसको मैदाने हशर और हिसाब की तराजू में भी काम आयेगा। और अगर यह शख्स मुसलमान नहीं था या खुदा न करे मरने से पहले ईमान से निकल गया तो अब दुनिया में किया हुआ कोई नेक अमल इसके काम न आयेगा, और औलाद का भी यही मामला है कि अगर यह शख्स मुसलमान है तो आख़िरत में भी इसको औलाद का फ़ायदा पहुँच सकता है, इस तरह से कि उसके बाद उसकी औलाद उसके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करे या सवाब पहुँचाये, और इस तरह भी कि उसने औलाद को नेक बनाने की कोशिश की थी इसलिये उनके नेक अमल का सवाब उसको भी खुद-बखुद मिलता रहा और उसके नामा-ए-आमाल में दर्ज होता रहा। और इस तरह भी कि औलाद मेहशर में उसकी शफ़ाअत करके बख़्शवा ले जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में ऐसी शफ़ाअत करना और उसका कुबूल होना साबित है, खुसूसन नाबालिग़ औलाद का। इसी तरह औलाद को माँ-बाप से भी आख़िरत में ईमान की शर्त के साथ यह नफ़ा पहुँचेगा कि अगर ये मुसलमान हुए मगर इनके नेक आमाल माँ-बाप के दर्जे को नहीं पहुँचे तो अल्लाह तआला इनके बाप-दादा की रियायत करके इनको भी उसी बुलन्द मक़ाम में पहुँचा देंगे जो इनके बाप-दादा का मक़ाम है। कुरआने करीम में इसकी वज़ाहत इस तरह बयान हुई है:

وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

यानी हम मिला देंगे अपने नेक बन्दों के साथ उनकी औलाद को भी।

इस आयत की उपर्युक्त मशहूर तफ़सीर से मालूम हुआ कि कुरआन व हदीस में जहाँ कहीं यह जिक़्र हुआ है कि क़ियामत में ख़ानदानी ताल्लुक कुछ काम न आयेगा उसकी मुराद यह है कि गैर-मोमिन को काम न आयेगा, यहाँ तक कि पैग़म्बर की औलाद और बीवी भी अगर मोमिन नहीं तो उनकी पैग़म्बरी से उनको क़ियामत में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के

बेटे और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का मामला है। कुरआन में बयान हुई इन आयतों:

فَادْفِخْ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

(सूर: मोमिनून आयत 101) और:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ رَبِّيهِ ۝

(सूर: अ-ब-स आयत 34-36) और:

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ

(सूर: लुकमान आयत 33) सब का यही मतलब हो सकता है। वल्लाहु आलम

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ۝ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۝ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ بِئْسَ نِوْحٌ لِنَتَّكُونَ ۝ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝ فَاقْتَرِمِي بَيْنَهُمْ فَتَحًا وَبَيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ۝ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ۝ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

कज़ज़बत् कौमु नूहि-निल्-मुर्सलीन
(105) इज़् का-ल लहुम् अखूहुम्
नूहुन् अला तत्तकून (106) इन्नी
लकुम् रसूलुन् अमीन (107)
फत्तकुल्ला-ह व अतीज़ून (108) व
मा अस्अलुकुम् अलैहि मिन् अज़िन्
इन् अज़ि-य इल्ला अला रब्बिल्-
आलमीन (109) फत्तकुल्ला-ह व
अतीज़ून (110) कालू अनुअमिनु
ल-क वत्त-ब-अकल्-अरज़लून (111)

झुठलाया नूह की कौम ने पैग़ाम लाने
वालों को। (105) जब कहा उनको उनके
भाई नूह ने क्या तुमको डर नहीं? (106)
मैं तुम्हारे वास्ते पैग़ाम लाने वाला हूँ
मोतबर। (107) सो डरो अल्लाह से और
मेरा कहा मानो। (108) और माँगता नहीं
मैं तुम से इस पर कुछ बदला, मेरा बदला
है उसी परवर्दिगारे आलम पर। (109) सो
डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो।
(110) बोलते क्या हम तुझको मान लें और
तेरे साथ हो रहे हैं कमीने। (111)

का-ल व मा अिल्मी बिमा कानू
यज़्मलून (112) इन् हिसाबुहुम्
इल्ला अला रब्बी लौ तशजूरुन
(113) व मा अ-न बितारिदिल्-
मुअ्मिनीन (114) इन् अ-न इल्ला
नज़ीरुम्-मुबीन (115) कालू ल-इल्लम्
तन्तहि या नूहु ल-तकूनन्-न मिनल्-
मरजूमीन (116) का-ल रब्बि इन्-न
कौमी कज़्जबून (117) ● फ़फ़्तह
बैनी व बैनहुम फ़हंव-व नज्जिनी व
मम्-मअि-य मिनल्-मुअ्मिनीन
(118) फ़-अन्जैनाहु व मम्-म-अहू
फ़िल्फुल्किल्-मशहून (119) सुम्-म
अग्रकना बअ्दुल्-बाकीन (120)
इन्-न फी ज़ालि-क लआ-यतन् व मा
का-न अक्सरुहुम्-मुअ्मिनीन (121)
व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अज़ीज़ुर्-
रहीम (122) ●

कहा मुझको क्या जानना है उसका जो
काम वे कर रहे हैं। (112) उनका हिसाब
पूछना मेरे रब का ही काम है अगर तुम
समझ रखते हो। (113) और मैं हाँकने
वाला नहीं ईमान लाने वालों को। (114)
मैं तो बस यही डर सुना देने वाला हूँ
खोलकर। (115) बोलो अगर तू न छोड़ेगा
ऐ नूह! तो जरूर संगसार कर दिया
जायेगा। (116) कहा ऐ रब! मेरी कौम
ने तो मुझको झुठलाया। (117) ● सो
फैसला कर दे मेरे उनके बीच में किसी
तरह का फैसला और बचा ले मुझको और
जो मेरे साथ हैं ईमान वाले। (118) फिर
बचा दिया हमने उसको और जो उसके
साथ थे उस लदी हुई कश्ती में। (119)
फिर डुबा दिया हमने उसके बाद उन
बाकी रहे हुआँ को। (120) यकीनन इस
बात में निशानी है, और उनमें बहुत लोग
नहीं हैं मानने वाले। (121) और तेरा रब
वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (122) ●

खुलासा-ए-तफ़सीर

नूह की कौम ने पैग़म्बरों को झुठलाया (क्योंकि एक पैग़म्बर को झुठलाने से सब का झुठलाना
लाज़िम आता है) जबकि उनसे उनकी बिरादरी के भाई नूह (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि क्या तुम
(अल्लाह तआला से) नहीं डरते? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ (कि अल्लाह के पैग़ाम को बिना
किसी कमी-बेशी के ज्यों-का-त्यों पहुँचा देता हूँ) सो (इसका तकाज़ा यह है कि) तुम लोग अल्लाह से
डरो और मेरा कहना मानो। और (साथ ही यह कि) मैं तुमसे कोई (दुनियावी) सिला (भी) नहीं
माँगता, मेरा सिला तो बस रब्बुल-आलमीन के जिम्मे है। सो (मेरी इस बेग़र्जी का तकाज़ा भी यह है
कि) तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। वे लोग कहने लगे कि क्या हम तुमको मानेंगे

हालाँकि रज़ील "यानी सामाजिक तौर पर कमजोर व कम दर्जे के" लोग तुम्हारे साथ हो लिये हैं (जिनकी मुबाफ़क़त से बड़े और सम्मानित लोगों को शर्म आती है, और यह कि अक्सर ऐसे कम हौसले वाले लोगों का मक़सद किसी के साथ लगने से कुछ माल या मर्तबा हासिल करना होता है, उनका ईमान लाने का दावा भी काबिले एतिबार नहीं)।

नूह (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि उनके (पेशे और दुनियावी) काम से मुझको क्या बहस (चाहे बड़े दर्जे के हों या कम-दर्जे के, दीन में इस फ़र्क और भेद का क्या असर? रहा यह शुब्हा व गुमान कि उनका ईमान दिल से नहीं सो इस पर) उनसे हिसाब किताब लेना बस खुदा का काम है। क्या ख़ूब हो कि तुम इसको समझो। और (घटिया और कम दर्जे के पेशे वाले लोगों को अपने ईमान की रुकावट करार देने से जो इशारे में यह दरख़्वास्त निकलती है कि मैं उनको अपने पास से दूर करूँ तो) मैं ईमान वालों को दूर करने वाला नहीं हूँ (चाहे तुम ईमान लाओ या न लाओ, मेरा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मैं तो साफ़ तौर पर एक डराने वाला हूँ (और तब्लीग़ से मेरी पैग़म्बरी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, आगे अपना नफ़ा व नुक़सान तुम लोग देख लो) वे लोग कहने लगे कि अगर तुम (इस कहने-सुनने से) ऐ नूह! बाज़ न आओगे तो ज़रूर संगसार कर दिये जाओगे। (गुर्ज़ कि जब सालों साल इस तरह गुज़र गये तब) नूह (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी कौम मुझको (बराबर) झुठला रही है सो आप मेरे और उनके दरमियान में एक (अमली) फैसला कर दीजिये (यानी उनको हलाक कर दीजिये)। और मुझको और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उनको (उस हलाकत से) निजात दीजिये, तो हमने (उनकी दुआ कुबूल की और) उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में (सवार) थे उनको निजात दी। फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया। इस (वाक़िए) में (भी) बड़ी सीख है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, और बेशक आपका रब ज़बरदस्त (और) मेहरबान है (कि बावजूद अज़ाब पर कादिर होने के उनको मोहलत दिये हुए है)।

मअरिफ़ व मसाईल

नेक कामों पर उजरत लेने का हुक्म

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

इस आयत से मालूम होता है कि तालीम और तब्लीग़ पर उजरत लेना दुरुस्त नहीं है, इसलिये पहले के बुजुर्गों ने उजरत लेने को हराम कहा है, लेकिन बाद के उलेमा ने इसको मजबूरी की हालत में जायज़ करार दिया है। इसकी पूरी तफ़सील आयत:

لَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا

(सूर: ब-करह आयत 41) के तहत में बयान हो चुकी है।

फ़ायदा: इस जगह 'फ़त्तकुल्ला-ह व अतीऊन' की आयत दो बार ताक़ीद के लिये और यह बतलाने के लिये लाई गयी है कि रसूल की बात मानने और खुदा तआला से डरने के लिये सिर्फ़ रसूल

की अमानत व सच्चाई या सिर्फ तब्लीग व तालीम पर उजरत न तलब करना ही काफी था लेकिन जिस रसूल में ये सब सिफतें पाई जायें उसकी इताअत (हुकम मानना) और उसके खुदा से डरना तो और लाजिमी हो जाता है।

बड़ा-छोटा और ऊँचा-नीचा होना आमाल व अख़्लाक से है न कि ख़ानदान और रुतबे व शान से

قَالُوا اتُّوْ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْآرْدَالُونَ ۝ قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۝

इस आयत में सबसे पहले मुशिरकों का यह कौल नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार की वजह यह बयान की कि आपके मानने वाले सारे रज़ील (कम दर्जे के और छोटे) लोग हैं, हम इज़्जतदार शरीफ़ उनमें कैसे मिल जायें? नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि मुझे उनके आमाल का हाल मालूम नहीं। इसमें इशारा फ़रमा दिया कि तुम लोग जो ख़ानदानी शराफ़त या माल व दौलत और इज़्जत व मर्तबे को शराफ़त की बुनियाद समझते हो यह ग़लत है, बल्कि इज़्जत व ज़िल्लत या शराफ़त व रज़ालत की बुनियाद दर असल आमाल व अख़्लाक पर है। तुमने जिन पर यह हुकम लगा दिया कि ये सब रज़ील हैं, यह तुम्हारी जहालत है चूँकि हम हर शख्स के आमाल व अख़्लाक की हकीकत से वाकिफ़ नहीं इसलिये हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते कि हकीकत में कौन रज़ील है कौन शरीफ़। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ هُوْدٌ اَلَا

تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّي لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عِنْدَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَتَنْبُوْنَ بِكُلِّ رِيْحٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَكُمْ تُخْلَدُوْنَ ۝ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّٰرِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِيْنَ ۝ وَجَنّٰتٍ وَعَيْوُنٍ ۝ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَوَعظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعّٰظِيْنَ ۝ اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً ۝ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

कज़्ज़बत् आदु-निल्-मुर्सलीन (123)

इज़् का-ल लहुम् अख़ूहुम् हूदुन् अला

तत्तकून् (124) इन्नी लकुम् रसूलुन्

झुठलाया आद ने पैग़ाम लाने वालों को। (123) जब कहा उनको उनके

भाई हूद ने क्या तुमको डर नहीं? (124)

में तुम्हारे पास पैग़ाम लाने वाला

अमीन (125) फ़त्तकुल्ला-ह व
 अतीज़ून (126) व मा अस्अलुकुम्
 अलैहि मिन् अज़िन् इन् अज़ि-य
 इल्ला अला रब्बिल्-आलमीन (127)
 अ-तब्नू-न बिकुल्लि रीज़िन् आ-यतन्
 तज़्बसून (128) व तत्तख़िज़ू-न
 मसानि-अ लअल्लकुम् तख़लुदून
 (129) व इज़ा ब-तश्तुम् ब-तश्तुम्
 जब्बारीन (130) फ़त्तकुल्ला-ह व
 अतीज़ून (131) वत्तकुल्लजी
 अ-मद्दकुम् बिमा तअलमून (132)
 अ-मद्दकुम् बिअन्आमिं-व बनीन
 (133) व जन्नातिं-व अयून् (134)
 इन्नी अर्र्हाफु अलैकुम् अज़ा-ब
 यौमिन् अज़ीम (135) कालू सवाउन्
 अलैना अ-वअज़-त अम् लम् तकुम्
 मिनल्-वाअिज़ीन (136) इन् हाज़ा
 इल्ला ख़ुलुकुल्-अव्वलीन (137) व
 मा नस्तु बिमु-अज़्ज़बीन (138)
 फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अह्लकनाहुम्, इन्-न
 फी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न
 अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (139) व
 इन्-न रब्ब-क लहुवल् अज़ीज़ुर-
 रहीम (140) ❀

मोतबर हूँ। (125) सो डरो अल्लाह से
 और मेरा कहा मानो। (126) और नहीं
 माँगता मैं तुमसे इस पर कुछ बदला, मेरा
 बदला है उसी जहान के मालिक पर।
 (127) क्या बनाते हो हर ऊँची ज़मीन
 पर एक निशान खेलने को (128) और
 बनाते हो कारीगरियाँ शायद तुम हमेशा
 रहोगे। (129) और जब हाथ डालते हो
 तो पंजा मारते हो जुल्म से। (130) सो
 डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो।
 (131) और डरो उससे जिसने तुमको
 पहुँचाई वो चीज़ें जो तुम जानते हो।
 (132) पहुँचाये तुमको चौपाये और बटे।
 (133) और बाग़ और चश्मे। (134) मैं
 डरता हूँ तुम पर एक बड़े दिन की आफ़त
 से। (135) बोले हमको बराबर है तू
 नसीहत करे या न बने तू नसीहत करने
 वाला। (136) और कुछ नहीं ये बातें
 आदत है अगले लोगों की। (137) और
 हम पर आफ़त नहीं आने वाली। (138)
 फिर उसको झुठलाने लगे तो हमने उनको
 ग़ारत कर दिया, इस बात में यकीनन
 निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं
 मानने वाले। (139) और तेरा रब वही है
 ज़बरदस्त रहम वाला। (140) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

कौमे आद ने पैग़म्बरों को झुठलाया। जबकि उनसे उनकी (बिरादरी के) भाई हूद (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस (तब्दीग़) पर कोई सिला नहीं माँगता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम (अलावा शिर्क के तकब्बुर व बड़ाई जताने में भी इस दर्जा लगे हो कि) हर ऊँचे स्थान पर एक यादगार (के तौर पर इमारत) बनाते हो, (ताकि ख़ूब ऊँची नज़र आये) जिसको बिल्कुल फुज़ूल (बिना ज़रूरत) बनाते हो। और (उसके अलावा जो रहने के मकान हैं जिनकी एक दर्जा ज़रूरत भी है उनमें भी यह हद से बढ़ना है) कि बड़े-बड़े महल बनाते हो, (हालाँकि उससे कम में आराम मिल सकता है) जैसे दुनिया में तुमको हमेशा रहना है। (यानी ऐसे लम्बे-चौड़े मकानात और ऐसे बुलन्द महल और ऐसी मज़बूती और ऐसी यादगार तामीरें बनानी उस वक़्त मुनासिब थीं जबकि दुनिया में हमेशा रहना होता, तो यह ख़्याल होता कि लम्बे-चौड़े मकान बनाओ ताकि आने वाली नस्ल में तंगी न हो, क्योंकि हम भी रहेंगे और वे भी रहेंगे और ऊँचे भी बनाओ ताकि नीचे जगह न रहे तो ऊपर रहने लगे और मज़बूत बनाओ ताकि हमारी लम्बी उम्र के लिये काफी हो, और यादगारें बनाओ ताकि हमारे ज़िन्दा रहने से हमारा ज़िक्र ज़िन्दा रहे, और अब तो सब फुज़ूल है। बड़ी-बड़ी यादगारें बनी हैं और बनाने वाले का नाम तक नहीं। मौत ने सब का नाम मिटा दिया, किसी का जल्दी और किसी का देर में)।

और (इस तकब्बुर के सबब तबीयत में सख़्ती और बेरहमी इस दर्जे की रखते हो कि) जब किसी की पकड़-धकड़ करने लगते हो तो बिल्कुल जाबिर (और ज़ालिम) बनकर पकड़ करते हो। (इन बुरे अख़्लाक का इसलिए बयान किया गया है कि ये बुरे अख़्लाक अक्सर ईमान और इताअत की राह में रुकावट बनते हैं) सो (चूँकि शिर्क और पहले के बुरे अख़्लाक खुदा तआला की नाराज़ी और अज़ाब का सबब हैं इसलिये) तुम (को चाहिए कि) अल्लाह तआला से डरो, और (चूँकि मैं रसूल हूँ इसलिये) मेरी इताअत करो। और उस (अल्लाह) से डरो (यानी जिससे डरने को मैं कहता हूँ। वह ऐसा है) जिसने तुम्हारी उन चीज़ों से इमदाद की जिनको तुम जानते हो (यानी) मवेशी और बेटों और बाग़ों और चश्मों से तुम्हारी इमदाद की (तो नेमत देने वाला होने का तकाज़ा यह है कि उसके अहकाम की बिल्कुल मुख़ालफ़त न की जाये। अगर इन हरकतों से बाज़ न आये तो) मुझको तुम्हारे हक़ में एक बड़े सख़्त दिन के अज़ाब का अन्देशा है। (यह डराना है और 'अमद्दकुम् बि-अन्आमिन्.....' में शौक़ दिलाना था)। वे लोग बोले कि हमारे नज़दीक तो दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम नसीहत करो और चाहे नसीहत करने वाले मत बनो (यानी हम दोनों हालतों में अपने किरदार से बाज़ न आयेंगे और तुम जो कुछ कह रहे हो) यह तो बस अगले लोगों की एक (मामूली) आदत (और रस्म) है (कि हर ज़माने में लोग नुबुव्वत के दावेदार होकर लोगों को यूँ ही कहते सुनते रहे) और (तुम जो हमको अज़ाब से डराते हो तो) हमको हरगिज़ अज़ाब न होगा। ग़र्ज़ कि उन लोगों ने हूद (अलैहिस्सलाम) को झुठलाया तो हमने उनको (सख़्त आँधी के अज़ाब से) हलाक कर दिया, बेशक इस (याक़िण) में (भी)

बड़ी इब्रत है (कि अहकाम की मुखालफत का क्या अन्जाम हुआ) और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरो) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब ज़बरदस्त (और) मेहरबान है (कि अज़ायब देने पर कादिर भी है और रहमत से मोहलत भी दे रखी है)।

मअरिफ़ व मसाईल

चन्द मुश्किल अलफ़ाज़ की वज़ाहत

اتَّبُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ اِيَةً تَعْبُرُوْنَ ۝ وَتَتَّخِذُ ۝ وَنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝

इब्ने जरीर ने हज़रत मुजाहिद रह. से नक़ल फ़रमाया है कि 'रीउन' दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से और अक्सर हज़रात से मन्कूल है कि 'रीअ' बुलन्द जगह को कहते हैं और इसी से रीउन्नबात निकला है यानी बढ़ने और चढ़ने वाली नवातात (पेड़-पौधे)। (आयतन) इसके असल मायने निशानी के हैं। इस जगह बुलन्द महल मुराद है। (तअबसून) यह अबस् से है और अबस् उसको कहते हैं जिसमें न हकीकत में कोई फ़ायदा हो और न हुक्मी तौर पर। इस जगह मायने ये होंगे कि वे बेफ़ायदा ऊँचे-ऊँचे महल बनाते थे जिनकी उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ फ़ख़ व गर्व के तौर पर बनाते थे। (मसानि-अ) मस्नअ की जमा (बहुवचन) है। हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि मसानि-अ से पानी के हौज़ मुराद हैं लेकिन हज़रत मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि इससे मज़बूत महल मुराद हैं। (लअल्लकुम् तख़्लुदून) इमाम बुख़ारी रह. ने सही बुख़ारी में बयान फ़रमाया कि इस आयत में लअल्-ल दूसरे के साथ मिसाल देने के लिये है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह तजुर्मा फ़रमाया 'कअन्नकुम् तख़्लुदून' यानी गोया तुम हमेशा रहोगे (तफ्सीर रुहुल-मअानी में इसी तरह नक़ल किया गया है)।

बिना ज़रूरत इमारत बनाना बुरा और नापसन्दीदा है

इस आयत से साबित हुआ कि बग़ैर ज़रूरत के मक़ान बनाना और निर्माण करना शरअन बुरा है और यही मायने हैं उस हदीस के जो इमाम तिर्मिज़ी रह. ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि:

النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

यानी वह इमारत जो ज़रूरत से ज़ायद बनाई गयी हो उसमें कोई बेहतरी और भलाई नहीं। और इस मायने की तस्दीक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी रिवायत से भी होती है कि:

أَنْ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَالًا، إِلَّا مَالًا يَعْنِي الْإِمْلَالَ بَدَمْنَهُ. (ابن داود)

यानी हर तामीर उसके गालिक के लिये मुसीबत है मगर वह इमारत जो ज़रूरी हो वह बवाल नहीं है। तफ्सीर रुहुल-मअानी में फ़रमाया कि बग़ैर सही गर्ज़ और ज़रूरत के बुलन्द इमारत बनाना शरीअते मुहम्मदिया में भी नापसन्दीदा और बुरा है।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ۙ

تَتَّقُونَ ۗ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْتَبَى الْإِلَهَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينِينَ ۖ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَ

نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۗ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ السُّرْفِيِّينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۗ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ ۗ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ ۖ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ۗ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ فَعَقَرُوهَا فَاصْبِرُوا لِنِدَائِينَ ۗ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ

कज्ज-बत् समूदुल्-मुर्सलीन (141)
इज् का-ल लहुम् अखूहुम् सालिहुन्
अला तत्तकून (142) इन्नी लकुम्
रसूलुन् अमीन (143) फत्तकुल्ला-ह
व अतीअून (144) व मा अस्अलुकुम्
अलैहि मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य
इल्ला अला रब्बिल्-आलमीन (145)
अतुत्कू-न फी मा हाहुना आमिनीन
(146) फी जन्नातिव्-व अयून (147)
व जुखुअिव् व नखिलन् तल्लुहा
हज़ीम (148) व तन्हितू-न मिनल्-
जिबालि बुयूतन् फारिहीन (149)
फत्तकुल्ला-ह व अतीअून (150) व
ला तुतीअू अमरल्-मुसिफीन (151)
अल्लजी-न युफिसदू-न फिल्लुअर्जि व

शुठलाया समूद ने पैगाम लाने वालों को।
(141) जब कहा उनको उनके भाई सालेह
ने क्या तुम डरते नहीं? (142) मैं तुम्हारे
पास पैगाम लाने वाला हूँ मोतबर। (143)
सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो।
(144) और नहीं माँगता मैं तुमसे इस पर
कुछ बदला, मेरा बदला है उसी जहान के
पालने वाले पर। (145) क्या छोड़े रखेंगे
तुमको यहाँ की चीजों में बेखटके (146)
बागों में और चश्मों में (147) और
खेतियों में और खजूरों में जिनका गाभा
मुलायम है। (148) और तराशते हो पहाड़ों
के घर तकल्लुफ़ के। (149) सो डरो
अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (150)
और न मानो हुक्म बेबाक लोगों का
(151) जो खराबी करते हैं मुल्क में और

ला युस्लिहून (152) कालू इन्नमा
 अन्-त मिनल्-मुसहरीन (153) मा
 अन्-त इल्ला ब-शरुम् मिस्लुना
 फ़अति बिअ-यतिन् इन् कुन्-त
 मिनस्सादिकीन (154) का-ल हाज़िही
 ना-कतुल्-लहा शिरबुव-व लकुम्
 शिरबु यौमिम्-मज़्लूम (155) व ला
 तमस्सूहा बिसूइन् फ़-यअख़ु-ज़कुम्
 अज़ाबु यौमिन् अज़ीम (156)
 फ़-अ-करूहा फ़अस्बहू नादिमीन
 (157) फ़-अ-ख़ा-ज़हुमुल्-अज़ाबु,
 इन्-न फी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा
 का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (158)
 व इन्-न रब्ब-क लहुवल्-अज़ीज़ुर-
 रहीम (159) ❁

सुधार नहीं करते। (152) बोले तुझ पर
 तो किसी ने जादू किया है। (153) तू भी
 एक आदमी है जैसे हम, सो ले आ कुछ
 निशानी अगर तू सच्चा है। (154) कहा
 यह ऊँटनी है इसके लिये पानी पीने की
 एक बारी और तुम्हारे लिये बारी एक
 दिन की मुकर्रर। (155) और मत छेड़ियो
 इसको बुरी तरह से, फिर पकड़ ले तुमको
 आफत एक बड़े दिन की। (156) फिर
 काट डाला उस ऊँटनी को फिर कल को
 रह गये पछताते। (157) फिर आ पकड़ा
 उनको अज़ाब ने, यकीनन इस बात में
 निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं
 मानने वाले। (158) और तेरा रब वही है
 ज़बरदस्त रहम करने वाला। (159) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

कौमे समूद ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया, जबकि उनसे उनके भाई सालेह (अलैहिस्सलाम) ने
 फ़रमाया, क्या तुम (अल्लाह तआला से) नहीं डरते? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ, सो तुम अल्लाह
 से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं तुमसे इस पर कुछ सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो
 रब्बुल-आलमीन के जिम्मे है। (और तुम जो खुशहाली की वजह से इस दर्जा अल्लाह से गाफ़िल हो
 तो) क्या तुमको इन्हीं चीज़ों में बेफ़िक़्री से रहने दिया जायेगा जो यहाँ (दुनिया में) मौजूद हैं, यानी
 बाग़ों में और चश्मों में और खेतों और उन ख़जूरों में जिनके गुप्फे ख़ूब गुँधे हुए हैं (यानी उन ख़जूरों
 में ख़ूब कसरत से फल आता है), और क्या (इसी गुफ़लत की वजह से) तुम पहाड़ों को तराश-
 तराशकर इतराते (और फ़ख़र करते) हुए मकान बनाते हो। सो अल्लाह तआला से डरो और मेरा
 कहना मानो। और (बन्दगी की) उन हदों से निकल जाने वालों का कहना मत मानो जो सरज़मीन में
 फ़साद किया करते हैं और (कभी) सुधार (की बात) नहीं करते (इससे मुराद काफ़िरों के सरदार हैं जो
 गुमराही पर लोगों को आम्नादा करते थे, और फ़साद और सुधार न करने से यही मुराद है)।

उन लोगों ने कहा कि तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है (जिससे अ
 आ गई है कि नुबुव्वत का दावा करते हो, हालाँकि) तुम बस हमारी ही तरह के एक (म
 हो (और आदमी नहीं होता नहीं), सो कोई मोजिजा पेश करो अगर तुम (नुबुव्वत के दावे में) सच्चे
 हो। सालेह (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि यह एक ऊँटनी है (जो आम आदत व तरीके के खिलाफ़
 पैदा होने के सबब मोजिजा है जैसा कि आठवें पारे में खत्म के करीब गुज़रा, और अलावा इसके कि
 यह मेरी रिसालत पर दलील है खुद इसके भी कुछ हुक्क हैं, चुनाँचे उनमें से एक यह है कि) पानी
 पीने के लिये एक बारी इसकी है और एक निर्धारित दिन में एक बारी तुम्हारी (यानी तुम्हारे मवेशियों
 की), और (एक यह है कि) इसको बुराई (और तकलीफ़ देने) के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी
 तुमको एक भारी दिन का अज़ाब आ पकड़े। सो उन्होंने (न रिसालत की तस्दीक़ की न ऊँटनी के
 हुक्क अदा किये बल्कि) उस ऊँटनी को मार डाला, फिर (जब अज़ाब के निशान जाहिर हुए तो
 अपनी हरकत पर) शर्मिन्दा हुए (मगर अब्बल तो अज़ाब देख लेने के वक़्त शर्मिन्दगी बेकार, दूसरे
 ख़ाली तबई शर्मिन्दगी से क्या होता है जब तक इख़्तियारी तलाफ़ी यानी तौबा व ईमान न हो) फिर
 (आख़िर) अज़ाब ने उनको आ लिया। बेशक इस (वाक़िए) में बड़ी इब्रत है। और (बावजूद इसके)
 इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त,
 बहुत मेहरबान है (कि बावजूद कुदरत के मोहलत देता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَتَنْجُوا مِنَ الْجِبَالِ يَوْمًا قَرِيبِينَ ۝

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़ारिहीन की तफ़सीर बतरीन नक़ल की गयी है यानी
 इतराने और तकब्बुर करने वाले। लेकिन अबू सालेह ने फ़रमाया, और यही इमाम राग़िब ने तफ़सीर
 की है कि फ़ारिहीन के मायने हाज़िकीन हैं यानी माहिर व विशेषज्ञ। मुराद यह है कि अल्लाह तआला
 ने तुम पर यह नेमत फ़रमाई कि तुमको ऐसी कारीगरी सिखला दी कि पहाड़ों को मकानात बनाना
 तुम्हारे लिये आसान कर दिया। हासिल यह है कि खुदा तआला के इनामात को याद करो और ज़मीन
 पर फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) न करो।

मुफ़ीद पेशे खुदाई इनामात हैं बशर्ते कि उनको बुरे

कामों में इस्तेमाल न करें

इस आयत से साबित हुआ कि उम्दा पेशे (हुनर और दस्तकारी) खुदा तआला के इनामात हैं और
 उनसे नफ़ा उठाना जायज़ है लेकिन अगर उनसे कोई गुनाह या हराम काम या बिना ज़रूरत उनमें हद
 से ज़्यादा मशगूली लाज़िम आती हो तो फिर वह पेशा इख़्तियार करना नाजायज़ है, जैसे कि अभी
 इससे पहली आयतों में बिना ज़रूरत ऊँची इमारत बनाने की बुराई और निंदा गुज़री है।

كَذَبَتْ قَوْمٌ لوطِ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۗ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۗ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۗ قَالَ إِنِّي لَعَلَّكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۗ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْلَمُونَ ۗ فَجَنَّبْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۗ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۗ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ۗ وَآمَظْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ

कज्ज-बत् कौमु लूति-निल्-मुर्सलीन
(160) इज् काल लहुम् अखूहुम्
लूतुन् अला तत्तकून (161) इन्नी
लकुम् रसूलुन् अमीन (162)
फत्तकुल्ला-ह व अतीअून (163) व
मा अस्अलुकुम् अलैहि मिन् अज्रिन्
इन् अज्रि-य इल्ला अला रब्बिल्-
आलमीन (164) अ-तअतूनज्जुक्सा-न
मिनल्-आलमीन (165) व त-ज़रून-
मा ख-ल-क लकुम् रब्बुकुम् मिन्
अज्वाजिकुम्, बल् अन्तुम् कौमुन्
आदून (166) कालू ल-इल्लम् तन्तहि
या लूतु ल-तकूनन्-न मिनल्-
मुखरजीन (167) काल इन्नी
लि-अ-मलिकुम् मिनल्-कालीन (168)
रब्बि नज्जिनी व अहली मिम्मा
यअमलून (169) फ-नज्जैनाहु व

झुठलाया लूत की कौम ने पैगाम लाने
वालों को। (160) जब कहा उनको उनके
भाई लूत ने- क्या तुम डरते नहीं? (161)
मैं तुम्हारे लिये पैगाम लाने वाला हूँ
मोतबर। (162) सो डरो अल्लाह से और
मेरा कहा मानो। (163) और माँगता नहीं
मैं तुमसे इसका कुछ बदला, मेरा बदला है
उसी परवर्दिगारे आलम पर। (164) कहा
तुम दौड़ते हो जहान के मर्दों पर (165)
और छोड़ते हो जो तुम्हारे वास्ते बना दी
हैं तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियाँ बल्कि
तुम लोग हो हद से बढ़ने वाले। (166)
बोले अगर न छोड़ेगा तू ऐ लूत! तो तू
निकाल दिया जायेगा। (167) कहा मैं
बेशक तुम्हारे काम से बेज़ार हूँ। (168)
ऐ रब! खलास कर मुझको और मेरे घर
वालों को उन कामों से जो ये करते हैं।
(169) फिर बचा दिया हमने उसको और

अह्लहू अज्मअीन (170) इल्ला
 अजूज़ान् फिल्-ग़ाबिरीन (171)
 सुम्-म दम्मरनल् आख़रीन (172) व
 अमूतरना अलैहिम् म-तरन् फ़सा-अ
 म-तरुल्-मुन्ज़रीन (173) इन्-न फ़ी
 ज़ालि-क लआ-यतन् व मा का-न
 अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (174) व
 इन्-न रब्ब-क लहुवल् अज़ीज़ुर-
 रहीम। (175) ❀

उसके घर वालों को सब को (170) मगर
 एक बुढ़िया रह गयी रहने वालों में।
 (171) फिर उठा मारा हमने उन दूसरों
 को (172) और बरसाया उन पर एक
 बरसाव सो क्या बुरा बरसाव था उन
 डराये हुआँ का। (173) अलबत्ता इस बात
 में निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं
 थे मानने वाले। (174) और तेरा रब वही
 है ज़बरदस्त रहम वाला। (175) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

लूत की कौम ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया, जबकि उनसे उनके भाई लूत (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं तुमसे इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-आलमीन के जिम्मे है। क्या तमाम दुनिया जहान वालों में से तुम (यह हरकत करते हो कि) मर्दों से बदफ़ेली करते हो और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिये बीवियाँ पैदा की हैं उनको नज़र-अन्दाज़ किये रहते हो (यानी और कोई आदमी तुम्हारे सिवा यह हरकत नहीं करता। और यह नहीं है कि इसके बुरा होने में कुछ शुक्ल है) बल्कि (असल बात यह है कि) तुम (इनसानियत की) हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। वे कहने लगे कि ऐ लूत! अगर तुम (हमारे कहने-सुनने से) बाज़ नहीं आओगे तो ज़रूर (बस्ती से) निकाल दिये जाओगे। लूत (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (मैं इस धमकी पर अपने कहने से न रुकूँगा क्योंकि) मैं तुम्हारे इस काम से सख़्त नफ़रत रखता हूँ (तो कहना कैसे छोड़ दूँगा। जब किसी तरह उन लोगों ने न माना और अज़ाब आता हुआ मालूम हुआ तो) लूत (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि ऐ मेरे रब! मुझको और मेरे (खास) ताल्लुक वालों को उनके इस काम (के वबाल) से (जो उन पर आने वाला है) निजात दे। सो हमने उनको और उनसे जुड़े लोगों को सब को निजात दी सिवाय एक बुढ़िया के, (इससे मुराद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है) कि वह (अज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई। फिर हमने और सब को (जो लूत और उनके मुताल्लिकीन के अलावा थे) हलाक कर दिया। और हमने उन पर एक ख़ास किस्म की (यानी पत्थरों की) बारिश बरसाई, सो क्या बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी, जिनको (अल्लाह तआला के अज़ाब से) डराया गया था। बेशक इस (वाकिए) में (भी) इब्रत है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका परवर्दिगार बड़ी क़ुदरत वाला, बड़ी रहमत वाला है (कि अज़ाब

(0) मग... सकता था मगर अभी नहीं दिया)।

मअरिफ़ व मसाईल

गैर-फितरी (अप्राकृतिक) फ़ेल अपनी बीवी से भी हराम है

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

लफ़्ज़ 'मिन् अन्वाजिकुम' में हर्फ़ 'मिन' इस्तिलाही अलफ़ाज़ में बयान के लिये भी हो सकता है जिसका हासिल यह होगा कि तुम्हारी नफ़्सानी इच्छा के लिये जो अल्लाह ने बीवियाँ पैदा फ़रमाई हैं तुम उनको छोड़कर अपने हम-जिन्स मर्दों को अपने नफ़स की इच्छा (वासना) का निशाना बनाते हो जो नफ़स की बुराई और गन्दगी की दलील है, और यह भी हो सकता है कि हर्फ़ 'मिन' को एक हिस्से के बयान के लिये करार दें तो इशारा इस तरफ़ होगा कि तुम्हारी बीवियों का जो मक़ाम (हिस्सा और स्थान) तुम्हारे लिये बनाया गया और जो फ़ितरी चीज़ (प्राकृतिक) है उसको छोड़कर बीवियों से खिलाफ़े फ़ितरत (अप्राकृतिक) अमल करते हो जो कि क़तअन् हराम है। गर्ज़ कि इस दूसरे मायने के लिहाज़ से यह मसला भी साबित हो गया कि अपनी बीवी से खिलाफ़े फ़ितरत अमल (यानी पीछे के हिस्से में सोहबत और जिन्सी इच्छा पूरी करना) हराम है, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे शख़्स पर लानत फ़रमाई है। नज़्जु बिल्लाहि मिन्हा। (तफ़सीर रूहुल-मअानी)

الْأَعْوَزَاتُ فِي الْغَيْرِينَ ۝

अजूज़ से मुराद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है जो कि क़ौमे लूत के इस फ़ेल (कुर्म) से राज़ी थी और काफ़िर थी। लूत अलैहिस्सलाम की यह काफ़िर बीवी अगर वास्तव में बुढ़िया थी तो उसके लिये लफ़्ज़ अजूज़ इस्तेमाल करना ज़ाहिर ही है, और अगर यह उम्र के लिहाज़ से बुढ़िया न थी तो इसको अजूज़ के लफ़्ज़ से शायद इसलिये ताबीर किया गया कि पैग़म्बर की बीवी उम्मत के लिये माँ की जगह होती है, जो औरत बहुत ज़्यादा औलाद वाली हो उसको बुढ़िया कह देना कुछ दूर की बात नहीं।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝

इस आयत से साबित हुआ कि लूती (अप्राकृतिक तौर पर जिन्सी इच्छा पूरी करने वाले) पर दीवार गिराने या बुलन्द जगह से नीचे फेंकने की सज़ा जायज़ है जैसा कि हनफ़ी हज़रात का मस्लक है, क्योंकि क़ौमे लूत इसी तरह हलाक की गयी थी कि उनकी बस्तियों को ऊपर उठाकर उल्टा ज़मीन पर फेंक दिया गया था। (शामी, किताबुल-हुदूद)

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْيَافَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَابَ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

ثُمَّ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ۖ قَالُوا
 مِمَّنَّ الْمُسْحَرِينَ ۖ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَطُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا
 مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابٌ
 يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ

कज़-ब अस्हाबुल्-ऐ-कतिल्
 मुर्सलीन (176) इज़् का-ल लहुम्
 शुअैबुन् अला तत्तकून (177) इन्नी
 लकुम् रसूलुन् अमीन (178)
 फत्तकुल्ला-ह व अतीअून (179) व
 मा अस्अलुकुम् अलैहि मिन् अज़िन्
 इन् अज़ि-य इल्ला अला रब्बिल्-
 आलमीन (180) औफुल्-कै-ल व ला
 तकूनू मिनल्-मुख़िसरीन (181) व
 जिन् बिल्-किस्तासिल्-मुस्तकीम
 (182) व ला तब्खासुन्ना-स
 अश्या-अहुम् व ला तअ्सौ फ़िल्अर्जि
 मुफ़िसदीन (183) वत्तकुल्लज़ी
 खा-ल-ककुम् वल्-जिबिल्ल-तल्
 -अव्वलीन (184) कालू इन्नमा अन्-त
 मिनल्-मुसहरीन (185) व मा अन्-त
 इल्ला ब-शरुम्-मिस्तुना व इन्
 नज़ुन्नु-क लमिनल्-काज़िबीन (186)

झुठलाया वन के रहने वालों ने पैग़ाम लाने
 वालों को। (176) जब कहा उनको शुऐब
 ने क्या तुम डरते नहीं? (177) मैं तुमको
 पैग़ाम पहुँचाने वाला हूँ मोतबर। (178)
 सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो।
 (179) और नहीं माँगता मैं तुमसे इस पर
 कुछ बदला, मेरा बदला है उसी परवर्दिगारे
 आलम पर। (180) पूरा भरकर दो माष और
 मत हो नुक़सान देने वाले। (181) और
 तौलो सीधी तराजू से। (182) और मत
 घटा दो लोगों को उनकी चीज़ें और मत
 दौड़ो मुल्क में ख़राबी डालते हुए। (183)
 और डरो उससे जिसने बनाया तुमको और
 अगली ख़ल्क़त को। (184) बोले तुझ पर
 तो किसी ने जादू कर दिया है (185)
 और तू भी एक आदमी है जैसे हम, और
 हमारे ख़्याल में तो तू झूठा है। (186)

फ-अस्कित् अलैना कि-सफम्-
मिनस्समा-इ इन् कुन्-त
मिनस्सादिकीन (187) का-ल रब्बी
अज़लमु बिमा तज़मलून। (188)
फ-कज़्जबूहु फ-अ-ख-ज़हुम् अज़ाबु
यौमिज़्जुल्लति, इन्नहू का-न अज़ा-ब
यौमिन् अज़ीम (189) इन्-न फी
ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न
अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (190) व
इन्-न रब्ब-क लहुवल् अज़ीज़ुर-
रहीम। (191) ❀

सो गिरा दे हम पर कोई टुकड़ा आसमान
का अगर तू सच्चा है। (187) कहा मेरा
रब ख़ूब जानता है जो कुछ तुम करते
हो। (188) फिर उसको झुठलाया, फिर
पकड़ लिया उनको आफ़त ने सायबान
वाले दिन की, बेशक वह था अज़ाब बड़े
दिन का। (189) यकीनन इस बात में
निशानी है, और इनमें बहुत लोग नहीं
मानने वाले। (190) और तेरा रब वही है
ज़बरदस्त रहम वाला। (191) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐका वालों ने (भी जिनका ज़िक्र सूरः हिज़ के आख़िर में गुज़र चुका है) पैग़म्बरों को झुठलाया। जबकि उनसे शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और मैं तुम से इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-अलमीन के जिम्मे है। तुम लोग पूरा नापा करो और (हक़ वाले का) नुक़सान मत किया करो। और (इसी तरह तौलने की चीज़ों में) सीधी तराजू से तौला करो (यानी डंडी न मारा करो न बाटों में फ़र्क़ किया करो), और लोगों का उनकी चीज़ों में नुक़सान मत किया करो, और सरज़मीन में फ़साद मत मचाया करो। और उस (खुदा-ए-कादिर) से डरो जिसने तुमको और तमाम अगली मख़्लूक़ात को पैदा किया। वे लोग कहने लगे कि बस तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है (जिससे अक़ल ख़राब हो गई और नुबुव्वत का दावा करने लगे) और तुम तो महज़ हमारी तरह (के) एक (मामूली) आदमी हो, और हम तो तुमको झूठे लोगों में से ख़्याल करते हैं, सो अगर तुम सच्चों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो (ताकि हमको मालूम हो जाये कि वाकई तुम नबी थे, तुम्हारे झुठलाने से हमको यह सज़ा हुई)।

शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं अज़ाब का लाने वाला या उसके अन्दाज़ व तरीक़े को मुतैयन करने वाला कौन हूँ) तुम्हारे आमाल को मेरा रब (ही) ख़ूब जानता है (और उस अमल का जो तकाज़ा है कि क्या अज़ाब हो और कब हो उसको भी वही जानता है, उसको इख़्तियार है) सो वे लोग (बराबर) उनको झुठलाया किये, फिर उनको सायबान के अज़ाब वाले वाकिए ने आ पकड़ा, बेशक वह

बड़े सख्त दिन का अज़ाब था। (और) इस (वाकिए) में (भी) बड़ी इब्त है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब बड़ी कुदरत वाला और बड़ी रहमत वाला है (कि अज़ाब नाज़िल कर सकता है मगर मोहलत दे रखी है)।

मअरिफ़ व मसाईल

وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝

किस्तास को कुछ हज़रात ने रोमी लफ़्ज़ करार दिया जिसके मायने अदल व इन्साफ़ के हैं। कुछ ने अरबी लफ़्ज़ कुस्त से निकला हुआ करार दिया है, कुस्त के मायने भी इन्साफ़ के हैं। मुराद यह है कि तराजू और इसी तरह दूसरे नापने तौलने के माध्यमों और तरीकों को मुस्तकीम और सीधे तौर पर इस्तेमाल करो, जिसमें कमी का खतरा न रहे।

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثَالَهُمْ

यानी न कमी करो लोगों की अपनी चीज़ों में। मुराद यह है कि तय होने के मुताबिक़ जितना किसी का हक़ है उससे कमी करना हराम है, चाहे वह नापने-तौलने की चीज़ हो या कोई दूसरी। इससे मालूम हुआ कि कोई मुलाज़िम मजदूर अगर अपने तयशुदा वक़्त में चोरी करता है, वक़्त कम लगाता है वह भी इस वर्द (धमकी और तंबीह) में दाख़िल है। इमाम मालिक रह. ने मुवत्ता में रिवायत नक़ल फ़रमाई है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख़्स को देखा कि असर की नमाज़ में शरीक नहीं हुआ, वजह पूछी तो उसने कुछ उज़्र किया तो हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया 'तफ़फ़-त' यानी तूने तौलने में कमी कर दी। चूँकि नमाज़ कोई तौलने की चीज़ नहीं इसलिये यह हदीस नक़ल फ़रमाकर इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि 'वफ़ा' और 'ततफ़ीफ़' यानी हक़ के मुताबिक़ करना या कम करना हर चीज़ में है। यानी सिर्फ़ नाप-तौल ही के साथ यह हुक्म मख़सूस नहीं बल्कि किसी के हक़ में कमी करना चाहे किसी सूरत से हो वह 'ततफ़ीफ़' में दाख़िल है जिसका हराम होना 'सूर: ततफ़ीफ़' (पारा तीस) में बयान फ़रमाया गया है।

ख़ुदा का मुजरिम अपने पाँव चलकर आता है, उसे वारंट की ज़रूरत नहीं

فَاخْذْهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ

अज़ाबु यौमिज़ुल्ला (सायबान के दिन का अज़ाब) जिसका ज़िक़्र इस आयत में आया है। इसका वाक़िआ यह है कि हक़ तअ़ाला ने उनकी क़ौम पर सख़्त गर्मी मुसल्लत फ़रमाई कि न मकान के अन्दर चैन आता न बाहर, फिर उनके करीबी जंगल में एक गहरा बादल भेज दिया जिसके नीचे ठण्डी हवा थी। सारी क़ौम गर्मी से परेशान थी, सब दौड़-दौड़कर उस बादल के नीचे जमा हो गये। जब सारी क़ौम बादल के नीचे आ गयी तो उस बादल ने उन पर पानी के बजाय आग़ बरसा दी, जिससे

सब भस्म होकर रह गये। (हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से। रूहुल-मआनी)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمْ عَلَمًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ كَذَلِكَ سَكَنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۝ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا مَنذُورُونَ ۝ ذِكْرَىٰ ۝ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُولُونَ ۝ فَلَا تَدَأُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَأْيِي مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبِكَ فِي الشَّجَدِينَ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ۝ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ۝ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كُذُوبُونَ ۝ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ ۝ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۝ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

व इन्नहू ल-तन्ज़ीलु रब्बिल्-आलमीन
(192) न-ज़-ल बिहिर-रूहुल्-अमीन
(193) अला क़ल्बि-क लि-तकू-न
मिनल्-मुन्ज़रीन (194) बिलिसानिन्
अ-रबिय्यिम्-मुबीन (195) व इन्नहू
लफी जुबुरिल्-अव्वलीन (196) अ-व
लम् यकुल्लहुम् आ-यतन्
अय्यज़-ल-महू अ-लमा-उ बनी

और यह कुरआन है उतारा हुआ
परवर्दिगारे आलम का। (192) लेकर उतरा
है इसको मोतबर फ़रिश्ता। (193) तेरे
दिल पर कि तू हो डर सुना देने वाला।
(194) खुली अरबी भाषा में। (195)
और यह लिखा है पहलों की किताबों में।
(196) क्या उनके वास्ते निशानी नहीं यह
बात कि इसकी ख़बर रखते हैं पढ़े लोग

इस्राईल। (197) व लौ नज़्ज़ल्लाहु
 अला बज़्ज़िल्-अज़्-जमीन (198)
 फ़-क़-र-अहू अलैहिम् मा कानू बिही
 मुअ्मिनीन (199) कज़ालि-क
 सलक्नाहु फी कुलूबिल्-मुज़्ज़िमीन
 (200) ला युअ्मिनु-न बिही हत्ता
 य-रवुल्-अज़ाबल्-अलीम (201)
 फ़-यअ्ति-यहुम् बग़्त-तं-वं हुम् ला
 यश्रुन (202) फ़-यकूलू हल् नह्नु
 मुन्ज़रून (203) अ-फ़बि-अज़ाबिना
 यस्तअ्जिलून (204) अ-फ़-रए-त
 इम् मत्तअ्नाहुम् सिनीन (205)
 सुम्-म जा-अहुम् मा कानू यू-अ्दून
 (206) मा अग़ना अन्हुम् मा कानू
 युमत्तअ्न (207) व मा अह्लक्ना
 मिन् क़-यतिन् इल्ला लहा मुन्ज़रून
 (208) ज़िकरा व मा कुन्ना ज़ालिमीन
 (209) व मा तनज़्ज़लत् बिहिश्-
 शयातीन (210) व मा यम्बगी
 लहुम् व मा यस्ततीअ्न (211)
 इन्नहुम् अनिस्समिअ ल-मअ्ज़ूलून
 (212) फ़ला तद्अु मअ़ल्लाहि
 इलाहन् आख़-र फ़-तकू-न मिनल्-
 मुअ्ज़ज़बीन (213) व अन्ज़िर्
 अशीर-तकल् अक़रबीन (214)

बनी इस्राईल के। (197) और अगर
 उतारते हम यह किताब किसी ऊपरी
 भाषा वाले पर (198) और वह इसको
 पढ़कर सुनता तो भी इस पर यकीन न
 लाते। (199) इसी तरह घुसा दिया हमने
 उस इनकार को गुनाहगारों के दिल में।
 (200) वे न मानेंगे इसको जब तक न
 देख लेंगे दर्दनाक अज़ाब। (201) फिर
 आये उन पर अचानक और उनको ख़बर
 भी न हो। (202) फिर कहने लगे कुछ
 भी हमको फ़ुर्सत मिलेगी? (203) क्या
 हमारे अज़ाब को जल्द माँगते हैं? (204)
 भला देख तो अगर फ़ायदा पहुँचाते रहें
 हम उनको बरसों (205) फिर पहुँचे उन
 पर जिस चीज़ का उनसे वायदा था
 (206) तो क्या काम आयेगा उनके जो
 कुछ फ़ायदा उठाते रहे। (207) और कोई
 बस्ती नहीं ग़ारत की हमने जिसके लिये
 नहीं थे डर सुना देने वाले। (208) याद
 दिलाने को, और हमारा काम नहीं जुल्म
 करना। (209) और इस कुरआन को
 नहीं लेकर उतरे शैतान (210) और न
 उनसे बन आये, और न वे कर सकें।
 (211) उनको तो सुनने की जगह से दूर
 कर दिया है। (212) सो तू मत पुकार
 अल्लाह के साथ दूसरा माबूद फिर तू पड़े
 अज़ाब में। (213) और डर सुना दे अपने
 करीब के रिश्तेदारों को (214)

वख्रिज़् जना-ह-क लि-मनित्त-ब-अ-क
 यिनल्-मुअ्मिनीन (215) फ-इन्
 असौ-क फक्रुल् इन्नी बरीउम्-मिम्मा
 तअ्मलून (216) व त-वक्कल्
 अलल्-अज़ीज़िरहीम (217) अल्लज़ी
 यरा-क ही-न तकूम (218) व
 तकल्लु-ब-क फिस्ताजिदीन (219)
 इन्नहू हुवस्समीअुल्-अलीम। (220)
 हल् उनब्बिउकुम् अला मन्
 तनज़्ज़लुशशयातीन (221) तनज़्ज़लु
 अला कुल्लि अफ़फ़ाकिन् असीम
 (222) युल्कूनस्सम्-अ व अक्सरुहुम्
 काज़िबून (223) वशशु-अरा-उ
 यत्तबिअुहुमुल्-गावून (224) अलम्
 तर अन्नहुम् फी कुल्लि वादियू-
 -यहीमून (225) व अन्नहुम् यकूलून-
 मा ला यफ़अलून (226) इल्लल्लज़ी-न
 आमनू व अमिलुस्-सालिहाति व
 ज़-करुल्ला-ह कसीरं-व-वन्त-सरु
 मिम्-बअ्दि मा ज़ुलिम्, व
 स-यज़्-लमुल्लज़ी-न ज़-लमू अयू-य
 मुन्क-लबियू-यन्क़लिबून (227) ❀

और अपने बाजू नीचे रख उनके वास्ते
 जो तेरे साथ हैं ईगान वाले। (215) फिर
 अगर तेरी नाफरमानी करें तो कह दे मैं
 बेज़ार हूँ तुम्हारे काफ़ से। (216) और
 भरोसा कर उस ज़बरदस्त रहम वाले पर
 (217) जो देखता है तुझको जब उठता है
 (218) और तेरा फिरना नमाज़ियों में।
 (219) बेशक वही है सुनने वाला जानने
 वाला। (220) मैं बतलाऊँ तुमको किस
 पर उतरते हैं शैतान? (221) उतरते हैं हर
 झूठे गुनाहगार पर। (222) ला डालते हैं
 सुनी हुई बात और बहुत उनमें झूठे हैं।
 (223) और शायरों की बात पर चलें वही
 जो बेराह हैं। (224) तूने नहीं देखा कि
 वे हर मैदान में सर मारते फिरते हैं (225)
 और यह कि वे कहते हैं जो नहीं करते।
 (226) मगर वे लोग जो यकीन लाये और
 काम किये अच्छे और याद की अल्लाह
 की बहुत और बदला लिया उसके बाद
 कि उन पर जुल्म हुआ, और अब मालूम
 कर लेंगे जुल्म करने वाले कि किस करवट
 उलटते हैं। (227) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और यह कुरआन रब्बुल-आलमीन का भेजा हुआ है। इसको अमानतदार फ़रिश्ता लेकर आया है

पाक 1दल पर साफ़ अरबी भाषा में ताकि आप (भी) अन्य डराने वालों में के हो जायें (यानी जिस ह और पैगम्बरों ने अपनी उम्मत को अल्लाह के अहकाम पहुँचाये आप भी पहुँचायें) और इस (कुरआन) का जिक्र पहली उम्मतों की (आसमानी) किताबों में (भी) है (कि एक ऐसी शान का नम्बर होगा और उस पर ऐसा कलाम नाज़िल होगा, चुनाँचे तफ़सीरे हक्फ़ानी के इस स्थान के शायों में चन्द खुशख़बरियाँ पहली आसमानी किताबों तौरात व इंजील से नक़ल की हैं। आगे इस मज़मून की कि वह पहली किताबों में है की वज़ाहत है, यानी) क्या उन लोगों के लिये (इस पर) यह बात दलील नहीं है कि इस (पेशीनगोई) को बनी इस्राईल के उलेमा जानते हैं। (चुनाँचे उनमें जो लोग इस्लाम ले आये हैं वे तो डंके की चोट पर इसको स्वीकार करते हैं और जो इस्लाम नहीं लाये वे भी खास-खास लोगों के सामने इसका इफ़रार करते हैं जैसा कि पहले पारे के आयत नम्बर 44 की तफ़सीर में इसका बयान आ चुका है और इन इफ़रार करने वालों की तादाद और अधिकता उस वक़्त अगर ख़बरे वाहिद तक भी मान ली जाये फिर भी अन्दाज़ों और इशारात की वज़ह से मायने के एतिबार से निरंतरता हासिल थी, और यह दलील कायम करना अनपढ़ अरब वालों के लिये है वरना लिखे-पढ़े लोग खुद असल किताब से देख सकते थे। और इससे यह लाज़िम नहीं आता कि पहली आसमानी किताबों में रद्दोबदल नहीं हुई, क्योंकि बावजूद रद्दोबदल और कमी-बेशी के ऐसे मज़ामीन का बाकी रह जाना और ज़्यादा हुज्जत है, और यह शुब्हा व गुमान कि ये मज़ामीन ही रद्दोबदल का नतीजा हों इसलिये ग़लत है कि अपने नुक़सान के लिये कोई रद्दोबदल नहीं किया करता। ये मज़ामीन तो रद्दोबदल करने वालों के लिये नुक़सान देने वाले हैं जैसा कि ज़ाहिर है। यहाँ तक तो इस दावे की कि यह कलाम अल्लाह की तरफ़ से उतरा हुआ है दो किताबी दलीलें बयान फ़रमाई हैं यानी पहली किताबों में जिक्र और बनी इस्राईल का जानना कि उनमें भी दूसरी पहली की दलील है, और आगे इनकार करने वालों के बैर व दुश्मनी के बयान के तहत में इसी दावे की अदुली दलील की तरफ़ इशारा है, यानी कुरआन का बेमिसाल और अपने जैसा बनाने से दूसरों को आजिज़ करने वाला। मतलब यह है कि ये लोग ऐसे मुखालिफ़ हैं कि) अगर (फ़र्ज़ करो) हम इस (कुरआन) को किसी अज़मी (गैर-अरबी) पर नाज़िल कर देते फिर वह (गैर-अरबी) इनके सामने इसको पढ़ भी देता, (इसका मोजिज़ा होना और ज़्यादा ज़ाहिर होता क्योंकि जिस पर नाज़िल हुआ उसको अरबी भाषा पर बिल्कुल कुदरत न होती, लेकिन) ये लोग (अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी और बैर की वज़ह से) तब भी इसको न मानते।

(आगे हुज़ूरे पाक की तसल्ली के वास्ते उनके ईमान लाने से ना-उम्मीदी दिलाते हैं यानी) हमने इसी तरह (सख़्ती और अड़े रहने के साथ) इस ईमान न लाने को उन नाफ़रमानों के दिलों में डाल रखा है (यानी कुफ़्र में, और उस पर अड़े हुए हैं, और इस सख़्ती व अड़े रहने की वज़ह से) ये लोग इस (कुरआन) पर ईमान न लाएँगे जब तक कि सख़्त अज़ाब को (मरने के वक़्त या बर्ज़ख़ में या आख़िरत में) न देख लेंगे, ज़े अचानक इनके सामने आ खड़ा होगा, और इनको (पहले से) ख़बर भी न होगी। फिर (उस वक़्त जान को बनेगी तो) कहेंगे कि क्या (किसी तरीक़े से) हमको (कुछ) मोहलत मिल सकती है? (लेकिन वह वक़्त न मोहलत का है न ईमान के क़बूल होने का। और ये काफ़िर

तजा की धमकी और अज़ाब के ऐसे मज़ामीन को सुनकर इनकार के तौर पर अज़ाब का तकाज़ा किया करते थे, मसलन कहते थे:

رَبَّنَا غَبِلْنَا لَنَا قِطْنًا (और) وَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً.

यानी ऐ अल्लाह! अगर यह तेरी तरफ़ से हक़ है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा और मोहलत को जो वास्तव में ढील है, अज़ाब न होने की दलील ठहराते थे। आगे इसका जवाब है कि) क्या (हमारी डाँट और धमकियों को सुनकर) ये लोग हमारे अज़ाब का जल्द आना चाहते हैं (जिसका मन्शा इनकार है, यानी बावजूद दलील कायम होने यानी एक सच्चे महान शख्स की ख़बर के फिर भी इनकार करते हैं। रहा मोहलत को इनकार का आधार करार देना सो यह सख़्त ग़लती है क्योंकि) ऐ मुखातब! ज़रा बतलाओ तो अगर हम उनको (चन्द साल तक) ऐश में रहने दें, फिर जिस (अज़ाब) का उनसे वायदा है वह उनके सर पर आ पड़े, तो उनका वह ऐश किस काम आ सकता है (यानी यह ऐश की जो मोहलत दी गई इससे उनके अज़ाब में कोई कमी नहीं हो सकती) और (मोहलत देना हिक्मत की वजह से चन्द दिन तक चाहे कम या ज़्यादा कुछ उन्हीं के साथ ख़ास नहीं बल्कि पहली उम्मतों को भी मोहलतें मिली हैं, चुनाँचे) जितनी बस्तियाँ (इनकार करने वालों की) हमने (अज़ाब से) ग़ारत की हैं सब में डराने वाले (यानी पैग़म्बर) आये। (जब न माना तो अज़ाब नाज़िल हुआ) और हम (बज़ाहिर देखने में भी) ज़ालिम नहीं हैं (मतलब यह कि मोहलत देने से जो मक़सद है यानी हुज्जत पूरी करना और उज़्र को ख़त्म करना वह सब के लिये रहा, पैग़म्बरों का आना समझाना खुद यह भी एक मोहलत ही देना है मगर फिर भी हलाकत का अज़ाब आकर रहा।

इन वाक़िआत से मोहलत देने की हिक्मत भी मालूम हो गई और मोहलत देने और अज़ाब में टकराव न होना भी साबित हो गया, और बज़ाहिर देखने में इसलिए कहा गया कि हकीकत में तो किसी हालत में भी जुल्म न होता। आगे फिर पहले मक़सद 'यानी यह कलाम अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुआ है' की तरफ़ वापसी है। और बीच में ये मज़ामीन इनकारियों की हालत के मुनासिब होने की वजह से बयान हुए थे और आगे आने वाली आयतों के मज़मून का हासिल उन शुब्हों का दूर करना है जो कुरआन की हक़ानियत और सच्चाई के मुताल्लिक थे। पस एक शुब्हा तो कुरआन के अल्लाह का कलाम और उसकी तरफ़ से भेजा हुआ मानने पर इसलिये था कि अरब में पहले से काहिन "ग़ैब की ख़बरें बताने वाले" होते आये थे, वे भी कुछ मुख़्तलिफ़ किस्म के जुमले बोला करते थे, नऊजु बिल्लाह आपके बारे में भी कुछ काफ़िर यही कहते थे "जैसा कि हज़रत ज़ैद की रिवायत से तफ़्सीर दुरै मन्सूर में बयान हुआ है" और बुख़ारी में एक औरत का कौल नक़ल किया है, जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वही नाज़िल होने में कुछ देर हुई तो उस औरत ने कहा कि आपको आपके शैतान ने छोड़ दिया है, क्योंकि काहिनों को शैतान ही की तालीम व हिदायत से कुछ हासिल हुआ करता था। इसका जवाब है कि यह रब्बुल-आलमीन का नाज़िल किया हुआ है) और इसको शैतान (जो काहिनों के पास आया करते थे) लेकर नहीं आये। (क्योंकि इसकी दो प्रबल बाधाएँ मौजूद हैं एक उसकी शैतान वाली सिफ़त होना जिसके सबब) यह (कुरआन) उन (की हालत) के मुनासिब ही नहीं, (क्योंकि कुरआन पूरा का पूरा हिदायत और शैतान पूरा का पूरा

गुमराही है, न उनको ऐसे मजामीन की आमद हो सकती है और न ऐसे मजामीन फैलाने से उनकी गर्ज यानी मख्लूक को गुमराह करना पूरा हो सकता है। एक रुकावट और बाधा तो यह हुई और (दूसरी रुकावट यह कि वे) इस पर कादिर भी नहीं। क्योंकि वे शयातीन (आसमानी वही "अल्लाह का पैग़ाम" सुनने से रोक दिये गये हैं। (चुनाँचे काहिनों और मुशिरकों से उनके जिन्नात ने अपनी नाकामी का खुद इकरार किया जिसकी उन्होंने औरों को भी खबर दी। चुनाँचे बुखारी में ऐसे किस्से बाब इस्लाम-ए-उमर में जिक्र हुए हैं। पस शैतानों की हिदायत व तालीम का किसी तरह शुब्हा व गुमान न रहा। और इस जवाब का पूरा होना और एक दूसरे शुब्हे का जवाब सूरत के ख़त्म के करीब आणा। बीच में अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होने पर इससे साबित होने वाले एक मज़मून का बयान है, यानी इसका अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल शुदा होना साबित है तो इसकी तालीम पर अमल करना वाजिब हुआ। और उन्हीं में से एक अहम और बड़ा मामला तौहीद का है) सो (ऐ पैग़म्बर! हम उसके वाजिब होने की एक खास तरीक़े से ताकीद करते हैं कि हम आपको मुख़ातब बनाकर कहते हैं कि) तुम अल्लाह के साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना, कभी तुमको सज़ा होने लगे (हालाँकि आप में अल्लाह की पनाह न शिर्क का शुब्हा व संभावना है न अज़ाब दिये जाने का, मगर लोगों को यह बात जतलाना मक़सद है कि जब ग़ैरुल्लाह की इबादत पर आपके लिये भी सज़ा का हुक्म है तो और बेचारे तो किस गिनती में हैं? शिर्क से उनको कैसे मना न किया जाये। और वे शिर्क करके अज़ाब से क्योंकर बचेंगे)।

और (इसी मज़मून से) आप (सबसे पहले) अपने नज़दीक के कुनबे को डराईए। (चुनाँचे आपने सब को पुकारकर जमा किया और शिर्क पर अल्लाह के अज़ाब से डराया जैसा कि हदीसों में है) और (आगे इनज़ार "डराने" यानी नुबुव्वत की दावत को कुबूल करने वाले और रद्द करने वालों के साथ मामला का तरीक़ा बतलाते हैं, यानी) उन लोगों के साथ (तो शफ़क़त भरी) इन्किसारी से पेश आईए जो मुसलमानों में दाख़िल होकर आपकी राह पर चलें (चाहे कुनबे के हों या ग़ैर कुनबे के) और अगर ये लोग (जिनको आपने डराया है) आपका कहा न मानें (और कुफ़्र पर अड़े रहें) तो आप (साफ़) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे कामों से बेज़ार हूँ।

(इन दोनों बातों यानी अज़िज़ी से पेश आने और बेज़ारी व नफ़रत का इज़हार करने में अल्लाह के लिये मुहब्बत करने और उसी के लिये नफ़रत करने की पूरी तालीम है, और कभी उन मुख़ालिफ़ों की तरफ़ से सताने और नुक़सान देने का ख़तरा दिल में न लाईए) और आप खुदा-ए-कादिर रहीम पर भरोसा रखिये जो आपको जिस वक़्त कि आप (नमाज़ के लिये) खड़े होते हैं और (तथा नमाज़ शुरू करने के बाद) नमाज़ियों के साथ आपके उठने-बैठने को देखता है। (और नमाज़ के अलावा भी वह देखता भालता है, क्योंकि) वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। (पस जब उसको इल्म भी कामिल है जैसा कि देखना, सुनना और जानना इस पर दलालत करते हैं और वह आप पर मेहरबान भी है जैसा कि 'रहीम' इस पर दलालत कर रहा है और उसको सब कुदरत है जैसा कि 'अल्-अज़ीज़' से समझ में आ रहा है तो ज़रूर वह भरोसे के लायक़ है, वह आपको असली नुक़सान से बचायेगा, और जो भरोसा करने वाले को नुक़सान पहुँचाता है वह सिर्फ़ ज़ाहिर के एतिबार से नुक़सान होता है

जिसके तहत में हजारों फायदे होते हैं जिनका कभी दुनिया में कभी आखिरत में ज़हूर होता है। आगे कहानत "गैब की खबरें देने" के शुब्हे के जवाब का आखिरी हिस्सा बयान हुआ है कि ऐ पैग़म्बर! लोगों से कह दीजिये कि) क्या मैं तुमको बतला दूँ किस पर शैतान उतरा करते हैं। (सुनो!) ऐसे शख्सों पर उतरा करते हैं जो (पहले से) झूठ बोलने वाले, बड़े बुरे फिरदार वाले हों। और जो (शैतानों के खबर देने के वक़्त उन शैतानों की तरफ़) कान लगा देते हैं, और (लोगों से उन चीज़ों के बयान करने के वक़्त) वे कसरत से झूठ बोलते हैं (घुनाँचे सिफ़ली के आमिलों को अब भी इसी हालत में देखा जाता है। और वजह इसकी यह है कि फ़ायदा लेने वाले और फ़ायदा देने वाले के बीच मुनासबत और ताल्लुक़ ज़रूरी है तो शैतान का शागिर्द भी वह होगा जो झूठा और गुनाहगार होगा, तथा शैतान की तरफ़ दिल से मुतवज्जह भी हो कि बाँर तवज्जोह से फ़ायदा हासिल नहीं होता, और चूँकि अक्सर यह शैतानी उलूम नामुकम्मल होते हैं इसलिए इनको रंगीन और वक़अत दार करने के लिये गुमान व अन्दाज़े की अपनी तरफ़ से बढ़ोतरी भी करनी पड़ती है, जो कि कहानत के लिये आदतन ज़रूरी हैं, और ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में होने का कोई दूर का भी गुमान व संभावना नहीं, क्योंकि आपका सच्चा होना सब को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का परहेज़गार होना और शैतानों से नफ़रत करने वाला होना दुश्मन को भी मुसल्लम और मशहूर व परिचित था, तो फिर कहानत का शुब्हा व गुमान कहाँ रहा)।

और (आगे शायर होने के शुब्हे का जवाब है कि आप शायर भी नहीं हैं जैसा कि काफ़िर लोग कहते थे 'बल् हु-व शाअिरुन्' यानी इनके मज़ामीन ख़्याली और अवास्तविक हैं अगरचे नज़म में न हों। सो यह शुब्हा व गुमान इसलिए ग़लत है कि) शायरों की राह तो बेराह लोग चला करते हैं। (मुराद राह से शे'र बनाना है। यानी ख़्याली शायराना नसर (गद्य) में या नज़म (पद्य) में मज़ामीन कहना उन लोगों का तरीक़ा है जो तहकीक़ के रास्ते और मस्लक से दूर हों। आगे इस दावे की वज़ाहत है कि) ऐ मुखातब! क्या तुमको मालूम नहीं कि वे (शायर) लोग (ख़्याली मज़ामीन के) हर मैदान में हैरान (मज़ामीन की तलाश में टक्करें मारते) फिरा करते हैं और (जब मज़मून मिल जाता है तो चूँकि अक्सर ख़िलाफ़े हकीक़त होता है इसलिये) ज़बान से वे बातें कहते हैं जो करते नहीं (घुनाँचे शायरों के गप मारने का एक नमूना लिखा जाता है।

ऐ रश्के मसीहा तेरी रफ़्तार के कुरबाँ ठोकर से मेरी लाश कई बार जिला दी।

ऐ बादे सबा! हम तुझे क्या याद करें उस गुल की ख़बर तूने कभी हमको न ला दी।

सबा ने उसके कूचे से उड़ाकर खुदा जाने हमारी खाक क्या की।

वगैरह-वगैरह। यहाँ तक कि कभी कुफ़्रिया बातें बकने लगते हैं।

जवाब का हासिल यह हुआ कि शे'री मज़ामीन के लिये ख़्याली और गैर-साबित शुदा होना लाज़िमी है, और कुरआनी मज़ामीन जिस सिलसिले से भी संबन्धित हैं सब के सब तहकीकी, गैर-ख़्याली हैं, इसलिये आपको शायर कहना सिवाय शायराना जुनून के और क्या है, यहाँ तक कि अक्सर चूँकि नज़म में ऐसे ही मज़ामीन हुआ करते हैं इसलिये अल्लाह तआला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नज़म पर कुदरत भी नहीं दी, और ऊपर चूँकि शायरों की बुराई इरशाद हुई है

जिसके आम होने में बजाहिर सब नज़म कहने वाले आ गये, चाहे उनके मज़ामीन समझ व दानाई और तहकीक लिये हुए हों इसलिये आगे उनको अलग फरमाते हैं कि) हाँ! मगर जो लोग (उन शायरों में से) ईमान लाये और अच्छे काम किये, (यानी शरीअत के खिलाफ़ न उनका कौल है न फेल, यानी उनके अशआर में बेहूदा मज़ामीन नहीं हैं) और उन्होंने (अपने शे'रों में) अधिकतर अल्लाह का जिक्र किया (यानी दीन की ताईद और इल्म के प्रचार में उनके अशआर हैं कि यह सब अल्लाह के जिक्र में दाखिल हैं) और (अगर किसी शे'र में बजाहिर कोई ना-मुनासिब मजमून भी है जैसे किसी की बुराई और निंदा जो बजाहिर अच्छे अख़लाक़ के खिलाफ़ है तो उसकी वजह भी यह है कि) उन्होंने इसके बाद कि उन पर जुल्म हो चुका है (उसका) बदला ले लिया (है। यानी काफ़िरों या बदकारों व बुरे लोगों ने पहले उनको ज़बानी तकलीफ़ पहुँचाई, मसलन उनकी बुराई की या दीन की तौहीन की जो अपनी बुराई से भी बढ़कर तकलीफ़ का सबब है, या उनके माल को या जान को नुक़सान पहुँचाया, यानी ये लोग इस हुक्म और बयान से अलग हैं, क्योंकि बदला लेने के तौर पर जो शे'र कहे गये हैं उनमें कुछ तो जायज़ व दुरुस्त हैं और कुछ नेकी और इबादत का काम होकर सवाब का ज़रिया हैं)।

(यहाँ तक रिसालत के बारे में शुब्हात के जवाबात पूरे हुए और इससे पहले रिसालत दलीलों से साबित हो चुकी थी अब आगे उन लोगों की वईद और सज़ा की धमकी है जो इसके बावजूद नुबुव्वत के इनकारी रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं) और जल्द ही उन लोगों को मालूम हो जायेगा जिन्होंने (अल्लाह के हुक्क़, रसूल के हुक्क़ या बन्दों के हुक्क़ में) जुल्म कर रखा है कि कैसी (बुरी और मुसीबत की) जगह उनको लौटकर जाना है (इससे मुराद जहन्नम है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِينَ ۝

कुरआन उसके अलफ़ाज़ व मायनों के मजमूए का नाम है

उपर्युक्त आयतों में 'बिलिसानिन् अ-रबियिम् मुबीन' से मालूम होता है कि कुरआन वही है जो अरबी भाषा में हो, कुरआन के किसी मजमून का तर्जुमा चाहे किसी भाषा में हो वह कुरआन नहीं कहलायेगा। और 'इन्नहू लफ़ी जुबुरिल्-अव्वलीन' के अलफ़ाज़ से बजाहिर इसके खिलाफ़ यह मालूम होता है कि कुरआन के मायने जो किसी दूसरी भाषा में भी हों वो भी कुरआन हैं, क्योंकि 'इन्नहू' (बेशक यह) में यह से ज़ाहिर यह है कि कुरआन मुराद है और 'जुबुर' 'ज़बूर' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं किताब। आयत के मायने यह हुए कि कुरआने करीम पिछली आसमानी किताबों में भी है और यह ज़ाहिर है पिछली किताबें तौरात इंजील ज़बूर वगैरह अरबी भाषा में नहीं थीं, तो सिर्फ़ कुरआन के मायनों के उनमें बयान होने को इस आयत में कहा गया है कि कुरआन पिछली किताबों में भी है। और हकीकत जिस पर उम्मत की अक्सरियत का अक़ीदा है वह यह है कि कुरआन के सिर्फ़ मज़ामीन को भी कई बार वुस्अत इख़्तियार करते हुए कुरआन कह दिया जाता है, क्योंकि असल मक़सद किसी किताब का उसके मज़ामीन ही होते हैं। पहली आसमानी किताबों में कुरआन का

मज़कूर होना भी इसी हैसियत से है कि कुरआन के कुछ मज़ामीन उनमें भी बयान हुए हैं, इसकी ताईद हदीस की बहुत सी रिवायतों से भी होती है।

मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत मअक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे सूर: ब-क़रह जिफ़-ए-अव्वल से दी गयी है और सूर: तौ-हा और तवासीन (यानी जितनी सूरतें तौ-सीन से शुरू होती हैं) और हवामीम (यानी जो सूरतें हा-मीम से शुरू हैं) ये सब सूरतें मूसा अलैहिस्सलाम की अलवाह (तख़्तियों) में से दी गयी हैं, और सूर: फ़ातिहा मुझे अर्श के नीचे से दी गयी है। और तबरानी, हाकिम, बैहकी वगैरह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि सूर: मुल्क तौरात में मौजूद है। और सूर: अज़्ला (सब्बिहिस्-म रब्बिकल् अज़्ला) में तो खुद कुरआन ही यह वज़ाहत करता है:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

यानी सूरत के ये मज़ामीन हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में भी हैं। लेकिन तमाम आयतों व रिवायतों का हासिल यही है कि कुरआन के बहुत से मज़ामीन पहली आसमानी किताबों में भी मौजूद थे। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि इन मज़ामीन की वजह से पहली किताबों के उन हिस्सों को जिनमें ये कुरआनी मज़ामीन आये हैं कुरआन का नाम दे दिया जाये। न उम्मत में कोई इसका कायल है कि उन सहीफ़ों और किताबों को जिनमें कुरआनी मज़ामीन बयान हुए हैं कुरआन कहा जाये, बल्कि उम्मत की अक्सरियत का अक्कीदा यही है कि कुरआन न सिर्फ़ कुरआन के अलफ़ाज़ का नाम है न सिर्फ़ कुरआन के मायनों का। अगर कोई शख्स कुरआन ही के अलफ़ाज़ विभिन्न और अलग-अलग जगहों से चुनकर एक इबारत बना दे मसलन कोई यह इबारत बना ले:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ.

ये सारे अलफ़ाज़ कुरआन ही के हैं मगर इस इबारत को कोई कुरआन नहीं कह सकता। इसी तरह कुरआन के सिर्फ़ मायने जो किसी दूसरी भाषा में बयान किये जायें वो भी कुरआन नहीं।

नमाज़ में कुरआन का तर्जुमा पढ़ना पूरी उम्मत के

नज़दीक नाजायज़ है

इसी वजह से उम्मत का इस पर इतिफ़ाक़ है कि नमाज़ में फ़र्ज़ तिलवात की जगह कुरआन के अलफ़ाज़ का तर्जुमा किसी भाषा फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी में पढ़ लेना बिना मजबूरी के काफ़ी नहीं। कुछ इमामों से इसमें गुंजाईश का जो कौल मन्कूल है उनसे भी अपने इस कौल से रुजू (राय बदल लेना) साबित है।

कुरआन के उर्दू तर्जुमे को उर्दू कुरआन कहना जायज़ नहीं

इसी तरह कुरआन का सिर्फ़ तर्जुमा किसी भाषा में बग़ैर अरबी मतन के लिखा जाये तो उसको उस भाषा का कुरआन कहना जायज़ नहीं। जैसे आजकल बहुत से लोग सिर्फ़ कुरआन के उर्दू तर्जुमे को उर्दू का कुरआन और अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी का कुरआन कह देते हैं, यह नाजायज़ और बेअदबी है। कुरआन को बग़ैर अरबी मतन के किसी दूसरी भाषा में कुरआन के नाम से छापना और उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त सब नाजायज़ है, इस मसले की पूरी तफ़्सील अहक़र के रसाले 'तहज़ीरुल-अख़वान अन् तग़यीरि रस्मिल-कुरआन' में बयान की गयी है।

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ

इस आयत में इशारा है कि दुनिया में किसी को लम्बी उम्र मिलना भी अल्लाह तआला की बड़ी नेमत है, लेकिन जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करें ईमान न लायें उनको लम्बी उम्र की आफ़ियत व मोहलत कुछ काम न आयेगी। इमाम जोहरी रह. ने नक़ल फ़रमाया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रह. रोज़ सुबह को अपनी दाढ़ी पकड़कर अपने नफ़्स को ख़िताब करके यह आयत पढ़ा करते थे 'अ-फ़-रए-त इम्-मत्तअनाहुम् सिनीन' (यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 205) उसके बाद उन पर रोना तारी हो जाता और ये शेर पढ़ते थे:

نهارك يا مغرور سهو و غفلة و ليلك نوم والردي لك لازم
فلا انت في الايقاظ يقظان حازم ولا انت في النوم ناج وسالم
وتسعى الي ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

तर्जुमा: ऐ फ़रेब खाये हुए तेरा सारा दिन ग़फ़लत में और रात नींद में ख़र्च होती है हालाँकि मौत तेरे लिये लाज़िम है। न तू जागने वाले लोगों में होशियार व बेदार है और न सोने वालों में अपनी निजात पर मुत्मईन है। तेरी कोशिश ऐसे कामों में रहती है जिसका अन्जाम बहुत जल्दी नागवार और बुरी सूरत में सामने आयेगा, दुनिया में चौपाये जानवर ऐसे ही जिया करते हैं।

وَالذِّكْرِ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ

अशीरा के मायने कुनबे और ख़ानदान के हैं, अक़रबीन के बंधन से उनमें से भी करीबी रिश्तेदार मुराद हैं। यहाँ यह बात ग़ौर करने की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर रिसालत की तब्लीग़ और डराना पूरी उम्मत के लिये फ़र्ज़ है, इस जगह ख़ानदान के लोगों को ख़ास करने में क्या हिक्मत है? ग़ौर किया जाये तो इसमें तब्लीग़ व दावत के आसान और असरदार बनाने का एक ख़ास तरीका बतलाया गया है जिसके आसरात दूर तक पहुँचने वाले हैं। वह यह कि अपने कुनबे और ख़ानदान के लोग अपने से करीब होने की बिना पर इसके हक़दार भी हैं कि हर ख़ैर और अच्छे काम में उनको दूसरों से आगे किया जाये और आपसी ताल्लुक़ात और ज़ाती वाक़फ़ियत की बिना पर उनमें कोई झूठा दावेदार नहीं खप सकता, और जिसकी सच्चाई और अख़्लाकी बरतरी ख़ानदान के लोगों में परिचित है उसकी सच्ची दावत कुबूल कर लेना उनके लिये आसान भी है। और करीबी रिश्तेदार जब

किसी अच्छी तहरीक के मददगार बन गये तो उनका ताल्लुक और इमदाद भी पुख़्ता बुनियाद पर कायम होती है, वह ख़ानदानी संगठन के एतिबार से भी उनकी ताईद व भाईचारे पर मजबूर होते हैं और जब करीबी रिश्तेदारों, अज़ीज़ों का एक माहौल हक़ व सच्चई की बुनियादों पर तैयार हो गया तो रोज़मर्रा की जिन्दगी में हर एक को दीन के अहक़ाम पर अमल करने में बहुत आसानी हो जाती है और फिर एक मुख़्तसर सी ताक़त तैयार होकर दूसरों तक दावत व तब्लीग़ के पहुँचाने में मदद मिलती है। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में है:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

(सूर: तहरीम आयत 6) यानी अपने आपको और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसमें घर वालों के जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी ख़ानदान के हर-हर व्यक्ति पर डाल दी गयी है जो आमाल व अख़्लाक़ के सुधार का आसान और सीधा रास्ता है। और ग़ौर किया जाये तो किसी इनसान का खुद नेक आमाल व अख़्लाक़ का पाबन्द होना और फिर उस पर कायम रहना उस वक़्त तक आदतन मुश्किन नहीं होता जब तक उसका माहौल इसके लिये साज़गार (मुवाफ़िक) न हो। सारे घर में अगर एक आदमी नमाज़ की पूरी पाबन्दी करना चाहे तो उस पक्के नमाज़ी को भी अपने हक़ की अदायेगी में मुश्किलें रुकावट बनेंगी। आजकल जो हराम चीज़ों से बचना दुश्वार हो गया इसकी वजह से नहीं कि वास्तव में उसका छोड़ना कोई बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि सबब यह है कि सारा माहौल सारी बिरादरी जब एक गुनाह में मुब्तला है तो अकेले एक आदमी को बचना दुश्वार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब यह आयत नाज़िल हुई तो आपने तमाम ख़ानदान के लोगों को जमा फ़रमाकर हक़ का पैग़ाम सुनाया, उस वक़्त अगरचे लोगों ने हक़ के क़बूल करने से इनकार किया मगर धीरे-धीरे ख़ानदान के लोगों में इस्लाम व ईमान दाख़िल होना शुरू हो गया और आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से इस्लाम को एक बड़ी कुव्वत हासिल हो गयी।

शे'र की तारीफ़

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

असल लुग़त में शे'र हर उस कलाम को कहा जाता है जिसमें महज़ ख़्याली और ग़ैर-तहकीकी (बिना तहकीक़ के) मज़ामीन बयान किये गये हों। जिसमें कोई बहर, वज़न, रदीफ़ और काफ़िया कुछ शर्त नहीं। मन्तिक़ के फ़न में भी ऐसे ही मज़ामीन को अदिल्ला-ए-शे'रिया और कज़ाया-ए-शे'रिया कहा जाता है। परिचित शे'र व ग़ज़ल में भी चूँकि उमूमन ख़्यालात का ही ग़लबा होता है इसलिये शायरों की इस्तिलाह में मौज़ूँ और बन्दिश वाले कलाम को शे'र कहने लगे। कुछ मुफ़स्सरीन ने क़ुरआन की आयतों:

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ شَاعِرٌ مَّجْنُونٌ شَاعِرٌ تَرَبُّصٌ بِهِ

(यानी सूर: अम्बिया की आयत 5, सूर: साफ़ात की आयत 36 और सूर: तूर की आयत 30) वग़ैरह में शे'र परिचित मायने में मुराद लेकर कहा कि मक्का के काफ़िर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम को वज़नदार, काफ़ियादार (यानी संजोया हुआ और बन्दिश वाला) कलाम लाने वाला कहते थे, लेकिन कुछ हज़रत ने कहा कि काफ़िरों का मक़सद यह न था, इसलिये कि वे शे'र के अन्दाज़ व तरीक़े से वाकिफ़ थे, और ज़ाहिर है कि कुरआन अश्आर का मजमूआ नहीं, इसका कायल तो एक अज़मी (गैर-अरबी) भी नहीं हो सकता कहाँ यह कि उम्दा और बेहतरीन अरबी भाषा वाला शख्स, बल्कि काफ़िर आपको शायर शे'र के असली मायने यानी ख़्याली मज़ामीन के लिहाज़ से कहते थे। उनका मक़सद दर असल आपको नऊजु बिल्लाह झूठा कहना था, क्योंकि शे'र झूठ के मायने में भी इस्तेमाल होता है, और शायर झूठे को कहा जाता है। इसलिये अदिल्ला-ए-काज़िबा (झूठी दलीलों) को अदिल्ला-ए-शेरिया कहा जाता है। खुलासा यह कि जैसे मौजूँ और बन्दिश वाले कलाम को शे'र कहते हैं इसी तरह गुमान व अन्दाजे वाले कलाम को भी शे'र कहते हैं जो मन्तिक वालों की इस्तिलाह (परिभाषा) है।

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝

इस आयत में शे'र के इस्तिलाही (पारिभाषिक) और परिचित मायने ही मुराद हैं। यानी मौजूँ व बन्दिश वाला कलाम कहने वाले। इसकी ताईद फ़ह्ल-बारी की रिवायत से होती है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हज़रत हस्सान बिन साबित और हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो शायर सहाबा में मशहूर हैं रोते हुए सरकारे दो आलम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! खुदा तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई है और हम भी शे'र कहते हैं। हुजुरे पाक ने फ़रमाया कि आयत के आख़िरी हिस्से को पढ़ो। मक़सद यह था कि तुम्हारे अश्आर बेहूदा और ग़लत मक़सद के लिये नहीं होते इसलिये आयत के आख़िरी हिस्से में जिनको इससे अलग रखा गया है तुम उनमें दाख़िल हो। इसलिये मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि आयत के शुरू के हिस्से में मुशरिक शायर मुराद हैं क्योंकि गुमराह लोग सरकश शैतान और नाफ़रमान जिन्नात उन ही के अश्आर की पैरवी करते थे और चलता करते थे। (फ़ह्ल-बारी)

इस्लामी शरीअत में शे'र व शायरी का दर्जा

उपर्युक्त आयतों के शुरू से शे'र व शायरी की सख़्त बुराई और उसका अल्लाह के नज़दीक नापसन्दीदा होना मालूम होता है, मगर सूरा के आख़िर में जिनको इस हुक्म से अलग किया गया है उससे साबित हुआ कि शे'र उमूमी तौर पर और बिल्कुल ही बुरा नहीं बल्कि जब जिस शे'र में खुदा तआला की नाफ़रमानी या अल्लाह के ज़िक्र से रोकना या झूठ, नाहक किसी इनसान की बुराई और तौहीन हो या गन्दा व बेशर्मी का कलाम और बुराई की तरफ़ उभारने वाला हो वह बुरा और नापसन्दीदा है। और जो अश्आर इन बुराईयों और नाफ़रमानियों से پاک हों उनको अल्लाह तआला ने 'इल्लल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति.... (यानी आयत नम्बर 227) के ज़रिये अलग फ़रमा दिया है। और कुछ अश्आर तो हकीमाना मज़ामीन और वज़ह व नसीहत से भरे होने की वजह से नेकी व सवाब में दाख़िल हैं जैसा कि हज़रत उवई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि कुछ शे'र हिक्मत (अक़्ल व दानाई की बात) होते हैं। (बुखारी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने फ़रमाया कि हिक्मत से मुराद सच्ची बात है जो हक़ के मुताबिक़ हो। इब्ने

ख़त्ताल ने फ़रमाया जिस शेर में खुदा तआला की व्हदानियत (एक होना), उसका ज़िक्र, इस्लाम से ताल्लुक व मुहब्बत का बयान हो वह शेर पसन्दीदा और अच्छा है और उक्त हदीस में ऐसा ही शेर मुराद है। और जिस शेर में झूठ और बुराई व बेहयाई हो वह बुरा और नापसन्दीदा है। इसकी और ज्यादा ताईद निम्नलिखित रिवायतों से होती है:

1. उमर बिन शुरैद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे उमैया बिन अबू सुलत के सौ काफिये तक अशआर सुने।

2. मुतरिफ़ फ़रमाते हैं कि मैंने कूफ़ा से बसरा तक हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सफ़र किया और हर मन्ज़िल पर वह शेर सुनाते थे।

3. तबरी ने बड़े सहाबा और बड़े ताबिईन के बारे में कहा कि वे शेर कहते थे, सुनते थे और सुनाते थे।

4. इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शेर कहा करती थीं।

5. अबू यज़ला ने इब्ने उमर से मरफ़ूज़न रिवायत किया है कि शेर एक कलाम है अगर उसका मज़मून अच्छा और मुफ़ीद है तो शेर अच्छा है और मज़मून बुरा या गुनाह का है तो शेर बुरा है।

(फहूल-बारी)

तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि मदीना मुनव्वरा के दस बड़े फ़ुक़हा (कुरआन व हदीस के आलिम और इस्लामी मसाईल के माहिर उलेमा) जो अपने इल्म व फ़ज़ल में मशहूर हैं उनमें से उबैदुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर एक माहिर शायर थे और काज़ी जुबैर बिन बक्कार के अशआर एक मुस्तक़िल किताब में जमा थे। फिर अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा कि अबू अमर ने फ़रमाया है कि अच्छे मज़ामीन पर आधारित अशआर को इल्म व अक्ल वाले हज़रात में से कोई बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े-बड़े सहाबा जो दीन के पेशवा और रहनुमा हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसने खुद शेर न कहे हों या दूसरों के अशआर न पढ़े या सुने हों और पसन्द किया हो।

जिन रिवायतों में शेर-शायरी की बुराई बयान हुई है उनसे मक़सद यह है कि शेर में इतना व्यस्त और मशगूल हो जाये कि अल्लाह के ज़िक्र, इबादत और कुरआन से ग़ाफ़िल हो जाये। इमाम बुख़ारी ने इसको एक मुस्तक़िल बाब (अध्याय) में बयान फ़रमाया है और उस बाब में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की यह रिवायत नक़ल की है:

لَا يَمْتَلِي جَوْفَ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا.

यानी कोई आ. गी पीप से अपना पेट भरे यह इससे बेहतर है कि अशआर से पेट भरे।

इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक इसके मायने यह हैं कि शेर जब ज़िक्रुल्लाह और कुरआन और इल्म की मस्तक़फ़ियत पर ग़ालिब आ जाये। और अगर शेर मग़लूब है तो फिर बुरा नहीं है। इसी तरह वो अशआर जो बुरे और बेहयाई के मज़ामीन या लोगों पर ताने व तशने या दूसरे खिलाफ़े शरीअत मज़ामीन पर मुश्तमिल हों वो सबके नज़दीक हराम व नाजायज़ हैं, और यह बात सिर्फ़ शेर के साथ मख़सूस नहीं जो नसर (गद्य) कलाम हो उसका भी यही हुक्म है। (कुर्तुबी)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नर अदी बिन नज़ला को उनके ओहदे से

आलय बरखास्त कर दिया कि वह बुरे और बेहयाई के अशरार कहते थे। हजरत उमर गीज़ रह. ने अमर बिन रबीअ और अबुल-अहवस को इसी जुर्म में देस-निकाला देने का हुक्म दिया। र बिन रबीअ ने तौबा कर ली वह कुबूल की गयी। (तफसीरे कुर्तुबी)

बुदा तआला व आखिरत से गुफिल कर देने वाला हर इल्म और फन बुरा है

इब्ने अबी जमरा ने फरमाया कि बहुत काफिया-बाज़ी (यानी मज़मून को ज़्यादा तकल्लुफ़ भरा बनाने) और हर ऐसा इल्म व फन जो दिलों को सख्त कर दे और खुदा तआला के जिक्र से बेतवज्जोही और गुफलत का सबब बने और एतिकादी बातों में शक व शुब्हात और रूहानी बीमारियाँ पैदा करे उसका भी वही हुक्म है जो बुरे और नापसन्दीदा अशरार का हुक्म है।

अक्सर पैरवी करने वालों की गुमराही मुक़तदा की गुमराही की निशानी होती है

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝

इस आयत में शायरों पर यह ऐब लगाया गया है कि उनकी पैरवी करने वाले गुमराह हैं। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि गुमराह तो हुए पैरवी करने वाले, उनके फेल का इल्जाम जिनकी पैरवी की गयी यानी शायरों पर कैसे आयद हुआ? वजह यह है कि उमूमन इत्तिबा करने वालों की गुमराही अलामत और निशानी होती है मतबूअ (जिसकी पैरवी की जाये) की गुमराही की, लेकिन सय्यिदी हजरत हकीमुल-उम्मत थानवी रह. ने फरमाया कि यह हुक्म उस वक़्त है जब ताबे (पैरवी करने वाले) की गुमराही में उस मतबूअ (जिसकी पैरवी की जा रही है) की पैरवी का दख़ल हो। मसलन मतबूअ को झूठ और ग़ीबत से बचने-बचाने का एहतिमाम नहीं है, उसकी मज्लिस में इस तरह की बातें होती हैं वह रोक-टोक नहीं करता, इससे ताबे (पैरोकार) को भी झूठ और ग़ीबत की आदत पड़ गयी तो यह ताबे का गुनाह खुद मतबूअ के गुनाह की निशानी करार दिया जायेगा, लेकिन अगर गुमराही मतबूअ की एक वजह (सबब और कारण) से और पैरवी किसी दूसरी वजह से हो तो यह ताबे की गुमराही मतबूअ की गुमराही की निशानी नहीं होगी। मसलन एक शख्स अकीदों व मसाईल में किसी आलिम की पैरवी करता है और उनमें कोई गुमराही नहीं, आमाल व अख़्लाक में उस आलिम की पैरवी नहीं करता उन्हीं में यह गुमराह है तो उसकी अमली और अख़्लाकी गुमराही उस आलिम की गुमराही पर दलील नहीं होगी। वल्लाहु सुब्बानहू व तआला आलम।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: शु-अरा की तफसीर 15 रबीउस्सानी सन् 1391 जुमेरात के दिन पूरी हुई। इसके बाद इन्शा-अल्लाह सूर: नम्ल की तफसीर आयेगी।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: शु-अरा की तफसीर मुकम्मल हुई।

सूर: नम्ल

सूर: नम्ल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 95 आयतें और 7 रुकूअ हैं।

سورة النمل مكية (95) آیاتها 95

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طَسَّ تَدَلَّكَ اَيْتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ هُدًى وَ بُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبِّئَا لَهُمْ اَعْمَالُهُمْ فَهُمْ
 يَعْمَهُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْاٰخِسْرُونَ ۝ وَاِنَّكَ لَتَلْقٰى الْقُرْآنَ
 مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ताँ-सीन् । तिल्-क आयातुल्-कुरआनि
 व किताबिम्-मुबीन (1) हुदव् व बुशरा
 लिल्-मुअ्मिनीन (2) अल्लज़ी-न
 युकीमूनस्सला-त व युअ्तूनज़्ज़का-त
 व हुम् बिल्-आख़िरति हुम् यूकिनून
 (3) इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिन्-न
 बिल्-आख़िरति ज़य्यन्ना लहुम्
 अज़्मालहुम् फ़हुम् यज़्महून (4)
 उलाइ-कल्लज़ी-न लहुम् सूउल्-अज़ाबि
 व हुम् फ़िल्-आख़िरति हुमुल्
 अख़्सरून (5) व इन्न-क
 लतु-लक्कल्-कुरआ-न मिल्लदुन्
 हकीमिन् अलीम । (6) ▲

ताँ-सीन। ये आयतें हैं कुरआन और खुली
 किताब की। (1) हिदायत और खुशख़बरी
 ईमान वालों के वास्ते। (2) जो कायम
 रखते हैं नमाज़ को और देते हैं ज़कात
 और उनको आख़िरत पर यकीन है। (3)
 जो लोग नहीं मानते आख़िरत को अच्छे
 दिखलाये हमने उनकी नज़रों में उनके काम
 सो वे बहके फिरते हैं। (4) वही हैं जिनके
 वास्ते बुरी तरह का अज़ाब है और
 आख़िरत में वही हैं ख़राब। (5) और
 तुझको तो कुरआन पहुँचता है एक हिक्मत
 वाले ख़बरदार के पास से। (6) ▲

खुलासा-ए-तफ़सीर

तौ-सीन (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (आयतें जो आप पर नाज़िल की जाती हैं) आयतें हैं कुरआन की, और एक स्पष्ट किताब की (यानी इसमें दो सिफ़तें हैं- कुरआन होना और वाज़ेह किताब होना)। ये (आयतें) ईमान वालों के लिये हिदायत (का ज़रिया) और (उस हिदायत पर नेक बदले की) खुशख़बरी सुनाने वाली हैं। (मुसलमान) ऐसे हैं कि (अमलन भी हिदायत पर चलते हैं चुनाँचे) नमाज़ की पाबन्दी करते हैं (जो कि बदनी इबादतों में सबसे बड़ी है) और ज़कात देते हैं (जो कि माली इबादतों में सबसे बड़ी है) और (अक़ीदे के लिहाज़ से भी हिदायत याफ़ता हैं, चुनाँचे) वे आख़िरत पर पूरा यक़ीन रखते हैं। (यह तो ईमान वालों की सिफ़त है और) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके (बुरे) आमाल उनकी नज़र में पसन्दीदा कर रखे हैं। सो वे (अपनी इस दोहरी जहालत में हक़ से दूर) भटकते-फिरते हैं। (चुनाँचे न उनके अक़ीदे दुरुस्त हैं न आमाल इसलिये वे कुरआन को भी नहीं मानते, तो जैसे कुरआन ईमान वालों को खुशख़बरी सुनाता था इनकार करने वालों को सज़ा की धमकी भी सुनाता है कि) ये वे लोग हैं जिनके लिये (दुनिया में मरने के वक़्त भी) सख़्त अज़ाब (होने वाला) है, और वे लोग आख़िरत में (भी) सख़्त घाटे में हैं (कि कभी निजात न होगी) और (चाहे ये कुरआन के इनकारी न मानें मगर) आपको यक़ीनन एक बड़ी हिक्मत वाले, इल्म वाले की जानिब से कुरआन हकीम दिया जा रहा है (इसलिये आप उनके इनकार से ग़मगीन न हों)।

मआरिफ़ व मसाईल

زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ

यानी जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके बुरे आमाल उनकी नज़रों में अच्छे बना दिये हैं, इसलिये वे उन्हीं को बेहतर समझकर गुमराही में मुब्तला रहते हैं। और कुछ मुफ़स्सरीन ने इस आयत की यह तफ़सीर की है कि उनके आमाल से मुराद नेक आमाल हैं और मतलब यह है कि हमने तो नेक आमाल को संवार करके उनके सामने रख दिया था मगर उन ज़ालिमों ने उनकी तरफ़ तवज्जोह न की बल्कि कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला रहे, इसलिये गुमराही में भटकने लगे। लेकिन पहली तफ़सीर ज़्यादा स्पष्ट है, अब्बल तो इसलिये कि सजाने और अच्छा करने के अलफ़ाज़ उमूमन बुरे आमाल के लिये इस्तेमाल हुए हैं जैसे:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. زَيْنَ لِلدِّينِ كُفْرًا وَالحَيَوَةُ الدُّنْيَا. زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ..... الخ

और अच्छे आमाल के लिये इस लफ़ज़ का इस्तेमाल बहुत कम है जैसे:

حُبُّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَةٌ فِي قُلُوبِكُمْ..... الآية

दूसरे आयत में अअमालुहुम (उनके आमाल) का लफ़ज़ भी इस पर दलालत कर रहा है कि मुराद बुरे आमाल हैं न कि अच्छे आमाल।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبِيرٍ أَوْ بَشِيرٍ
 بِشَهَابٍ فَمِيسَ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
 وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا
 تُهْتَزُّ كَانَتْهَا جَانٌّ وَوَيْ مُدْبِرًا وَلَمَّ يَعْقِبُ ۝ يُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسَلُونَ ۝ إِلَّا
 مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجْ
 بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝ فَلَمَّا
 جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا
 وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

इज् का-ल मूसा लिअस्लिही इन्नी
 आनस्तु नारन्, स-आतीकुम् मिन्हा
 बि-छा-बरिन् औ आतीकुम्
 बिशिहाबिन् क-बसिल् लअल्लकुम्
 तस्तलून (7) फ-लम्मा जा-अहा
 नूदि-य अम्बूरि-क मन् फिन्नारि व
 मन् हौलहा, व सुब्हानल्लाहि रब्बिल्-
 आलमीन (8) या मूसा इन्नहू
 अनल्लाहुल्-अज़ीज़ुल्-हकीम (9) व
 अल्कि असा-क, फ-लम्मा र-आहा
 तस्तज़्जु क-अन्नहा जान्नुव्-वल्ला
 मुद्बिरंव्-व लम् युअक्किब्, या मूसा
 ला तख्रफ्, इन्नी ला यख्राफु
 ल-दय्यल्-मुर्सलून (10) इल्ला मन्
 ज-ल-म सुम्-म बदद-ल हुसुनम्

जब कहा मूसा ने अपने घर वालों को
 मैंने देखी है एक आग, अब लाता हूँ
 तुम्हारे पास वहाँ से कुछ खबर या लाता
 हूँ अंगारा सुलगाकर शायद तुम सेंको। (7)
 फिर जब पहुँचा उसके पास आवाज़ हुई
 कि बरकत है उस पर जो कोई कि आग
 में है और जो उसके आस-पास है, और
 पाक है ज़ात अल्लाह की जो रब है सारे
 जहान का। (8) ऐ मूसा! वह मैं अल्लाह
 हूँ ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (9) और डाल
 दे लाठी अपनी फिर जब देखा उसको
 फनफनाते जैसे साँप की सटक, लौटा पीठ
 फेरकर और मुड़कर न देखा। ऐ मूसा मत
 डर मैं जो हूँ मेरे पास नहीं डरते रसूल
 (10) मगर जिसने ज़्यादती की फिर बदले

अ-द सूइन् फ-इन्नी गुफूरु-रहीम
 11) व अदखित् य-द-क फी जैबि-क
 ख्रज् बैजा-अ मिन् गैरि सूइन्, फी
 तिरिअ आयातिन् इला फिरऔ-न व
 कौमिही, इन्हुम् कानू कौमन्
 फासिकीन (12) फ-लम्मा जाअहुम्
 आयातुना मुब्सि-रतन् कालू हाजा
 सिह्रुम्-मुबीन (13) व ज-हदू बिहा
 वस्तै-कनत्हा अन्फुसुहुम् जुल्पं-व
 अतुव्वन्, फन्जुर कै-फ का-न
 आकि-बतुल्-मुफिसदीन (14) ❀

में नेकी की बुराई के बाद तो
 वाला मेहरबान हूँ। (11) और डाल व हाथ
 अपना अपने गिरेबान में कि निकले सफेद
 होकर, न किसी बुराई से ये दोनों मिलकर
 नौ निशानियाँ लेकर जा फिरऔन और
 उसकी कौम की तरफ, बेशक वे नाफरमान
 लोग थे। (12) फिर जब पहुँचीं उनके पास
 हमारी निशानियाँ समझाने को, बोले यह
 जादू है खुला। (13) और उनका इनकार
 किया और उनका यकीन कर चुके थे
 अपने जी में बेइन्साफी और गुरुर से, सो
 देख ले कैसा हुआ अन्जाम खराबी करने
 वालों का। (14) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

(उस वक्त का किस्सा याद कीजिये) जबकि (मद्यन से आते हुए तूर पहाड़ के करीब रात को
 सर्दी के वक्त पहुँचे और मिस्र की राह भी भूल गये थे तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने घर वालों
 से कहा कि मैंने (तूर की तरफ) आग देखी है, मैं अभी (जाकर) वहाँ से (या तो रास्ते की) कोई खबर
 लाता हूँ या तुम्हारे पास (वहाँ से) आग का शोला किसी लकड़ी वगैरह में लगा हुआ लाता हूँ ताकि
 तुम सेंक लो। सो जब उस (आग) के पास पहुँचे तो उनको (अल्लाह की जानिब से) आवाज़ दी गई
 कि जो इस आग के अन्दर हैं (यानी फ़रिश्ते) उन पर भी बरकत हो और जो इस (आग) के पास है
 (यानी मूसा अलैहिस्सलाम) उस पर भी (बरकत हो। यह दुआ बतौर सलाम के है जैसे मुलाक़ाती
 आपस में सलाम करते हैं। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम जानते न थे कि यह नूर अल्लाह के अनवार में
 से है इसलिये खुद सलाम नहीं कर सके तो अल्लाह की जानिब उनको मानूस करने के लिये सलाम
 इरशाद हुआ, और फ़रिश्तों को मिला लेना शायद इसलिये हो कि जिस तरह फ़रिश्तों को सलाम हक़
 तआला की खास निकटता की पहचान होती है यह सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम को खास निकटता
 की खुशख़बरी हो गया) और (इस बात के बतलाने के लिये कि यह नूर जो आग की शकल में है खुद
 हक़ तआला की जात नहीं, इरशाद फ़रमाया कि) अल्लाह रब्बुल-अलमीन (रंग, दिशाओं, मात्रा और
 हद-बन्दी वगैरह से) पाक है। (और इस नूर में ये चीज़ें पाई जाती हैं, पस यह नूर अल्लाह की जात
 नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम अगर इस मसले से ख़ाली ज़ेहन हों तो इसकी तालीम है, और अगर
 अक्ली दलीलों और सही फ़ितरत की बिना पर उनको पहले से मालूम हो तो मज़ीद समझाना है।

इसके बाद इरशाद हुआ कि) ऐ मूसा! बात यह है कि मैं (जो बिना किसी कैफियत के कलाम कर रहा हूँ) अल्लाह हूँ, ज़बरदस्त, हिक्मत वाला।

और (ऐ मूसा!) तुम अपनी लाठी (ज़मीन पर) डाल दो, (चुनाँचे उन्होंने डाल दी तो वह अज़्दहा बनकर लहराने लगा) सो जब उन्होंने उसको इस तरह हरकत करते देखा जैसे साँप हो तो पीठ फेरकर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। (इरशाद हुआ कि) ऐ मूसा! डरो नहीं, (क्योंकि हमने तुमको पैग़म्बरी दी है) हमारे हुज़ूर में (यानी नुबुव्वत का सम्मान दिये जाने के वक़्त) पैग़म्बर (ऐसी चीज़ों से जो कि खुद उसकी पैग़म्बरी की दलील यानी मोजिज़े हों) नहीं डरा करते (यानी तुमको भी डरना न चाहिए)। हाँ! मगर जिससे कोई क्रसूर (ग़लती व ख़ता) हो जाये (और वह उस ख़ता व चूक को याद करके डरे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके बारे में भी यह कायदा है कि अगर क्रसूर हो जाये और) फिर बुराई (हो जाने) के बाद उसकी जगह नेक काम कर ले (यानी तौबा कर ले) तो (उसको भी माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं) मग़फ़िरत वाला, रहमत वाला हूँ (यह इसलिये फ़रमा दिया कि लाठी के मोजिज़े से मुत्मईन हो जाने के बाद कभी अपना क़िस्ती को क़त्ल करने का किस्सा याद करके परेशान हों इसलिये उससे भी मुत्मईन फ़रमा दिया ताकि बबराहट जाती रहे)।

और (ऐ मूसा इस लाठी वाले मोजिज़े के अज़लावा एक मोजिज़ा और भी अज़ला होता है, वह यह कि) तुम अपना हाथ अपने गिरेबान के अन्दर ले जाओ (और फिर निकालो तो) वह बिना किसी ऐब (यानी बिना किसी कोढ़ वगैरह की बीमारी) के (निहायत) रोशन होकर निकलेगा, (और ये दोनों मोजिज़े उन) नौ मोजिज़ों में (से हैं जिनके साथ तुम को) फिरऔन और उसकी क़ौम की तरफ़ (भेजा जाता है, क्योंकि) वे बड़े हृद से निकल जाने वाले लोग हैं। गर्ज़ कि उन लोगों के पास जब हमारे (दिए हुए) मोजिज़े पहुँचे (जो) बिल्कुल स्पष्ट थे (यानी दावत देने के शुरू के वक़्त दो मोजिज़े दिखलाये गये फिर वक़्त वक़्त पर बाकी दिखलाये जाते रहे) तो वे लोग (उन सब को देखकर भी) बोले- यह खुला जादू है। और (ग़ज़ब तो यह था कि जुल्म) और तकब्बुर की राह से उन (मोजिज़ों) के (बिल्कुल) इनकारी हो गये, हालाँकि (अन्दर से) उनके दिलों ने उनका यकीन कर लिया था, सो देखिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन फ़साद फैलाने वालों का (दुनिया में गुर्क हुए और आख़िरत में जलने की सज़ा पाई)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، سَأَتِيكُم مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

इनसान का अपनी ज़रूरतों के लिये तबई संसाधनों को

इख़्तियार करना तक्क़ुल के ख़िलाफ़ नहीं

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस जगह दो ज़रूरतें पेश आईं- एक रास्ता पूछना जो आप भूल गये थे, दूसरे आग से गर्मी हासिल करना कि सर्दों की रात थी, इसके लिये आपने तूर पहाड़ की तरफ़

जाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही इस मकसद में कामयाबी पर यकीन और दावा करने के बजाय ऐसे अलफ़ाज़ इख़्तियार फ़रमाये जिसमें अपनी बन्दगी और हक़ तआला से उम्मीद जाहिर होती है। मालूम हुआ कि ज़रूरतों के हासिल करने के लिये जिद्दोज़हद तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसे) के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन भरोसा अपनी कोशिश के बजाय अल्लाह पर होना चाहिये और आग़ आपको दिखलाये जाने में भी शायद यही हिक्मत हो कि उससे आपके दोनों मकसद पूरे हो सकते थे, रास्ते का मिल जाना और आग़ से गर्मी हासिल करना। (रूहुल-मआनी में यही तफ़सीर की गयी है)

इस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने "उम्कुसू" (तुम ठहरो) और "तस्तलून" (तुम सेंको) जमा (बहुवचन) के कलिमे बोले हालाँकि आपके साथ सिर्फ़ आपकी बीवी यानी हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की बेटी थीं, उनके लिये बहुवचन का लफ़ज़ इस्तेमाल फ़रमाना उनके सम्मान के तौर पर हुआ जैसे इज़्ज़तदार व सम्मानित लोगों में किसी एक फ़र्द से भी ख़िताब होता है तो जमा का लफ़ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी अपनी पाक बीवियों के लिये बहुवचन के लफ़ज़ इस्तेमाल फ़रमाना हदीस की रियायतों में बयान हुआ है।

विशेष रूप से बीवी का ज़िक्र आम मज्लिसों में न करना

बल्कि इशारे से काम लेना बेहतर है

ऊपर बयान हुई आयत में 'का-ल मूसा लि-अहलिही' फ़रमाया गया है। लफ़ज़ अहल आम है जिसमें बीवी और घर के दूसरे अफ़राद भी शामिल होते हैं। इस मक़ाम में अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तन्हा बीवी मोहतरमा ही थीं, कोई दूसरा न था, मगर ताबीर में यह आम लफ़ज़ इस्तेमाल करने से इस तरफ़ इशारा पाया गया कि मज्लिसों में अगर कोई शख्स अपनी बीवी का ज़िक्र करे तो आम लफ़ज़ों से करना बेहतर है जैसे हमारे उर्फ़ में कहा जाता है मेरे घर वालों ने यह कहा है।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَّحَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ

الغزير الحكيم ۝

हज़रत मूसा के आग देखने और आग के अन्दर से

एक आवाज़ सुनने की तहकीक़

कुरआने करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह वाक़िआ बहुत सी सूरतों में विभिन्न उनवानों के साथ आया है। सूर: नम्ल की मज़कूरा आयतों में इस सिलसिले के दो जुमले गौर करने के काविल हैं। अब्वल 'बूरि-क मन् फिन्नारि' (बरकत है उस पर जो कोई कि आग में है) दूसरा 'इन्नहू अनल्लाहुल्-अज़ीज़ुल्-हकीम' (वह मैं अल्लाह हूँ ज़बरदस्त हिक्मतों वाला) और सूर: ताँ-हा में जिसकी तफ़सीर पहले गुज़र चुकी है इस वाक़िए से मुताल्लिक ये अलफ़ाज़ आये हैं:

إِذْ أَنْارًا..... نُودِيَ بِمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاسْلُخْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي.

इन आयतों में भी दो जुमले ख़ास तौर से गौर करने के काबिल हैं 'इन्नी अ-न रब्बु-क' (बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ) और 'इन्ननी अनल्लाहु.....' (बेशक मैं अल्लाह हूँ.....)। और सूर: क़सस में इस वाकिए के ये अलफ़ाज़ हैं:

نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

इन तीनों मौक़ों में बात का अन्दाज़ अगरचे अलग-अलग है मगर मज़मून तक़रीबन एक ही है वह यह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस रात में कई वजह से आग की ज़रूरत थी, हक़ तअ़ाला ने उनको तूर पहाड़ के एक दरख़्त पर आग दिखलाई। उस आग या दरख़्त से यह आवाज़ सुनी गई:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

यह हो सकता है कि यह आवाज़ बार-बार हुई हो, कभी एक लफ़ज़ से कभी दूसरे लफ़ज़ से। और आवाज़ सुनने की जो कैफ़ियत तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने और रूहुल-मअ़ानी में अल्लामा आलूसी रह. ने नक़ल की है वह यह है कि यह आवाज़ इस तरह सुनी कि हर तरफ़ से बराबर तौर पर आ रही थी, जिसकी कोई दिशा मुतैयन नहीं हो सकती थी। और सुनना भी एक अजीब अन्दाज़ से हुआ कि सिर्फ़ कान नहीं बल्कि हाथ-पाँव वगैरह तमाम बदनी हिस्से उसको सुन रहे थे जो एक मोज़िजे की हैसियत रखती है।

यह एक ग़ैबी आवाज़ थी जो बिना कैफ़ियत व दिशा के सुनी जा रही थी लेकिन इसके निकलने की जगह वह आग या दरख़्त था जिससे आग की शक़्त उनको दिखाई गई। ऐसे ही मौक़े आम तौर पर लोगों के लिये मुग़ालते और बुत-परस्ती का सबब बन जाते हैं इसलिये हर उनवान में तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने) के मज़मून की तरफ़ हिदायत और तंबीह साथ-साथ की गई है। जिस आयत की बहस चल रही है इसमें लफ़ज़ सुब्हानल्लाहि इसी तंबीह के लिये बढ़ाया गया। सूर: ताँ-हा में 'ला इला-ह इल्ला अ-न' और सूर: क़सस में 'अ-न रब्बुल-अलमीन' इसी मज़मून की ताकीद के लिये लाया गया है।

इस तफ़सील का हासिल यह है कि यह आग की शक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिये दिखलाई गई थी कि वह उस वक़्त आग और रोशनी के ज़रूरतमन्द थे वरना इस कलामे रब्बानी और ज़ाते रब्बानी का आग से या तूर के पेड़ से कोई ताल्लुक़ न था। आग अल्लाह तअ़ाला की अम मख़्लूक़ात की तरह एक मख़्लूक़ थी इसी लिये ज़ेरे बहस आयतों में जो यह इरशाद है:

أَنَّ مَبْرُوكًا مِّنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا.

यानी मुबारक है वह जो आग के अन्दर है और वह जो उसके आस-पास है। इसकी तफ़सीर में तफ़सीर के इमामों के मुख़लिफ़ अक़वाल हैं जिनकी तफ़सील तफ़सीर रूहुल-मअ़ानी में है। एक कौल हज़रत इब्ने अब्बास, मुजाहिद और इक्रिमा से मन्कूल है कि 'मन् फ़िन्नारि' से मुराद हज़रत मूसा

अलैहिस्सलाम हों क्योंकि आग कोई वास्तविक आग तो थी नहीं जिस मुबारक मकाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गये थे वह दूर से पूरा आग मालूम होता था इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के अन्दर हुए और 'मन् हौलहा' से मुराद फ़रिश्ते हैं जो आस-पास वहाँ मौजूद थे। और कुछ हज़रात ने इसके विपरीत यह फ़रमाया कि "मन् फ़िन्नारि" से फ़रिश्ते और "मन् हौलहा" से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। तफ़्सीर बयानुल-कुरआन का जो खुलासा-ए-तफ़्सीर ऊपर लिखा गया है उसमें इसी को इख़्तियार किया गया है। उपरोक्त आयतों का सही मफ़हूम (मतलब) समझने के लिये इतना ही काफी है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बसरी की एक रिवायत और उसकी तहकीक

यहाँ इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदूया वगैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हसन बसरी रह. और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से "मन् फ़िन्नारि" की तफ़्सीर में यह रिवायत भी नक़ल की है कि "मन् फ़िन्नारि" से खुद हक़ तआला की पाक ज़ात मुराद है। यह तो ज़ाहिर है कि आग एक मख़्लूक है और किसी मख़्लूक में ख़ालिक का घुस जाना नहीं हो सकता। इसलिये इस रिवायत का यह मतलब तो हो नहीं सकता कि अल्लाह की पाक ज़ात ने आग के अन्दर दाख़िला फ़रमाया था जैसा कि बहुत से बुत-परस्त मुश्रिक लोग बुतों के वजूद में खुदा तआला की पाक ज़ात के दाख़िल हो जाने के कायल हैं और यह तौहीद के क़तई ख़िलाफ़ है बल्कि मुराद ज़हूर है जैसा कि आईने में हर चीज़ को देखा जाता है, वह आईने में दाख़िल नहीं होती, उससे अलग और ख़ारिज होती है। और यह भी ज़ाहिर है कि यह ज़हूर जिसको तजल्ली भी कहा जाता है खुद हक़ सुब्हानहू व तआला की ज़ात की तजल्ली नहीं थी वरना अगर ज़ाते हक़ तआला को मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया होता तो बाद में उनके इस सवाल की कोई वजह नहीं रहती. 'रब्बि अरिनी अन्जुर इलै-क' (यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझे अपनी पाक ज़ात दिखा कि मैं देख सकूँ)। और इसके जवाब में हक़ तआला की तरफ़ से 'लन् तरानी' (तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते) का इरशाद भी फिर कोई मायने न रखता। इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल में हक़ तआला जल्ल शानुहू का ज़हूर मुराद है, यानी तजल्ली जो आग की सूरत में हुई यह जिस तरह उसके अन्दर दाख़िल होना नहीं था इसी तरह ज़ात की तजल्ली भी नहीं थी, बल्कि 'लन् तरानी' से यह साबित होता है कि दुनिया के इस आलम में ज़ाती तजल्ली को कोई शख्स देख नहीं सकता। फिर इस ज़हूर व तजल्ली का क्या मतलब होगा? इसका जवाब यह है कि यह तजल्ली मिसाली थी जो हज़रात सूफ़िया-ए-किराम में परिचित है। उसकी हकीकत का समझना तो इनसान के लिये मुश्किल है, ज़रूरत के मुताबिक़ समझ से करीब करने के लिये अहक़र ने अपनी किताब 'अहक़ामुल-कुरआन' जो अरबी भाषा में है, सूः क़सस में इसकी कुछ तफ़्सील लिखी है। उलेमा हज़रात उसमें देख सकते हैं, अ़वाम की ज़रूरत की चीज़ नहीं।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا ۖ بَعْدَ سُوءٍ ۖ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

इससे पहली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी वाले मोजिजे का जिक्र है जिसमें यह भी बयान हुआ है कि लाठी जब साँप बन गयी तो मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी उससे डरकर भागने लगे। आगे भी मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे मोजिजे चगकते हाथ का बयान है, बीच में न डरने वालों में कुछ लोगों को अलग करने का जिक्र किस लिये किया गया और अलग करने का यह मजमून पीछे के मजमून से अलग है या उससे संबन्धित इसमें हज़राते मुफ़स्सरीन के अक़वाल अलग-अलग हैं, कुछ हज़रात ने इसको पिछले मजमून से अलग करार दिया है तो आयत का मजमून यह होगा कि पहली आयत में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर ख़ौफ़ न होने का जिक्र था, मजमून की मुनासबत से उन लोगों का भी जिक्र कर दिया जिन पर ख़ौफ़ तारी होना चाहिये, यानी वे लोग जिनसे कोई ख़ता और ग़लती हुई फिर तौबा करके नेक अमल इख़्तियार कर लिये ऐसे हज़रात की अगरचे अल्लाह तआला ख़ता माफ़ कर देते हैं मगर माफी के बाद भी गुनाह के कुछ आसार बाकी रहने का शुब्हा व गुमान है उससे वे हज़रात हमेशा डरे रहते हैं। और अगर बीच में बयान किये गये इस मजमून को पीछे के मजमून से जुड़ा हुआ करार दें तो आयत के मायने ये होंगे कि अल्लाह के रसूल इस नहीं करते सिवाय उनके जिनसे कोई ख़ता यानी छोटा गुनाह हो गया, फिर उससे भी तौबा कर ली हो तो उस तौबा से वह छोटा गुनाह माफ़ हो जाता है, और ज़्यादा सही यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से जो चूक हुई है वे दर हकीकत गुनाह ही न थे न छोटे न बड़े, हाँ गुनाह की शकल थी और वास्तव में वो इज्तिहादी (वैचारिक) ख़तायेँ हुई हैं। इस मजमून में इशारा इस तरफ़ पाया गया कि हज़रात मूसा अलैहिस्सलाम से जो एक तबई चूक और ख़ता किस्ती शख़्स के क़त्ल की हो गई वह अगरचे अल्लाह तआला ने माफ़ कर दी मगर उसका यह असर अब भी रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ख़ौफ़ तारी हो गया, अगर यह चूक और ख़ता न होती तो यह वक्ती ख़ौफ़ भी न होता। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ ۖ لَا يَخِطُبَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَنَبَسَمَ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

व ल-क़द् आतैना दावू-द व सुलैमान

और हमने दिया दाऊद और सुलैमान को

अिल्मन् व कालत्-हम्दु लिल्लाहिल्लजी
 फज़्ज-लना अला कसीरिम्-मिन्
 अिबादिहिल्-मुअ्मिनीन। (15) व
 वरि-स सुलैमानु दावू-द व का-ल या
 अय्युहन्नासु अुल्लिम्ना मन्तिकत्तैरि
 व ऊतीना मिन् कुल्लि शैइन्, इन्-न
 हाजा ल-हुवल् फज़्जुल्-मुबीन (16)
 व हुशि-र लिसुलैमा-न जुनूदुहू
 मिनल्-जिन्नि वल्-इन्सि वत्तैरि फहुम्
 यू-जअून (17) हत्ता इजा अतौ अला
 वादिन्नमित्त कालत् नम्लतुंय-या
 अय्युहन्-नम्लुदखुलू मसाकि-नकुम्
 ला यस्तिमन्नकुम् सुलैमानु व जुनूदुहू
 व हुम् ला यशअुरून (18) फ-तबस्स-म
 जाहिकम्-मिन् कौलिहा व का-ल
 रब्बि औज़िअ्नी अन् अशकु-र
 निअ्-म-तकल्लती अन्अ्-म-त
 अलय्-य व अला वालिदय्-य व अन्
 अअ्-म-ल सालिहन् तरजाहु व
 अदखिल्ली बि-रस्मति-क फी
 अिबादिकस्-सालिहीन (19)

एक इल्म और बोले शुक्र अल्लाह का
 जिसने हमको बुजुर्गी दी अपने बहुत से
 ईमान वाले बन्दों पर। (15) और कायम-
 मकाम हुआ सुलैमान दाऊद का और
 बोला ऐ लोगो! हमको सिखाई है बोली
 उड़ते जानवरों की और दिया हमको हर
 चीज़ में से, बेशक यही है खुली फज़ीलत।
 (16) और जमा किये गये सुलैमान के
 पास उसके लश्कर जिन्न और इनसान
 उड़ते जानवर, फिर उनकी जमाअतें बनाई
 जातीं (17) यहाँ तक कि जब पहुँचे
 चींटियों के मैदान पर कहा एक चींटी ने
 ऐ चींटियो! घुस जाओ अपने घरों में न
 पीस डाले तुमको सुलैमान और उसकी
 फौजें और उनको खबर भी न हो। (18)
 फिर मुस्कुराकर हंस पड़ा उसकी बात से
 और बोला ऐ मेरे रब! मेरी किस्मत में दे
 कि शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने
 किया मुझ पर और मेरे माँ-बाप पर, और
 यह कि करूँ नेक काम जो तू पसन्द करे
 और मिला ले मुझको अपनी रहमत से
 अपने नेक बन्दों में। (19)

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने दाऊद (अलैहिस्सलाम) और सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को (शरीअत और बादशाहत चलाने का) इल्म अता फरमाया, और उन दोनों ने (शुक्र अदा करने के लिये) कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिये लायक हैं, जिसने हमको अपने बहुत-से ईमान वाले बन्दों पर फज़ीलत दी। और

दाऊद (अल्लैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन) के कायम-मक़ाम "जानशीन" सुलैमान (अल्लैहिस्सलाम) हुए (यानी उनको सल्तनत वगैरह मिली) और उन्होंने (शुक्र ज़ाहिर करने के लिये) कहा कि ऐ लोगो! हमको परिन्दों की बोली (समझने) की तालीम दी गई है (जो दूसरे बादशाहों को हासिल नहीं), और हमको (हुकूमत के सामान के मुताल्लिक) हर किस्म की (ज़रूरी) चीज़ें दी गई हैं (जैसे फ़ौज, लश्कर, माल और जंगी सामान वगैरह), वाकई यह (अल्लाह तआला का) खुला हुआ फज़ल है। और सुलैमान (अल्लैहिस्सलाम के पास सल्तनत का सामान भी अजीब व ग़रीब था, चुनाँचे उन) के लिये (जो) उनका लश्कर जमा किया गया (था उनमें) जिन्न भी (थे) और इनसान भी और परिन्दे भी, (जो किसी बादशाह के ताबे नहीं होते) और (फिर थे भी इस अधिकता से कि) उनको (चलने के वक़्त) रोका जा (या कर) ता था (ताकि अलग और जुदा न हो जायें, पीछे वाले भी पहुँच जायें, यह बात आम तौर पर जब होती है जबकि तायदाद बहुत अधिक होती है, क्योंकि थोड़े मजमे में तो अगला आदमी खुद ही ऐसे वक़्त रुक जाता है और बड़े मजमे में अगलों को पिछलों की ख़बर भी नहीं होती, इसलिए इसका इन्तिज़ाम करना पड़ता है)।

(एक बार अपने लाव-लश्कर के साथ तशरीफ़ लिये जाते थे) यहाँ तक कि जब चींटियों के एक मैदान में आये तो एक चींटी ने (दूसरी चींटियों से) कहा कि ऐ चींटियो! अपने-अपने सुराखों में जा घुसो, कहीं तुमको सुलैमान और उनका लश्कर बेख़बरी में न कुचल डालें। सो सुलैमान (अल्लैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और) उसकी बात से (आश्चर्य में होकर कि इस छोटे वजूद पर यह होशियारी और एहतियात) मुस्कराते हुए हंस पड़े और (यह देखकर कि मैं उसकी बोली समझ गया जो कि मोजिज़ा होने की वजह से एक बड़ी नेमत है अन्य नेमतें भी याद आ गई और) कहने लगे कि ऐ मेरे रब! मुझको इस पर हमेशगी दीजिये कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र किया करूँ जो आपने मुझको और मेरे माँ-बाप को अता फ़रमाई हैं (यानी ईमान और इल्म सब को और नुबुव्वत खुद को और अपने वालिद दाऊद अल्लैहिस्सलाम को) और (इस पर भी हमेशगी दीजिए कि) मैं नेक काम किया करूँ जिससे आप खुश हों (यानी अमल मक़बूल हो, क्योंकि अगर हकीकत में अमल नेक हो और आदाब व शर्तों की कमी की वजह से मक़बूल न हो वह मक़सूद नहीं है) और मुझको अपनी (खास) रहमत से अपने (आला दर्जे के) नेक बन्दों (यानी नबियों) में दाख़िल रखिये (यानी अपनी निकटता को दूरी में तब्दील न कीजिये)।

मआरिफ़ व मसाइल

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

ज़ाहिर है कि इससे मुराद नबियों के उलूम हैं जो नुबुव्वत व रिसालत से संबन्धित होते हैं। इसके आम होने में दूसरे उलूम व फ़ुनून भी शामिल हों तो ख़िलाफ़ और दूर की बात नहीं, जैसे हज़रत दाऊद अल्लैहिस्सलाम को ज़िरह (लोहे का जंगी लिबास) बनाने की कारीगरी सिखा दी गई थी। हज़रत दाऊद व सुलैमान अल्लैहिस्सलाम अम्बिया की जमाअत में एक खास मक़ाम व विशेषता यह रखते हैं कि इनको नुबुव्वत व रिसालत के साथ सल्तनत भी दी गई थी, और सल्तनत भी ऐसी बेनज़ीर कि

सिर्फ़ इनसानों पर नहीं बल्कि जिन्नात और जानवरों पर भी इनकी हुक्मरानी थी। इन सब अज़ीमुश्शान नेमतों से पहले हक़ तआला के इल्म की नेमत का ज़िक्र फ़रमाने से इस तरफ़ इशारा हो गया कि इल्म की नेमत दूसरी तमाम नेमतों से बड़ी और ऊँची है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

नबियों में माल की विरासत नहीं होती

رَوْرَثُ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

वरि-स से इल्मी विरासत और नुबुव्वत मुराद है, माल की विरासत नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ وَلَا نُورَثُ.

यानी अम्बिया न वारिस होते हैं और न मूरिस। हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में रिवायत है:

العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر.

यानी उलेमा अम्बिया के वारिस हैं, लेकिन अम्बिया में विरासत इल्म और नुबुव्वत की होती है माल की नहीं होती। हज़रत अबू अब्दुल्लाह (जाफ़रे सादिक) की रिवायत इस मसले को और ज़्यादा वाज़ेह कर देती है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। (रुहुल-मअानी) अक्ली तौर पर भी यहाँ माल की विरासत मुराद नहीं हो सकती, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक़्त आपकी औलाद में उन्नीस बेटों का ज़िक्र आता है, अगर माल की विरासत मुराद हो तो ये बेटे सब के सब वारिस ठहरेंगे, फिर विरासत में हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की विशेषता की कोई वजह बाकी नहीं रहती। इससे साबित हुआ कि विरासत वह मुराद है जिसमें भाई शरीक न थे बल्कि सिर्फ़ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम वारिस बने और वह सिर्फ़ इल्म और नुबुव्वत की विरासत ही हो सकती है। इसके साथ अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुल्क व सल्लनत भी हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को अता फ़रमा दिया और उसमें अतिरिक्त इज़ाफ़ा इसका कर दिया कि आपकी हुक्ूमत जिन्नात और जानवरों व पक्षियों तक आम कर दी। हवा को आपके लिये ताबे कर दिया। इन दलीलों के बाद तबरी की वह रिवायत ग़लत हो जायेगी जिसमें उन्होंने अहले बैत के कुछ उलेमा के हवाले से माल की विरासत मुराद ली है। (रुहुल-मअानी)

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश के बीच एक हज़ार सात सौ साल का फ़ासला है, और यहूदी लोग यह फ़ासला एक हज़ार चार सौ साल का बतलाते हैं। सुलैमान अलैहिस्सलाम की उम्र पचास साल से कुछ ऊपर हुई है। (कुर्तुबी)

अपने लिये बहुवचन का लफ़्ज़ बोलना जायज़ है बशर्तेकि तकब्बुर न हो

عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا..... الخ

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बावजूद खुद अकेले होने के अपने लिये जमा (बहुवचन) का

लाफ़्ज़ शाहाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, ताकि प्रजा पर रौब पड़े और प्रजा अल्लाह तआला के अहकाम और सुलैमान अलैहिस्सलाम के कानूनों पर अमल करने में सुस्ती न करे। इसी तरह सरदारों, हाकिमों और अफसरों को अपनी प्रजा व पब्लिक की मौजूदगी में अपने लिये जमा का कलिमा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं जबकि वह इन्तिज़ाम व व्यवस्था और नेमत के इज़हार की गर्ज से हो, तकबुर व घमण्ड के लिये न हो।

परिन्दों और चौपायों में भी अक़ल व शऊर है

इस वाकिए से साबित हुआ कि परिन्दे, चरिन्दे (मवेशी) और तमाम हैवानों में भी अक़ल व शऊर किसी दर्जे में मौजूद है। हाँ मगर उनकी अक़लें इस दर्जे की नहीं कि उनको शरीअत के अहकाम का मुक़ल्लफ़ (पावन्द) बनाया जाता, और इनसान और जिन्नात को अक़ल व शऊर का वह कागिल दर्जा अता हुआ है जिसकी बिना पर वे अल्लाह तआला के मुखातब हो सकें और उन पर अमल कर सकें। इमाम शाफ़िई रह. ने फ़रमाया कि कबूतर सब परिन्दों में ज़्यादा अक़लमन्द है। इब्ने अतीया ने फ़रमाया कि चींवटी बुद्धिमान और अक़लमन्द जानवर है, उसकी सुनने की कुव्वत बड़ी तेज़ है जो कोई दाना उसके कब्जे में आता है उसके दो टुकड़े कर देती है ताकि उगे नहीं और सर्दी के ज़माने के लिये अपनी गिज़ा का ज़खीरा (गण्डार) जमा करती है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

फ़ायदा: आयत में मन्तिक़त्तैरि यानी परिन्दों की बोली की विशेषता हुदहुद के वाकिए की वजह से है जो परिन्दा है वरना हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को परिन्दे, चरिन्दे और तमाम ज़मीनी कीड़े-गकोड़ों तक की बोलियाँ सिखाई गई थीं जैसा कि अगली आयत में चींवटी की बोली समझने का ज़िक्र मौजूद है। इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में इस जगह पर विभिन्न परिन्दों की बोलियाँ और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का उस पर यह फ़रमाना कि यह परिन्दा यह बात कह रहा है तफ़सील से नक़ल किया है और तकरीबन हर परिन्दे की बोली कोई नसीहत का जुमला (वाक्य) है।

وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

लाफ़्ज़ 'कुल' असल लुगत के एतिबार से उस प्रजाति के तमाम अफ़राद को शामिल होता है मगर बहुत सी बार बिल्कुल पूरी तरह आम होना मुराद नहीं होता, बल्कि किसी खास मक़सद की हद तक आम होना मुराद होता है, जैसे यहाँ मुराद उन चीजों का आम होना है जिनकी सल्तनत व हुकूमत में ज़रूरत होती है वरना ज़ाहिर है कि हवाई जहाज़, मोटर, रेल वगैरह उनके पास न थे। 'रब्बि औज़िअुनी' वज़अुनु से निकला है जिसके लाफ़्ज़ी मायने रोकने के हैं। मत्लब इस जगह यह है कि मुझे इतकी तौफ़ीक़ दीजिये कि मैं नेमत के शुक्र को हर वक़्त साथ रखूँ उससे किसी वक़्त जुदा न हूँ जिसका हासिल हमेशगी और पावन्दी है। इससे पहली आयत में "फ़हुम् यूज़ऊन" इसी मायने में आया है कि लश्कर को अधिकता की वजह से बिख़राव से बचाने के लिये रोक़ा जाता था।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

यहाँ रज़ा कुवूल करने के मायने में है। मत्लब यह है कि या अल्लाह! मुझे ऐसे नेक अमल की तौफ़ीक़ दीजिये जो आपके नज़दीक़ मक़बूल हो। तफ़सीर रुहुल-मआनी में इससे इस पर दलील पकड़ी

है कि नेक अमल के लिये मकबूल होना लाजिम नहीं है बल्कि कुबूल होना कुछ शर्तों पर मौकूफ होता है, और फरमाया कि नेक और मकबूल होने में न अक्ली तौर पर कोई अनिवार्यता है न शर्ई तौर पर। इसी लिये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है कि अपने नेक आमाल के मकबूल होने की भी दुआ करते थे जैसे हजरत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त दुआ फरमाई "रब्बना तकब्बल् मिन्ना"। इससे मालूम हुआ कि जो अमल नेक है सिर्फ उसको करके बेफिक्र होना नहीं चाहिये अल्लाह तआला से यह भी दुआ करे कि उसको कुबूल फरमाये।

नेक और मकबूल अमल होने के बावजूद जन्नत में दाखिल होना बगैर फज़ले खुदावन्दी के नहीं होगा

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

अमल के नेक और उसके कुबूल होने के बावजूद जन्नत में दाखिल होना खुदा तआला के फज़ल व करम ही से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने आमाल के भरोसे पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! आप भी? तो आपने फरमाया कि हाँ मैं भी, लेकिन मुझे मेरे खुदा की रहमत और फज़ल घेरे हुए है।

(तफसीर रुहुल-मआनी)

हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम भी इन कलिमात में जन्नत में दाखिल होने के लिये फज़ले रब्बी की दुआ फरमा रहे हैं यानी ऐ अल्लाह! मुझे वह फज़ल भी अता फरमा जिससे जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊँ।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ ۚ أَمْ كَانِ

مِنَ الْغَائِبِينَ ۝ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ فَكَذَّبَ غَيْرَ بَعِيدٍ
فَقَالَ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَّابِنَآ يَقِينٍ ۝ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ قَالَ سَنُنظُرُ
أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ إِذْ هَبَّ بِكِتٰبِي هٰذَا فَأَلَقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظَرَ مَا دَا
يَرْجِعُونَ ۝

व त-फक्क-दत्तै-र फका-ल मा लि-य

और खबर ली उड़ते जानवरों की तो कहा

ला अरल्-हुद्हु-द अम् का-न मिनल्-
 गाइबीन (२०) ल-उअज़िजबन्नहू
 अज़ाबन् शदीदन् औ ल-अज़बहन्नहू
 औ ल-यअति-यन्नी बिसुल्तानिम्-
 मुबीन (२१) फ़-म-क-स ग्रै-र
 बअीदिन् फ़का-ल अहतु बिमा लम्
 तुहित् बिही व जिअतु-क मिन्
 स-बइम् बि-न-बइय्-यकीन (२२)
 इन्नी वजत्तुम्-र-अतन् तम्लिकुहुम् व
 ऊतियत् मिन् कुल्लि शैइव्-व लहा
 अर्शुन् अज़ीम (२३) वजत्तुहा व
 कौमहा यस्जुदू-न लिशशमिस मिन्
 दूनिल्लाहि व जय्य-न लहुमुशशैतानु
 अज़्मालहुम् फ़-सद्हुम् अनिस्सबीलि
 फ़हुम् ला यस्तदून (२४) अल्ला
 यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखिरजुल्-
 खब्-अ फ़िस्समावाति वल्अर्जि व
 यअलमु मा तुख्फू-न व मा तुअलिनून
 (२५) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला
 हु-व रब्बुल्-अर्शिल्-अज़ीम (२६) ☉
 का-ल सनन्जुरु अ-सदक्-त अम्
 कुन्-त मिनल्-काज़िबीन (२७)
 इज़हब्-बिकिताबीं हाज़ा फ़-अल्किह
 इलैहिम् सुम्-म तवल-ल अन्हुम्
 फ़न्जुर माज़ा यर्जिअून । (२८)

क्या है जो मैं नहीं देखता हुद्हुद को या
 है वह गायब । (२०) उसको सज़ा दूँगा
 सख्त सज़ा या जिबह कर डालूँगा या लाये
 मेरे पास कोई स्पष्ट सनद । (२१) फिर
 बहुत देर न की कि आकर कहा मैं ले
 आया ख़ाबर एक चीज़ की कि तुझको
 उसकी ख़बर न थी, और आया हूँ तेरे
 पास सब से एक ख़बर लेकर तहकीकी ।
 (२२) मैंने पाया एक औरत को जो उन पर
 बादशाही करती है और उसको हर एक
 चीज़ मिली है, और उसका एक तख़्त है
 बड़ा । (२३) मैंने पाया कि वह और उसकी
 कौम सज्दा करते हैं सूरज को अल्लाह के
 सिवाय, और भले दिखला रखे हैं उनको
 शैतान ने उनके काम, फिर रोक दिया है
 उनको रास्ते से सो वे राह नहीं पाते ।
 (२४) क्यों न सज्दा करें अल्लाह को जो
 निकालता है छुपी हुई चीज़ आसमानों में
 और ज़मीन में और जानता है जो छुपाते
 हो और ज़ाहिर करते हो । (२५) अल्लाह
 है, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवा,
 परवर्दिगार तख़्त बड़े का । (२६) ☉
 सुलैमान ने कहा हम अब देखते हैं तूने
 सच कहा या तू झूठा है । (२७) ले जा
 मेरा यह ख़त और डाल दे उनकी तरफ़
 फिर उनके पास से हट आ फिर देख वे
 क्या जवाब देते हैं । (२८)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(और एक बार यह किस्सा हुआ कि) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने परिन्दों की हाज़िरी ली, तो (हुदहुद को न देखा) फ़रमाने लगे कि यह क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या कहीं ग़ायब हो गया है? (और जब मालूम हुआ कि वास्तव में ग़ायब है तो फ़रमाने लगे कि) मैं उसको (ग़ैर-हाज़िरी पर) सख्त सज़ा दूँगा, या उसको ज़िबह कर डालूँगा या वह कोई साफ़ हुज्जत (और ग़ैर-हाज़िरी का उज़्र) मेरे सामने पेश कर दे (तो ख़ैर छोड़ दूँगा)।

थोड़ी ही देर में वह आ गया और सुलैमान (अलैहिस्सलाम) से कहने लगा कि मैं ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जो आपको मालूम नहीं हुई। और (मुख्तसर बयान उसका यह है कि) मैं आपके पास कबीला सबा की एक तहकीकी ख़बर लाया हूँ (जिसका तफ़सीली बयान यह है कि) मैंने एक औरत को देखा कि वह उन लोगों पर बादशाही कर रही है, और उसको (बादशाही के लिये ज़रूरी चीज़ों में से) हर किस्म का सामान मयस्सर है, और उसके पास एक बड़ा (और कीमती) तख़्त है। (और मज़हबी हालत उनकी यह है कि) मैंने उस (औरत) को और उसकी कौम को देखा कि वे खुदा (की इबादत) को छोड़कर सूरज को सज्दा करते हैं, और शैतान ने उनके (उन कुफ़िया) आमाल को उनकी नज़र में पसन्दीदा कर रखा है (और उन बुरे आमाल को अच्छा करके दिखाने के सबब) उनको (हक़) रास्ते से रोक रखा है, इसलिये वे (हक़) रास्ते पर नहीं चलते कि उस खुदा को सज्दा नहीं करते जो (ऐसा कुदरत वाला है कि) आसमान और ज़मीन की छुपी चीज़ों को (जिनमें से बारिश और ज़मीन के पेड़-पौधे भी हैं) बाहर लाता है, और (ऐसा आलिम है कि) तुम लोग (यानी तमाम मख़्लूक) जो कुछ (दिल में) छुपाकर रखते हो और जो कुछ (ज़बान और जिस्म के अंगों से) ज़ाहिर करते हो वह सब को जानता है। (इसलिये) अल्लाह ही ऐसा है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वह अर्श अज़ीम का मालिक है।

सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने (यह सुनकर) फ़रमाया कि हम अभी देखते हैं कि तू सच कहता है या झूठों में से है। (अच्छा) मेरा यह ख़त लेजा और इसको उसके पास डाल देना, फिर (ज़रा वहाँ से) हट जाना, फिर देखना कि आपस में क्या सवाल व जवाब करते हैं (फिर तू यहाँ चले आना वे लोग जो कुछ कार्रवाई करेंगे उससे तेरा सच-झूठ मालूम हो जायेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ

तफ़क्कुद् के लफ़्ज़ी मायने किसी मजमे के मुताल्लिक़ हाज़िर व ग़ैर-हाज़िर की तफ़तीश करने के हैं। इसलिये इसका तर्जुमा ख़बरगीरी और निगहबानी से किया जाता है। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने इनसानों के अलावा जिन्नात और जानवरों व परिन्दों पर हुकूमत अता फ़रमाई थी, और जैसा कि हुक्मरानी का उसूल है कि प्रजा के हर तब्क़े की निगरानी और ख़बरगीरी हाकिम के फ़राइज़ में से है, उसके मुताबिक़ इस आयत में बयान फ़रमाया 'तफ़क्कुदतै-र' यानी सुलैमान

अलैहिस्सलाम ने अपनी रियाया (प्रजा व पब्लिक) के परिन्दों का मुआयना फरमाया और यह देखा कि उनमें कौन हाज़िर है कौन गैर-हाज़िर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भी आदतें शरीफ़ा यह थी कि सहाबा किराम के हालात से बा-ख़बर (अवगत) रहने का एहतिमाम फ़रमाते थे, जो शख्स गैर-हाज़िर होता अगर बीमार है तो उसकी बीमारी का हाल पूछने के लिये तशरीफ़ ले जाते थे, तीमारदारी करते और किसी तकलीफ़ में मुब्तला है तो उसके लिये उपाय फ़रमाते थे।

हाकिम को अपनी प्रजा की और बुजुर्गों को अपने शागिर्दों और मुरीदों की ख़बरगीरी ज़रूरी है

उक्त आयत से साबित हुआ कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम अपनी रियाया के हर तब्के पर नज़र रखते और उनके हालात से इतने बा-ख़बर रहते थे कि हुदहुद जो परिन्दों में छोटा और कमज़ोर भी है और उसकी संख्या भी दुनिया में दूसरे परिन्दों के मुकाबले में कम है, वह भी हज़रत सुलैमान की नज़र से ओझल नहीं हुआ, बल्कि ख़ास हुदहुद के मुताल्लिक जो सवाल आपने फ़रमाया उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वह परिन्दों की जमाअत में कम तादाद में और कमज़ोर है इसलिये अपनी प्रजा के कमज़ोरों पर नज़र रखने का ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया। सहाबा किराम में हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में नबियों की इस सुन्नत को पूरी तरह जारी किया। रातों को मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिरते थे कि सब लोगों के हालात से बा-ख़बर रहें, जिस शख्स को किसी मुसीबत व तकलीफ़ में गिरफ़्तार पाते उसकी इमदाद फ़रमाते थे, जिसके बहुत से वाकिआत उनके हालात में बयान हुए हैं। वह फ़रमाया करते थे कि “अगर फुरात दरिया के किनारे पर किसी भेड़िये ने किसी बकरी के बच्चे को फाड़ डाला तो उसका भी उमर से सवाल होगा।” (तफ़सीरे कुर्तुबी)

ये थे हुकूमत व सरदारी करने के वो उसूल जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को सिखाये और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उनको अमली तौर पर जारी करके दिखलाया, और जिसके नतीजे में पूरी मुस्लिम व गैर-मुस्लिम पब्लिक अमन व इत्मीनान के साथ ज़िन्दगी बसर करती थी, और उनके बाद ज़मीन व आसमान ने ऐसे अदल व इन्साफ़ और आम दुनिया के अमन व सुकून और इत्मीनान का यह मन्ज़र नहीं देखा।

مَا لِي لَا أَرَى الْهَيْدَةَ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝

सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मुझे क्या हो गया कि मैं हुदहुद को मजमे में नहीं देखता।

अपने नफ़्स का मुहासबा

यहाँ मौक़ा तो यह फ़रमाने का था कि हुदहुद को क्या हो गया कि वह मजमे में हाज़िर नहीं, उनवान शायद इसलिये बदला कि हुदहुद और तमाम परिन्दों का आपके हुक्म के ताबे होना हक़ तआला का एक ख़ास इनाम था। हुदहुद की गैर-हाज़िरी पर शुरूआत में दिल में यह आशंका पैदा हुई

कि शायद मेरे किसी कसूर की वजह से इस नेमत में कमी आई कि परिन्दों की एक जाति यानी हुदहुद गायब हो गया, इसलिये अपने नफ़्स से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि अल्लाह वालों का मामूल है कि जब उनको किसी नेमत में कमी आये या कोई तकलीफ़ व परेशानी लाहिक हो तो वे उसके दूर करने के लिये माही असबाब की तरफ़ तवज्जोह करने से पहले अपने नफ़्स का मुहासबा (जाँच-पड़ताल) करते थे कि हम से अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने में कौनसी कोताही हुई जिसके सबब यह नेमत हम से ले ली गई। इमाम कुर्तुबी ने इस जगह इब्ने अरबी के हवाले से बुजुर्गों का यह हाल नक़ल किया है:

اذا فقدوا امالهم تفقدوا اعمالهم

यानी इन हज़रत को जब अपनी मुराद में कामयाबी नहीं होती तो वे अपने आमाल का मुहासबा करते हैं कि हमसे क्या कसूर हुआ।

अपने नफ़्स के इस शुरूआती मुहासबे और गौर व फ़िक्र के बाद फ़रमाया:

أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝

इस जगह हर्फ़ 'अम्' 'बल्' के मायने में है। (कुर्तुबी) मायने यह हैं कि यह बात नहीं कि हुदहुद के देखने में मेरी नज़र ने ख़ता की बल्कि वह हाज़िर ही नहीं।

परिन्दों में से हुदहुद को ख़ास करने की वजह और एक अहम सबक़

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिन्दों में से हुदहुद की पड़ताल की क्या वजह पेश आई? आपने फ़रमाया कि सुलैमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे स्थान में पड़ाव डाला जहाँ पानी नहीं था और अल्लाह तआला ने हुदहुद को यह ख़ासियत अता फ़रमाई है कि वह ज़मीन के अन्दर की चीज़ों को और ज़मीन के अन्दर बहने वाले चश्मों को देख लेता है। मक़सद हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का यह था कि हुदहुद से यह मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से काफी पानी मिल सकता है। हुदहुद की इस निशानदेही के बाद वह जिन्नात को हुक्म दे देते कि इस ज़मीन को खोदकर पानी निकालो, वे बड़ी जल्द खोदकर पानी निकाल लेते थे। हुदहुद अपनी तेज़ नज़र और समझ के बावजूद शिकारी के जाल में फंस जाता है इस पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया:

قف يا وقاف كيف يرى الهدد باطن الارض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه. (طرطبي)

“जानने वालो! इस हकीकत को पहचानो कि हुदहुद ज़मीन की गहराई की चीज़ें देख लेता है मगर ज़मीन के ऊपर फैला हुआ जाल उसकी नज़र से ओझल हो जाता है जिसमें फंस जाता है।”

मक़सद यह है कि हक़ तआला ने तकलीफ़ या राहत का जो मामला किसी के लिये मुक़द्दर कर दिया है तो अल्लाह की तकदीर नाफ़िज़ होकर रहती है, कोई शख्स अपनी अक़ल व समझ, होशियारी

या माल व ग़लबे की ताक़त के ज़रिये उससे नहीं बच सकता।

لَا عَذَابَ بِنِّهٖ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْتَهُ

प्राथमिक सोच-विचार के बाद यह हाकिमाना सियासत का इज़हार है कि ग़ैर-हाज़िर रहने वाले को सज़ा दी जाये।

जो जानवर काम में सुस्ती करे उसको मुनासिब सज़ा देना जायज़ है

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये हक़ तअ़ाला ने जानवरों को ऐसी सज़ायें देना हलाल कर दिया था जैसा कि आम उम्मतों के लिये जानवरों को जिबह करके उनके गोश्त-पोस्त वगैरह से फ़ायदा उठाना अब भी हलाल है। इसी तरह पालतू जानवर गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ऊँट वगैरह अपने काम में सुस्ती करे तो उसको सीधा करने के लिये ज़रूरत के मुताबिक़ मारने की मुनासिब और दरमियानी सज़ा अब भी जायज़ है। दूसरे जानवरों को सज़ा देना हमारी शरीअत में मना है। (कुर्तुबी)

أُولَٰئِكَ يَنْبَغِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝

यानी अगर हुदहुद ने अपनी ग़ैर-हाज़िरी का कोई स्पष्ट उज़्र (उचित मजबूरी व सबब) पेश कर दिया तो वह इस सज़ा से महफ़ूज़ रहेगा। इसमें इशारा है कि हाकिम को चाहिये कि जिन लोगों से अमल में कोई क़सूर हो जाये उनको उज़्र पेश करने का मौक़ा दे, उज़्र सही साबित हो तो सज़ा को माफ़ कर दे।

أَخْطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ

यानी हुदहुद ने अपना उज़्र बतलाते हुए कहा कि मुझे वह चीज़ मालूम है जो आपको मालूम नहीं, यानी मैं एक ऐसी ख़बर लाया हूँ जिसका आपको पहले इल्म नहीं था।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ग़ैब के आलिम नहीं होते

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आलिमुल-ग़ैब नहीं होते जिससे उनको हर चीज़ का इल्म हो सके।

وَجِئْتِكَ مِنْ سَيِّمٍ بَنِيَّ يَقِينٍ ۝

सबा यमन का एक मशहूर शहर जिसका एक नाम मआरिब भी था, उसके और यमन की राजधानी के दरमियान तीन दिन की दूरी थी।

एक अदब की बात

क्या छोटे आदमी को यह हक़ है कि अपने बड़ों से कहे कि मुझे आप से ज़्यादा इल्म है? हुदहुद की मज़कूरा गुफ़्तगू से कुछ लोगों ने इस पर दलील पकड़ी है कि कोई शाग़िर्द अपने उस्ताद से या ग़ैर-आलिम आलिम से कह सकता है कि इस मसले का इल्म मुझे आप से ज़्यादा है, बशर्ते कि उसको

उस मसले का हकीकत में मुकम्मल इल्म दूसरों से ज्यादा हो। मगर तफसीर रूहुल-मआनी में फरमाया कि गुफ्तगू का यह अन्दाज़ अपने बुजुर्गों और बड़ों के सामने खिलाफे अदब है, इससे परहेज़ करना चाहिये। और हुदहुद के कौल से इस पर दलील इसलिये नहीं ली जा सकती कि उसने यह बात अपने आपको सज़ा से बचाने और उज़्र के मज़बूत होने के लिये कही है ताकि उसकी ग़ैर-हाज़िरी का उज़्र पूरी तरह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने आ जाये। ऐसी ज़रूरत में अदब की रियायत रखते हुए कोई बात की जाये तो हर्ज नहीं।

اِنِّي وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ

यानी मैंने एक औरत को पाया जो सब कौम की मालिक (रानी) है यानी उन पर हुकूमत करती है, उस औरत यानी सब कौम की रानी का नाम तारीख में बिल्कीस बिनते शुराहील बतलाया गया है, और कुछ रिवायतों में है कि उसकी वालिदा जिन्नात में से थी जिसका नाम बल्अमा बिनते शीसान बतलाया जाता है। (कुर्तुबी, युहैब बिन जरीर की रिवायत से)

और उनका दादा हुदाहुद पूरे मुल्क यमन का एक अज़ीमुश्शान बादशाह था जिसकी औलाद में चालीस लड़के हुए सब के सब राजा और बादशाह बने। उनके वालिद सिराह ने एक जिन्न औरत से निकाह कर लिया था उसी के पेट से बिल्कीस पैदा हुई। जिन्न औरत से निकाह करने के विभिन्न कारण बयान किये गये हैं। एक यह है कि यह अपनी हुकूमत व सल्तनत के गुरुर में लोगों से कहता था कि तुम में कोई मेरे (खानदान व कौम के एतिबार से) बराबर का नहीं इसलिये मैं निकाह ही न करूँगा क्योंकि बिना बराबरी वालों में निकाह मुझे पसन्द नहीं, इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उसका निकाह एक जिन्न औरत से करा दिया। (कुर्तुबी) शायद यह इसी फख्र व गुरुर का नतीजा था कि उसने इनसानों को जो दर हकीकत बराबर वाले थे हकीर व जलील समझा और अपने बराबर का तस्लीम न किया तो कुदरत ने उसका निकाह एक ऐसी औरत से मुकद्दर कर दिया जो न उसकी बराबर की थी न उसकी जिन्स व कौम से थी।

क्या इनसानों का निकाह जिन्न औरत से हो सकता है?

इस मामले में कुछ लोगों ने तो इसलिये शुब्हा किया है कि जिन्नात को इनसानों की तरह औलाद व नस्ल आगे बढ़ाने का अहल नहीं समझा। इब्ने अरबी ने अपनी तफसीर में फरमाया कि यह ख्याल बातिल है, सही हदीसों से जिन्नात में बच्चों की पैदाईश, नस्ल चलने और मर्द व औरत की तमाम वो खुसूसियतें जो इनसानों में हैं जिन्नात में भी मौजूद होना साबित है।

दूसरा सवाल शरई हैसियत से है कि क्या जिन्न औरत किसी इनसान मर्द के लिये निकाह करके हलाल हो सकती है? इसमें फुक़हा (उलेमा) का मतभेद है, बहुत से हज़रात ने जायज़ करार दिया है कुछ ने ग़ैर-जिन्स (जैसे जानवर दूसरी जिन्स से हैं) होने की बिना पर हराम फ़रमाया है। इस मसले की तफसील "आकामुल-मरज़ान फी अहकामिल-जान्न" में बयान हुई है। उसमें कुछ ऐसे वाकिआत भी ज़िक्र किये हैं कि मुसलमान मर्द से मुसलमान जिन्न औरत का निकाह हुआ और उससे औलाद भी हुई। यहाँ यह मसला इसलिये ज्यादा काबिले बहस नहीं कि निकाह करने वाला बिल्कीस का वालिद

मुसलमान ही न था, उसके अमल से इस तरह के निकाह के जायज़ या नाजायज़ होने पर दलील नहीं ली जा सकती। और चूँकि इस्लामी शरीअत में औलाद की निस्बत बाप की तरफ़ होती है और बिल्कीस के वालिद इनसान थे इसलिये बिल्कीस इनसान ही करार पायेगी। इसलिये कुछ रिवायतों में जो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का बिल्कीस से निकाह करना ज़िक्र हुआ है अगर वह रिवायत सही हो तो भी इससे जिन्न औरत से निकाह का कोई हुक्म साबित नहीं होता, क्योंकि बिल्कीस खुद जिन्न औरत न थी अगरचे उनकी वालिदा जिन्निया हो। वल्लाहु आलम। और सुलैमान अलैहिस्सलाम के निकाह के मुताल्लिक और अधिक बयान आगे आयेगा।

नोट:- जिन्नात और शैतानों के बारे में तफ़सीली मालूमात के लिये हमारी हिन्दी अनुवादित मोतबर किताब "जिन्नात व शयातीन का इतिहास" का अध्ययन फ़रमायें। कई साल पहले यह किताब फ़रीद बुक डिपो दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

क्या किसी औरत का बादशाह होना या किसी क़ौम का अमीर व इमाम होना जायज़ है?

सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब यह ख़बर पहुँची कि फ़ारस वालों ने अपने मुल्क का बादशाह किसरा की बेटी को बना दिया है तो आपने फ़रमाया:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ آمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

यानी वह क़ौम कभी फ़लाह न पायेगी जिसने अपने इक्तदार (हुक्मत व सत्ता) का मालिक औरत को बना दिया।

इसलिये उम्मत के उलेमा इस पर सहमत हैं कि किसी औरत को इगामत व ख़िलाफ़त या सल्तनत व हुक्मत सुपर्द नहीं की जा सकती, बल्कि नमाज़ की इमामत की तरह बड़ी इमामत भी सिर्फ़ मर्दों को लायक़ है। रहा बिल्कीस का सबा की रानी होना तो इससे कोई हुक्मे शरई साबित नहीं हो सकता जब तक यह साबित न हो जाये कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने उससे खुद निकाह कर लिया और फिर उसको हुक्मत व सल्तनत पर बरकरार रखा, और यह किसी सही रिवायत से साबित नहीं जिस पर शरीअत के अहकाम में भरोसा किया जा सके।

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

मुराद यह है कि सब ज़रूरी सामान जो किसी बादशाह व हाकिम को दरकार होता है और अपने ज़माने के मुताबिक़ हो सकता है, मौजूद था, जो चीज़ें उस ज़माने में ईजाद ही न हुई थीं उनका न होना इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝

अर्श के लफ़्ज़ी मायने बादशाही तख़्त के हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक

रिवायत में है कि बिल्कीस के अर्श की लम्बाई अस्सी हाथ और चौड़ाई चालीस हाथ और ऊँचाई तीस हाथ थी, जिस पर मोती और सुर्ख याकूत, ज़बरजद, अख़ज़र का काम था और उसके पाये मोतियों और जवाहिरात के थे, और पर्दे रेशम और हरीर के, अन्दर बाहर के एक के बाद एक सात ताला बन्द इमारतों में महफ़ूज़ था।

وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

मालूम हुआ कि उसकी कौम सितारों को पूजती थी, सूरज की इबादत करती थी। कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि मजूसियों में से थी जो आग और हर रोशनी की पूजा करते हैं। (कुर्तुबी)

‘अल्ला यस्जुदू’ का सम्बन्ध ‘ज़य्य-न लहुमुशशैतानु’ या ‘सद्दहुम् अनिस्सबीलि’ से है। यानी शैतान ने उनके ज़ेहनों में यही बिठला दिया था कि अल्लाह तआला को सज्दा न करें, या यह कि उनको हक़ के रास्ते से इस तरह रोक दिया कि वे अल्लाह तआला को सज्दा न करें।

तहरीर और ख़त भी आ़म मामलों में शरई हुज्जत है

اذهب بكتبي هذا

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने सबा की रानी के नाम ख़त भेजने को उस पर हुज्जत पूरी करने के लिये काफ़ी समझा, और इसी पर अमल फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि आ़म मामलों में तहरीर व ख़त काबिले एतिबार सुबूत है। फुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने सिर्फ़ उन मौकों पर ख़त को काफ़ी नहीं समझा जहाँ शरई गवाही की ज़रूरत है, क्योंकि ख़त और टेलीफ़ोन वगैरह के ज़रिये गवाही नहीं ली जा सकती। गवाही का मदार गवाह का अदालत के सामने आकर बयान देने पर रखा गया है जिसमें बड़ी हिक्मतें छुपी हैं। यही वजह है कि आजकल भी दुनिया की किसी अदालत में ख़त और टेलीफ़ोन पर गवाही लेने को काफ़ी नहीं समझा जाता।

मुशिरकों को ख़त लिखना और उनके पास भेजना जायज़ है

दूसरा मसला हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के इस ख़त से यह साबित हुआ कि दीन की तब्लीग़ और इस्लाम की दावत के लिये मुशिरकों और काफ़िरों को पत्र लिखना जायज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी अनेक काफ़िरों को ख़त भेजना सही हदीसों से साबित है।

**इनसानी अख़लाक़ की रियायत हर मज्लिस में होनी चाहिये
चाहे वह मज्लिस काफ़िरों ही की हो**

فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने हदहद से ख़त पहुँचाने का काम लिया तो उसको मज्लिस का यह अदब भी सिखला दिया कि ख़त सबा की रानी को पहुँचाकर वहीं सर पर सवार न रहे बल्कि वहाँ से ज़रा हट जाये जो आ़म शाही मज्लिसों का तरीका है। इसमें रहन-सहन और दूसरों के साथ मामला करने का अदब और इनसानी अख़लाक़ का आ़म मख़्लूक़ात के साथ मतलूब होना मालूम हुआ।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَعْيُنَ أَلْقَى إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۝ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي أَخْتَارُ عَلَىٰ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ خَيْرًا لِّمَا فِي الْيَدَيْنِ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنِّي أَرْسَلْتُ فِي الْأَرْضِ مُوسَىٰ أَنْ يَقُولَ لِلْقَارِبِينَ اقْبِلُوا مِنِّي زَكَاةً فَاتَّخِذُوا مِنِّي حِزْبًا ۝ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَكُن لَهَا بِيَدِ اللَّهِ أَزْوَاجٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنظُرُهُمْ كَمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ إِنَّمَا آتَى اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا أَتَيْتُمْ بِكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ أَفْرَحُونَ ۝ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا إِذْ لَمْ يَكُن لَهَا صُغْرُونَ ۝

कालत् या अय्युहल्म-लउ इन्नी
उल्कि-य इलय्-य किताबुन् करीम
(29) इन्नहू मिन् सुलैमा-न व इन्नहू
बिस्मिल्लाहिर ह्मानिर हीम (30)
अल्ला तअलू अलय्-य वअतूनी
मुस्लिमीन (31) ❀

कालत् या अय्युहल् म-लउ अपतूनी
फी अम्री मा कुन्तु काति-अतन्
अम्रन् हत्ता तशहदून (32) कालू नस्तु
उलू कुव्वतिव्-व उलू बअसिन्
शदीदिव्-वल्-अम्फ इलैकि फन्जुरी
माजा तअमुरीन (33) कालत् इन्नल्-
मुलू-क इजा द-खालू कर्-यतन्
अप्सदूहा व ज-अलू अजिज्ज-त-
अहिलहा अजिल्ल-तन् व कजालि-क
यफअलून (34) व इन्नी मुर्सि-लतुन्

कहने लगी ऐ दरबार वालो! मेरे पास डाला
गया एक खत इज्जत का। (29) वह खत
है सुलैमान की तरफ से और वह यह है
शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान
निहायत रहम वाला है (30) कि जोर न
करो मेरे मुकाबले में और चले आओ मेरे
सामने हुक्म मानने वाले होकर। (31) ❀

कहने लगी ऐ दरबार वालो! मश्वरा दो
मुझको मेरे काम में, मैं तय नहीं करती
कोई काम तुम्हारे हाजिर होने तक। (32)
वे बोले हम लोग जोरावर हैं और सख्त
लड़ाई वाले और काम तेरे इख्तियार में है,
सो तू देख ले जो हुक्म करे। (33) कहने
लगी बादशाह जब घुसते हैं किसी बस्ती
में उसको खराब कर देते हैं, और कर
डालते हैं वहाँ के सरदारों को बेइज्जत,
और ऐसा ही कुछ करेंगे। (34) और मैं
भेजती हूँ उनकी तरफ कुछ तोहफा फिर

इलैहिम् बि-हदिय्यतिन् फनाजि-रतुम्
 बि-म यर्जिअल्-मुर्सलून (35) फलम्मा
 जा-अ सुलैमा-न का-ल अतुमिद्दू-ननि
 बिमालिन् फमा आतानि-यल्लाहु
 खैरुम् मिम्मा आताकुम् बल् अन्तुम्
 बि-हदिय्यतिकुम् तफरहून (36) इर्जिअ
 इलैहिम् फ-लनअ-ति-यन्नहुम्
 बिजुनूदिल् ला कि-ब-ल लहुम् बिहा
 व लनुख्रिजन्नहुम् मिन्हा
 अजिल्ल-तंव-व हुम् सागिरून। (37)

देखती हूँ क्या जवाब लेकर फिरते हैं भेजे
 हुए। (35) फिर जब पहुँचा सुलैमान के
 पास बोला क्या तुम मेरी मदद करते हो
 माल से? सो जो अल्लाह ने मुझको दिया
 है बेहतर है उस से जो तुमको दिया है,
 बल्कि तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो।
 (36) फिर जा उनके पास अब हम पहुँचते
 हैं उन पर साथ लश्करो के जिनका
 मुकाबला न हो सके उनसे, और निकाल
 देंगे उनको वहाँ से बेइज्जत कर-कर और
 वे जलील होंगे। (37)

खुलासा-ए-तफसीर

(सुलैमान अलैहिस्सलाम ने हृदय से गुप्तगू करके बिल्कीस के नाम एक खत लिखा जिसका मजमून आगे कुरआन में मजकूर है और हृदय के हवाले किया, वह उसको चोंच में लेकर चला और अकेले या मजलिस में बिल्कीस के पास डाल दिया) बिल्कीस ने (पढ़कर अपने सरदारों से मशिवरे के लिये जमा किया और) कहा कि ऐ दरबार वालो! मेरे पास एक खत (जिसका मजमून निहायत) सम्मानित (और अजीमुश्शान है) डाला गया है। (सम्मानित इसलिये कहा कि हाकिमाना मजमून है जिसमें बावजूद इन्तिहाई संक्षिप्तता के आला दर्जे पर बात का इजहार है और) यह सुलैमान की तरफ से है, और उसमें यह (मजमून) है (पहले) बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम (और उसके बाद यह कि) तुम लोग (यानी बिल्कीस और बादशाहत के तमाम सदस्य जिनके साथ अ़वाम भी शामिल हैं) मेरे मुकाबले में तकब्बुर मत करो और मेरे पास ताबेदार होकर चले आओ (मकसद तमाम को दावत देना है और ये लोग सुलैमान अलैहिस्सलाम का या तो पहले हाल सुन चुके होंगे अगरचे सुलैमान अलैहिस्सलाम इन लोगों को न जानते हों, और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े छोटे को नहीं जानते और छोटे बड़े को जाना करते हैं, और या खत आने के बाद तहकीक कर लिया होगा)।

(और खत के मजमून की इतिला देने के बाद) बिल्कीस ने (यह) कहा कि ऐ दरबार वालो! तुम मुझको मेरे इस मामले में राय दो (कि मुझको सुलैमान के साथ क्या मामला करना चाहिए) और मैं (कभी) किसी बात का आखिरी फैसला नहीं करती जब तक कि तुम लोग मेरे पास मौजूद न हो (और उसमें शरीक व सलाहकार न हो)। वे लोग कहने लगे कि हम (अपनी जात से हर तरह से हाज़िर हैं, अगर मुकाबला और लड़ना मस्तेहत समझा जाये तो हम) बड़े ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं (और

आगे) इख़्तियार तुमको है, सो तुम ही (मस्लेहत देख लो, जो कुछ (तजवीज़ करके) हुक्म देना हो। बिल्कीस कहने लगी कि (मेरे नज़दीक लड़ना तो मस्लेहत नहीं क्योंकि सुलैमान बादशाह हैं और) बादशाहों (का कायदा है कि वे) जब किसी बस्ती में (मुख़ालफ़त के तौर पर) दाख़िल होते हैं तो उसको तबाह व बरबाद कर देते हैं, और उसके रहने वालों में जो इज़्ज़तदार हैं उनको (उनका ज़ोर घटाने के लिये) ज़लील (ब ख़्यार) किया करते हैं, और (उनसे लड़ाई की जाये तो मुम्किन है कि उन्हीं को ग़ल्बा हो तो फिर) ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। (तो बिना ज़रूरत परेशानी में पड़ना ख़िलाफ़े मस्लेहत है, लिहाज़ा जंग को तो अभी टाला जाये) और (फ़िलहाल यूँ मुनासिब है कि) मैं उन लोगों के पास कुछ हदिया (किसी आदमी के हाथ भेजती हूँ) फिर देखूँगी कि वे भेजे हुए (वहाँ से) क्या (जवाब) लेकर आते हैं (उस वक़्त दोबारा ग़ौर किया जायेगा। चुनाँचे हदियों और तोहफ़ों का सामान तैयार हुआ और कासिद उसको लेकर ख़ाना हुआ) सो जब वह ऐलची सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचा (और तोहफ़े पेश किये) तो सुलैमान (अलैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, क्या तुम लोग (यानी बिल्कीस और बिल्कीस वाले) माल से मेरी इमदाद कर (ना चाह) ते हो (इसलिये हदिये लाये हो), सो (अच्छी तरह समझ लो कि) अल्लाह ने जो कुछ मुझको दे रखा है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुमको दे रखा है (क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ़ दुनिया है और मेरे पास दीन भी और दुनिया भी तुमसे ज़्यादा, लिहाज़ा मैं तो इन चीज़ों का लालची व इच्छुक नहीं हूँ) हाँ तुम ही अपने इस हदिये पर इतराते होगे (सो ये तोहफ़े हम न लेंगे) तुम (इनको लेकर) उन लोगों के पास लौट जाओ, (अगर वे अब भी ईमान ले आयें तो ठीक वरना) हम उन पर ऐसी फ़ौजे भेजते हैं कि उन लोगों से उनका ज़रा मुकाबला न हो सकेगा और हम उनको वहाँ से ज़लील करके निकाल देंगे, और वे (ज़िल्लत के साथ हमेशा के लिये) मातहत (और प्रजा) हो जाएँगे (यह नहीं कि निकालने के बाद आज़ादी से छोड़ दिये जायें कि जहाँ चाहें चले जायें, बल्कि हमेशा की ज़िल्लत उनके लिये लाज़िमी हो जायेगी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّ الْقِي إِلَىٰ كِتَابِ كَرِيمٍ ۝

करीम के लफ़्ज़ी भायने इज़्ज़तदार व सम्मान वाले के हैं और मुहावरे में किसी ख़त को इज़्ज़त वाला व सम्मानित तब कहा जाता है जबकि उस पर मुहर लगा दी गई हो, इसी लिये इस आयत में "किताबुन् करीम" की तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि., क़तादा, जुहैर रह. वग़ैरह ने किताब-ए-मख़ूम (मुहर बन्द पत्र) से की है जिससे मालूम हुआ कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने ख़त पर अपनी मुहर लगाई थी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब बड़े बादशाहों की यह आदत मालूम हुई कि जिस ख़त पर मुहर न हो उसको नहीं पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी बादशाहों के ख़तों के लिये मुहर बनवाई और क़ैसर व क़िसरा वग़ैरह को जो खुतूत (पत्र) तहरीर फ़रमाये उन पर मुहर लगवाई।

इससे मालूम हुआ कि ख़त (पत्र) पर मुहर लगाना उसके लिये सम्मान की बात है कि ख़त भेजा जा रहा है और अपने ख़त का भी। आजकल ख़त को लिफ़ाफ़े में बन्द करके

आदत हो गई है यह भी मुहर लगाने के बराबर है। जिस जगह सामने वाले (जिसके नाम पत्र भेजा है) का इकराम (इज्जत व सम्मान) मन्जूर हो खुला खत भेजने के बजाय लिफाफे में बन्द करके भेजना सुन्नत के करीब है।

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का खत किस भाषा में था

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम अगरचे अरबी न थे लेकिन अरबी भाषा जानना और समझना आप से कोई असंभव भी नहीं, जबकि आप परिन्दों तक की बोली जानते थे, और अरबी भाषा तो तमाम भाषाओं से बेहतर व अशरफ़ है, लिहाज़ा हो सकता है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने खत अरबी भाषा में लिखा हो क्योंकि जिसके नाम खत लिखा गया था (यानी बिल्कीस) वह अरबी नस्त की थी, उसने खत को पढ़ा भी और समझा भी। और यह भी मुम्किन है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने खत अपनी ही भाषा में तहरीर फ़रमाया हो और बिल्कीस के पास हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की भाषा का तर्जुमान (अनुवादक) हो जिसने खत पढ़कर सुनाया और समझाया हो।

(तफ़सीर रूहुल-मआनी)

खत लिखने के चन्द आदाब

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

कुरआने करीम ने इनसानी जिन्दगी का कोई पहलू नहीं छोड़ा जिस पर हिदायतें न दी हों। खत व किताबत (पत्राचार) के ज़रिये आपसी मेल-मिलाप और कहना-सुनना भी इनसान की अहम ज़रूरतों में दाख़िल है। इस सूरत में हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का खत सबा की रानी (बिल्कीस) के नाम पूरा का पूरा नक़ल फ़रमाया गया। यह एक पैग़म्बर व रसूल का खत था और कुरआने करीम ने इसको अच्छाई और ख़ूबी के तौर पर नक़ल किया है इसलिये इस खत में जो हिदायतें पत्राचार के मामले में पाई जाती हैं वो मुसलमानों के लिये भी पैरवी के काबिल हैं।

खत भेजने वाला अपना नाम पहले लिखे फिर उसका जिसके नाम खत लिखा गया है

सबसे पहली एक हिदायत तो इस खत में यह है कि खत को हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अपने नाम से शुरू किया, जिसकी तरफ़ खत भेजा उसका नाम किस तरह लिखा कुरआने करीम के अलफ़ाज़ में उसका ज़िक्र नहीं मगर इतनी बात इससे मालूम हुई कि खत लिखने वाले के लिये नबियों की सुन्नत यह है कि सब से पहले अपना नाम लिखे जिसमें बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे खत पढ़ने से पहले ही खत पढ़ने वाले के इल्म में आ जाये कि मैं किसका खत पढ़ रहा हूँ ताकि वह उसी माहौल में खत के मज़मून को पढ़े और गौर करे। मुख़ातब को यह तकलीफ़ न उठानी पड़े कि लिखने वाले का नाम खत में तलाश करे कि किसका खत है कहाँ से आया है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के जितने खुतूत (पत्र) दुनिया में मन्कूल और प्रकाशित मौजूद हैं उन सब में भी आपने यही

तरीका इख़्तियार फ़रमाया है कि (मिन मुहम्मदिन् अब्दिल्लाहि व रसूलिही) से शुरू फ़रमाया गया है।

यहाँ एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि जब कोई बड़ा आदमी अपनी छोटे को ख़त लिखे उसमें तो अपने नाम को शुरू में लिखने में कोई इश्काल नहीं लेकिन कोई छोटा अपने बाप, उस्ताद, शैख़ या किसी और बड़े को ख़त लिखे तो उसमें अपने नाम को पहले लिखना क्या उसके अदब के खिलाफ़ न होगा, और उसको ऐसा करना चाहिये या नहीं? इस मामले में हज़रते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल अलग-अलग रहा है, अक्सर हज़रत ने तो सुन्नत की पैरवी को अदब पर आगे रखकर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो खुतूत लिखे उनमें भी अपने नाम को पहले लिखा है। तफ़सीर रूहुल-मअानी में बहरे मुहीत के हवाले से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल नक़ल किया है।

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتاباً

بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد له على ما روى.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा तो कोई इनसान क़ाबिले ताज़ीम नहीं मगर सहाबा किराम जब आपको भी ख़त लिखते तो अपना नाम ही शुरू में लिखा करते थे। और हज़रत अला हज़रमी का ख़त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम मशहूर व परिचित है वह इस पर सबूत है। अलबत्ता तफ़सीर रूहुल-मअानी में ये रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखा है कि यह सब कलाम अफ़ज़लियत (बेहतर और अच्छा होने) में है जवाज़ (जायज़ होने) में नहीं। अगर कोई शख्स अपना नाम शुरू के बजाय आख़िर में लिख दे तो यह भी जायज़ है। फ़कीह अबुल्लैस की बुस्तान में है कि अगर कोई शख्स सामने वाले के नाम से शुरू करे तो इसके जायज़ होने में किसी को कलाम नहीं क्योंकि उम्मत में यह तरीका भी चला आ रहा है, इस पर एतिराज़ व रद्द नहीं किया गया। (रूहुल-मअानी व कुर्तुबी)

ख़त का जवाब देना भी नबियों की सुन्नत है

तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि जिस शख्स के पास किसी का ख़त आये उसके लिये मुनासिब है कि उसका जवाब दे, क्योंकि ग़ायब का ख़त हाज़िर के सलाम के कायम-मक़ाम है। इसी लिये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में है कि वह ख़त के जवाब को सलाम के जवाब की तरह वाजिब करार देते थे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

ख़तों में बिस्मिल्लाह लिखना

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के मज़कूरा ख़त से तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम पत्रों से एक मसला यह साबित हुआ कि ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना नबियों का तरीका है। रहा यह मसला कि बिस्मिल्लाह को अपने नाम से पहले लिखे या बाद में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पत्र इस पर सबूत हैं कि बिस्मिल्लाह को सबसे पहले, उसके बाद लिखने वाले का नाम, फिर मुखातब का नाम लिखा जाये। और कुरआने करीम में जो

सुलैमान अलैहिस्सलाम का नाम पहले और बिस्मिल्लाह बाद में जिक्र हुई है

जायज़ होना भी मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह अपने नाम के बाद लिखी जाये। लेकिन इब्ने अतिम ने यज़ीद बिन रोमान से नक़ल किया है कि दर असल हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने ... ख़त में इस तरह लिखा था:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . من سلیمان بن داود الی بلقیس ابنة ذی شرح وقومها . انّ لا تعلوا علیّ و اتوننی

مُسْلِمِیْن ۝

बिल्कीस ने जब यह ख़त अपनी क़ौम को सुनाया तो उसने क़ौम की आगाही के लिये सुलैमान अलैहिस्सलाम का नाम पहले जिक्र कर दिया, कुरआने करीम में जो कुछ आया है वह बिल्कीस का कौल है, कुरआने करीम में इसकी वज़ाहत नहीं कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के असल ख़त में बिस्मिल्लाह पहले थी या सुलैमान अलैहिस्सलाम का नाम। और यह भी हो सकता है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम का नाम लिफ़ाफ़े के ऊपर लिखा हो और अन्दर बिस्मिल्लाह से शुरू हो, बिल्कीस ने जब अपनी क़ौम को ख़त सुनाया तो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का नाम पहले जिक्र कर दिया।

मसला: ख़त लिखने की असल सुन्नत तो यही है कि हर ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाये, लेकिन कुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों व इशारात से फ़ुक़हा हज़रात ने यह कायदा कुल्लिया लिखा है कि जिस जगह बिस्मिल्लाह या अल्लाह तआला का कोई नाम लिखा जाये अगर उस जगह उस काग़ज़ के बेअदबी से महफूज़ रहने का कोई एहतिमाम नहीं बल्कि वह पढ़कर डाल दिया जाता है तो ऐसे ख़तों और ऐसी चीज़ में बिस्मिल्लाह या अल्लाह तआला का कोई नाम लिखना जायज़ नहीं कि वह इस तरह उस बेअदबी के गुनाह का शरीक हो जायेगा। आजकल जो उमूमन एक दूसरे को ख़त लिखे जाते हैं उनका हाल सब जानते हैं कि नालियों और गन्दगियों में पड़े नज़र आते हैं, इसलिये मुनासिब यह है कि सुन्नत को अदा करने के लिये ज़बान से बिस्मिल्लाह कह ले तहरीर में न लिखे।

ऐसी तहरीर जिसमें कोई कुरआनी आयत लिखी हो क्या

किसी काफ़िर मुश्रिक के हाथ में देना जायज़ है

यह ख़त हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को उस वक़्त भेजा है जब कि वह मुसलमान नहीं थीं, हालाँकि इस ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, जिससे मालूम हुआ कि ऐसा करना जायज़ है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो पत्र अरब से बाहर के बादशाहों को लिखे हैं और वे मुश्रिक थे उनमें भी कुछ कुरआनी आयतें लिखी हैं। वजह दर असल यह है कि कुरआने करीम का किसी काफ़िर के हाथ में देना तो जायज़ नहीं लेकिन ऐसी कोई किताब या काग़ज़ जिसमें किसी मज़मून के तहत में कोई आयत आ गई है वह उर्फ़ में कुरआन नहीं कहलाता इसलिये उसका हुक्म भी कुरआन का हुक्म नहीं होगा, वह किसी काफ़िर के हाथ में भी दे सकते हैं और बेवुजू के हाथ में भी। (अलमगीरी, किताबुल-हज़र वल-इबाहत)

खत मुख्तसर, जामे, स्पष्ट और प्रभावी अन्दाज़ में लिखना चाहिये

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के इस खत को देखिये तो चन्द सतरों में तमाम अहम और ज़रूरी मज़ामीन भी जमा कर दिये और भाषायी उम्दगी का आला मेयार भी कायम है, काफ़िर के मुकाबले में अपने शाहाना दबदबे का इज़हार भी है। इसके साथ हक़ तआला की कमाल वाली सिफ़ात का बयान और इस्लाम की तरफ़ दावत भी, और साथ ही खुद को बड़ा समझने और तकब्बुर की बुराई भी। असल में यह खत भी कुरआनी अन्दाज़े कलाम के बेमिसाल होने का एक नमूना है। हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं कि खत लिखने में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी यही है कि तहरीर ज़्यादा लम्बी न हो, मगर कोई ज़रूरी मज़मून छूटे भी नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

अहम मामलात में सलाह लेना सुन्नत है

अहम मामलात में मश्विरा करना सुन्नत है, इसमें दूसरों की राय से फ़ायदा भी हासिल होता है और लोगों का दिल रखना भी होता है।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْفِتْنَىٰ فِيَّ أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونُ ۝

अफ़्तूनी फ़तवा से निकला है जिसके मायने हैं किसी ख़ास मसले का जवाब देना। यहाँ मश्विरा देना और अपनी राय का इज़हार करना मुराद है। रानी बिल्कीस को जब सुलैमान अलैहिस्सलाम का खत पहुँचा तो उसने अपनी हुकूमत के जिम्मेदारों को जमा करके इस वाकिए का इज़हार किया और उनसे मश्विरा तलब किया कि मुझे क्या करना चाहिये। उसने उनकी राय पूछने से पहले उनकी दिलजोई और हिम्मत बढ़ाने के लिये यह भी कहा कि "मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बग़ैर नहीं करती।" इसी का नतीजा था कि फौज और वज़ीरों ने उसके जवाब में अपनी मुस्तैदी के साथ हुक्म की तामील के लिये हर किस्म की कुरबानी पेश कर दी यानी यह कहा कि हम ताक़तवर और लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं, बाक़ी आपकी मर्ज़ी आप जो हुक्म दें।

हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि हम से यह बयान किया गया है कि बिल्कीस की सलाहकार समिति के सदस्य तीन सौ तेरह थे और उनमें से हर एक आदमी दस हज़ार आदमियों का सरदार और नुमाईन्दा था। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि अहम मामलात में मश्विरा लेने का दस्तूर पुराना है। इस्लाम ने मश्विरे को ख़ास अहमियत दी और हुकूमत के जिम्मेदारों को मश्विरे का पाबन्द किया। यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिन पर अल्लाह की वही आती थी और आसमानी हिदायतें आपको मिलती थीं उसकी वजह से हक़ीक़त में आपको किसी राय मश्विरे की ज़रूरत न थी मगर उम्मत के लिये सुन्नत कायम करने के वास्ते आपको भी हुक्म दिया गया:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

यानी आप अहम मामलात में सहाबा किराम से मश्विरा लिया करें। इसमें सहाबा किराम की दिलजोई और इज़ज़त-अफ़ज़ाई भी है और आईन्दा आने वाले हुकूमत के जिम्मेदारों को इसकी ताक़ीद

भी कि मशिवरे से काम लिया करें।

सुलैमानी खत के जवाब में रानी बिल्कीस की प्रतिक्रिया

हुकूमत के सदस्यों और जिम्मेदारों को मशिवरे में शरीक करके उनका सहयोग हासिल कर लेने के बाद रानी बिल्कीस ने खुद ही एक राय कायम की जिसका हासिल यह था कि वह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले और तहकीक करे कि वह वास्तव में अल्लाह के रसूल और नबी हैं और जो कुछ हुक्म दे रहे हैं वह अल्लाह की अहकाम की तकमील है या वह एक हुकूमत हासिल करने के इच्छुक बादशाह हैं। इस इम्तिहान से उसका मकसद यह था कि अगर वह हकीकत में नबी व रसूल हैं तो उनके हुक्म का पालन किया जाये और मुखालफत की कोई सूरत इख्तियार न की जाये, और अगर बादशाह हैं और मुल्क हड़पने की हवस में हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो फिर गौर किया जायेगा कि उनका मुकाबला किस तरह किया जाये। इस इम्तिहान का तरीका उसने यह तजवीज़ किया कि सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास कुछ हदिये (उपहार) भेजे, अगर वह हदिये लेकर राजी हो गये तो यह इसकी पहचान होगी कि वह एक बादशाह ही हैं, और अगर वह वाकई नबी व रसूल हैं तो वह इस्लाम व ईमान के बगैर किसी चीज़ पर राजी न होंगे। यह मज़मून इब्ने जरीर ने अनेक सनदों के साथ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, इब्ने जुरैज और इब्ने वहब रह. से नक़ल किया है, इसी का बयान इस आयत में है:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُم بِمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝

यानी मैं हज़रत सुलैमान और उनकी हुकूमत के जिम्मेदारों के पास एक हदिया भेजती हूँ फिर देखूंगी कि जो कासिद ये हदिये लेकर जायेंगे वे वापस आकर क्या सूतेहाल बयान करते हैं।

बिल्कीस के कासिदों की दरबारे सुलैमानी में हाज़िरी

तारीख़ी इस्राईली रिवायतों में बिल्कीस की तरफ़ से आने वाले कासिदों और तोहफ़ों की बड़ी तफ़सीलात बयान हुई हैं। इतनी बात पर सब रिवायतें सहमत हैं कि तोहफ़े में कुछ सोने की ईंटें थीं, कुछ जवाहिरात और एक सौ गुलाम और एक सौ बाँदियाँ थीं, मगर बाँदियों को मर्दाना लिबासों में और गुलामों को ज़नाना लिबासों में भेजा था, और साथ ही बिल्कीस का एक खत भी था जिसमें सुलैमान अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिये कुछ सवालात भी थे। तोहफ़ों के चयन में उनका इम्तिहान मतलूब था। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को हक़ तअ़ला ने उसके तोहफ़ों की तफ़सीलात उनके पहुँचने से पहले बतला दी थीं। सुलैमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि दरबार से नौ फ़र्सख़ (तक़रीबन तीस मील) की दूरी में सोने चाँदी की ईंटों का फ़र्श कर दिया जाये और रास्ते में दो तरफ़ा अजीब अन्दाज़ के पैदा हुए जानवरों को खड़ा कर दिया जाये जिनका पेशाब पाख़ाना भी सोने चाँदी के फ़र्श पर हो। इसी तरह अपने दरबार को ख़ास एहतियाम से सजवाया दायें-बायें चार-चार हज़ार सोने की कुर्सियाँ एक तरफ़ उलेमा के लिये, दूसरी तरफ़ वज़ीरों और हुकूमत के अहलकारों के लिये बिछाई गईं। जवाहिरात से पूरा हाल सजाया गया। बिल्कीस के कासिदों ने जब सोने की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने तोहफ़े से शर्मा गये। कुछ रिवायतों में है कि अपनी सोने की ईंटें

वहीं डाल दीं फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ते गये दो तरफ़ा जानवरों व परिन्दों की कतारें देखीं, फिर जिन्नात की सफ़ें (कतारें) देखी तो बेहद मरक़ब हो गये, मगर जब दरबार तक पहुँचे और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िर हुए तो आप खुशी और बहुत अच्छे अन्दाज़ से पेश आये, उनकी मेहमानी का इकराम किया मगर उनके तोहफ़े वापस कर दिये और बिल्कीस के सब सवालों के जवाबात दिये। (तफ़सीरे कुर्तुबी, संक्षिप्तता के साथ)

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की तरफ़ से बिल्कीस के तोहफ़े की वापसी

قَالَ أَمِدُّ وَنَنْ بِمَالٍ فَمَا اتْرِكِ اللّٰهَ خَيْرٌ مِّمَّا اتْرِكُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝

यानी जब बिल्कीस के कासिद उसके हदिये और तोहफ़े लेकर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने कासिदों से फ़रमाया कि क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अल्लाह ने जो माल व दौलत दिया है वह तुम्हारे माल व सामान से कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिये मैं यह माल का हदिया कुबूल नहीं करता इसको वापस ले जाओ और अपने हदिये पर तुम ही खुश रहो।

किसी काफ़िर का हदिया कुबूल करना जायज़ है या नहीं? इसकी तफ़सील व तहकीक़

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्कीस का हदिया कुबूल नहीं फ़रमाया, इससे मालूम होता है कि काफ़िर का हदिया कुबूल करना जायज़ नहीं या बेहतर नहीं। और तहकीक़ इस मसले में यह है कि काफ़िर का हदिया कुबूल करने में अगर अपनी या मुसलमानों की किसी मस्लेहत में ख़लल आता हो या उनके हक़ में राय की कमज़ोरी पैदा होती हो तो उनका हदिया कुबूल करना दुरुस्त नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआनी) हाँ! अगर कोई दीनी मस्लेहत उस हदिये के कुबूल करने में हो जैसे उसके ज़रिये काफ़िर के मानूस होकर इस्लाम से करीब आने फिर मुसलमान होने की उम्मीद हो या उसकी किसी बुराई व फ़साद को उसके ज़रिये दूर किया जा सकता हो तो कुबूल करने की गुन्जाईश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत इस मामले में यही रही है कि कुछ काफ़िरों का हदिया कुबूल फ़रमा लिया कुछ का रद्द कर दिया। “उम्दतुल-क़ारी शरह बुख़ारी” किताबुल-हिबा में और शरह “सियर-ए-क़बीर” में हज़रत क़अब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि बरा का भाई अमिर बिन मलिक मदीना में किसी ज़रूरत से पहुँचा जबकि वह मुश्रिक काफ़िर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में दो घोड़े और दो जोड़े कपड़े का हदिया पेश किया। आपने उसका हदिया यह फ़रमाकर वापस कर दिया कि हम मुश्रिक का हदिया कुबूल नहीं करते। और अयाज़ बिन हिमार मुजाशई ने आपकी ख़िदमत में एक हदिया पेश किया तो आपने उससे सवाल किया कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा कि नहीं, आपने उनका हदिया भी यह कहकर रद्द

दिया कि मुझे अल्लाह तआला ने मुशिक लोगों के अताया (उपहार) लेने से मना फरमाया है। मुकाबले में ये रिवायतें भी मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ मुशिकों देवे कुबूल फरमाये। एक रिवायत में है कि अबू सुफियान ने शिक की हालत में आपको एक हदिये में भेजा, आपने कुबूल फरमा लिया और एक ईसाई ने एक रेशमी हरीर का बहुत चमकता हुआ कपड़ा हदिये में पेश किया आपने कुबूल फरमा लिया।

शम्सुल-अइम्मा रह. इसको नकल करके फरमाते हैं कि मेरे नजदीक यह सबब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुछ लोगों का हदिया रद्द कर देने में उनके इस्लाम की तरफ माईल होने की उम्मीद थी, वहाँ रद्द कर दिया, और कुछ का हदिया कुबूल करने में उनके मुसलमान हो जाने की उम्मीद थी तो कुबूल कर लिया। (उम्दतुल-कारी, किताबुल-हिबा)

और रानी बिल्कीस ने जो हदिये के रद्द करने को नबी होने की निशानी करार दिया इसका सबब यह न था कि नबी के लिये मुशिक का हदिया कुबूल करना जायज़ नहीं, बल्कि सबब यह था कि उसने अपना हदिया दर हकीकत एक रिश्वत की हैसियत से भेजा था कि उसके ज़रिये वह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के हमले से महफूज़ रहे।

قَالَ يَا أَيُّهَا السُّكُّوَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ

عَفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۚ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝ قَالَ
الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرُكُمْ أَمْ أَكْفُرُكُمْ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ
فَإِن رَّبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝ قَالَ تَكْرُوَا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدُونَ ۚ أَمْ تَكُونُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝

का-ल या अय्युहल्-म-लउ अय्युकुम्
यअतीनी बिअरशिहा कब्-ल
अंध्यअतूनी मुस्लिमीन (38) का-ल
अिफरीतुम् मिनल्-जिन्नि अ-न
आती-क बिही कब्-ल अन् तकू-म
मिम्-मकामि-क व इन्नी अलैहि
ल-कविय्युन् अमीन (39) कालल्लज़ी
अिन्दहू अिल्मुम् मिनल्-किताबि

बोला ऐ दरबार वालो! तुम में कोई है कि
ले आये मेरे पास उसका तख्त इससे पहले
कि वे आयें मेरे पास हुक्म बरदार होकर।
(38) बोला एक देव जिन्नों में से मैं लाये
देता हूँ वह तुझको इससे पहले कि तू उठे
अपनी जगह से और मैं उस पर जोरावर
हूँ मोतबर। (39) बोला वह शख्स जिसके
पास था एक इल्म किताब का, मैं लाये

अ-न आती-क बिही कब्-ल
 अंग्यरतद्-द इलै-क तरफु-क,
 फ़-लम्मा रआहु मुस्तकिरन् अिन्दहू
 का-ल हाजा मिन् फ़ज़िल रब्बी,
 लि-यब्लु-वनी अ-अशकुरु अम्
 अक्फुरु, व मन् श-क-र फ़-इन्नमा
 यशकुरु लिनफ़िसही व मन् क-फ़-र
 फ़-इन्-न रब्बी ग़निय्युन् करीम (40)
 का-ल नक्किरू लहा अर्-शहा नन्ज़ुर
 अ-तस्तदी अम् तकूनु मिनल्लज़ी-न
 ला यस्तदून। (41)

देता हूँ तेरे पास उसको इससे पहले कि
 फिर आये तेरी तरफ़ तेरी आँख, फिर जब
 देखा उसको धरा हुआ अपने पास कहा
 यह मेरे रब का फ़ज़ल है मेरे जाँचने को
 कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और
 जो कोई शुक्र करे सो शुक्र करे अपने
 वास्ते और जो कोई नाशुक्री करे सो मेरा
 रब बेपरवाह है करम वाला। (40) कहा
 रूप बदल दिखलाओ उस औरत के आगे
 उसके तख़्त का, हम देखें समझ पाती है
 या उन लोगों में से होती है जिनको
 समझ नहीं। (41)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ग़र्ज़ कि वह कासिद अपने हृदिये लेकर वापस गया और सारा वाकिअ बिल्कीस से बयान किया तो हालात से उसको हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के इल्म और नुबुव्वत के कमालात का यकीन हो गया और हाज़िर होने के इरादे से अपने मुल्क से चली) सुलैमान (अलैहिस्सलाम को वही से या किसी परिन्दे वगैरह के ज़रिये से उसका चलना मालूम हुआ तो उन्होंने) ने (अपने दरबार वालों से) फ़रमाया कि ऐ दरबारियो! तुम में कोई ऐसा है जो उस (यानी बिल्कीस) का तख़्त इससे पहले कि वे लोग मेरे पास ताबेदार होकर आएँ हाज़िर कर दे? (ताबेदार होने की कैद वाकिए के इज़हार के लिये है क्योंकि वे लोग इसी इरादे से आ रहे थे, तख़्त का मंगाना ग़ालिबन इस ग़र्ज़ से है कि वे लोग मेरा मोजिज़ा भी देख लें, क्योंकि इतना बड़ा तख़्त और फिर उसका ऐसे सख़्त पहरों में इस तरीके पर अचानक आ जाना कि इत्तिला तक न हो इनसानी ताक़त व आदत से बाहर है, अगर जिन्नों की तस्ख़ीर यानी ताबे होने से हो तब भी जिन्नों का खुद-ब-खुद ताबे हो जाना भी एक मोजिज़ा ही है, और अगर उम्मत के किसी वली की करामत के ज़रिये है तो वली की करामत भी नबी का मोजिज़ा होता है, और अगर बगैर किसी वास्ते के है तो फिर मोजिज़ा होना जाहिर है। बहरहाल हर तरीके पर यह मोजिज़ा और नुबुव्वत की दलील है, लिहाज़ा मक़सद यह होगा कि अन्दरूनी कमालात के साथ-साथ ये मोजिज़े के कमालात भी देख लें ताकि ईमान व इत्मीनान ज़्यादा हो)।

एक ताक़तवर हैकल जिन्न ने जवाब (में) अर्ज़ किया कि मैं उसको आपकी ख़िदमत में हाज़िर कर दूँगा इससे पहले कि आप अपने इजलास से उठें, और (अगरचे वह बहुत भारी है अगर) मैं उस

(के लाने) पर ताकत रखता हूँ (और अगरचे वह बड़ा कीमती जवाहरात से जड़ा हुआ है, मगर मैं) अमानतदार (भी) हूँ (उसमें कोई ख्यानत न करूँगा)। जिसके पास (अल्लाह की) किताब (यानी तौरात का या और वही की हुई किसी किताब का जिसमें अल्लाह के नामों की तासीरें हों उस) का इल्म था (ज्यादा सही यह है कि इससे खुद सुलैमान अलैहिस्सलाम मुराद हैं, ग़र्ज़) उस (इल्म वाले) ने (उस जिन्न से) कहा कि (बस तुझमें तो इतनी ही कुव्वत है और) मैं उसको तेरे सामने तेरी आँख झपकने से पहले लाकर खड़ा कर सकता हूँ (क्योंकि मोजिजे की ताकत से लाऊँगा)। चुनाँचे आपने हक़ तअ़ाला से दुआ की वैसे ही या अल्लाह के किसी नाम के ज़रिये से और तख़्त फ़ौरन सामने आ मौजूद हुआ)। पस जब सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने उसको सामने रखा देखा तो (खुश होकर शुक्र के तौर पर) कहने लगे कि यह भी मेरे रब का एक फज़ल है (कि मेरे हाथ से यह मोजिजा ज़ाहिर किया) ताकि वह मेरी आजमाईश करे कि मैं शुक्र करता हूँ या (खुदा न करे) नाशुकी करता हूँ। और ज़ाहिर है कि जो शख्स शुक्र करता है वह अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है, (अल्लाह तअ़ाला का कोई नफ़ा नहीं) और (इसी तरह) जो नाशुकी करता है (वह भी अपना ही नुक़सान करता है, अल्लाह तअ़ाला का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मेरा रब बेपरवाह है करीम है।

(इसके बाद) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने (बिल्कीस की अक्ल आजमाने के लिये) हुक्म दिया कि उस (की अक्ल आजमाने) के लिये उसके तख़्त की सूरत बदल दो (जिसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, मसलन मोतियों की जगहें बदल दो या किसी और तरह) हम देखें कि उसको इसका पता लगता है या उसका उन्हीं में शुमार है जिनको (ऐसी बातों का) पता नहीं लगता (पहली सूरत में मालूम होगा कि वह अक्लमन्द है और अक्लमन्द से हक़ बात समझने की ज़्यादा उम्मीद है और उसके हक़ को पहचानने का असर दूर तक भी पहुँचेगा, और दूसरी सूरत में उससे हक़ पहचानने की उम्मीद कम है)।

मअरिफ़ व मसाईल

बिल्कीस की सुलैमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी

इमाम कुर्तुबी ने तारीख़ी रिवायतों के हवाले से लिखा है कि बिल्कीस के कासिद खुद भी मरऊब व हैरान होकर वापस हुए और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का ऐलान-ए-जंग सुना दिया तो बिल्कीस ने अपनी कौम से कहा कि पहले भी मेरा यही ख़्याल था कि सुलैमान दुनिया के बादशाहों की तरह बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से कोई खास ओहदा व मक़ाम भी उनको मिला है, और अल्लाह के नबी व रसूल से लड़ना अल्लाह का मुक़ाबला करना है, जिसकी हम में ताक़त नहीं। यह कहकर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िरी की तैयारी शुरू कर दी। बारह हज़ार सरदारों को अपने साथ लिया जिनके तहत एक-एक लाख फ़ौजें थीं। (1)

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को हक़ तअ़ाला ने ऐसा रौब व जलाल अता फ़रमाया था कि

(1) हज़रत मुसन्निफ़ रह. (यानी इस तफ़सीर के लेखक) ने पहले ही फ़रमा दिया है कि ये इस्त्राईली रिवायतें हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खास तौर से यह रिवायत अक्ल से दूर है। और अल्लामा आलूसी रह. के फ़रमाने के मुताबिक़ झूठ से ज़्यादा करीब है। मुहम्मद तक़ी उस्मानी

उनकी मज्लिस में कोई बातचीत शुरू करने की जुरत न कर सकता था। एक दिन हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने दूर से गुबार उठता हुआ देखा तो हाज़िर लोगों से सवाल किया कि यह क्या है? लोगों ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के नबी! रानी बिल्कीस अपने साथियों के साथ आ रही हैं। कुछ रिवायतों में है कि उस वक़्त वह दरबारे सुलैमानी से एक फर्सख़ (यानी तकरीबन तीन मील) के फ़ासले पर थी, उस वक़्त हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करों को मुख़ातब करके फ़रमाया:

يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को चूँकि यह इत्तिला मिल गई थी कि बिल्कीस उनकी दावत से प्रभावित होने की बिना पर फ़रमाँबरदार बनकर आ रही है, तो इरादा फ़रमाया कि वह शाहना कुव्वत व शौकत के साथ एक पैगम्बराना मोजिज़ा भी देख ले तो उसके ईमान लाने के लिये ज़्यादा मददगार होगा। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने जिन्नात के ताबे होने का आम मोजिज़ा अला फ़रमाया हुआ था, शायद हक़ तआला की तरफ़ से इशारा पाकर उन्होंने यह इरादा फ़रमाया कि किसी तरह बिल्कीस का शाही तख़्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले हाज़िर हो जाये। इसलिये मौजूद लोगों को जिनमें जिन्नात भी थे ख़िताब फ़रमाकर वह तख़्त लाने के लिये फ़रमा दिया और उसके तमाम माल व दौलत में शाही तख़्त का चयन करना भी शायद इसलिये किया गया कि वह उसकी सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ (सुरक्षित) चीज़ थी जिसको सात शाही महलों के बीच में एक सुरक्षित महल के अन्दर ताला लगाकर रखा था कि उसके अपने आदमियों का भी वहाँ तक गुज़र न था। उसका बग़ैर दरवाज़े या ताला तोड़े हुए मुन्तक़िल हो जाना और इतनी दूर के फ़ासले पर पहुँच जाना हक़ तआला शानुहू की ही कामिल कुदरत से हो सकता है, यह उसको हक़ तआला शानुहू की कामिल कुदरत पर यकीन का सबसे बड़ा ज़रिया हो सकता था, इसके साथ इस पर भी यकीन लाज़िम था कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ही की तरफ़ से कोई ख़ास मर्तबा व ओहदा हासिल है कि उनके हाथ पर ऐसी ख़िलाफ़े आदत (असाधारण) चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। (इब्ने जरीर)

قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

‘मुस्लिमीन’ मुस्लिम की जमा (बहुवचन) है, जिसके लुग़वी मायने आज्ञाकारी और फ़रमाँबरदार के हैं। शरीअत की परिभाषा में मोमिन को मुस्लिम कहा जाता है, यहाँ बक़ौल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके लुग़वी मायने मुराद हैं यानी आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार। क्योंकि बिल्कीस का इस्लाम लाना उस वक़्त तक साबित नहीं बल्कि वह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होने और कुछ बातचीत करने के बाद मुसलमान हुई है जैसा कि खुद कुरआने करीम के आने वाले अलफ़ज़ से साबित होता है।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

यानी कहा उस शख्स ने जिसके पास इल्म था किताब में से। यह कौन शख्स था? इसके मुताल्लिक़ एक गुमान व संभावना तो वह है जो खुलासा-ए-तफ्सीर में लिखी गयी है कि खुद हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम मुराद हैं, क्योंकि किताबुल्लाह का सबसे ज़्यादा इल्म उन्हीं को हासिल था। इस

सूरत में यह सारा मामला मोजिजे के तौर पर हुआ और यही मकसद था कि बिल्कीस को पैगम्बराना मोजिजे और विशेषता का मुशाहदा (नज़ास व अनुभव) हो जाये, और कोई इश्काल इस मामले में न रहे। मगर तफ़सीर के अक्सर इमामों- क़तादा वगैरह से इब्ने जरीर ने नक़ल किया है और कुर्तुबी ने इसी को जमहूर (अक्सर और बड़ी जमाअत) का कौल करार दिया है कि यह कोई शख्स हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के सहाबा (साथियों) में से था। इब्ने इस्हाफ़ ने इसका नाम आसिफ़ बिन बरख़िया बतलाया है, और यह कि वह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का दोस्त था। और कुछ रिवायतों के एतिबार से उनका ख़ाला ज़ाद भाई भी था जिसको इस्म-ए-आज़म का इल्म था जिसकी ख़ासियत यह है कि उसके साथ अल्लाह तआला से जो भी दुआ की जाये कुबूल होती है और जो कुछ माँगा जाये अल्लाह की तरफ़ से अता कर दिया जाता है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को इस्म-ए-आज़म का इल्म नहीं था, क्योंकि यह कुछ दूर की बात नहीं कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने मस्लेहत इसमें देखी हो कि यह अज़ीम कारनामा उनकी उम्मत के किसी आदमी के ज़रिये ज़ाहिर हो जिससे बिल्कीस पर और ज़्यादा असर पड़े, इसलिये बजाय खुद यह काम करने के अपने सहाबा (साथियों) को ख़िताब फ़रमाया 'अय्युकुम् यअतीनी.....' (जैसा कि फ़ूसुसुल- हिकम में है) इस सूरत में यह वाकिआ आसिफ़ बिन बरख़िया की करामत होगी।

मोजिजे और करामत में फ़र्क

हकीकत यह है कि जिस तरह मोजिजे में तबई और आदी असबाब का कोई दख़ल नहीं होता बल्कि वह डायरेक्ट हक़ तआला का फ़ैल (अमल) होता है जैसा कि क़ुरआने करीम में फ़रमाया है:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ.

इसी तरह करामत में भी तबई असबाब का कोई दख़ल नहीं होता, डायरेक्ट हक़ तआला की तरफ़ से कोई काम हो जाता है। और मोजिजे और करामत दोनों खुद मोजिजे व करामत वाले हज़रत के इख़्तियार में नहीं होते। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ऐसा कोई अज़ीब और चमत्कारी काम अगर किसी वही वाले यानी नबी के हाथ पर हो तो मोजिजा कहलाता है, ग़ैर-नबी के ज़रिये उसका ज़हूर हो तो करामत कहलाती है। इस वाकिए में अगर यह रिवायत सही है कि यह अमल हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के सहाबा में से आसिफ़ बिन बरख़िया के ज़रिये हुआ तो यह उनकी करामत कहलायेगी, और हर वली के कमालात चूँकि उनके रसूल व पैगम्बर के कमालात का अक्स और उन्हीं के फ़ैज़ से होते हैं इसलिये उम्मत के औलिया-अल्लाह के हाथों जितनी करामतों का ज़हूर होता रहता है ये सब रसूल के मोजिजों में शुमार होते हैं।

बिल्कीस के तख़्त का वाकिआ करामत थी या तसरुफ़

शैख़ अकबर मोहयुद्दीन इब्ने अरबी ने इसको आसिफ़ बिन बरख़िया का तसरुफ़ (काम और अमल) करार दिया है। तसरुफ़ इस्तिलाह में ख़्याल व नज़र की ताक़त इस्तेमाल करके हैरत-अंगेज़ काम करने के लिये इस्तेमाल होता है जिसके लिये नबी या वली बल्कि मुसलमान होना भी शर्त नहीं, वह मिस्मरेज़ जैसा एक अमल है। सूफ़िया-ए-किराम ने मुरीदों के सुधार के लिये कभी-कभी इसको

इस्तेमाल किया है। इन्हे अरबी ने फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम चूँकि तसरुफ़ करने से परहेज करते हैं इसलिये हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह काम आसिफ़ बिन बरख़िया से लिया, मगर कुरआने करीम ने इस तसरुफ़ को 'इल्मुम् मिनल् किताबि' का नतीजा बतलाया है, इससे तरजीह इसको ही होती है कि यह किसी दुआ या इस्म-ए-आज़म का असर था, जिसका तसरुफ़ से कोई वास्ता नहीं, वह करामत ही के मायने में दाख़िल है।

रहा यह शुब्हा कि उनका यह कहना कि:

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

“यानी मैं यह तख़्त आँख झपकने से पहले ला दूँगा।” यह इसकी निशानी है कि यह काम उनके इरादे व इख़्तियार से हुआ जो तसरुफ़ की निशानी है, क्योंकि करामत वली के इख़्तियार में नहीं होती। तो इसका यह जवाब हो सकता है कि मुम्किन है अल्लाह तआला ने उनको यह इत्तिला कर दी हो कि तुम इरादा करोगे तो हम यह काम इतनी जल्दी कर देंगे। यह तक़रीर हज़रत सैयदी हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी कुद्दि-स सिरुहू की है जो अहकामुल-कुरआन में सूर: नम्ल की तफ़सीर लिखने के वक़्त हज़रत ने इरशाद फ़रमाई थी। और तसरुफ़ की हकीकत और उसके अहकाम पर हज़रत रह. का एक मुस्तक़िल रिसाला “अत्तसरुफ़” के नाम से अरबी भाषा में था जिसका उर्दू तर्जुमा अहक़र ने लिखा था वह अलग से प्रकाशित हो चुका है।

فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلٌ أَهْلَكَدَا عَرَشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ

أَوْ تَبِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۖ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۖ قَيْلٌ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

फ-लम्मा जाअत् की-ल अहा-कज़ा
अर्शुकि, कालत् क-अन्नहू हु-व व
ऊतीनल्-अिल्-म मिन् क़ब्लिहा व
कुन्ना मुस्लिमीन (42) व सदहा मा
कानत् तअब्बुदु मिन् दूनिल्लाहि,
इन्नहा कानत् मिन् कौमिन् काफिरीन
(43) की-ल ल-हदख़ुलिस्सर्-ह
फ-लम्मा र-अत्हु हसि-बत्हु लुज्जतं-व-

फिर जब वह आ पहुँची किसी ने कहा
क्या ऐसा ही है तेरा तख़्त? बोली गोया
यह वही है और हमको मालूम हो चुका
पहले से और हम हो चुके हुक्म मानने
वाले। (42) और रोक दिया उसको उन
चीज़ों से जो पूजती थी अल्लाह के सिवा
यकीनन वह थी मुन्किर लोगों में। (43)
किसी ने कहा उस औरत को अन्दर चल
महल में, फिर जब देखा उसको ख़्याल

व क-शफ़त् अन् साकैहा, का-ल
 इन्नहू सरहुम्-मुमर्रदुम मिन् क्वारी-र,
 क़ालत् रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ़सी व
 अस्तम्तु म-अ सुलैमा-न लिल्लाहि
 रब्बिल्-आलमीन (44) ❀

किया कि वह पानी है गहरा और खोलीं
 अपनी पिण्डलियाँ, कहा यह तो एक महल
 है जड़े हुए हैं इसमें शीशे, बोली ऐ रब!
 मैंने बुरा किया है अपनी जान का और मैं
 हुक्म मानने वाली हुई साथ सुलैमान के
 अल्लाह के आगे जो रब है सारे जहान
 का। (44) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह सब सामान कर रखा था, फिर बिल्कीस पहुँची) सो जब बिल्कीस आई तो उससे (तख़्त दिखाकर) कहा गया (चाहे सुलैमान अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो या किसी से कहलवाया हो) कि क्या तुम्हारा तख़्त ऐसा ही है? वह कहने लगी कि हाँ है तो ऐसा ही। (बिल्कीस से इस तौर पर इसलिये सवाल किया कि हालत व शक़ल तो बदल दी गई थी अपनी असल के एतिबार से तो वही तख़्त था और सूरत वह न थी। इसलिए यूँ नहीं कहा कि क्या यही तुम्हारा तख़्त है बल्कि यह कहा कि ऐसा ही तुम्हारा तख़्त है और बिल्कीस उसको पहचान गई और उसके बदल देने को भी समझ गई इसलिये जवाब भी सवाल के मुताबिक़ दिया) और (यह भी कहा कि) हम लोगों को तो इस वाक़िए से पहले ही (आपकी नुबुव्वत की) तहकीक़ हो चुकी है, और हम (उसी वक़्त से दिल से) मानने वाले हो चुके हैं। (जब कासिद से आपके कमालात मालूम हुए थे इस मोजिजे की कोई ज़रूरत न थी) और (चूँकि इस मोजिजे से पहले तस्दीक़ व एतिक़ाद कर लेना बड़ी अक्लमन्दी की दलील है इसलिए अल्लाह तआला उसके अक्लमन्द होने का इज़हार फ़रमाते हैं कि वास्तव में वह थी समझदार मगर चन्द रोज़ तक जो ईमान न लाई तो वजह उसकी यह है कि) उसको (ईमान लाने से) अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत ने (जबकि उसको आदत थी) रोक रखा था, (और वह आदत इसलिये पड़ गई थी कि) वह काफ़िर क़ौम में की थी (पस जो सब को करते देखा वही खुद करने लगी और क़ौमी आदतें बहुत सी बार इनसान के सोचने-समझने में रुकावट बन जाती हैं, मगर चूँकि अक्लमन्द थी इसलिए जब चेताया गया तो समझ गई। उसके बाद सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह चाहा कि नुबुव्वत व मोजिजे की शान दिखलाने के साथ ही इसको बादशाह की ज़ाहिरी शान भी दिखला दी जाये ताकि अपने को दुनिया के एतिबार से भी बड़ा और शान वाला न समझे इसलिए एक शीश महल बनवाकर उसके सेहन में हौज़ बनवाया और उसमें पानी और मछलियाँ भरकर उसको शीशे से पाट दिया। और शीशा ऐसा साफ़ था कि ज़ाहिर नज़र में दिखाई न देता था और वह हौज़) ऐसी जगह पर था कि उस महल में जाने वाले को लाज़िमी तौर पर उस पर से गुज़रना पड़े। चुनाँचे इस तमाम सामान के बाद) बिल्कीस से कहा गया कि इस महल में दाख़िल हो। (मुम्किन है वही महल उसके ठहरने के लिये तजवीज़ किया हो, गुर्ज कि वह चलीं, रास्ते में हौज़ आया) तो जब उसका आँगन देखा तो उसको

पानी (से भरा हुआ) समझा, और (चूँकि अन्दाज़े से पानी ज्यादा महसूस किया इसलिए उसके अन्दर उतरने के लिये दामन उठाये और) अपनी दोनों पिंडलियाँ खोल दीं। (उस वक़्त) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि यह तो एक महल है जो (सारा का सारा मय सेहन) शीशों से बनाया गया है, (और यह हौज़ भी शीशे से पटा हुआ है। दामन उठाने की ज़रूरत नहीं, उस वक़्त) बिल्कीस (को मालूम हो गया कि यहाँ पर दुनियावी कारीगरी की अजीब चीज़ें भी ऐसी हैं जो आज तक मैंने आँख से नहीं देखीं, तो उनके दिल में हर तरह से सुलैमान अलैहिस्सलाम की बड़ाई पैदा हुई और बेसाख़्ता) कहने लगीं कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने (अब तक) अपने नफ़्स पर जुल्म किया था (कि शिर्क में मुब्तला थी) और मैं (अब) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के साथ (यानी उनके तरीके पर) होकर रब्बुल-आलमीन पर ईमान लाई।

मज़ारिफ़ व मसाइल

क्या बिल्कीस हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थीं

उपर्युक्त आयतों में बिल्कीस का वाकिआ इसी पर ख़त्म हो गया कि वह हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होकर इस्लाम में दाख़िल हो गई। इसके बाद क्या हालात पेश आये? कुरआने करीम ने इससे ख़ामोशी इख़्तियार कर ली है। यही वजह है कि किसी शख्स ने जब अब्दुल्लाह इब्ने उयैना से पूछा कि क्या हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह कर लिया था? तो उन्होंने फ़रमाया कि उसका मामला इस पर ख़त्म हो गया।

اسَلَّمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝


मतलब यह था कि कुरआन ने यहीं तक उसका हाल बयान किया है, इसके बाद का हाल बतलाना कुरआन ने छोड़ दिया तो हमें भी उसकी तफ़्तीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं। मगर इब्ने असाकिर ने हज़रत इक्रिमा से रियायत किया है कि उसके बाद बिल्कीस हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई और उसको उसके मुल्क पर बरक़ार रखकर यमन वापस भेज दिया। हर महीने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लेजाते और तीन दिन ठहरते थे। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने उसके लिये यमन में तीन उम्दा महल ऐसे तैयार करा दिये थे जिसकी मिसाल व नज़ीर नहीं थी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ۝
 قَالَ يَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝
 قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَبَّرَكُمْ اللَّهُ بِمَا كَفَرْتُمْ قَوْمٌ لَفُتُونٌ ۝ وَكَانَ فِي
 الْمَدِينَةِ نِسَاءٌ رَهِيظٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِّينَ ۝ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ وَمَكْرُوهًا مَكْرًا وَمَكْرًا

مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ ۝ إِنَّا دَمَّرْنَا قَوْمَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 فَبِئْسَ مَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ
 كَانُوا يَتَّقُونَ ۝

व ल-कद् अर्सल्ला इला समू-द
 अखाहुम् सालिहन् अनिअबुदुल्ला-ह
 फ-इजा हुम् फरीकानि यख्तसिमून
 (45) का-ल या कौमि लि-म
 तस्तअजिलू-न. बिस्तय्यि-अति
 क बलल्-ह-स-नति लौ ला
 तस्तअफिरूनल्ला-ह लअल्लकुम्
 तुरहमून (46) कालुत्तय्यरना बि-क
 व बि-मम्म-अ-क, का-ल ताइरुकुम्
 जिन्दल्लाहि बल् अन्तुम् कौमुन्
 तुफ्तनून (47) व का-न फिल्मीदी-नति
 तिस्तअतु रस्तिंयुफिसदू-न फिल्अर्जि
 व ला युस्लिहून (48) कालू तकासमू
 बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहू व अस्लहू
 सुम्-म ल-नकूलन्-न लि-वलिय्यिही
 मा शहिदना महलि-क अस्लिही व
 इन्ना ल-सादिकून (49) व म-करू
 मकरंव्-व मकरना मकरंव्-व हुम् ला
 यशअरून (50) फन्जुर कै-फ का-न
 अकि-बतु मकिरहिम् अन्ना
 दम्मरनाहुम् कौमहुम् अज्मजीन (51)

और हमने भेजा था समूद की तरफ उनके
 भाई सालेह को कि बन्दगी करो अल्लाह
 की फिर वे तो दो फिर्के होकर लगे
 झगड़ने। (45) कहा ऐ मेरी कौम! क्यों
 जल्दी माँगते हो बुराई को भलाई से पहले,
 क्यों नहीं गुनाह बख्शवाते अल्लाह से
 शायद तुम पर रहम हो जाये। (46) बोले
 हमने मन्हूस कदम (वाला) देखा तुझको
 और तेरे साथ वालों को, कहा तुम्हारी बुरी
 किस्मत अल्लाह के पास है, कुछ नहीं तुम
 लोग जाँचे जाते हो। (47) और थे उस
 शहर में नौ शख्स कि खराबी करते मुल्क
 में और इस्लाह न करते। (48) बोले कि
 आपस में कसम खाओ अल्लाह की कि
 ज़रूर रात को जा पड़ें हम उस पर और
 उसके घर पर, फिर कह देंगे उसके दावे
 करने वाले को, हमने नहीं देखा जब तबाह
 हुआ उसका घर और हम बेशक सच कहते
 हैं। (49) और उन्होंने बनाया एक फरेब
 और हमने बनाया एक फरेब और उनको
 खबर न हुई। (50) फिर देख ले कैसा
 हुआ अन्जाम उनके फरेब का कि हलाक
 कर डाला हमने उनको और उनकी कौम
 को सब को। (51)



नी तुम्हारे कुफ़िया आमाल अल्लाह को मालूम हैं, ये ख़राबियाँ उन्हीं आमा

के ज़ाहिर है कि नाइतिफ़ाकी वही बुरी है जो हक़ के खिलाफ़ करने से हो,

ईमान वालों पर नहीं हो सकता बल्कि कुफ़र करने वालों पर होगा। और कुछ तफ़्सील में ह

उन पर कहत हुआ "सूखा पड़ा" था। और तुम्हारे कुफ़र का नुक़सान सिर्फ़ इन बुराईयों ही तक ख़त्म नहीं हुआ) बल्कि तुम लोग वे हो कि (इस कुफ़र की बदौलत) अज़ाब में मुब्तला हो गये और (यू तो काफ़िर उस कौम में बहुत थे लेकिन मुखिया और सरदार) उस बस्ती (यानी हिज़्र) में नौ शख्स थे जो सरज़मीन (यानी बस्ती से बाहर तक भी) फ़साद किया करते थे, और (ज़रा भी) सुधार न करते थे। (यानी बाज़े फ़साद फैलाने वाले ऐसे होते हैं कि कुछ फ़साद किया कुछ अच्छा काम कर लिया मगर वे ऐसे न थे बल्कि ख़ालिस फ़सादी थे, चुनाँचे एक बार यह फ़साद किया कि) उन्होंने (एक दूसरे से) कहा कि आपस में सब (इस घर) अल्लाह की क़सम खाओ कि हम रात के वक़्त सालेह और उनके मुताल्लिकीन (यानी ईमान वालों) को जा मारेंगे, फिर (अगर तहकीक़ की नौबत आई तो) हम उनके वारिस से (जो ख़ून का दावा करेगा) कह देंगे कि उनके मुताल्लिकीन के (और खुद उनके) मारे जाने में मौजूद (भी) न थे (मारना तो दूर की बात थे), और (ताकीद के लिये यह भी कह देंगे कि) हम बिल्कुल सच्चे हैं। (और मौके का गवाह कोई होगा नहीं। बस बात दब-दबा जायेगी) और (यह मश्विरा करके) उन्होंने एक ख़ुफ़िया तदबीर की (कि रात के वक़्त इस कार्रवाई के लिये चले) और एक ख़ुफ़िया तदबीर हमने की, और उनको ख़बर भी न हुई। (वह यह कि एक पहाड़ पर से एक पत्थर उन पर लुढ़क आया और वे सब वहीं हलाक हुए। दुर्गे मन्सूर की रियायत में यही है) सो देखिए उनकी शरारत का क्या अन्जाम हुआ कि हमने उनको (ज़िक्र हुए तरीके पर) और (फिर) उनकी (बाकी) कौम को (आसमानी अज़ाब से) सब को ग़ारत कर दिया (जिसका किस्सा दूसरी आयतों में है। यानी सूर आराफ़ की आयत 77-78 और सूर: हूद की आयत 67 में।

सो ये उनके घर हैं जो वीरान पड़े हैं उनके कुफ़र के सबब से (जो मक्का वालों को मुल्क शाम के सफ़र में मिलते हैं), बिला शुब्हा इस (वाकिए) में बड़ी सीख है समझदारों के लिये। और हमने ईमान वालों और परहेज़गार लोगों को (उस क़त्ल से भी जिसका मश्विरा हुआ था और क़हर के अज़ाब से भी) निजात दी।

मअरिफ़ व मसाईल

تَسْعَةَ رَهْطٍ

लफ़ज़ रहत् जमाअत के मायने में आता है, यहाँ नौ शख्सों में से हर शख्स को रहत् के लफ़ज़ से शायद इसलिये ताबीर किया गया है कि ये लोग अपने माल व दौलत और शान व शौकत के सबब कौम के बड़े माने जाते थे, और हर एक के साथ अलग-अलग जमाअतें थीं इसलिये इन नौ आदमियों को नौ जमाअतें फ़रमाया। ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती यानी हिज़्र के बड़े माने जाते थे। हिज़्र मुल्क शाम में मशहूर व परिचित स्थान है।

व र
तफ़
किर
कि
जो
मग
अन्
शरा
आय
का
इरा
कार
के
वह
बिख

पू
उ
५

व
अ
तु
ल
द्व

لُنْبَيْتِنَا وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاَنَا لَصٰدِقُوْنَ ۝

मतलब यह था कि हम सब मिलकर रात के अंधेरे में उन पर और उनके मुताल्लिकीन (ताल्लुक व संबन्ध वालों) पर छापा मारें, सब को हलाक कर दें, फिर उनके खून का दावेदार वारिस तहकीक व तफ्तीश के लिये खड़ा होगा तो हम यह कह देंगे कि हमने तो फुल्लौ आदमी को न मारा न मारते किसी को देखा। और हम अपने इस कौल में इसलिये सच्चे होंगे कि रात के अंधेरे में यह तय करना कि किसने किसको मारा हमें मालूम न होगा।

इसमें एक बात यह गौर करने के काबिल है कि ये काफिर लोग और इनमें से भी चन्द बदमाश जो फसाद में परिचित थे ये सारे काम शिक्र कुफ्र और मार-काट के कर रहे हैं और कोई फिक्र नहीं मगर उनको भी यह फिक्र लगी हुई है कि हम झूठ न बोलें या झूठे करार न दिये जायें। इससे अन्दाजा लगाईये कि झूठ कैसा बड़ा गुनाह है कि सारे बड़े-बड़े अपराध के करने वाले भी अपनी शराफते नफ्स और इज्जत की हिफाजत के लिये झूठ बोलने को तैयार न होते थे। दूसरी बात इस आयत में यह ध्यान देने के काबिल है कि जिस शख्स को उन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वली (सरपरस्त) करार दिया है वह तो उन्हीं हजरत सालेह वालों में शामिल था उसको कत्ल के इरादे से क्यों छोड़ दिया। जवाब यह है कि मुम्किन है वह वली खानदानी इख्तियार से वली हो मगर काफिर होकर काफिरों के साथ मिला हुआ हो, सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुताल्लिकीन के कत्ल के बाद वह उनके खून का दावा अपने नसबी ताल्लुक की बिना पर करे, और यह भी मुम्किन है कि वह मुसलमान ही हो मगर कोई बड़ा आदमी हो जिसके कत्ल करने से अपनी कौम में झगड़े व बिखराव का खतरा हो इसलिये उसको छोड़ दिया। वल्लाहु आलम

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفٰحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝ اَيْتَكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا آلَ لُوْطٍ
مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اَنْاْسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ الْاِمْرٰتَةَ ۚ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰيْبِيْنَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا ۚ فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ
اصْطَفٰى ۚ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يَشْرِكُوْنَ ۝

व लूतन् इज् काल लिकौमिही
अ-तअतूनल् फ़ाहि-श-त व अन्तुम्
तुबिसरुन (54) अ-इन्नकुम्
ल-तअतूनर्-रिजा-ल शह्व-तम् मिन्
दूनिन्निता-इ, बल् अन्तुम् कौमुन्

और लूत को जब कहा उसने अपनी कौम
को क्या तुम करते हो बेहयाई और तुम
देखते हो। (54) क्या तुम दौड़ते हो मर्दों
पर ललचाकर औरतों को छोड़कर, कोई
नहीं! तुम लोग बेसमझ हो। (55) फिर

तज्हलून (55) फ़मा का-न जवा-ब
 कौमिही इल्ला अन् कालू अख़रिजू
 आ-ल लूतिम्-मिन् क़र्यतिकुम्
 इन्नहुम् उनासुंय-य-त-तहूरून (56)
 फ़-अन्जैनाहु व अह्लहू इल्लम्-अ-तहू
 क़दरनाहा मिनल्-गाबिरीन (57) व
 अम्तरना अलैहिम् म-तरन् फ़सा-अ
 म-तरुल्-मुज़रीन (58) ❀
 कुलिल्हम्दु लिल्लाहि व सलामुन् अला
 इबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा, आल्लाहु ख़ैरुन्
 अम्मा युशिरकून (59)

और कुछ जवाब न था उसकी कौम का
 मगर यही कि कहते थे निकाल दो लूत के
 घर को अपने शहर से, ये लोग हैं सुधरे
 रहा चाहते। (56) फिर बचा दिया हमने
 उसको और उसके घर वालों को, मगर
 उसकी औरत मुक़रर कर दिया था हमने
 उसको रह जाने वालों में। (57) और बरसा
 दिया हमने उन पर बरसाव फिर क्या बुरा
 बरसाव था उन डराये हुआँ का। (58) ❀
 तू कह तारीफ़ है अल्लाह को और सलाम
 है उसके बन्दों पर जिनको उसने पसन्द
 किया, भला अल्लाह बेहतर है या जिनको
 वे शरीक करते हैं। (59)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और हमने लूत (अलैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर करके उनकी कौम के पास) भेजा था जबकि उन्होंने अपनी कौम से फ़रमाया कि क्या तुम बेहयाई का काम करते हो, हालाँकि समझदार हो (क्या उसकी बुराई नहीं समझते। आगे उस बेहयाई का बयान है यानी) क्या तुम मर्दों के साथ जिन्सी इच्छा पूरी करते हो औरतों को छोड़कर, (इसकी कोई वजह नहीं हो सकती) बल्कि (इस बारे में) तुम (बिल्कुल) जहालत कर रहे हो। (इस तक़रीर का) उनकी कौम से कोई (माकूल) जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे कि लूत (अलैहिस्सलाम) के लोगों को (यानी उन पर ईमान लाने वालों को मय उनके) तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक-साफ़ बनते हैं। सो (जब यहाँ तक नौबत पहुँच गई तो) हमने (उस कौम पर अज़ाब नाज़िल किया और) लूत (अलैहिस्सलाम) को और उनके मुताल्लिकीन को (उस अज़ाब से) बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के, उसको (ईमान न लाने की वजह से) हमने उन्हीं लोगों में तज़वीज़ कर रखा था जो अज़ाब में रह गये थे। और (वह अज़ाब जो उन पर नाज़िल हुआ यह था कि) हमने उन पर एक नई तरह की बारिश बरसाई (कि वह पत्थरों की बारिश थी) सो उन लोगों की क्या बुरी बारिश थी जो (पहले अल्लाह के अज़ाब से) डराये गये थे (जिस पर उन्होंने ध्यान न दिया)।

आप (तौहीद का बयान करने के लिये सम्बोधन के तौर पर) कहिये कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये लायक़ हैं और उसके उन बन्दों पर सलाम (नाज़िल) हो जिनको उसने मुत्तख़ब फ़रमाया "यानी चुन लिया" है (यानी अम्बिया और नेक लोग। आगे मज़मून हमारी तरफ़ से बयान कीजिये

वह यह कि लोगो! यह बतलाओ कि) क्या (कमालात और एहसानात में) अल्लाह बेहतर है या वो चीजें (बेहतर हैं) जिनको (माबूद बनाने में) वे शरीक ठहराते हैं (यानी जाहिर और मुसल्लम है कि अल्लाह ही बेहतर है, पस इबादत का हकदार भी वही होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस किस्से के बारे में कुरआन में कई जगह खुसूसन सूर: आराफ़ में ज़रूरी मज़ामीन बयान हो चुके हैं वहाँ देख लिये जायें।

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

पिछले अम्बिया और उनकी उम्मतों के कुछ हालात और उन पर अज़ाब आने के वाकिआत का जिक्र करने के बाद यह जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुखातब करके फरमाया गया है कि आप अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि आपकी उम्मत को दुनिया के सार्वजनिक अज़ाब से महफूज़ कर दिया गया है और पहले अम्बिया और अल्लाह के नेक व चुनिन्दा बन्दों पर सलाम भेजिये। मुफ़स्सरीन की अक्सरियत और बड़ी जमाअत ने इसी को इख़्तियार किया है, और कुछ हज़रात ने इसका मुखातब भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को करार दिया है। इस आयत में 'अल्लज़ीनस्तफ़ा' के अलफ़ाज़ से जाहिर यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुराद हैं जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'व सलामुन् अलल्-मुर्सलीन' और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा किराम हैं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. ने इसी को इख़्तियार किया है। (अब्द बिन हुमैद, बज़्ज़ार, इब्ने जरीर)

अगर आयत में 'अल्लज़ीनस्तफ़ा' से मुराद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम लिये जायें जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है तो इस आयत से नबियों के अलावा दूसरे हज़रात पर सलाम भेजने के लिये उन्हें अलैहिस्सलाम कहने का जायज़ होना साबित होता है। इस मसले की पूरी तहकीक़ सूर: अहज़ाब में आयत 'सल्लू अलैहि व सल्लिमू' (आयत 56) की तफ़सीर में आयेगी इन्शा-अल्लाह तआला।

मसला: इस आयत से खुतबे के आदाब भी साबित हुए कि वह अल्लाह तआला की तारीफ़ और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद व सलाम से शुरू होना चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम के तमाम खुतबात में यही दस्तूर व मामूल रहा है, बल्कि हर अहम काम के शुरू में अल्लाह तआला की तारीफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम मस्नून व मुस्तहब है। (रुहुल-मअनी)

पारा (20) अम्मन् ख-ल-क

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَهُ بِئْسَ الْبَلُّ لِمَنْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّ اللَّهَ بِئْسَ الْبَلُّ لِمَنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلْفَاءَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَلْبًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرَائِبِنَ يَدَائِعِ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَهُ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَهُ ۝ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

अम्मन् ख-ल-कस्समावाति वल्लअर्-ज
व अन्ज-ल लकुम् मिनस्समा-इ
माअन् फ-अम्बत्ना बिही हदाइ-क
जा-त बहजतिन् मा का-न लकुम्
अन् तुम्बितू श-ज-रहा अ-इलाहुम्-
मअल्लाहि, बल् हुम् कौमुंय-
यअदिलून (60) अम्मन् ज-अलल्-
अर्-ज करारं-व ज-अ-ल खिला-लहा
अन्हारं-व ज-अ-ल लहा रवासि-य
व ज-अ-ल बैनल्-बह्रैनि हाजिजन्,
अ-इलाहुम्-मअल्लाहि, बल् अक्सरुहुम्
ता यअलमून (61) अम्मंयुजीबुल्
-मुज्तर-र इजा दआहु व यकिशफुस्-
सू-अ व यजअलुकुम् खु-लफाअल्-
अर्जि, अ-इलाहुम् मअल्लाहि,
कलीलम् मा तजक्करून (62)

भला किसने बनाये आसमान और ज़मीन
और उतार दिया तुम्हारे लिये आसमान से
पानी, फिर उगाये हमने उससे बाग़ रौनक
वाले तुम्हारा काम न था कि उगाते उनके
दरख्त, अब कोई और हाकिम है अल्लाह
के साथ? कोई नहीं, वे लोग राह से
मुड़ते हैं। (60) भला किसने बनाया ज़मीन
को ठहरने के लायक और बनाई उसके
बीच में नदियाँ और रखे उसके ठहराने
को बोझ और रखा दो दरिया में पर्दा अब
कोई और हाकिम है अल्लाह के साथ?
कोई नहीं, बहुतों को उनमें समझ नहीं।
(61) भला कौन पहुँचता है बेकस की
पुकार को जब उसको पुकारता है और
दूर कर देता है सख्ती और करता है
तुमको नायब पहलों का ज़मीन पर, अब
कोई हाकिम है अल्लाह के साथ? तुम
बहुत कम ध्यान करते हो। (62)

अम्-मंय्यह्दीकुम् फी जुलुमातिल्-बर्ि
 वल्बस्त्रि व मंय्युर्सिलुर-रिया-ह बुश्रम्
 बै-न यदै रस्मतिही, अ-इलाहुम्-
 मअल्लाहि, तअलल्लाहु अम्मा
 युशिरकून (63) अम्-मंय्यब्दउल्-खल्-क
 सुम्-म युअीडुहू व मंय्यरजुकुकुम्
 मिनस्समा-इ वल्अर्जि, अ-इलाहुम्
 मअल्लाहि, कुल् हातू बुरहा-नकुम्
 इन् कुन्तुम् सादिकीन (64)

भला कौन राह बताता है तुमको अंधेरो
 में जंगल के और दरिया के और कौन
 चलाता है हवायें खुशखबरी लाने वालियाँ
 उसकी रहमत से पहले, अब कोई हाकिम
 है अल्लाह के साथ? अल्लाह बहुत ऊपर है
 उससे जिसको शरीक बतलाते हैं। (63)
 भला कौन सिरे से बनाता है फिर उसको
 दोहरायेगा और कौन रोजी देता है तुमको
 आसमान से और ज़मीन से, अब कोई
 हाकिम है अल्लाह के साथ? तू कह- लाओ
 अपनी सनद अगर तुम सच्चे हो। (64)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(पिछली आयत के आखिर में फ़रमाया था 'अल्लाहु ख़ैरुन् अम्मा युशिरकून' यानी क्या अल्लाह बेहतर है या वे बुत वगैरह जिनको ये लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। ये मुशिरकों की बेवकूफी बल्कि उल्टी समझ पर रद्द था, आगे तौहीद की दलीलों का बयान है- ऐ लोगो! यह बतलाओ कि) यह ज़ात (बेहतर है) जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और उसने आसमान से तुम्हारे लिये पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिये हमने रौनकदार बाग़ उगाये (वरना) तुमसे तो मुम्किन न था कि तुम उन (बाग़ों) के दरख़्तों को उगा सको, (यह सुनकर बतलाओ कि) क्या अल्लाह तअला के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक) कोई और माबूद है? (मगर मुशिरक लोग फिर भी नहीं मानते) बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि (दूसरों को) खुदा के बराबर ठहराते हैं। (अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बेहतर हैं) या यह ज़ात जिसने ज़मीन को (मख़्लूक के) ठहरने की जगह बनाया और उसके बीच-बीच में नहरें बनाई और उस (ज़मीन) के (ठहराने के) लिये पहाड़ बनाये, और दो दरियाओं के बीच एक हद्दे-फ़ासिल "यानी एक फ़ासला देने वाली" बनाई (जैसा कि सूः फ़ुरक़ान में 'म-रजल् बहरैनि.....' आ चुका है। यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (खुदाई का शरीक होने के लायक) कोई और माबूद है? (मगर मुशिरक लोग नहीं मानते) बल्कि उनमें ज़्यादा तो (अच्छी तरह) समझते भी नहीं।

(अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह ज़ात जो बेकरार आदमी की सुनता है जब वह उसको पुकारता है, और (उसकी) मुसीबत को दूर कर देता है, और तुमको ज़मीन में इख़्तियार वाला बनाता है, (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक) कोई और माबूद है? (मगर) तुम लोग बहुत ही कम याद रखते

अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह जात जो तु शरिया की अंधेरियों में रास्ता सुझाता है, और जो कि हवाओं को बारिश से पहले भे श की उम्मीद दिलाकर दिलों को) खुश कर देती हैं। (यह सुनकर अब बतलाओ क्या ह के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक) कोई और माबूद है? (हरगिज़ नहीं!) बल्कि अल्लाह पाक उन लोगों के शिर्क से बरतर है। (अच्छा फिर दूसरे कमालात व एहसानात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह जात जो मख्लूक़ात को पहली बार पैदा करता है, फिर उसको दोबारा जिन्दा करेगा और जो कि आसमान और ज़मीन से (पानी बरसाकर और पेड़-पौधे और वनस्पति निकालकर) तुमको रिज़क देता है। (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक) कोई और माबूद है? (और अगर वे यह सुनकर भी कहें कि हाँ और माबूद भी इबादत के मुस्तहिक हैं तो) आप कहिये कि (अच्छा) तुम (उनके इबादत के हक़दार होने पर) अपनी दलील पेश करो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो।

मज़ारिफ़ व मसाईल

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.

अल्-मुज़्तर इज़्तिरार से निकला है, किसी ज़रूरत से मजबूर व बेकरार होने को इज़्तिरार कहा जाता है और वह तभी होता है जब उसका कोई यार व मददगार और सहारा न हो। इसलिये मुज़्तर वह शख्स है जो दुनिया के तमाम सहारों से मायूस होकर ख़ालिस अल्लाह तआला ही को फ़रियाद पूरी करने वाला समझकर उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो। मुज़्तर की यह तफ़सीर सुद्दी, जुन्नून मिस्री, सहल बिन अब्दुल्लाह वगैरह से मन्कूल है। (तफ़सीरे कुर्तुबी) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे शख्स के लिये इन अलफ़ाज़ से दुआ करने की हिदायत फ़रमाई है:

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوا فَلَا تَكُنْ لِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

तर्जुमा: या अल्लाह! मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ इसलिये मुझे एक पल के लिये भी मेरे अपने नफ़्स के हवाले न कीजिये, और आप ही मेरे सब कामों को दुरुस्त कर दीजिये, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मुज़्तर की दुआ इख़्लास की बिना पर ज़रूर कुबूल होती है

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुज़्तर (बेकरार) की दुआ कुबूल करने का ज़िम्मा ले लिया है और इस आयत में इसका ऐलान भी फ़रमा दिया है जिसकी असल वजह यह है कि दुनिया के सब सहारों से मायूस और संबन्धों से कटकर सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को कारसाज़ समझकर दुआ करना इख़्लास का सरमाया है और अल्लाह तआला के नज़दीक इख़्लास का बड़ा दर्जा है, वह जिस किसी बन्दे से पाया जाये वह मोमिन हो या काफ़िर, और मुलकी हो या गुनाहगार व बदकार उसके इख़्लास की बरकत से उसकी तरफ़ रहमतें हक़ मुतवज्जह हो जाती है। जैसा कि हक़ तआला ने काफ़िरों का हाल ज़िक्र फ़रमाया है कि जब ये लोग दरिया में होते हैं और कश्ती सब तरफ़

से मौजों की लपेट में आ जाती है और ये गोया आँखों के सामने अपनी मौत को खड़ा देख लेते हैं उस वक्त ये लोग पूरे इख्लास के साथ अल्लाह तआला को पुकारते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से आप निजात दे दें तो हम शुक्रगुज़ार होंगे, लेकिन जब अल्लाह तआला उनकी दुआ कुबूल करके खुशकी पर ले आते हैं तो ये फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं:

دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... (الى قوله)... فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

एक सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि तीन दुआयें जरूर कुबूल होती हैं जिसमें किसी शक की गुन्जाईश नहीं- एक मज़लूम की दुआ, दूसरे मुसाफिर की दुआ, तीसरे बाप जो अपनी औलाद के लिये बददुआ करे। अल्लामा कुर्तुबी ने इस हदीस को नक़ल करके फरमाया कि इन तीनों दुआओं में भी वही सूत्र है जो दुआ-ए-मुज्तर में ऊपर लिखी गई है कि जब कोई मज़लूम दुनिया के सहारों और मददगारों से मायूस होकर जुल्म के दूर करने के लिये अल्लाह को पुकारता है वह भी मुज्तर ही होता है, इसी तरह मुसाफिर सफ़र की हालत में अपने यारों व रिश्तेदारों और हमदर्दों व ग़मगुसारों से अलग बेसहारा होता है, इसी तरह बाप औलाद के लिये अपनी फितरत और पिता वाली शफ़क़त की बिना पर कभी बददुआ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उसका दिल बिल्कुल टूट जाये और अपने आपको मुसीबत से बचाने के लिये अल्लाह को पुकारे। इमामे हदीस आजरी ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि हक़ तआला का यह इरशाद है कि मैं मज़लूम की दुआ को कभी रद्द नहीं करूँगा अगरचे वह किसी काफिर के मुँह से हो। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

अगर किसी मुज्तर या मज़लूम या मुसाफिर वगैरह को कभी यह महसूस हो कि उसकी दुआ कुबूल नहीं हुई तो बदगुमान और मायूस न हो, कई बार दुआ कुबूल तो हो जाती है मगर अल्लाह की किसी हिक्मत व मस्तेहत से उसका ज़हर देर में होता है, या फिर वह अपने नफ़स को टटोले कि उसके इख्लास और अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह में कमी कोताही रही है। वल्लाहु आलम

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا

اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ بَلِ ادْرَكَ عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ رَبُّهُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَسْنَا نُخْرَجُونَ ۝ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ۚ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

कुल् ला यअलमु मन् फिस्समावाति
 वल्अर्जिल्-गै-ब इल्लल्लाहु, व मा
 यशअरु-न अय्या-न युब्असून (65)
 बलिदार-क अिल्मुहुम् फिल्-आखिरति,
 बल् हुम् फी शक्किम् मिन्हा, बल्
 हुम् मिन्हा अमून। (66) ❀

व कालल्लजी-न क-फरु अ-इजा
 कुन्ना तुराबं-व आबाउना अ-इन्ना
 ल-मुख्रजून (67) ल-कद् वुअिदना
 हाजा नहनु व आबाउना मिन् कब्बु
 इन् हाजा इल्ला असातीरुल्-अव्वलीन
 (68) कुल् सीरु फिल्अर्जि फन्जुरु
 कै-फ का-न आकि-बतुल्-मुज्जिमीन
 (69) व ला तहज़न् अलैहिम् व ला
 तकुन् फी जैकिम्-मिम्मा यम्कुरुन
 (70) व यकूलू-न मता हाज़ल्-वअुदु
 इन् कुन्तुम् सादिकीन (71) कुल्
 असा अय्यकू-न रदि-फ लकुम्
 बअुजुल्लजी तस्तअुजिलून (72) व
 इन्-न रब्ब-क लज़ू फज़िलन्
 अलन्नासि व लाकिन्-न अक्स-रहुम्
 ला यशकुरुन (73) व इन्-न रब्ब-क
 ल-यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम् व
 मा युअलिनून (74) व मा मिन्
 गाइ-बतिन् फिस्समा-इ वल्अर्जि
 इल्ला फी किताबिम्-मुबीन (75)

तू कह- ख़बर नहीं रखता जो कोई है
 आसमान और ज़मीन में छुपी हुई चीज़
 की मगर अल्लाह, और उनको ख़बर नहीं
 कब जिलाये जायेंगे। (65) बल्कि थक कर
 गिर गया उनका फ़िक्र आख़िरत के बारे
 में बल्कि उनको शुब्हा है उसमें बल्कि वे
 उससे अंधे हैं। (66) ❀

और बोले वे लोग जो मुन्किर हैं- क्या
 जब हम हो जायें मिट्टी और हमारे बाप
 दादे क्या हमको ज़मीन से निकालेंगे? (67)
 वायदा पहुँच चुका है इसका हमको और
 हमारे बाप-दादों को पहले से, कुछ भी
 नहीं ये नक़लें हैं अगलों की। (68) तू
 कह दे- फ़िरो मुल्क में तो देखो कैसा हुआ
 आख़िर अन्जाम गुनाहगारों का। (69)
 और ग़म न कर उन पर और न ख़फ़ा हो
 उनके फ़रेब बनाने से। (70) और कहते
 हैं कब होगा यह वायदा अगर तुम सच्चे
 हो? (71) तू कह क्या बईद है जो तुम्हारी
 पीठ पर पहुँच चुकी हो बाज़ी वह चीज़
 जिसकी जल्दी कर रहे हो। (72) और तेरा
 रब तो फज़ल रखता है लोगों पर लेकिन
 उनमें बहुत लोग शुक्र नहीं करते। (73)
 और तेरा रब जानता है जो छुप रहा है
 उनके सीनों में और जो कुछ कि ज़ाहिर
 करते हैं। (74) और कोई चीज़ नहीं जो
 ग़ायब हो आसमान और ज़मीन में मगर
 मौजूद है खुली किताब में। (75)

इन आयतों के मजमून का पीछे से ताल्लुक

ऊपर नुबुव्वत के बाद तौहीद का जिक्र हो चुका, आगे मआद यानी कियामत और आखिरत का जिक्र है जिसकी तरफ तौहीद की दलीलों में इस कौल से संक्षिप्त रूप से इशारा भी हुआ है 'सुम्-म युअीडुहू'। और चूँकि काफिर लोग इसको झुठलाने की एक वजह यह भी करार देते हैं कि कियामत का निर्धारित वक़्त पूछने पर भी नहीं बतलाया जाता, इससे मालूम होता है कि कियामत कोई चीज़ है ही नहीं। यानी वे निर्धारण न होना उसके जाहिर न होने की दलील बनाते थे इसलिए इस मजमून को इस बात से शुरू किया है कि इल्म-ए-ग़ैब अल्लाह तआला के साथ खास है। फ़रमाया:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..... الخ

(जिसमें उनके शुब्हे का जवाब भी हो गया) कियामत का निर्धारित इल्म अल्लाह के साथ मख्सूस है। फिर उनके शक व इनकार की बुराई और निंदा की गयी है 'बलिद्दार-क इल्मुहुम.....' फिर उनके एक इनकारी कौल की नक़ल है 'व कालल्लजी-न क-फ़रू.....' फिर उस इनकार पर डाँट और डरावा है 'कुल् सीरू.....' फिर उस इनकार पर आपकी तसल्ली है 'व ला तहज़न्.....' फिर उस तंबीह और सख़्त डरावे के मुताल्लिक उनके एक शुब्हे का जवाब है 'व यकूलू-न मता हाज़ल्-वअुदु....' फिर धमकी व डरावे की ताकीद है 'व इन्-न रब्ब-क ल-यअुलमु.....' जैसा कि तर्जुमे की वज़ाहत से जाहिर होगा। मुलाहिज़ा फ़रमायें।

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ये लोग जो कियामत का वक़्त न बतलाने से उसके न आने पर दलील पकड़ते हैं, उसके जवाब में) आप कह दीजिए कि (तुम्हारा यह दलील पकड़ना ग़लत है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इतना लाज़िम आया कि मुझसे और तुमसे उस निर्धारण का इल्म ग़ायब रहा सो इसमें इसी की क्या विशेषता है ग़ैब के बारे में तो यह मुस्तक़िल नियम है कि) जितनी मख़्लूक़ात आसमानों और ज़मीन (यानी दुनिया) में मौजूद हैं (उनमें से) कोई भी ग़ैब की बात नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के, और (इसी वजह से) उन (मख़्लूक़ात) को यह ख़बर (भी) नहीं कि वे कब दोबारा ज़िन्दा किये जाएँगे। (यानी अल्लाह तआला को तो बिना बतलाये सब मालूम है और किसी को बिना बतलाये कुछ भी मालूम नहीं, मगर देखा जाता है कि बहुत से मामलात जिनका पहले से इल्म नहीं होता वो जाहिर व उत्पन्न होते हैं। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ का इल्म न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि वह चीज़ मौजूद ही नहीं। बल्कि बात यह है कि अल्लाह तआला को अपनी हिक़मत से कुछ उलूम का ग़ैब के पर्दे में रखना मन्ज़ूर है, कियामत का मुतैयन करना भी उन्हीं चीज़ों में है, इसी लिये मख़्लूक़ को उसका इल्म नहीं दिया गया, मगर इससे उसका कायम न होना कैसे लाज़िम आ गया, और यह निर्धारित तौर पर इल्म न होना तो सब में साझा मामला है, लेकिन इन काफ़िरों व मुन्किरों में सिर्फ़ यही नहीं कि मुतैयन रूप से कियामत को नहीं मानते) बल्कि (इससे बढ़कर यह बात है कि) आखिरत के बारे में (खुद) उनका इल्म (ही पूरी तरह) नेस्त हो गया (यानी खुद उसके कायम व उत्पन्न होने ही

का इल्म नहीं जो मुतैयन तौर पर इल्म न होने से भी ज्यादा सख्त है) बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) ये लोग उस (के आने) से शक में हैं, बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) ये उससे अंधे बने हुए हैं (यानी जैसे अंधे को रास्ता नज़र नहीं आता इसलिये मकसूद तक पहुँचना नामुम्किन है इसी तरह आखिरत की तस्दीक का जो ज़रिया है यानी सही दलीलें ये लोग अपने हृद से बड़े हुए बैर और दुश्मनी की वजह से उन दलीलों में गौर व फ़िक्र ही नहीं करते, इसलिए वो दलीलें इनको नज़र नहीं आती जिससे मतलूब तक पहुँच जाने की उम्मीद होती। पर यह शक से भी बढ़कर है क्योंकि शक वाला कई बार दलीलों में निगाह करके शक को दूर कर लेता है और यह सोच-विचार और निगाह भी नहीं करते) और (काफ़िरों की इस बुराई और ग़लत चाल के बाद आगे उनका एक इनकारी क़ौल नक़ल फ़रमाते हैं कि) ये काफ़िर यूँ कहते हैं कि क्या हम लोग जब (मरकर) मिट्टी हो गये और (इसी तरह) हमारे बड़े भी, तो क्या (फिर) हम (ज़िन्दा करके क़ब्रों से) निकाले जाएँगे। इसका तो हमसे और हमारे बड़ों से (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से) पहले से वायदा होता चला आया है, (क्योंकि तमाम नबियों का क़ौल मशहूर है, लेकिन न आज तक हुआ और न किसी ने बतलाया कि कब होगा इससे मालूम होता है कि) ये बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आई हैं।

आप कह दीजिए कि (जब इसके मुम्किन होने पर अक़ली दलीलें और वाक़े व ज़ाहिर होने पर किताबी और रिवायती दलीलें जगह-जगह बार-बार तुमको सुना दी गयी हैं तो तुमको झुठलाने से बाज़ आना चाहिए वरना जो दूसरे झुठलाने वालों का हाल हुआ है कि अज़ाब में गिरफ़्तार हुए वही तुम्हारा हाल होगा। अगर उनकी हालत में कुछ शुब्हा हो तो) तुम ज़मीन में चल-फिरकर देखो कि मुजरिम लोगों का अन्जाम क्या हुआ। (क्योंकि उनके हलाक होने और अज़ाब आने के निशानात अब तक बाकी थे) और (अगर इन स्पष्ट और दिल में उतर जाने वाली नसीहतों के बावजूद फिर भी मुखालफ़त पर क़मर कसे हुए हैं तो) आप उन पर गुम न कीजिये और जो कुछ ये शरारतें कर रहे हैं उनसे तंग न होईए (क्योंकि दूसरे अम्बिया के साथ भी यही मामला हुआ है)।

और 'कुलु सीरु फ़िल्अर्ज़ि.....' में और इसके जैसी दूसरी आयतों में जो इनको अज़ाब की धमकी सुनाई जाती है तो चूँकि दिल में तस्दीक नहीं इसलिये) ये लोग (निडर होकर) यूँ कहते हैं कि यह वायदा (अज़ाब व क़हर का) कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो (तो बतलाओ)। आप कह दीजिए कि बड़ी बात नहीं कि जिस अज़ाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसमें से कुछ तुम्हारे पास ही आ लगा हो। (अब तक जो देर हो रही है उसकी वजह यह है कि) आपका रब लोगों पर (अपना) बड़ा फ़ज़ल रखता है, (उस आम रहमत की वजह से किसी क़द्र मोहलत दे रखी है) व लेकिन अक्सर आदमी (इस बात पर) शुक्र नहीं करते (कि देर करने और मोहलत देने को ग़नीमत समझें और उस मोहलत में हक़ की तलब करें और उसको कुबूल कर लें कि अज़ाब से हमेशा के लिये निजात हासिल हो, बल्कि इसके उलट इनकार और मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर जल्दबाज़ी करते हैं)।

और (यह देर करना चूँकि मस्तेहत के सबब है इसलिए यह न समझें कि इन कामों की कभी सज़ा ही न होगी, क्योंकि) आपके रब को सब ख़बर है जो कुछ उनके दिलों में छुपा है और जिसको वे ऐलानिया करते हैं। और (यह सिर्फ़ अल्लाह के इल्म ही में नहीं बल्कि अल्लाह के दफ़्तर में लिखा

हुआ है जिसमें कुछ उन्हीं के कामों की विशेषता नहीं बल्कि) आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं जो लौह-ए-महफूज़ में न हो (और अल्लाह का दफ़्तर यही लौह-ए-महफूज़ है, और जब छुपी चीज़ें जिनको कोई नहीं जानता उसमें मौजूद हैं तो ज़ाहिर चीज़ें तो और अच्छी तरह मौजूद हैं।

गर्ज कि उनके बुरे आमांल की अल्लाह तआला को ख़बर है और आसमानी दफ़्तर में भी महफूज़ हैं, और वो आमांल खुद सज़ा को चाहते भी हैं और सज़ा के वाक़े होने पर तमाम नबियों की दी हुई सच्ची ख़बरें भी सहमत हैं। फिर यह समझने की क्या गुंजाईश है कि सज़ा न होगी, अलबत्ता देर होना मुम्किन है, चुनाँचे कुछ सज़ायें इन इनकारियों को दुनिया में भी हुईं जैसे सूखा पड़ना, क़त्ल व कैद होना वगैरह, और कुछ क़ब्र व बर्ज़ख़ में होंगी जो कुछ दूर नहीं, और कुछ आख़िरत में होंगी।

मआरिफ़ व मसाईल

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म है कि आप लोगों को बतला दें कि जितनी मख़्लूक आसमानों में है जैसे फ़रिश्ते और जितनी मख़्लूक ज़मीन में है जैसे इन्सान और जिन्नात वगैरह उनमें से कोई भी ग़ैब को नहीं जानता सिवाय अल्लाह तआला के। उक्त आयत ने पूरी वज़ाहत और खुलासे के साथ यह बतलाया है कि इल्म-ए-ग़ैब अल्लाह तआला की ख़ास सिफ़त है जिसमें कोई फ़रिश्ता या नबी व रसूल भी शरीक नहीं हो सकता। इस मसले की ज़रूरी तफ़सील सूर: अन्आम की आयत नम्बर 59 के तहत जिल्द 3 में आ चुकी है। इसके अलावा इस विषय पर अहक़र का एक मुस्तक़िल रिसाला 'कश्फ़ुरैब अन् इल्मिन्-ग़ैब' के नाम से अहकामुल-कुरआन (अरबी) का भाग बनकर प्रकाशित हो चुका है। उलेमा हज़रत तफ़सील वहाँ देख सकते हैं।

بَلْ اَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا غَمُوْنَ ۝

लफ़ज़ इद्दार-क में क़िराअतें भी भिन्न हैं और इसके मायने में भी कई कौल हैं। उलेमा इसकी तफ़सील तफ़सीरों में देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ़ इतना समझ लेना काफ़ी है कि इद्दार-क के मायने कुछ मुफ़स्सरीन ने तकामुल (मुकम्मल होने) के किये हैं और फ़िल्-आख़िरति को इद्दार-क से मुताल्लिक करके मायने यह करार दिये हैं कि आख़िरत में उनका इल्म इस मामले में मुकम्मल हो जायेगा, क्योंकि उस वक़्त हर चीज़ की हक़ीक़त खुलकर सामने आ जायेगी, मगर उस वक़्त इल्म होना उनके कुछ काम न आयेगा क्योंकि दुनिया में वे आख़िरत को झुठलाते रहे थे। और कुछ मुफ़स्सरीन ने लफ़ज़ इद्दार-क के मायने ज़ल्-ल व ग़ा-ब के लिये और फ़िल्-आख़िरति को इल्मुहुम से मुताल्लिक किया कि आख़िरत के मामले में उनका इल्म ग़ायब हो गया, उसको न समझ सके।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقْضٰٓ عَلٰٓى بَنِيٓ اِسْرٰٓءِٖلَ اَكْثَرَ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ

يَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَاِنَّهُ لَهْدٰٓى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَکُمْ بِحُكْمِهٖ ۝ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ ۝

فَتَوَكَّلْ عَلٰٓى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلٰٓى الْحَقِّ الْمُبِیْنِ ۝

इन्-न हाज़ल्-कुरआ-न यकुस्सु अला
 बनी इस्राई-ल अक्स-रल्लज़ी हुम्
 फ़ीहि यख़्तलिफून् (76) व इन्नहू
 लहुदं-व रस्मतुल् लिल्-मुअ्मिनीन्
 (77) इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम
 बिहुक्मिही व हुवल् अज़ीज़ुल्-अलीम
 (78) फ़-तवक्कल् अल्ललाहि,
 इन्न-क अलल्-हक्किल्-मुबीन् (79)

यह कुरआन सुनाता है बनी इस्राईल को
 बहुत चीज़ें जिसमें वे झगड़ रहे हैं। (76)
 और बेशक वह हिदायत है और रहमत है
 ईमान वालों के वास्ते। (77) तेरा रब उन
 में फैसला करेगा अपनी हुक्मत से, और
 वही है ज़बरदस्त सब कुछ जानने वाला।
 (78) सो तू भरोसा कर अल्लाह पर
 बेशक तू है सही खुले रास्ते पर। (79)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक यह कुरआन बनी इस्राईल पर अक्सर उन बातों (की हकीकत) को ज़ाहिर करता है जिसमें वे इख़िलाफ़ (झगड़ा व मतभेद) करते हैं। और यकीनन वह ईमान वालों के लिये (खास) हिदायत और (खास) रहमत है। (हिदायत नेकी व आमाल के एतिबार से और रहमत परिणाम व फल के एतिबार से) यकीनन आपका परवर्दिगार उनके बीच अपने हुक्म से (वह अमली) फैसला (कियामत के दिन) करेगा। (उस वक़्त मालूम हो जायेगा कि हक़ दीन क्या था और बातिल क्या, तो ऐसे लोगों पर क्या अफ़सोस किया जाये) और वह ज़बरदस्त और इल्म वाला है। (बिना उसकी मर्जी चाहत के कोई किसी को नुक़सान नहीं पहुँचा सकता) तो आप अल्लाह तआला पर भरोसा रखिए (अल्लाह की मदद ज़रूर होगी, क्योंकि) यकीनन आप बिल्कुल हक़ पर हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

इनसे पहली आयतों में हक़ तआला की कामिल क़ुदरत को विभिन्न मिसालों से साबित करके यह बात साबित कर दी गई है कि कियामत का आना और उसमें मुर्दों का दोबारा ज़िन्दा होना अक्ली तौर पर मुम्किन है, इसमें कोई अक्ली शुब्हा व इश्काल नहीं। अक्ली संभावना के साथ उसका ज़रूर चाक़े (ज़ाहिर व उत्पन्न) होना यह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबों की रिवायत से साबित है, और किसी ख़बर का सही और साबित होना इस पर निर्भर है कि उसका नक़ल करने और ख़बर देने वाला सादिक़ और सच्चा हो। इसलिये इस आयत में यह बयान फ़रमाया है कि इसका मुख़बिर (ख़बर व इत्तिला देने वाला) कुरआन है और उसका सच्चा ख़बर देने वाला होना नाक़विले इनकार है, यहाँ तक कि बनी इस्राईल के उलेमा जिन मसाईल में आपस में सख़्त मतभेद रखते थे और वे हल न होते थे, कुरआने हकीम ने उन मसाईल में जज बनकर सही फैसलों की हिदायत फ़रमाई है, और यह ज़ाहिर है कि उलेमा के इख़िलाफ़ (मतभेद व झगड़े) में जज बनने और फैसला

करने वाला उन सब उलेमा से बड़ा आलिम और ऊँचा होना ज़रूरी है, इसलिये कुरआन का सच्चा खबर देने वाला होना स्पष्ट हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये इरशाद फ़रमाया गया है कि आप उनकी मुखालफ़त से तंगदिल (दुखी व चिन्तित) न हों अल्लाह तआला खुद आपका फ़ैसला करने वाला है, आप अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि अल्लाह की नुसरत व इमदाद हक़ के साथ है और आपका हक़ रास्ते पर होना यकीनी है।

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۗ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

इन्न-क ला तुस्मिअुल्-मौता व ला
तुस्मिअुस्-सुम्मद्दुआ-अ इज़ा वल्लौ
मुद्बिरीन (80) व मा अन्-त
बिहादिल्-अुम्यि अन् ज़लालतिहिम्,
इन् तुस्मिअु इल्ला मंयुअुमिनु
बिआयातिना फ़हुम् मुस्लिमून (81)

बेशक तू नहीं सुना सकता मुर्दों को और
नहीं सुना सकता बहरों को अपनी पुकार
जब लौटें वे पीठ फेरकर। (80) और न
तू दिखला सके अंधों को जब वे राह से
बचें, तू तो सुनाता है उसको जो यकीन
रखता हो हमारी बातों पर, सो वे हुक्म
मानने वाले हैं। (81)

खुलासा-ए-तफसीर

आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, (खासकर) जब वे पीठ फेरकर चल दें। और न आप अन्धों को उनकी गुमराही से (बचाकर) रास्ता दिखलाने वाले हैं, आप तो सिर्फ़ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं (और) फिर वे मानते (भी) हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

हमारे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम इनसानों के साथ जो शफ़क़त व हमदर्दी का ज़ब्बा रखते थे उसका तकाज़ा था कि सब को अल्लाह का पैग़ाम सुनाकर जहन्नम से बचा लें, जो लोग उस पैग़ाम को मन्ज़ूर न करते तो आपको सख़्त सदमा पहुँचता था, और आप ऐसे गुमगीन होते थे जैसे किसी की औलाद उसके कहने के खिलाफ़ आग में जा रही हो। इसलिये कुरआने करीम ने जगह-जगह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये मुख़्तलिफ़ उनवानात इख़्तियार फ़रमाये हैं, अभी ऊपर गुज़री आयत नम्बर 70 इसी सिलसिले का एक उनवान था। उपर्युक्त आयत में भी तसल्ली का मज़मून दूसरे अन्दाज़ से बयान फ़रमाया है कि आपका काम पैग़ामे हक़ को पहुँचा देने का है वह आप पूरा कर चुके हैं, जिन लोगों ने उसको क़बूल नहीं किया इसमें

आपका कोई कसूर और कोताही नहीं जिस पर आप गुम करें, बल्कि वे अपनी कुबूल करने की सलाहियत ही को खो चुके हैं। उनके अपनी सलाहियत को गुम कर लेने को इस आयत में कुरआने करीम ने तीन मिसालों में साबित किया है- अब्बल यह कि ये लोग हक़ को कुबूल करने के मामले में बिल्कुल मुर्दा लाश की तरह हैं जो किसी की बात सुनकर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरे यह कि उनकी मिसाल उस बहरे आदमी की है जो बहरा होने के साथ बात सुनना भी नहीं चाहता बल्कि जब कोई सुनाना चाहे तो उससे पीठ मोड़कर भागता है। तीसरे यह कि उनकी मिसाल अंधों के जैसी है कि कोई उनको रास्ता दिखाना भी चाहे तो वे नहीं देख सकते इन तीन मिसालों का जिक्र करने के बाद आखिर में फ़रमाया:

إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

यानी आप तो सिर्फ़ ऐसे ही लोगों को सुना सकते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लायें और इताअत कुबूल करें। इस पूरे मज़मून में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस जगह सुनने सुनाने से मुराद महज़ कानों में आवाज़ पहुँचाना नहीं बल्कि मुराद इससे वह सुनना है जो फ़ायदा देने वाला हो। जो सुनना फ़ायदा देने वाला न हो उसको कुरआन ने मक़सद के एतिबार से न सुनने ही से ताबीर किया है जैसा कि आयत के आखिर में यह इरशाद है कि आप तो सिर्फ़ उन लोगों को सुना सकते हैं जो ईमान लायें। अगर इसमें सुनाने से मुराद महज़ उनके कान तक आवाज़ पहुँचाना होता तो कुरआन का यह इरशाद आम अनुभव और मुशाहदे के खिलाफ़ हो जाता, क्योंकि काफ़िरों के कानों तक आवाज़ पहुँचाने और उनके सुनने जवाब देने के सबूत बेशुमार हैं, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता।

इससे स्पष्ट हुआ कि सुनाने से मुराद वह सुनाना है जो लाभदायक हो, उनको मुर्दा लाश से मिसाल देकर जो यह फ़रमाया गया है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते इसके मायने भी यही हुए कि जैसे मुर्दे अगर कोई बात हक़ की सुन भी लें और उस वक़्त वे हक़ को कुबूल करना भी चाहें तो यह उनके लिये फ़ायदेमन्द नहीं, क्योंकि वे दुनिया इस जहान और अमल की जगह से गुज़र चुके हैं जहाँ ईमान व अमल लाभदायक हो सकता था, मरने के बाद बर्ज़ख़ या मेहशर में तो सभी काफ़िर मुन्किर ईमान और नेक अमल की तमन्ना करेंगे मगर वह वक़्त ईमान व अमल के कुबूल होने का वक़्त नहीं। इसलिये इस आयत से यह बात साबित नहीं होती कि मुर्दे कोई कलाम किसी का सुन ही नहीं सकते इसलिये मुर्दों को सुनाने के मसले से दर हकीकत यह आयत ख़ामोश है, यह मसला अपनी जगह विचारनीय है कि मुर्दे किसी कलाम को सुन सकते हैं या नहीं?

मुर्दों के सुनने का मसला

यह मसला कि मुर्दे कोई कलाम सुन सकते हैं या नहीं, उन मसाईल में से है जिनमें ख़ुद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का आपस में मतभेद रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुर्दों के सुनने को साबित करार देते हैं और हज़रत उम्मुल-मोमिनीन सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसकी नफ़ी करती हैं। इसी लिये दूसरे सहाबा व ताबिईन में भी दो गिरोह हो गये, कुछ इराक़े सुबूत के कायल हैं कुछ नफ़ी के। और कुरआने करीम में यह मज़मून एक तो इसी मौक़े पर सूर: नमल में

आया है दूसरे सूर: रूम में तकरीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ दूसरी आयत आई है और सूर: फ़ातिर में यह मज़मून इन अलफ़ाज़ से आया है:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۝

यानी आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कि कब्रों में हैं।

इन तीनों आयतों में यह बात गौर करने के काबिल है कि इनमें से किसी में भी यह नहीं फ़रमाया कि मुर्दे सुन नहीं सकते बल्कि तीनों आयतों में नफ़ी इसकी की गई है कि आप नहीं सुना सकते। तीनों आयतों में इसी ताबीर व उनवान को इख़्तियार करने से इस तरफ़ खुला इशारा निकलता है कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत तो हो सकती है मगर हम अपने इख़्तियार से उनको सुना नहीं सकते।

इन तीनों आयतों के मुक़ाबले में एक चौथी आयत जो शहीदों के बारे में आई है वह यह साबित करती है कि शहीदों को अपनी कब्रों में एक खास किस्म की जिन्दगी अता होती है और उस जिन्दगी के मुताबिक़ रिज़्क भी उनको मिलता है, और अपने पीछे छोड़े परिजनों के बारे में भी अल्लाह की तरफ़ से उनको खुशख़बरी सुनाई जाती है। आयत यह है:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

यह आयत इसकी दलील है कि मरने के बाद भी इनसानी रूह में शऊर और एहसास बाकी रह सकता है, बल्कि शहीदों के मामले में इसके वाक़े होने की शहादत भी यह आयत दे रही है। रहा यह मामला कि यह हुक्म तो शहीदों के साथ मख़सूस है दूसरे मुर्दों के लिये नहीं, सो इसका जवाब यह है कि इस आयत से कम से कम इतना तो साबित हो गया कि मरने के बाद भी इनसानी रूह में शऊर व एहसास और इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ बाकी रह सकता है, जिस तरह अल्लाह तआला ने शहीदों को यह सम्मान बख़्शा है कि उनकी रूहों का ताल्लुक़ उनके जिस्मों और कब्रों के साथ कायम रहता है उसी तरह जब अल्लाह तआला चाहें तो दूसरे मुर्दों को यह मौक़ा दे सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुर्दों के सुनने के कायल हैं उनका यह कौल भी एक सही हदीस की बिना पर है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सही सनदों के साथ मन्कूल है। वह यह है:

مما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روح حتى يرد عليه السلام

(ذکرہ ابن کثیر فی تفسیرہ مصححاً عن ابن عمر)

“जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की कब्र पर गुज़रता है जिसको वह दुनिया में पहचानता था और वह उसको सलाम करे तो अल्लाह तआला उस मुर्दे की रूह उसमें वापस भेज देते हैं ताकि वह सलाम का जवाब दे।”

इससे भी यह साबित हुआ कि जब कोई शख्स अपने मुर्दा मुसलमान भाई की कब्र पर जाकर सलाम करता है तो वह मुर्दा उसके सलाम को सुनता और जवाब देता है और उसकी सूरत यह होती

है कि अल्लाह तआला उस वक्त उसकी रूह इस दुनिया में वापस भेज देते हैं। इससे दो बातें साबित हुईं एक यह कि मुर्दे सुन सकते हैं दूसरे यह कि उनका सुनना और हमारा सुनाना हमारे इख्तियार में नहीं अलबत्ता अल्लाह तआला जब चाहें सुना दें, जब न चाहें न सुनायें।

मुसलमान के सलाम करने के वक्त तो इस हदीस ने बतला दिया कि हक़ तआला मुर्दे की रूह वापस लाकर उसको सलाम सुना देते हैं और उसको सलाम का जवाब देने की भी कुदरत देते हैं। बाकी हांलात व कलिमात के मुताल्लिक कोई निश्चित फैसला नहीं किया जा सकता कि मुर्दा उनको सुनेगा या नहीं। इसी लिये इमाम गज़ाली और अल्लामा सुबकी वगैरह की तहकीक़ यह है कि इतनी बात तो सही हदीसों और कुरआन की मज़कूरा आयत से साबित है कि कुछ वक्तों में मुर्दे जिन्दों का कलाम सुनते हैं लेकिन यह साबित नहीं कि हर मुर्दा हर हाल में हर शख्स के कलाम को ज़रूर सुनता है, इस तरह आयतों व रिवायतों में जोड़ और मुवाफ़क़त भी हो जाती है। हो सकता है कि मुर्दे एक वक्त में जिन्दों के कलाम को सुन सकें दूसरे वक्त न सुन सकें। यह भी मुम्किन है कि कुछ लोगों के कलाम को सुनें कुछ के कलाम को न सुनें, या कुछ मुर्दे सुनें कुछ न सुनें, क्योंकि सूर: नम्ल, सूर: रूम, सूर: फ़ातिर की आयतों से भी यह साबित है कि मुर्दों को सुनाना हमारे इख्तियार में नहीं बल्कि अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं सुना देते हैं, इसलिये जिन मौकों पर हदीस की सही रिवायतों से सुनना साबित है वहाँ सुनने पर अक़ीदा रखा जाये और जहाँ साबित नहीं वहाँ दोनों संभावनायें हैं इसलिये निश्चित रूप से न सुबूत की गुन्जाईश है न निश्चित रूप से नफ़ी की। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम।

इस मसले की मुकम्मल तहकीक़ में अहक़र ने एक मुस्तक़िल रिसाला 'तकमीलुल-हुबूर बिसिमाअि अहलिल-कुबूर' के नाम से लिखा है जो किताब अहक़ामुल-कुरआन सूर: रूम में अरबी भाषा में प्रकाशित हुआ है, जिसमें आयतों व रिवायतों और पहले व बाद के उलेमा व बुजुर्गों के अक़वाल और 'शरहुस्सुदूर' वगैरह से क़ब्र वालों के बहुत से वाकिआत व गुफ़्तगूयें नक़ल किये गये हैं। उलेमा और इल्मी जौक़ रखने वाले हज़रात देख सकते हैं, अ़वाम के लिये यहाँ उसका ज़रूरी खुलासा किया गया है।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

व इज़ा व-क़अल्-कौलु अलैहिम्
अख़्रजूना लहुम् दाब्बतम् मिनल्-
अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम् अन्नन्ना-स कानू
बिआयातिना ला यूकिनून (82) ❀

और जब पड़ चुकेगी उन पर बात निकालेंगे हम उनके आगे एक जानवर ज़मीन से उनसे बातें करेगा इस वास्ते कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। (82) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जब (कियामत का) वायदा उन (लोगों) पर पूरा होने को होगा (यानी कियामत का ज़माना

क़रीब आ पहुँचेगा) तो हम उनके लिये ज़मीन से एक (अजीब) जानवर निकालेंगे कि वह उनसे बातें करेगा, कि (काफ़िर) लोग हमारी (यानी अल्लाह तआला की) आयतों पर (विशेष रूप से उन आयतों पर जो क़ियामत से संबन्धित हैं) यकीन नहीं लाते थे (मगर क़ियामत आ पहुँची उसकी निशानियों में से एक निशानी मेरा आना और ज़ाहिर होना भी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

‘दाब्बतुल्-अर्ज’ क्या है और कहाँ और कब निकलेगा?

मुस्नद अहमद में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक कायम न होगी जब तक तुम उससे पहले दस निशानियाँ न देख लो।

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. सूरज का पश्चिम की ओर से निकलना। | 2. दुखान (धुआँ)। |
| 3. दाब्बा (जानवर)। | 4. याजूज व माजूज का निकलना। |
| 5. ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। | 6. दज़्जाल का निकलना। |

7, 8, 9. तीन ज़मीनों का धंसना, एक पश्चिम में दूसरा पूरब में तीसरा अरब द्वीप में होगा।

10. एक आग जो अदन के निचले हिस्से और गहराई से निकलेगी और सब लोगों को हंकाकर मैदाने हशर की तरफ़ ले आयेगी, जिस मक़ाम में लोग रात गुज़ारने के लिये ठहरेंगे यह आग भी ठहर जायेगी फिर उनको ले चलेगी। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है)

इस हदीस से क़ियामत के क़रीब ज़मीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ जो लोगों से बातें करेगा और लफ़्ज़ दाब्बतुन के आ़म होने में उस जानवर के अजीब शक्त का होने की तरफ़ भी इशारा पाया गया, और यह भी कि यह जानवर आ़म जानवरों की तरह पैदा होने के तरीके पर पैदा नहीं होगा बल्कि अचानक ज़मीन से निकलेगा, और यह बात भी इसी हदीस से समझ में आती है कि दाब्बतुल्-अर्ज का निकलना बिल्कुल आखिरी निशानियों में से होगा जिसके बाद बहुत जल्द क़ियामत आ जायेगी। इमाम इब्ने कसीर ने अबू दाऊद व तियालिसी के हवाले से हज़रत तल्हा बिन उमर से एक लम्बी हदीस में रिवायत किया है कि यह दाब्बतुल्-अर्ज मक्का मुकर्रमा में सफ़ा पहाड़ से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिदे हराम में हज़रे-अस्वद और मक़ामे-इब्राहीम के बीच पहुँच जायेगा। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमाअत रह जायेगी यह जानवर उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। उसके बाद वह ज़मीन की तरफ़ निकलेगा, हर काफ़िर के चेहरे पर कुफ़्र का निशान लगा देगा, कोई उसकी पकड़ से भाग न सकेगा, यह हर मोमिन व काफ़िर को पहचानेगा। (इब्ने कसीर)

और मुस्लिम बिन हज़्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी थी जिसको मैं कभी भूलता नहीं वह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत की आखिरी निशानियों

में सबसे पहले सूरज का पश्चिम से निकलना होगा और सूरज ऊँचा होने के बाद दाब्बतुल-अर्ज (जमीन का जानवर) निकलेगा, इन दोनों निशानियों में से जो भी पहले हो जाये उसके फौरन बाद कियामत आ जायेगी। (इब्ने कसीर)

शैख जलालुद्दीन महल्ली ने फरमाया कि दाब्बा (जानवर) के निकलने के वक्त 'अम्र बिल-मारूफ' और 'नही अनिल्-मुन्कर' (यानी अच्छी बातों का हुक्म करने और बुरी बातों से रोकने और मना करने) के अहकाम का सिलसिला बन्द हो जायेगा और उसके बाद कोई काफिर इस्लाम कुबूल न करेगा। यह मजमून बहुत सी हदीसों व अक़वाल से निकलता है। (तफ़सीरे मज़हरी)

अल्लामा इब्ने कसीर वगैरह ने इस जगह दाब्बतुल-अर्ज की शकल व सूरत और हालात के मुताल्लिक अनेक रिवायतें नक़ल की हैं जिनमें से अक्सर काबिले एतिमाद नहीं, इसलिये जितनी बात कुरआन की आयतों और सही हदीसों से साबित है कि यह अजीब शकल व सूरत का जानवर होगा, पैदाईश के आम और नियमित तरीके से हटकर जमीन से निकलेगा, इसका निकलना मक्का मुकर्रमा में होगा, फिर सारी दुनिया में फिरेगा, यह काफिर व मोमिन को पहचानेगा और उनसे कलाम करेगा, बस इतनी बात पर अक्कीदा रखा जाये ज्यादा हालात व कैफ़ियतों की तहकीक़ व तफ़तीश न ज़रूरी है न इससे कुछ फ़ायदा है।

रहा यह मामला कि दाब्बतुल-अर्ज (जमीन से निकलने वाला जानवर) लोगों से कलाम करेगा इसका क्या मतलब है? कुछ हज़रत ने फरमाया कि उसका कलाम यही होगा जो कुरआन में बयान हुआ है:

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝

यह कलाम वह अल्लाह तआला की तरफ़ से लोगों को सुनायेगा कि "बहुत से लोग आज से पहले हमारी आयतों पर यकीन न रखते थे" और मतलब यह होगा कि अब वह वक्त आ गया है कि उन सब को यकीन हो जायेगा, मगर इस वक्त का यकीन शरई तौर पर मोतबर नहीं होगा। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन बसरी और क़तादा रह. से मन्कूल है और एक रिवायत हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू से भी है कि यह जानवर लोगों से खिताब और कलाम करेगा जिस तरह आम कलाम होता है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ

إِذَا جَاءُ وَقَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْإِنبِلَ لِيَسْكُتُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَفْرَةٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۝ وَكُلُّ أُنثَىٰ ذَخِيرَةٍ ۝ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَآئِدَةً وَهِيَ ثَمَرٌ مِّمَّا تَحْمِلُ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۝ وَهُمْ مِّنْ فِرْعَوْنَ يَوْمِئِذٍ مُّؤْمِنُونَ ۝

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيحَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

व यौ-म नश्शुरु मिन् कुल्लि उम्मतिन्
 फौजम् मिम्मंयुकज़िबु बिआयातिना
 फहुम् यू-ज़अून (83) हत्ता इज़ा जाऊ
 का-ल अ-कज़ब्तुम् बिआयाती व
 लम् तुहीतू बिहा अिल्मन् अम्-मा
 ज़ा कुन्तुम् तअ्मलून (84) व
 व-कअल्-कौलु अलैहिम् बिमा ज़-लमू
 फहुम् ला यन्तिकून (85) अलम् यरौ
 अन्ना ज-अल्नल्लै-ल लियस्कुनू फीहि
 वन्नहा-र मुब्सिरन्, इन्-न फी
 ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंयू-
 युअ्मिनून (86) व यौ-म युन्फख़ु
 फिस्सूरि फ-फज़ि-अ मन् फिस्समावाति
 व मन् फिल्अर्जि इल्ला मन्
 शा-अल्लाहु, व कुल्लुन् अतौहु
 दाख़िरीन (87) व तरल्-जिबा-ल
 तह्सबुहा जामि-दतंव्-व हि-य तमुरु
 मर्रस्सहाबि, सुन् अल्लाहिल्लज़ी
 अत्क-न कुल्-ल शैइन्, इन्नहू
 खबीरुम् बिमा तफअलून (88) मन्
 जा-अ बिल्ह-स-नति फ-लहू ख़ैरुम्-
 मिन्हा व हुम् मिन् फ-ज़अिंयू-
 यौमइज़िन् आमिनून (89)

और जिस दिन घेर बुला लायेंगे हम हर
 एक फिर्के में से एक जमाअत जो झुठलाते
 थे हमारी बातों को, फिर उनकी जमाअत
 बनाई जायेगी (83) यहाँ तक कि जब
 हाज़िर हो जायें फरमायेगा- क्यों झुठलाया
 तुमने मेरी बातों को और न आ चुकी थीं
 तुम्हारी समझ में, या बोलो कि क्या करते
 थे। (84) और पड़ चुकी उन पर बात
 इस वास्ते कि उन्होंने शरारत की थी अब
 वे कुछ नहीं बोल सकते। (85) क्या नहीं
 देखते कि हमने बनाई रात कि उसमें चैन
 हासिल करें और दिन बनाया देखने को,
 बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के
 लिये जो यकीन करते हैं। (86) और जिस
 दिन फूँकी जायेगी सूर तो घबरा जाये जो
 कोई है आसमान में और जो कोई है
 ज़मीन में मगर जिसको अल्लाह चाहे,
 और सब चले आयें उसके आगे आजिज़ी
 से। (87) और तू देखे पहाड़ों को समझे
 कि वो जम रहे हैं और वो चलेंगे जैसे
 चले बादल, कारीगरी अल्लाह की जिसने
 दुरुस्त किया है हर चीज़ को, उसको ख़बर
 है जो कुछ तुम करते हो। (88) जो कोई
 लेकर आया भलाई तो उसको मिले उससे
 बेहतर, और उनको घबराहट से उस दिन
 अमन है। (89)

व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फकुब्बत्
वुजूहुहुम् फिन्नारि, हल् तुज्जौ-न
इल्ला मा कुन्तुम् तअमलून (90)

और जो कोई लेकर आया बुराई :
डालें उनके मुँह आग में, वह
पाओगे जो कुछ तुम किया करते थे। (90)

खुलासा-ए-तफसीर

और जिस दिन (कब्रों से ज़िन्दा करने के बाद) हम हर उम्मत में से (यानी पहली उम्मतों में से भी और इस उम्मत में से भी) एक-एक गिरोह उन लोगों का (हिसाब के लिये) जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे, (फिर उनको हिसाब के मक़ाम की तरफ़ हिसाब के लिये खाना किया जायेगा, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा होंगे इसलिये) उनको (चलने में पिछलों से आ मिलने के वास्ते) रोका जायेगा (ताकि आगे-पीछे न रहें, सब साथ होकर हिसाब की जगह की तरफ़ चलें। इससे मुराद उनकी अधिकता का बयान है, क्योंकि बड़े मजमे में आदतन ऐसा होता है चाहे रोक-टोक हो या न हो) यहाँ तक कि जब (चलते-चलते हिसाब के मक़ाम में) हाज़िर हो जाएँगे तो (हिसाब शुरू होगा और) अल्लाह इरशाद फ़रमायेगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया था, हालाँकि तुम उनको अपने इल्मी घेरे में भी नहीं लाते (जिसके बाद गौर करने का मौक़ा मिलता और गौर करके उस पर कुछ राय कायम करते। मतलब यह कि सुनते ही बिना सोचे समझे और विचार करे उनको झुठला दिया और झुठलाने ही पर बस नहीं किया) बल्कि (याद तो करो उसके अलावा) और भी क्या-क्या काय करते रहे (मसलन नबियों को और ईमान वालों को तकलीफ़ें दीं जो झुठलाने से भी बढ़कर है। इसी तरह दूसरे कुफ़्रिया अक़ीदों और बुराईयों व गुनाहों में मुब्तला रहे)।

और (अब वह वक़्त है कि) उन पर (जुर्म के साबित हो जाने के सबब अज़ाब का) वायदा पूरा हो गया (यानी सज़ा का पात्र होना साबित हो गया) इस वजह से कि (दुनिया में) इन्होंने (बड़ी-बड़ी) ज़्यादातियाँ की थीं (जिनका आज ज़हूर साबित हो गया) सो (चूँकि सुबूत मज़बूत है इसलिए) वे लोग (उज़्र वग़ैरह के मुताल्लिक) बात भी न कर सकेंगे (और कुछ आयतों में जो उनका उज़्र पेश करना बयान हुआ है वह शुरू में होगा, फिर हुज्जत कायम होने के बाद कोई बात न कह सकेंगे। और ये लोग जो क़ियामत के आने की संभावना के इनकारी हैं तो यह इनकी कोरी बेअक्ली है क्योंकि किताबी और रिवायती सच्ची दलीलों के अलावा इस पर अक्ली दलील भी तो कायम है, मसलन) क्या इन्होंने इस पर नज़र नहीं की कि हमने रात बनाई ताकि लोग उसमें आराम करें (और यह आराम मौत की तरह है) और दिन बनाया जिसमें देखें भालें (जो कि मौक़ूफ़ है जागने पर, और वह एक तरह से मरने के बाद ज़िन्दा होने जैसा है। पस) बिला शुब्हा इस (रोज़ाना सोने और जागने) में (मरने के बाद ज़िन्दा होने की संभावना पर और उन आयतों के हक़ होने पर जो उस पर दलालत करती हैं) बड़ी-बड़ी दलीलें हैं (क्योंकि मौत की हकीकत यह है कि रूह का ताल्लुक जिस्म से ख़त्म हो जाये और दोबारा ज़िन्दा होने की हकीकत यह है कि यह ताल्लुक फिर वापस आ जाये, और नींद भी एक हैसियत से उस ताल्लुक का टूटना और ख़त्म होना है, क्योंकि नींद में यह ताल्लुक कमज़ोर हो जाता)

है और कमजोरी तभी होती है जबकि उसके वजूद के दर्जों में से कोई दर्जा खत्म हो जाये, और जागना वजूद के उस खत्म व जाया हुए दर्जे के फिर वापस आने का नाम है, इसलिए दोनों में पूर्ण समानता ज़ाहिर हो गयी। और नींद के बाद जागने पर अल्लाह तआला की कुदरत रोज़ाना नज़र आती है तो मौत के बाद ज़िन्दगी भी इसकी नज़ीर है, वह क्यों अल्लाह की कुदरत से ख़ारिज होगी। और यह दलीले अक्ली हर शख्स के लिये आम है मगर फ़ायदा उठाने के एतिबार से) उन (ही) लोगों के लिये (हैं) जो ईमान रखते हैं (क्योंकि वे ग़ौर फ़िक्र करते हैं, और दूसरे लोग सोच-विचार नहीं करते और किसी नतीजे पर पहुँचने के लिये ग़ौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है, इसलिये दूसरे इससे लाभान्वित नहीं होते)।

और (एक हौलनाक वाक़िआ इस क़ियामत में उठाये जाने से पहले होगा जिसका आगे ज़िक्र है, उसकी दहशत व घबराहट भी याद रखने के काबिल है) जिस दिन सूर में फूँक मारी जायेगी (यह पहली बार का सूर फूँकना है, और यह इनसानों का जमा किया जाना दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद था) सो जितने आसमान और ज़मीन में हैं (फ़रिश्ते और आदमी वग़ैरह) सब घबरा जाएंगे (और फिर मर जायेंगे, और जो मर चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जायेंगी) मगर जिसको खुदा चाहे (वह इस घबराहट और मौत से महफूज़ रहेगा। हदीसे मरफूअ के अनुसार इनसे मुराद हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इस्राफ़ील, हज़रत इज़राईल और अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते हैं। फिर इन सब की भी सूर के असर के बग़ैर ही मौत हो जायेगी। जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है) और (दुनिया में जैसे आदत है कि जिससे घबराहट और डर होता है उससे भाग जाते हैं वहाँ अल्लाह तआला से कोई भाग न सकेगा बल्कि) सब के सब उसी के सामने दबे-झुके रहेंगे (यहाँ तक कि ज़िन्दा आदमी मुर्दा और मुर्दे बेहोश हो जायेंगे)।

और (सूर फूँकने की यह तासीर और बदलाव की हालत जानदारों में होगी और आगे बेजान चीज़ों में जो तासीर होगी उसका बयान है, वह यह कि ऐ मुखातब) तू (इस वक़्त) पहाड़ों को देख रहा है जिससे (उनकी ज़ाहिरी मज़बूती व स्थिरता के सबब पहली नज़र में) तुझको ख़्याल होता है कि ये (हमेशा यूँ ही रहेंगे और कभी अपनी जगह से) हरकत न करेंगे, हालाँकि (उस वक़्त उनकी यह हालत होगी कि) वे बादलों की तरह (हल्के-फुल्के और बिखरे हुए हिस्से होकर आसमानी फ़ज़ा में) उड़े-उड़े फिरेंगे। अल्लाह तआला का कौल है:

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۖ

और इस पर कुछ ताज्जुब न करना चाहिए कि ऐसी भारी और सख्त चीज़ का यह हाल कैसे हो जायेगा? वजह यह है कि) यह खुदा का काम होगा जिसने हर चीज़ को (मुनासिब अन्दाज़ पर) मज़बूत बना रखा है (और शुरू में किसी चीज़ में कोई मज़बूती न थी, क्योंकि खुद उस चीज़ की ज़ात ही न थी, पस मज़बूती की सिफ़त तो कहाँ से होती। सो जैसे उसने नापैद से पैदा और कमज़ोर से ताक़तवर बनाया इसी तरह इसका उल्टा भी कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ पूरी तरह समान रूप से उसकी कुदरत में है विशेष तौर पर जो चीज़ें एक दूसरे की नज़ीर और मिलती-जुलती हैं उनमें तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट है। इसी तरह आसमान व ज़मीन की दूसरी ताक़तवर व मज़बूत मख़्लूक़ात वग़ैरह में

ब्दीली होना दूसरी आयतों में बयान हुआ है:

وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ..... ۝

हर उसके बाद दूसरी बार सूर फूँका जायेगा जिससे रूहें होश में आकर अपने बदनो से जुड़ जायगा और पूरा आलम नये सिरे से दुरुस्त हो जायेगा और ऊपर जो हशर का जिक्र था वह इसी दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद होगा। आगे असल मकसद यानी कियामत में जज़ा व सज़ा का बयान है। पस अब्बल उसकी प्रारम्भिका के तौर पर इरशाद है कि) यह यकीनी बात है कि अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की पूरी खबर है (जो जज़ा व सज़ा की पहली शर्त है, और दूसरी शर्तें भी जैसे कुदरत वगैरह मुस्तक़िल दलीलों से साबित हैं। पस बदला दिया जाना मुम्किन होना तो इससे ज़ाहिर है और फिर हिक्मत का तफ़ाज़ा है बदला मिलने का मौक़ा सामने आये, इससे जज़ा व सज़ा का वाक़े होना साबित हो गया, इस शुरूआती मज़मून के बाद आगे उसका ज़ाहिर व वाक़े होना मय उसके क़ानून और तरीक़े के बयान फ़रमाते हैं कि) जो शख्स नेकी (यानी ईमान) लायेगा सो (वह ईमान लाने पर जिस अज़्र का मुस्तहिक़ है) उस शख्स को उस (नेकी के मज़क़ूरा अज़्र) से बेहतर (अज़्र) मिलेगा, और वे लोग बड़ी घबराहट से उस दिन अमन में रहेंगे (जैसा कि सूर: अम्बिया में है:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ..... ۝

और जो शख्स बुराई (यानी कुफ़्र व शिक) लायेगा तो वे लोग औंधे मुँह आग में डाल दिये जाँगे (और उनसे कहा जायेगा कि) तुमको उन्हीं आमाल की सज़ा दी जा रही है जो तुम (दुनिया में) किया करते थे (यह अज़ाब बेवजह नहीं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝

यूज़ऊन वज़अ से निकला है जिसके मायने रोकने के हैं। मुराद यह है कि अगले हिस्से को रोका जायेगा ताकि पीछ रहे हुए लोग साथ हो जायें, और कुछ हज़रात ने वज़अ के मायने यहाँ दफ़ा के लिये हैं यानी उनको धक्के देकर मैदाने कियामत की तरफ़ लाया जायेगा।

وَلَمْ تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا

इसमें इशारा है कि अल्लाह तआला की आयतों को झुठलाना खुद एक बड़ा जुर्म व गुनाह है खुसूसन जबकि सोचने समझने और ग़ौर व फ़िक्र करने की तरफ़ तवज्जोह किये बगैर ही झुठलाने लगें तो यह जुर्म दोहरा हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि जो लोग ग़ौर व फ़िक्र करने के बावजूद हक़ को न पा सकेंगे कि उनकी नज़र व फ़िक्र ही गुमराही की तरफ़ ले जाये तो उनका जुर्म किसी क़द्र हल्का हो जाता है अगरचे अल्लाह के वजूद और तौहीद वगैरह को झुठलाना फिर भी कुफ़्र व गुमराही और हमेशा के अज़ाब से नहीं बचायेगी, क्योंकि ये ऐसे आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं जिनमें सोच-विचार की ग़लती माफ़ नहीं।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِّعُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ..... الخ

फ़ज़ि-अ के मायने घबराने और परेशान होने के हैं, और एक दूसरी आयत में इस जगह फ़ज़ि-अ के बजाय सज़ि-क आया है जिसके मायने बेहोश होने के हैं। अगर ये दोनों आयतें पहले सूर फूँके जाने से संबन्धित करार दी जायें तो इन दोनों लफ़्ज़ों का हासिल यह होगा कि सूर फूँकने के वक़्त पहले तो सब घबरायेंगे और परेशान होंगे फिर बेहोश हो जायेंगे, आख़िरकार मर जायेंगे। और क़तादा वगैरह तफ़सीर के इमामों ने इस आयत को दूसरी बार के सूर फूँकने से संबन्धित करार दिया है जिस से सब मुर्दे दोबारा ज़िन्दा हो जायेंगे और आयत का मतलब यह है कि ज़िन्दा होने के वक़्त सब घबराये हुए उठेंगे। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सूर तीन मर्तबा फूँका जायेगा- पहली बार का फूँका जाना फ़ज़ि-अ होगा जिससे सब परेशानी, घबराहट और बेचैनी में मुब्तला हो जायेंगे। दूसरी बार का फूँकना सज़ि-क होगा जिससे सब मर जायेंगे, तीसरी बार का फूँकना हशर व नशर (यानी सब को दोबारा ज़िन्दा करके जमा करने के लिये) होगा, जिससे सब मुर्दे ज़िन्दा हो जायेंगे। मगर कुरआन की आयतों और सही हदीसों से दो बार ही सूर फूँकने का सुबूत मिलता है। (क़ुर्तुबी व इब्ने कसीर) हज़रत इब्ने मुबारक ने हज़रत हसन बसरी से मुसलन रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दोनों बार के सूर फूँके जाने के दरमियान चालीस साल का अरसा (यानी समय और अन्तराल) होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

यह घबराहट से कुछ हज़रात को अलग करना है। मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पर कोई घबराहट हशर के वक़्त नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस में है कि ये लोग शहीद होंगे, हशर की दोबारा ज़िन्दगी के वक़्त इन पर कोई घबराहट नहीं होगी। (इब्ने अरबी व क़ुर्तुबी) सईद बिन जुबैर रह. ने भी यही फ़रमाया कि इससे मुराद शहीद हैं, जो हशर के वक़्त अपनी तलवारें बाँधे हुए अर्श के गिर्द जमा होंगे, और कुशैरी ने फ़रमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उनमें उनसे से भी पहले दाख़िल हैं क्योंकि उनको शहादत का मक़ाम भी हासिल है और नुबुव्वत का मक़ाम उस पर अतिरिक्त है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और सूर: जुमर में आगे आयेगा:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ.

इसमें फ़ज़ि-अ के बजाय सज़ि-क का लफ़्ज़ आया है जिसके मायने बेहोश होने के हैं, और मुराद इस जगह बेहोश होना फिर मर जाना है और इसमें भी 'इल्ला मन् शाअल्लाहु' का कलाम लाकर इस हालत से कुछ हज़रात को अलग रखा है जिससे मुराद एक मरफ़ूअ हदीस के मुताबिक़ छह फ़रिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इस्माफ़ील, इज़राईल और अर्श को उठाने वाले हैं कि ये सूर फूँके जाने से न मरेंगे, हदीस की बज़ाहत के मुताबिक़ इनको भी बाद में मौत आ जायेगी। जिन हज़राते मुफ़स्सरीन ने फ़ज़ि-अ और सज़ि-क को एक ही करार दिया है उन्होंने सूर: जुमर की तरह यहाँ भी इस अलग करने से मुराद मख़सूस फ़रिश्ते लिये हैं, खुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया है, और जिन्होंने फ़ज़ि-अ और सज़ि-क को अलग-अलग माना है उनके नज़दीक़ फ़ज़ि-अ (घबराहट) से अलग होने वाले शहीद हैं जैसा कि ऊपर नक़ल किया गया है।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ.

एद यह है कि पहाड़ अपनी जगह से हटकर इस तरह चलेंगे जैसे बादल कि देखने वाला उसको जगह जमा हुआ समझता है हालाँकि वो तेजी से चल रहे हैं। तमाम बड़े जिस्मों वाले जिनकी शुरूआत व इन्तिहा इनसान की नज़र के सामने नहीं होती जब वे किसी एक रुख की तरफ़ हरकत करें तो चाहे हरकत कितनी भी तेज़ हो देखने वालों को ऐसा दिखाई देता है कि वे अपनी जगह जमे हुए हैं, जिसका नज़ारा व एहसास सब को गहरे बादल और दूर तक छाई हुई घटा से होता है कि ये बादल अपनी जगह जमे हुए दिखाई देते हैं हालाँकि वे चल रहे होते हैं मगर उनकी हरकत देखने वालों को उस वक़्त महसूस होती है जब वे इतनी दूर चले जायें कि उफ़ुक का किनारा उससे खुल जाये।

खुलासा यह है कि पहाड़ों को जमा हुआ होना देखने वाले की नज़र के एतिबार से है और उनका हरकत करना हकीकत के एतिबार से। ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन ने आयत का मतलब यही करार दिया है और ऊपर बयान हुए खुलासा-ए-तफ़सीर में यही इख़्तियार किया गया है कि ये दो हाल दो वक़्तों के हैं, जमा हुआ होना उस वक़्त के एतिबार से जिसको देखकर हर देखने वाला यह समझता है कि ये कभी अपनी जगह से न हिलेंगे और बादलों की तरह चलना क़ियामत के दिन के एतिबार से है। कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि क़ुरआने करीम में क़ियामत के दिन पहाड़ों के अलग-अलग हालात बयान हुए हैं, पहला हाल भूकंप और ज़लज़ला है जो पूरी ज़मीन के पहाड़ों को अपने घेरे में ले लेगा, दूसरा हाल उसकी बड़ी-बड़ी चट्टानों का धुनकी हुई रूई की तरह हो जाना है और यह उस वक़्त होगा जब ऊपर से आसमान भी पिघले हुए ताँबे की तरह होगा, ज़मीन से पहाड़ रूई की तरह ऊपर जायेंगे ऊपर से आसमान नीचे आयेंगे और दोनों मिल जायेंगे, तीसरा हाल यह है कि वह धुनकी हुई रूई के एक मिले हुए जिस्म के बजाय रेज़ा-रेज़ा (टुकड़े-टुकड़े) और ज़र्ज़ा-ज़र्ज़ा हो जाये, चौथा हाल यह है कि वह रेज़ा रेज़ा होकर फैल जाये, पाँचवाँ हाल यह है कि ये पहाड़ जो रेज़ा-रेज़ा होकर गुबार की तरह ज़मीन पर फैल गये हैं इनको हवायें ऊपर उठाकर ले जायें, और चूँकि यह गुबार सारी ज़मीन पर छाया हुआ होगा तो अगरचे यह बादल की तरह तेज़ हरकत करता होगा मगर देखने वाला इसको अपनी जगह जमा हुआ देखेगा।

इनमें से कुछ हालात सूर के पहली बार फूँकने के वक़्त होंगे और कुछ दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद उस वक़्त जबकि ज़मीन को एक बराबर की सतह (यानी हमवार) बना दिया जायेगा कि न इसमें कोई ग़ार रहेगा न पहाड़ न कोई इमारत न पेड़-पौधा। (क़ुर्तुबी, रूहुल-मआनी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

सुन्-अ सन्-अत (कारीगरी) के हैं और अत्क-न इतक़ान से निकला है जिसके भायने किसी चीज़ को मज़बूत और स्थिर करने के आते हैं। बज़ाहिर यह जुमला पिछले तमाम मज़ामीन के साथ

संबन्धित है जिनमें हक तआला की कामिल कुदरत और अजीब कारीगरी का जिक्र है जिसमें रात व दिन का आना-जाना भी है और सूर के फूँके जाने से लेकर हशर व नशर तक सब हालात भी, और मतलब यह है कि ये चीजें कुछ हैरत और ताज्जुब की नहीं क्योंकि इनका बनाने और पैदा करने वाला कोई सीमित इल्म व कुदरत वाला इन्सान या फ़रिश्ता नहीं, बल्कि रब्बुल-आलमीन है। और अगर इसका ताल्लुक करीबी जुमले:

تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً..... الآية

(यानी आयत नम्बर 88) से किया जाये तो मतलब यह होगा कि पहाड़ों का यह हाल कि देखने वाले उनको जमा हुए देखें और वे वास्तव में चल रहे और हरकत कर रहे हों कुछ मुहाल और ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि यह अल्लाह रब्बुल-इज्जत की कारीगरी है जिसकी कुदरत में सब कुछ है।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا.

यह हशर व नशर और हिसाब-किताब के बाद पेश आने वाले अन्जाम का जिक्र है और ह-सना से मुराद कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु है। (जैसा कि इब्राहीम रह. का कौल है) या इख्लास है (जैसा कि क़तादा रह. का कौल है) और कुछ हज़रात ने बिना किसी क़ैद के नेकी व अच्छाई को इसमें दाखिल करार दिया है, मायने यह है कि जो शख्स नेक अमल करेगा और नेक अमल उसी वक़्त नेक कहलाने के काबिल होता है जबकि उसकी पहली शर्त इमान मौजूद हो तो उसको अपने अमल से बेहतर चीज़ मिलेगी, इससे मुराद जन्नत की कभी ख़त्म न होने वाली नेमतें और अज़ाब और हर तकलीफ़ से हमेशा की निजात है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि ख़ैर से मुराद यह है कि एक नेकी की जज़ा (बदला) दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक मिलेगी। (तफसीरे मजहरी)

وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝

फ़ज्र से मुराद हर बड़ी मुसीबत, परेशानी और घबराहट है। मतलब यह है कि दुनिया में तो हर मुत्तकी परहेज़गार भी अन्जाम से डरता ही रहता है और डरना ही चाहिये जैसे कुरआने करीम का इरशाद है:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝

यानी रब का अज़ाब ऐसा नहीं कि उससे कोई बेफ़िक्र और मुत्मईन होकर बैठ जाये। यही वजह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबा व औलिया-ए-उम्मत हमेशा डरते और काँपते रहते थे मगर उस रोज़ जबकि हिसाब-किताब से फ़रागत हो चुकेगी तो नेकियाँ लाने वाले नेक लोग हर ख़ौफ़ व ग़म से बेफ़िक्र और मुत्मईन होंगे। वल्लाहु आलम

إِنَّمَا أُهْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۝

وَأُهْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَإِنْ أَنْتَلُوا الْقُرْآنَ فَمِنْ أُمَّتِي فِيمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ

إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

इन्नमा उमिरतु अन् अज़्बु-द रब्-ब
 हाज़िहिल्-बल्दतिल्लजी हर-महा व
 लहू कुल्लु शैइव्-व उमिरतु अन्
 अकू-न मिनल्-मुस्लिमीन (91) व
 अन् अतलुवल्-कुरआ-न फ-मनिस्तदा
 फ-इन्नमा यस्तदी लिनपिसही व मन्
 जल्-ल फकुल् इन्नमा अ-न मिनल्-
 मुन्ज़रीन (92) व कुलिल्-हम्दु
 लिल्लाहि सयुरीकुम् आयातिही
 फ-तअरिफूनहा, व मा रब्बु-क
 बिगाफिलिन् अम्मा तअमलून (93) ❀

मुझको यही हुक्म है कि बन्दगी करूँ इस
 शहर के मालिक की जिसने इसको इज़्ज़त
 दी और उसी की हैं हर एक चीज़ और
 मुझको हुक्म है कि रहूँ हुक्म मानने वालों
 में। (91) और यह कि सुना दूँ कुरआन
 फिर जो कोई राह पर आया सो राह पर
 आयेगा अपने ही भले को, और जो कोई
 बहका रहा तो कह दे कि मैं तो यही हूँ
 डर सुना देने वाला। (92) और कह तारीफ़
 है सब अल्लाह को आगे दिखायेगा तुमको
 अपने नमूने तो उनको पहचान लोगे, और
 तेरा रब बेख़बर नहीं उन कामों से जो
 तुम करते हो। (93) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! लोगों से कह दीजिये कि) मुझको तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर (यानी मक्का) के (असली) मालिक की इबादत किया करूँ जिसने इस (शहर) को एहतिराम वाला बनाया है (कि हरम होना उसी एहतिराम व सम्मान की वजह से है। मतलब यह है कि इबादत में किसी को शरीक न करूँ) और (उसकी इबादत क्यों न की जाये जबकि) सब चीज़ें उसी की (मिल्क) हैं। और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि मैं (अक़ीदों व आमाल सब में) फ़रमाँबरदार रहूँ। (यह तो तौहीद का हुक्म हुआ) और (मुझको) यह (भी हुक्म मिला है) कि मैं (तुमको) कुरआने करीम पढ़-पढ़कर सुनाऊँ (यानी अल्लाह के अहक़ाम की तब्लीग़ करूँ जो नुबुव्वत से जुड़ी हुई बातों में से है) सो (मेरी तब्लीग़ के बाद) जो शख्स राह पर आयेगा सो वह अपने ही फ़ायदे के लिये राह पर आयेगा (यानी उसको अज़ाब से निजात और जन्नत की कभी ख़त्म न होने वाली नेमतें मिलेंगी। मैं इससे किसी अपने माली या शान व मर्तबे के फ़ायदे का इच्छुक नहीं) और जो शख्स गुमराह रहेगा तो आप कह दीजिये कि (मेरा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मैं तो सिर्फ़ डराने वाले (यानी हुक्म सुनाने वाले) पैग़म्बरों में से हूँ (यानी मेरा काम तो हुक्म पहुँचा देना है, उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म है, न मानोगे तो बबाल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा)।

और आप (यह भी) कह दीजिये कि (तुम जो क़ियामत के आने में देर को उसके न होने की दलील समझकर इनकार करते हो यह तुम्हारी बेवक़ूफी है, किसी चीज़ के ज़ाहिर होने में देर लगना इसकी दलील नहीं हो सकती कि वह कभी बाक़े और ज़ाहिर होगी ही नहीं। इसके अलावा तुम जो

मुझसे कहते हो कि मैं जल्दी क़ियामत ले आऊँ यह दूसरी ग़लती है क्योंकि मैंने यह कब दावा किया कि क़ियामत का लाना मेरे इस्त्रियार में है, बल्कि) सब ख़ूबियाँ ख़ालिस अल्लाह ही के लिये साबित हैं (कुदरत भी इल्म भी हिक्मत भी। जब उसकी हिक्मत का तकाज़ा होगा वह क़ियामत को कायम व जाहिर कर देगा। हाँ इतनी बात हमें भी बतला दी गई है कि क़ियामत में ज़्यादा देर नहीं बल्कि) वह तुमको जल्दी ही अपनी निशानियाँ (यानी क़ियामत के वाकिआत) दिखला देगा। सो तुम (उनके जाहिर होने के वक़्त) उनको पहचानोगे (जबकि पहचानने से कोई फ़ायदा न होगा), और (सिर्फ़ यह निशानी दिखलाने ही पर बस न होगा बल्कि अपने बुरे आमाल की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी क्योंकि) आपका सब उन कामों से बेख़बर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हो।

मज़ारिफ़ व मसाईल

رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ.

बल्दति से मुराद मुफ़सिरीन की बड़ी जमाअत के नज़दीक मक्का मुकर्रमा है। अल्लाह तआला तो रब्बुल-आलमीन और आसमानों व ज़मीन का रब है, मक्का मुकर्रमा को ख़ास करना इस जगह उसकी बड़ी शान और अल्लाह तआला के नज़दीक उसके इज़्ज़त व सम्मान वाला होने का इज़हार है। तफ़ज़ हरम तहरीम से निकला है इसके मायने आम एहतिराम व सम्मान के भी हैं और उस एहतिराम व सम्मान की वजह से शरीअत के जो ख़ास अहक़ाम मक्का मुकर्रमा हरम की सरज़मीन से संबन्धित हैं वो भी इसमें दाख़िल हैं, जैसे जो शख़्स हरम में पनाह ले वह अमन में हो जाता है, हरम में किसी दुश्मन से बदला लेना और क़त्ल करना जायज़ नहीं, और हरम के इलाके में शिकार को क़त्ल करना भी जायज़ नहीं, पेड़-पौधों का काटना जायज़ नहीं। इन अहक़ाम का बयान आयत:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

(सूर: आले इमरान की आयत 97) के तहत में और कुछ सूर: मायदा के शुरू में और कुछ आयत:

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

(सूर: मायदा की आयत 95) के तहत में पहले बयान हो चुका है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: नम्ल की तफ़सीर आज पीर की रात 24 शव्वाल सन् 1391 हिजरी में पूरी हुई जबकि 14 शव्वाल से हिन्दुस्तान के हिन्दुओं ने पश्चिमी पाकिस्तान पर भरपूर हमले मैदानी और बहरी और हवाई कर दिये हैं, कराची ख़ास तौर से उसका निशाना है, हर रात बम्बारी होती है, शहरी आबादी पर भी बम गिरते हैं, तमाम रात मुकम्मल अंधेरा रखना पड़ता है और बमों के धमाके से मक़ान लरज़ जाते हैं मगर अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि उसने इन हालात में भी तफ़सीर के सिलसिले को जारी रखा और इस जंग के दस दिनों में भी तफ़सीर के तक़रीबन 40 पृष्ठ लिखे गये।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: नम्ल की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूर: कसस

सूर: कसस मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 88 आयतें और 9 रुकूअ हैं।

آيَاتُهَا ٨٨ ﴿٢٨﴾ سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ (٢٨) ذِكْرُهَا ٨٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسْمٌ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
 إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِرُ آيَاتِهِمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
 إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَثَرِيدًا أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ
 الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَ
 أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا
 رَأَوْنَاهُ إِلَيْنَا وَأَرْسَلْنَا مِنْ غَدَاةٍ لِيَلْقَاهُ لَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَاحِزَنَانِ ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِي لِىَ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ
 يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاءَ ۖ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا
 أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ۖ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
 وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ ۖ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۖ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ताँ-सीम्-मीम् (1) तिल्-क आयातुल्
 किताबिल्-मुबीन (2) नत्लू अलै-क
 मिन् न-बइ मूसा व फिरऔ-न

ताँ-सीम्-मीम्। (1) ये आयतें हैं खुली
 किताब की। (2) हम सुनाते हैं तुझको
 कुछ अहवाल मूसा और फिरऔन का

बिल्हिक लिकौमिय-युअमिनून (3)
 इन्-न फिरऔ-न अला फिल्अर्जि व
 ज-अ-ल अस्तहा शि-यअय्यस्तज्जिफु
 ताइ-फतम् मिन्हुम् युजब्बिहु
 अब्ना-अहुम् व यस्तह्यी निसा-
 -अहुम्, इन्हू का-न मिनल्-मुफिसदीन
 (4) व नुरीदु अन्-नमुन्-न अलल्-
 लज़ीनस्तुज्जिफू फिल्अर्जि व
 नज्अ-लहुम् अ-इम्मतं व-व
 नज्अ-लहुमुल्-वारिसीन (5) व
 नुमक्कि-न लहुम् फिल्अर्जि व
 नुरि-य फिरऔ-न व हामा-न व
 जुनू-दहुमा मिन्हुम् मा कानू यस्ज़रून
 (6) व औहैना इला उम्मि मूसा अन्
 अर्ज़िअीहि फ-इज़ा खिफित अलैहि
 फ-अल्कीहि फिल्यम्मि व ला तख्राफी
 व ला तस्ज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि
 व जाअिलूहु मिनल्-मुर्सलीन (7)
 फल्ल-क-तहू आलु फिरऔ-न
 लि-यकू-न लहुम् अदुव्वं-व ह-ज़ननु,
 इन्-न फिरऔ-न व हामा-न व
 जुनू-दहुमा कानू खातिईन (8) व
 कालतिम्-र-अतु फिरऔ-न कुर्तु
 औनिल्-ली व ल-क, ला तक्तुलूहु

तहकीकी, उन लोगों के वास्ते जो यकीन
 करते हैं। (3) फिरऔन चढ़ रहा था मुल्क
 में और कर रखा था वहाँ के लोगों को
 कई फिकें, कमज़ोर कर रखा था एक
 फिकें को उनमें, ज़िबह करता था उनके
 बेटों को और ज़िन्दा रखता था उनकी
 औरतों को, बेशक वह था खराबी डालने
 वाला। (4) और हम चाहते हैं कि एहसान
 करें उन लोगों पर जो कमज़ोर हुए पड़े
 थे मुल्क में और कर दें उनको सरदार
 और कर दें उनको कायम-मक़ाम। (5)
 और जमा दें उनको मुल्क में और दिखा
 दें फिरऔन और हामान को और उनके
 लश्क़रों को उनके हाथ से जिस चीज़ का
 उनको ख़तरा था। (6) और हमने हुक्म
 भेजा मूसा की माँ को कि उसको दूध
 पिलाती रह फिर जब तुझको डर हो उस
 का तो डाल दे उसको दरिया में और न
 ख़तरा कर और न ग़मगीन हो हम फिर
 पहुँचा देंगे उसको तेरी तरफ़ और कर
 देंगे उसको रसूलों (में) से। (7) फिर उठा
 लिया उसको फिरऔन के घर वालों ने
 कि हो उनका दुश्मन और ग़म में डालने
 वाला, बेशक फिरऔन और हामान और
 उनके लश्कर थे चूकने वाले। (8) और
 बोली फिरऔन की औरत यह तो आँखों
 की ठण्डक है मेरे लिये और तेरे लिये इस
 को मत मारो, कुछ बर्इद नहीं जो हमारे

असा अय्यन्फ-अना औ नत्तखि-जहू
 व-लदं-व हुम् ला सश्रुन (9) व
 अस्व-ह फुआदु उम्मि मूसा फारिगनु,
 इन् कादत् लतुब्दी बिही लौ ला
 अर्बतना अला कल्बिहा लि-तकू-न
 मिनल्-मुअमिनीन (10) व कालत्
 लिउखिही कुस्सीहि फ-बसुरत् बिही
 अन् जुनुबिं-व हुम् ला यश्रुन
 (11) व हरमना अलैहिल्-मराजि-अ
 मिन् कब्बु फकालत् हल् अदुल्लुकुम्
 अला अहिल बैतिंय-यक्फुलूनहू
 लकुम् व हुम् लहू नासिहून (12)
 फ-रदद्नाहु इला उम्मिही कै तकूर-र
 औनुहा व ला तहज़-न व लितअल-म
 अन्-न वअदल्लाहि हक्कुं-व
 व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला
 यअलमून (13) ❀ ❖

काम आये या हम इसको कर लें बेटा,
 और उनको कुछ खबर न थी। (9) और
 सुबह को मूसा की माँ के दिल में करार
 न रहा करीब थी कि जाहिर कर दे
 बेकरारी को, अगर न हमने गिरह दी
 होती उसके दिल पर, इस वास्ते कि रहे
 यकीन करने वालों में। (10) और कह
 दिया उसकी बहन को पीछे चली जा फिर
 देखती रही उसको अजनबी होकर और
 उनको खबर न हुई। (11) और रोक रखा
 था हमने मूसा से दाइयों को पहले से,
 फिर बोली मैं बतलाऊँ तुमको एक घर
 वाले कि इसको पाल दें तुम्हारे लिये और
 वे इसका भला चाहने वाले हैं। (12) फिर
 हमने पहुँचा दिया उसको उसकी माँ की
 तरफ कि ठण्डी रहे उसकी आँख और
 गुमगीन न हो और जाने कि अल्लाह का
 वायदा ठीक है पर बहुत से लोग नहीं
 जानते। (13) ❀ ❖

खुलासा-ए-तफसीर

ताँ-सीन्-मीम् (इसके मायने अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (मजामीन जो आप पर वही किये जाते हैं) खुली किताब (यानी कुरआन) की आयतें हैं। (जिनमें इस मकाम पर) हम आपको मूसा (अलैहिस्सलाम) और फिरऔन का कुछ किस्सा ठीक-ठीक पढ़कर (यानी नाज़िल करके) सुनाते हैं। उन लोगों के (नफे के) लिये जो ईमान रखते हैं। (क्योंकि किस्सों के मक़सिद यानी उनसे नसीहत लेना और नुबुव्वत पर दलील पकड़ना वगैरह यह मोमिनों ही के साथ खास हैं चाहे उस वक़्त मोमिन हों या ईमान का इरादा रखते हों, और संक्षिप्त रूप से तो वह किस्सा यह है कि) फिरऔन (मिस्र की) सरज़मीन में बहुत बढ़-चढ़ गया था और उसने वहाँ के रहने वालों को अनेक वर्गों में बाँट रखा था, (इस तरह कि किस्बियों यानी मिस्री लोगों को इज्जतदार स सम्मानित बना रखा था और सिब्बियों

यानी बनी इस्राईल को पस्त और ज़लील कर रखा था, जिसका आगे बयान है) कि उन (वहाँ के रहने वालों में) से एक जमाअत (यानी बनी इस्राईल) का जोर घटा रखा था (इस तरह से कि) उनके बेटों को (जो नये पैदा होते थे जल्लादों के हाथों) जिबह कराता था और उनकी औरतों (यानी लड़कियों) को जिन्दा रहने देता था (ताकि उनसे खिदमत ली जाये, और उनसे कोई शंका भी न थी) वाकई वह बड़ा फ़सादी था।

(ग़र्ज़ कि फिरऔन तो इस ख़्याल में था) और हमको यह मन्ज़ूर था कि जिन लोगों का (मिस्र की) ज़मीन में जोर घटाया जा रहा था हम उन पर (दुनियावी व दीनी) एहसान करें, और (वह एहसान यह कि) उनको (दीन में) पेशवा बना दें, और (दुनिया में) उनको (उस मुल्क का) मालिक बनाएँ। और (मालिक होने के साथ) उनको (बादशाह व सरदार भी बनायें यानी) ज़मीन में उनकी हुकूमत दें, और फिरऔन और हामान और उनके पैरोकारों को उन (बनी इस्राईल) की जानिब से वो (नागवार) वाकिआत दिखलाएँ जिनसे वे बचाव कर रहे थे। (इससे मुराद फिरऔनी हुकूमत का ख़ात्मा और तबाही है कि उसी से बचाव करने के लिये बनी इस्राईल के बच्चों को एक ख़्वाब की ताबीर की बिना पर जो फिरऔन ने देखा था और ज्योतिषियों ने ताबीर दी थी क़त्ल कर रहा था 'जैसा कि तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर में है' पस हमारे तकदीरी फैसले के सामने उन लोगों की तदबीर कुछ काम न आई। मुख़्तसर तौर पर वह किस्सा यह है) और (तफ़्सील उसकी शुरू से यह है कि जब मूसा अल्लैहिस्सलाम उसी फ़ितने के ज़माने में पैदा हुए तो) हमने मूसा (अल्लैहिस्सलाम) की वालिदा को इल्हाम किया कि (जब तक उनका छुपाना मुम्किन हो) तुम उनको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको उनके बारे में (जासूसों के ख़बर पाने का) अन्देशा हो तो (बिना किसी डर और ख़तरे के) उनको (सन्दूक में रखकर) दरिया (यानी नील) में डाल देना। और न तो (डूब जाने का) अन्देशा करना और न (जुदाई पर) ग़म करना, (क्योंकि) हम ज़रूर उनको फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुँचा देंगे और (फिर अपने वक़्त पर) उनको पैग़म्बर बना देंगे।

(ग़र्ज़ कि वह इसी तरह दूध पिलाती रहीं। फिर जब राज़ खुलने का ख़ौफ़ हुआ तो सन्दूक में बन्द करके अल्लाह के नाम पर नील में छोड़ दिया, उसकी कोई शाखा फिरऔन के महल में जाती थी या तफ़रीह के तौर पर फिरऔन के लोग दरिया की सैर को निकले थे। ग़र्ज़ कि वह सन्दूक किनारे पर लगा) तो फिरऔन के लोगों ने मूसा (अल्लैहिस्सलाम) को (यानी मय सन्दूक के) उठा लिया ताकि वह उन लोगों के लिये दुश्मनी और ग़म का सबब बनें। बिला शुब्हा फिरऔन और हामान और उनके पैरोकार (इस बारे में) बहुत चूके (कि अपने दुश्मन को अपनी बग़ल में पाला)। और (जब वह सन्दूक से निकालकर फिरऔन के सामने लाये गये तो) फिरऔन की बीवी (हज़रत आसिया) ने (फिरऔन से) कहा कि यह (बच्चा) मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, (यानी इसको देखकर जी खुश हुआ करेगा तो) इसको क़त्ल मत करो, अज़ब नहीं कि (बड़ा होकर) हमको कुछ फ़ायदा पहुँचाए या हम इसको (अपना) बेटा ही बना लें, और उन लोगों को (अन्जाम की) ख़बर न थी (कि यह वही बच्चा है जिसके हाथों फिरऔन की हुकूमत ग़ारत होगी)।

और (उधर यह किस्सा हुआ कि) मूसा (अल्लैहिस्सलाम) की वालिदा का दिल (अनेक ख़्यालों के

आने से) बेकरार हो गया (और बेकरारी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी सख्त बेकरारी कि) करीब था कि (हद से बढ़ी बेकरारी से) वह मूसा (अलैहिस्सलाम) का हाल (सब पर) जाहिर कर देती, अगर हम उनके दिल को इस गर्ज से मजबूत न किये रहें कि यह (हमारे वायदे पर) यकीन किये (बैठी) रहें। (गर्ज कि मुश्किल से उन्होंने दिल को संभालना और तदबीर शुरू की, वह यह कि) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) की बहन (यानी अपनी बेटी से) कहा कि जरा मूसा का सुराग तो लगा, सो (वह चली और यह मालूम करके कि सन्दूक महल में खुला है महल में पहुँचीं, या तो वहाँ उनका आना-जाना होगा या किसी बहाने से पहुँचीं, और) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दूर से देखा और उन लोगों को यह खबर न थी (कि यह उनकी बहन हैं और इस फ़िक्र में आई हैं)। और हमने पहले ही से (यानी जब से सन्दूक से निकले थे) मूसा (अलैहिस्सलाम) पर दूध पिलाने वालियों की बन्दिश कर रखी थी (यानी किसी का दूध न लेते थे), सो वह (इस हाल को देखकर मौका पाकर) कहने लगीं, क्या मैं तुम लोगों को किसी ऐसे घराने का पता बता दूँ जो तुम्हारे लिये इस बच्चे की परवरिश करें और वे (अपनी फ़ितरत के मुवाफ़िक़ दिल से) इसकी ख़ैरख़्वाही करें।

(उन लोगों ने ऐसे वक़्त में कि दूध पिलाने की मुश्किल पड़ रही थी इस मशिवरे को ग़नीमत समझा और ऐसे घराने का पता पूछा, उन्होंने अपनी वालिदा का पता बतला दिया। चुनाँचे वह बुलाई गई और मूसा अलैहिस्सलाम उनकी गोद में दिये गये। जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया और उन लोगों की इजाज़त से चैन से अपने घर ले आयीं और कभी-कभी लेजाकर उनको दिखला आतीं) गर्ज कि हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को इस तरह उनकी वालिदा के पास (अपने वायदे के मुवाफ़िक़) वापस पहुँचा दिया ताकि (अपनी औलाद को देखकर) उनकी आँखें ठंडी हों और ताकि (जुदाई के) ग़म में न रहें, और ताकि (अनुभव करके) इस बात को (और ज़्यादा यकीन के साथ) जान लें कि अल्लाह तआला का वायदा सच्चा (होता) है, लेकिन (अफ़सोस की बात है कि) अक्सर लोग (इसका) यकीन नहीं रखते। (यह कटाक्ष है काफ़िरों पर)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूर: कसस मक्की सूरातों में सबसे आखिरी सूरात है जो हिजरत के वक़्त मक्का मुकर्रमा और जोहफ़ा (राबिग) के दरमियान नाज़िल हुई। कुछ रिवायतों में है कि हिजरत के सफ़र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जोहफ़ा यानी राबिग के करीब पहुँचे तो जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि ऐ मुहम्मद! क्या आपको आपका वतन जिसमें आप पैदा हुए याद आता है? आपने फ़रमाया हाँ ज़रूर याद आता है। इस पर जिब्रीले अमीन ने क़ुरआन की यह सूरात सुनाई जिसके आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसकी खुशख़बरी है कि अन्जामकार मक्का मुकर्रमा फ़तह होकर आपके क़ब्ज़े में आ जाये। वह आयत यह है:

إِنَّ الدِّينَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأُوكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

(यानी आगे आ रही इसी सूरात की आयत नम्बर 85)

सूर: कसस में सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहले मुख़्तसर तौर पर फिर

तफसील के साथ बयान हुआ है। आधी सूरत तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा फिरऔन के साथ और सूरत के आखिर में कारून के साथ जिक्र किया गया है।

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे कुरआन में कहीं मुख्तसर और कहीं तफसील से बार-बार आया है। सूर: कहफ में तो इनके उस किस्से की तफसील आई है जो खज़िर अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया, फिर सूर: तौ-हा में पूरे किस्से की तफसील है, और यही तफसील सूर: नम्ल में भी कुछ आई है, फिर सूर: कसस में इसको दोहराया है। सूर: तौ-हा में जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के लिये अल्लाह तआला का यह इरशाद आया है कि 'व फतन्ना-क फुतूनन्' (यानी सूर: तौ-हा की आयत 40 में) मुहद्दिसीन हजरात में से इमाम नसाई वगैरह ने इस पूरे किस्से की मुकम्मल तफसील वहाँ लिखी है, इस नाचीज़ ने भी तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से यह मुकम्मल तफसील सूर: तौ-हा में बयान कर दी है। इस किस्से से संबन्धित हिस्सों की तमाम बहसों और ज़रूरी मसाईल और फायदे कुछ सूर: कहफ में बाकी सूर: तौ-हा जिक्र कर दिये गये हैं। मसाईल व मबाहिस के लिये उनको देखना काफी होगा, यहाँ सिर्फ आयतों के अलफ़ज़ की मुख्तसर तफसीर पर इक्तिफ़ा किया जायेगा।

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً..... الآية

इस आयत में अल्लाह की तफदीर के मुकाबले में फिरऔनी तदबीर का न सिर्फ नाकाम होना बल्कि फिरऔन और उसके सब दरबार वालों को इन्तिहाई बेवकूफ बल्कि अंधा बनाने का जिक्र है कि जिस लड़के के बारे में ख़्वाब और ख़्वाबी की ताबीर की बिना पर फिरऔन को ख़तरा लगा हुआ था और जिसकी बिना पर बनी इस्राईल के बेशुमार नवजात लड़कों को ज़िबह करने का क़ानून जारी किया था, उसको हक़ तआला ने उसी फिरऔन के घर में उसी के हाथों परवरिश कराया और वालिदा के इत्मीनान के लिये उन्हीं की गोद में हैरत-अंगेज़ तरीक़े पर पहुँचा दिया और फिरऔन से दूध पिलाने का खर्चा जो कुछ रिवायतों में एक दीनार रोज़ाना बतलाया गया है अलग से वसूल किया गया। और दूध पिलाने का यह मुआवज़ा चूँकि एक काफ़िर हरबी (यानी वह काफ़िर जो मुसलमानों से लड़ रहा था) से उसकी रज़ामन्दी के साथ लिया गया है इसलिये इसके जायज़ होने में भी कोई इश्काल नहीं। और आख़िरकार जिस ख़तरे के दूर करने के लिये सारी क़ौम पर ये अत्याचार ढाये थे वह उसी के घर के अन्दर से एक ज़बरदस्त ज्वालामुखी बनकर फूटा और ख़्वाब की ताबीर अल्लाह तआला ने उसको आँखों से दिखा दी।

وَنُرَى فِرْعَوْنُ وَهَامَنُ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْتَرُونَ ۝

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 6) का यही हासिल है।

وَإِذْ نَادَى إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ

वही का लफ़ज़ इस जगह लुगवी मायने में इस्तेमाल हुआ है, नुबुव्वत की वही मुराद नहीं। इसकी तहकीक़ सूर: तौ-हा में गुज़र चुकी है।

وَكَمَا يَلْعَنُ أَشَدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ أَيْدِيَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَ
 دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ
 عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ
 خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُّبِينٌ ۝
 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ۖ قَالَ يَمْوَنِي أَن تُرِيدَ أَنْ تُفْتَلِنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
 بِالْأَمْسِ ۚ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝ وَجَاءَ
 رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۚ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
 النَّاصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

व लम्मा ब-ल-ग अशुद्-दहू वस्तवा
 आतैनाहु हुक्मव्-व अिल्मन्,
 कजालि-क नज्जिल् मुत्सिनीन (14)
 व द-खलल्-मदी-न-त अला हीनि
 गुफ्लतिम् मिन् अहलिहा फ-व-ज-द
 फ़ीहा रजुलैनि यक्ततिलानि, हाज़ा
 मिन् शी-अतिही व हाज़ा मिन्
 अदुव्विही फ़स्तगा-सहुल्लज़ी मिन्
 शी-अतिही अलल्लज़ी मिन् अदुव्विही
 फ-व-क-ज़हू मूसा फ-कज़ा अलैहि,
 का-ल हाज़ा मिन् अ-मलिशशैतानि,
 इन्नहू अदुव्वुम्-मुज़िल्लुम्-मुबीन (15)
 का-ल रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ़सी

और जब पहुँच गया अपने जोर पर और
 संभल गया दी हमने उसको हिक्मत और
 समझ, और इसी तरह हम बदला देते हैं
 नेकी वालों को। (14) और आया शहर
 के अन्दर जिस वक़्त बेख़बर हुए थे वहाँ
 के लोग फिर पाये उसमें दो मर्द लड़ते
 हुए यह एक उसके साथियों में और यह
 दूसरा उसके दुश्मनों में, फिर फ़रियाद की
 उससे उसने जो था उसके साथियों में उस
 की जो था उसके दुश्मनों में, फिर मुक्का
 मारा उसको मूसा ने फिर उसको तमाम
 कर दिया, बोला यह हुआ शैतान के काम
 से, बेशक वह है दुश्मन खुला बहकाने
 वाला। (15) बोला ऐ मेरे रब! मैंने बुरा
 किया अपनी जान का, सो बख़्श मुझको,

फ़ग़फ़िर् ली फ़-ग़-फ़-र लहू इन्नहू
हुवल्-ग़फ़ूररहीम (16) का-ल रब्बि
बिमा अन्-अम्-त अलय्-य फ़-लन्
अकू-न ज़हीरल्-लिम्मुज्जिमीन (17)
फ़-अस्ब-ह फिल्मदी-नति ख़ाइफ़य्-
य-तरक्कबु फ़-इज़ल् लज़िस्तन्स-रहू
बिल्अम्सि यस्तसिख़ुहू, का-ल लहू
मूसा इन्न-क ल-शविय्युम्-मुबीन (18)
फ़-लम्मा अन् अरा-द अय्यब्ति-श
बिल्लज़ी हु-व अदुव्वुल्-लहुमा का-ल
या मूसा अतुरीदु अन् तक़तु-लनी
कमा क़तल्-त नफ़सम्-बिल्अम्सि इन्
तुरीदु इल्ला अन् तकू-न ज़ब्बारन्
फ़िल्अर्ज़ि व मा तुरीदु अन् तकू-न
मिनल्-मुस्लिहीन (19) व जा-अ
रजुलुम्-मिन् अक्सल्-मदीनति
यसूआ, का-ल या मूसा इन्नल्-
म-ल-अ यअ्तमिरू-न बि-क
लि-यक्तुलू-क फ़ख़रुज् इन्नी ल-क
मिनन्नासिहीन (20) फ़-ख़ा-र-ज
मिन्हा ख़ाइफ़य्-य-तरक्कबु का-ल
रब्बि नज्जिनी मिनल्-कौमिज़्-
ज़ालिमीन (21) ❀

फिर बख़्श दिया बेशक वही है बख़्शने
वाला मेहरबान। (16) बोला ऐ रब! जैसा
तूने फ़ज़ल कर दिया मुझ पर फिर मैं
कभी न हूँगा मददगार गुनाहगारों का।
(17) फिर सुबह को उठा उस शहर में
डरता हुआ इन्तिज़ार करता हुआ फिर
अचानक जिसने कल मदद माँगी थी उससे
आज फिर फ़रियाद करता है उससे, कहा
मूसा ने बेशक तू खुला बेराह है। (18)
फिर जब चाहा कि हाथ डाले उस पर जो
दुश्मन था उन दोनों का, बोल उठा ऐ
मूसा! क्या तू चाहता है कि खून करे मेरा
जैसे खून कर चुका है कल एक जान का,
तेरा यही जी चाहता है कि ज़बरदस्ती
करता फ़िरे मुल्क में और नहीं चाहता कि
हो सुलह करा देने वाला। (19) और आया
शहर के परले सिरे से एक मर्द दौड़ता
हुआ, कहा ऐ मूसा! दरबार वाले मश्विरा
करते हैं तुझ पर कि तुझको मार डालें सो
निकल जा, मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ।
(20) फिर निकला वहाँ से डरता हुआ
राह देखता, बोला ऐ रब! बचा ले मुझको
इस बेइन्साफ़ कौम से। (21) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जब (परवरिश पाकर) अपनी भरी जवानी (की उम्र) को पहुँचे और (जिस्मानी और अक्ली

ताकत से) दुरुस्त हो गये तो हमने उनको हिक्मत और इल्म अता फरमाया (यानी नुबुव्वत से पहले ही सही अक्ल व समझ जिससे अच्छे-बुरे का फर्क कर सकें, इनायत फरमाई) और हम नेक काम करने वालों को इसी तरह सिला दिया करते हैं (यानी नेक अमल से इल्मी फ़ैज़ में तरक्की होती है। इसमें इशारा है कि फिरऔन के तरीके और चलन को मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी इख़्तियार न किया था बल्कि उससे नफ़रत करने वाले रहे)।

और (उसी ज़माने का एक वक़िआ यह हुआ कि एक बार) मूसा (अलैहिस्सलाम) शहर में (यानी मिस्र में जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मअानी में इब्ने इस्हाक़ की रिवायत से है, कहीं बाहर से) ऐसे वक़्त पहुँचे कि वहाँ के (अक्सर) बाशिन्दे बेख़बर (पड़े सो रहे) थे, (अक्सर रिवायतों से यह दोपहर का वक़्त मालूम होता है, और कुछ रिवायतों से कुछ रात गये का वक़्त मालूम होता है जैसा कि दुर्गे मन्सूर की रिवायत है) तो उन्होंने वहाँ दो आदमियों को लड़ते देखा, एक तो उनकी बिरादरी (यानी बनी इस्राईल) में का था और दूसरा उनके मुख़ालिफ़ों (यानी फिरऔन के मुतल्लिकीन मुलाज़िमीन) में से था। (दोनों किसी बात पर उलझ रहे थे और ज़्यादती उस फिरऔन वाले की थी) सो वह जो उनकी बिरादरी का था उसने (जो) मूसा (अलैहिस्सलाम को देखा तो इन) से उसके मुकाबले में जो उनके मुख़ालिफ़ों में से था मदद चाही, (मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो उसको समझाया जब इस पर भी वह बाज़ न आया) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जुल्म को रोकने के लिये सज़ा के तौर पर) उसको (एक) घूँसा मारा, सो उसका काम ही तमाम कर दिया (यानी इत्तिफ़ाक़ से वह मर ही गया)। मूसा (अलैहिस्सलाम उस ख़िलाफ़े उम्मीद नतीजे से बहुत पछताये और) कहने लगे कि यह तो शैतानी हरकत हो गई। बेशक़ शैतान (भी आदमी का) खुला दुश्मन है, किसी ग़लती में डाल देता है (और शर्मिन्दा होकर हक़ तआला से) अज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझसे क्रसूर हो गया है, आप माफ़ फ़रमा दीजिये, सो अल्लाह तआला ने माफ़ फ़रमा दिया, बिला शुक़्ा वह बड़ा माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। (अगरचे इस माफ़ी का निश्चित तौर पर इल्म और ज़हूर नुबुव्वत मिलने के वक़्त पर हुआ जैसा कि सूर: नम्ल में है:

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا ۖ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

और उस वक़्त चाहे इल्हाम से मालूम हो गया हो या बिल्कुल न मालूम हुआ हो)।

मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (गुज़रे हुए की तौबा के साथ भविष्य के लिये यह भी) अज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! चूँकि आपने मुझ पर (बड़े-बड़े) इनामात फ़रमाये हैं (जिनका जिक़र सूर: 'तौ-हा' में आयत 37 से 40 तक है) सो कभी मैं मुजरिमों की मदद न करूँगा। (यहाँ मुजरिमों से मुराद वे हैं जो दूसरों से गुनाह का काम कराना चाहें क्योंकि गुनाह कराना किसी से भी जुर्म है पस इसमें शैतान भी दाख़िल हो गया कि गुनाह कराता है और गुनाह करने वाला उसकी मदद करता है, चाहे जान-बूझकर हो या ग़लती और भूल से जैसे इस आयत में है 'व कानल् काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा' यहाँ मददगार से शैतान ही मुराद है। मतलब यह हुआ कि मैं शैतान का कहना कभी नहीं मानूँगा, यानी जहाँ ग़लती होने की संभावना होगी वहाँ एहतियात व सतर्कता से काम लूँगा और असल मक़सद इतना ही है मगर हुक्म को शामिल करने के लिये मुजरिमीन बहुवचन का कलिमा लाया गया कि

औरों को भी आम हो जाये। गुर्ज कि इस दौरान में इसका चर्चा हो गया मगर सिवाय इस्राईली के कोई राज का वाकिफ न था और चूँकि उसी की हिमायत में यह वाकिफ हुआ था इसलिए उसने इज़हार नहीं किया, इस वजह से किसी को इत्तिला न हुई मगर मूसा अलैहिस्सलाम को अन्देशा रहा, यहाँ तक कि रात गुज़री।

फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) को शहर में सुबह हुई खौफ और घबराहट की हालत में कि अचानक (देखते क्या हैं कि) वही शख्स जिसने गुज़री कल इमदाद चाही थी वह फिर उनको (मदद के लिये) पुकार रहा है कि (किसी और से उलझ पड़ा था), मूसा (अलैहिस्सलाम यह देखकर और कल की हालत याद करके उस पर नाराज़ हुए और) उससे फरमाने लगे बेशक तू खुला बुरे रास्ते वाला (आदमी) है कि रोज़ लोगों से लड़ा करता है। मूसा (अलैहिस्सलाम को अन्दाज़ों इशारों से मालूम हुआ होगा कि इसकी तरफ़ से भी कोई मामला हुआ है, लेकिन ज्यादाती फिरऔनी की देखकर उसको रोकने का इरादा किया) सो जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उस पर हाथ बढ़ाया जो उन दोनों का मुखालिफ़ था (मुराद फिरऔनी है कि वह इस्राईली का भी मुखालिफ़ था और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल में से हैं और वे लोग तमाम बनी इस्राईल के मुखालिफ़ थे, चाहे तो वह इस्राईली मूसा अलैहिस्सलाम को इस्राईली न समझा हो और या मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि फिरऔन के तरीके से नफरत करते थे, यह बात मशहूर हो गयी हो इसलिए फिरऔन वाले उनके मुखालिफ़ हो गये हों। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फिरऔनी पर हाथ बढ़ाया और उससे पहले इस्राईली पर नाराज़ हो चुके थे तो इससे उस इस्राईली को शुब्हा हुआ कि शायद आज मुझ पर पकड़ और सख्ती करेंगे तो घबराकर) वह इस्राईली कहने लगा- ऐ मूसा! क्या (आज) मुझको क़त्ल करना चाहते हो जैसा कि कल एक आदमी को क़त्ल कर चुके हो। (मालूम होता है कि) बस तुम दुनिया में अपना जोर बिठलाना चाहते हो और सुलह (और मिलाप) करवाना नहीं चाहते।

(यह कलिमा उस फिरऔनी ने सुना, कातिल की तलाश हो रही थी इतना सुराग़ लग जाना बहुत है, फौरन फिरऔन को ख़बर पहुँचा दी। फिरऔन अपने आदमी के मारे जाने से गुस्से में था, यह सुनकर नाराज़ हुआ और शायद इससे उसको वह ख़्वाब का अन्देशा मज़बूत हो गया हो कि कहीं वह शख्स यही न हो, खुसूसन अगर मूसा अलैहिस्सलाम का फिरऔनी तरीके को नापसन्द करना भी फिरऔन को मालूम हो तो कुछ नाराज़गी और दुश्मनी इस सबब से होगी, उस पर यह एक और मामला हो गया। बहरहाल उसने अपने दरबारियों को मशिवरे के लिये जमा किया और आखिर राय मूसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने की करार पाई) और (उस मजमे में) एक शख्स (मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और हमदर्द थे वह) शहर के (उस) किनारे से (जहाँ यह मशिवरा हो रहा था मूसा अलैहिस्सलाम के पास नज़दीक की गलियों से) दौड़ते हुए आए (और) कहने लगे कि ऐ मूसा! दरबार वाले आपके बारे में मशिवरा कर रहे हैं कि आपको क़त्ल कर दें। सो आप (यहाँ से) चल दीजिये। मैं आपकी ख़ैरख़्वाही कर रहा हूँ।

पस (यह सुनकर) मूसा (अलैहिस्सलाम) वहाँ से (किसी तरफ़ को) निकल गये, खौफ़ और घबराहट की हालत में (और चूँकि रास्ता मालूम न था, दुआ के तौर पर) कहने लगे कि ऐ मेरे

परवर्दिगार! मुझको इन ज़ालिम लोगों से बचा लीजिये (और अमन की जगह पहुँचा दीजिए)।

मअरिफ़ व मसाईल

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ

अशुद्द के लफ़्ज़ी मायने कुव्वत व सख़्ती की इन्तिहा पर पहुँचना है यानी इनसान बचपन की कमज़ोरी से धीरे-धीरे कुव्वत व सख़्ती की तरफ़ बढ़ता है, एक वक़्त ऐसा आता है कि उसके वजूद में जितनी ताक़त व सख़्ती आ सकती थी वह पूरी हो जाये उस वक़्त को अशुद्द कहा जाता है और यह ज़मीन के मुख़ालिफ़ ख़िल्लों और कौमों के मिज़ाज के एतिबार से मुख़ालिफ़ (अलग-अलग) होता है, किसी का अशुद्द का ज़माना जल्द आ जाता है किसी का देर में लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद से अब्द इब्ने हुमैद की रिवायत से यह मन्कूल है कि अशुद्द उम्र के तैंतीस साल में होता है, इसी को भरपूर उम्र या ठहराव की उम्र कहा जाता है जिसमें बदन का बढ़ना और तरक्की करना एक हद पर पहुँचकर रुक जाता है, इसके बाद चालीस की उम्र तक ठहराव का ज़माना है इसी को इस्तिवा के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है, चालीस साल के बाद गिरावट और कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इससे मालूम हुआ कि उम्र का अशुद्द (मजबूती और ताक़त का दौर) तैंतीस साल की उम्र से शुरू होकर चालीस साल तक रहता है। (रुहुल-मअानी व कुर्तुबी)

اتَّبِعْهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

हुक्म से मुराद नुबुव्वत व रिसालत है और इल्म से मुराद अल्लाह की शरीअत के अहकाम का इल्म है।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

अल्-मदीना से मुराद अक्सर मुफ़स्सरीन के नज़दीक मिस्र शहर है। उसमें दाख़िल होने के लफ़्ज़ से मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से बाहर कहीं गये हुए थे फिर एक दिन उस शहर में ऐसे वक़्त दाख़िल हुए जो आम लोगों की ग़फ़लत का वक़्त था। आगे क़िब्ती के क़त्ल के किस्से में इसका भी तज़क़िरा है कि यह वह ज़माना था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नुबुव्वत व रिसालत का और दीने हक़ का इज़हार शुरू कर दिया था, इसी के नतीजे में कुछ लोग उनके मानने वाले व फ़रमाँबरदार हो गये थे जो उनके ताबेदार कहलाते थे 'मिन् शीअतिही' का लफ़्ज़ इस पर सुबूत है। इन तमाम इशारात से उस रिवायत की ताईद होती है जो इब्ने इस्हाक़ और इब्ने ज़ैद से मन्कूल है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने होश संभाला और दीने हक़ की कुछ बातें लोगों से कहने लगे तो फिरऔन उनका मुख़ालिफ़ हो गया और क़त्ल का इरादा किया मगर फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया की दरख़्वास्त पर उनके क़त्ल से बाज़ आया मगर उनको शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में किसी जगह रहने लगे और कभी-कभी छुपकर मिस्र शहर में आते थे और 'अला ही-न ग़फ़लतिम् मिन् अहलिहा' से मुराद अक्सर मुफ़स्सरीन के नज़दीक दोपहर का वक़्त है जबकि लोग कैलूले (दोपहर के आराम) में थे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ.

व-क-ज के मायने मुक्का मारने के हैं। फ-क़ज़ा अलैहि 'क़ज़ा' और 'क़ज़ा अलैहि' का मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब किसी शख्स का बिल्कुल काम तमाम कर दे और फारिग हो जाये। इसी लिये यहाँ इसके मायने क़त्ल कर देने के हैं। (तफसीरे मज़हरी)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ.

इस आयत का हासिल यह है कि उस किस्ती काफिर का क़त्ल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बिना इरादे के हो गया था मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको भी अपने नुबुव्वत व रिसालत के मक़ाम और पैग़म्बराना शान की बड़ाई के लिहाज़ से अपना गुनाह करार देकर अल्लाह तआला से मग़फ़िरत तलब की, अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया। यहाँ पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि यह किस्ती काफिर शरई परिभाषा के लिहाज़ से एक हरबी (मुसलमानों से लड़ने वाला) काफ़िर था जिसका जान-बूझकर क़त्ल करना भी मुबाह और जायज़ था, क्योंकि न यह किसी इस्लामी हुकूमत का जिम्मी था न मूसा अलैहिस्सलाम से बज़ाहिर इसका कोई मुआहदा था, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको शैतानी काम और गुनाह क्यों करार दिया? उसका क़त्ल तो बज़ाहिर अज़्र व सवाब का ज़रिया होना चाहिये था कि एक मुसलमान पर जुल्म कर रहा था उसको बचाने के लिये यह क़त्ल वाक़े हुआ।

जवाब यह है कि मुआहदा (समझौता) जैसे कौली और तहरीरी होता है जैसे उमूमन इस्लामी हुकूमतों में जिम्मी लोगों से समझौता या किसी ग़ैर-मुस्लिम हुकूमत से सुलह का समझौता, और यह समझौता सब के नज़दीक वाजिबुल-अमल और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) घोखा देना और अहद को तोड़ने के सबब हुराम होती है इसी तरह अमली समझौता भी एक किस्म का मुआहदा ही होता है उसकी भी पाबन्दी लाज़िमी और ख़िलाफ़वर्ज़ी अहद तोड़ने के बराबर है।

अमली मुआहदे की सूत यह है कि जिस जगह मुसलमान और कुछ ग़ैर-मुस्लिम किसी दूसरी हुकूमत में आपसी अमन व इत्मीनान के साथ रहते बसते हों, एक दूसरे पर हमला करना या लूटमार करना दोनों तरफ़ से ग़दारी समझा जाता हो तो इस तरह के सामाजिक रहन-सहन और मामलात भी एक किस्म का अमली समझौता और अहद होते हैं, उनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी जायज़ नहीं। इसकी दलील हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु की वह लम्बी हदीस है जिसको इमाम बुख़ारी ने 'किताबुशशुरूत' में विस्तार से रिवायत किया है और वाकिआ उसका यह था कि हज़रत मुगीरा अपने इस्लाम से पहले जाहिलीयत के ज़माने में एक काफ़िरो की जमाअत के साथ उठना-बैठना और मेलजोल रखते थे, फिर उनको क़त्ल करके उनके मालों पर क़ब्ज़ा कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हो गये और जो माल उन लोगों का लिया था वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश कर दिया, इस पर आपने इरशाद फ़रमाया:

أما الإسلام فأقبل وأما المال فإلست منه في شيء

और अबू दाऊद की रिवायत में इसके अलफ़ाज़ ये हैं:

यानी आपका इस्लाम तो हमने कुबूल कर लिया और अब आप मुसलमान हैं मगर यह माल ऐसा माल है जो धोखे और अहद तोड़ने से हासिल हुआ है इसलिये हमें इस माल की कोई हाजत नहीं।

बुखारी शरीफ के शारेह हाफिज़ इब्ने हजर ने शरह में फरमाया कि इस हदीस से यह मसला निकलता है कि काफिरों का माल अमन की हालत में लूट लेना हलाल नहीं क्योंकि ऐसी बस्ती के रहने वाले या एक साथ काम करने वाले एक दूसरे को अपने से मामून (सुरक्षित) समझते हैं, उनका यह अमली समझौता भी एक अमानत है जिसका अमानत वाले को अदा करना फर्ज है, चाहे वह काफिर हो या मुस्लिम। और काफिरों के माल जो मुसलमानों के लिये हलाल होते हैं वे सिर्फ जंग और एक दूसरे पर ग़लबा हासिल करने की सूरत में हलाल होते हैं, अमन व अमान की हालत में जबकि एक दूसरे से अपने को मामून (सुरक्षित) समझ रहा हो किसी काफिर का माल लूट लेना जायज़ नहीं। और कुस्तुलानी ने शरह बुखारी में फरमाया:

ان اموال المشركين ان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل اخذها عند الامن فاذا كان الانسان مصاحباهم فقد

امن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء واخذ المال مع ذلك غدر حرام الا ان يبذ اليهم عهدهم على سوء.

बेशक मुशिरकों के माल जंग और जिहाद के वक़्त ग़नीमत व मुबाह हैं लेकिन अमन की हालत में हलाल नहीं, इसलिये जो मुसलमान काफिरों के साथ रहता-सहता हो कि अमली तौर पर एक दूसरे से सुरक्षित हो तो ऐसी हालत में किसी काफिर का खून बहाना या माल ज़बरदस्ती लेना ग़दर (धोखा) हराम है जब तक कि उनके इस अमली समझौते से अलग होने का ऐतान न कर दे।

खुलासा यह है कि क़िब्ती का क़त्ल इस अमली समझौते की बिना पर अगर इरादे से होता तो जायज़ नहीं था मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके क़त्ल का इरादा नहीं किया था बल्कि इस्राईली शख्स को उसके जुल्म से बचाने के लिये हाथ की चोट लगाई जो आदतन क़त्ल का सबब नहीं होती, मगर क़िब्ती उस चोट से मर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ कि इसको हटाने के लिये इस चोट से कम दर्जा भी काफी था, यह ज़्यादती मेरे लिये दुरुस्त न थी, इसी लिये इसको शैतानी काम करार देकर इससे मग़फ़िरत तलब फरमाई।

फ़ायदा

यह तहकीक़ हकीमुल-उम्मत मुजहिदुल-मिल्लत सैयदी हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह. की है जो आपने अरबी भाषा में अहकामुल-कुरआन सूर: क़सस लिखते वक़्त इरशाद फरमाई थी, और यह आखिरी इल्मी तहकीक़ है जिसके ज़रिये अहक़र हज़रत रह. से लाभान्वित हुआ, क्योंकि आपने यह इरशाद 2 रजब सन 1362 हिजरी में फरमाया था इसके बाद बीमारी की सख़्ती बढ़ी और 16 रजब को इल्म व अमल का यह सूरज गुरुब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

और कुछ हज़राते मुफ़स्सरीन ने फरमाया कि अगरचे क़िब्ती का क़त्ल मुबाह (जायज़) था मगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जायज़ चीज़ों में भी अहम मामलात में उस वक़्त तक पहल नहीं करते जब

तक खुसूसी तौर पर अल्लाह की तरफ से इजाजत व इशारा न मिले, इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुसूसी इजाजत का इन्तिज़ार किये बगैर यह कदम उठा लिया था इसलिये अपनी शान के मुताबिक इसको गुनाह करार देकर इस्तिगफार किया। (रुहुल-मआनी बगैरह)

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस ग़लती और चूक को जब अल्लाह तआला ने माफ़ फरमा दिया तो आपने इस नेमत के शुक्र में यह अर्ज किया कि मैं आईन्दा किसी मुजरिम की मदद न करूँगा। इससे मालूम हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस इस्राईली की मदद के लिये यह कदम उठाया था दूसरे वाकिए से यह बात साबित हो गई थी कि वह खुद ही झगड़ालू है, झगड़ा लड़ाई उसकी आदत है इसलिये उसको मुजरिम करार देकर आईन्दा किसी ऐसे शख्स की मदद न करने का अहद फरमाया। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जगह मुजरिमीन की तफसीर काफिरीन के साथ मन्कूल है, और कतादा रह. ने भी तक्रीबन ऐसा ही फरमाया है। इस तफसीर की बिना पर वाक़िआ यह मालूम होता है कि यह इस्राईली जिसकी इमदाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी यह भी मुसलमान न था, मगर उसको मज़लूम समझकर मदद फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस इरशाद से दो मसले साबित हुए।

पहला मसला यह कि मज़लूम अगरचे काफिर गुनाहगार ही हो उसकी मदद करनी चाहिये।

दूसरा मसला यह साबित हुआ कि किसी मुजरिम ज़ालिम की मदद करना जायज़ नहीं। उलेमा ने इस आयत से दलील पकड़कर ज़ालिम हाकिमों की नौकरी को भी नाजायज़ करार दिया है कि वे भी उनके जुल्म में शरीक समझे जायेंगे और इस पर पहले बुजुर्गों से अनेक रिवायतें नकल की हैं। (जैसा कि तफसीर रुहुल-मआनी में है)

काफिरों या ज़ालिमों की इमदाद व सहयोग की अनेक सूरतें हैं और उनके अहकाम मसाईल की किताबों में तफसील से मज़कूर हैं। अहक़र ने अहकामुल-कुरआन में अरबी भाषा में इसी आयत के तहत में इस मसले की पूरी तहकीक व वज़ाहत लिख दी है, उलेमा हज़रात उसको देख सकते हैं।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ

عَسَىٰ رَبِّيٰ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذَاوُدًا ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّقَ الرَّعَاءُ ۚ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشْتَّىٰ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۚ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ ۚ قَالَ إِنِّي لَمِنَ الْمُجْرِمِينَ ۝ قَالَ إِنِّي لَمِنَ الْمُجْرِمِينَ ۝ قَالَ إِنِّي لَمِنَ الْمُجْرِمِينَ ۝ قَالَ إِنِّي لَمِنَ الْمُجْرِمِينَ ۝

فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
 قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجْدِينَ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

व लम्मा तवज्ज-ह तिल्का-अ मद्य-न
 का-ल असा रब्बी अय्यहदि-यनी
 सवा-अस्सबील (22) व लम्मा व-र-द
 मा-अ मद्य-न व-ज-द अलैहि
 उम्म-तम् मिनन्नासि यस्कू-न, व
 व-ज-द मिन् दूनिहिमुमूर-अतैनि
 तज़ूदानि का-ल मा खात्बुकुमा,
 का-लता ला नस्की हत्ता युस्दिर-
 रिआ-उ, व अबूना शैखुन् कबीर
 (23) फ-सका लहुमा सुम्-म तवल्ला
 इलज़िज़ल्लि फका-ल रब्बि इन्नी लिमा
 अन्ज़ल्-त इलय्-य मिन् खौरिन्
 फकीर (24) फजा-अत्हु इह्दाहुमा
 तम्शी अलस्तिह्याइन् कालत् इन्-न
 अबी यद्जू-क लि-यज़्ज़ि-य-क
 अजू-र मा सकै-त लना, फ-लम्मा
 जा-अहू व कस्-स अलैहिल्-क-स-स
 का-ल ला त-खाफ् नजौ-त मिनल्-
 कौमिज़्ज़ालिमीन (25) कालत्
 इह्दाहुमा या अ-बतिस्तअज़िरहु
 इन्-न खै-र मनिस्तअज़रतल्-
 कविय्युल्-अमीन (26) का-ल इन्नी

और जब मुँह किया मद्यन की सीध पर
 बोला उम्मीद है कि मेरा रब ले जाये
 मुझको सीधी राह पर। (22) और जब
 पहुँचा मद्यन के पानी पर पाया वहाँ एक
 जमाअत को लोगों की पानी पिलाते हुए,
 और पाया उनसे वरे दो औरतों को कि
 रोके हुए खड़ी थीं अपनी बकरियाँ, बोला
 तुम्हारा क्या हाल है, बोलीं हम नहीं
 पिलातीं पानी चरवाहों के फेर लेजाने तक
 और हमारा बाप बूढ़ा है बड़ी उम्र का।
 (23) फिर उसने पानी पिला दिया उनके
 जानवरों को फिर हटकर आया छाँव की
 तरफ, बोला ऐ रब तू जो चीज़ उतारे मेरी
 तरफ अच्छी मैं उसी का मोहताज हूँ।
 (24) फिर आयी उसके पास उन दोनों में
 से एक चलती थी शर्म से, बोली मेरा
 बाप तुझको बुलाता है कि बदले में दे
 हक उसका कि तूने पानी पिला दिया हमारे
 जानवरों को। फिर जब पहुँचा उसके पास
 और बयान किया उससे अहवाल, कहा मत
 डर बच आया तू उस बेइन्साफ़ कौम से।
 (25) बोली उन दोनों में से एक ऐ बाप!
 इस को नौकर रख ले, बेशक बेहतर
 नौकर जिसको तू रखना चाहे वह है जो
 जोरावर हो अमानतदार। (26) कहा मैं

उरीदु अन् उन्कि-ह-क इह्दब्नतय्-य
 हातैनि अला अन् तअजू-रनी
 समानि-य हि-जजिन् फ़-इन् अत्मम्-त
 अशरन् फ़-मिन् अिन्दि-क व मा उरीदु
 अन् अशुक्-क अलै-क, स-तजिदुनी
 इन्शा-अल्लाहु मिनस्सालिहीन (27)
 का-ल जालि-क बैनी व बैन-क,
 अय्यमल्-अ-जलैनि कज़ैतु फ़ला
 अुद्वा-न अलय्-य, वल्लाहु अला मा
 नकूलु वकील (28) ❀

चाहता हूँ कि ब्याह दूँ तुझको एक बेटी
 अपनी इन दोनों में से इस शर्त पर कि तू
 मेरी नौकरी करे आठ साल फिर अगर तू
 पूरे कर दे दस साल तो वह तेरी तरफ़ से
 है, और मैं नहीं चाहता कि तुझ पर
 तकलीफ़ डालूँ, तू पायेगा मुझको अगर
 अल्लाह ने चाहा नेकबख़्तों से। (27)
 बोला यह वायदा हो चुका मेरे और तेरे
 बीच जौनसी मुद्दत इन दोनों में पूरी कर
 दूँ, सो ज़्यादाती न हो मुझ पर, और
 अल्लाह पर भरोसा इस चीज़ का जो हम
 कहते हैं। (28) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब मूसा (अलैहिस्सलाम यह दुआ करके अल्लाह पर भरोसा करके एक दिशा को चले और
 ग़ैबी इशारे से) मद्यन की तरफ़ हो लिये (चूँकि रास्ता मालूम न था इसलिये भरोसा व मज़बूती और
 अपने नफ़्स को तसल्ली देने के लिये आप ही आप) कहने लगे कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको
 (किसी अमन की जगह का) सीधा रास्ता चलायेगा (चुनाँचे ऐसा ही हुआ और मद्यन जा पहुँचे)। और
 जब मद्यन के पानी (यानी कुँए) पर पहुँचे तो उस पर (बहुत सारे) आदमियों का एक मजमा देखा
 जो (उस कुँए से खींच-खींचकर अपने भवेशियों को) पानी पिला रहे थे। और उन लोगों से एक तरफ़
 (अलग) को दो औरतें देखीं कि वे (अपनी बकरियाँ) रोके खड़ी हैं। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (उनसे)
 पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? वे दोनों बोलीं कि (हमारा मामूल यह है कि) हम (अपने जानवरों को)
 उस वक़्त तक पानी नहीं पिलाते जब तक ये चरवाहे (जो कुँए पर पानी पिला रहे हैं) पानी पिलाकर
 (जानवरों को) हटाकर न ले जाएँ (एक तो शर्म के सबब, दूसरी मर्दों से टकराना हम कमज़ोरों से कब
 हो सकता है) और (इस हालत में हम आते भी नहीं मगर) हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं (और घर पर और
 कोई काम करने वाला ही नहीं और काम ज़रूरी है इस मजबूरी से हमको आना पड़ता है)। पस (यह
 सुनकर) मूसा (अलैहिस्सलाम को रहम आया और उन्होंने) उनके लिये पानी (खींचकर उनके जानवरों
 को) पिलाया (और उनको इन्तिज़ार और पानी खींचने की तकलीफ़ से बचाया) फिर (वहाँ से) हटकर
 (एक) साये (की जगह) में जा बैठे, (चाहे किसी पहाड़ का साया हो या किसी पेड़ का), फिर (अल्लाह
 की जनाब में) दुआ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! (इस वक़्त) जो नेमत भी (थोड़ी या ज़्यादा) आप
 मुझको भेज दें मैं उसका (सख़्त) ज़रूरत मन्द हूँ (क्योंकि इस सफ़र में कुछ खाने-पीने को न मिला

था। हक तआला ने उसका यह सामान किया कि वे दोनों लड़कियाँ अपने घर लौटकर गईं तो बाप ने मामूल से जल्दी आ जाने की वजह मालूम की, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान किया उन्होंने एक लड़की को भेजा कि उनको बुला लाओ।

मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास एक लड़की आई कि शर्माती हुई चलती थी (जो कि शरीफ लोगों की तबई हालत है, और आकर) कहने लगी कि मेरे वालिद तुमको बुलाते हैं, ताकि तुमको उसका सिला दें जो तुमने हमारी खातिर (हमारे जानवरों को) पानी पिला दिया था। (यह उन साहिबजादी को अपने वालिद की आदत से मालूम हुआ होगा कि एहसान का बदला दिया करते होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम साथ ही लिये अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद यकीनी तौर पर अपनी खिदमत का मुआवजा लेना न था, लेकिन हालात के तकाजे के सबब अमन के ठिकाने और किसी मेहरबान साथी की जरूर तलाश में थे, और अगर भूख की तेजी भी इस जाने का एक सबब हो तो कोई हर्ज की बात नहीं, और इसका उजरत से कुछ ताल्लुक नहीं, और मेहमान नवाजी की तो गुजारिश भी खास तौर पर जरूरत के वक़्त और खुसूसन करीम व शरीफ आदमी से कुछ जिल्लत की बात नहीं, कहाँ यह कि दूसरे की मेहमान नवाजी की दरख्वास्त का कुबूल कर लेना। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बीबी से फ़रमाया कि तुम मेरे पीछे हो जाओ मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ अजनबी औरत को बेवजह और बेइरादा देखना भी पसन्द नहीं करता। गर्ज कि इसी तरह उन बुजुर्ग के पास पहुँचे) सो जब उनके पास पहुँचे और उनसे तमाम हाल बयान किया तो उन्होंने (तसल्ली दी और) कहा कि (अब) अन्देशा न करो तुम ज़ालिम लोगों से बच आये (क्योंकि उस स्थान पर फिरऔन की हुकूमत न थी, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआनी में है। फिर) एक लड़की ने कहा कि अब्बा जान! (आपको आदमी की जरूरत है और हम स्थानी हो गई अब घर में रहना मुनासिब है तो) आप इनको नौकर रख लीजिये, क्योंकि अच्छा नौकर वह शख्स है जो मजबूत (हो और) अमानतदार (भी) हो (और इनमें दोनों सिफ़तें हैं। चुनाँचे कुव्वत इनके पानी खींचने से और अमानत इनके बर्ताव से, खुसूसन रास्ते में औरत को पीछे कर देने से जाहिर होती थी, और अपने बाप से भी बयान किया था, इस पर) वह (बुजुर्ग मूसा अलैहिस्सलाम से) कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कियों में से एक को तुम्हारे साथ ब्याह दूँ, इस शर्त पर कि तुम आठ साल मेरी नौकरी करो (और उस नौकरी का बदला वही निकाह है। हासिल यह कि आठ साल की खिदमत उस निकाह का मेहर है) फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ़ से (एहसान) है (यानी मेरी तरफ़ से ज़बरदस्ती नहीं) और मैं (इस मामले में) तुम पर कोई मशक्कत डालना नहीं चाहता (यानी काम लेने और वक़्त की पाबन्दी वगैरह मामले की दूसरी बातों में आसानी बरतूँगा, और) तुम मुझको इन्शा-अल्लाह तआला अच्छे मामले वाला पाओगे।

मूसा (अलैहिस्सलाम रज़ामन्द हो गये और) कहने लगे कि (बस तो) यह बात मेरे और आपके दरमियान (पक्की) हो चुकी, मैं इन दो मुद्दतों में से जिस (मुद्दत) को पूरा कर दूँ, मुझ पर कोई जबर न होगा, और हम जो (मामले) की बातचीत कर रहे हैं अल्लाह तआला इसका गवाह (काफी) है (उसको हाज़िर नाज़िर समझकर अहद पूरा करना चाहिए)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ

मदयन मुल्के शाम के एक शहर का नाम है जो मदयन बिन इब्राहीम के नाम पर नामित है। यह इलाका फिरऔनी हुकूमत से बाहर था। मिस्र से मदयन की दूरी आठ मन्ज़िल की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरऔनी सिपाहियों के पीछा करने का तबई खौफ़ पेश आया जो न नुबुव्वत व मारिफ़त के खिलाफ़ है न तवक्कुल के, तो मिस्र से हिजरत का इरादा किया और मदयन की दिशा शायद इसलिये मुतैयन की कि मदयन भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की बस्ती थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनकी औलाद में थे।

उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बिल्कुल ख़ाली हाथ इस तरह मिस्र से निकलना कि न कोई तोशा (सफ़र का सामान और खाना) साथ था न कोई सामान और न रास्ता मालूम, इसी तरह बेचैनी व परेशानी की हालत में अल्लाह तआला शानुहू की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया:

عَسَىٰ رَبِّيٰٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

यानी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखायेगा और अल्लाह तआला ने यह दुआ कुबूल फ़रमाई। मुफ़त्सिरीन का बयान है कि इस सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गिज़ा सिर्फ़ दरख़्तों के पत्ते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यह सबसे पहली आजमाईश और इम्तिहान था। मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाईशों और इम्तिहानों की तफ़्सीर सूरः तौ-हा में एक लम्बी हदीस के हवाले से बयान हो चुकी है।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

मा-अ मदय-न से मुराद वह कुआँ है जिससे उस बस्ती के लोग अपने मवेशियों (पशुओं व जानवरों) को पानी पिलाते थे।

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

यानी दो औरतों को देखा कि वे अपनी बकरियों को पानी की तरफ़ जाने से रोक रही थीं ताकि उनकी बकरियाँ दूसरे लोगों की बकरियों में रल (मिल) न जायें।

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْقَائِلَاتُ لِمَ تَمْنَعْنَ الْبَقَرَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ هَٰذَا الْمَاءِ وَقَالَتُنَّ إِنَّنَا وَنَحْنُ عِوَاءٌ ۝

तफ़्ज़ ख़तूब शान और हाल के मायने में है जबकि वह कोई अहम काम हो। मायने यह हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है कि तुम अपनी बकरियों को रोके खड़ी हो, दूसरे लोगों की तरह कुएँ के पास लाकर पानी नहीं पिलाती? उन दोनों ने यह जवाब दिया कि हमारी आदत यही है कि हम मर्दों के साथ रलने-मिलने से बचने के लिये उस वक़्त तक अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाती जब तक ये लोग कुएँ पर होते हैं, जब ये चले जाते हैं तो हम अपनी बकरियों को पिलाते हैं। और इसमें जो यह तवाला पैदा होता था कि क्या तुम्हारा कोई मर्द नहीं

जो औरतों को इस काम के लिये निकाला? इसका जवाब भी उन औरतों ने साथ ही दे दिया कि हमारे वालिद बूढ़े जर्ईफ़ उम्र के हैं, वह यह काम नहीं कर सकते इसलिये हम मजबूर हुए।

इस वाकिए से चन्द अहम फायदे हासिल हुए- अब्बल यह कि जर्ईफ़ों (कमजोरों व बूढ़ों) की इमदाद अम्बिया की सुन्नत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो औरतों को देखा कि बकरियों को पानी पिलाने के लिये लाई हैं मगर उन लोगों के हुजूम के सबब मौका नहीं मिल रहा तो उनसे हाल पूछा। दूसरा यह कि अजनबी औरत से ज़रूरत के वक़्त बात करने में हर्ज नहीं, जब तक कि किसी फितने का अन्देशा न हो। तीसरा यह कि अगरचे यह वाक़िआ उस ज़माने का है जबकि औरतों पर पर्दा लाज़िम नहीं था जिसका सिलसिला इस्लाम के भी शुरू के ज़माने तक जारी रहा, मदीना को हिजरत के बाद औरतों के लिये पर्दे के अहकाम नाज़िल हुए लेकिन उस वक़्त भी पर्दे का जो असल मक़सद है वह तबई शराफ़त और हया के सबब औरतों में मौजूद था, कि ज़रूरत के बावजूद पर्दों के साथ मेल-मिलाप ग़वारा न किया और तकलीफ़ उठाना कुबूल किया। चौथा यह कि औरतों का इस तरह के कामों के लिये बाहर निकलना उस वक़्त पसन्दीदा नहीं था इसी लिये उन्होंने अपने वालिद के माज़ूर होने का उज़्र बयान किया।

فَسَقَى لَهُمَا

यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों पर रहम खाकर कुएँ से पानी निकालकर उनकी बकरियों को सैराब कर दिया। कुछ रिवायतों में है कि चरवाहों की आदत यह थी कि अपने जानवरों को पानी पिलाने के बाद कुएँ को एक भारी पत्थर से बन्द कर देते थे और ये औरतें अपनी बकरियों के लिये बचे-खुचे पानी पर सब्र करती थीं। यह भारी पत्थर ऐसा था जिसको दस आदमी मिलकर उठाते थे मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तन्हा उठाकर अलग कर दिया और कुएँ से पानी निकाला। शायद इसी वजह से उन औरतों में से एक ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने वालिद से यह कहा कि यह क़वी (ताक़तवर और मजबूत) हैं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सात दिन से कोई गिज़ा नहीं चखी थी, उस वक़्त एक दरख़्त के साये में आकर अल्लाह तआला के सामने अपनी हालत और ज़रूरत पेश की जो दुआ करने का एक लतीफ़ तरीका है। लफ़ज़ ख़ैर कभी माल के मायने में आता है जैसा कि आयत 'इन् त-र-क ख़ै-र निल्वसिय्यतु' में है, कभी कुव्वत के मायने में आता है जैसे आयत 'अ-हुम् ख़ैरु तुब्बइन्' में, कभी खाने के मायने में भी आता है जो इस जगह मुराद है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ.

क़ुरआनी अन्दाज़े बयान के मुताबिक़ यहाँ किस्से को मुख़्तसर कर दिया गया है। पूरा वाक़िआ यह हुआ कि ये औरतें अपने मुक़र्ररा वक़्त से पहले जल्दी से घर पहुँच गईं तो इनके वालिद ने वजह पूछी, लड़कियों ने वाक़िआ बतलाया। वालिद ने चाहा कि जिस शख्स ने एहसान किया है उसका बदला उसे देना चाहिये इसलिये उन्हीं लड़कियों में से एक को उनके बुलाने के लिये भेजा। यह हया

के साथ चलती हुई पहुँची। इसमें भी इशारा है कि बावजूद पर्दे के बाक़ायदा अहक़ाम नाज़िल न होने के नेक औरतों मर्दों से बेधड़क ख़िताब न करती थीं। ज़रूरत की बिना पर यह वहाँ पहुँची तो शर्म के साथ बात की जिसकी सूरत कुछ मुफ़स्सरीन ने यह बयान की है कि अपने चेहरे को आस्तीन से छुपाकर बातचीत की। तफ़सीर की रिवायतों में है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चलने लगे तो लड़की से कहा कि तुम मेरे पीछे हो जाओ और ज़बान से मुझे रास्ता बताती रहो। मक़सद यह था कि उनकी नज़र लड़की पर न पड़े, शायद इसी सबब से लड़की ने अपने वालिद से उनके मुताल्लिक़ अमीन (अमानतदार) होने का ज़िक्र किया। उन लड़कियों के वालिद कौन थे इसमें मुफ़स्सरीन ने मतभेद नक़ल किया है मगर कुरआन की आयतों से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वह शुऐब अलैहिस्सलाम थे जैसा कि कुरआन में है 'व इला मद्य-न अखाहुम् शुऐबा'। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ

यहाँ यह भी हो सकता है कि यह लड़की खुद ही अपनी तरफ़ से उनको दावत देती मगर ऐसा नहीं किया बल्कि अपने वालिद का पैग़ाम सुनाया, क्योंकि किसी अजनबी मर्द को खुद दावत देना हया व शर्म के खिलाफ़ था।

إِنَّ خَيْرَ مَنْ ابْتَاعَ حُرَّتَ الْقَوَى الْأَمِينُ ۝

यानी शुऐब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने अपने वालिद से अर्ज किया कि आपको घर के कामों के लिये मुलाज़िम की ज़रूरत है, आप इनको नौकर रख लीजिये, क्योंकि मुलाज़िम में दो सिफ़तें होनी चाहियें- एक काम की ताक़त व सलाहियत, दूसरे अमानतदारी। हमें इनके पत्थर उठाकर पानी पिलाने से इनकी ताक़त व कुदरत का और रास्ते में लड़की को अपने पीछे कर देने से अमानतदारी का तजुर्बा हो चुका है।

कोई नौकरी या ओहदा सुपुर्द करने के लिये अहम शर्तें दो हैं

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की बेटी की ज़बान पर अल्लाह तआला ने बड़ी हिक़मत की बात जारी फ़रमाई। आजकल सरकारी ओहदों और नौकरियों के लिये काम की सलाहियत और डिग्रियों को तो देखा जाता है मगर दियानत व अमानत की तरफ़ तवज्जोह नहीं दी जाती। इसी का नतीजा है कि आम दफ़्तरों और ओहदों की कार्रवाई में पूरी कामयाबी के बजाय रिश्वत ख़ोरी, अपनों को फ़ायदा पहुँचाने वगैरह की वजह से क़ानून बेकार होकर रह गया है। काश लोग इस कुरआनी हिदायत की कद्र करें तो सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाये।

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبِيَءَ أَنْتَ هَتَيْنِ

यानी लड़कियों के वालिद हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपनी तरफ़ से अपनी लड़की को उनके निकाह में देने का इरादा ज़ाहिर फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि लड़कियों के बली (सरपरस्त) को चाहिये कि कोई नेक मर्द मिले तो इसका इन्तिज़ार न करे कि उसी की तरफ़ से निकाह के मामले की बात चले, बल्कि खुद भी पेश कर देना नबियों की सुन्नत है जैसा कि उमर बिन

खुत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेवा हो जाने के बाद खुद अपनी तरफ़ से सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके निकाह की पेशकश की थी। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

إِخْدَى ابْتَى هَتَيْنِ

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से किसी को मुतैयन करके बातचीत नहीं फ़रमाई बल्कि इसको छुपाकर रखा कि उनमें से किसी एक को आपके निकाह में देने का इरादा है मगर चूँकि यह बातचीत बाकायदा निकाह के बन्धन की गुफ़्तगू न थी जिसमें ईजाब व कुबूल गवाहों के सामने होना शर्त है बल्कि मामले की बातचीत थी कि आपको आठ साल की नौकरी इस निकाह के बदले में मन्ज़ूर हो तो हम निकाह कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर समझौता कर लिया। आगे यह खुद-ब-खुद ज़ाहिर है कि बाकायदा निकाह किया गया होगा। और कुरआने करीम उमूमन किस्से के उन हिस्सों को ज़िक्र नहीं करता जिनका होना आगे-पीछे के मज़मून से ज़ाहिर और यकीनी हो। इस तहकीक की बिना पर यहाँ यह शुब्हा नहीं हो सकता कि निकाह में आने वाली औरत को मुतैयन किये बग़ैर निकाह कैसे हो गया, या गवाहों के बग़ैर कैसे हो गया।

(रूहुल-मअानी व बयानुल-कुरआन)

عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجَ

यह आठ साल की नौकरी व ख़िदमत निकाह का मेहर करार दिया गया इसमें फ़ुक़हा हज़रत का मतभेद है कि शौहर अपनी बीवी की ख़िदमत व नौकरी को उसका मेहर करार दे सकता है या नहीं? इसकी मुकम्मल तहकीक मय दलीलों के तफ़सीर अहकामुल-कुरआन की सूर: क़सस में तफ़सील से लिख दी गई है, यह तफ़सीर अरबी भाषा में है, उलेमा हज़रत देख सकते हैं, अ़वाम के लिये इतना समझ लेना काफ़ी है कि अगर यह मामला मेहर का शरीअते मुहम्मदिया के लिहाज़ से दुरुस्त न हो तो हो सकता है कि शुऐब अलैहिस्सलाम की शरीअत में दुरुस्त हो, और अम्बिया की शरीअतों में ऐसे आशिक और ऊपर के अहकाम में फ़र्क़ होना शरई वज़ाहतों से साबित है।

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. से ज़ाहिररियायत में यही सूत मन्कूल है कि बीवी की ख़िदमत को मेहर नहीं बनाया जा सकता, मगर एक रियायत जिस पर बाद के उलेमा ने फ़तवा दिया है यह है कि खुद बीवी की ख़िदमत को मेहर बनाना तो शौहर की इज़ज़त व वक़ार के खिलाफ़ है मगर बीवी का कोई ऐसा काम जो घर से बाहर किया जाता है जैसे मवेशी चराना या कोई तिजारत करना अगर इसमें उजरत की शर्तों के मुताबिक़ मुद्त मुक़रर कर दी गई हो जैसा कि इस वाक़िए में आठ साल की मुद्त निर्धारित है तो इसकी सूत यह होगी कि उस मुद्त की नौकरी की तन्ख़्वाह जो बीवी के जिम्मे लाज़िम हो तो उस तन्ख़्वाह को मेहर करार देना जायज़ है (जैसा कि 'अल्-बदाये' में इसकी वज़ाहत है)।

हाँ! एक दूसरा सवाल यहाँ यह होता है कि मेहर तो बीवी का हक़ है, बीवी के बाप या किसी रिश्तेदार को बीवी की इजाज़त के बग़ैर मेहर की रक़म नक़द भी दे दी जाये तो मेहर अदा नहीं होता।

इस वाकिए में "अन् ताजु-रनी" के अलफाज़ इस पर गवाह हैं कि वालिद ने उनको अपने काम के लिये मुलाज़िम रखा तो मुलाज़मत का जो मुआवज़ा है वह वालिद को मिला, तो यह बीवी का मेहर कैसे बन गया? इसका जवाब यह है कि अव्वल तो यह भी मुम्किन है कि ये बकरियाँ लड़कियों ही की मिल्क हों और यह नौकरी का फायदा इस हैसियत से खुद लड़की को पहुँचा। दूसरे अगर बाप ही का काम अन्जाम दिया और उसकी तन्ख्याह वालिद के जिम्मे लाज़िम हुई तो यह माल लड़की का मेहर हो गया, लड़की की इजाज़त से वालिद को भी उसका इस्तेमाल दुरुस्त है। यहाँ ज़ाहिर है कि यह मामला लड़की की इजाज़त से हुआ है।

मसला: लफ़्ज़ 'उन्कि-ह-क' (तुम्हारे साथ ब्याह दूँ) से साबित हुआ कि निकाह का मामला वालिद ने किया है, तमाम फुक़हा की राय है कि ऐसा ही होना चाहिये कि लड़की का वली उसके निकाह के मामले की किफ़ालत करे, लड़की खुद अपना निकाह न करे। यह दूसरी बात है कि किसी लड़की ने खुद अपना निकाह किसी ज़रूरत व मजबूरी से कर लिया तो वह आयोजित हो जाता है या नहीं? इसमें फ़कीह इमामों का मतभेद है, इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक निकाह हो जाता है और यह आयत इसके मुताल्लिक कोई फ़ैसला नहीं देती।

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارَ الْعَلِيِّ إِنِّي كُنتُمْ مِنْهَا بِخَيْرٍ ۚ وَأَوَّادٌ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا أَنشَأَتْنَا نُدًى مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَن أَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّمْ يَعْقِبْ يُمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ ۚ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۚ فَذُنُوبِكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۝ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيٰتِنَا ۚ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝

फ-लम्मा कज़ा मूसल्-अ-ज-ल व
सा-र बि-अहिलही आ-न-स मिन्
जानिबित्-तूरि नारन् का-ल
लि-अहिलहिम्कुसू इन्नी आनस्तु
नारल्-लअल्ली आतीकुम्-मिन्हा

फिर जब पूरी कर चुका मूसा वह मुदत
और लेकर चला अपने घर वालों को देखी
तूर पहाड़ की तरफ़ से एक आग, कहा
अपने घर वालों को ठहरो मैंने देखी है
एक आग शायद ले आऊँ तुम्हारे पास

बि-ख-बरिन् औ जञ्चतिम् मिनन्नारि
 लअल्लकुम् तस्तलून (29) फ-लम्मा
 अताहा नूदि-य मिन् शातिइल्-
 वादिल्-ऐमनि फिल्-बुकअतिल्-
 मुबा-र-कति मिनश्श-ज-रति अंयू-या
 मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल्-आलमीन
 (30) व अन् अल्कि असा-क,
 फ-लम्मा रआहा तहतज्जु क-अन्नहा
 जान्नुं-व-वल्ला मुद्बिरं-व-व लम्
 यु-अक्किब, या मूसा अक्किबल् व ला
 तखाफ्, इन्न-क मिनल्-आमिनीन
 (31) उस्तुक् य-द-क फी जैबि-क
 तख्रज् बैजा-अ मिन् गैरि सूइं-व-
 वज्मुम् इलै-क जना-ह-क मिनरहिब
 फजानि-क बुरहानानि मिरिब्बि-क इला
 फिरऔ-न व म-लइही, इन्नहुम् कानू
 कौमन् फासिकीन (32) का-ल रब्बि
 इन्नी कतल्लु मिन्हुम् नफसन्
 फ-अखाफु अय्यक्तुलून (33) व
 अखी हारुनु हु-व अफसहु मिन्नी
 लिसानन् फ-असिल्हु मजि-य रिद्अंयू-
 युसदिकुनी इन्नी अखाफु अंयू-
 युक्जिजबून (34) का-ल स-नशुद्दु
 अज्जु-द-क बि-अखी-क व नज्जलु
 लकुमा सुल्लानन् फला यसिलू-न

वहाँ की कुछ खबर या अंगारा आग का
 ताकि तुम तापो। (29) फिर जब पहुँचा
 उसके पास आवाज़ हुई मैदान के दाहिने
 किनारे से बरकत वाले तख़ते में एक
 दरख़्त से कि ऐ मूसा मैं हूँ मैं अल्लाह
 जहान का रब। (30) और यह कि डाल
 दे अपनी लाठी, फिर जब देखा उसको
 फनफनाते जैसे साँप की सटक उल्टा फिरा
 मुँह मोड़कर और न देखा पीछे फिरकर,
 ऐ मूसा! आगे आ और मत डर तुझको
 कुछ ख़तरा नहीं। (31) डाल अपना हाथ
 अपने गिरेबान में निकल आये सफ़ेद
 होकर न कि किसी बुराई से और मिला
 ले अपनी तरफ़ अपना बाजू डर से, सो
 ये दो सनदें हैं तेरे रब की तरफ़ से
 फिरऔन और उसके सरदारों पर, बेशक
 वे थे नाफ़रमान लोग। (32) बोला ऐ
 रब! मैंने ख़ून किया है उनमें एक जान
 का सो डरता हूँ कि मुझको मार डालेंगे।
 (33) और मेरा भाई हारून उसकी ज़बान
 चलती है मुझसे ज़्यादा, सो उसको भेज
 मेरे साथ मदद को कि मेरी तस्दीक़ करे,
 मैं डरता हूँ कि मुझको झूठा करें। (34)
 फ़रमाया हम मज़बूत कर देंगे तेरे बाजू
 को तेरे भाई से और देंगे तुमको ग़लबा,
 फिर वे न पहुँच सकेंगे तुम तक, हमारी

इलैकुमा बिआयातिना अन्तुमा व
मनित्त-ब-अकुमल्-गालिबून (35)

निशानियों से तुम और जो तुम्हारे साथ
हो ग़ालिब रहोगे। (35)

खुलासा-ए-तफ़सीर

गर्ज कि जब मूसा (अलैहिस्सलाम) उस मुहत्त को पूरा कर चुके और (शुऐब अलैहिस्सलाम की इजाज़त से) अपनी बीवी को लेकर (मिन्न को या मुल्क शाम को) रवाना हुए तो (एक रात में ऐसा इतिफ़ाक़ हुआ कि सर्दी भी थी और राह भी भूल गये, उस वक़्त) उनको तूर पहाड़ की तरफ़ से एक (रोशनी) आग (की शक़्त में) दिखलाई दी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहीं) ठहरे रहो, मैंने एक आग देखी है (मैं वहाँ जाता हूँ) शायद मैं तुम्हारे पास वहाँ से (रास्ते की कुछ) ख़बर लाऊँ या कोई आग का (दहकता हुआ) अंगारा ले आऊँ, ताकि तुम सेंक लो। सो जब वह उस आग के पास पहुँचे तो उनको उस मैदान की दाहिनी ओर से (जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की दाहिनी तरफ़ था) उस मुबारक मक़ाम में एक दरख़्त में से आवाज़ आई कि ऐ मूसा! मैं अल्लाह रब्बुल-आलमीन हूँ। और यह (भी आवाज़ आई) कि तुम अपनी लाठी डाल दो, (चुनाँचे उन्होंने डाल दी और वह साँप बनकर चलने लगी) सो उन्होंने जब उसको लहराता हुआ देखा जैसा पतला साँप (तेज़) होता है तो पीठ फेरकर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। (हुक्म हुआ कि) ऐ मूसा! आगे आओ और डरो मत (तुम हर तरह) अमन में हो। (और यह कोई डर की बात नहीं बल्कि तुम्हारा मोज़िज़ा है और दूसरा मोज़िज़ा और इनायत होता है कि) तुम अपना हाथ गिरेबान के अन्दर डालो (और फिर निकालो) वह बिना किसी मर्ज़ के निहायत रोशन होकर निकलेगा। और (अगर लाठी की तरह शक़्त तब्दील हो जाने की वजह से इस मोज़िज़े से भी तबई तौर पर ख़ौफ़ और हैरत पैदा हो तो) ख़ौफ़ (दूर करने) के वास्ते अपना (वह) हाथ (फिर) अपने (गिरेबान और बग़ल) से (पहले की तरह) मिला लेना (ताकि वह फिर असली हालत पर हो जाये, और फिर तबई ख़ौफ़ भी न हुआ करे)। सो ये (तुम्हारी नुबुव्वत की) दो सनदें (और दलीलें) हैं तुम्हारे रब की तरफ़ से, फिरऔन और उसके सरदारों के पास जाने के वास्ते, (जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है क्योंकि) वे बड़े नाफ़रमान लोग हैं।

उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! (मैं जाने के लिये हाज़िर हूँ मगर आपकी ख़ास इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि) मैंने उनमें से एक आदमी का खून कर दिया था, सो मुझको अन्देशा है कि (कहीं पहले ही) वे लोग मुझको क़त्ल कर दें (तब्तीग़ भी न होने पाये), और (दूसरी बात यह है कि ज़बान भी ज़्यादा रवाँ नहीं है और) मेरे भाई हारून की ज़बान मुझसे ज़्यादा रवाँ है, तो उनको भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ नुबुव्वत दे दीजिए कि (वह मेरी तक़रीर की ताईद और) तस्दीक़ (विस्तार और पूर्ण रूप से) करेंगे। (क्योंकि) मुझको अन्देशा है कि वे लोग (यानी फिरऔन और उसके दरबारी) मुझको झुठलाएँ (तो उस वक़्त मुनाज़रे की ज़रूरत होगी और ज़बानी मुनाज़रे के लिये आदतन वह आदमी ज़्यादा मुफ़ीद होता है जो रवाँ ज़बान वाला हो)। इरशाद हुआ कि (बेहतर है) हम अभी तुम्हारे भाई को तुम्हारे बाजू की क़ुव्वत बनाये देते हैं। (एक दरख़्वास्त तो यह मन्ज़ूर हुई) और (दूसरी

दरखास्त की मन्जूरी इस तरह हुई कि) हम तुम दोनों को एक खास रौब व दबदबा (और हैबत) अता करते हैं जिससे उन लोगों को तुम पर पहुँच और ताकत न होगी। (यस) हमारे मोजिजे लेकर जाओ तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करने वाला होगा (उन लोगों पर) ग़ालिब रहोगे।

मअरिफ़ व मसाइल

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ

यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नौकरी की निर्धारित मुद्दत पूरी कर दी जो आठ साल लाज़िमी और दो साल इख्तियारी थे, सो यहाँ सवाल यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ आठ साल पूरे किये या दस साल। सही बुखारी में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह सवाल किया गया तो उन्होंने फ़रमाया कि उन्होंने ज़्यादा मुद्दत यानी दस साल पूरे किये कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की यही शान है कि जो कुछ कहते हैं उसको पूरा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भी यही आदत शरीफ़ा थी कि हक़दार को उसके हक़ से ज़्यादा अदा फ़रमाते थे और उम्मत को इसी की हिदायत फ़रमाई है कि नौकरी, मज़दूरी और ख़रीद व फ़रोख़्त में नर्मी और ईसार (दूसरे के हक़ को तरजीह देने) से काम लिया जाये।

نُودَىٰ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

यह मज़मून मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में सूर: तौ-हा और सूर: नम्ल में गुज़रा है। सूर: तौ-हा में है 'इन्नी अ-न रब्बु-क' और सूर: नम्ल में है 'नूदि-य अम्बूरि-क मन् फ़िन्नारि' और इस सूरत में है 'इन्नी अनल्लाहु रब्बुल-आलमीन'। ये अलफ़ाज़ अगरचे धिन्न और अलग-अलग हैं मगर मायने तक़रीबन एक ही हैं। चाक़िए का बयान हर मक़ाम के मुनासिब अलफ़ाज़ से किया गया है। और यह तजल्ली आग की शक़्ल में मिसाली तजल्ली थी, क्योंकि ज़ाती तजल्ली का देखना इस दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, और खुद मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़ाती तजल्ली के एतिबार से "लन् तरानी" फ़रमाया गया है यानी आप मुझे नहीं देख सकते, मुराद अल्लाह की ज़ात को देखना है।

नेक अमल से जगह भी बरकत वाली हो जाती है

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ

तूर पहाड़ के इस मक़ाम को कुरआने करीम ने बुक़आ-ए-मुबारका फ़रमाया है, और ज़ाहिर यह है कि इसके मुबारक होने का सबब यह अल्लाह की तजल्ली है जो उस मक़ाम पर आग की शक़्ल में दिखाई गई। इससे मालूम हुआ कि जिस जगह में कोई अहम नेक अमल वाक़े होता है वह जगह भी बरकत वाली हो जाती है।

वअज़ व नसीहत में उम्दा कलाम और अच्छा अन्दाज़ मतलूब है

هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

इससे मालूम हुआ कि वअज़ व तब्लीग़ में उम्दा कलाम और संबोधन का मक़बूल अन्दाज़ व

तरीका पसन्दीदा और अच्छा है। उसको हासिल करने की कोशिश करना भी बुरा नहीं।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ
بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ سَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالَ
فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَا مَلِئُكَ عَلَى الطَّيْرِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا
لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى ۚ وَإِنِّي لَأظنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَىٰ النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝ وَاتَّبَعْنَاهُمْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

फ-लम्मा जा-अहुम् मूसा बिआयातिना
बय्यिनातिन् कालू मा हाजा इल्ला
सिहरुम्-मुफतरं-व-व मा समिअना
बिहाजा फी आबाइनल्-अव्वलीन
(36) व का-ल मूसा रब्बी अअ्लमु
बिमन् जा-अ बिल्हुदा मिन् अिन्दिही
व मन् तकूनु लहू आकि-बतुद्दारि,
इन्नहू ला युफिलहुज्-जालिमून (37)
व का-ल फिरऔनु या अय्युहल्-
म-ल-उ मा अलिम्तु लकुम् मिन्
इलाहिन् गैरी फ-औकिद् ली या
हामानु अलत्तीनि फज्जल्ली सरहल्-
लअल्ली अत्तलिअु इला इलाहि मूसा
व इन्नी ल-अजुन्नुहू मिनल्-काजिबीन
(38) वस्तक्ब-र हु-व व जुनूदुहू

फिर जब पहुँचा उनके पास मूसा लेकर
हमारी निशानियाँ खुली हुई, बोले और
कुछ नहीं यह जादू है बाँधा हुआ और
हमने सुना नहीं यह अपने अगले बाप
दादों में। (36) और कहा मूसा ने मेरा
रब तो खूब जानता है जो कोई लाया है
हिदायत की बात उसके पास से और
जिसको मिलेगा आखिरत का घर, बेशक
भला न होगा बेइन्साफों का। (37) और
बोला फिरऔन ऐ दरबार वालो! मुझको
तो मालूम नहीं तुम्हारा कोई हाकिम हो
मेरे सिवा, सो आग दे ऐ हामान! मेरे
वास्ते गारे को फिर बना मेरे वास्ते एक
महल ताकि मैं झाँक कर देख लूँ मूसा के
रब को और मेरी अटकल में तो वह झूठा
है। (38) और बड़ाई करने लगे वह और

फिल्-अर्जि बिगैरिल्-हक्क व जन्नू
अन्नहुम् इतैना ला युरजअून (३९)
फ-अख्रज्नाहु व जुनू-दहू फ-नबज्नाहुम्
फिल्यम्मि फन्जूरु कै-फ का-न
आकि-बतुज्-जालिमीन (४०) व
जअल्नाहुम् अ-इम्म-तय्यदूअू-न
इलन्नारि व यौमल्-कियामति ला
युन्सरून (४१) व अत्वअूनाहुम् फी
हाजिहिदुन्या लअू-नतन् व यौमल्-
कियामति हुम् मिनल्-मक्बूहीन (४२) ❀

उसके लश्कर मुल्क में नाहक और समझे
कि वे हमारी तरफ फिरकर न आयेंगे।
(३९) फिर पकड़ा हमने उसको और उसके
लश्करो को, फिर फेंक दिया हमने उनको
दरिया में, सो देख ले कैसा हुआ अन्जाम
गुनाहगारों का। (४०) और किया हमने
उनको पेशवा (लीडर) कि बुलाते हैं
दोज़ख की तरफ और कियामत के दिन
उनको मदद न मिलेगी। (४१) और पीछे
रख दी हमने उन पर इस दुनिया में
फटकार और कियामत के दिन उन पर
बुराई है। (४२) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

गर्ज कि जब उन लोगों के पास मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारी खुली दलीलें लेकर आये तो उन लोगों ने (मोजिजों को देखकर) कहा कि यह तो महज़ एक जादू है कि (ख्वाह-मख्याह खुदा तआला पर) झूठ गढ़ा जाता है (कि यह उसकी जानिब से मोजिजे और रिसालत की दलीलें हैं) और हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप-दादों के वक़्त में भी हुई हो। और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (इसके जवाब में) फ़रमाया कि (जब बावजूद सही दलीलें कायम होने के और इसमें कोई माकूल शुब्हा न निकाल सकने के बाद भी नहीं मानते तो यह हठधर्मी है और इसका आखिर जवाब यही है कि) मेरा परवर्दिगार उस शख्स को ख़ूब जानता है जो सही दीन उसके पास से लेकर आया है, और जिसका अन्जाम (यानी खात्मा) इस आलम (दुनिया) से अच्छा होने वाला है। (और) यकीनन ज़ालिम लोग (जो कि हिदायत और सही दीन पर न हों) कभी फ़लाह न पाएँगे (क्योंकि उनका अन्जाम अच्छा न होगा। मतलब यह कि खुदा को ख़ूब मालूम है कि हम में और तुम में कौन हिदायत वाला है और कौन ज़ालिम, और कौन अच्छे अन्जाम वाला है और कौन फ़लाह व कामयाबी से मेहरूम रहने वाला। पस हर एक की हालत और अन्जाम व फल का जल्द ही मरने के साथ ही ज़हूर हो जाएगा, अब नहीं मानते तुम जानो)।

और (मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलें देख और सुनकर) फिरऔन (को अन्देशा हुआ कि कहीं हमारे मानने वाले उनकी तरफ़ माईल न हो जायें तो लोगों को जमा करके) कहने लगा कि ऐ दरबार वालो! मुझको तो तुम्हारा अपने सिवा कोई खुदा मालूम नहीं होता (उसके बाद बात रत्ताने और धोखा देने के लिये अपने वज़ीर से कहा कि अगर इससे उन लोगों को इत्मीनान न हो तो) तो ऐ हामान!

तुम हमारे लिए मिट्टी (की ईंटें बनवाकर उन) को आग में पज़ावा लगवाकर पकवाओ फिर (उन पक्की ईंटों से) मेरे वास्ते एक बुलन्द इमारत बनवाओ ताकि (मैं उस पर चढ़कर) मूसा के खुदा को देखूँ-भालूँ, और मैं तो (इस दावे में कि मेरे सिवा और कोई खुदा है) मूसा को झूठा ही समझता हूँ। और फिरऔन और उसके ताबेदारों ने नाहक दुनिया में सर उठा रखा था और यूँ समझ रहे थे कि उनको हमारे पास लौटकर आना नहीं है, तो हमने (इस तकब्बुर की सज़ा में) उसको और उसके ताबेदारों को पकड़कर दरिया में फेंक दिया (यानी डुबो दिया), सो देखिए ज़ालिमों का अन्जाम कैसा हुआ (और मूसा अलैहिस्सलाम का कौल ज़ाहिर हो गया कि 'जिसको मिलेगा आखिरत का घर, बेशक भला न होगा ज़ालिमों का') और हमने उन लोगों को ऐसा सरदार बनाया था जो (लोगों को) दोज़ख की तरफ बुलाते रहे और (इसी वास्ते) क़ियामत के दिन (ऐसे बेसहारा रह जाएँगे कि) कोई उनका साथ न देगा। और (ये लोग दोनों जहान में घाटे में रहे, चुनाँचे) दुनिया में भी हमने उनके पीछे लानत लगा दी और क़ियामत के दिन भी वे बदहाल लोगों में से होंगे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

فَأَوْقَدْ لِي بِهِمَّنْ عَلَى الطِّينِ

फ़िरऔन ने बहुत ऊँचा बुलन्द महल तैयार करने का इरादा किया तो अपने वज़ीर हामान को उसकी तैयारी के लिये पहले यह हुक्म दिया कि मिट्टी की ईंटों को पकाकर पुख्ता किया जाये क्योंकि कच्ची ईंटों पर कोई बड़ी और ऊँची बुनियाद कायम नहीं हो सकती। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि फ़िरऔन के इस वाकिए से पहले पुख्ता ईंटों की तामीर का रिवाज न था, सबसे पहले फ़िरऔन ने यह ईजाद की है। तारीख़ी रिवायतों में है कि हामान ने इस महल की तामीर के लिये पचास हज़ार राज मिस्त्री जमा किये, मज़दूर और लकड़ी लोहे का काम करने वाले उनके अलावा थे, और महल को इतना ऊँचा बनाया कि उस ज़माने में उससे ज़्यादा बुलन्द कोई इमारत नहीं थी। फिर जब यह तैयारी मुकम्मल हो गई तो अल्लाह तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया उन्होंने एक चोट में उस महल के तीन टुकड़े करके गिरा दिया जिसमें फ़िरऔनी फ़ौज के हज़ारों आदमी दबकर मर गये। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

यानी फ़िरऔन के दरबारियों को अल्लाह तआला ने उनकी क़ौम का पेशवा (लीडर) बना दिया था मगर ये ग़लत काम करने वाले पेशवा अपनी क़ौम को आग यानी जहन्नम की तरफ़ दावत दे रहे थे। यहाँ अक्सर मुफ़सिरीन ने आग की तरफ़ दावत देने को एक दूसरे मायने में इस्तेमाल करना करार दिया है कि आग से मुराद कुफ़्र के वो आमाल हैं जिनका नतीजा जहन्नम की आग में जाना था, मगर उस्ताद-ए-मोहतरम अपने ज़माने के बेमिसाल आलिम हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रह. की तहकीक़ अल्लामा इब्ने अरबी की पैरवी करते हुए यह थी कि आखिरत की जज़ा अमल ही है। इनसान के आमाल जो वह दुनिया में करता है बर्ज़ख़ फिर मेहशर में अपनी शक्तें बदलेंगे और याददी सूरतों में नेक आमाल गुल व गुलज़ार बनकर जन्नत की नेमतें बन जायेंगे और

कुफ़ व जुल्म के आमाल आग और साँप बिच्छुओं और तरह-तरह के अज़ाबों की शक्त इख़्तियार कर लेंगे, इसलिये जो शख्स इस दुनिया में किसी को कुफ़ व जुल्म की तरफ़ बुला रहा है वह हकीकत में उसको आग ही की तरफ़ बुला रहा है। अगरचे इस दुनिया में उसकी शक्त आग की नहीं मगर हकीकत उसकी आग ही है। इसी तरह आयत में कोई दूसरे मायने या मिसाल नहीं अपनी हकीकत पर महमूल है। यह तहकीक इख़्तियार की जाये तो कुरआन की बेशुमार आयतों में असल मायनों के अलावा दूसरे मायने या तशबीह व मिसाल में लेने का तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये आयतें:

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

(और जो कुछ उन्होंने किया वह मौजूद पायेंगे) और:

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

(और जो शख्स दुनिया में ज़रा बराबर करेगा वह उसको देख लेगा) वगैरह।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

मक़बूहीन मक़बूह की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं बिगड़ा हुआ। मुराद यह है कि कियामत के दिन उनके चेहरे मसख़ होकर (बिगड़कर) सियाह और आँखें नीली हो जायेंगी।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ

مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَتْ مِنَّا آيَاتٌ مِّمَّا يَكْفُرُونَ بِمَا آوَيْنَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرَا ۝ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ فَانُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

व ल-क़द् आतैना मूसल्-किता-ब
मिम्-बअदि मा अस्तकनल्-कुरुनल्-

और दी हमने मूसा को किताब उसके
बाद कि हम गारत कर चुके पहली

ऊला बसाइ-र लिन्नासि व हुदव-व
 रस्म-तल् लअल्लहुम् य-तजक्करून
 (43) व मा कुन्-त बिजानिबिल्-
 गर्बियि इज़् कज़ैना इला मूसल्-
 अम्-र व मा कुन्-त मिनश्शाहिदीन
 (44) व लाकिन्ना अन्शाअना कुरूनन्
 फ-तताव-ल अलैहिमुल्-अुमुरु व मा
 कुन्-त सावियन् फी अस्लि मद्-य-न
 तल्लू अलैहिम् आयातिना व लाकिन्ना
 कुन्ना मुरसिलीन (45) व मा कुन्-त
 बिजानिबित्तूरि इज़् नादैना व लाकिर्-
 रस्मतम् मिरिब्बि-क लितुन्ज़ि-र कौमम्
 मा अताहुम् मिन् नज़ीरिम् मिन्
 कब्लि-क लअल्लहुम् य-तजक्करून
 (46) व लौ ला अन् तुसी-बहुम्
 मुसीबतुम् बिमा कद्मत् ऐदीहिम्
 फ-यकूलू रब्बना लौ ला अर्सल्-त
 इलैना रसूलन् फ-नत्तबि-अ आयाति-क
 व नकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन (47)
 फ-लम्मा जा-अहुमुल्-हक्कु मिन्
 अिन्दिना कालू लौ ला ऊति-य
 मिस्र-ल मा ऊति-य मूसा, अ-व लम्
 यक्फुरू बिमा ऊति-य मूसा मिन्
 कब्लु कालू सिह्रानि तज़ा-हरा, व

जमाअतों को सुझाने वाली लोगों को
 और राह बताने वाली और रहमत ताकि
 वे याद रखें। (43) और तू न था पश्चिम
 की तरफ़ जब हमने भेजा मूसा को हुक्म
 और न था तू देखने वाला। (44) लेकिन
 हमने पैदा कीं कई जमाअतें फिर लम्बी
 हुई उन पर मुदत और तू न रहता था
 मद्यन वालों में कि उनको सुनाता हमारी
 आयतें, पर हम रहे हैं रसूल भेजते। (45)
 और तू न था तूर के किनारे जब हमने
 आवाज़ दी लेकिन यह इनाम है तेरे रब
 का ताकि तू डर सुनाये उन लोगों को
 जिनके पास नहीं आया कोई डर सुनाने
 वाला तुझसे पहले ताकि वे याद रखें।
 (46) और इतनी बात के लिये कि कभी
 आन पड़े उन पर आफ़त उन कामों की
 वजह से जिनको भेज चुके हैं उनके हाथ,
 तो कहने लगे ऐ हमारे रब! क्यों न भेज
 दिया हमारे पास किसी को पैग़ाम देकर
 तो हम चलते तेरी बातों पर और होते
 ईमान वालों में। (47) फिर जब पहुँची
 उनको ठीक बात हमारे पास से कहने लगे
 क्यों न मिला इस रसूल को जैसा मिला
 था मूसा को, क्या अभी मुन्किर नहीं हो
 चुके उससे जो मूसा को मिला था इससे
 पहले, कहने लगे दोनों जादू हैं आपस में

कालू इन्ना बिकुल्लिन् काफिरून
 (48) कुल् फअतू बिकिताबिम् मिन्
 अिन्दिल्लाहि हु-व अहदा मिन्हुमा
 अत्तबिअहु इन् कुन्तुम् सादिकीन
 (49) फ-इल्लम् यस्तजीबू ल-क
 फअल् लम् अन्नमा यत्तबिअू-न
 अहवा-अहुम्, व मन् अज़ल्लु
 मिम्-मनित्त-ब-अ हवाहु बिगैरि हुदम्-
 मिनल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला यस्दिल्
 कौमज़्ज़ालिमीन (50) ❀
 व ल-कद् वस्सल्ला लहुमुल्-कौ-ल
 लअल्लहुम् य-तज़क्करून (51)

मुवाफिक, और कहने लगे हम दोनों को नहीं मानते। (48) तू कह- अब तुम लाओ कोई किताब अल्लाह के पास की जो इन दोनों से बेहतर हो कि मैं उस पर चलूँ, अगर तुम सच्चे हो। (49) फिर अगर न कर लायें तेरा कहा तो जान ले कि वे चलते हैं निरी अपनी इच्छाओं पर और उससे गुमराह ज्यादा कौन जो चले अपनी इच्छा पर बिना राह बतलाये अल्लाह के, बेशक अल्लाह राह नहीं देता बेइन्साफ लोगों को। (50) ❀
 और हम एक के बाद एक लगातार भेजते रहे हैं उनको अपने कलाम ताकि वे ध्यान में लायें। (51)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (रिसालत का सिलसिला मख़्लूक के सुधार की मोहताज होने के सबब हमेशा से चलता आया है चुनौचे) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (जिनका किस्सा अभी पढ़ चुके हो) अगली उम्मतों (यानी नूह की कौम और आद व समूद) के हलाक होने के बाद (जबकि उन ज़मानों के नबियों की तालीमात ख़त्म हो गई थीं और लोग हिदायत के सख़्त ज़रूरत मन्द थे) किताब (यानी तौरात) दी थी, जो लोगों के (यानी बनी इस्राईल) लिये अक्ल व हिक्मत की बातों का सबब और हिदायत और रहमत थी, ताकि वे (उससे) नसीहत हासिल करें। (हक़ के तालिब की पहले समझ दुरुस्त होती है यह बसीरत है, फिर अहकाम कुबूल करता है यह हिदायत है, फिर हिदायत का फल यानी अल्लाह की निकटता व कुबूलियत इनायत होती है, यह रहमत है)।

और (इसी तरह जब यह दौर भी ख़त्म हो चुका और लोग फिर नये सिरे से हिदायत के मोहताज हुए तो अल्लाह तआला की जारी आदत के मुवाफिक हमने आपको रसूल बनाया जिसकी दलीलों में से एक यही मूसा अलैहिस्सलाम के वाकिए की यकीनी ख़बर देना है, क्योंकि निश्चित ख़बर देने के लिये इल्म व जानकारी का कोई तरीका और माध्यम ज़रूरी है और वह तरीका सीमित है चार में, अक्ली बातों में अक्ल, सौ यह वाकिआ अक्ली बातों में से तो है नहीं, और नक़ल व रिवायत होने वाली बातें इल्म रखने वालों से सुनना जो कि दूसरा तरीका है, सौ यह भी ख़बर रखने वालों से

सुनने-सुनाने और पढ़ने-पढ़ाने और मेलजोल न रखने के सबब मौजूद नहीं है, और या अपना देखना और अनुभव करना जो कि तीसरा तरीका है सो इसका न होना भी अच्छी तरह स्पष्ट है, चुनाँचे ज़ाहिर है कि) आप (तूर पहाड़ की) पश्चिमी ओर मौजूद न थे, जबकि हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अहकाम दिये थे (यानी तौरात दी थी) और (खास वहाँ तो क्या मौजूद होते) आप (तो) उन लोगों में से (भी) न थे जो (उस ज़माने में) मौजूद थे। (पस अपनी आँखों से देखने और अनुभव करने का शुब्हा व गुमान भी न रहा) और लेकिन (बात यह है कि) हमने (मूसा अलैहिस्सलाम के बाद) बहुत-सी नस्लें पैदा कीं। फिर उन पर लम्बा ज़माना गुज़र गया (जिससे फिर सही उलूम गुम हो गये और फिर लोग हिदायत के मोहताज हुए, और अगरचे बीच-बीच में नबी आते रहे मगर उनके उलूम भी इस तरह खत्म और गुम हुए इसलिए हमारी रहमत का तकाज़ा हुआ कि हमने आपको वही व रिसालत से सम्मानित किया जो कि चौथा तरीका है यकीनी ख़बर का, और दूसरे तरीके ज़न्नी और तख़्सीनी इल्म के हैं जो बहस ही से ख़ारिज हैं क्योंकि आपकी ये ख़बरें बिल्कुल यकीनी और निश्चित हैं। हासिल यह कि यकीनी इल्म के चार तरीके हैं और तीन मौजूद नहीं पस चौथा मुतैयन हो गया और यही दरकार है)।

और (जैसे आपने तौरात देने को नहीं देखा और सही व यकीनी ख़बर दे रहे हैं इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के मद्यन में रहने और ठहरने को नहीं देखा, चुनाँचे ज़ाहिर है कि) आप मद्यन वालों में भी न रहते थे कि आप (वहाँ के हालात देखकर उन हालात के मुताल्लिक) हमारी आयतें (अपने ज़माने के) इन लोगों को पढ़-पढ़कर सुना रहे हों, व लेकिन हम ही (आपको) रसूल बनाने वाले हैं (कि रसूल बनाकर ये वाकिआत वही के ज़रिये बतला दिये)।

और (इसी तरह) आप तूर की (उक्त पश्चिमी) जानिब में उस वक़्त भी मौजूद न थे जब हमने (मूसा अलैहिस्सलाम को) पुकारा था (कि 'ऐ मूसा! बेशक मैं हूँ मैं अल्लाह रब्बुल-अलमीन और यह कि तुम अपनी लाठी डाल दो' जो कि उनको नुबुव्वत अता होने का वक़्त था) और लेकिन (इसका इल्म भी इसी तरह हासिल हुआ कि) आप अपने रब की रहमत से नबी बनाये गये, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएँ जिनके पास आप से पहले कोई डराने वाला (नबी) नहीं आया, क्या अज़ब है कि नसीहत कुबूल कर लें। (क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने के बल्कि उनके क़रीब ज़माने के बाप-दादा ने भी किसी नबी को नहीं देखा था अगरचे कुछ शरीअतें खास तौर पर तौहीद वास्ते से उन तक भी पहुँची थी पस 'व लक़द् बअस्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिररसूलन्' से टकराव न रहा) और (अगर ये लोग ज़रा गौर करें तो समझ सकते हैं कि पैग़म्बर भेजने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि इन्हीं लोगों का फ़ायदा है कि ये लोग अच्छे-बुरे पर अवगत होकर सज़ा व अज़ाब से बच सकते हैं, वरना चीज़ों की अच्छाई-बुराई अक़ल से मालूम हो सकती है उस पर बिना रसूल भेजे भी अज़ाब होना मुम्किन था लेकिन उस वक़्त उनको एक तरह की हसरत होती कि हाय अगर रसूल आ जाता तो हमको ज़्यादा तंबीह हो जाती और इस मुसीबत में न पड़ते, इसलिए रसूल भी भेज दिया ताकि इस हसरत से बचना उनको आसान हो वरना हो सकता था कि) हम रसूल न भी भेजते अगर यह बात न होती कि उन पर उनके किरदारों के सबब (जो कि अक़ल के एतबार से बुरे हैं) कोई मुसीबत (दुनिया

या आखिरत में) नाज़िल होती (जिसके बारे में उनको अक्ल के या फ़रिश्ते के ज़रिये से यकीन हो जाता कि यह आमाज़ की सज़ा है) तो यह कहने लगते कि ऐ हमारे रब! आपने हमारे पास कोई पैग़म्बर क्यों न भेजा, ताकि हम आपके अहक़ाम की पैरवी करते, और (उन अहक़ाम और रसूल पर) ईमान लाने वालों में होते।

(इस बात का तकाज़ा तो यह था कि रसूल के आने को ग़नीमत समझते और उसके दीने हक़ को कुबूल करते लेकिन उनकी यह हालत हुई कि) जब हमारी तरफ़ से उन लोगों के पास हक़ (यानी रसूल हक़ और दीने हक़) बात पहुँची तो (उसमें शुब्हा निकालने के लिये यूँ) कहने लगे कि इनको ऐसी किताब क्यों न मिली जैसी मूसा (अलैहिस्सलाम) को मिली थी, (यानी कुरआन तौरात की तरह एक ही बार में क्यों न नाज़िल हुआ। आगे जवाब है कि) क्या जो किताब मूसा (अलैहिस्सलाम) को मिली थी इससे पहले ये लोग उसके इनकार करने वाले नहीं हुए। (चुनाँचे जाहिर है कि मुश्रिक लोग मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात को भी न मानते थे क्योंकि वे सिरे से असल नुबुव्वत ही के इनकारी थे) ये लोग तो (कुरआन और तौरात दोनों के बारे में) यूँ कहते हैं कि दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे के मुवाफ़िक़ "यानी अनुकूल" हैं। (यह इसलिये कहा कि शरई उसूलों में दोनों एक ही हैं) और यूँ भी कहते हैं कि हम तो दोनों में से किसी को भी नहीं मानते (चाहे यही इबारत उनका कहना हो और चाहे उनकी बातों से यह लाज़िम आता हो और चाहे एक ही साथ दोनों का इनकार किया हो या विभिन्न कौल जमा किये गये हों, तो इससे साफ़ मालूम होता है कि इस शुब्हे व एतिराज़ का मक़सद तौरात की तरह कुरआन के नाज़िल होने की हालत में इस पर ईमान लाने का इरादा नहीं बल्कि यह भी एक बहाना और शरारत है। आगे इसका जवाब है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप कह दीजिये कि अच्छा तो (तौरात और कुरआन के अलावा) तुम कोई और किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो हिदायत करने में इन दोनों से बेहतर हो, मैं उसी की पैरवी करने लगूँगा, अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो (कि 'ये दोनों जादू हैं जो एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं' जिससे मक़सद इन दोनों किताबों का नऊजु बिल्लाह झूठा और ग़लत होना है। यानी असल मक़सद तो हक़ की पैरवी है) तो अगर अल्लाह की किताबों को हक़ मानते हो तो इनकी पैरवी करो, कुरआन की तो पूरी तरह और तौरात की तौहीद और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशख़बरियाँ देने में, और अगर इनको हक़ नहीं मानते तो तुम कोई हक़ पेश करो और उसका हक़ होना साबित करो, जिसको 'अहदा' होने से इसलिये ताबीर किया गया है कि हक़ से मक़सद उसका हिदायत का वसीला होना है। अगर फ़र्ज़ करो साबित कर दोगे तो मैं उसकी पैरवी कर लूँगा। गर्ज़ यह कि मैं हक़ साबित कर दूँ तो तुम उसकी पैरवी करो और अगर तुम हक़ साबित कर दो तो मैं पैरवी के लिये आमादा हूँ और चूँकि यहाँ शर्त लगाने के तौर पर उनकी लाई हुई हक़ बात की पैरवी की बात कही गयी है इसलिए अल्लाह की किताबों के अलावा की पैरवी करना लाज़िम नहीं आता) फिर (इस हुज्जत पेश करने के बाद) अगर ये लोग आपका (यह) कहना (कि 'तुम अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ' न कर सकें (और जाहिर है कि न कर सकेंगे जैसा कि अल्लाह तआला ने एक दूसरी जगह फ़रमाया है कि 'पस अगर वे न कर सकें, और वे हरगिज़ न कर सकेंगे' और फिर भी आपकी पैरवी न करें) तो आप

समझ लीजिये कि (इन सवालों का मन्शा कोई शुब्हे में पड़ना और हक़ की तलाश नहीं है बल्कि) ये लोग सिर्फ़ अपनी नफ़्सानी इच्छों पर चलते हैं (इनका नफ़्स कहता है कि जिस तरह बन पड़े इनकार ही करना चाहिए, बस ये ऐसा ही कर रहे हैं चाहे हक़ स्पष्ट भी हो जाये)।

और ऐसे शख्स से ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अपनी नफ़्सानी इच्छा पर चलता हो बग़ैर इसके कि अल्लाह की जानिब से कोई दलील (उसके पास) हो, (और) अल्लाह तआला ऐसे ज़ालिम लोगों को (जो कि हक़ स्पष्ट हो जाने के बाद बिना किसी सही कारण के भी अपनी गुमराही से बाज़ न आये) हिदायत नहीं किया करता (जिसका सबब उस शख्स का खुद अपने गुमराह रहने का इरादा करना है, और इरादे के बाद उसको वजूद में लाना आदत है अल्लाह तआला की, इसलिए ऐसा शख्स हमेशा गुमराह रहता है। यहाँ तक तो उनके इस कौल का इल्ज़ामी जवाब था कि 'क्यों न मिला इस रसूल को जैसा मिला था मूसा को' और (आगे तहकीकी जवाब है जिसमें कुरआन के एक ही बार में नाज़िल न होने की हिक्मत बयान फ़रमाते हैं कि) हमने इस कलाम (यानी कुरआन) को उन लोगों के लिये वक़्त-वक़्त पर एक के बाद एक भेजा, ताकि ये लोग (बार-बार ताज़ा-बताज़ा सुनने से) नसीहत मानें। (यानी हम तो एक ही बार में भेजने पर भी कादिर हैं मगर इन्हीं की मस्तेहत से थोड़ा-थोड़ा नाज़िल करते हैं, फिर अंधेर है कि अपनी ही मस्तेहत की मुखालफ़त करते हैं)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرٍ لِلنَّاسِ

'कुरुने ऊला' से हज़रत नूह, हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिमुस्सलाम की कौमें मुराद हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले अपनी सरकशी की वजह से हलाक की गई थीं, और 'बसाइर' बसीरत की जमा (बहुवचन) है जिसके लफ़्ज़ी भायने तो अक़ल व समझ के हैं। मुराद इससे वह नूर है जो अल्लाह तआला इनसानों के दिलों में पैदा फ़रमाते हैं जिनसे वे चीज़ों की हकीकत को देख सकें और हक़ व बातिल का फ़र्क कर सकें। (तफ़्सीरे मज़हरी)

بِصَآئِرٍ لِلنَّاسِ

'बसाइर-लिन्नासि' में अगर लफ़्ज़ नास से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है तो बात साफ़ है, उस उम्मत के लिये किताब तौरात ही समझ व दानाई का मजमूआ थी। और अगर लफ़्ज़ नास से तमाम इनसान मुराद हैं जिनमें उम्मते मुहम्मदिया भी दाख़िल है तो यहाँ सवाल यह पैदा होगा कि उम्मते मुहम्मदिया के ज़माने में जो तौरात मौजूद है वह रद्दोबदल के ज़रिये अपनी असल हालत खो चुकी है तो उनके लिये इसका बसाइर कहना कैसे दुरुस्त होगा। और यह कि इससे तो यह लाज़िम आता है कि मुसलमानों को भी तौरात से फ़ायदा उठाना चाहिये हालाँकि हदीस में यह वाकिआ मशहूर है कि हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसकी इजाज़त तलब की कि वह तौरात में जो नसीहतें वगैरह हैं उनको पढ़ें ताकि उनके इल्म में तरक्की हो, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गुस्से व नाराज़गी के साथ

फरमाया कि अगर इस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िन्दा होते तो उनको भी मेरी ही पैरवी लाज़िम होती (जिसका हासिल यह होता है कि आपको सिर्फ़ मेरी तालीमात को देखना चाहिये तौरात व इन्जील का देखना आपके लिये दुरुस्त नहीं)। मगर इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि तौरात का जो उस वक़्त अहले किताब के पास नुस्खा (प्रति) था वह रद्दोबदल शुदा था और ज़माना इस्लाम की शुरूआत का था जिसमें कुरआन के नाज़िल होने का सिलसिला जारी था, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुरआन की मुकम्मल हिफ़ाज़त को सामने रखते हुए अपनी हदीसों लिखने से भी कुछ हज़रात को रोक दिया था कि ऐसा न हो कि लोग कुरआन के साथ हदीसों को जोड़ दें, इन हालात में किसी दूसरी मन्सूख (अमल के लिये ख़त्म) हो जाने वाली आसमानी किताब का पढ़ना पढ़ाना ज़ाहिर है कि एहतियात के खिलाफ़ था। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि तौरात व इन्जील के मुताले और पढ़ने से बिल्कुल ही मना फरमाया गया है। इन किताबों के वो हिस्से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में भविष्यवाणियों पर आधारित हैं उनका पढ़ना और नक़ल करना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित और परिचित व मशहूर है, हज़रात अब्दुल्लाह बिन सलाम और कअबे अहबार इस मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, दूसरे सहाबा किराम ने भी उन पर एतिराज़ नहीं किया। इसलिये आयत का हासिल यह हो जायेगा कि तौरात व इन्जील में जो ग़ैर-तब्दील शुदा मज़ामीन अब भी मौजूद हैं और बिला शुब्हा 'बसाइर' (अक्ल व समझ और नसीहत की बातें) हैं उनसे फ़ायदा उठाना दुरुस्त है, मगर ज़ाहिर है कि उनसे फ़ायदा सिर्फ़ ऐसे ही लोग उठा सकते हैं जो तब्दीली हुए और ग़ैर-तब्दीली हुए में फ़र्क कर सकें, और सही व ग़लत को पहचान सकें और वे माहिर उलेमा हो सकते हैं, अ़वाम को बेशक इससे बचना इसलिये ज़रूरी है कि वे किसी मुग़ालते (धोखे और ग़लत-फ़हमी) में न पड़ जायें, यही हुक्म उन तमाम किताबों का है जिनमें हक़ के साथ बातिल की मिलावट है कि अ़वाम को उनके पढ़ने से परहेज़ करना चाहिये, माहिर उलेमा देखें तो कोई हर्ज नहीं।

لَتَذَرِقُوا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ۝

यहाँ इस कौम से अ़रब के लोग मुराद हैं जो हज़रात इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं और उनके बाद से ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने तक उनमें कोई पैग़म्बर न आया था, यही मज़मून सूर: यासीन में भी आने वाला है। इससे मालूम हुआ कि दूसरी जगह कुरआन करीम का यह इरशाद कि:

إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

“कि कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह का कोई पैग़म्बर न आया” यह इस आयत के खिलाफ़ नहीं, क्योंकि इस आयत की मुराद यह है कि लम्बे ज़माने से हज़रात इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनमें कोई नबी नहीं आया, मगर नबी व रसूल के आने से बिल्कुल ख़ाली यह उम्मत भी नहीं रही।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

वस्सलूना तौसील से निकला है जिसके असली लुगवी माथने रस्ती के तारों में और तार मिलाकर उसको मजबूत करने के हैं। मुराद यह है कि कुरआने हकीम में हक़ तआला ने लोगों की हिदायत का सिलसिला एक के बाद दूसरा जारी रखा और बहुत से नसीहत के मजामीन का बार-बार दोहराना भी किया गया ताकि सुनने वाले मुतास्सिर हों।

तब्लीग़ व दावत के कुछ आदाब

इससे मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तब्लीग़ का अहम पहलू यह था कि वे हक़ बात को लगातार कहते और पहुँचाते ही रहते थे। लोगों का इनकार और झुठलाना उनके अपने अमल और अपनी लगन में कोई रुकावट पैदा नहीं करता था बल्कि वे हक़ को अगर एक मर्तबा न माना गया तो दूसरी मर्तबा, फिर भी न माना गया तो तीसरी चौथी मर्तबा बराबर पेश करते ही रहते थे। किसी के दिल में डाल देना तो किसी नसीहत करने वाले हमदर्द के बस में नहीं मगर अपनी कोशिश को बगैर किसी धकान और उकताहट के जारी रखना जो उनके कब्जे में था, उसको वे लगातार अन्जाम देते। आज भी तब्लीग़ व दावत के काम करने वालों को इससे सबक लेना चाहिये।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا يُتْلَىٰ

عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمْثَلُ بِهٖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ۝ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۝ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِيَ الْجَاهِلِينَ ۝

अल्लजी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब
मिन् क़ब्लिही हुम् बिही युअ्मिनून
(52) ● व इज़ा युत्ला अलैहिम् कालू
आमन्ना बिही इन्नहुल्-हक्क़ु
मिर्बिना इन्ना कुन्ना मिन् क़ब्लिही
मुस्लिमीन (53) उलाइ-क युअ्तौ-न
अज़रहुम् मरतैनि बिमा स-बरू व
यदरऊ-न बिल्ह-स-नतिस-सय्यि-अ-त्त
व मिम्मा रज़कनाहुम् युन्फ़कून् (54)
व इज़ा समिअुल्लग़-व अअ-रज़ू अन्हु

जिनको हमने दी है किताब इससे पहले वह इस पर यकीन करते हैं। (52) ● और जब उनको सुनाये तो कहें हम यकीन लायें इस पर यही है ठीक हमारे रब का भेजा हुआ, हम हैं इससे पहले के हुक्म मानने वाले। (53) वे लोग पायेंगे अपना सवाब दोहरा इस बात पर कि कायम रहे और भलाई करते हैं बुराई के जवाब में और हमारा दिया हुआ कुछ खर्च करते रहते हैं। (54) और जब सुनें निकम्मी बातें उससे किनारा करें और कहें

व क़ालू लना अज़्मालुना व लकुम्
अज़्मालुकुम् सलामुन् अलैकुम् ला
नब्तागिल्-जाहिलीन (55)

हमको हमारे काम और तुमको ;
काम, सलामत रहो हमको नहीं ;
बेसमझ लोग । (55)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत उन खुशख़बरियों से भी साबित है जिनकी उन उलेमा ने तस्दीक़ की है जिनको तौरात व इन्जील में उन खुशख़बरियों का इल्म है। चुनाँचे) जिन लोगों को हमने क़ुरआन से पहले (आसमानी) किताबें दी हैं (उनमें जो इन्साफ़ पसन्द हैं) वे इस पर ईमान लाते हैं। और जब क़ुरआन उनके सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाये, बेशक यह हक़ है (जो) हमारे रब की तरफ़ से (नाज़िल हुआ है, और) हम तो इस (के आने) से पहले भी (अपनी किताबों की खुशख़बरियों की बिना पर) मानते थे। (अब इसके उतरने के बाद अपने उस मानने का नवीकरण करते हैं। यानी हम उन लोगों की तरह नहीं जो क़ुरआन के उतरने से पहले तो इसकी तस्दीक़ करते थे बल्कि इसके आने के मुन्ताज़िर और उम्मीदवार थे मगर जब क़ुरआन आया तो इसके इनकारी हो गये। जैसा कि क़ुरआन में एक दूसरी जगह है: 'फलम्मा जाअहुम् मा अ-रफू क-फरू बिही' इससे साफ़ ज़ाहिर हो गया कि तौरात और इन्जील की खुशख़बरियों के मिस्ताक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही थे जैसा कि सूर: शु-अरा के आख़िर में फरमाया है:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

यहाँ तक नबी करीम सल्ल. की रिसालत पर बनी इस्राईल के उलेमा की गवाही का बयान हुआ आगे अहले किताब में से ईमान लाने वालों की फ़ज़ीलत का बयान है कि) उन लोगों को उनकी पुख़्तगी की वजह से दोहरा सवाब मिलेगा (क्योंकि वे पहली किताब पर ईमान रखने के वक़्त में भी क़ुरआन पर ईमान रखते थे और इसके नाज़िल होने के बाद भी इस पर कायम रहे और उस मानने को ताज़ा कर लिया। यह तो उनके एतिक़ाद और जज़ा का बयान था आगे आमाल व अख़्लाक़ का ज़िक्र है कि) और वे लोग नेकी (और संयम बरतने) से बुराई (और तकलीफ़) को दूर कर देते हैं, और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से (अल्लाह तआला की राह में) खर्च करते हैं। और (जिस तरह ये लोग अमली तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं इसी तरह) जब किसी से (अपने बारे में) कोई बेहूदा बात सुनते हैं (जो ज़बानी तकलीफ़ है) तो उसको (भी) टाल जाते हैं, और (सही चलन के तौर पर) कह देते हैं कि (हम कुछ जवाब नहीं देते) हमारा किया हमारे सामने आयेगा और तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आयेगा। (भाई) हम तुमको सलाम करते हैं (हमको अगड़े से माफ़ रखो) हम बे-समझ लोगों से उलझना नहीं चाहते।

मआरिफ व मसाईल

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

इस आयत में उन अहले किताब (ईसाईयों व यहूदियों) का जिक्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने, नुबुव्वत और कुरआन के नाज़िल होने से पहले ही तौरात व इन्जील की दी हुई खुशख़बरियों की बिना पर कुरआन के उतरने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजे जाने पर यकीन रखते थे, फिर आप तशरीफ़ लाये तो अपने पहले के यकीन की बिना पर ईमान ले आये। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हब्शा के बादशाह नजाशी के दरबार में से चालीस आदमी मदीना तैयबा में उस वक़्त हाज़िर हुए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ज़वा-ए-ख़ैबर में मशगूल थे, ये लोग भी जिहाद में शरीक हो गये, बाज़ों को कुछ ज़ख़्म भी लगे मगर उनमें से कोई क़त्ल नहीं हुआ। उन्होंने जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की आर्थिक तंगी का हाल देखा तो आप से दरख़्वास्त की कि हम अल्लाह के फ़ज़ल से मालदार और जायदाद वाले हैं, हम अपने मुल्क वापस जाकर सहाबा किराम के लिये माल इकट्ठा करके लायेंगे आप इजाज़त दे दें, इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (اخرجه ابن مردويه

والطبرانی فی الاوسط، مظہری)

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 52 से 54 तक) और हज़रत सईद बिन जुबैर रह. की रिवायत है कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ जब मदीना की हिजरत से पहले हब्शा गये थे और नजाशी बादशाह के दरबार में इस्लाम की तालीमात पेश कीं तो नजाशी और उसके दरबार वाले जो अहले किताब थे और तौरात व इन्जील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशख़बरी और निशानियाँ देखे हुए थे उनके दिलों में उसी वक़्त अल्लाह तआला ने ईमान डाल दिया।

(तफ़सीरे मज़हरी)

लफ़ज़ 'मुस्लिमीन' उम्मतें मुहम्मदिया का मख़सूस

लक़ब है या तमाम उम्मतों के लिये आम है?

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝

यानी इन अहले किताब (यहूदी व ईसाई हज़रात) ने कहा कि हम तो कुरआन के नाज़िल होने से पहले ही मुसलमान थे। यहाँ लफ़ज़ मुस्लिम अगर अपने लुग़वी मायने में लिया जाये यानी आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार तो बात साफ़ है कि उनको जो यकीन कुरआन और आख़िरी ज़माने के नबी पर अपनी किताबों की वजह से हासिल था उस यकीन को लफ़ज़ इस्लाम और मुस्लिमीन से ताबीर फ़रमाया, कि हम तो पहले ही से इसको मानते थे। और अगर लफ़ज़ मुस्लिमीन इस जगह उस मायने

में लिया जाये जिसके लिहाज से उम्मत मुहम्मदिया का लक़ब मुस्लिमीन है तो इससे यह साबित होगा कि इस्लाम और मुस्लिमीन का लफ़ज़ सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया के लिये खास नहीं बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दीन इस्लाम ही था और वे सब मुसलमान ही थे, मगर कुरआने करीम की कुछ आयतों से इस्लाम और मुस्लिमीन का इस उम्मत के लिये विशेष लक़ब होना मालूम होता है जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल खुद कुरआन ने नक़ल किया है:

مُؤْتَمَكُمُ الْمُسْلِمِينَ

और अल्लामा सुयूती इसी खुसूसियत के फ़ायल हैं, और इस मज़मून पर उनका एक मुस्तक़िल रिसाला है, उनके नज़दीक इस आयत में मुस्लिमीन से मुराद यह है कि हम तो पहले ही से इस्लाम क़ुबूल करने के लिये तैयार थे। अगर ग़ौर किया जाये तो इन दोनों में कोई टकराव नहीं कि इस्लाम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के दीन का संयुक्त नाम भी हो और इस उम्मत के लिये मख़सूस लक़ब भी, क्योंकि यह हो सकता है कि इस्लाम अपने सिफ़ती मायने के एतिबार से सब में साझा हो मगर मुस्लिम का लक़ब सिर्फ़ इस उम्मत के लिये खास हो, जैसे सिद्दीक और फ़ारूक वग़ैरह के अलक़ाब हैं जिनका खास मिस्दाक़ इस उम्मत में अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, हालाँकि अपने मायने व सिफ़त के एतिबार से दूसरे हज़रत भी सिद्दीक और फ़ारूक हो सकते हैं। (मेरे ज़ेहन में तो यही आता है, वल्लाहु आलम)

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

यानी अहले किताब में के मोमिनों को दो मर्तबा अज़्र दिया जायेगा। कुरआने करीम में इसी तरह का वादा नबी करीम की पाक बीवियों के बारे में भी आया है:

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

(यानी दोहरे अज़्र का, पारा बाईस की पहली आयत में) और सही बुख़ारी की एक हदीस में तीन शख्सों के लिये दोहरे अज़्र का ज़िक्र फ़रमाया है- एक वह अहले किताब जो पहले अपने पहले नबी पर ईमान लाया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, दूसरा वह शख्स जो किसी का ममलूक गुलाम हो और वह अपने आका की भी इताअत व फ़रमाँबरदारी करता हो और अल्लाह और उसके रसूल की भी, तीसरा वह शख्स जिसकी मिल्क में कोई बाँदी थी जिससे बिना निकाह के सोहबत उसके लिये हलाल थी उसने उसको अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया फिर उसको निकाह में लाकर बीवी बना लिया।

यहाँ यह बात ध्यान देने के काबिल है कि इन चन्द किस्मों को दो मर्तबा अज़्र देने की वजह क्या है, अगर कहा जाये कि इन दोनों के दो अज़्र इस दोहरे अज़्र का सबब हैं क्योंकि अहले किताब में के मोमिनों के दो अज़्र ये हैं कि पहले एक नबी और उसकी किताब पर ईमान लाये फिर दूसरे नबी और उसकी किताब पर, और नबी करीम की पाक बीवियों के दो अज़्र ये हैं कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी व मुहब्बत बहैसियत रसूल भी करती हैं और बहैसियत शौहर भी, और ममलूक गुलाम के दो अज़्र उसकी दोहरी आज़ाकारी व फ़रमाँबरदारी है अल्लाह व

रसूल की भी और आका की भी, और बाँदी को आज़ाद करके उससे निकाह करने वाले का एक नेक अमल उसको आज़ाद करना दूसरे उसको निकाह में लाना है। मगर इस पर यह सवाल पैदा होता है कि दो अमल के दो अज़्र होना तो अदल व इन्साफ़ का तकाज़ा होने की वजह से सब के लिये आम है इसमें अहले किताब में के मोभिनों या नबी करीम की पाक बीवियों वगैरह की क्या खुसूसियत है, जो शख्स भी दो अमल करेगा दो अज़्र पायेगा? इस सवाल के जवाब की मुकम्मल तहकीक़ अहक़र ने अहकामुल-कुरआन सूरः कसस में लिखी है, उसमें जो बात खुद कुरआनी अलफ़ाज़ की दलालत से साबित होती है वह यह है कि इन तमाम किस्मों में मुराद सिर्फ़ दो अज़्र नहीं, क्योंकि वह तो हर अमल करने वाले के लिये कुरआन का आम उसूल है। फ़रमाया:

لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

यानी अल्लाह तआला तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाय़ा नहीं करता बल्कि वह जितने नेक अमल करेगा उसी के हिसाब से अज़्र पायेगा। बल्कि इन ज़िक्र हुई किस्मों में दो अज़्र से मुराद यह है कि उन लोगों को उनके हर अमल का दोहरा सवाब मिलेगा। हर नमाज़ पर उसका दोहरा, हर रोज़े पर उसका दोहरा, हर सद्के और हज व उमरे पर उसका दोहरा सवाब पायेंगे। कुरआन के अलफ़ाज़ पर गौर करें तो दो अज़्र देने के लिये मुख़ासर लफ़ज़ अज़रैनि का था मगर कुरआन ने इसको छोड़कर अज़-र मरतैनि का लफ़ज़ इख़्तियार किया जिसमें साफ़ इशारा इसका पाया जाता है कि अज़-र मरतैनि से मुराद यह है कि उनका हर अमल दोबार लिखा जायेगा और हर अमल पर दोहरा सवाब मिलेगा।

रहा यह मामला कि उनकी इतनी बड़ी फ़ज़ीलत और खुसूसियत का सबब क्या है तो इसका वाज़ेह जवाब यह है कि अल्लाह तआला को इख़्तियार है कि किसी खास अमल को दूसरे आमाल से अफ़ज़ल करार दे दे और उसका अज़्र बढ़ा दे, किसी को इस सवाल का हक़ नहीं है कि रोज़े का सवाब अल्लाह तआला ने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, ज़कात व सद्के का क्यों ऐसा न किया? हो सकता है कि ये आमाल जिनका ज़िक्र उक्त आयतों और बुख़ारी की हदीस में है अल्लाह तआला के नज़दीक इनका दर्जा दूसरे आमाल से एक हैसियत में बढ़ा हुआ हो, इस पर यह इनाम फ़रमाया। और कुछ बड़े उलेमा ने जो इसका सबब उन लोगों की दोहरी मशक्कत को करार दिया है वह भी अपनी जगह मुम्किन है और इसी आयत के आख़िर में लफ़ज़ 'बिमा स-बरू' से इस पर दलील पकड़ी जा सकती है कि इस दोहरे अज़्र का सबब उनका मशक्कत पर सब्र करना है। वल्लाहु आलम

وَيَذَرُهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

यानी ये लोग बुराई को भलाई के ज़रिये दूर करते हैं। इस बुराई और भलाई की ताबीर में तफ़्सीर के इमामों के बहुत से अक़वाल हैं। कुछ ने फ़रमाया कि भलाई से नेकी और बुराई से गुनाह व नाफ़रमानी मुराद है, क्योंकि नेकी बदी को मिटा देती है जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से फ़रमाया:

اتَّبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمُحُّهَا

यानी बदी और गुनाह के बाद नेकी करो तो वह गुनाह को मिटा देगी। और कुछ हज़रात ने फरमाया कि हसना से मुराद इल्म व बरदाश्त और सय्यिया से मुराद जहालत व गफ़लत है, यानी ये लोग दूसरों की जहालत का जवाब जहालत के बजाय बरदाश्त व बुर्दबारी से देते हैं और दर हकीकत इन अक़वाल में कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि लफ़्ज़ हसना और सय्यिया यानी भलाई और बुराई के अलफ़ाज़ इन सब चीज़ों को शामिल हैं।

इस आयत में दो अहम हिदायतें हैं

अव्वल यह कि अगर किसी शख्स से कोई गुनाह हो जाये तो उसका इलाज यह है कि उसके बाद नेक अमल की फ़िक्र करे तो नेक अमल उस गुनाह का कफ़ारा (मिटाने वाला और बदला) हो जायेगा, जैसा कि हज़रात मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के हवाले से ऊपर बयान हो चुका है। दूसरे यह कि जो शख्स किसी के साथ जुल्म और बुराई से पेश आये अगरचे शरीअत के कानून के एतिबार से उसको अपना बदला ले लेना जायज़ है बशर्तकि बदला बराबर-सराबर हो कि जितना नुकसान या तकलीफ़ उसको पहुँचाई है उतना ही यह अपने सामने वाले को पहुँचा दे, मगर बेहतर और अच्छा यह है कि बदला लेने के बजाय बुराई के बदले में भलाई और जुल्म के बदले में एहसान करे, यह अच्छे अख़लाक का आला दर्जा है, और दुनिया व आख़िरत में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कुरआने करीम की एक दूसरी आयत में यह हिदायत बहुत स्पष्ट अलफ़ाज़ में इस तरह आई है:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

यानी बुराई और जुल्म को ऐसे तरीके से दूर करो जो कि बेहतर है (यानी जुल्म के बदले में एहसान करो) तो जिस शख्स के और तुम्हारे बीच दुश्मनी है वह तुम्हारा मुख़्तस दोस्त बन जायेगा।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ ۝

यानी उन लोगों की एक अच्छी ख़स्लत यह है कि जब ये किसी जाहिल दुश्मन से बेहूदा बात सुनते हैं तो उसका जवाब देने के बजाय यह कह देते हैं कि हमारा सलाम लो, हम जाहिल लोगों से उलझना पसन्द नहीं करते। इमाम जस्सास रह. ने फ़रमाया कि सलाम की दो किस्में हैं एक दुआ का सलाम जो मुसलमान आपस में एक दूसरे को करते हैं, दूसरा अलग होने और बेताल्लुक होने का सलाम, यानी अपने मुक़ाबिल को यह कह देना कि हम तुम्हारी बेहूदा और बेकार की बात का कोई बदला तुम से नहीं लेते, यहाँ सलाम से यही दूसरे मायने मुराद हैं।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

इन्न-क ला तहदी मन् अहबब्-त व
लाकिन्नल्ला-ह यहदी मय्यशा-उ व
हु-व अज़्लमु बिल्मुहतदीन (56)

तू राह पर नहीं लाता जिसको चाहे पर
अल्लाह राह पर लाये जिसको चाहे, और
वही ख़ूब जानता है जो राह पर
आयेंगे : (56)

खुलासा-ए-तफ़सीर

आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत कर देता है (और हिदायत करने की कुदरत तो किसी को क्या होती अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म तक भी नहीं कि कौन-कौन हिदायत पाने वाला है, बल्कि) हिदायत पाने वालों का इल्म उसी को है।

मआरिफ़ व मसाईल

लफ़्ज़ हिदायत कई मायनों के लिये इस्तेमाल होता है, एक मायने सिर्फ़ रास्ता दिखा देने के हैं, जिसके लिये ज़रूरी नहीं कि जिसको रास्ता दिखाया गया वह मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचे। और एक मायने हिदायत के यह भी आते हैं कि किसी को मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचा दिया जाये। पहले मायने के एतिबार से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बल्कि तमाम अम्बिया का हादी होना और यह हिदायत उनके इख़्तियार में होना ज़ाहिर है, क्योंकि यह हिदायत ही उनका फ़र्ज़ मन्सबी (कर्तव्य) है, अगर इसकी उनको कुदरत न हो तो रिसालत व नुबुव्वत का फ़रीज़ा कैसे अदा करें। इस आयत में जो आपका हिदायत पर क़ादिर न होना बयान फ़रमाया है इससे मुराद दूसरे मायने की हिदायत है, यानी मक़सूद पर पहुँचा देना। और मतलब यह है कि अपनी तब्लीग़ व तालीम के ज़रिये आप किसी के दिल में ईमान डाल दें, उसको मोमिन बना दें, यह आपका काम नहीं, यह तो डायरेक्ट हक़ तआला के इख़्तियार में है। हिदायत के मायने और उसकी किस्मों की मुकम्मल तहकीक़ सूरः ब-करह के शुरू में गुज़र चुकी है।

सही मुस्लिम में है कि यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई है कि आपकी बड़ी तमन्ना यह थी कि वह किसी तरह ईमान कुबूल कर लें, इस पर आपको यह बताया गया किसी को मोमिन बना देना आपकी कुदरत में नहीं। तफ़सीर रूहुल-मआनी में है कि अबू तालिब के ईमान व कुफ़्र के मामले में बेज़रूरत गुफ़्तगू और बहस व मुबाहसे से और उनको बुरा कहने से बचना चाहिये कि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तबई तकलीफ़ पहुँचने का संदेह व गुमान है। वल्लाहु आलम

وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُنَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجِبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِّن
قَرَبَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمَّا نُسُكْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥١﴾
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرِزْقِنَاهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٣﴾

व कालू इन् नत्तबिअिल्-हुदा म-अ-क
 नु-तखत्तफ् मिन् अर्ज़िना, अ-व लम्
 नुमक्किल् लहुम् ह-रमन् आमिनंय्-
 युज्बा इलैहि स-मरातु कुल्लि शैइर्-
 रिज़्कम् मिल्लदुन्ना व लाकिन्-न
 अक्स-रहुम् ला यअ्लमून (57) व
 कम् अह्लकना मिन् कर्-यतिम्
 बतिरत् मअी-श-तहा फ़तिल्-क
 मसाकिनुहुम् लम् तुस्कम् मिम्-
 बअ्दिहिम् इल्ला कलीलन्, व कुन्ना
 नह्नुल्-वारिसीन (58) व मा का-न
 रब्बु-क मुस्लिक्ल्-कुरा हत्ता यब्अ-स
 फी उम्मिहा रसूलंय्-यत्लू अलैहिम्
 आयातिना व मा कुन्ना मुस्लिक्िल्-
 कुरा इल्ला व अस्तुहा ज़ालिमून (59)
 व मा ऊतीतुम् मिन् शैइन्
 फ़-मताअुल्-हयातिद्दुन्या व ज़ी-नतुहा
 व मा अिन्दल्लाहि ख़ैरुव्-व अब्का,
 अ-फ़ला तअ्किलून (60) ❀

और कहने लगे अगर हम राह पर आयें
 तेरे साथ उचक लिये जायें अपने मुल्क
 से, क्या हमने जगह नहीं दी उनको इज्जत
 वाले पनाह के मकान में, खिंचे चले आते
 हैं उसकी तरफ़ मेवे हर चीज़ के रोज़ी
 हमारी तरफ़ से पर बहुत उनमें समझ नहीं
 रखते। (57) और कितनी ग़ास्त कर दीं
 हमने बस्तियाँ जो इतरा चली थीं अपनी
 गुज़रान में, अब ये हैं उनके घर आबाद
 नहीं हुए उनके पीछे मगर थोड़े, और हम
 हैं आख़िर को सब कुछ लेने वाले। (58)
 और तेरा रब नहीं ग़ास्त करने वाला
 बस्तियों को जब तक न भेज ले उनकी
 बड़ी बस्ती में किसी को पैग़ाम देकर जो
 सुनाये उनको हमारी बातें और हम हरगिज़
 नहीं ग़ास्त करने वाले बस्तियों को मगर
 जबकि वहाँ के लोग गुनाहगार हों। (59)
 और जो तुमको मिली है कोई चीज़ सो
 फ़ायदा उठा लेना है दुनिया की ज़िन्दगी में
 और यहाँ की रौनक है, और जो अल्लाह
 के पास है सो बेहतर है और बाकी रहने
 वाला, क्या तुमको समझ नहीं। (60) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऊपर काफी पीछे से काफ़िरों के ईमान न लाने का ज़िक्र चला आ रहा है, इन आयतों में उन
 रुकावटों का ज़िक्र है जो काफ़िरों को ईमान लाने की राह में बाधक समझी जाती थी, मसलन एक
 बाधा का बयान है कि) और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपके साथ होकर (इस दीन की)
 हिदायत पर चलने लगे तो फ़ौरन अपने स्थान से मारकर निकाल दिये जाएँ (कि वतन से निकलने का
 भी नुक़सान हो और रोज़गार की परेशानी अलग हो, लेकिन इस उज़्र का बातिल होना पूरी तरह

जाहिर है) क्या हमने इनको अमन व शान्ति वाले हरम में जगह न दी, जहाँ हर किस्म के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास से (यानी हमारी क़ुदरत और हमारे देने से) खाने को मिलते हैं, (पस हरम होने की वजह से जिसका सब एहतियाम व सम्मान करते हैं नुक़सान पहुँचने का भी अन्देशा नहीं, और जब ये नुक़सान न रहा तो रोज़गार की दिक्कत आने की शंका भी जाती रही। पस उनको चाहिए था कि इस हालत को ग़नीमत समझते और इसको नेमत समझकर क़द्र करते और ईमान ले आते) व लेकिन उनमें अक्सर लोग (इसको) नहीं जानते (यानी इसका ख़्याल नहीं करते)।

और (एक सबब उनके ईमान न लाने का यह है कि ये अपनी आराम व ऐश की ज़िन्दगी पर इतरा रहे हैं लेकिन यह भी हिमाक़त है क्योंकि) हम बहुत-सी ऐसी बस्तियाँ हलाक कर चुके हैं जो अपने ऐश के सामान पर इतराते थे, सो (देख लो) ये उनके घर (तुम्हारी आँखों के सामने पड़े) हैं कि उनके बाद आबाद ही न हुए मगर थोड़ी देर के लिये (कि किसी मुसाफ़िर और आने-जाने वाले का उधर को इत्तिफ़ाक़न गुज़र हो जाये और वह थोड़ी देर वहाँ सुस्ताने को या तमाशा देखने को बैठ जाये या रात को रह जाये) और आख़िरकार (उनके इन सब सामानों के) हम ही मालिक रहे (कोई जाहिरी वारिस भी उनका न हुआ)। और (एक शुब्हा उनको यह होता है कि अगर उन लोगों की हलाकत कुफ़्र की वजह से है तो हम मुदत से कुफ़्र करते आ रहे हैं हमको क्यों न हलाक किया, जैसा कि दूसरी आयतों में है:

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝

“कि यह वायदा कब आयेगा अगर तुम सच्चे हो” और इस शुब्हे की वजह से ईमान नहीं लाते सो इसका हल यह है कि) आपका रब बस्तियों को (पहली ही बार में) हलाक नहीं किया करता जब तक कि (बस्तियों) के मुख्य स्थान में किसी पैग़म्बर को न भेज ले, और (पैग़म्बर को भेजने के बाद भी फ़ौरन) हम उन बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर उसी हालत में कि वहाँ के रहने वाले बहुत ही शरारत करने लगें। (यानी एक अच्छी-खासी मुदत तक बार-बार के तवज्जोह और याद दिलाने से ध्यान न दें और सबक़ हासिल न करें तो उस वक़्त हलाक कर देते हैं। चुनाँचे जिन बस्तियों की हलाकत का ऊपर ज़िक्र था वो भी इसी क़ानून के मुवाफ़िक़ हलाक हुईं सो इसी क़ानून के मुवाफ़िक़ तुम्हारे साथ मामला हो रहा है इसलिये न रसूल से पहले हलाक किया और न बाद रसूल के अभी तक हलाक किया मगर चन्द दिन गुज़रने दो, अगर तुम्हारा यही दुश्मनी व मुख़ालफ़त भरा रवैया रहा तो सज़ा होगी ही। चुनाँचे बदर वग़ैरह में हुई) और (एक वजह ईमान न लाने की यह है कि दुनिया नक़द है इसलिए पसन्दीदा और भली लगती है और आख़िरत उधार है इसलिए नापसन्दीदा है, पस दुनिया की दिलचस्पी से दिल ख़ाली नहीं होता कि इसमें आख़िरत की दिलचस्पी और रुचि समाये फिर उसके हासिल करने का तरीक़ा तलाश किया जाये जो ईमान है, सो इसके बारे में यह सुन लो कि) जो कुछ तुमको दिया-दिलाया गया है वह महज़ (चन्द दिन का) दुनियावी ज़िन्दगी के बरतने के लिये है, और यहीं की (रौनक व) जीनत है (कि उम्र के ख़त्म होने के साथ इसका भी ख़ात्मा हो जाएगा) और जो (अज़्र व सवाब) अल्लाह के यहाँ है वह इससे बहुत ज़्यादा (हालत में भी) बेहतर है और (मिक्दार में

भी) ज्यादा (यानी हमेशा) बाकी रहने वाला है। सो क्या तुम लोग (इस फर्क को या इस फर्क के तकाजे को) नहीं समझते। (गर्ज कि तुम्हारे उज़्र, बहाने और कुफ़्र पर अड़े रहने के ये असबाब सब बिल्कुल बेबुनियाद और ग़लत हैं समझो और मानो)।

मअरिफ़ व मसाईल

وَقَالُوا إِن نُّتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَنخطفُ مِنْ أَرْضِنَا

यानी मक्का के काफ़िरोँ हारिस बिन उस्मान वगैरह ने अपने ईमान न लाने की एक वजह यह बयान की कि अगरचे हम आपकी तालीमात को हक़ मानते हैं मगर हमें ख़तरा यह है कि अगर हम आपकी हिदायतों पर अमल करके आपके साथ हो जायें तो सारा अरब हमारा दुश्मन हो जायेगा और हमें हमारी मक्के की सरज़मीन से उचक लेगा। (नसाई वगैरह) कुरआने करीम ने उनके इस बेजान उज़्र के तीन जवाब दिये- अव्वल यह कि:

أَوْلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا إِنَّمَا يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

यानी उनका यह उज़्र (और बहाना) इसलिये बातिल है कि अल्लाह तआला ने खुसूसियत के साथ मक्का वालों की हिफ़ाज़त का एक कुदरती सामान पहले से यह कर रखा है कि मक्का की ज़मीन को हरम बना दिया, और पूरे अरब के कबीले कुफ़्र व शिर्क और आपसी दुश्मनियों के बावजूद इस पर सहमत थे कि हरमे मक्का की ज़मीन में क़त्ल व फ़िताल सख़्त हराम है। हरम में बाप का कातिल बेटे को मिलता तो बदले के इन्तिहाई जोश के बावजूद किसी की यह मजाल न थी कि हरम के अन्दर अपने दुश्मन को क़त्ल कर दे, या उससे कोई बदला ले ले, इसलिये ईमान लाने में उनको यह ख़तरा महसूस करना किस क़द्र जहालत है कि जिस मालिक ने अपने रहम व करम से उनके कुफ़्र व शिर्क के बावजूद इस ज़मीन में अमन दे रखा है तो ईमान लाने की सूरत में वह उनको कैसे हलाक होने देगा। यहया बिन सलाम ने फ़रमाया कि आयत के मायने यह हैं कि तुम हरम की वजह से अमन में और महफ़ूज़ थे, मेरा दिया हुआ रिज़क़ फ़राख़ी के साथ खा रहे थे और इबादत मेरे अलावा दूसरों की करते थे, अपनी इस हालत से तो तुम्हें ख़ौफ़ न हुआ उल्टा ख़ौफ़ अल्लाह पर ईमान लाने से हुआ। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

उक्त आयत में हरमे मक्का के दो वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) बयान फ़रमाये हैं एक यह कि वह अमन की जगह है, दूसरे यह कि वहाँ दुनिया के चारों तरफ़ से हर चीज़ के फल (मेवे वगैरह) लाये जाते हैं ताकि मक्का के बाशिन्दे अपनी तमाम ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें।

हरम-ए-मक्का में हर चीज़ के फलों का जमा होना

अल्लाह की ख़ास निशानियों में से है

मक्का मुकर्रमा जिसको अल्लाह तआला ने अपने घर के लिये सारी दुनिया में से चुना लिया एक

ऐसा मकाम है कि वहाँ दुनिया की रोजी और गुजारे की कोई चीज़ आसानी से न मिलनी चाहिये क्योंकि गेहूँ, चना, चावल वगैरह जो आम इनसानी गिज़ा है, इन चीज़ों की पैदावार भी वहाँ न होने के बराबर थी, फल और तरकारियों वगैरह का तो कहना क्या है, भगर ये सब चीज़ें जिस अधिकता के साथ मक्का मुकर्रमा में मिलती हैं अक्ल हैरान रह जाती है कि हज के मौसम के मौके पर मक्का की दो तीन लाख की आबादी पर बारह पन्द्रह लाख मुसलमानों का इज़ाफ़ा हर साल हो जाता है जो औसतन दो ढाई महीने तक रहता है। कभी नहीं सुना गया कि उनमें से किसी को किसी ज़माने में गिज़ाई ज़रूरतें न मिली हों, बल्कि रात दिन के तमाम वक्तों में तैयार शुदा गिज़ा हर वक्त मिलते रहने को खुली आँखों हर शख्स देखता है। और कुरआने करीम के लफ़्ज़ 'स-मरातु कुल्लि शैइन्' में गौर करें तो यह सवाल पैदा होता है कि उर्फ़े आम के एतिबार से समरात (फलों) का ताल्लुक दरख़्तों के साथ है, इसका मकाम था कि 'समरातु कुल्ली श-जरिन्' फ़रमाया जाता, इसके बजाये 'स-मरातु कुल्लि शैइन्' फ़रमाते हैं, हो सकता है कि इशारा इस तरफ़ हो कि लफ़्ज़ समरात यहाँ सिर्फ़ फलों के मायने में नहीं बल्कि उमूमी तौर पर हासिल और पैदावार के मायने में है, मिलों और कारख़ानों की बनी हुई चीज़ें भी उनके समरात हैं, इस तरह हासिल इस आयत का यह होगा कि हरमे मक्का में सिर्फ़ खाने पीने ही की चीज़ें जमा नहीं होंगी बल्कि जिन्दगी की तमाम ज़रूरतें जमा कर दी जायेंगी जिसको खुली आँखों देखा जा रहा है, शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में यह बात न हो कि हर मुल्क और हर ख़िल्ले की गिज़ायें और वहाँ की बनी हुई और निर्मित चीज़ें इस अधिकता के साथ वहाँ मिलती हों जैसी मक्का मुकर्रमा में मिलती हैं। यह तो मक्का के काफ़िरों के उज़्र का एक जवाब हुआ कि जिस मालिक ने तुम्हारी कुफ़्र व शिर्क की हालत में तुम पर ये इनामात बरसाये कि तुम्हारी ज़मीन को हर ख़तरे से अमन वाला व महफ़ूज़ कर दिया और इसके बावजूद कि इस ज़मीन में कोई चीज़ पैदा नहीं होती सारी दुनिया की पैदावार यहाँ लाकर जमा कर दी तो तुम्हारा यह ख़तरा कैसी बड़ी जहालत है कि ख़ालिके कायनात पर ईमान लाने की सूरत में तुम से ये नेमतें छीन ली जायेंगी। इसके बाद दूसरा जवाब इस उज़्र का यह है:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مَبَطَّرَتْ بِعَيْشَتِهَا

जिसमें यह बतलाया गया है कि दुनिया की सारी काफ़िर कौमों के हालात पर नज़र डालो कि उनके कुफ़्र व शिर्क के वबाल से किस तरह उनकी बस्तियाँ तबाह हुई और मज़बूत व स्थिर किले और हिफ़ाज़ती सामान सब ख़ाक में मिल गये, तो असल ख़ौफ़ की चीज़ कुफ़्र व शिर्क है जो तबाही व बरबादी का सबब होता है। तुम कैसे बेख़बर बेवकूफ़ हो कि कुफ़्र व शिर्क से ख़तरा महसूस नहीं करते, ईमान से ख़तरा महसूस करते हो।

तीसरा जवाब इस आयत में दिया गया:

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..... الآية

जिसमें यह बतलाया कि अगर फ़र्ज़ करो ईमान लाने के नतीजे में तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँच ही जाये तो वह चन्द दिन की है और जिस तरह दुनिया का ऐश व आराम माल व दौलत सब चन्द दिन

का सामान है किसी के पास हमेशा नहीं रहता इसी तरह यहाँ की तकलीफ भी चन्द दिन की है जल्द खत्म हो जाने वाली है, इसलिये अक्लमन्द का काम यह है कि फिर उस तकलीफ व राहत की को जो पायेदार और हमेशा रहने वाली है। हमेशा रहने वाली दौलत व नेमत की खातिर चन्द दिन की तकलीफ व मशक्कत बरदाश्त कर लेना ही अक्लमन्दी की दलील है।

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

यानी पिछली कौमों की जिन बस्तियों को अल्लाह के अज़ाब से बरबाद किया गया था, अब तक भी उनमें आबादी नहीं हुई सिवाय मामूली सी के। इस मामूली सी से मुराद अगर थोड़े से मकामात और स्थान लिये जायें जैसा कि जुजाज का कौल है तो मतलब यह होगा कि उन तबाह हुई बस्तियों में कोई जगह और कोई मकान फिर आबाद नहीं हो सकता सिवाय थोड़े से हिस्से के, कि वो आबाद हुए। मगर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से आयत की यह तफ़सीर मन्कूल है कि थोड़े से कहने से मकामात और मकानात को अलग नहीं रखा गया बल्कि ठहरने और रहने के वक़्त का अलग करना मुराद है, और मतलब यह है कि अगर उन बस्तियों में कोई रहता भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिये जैसे कोई राहगीर मुसाफ़िर थोड़ी देर के लिये ठहर जाये जिसको बस्तियों का आबाद होना नहीं कहा जा सकता।

حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا

लफ़्ज़ उम्म के मशहूर मायने वालिदा और माँ के हैं और माँ चूँकि इनसानी पैदाईश की बुनियाद है इसलिये लफ़्ज़ उम्म असल और बुनियाद के मायने में भी ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उम्मिहा (उनकी बड़ी) में उन से मुराद बस्तियाँ है, उम्मिहा से मुराद उम्मुल-कुरा है यानी बस्तियों की असल और मुखिया। मतलब यह है कि अल्लाह तआला किसी कौम को उस वक़्त तक हलाक नहीं करते जब तक उस कौम के बड़े शहरों में अपने किसी रसूल के ज़रिये हक़ का पैग़ाम न पहुँचा दें, जब हक़ की दावत पहुँच जाये और लोग उसको कुबूल न करें उस वक़्त उन बस्तियों पर अज़ाब आता है।

इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी और रसूल उमूमन बड़े शहरों में भेजे जाते हैं, वे छोटे क़सबों व देहात में नहीं आते, क्योंकि ऐसे क़सबे व देहात आदतन शहर के ताबे होते हैं अपनी आर्थिक ज़रूरतों में भी और तालीमी ज़रूरतों में भी। और शहर में जो बात फैल जाये उसका तज़क़िरा उससे मिले क़सबों व देहात में खुद-ब-खुद फैल जाता है, इसी लिये जब किसी बड़े शहर में रसूल भेजा गया और उसने हक़ की दावत पेश कर दी तो यह दावत उन क़सबों व देहात में भी आदतन पहुँच जाती है, इस तरह उन सब पर अल्लाह तआला की हुज्जत पूरी हो जाती है और इनकार व झुठलाया जाये तो सब पर अज़ाब आता है।

अहकाम व क़वानीन में क़सबे व देहात शहरों के अधीन होते हैं

इससे मालूम हुआ कि जैसे आर्थिक ज़रूरतों में छोटी बस्तियाँ बड़े शहर के ताबे होती हैं वहीं से उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं इसी तरह जब किसी हुक्म का ऐलान शहर में कर दिया जाये तो उस हुक्म की तामील उससे जुड़ी बस्तियों पर भी लाज़िम हो जाती है, न जानने या न सुनने का उज़्र

माननीय नहीं होता।

रमज़ान व ईद के चाँद के मसले में भी फुकहा ने यही फरमाया है कि एक शहर में अगर शरई गवाही के साथ काज़ी-ए-शहर के हुक्म से चाँद का देखना साबित हो जाये तो आस-पास की बस्तियों को भी उस पर अमल करना लाज़िम है, लेकिन दूसरे शहर वालों पर उस वक़्त तक लाज़िम नहीं होगा जब तक खुद उस शहर का काज़ी गवाही को तस्लीम करके उसका हुक्म न दे। (फ़तावा गयासिया)

وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

यानी दुनिया का माल व असबाब और ऐश व आराम सब फ़ानी है और यहाँ के आमाल का जो बदला आख़िरत में मिलने वाला है वह यहाँ के माल व असबाब और ऐश व आराम से अपनी कैफ़ियत के एतिबार से भी बहुत बेहतर है कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी राहत व लज़्ज़त भी उसका मुक़ाबला नहीं कर सकती और फिर वह हमेशा बाकी रहने वाली भी है। बख़िलाफ़ दुनिया की माल व दौलत के कि वह कितनी ही बेहतर है मगर आख़िरकार फ़ानी और ख़त्म होने वाली है और यह जाहिर है कि कोई अक्लमन्द आदमी ऐसे ऐश को जो कम दर्जे का भी हो और चन्द दिन का भी उस ऐश व आराम पर तरज़ीह नहीं दे सकता जो राहत व लज़्ज़त से उससे ज़्यादा भी हो और हमेशा रहने वाला भी हो।

अक्लमन्द कौन है?

अक्लमन्द उसी को कहते हैं जो कि दुनिया के धंधों में ज़्यादा मशगूल न हो बल्कि आख़िरत की फ़िक्र में लगे। इमाम शाफ़ई रह. ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स अपने माल व जायदाद के मुताल्लिक़ यह वसीयत करके मर जाये कि मेरा माल उस शख्स को दे दिया जाये जो सबसे ज़्यादा अक्लमन्द हो तो उस माल के खर्च करने की जगह व मौक़ा वे लोग होंगे जो अल्लाह तआला की इबादत व फ़रमाँबरदारी में मशगूल हों, क्योंकि अक्ल का तफ़ाज़ा यही है और दुनिया वालों में सबसे ज़्यादा अक्ल वाला वही है, यही मसला हनफ़ी फ़िके की मशहूर किताब दुर्रे मुख्तार बाबे वसीयत में भी बयान हुआ है।

أَمَّنْ وَعَدُّنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاءً

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَعَبِّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَلَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

अ-फमंव-वअदनाहु वअदन् ह-सनन्
 फहु-व लाकीहि कमम्-मत्तअनाहु
 मताअल्-हयातिदुन्या सुम्-म हु-व
 यौमल्-कियामति मिनल्-मुह्जरीन
 (61) व यौ-म युनादीहिम् फ-यकूलु
 ऐ-न शु-रकाइ-यल्लजी-न कुन्तुम्
 तज्जुमून (62) कालल्लजी-न हक्-क
 अ लै हिमुल्-कौ लु रब्बना
 हा-उलाइल्लजी-न अग्वैना अग्वैनाहुम्
 कमा ग्वैना तबरअना इलै-क मा
 कानू इय्याना यअबुदून (63) व
 कीलदअ शु-रका-अकुम् फ-दअौहुम्
 फ-लम् यस्तजीबू लहुम् व र-अवुल्-
 अजा-ब लौ अन्नहुम् कानू यस्तदून
 (64) व यौ-म युनादीहिम् फ-यकूलु
 माजा अ-जब्तुमुल्-मुर्सतीन (65)
 फ-अमियत् अलैहिमुल्-अम्बा-उ
 यौमइजिन् फहुम् ला य-तसाअलून
 (66) फ-अम्मा मन् ता-ब व आम-न
 व अमि-ल सालिहन् फ-असा
 अय्यकू-न मिनल्-मुफिलहीन (67)

भला एक शख्स जिस से हमने वायदा
 किया है अच्छा वायदा सो वह उसको
 पाने वाला है, बराबर है उसके जिसको
 हमने फायदा दिया दुनिया की जिन्दगी
 का फिर वह कियामत के दिन पकड़ा
 हुआ आया? (61) और जिस दिन उनको
 पुकारेगा तो कहेगा कहाँ हैं मेरे शरीक
 जिनका तुम दावा करते थे। (62) बोले
 जिन पर साबित हो चुकी बात ऐ रब! ये
 लोग हैं जिनको हमने बहकाया, उनको
 बहकाया जैसे हम खुद बहके, हम मुन्किर
 हुए तेरे आगे वे हमको न पूजते थे। (63)
 और कहेंगे पुकारो अपने शरीकों को फिर
 पुकारेंगे उनको तो वे जवाब न देंगे उन
 को और देखेंगे अजाब, किसी तरह वे
 राह पाये हुए होते। (64) और जिस दिन
 उनको पुकारेगा तो फरमायेगा क्या जवाब
 दिया था तुमने पैगाम पहुँचाने वालों को?
 (65) फिर बन्द हो जायेंगी उन पर बातें
 उस दिन सो वे आपस में भी न पूछेंगे।
 (66) सो जिसने कि तौबा की और
 यकीन लाया और अमल किये अच्छे सो
 उम्मीद है कि हो छूटने वालों में। (67)

खुलासा-ए-तफसीर

भला वह शख्स जिससे हमने एक पसन्दीदा वायदा कर रखा है, फिर वह शख्स उस (वायदे की चीज) को पाने वाला है, क्या उस शख्स के जैसा हो सकता है जिसको हमने दुनिया की जिन्दगी का चन्द दिन का फायदा दे रखा है। फिर वह कियामत के दिन उन लोगों में से होगा जो गिरफ्तार करके

लाये जाएंगे। (पहले शख्स से मुराद मोमिन है जिससे जन्नत का वायदा है और दूसरे से मुराद काफ़िर जो मुजरिम होकर आयेगा, और चूँकि दुनिया की दौलत ही उन लोगों की भूल का सबब है इसलिये उसकी वज़ाहत फ़रमा दी, वरना उन दोनों का बराबर न होना तो दर असल इस वजह से है कि वे गिरफ़्तार करके हाज़िर किये जायेंगे, ये जन्नत की नेमतों से नवाज़े जायेंगे) और (आगे उस फ़र्क और हाज़िर करने के अन्दाज़ की तफ़सील है कि वह दिन याद करने के काबिल है) जिस दिन अल्लाह उन काफ़िरों को (झिड़की के तौर पर) पुकार कर कहेगा कि वे मेरे शरीक कहाँ हैं जिनको तुम (हमारा शरीक) समझ रहे थे। (मुराद इससे शयातीन हैं कि उन्हीं की पूरी तरह मानने से शिर्क करते थे इसलिए उनको शरीक कहा, इसको सुनकर शयातीन) जिन पर (गुमराह करने की वजह से) खुदा का फ़रमाया हुआ (यानी अज़ाब का मुस्तहक़ होना इस कौल से कि 'लाज़िमी तौर पर हम भर देंगे जहन्नम को "नाफ़रमान" जिन्नात और इनसानों से') साबित हो चुका होगा, वे (बतौर उज़्र और बहाने के तौर पर) बोल उठेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! बेशक ये वही लोग हैं जिनको हमने बहकाया, (यह जवाब की प्रारंभिका है। इस गुफ़्तगू और वाक़िए के बयान का खुलासा इसलिए फ़रमाया गया कि जिनकी शफ़ाअत की उनको उम्मीद है वे और उल्टे उनके खिलाफ़ गवाही देंगे और आगे जवाब है कि हमने बहकाया तो ज़रूर लेकिन) हमने इनको वैसा ही (बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के) बहकाया जैसा कि हम खुद (बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के) बहके थे, (यानी जिस तरह हम खुद अपने इख़्तियार से गुमराह हुए किसी ने हमें मजबूर नहीं किया इसी तरह हमको इन पर ज़बरदस्ती का कब्ज़ा न था, हमारा काम सिर्फ़ बहकाना था फिर उसको उन्होंने अपनी राय और इख़्तियार से कुबूल कर लिया जैसा कि सूर: इब्राहीम में है:

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي..... الآية

मतलब यह कि हम भी मुजरिम हैं मगर ये भी बरी नहीं) और हम आपकी मौजूदगी में इनके (ताल्लुकात) से अलैहदगी इख़्तियार करते हैं (और) ये लोग (दर हकीकत सिर्फ़) हमको (ही) न पूजते थे। (यानी जब ये अपने इख़्तियार से बहके हैं तो ये अपनी इच्छा के पुजारी हुए न कि सिर्फ़ शैतान परस्त। इस सारी गुफ़्तगू से मक़सूद यह है कि जिनके भरोसे बैठे हैं वे क़ियामत के दिन इनसे हाथ खींच लेंगे) और (जब वे शरीक इस तरह इनसे बेज़ारी व बेरुखी करेंगे तो उस वक़्त उन मुशिरकों से) कहा जायेगा कि (अब) अपने उन शरीकों को बुलाओ, चुनाँचे वे (हद से ज्यादा हैरत से बेक़रारी के साथ) उनको पुकारेंगे, सो वे जवाब भी न देंगे। और (उस वक़्त) ये लोग (अपनी आँखों से) अज़ाब को देख लेंगे, ऐ काश! ये लोग दुनिया में सही रास्ते पर होते (तो यह मुसीबत न देखते)। और जिस दिन उन काफ़िरों से पुकारकर पूछेगा कि तुमने पैग़म्बरों को क्या जवाब दिया था? सो उस दिन उन (के ज़ेहन) से सारे मज़ामीन गुम हो जाएँगे, तो वे (खुद भी न समझ सकेंगे और) आपस में पूछताछ भी न कर सकेंगे! अलबत्ता जो शख्स (कुफ़्र व शिर्क से दुनिया में) तौबा करे और इमّान ले आये और नेक काम किया करे तो ऐसे लोग उम्मीद है कि (आख़िरत में) कामयाबी पाने वालों में से होंगे (और इन आफ़तों से महफ़ूज़ रहेंगे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

मेहशर में काफ़िरों व मुशिरकों से पहला सवाल शिर्क के बारे में होगा कि जिन शैतानों व ग़ैरह को तुम हमारा शरीक कहा करते थे और उनका कहा मानते थे आज वे कहाँ हैं क्या वे तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? इसके जवाब में ज़ाहिर यह था कि मुशिरक लोग यह जवाब दें कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमने खुद से शिर्क नहीं किया बल्कि हमें तो उन शैतानों ने बहकाया था। इसलिये अल्लाह तआला खुद उन शैतानों की ज़बानों से कहलवा देंगे कि हमने बहकाया ज़रूर था मगर मजबूर तो हमने नहीं किया। इसलिये मुजरिम हम भी हैं मगर जुर्म से बरी ये भी नहीं, क्योंकि जिस तरह हमने इनको बहकाया था उसके मुक़ाबले में अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम और उनके नायबों ने इनको हिदायत भी तो की थी और दलीलों के साथ इन पर हक़ स्पष्ट कर दिया था, इन्होंने अपने इख़्तियार से अम्बिया की बात न मानी हमारी मान ली, तो ये कैसे बरी हो सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स के सामने हक़ की स्पष्ट दलीलें मौजूद हों और वह हक़ की तरफ़ दावत देने वालों के बजाय गुमराह करने वालों की बात मानकर गुमराही में पड़ जाये तो यह कोई मोतबर उज़्र नहीं।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخِزْيَانُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۝ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۝ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۝ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۝
 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

व रब्बु-क यख़लुकु मा यशा-उ व
 यख़्तारु, मा का-न लहुमुल् ख़ि-य-रतु,
 सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा
 युशिरकून (68) व रब्बु-क यज़लमु
 मा तुकिन्नु सुदूरहुम् व मा युज़्लिनून
 (69) व हुवल्लाहु ला इला-ह इल्ला
 हु-व, लहुल्-हम्दु फिल्-ऊला वल्-

और तेरा रब पैदा करता है जो चाहे और
 पसन्द करे जिसको चाहे उनके हाथ में
 नहीं पसन्द करना, अल्लाह निराता है
 और बहुत ऊपर है उस चीज़ से कि शरीक
 बतलाते हैं। (68) और तेरा रब जानता
 है जो छुप रहा है उनके सीनों में और जो
 कुछ कि ज़ाहिर में करते हैं। (69) और
 वही अल्लाह है किसी की बन्दगी नहीं

आख़िरति व लहुल्-हुक्मु व इलैहि
 तुर्जअून (70) कुल् अ-रऐतुम् इन्
 ज-अ लल्लाहु अ लै कुमुल्-लै-ल
 सर्-मदन् इला यौमिल्-क़ियामति मन्
 इलाहुन् ग़ैरुल्लाहि यअ्तीकुम्
 बिज़ियाइन्, अ-फ़ला तस्-मअून (71)
 कुल् अ-रऐतुम् इन् ज-अलल्लाहु
 अ लै कुमुन्नहा-र सर्-मदन् इला
 यौमिल्-क़ियामति मन् इलाहुन्
 ग़ैरुल्लाहि यअ्तीकुम् बिलैलिन्
 तस्कुनू-न फ़ीहि, अ-फ़ला तुब्सिरुन
 (72) व मिर्रह्मतिही ज-अ-ल
 लकुमुल्लै-ल वन्नहा-र लितस्कुनू
 फ़ीहि व लि-तब्तगू मिन् फ़ज़िलही व
 लअल्लकुम् तश्कुस्न (73)

उसके सिवा, उसी की तारीफ़ है दुनिया
 और आख़िरत में और उसी के हाथ हुक्म
 है और उसी के पास फेरे जाओगे। (70)
 तू कह- देखो तो अगर अल्लाह रख दे
 तुम पर रात हमेशा को क़ियामत के दिन
 तक कौन हाकिम है अल्लाह के सिवाय
 कि लाये तुमको कहीं से रोशनी, फिर क्या
 तुम सुनते नहीं? (71) तू कह- देखो तो
 अगर रख दे अल्लाह तुम पर दिन हमेशा
 को क़ियामत के दिन तक कौन हाकिम है
 अल्लाह के सिवाय कि लाये तुमको रात
 जिसमें आराम करो, फिर क्या तुम नहीं
 देखते? (72) और अपनी मेहरबानी से
 बना दिये तुम्हारे वास्ते रात और दिन कि
 उसमें चैन भी करो और तलाश भी करो
 कुछ उसका फ़ज़ल, और ताकि तुम शुक्र
 करो। (73)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और आपका रब (कमाल की सिफ़ात में बेमिसाल और अकेला है, चुनाँचे वह) जिस चीज़ को
 चाहता है पैदा करता है (तो तकदीनी 'यानी बिना असबाब के पैदा करने के' इख़्तियारात भी उसी को
 हासिल हैं) और जिस हुक्म को चाहता है पसन्द करता है। (और नबियों के ज़रिये से नाज़िल फ़रमाता
 है, पस शरई और क़ानूनी इख़्तियारात भी उसी को हासिल हैं) उन लोगों को (अहक़ाम) तजवीज़ करने
 का कोई हक़ (हासिल) नहीं (कि जो हुक्म चाहें तजवीज़ कर लें, जैसे ये मुशिरक अपनी तरफ़ से शिरक
 को जायज़ तजवीज़ कर रहे हैं, और इस ख़ुसूसी इख़्तियार से साबित हुआ कि) अल्लाह तआला उनके
 शिरक से पाक और बरतर है। (क्योंकि जब बनाने और क़ानून जारी करने और मुख़्तार होने में वह
 अकेला और तन्हा है तो इबादत का भी तन्हा वही मुस्तहक़ है, क्योंकि माबूद होना सिर्फ़ उसका हक़
 है जो बनाने और क़ानून जारी करने के दोनों इख़्तियार रखता हो) और आपका रब (ऐसा कामिल
 इल्म रखता है कि वह) सब चीज़ों की ख़बर रखता है, जो इनके दिलों में पोशीदा रहता है और
 जिसको ये ज़ाहिर करते हैं (और किसी का ऐसा इल्म भी नहीं, इससे भी उसका तन्हा और अकेला

होना साबित हुआ) और (आगे इसकी वजाहत है कि) अल्लाह तआला वही (कामिल सिफ़ात वाला) है। उसके सिवा कोई माबूद (होने को काबिल) नहीं, तारीफ़ (और प्रशंसा) के लायक दुनिया और आखिरत में वही है (क्योंकि उसके इख़्तियारात और तसरूफ़ात दोनों आलम में ऐसे हैं जो उसके पूर्ण कमालात वाला और तारीफ़ का हक़दार होने पर गवाह व सुबूत हैं)।

और (उसके सल्लनत के इख़्तियारात ऐसे हैं कि) हुकूमत भी (क़ियामत में) उसी की होगी, और (उसकी ताकत और सल्लनत का फैलाव ऐसा है) कि तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे (यह नहीं कि बच जाओ या और कहीं जाकर पनाह ले लो, और उसकी क़ुदरत के इज़हार के लिये) आप (उन लोगों से) कहिये कि भला यह तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तआला तुम पर हमेशा के लिये क़ियामत तक रात ही रहने दे तो खुदा के सिवा वह कौन-सा माबूद है जो तुम्हारे लिये रोशनी को ले आये (यस क़ुदरत में भी वही अकेला है), तो क्या तुम (तौहीद की ऐसी साफ़ दलीलों को) सुनते नहीं। (और इसी क़ुदरत के इज़हार के लिये) आप (उनसे इसके उलट भी) कहिये कि भला यह तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तआला तुम पर हमेशा के लिये क़ियामत तक दिन ही रहने दे, तो खुदा तआला के सिवा वह कौन-सा माबूद है जो तुम्हारे लिये रात को ले आये, जिसमें तुम आराम पाओ। क्या तुम (इस क़ुदरत के गवाह को) देखते नहीं। (क़ुदरत में उसका अकेला और तन्हा होना भी इसको चाहता है कि माबूद होने में भी वही अकेला और तन्हा हो)। और (वह ऐसा नेमत देने वाला है कि) उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिये रात और दिन को बनाया, ताकि रात में आराम करो और ताकि दिन में उसकी सेज़ी तलाश करो, और ताकि (इन दोनों नेमतों पर) तुम (अल्लाह का) शुक्र करो (तो इनाम व एहसान में भी वही अकेला और तन्हा है, यह भी इसकी दलील है कि माबूद होने में भी वही अकेला और तन्हा हो)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

इस आयत का एक मफ़हूम (मतलब) तो वह है जो खुलासा-ए-तफ़सीर में लिया गया है कि यख़्तारु से मुराद अहकाम का इख़्तियार करना है कि हक़ तआला जबकि कायनात के पैदा करने में तन्हा व अकेला है, कोई उसका साझी नहीं तो अहकाम के जारी व नाफ़िज़ करने में भी अकेला व तन्हा है, जो चाहे अपनी मख़्लूक में हुक्म नाफ़िज़ फ़रमाये। खुलासा यह है कि जिस तरह कायनात के बनाने में अल्लाह तआला का कोई शरीक नहीं उसी तरह क़ानून लागू करने में भी कोई शरीक नहीं। और इसका एक दूसरा मतलब वह है जो इमाम बग़वी रह. ने अपनी तफ़सीर में और अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल-मआद के मुक़द्दिमे में बयान किया है कि इस इख़्तियार से मुराद यह है कि अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक में से जिसको चाहे अपने इकराम व इज़ज़त देने के लिये चुन लेते हैं, और बक़ौल इमाम बग़वी यह जवाब है मक्का के मुशिरकों के इस क़ौल का कि:

لَوْلَا نَزَلِ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ وَرَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبِيِّينَ عَظِيمٍ

यानी यह कुरआन अल्लाह को नाज़िल ही करना था तो अरब के दो बड़े शहरों मक्का और तायफ़ में से किसी बड़े आदमी पर नाज़िल फ़रमाता कि इसकी कद्र व इज़्ज़त पहचानी जाती, एक यतीम मिस्कीन पर नाज़िल फ़रमाने में क्या हिक्मत थी? इसके जवाब में फ़रमाया कि जिस मालिक ने तमाम मख़्लूक़ात को बग़ैर किसी शरीक की इमदाद के पैदा फ़रमाया है इख़्तियार भी उसी को हासिल है कि अपने किसी खास सम्मान के लिये अपनी मख़्लूक़ में से किसी को चुन ले, इसमें वह तुम्हारी तजवीज़ों का क्यों पाबन्द हो कि फुलॉँ इसका हक़दार है फुलॉँ नहीं।

एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर या एक शख्स को दूसरे पर फ़ज़ीलत का सही मेयार अल्लाह का इख़्तियार है

हाफ़िज़ इब्ने कय्यिम रह. ने इस आयत से एक अज़ीमुशान उसूल निकाला है कि दुनिया में जो एक जगह को दूसरी जगह पर या एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर फ़ज़ीलत दी जाती है यह उस चीज़ की मेहनत व अमल का नतीजा नहीं होता बल्कि वह डायरेक्ट ख़ालिके कायनात के चयन व इख़्तियार का नतीजा होता है। उसने सात आसमान पैदा किये उनमें से सबसे ऊपर वाले आसमान को दूसरों पर फ़ज़ीलत दे दी हालाँकि मादा सातों आसमानों का एक ही था, फिर उसने जन्नतुल-फ़िरदौस को दूसरी सब जन्नतों पर और जिब्रील व मीकाईल व इस्राफ़ील वग़ैरह खास फ़रिश्तों को दूसरे फ़रिश्तों पर और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को दूसरे सारे इनसानों पर और उनमें से बड़े रुतबे वाले रसूलों को दूसरे नबियों पर और अपने ख़लील इब्राहीम और हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दूसरे सब बड़े रुतबे वाले रसूलों पर, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को दूसरी सारी दुनिया के लोगों पर, फिर कुरैश को उन सब पर, और बनू हाशिम को सब कुरैश पर और तमाम इनसानेँ के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तमाम बनू हाशिम पर, फिर इसी तरह सहाबा किराम और उम्मत के दूसरे बुजुर्गों को दूसरों पर फ़ज़ीलत देना यह सब हक़ तआला जल्ल शानुहु के चयन व इख़्तियार का नतीजा है।

इसी तरह ज़मीन के बहुत से मक़ामात (जानों और जगहों) को दूसरे मक़ामात पर और बहुत से दिनों और रातों को दूसरे दिनों और सतों पर फ़ज़ीलत देना यह सब उसी इख़्तियार और अल्लाह के चयन का असर है। गुर्ज़ कि बेहतर व ज़्यादा होने या कम-दर्जे वाला होने का असल मेयार तमाम कायनात में यही चयन व इख़्तियार है, अफ़ज़ल होने का एक दूसरा सबब इनसानी आमाल और काम भी होते हैं। जो जिन मक़ामात में नेक आमाल किये जायें वो मक़ामात भी उन नेक आमाल या नेक बन्दों के रहने व ठहरने से बरकत वाले हो जाते हैं। यह फ़ज़ीलत कोशिश व इख़्तियार और नेक अमल से हासिल हो सकती है।

खुलासा यह है कि दुनिया में फ़ज़ीलत की बुनियाद दो चीज़ें हैं एक ग़ैर-इख़्तियारी है जो सिर्फ़ हक़ तआला का चुन लेना है, दूसरा इख़्तियारी जो नेक आमाल और अच्छे अख़्लाक़ से हासिल होता है। अल्लामा इब्ने कय्यिम रह. ने इस विषय पर बड़ा तफ़सीली कलाम किया है और आख़िर में सहाबा

किराम में से खुलफा-ए-राशिदीन का तमाम दूसरे सहाबा पर और खुलफा-ए-राशिदीन में सिद्दीक अकबर, उनके बाद उमर बिन खत्ताब, उनके बाद उस्मान गनी और उनके बाद हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरतीब को इन दोनों मेयारों से साबित किया है। हज़रत शाह अब्दुल-अजीज़ देहलवी रह. का भी एक मुस्तक़िल रिसाला फ़ारसी भाषा में इस विषय पर है जिसका उर्दू तर्जुमा अहकर ने 'बअज़ुस्सतफ़सील लि-मस्अलतित्तफ़ज़ील' के नाम से छाप दिया है और 'अहकामुल-कुरआन' सूर: कसस में भी इसको अरबी भाषा में तफ़सील से लिख दिया है। उलेमा हज़रत की दिलचस्पी की चीज़ है वहाँ मुताला फ़रमायें।

أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

इस आयत में हक़ तअ़ाला ने रात के साथ तो उसका एक फ़ायदा ज़िक्र फ़रमाया 'तस्कून-न-फ़ीहि' यानी रात में इनसान को सुकून मिलता है, इसके मुक़ाबले दिन के ज़िक्र में 'रोशनी' के साथ कोई फ़ायदा ज़िक्र नहीं फ़रमाया। सबब ज़ाहिर है कि दिन की रोशनी अपनी ज़ात में अफ़ज़ल है और अंधेरी से रोशनी का बेहतर होना मालूम व परिचित है। रोशनी के बेशुमार फ़ायदे इतने परिचित हैं कि उनके बयान की ज़रूरत नहीं, बख़िलाफ़ रात के कि वह जुल्मत और अंधेरी है जो अपनी ज़ात में कोई फ़ज़ीलत नहीं रखती बल्कि उसकी फ़ज़ीलत लोगों के सुकून व आराम के सबब से है, इसलिये उसको बयान फ़रमा दिया। और इसी लिये दिन के मामले का ज़िक्र करके आख़िर में फ़रमाया:

أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝

(तो क्या तुम सुनते नहीं?) और रात का मामला ज़िक्र करके फ़रमाया:

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

(फिर क्या तुम देखते नहीं?) इसमें यह इशारा हो सकता है कि दिन की फ़ज़ीलतें, बरकतें और उसके फ़ायदे व फल बेशुमार हैं जिनको पूरी तरह देखा नहीं जा सकता अलबत्ता सुने जा सकते हैं इसलिये 'अ-फ़ला तस्मऊन' फ़रमाया, क्योंकि इनसानी इल्म व ज्ञान का बड़ा ज़खीरा कानों ही के ज़रिये हासिल होता है, आँखों से देखी हुई चीज़ें हमेशा कानों से सुनी हुई चीज़ों से बहुत कम हुई हैं और रात के फ़ायदे दिन के मुक़ाबले में कम हैं, वो देखे भी जा सकते हैं इसलिये यहाँ "अ-फ़ला तुब्सिरून" का कलिमा इख़्तियार फ़रमाया। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۝ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

व यौ-म युनादीहिम् फ़-यकूलु	और जिस दिन उनको पुकारेगा तो
ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम्	फ़रमायेगा कहाँ हैं मेरे शरीक जिनका तुम

तज़्ज़ुमून (74) व न-ज़ज़ना मिन्
कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् फ-कुल्ला
हातू बुरहा-नकुम् फ-अलिमू
अन्नल्-हक्-क् लिल्लाहि व जल्-ल
अन्हुम् मा कानू यफ्तरून (75) ❀

दावा करते थे? (74) और अलग कर देंगे
हम हर फ़िर्के में से एक हालात बतलाने
वाला, फिर कहेंगे लाओ अपनी सनद, तब
जान लेंगे कि सच बात है अल्लाह की
और खोई जायेगी उनसे जो बातें वे
जोड़ते थे। (75) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जिस दिन अल्लाह तआला उनको पुकारकर फ़रमायेगा (ताकि सब लोग उनकी रुस्वाई सुन लें) कि जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे वे कहाँ गये। और (अगरचे हुज्जत पूरी करने के लिये खुद इसका इकरार काफी था मगर अधिक ताकीद के लिये उन पर गवाही भी कायम कर दी जायेगी इस तरह कि) हम हर उम्मत में से एक-एक गवाह (भी) निकाल लाएँगे, (मुराद इससे नबी हैं जो उनके कुफ़ की गवाही देंगे) फिर हम (उन मुशिरकों से) कहेंगे कि (अब) अपनी कोई दलील (शिरक के सही होने के दावे पर) पेश करो, सो (उस वक़्त) उनको (आँख से देखकर यकीनी तौर पर) मालूम हो जायेगा कि सच्ची बात खुदा ही की थी (जो नबियों के ज़रिये बतलाई गई थी और शिरक का दावा झूठा था) और (दुनिया में) जो कुछ बातें गढ़ा करते थे (आज) किसी का पता न रहेगा (क्योंकि हक के खुल जाने और सामने आने के लिये बातिल का गायब हो जाना लाज़िम है)।

फ़ायदा:- इससे पहली आयत में जो सवाल 'मा ज़ा अजब्तुमुल्-मुर्सलीन' में किया गया (यानी आयत नम्बर 65 में कहा गया कि तुमने पैग़ाम पहुँचाने वालों को क्या जवाब दिया था) उसमें काफ़िरों से नबियों को जवाब देने के बारे में पूछगछ थी और यहाँ खुद नबियों से गवाही दिलवाना मक़सद है, इसलिए सवाल को दोहराया नहीं गया।

إِنَّ قَارُونَ

كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۗ وَابْتَغَىٰ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ
اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ
عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۗ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

بَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
 الْأَرْضَ سَمَا كَانَتْ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُونَ ۝ مَنْ دُونِ اللَّهِ ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝
 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا كُحُفٌ بِمَا وَكُنَّا لَا نُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

इन्-न कारु-न का-न मिन् कौमि
 मूसा फ-बगा अलैहिम् व आतैनाहु
 मिनल्-कुनूजि मा इन्-न मफाति-हह
 ल-तनूउ बिल्अुस्बति उलिल्-कुव्वति,
 इज़् का-ल लहू कौमुहू ला तफरह
 इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्-फरिहीन
 (76) वब्तगि फीमा आताकल्लाहुद्-
 दारल्-आख़िर-त व ला तन्-स
 नसी-ब-क मिनद्दुन्या व अहिसन्
 कमा अहस-नल्लाहु इलै-क व ला
 तब्ज़िल्-फसा-द फिल्अर्जि, इन्नल्ला-ह
 ला युहिब्बुल्-मुफिसदीन (77) का-ल
 इन्नमा ऊतीतुहू अला अिल्मिन्
 अिन्दी, अ-व लम् यज़ल्म् अन्नल्ला-ह
 कद् अहल-क मिन् कबिलही मिनल्-
 कुरुनि मन् हु-व अशद्दु मिन्हु
 कुव्वतं-व अक्सरु जम्अन्, व ला
 युस्अलु अन् जुनूबिहिमुल्-मुज़िमून
 (78) फ-ख़-र-ज अला कौमिही फी

कारुन जो था सो मूसा की कौम से फिर
 शरारत करने लगा उन पर और हम ने
 दिये थे उसको ख़जाने इतने कि उसकी
 चाबियाँ उठाने से थक जाते कई ताक़वर
 मर्द, जब कहा उसको उसकी कौम ने इतरा
 मत अल्लाह को नहीं भाते इतराने वाले।
 (76) और जो तुझको अल्लाह ने दिया है
 उससे कमा ले पिछला घर और न भूल
 अपना हिस्सा दुनिया से, और भलाई कर
 जैसे अल्लाह ने भलाई की तुझसे और
 मत चाह ख़राबी डालनी मुल्क में, अल्लाह
 को भाते नहीं ख़राबी डालने वाले। (77)
 बोला यह माल तो मुझको मिला है एक
 हुनर से जो मेरे पास है, क्या उसने यह
 न जाना कि अल्लाह ग़ारत कर चुका है
 उससे पहले कितनी जमाअतें जो उससे
 ज़्यादा रखती थीं ज़ोर और ज़्यादा रखती
 थीं माल की जमा, और पूछे न जायें
 गुनाहगारों से उनके गुनाह। (78) फिर
 निकला अपनी कौम के सामने अपने ठाठ

जी-नतिही, कालल्लजी-न युरीदूनल्-
 हयातद्दुन्या या लै-त लना मिस-ल
 मा ऊति-य कारुनु इन्नहू लजू
 हज्जिन् अजीम (79) व कालल्लजी-न
 ऊतुल्-अिल्-म वैलकुम् सवाबुल्लाहि
 खौरुल्-लिमन् आम-न व अमि-ल
 सालिहन् व ता युलक्काहा इल्लस्-
 साबिरुन (80) फ-खसफना बिही व
 बिदारिहित्-अर्-ज़, फ़मा का-न लहू
 मिन् फि-अतिंय-यन्सुरूनहू मिन्
 दूनिल्लाहि, व मा का-न मिनल्-
 मुन्तसिरीन (81) व अस्बहल्लजी-न
 तमन्नौ मकानहू बिल्अमिस यकूलू-न
 वै-क-अन्नल्ला-ह यब्सुतुर-रिज़्-क
 लिमंय्यशा-उ मिन् अिबादिही व
 यक्दिरु लौ ला अम्-मन्नल्लाहु अलैना
 ल-ख-स-फ़ बिना, वै-क-अन्नहू ला
 युफिलहुल्-काफिरुन (82) ❀

से, कहने लगे जो लोग तालिब थे दुनिया
 की जिन्दगी के ऐ काश! हमको मिले जैसा
 कुछ मिला है कारुन को, बेशक उसकी
 बड़ी किस्मत है। (79) और बोले जिनको
 मिली थी समझ ऐ ख़राबी तुम्हारी, अल्लाह
 का दिया सवाब बेहतर है उनके वास्ते जो
 यकीन लाये और काम किया भला और
 यह बात उन्हीं के दिल में पड़ती है जो
 सहने वाले हैं। (80) फिर धंसा दिया हमने
 उसको और उसके घर को ज़मीन में, फिर
 न हुई उसकी कोई जमाअत जो मदद
 करती उसकी अल्लाह के सिवाय और न
 वह खुद मदद ला सका। (81) और फ़जर
 को लगे कहने जो कल शाम आरजू करते
 थे उसके जैसा दर्जा, अरे ख़राबी यह तो
 अल्लाह खोल देता है रोज़ी जिसको चाहे
 अपने बन्दों में और तंग कर देता है, अगर
 न एहसान करता हम पर अल्लाह तो
 हमको भी धंसा देता, ऐ ख़राबी यह तो
 छुटकारा नहीं पाते इनकारी। (82) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

कारुन (का हाल देख लो कि कुफ़ व खिलाफ़ करने से उसको क्या नुक़सान पहुँचा और उसका
 माल व सामान कुछ काम न आया बल्कि उसके साथ उसका माल व सामान भी बरबाद हो गया,
 उसका मुख़्तसर किस्सा यह है कि वह) मूसा (अलैहिस्सलाम) की बिरादरी में (यानी बनी इस्राईल में से
 बल्कि उनका चचाज़ाद भाई) था, (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) सो वह (माल की ज्यादती की वजह से)
 उन लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करने लगा और (माल की उसके पास यह अधिकता थी कि) हमने
 उसको इस कदर ख़जाने दिये थे कि उनकी चाबियाँ कई-कई ताक़तवर शख्सों को बोज़ल कर देती थीं
 (यानी उनसे परेशानी व तकल्लुफ़ के साथ उठती थीं, तो जब चाबियाँ इतनी ज्यादा थीं तो जाहिर है

कि खजाने बहुत ही होंगे। और यह तकबुर उस वक़्त किया था) जबकि उसको उसकी बिरादरी ने (समझाने के तौर पर) कहा कि तू (इस माल व शान पर) इतरा मत, वाक़ई अल्लाह तआला इतराने वालों को पसन्द नहीं करता। और (यह भी कहा कि) तुझको खुदा ने जितना दे रखा है उसमें आखिरत के धर की भी जुस्तजू किया कर, और दुनिया से अपना हिस्सा (आखिरत में ले जाना) मत भूल, और (जुस्तजू करने और न भूलने का मतलब यह है कि) जिस तरह खुदा तआला ने तेरे साथ एहसान किया तू भी (बन्दों के साथ) एहसान किया कर। और (खुदा की नाफ़रमानी और वाजिब हुकूक को ज़ाया करके) दुनिया में फ़साद का इच्छुक मत हो, (यानी गुनाह करने से दुनिया में फ़साद होता है जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

खास तौर पर ऐसे गुनाहों से जिनका असर दूसरों तक पहुँचे) बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसन्द नहीं करता। (ये सब नसीहत मुसलमानों की तरफ़ से हुई ग़ालिबन शुरू में वे मज़ामीन मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाये होंगे फिर इनको दोहराया दूसरे मुसलमानों ने होगा) कारून (यह सुनकर) कहने लगा कि मुझको तो यह सब कुछ मेरी ज़ाती हुनर मन्दी "यानी कमाल और योग्यता" से मिला है (यानी मैं दौलत कमाने के अनेक तरीके अच्छी तरह जानता हूँ उनसे मैंने यह सब जमा किया है, फिर मेरा बड़ाई जताना और अपने माल पर फ़ख़र करना बेजा नहीं, और न इसको ग़ैबी एहसान कहा जा सकता है और न किसी का इसमें कुछ हक़-हिस्सा हो सकता है। आगे अल्लाह तआला उसके इस कौल को रद्द फ़रमाते हैं कि) क्या उस (कारून) ने (निरंतर ख़बरों से) यह न जाना कि अल्लाह तआला उससे पहले पिछली उम्मतों में ऐसे-ऐसों को हलाक कर चुका है जो (माली) ताक़त में (भी) उससे कहीं बढ़े हुए थे और मजमा (भी उससे) उनका ज़्यादा था। और (सिर्फ़ यही नहीं कि बस हलाक होकर छूट गये हों बल्कि उनके कुफ़ व नाफ़रमानी का जुर्म करने और अल्लाह तआला को यह जुर्म मालूम होने के सबब फ़ियामत में भी अज़ाब का शिकार होंगे जैसा कि वहाँ का कायदा है कि) मुजरिमों से उनके गुनाहों का (तहकीक़ करने की गर्ज़ से) सवाल न करना पड़ेगा (क्योंकि अल्लाह तआला को यह सब मालूम है, यह अलग बात है डाँट-फटकार के लिये सवाल हो, जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है 'ल-नस्अलन्नहुम् अज्मईन' (कि हम उन सबसे पूछगछ करेंगे)।

मतलब यह कि अगर कारून इस मज़मून पर नज़र करता तो ऐसी जहालत की बात न कहता क्योंकि पिछली कौमों के अज़ाब के हालात से अल्लाह तआला की कामिल कुदरत और आखिरत की पकड़ से उसी का अहक़मुल-हाकिमीन (तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम) होना ज़ाहिर है, फिर किसी को क्या हक़ है कि अल्लाह की नेमत को अपनी हुनरमन्दी का नतीजा बतलाये और वाजिब हुकूक से इनकार करे)।

फिर (एक बार ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि) वह अपने ठाठ (और शान) से अपनी बिरादरी के सामने निकला। जो लोग (उसकी बिरादरी में) दुनिया के तालिब थे (अगरचे मोमिन हों जैसा कि उनके अगले कौल 'वैकअन्नल्ला-ह यब्सुतु.....' से ज़ाहिरन मालूम होता है वे लोग) कहने लगे, क्या ख़ूब होता कि हमको भी वह साजो-सामान मिला होता जैसा कि कारून को मिला है। वाक़ई वह बड़ा नसीब

वाला है। (यह तमन्ना लालच व हिर्स की थी, इससे काफ़िर होना लाज़िम नहीं आता, जैसा कि अब भी बाजे आदमी मुसलमान होने के बावजूद रात-दिन दूसरी कौमों की तरक्कियाँ देखकर ललचाते हैं और इसकी फ़िक्र में लगे रहते हैं) और जिन लोगों को (दीन की) समझ अता हुई थी वे (उन लालचियों से) कहने लगे, अरे तुम्हारा नास हो (तुम इस दुनिया पर क्या ललचाते हो) अल्लाह के घर का सवाब (इस दुनिया की शान-शौकत से) हज़ार दर्जे बेहतर है, जो ऐसे शख्स को मिलता है कि ईमान लाये और नेक अमल करे, और (फिर ईमान और नेक अमल वालों में से भी) वह (सवाब पूरे तौर पर) उन्हीं को दिया जाता है जो (दुनिया की हिर्स व लालच से) सब्र करने वाले हैं (बस तुम लोग ईमान को मुकम्मल करने और नेक आमाल को हासिल करने में लगे और शरीअत की हद के अन्दर दुनिया हासिल करके ज़्यादा की हिर्स व लालच से सब्र करो)।

फिर हमने उस कारून को और उसके महल सराये को (उसकी शरारत बढ़ जाने से) ज़मीन में धंसा दिया, सो कोई ऐसी जमाअत न हुई जो उसको अल्लाह (के अज़ाब) से बचा लेती (अगरचे वह बड़ी जमाअत वाला था), और न वह खुद ही अपने को बचा सका। और कल (यानी पिछले करीबी ज़माने में) जो लोग उस जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे वे (आज उसको ज़मीन में धंसा देखकर) कहने लगे, बस जी यूँ मालूम होता है कि (रिज़्क की अधिकता और तंगी का मदार खुशनसीबी या बदनसीबी पर नहीं है बल्कि यह तो अल्लाह के फैसले की हिक्मत से अल्लाह ही के कब्जे में है, बस) अल्लाह तआला अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और (जिसको चाहे) तंगी से देने लगता है। (यह हमारी ग़लती थी कि उसको खुशनसीब समझते थे, हमारी तौबा है और वाकई) अगर हम पर अल्लाह तआला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धंसा देता (क्योंकि लालच और दुनिया की मुहब्बत का गुनाह करने के हम भी मुजरिम हुए थे) बस जी मालूम हुआ कि काफ़िरों को कामयाबी नहीं होती (अगरचे चन्द दिन मजे लूट लें मगर अन्जाम फिर नाकामी है, बस असल कामयाबी व फ़लाह तो ईमान वालों ही के साथ मख़सूस है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: कसस के शुरू से यहाँ तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वह किस्सा बयान हुआ था जो उनको फिरऔन और आले फिरऔन के साथ पेश आया। यहाँ उनका दूसरा किस्सा बयान होता है जो अपनी बिरादरी के आदमी कारून के साथ पेश आया और संबन्ध इसका पहले की आयतों से यह है कि पिछली आयत में यह इरशाद हुआ था कि दुनिया की दौलत व माल जो तुम्हें दिया जाता है वह चन्द दिन का सामान है, इसकी मुहब्बत में लग जाना समझदारी नहीं।

وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا..... الآية

कारून के किस्से में यह बतलाया गया कि उसने माल व दौलत हासिल होने के बाद इस नसीहत को भुला दिया, उसके नशे में मस्त होकर अल्लाह तआला की नाशुक्री भी की और माल पर जो ज़रूरी हुक्क अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ हैं उनकी अदायेगी से इनकारी भी हो गया, जिसके

नतीजे में वह अपने खज़ानों समेत ज़मीन के अन्दर धंसा दिया गया।

कारून एक गैर-अरबी लफ़्ज़ ग़ालिबन इबरानी भाषा का है, इसके बारे में इतनी बात तो खुद कुरआनी अलफ़ाज़ से साबित है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी बनी इस्राईल ही में से था, बाकी यह कि इसका रिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या था इसमें विभिन्न अक़वाल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई करार दिया है और भी कुछ अक़वाल हैं। (कुर्तुबी व रूहुल-मअ़ानी)

तफ़सीर रूहुल-मअ़ानी में मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत से नक़ल किया है कि कारून तौरात का हाफ़िज़ था और दूसरे बनी इस्राईल से ज़्यादा उसको तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफ़ि़क़ साबित हुआ और उसकी मुनाफ़क़त का सबब दुनिया के रुतबे व इज़्ज़त की बेजा हिर्स थी। पूरे बनी इस्राईल की सरदारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हारून उनके वज़ीर और नुबुव्वत में शरीक थे, इसको यह हसद हुआ कि मैं भी तो उनकी बिरादरी का भाई और करीबी रिश्तेदार हूँ मेरा इस सरदारी व नेतृत्व में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चुनाँचे मूसा अलैहिस्सलाम से इसकी शिकायत की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह जो कुछ है वह अल्लाह तआला की तरफ़ से है मेरा इसमें कुछ दख़ल नहीं, मगर वह इस पर मुत्मईन न हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद (इर्ष्या और जलन) रखने लगा।

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ

लफ़्ज़ बगा कई मायनों के लिये आता है। मशहूर मायने जुल्म के हैं, यहाँ यह मायने भी मुराद हो सकते हैं कि उसने अपने माल व दौलत के नशे में दूसरों पर जुल्म करना शुरू किया। यहया बिन सलाम और सईद बिन मुसैयब रह. ने फ़रमाया कि कारून सरमायेदार आदमी था, फिरअौन की तरफ़ से बनी इस्राईल की निगरानी पर मामूर था, सरदारी के इस ओहदे में उसने बनी इस्राईल को सताया।

(तफ़सीरे कुर्तुबी)

और दूसरे मायने तकब्बुर के भी आते हैं। बहुत से मुफ़त्सिरीन ने इस जगह यही मायने करार दिये हैं कि उसने माल व दौलत के नशे में बनी इस्राईल पर तकब्बुर शुरू किया और उनको हकीर व जलील करार दिया।

وَأْتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ

कुनूज़ कन्ज़ की जमा (बहुवचन) है, गड़े हुए खज़ाने को कहा जाता है और शरीअत की परिभाषा में कन्ज़ वह खज़ाना है जिसकी ज़कात न दी गई हो। हज़रत अ़ता से रिवायत है कि उसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक अज़ीमुश्शान गड़ा हुआ खज़ाना मिल गया था। (रूहुल-मअ़ानी)

لَتَوَّابًا بِالْعَصَبَةِ

ना-अ का लफ़्ज़ बोझ से झुका देने के मायने में आता है और अ़स्बा के मायने जमाअत के हैं। मायने यह हैं कि उसके खज़ाने इतने ज़्यादा थे कि उनकी चाबियाँ इतनी तादाद में थीं कि एक ताक़तवर जमाअत भी उनको उठाये तो बोझ से झुक जाये। और ज़ाहिर है कि तालों की चाबियाँ

बहुत हल्के वज़न की रखी जाती हैं जिनका उठाना और पास रखना मुश्किल न हो, मगर उनकी ज्यादा संख्या होने के सबब वो इतनी हो गई थीं कि उनका वज़न एक ताक़तवर जमाअत भी आसानी से न उठा सके। (रुहुल-मआनी)

لَا تَفْرَحْ

ला तफ़रह। फ़रह के लफ़्ज़ी मायने उस खुशी के हैं जो इनसान को किसी जल्दी हासिल होने वाली लज़्ज़त के सबब मिले। कुरआने करीम ने बहुत सी आयतों में फ़रह को बुरा करार दिया है जैसा कि एक इसी आयत में है:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝

एक और आयत में है:

لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

और एक आयत में है:

فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

और कुछ आयतों में फ़रह की इजाज़त बल्कि एक तरह का हुक्म भी बयान हुआ है जैसे:

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

में, और आयत:

فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

में इरशाद हुआ है। इन सब आयतों के मजमूए से यह साबित होता है कि बुरी और ममनू (यानी जिससे रोका गया है) वह फ़रह (खुश होना) है जो इतराने और तकब्बुर करने की हद तक पहुँच जाये और वह तभी हो सकता है कि उस लज़्ज़त व खुशी को वह अपना ज़ाती कमाल और ज़ाती हक़ समझे, अल्लाह तआला का इनाम व एहसान न समझे। और जो खुशी इस हद तक न पहुँचे वह ममनू नहीं बल्कि एक हैसियत से मतलूब है कि अल्लाह तआला की नेमत की शुक्रगुज़ारी है।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

यानी मुसलमानों ने कारून को यह नसीहत की कि अल्लाह तआला ने जो माल व दौलत तुझे अता फ़रमाया है उसके ज़रिये आख़िरत का सामान तैयार कर, और दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको न भूल।

दुनिया का हिस्सा क्या है इसकी तफ़्सीर अक्सर मुफ़स्सरीन ने यह की है कि इससे मुराद दुनिया की उम्र और उसमें किये हुए वो आमाल हैं जो उसको आख़िरत में काम आयें, जिसमें सदफ़ा ख़ैरात भी दाख़िल है और दूसरे नेक आमाल भी। हज़रत इब्ने अब्बास और मुफ़स्सरीन की अक्सरियत से यही मायने मन्कूल हैं। (जैसा कि तफ़्सीरे कुर्तुबी में है) इस सूरत में दूसरा जुमला पहले जुमले की ताकीद व ताईद होगा। पहले जुमले में जो कहा गया कि जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है यानी माल व दौलत और उम्र व ताक़त और सेहत वग़ैरह इन सब से वह काम ले जो आख़िरत के जहान में तेरे

काम आये, और दर हकीकत दुनिया का यही हिस्सा तेरा है जो आखिरत का सामान बन जाये, बाकी दुनिया तो दूसरे वारिसों का हिस्सा है। और कुछ मुफ़्स्सरीन ने फ़रमाया कि दूसरे जुमले का मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे अपनी आखिरत का सामान भी करो मगर अपनी दुनियावी ज़रूरतों को भी न भुलाओ कि तमाम और सब कुछ सदका ख़ैरात करके कंगाल बन जाओ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ अपने लिये भी रखो। इस तफ़्सीर पर दुनिया के हिस्से से मुराद उसकी आर्थिक ज़रूरतें होंगी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

إِنَّمَا أُوتِيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

कुछ मुफ़्स्सरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) ने फ़रमाया कि यहाँ इल्म से मुराद तौरात का इल्म है जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि कारून तौरात का हाफ़िज़ और आलिम था और उन सत्तर हज़ारात में से था जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर लेजाने के लिये चुना था मगर उसको अपने उस इल्म पर नाज़ व गुरूर पैदा हो गया, उसको अपना ज़ाती कमाल समझ बैठा और उसके इस कलाम का मतलब यही था कि मुझे जो कुछ माल व दौलत मिला है मेरे अपने ज़ाती इल्मी कमाल के सबब मिला है, इसलिये मैं इसका खुद हक़दार हूँ इसमें मुझ पर किसी का एहसान नहीं। मगर ज़ाहिर यह है कि यहाँ इल्म से मुराद दौलत कमाने की तदबीरों का इल्म है जैसे व्यापार व उद्योग वगैरह का जिनसे माल हासिल होता है, और मतलब यह है कि जो माल मुझे हासिल हुआ है उसमें अल्लाह तआला के एहसान का क्या दख़ल है, यह तो मैंने अपनी होशियारी और मेहनत के ज़रिये हासिल किया है, और ज़ाहिल ने यह न समझा कि यह होशियारी व कारगुज़ारी और हुनरमन्दी या व्यापार का तजुर्बा और इल्म भी तो अल्लाह तआला ही का दिया हुआ था, उसका कोई ज़ाती कमाल न था।

أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

कारून के इस कौल का कि मेरा माल व दौलत मेरे ज़ाती इल्म व हुनर से हासिल किया हुआ है असल जवाब तो वह था जो ऊपर लिखा गया है कि अगर यही मान लिया जाये कि उसका सबब कोई खास इल्म व हुनर था तो भी अल्लाह तआला के एहसान से कैसे बरी हुआ? क्योंकि वह इल्म व हुनर और कमाने की कुव्वत भी तो अल्लाह तआला ही की बख़्शी हुई है, मगर चूँकि यह आम और आसानी से समझ में आने वाली बात है इसलिये इसको नज़र-अन्दाज़ करके कुरआन ने यह बतलाया कि यह माल व दौलत फ़र्ज करो कि उसको अपने ही ज़ाती कमाल से हासिल हुआ हो मगर खुद उस माल व दौलत की कोई हकीकत नहीं, माल की अधिकता किसी इन्सान के लिये न कोई कमाल और फ़ज़ीलत है और न वह हर हाल में उसके काम आता है, इसके सबूत में पिछली उम्मतों के बड़े सरमायेदारों की मिसाल पेश फ़रमाई कि जब उन्होंने नाफ़रमानी की तो अल्लाह तआला के अज़ाब ने उनको अचानक पकड़ लिया, माल व दौलत उनके कुछ भी काम न आया।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ..... الآية

इस आयत में 'अल्लज़ी-न ऊनुल्-इल्-म' यानी उलेमा का मुक़ाबला 'अल्लज़ी-न युरीदूनल् हयातद्दुन्या' से किया गया है, जिसमें स्पष्ट इशारा इस तरफ़ है कि दुनिया के माल व दौलत का

इरादा और इसको मक़सद बनाना इल्म वालों का काम नहीं, इल्म वालों की नज़र हमेशा आख़िरत के हमेशा वाले फ़ायदे पर रहती है, दुनिया के माल व असबाब और फ़ायदे को ज़रूरत के मुताबिक़ हासिल करते हैं और उसी पर क़नाअत (सब्र) करते हैं।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي

الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، وَمَنْ

جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

तिल्कद्-दारुल्-आख़ि-रतु नज़्अलुहा
लिल्लज़ी-न ला युरीदू-न अलुत्त्वन्
फ़िल्अर्ज़ि व ला फ़सादन्, वल्-
आकि-बतु लिल्-मुत्तकीन (83) मन्
जा-अ बिल्ह-स-नति फ़-लहू ख़ैरुम्-
मिन्हा व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति
फ़ ला युज़्ज़ल्लज़ी-न अमिलुस्-
सय्यिआति इल्ला मा कानू
यज़्मलून (84)

वह घर पिछला है हम देंगे वह उन लोगों को जो नहीं चाहते अपनी बड़ाई मुल्क में और न बिगाड़ डालना, और आकिबत (नतीजा और अन्जाम) भली है डरने वालों की। (83) जो लेकर आया भलाई उसको मिलना है उससे बेहतर और जो कोई लेकर आया बुराई सो बुराईयाँ करने वाले उनको वही सज़ा मिलेगी जो कुछ वे करते थे। (84)

खुलासा-ए-तफ़सीर

यह आख़िरत का जहान (जिसके सवाब का असल मक़सद होना ऊपर 'सवाबुल्लाहि ख़ैरुन्' में बयान हुआ है) हम उन्हीं लोगों के लिये ख़ास करते हैं जो दुनिया में न बड़ा बनना चाहते हैं और न फ़साद करना (यानी न तकब्बुर करते हैं जो अन्दरूनी गुनाह है, और न कोई ज़ाहिरी गुनाह ऐसा करते हैं जिससे ज़मीन में फ़साद बरपा हो, और सिर्फ़ इन अन्दरूनी और ज़ाहिरी बुराईयों से बचना काफी नहीं बल्कि) नेक नतीजा मुत्तकी लोगों को मिलता है (जो बुराईयों से बचने के साथ नेक आमाल के भी पाबन्द हों। और आमाल पर जज़ा व सज़ा की कैफ़ियत यह होगी कि) जो शख्स (क़ियामत के दिन) नेकी लेकर आयेगा उसको उस (नेकी की वजह) से बेहतर (बदला) मिलेगा, (क्योंकि नेक अमल का असल तकाज़ा तो यह है कि उसकी हैसियत के मुवाफ़िक़ बदला मिले मगर वहाँ उससे ज़्यादा दिया जायेगा, जिसका कम से कम दर्जा उसकी हैसियत से दस गुना है) और जो शख्स बुराई लेकर आयेगा तो ऐसे लोगों को जो कि बुराई के काम करते हैं उतना ही बदला मिलेगा जितना वे करते थे (यानी उसके तकाज़े से ज़्यादा बदला सज़ा का न मिलेगा)।

मअरिफ व मसाईल

لِّلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

इस आयत में आखिरत के घर की निजात व कामयाबी को सिर्फ उन लोगों के लिये मख्सूस फरमाया गया है जो ज़मीन में तकब्बुर और फसाद का इरादा न करें। यानी अपने आपको दूसरों से बड़ा बनाने और दूसरों को हंकीर करने की फिक्र। और फसाद से मुराद लोगों पर जुल्म करना है। (सुफियान सौरी) और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि हर नाफ़रमानी व गुनाह ज़मीन में फसाद फैलाना है, क्योंकि गुनाह के वबाल से दुनिया की बरकत में कमी आती है। इस आयत से मालूम हुआ कि जो लोग तकब्बुर और जुल्म का या किसी भी नाफ़रमानी का इरादा करें उनका आखिरत में हिस्सा नहीं।

फायदा:- तकब्बुर जिसका हराम होना और वबाल इस आयत में जिक्र किया गया वह वही है कि लोगों पर बड़ाई जताने और उनका अपमान करना (अपने से कमतर जानना) मकसूद हो वरना अपने लिये अच्छे लिबास अच्छी गिज़ा अच्छे मकान का इन्तिज़ाम जब वह दूसरों के सामने इतराने के लिये न हो बुरा नहीं जैसा कि सही मुस्लिम की एक हदीस में इसकी वज़ाहत है।

गुनाह का पक्का इरादा भी गुनाह है

इस आयत में घमंड और फसाद के इरादे पर आखिरत के जहान से मेहरूम होने की वईद (वायदा व धमकी) है, इससे मालूम हुआ कि किसी मासियत (नाफ़रमानी और गुनाह) का पुख़्ता इरादा जो मज़बूत इरादे के दर्जे में आ जाये वह भी नाफ़रमानी ही है। (जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मअानी में है) अलबत्ता अगर फिर वह खुदा के ख़ौफ़ से उस इरादे को छोड़ दे तो गुनाह की जगह सवाब उसके नामा-ए-आमाल में दर्ज होता है, और अगर किसी गैर-इख़्तियारी सबब से उस गुनाह पर कुदरत न हुई और अमल न किया मगर अपनी कोशिश गुनाह के लिये पूरी की तो वह भी नाफ़रमानी और गुनाह लिखा जायेगा। (जैसा कि इमाम गज़ाली रह. ने फरमाया है)

आयत के आखिर में फरमाया 'वल्-अकि-बतु लिल्मुत्तकीन' इसका हासिल यह है कि आखिरत की निजात और फ़लाह (कामयाबी) के लिये दो चीज़ों तकब्बुर और फसाद से बचना भी लाज़िम है और तक़वा यानी नेक आमाल की पाबन्दी भी, सिर्फ़ इन दो चीज़ों से परहेज़ कर लेना काफी नहीं बल्कि जो आमाल शरीअत के हिसाब से फ़र्ज़ व वाजिब हैं उन पर अमल करना भी आखिरत की निजात के लिये शर्त है।

إِنَّ الذِّمَّةَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدِكَ إِلَيَّ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي

أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَمَا كُنْتُ تَرْجُوَ أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ

الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ

إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشُّرَكِيِّينَ ۗ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ

وقف لازم
القلوب

इन्नल्लजी फ़-र-ज़ अलैकल्-कुरआ-न
ल-राद्दु-क इला मआदिन्, कुरब्बी
अज़्लमु मन् जा-अ बिल्हुदा व मन्
हु-व फी ज़लालिम्-मुबीन (85) व
मा कुन्-त तरजू अय्युल्का इलैकल्-
किताबु इल्ला रहमतम्-मिरब्बि-क
फ़ला तकूनन्-न ज़हीरल् लिल्-
काफ़ीरीन (86) व ला यसुद्दुन्न-क
अन् आयातिल्लाहि बज़्-द इज़्
उन्ज़िलत् इलै-क वद्अु इला रब्बि-क
व ला तकूनन्-न मिनल्-मुशिरकीन
(87) व ला तद्अु मज़ल्लाहि इलाहन्
आ-ख़-र। ला इला-ह इल्ला हु-व,
कुल्लु शैइन् हालिकुन् इल्ला
वज़्-हह्, लहुल्-हुक्मु व इलैहि
तुर्जअून (88) ● ▲

जिसने हुक्म भेजा तुझ पर कुरआन का
वह फेर लाने वाला है तुझको पिछली
जगह, तू कह मेरा रब ख़ूब जानता है
कौन लाया है राह की सूझ और कौन
पड़ा है खुली गुमराही में। (85) और तू
तो उम्मीद न रखता था कि उतारी जाये
तुझ पर किताब मगर मेहरबानी से तेरे
रब की, सो तू मत हो मददगार काफ़िरो
का। (86) और न हो कि वे तुझको रोक
दें अल्लाह के हुक्मों से इसके बाद कि
उतर चुके तेरी तरफ़ और बुला अपने रब
की तरफ़ और मत हो शरीक वालों में।
(87) और मत पुकार अल्लाह के सिवाय
दूसरा हाकिम, किसी की बन्दगी नहीं उसके
सिवा, हर चीज़ फ़ना है मगर उसका मुँह,
उसी का हुक्म है और उसी की तरफ़
फिर जाओगे। (88) ● ▲

खुलासा-ए-तफ़सीर

(और आपके इन मुख़ालफ़ों ने जो आपको परेशान करके वतन छोड़ने पर मजबूर किया है जिस से मजबूरी में जुदा होने का आपको सदमा है तो आप तसल्ली रखें) जिस खुदा ने आप पर कुरआन (के अहकाम पर अमल और उसकी तब्लीग़) को फ़र्ज़ किया है (जो कुल मिलाकर दलील है आपकी नुबुव्वत की) वह आपको (आपके) असली वतन (यानी मक्का शरीफ़) में फिर पहुँचायेगा (और उस वक्त आप आज़ाद और ग़ालिब और हुक्मत के मालिक होंगे, और ऐसी हालत में अगर दूसरी जगह रहने के लिये तजवीज़ की जाती है तो मस्तेहत और इख़्तियार से होती है जिस से रंज नहीं होता, और

बावजूद आपकी नुबुव्वत के वाज़ेह होने के जो ये लोग आपको गुलती पर और अपने को हक पर समझते हैं तो) आप (इनसे) फरमा दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है कि कौन सच्चा दीन लेकर (अल्लाह की तरफ से) आया है और कौन खुली गुमराही में (मुब्तला) है। (यानी मेरे हक पर होने और तुम्हारे बातिल पर होने की नाक़ाबिले इनकार दलीलें मौजूद हैं मगर जब उनसे काम नहीं लेते तो आखिरी जवाब यही है कि ख़ैर! खुदा को मालूम है वह बतला देगा) और (आपकी यह नुबुव्वत की दौलत सिर्फ़ खुदा की इनायत है यहाँ तक कि खुद) आपको (अपने नबी होने से पहले) यह उम्मीद न थी कि आप पर यह किताब नाज़िल की जायेगी, मगर सिर्फ़ आपके रब की मेहरबानी से इसका उतरना हुआ, सो आप (उन लोगों की खुराफ़ात की तरफ़ तवज्जोह न कीजिए और जिस तरह अब तक उनसे अलग-थलग रहे आगे भी इसी तरह) उन काफ़िरों की ज़रा भी ताईद न कीजिए, और जब अल्लाह के अहक़ाम आप पर नाज़िल हो चुके तो ऐसा न होने पाये (जैसा अब तक भी नहीं होने पाया) कि ये लोग आपको उन अहक़ाम से रोक दें, और आप (बदस्तूर) अपने रब (के दीन) की तरफ़ (लोगों को) बुलाते रहिये, और (जिस तरह अब तक मुशिरकों से कोई ताल्लुक नहीं रहा उसी तरह आगे हमेशा) उन मुशिरकों में शामिल न होईये। और (जिस तरह अब तक आप शिर्क से पाक और महफूज़ हैं उसी तरह आगे भी) अल्लाह तआला के साथ किसी माबूद को न पुकारना, (इन आयतों में काफ़िरों व मुशिरकों को उनकी दरख्वास्तों से नाउम्मीद करना है और बात का रुख़ उन्हीं की तरफ़ है कि तुम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दीन में मुवाफ़िक़ होने की दरख्वास्त करते हो इसमें कामयाबी की कभी भी कोई गुंजाईश नहीं, मगर आदत है कि जिस शख्स पर ज़्यादा गुस्सा होता है उससे बात नहीं किया करते, अपने महबूब से बातें करके उस शख्स को सुनाया करते हैं।

‘मआलिम’ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि यह ख़िताब सिर्फ़ ज़ाहिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है और मक़सद आप नहीं। यहाँ तक रिसालत के मुताल्लिक़ मज़मून मुख्य रूप से था, अगरचे तौहीद का भी इसके ताबे होकर आ गया, आगे तौहीद का मज़मून मुख्य रूप से है कि) उसके सिवा कोई माबूद (होने के काबिल) नहीं, (इसलिये कि) सब चीज़ें फना होने वाली हैं सिवाय उसकी ज़ात के, (पस उसके सिवा कोई इबादत का हक़दार न ठहरा। यह मज़मून तौहीद का हो गया, आगे आख़िरत का मज़मून है कि) उसी की हुकूमत है (जिसका मुकम्मल ज़हूर कियामत में है) और उसी के पास तुम सब को जाना है (पस सब को उनके किये का बदला देगा। यह आख़िरत का मज़मून भी ख़त्म हो गया)।

मआरिफ़ व मसाईल

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

सूरत के आख़िर में ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली और अपनी रिसालत व नुबुव्वत की जिम्मेदारी पर पूरी तरह कायम रहने की ताकीद के लिये हैं, और इससे पहले की आयतों से इनका ताल्लुक व जोड़ यह है कि इस सूरत में अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली किस्ता फिरऔन और उसकी कौम की दुश्मनी और उससे ख़ौफ़ का, फिर

अपने फज़ल से उनको फिरऔन की कौम पर ग़ालिब करने का ज़िक्र फ़रमाया तो सूरत के आख़िर में ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऐसे ही हांलात का खुलासा बयान फ़रमाया कि मक्का के काफ़िरों ने आपको परेशान किया, क़ल्ल की योजनायें बनाई, मुसलमानों की जिन्दगी मक्का में अजीरन कर दी, मगर हक़ तआला ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक़ आपको सब पर फ़तह और ग़लबा नसीब फ़रमाया और मक्का मुकर्रमा जहाँ से काफ़िरों ने आपको निकाला था वह फिर मुकम्मल तौर पर आपके कब्ज़े में आ गया।

الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ.

जिस पाक ज़ात ने आप पर कुरआन फ़र्ज़ किया है, यानी इसकी तिलावत और तब्तीग़ और इस पर अमल आप पर फ़र्ज़ फ़रमाया है वही ज़ात आपको फिर मआद पर लौटायेगी। मआद से मुराद मक्का मुकर्रमा है जैसा कि सही बुख़ारी वगैरह में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मआद की यह तफ़सीर मन्कूल है। मतलब यह है कि अगरचे चन्द्र दिन के लिये आपको अपना प्यारा वतन खुसूसन हरम शरीफ़ और बैतुल्लाह छोड़ना पड़ा मगर कुरआन का नाज़िल करने वाला और उस पर अमल को फ़र्ज़ करने वाला खुदा तआला आख़िरकार आपको फिर मक्का में लौटाकर लायेगा। तफ़सीर के इमामों में से मुक़ातिल की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर से रात के वक़्त निकले और मक्का से मदीना जाने वाले परिचित रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों से सफ़र किया, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। जब जोहफ़ा के स्थान पर पहुँचे जो मदीना तय्यिबा के रास्ते की मशहूर मन्ज़िल राबिग़ को करीब है और वहाँ से वह मक्का से मदीना का आम परिचित रास्ता मिल जाता है उस वक़्त मक्का मुकर्रमा के रास्ते पर नज़र पड़ी तो बैतुल्लाह और वतन याद आया, उसी वक़्त जिब्रीले अमीन यह आयत लेकर नाज़िल हुए जिसमें आपको खुशख़बरी दी गई है कि मक्का मुकर्रमा से यह जुदाई थोड़े समय की है और आख़िरकार आपको फिर मक्का मुकर्रमा पहुँचा दिया जायेगा जो मक्का के फ़तह होने की खुशख़बरी थी। इसी लिये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में है कि यह आयत जोहफ़ा में नाज़िल हुई है, न मक्की है न मदनी। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

कुरआन दुश्मनों पर फ़तह और मक़ासिद में कामयाबी का ज़रिया है

इस आयत में आपको दोबारा मक्का मुकर्रमा में विजयी की हैसियत से वापसी की खुशख़बरी इस उनवान से दी गई है कि जिस पाक ज़ात ने आप पर कुरआन फ़र्ज़ किया है वह आपको दुश्मनों पर ग़ालिब करके दोबारा मक्का मुकर्रमा लौटायेगा। इसमें इशारा इस तरफ़ भी है कि कुरआन की तिलावत और इस पर अमल ही इस खुदाई मदद और खुली फ़तह का सबब होगी।


كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

इस आयत में वज्हू से मुराद अल्लाह तआला की पाक ज़ात है और मायने यह है कि हक़ तआला सुब्हानहू के सिवा हर चीज़ हलाक व फ़ना होने वाली है। और कुछ हज़रते मुफ़स्सिरीन ने

फरमाया कि वज्हू से मुराद वह अमल है जो खालिस अल्लाह तआला के लिये किया जाये, तो मतलब आयत का यह होगा कि जो अमल अल्लाह तआला के लिये इख्तास के साथ किया जाये वही बाकी रहने वाला है, बाकी सब फानी है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

अल्हम्दु लिल्लाह! सूरः क़सस की तफ़सीर आज 9 ज़ीकादा सन् 1391 हिजरी को ऐसे हालात में पूरी हुई कि पाकिस्तान पर हिन्दुस्तान और दूसरी बड़ी ताकतों के गठजोड़ से सख़्त हमला हुआ और चौदह दिन कराची पर रोज़ाना बम्बारी होती रही, शहरी आबादी को जगह-जगह सख़्त नुक़सान पहुँचा सैकड़ों मुसलमान शहीद और मकानात गिर गये, और चौदह दिन की जंग इस दुखदायी हादसे पर ख़त्म हुई कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान से कट गया और तक़रीबन नब्बे हज़ार पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ घिरकर हथियार डाल दिये, और इस वक़्त वहाँ मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम जारी है, हर मुसलमान का दिल इस सदमे से पारा-पारा और दिमाग़ परेशान है। फ़-इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अल्लाह ही से फ़रियाद की जा सकती है वही हर मुसीबत से पनाह और निजात देने वाला है।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः क़सस की तफ़सीर मुकम्मल हुई।



सूर: अन्कबूत

सूर: अन्कबूत मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 69 आयतें और 7 रुकूअ हैं।

﴿سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ (٦٩)﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۖ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۖ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-लाम्-मीम् (1) अ-हसिबन्नासु
अंय्युत्-रकू अंय्यकूलू आमन्ना व
हुम् ला युफ्तनून (2) व ल-कद्
फ़तन्नल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्
फ़-लयज़्-लमन्नल्लाहुललज़ी-न स-दकू
व ल-यज़्-लमन्नल्-काज़िबीन (3)
अम् हसिबल्लज़ी-न यज़्मलूनस्-
सय्यिआति अंय्यस्बिकूना, सा-अ मा
यहकुमून (4) मन् का-न यरज़ू
लिकाअल्लाहि फ़-इन्-न अ-जलल्लाहि

अलिफ्-लाम्-मीम्। (1) क्या ये समझते हैं
लोग कि छूट जायेंगे इतना कहकर कि
हम यकीन लाये और उनको जाँच न
लेंगे। (2) और हमने जाँचा है उनको जो
इनसे पहले थे सो ज़रूर मालूम करेगा
अल्लाह जो लोग सच्चे हैं और यकीनन
मालूम करेगा झूठों को। (3) क्या ये
समझते हैं जो लोग कि करते हैं बुराईयाँ
कि हम से बच जायें, बुरी बात तय करते
हैं। (4) जो कोई उम्मीद रखता है अल्लाह
की मुलाक़ात की सो अल्लाह का वायदा

लआतिन्, व हुवस्समीअुल्-अलीम
 (5) व मन् जा-ह-द फ़-इन्नमा
 युजाहिदु लिनफ़िसही, इन्नल्ला-ह
 ल-ग्निय्युन् अनिल्-आलमीन (6)
 वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्-
 सालिहाति ल-नुकफ़िरन्-न अन्हुम्
 सय्यिआतिहिम् व ल-नज़ज़ियन्नहुम्
 अहसनल्लज़ी कानू यअमलून (7)

आ रहा है, और वह है सुनने वाला जानने
 वाला। (5) और जो कोई मेहनत उठाये
 सो उठाता है अपने ही वास्ते, अल्लाह को
 परवाह नहीं जहान वालों की। (6) और
 जो लोग यकीन लाये और करे भले काम
 हम उतार देंगे उन पर से बुराईयाँ उनकी
 और बदला देंगे उनको बेहतर से बेहतर
 कामों का। (7)

खुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़-लाम्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं। बाजे मुसलमान जो काफ़िरों के तकलीफ़ पहुँचाने से घबरा जाते हैं तो) क्या उन लोगों ने यह ख़्याल कर रखा है कि वे इतना कहने पर छूट जाएँगे कि हम ईमान ले आये और उनको (तरह-तरह की मुसीबतों से) आजमाया न जायेगा (यानी ऐसा न होगा बल्कि इस किस्म के इम्तिहानात भी पेश आयेँगे)। और हम तो (ऐसे ही वाकिआत से) उन लोगों को भी आजमा चुके हैं जो इनसे पहले (मुसलमान) हो गुज़रे हैं (यानी और उम्मतों के मुसलमानों पर भी ये मामले गुज़रे हैं), सो (इसी तरह इनकी आजमाईश भी की जायेगी और उस आजामाईश में) अल्लाह तआला उन लोगों को (ज़ाहिरी इल्म से) जानकर रहेगा जो (ईमान के दावे में) सच्चे थे, और झूठों को भी जानकर रहेगा। (चुनाँचे जो सच्चाई और दिल के यकीन से मुसलमान होते हैं वे इन इम्तिहानों में जमे रहते हैं बल्कि और और ज़्यादा पुख़्ता हो जाते हैं, और जो वक़्ती तौर पर टालने के लिये मुसलमान हो जाते हैं वे ऐसे वक़्त में इस्लाम को छोड़ बैठे हैं। यानी यह एक हिक्मत है इम्तिहान की, क्योंकि सच्चे और झूठे के रल-मिल जाने में बहुत से नुक़सानात होते हैं, खुसूस शुरुआती हालात में।

यह मज़मून तो मुसलमानों के मुताल्लिक हुआ, आगे उन तकलीफ़ पहुँचाने वाले काफ़िरों के बारे में फ़रमाते हैं कि) हाँ, क्या जो लोग बुरे-बुरे काम कर रहे हैं वे यह ख़्याल करते हैं कि हमसे कहीं निकल भागेंगे? उनकी यह तजवीज़ बहुत ही बेहूदा है। (यह जुमला ऊपर से चले आ रहे मज़मून से हटकर काफ़िरों के बुरे अन्जाम के बारे में बयान किया ताकि मुसलमानों को किसी क़द्र तसल्ली हो जाये कि इन तकलीफ़ें पहुँचाने का उनसे बदला लिया जायेगा। आगे फिर मुसलमानों की तरफ़ बात का रुख़ है कि) जो शख़्स अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है सो (उसको तो ऐसे-ऐसे हादसों से परेशान होना ही न चाहिए, क्योंकि) अल्लाह (के मिलने) का वह निर्धारित वक़्त ज़रूर आने वाला है (जिससे सारे ग़म दूर हो जाएँगे, जैसा कि कुरआन पाक में एक दूसरी जगह अल्लाह तआला का

इरशाद है 'व क़ालुल् हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्ह-ब अन्नल् ह-ज़-न') और वह सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है (न कोई कौल उससे छुपा है न कोई काम। पस मुलाक़ात के वक़्त तुम्हारी सब कौली और अमली नेकियों का सिला देकर सब ग़म दूर करेगा) और (याद रखो कि हम जो तुमको मशक्कतों के बरदाश्त करने की तरफ़ तवज्जोह दिला रहे हैं, सो यह तो ज़ाहिर और तय है कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि) जो शख्स मेहनत करता है वह अपने ही (फ़ायदे के) लिये मेहनत करता है, (वरना) खुदा तआला को (तो) तमाम जहान वालों में किसी की हाजत नहीं। (इसमें भी रुचि दिलाना है सख़्तियों और परेशानियों को झेलने की, क्योंकि अपने फ़ायदे के ध्यान में रहने से वह काम ज़्यादा आसान हो जाता है) और (वह फ़ायदा जो नेकी करने से पहुँचता है उसका बयान यह है कि) जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं हम उनके गुनाह उनसे दूर कर देंगे (जिसमें बाज़े गुनाह जैसे कुफ़्र व शिर्क तो ईमान से दूर हो जाते हैं, और बाज़े गुनाह तौबा से जो कि नेक आमाल में दाख़िल है, और बाज़े गुनाह सिर्फ़ नेकियों और भलाईयों से और बाज़े गुनाह सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल से माफ़ हो जायेंगे, और कोई गुनाह किसी क़द्र सज़ा के बाद, यहाँ दूर होना सब को शामिल है)। और उनको उनके (उन) आमाल (ईमान और नेक कामों) का (हक़ से) ज़्यादा अच्छा बदला देंगे (पस इतने तवज्जोह दिलाने और प्रेरित करने पर नेकियाँ करने और नागवार बातों को बरदाश्त करने की मशक्कत उठाने और सही राह पर जमे रहने की पाबन्दी ज़रूरी है)।

मज़ारिफ़ व मसाइल

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

युफ़्तनून फ़ितने से निकला है जिसके मायने आजमाईश के हैं। ईमान वालों खुसूसन नबियों और नेक लोगों को दुनिया में विभिन्न प्रकार की आजमाईशों से गुज़रना होता है, फिर आख़िरकार जीत और कामयाबी उनकी होती है। ये विभिन्न आजमाईशें कभी काफ़िरों व बुरे लोगों की दुश्मनी और उनकी तरफ़ से तकलीफ़ें देने के ज़रिये होती हैं जैसा कि अधिकतर नबियों और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और आपके सहाबा को अक्सर पेश आया है, जिसके बेशुमार वाकिआत सीरत और तारीख़ की किताबों में बयान हुए हैं, और कभी यह आजमाईश बीमारियों और दूसरी किस्म की तकलीफ़ों के ज़रिये होती है जैसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश आया और कुछ हज़रात के लिये ये सब किस्में जमा भी कर दी जाती हैं।

इस आयत के उतरने का मौक़ा और सबब रियायात के अनुसार अगरचे वे सहाबा हैं जो मदीना की हिजरत के वक़्त काफ़िरों के हाथों सताये गये मगर मुराद आम है। हर ज़माने के उलेमा व नेक लोगों और उम्मत के औलिया को विभिन्न प्रकार की आजमाईशें पेश आती हैं और आती रहेंगी।

(तफ़्सीरे कुतुबी)

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

यानी इन इम्तिहानात और सख़्तियों के ज़रिये सच्चे और झूठे और नेक व बुरे में ज़रूर फ़र्क़

करेंगे क्योंकि सच्चे ईमान वालों के साथ मुनाफ़िकों का मिल जाना कई बार बड़े नुकसानात पहुँचा देता है। मक़सद इस आयत का नेक व बुरे और सच्चे ईमान वाले व मुनाफ़िक का फ़र्क व भेद स्पष्ट कर देना है जिसको इस तरह ताबीर फ़रमाया है कि अल्लाह तआला जान लेगा सच्चों को और झूठों को, अल्लाह तआला को तो हर इनसान का सच्चा या झूठा होना उसके पैदा होने से भी पहले मालूम है, इम्तिहानों और आजमाईशों के जान लेने के मायने यह हैं कि इस फ़र्क को दूसरों पर भी ज़ाहिर फ़रमा देंगे।

और हज़रत सैयदी हकीमुल-उम्मत थानवी रह. ने अपने शैख़ मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहिब रह. से इसका यह मतलब भी नक़ल फ़रमाया है कि कई बार अ़वाम के इल्म के स्तर पर उतरकर भी कलाम किया जाता है, अ़म इनसान सच्चे मुसलमान और मुनाफ़िक में फ़र्क आजमाईश ही के ज़रिये मालूम करते हैं, उनके ज़ौक व रुझान के अनुसार हक़ तआला ने फ़रमाया कि इन मुख़्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानों के ज़रिये हम यह जानकर रहेंगे कि कौन मुख़्लिस (ईमान लाने में सच्चा) है कौन नहीं, हालाँकि उसके इल्म में यह सब कुछ शुरू से है। वल्लाहु आलम

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि हुस्नन्, व इन् जा-हदा-क लितुशिर-क बी मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन् फ़ला तुतिअ़हुमा, इलय्-य मर्जिअ़ुकुम् फ़-उनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ़मलून (8) वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति ल-नुदख़िलन्नहुम् फ़िस्सालिहीन (9)

और हमने ताकीद कर दी इनसान को अपने माँ-बाप से भलाई से रहने की, और अगर वे तुझसे ज़ोर करें कि तू शिरक करे मेरा जिसकी तुझको ख़बर नहीं तो उनका कहना मत मान, मुझी तक फिर आना है तुमको सो मैं बतला दूँगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। (8) और जो लोग यकीन लाये और भले काम किये हम उनको दाख़िल करेंगे नेक लोगों में। (9)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने इनसान को अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है और (इसके साथ यह भी कह दिया है कि) अगर वे दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू ऐसी चीज़ को मेरा शरीक ठहराये जिस (के माबूद होने) की कोई (सही) दलील तेरे पास नहीं है (और हर चीज़ ऐसी

ही है कि तमाम चीज़ों के ना-काबिले इबादत होने पर दलीलें कायम हैं) तो (इस बारे में) तू उनका कहना न मानना, तुम सब को मेरे ही पास लौटकर आना है, सो मैं तुमको तुम्हारे सब काम (नेक हों या बुरे) जतला दूँगा। और (तुम में) जो लोग ईमान लाये होंगे और नेक अमल किये होंगे, हम उनको नेक बन्दों (के दर्जे) में (जो कि जन्नत है) दाखिल कर देंगे (और इसी तरह बुरे आमाल पर उनके मुनासिब सज़ा देंगे। पस इसी बिना पर जिसने अपने माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी को हमारी फ़रमाँबरदारी पर आगे रखा होगा वह सज़ा पायेगा, और जिसने इसके उलट किया होगा वह नेक जज़ा पायेगा। हासिल यह हुआ कि ऊपर बयान हुए बाकिए में माँ-बाप की नाफ़रमानी से गुनाह का ख़्याल दिल में न लाया जाये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

वसीयत कहते हैं किसी शख्स को किसी अमल की तरफ़ बुलाने को जबकि वह बुलाना नसीहत और हमदर्दी पर आधारित हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

लफ़ज़ हुस्न के मायने ख़ूबी के हैं, इस जगह ख़ूबी वाले तरीक़े और व्यवहार को मुबालगे के लिये हुस्न से ताबीर किया है। मुराद स्पष्ट है कि अल्लाह तआला ने इनसान को यह वसीयत फ़रमाई कि अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करे।

وَأَنْ جَاهِدَكَ لِيُشْرِكَ بِي

यानी माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने के साथ यह भी ज़रूरी है कि उनके हुक्म का पालन इसी हद तक किया जाये कि वह हुक्म अल्लाह तआला के हुक्मों के खिलाफ़ न हो, ये अगर औलाद को कुफ़्र व शिर्क पर मजबूर करें तो इसमें उनकी बात हरगिज़ न मानी जाये, जैसा कि हदीस में है:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه احمد والحاكم صححه)

यानी ख़ालिक की नाफ़रमानी में किसी मख़्लूक की बात मानना जायज़ नहीं।

यह आयत हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। यह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से उन दस हज़रात में शामिल हैं जिनको आपने एक ही वक़्त में जन्नती होने की खुशख़बरी दी है जिनको अशरा-ए-मुबशशरा कहा जाता है। यह अपनी माँ के बहुत फ़रमाँबरदार और उनको आराम पहुँचाने में बड़े मुस्तैद थे। इनकी वालिदा हमना बिनते अबी सुफ़ियान को जब यह मालूम हुआ कि उनके बेटे सअद मुसलमान हो गये तो उन्होंने बेटे को चेताया और कसम खा ली कि मैं उस वक़्त तक न खाना खाऊँगी न पानी पियूँगी जब तक कि तुम फिर अपने बाप-दादा के दीन पर वापस आ जाओ, या तो मैं इसी तरह भूख-प्यास से मर जाऊँ और सारी दुनिया में हमेशा के लिये यह रुस्वाई तुम्हारे सर रहे कि तुम अपनी माँ के कातिल हो। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी) कुरआन की इस आयत ने हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी बात मानने से रोक दिया।

इमाम बग़वी रह. की रिवायत में है कि हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा एक दिन रात और कुछ रिवायतों के मुताबिक़ तीन दिन तीन रात अपनी कसम के मुताबिक़ भूखी प्यासी रही, हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर हुए माँ की मुहब्बत व इताअत अपनी जगह थी, मगर अल्लाह तआला के फ़रमान के सामने कुछ न थी इसलिये वालिदा को ख़िताब करके कहा कि अम्मा जान! अगर तुम्हारे बदन में सौ रूहें होतीं और एक-एक करके निकलती रहतीं मैं उसको देखकर भी कभी अपना दीन न छोड़ता, अब तुम चाहो खाओ पियो या मर जाओ बहरहाल मैं अपने दीन से नहीं हट सकता। माँ ने उनकी इस बातचीत से मायूस होकर खाना खा लिया।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَٰكِنَّ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
 الْعَالَمِينَ ۝ وَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ ۝ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ وَيَحْسَبُونَ
 أَنَّنَا نَمُنُّ بِمَا كَانُوا يَعْتَبِرُونَ ۝

व मिनन्नासि मय्यकूलु आमन्ना
 बिल्लाहि फ-इज़ा ऊज़ि-य फिल्लाहि
 ज-अ-ल फित्नतन्नासि क-अज़ाबि-
 -ल्लाहि, व लइन् जा-अ नरुम्-
 मिर्रिब्बि-क ल-यकूलुन्-न इन्ना कुन्ना
 म-अकुम्, अ-व लैसल्लाहु बिअज़्-ल-म
 बिमा फी सुदूरिल्-आलमीन (10) व
 ल-यज़्-लमन्नल्लाहुल्लज़ी-न आमनू
 व ल-यज़्-लमन्नल्-मुनाफ़िकीन (11)
 व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न
 आमनुत्तबिअू सबीलना वल्नट्मिल्
 ख़तायाकुम्, व मा हुम् बिहमिली-न
 मिन् ख़तायाहुम् मिन् शैइन्, इन्नहुम्

और एक वे लोग हैं कि कहते हैं यकीन लाये हम अल्लाह पर फिर जब उसको तकलीफ़ पहुँचे अल्लाह की राह में, करने लगे लोगों के सताने को बराबर अल्लाह के अज़ाब के, और अगर आ पहुँचे मदद तेरे रब की तरफ़ से तो कहने लगे हम तो तुम्हारे साथ हैं, क्या यह नहीं कि अल्लाह ख़ूब ख़ाबर रखने वाला है जो कुछ सीनों में है जहान वालों के। (10) और ज़रूर मालूम करेगा अल्लाह उन लोगों को जो यकीन लाये हैं और ज़रूर मालूम करेगा जो लोग दगाबाज़ हैं। (11) और कहने लगे इनकारी लोग ईमान वालों को तुम चलो हमारी राह और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और वे कुछ न उठायेंगे

ल-काजिबून (12) व ल-यस्मिलुन्-न
अस्का-लहुम् व अस्कालम् म-अ
अस्कालिहिम् व लयुस्अलुन्-न
यौमल्-कियामति अम्मा कानू
यफ्तरून। (13) ❀

उनके गुनाह, बेशक वे झूठे हैं। (12) और
अलबत्ता उठायेंगे अपने बोझ और कितने
बोझ साथ अपने बोझ के, और जरूर
उनसे पूछ होगी कियामत के दिन जो
बातें कि झूठ बनाते थे। (13) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और बाजे आदमी ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह तआला पर ईमान लाये, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कुछ तकलीफ़ पहुँचाई जाती है तो लोगों के तकलीफ़ पहुँचाने को ऐसा (बड़ा) समझ बैठते हैं जैसे खुदा का अज़ाब (जिससे आदमी बिल्कुल ही मजबूर हो जाये, हालाँकि किसी मख़्लूक़ को ऐसे अज़ाब पर कुदरत ही नहीं। अब तो उनका यह हाल है) और अगर (कभी) कोई मदद (मुसलमानों की) आपके ख़ब की तरफ़ से आ पहुँचती है (मसलन जिहाद हो और उसमें ऐसे लोग हाथ आ जायें) तो (उस वक़्त) कहते हैं कि हम तो (दीन व अक़ीदे में) तुम्हारे साथ थे (यानी मुसलमान ही थे, अगरचे काफ़िरों के मजबूर और ज़बरदस्ती करने की वजह से उनके साथ हो गये थे। इस पर हक़ तआला का इरशाद यह है कि) क्या अल्लाह को दुनिया-जहान वालों के दिलों की बातें मालूम नहीं हैं? (यानी उनके दिल ही में ईमान न था) और (ये वाकिआत इसलिए होते रहते हैं कि) अल्लाह तआला ईमान वालों को मालूम करके रहेगा, और मुनाफ़िकों को भी मालूम करके रहेगा।

और काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि तुम (दीन में) हमारी राह चलो और (कियामत में) तुम्हारे गुनाह (जो कुफ़्र व नाफ़रमानी के होंगे) हमारे ज़िम्मे, (और तुम बोझ मुक्त) हालाँकि ये लोग उनके गुनाहों में से ज़स भी (इस तौर पर कि वह बरी और बोझ मुक्त हो जायें) नहीं ले सकते, ये बिल्कुल झूठ बक रहे हैं। और (यह जरूर होगा कि) ये लोग अपने गुनाह (पूरे-पूरे) अपने ऊपर लादे होंगे और अपने (उन) गुनाहों के साथ (ही) कुछ गुनाह और भी (लादे हुए होंगे और ये गुनाह वो हैं जिनके लिये ये सबब बनते थे, और ये गुनाह उन पर लादने से असल गुनाहगार बरी और बोझ मुक्त नहीं होंगे। गर्ज़ कि दूसरे तो हल्के न हुए मगर ये लोग उनको गुमराह करने के सबब और ज्यादा भारी हो गये) और ये लोग जैसी-जैसी झूठी बातें बनाते थे कियामत में इनसे पूछताछ (और फिर उस पर सज़ा) जरूर होगी।

मआरिफ़ व मसाईल

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

काफ़िरों की तरफ़ से इस्लाम का रास्ता रोकने और मुसलमानों को बहकाने की तदबीरें विभिन्न तरीकों से होती रही हैं, कभी माल व ताक़त की नुमाईश से कभी शुब्हात व शक पैदा करने से। इस

आयत में भी उनकी एक ऐसी ही तदबीर बयान हुई है कि काफिर मुसलमानों से कहते हैं कि तुम लोग बिना वजह आखिरत के अज़ाब के ख़ौफ़ से हमारे तरीके पर नहीं चलते, लो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर तुम्हारी ही बात सच्ची हुई कि इस तरीके पर चलने की वजह से आखिरत में अज़ाब होगा तो तुम्हारे गुनाहों का बोझ हम उठा लेंगे, जो कुछ अज़ाब, तकलीफ़ पहुँचेगी हमें पहुँचेगी, तुम पर आँच न आयेगी।

इसी तरह एक शख्स का वाक़िआ सूर: नज्म के आखिरी रुकूअ में ज़िक्र किया गया है:

أَفْرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۝ وَأَعْطَى قَلِيلًا ۝ وَأَكْدَى ۝

जिसमें ज़िक्र हुआ है कि एक शख्स को उसके काफिर साथियों ने यह कहकर धोखा दिया कि तुम हमें कुछ माल यहाँ दे दो तो हम कियामत और आखिरत के दिन तुम्हारे अज़ाब को अपने जिम्मे लेकर तुम्हें बचायेंगे। उसने कुछ देना भी शुरू कर दिया फिर बन्द कर दिया। उसकी बेवकूफी और उसके अमल के बेहूदा होने का बयान सूर: नज्म में तफ़सील से बयान हुआ है।

इसी तरह का एक कौल काफिरों का आम मुसलमानों से यहाँ ज़िक्र हुआ है, यहाँ हक़ तआला ने उनके जवाब में एक तो यह फ़रमाया कि ऐसा कहने वाले बिल्कुल झूठे हैं, ये कियामत में उन लोगों के गुनाहों का कोई बोझ न उठायेंगे:

وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

यानी वहाँ के हौलनाक अज़ाब को देखकर उनको हिम्मत न होगी कि उसके उठाने के लिये तैयार हो जायें, इसलिये उनका यह वायदा झूठा है। और सूर: नज्म में भी यह ज़िक्र किया गया है कि अगर ये लोग कुछ बोझ उठाने को तैयार भी हो जायें तो अल्लाह तआला की तरफ़ से इनको इसका इख़्तियार नहीं दिया जायेगा, क्योंकि यह इन्साफ़ के क़ानून के ख़िलाफ़ है कि एक के गुनाह में दूसरे को पकड़ लिया जाये।

दूसरी बात यह फ़रमाई कि उन लोगों का यह कहना तो ग़लत और झूठ है कि वे तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाकर तुम्हें भार-मुक्त कर देंगे अलबत्ता यह ज़रूर होगा कि तुम्हारा बहकाना और तुम्हें हक़ रास्ते से हटाने की कोशिश करना खुद एक बड़ा गुनाह है जो उनके अपने आमाल के अज़ाब के अलावा उन पर लाद दिया जायेगा। इस तरह उन पर अपने आमाल का भी वबाल होगा और जिनको बहकाया था उनका भी।

गुनाह की दावत देने वाला भी गुनाहगार है, गुनाह करने वाले को जो अज़ाब होगा वही उसको भी होगा

इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख्स किसी दूसरे को गुनाह में मुब्तला करने पर उभारे या गुनाह में उसकी मदद करे वह भी ऐसा ही मुजरिम है जैसा यह गुनाह करने वाला। एक हदीस जो हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की गई है यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स हिदायत की तरफ़ लोगों को

दावत दे तो जितने लोग उसकी दावत की वजह से हिदायत पर अमल करेंगे उन सब के अमल का सवाब उस दावत देने वाले के आमाल नामे में भी लिखा जायेगा बगैर इसके कि अमल करने वालों के अज़्र व सवाब में कोई कमी की जाये। और जो शख्स किसी गुमराही और गुनाह की तरफ दावत दे तो जितने लोग उसके कहने से उस गुमराही में मुब्तला होंगे उन सब का गुनाह और वबाल उस शख्स पर भी पड़ेगा बगैर इसके कि उन लोगों के वबाल व अज़ाब में कोई कमी हो।

(तफसीरे कुर्तुबी, मुस्लिम, इब्ने माजा के हवाले से)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ وَإِبْرَاهِيمَ
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَإِن تَكذَّبُوا فَعُدَّ كَذِبَ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

व ल-क़द् अरसलना नूहन् इला
कौमिही फ़-लबि-स फ़ीहिम् अल्-फ़
स-नतिन् इल्ला ख़ाम्सी-न अमन्,
फ़-अ-ख़ा-ज़ हुमुत्तूफ़ानु व हुम्
ज़ालिमून (14) फ़-अन्जैनाहु व
अस्हाबस्सफ़ी-नति व जअल्लाहा
आ-यतल् लिलआलमीन (15) व
इब्राही-म इज़् क़ा-ल लिक्ौमि-
-हिअबुदुल्ला-ह वत्तकूहु, ज़ालिकुम्
ख़ौरुल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअलमून
(16) इन्नमा तअबुदू-न मिन्
दूनिल्लाहि औसानव्-व तख़लुकू-न
इफ़कन्, इन्नल्लज़ी-न तअबुदू-न मिन्

और हमने भेजा नूह को उसकी कौम के
पास फिर रहा उनमें हजार बरस पचास
बरस कम, फिर पकड़ा उनको तूफ़ान ने
और वे गुनाहगार थे। (14) फिर बचा
दिया हमने उसको और जहाज़ वालों को
और रखा हमने जहाज़ को निशानी जहान
वालों के वास्ते। (15) और इब्राहीम को
जब कहा उसने अपनी कौम को बन्दगी
करो अल्लाह की और डरते रहो उससे
यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में अगर तुम
समझ रखते हो। (16) तुम तो पूजते हो
अल्लाह के अलावा यही बुतों के थान
और बनाते हो झूठी बातें, बेशक जिनको
तुम पूजते हो अल्लाह के अलावा वे

दूनिल्लाहि ला यम्मिलकू-न लकुम्
 रिज़्कन् फ़ब्तगू अिन्दल्लाहिर्-
 रिज़्क वअबुदूहु वशकुरू लहू, इलैहि
 तुर्जअून (17) व इन् तुकज़िज़बू
 फ़-कद् कज़्ज-ब उ-ममुम्-मिन्
 क़ब्लिकुम्, व मा अलरसूलि इल्लल्-
 बलागुल्-मुबीन (18)

मालिक नहीं तुम्हारी रोज़ी के, सो तुम
 दूँदो अल्लाह के यहाँ रोज़ी और उसकी
 बन्दगी करो और उसका हक़ मानो, उसी
 की तरफ़ फिर जाओगे। (17) और अगर
 तुम झुठलाओगे तो झुठला चुके हैं बहुत
 फ़िकरे तुमसे पहले, और रसूल का जिम्मा
 तो बस यही है पैग़ाम पहुँचा देना खोल
 कर। (18)

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम की तरफ़ (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, सो वह उनमें पचास साल कम एक हजार बरस रहे (और कौम को समझाते रहे)। फिर (जब इस पर भी वे लोग ईमान न लाये तो) उनको तूफ़ान ने आ दयाया, और वे बड़े ज़ालिम लोग थे (कि इतनी लम्बी मुद्दत के समझाने-बुझाने से भी मुतास्सिर न हुए)। फिर (उस तूफ़ान के आने के बाद) हमने उनको और कश्ती वालों को (जो उनके साथ सवार थे, उस तूफ़ान से) बचा लिया, और हमने इस वाकिए को तमाम जहान वालों के लिये (जिनको निरंतरता के साथ ख़बर पहुँची) सबक़ लेने का सबब बनाया (कि गौर करके समझ सकते हैं कि हक़ की मुख़ालफ़त क्या अन्जाम है)। और हमने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, जबकि उन्होंने अपनी कौम से (जो कि बुत-परस्त थे) फ़रमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो (और डरकर शिर्क छोड़ दो) यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो (बख़िलाफ़ शिर्क के तरीक़े के कि वह तो बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि) तुम लोग अल्लाह को छोड़कर महज़ बुतों को (जो बिल्कुल आजिज़ और नाकारा हैं) पूज रहे हो और (इसके बारे में) झूठी बातें गढ़ते हो (कि उनसे हमारी रोज़ी रोज़गार का काम निकलता है, और यह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि) तुम खुदा को छोड़कर जिनको पूज रहे हो वे तुमको कुछ भी रिज़्क देने का इख़्तियार नहीं रखते, सो तुम रिज़्क खुदा के पास से तलाश करो (यानी उससे माँगो, रिज़्क का मालिक वही है) और (जब रिज़्क का मालिक वही है तो) उसी की इबादत करो और (चूँकि पिछला रिज़्क भी उसी का दिया हुआ है तो) उसी का शुक्र अदा करो।

(एक सबब अल्लाह की इबादत के वाजिब होने का यह है कि वह नफ़े का मालिक है) और (दूसरा सबब यह है कि वह नुक़सान का मालिक भी है, चुनाँचे) तुमको उसी के पास लौटकर जाना है (उस वक़्त क़ुफ़्र पर तुमको सज़ा देगा)। और अगर तुम (इन बातों में) मुझको झूठा समझो तो (याद रखो कि मेरा कुछ नुक़सान नहीं, क्योंकि) तुमसे पहले भी बहुत-सी उम्मतें (अपने पैग़म्बरों को) झूठ

समझ चुकी हैं, और (मगर उन पैग़म्बरों का भी कुछ नुक़सान नहीं हुआ, और वजह इसकी यह है कि) पैग़म्बर के जिम्मे तो सिर्फ़ (बात का) साफ़ तौर पर पहुँचा देना है (मनवाना उसका काम नहीं, पस तमाम अम्बिया तब्लीग़ के बाद अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गये, इसी तरह मैं भी, पस हमको कोई नुक़सान नहीं पहुँचा। अलबत्ता मानना तुम्हारे जिम्मे वाजिब था उसके छोड़ने से तुम्हारा नुक़सान जरूर हुआ)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में काफ़िरों की मुखालफ़त और उनके तकलीफ़ें देने का बयान था जो मुसलमानों को पहुँचती रहती थीं। ऊपर की आयतों में इस तरह के वाकिआत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये पिछले अम्बिया और उनकी उम्मतों के कुछ हालात का बयान है कि पुराने ज़माने से हिदायत वालों को सताने और तकलीफ़ें पहुँचाने का काफ़िरों की तरफ़ से यह सिलसिला जारी है, मगर इन तकलीफ़ों की वजह से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी इसलिये आप भी काफ़िरों के तकलीफ़ें पहुँचाने की परवाह न करें अपने रिसालत के फ़रीजे की अदायेगी में मज़बूती से काम करते रहें।

पिछले अम्बिया में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र फ़रमाया- अब्बल तो इस वजह से कि वही सबसे पहले पैग़म्बर हैं जिनको कुफ़्र व शिर्क का मुक़ाबला करना पड़ा। दूसरे इसलिये भी कि जितनी तकलीफ़ें अपनी क़ौम से उनको पहुँचीं वो किसी दूसरे पैग़म्बर को नहीं पहुँचीं। क्योंकि अल्लाह तआला ने उनको लम्बी उम्र देने का विशेष सम्मान अता फ़रमाया और सारी उम्र काफ़िरों की तकलीफ़ों में बसर हुई। उनकी उम्र कुरआने करीम में जो नौ सौ पचास साल ज़िक्र हुई है वह तो निश्चित और यकीनी है ही, कुछ रिवायतों में यह भी है कि यह उम्र तब्लीग़ व दावत की मुद्दत की है और उससे पहले और तूफ़ान के बाद मज़ीद उम्र का ज़िक्र है। वल्लाहु आलम

बहरहाल! इतनी असाधारण लम्बी उम्र लगातार दावत व तब्लीग़ में लगाना और हर तब्लीग़ व दावत के वक़्त काफ़िरों की तरफ़ से तरह-तरह की तकलीफ़ें, मार-पीट और गला घोटने की सहते रहना और इन सब के बावजूद किसी वक़्त हिम्मत न हारना ये सब ख़ुसूसियतें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हैं।

दूसरा किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया जो बड़े-बड़े सख़्त इम्तिहानों से गुज़रे हैं। नमरूद की आग, फिर मुल्के शाम से हिजरत करके एक ग़ैर-आबाद मैदान और सूखे व रेतीले जंगल का क़ियाम, फिर बेटे के ज़िबह करने का वाकिआ वगैरह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के किस्से के तहत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के वाकिआत और सूरत के आख़िर तक दूसरे कुछ अम्बिया और उनकी सरकश उम्मतों के हालात का सिलसिला, यह सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उम्मत मुहम्मदिया की तसल्ली के लिये और उनको दीन के काम पर साबित-क़दम रखने (जमाने) के लिये बयान हुआ है।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مَرَّةً ذِكْرًا عَلَى

اللَّهِ يَسِيرًا ۖ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ مَرَّةً
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَاكِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكُفِّرُونَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْآلِيمِ ۝

अ-व लम् यरौ कै-फ़ युब्दिउल्लाहुल्-
खाल्-क सुम्-म युअ़ीदुहू, इन्-न
जालि-क अलल्लाहि यसीर (19)
कुल् सीरु फ़िल्अर्जि फन्जुरु कै-फ़
ब-दअल्खल्-क सुम्मल्लाहु युन्शिउन्-
नश्-अतल्-आखि-र-त, इन्नल्ला-ह
अला कुल्लि शैइन् कदीर (20)
युअ़िज्जिबु मय्यशा-उ व यरहमु
मय्यशा-उ व इलैहि तुक्लबून (21)
व मा अन्तुम् बिमुअ़्जिजी-न
फ़िल्अर्जि व ला फ़िस्समा-इ व मा
लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिन्वलिथिं-
व ला नसीर (22) ❀
वल्लज़ी-न क-फ़रु बिआयातिल्लाहि
व लिक्-इही उलाइ-क यइसू
मिर्हमती व उलाइ-क लहुम् अज़ाबुन्
अलीम (23)

क्या देखते नहीं क्योंकर शुरू करता है
अल्लाह पैदाईश को फिर उसको
दोहरायेगा, यह अल्लाह पर आसान है।
(19) तू कह- मुल्क में फिरो फिर देखो
क्योंकर शुरू किया है पैदाईश को फिर
अल्लाह उठायेगा पिछला उठान, बेशक
अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। (20)
दुख देगा जिसको चाहे और रहम करेगा
जिस पर चाहे, और उसी की तरफ़ फिर
जाओगे। (21) और तुम आजिज़ करने
वाले नहीं ज़मीन में और न आसमान में,
और कोई नहीं तुम्हारा अल्लाह से बरे
हिमायती और न मददगार। (22) ❀
और जो लोग इनकारी हुए अल्लाह की
बातों से और उसके मिलने से वे नाउम्मीद
हुए मेरी रहमत से और उनके लिये
दर्दनाक अज़ाब है। (23)

खुलासा-ए-तफ़सीर

क्या उन लोगों को यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआला किस तरह मख़्लूक को पहली बार पैदा

करता है (कि नापैदी की हालत से वजूद में लाता है) फिर वही दोबारा उसको पैदा करेगा, यह अल्लाह के नज़दीक बहुत ही आसान बात है। (बल्कि मामूली गौर करने से मालूम हो जाता है कि दोबारा पैदा करना पहली बार के पैदा करने से ज़्यादा आसान है, अगरचे ज़ाती कुदरत के एतिबार से दोनों बराबर हैं, और ये लोग पहली बात यानी अल्लाह तआला के कायनात का पैदा करने वाला होने को तो मानते थे। अल्लाह तआला का कौल है:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ الخ

और दूसरी बात यानी दोबारा पैदा करना उसी के जैसा है, उसका कुदरत में दाखिल होना और ज़्यादा स्पष्ट है, इसलिए 'अ-व लम् यरौ' यानी आयत नम्बर 19 का मज़मून उससे भी संबन्धित हो सकता है और ज़्यादा एहतिमाम के लिये फिर यही मज़मून मामूली सा उनवान बदलकर सुनाने के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद फ़रमाते हैं कि) आप (उन लोगों से) कहिये कि तुम लोग मुल्क में चलो-फिरो और देखो कि खुदा तआला ने मख़्लूक को किस अन्दाज़ पर पहली बार पैदा किया है, फिर अल्लाह तआला दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।

(पहले उनवान में एक अक्ली दलील पेश की है और दूसरे उनवान में महसूस करने वाली, जिसका ताल्लुक कायनात के हालात और देखने से है। यह तो क़ियामत को साबित करना था आगे जज़ा का बयान है कि दोबारा ज़िन्दा करने के बाद) जिसको चाहेगा अज़ाब देगा (यानी जो उसका हक़दार होगा) और जिस पर चाहे रहमत फ़रमा देगा (यानी जो उसका अहल होगा), और (इस अज़ाब देने और रहमत का मामला करने में और किसी का दख़ल न होगा, क्योंकि) तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे (न कि और किसी के पास)। और (उसके अज़ाब से बचने की कोई तदबीर नहीं है) न तुम ज़मीन में (छुपकर खुदा को) हरा सकते हो (कि उसके हाथ न आओ) और न आसमान में (उड़कर), और खुदा के सिवा न तुम्हारा कोई काम बनाने वाला है और न कोई मददगार (पस न अपनी तदबीर से बच सके न दूसरे की हिमायत से)।

और (ऊपर जो हमने कहा था 'कि वह जिसे चाहे अज़ाब देगा' अब क़ायदा कुलिय्या से उसका मिस्दाक़ बतलाते हैं कि) जो लोग खुदा की आयतों के और (खास तौर पर) उसके सामने जाने के इनकारी हैं, वे लोग (क़ियामत में) मेरी रहमत से नाउम्मीद होंगे (यानी उस वक़्त नज़रों के सामने आ जायेगा कि हम रहमत के अहल नहीं हैं) और यही हैं जिनको दर्दनाक अज़ाब होगा।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نُصْرِينَ ۝ فَأَمَّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمِ ۝ وَوَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي
الدُّنْيَا ۝ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

फ़मा का-न जवा-ब कौमिही इल्ला
अन् कालुकतुलूहु औ हरिकूहु
फ़अन्जाहुल्लाहु मिनन्नारि, इन्-न फी
जालि-क लआयातिल् लिकौमिंयू-
युअ्मिनून (24) व का-ल इन्नमत्-
-तख़ज़्तुम् मिन् दूनिल्लाहि औसानम्
म-वह-त बैनिकुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या
सुम्-म यौमल्-कियामति यक्फुरु
बअज़ुकुम् बि-बअज़िंव्-व यलज़नु
बअज़ुकुम् बअज़ंव्-व मअ्वाकुमुन्-
नारु व मा लकुम् मिन्-नासिरीन (25)
फ़-आम-न लहू लूतुन् । व का-ल
इन्नी मुहाजिरुन् इला रब्बी, इन्नहू
हुवल् अज़ीज़ुल्-हकीम (26) व
व-हबूना लहू इस्हा-क व यअ्कू-ब
व जअल्ना फी जुरिय्यतिहिन्-
नुबुव्व-त वल्किता-ब व आतैनाहु
अज़हू फ़िद्दुन्या व इन्नहू फ़िल्-
आख़िरति लमिनस्सालिहीन (27)

फिर कुछ जवाब न था उसकी कौम का
मगर यही कि बोले इसको मार डालो या
जला दो फिर उसको बचा दिया अल्लाह
ने आग से, इसमें बड़ी निशानियाँ हैं उन
लोगों के लिये जो यकीन लाते हैं। (24)
और इब्राहीम बोला- जो ठहराये तुमने
अल्लाह के अलावा बुतों के ध्यान सो
दोस्ती कर-कर आपस में दुनिया की
जिन्दगानी में, फिर कियामत के दिन
इनकारी हो जाओगे एक से एक और
लानत करोगे एक को एक, और ठिकाना
तुम्हारा आग है, और कोई नहीं तुम्हारा
मददगार। (25) फिर मान लिया उसको
लूत ने और वह बोला मैं तो वतन छोड़ता
हूँ अपने रब की तरफ, बेशक वही है
ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (26) और दिया
हमने उसको इस्हाक और याकूब, और
रख दी उसकी औलाद में पैग़म्बरी और
किताब, और दिया हमने उसको उसका
सवाब दुनिया में, और वह आख़िरत में
लाज़िमी तौर पर नेकों (में) से है। (27)

खुलासा-ए-तफ़सीर

सो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दिल को छू लेने वाली तक़रीर के बाद) उनकी कौम का
(आख़िरी) जवाब बस यह था कि (आपस में) कहने लगे कि इनको या तो क़त्ल कर डालो या इनको

जला दो। (चुनाँचे जलाने का सामान किया) सो अल्लाह ने उनको उस आग से बचा लिया (जिसका किस्सा सूर: अम्बिया में गुज़र चुका है), बेशक इस वाक़िए में उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते हैं कई निशानियाँ हैं। (यानी यह वाक़िआ कई चीज़ों की दलील है- अल्लाह का कादिर होना, इब्राहीम, अलैहिस्सलाम का नबी होना, कुफ़्र व शिर्क का बातिल और ग़ैर-हक़ होना, इसलिए यह एक ही दलील अनेक दलीलों के बराबर हो गई)। और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (वअज़ यानी अपनी नसीहत की तकरीर में यह भी) फ़रमाया कि तुमने जो खुदा को छोड़कर बुतों को (माबूद) तजवीज़ कर रखा है, बस यह तुम्हारे दुनिया के आपसी ताल्लुकात की वजह से है। (चुनाँचे साफ़ दिखाई देता है कि अक्सर आदमी अपने ताल्लुकात और दोस्ती और रिश्तेदारों के तरीके पर रहता है और इस वजह से हक़ बात में ग़ौर नहीं करता, और हक़ को समझकर भी डरता है कि सब दोस्त और रिश्तेदार छूट जायेंगे) फिर क़ियामत में (तुम्हारा यह हाल होगा कि) तुम में से एक दूसरे का मुख़ालिफ़ हो जायेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा, (जैसा कि सूर: आराफ़ की आयत 38 में है, और सूर: सबा की आयत 31 में है, तथा सूर: ब-क़रह की आयत 166 में है। खुलासा यह है कि आज जिन यार-दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से तुम गुमराही को इख़्तियार किये हुए हो क़ियामत के दिन यही यार-दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जायेंगे) और (अगर तुम इस बुत-परस्ती से बाज़ न आये तो) तुम्हारा ठिकाना दोज़ख़ होगा, और तुम्हारा कोई हिमायती न होगा।

सो (इतने वअज़ और नसीहत पर भी उनकी क़ौम ने न माना) सिर्फ़ लूत (अलैहिस्सलाम) ने उनकी तस्दीक़ फ़रमाई और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि मैं (तुम लोगों में नहीं रहता, बल्कि) अपने परवर्दिगार की (बतलाई हुई जगह की) तरफ़ वतन छोड़ करके चला जाऊँगा, बेशक वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (वह मेरी हिफ़ाज़त करेगा और मुझको इसका फल देगा)। और हमने (हिजरत के बाद) उनको इस्हाक़ (बेटा) और याक़ूब (पोता) इनायत फ़रमाया, और हमने उनकी नस्ल में नुबुव्वत और किताब (के सिलसिले) को कायम रखा, और हमने उनका सिला उनको दुनिया में भी दिया और आख़िरत में भी (वह बड़े दर्जे के) नेक बन्दों में होंगे (इस सिले में मुराद अल्लाह की निकटता और मक़बूल होना है जैसा कि अल्लाह तअला ने सूर: ब-क़रह की आयत 130 में फ़रमाया है 'लक़दिस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या.....'।

मअरिफ़ व मसाईल

فَأَمِّنْ لَهُ لَوْطًا. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भानजे थे, नमरूद की आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा देखकर सबसे पहले इन्होंने तस्दीक़ की। याद रहे कि आपकी बीवी हज़रत सारा जो आपकी चचाज़ाद बहन भी थीं और मुसलमान हो चुकी थीं इन दोनों को साथ लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतन से हिजरत का इरादा किया, उनका वतन मक़ान 'कूसा' था, जो कूफ़ा की एक बस्ती है, और फ़रमाया 'इन्नी मुहाजिरुन् इला रब्बी' यानी मैं वतन को छोड़कर अपने रब की तरफ़ जाता हूँ। मुराद यह है कि किसी ऐसे स्थान की तरफ़ जाऊँगा जहाँ रब की इबादत में रुकावट न हो।

हज़रत नख़ई रह. और क़तादा रह. ने 'इन्नी मुहाजिरुन्' का कहने वाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करार दिया है। क्योंकि इसके बाद 'व यहब्ना लहू इस्हा-क व यज़ूकू-ब' तो यकीनन उन्हीं का हाल है। और कुछ हज़राते मुफ़्तिरीन ने "इन्नी मुहाजिरुन्" को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कौल करार दिया है। खुलासा-ए-तफ़्सीर का तर्जुमा इसी के मुताबिक है, मगर मज़मून के बाद के हिस्से से पहली तफ़्सीर ज़्यादा सही मालूम होती है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी अगरचे इस हिज़रत में शरीक ज़रूर थे मगर जैसे हज़रत सारा का ज़िक्र नहीं किया गया क्योंकि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे थीं इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की हिज़रत का ज़िक्र अलग से न होना कुछ बर्इद नहीं।

दुनिया में सबसे पहली हिज़रत

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले पैग़म्बर हैं जिनको दीन के लिये वतन छोड़ना और हिज़रत इख़्तियार करना पड़ा, उनकी यह हिज़रत 75 साल की उम्र में हुई (यह सब बयान तफ़्सीरे कुर्तुबी से लिया गया है)।

कुछ आमाल का बदला दुनिया में भी मिल जाता है

وَأَيْنُهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا

यानी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में कुरबानियों और दूसरे नेक आमाल की जज़ा (बदला) दुनिया में भी दे दी कि उनको तमाम मख़्लूक में मक़बूल व इमाम बना दिया। यहूदी, ईसाई, बुतों के पुजारी सभी उनकी इज़्ज़त करते हैं और अपना पेशवा और धर्मगुरु मानते हैं, और आख़िरत में वे जन्नत वाले नेक लोगों में से होंगे। इससे मालूम हुआ कि आमाल की असल जज़ा तो आख़िरत में मिलेगी मगर उसका कुछ हिस्सा दुनिया में भी नक़द दिया जाता है जैसा कि मोतबर हदीसों में बहुत से अच्छे आमाल के दुनियावी फ़ायदे और बुरे आमाल के दुनियावी नुक़सानात का बयान आया है। ऐसे आमाल को सैयदी हज़रत हकीमुल-उम्मत रह. ने एक मुस्तक़िल रिसाले "जज़ाउल-आमाल" में जमा फ़रमा दिया है।

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ أَيْتَكُمْ
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۝ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتِنَابًا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ قَالَ إِنْ فِيهَا لَوْطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۚ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ
 إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ

قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۗ إِنَّا مُنْجُونَ ۚ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنَازِلَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۗ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَاء
 أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۗ وَكَفَدْنَا مِنهَا آيَةً بَيْنَةَ لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ۗ

व लूतन् इज्ज काल लिकौमिही
 इन्नकुम् ल-तअतूनल्-फाहि-श-त मा
 स-ब-ककुम् बिहा मिन् अ-हदिम्-
 मिनल्-आलमीन (28) अ-इन्नकुम्
 लतअतूनरिजा-ल व तक्तअूनस्-
 -सबी-ल व तअतून फी नादीकुमुल्-
 मुन्क-र, फमा का-न जवा-ब कौमिही
 इल्ला अन् कालुअतिना बि-अजाबि-
 -ल्लाहि इन् कुन्-त मिनस्सादिकीन
 (29) काल रब्बिन्सुरनी अलल्-
 कौमिल्-मुफिसदीन (30) ❀

व लम्मा जाअत् रुसुलुना इब्राही-म
 बिलुबुशरा कालू इन्ना मुह्लिकू अह्लि
 हाजिहिल्-करयति इन्-न अह्लहा
 कानू जालिमीन (31) काल इन्-न
 फीहा लूतन्, कालू नहनु अअलमु
 बि-मन् फीहा ल-नुनज्जियन्नहू व
 अह्लहू इल्लमूर-अ-तहू कानत्
 मिनल्-गाबिरीन (32) व लम्मा अन्
 जाअत् रुसुलुना लूतन् सी-अ बिहिम्
 व जा-क बिहिम् जर्अव्-व कालू

और भेजा लूत को जब कहा अपनी कौम
 को तुम आते हो बेहयाई के काम पर
 तुमसे पहले नहीं किया वह किसी ने
 जहान में। (28) क्या तुम दौड़ते हो मदों
 पर और तुम राह मारते हो और करते हो
 अपनी मज्लिस में बुरा काम, फिर कुछ
 जवाब न था उसकी कौम का मगर यही
 कि बोले ले आ हम पर अल्लाह का
 अजाब अगर तू है सच्चा। (29) बोला
 ऐ सब! मेरी मदद कर इन शरीर लोगों
 पर। (30) ❀

और जब पहुँचे हमारे भेजे हुए इब्राहीम
 के पास ख़ुशख़बरी लेकर, बोले हमको
 गारत करना है उस बस्ती वालों को, बेशक
 उस बस्ती के लोग हो रहे हैं गुनाहगार।
 (31) बोला उसमें तो लूत भी है, वे बोले
 हमको ख़ूब मालूम है जो कोई उसमें है
 हम बचा लेंगे उसको और उसके घर वालों
 को, मगर उसकी औरत कि रहेगी रह जाने
 वालों में। (32) और जब पहुँचे हमारे भेजे
 हुए लूत के पास नाख़ुश हुआ उनको देख
 कर और तंग हुआ दिल में और वे बोले

ला तखाफू व ला तहज़नू, इन्ना
 मुनज़्जू-क व अहल-क इल्लमूर-अ-त-क
 कानत् मिनल्- गाबिरीन (33) इन्ना
 मुन्ज़िलू-न अला अहलि हज़िहिल्
 कर्यति रिज़्ज़म्-मिनस्समा-इ बिमा
 कानू यफ्सुकून (34) व ल-कत्तरकना
 मिन्हा आ-यतम् बय्यि-नतल्-
 लिकौमियू-यअक़िलून (35)

मत डर और गुम न खा, हम ब
 तुझको और तेरे घर को मगर तेरी
 रह गयी रह जाने वालों में। (33) हमको
 उतारनी है इस बस्ती वालों पर एक
 आफत आसमान से इस बात पर कि वे
 नाफरमान हो रहे थे। (34) और छोड़
 रखा हमने उसका निशान नज़र आता
 हुआ समझदार लोगों के वास्ते। (35)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने लूत (अलैहिस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा, जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में नहीं किया। क्या तुम मर्दों से बुरा फ़ैल "यानी बुरा काम" करते हो (वह बेहयाई का काम यही है) और (इसके अलावा दूसरी नामाकूल हरकतें भी करते हो, मसलन यह कि) तुम डाका डालते हो (जैसा कि हज़रत इब्ने ज़ैद की रियायत से दुर्रै मन्सूर में है) और (ग़ज़ब यह है कि) अपनी भरी मज्लिस में नामाकूल हरकत करते हो (और गुनाह व नाफ़रमानी का ऐलान "यानी उसको सब के सामने करना" यह खुद एक बुराई व गुनाह और बेअक्ली है)। सो उनकी क़ौम का (आख़िरी) जवाब बस यह था कि तुम हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आओ अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो (कि ये काम अज़ाब को लाने वाले हैं)। लूत (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की, ऐ मेरे रब! मुझको इन फ़साद "यानी ख़राबी और बिगाड़" पैदा करने वाले लोगों पर ग़ालिब (और इनको अज़ाब से हलाक) कर दे।

और (उनकी दुआ कुबूल होने के बाद अल्लाह तआला ने अज़ाब की ख़बर देने के लिये फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाये। और दूसरा काम उन फ़रिश्तों को यह बतलाया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्हाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाईश की खुशख़बरी दें, चुनाँचे) हमारे (वे) भेजे हुए फ़रिश्ते जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास (उनके बेटे इस्हाक़ के पैदा होने की) खुशख़बरी लेकर आये तो (बातचीत के दौरान में जिसका तफ़सीली बयान दूसरे मौक़े पर है 'क़ा-ल फ़मा ख़तबुकुम् अय्युहल् मुर्सलून.....') उन फ़रिश्तों ने (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से) कहा कि हम उस बस्ती वालों को (जिसमें क़ौमे लूत आबाद है) हलाक करने वाले हैं (क्योंकि) वहाँ के रहने वाले बड़े शरीर हैं। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि वहाँ तो लूत (अलैहिस्सलाम भी मौजूद) हैं (वहाँ अज़ाब न भेजा जाये कि उनको तकलीफ़ पहुँचेगी)। फ़रिश्तों ने कहा कि जो-जो वहाँ (रहते) हैं हमको सब मालूम हैं। हम उनको और उनके खास मुताल्लिकीन को (यानी उनके ख़ानदान वालों को और जो मोमिन हों उनको उस अज़ाब

से) बचा लेंगे (इस तरह से कि अज़ाब नाज़िल होने से पहले उनको बस्ती से बाहर निकाल ले जायेंगे) सिवाय उनकी बीवी के, कि वह अज़ाब में रह जाने वालों में होगी। (जिसका जिक्र सूर: हूद और सूर: हिज़्र में गुज़र चुका है)।

(यह बातचीत तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई) और (फिर वहाँ से फ़ारिग़ होकर) जब हमारे वे भेजे हुए लूत (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे तो लूत (अलैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से (इसलिए) रंजीदा हुए (कि वे बहुत हसीन जवानों की शकल में आये थे और लूत अलैहिस्सलाम ने उनको आदमी समझा और अपनी क़ौम की नामाकूल हरकत का ख़्याल आया) और (इस वजह से) उनके (आने के) सबब तंगदिल हुए। और (फ़रिश्तों ने जब यह हाल देखा तो) वे फ़रिश्ते कहने लगे (आप किसी बात का) अन्देशा न करें और न ग़मगीन हों (हम आदमी नहीं हैं बल्कि अज़ाब के फ़रिश्ते हैं, जैसा कि अल्लाह तआला का क़ौल है 'इन्ना रुसुलु रब्बि-क' और इस अज़ाब से) हम आप और आपके ख़ास मुताल्लिकीन को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के, कि वह अज़ाब में रह जाने वालों में होगी।

(और आपको मय आपसे जुड़े लोगों के बचाकर) हम इस बस्ती के (बक़िया) रहने वालों पर एक आसमानी अज़ाब (यानी बिना किसी ज़ाहिरी सबब के) उनकी बदकारियों की सज़ा में नाज़िल करने वाले हैं। (चुनाँचे वह बस्ती उलट दी गई, और ग़ैबी पत्थरों से पत्थर बरसाये गये) और हमने उस बस्ती के कुछ ज़ाहिरी निशान (अब तक) रहने दिये हैं उन लोगों (की इबत) के लिये जो अक़्त रखते हैं (चुनाँचे मक्का वाले मुल्क शाम के सफ़र में उन वीरान स्थानों को देखते थे और जो अक़्त रखते थे वे उससे नसीहत भी हासिल करते थे कि डरकर इमान ले आते थे)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنفَاجِحَةُ

इस जगह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम के लोगों के तीन सख़्त गुनाहों का जिक्र किया है- अक्ल मर्द की मर्द के साथ बदफ़ेली (यानी जिन्सी इच्छा पूरी करना), दूसरे मुसाफ़िरों पर डाका मारना, तीसरे अपनी मज्लिसों में खुलेआम सब के सामने गुनाह करना। कुरआने करीम ने इस तीसरे गुनाह को निर्धारित तौर पर बयान नहीं फ़रमाया, इससे मालूम हुआ कि हर गुनाह जो अपनी ज़ात में गुनाह है अगर उसको ऐलानिया बेपरवाई से किया जाये तो यह दूसरा मुस्तक़िल गुनाह हो जाता है, वह कोई भी गुनाह हो। तफ़सीर के कुछ इमामों ने इस जगह उन गुनाहों को गिनाया है जो ये बेहया लोग अपनी मज्लिसों में सब के सामने किया करते थे, जैसे रास्ता चलते लोगों को पत्थर मारना और उनका मज़ाक़ उड़ाना जैसा कि हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में इसका जिक्र है। और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि जो बेहयाई उनकी मशहूर थी उसको वे कहीं छुपकर नहीं खुली मज्लिसों में एक दूसरे के सामने करते थे। अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे।

जिन तीन गुनाहों का इस आयत में जिक्र है उन सब में सख़्त पहला गुनाह है जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था, और जंगल के जानवर भी उससे परहेज़ करते हैं, पूरी उम्मत का

इस पर इतिफाक है कि यह गुनाह जिना से ज्यादा सख्त है। (जैसा कि तफसीर रुहुल-मआनी में है)

وَالْمَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۖ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۝ وَعَادًا وَثمودًا
وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ ۖ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْبَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ
كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۖ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَمَكَانًا
يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

व इत्ता मद्य-न अखाहुम् शुअैबन्
फका-ल या कौमिअबुदुल्ला-ह
वरजुल्-यौमल्-आखिर-र व ला
तअसौ फिल्अर्जि मुफिसदीन (36)
फ-कज्जबूहु फ-अ-खजत्हुमुर्-रज्फतु
फ-अस्वहू फी दारिहिम् जासिमीन
(37) व आदव्-व समू-द व कत्-
त-बय्य-न लकुम् मिम्-मसाकिनिहिम्,
व जय्य-न लहुमुशैतानु अज्मालहुम्
फ-सदहुम् अनिस्सबीलि व कानू
मुस्तबिरीन (38) व कारू-न व

और भेजा मद्यन के पास उसके भाई
शुऐब को फिर बोला ऐ कौम! बन्दगी
करो अल्लाह की और उम्मीद रखो पिछले
दिन की और मत फिरो ज़मीन में खराबी
मचाते। (36) फिर उसको झुठलाया तो
पकड़ लिया उनको जलजले ने, फिर सुबह
को रह गये अपने घरों में औंधे पड़े।
(37) और हलाक किया आद को और
समूद को और तुम पर हाल खुल चुका है
उनके घरों से। और फरेफता किया उनको
शैतान ने उनके कामों पर फिर रोक दिया
उनको राह से और वे थे होशियार। (38)
और हलाक किया कारून और

फ़िरऔ-न व हामा-न, व ल-क़द्
जा-अहुम् मूसा बिल्बय्यिनाति
फ़स्तक्बरु फ़िल्अर्जि व मा कानू
साबिकीन (39) फ़-कुल्लन् अख़ज़्ना
बि-ज़म्बिही फ़-मिन्हुम् मन् अरसल्ला
अलैहि हासिबन् व मिन्हुम् मन्
अ-ख़ाज़त्हुस्सै-हतु व मिन्हुम् मन्
ख़सफ़ना बिहिल्-अर-ज़ व मिन्हुम्
मन् अग्रक़ना व मा कानल्लाहु
लि-यज़िल्-महुम् व लाकिन् कानू
अन्फु-सहुम् यज़िल्लमून (40) म-सलुल्-
लज़ीनत्त-ख़ाज़ू मिन् दूनिल्लाहि
औलिया-अ क-म-सलिल्-अन्कबूति
इत्त-ख़ज़त्त बैतन्, व इन्-न औ-हनल्-
बुयूति लबैतुल्-अन्कबूति। लौ कानू
यअलमून (41) इन्नल्ला-ह यअलमु
मा यदूअ-न मिन् दूनिही मिन् शैइन्,
व हुवल् अज़ीज़ुल्-हकीम (42) व
तिल्कल्-अम्सालु नज़िबुहा लिन्नासि
व मा यअक़िलुहा इल्लल्-आलिमून
(43) ख़ा-लक़ल्लाहुस्-समावाति
वल्-अर-ज़ बिल्हक्कि, इन्-न फ़ी
ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्-
मुअ्मिनीन (44) ❀

फ़िरऔन और हामान को और उनके पास
पहुँचा मूसा खुली निशानियाँ लेकर, फिर
बड़ाई करने लगे मुल्क में और नहीं थे
हमसे जीत जाने वाले। (39) फिर सब को
पकड़ा हमने अपने-अपने गुनाह पर, फिर
कोई था कि उस पर हमने भेजा पथराव
हवा से और कोई था कि उसको पकड़ा
चिंघाड़ ने, और कोई था कि उसको धंसा
दिया हमने ज़मीन में, और कोई था कि
उसको डुबा दिया हमने, और अल्लाह
ऐसा न था कि उन पर जुल्म करे पर वे
थे अपना आप ही बुरा करते। (40)
मिसाल उन लोगों की जिन्होंने पकड़े
अल्लाह को छोड़कर और हिमायती जैसे
मकड़ी की मिसाल, बना लिया उसने एक
घर और सब घरों में बोदा सो मकड़ी का
घर। अगर उनको समझ होती। (41)
अल्लाह जानता है जिस-जिसको वे
पुकारते हैं उसके सिवाय कोई चीज़ हो,
और वह ज़बरदस्त है हिक्मतों वाला।
(42) और ये मिसालें बिठलाते हैं हम
लोगों के वास्ते और इनको समझते वही
हैं जिनको समझ है। (43) अल्लाह ने
बनाये आसमान और ज़मीन जैसे चाहियें,
इसमें निशानी है यक़ीन लाने वालों के
लिये। (44) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और मद्दयन वालों के पास हमने उन (की बिरादरी) के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को पैगम्बर बनाकर भेजा। सो उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की इबादत करो (और शिर्क छोड़ दो) और क़ियामत के दिन से डरो, (और उसके इनकार से बाज़ आओ) और सरज़मीन में फ़साद मत फैलाओ (यानी अल्लाह तआला और बन्दों के हुक्क को ज़ाया मत करो, क्योंकि ये लोग कुफ़्र व शिर्क के साथ कम नापने कम तौलने के भी आदी थे, जिससे ख़राबी और बिगाड़ फैलना ज़ाहिर है), सो उन लोगों ने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुठलाया, पस ज़लजले ने उनको आ पकड़ा, फिर वे अपने घरों में औंधे गिरकर रह गये। और हमने आद और समूद को भी (उनके बैर और मुख़ालफ़त की वजह से) हलाक किया, और यह हलाक होना तुमको उनके रहने के स्थानों से नज़र आ रहा है (कि उनकी वीरान बस्तियों के खंडरात मुल्के शाम को जाते हुए तुम्हारे रास्ते पर मिलते हैं) और (हालत उनकी यह थी कि) शैतान ने उनके (बुरे) आमाल को उनकी नज़र में अच्छा और पसन्दीदा बना रखा था और (इस ज़रिये से) उनको (हक़) रास्ते से रोक रखा था, और वे लोग (वैसे) होशियार थे (पागल व बेवकूफ़ न थे, मगर इस जगह उन्होंने अपनी अक़ल से काम न लिया)।

और हमने क़ारून और फिरज़ौन और हामान को भी (उनके कुफ़्र के सबब) हलाक किया। और इन (तीनों) के पास मूसा (अलैहिस्सलाम) की खुली दलीलें (हक़ की) लेकर आये थे, फिर उन लोगों ने ज़मीन में सरकशी की और हमारे (अज़ाब) से भाग न सके। तो हमने (उन पाँचों में से) हर एक को उसके गुनाह की सज़ा में पकड़ लिया, सो उनमें बाज़ों पर तो हमने तेज़ हवा भेजी (इससे क़ौमे आद मुराद है) और उनमें बाज़ों को हौलनाक आवाज़ ने आ दबाया (इससे मुराद क़ौमे समूद है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया सूर: हूद आयत 67 में 'व अ-ख़ज़ल्लज़ी-न ज़-लमुस्सैह-त.....') और उनमें कुछ को हमने ज़मीन में धंसा दिया (इससे मुराद क़ारून है), और उनमें कुछ को हमने (पानी में) डुबो दिया (इससे मुराद फिरज़ौन व हामान है) और (उन लोगों पर जो अज़ाब नाज़िल हुए तो) अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता (यानी बिना वजह सज़ा देता जो देखने में जुल्म जैसा है अगरचे वास्तव में वह भी जुल्म न होता क्योंकि अपनी मिल्क में मन-मर्जी चलाना कोई ग़लत काम नहीं) लेकिन यही लोग (शरारतें करके) अपने ऊपर जुल्म किया करते थे (कि अपने को अज़ाब का हक़दार बनाया और तबाह हुए, तो अपना नुक़सान खुद किया)।

जिन लोगों ने खुदा के सिवा दूसरे कारसाज़ तजवीज़ कर रखे हैं, उन लोगों की मिसाल मकड़ी जैसी मिसाल है, जिसने एक घर बनाया और कुछ शक नहीं कि सब घरों में ज़्यादा बोदा मकड़ी का घर होता है। (पस जैसे उस मकड़ी ने अपने ख़्याल में अपनी एक पनाह की जगह बनाई है, मगर हकीकत में वह पनाह की जगह बेहद कमज़ोर होने के सबब न होने के बराबर है, इसी तरह ये मुशिरक लोग झूठे माबूदों को अपने ख़्याल में अपनी पनाह समझते हैं, मगर वास्तव में वह पनाह कुछ नहीं है) अगर वे (असल हकीकत को) जानते तो ऐसा न करते (यानी शिर्क न करते। लेकिन वे न जानें तो क्या हुआ) अल्लाह तआला (तो) उन सब चीज़ों (की हकीकत और कमज़ोरी) को जानता है

जिस-जिसको वे लोग खुदा के सिवा पूज रहे हैं। (पस वे चीजें तो बहुत ही कमजोर हैं) और वह (खुदा यानी अल्लाह तआला) जबरदस्त, हिक्मत वाला है (जिसका हासिल इल्मी व अमली कुव्वत में कामिल होना है)।

और (चूँकि हम उन चीजों की हकीकत को जानते हैं इसी लिये) हम इन (कुरआनी) मिसालों को (जिसमें से यह एक मिसाल इस जगह पर जिक्र हुई है) लोगों के (समझाने के) लिये बयान करते हैं, और (इन मिसालों से चाहिए था कि उन लोगों की अज्ञानता ज्ञान और इल्म से बदल जाती मगर) मिसालों को बस इल्म वाले लोग ही समझते हैं (चाहे मौजूदा हालत में अलिम हों या अन्जाम के एतिबार से, यानी इल्म और हक के तालिब हों, और ये लोग अलिम भी नहीं तालिब भी नहीं, इसलिए जहल व अज्ञानता में मुब्तला रहते हैं। लेकिन इनके जहल से हक हक ही रहेगा जिसको खुदा जानता और अपने बयान से ज़ाहिर फरमाता है, पस गैरुल्लाह का इबादत का हकदार न होना तो साबित हुआ, आगे अल्लाह तआला के इबादत का हकदार होने की दलील है कि) अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को मुनासिब तरीके पर बनाया है (चुनाँचे वे भी मानते हैं), ईमान वालों के लिये इसमें (अल्लाह के इबादत का हकदार होने की) बड़ी दलील है।

मअरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों के वाकिआत मुख्तसर तौर पर बयान किये गये हैं वे पिछली सूरतों में तफ़्सील और विस्तार से आ चुके हैं। जैसे शुऐब अलैहिस्सलाम का किस्सा सूर: आराफ़ और हूद में, इसी तरह अ़द व समूद का किस्सा भी आराफ़ और हूद में गुज़र चुका है, और कारून, फिरऔन, हामान का किस्सा सूर: कसस में अभी गुज़रा है।

وَكَانُوا مُتَّبِعِينَ ۝

मुस्तबिबरीन इस्तिबसार से निकला है जो बसीरत (समझ व अक़ल) के मायने में है और मुस्तब्सिर मुबस्तिर के मायने में है, मुराद यह है कि ये लोग जो कुफ़्र व शिर्क पर अड़े रहकर अज़ाब में और हलाकत में मुब्तला हुए कुछ बेवकूफ़ या दीवाने न थे, दुनिया के कामों में बड़े बुद्धिमान और होशियार थे, मगर उनकी अक़ल और होशियारी इसी माद्दी दुनिया में कैद होकर रह गई। यह न पहचाना कि नेक व बंद की जज़ा व सज़ा का कोई दिन आना चाहिये जिसमें मुकम्मल इन्साफ़ हो क्योंकि दुनिया में तो अक्सर मुजरिम ज़ालिम दन्दनाते फिरते हैं और मज़लूम व मुसीबत का मारा मजबूर होकर रह जाता है। उसी इन्साफ़ के दिन का नाम क़ियामत और आख़िरत है, इसके मामले में उनकी अक़ल मारी गई।

यही मज़मून सूर: रूम में भी आगे आने वाला है:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝

यानी ये लोग दुनियावी ज़िन्दगी के कामों को तो ख़ूब जानते हैं मगर आख़िरत से ग़ाफ़िल हैं।

और तफ़्सीर के कुछ इमामों ने 'व कानू मुस्तबिबरीन' के मायने यह बतलाये कि ये लोग ईमान

और आखिरत पर भी दिल में तो यकीन रखते थे और इसका हक होना ख़ूब समझते थे मगर दुनियावी फ़ायदों और स्वार्थों ने इनको इनकार पर मजबूर कर रखा था।

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ .

अन्कबूत मकड़ी को कहा जाता है, इसकी अनेक किस्में हैं। उनमें से कुछ ज़मीन में घर बनाती हैं, बज़ाहिर यहाँ वो मुराद नहीं, बल्कि मुराद वह मकड़ी है जो जाला तानती और उसमें लटकी रहती है। उस जाले के ज़रिये मक्खी को शिकार करती है। यह ज़ाहिर है कि जानवरों की जितनी किस्म के घोंसले और घर परिचित हैं ये जाले के तार उन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं कि मामूली हवा से भी टूट सकते हैं। इस आयत में ग़ैरुल्लाह की पूजा-पाठ करने वालों और उन पर भरोसा करने वालों की मिसाल मकड़ी के उस जाले से दी है जो कि बहुत ही कमज़ोर है। इसी तरह जो लोग अल्लाह के सिवा बुतों पर किसी इनसान वग़ैरह पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा ऐसा ही है जैसा यह मकड़ी अपने जाले के तारों पर भरोसा करती है।

मसला: मकड़ी को मारने और उसके जाले साफ़ कर देने के बारे में उलेमा के अलग-अलग अक़वाल हैं। कुछ हज़रत इसको पसन्द नहीं करते क्योंकि यह जानवर नबी करीम सल्ल. की मदीना की तरफ़ हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर के दहाने पर जाला तान देने की वजह से एहतिराम व सम्मान के क़ाबिल हो गया जैसा कि ख़तीबे बग़दादी ने हज़रत अली कर्मल्लाहु वज़्हू से इसके क़त्ल की मनाही नक़ल की है। मगर सालबी और इब्ने अतीया ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है:

طَهَّرُوا بَيْوتَكُمْ مِنْ نَسَجِ الْعَنْكَبُوتِ فَإِنَّ تَرَكَهُ يُورِثُ الْفَقْرَ .

“यानी मकड़ी के जालों से अपने मकानात को साफ़ रखा करो, क्योंकि उसके छोड़ देने से फ़क़ व तंगदस्ती पैदा होती है।”

सनद इन दोनों रिवायतों की भरोसे के क़ाबिल नहीं और दूसरी रिवायत की दूसरी हदीसों से ताईद होती है जिनमें मकानों और घर के सेहन को साफ़ रखने का हुक्म है। (रुहुल-मज़ानी)

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ۝

मुशिरक लोगों के खुदाओं की कमज़ोरी की मिसाल मकड़ी के जाले से देने के बाद यह इरशाद फ़रमाया कि हम ऐसी-ऐसी स्पष्ट मिसालों से तौहद की हकीकत का बयान करते हैं मगर इन मिसालों से भी समझ-बूझ सिर्फ़ दीन के आलिम ही हासिल करते हैं दूसरे लोग सोचने-समझने और विचार करने की फ़िक्र ही नहीं करते कि हक़ उन पर खुल जाये।

अल्लाह के नज़दीक आलिम कौन है?

इमाम बग़वी रह. ने अपनी सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत फ़रमाकर फ़रमाया कि आलिम वही शख्स है जो अल्लाह तआला के कलाम में सोच-विचार करे और उसके हुक्मों पर अमल करे और उसके नाराज़ करने वाले कामों से बचे।

इससे मालूम हुआ कि कुरआन व हदीस के सिर्फ अलफाज़ समझ लेने से अल्लाह के नज़दीक कोई शख्स आलिम नहीं होता जब तक कुरआन में विचार और गौर व फिक्र की आदत न डाले, और जब तक कि अपने अमल को कुरआन के मुताबिक न बनाये।

मुस्नद अहमद में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रियायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक हज़ार मिसालें सीखी हैं। इन्हे कसीर रह. इसको नक़ल करके लिखते हैं कि यह हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत बड़ी फज़ीलत है क्योंकि अल्लाह तआला ने इस ऊपर बयान हुई आयत में आलिम उन्हीं को फ़रमाया है जो अल्लाह व रसूल की बयान की हुई मिसालों को समझें।

और हज़रत अमर बिन मुरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जब मैं कुरआन की किसी आयत पर पहुँचता हूँ जो मेरी समझ में न आये तो मुझे बड़ा ग़म होता है, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

بَلِّغِ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ۝ (ابن كثير)

(हम इन मिसालों को लोगों के लिये बयान करते हैं, और मिसालों को बस इल्म वाले लोग ही समझते हैं।)

पारा (21) उल्लु मा ऊहि-य

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

उल्लु मा ऊहि-य इलै-क मिनल्-किताबि व अकि मिस्सला-त, इन्नस्सला-त तन्हा अनिल् फहशा-इ वल्मुन्करि, व ल-ज़िक्रुल्लाहि अक्बरु, वल्लाहु यअ्लमु मा तसूनज़ून (45)

तू पढ़ जो उतरी तेरी तरफ़ किताब और कायम रख नमाज़, बेशक नमाज़ रोकती है बेहयाई और बुरी बात से, और अल्लाह की याद है सबसे बड़ी, और अल्लाह को खबर है जो तुम करते हो। (45)

खुलासा-ए-तफसीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! चूँकि आप रसूल हैं इसलिये) जो किताब आप पर वही की गई है आप (तब्लीग़ के वास्ते) उसको (लोगों के सामने) पढ़ा कीजिये। और (जुबानी तब्लीग़ के साथ अमली तब्लीग़ भी कीजिये कि दीन के काम उनको अमल करके भी बतलाईये, खुसूसन) नमाज़ की पाबन्दी रखिये (क्योंकि तमाम आमाल में नमाज़ सबसे बड़ी इबादत भी है और इसके असरात भी

दूर तक पहुँचते हैं कि) बेशक नमाज़ (अपनी शक्ति और जाहिरी हालात के एतिबार से) बेहयाई और नामाकूल कामों से रोक-टोक करती रहती है (यानी जुबाने हाल से कहती है कि तू जिस माबूद की हद से ज्यादा इज्जत व सम्मान कर रहा है और उसकी फरमाँबरदारी का इकरार कर रहा है, बुरे और गन्दे कामों में मुब्तला होना उसकी शान में बेअदबी है) और (इसी तरह नमाज़ के सिवा जितने नेक काम हैं सब पाबन्दी के लायक हैं, क्योंकि वे सब जुबान से या अमल से अल्लाह की याद ही हैं) अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। और (अगर तुम अल्लाह की याद में ग़फ़लत करो तो यह भी सुन लो कि) अल्लाह तुम्हारे सब कामों को जानता है (जैसा करोगे वैसा बदला मिलेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

أَنْلُ مَا أَوْجَى إِلَيْكَ

इनसे पहले की आयतों में चन्द नबियों और उनकी उम्मतों का जिक्र था। जिनमें कुछ बड़े-बड़े सरकश काफ़िरों और उन पर तरह-तरह के अज़ाबों का बयान था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उम्मत के मोमिनों के लिये तसल्ली भी है कि पिछले नबियों ने मुखालिफ़ों की कैसी कैसी तकलीफ़ों पर सब्र किया, और इसकी तालीम व हिदायत भी कि तब्लीग़ व दावत के काम में किसी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिये।

मख़्लूक़ के सुधार का मुख़्तसर और पूर्ण नुस्खा

उपर्युक्त आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह की तरफ़ दावत देने का एक मुख़्तसर जामे नुस्खा बतलाया गया है जिस पर अमल करने से पूरे दीन पर अमल करने के रास्ते खुल जाते हैं और उसकी राह में जो रुकावटें पेश आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस अचूक नुस्खे के दो भाग हैं- एक कुरआन की तिलावत, दूसरे नमाज़ का कायम करना। और इस जगह असल मक़सद तो यही है कि लोगों को इन दोनों चीज़ों का पाबन्द किया जाये, लेकिन शौक़ दिलाने और ताकीद के लिये इन दोनों चीज़ों का हुक्म पहले तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दिया गया है ताकि उम्मत को इस पर अमल करने की ज्यादा रग़बत (दिलचस्पी) हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अमली तालीम से उनको खुद अमल करना भी आसान हो जाये।

इनमें कुरआन की तिलावत (पढ़ना) तो सब कामों की रूह और असल बुनियाद है, इसके बाद दूसरी चीज़ नमाज़ का कायम करना है जिसको तमाम दूसरे फ़राईज़ और आमाल से नुमायाँ करके बयान करने की यह हिक्मत भी बयान फ़रमा दी कि नमाज़ खुद अपनी ज़ात में भी बहुत बड़ी अहम इबादत और दीन का सुतून है, इसके साथ उसका यह भी फ़ायदा है कि जो शख्स नमाज़ की पाबन्दी कर ले तो नमाज़ उसको बेहयाई के और बुरे कामों से रोक देती है। फ़ुहशा (बेहयाई) हर ऐसे बुरे फ़ेल या कौल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली हुई और ऐसी स्पष्ट हो कि हर अक़ल वाला मॉमिन हो या काफ़िर उसको बुरा समझे, जैसे ज़िना, नाहक़ क़त्ल करना, चोरी, डाका वगैरह। और मुन्कर (बुराई) वह कौल व फ़ेल है जिसके हराम व नाजायज़ होने पर शरीअत वालों का इत्तिफ़ाक़

(एक राय) हो, इसलिये फ़कीह इमामों के वैचारिक मतभेदों में किसी राय और क़ौल को मुन्कर नहीं कहा जा सकता।

फ़ुहशा और मुन्कर के दो लफ़्ज़ों में तमाम अपराध और ज़ाहिर व बातिन के गुनाह आ गये, जो खुद भी फ़साद ही फ़साद (ख़राबियाँ) हैं और नेक आमाल में सबसे बड़ी रुकावट भी हैं।

नमाज़ का तमाम गुनाहों से रोकने का मतलब

अनेक मोतबर हदीसों के अनुसार इसका यह मतलब है कि नमाज़ क़ायम करने में विशेष तौर पर यह तासीर है कि जो इसको अदा करता है उससे गुनाह छूट जाते हैं बशर्तकि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना न हो बल्कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ के मुताबिक़ नमाज़ का क़ायम करना हो। इक़ामत के लफ़्ज़ी मायने सीधा खड़ा करने के हैं जिसमें किसी तरफ़ झुकाव न हो। इसलिये नमाज़ को क़ायम करने का मतलब यह हुआ कि नमाज़ के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आदाब उस तरह अदा करे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अमली तौर पर अदा करके बतलाया, और उम्र भर उनकी ज़बानी तालीम व हिदायत भी फ़रमाते रहे कि बदन और कपड़े और जाय-नमाज़ की मुकम्मल पाकी भी हो, फिर जमाअत की नमाज़ का पूरा एहतिमाम भी, और नमाज़ के तमाम आमाल को सुन्नत के मुताबिक़ बनाना भी। यह तो ज़ाहिरी आदाब हुए। बातिनी यह कि मुकम्मल खुशू व खुजू (दिल की आजिजी और विशेष ध्यान) से इस तरह अल्लाह के सामने खड़ा हो कि गोया वह हक़ तज़ाला से दरख़्वास्त और अर्ज़ कर रहा है। इस तरह नमाज़ क़ायम करने वाले को अल्लाह की तरफ़ से खुद-ब-खुद नेक आमाल की भी तौफ़ीक़ होती है, और हर तरह के गुनाहों से बचने की भी, और जो शख्स नमाज़ पढ़ने के बावजूद गुनाहों से न बचा तो समझ ले कि उसकी नमाज़ ही में कमी व कोताही है, जैसा कि हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया कि 'इन्नस्सला-त तन्हा अनिल्-फ़हशा-इ वल्मुन्करि' (बेशक नमाज़ रोकती है बेहयाई और बुरी बात से) का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया:

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. (رواه ابن ابي حاتم بسند عن عمران بن حصين

والطبرانی من حديث ابي معاوية)

यानी जिस शख्स को उसकी नमाज़ ने बेहयाई और बुराई से न रोका उसकी नमाज़ कुछ नहीं।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُطِيعِ الصَّلَاةَ. (رواه ابن جرير بسنده)

यानी उस शख्स की नमाज़ ही नहीं जिसने अपनी नमाज़ का हुक्म न माना, और नमाज़ का हुक्म मानना यही है कि बेहयाई और बुरी बातों से बाज़ आ जाये।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उक्त आयत की तफ़्सीर में फ़रमाया कि जिस शख्स की नमाज़ ने उसको नेक आमाल पर अमल और बुराईयों से परहेज़ पर आमादा नहीं किया तो ऐसी नमाज़ उसको अल्लाह से और ज़्यादा दूर कर देती है।

तीनों रिवायतों को नकल करके वरीयता इसको दी है कि ये हदीसों
 बिन हुसैन और अब्दुल्लाह बिन मसऊद और इब्ने अब्बास रजियल्लाहु
 उन हज़रात ने इस आयत की तफ़सीर में इरशाद फ़रमाये हैं।

अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि व
 ख़दमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि फुल्लौ आदमी रात को तहज़ुद पढ़ता है और
 उबह होती है तो चोरी करता है, आपने फ़रमाया कि बहुत जल्दी नमाज़ उसको चोरी से रोक
 देगी। (इब्ने कसीर)

कुछ रिवायतों में यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इरशाद के बाद
 उसने अपने गुनाह से तौबा कर ली।

एक शुब्हा और उसका जवाब

यहाँ कुछ लोग यह शुब्हा किया करते हैं कि हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि नमाज़ के
 पाबन्द होने के बावजूद बड़े-बड़े गुनाहों में मुब्तला रहते हैं जो बज़ाहिर इस आयत के इरशाद के
 खिलाफ़ है।

इसके जवाब में कुछ हज़रात ने तो यह फ़रमाया कि आयत से इतना मालूम होता है कि नमाज़
 नमाज़ी को गुनाहों से रोकती है, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि जिसको किसी काम से मना किया जाये
 वह उससे बाज़ भी आ जाये। आख़िर कुरआन व हदीस सब लोगों को गुनाह से मना करते हैं मगर
 बहुत से लोग इस मना करने की तरफ़ तवज़्जोह नहीं देते और गुनाह से बाज़ नहीं आते। ऊपर बयान
 हुए खुलासा-ए-तफ़सीर में यही मतलब लिया गया है।

मगर अक्सर हज़राते मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि नमाज़ के मना करने का मतलब सिर्फ़ हुक्म
 देना नहीं बल्कि नमाज़ में विशेष तौर पर यह असर भी है कि इसके पढ़ने वाले को गुनाहों से बचने
 की तौफ़ीक़ हो जाती है, और जिसको तौफ़ीक़ न हो तो ग़ौर करने से साबित हो जायेगा कि उसकी
 नमाज़ में कोई ख़लल था और नमाज़ पढ़ने का हक़ उसने अदा नहीं किया, उपर्युक्त हदीसों से इसी
 मज़मून की ताईद होती है।

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

“यानी अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है, और वह तुम्हारे सब आमाल को ख़ूब जानता है।”

यहाँ अल्लाह के ज़िक्र का यह मतलब भी हो सकता है कि बन्दे जो अल्लाह का ज़िक्र नमाज़ या
 नमाज़ से बाहर में करते हैं वह बड़ी चीज़ है, और यह मायने भी हो सकते हैं कि बन्दे जब अल्लाह
 का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह का वायदा है कि वह अपने जाकिर बन्दों का ज़िक्र फ़रिश्तों के मजमे में
 करते हैं। जैसा कि कुरआन में फ़रमाया ‘फ़ज़्कुरुनी अज़्कुरुकुम’।

और यह इबादत गुज़ार बन्दों को अल्लाह का याद करना सबसे बड़ी नेमत है। बहुत से सहाबा व
 ताबिईन से इस जगह अल्लाह के ज़िक्र का यही दूसरा मतलब नकल किया गया है। इमाम इब्ने जरीर
 और इब्ने कसीर ने इसी को वरीयता दी है, और इस मायने के लिहाज़ से इसमें इस तरफ़ भी इशारा

हो गया कि नमाज़ पढ़ने में गुनाहों से निजात का असल सबब यह है कि अल्लाह तआला खुद उसकी तरफ़ मुतवज्जह होते हैं, उसका ज़िक्र फ़रिश्तों में करते हैं और इसकी बरकत से उसको गुनाहों से निजात मिल जाती है।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَالْهِنَا وَالْهَيْكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَ
كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۝
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا
أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا
أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ
بَيِّنِي وَبَيِّنَاتِكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسْتَقَرٌّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ يَوْمَ يُغَشَّمُ الْعَذَابُ
مِنْ قَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

व ला तुजादिलू अहल्लल्-किताबि इल्ला
बिल्लती हि-य अह्सनु इल्लल्लजी-न
ज़-लमू मिन्हुम् व कूलू आमन्ना
बिल्लजी उन्ज़ि-ल इलैना व उन्ज़ि-ल
इलैकुम् व इलाहुना व इलाहुकुम्
वाहिदुव्-व नहनु लहू मुस्लिमून (46)
व कज़ालि-क अन्ज़ल्ला इलैकल्-
किता-ब, फ़ल्लजी-न आतैनाहुमुल्-
किता-ब युअ्मिनु-न बिही व मिन्
हाउला-इ मय्युअ्मिनु बिही,

और झगड़ा न करो अहले किताब से
मगर उस तरह पर जो बेहतर हो, मगर
जो उनमें बेइन्साफ़ हैं, और यूँ कहो कि
हम मानते हैं जो उतरा हमको और उतरा
तुमको और बन्दगी हमारी और तुम्हारी
एक ही को है, और हम उसी के हुक्म पर
चलते हैं। (46) और वैसी ही हमने उतारी
तुझ पर किताब, सो जिनको हमने किताब
दी है वे इसको मानते हैं और इन (मक्का
वालों) में भी बाजे हैं कि इसको मानते हैं

व मा यज्हुदु बिआयातिना इल्लल्-
 काफिरून (47) व मा कुन्-त तल्लू
 मिन् कब्लिही मिन् किताबिन्-व ला
 तखुत्तुहू बि-यमीनि-क इज़ल्-
 लरताबल्- मुब्तिलून (48) बल् हु-व
 आयातुम् बय्यिनातुन् फी
 सुदूरिल्लजी-न ऊतुल्-ज़िल्-म, व मा
 यज्हुदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून
 (49) व कालू लौ ला उन्ज़ि-ल अलैहि
 आयातुम् मिरिब्बिही, कुल् इन्नमल्-
 आयातु अिन्दल्लाहि, व इन्नमा अ-न
 नज़ीरुम्-मुबीन (50) अ-व लम्
 यक्फिहिम् अन्ना अन्ज़ल्ला अलैकल्-
 किता-ब युत्ला अलैहिम्, इन्-न फी
 ज़ालि-क ल-रहम-तं-व-व ज़िकरा
 लिक्मैमिन्-युअ्मिनून (51) ❀

कुल् कफ़ा बिल्लाही बैनी व बैनकुम्
 शहीदन् यज़्लमु मा फ़िस्समावाति
 वल्अर्ज़ि, वल्लज़ी-न आमनू
 बिल्बातिलि व क-फ़रु बिल्लाहि
 उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून (52) व
 यस्तअज़िलून-क बिल्अज़ाबि, व लौ
 ला अ-जलुम्-मुसम्मल्-लजा-अहुमुल्-
 अज़ाबु, व ल-यअ्ति-यन्नहुम्

और मुन्किर वही हैं हमारी बातों से जो
 नाफरमान हैं। (47) और तू पढ़ता न था
 इससे पहले कोई किताब और न लिखता
 था अपने दाहिने हाथ से तब तो लाज़िमी
 तौर पर शुब्हे में पड़ते थे झूठे। (48)
 बल्कि यह (कुरआन) तो आयतें हैं साफ़
 उन लोगों के सीनों में जिनको मिली है
 समझ, और इनकारी नहीं हमारी बातों से
 मगर वही जो बेइन्साफ़ हैं। (49) और
 कहते हैं क्यों न उतरीं उस पर कुछ
 निशानियाँ उसके रब से, तू कह निशानियाँ
 तो हैं इस्त्रियार में अल्लाह के और मैं तो
 बस सुना देने वाला हूँ खोलकर। (50)
 क्या उनको यह काफी नहीं कि हमने तुझ
 पर उतारी किताब कि उन पर पढ़ी जाती
 है, बेशक इसमें रहमत है और समझाना
 उन लोगों को जो मानते हैं। (51) ❀
 तू कह काफी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे
 बीच गवाह, जानता है जो कुछ है आसमान
 और ज़मीन में और जो लोग यकीन लाते
 हैं झूठ पर और इनकारी हुए अल्लाह से,
 वही हैं नुक़सान पाने वाले। (52) और
 जल्दी माँगते हैं तुझसे आफ़त, और अगर
 न होता एक वायदा तब तो आ पहुँचती
 उन पर आफ़त, और ज़रूर आयेगी उन

बग़्त-तंक्-व हुम् ला यश्अरून (53)
 यस्तअज़िलून-क बिल्अज़ाबि, व
 इन्-न जहन्न-म लमुही-ततुम्-बिल्-
 काफ़िरीन (54) यौ-म यश्शाहुमुल्-
 अज़ाबु मिन् फ़ौकिहिम् व मिन्
 तह्ति अरजुलिहिम् व यकूलु ज़ूकू
 मा कुन्तुम् तअमलून (55)

पर अचानक और उनको ख़बर न होगी।
 (53) जल्दी माँगते हैं तुझसे अज़ाब और
 दोज़ख़ घेर रही है इनकारियों को। (54)
 जिस दिन घेर लेगा उनको अज़ाब उनके
 ऊपर से और पाँव के नीचे से और कहेगा
 चखो जैसा कुछ तुम करते थे। (55)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और (जब पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत साबित है तो ऐ मुसलमानो! रिसालत के इनकारियों में से जो अहले किताब हैं हम उनसे गुफ़्तगू का तरीका बतलाते हैं, और यह अहले किताब को ख़ास करना इसलिये कि अव्वल तो वे इल्म वाले होने की वजह से बात को सुनते हैं और मुश्रिक लोग तो बात सुनने से पहले ही तकलीफ़ देने के पीछे लग जाते हैं, दूसरे इल्म रखने वालों के ईमान ले आने से अ़वाम का ईमान ज़्यादा अपेक्षित हो जाता है। और वह तरीका यह है कि) तुम अहले किताब के साथ सिवाय तहज़ीब वाले तरीके के बहस मत करो। हाँ! जो उनमें ज़्यादाती करें (तो उनको उन्हीं के जैसा जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, अगरचे अफ़ज़ल तब भी अच्छा तरीका ही है) और (वह सभ्य और अच्छा तरीका यह है कि मसलन उनसे) यूँ कहो कि हम उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हम पर नाज़िल हुई और उन किताबों पर भी (ईमान रखते हैं) जो तुम पर नाज़िल हुई (क्योंकि ईमान का मदार अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होना है, पस जब हमारी किताब का अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होना तुम्हारी किताबों से भी साबित है फिर तुमको क़ुरआन पर भी ईमान लाना चाहिये) और (यह तुम भी मानते हो) कि हमारा और तुम्हारा माबूद एक है, जैसा कि अल्लाह तआला ने सूर: आले इमरान की आयत 64 में फ़रमाया है 'इला कलि-मतिन् सवाइम् बैनना व बैनकुम्.....'। जब तौहीद पर सहमति है और अपने उलेमा व बुजुर्गों का हुक्म मानने की वजह से नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ पर ईमान न लाना ख़िलाफ़े तौहीद है तो तुमको हमारे नबी पर ईमान लाना चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है 'व ला यत्तख़ि-ज़ बअज़ुना बअज़ुन्.....' और (इस गुफ़्तगू के साथ अपना मुसलमान होना तंबीह के लिये सुना दो कि) हम तो उसकी फ़रमाँवरदारी करते हैं (इसमें अ़कीदे व आमाल सब आ गये, यानी इसी तरह तुमको भी चाहिए जबकि मौका और तकाज़ा मौजूद है जैसा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَوْلُوا الشَّهَادَةُ أَبَانًا مُسْلِمُونَ ۝

और (जिस तरह हमने पहले नबियों पर किताबें नाज़िल कीं) इसी तरह हमने आप पर किताब

नाज़िल फ़रमाई (जिसकी बिना पर अच्छे अन्दाज़ पर गुफ्तगू व बहस करने की तालीम की गई) सो जिन लोगों को हमने किताब (की नफ़ा देने वाली समझ) दी है वे इस (आप वाली) किताब पर ईमान ले आते हैं (और उनसे बहस व गुफ्तगू की भी नौबत इतिफ़ाक़ से ही आती है) और इन (अरब के मुशिरक) लोगों में भी बाज़े ऐसे (इन्साफ़ पसन्द) हैं कि इस किताब पर ईमान ले आते हैं (चाहे खुद समझकर या इल्म रखने वालों के ईमान से दलील हासिल करके) और (दलीलों के स्पष्ट हो जाने के बाद) हमारी (इस किताब की) आयतों से सिवाय (ज़िद्दी) काफ़िरों के और कोई इनकारी नहीं होता।

(ऊपर बहस व गुफ्तगू की किताबी व रिवायती दलील थी जिससे ख़ास अहले किताब व नक़ल वालों को संबोधन था, आगे अक़्ती दलील है जिससे आम संबोधन है, यानी) और (जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत के इनकारी हैं, उनके पास शुब्हे व एतिराज़ की कोई सही बुनियाद भी तो नहीं, क्योंकि) आप इस किताब (यानी कुरआन) से पहले न कोई किताब पढ़े हुए थे और न कोई किताब अपने हाथ से लिख सकते थे, कि ऐसी हालत में यह हक़ न पहचानने वाले लोग कुछ शुब्हा निकालते (कि ये लिखे-पढ़े आदमी हैं आसमानी किताबें देख-भालकर उनकी मदद से मज़ामीन सोचकर फ़ुर्सत में बैठकर लिख लिये और याद करके हम लोगों को सुना दिये, यानी अगर ऐसा होता तो कुछ तो शुब्हे व दुविधा की कोई बुनियाद होती, अगरचे तब भी यह शुब्हा करने वाले बातिल और ग़लत राह पर चलने वाले होते, क्योंकि कुरआन पाक का अपने आप में बेमिसाल और बेजोड़ होना फिर भी आपकी नुबुव्वत के लिये काफ़ी दलील थी, लेकिन यह अब तो शुब्हे की इतनी बुनियाद भी नहीं, इसलिए इस किताब में किसी शक़ व शुब्हे की गुंजाईश नहीं) बल्कि यह किताब (बावजूद एक होने के चूँकि इसका हर हिस्सा मोजिज़ा है, और हिस्से बहुत हैं, इसलिए वह तन्हा गोया) खुद बहुत-सी स्पष्ट दलीलें हैं उन लोगों के ज़ेहन में जिनको इल्म अता हुआ है, और (बावजूद इसकी बेजोड़ शान ज़ाहिर होने के) हमारी आयतों से बस ज़िद्दी लोग इनकार किये जाते हैं (वरना इन्साफ़ से काम लेने वाले को तो ज़रा भी शुब्हा नहीं रहना चाहिए)।

और ये लोग (कुरआन का मोजिज़ा अता होने के बावजूद महज़ सरकशी व दुश्मनी से) यूँ कहते हैं कि इन (पैग़म्बर) पर इनके रब के पास से (हमारी फ़रमाईशी) निशानियाँ क्यों नहीं नाज़िल हुईं? आप यूँ कह दीजिए कि वो निशानियाँ तो खुदा (की कुदरत) के कब्ज़े में हैं और (मेरे इख़्तियार की चीज़ें नहीं) मैं तो सिर्फ़ एक साफ़-साफ़ (अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला (यानी रसूल) हूँ। (और रसूल होने पर सही दलीलें रखता हूँ जिनमें सबसे बड़ी दलील कुरआन है। फिर ख़ास दलील की क्या ज़रूरत है? खुसूसन जबकि उसके ज़ाहिर व वाक़े न होने में हिक्मत भी हो। आगे कुरआन का नुबुव्वत की सबसे बड़ी निशानी होना बयान फ़रमाते हैं) क्या (नुबुव्वत पर दलालत करने में) उन लोगों को यह बात काफ़ी नहीं हुई कि हमने आप पर यह (बेमिसाल और सब को अपने जैसा लाने से अज़िज़ कर देने वाली) किताब नाज़िल फ़रमाई जो उनको (हमेशा) सुनाई जाती रहती है (कि अगर एक बार सुनने से इसका बेमिसाल और चमत्कारी होना ज़ाहिर न हो तो दूसरी बार में हो जाये, या उसके बाद हो जाये। और दूसरे मोजिज़ों में तो यह बात भी न होती, क्योंकि उनका बिना असबाब के और ख़िलाफ़े आदत होना हमेशा के लिये न होता जैसा कि ज़ाहिर है। और एक ख़ास बात और

वरीयता का कारण इस मोजिजे में यह है कि) बेशक इस किताब में (मोजिजा होने के साथ) ईमान लाने वाले लोगों के लिये बड़ी रहमत और नसीहत है (रहमत यह कि अहकाम की तालीम है जो खालिस नफ़ा है, और नसीहत इसके शौक दिलाने और डराने वाले मज़मून से है, और यह बात दूसरे मोजिजों में कब होती। पस तरजीह और वरीयता की इन चीज़ों से तो इसको ग़नीमत समझते और ईमान ले आते, और अगर दलीलों के इस स्पष्ट होने के बाद भी ईमान न लायें तो आखिरी जवाब के तौर पर) आप यह कह दीजिये कि (ख़ैर भाई मत मानो) अल्लाह तआला मेरे और तुम्हारे बीच (मेरी रिसालत का) गवाह काफी है, उसको सब चीज़ की ख़बर है जो आसमान में है और जो ज़मीन में है और (जब मेरी रिसालत और अल्लाह का हर चीज़ को घेरने वाला इल्म साबित हुआ तो) जो लोग झूठी बातों पर यकीन रखते हैं और अल्लाह तआला (की बातों) के इनकारी हैं (जिनमें रिसालत भी दाख़िल है) तो वे लोग बड़े घाटा उठाने वाले हैं (यानी जब अल्लाह के इरशाद से मेरी रिसालत साबित है तो उसका इनकार अल्लाह के साथ कुफ़्र है, और अल्लाह तआला का इल्म हर चीज़ को अपने अन्दर लिये हुए है तो उसको इस इनकार और कुफ़्र की भी ख़बर है, और अल्लाह तआला कुफ़्र पर घाटा उठाने की सज़ा देते हैं, पस लाज़िमी तौर पर ऐसे लोग घाटा उठाने वाले होंगे)।

और ये लोग आप से अज़ाब (ज़ाहिर होने का) तकाज़ा करते हैं (और फ़ौरन अज़ाब न आने से आपकी नुबुव्वत व रिसालत में शुक्हा व इनकार करते हैं), और अगर (अल्लाह तआला के इल्म में अज़ाब आने की) निर्धारित मियाद न होती तो (उनके तकाज़े के साथ ही) उन पर अज़ाब आ चुका होता, और (जब वह मियाद आ जायेगी तो) वह अज़ाब उन पर एक दम से आ पहुँचेगा और उनको ख़बर भी न होगी। (आगे उन लोगों की जहालत के इज़हार के लिये उनकी जल्द बाज़ी को दोबारा ज़िक्र करके अज़ाब की निर्धारित मियाद और उसमें पेश आने वाले अज़ाब का ज़िक्र करते हैं कि) ये लोग आप से अज़ाब का तकाज़ा करते हैं और (अज़ाब की सूरात यह है कि) इसमें कुछ शक नहीं कि जहन्नम उन काफ़िरों को (चारों तरफ़ से) घेर लेगी, जिस दिन कि उन पर अज़ाब उनके ऊपर से और उनके नीचे से घेर लेगा और (उस वक़्त उनसे) हक़ तआला फ़रमायेगा कि जो कुछ (दुनिया में) करते रहे हो (अब उसका मज़ा) चखो।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

यानी अहले किताब से बहस व मुबाहसे की नौबत आये तो गुफ्तगू व बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतर हो, जैसे सख़्त बात का जवाब नरम अलफ़ाज़ से, गुस्से का जवाब संयम से, जाहिलाना शोर व गुल का जवाब सन्जीदा बातचीत से।

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

मगर वे लोग जिन्होंने तुम पर जुल्म किया कि तुम्हारी सन्जीदा व सभ्य नर्म गुफ्तगू और स्पष्ट दलीलों के मुक़ाबले में ज़िद और हठधर्मी से काम लिया तो वे इस एहसान के मुस्तहिक नहीं रहे बल्कि ऐसे लोगों का जवाब उन्हीं के अन्दाज़ में दिया जाये तो जायज़ है, अगरचे अच्छा और बेहतर

उस वक़्त भी यही है कि उनके बुरे व्यवहार का जवाब बुरे व्यवहार से और जुल्म का जवाब जुल्म से न दें, बल्कि बद-अख़लाकी के जवाब में अच्छे अख़लाक का और जुल्म के जवाब में इन्साफ़ का प्रदर्शन करें जैसा कि कुरआन की दूसरी आयतों में इसकी वज़ाहत है:

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝

“यानी अगर जुल्म व ज़्यादती का बदला तुम उनसे बराबर सराबर ले लो तो तुम्हें इसका हक़ है लेकिन सब्र करो तो यह ज़्यादा बेहतर है।”

इस आयत में अहले किताब से बहस व गुफ्तगू और मुनाज़रा करने में जो हिदायत अच्छे तरीक़े के साथ करने की दी गई है यही सूरः नहल में मुश्रिकों के मुताल्लिक भी है। इस जगह अहले किताब को ख़ास करना उस कलाम की वजह से है जो बाद में आ रहा है कि हमारे और तुम्हारे बीच दीन में बहुत सी चीज़ें साझा हैं तुम ग़ौर करो तो ईमान और इस्लाम के क़बूल करने में तुम्हें कोई रुकावट न होनी चाहिये जैसा कि इरशाद फ़रमाया:

قُلُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ

यानी तुम अहले किताब से गुफ्तगू व बहस के वक़्त उनको अपने करीब करने के लिये कहो कि हम मुसलमान तो उस वही पर भी ईमान रखते हैं जो हमारी तरफ़ हमारे रसूल के माध्यम से भेजी गई है और उस वही पर भी जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे पैग़म्बर के ज़रिये भेजी गई है, इसलिये हम से मुख़ालफ़त की कोई वजह नहीं।

क्या इस आयत में मौजूदा तौरात व इन्जील के मज़ामीन की तस्दीक़ का हुक़म है?

इस आयत में अहले किताब की तरफ़ आने वाली किताबों तौरात व इन्जील पर मुसलमानों के ईमान का तज़क़िरा जिस उनवान से किया गया है वह यह है कि हम इन किताबों पर संक्षिप्त रूप से यक़ीन रखते हैं। मतलब यह कि जो कुछ अल्लाह तज़ाला ने इन किताबों में नाज़िल फ़रमाया था उस पर हमारा यक़ीन है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि मौजूदा तौरात व इन्जील के तमाम मज़ामीन पर हमारा ईमान है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और उस वक़्त से अब तक उनमें कमी-बेशी करने का सिलसिला चल ही रहा है। ईमान तौरात व इन्जील के सिर्फ़ उन मज़ामीन पर है जो अल्लाह की तरफ़ से हज़रत मूसा व ईसा अलैहिमस्सलाम पर नाज़िल हुए थे, रद्दोबदल हुए मज़ामीन इससे ख़ारिज हैं।

मौजूदा तौरात व इन्जील की न पूरी तरह तस्दीक़ की जाये न बिल्कुल ही झुठलाया जाये

सही दुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अहले किताब तौरात व

इन्जील को उनकी असल भाषा इब्रानी में पढ़ते थे और मुसलमानों को उनका तर्जुमा अरबी भाषा में सुनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके मुताल्लिक मुसलमानों को यह हिदायत दी कि तुम अहले किताब की न तस्दीक (पुष्टि) करो न उनको झुठलाओ बल्कि यूँ कहो:

أَنَا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ

यानी हम संक्षिप्त रूप से उस वही (अल्लाह के भेजे हुए पैग़ाम व अहक़ाम) पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारे अम्बिया पर नाज़िल हुई है और जो तफ़सीलात तुम बतलाते हो वो हमारे नज़दीक क़ाबिले भरोसा नहीं, इसलिये हम इसकी पुष्टि करने या झुठलाने से परहेज़ करते हैं।

तफ़सीरों में जो आम मुफ़स्सिरीन ने अहले किताब की रिवायतें नक़ल की हैं उनका भी यही दर्जा है। और नक़ल करने का मन्शा भी सिर्फ़ उसकी तारीख़ी हैसियत को स्पष्ट करना है, हलाल व हराम के हुक्मों का उनसे निकालना और सातिब करना नहीं किया जा सकता।

مَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

यानी कुरआन के नाज़िल होने से पहले न आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कोई किताब पढ़ते थे न कुछ लिख सकते थे, बल्कि आप उम्मी थे। अगर ऐसा न होता और आप लिखे-पढ़े होते तो बातिल वालों के लिये शक व शुब्हे की गुन्जाईश निकल आती कि यह इल्ज़ाम लगाते कि आपने पिछली किताबें तौरात व इन्जील पढ़ी हैं या नक़ल की हैं, आप जो कुछ कुरआन में फ़रमाते हैं वह उन्हीं पिछली किताबों से लिया हुआ है कोई वही और नुबुव्वत व रिसालत नहीं है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उम्मी होना

आपकी बड़ी फ़ज़ीलत और मोज़िज़ा है

हक़ तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत पर जिस तरह बहुत से स्पष्ट और खुले हुए मोज़िज़े ज़ाहिर फ़रमाये उन्हीं में से एक यह भी है कि आपको पहले से उम्मी (बिना लिखा-पढ़ा) रखा, न कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते थे न खुद कुछ लिख सकते थे, और उम्र के चालीस साल इसी हाल में तमाम मक्का वालों के सामने गुज़रे। आपका अहले किताब से मेलजोल भी कभी नहीं हुआ कि उनसे कुछ सुन लेते, क्योंकि मक्का में अहले किताब (यहूदी व ईसाई) थे ही नहीं। चालीस साल होने पर देखते ही देखते आपकी ज़बाने मुबारक से ऐसा कलाम जारी होने लगा जो अपने मज़ाभीन और मायने के एतिबार से भी मोज़िज़ा था और लफ़्ज़ी खूबी व भाषायी उम्दगी के एतिबार से भी।

कुछ उलेमा ने यह साबित करना चाहा कि आपका उम्मी (बिना पढ़ा-लिखा) होना शुरुआत में था फिर अल्लाह तआला ने आपको लिखना-पढ़ना सिखा दिया था और इसकी दलील में सुलह हुदैबिया के वाक़िए की एक हदीस नक़ल करते हैं जिसमें यह है कि जब सुलह का समझौता लिखा गया तो उसमें शुरु में 'मिन् मुहम्मदिन् अब्दिल्लाहि व रसूलिही' लिखा था, इस पर मक्का के मुशिरकों ने एतिराज़ किया कि हम आपको रसूल मानते तो यह झगड़ा ही क्यों होता, इसलिये आपके नाम के

साथ "रसूलुल्लाह" का लफ्ज़ हम कुबूल नहीं करेंगे। लिखने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, आपने उनको फ़रमाया कि यह लफ्ज़ मिटा दो, हज़रत अली ने अदब से मजबूर होकर ऐसा करने से इनकार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कागज़ खुद अपने हाथ में लिया और यह लफ्ज़ मिटाकर यह लिख दिया 'मिन् मुहम्मदिब्नि अब्दिल्लाहि'।

इस रिवायत में लिखने की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ की गई है जिससे कुछ हज़रत ने दलील ली है कि आप लिखना जानते थे, मगर सही बात यही है कि किसी दूसरे से लिखवाने को भी उर्फ़ में यही कहा जाता है कि "उसने लिखा" जैसा कि मुहावरों में आम है, इसके अलावा यह भी संभव है कि इस वाकिए में मोजिजे के तौर पर आप से नाम मुबारक भी अल्लाह तआला ने लिखवा दिया, फिर यह भी है कि अपने नाम के चन्द हुरूफ़ लिख देने से कोई आदमी लिखा पढ़ा नहीं कहला सकता, उसको अनपढ़ और उम्मी ही कहा जायेगा। जब लिखने की आदत न हो और बिना दलील लिखने को आपकी तरफ़ मन्सूब करना आपकी फ़ज़ीलत को साबित करना नहीं, ग़ौर करें तो बड़ी फ़ज़ीलत उम्मी होने में है।

يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ أَرْضِي وَإِسْعَةً قَائِيَاءَ فَاعْبُدُونِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ
 ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۝ ثُمَّ الْبِنَاتُ رَجَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَكَانَ
 مِن دَابَّةِ اللَّاحِلِ رِزْقَهَا ۝ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَجَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۝ إِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

या अिबादिय-ल्लज़ी-न आमनू इन्-न
 अरज़ी वासि-अतुन् फ-इय्या-य
 फअबुदून (56) कुल्लु नफिसन्
 ज़ाइ-क तुल्मौति, सुम्-म इलैना
 तुर्जअून (57) वल्लज़ी-न आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति लनुबव्वि-अन्नहुम्
 गिनल्-जन्नति गु-रफन् तज़री मिन्

ऐ मेरे बन्दो जो यकीन लाये हो मेरी
 ज़मीन कुशादा है सो मुझ ही की बन्दगी
 करो। (56) जो जी है सो चखेगा मौत,
 फिर हमारी तरफ़ फिर आओगे। (57)
 और जो लोग यकीन लाये और किये भले
 काम उनको हम जगह देंगे जन्नत में
 झरोखे नीचे बहती हैं उनके नहरें, सदा रहें

तस्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा,
 निज़्-म अज़्ज़ल्-आमिलीन (58)
 अल्लज़ी-न स-बरु व अला रब्बिहिम्
 य-तवक्कलून (59) व क-अय्यिम् मिन्
 दाब्बतिल्-ला तस्मिलु रिज़्-क़हा
 अल्लाहु यरज़ुकुहा व इय्याकुम् व
 हुवस्-समीअुल्-अलीम (60) व ल-इन्
 स-अल्लहुम् मन् ख़-लक़स्समावाति
 वल्अर्-ज़ व सख़्खा-रशशम्-स
 वल्क़-म-र ल-यक़ूलुन्नल्लाहु फ़-अन्ना
 युअफ़कून (61) अल्लाहु यब्सुतुर-
 रिज़्-क़ लिमंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही
 व यक्दिरु लहू, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि
 शैइन् अ़लीम (62) व ल-इन्
 स-अल्लहुम् मन्-नज़्ज़-ल मिनस्समा-इ
 माअन् फ़-अह्या बिहित्-अर्-ज़
 मिम्बअ़दि मौतिहा ल-यक़ूलुन्नल्लाहु,
 कुलिल्-हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम्
 ला यअ़किलून (63) ❀

उनमें, ख़ूब सवाब मिला काम वालों को।
 (58) जिन्होंने सब्र किया और अपने रब
 पर भरोसा रखा। (59) और कितने जानवर
 हैं जो उठा नहीं रखते अपनी रोज़ी,
 अल्लाह रोज़ी देता है उनको और तुमको
 भी, और वही है सुनने वाला जानने वाला।
 (60) और अगर तू लोगों से पूछे कि
 किसने बनाया है आसमान और ज़मीन
 को और काम में लगाया सूरज और चाँद
 को तो कहें अल्लाह ने, फिर कहाँ से उलट
 जाते हैं। (61) अल्लाह फैलाता है रोज़ी
 जिसके वास्ते चाहे अपने बन्दों में और
 माप कर देता है जिसको चाहे, बेशक
 अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार है। (62)
 और जो तू पूछे उनसे किसने उतारा
 आसमान से पानी फिर ज़िन्दा कर दिया
 उससे ज़मीन को उसके मर जाने के बाद
 तो कहें अल्लाह ने, तू कह सब ख़ूबी
 अल्लाह के लिये है पर बहुत लोग नहीं
 समझते। (63) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

ऐ मेरे इमान वाले बन्दो! (जब ये लोग अपनी हद बढ़ी हुई दुश्मनी व बैर से तुमको शरई
 अहक़ाम को कायम करने और दीन पर चलने पर तकलीफ़ें पहुँचाते हैं तो यहाँ रहना क्या ज़रूरी है)
 मेरी ज़मीन फ़राख़ "यानी खुली हुई और बहुत बड़ी" है सो (अगर यहाँ रहकर इबादत नहीं कर सकते
 तो और कहीं चले जाओ और वहाँ जाकर) ख़ालिस मेरी ही इबादत करो। (क्योंकि यहाँ शिर्क वालों
 का ज़ोर है तो ऐसी इबादत जो ख़ालिस तौहीद पर आधारित हो और शिर्क से ख़ाली हो, यहाँ मुशिकल

है, अलबत्ता खुदा के साथ गैरे-खुदा की भी इबादत हो यह मुम्किन है, मगर वह इबादत ही नहीं। और अगर तुमको हिजरत में अपने प्यारों और बतनों की जुदाई भारी मालूम हो तो यह समझ लो कि एक न एक दिन यह तो होना ही है, क्योंकि) हर शख्स को मौत का मज़ा चखना (ज़रूरी) है, (आखिर उस वक़्त सब छूटेंगे और) फिर तुम सब को हमारे पास आना है (और नाफ़रमान होकर आने में सज़ा का ख़ौफ़ है)। और (यह जुदाई अगर हमारी रज़ा के वास्ते हो तो हमारे पास पहुँचने के बाद उस वायदे के मुस्तहिक़ हो जाओ और वह वायदा यह है कि) जो लोग ईमान लाये और अच्छे अमल किये (जिन पर अमल करना कई बार हिजरत करने पर निर्भर होता है तो ऐसे वक़्त में हिजरत भी की) हम उनको जन्नत के बालाख़ानों में जगह देंगे, जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (और उन नेक) काम करने वालों का क्या अच्छा अज़्र है जिन्होंने (अपने ऊपर पड़ने वाली सख्तियों पर जिनमें हिजरत की सख्ती भी दाख़िल हो गई) सब्र किया, और (दूसरे मुल्क या शहर में जाकर तो तकलीफ़ों और गुज़ारे की मुश्किलों का अन्देशा था उसमें) वे अपने रब पर भरोसा किया करते थे।

(अगर हिजरत में तुमको यह ख़्याल आये कि परदेस में खाने को कहाँ से मिलेगा तो यह समझ लो कि) बहुत-से जानवर ऐसे हैं कि जो अपनी गिज़ा उठाकर नहीं रखते (यानी जमा नहीं करते, अगरचे बाज़े जमा भी करते हैं, मगर बहुत से नहीं भी करते) अल्लाह ही उनको (उनके लिये तय की गयी) रोज़ी पहुँचाता है, और तुमको भी (तयशुदा रोज़ी पहुँचाता है चाहे तुम कहीं हो, फिर ऐसा ख़्याल व आशंका मत लाओ, बल्कि दिल मज़बूत करके अल्लाह पर भरोसा रखो) और (वह भरोसे के लायक़ है, क्योंकि) वह सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है। (इसी तरह वह दूसरी सिफ़ात में कामिल है और जो ऐसा कामिल सिफ़ात वाला हो वह ज़रूर भरोसे के काबिल है)। और (इबादत का तन्हा हक़दार होने का जो आधार है यानी हर चीज़ को पैदा करने में अकेला व तन्हा होना वह तो इन लोगों के नज़दीक़ भी माना हुआ है, चुनाँचे) अगर आप उनसे पूछें कि (भला) यह कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? और जिसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है? तो वे लोग यही कहेंगे कि वह अल्लाह तआला है, फिर (जब पैदा करने में उसके अकेला और तन्हा होने को मानते हैं तो माबूद होने में उसके अकेला और तन्हा होने के बारे में) किधर उल्टे चले जा रहे हैं। (और जैसे पैदा करने वाला अल्लाह ही है उसी तरह) अल्लाह ही (रोज़ी देने वाला भी है, चुनाँचे) अपने बन्दों में से जिसके लिये चाहे रोज़ी फ़राख़ "खोल देता और ज़्यादा" कर देता है, और जिसके लिये चाहे तंग कर देता है। बेशक़ अल्लाह ही हर चीज़ के हाल से वाक़िफ़ है (जैसी मस्लेहत देखता है वैसी ही रोज़ी देता है। गुर्ज़ कि रोज़ी देने वाला वही ठहरा, इसलिये रिज़्क की आशंका हिजरत से रुकावट और बाधा न होनी चाहिए)।

और (जैसा कि कायनात के बनाने में अल्लाह का अकेला और तन्हा होना उनके नज़दीक़ भी मुसल्लम है, इसी तरह कायनात के बाकी रखने और इसका निज़ाम चलाने में भी उसके अकेला होने को तसलीम करते हैं, चुनाँचे) अगर आप उनसे पूछें कि वह कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को इसके बाद कि वह खुशक (नाकाबिले उपजाऊ) पड़ी थी तरोताज़ा (उपज के काबिल) कर दिया? तो (जवाब में) वे लोग यही कहेंगे कि वह भी अल्लाह है। आप कहिये कि

अल्हम्दु लिल्लाह (इतना तो इकरार किया जिससे उसके तन्हा माबूद होने के लिये दलील लेना भी आसान है, मगर ये लोग मानते नहीं) बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) इनमें अक्सर समझते नहीं (न इस वजह से कि अक़ल नहीं, बल्कि अक़ल से काम नहीं लेते और ग़ौर नहीं करते, इसलिये आसान सी चीज़ें भी इनसे छुपी रहती हैं)।

मजारिफ़ व मसाईल

इस सूरात के शुरू से यहाँ तक मुसलमानों के साथ काफ़िरों की दुश्मनी और तौहीद व रिसालत से लगातार इनकार और हक़ और हक़ वालों की राह में तरह-तरह की रुकावटों का बयान था। ऊपर बयान हुई आयतों में मुसलमानों के लिये उनके शर (बुराई) से बचने और हक़ को फैलाने और हक़ व इन्साफ़ को दुनिया में कायम करने की एक तदबीर का बयान है जिसका इस्तिलाही नाम हिजरत है यानी वह वतन और मुल्क छोड़ देना जिसमें इनसान हक़ के खिलाफ़ बोलने और ग़लत काम करने पर मजबूर किया जाये।

हिजरत के अहकाम और उसकी राह में पेश आने वाले शक व शुब्हात का जवाब

إِنَّ أَرْضِيْ وَأَسِيْعَةَ فَايَّامِيْ فَاَعْبُدُوْنِ ۝

हक़ तआला ने फ़रमाया कि मेरी ज़मीन बहुत बड़ी है इसलिये किसी का यह उज़्र सुने जाने के काबिल नहीं कि फुल्लों शहर या फुल्लों मुल्क में काफ़िर ग़ालिब थे इसलिये हम अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत से मजबूर रहे। उनको चाहिये कि उस सरज़मीन को जहाँ वे कुफ़्र व नाफ़रमानी पर मजबूर किये जायें अल्लाह के लिये छोड़ दें, और कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ आज़ादी से अल्लाह तआला के अहकाम पर खुद भी अमल कर सकें और दूसरों को भी तालीम कर सकें। इसी का नाम हिजरत है।

वतन से हिजरत करके किसी दूसरी जगह जाने में दो किस्म के ख़तरे इनसान को आदतन पेश आया करते हैं जो उसको हिजरत से रोकते हैं। पहला ख़तरा अपनी जान का है कि जब इस वतन को छोड़कर कहीं जायेंगे तो यहाँ के काफ़िर और ज़ालिम लोग राह में रुकावट होंगे और मुक़ाबले व लड़ने के लिये आमादा होंगे, और रास्ते में मुम्किन है कि दूसरे काफ़िरों से भी मुक़ाबला करना पड़े, जिसमें जान का ख़तरा है। इसका जवाब अगली आयत में यह दिया गया कि:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

यानी हर एक जान चखने वाली है मज़ा मौत का। जिससे किसी को किसी जगह किसी हाल में फ़रार नहीं। इसलिये मौत से ख़ौफ़ और घबराहट मोमिन का काम नहीं होना चाहिये, वह तो हर शख्स को हर हाल में पेश आयेगी, अपनी जगह में कैसे ही हिफ़ाज़त के सामान करके रहे फिर भी आयेगी और मोमिन का यह भी अक़ीदा है कि अल्लाह के मुक़रर किये हुए वक़्त से पहले मौत नहीं आ

सकती, इसलिये अपनी जगह रहने या हिजरत करके दूसरी जगह जाने में मौत का खौफ रुकावट न होना चाहिये, खुसूसन जबकि अल्लाह के अहकाम का पालन करते हुए मौत आ जाना हमेशा की राहतों और नेमतों का ज़रिया है, जो उनको आखिरत में मिलेंगी जिसका जिक्र बाद की दो आयतों में फरमाया है। यानी ऊपर बयान हुई आयत 58 और 59 में।

दूसरा खतरा हिजरत की राह में यह पेश आता है कि दूसरे वतन और दूसरे मुल्क में जाकर रोजी-रोटी का क्या सामान होगा? अपनी जगह तो कुछ बाप-दादा की मीरास से कुछ अपनी कमाई से आदमी कोई ज़मीन जायदाद या काम-धंधे व कारोबार वगैरह के सामान किये रहता है, हिजरत के वक़्त ये सब तो यहीं छूट जायेंगे आगे गुज़ारा किस तरह होगा? इसका जवाब बाद की तीन आयतों में इस तरह दिया गया है कि तुम उन हासिल किये हुए सामानों को रिज़्क का ज़रिया और काफी सबब करार देते हो यह तुम्हारी भूल है, रिज़्क देने वाला दर हकीकत अल्लाह तआला है, वह जब चाहता है तो बगैर किसी ज़ाहिरी सामान के भी रिज़्क पहुँचा देता है, और वह न चाहे तो सब सामान व असबाब के होते हुए भी इनसान रिज़्क से मेहरूम हो सकता है। इसके बयान के लिये पहले तो यह फरमाया:

وَكَايِنٍ مِّنْ ذَايَبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

यानी इस पर गौर करो कि ज़मीन पर चलने वाले कितने हज़ारों किस्म के जानवर हैं जो अपना रिज़्क जमा करने और रखने का कोई इन्तिज़ाम नहीं करते, न रोजी हासिल करने के सामान जमा करने की कोई फिक्र करते हैं मगर अल्लाह तआला उनको रोज़ाना अपने फज़ल से रिज़्क मुहैया करते हैं। उलेमा ने फरमाया है कि आम जानवर ऐसे ही हैं, उनमें सिर्फ चींवटी और चूहा तो ऐसे जानवर हैं जो अपनी गिज़ा के लिये अपने बिलों में जमा करने की फिक्र करते हैं। चींवटी सर्दियों के मौसम में बाहर नहीं आती, इसलिये गर्मियों के दिनों में खाने का सामान अपने बिल (सुराख) में जमा करती है। और मशहूर है कि पक्षी जानवरों में से अक़अक़ (कौआ) भी अपनी गिज़ा अपने घोंसले में जमा करता है मगर वह रखकर भूल जाता है।

बहरहाल! दुनिया के तमाम जानवर जिनकी प्रजातियों और किस्मों का शुमार भी इनसान से मुश्किल है वे ज़्यादातर वही हैं जो आज अपनी गिज़ा हासिल करने के बाद कल के लिये न गिज़ा मुहैया करते हैं न उसके असबाब उनके पास होते हैं। हदीस में है कि ये परिन्दे जानवर सुबह को अपने घोंसलों से भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे वापस होते हैं। न इनकी कोई खेती बाड़ी है न कोई जायदाद व ज़मीन, न ये किसी कारख़ाने या दफ़्तर के मुताज़िम हैं जहाँ से अपना रिज़्क हासिल करें। खुदा तआला की खुली ज़मीन में निकलते हैं और सब को पेट भराई रिज़्क मिलता है। और यह एक दिन का मामला नहीं, जब तक वो ज़िन्दा हैं यही सिलसिला जारी है।

इसके बाद की आयतों में रिज़्क का असली ज़रिया बतलाया है जो हक़ तआला की अज़ा है, और फरमाया है कि खुद इन हक़ के इनकारी काफ़िरों से सवाल करो कि आसमान ज़मीन किसने पैदा किये? और सूरज व चाँद किसके फ़रमान के ताबे चल रहे हैं? बारिश कौन बरसाता है? फिर उस बारिश के ज़रिये ज़मीन से खेती और पेड़-पौधे कौन उगाता है? तो मुशिरक लोग भी इसका इकरार

करेंगे कि यह सब काम एक ज़ात यानी हक़ तआला ही का है। तो उनसे कहिये कि फिर तुम अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा-पाठ और उनको अपना कारसाज़ कैसे समझते हो। अगली आयतों यानी आयत नम्बर 61 से 63 तक इसी का बयान है।

खुलासा यह है कि हिजरत से रोकने वाली दूसरी चीज़ रोज़ी व गुज़ारे की फ़िक्र है, वह भी इनसान की भूल है। रोज़ी का मुहैया करना इसके या इसके जमा किये हुए असबाब व सामान के कब्जे में नहीं वह डायरेक्ट हक़ तआला की अता है। उसी ने इस वतन में ये सामान जमा फ़रमा दिये थे वह दूसरी जगह भी रोज़ी व रोज़गार के सामान दे सकता है और बग़ैर किसी सामान के भी रोज़ी की ज़रूरतें उपलब्ध कर सकता है, इसलिये यह दूसरा ख़तरा भी हिजरत से रुकावट न होना चाहिये।

हिजरत कब फ़र्ज़ या वाजिब होती है?

हिजरत के मायने और परिभाषा और उसके फ़ज़ाईल व बरकतें सूर: निसा की आयत नम्बर 97 से 100 में और शरई अहकाम में तब्दीली इसी सूर: की आयत नम्बर 89 के तहत में मआरिफ़ुल-कुरआन की दूसरी जिल्द में बयान हो चुके हैं। एक मज़मून वहाँ बयान करने से रह गया था वह वहाँ लिखा जाता है।

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से हिजरत फ़रमाई और सब मुसलमानों को ताक़त व गुंजाईश की शर्त के साथ हिजरत का हुक्म फ़रमाया उस वक़्त मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करना फ़र्ज़-ए-ऐन (लाज़िमी फ़र्ज़) था जिससे कोई मर्द व औरत बाहर नहीं था सिवाय उन लोगों के जो हिजरत पर ताक़त न रखते हों।

और उस ज़माने में हिजरत सिर्फ़ फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि मुसलमान होने की निशानी और शर्त भी समझी जाती थी जो बावजूद कुदरत के हिजरत न करे उसको मुसलमान न समझा जाता था, और उसके साथ वही मामला किया जाता था जो काफ़िरों के साथ होता है जिसका बयान सूर: निसा की आयत नम्बर 89 में है 'हत्ता युहाज़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि.....'।

उस वक़्त हिजरत का मक़ाम इस्लाम में वह था जो कलिमा-ए-शहादत ला इला-ह इल्लल्लाहु का है कि यह गवाही खुद भी फ़र्ज़ है और मुसलमान होने की शर्त और पहचान भी, कि जो शख्स बावजूद कुदरत के ज़बान से ईमान का इक़रार और कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु की गवाही न दे अगरचे दिल में यकीन और तस्दीक़ रखता हो वह मुसलमान नहीं समझा जाता। वह मजबूर शख्स जिसको इस कलिमे के बोलने पर कुदरत न हो वह इससे बाहर है। इसी तरह जिन लोगों को हिजरत पर कुदरत न थी वे बरी समझे गये जिसका ज़िक्र सूर: निसा की आयत नम्बर 98 'इल्लल्-मुस्तज़्ज़अफी-न.....' में आया है, और जो लोग बावजूद हिजरत पर कादिर होने के मक्का में ठहरे रहे उनके लिये जहन्नम की सख्त वईद (सज़ा की चेतावनी) सूर: निसा की आयत नम्बर 97:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ..... فَأَوْلِيكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ.

में बयान हुई है।

जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया तो हिजरत का यह हुक्म भी मन्सूख़ (खत्म व निरस्त) हो

गया क्योंकि उस वक़्त मक्का खुद दारुल-इस्लाम बन गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस वक़्त हुक्म जारी फ़रमा दिया:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

यानी मक्का फ़तह होने के बाद मक्का से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं। मक्का मुकर्रमा से हिजरत का फ़र्ज होना फिर ख़त्म होना कुरआन व सुन्नत के स्पष्ट बयानों से साबित हो गया जो एक अस्थायी और आंशिक वाकिआ था, उम्मत के फुकहा ने इस वाकिए से ये मसईल निकाले हैं:

मसला: जिस शहर या मुल्क में इनसान को अपने दीन पर कायम रहने की आज़ादी न हो वह कुफ़ व शिर्क या अहकामे शरीअत की खिलाफ़वर्ज़ी पर मजबूर हो वहाँ से हिजरत करके किसी दूसरे शहर या मुल्क में जहाँ दीन पर अमल की आज़ादी हो चला जाना बशर्तेकि उसको इसकी ताकत हो वाजिब है, अलबत्ता जिसको सफ़र पर क़ुदरत न हो या कोई ऐसी जगह मयस्सर न हो जहाँ आज़ादी से दीन पर अमल कर सके वह शर्ई तौर पर माज़ूर (मजबूर) है।

मसला: जिस दारुल-कुफ़ (कुफ़ के मक़ाम) में आम दीनी अहकाम पर अमल करने की आज़ादी हो वहाँ से हिजरत फ़र्ज व वाजिब तो नहीं मगर मुस्तहब (अच्छा काम) बहरहाल है, और इसमें दारुल-कुफ़ होना भी ज़रूरी नहीं, दारुल-फिस्क (जहाँ अल्लाह के अहकाम की खिलाफ़वर्ज़ी खुलेआम होती हो उस) का भी यही हुक्म है। अगरचे वहाँ के हुक्मों के मुसलमान होने की बिना पर उसको दारुल-इस्लाम कहा जाता हो।

यह तफ़सील हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने फ़तहुल-बारी में तहरीर फ़रमाई है और हनफ़ी मस्तक के उसूलों में कोई चीज़ इसके खिलाफ़ नहीं, और मुत्नद अहमद की एक रिवायत जो हज़रत अबू यहया मौला जुबैर इब्ने अ़वाम रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है वह भी इस पर सुबूत है, हदीस यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ حَيْثَمَا أَصَبَتْ خَيْرًا فَأَقِمِ. (ابن كثير)

“यानी सब शहर अल्लाह के शहर हैं और सब बन्दे अल्लाह के बन्दे हैं इसलिये जिस जगह तुम्हारे लिये ख़ैर के असबाब जमा हों वहाँ रहो।”

और इमाम इब्ने जरीर रह. ने अपनी सनद के साथ हज़रत सईद बिन जुबैर रह. से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि जिस शहर में गुनाह और बेहयाई के काम आम हों उसको छोड़ दो। और इमामे तफ़सीर हज़रत अता रह. ने फ़रमाया कि जब तुम्हें किसी शहर में गुनाह और अल्लाह की नाफ़रमानी के लिये मजबूर किया जाये तो वहाँ से भाग खड़े हो। (इब्ने जरीर तबरी, तफ़सीर में)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَاتُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

۷
۶
۵

व मा हाज़िहिल्-हयातुदुन्या इल्ला लहवुंव-व लअिबुन, व इन्नदारल्-आखिर-र-त लहि-यल् ह-यवानु। लौ कानू यअ्लमून (64) फ़-इज़ा रकिबू फिल्-फ़ुल्किद-अवुल्ला-ह मुख्रलिसी-न लहुद्दी-न, फ़-लम्मा नज्जाहुम् इलल्-बरि इज़ा हुम् युशिरकून (65) लि-यक्फुरू बिमा आतैनाहुम् व लि-य-तमत्तअू, फ़सौ-फ़ यअ्लमून (66) अ-व लम् यरौ अन्ना जअ्ल्ना ह-रमन् आमिनंव-व यु-तख्रत्तफुन्नासु मिन् हौलिहिम्, अ-फ़बिल्बातिलि युअ्मिन्-न व बिनिअ्मतिल्लाहि यक्फुरून (67) व मन् अज़लमु मिम्-मनिफ़तरा अलल्लाहि कज़िबन् औ कज़्ज-ब बिल्हक्कि लम्मा जा-अहू, अलै-स फ़ी जहन्न-म मस्वल्-लिल्काफ़िरीन (68) वल्लज़ी-न जा-हदू फ़ीना ल-नहिदयन्नहुम् सुबुलना, व इन्नल्ला-ह ल-मअल्-मुस्तिनीन (69) ❀

और यह दुनिया का जीना तो बस जी बहलाना और खेलना है, और पिछला घर जो है सो वही है जिन्दा रहना अगर उनको समझ होती। (64) फिर जब सवार हुए कशती में पुकारने लगे अल्लाह को ख़ालिस उसी पर रखकर एतिक़ाद, फिर जब बचा लाया उनको ज़मीन की तरफ़ उसी वक़्त लगे शरीक बनाने। (65) ताकि मुकरते रहें हमारे दिये हुए से और मज़े उड़ाते रहें, सो जल्द ही जान लेंगे। (66) क्या नहीं देखते कि हमने रख दी है पनाह की जगह अमन की, और लोग उचके जाते हैं उनके आस-पास से, क्या झूठ पर यकीन रखते हैं और अल्लाह का एहसान नहीं मानते? (67) और उससे ज़्यादा बेइन्साफ़ कौन जो बाँधे अल्लाह पर झूठ या झुठलाये सच्ची बात को जब उस तक पहुँचे, क्या दोज़ख़ में बसने की जगह नहीं इनकारियों के लिये। (68) और जिन्होंने मेहनत की हमारे वास्ते हम सुझा देंगे उनको अपनी राहें, और बेशक अल्लाह साथ है नेकी वालों के। (69) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वजह उनके गौर न करने की फंसना और मशगूल होना है दुनिया के धंधों में, हालाँकि) यह दुनियावी ज़िन्दगी (जिसके ये सारे के सारे धंधे हैं अपने आप में) सिवाय खेल-तमाशे के और कुछ भी नहीं, और असल ज़िन्दगी आखिरत के जहान (की) है। (चुनाँचे दुनिया के फ़ानी होने और आखिरत के बाकी होने से ये दोनों मज़मून ज़ाहिर हैं, पस फ़ानी में इस क़द्र लग जाना कि बाकी को भूल में डालकर उससे मेहरूम हो जाये यह खुद बेअक्ली की बात है) अगर उनको इसका (काफी) इल्म होता तो ऐसा न करते (कि फ़ानी में मशगूल होकर बाकी को भुला देते और उसके लिये सामान न करते, बल्कि ये लोग दलीलों में गौर करते और ईमान ले आते जैसा कि खुद इनको तस्लीम है कि कायनात के बनाने और इसके बाकी रखने में खुदा का कोई शरीक नहीं) फिर (जैसा कि उनके इस इकरार व मानने का तकाज़ा है कि खुदाई और इबादत में उसी को तन्हा और अकेला मानते और इसका भी कभी इज़हार व इकरार करते, चुनाँचे) जब ये लोग कशती में सवार होते हैं तो सच्चा एतिक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं (कि अगर तू हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम शुक्रगुज़ार यानी ईमान लाने वाले हो जायें। जिसमें खुदाई इख़्तियारात और माबूद होने में भी तौहीद "अल्लाह के एक होने) का इकरार है, मगर दुनिया के धंधों में मशगूली और हद से ज़्यादा लग जाने की वजह से यह हालत देर तक बाकी नहीं रहती, चुनाँचे उस वक़्त तो सब क़ौल व इकरार तौहीद के हो चुकते हैं मगर) फिर जब उनको (उस आफ़त से) निजात देकर खुशकी की तरफ़ ले आता है तो वे फ़ौरन ही शिर्क करने लगते हैं। जिसका हासिल यह है कि हमने जो नेमत (निजात वगैरह) उनको दी है उसकी नाक़द्री करते हैं, और ये लोग (शिर्क वाले अक़ीदों और बुरे आमाल में अपनी नफ़्सानी इच्छा की पैरवी करके) थोड़ा और फ़ायदा हासिल कर लें, फिर जल्द ही इनको सब ख़बर हुई जाती है (और अब दुनिया में इस फंसने और मशगूली की वजह से कुछ नज़र नहीं आता। सो उनके तौहीद यानी अल्लाह को एक और तन्हा माबूद मानने से एक रुकावट तो उनका दुनिया में यह हद से ज़्यादा मशगूल व लगना है और दूसरा एक और नामाकूल रुकावट का बहाना निकाला है, वे यह कहते हैं:

إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُ مِنْ أَرْضِنَا

यानी अगर हम मुसलमान हो जायें तो हमें अरब के लोग मार देंगे। हालाँकि आम अनुभव और देखने से उनको खुद इस बहाने का बेहूदा होना मालूम हो सकता है) क्या उन लोगों ने इस बात पर नज़र नहीं की कि हमने (उनके शहर मक्का को) अमन वाला हरम बनाया है, और उनके आस-पास (के स्थानों) में (जो हरम से बाहर हैं) लोगों को (मार-धाड़कर उनके घरों से) निकाला जा रहा है, (बख़िलाफ़ इनके कि अमन से बैठे हैं और यह बात खुद महसूस की जाने वाली है जो आसानी से समझ में आती है तो इस तरह की आम महसूस की जाने वाली चीज़ों में भी ख़िलाफ़ करते और मारे जाने के ख़ौफ़ को ईमान लाने में उज़्र और रुकावट का बहाना बताते हैं और) फिर (हक़ के स्पष्ट हो जाने के बाद इस बेवकूफी और ज़िद का) क्या (टिकाना है कि) ये लोग झूठे (माबूदों) पर ईमान लाते

हैं (जिस पर ईमान लाने का कोई तकाज़ा और औचित्य नहीं और बहुत सी रुकावटें हैं) और अल्लाह (जिस पर ईमान लाने के बहुत से तकाज़े और सही दलीलें हैं उस) की नेमतों की नाशुक्री (यानी अल्लाह के साथ शिक्र) करते हैं। (क्योंकि शिक्र से बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं कि पैदा करने, रोज़ी देने, बाकी रखने और तदबीर वगैरह तो वह अता फ़रमाये और इबादत जो कि इन नेमतों का शुक्र है दूसरे के लिये तजवीज़ की जाये)।

और (वाकई बात यह है कि) उस शख्स से ज्यादा कौन नाइन्साफ़ होगा जो (बिना दलील के) अल्लाह पर झूठ गढ़े (कि वह शरीक रखता है) और जब सच्ची बात उसके पास (दलील के साथ) पहुँचे वह उसको झुठलाये, (बेइन्साफी ज़ाहिर है कि बिना दलील की बात की तो तस्दीक करे और दलील वाली बात को झुठलाये) क्या ऐसे काफ़िरों का (जो इस क़द्र नाइन्साफी करें) जहन्नम में ठिकाना न होगा? (यानी ज़रूर होगा। क्योंकि सज़ा जुर्म और अपराध के मुताबिक़ होती है। पस जैसा बड़ा जुर्म है ऐसी ही सज़ा भी बड़ी है। ऊपर उनका हाल था जो कुफ़्र करने वाले और अपनी इच्छा पर चलने वाले हों) और (अब उनके विपरीत उन लोगों का बयान है कि) जो लोग हमारी राह में मशक्कतें बरदाश्त करते हैं, हम उनको अपनी (निकटता और सवाब यानी जन्नत के) रास्ते ज़रूर दिखा देंगे, (जिससे वे जन्नत में जा पहुँचेंगे जैसा कि सूर: आराफ़ की आयत 43 में अल्लाह तआला का फ़रमान है। और बेशक अल्लाह तआला (की रज़ा व रहमत) ऐसे खुलूस वालों के साथ है (दुनिया में भी और आख़िरत में भी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुशिकों का यह हाल बयान हुआ है कि आसमान व ज़मीन की पैदाईश, सूरज व चाँद का निज़ाम, बारिश नाज़िल करने और उससे पेड़-पौधे और सब्ज़ा उगाने का सारा निज़ाम ये लोग भी अल्लाह तआला ही के कब्ज़े में होने पर यकीन रखते हैं, इसमें किसी बुत वगैरह की शिक्रत नहीं मानते। मगर फिर भी वे खुदाई में बुतों को शरीक ठहराते हैं इसकी वजह यह है कि 'अक्सरुहुम् ला यज़क़िलून' (यानी उनमें बहुत से लोग वे हैं जो समझते नहीं)।

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि ये लोग मजन्नू दीवाने तो नहीं होशियार समझदार हैं, दुनिया के बड़े-बड़े काम ख़ूब करते हैं, फिर इनके बेसमझ हो जाने की वजह क्या है? इसका जवाब उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में यह दिया गया कि इनको दुनिया और इसकी मादी और फ़ानी लज़ज़तों व इच्छाओं की मुहब्बत ने आख़िरत और अन्जाम में ग़ौर व फ़िक्र करने से अंधा और बेसमझ बना दिया है, हालाँकि ये दुनिया की ज़िन्दगी वक़्त गुज़ारी का मशगला और खेल के सिवा कुछ नहीं, और असली ज़िन्दगी जो हमेशा वाली है और वह आख़िरत की ज़िन्दगी है।

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

इस जगह ह-यवान का लफ़्ज़ हयात यानी ज़िन्दगी के मायने में है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

इसमें दुनिया की ज़िन्दगी को खेल-तमाशे और वक़्त गुज़ारी की चीज़ फ़रमाया है। मतलब यह है कि जैसे खेलों को कोई स्थिरता व क़रार नहीं और कोई बड़ा मक़सद उनसे हासिल नहीं होता थोड़ी

देर के बाद सब तमाशा खत्म हो जाता है यही हाल इस दुनिया का है।

इसके बाद की आयत में उन मुशिरकों का एक और बुरा हाल यह बतलाया गया कि जैसे ये लोग कायनात के बनाने और पैदा करने में अल्लाह तआला को अकेला व तन्हा मानने के बावजूद इस जहालत के शिकार हैं कि बुतों को खुदाई का साझी बताते हैं। इससे ज्यादा अजीब यह है कि जब इन पर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ती है तो उस मुसीबत के वक़्त भी इनको यह यकीन और इफ़रार होता है कि इसमें कोई बुत हमारा मददगार नहीं बन सकता, मुसीबत से रिहाई सिर्फ अल्लाह तआला ही दे सकता है, इसके लिये बतौर मिसाल के फ़रमाया कि ये लोग जब दरिया के सफ़र में होते हैं और डूबने का ख़तरा होता है तो उस ख़तरे को टालने के लिये किसी बुत को पुकारने के बजाय सिर्फ अल्लाह तआला ही को पुकारते हैं, और अल्लाह तआला इनके बेचैन और बेकरार होने और वक़्ती तौर पर दुनिया के सारे सहारों से कट जाने की बिना पर इनकी दुआ कुबूल करके इनको दुनिया की आफ़त व तबाही से निजात दे देता है, मगर ये ज़ालिम जब खुशकी पर पहुँचकर मुल्मईन हो जाते हैं तो फिर बुतों को खुदा का शरीक कहने लगते हैं आयत 65 का यही मतलब है।

फ़ायदा: इस आयत से मालूम हुआ कि काफ़िर भी जिस वक़्त अपने आपको बेसहारा जानकर सिर्फ अल्लाह तआला को पुकारता है और उस वक़्त यह यकीन करता है कि खुदा के सिवा मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं छुड़ा सकता तो अल्लाह तआला काफ़िर की भी दुआ कुबूल फ़रमा लेते हैं। क्योंकि वह बेकरार व परेशान है और अल्लाह तआला ने बेकरार की दुआ कुबूल करने का वायदा फ़रमाया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी वगैरह)

और एक आयत में जो यह इरशाद आया है:

وَمَا دَعَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍۭ

यानी “काफ़िरों की दुआ नाकाबिले कुबूल है” यह हाल आख़िरत का है कि वहाँ काफ़िर अज़ाब से रिहाई की दुआ करेंगे तो कुबूल न होगी।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنْ اَمْنًا..... الْاٰیة

ऊपर की आयतों में मक्का के मुशिरकों की जाहिलाना हरकतों का ज़िक्र था कि सब चीज़ों का ख़ालिक व मालिक खुदा तआला को यकीन करने के बावजूद पत्थर के खुद बनाये हुए बुतों को उसकी खुदाई का शरीक बताते हैं, और सिर्फ कायनात की पैदाईश ही का खुदा तआला को मालिक नहीं समझते बल्कि आड़े वक़्त में मुसीबत से निजात देना भी उसी के इख़्तियार में जानते हैं, मगर निजात के बाद फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। उनके कुफ़्र व शिर्क का एक उज़्र (बहाना) मक्का के कुछ मुशिरकों की तरफ़ से यह भी पेश किया जाता था कि हम आपके दीन को तो हक़ व दुरुस्त मानते हैं लेकिन इसकी पैरवी करने और मुसलमान हो जाने में हम अपनी जानों का ख़तरा महसूस करते हैं क्योंकि सारा अरब इस्लाम के खिलाफ़ है, हम अगर मुसलमान हो गये तो बाकी अरब हमें उचक ले जायेंगे और मार डालेंगे। (रुहुल-मअानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

इसके जवाब में हक़ तआला ने फ़रमाया कि उनका यह उज़्र भी बेकार और ग़लत है क्योंकि

मक्का वालों को तो हक तआला ने बैतुल्लाह की वजह से वह सम्मान व बड़ाई दी है जो दुनिया में किसी जगह के लोगों को हासिल नहीं है, हमने मक्का की पूरी जमीन को हरम बना दिया है, अरब के बाशिन्दे मोमिन हों या काफिर सब के सब हरम का सम्मान करते हैं, उसमें कत्ल व किताल को हराम समझते हैं, हरम में इनसान तो इनसान वहाँ के शिकार को कत्ल करना और वहाँ के पेड़-पौधों को काटना भी कोई जायज़ नहीं समझता। बाहर का कोई आदमी हरम में दाखिल हो जाये तो वह भी कत्ल से सुरक्षित हो जाता है तो मक्का मुकर्रमा के बाशिन्दों को इस्लाम कुबूल करने से अपनी जानों का खतरा बतलाना भी एक बेबुनियाद उज़्र और न चलने वाला बहाना है।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

जिहाद के असल मायने दीन में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने में अपनी पूरी ताकत खर्च करने के हैं, इसमें वो रुकावटें भी दाखिल हैं जो काफिरों व बदकारों की तरफ से पेश आती हैं, काफिरों से जंग व लड़ाई उनमें से मुख्य है और वो रुकावटें भी दाखिल हैं जो अपने नफ्स और शैतान की तरफ से पेश आती हैं।

जिहाद की इन दोनों किस्मों पर इस आयत में यह वायदा है कि हम जिहाद करने वालों को अपने रास्तों की हिदायत कर देते हैं, यानी जिन मौकों पर अच्छाई व बुराई या हक व बातिल या नफा व नुकसान में दुविधा व भ्रम होता है अक्लमन्द इनसान सोचता है कि किस राह को इख्तियार करूँ ऐसे मौकों पर अल्लाह तआला अपनी राह में जिहाद करने वालों को सही, सीधी बेखतर राह बता देते हैं, यानी उनके दिलों को उसी तरफ फेर देते हैं जिसमें उनके लिये खैर व बरकत हो।

इल्म पर अमल करने से इल्म में ज़्यादाती

और हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि अल्लाह तआला की तरफ से जो इल्म लोगों को दिया गया है, जो लोग अपने इल्म पर अमल करने में जिहाद (मेहनत व कोशिश) करते हैं हम उन पर दूसरे उलूम भी खोल देते हैं जो अब तक हासिल नहीं। और फुज़ैल बिन अयाज़ रह. ने फ़रमाया कि जो लोग इल्म की तलब में कोशिश करते हैं हम उनके लिये अमल भी आसान कर देते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

अल्लहु लिल्लाह सूर: अन्कबूत की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूर: रूम

सूर: रूम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 60 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

إِنشَاءً (۱) سُورَةُ الرَّوْمِ مَكِّيَّةٌ (۲) وَكُلُّهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَرَّ غُلِبَتِ الرَّوْمُ فِي اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ هُوَ اللّٰهُ
الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَيَوْمَئِذٍ تَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِیْمُ وَعَدَّ اللّٰهُ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدًا وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنْ
اَحْيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-ताम्-मीम् (1) गुलि-बतिरूम	अलिफ्-ताम्-मीम्। (1) मगलूब हो गये हैं
(2) फी अदनल्-अर्जि व हुम् मिम्-	रुमी। (2) मिलते हुए मुल्क में और वे
बअदि ग-लबिहिम् स-यग्लिबून (3)	इस मगलूब होने के बाद जल्दी ही ग़ालिब
फी बिज़िअ सिनी-न, लिल्लाहिल्-	होंगे। (3) चन्द सालों में, अल्लाह के हाथ
अम्रु मिन् कब्लु व मिम्बअदु, व	हैं सब काम पहले और पिछले और उस
यौमइज़िय्-यफरहुल्-मुअ्मिनून (4)	दिन खुश होंगे मुसलमान (4) अल्लाह की
बिनसिल्लाहि, यन्सुरु मय्यशा-उ, व	मदद से, मदद करता है जिसकी चाहता है
हुवल् अज़ीजुरहीम (5) वअदल्लाहि,	और वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (5)
ला युद्लिफुल्लाहु वअ-दहू व	अल्लाह का वायदा हो चुका, खिलाफ़ न
लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून	करेगा अल्लाह अपना वायदा लेकिन बहुत
(6) यअ्लमू-न ज़ाहिरम् मिनल्-	लोग नहीं जानते। (6) जानते हैं ऊपर-

हयातिदुन्या व हुम् अनिल्-
आखिरति हुम् गाफिलून (7)

ऊपर दुनिया के जीने को और वे लोग
आखिरत की खबर नहीं रखते। (7)

खुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़-लाम्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। रूम वाले एक क़रीब के मौक़े में (यानी रूम की सरज़मीन के ऐसे मक़ाम में जो फ़ारस के मुक़ाबले में अरब से काफ़ी क़रीब है, इससे मुराद अज़रआत व बसरा हैं, जो मुल्के शाम में दो शहर हैं। जैसा कि किताब कामूस में बयान किया गया है। और रूम की हुकुमत के अधीन होने से रूम की सरज़मीन में दाख़िल हैं। इस मौक़े पर रूम वाले फ़ारस वालों के मुक़ाबले में) पराजित हो गये (जिससे मुशिक लोग खुश हुए) और वे (रूमी) अपने (उस) हारने के बाद जल्द ही (फ़ारस वालों पर दूसरे मुक़ाबले में) तीन साल से लेकर नौ साल के अन्दर-अन्दर ग़ालिब आ जाएँगे। (और ये पराजित और विजयी होना सब खुदा की तरफ़ से है, क्योंकि पराजित होने से) पहले भी इख़्तियार अल्लाह तआला ही को था (जिससे पराजित कर दिया था) और (पराजित होने से) बाद में भी (अल्लाह ही को इख़्तियार है जिससे ग़ालिब कर देगा) और उस दिन (यानी जब रूम वाले ग़ालिब आयेंगे) मुसलमान अल्लाह तआला की उस इमदाद पर खुश होंगे। (उस इमदाद से या तो यह मुराद है कि अल्लाह तआला मुसलमानों को उनके क़ौल में सच्चा और ग़ालिब फ़रमा देगा। क्योंकि इस भविष्यवाणी को मुसलमानों ने काफ़िरों पर ज़ाहिर किया और उन्होंने झुठलाया तो इसके ज़ाहिर व वाक़े होने से मुसलमानों की जीत हो जायेगी। और या यह मुराद है कि मुसलमानों को जंग में भी ग़ालिब कर देगा। चुनौचे वह वक़्त जंगे बदर में विजयी होने का था, और हर हाल में मदद का लाभ लेने वाले मुसलमान ही हैं, और मुसलमानों की पस्ती व मग़लूबियत की ज़ाहिरी हालत देखकर यह बात मुहाल व असंभव न समझी जाये कि ये मग़लूब मुसलमान मुक़ाबले के वक़्त काफ़िरों पर ग़ालिब आ जायेंगे, क्योंकि मदद अल्लाह के क़ब्ज़े में है) वह जिसको चाहे ग़ालिब कर देता है और वह ज़बरदस्त है (काफ़िरों को जब चाहे बात में या अमल में मग़लूब करा दे और) रहीम (भी) है (मुसलमानों को जब चाहे ग़ालिब कर दे)।

अल्लाह तआला ने इसका वायदा फ़रमाया है (और) अल्लाह तआला अपने वायदे के खिलाफ़ नहीं फ़रमाता (इस वास्ते यह भविष्यवाणी ज़रूर ज़ाहिर होगी) और लेकिन अक्सर लोग (अल्लाह तआला के इख़्तियारात व क़ब्ज़े को) नहीं जानते (बल्कि सिर्फ़ ज़ाहिरी असबाब को देखकर उन असबाब पर हुक्म लगा देते हैं, इसलिए इस भविष्यवाणी को असंभव जानते हैं, हालाँकि असबाब का पैदा करने वाला और असबाब का मालिक हक़ तआला है, उसको असबाब बदलना भी आसान है और असबाब के खिलाफ़ परिणाम का ज़ाहिर करना भी आसान।

और जिस तरह भविष्यवाणी के ज़ाहिर होने से पहले ज़ाहिरी असबाब न होने की वजह से इसका इनकार करते हैं इसी तरह भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखकर भी उसको एक इत्तिफ़ाकी मामला करार देते हैं, अल्लाह के वायदे का ज़ाहिर होना नहीं समझते, इसलिए लफ़ज़ ला यज़ूलमून में ये दोनों

चीजें आ गईं। इन लोगों का अल्लाह तआला और नुबुव्वत से ग्राफिल व जाहिल रहना इस सबब से है कि ये लोग सिर्फ दुनियावी जिन्दगी के जाहिर (हालत) को जानते हैं और ये लोग आखिरत से (बिल्कुल ही) बेखबर हैं (कि वहाँ क्या होगा, इसलिये इनको दुनिया में न अज़ाब के असबाब से बचने की फिक्र न निजात के असबाब यानी ईमान और नेक अमल की तलाश है)।

मअरिफ़ व मसाईल

इस सूरत के नाज़िल होने का किस्सा, रूम और फ़ारस की जंग

सूर: अन्कबूत उस आयत पर खत्म हुई है जिसमें हक़ तआला ने अपने रास्ते में जिहाद व मेहनत करने वालों के लिये अपने रास्ते खोल देने और उनके लिये मकासिद में कामयाबी की खुशखबरी दी थी। सूर: रूम की शुरूआत जिस किस्से से हुई है वह इसी अल्लाह की मदद का एक प्रतीक है। इस सूरत में जो वाक़िआ रूम और फ़ारस की जंग का बयान हुआ है ये दोनों काफ़िर ही थे इनमें से किसी की फ़तह किसी की शिकस्त बज़ाहिर इस्लाम और मुसलमानों के लिये कोई दिलचस्पी की चीज़ नहीं मगर इन दोनों काफ़िरों में फ़ारस वाले मुशिरक आग के पुजारी थे और रूम वाले व ईसाई अहले किताब। और जाहिर है कि दोनों किस्म के काफ़िरों में अहले किताब मुसलमानों से आपस की तुलना में करीब हैं क्योंकि बहुत से दीनी उसूल आखिरत पर ईमान रिसालत और वही पर ईमान, उनके साथ साझा चीज़ है। इसी साझा अक़ीदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने उस पत्र में काम लिया जो रूम के बादशाह को इस्लाम की दावत देने के लिये भेजा था कि:

تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..... الآية

अहले किताब के साथ मुसलमानों का किसी क़द्र करीब होना ही इसका सबब बना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मक्का मुकर्रमा में रहने के ज़माने में फ़ारस ने रूम पर हमला किया। हाफ़िज़ इब्ने हजर वग़ैरह के क़ौल के मुताबिक़ उनकी यह जंग मुल्के शाम के स्थान अज़रआत और बसरा के बीच वाक़े हुई।

इस जंग के दौरान में मक्का के मुशिरक लोग यह चाहते थे कि फ़ारस ग़ालिब आ जाये क्योंकि वे भी शिर्क व बुत परस्ती में उनके शरीक थे, और मुसलमान यह चाहते थे कि रूम वाले ग़ालिब आयें क्योंकि वे दीन व मज़हब के एतिबार से इस्लाम के करीब थे। मगर हुआ यह कि उस वक़्त फ़ारस वाले रूम वालों पर ग़ालिब आ गये यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया भी फ़तह कर लिया और वहाँ अपनी इबादत के लिये एक आतिश क़दा (आग का घर) तामीर किया। और यह फ़तह किसरा परवेज़ की आख़िरी फ़तह थी, इसके बाद उसका पतन शुरू हुआ और फिर मुसलमानों के हाथों उसका ख़ात्मा हुआ। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इस वाक़िए पर मक्का के मुशिरकों ने खुशियाँ मनाई और मुसलमानों को शर्म दिलाई कि तुम जिसको चाहते थे वह हार गया, और जैसा कि रूम अहले किताब को फ़ारस के मुक़ाबले में शिकस्त हुई हमारे मुक़ाबले में तुमको शिकस्त होगी, इससे मुसलमानों को रंज हुआ। (इब्ने जरीर इब्ने अबी हातिम)

कुरआन में सूरः रूम की शुरु की आयतें इसी वाकिए के बारे में नाज़िल हुईं जिनमें यह भविष्यवाणी और खुशख़बरी दी गई है कि चन्द साल बाद फिर रूम फ़ारस पर ग़ालिब आ जायेगा।

हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये आयतें सुनीं तो मक्का के आस-पास के इलाकों और मुशिरकों के मजमों और बाज़ार में जाकर इसका ऐलान किया कि तुम्हारे खुश होने का कोई मौका नहीं, चन्द साल में फिर रूम वाले फ़ारस वालों पर ग़ालिब आ जायेंगे। मक्का के मुशिरकों में से उबई बिन ख़लफ़ ने मुक़ाबला किया और कहने लगा कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि खुदा के दुश्मन तू ही झूठा है और मैं तो इस वाकिए पर शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर तीन साल के अन्दर रूम वाले ग़ालिब न आ गये तो दस ऊँटनियाँ मैं तुम्हें दूँगा और वे ग़ालिब आ गये तो दस ऊँटनियाँ तुम्हें देनी पड़ेंगी (यह मामला जुए का था मगर उस वक़्त तक जुआ हराम नहीं था) यह कहकर सिद्दीक़े अक़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस वाकिए का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया कि मैंने तो तीन साल की मुद्दत मुतैयन नहीं की थी, क्योंकि कुरआन में इसके लिये लफ़ज़ 'बिज़्-अ सिनीन' बयान हुआ है जिसका हुक्म तीन से नौ साल तक हो सकता है तुम जाओ और जिससे यह मामला हुआ है उससे कह दो कि मैं दस ऊँटनियों के बजाय सौ की शर्त करता हूँ मगर मुद्दत तीन साल के बजाय नौ साल और कुछ रिवायतों के मुताबिक़ सात साल) मुक़रर करता हूँ। सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म की तामील की और उबई बिन ख़लफ़ इस नये मुआहदे पर राजी हो गया। (इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. की रिवायत से)

हदीस की रिवायतों से मालूम होता है कि यह वाक़िआ हिज़रत से पाँच साल पहले पेश आया है और पूरे सात साल होने पर ग़ज़वा-ए-बदर के वक़्त रूम वाले दोबारा फ़ारस वालों पर ग़ालिब आ गये उस वक़्त उबई बिन ख़लफ़ मर चुका था। सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके वारिसों से अपनी शर्त के मुताबिक़ सौ ऊँटनियों का मुतालबा किया, उन्होंने ऊँटनियाँ दे दीं।

कुछ रिवायतों में है कि हिज़रत से पहले उबई बिन ख़लफ़ को जब अन्देशा हुआ कि अबू बक्र भी शायद हिज़रत करके चले जायें तो उसने कहा कि मैं आपको उस वक़्त तक न छोड़ूँगा जब तक आप कोई कफ़ील पेश न करें कि निर्धारित मियाद तक रूम ग़ालिब न आये तो सौ ऊँटनियाँ वह मुझे दे देगा। हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुरहमान को इसका कफ़ील (ज़मानती) बना दिया था।

जब शर्त के मुताबिक़ सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु जीत गये और सौ ऊँटनियाँ उनको हाथ आईं तो वह सब लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आपने फ़रमाया कि इन ऊँटनियों को सदका कर दो। और अबू यज़ला इब्ने असाकिर में हज़रत बरा बिन अज़िब की रिवायत से इसमें ये अलफ़ाज़ नक़ल हुए हैं:

هَذَا السُّحْتُ تَصَدَّقُ بِهِ

यह तो हराम है इसको सदका कर दो। (रूहुल-मआनी)

जुए का मसला

जुआ कुरआनी वज़ाहतों के मुताबिक़ क़तई हराम है। मदीना की तरफ़ हिजरत के बाद वक़्त शराब हराम की गई उसी के साथ जुआ भी हराम कर दिया गया और इसको शैतान करार दिया। आयत:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

(यानी सूर: मायदा की आयत 90) में मैसिर और अज़लाम जुए (किमार) ही की सूरतें हैं जिन को हराम करार दिया गया है।

और यह दो तरफ़ा लेन-देन और हार-जीत की शर्त जो हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन ख़लफ़ के साथ ठहराई यह भी एक किस्म का जुआ और किमार ही था मगर यह वाकिआ हिजरत से पहले का है जब जुआ हराम नहीं था। इसलिये इस वाकिए में जब यह किमार का माल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास लाया गया तो कोई हराम माल नहीं था।

इसलिये यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको सदका कर देने का हुक्म क्यों फ़रमाया, खुसूसन दूसरी रिवायत में जो इसके बारे में लफ़ज़ सुस्त आया है जिसके मशहूर मायने हराम के हैं यह कैसे दुरुस्त होगा?

इसका जवाब फ़ुक़हा हज़रात ने यह दिया है कि यह माल अगरचे उस वक़्त हलाल था मगर किमार (जुए) के ज़रिये माल हासिल करना उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पसन्द न था, इसलिये सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के मुनासिब न समझकर उनको सदका करने का हुक्म दिया। और यह ऐसा ही है कि जैसे शराब हलाल होने के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी इस्तेमाल नहीं फ़रमाई।

और लफ़ज़ सुस्त जो कुछ रिवायतों में आया है अब्बल तो इस रिवायत को मुहदिसीन ने सही तस्लीम नहीं किया और अगर सही भी माना जाये तो यह लफ़ज़ भी कई मायने में इस्तेमाल होता है। जैसे हराम के मायने में मशहूर है, इसके दूसरे मायने मक्क़ह व नापसन्दीदा के भी आते हैं जैसा कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

كَسْبُ الْحَبَامِ سُحْتٌ

यानी पछने लगाने वाले की कमाई सुस्त है। यहाँ फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) की अक्सरियत ने इसके मायने नापसन्दीदा और मक्क़ह के लिये हैं। और इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने 'मुफ़दातुल-क़ुरआन' में और इब्ने असीर ने 'निहाया' में लफ़ज़ सुस्त के ये मुख़ालिफ़ मायने अरब के मुहावरों और हदीसों से साबित किये हैं।

फ़ुक़हा हज़रात का यह कलाम इसलिये भी वाजिबुल-क़ुबूल (अनिवार्य तौर पर स्वीकारीय) है कि अगर वास्तव में यह माल हराम था तो शर्ई उसूल के मुताबिक़ यह माल उसी शख्स को वापस करना लाज़िम था जिससे लिया गया है, हराम माल को सदका करने का हुक्म सिर्फ़ उन सूरतों में होता है जबकि उसका मालिक मालूम न हो या उसको पहुँचाना मुश्किल हो, या उसको वापस करने में कोई

और शर्ई बुराई हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तअ़ाला आलम

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ

यानी उस दिन (जबकि रूम वाले फ़ारस वालों पर ग़ालिब आयेंगे) मुसलमान खुश होंगे अल्लाह की मदद से। इबारत की तरतीब के एतिबार से ज़ाहिर यह है कि यहाँ मदद से रूमियों की मदद मुराद है, वे अगरचे काफ़िर थे मगर उनके मुक़ाबिल जो काफ़िर थे उनके एतिबार से कुफ़्र में हल्के और कम थे, इसलिये उनकी मदद अल्लाह तअ़ाला की तरफ़ से होना कोई मुहाल बात नहीं, खुसूसन जबकि उनकी मदद से मुसलमानों को भी खुशी हासिल हो और काफ़िरों के मुक़ाबले में उनकी जीत भी हो।

और यह भी हो सकता है कि मदद से मुराद यहाँ मुसलमानों की मदद हो जो दो वजह से हो सकती है- अव्वल तो यही कि मुसलमानों ने रूमियों के ग़लबे को कुरआन की सच्चाई और इस्लाम के हक़ होने की दलील बनाकर पेश किया था इसलिये रूमियों का ग़लबा हक़ीकत में मुसलमानों की मदद थी, दूसरी वजह मुसलमानों की मदद की यह भी हो सकती है कि उस ज़माने में काफ़िरों की बड़ी ताकतें भी दो यानी फ़ारस और रूम थीं, अल्लाह तअ़ाला ने उनको आपस में भिड़ाकर दोनों को कमज़ोर कर दिया जो आगे चलकर मुसलमानों की फुतूहात का सबब बनीं। (रूहुल-मअ़ानी)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝

यानी ये लोग दुनिया की ज़िन्दगी के एक पहलू को तो ख़ूब जानते हैं कि व्यापार व कारोबार किस तरह करें, किस माल का करें, कहाँ से ख़रीदें, कहाँ बेचें। और खेती किस तरह करें, कब बीज डालें कब काटें, तामीरें कैसी-कैसी बनायें, ऐश व अरामा के सामान क्या-क्या मुहैया करें, लेकिन इसी दुनिया की ज़िन्दगी का दूसरा पहलू जो इसकी हक़ीकत और इसके असली मक़सद को स्पष्ट करता है कि दुनिया का चन्द दिन का रहना हक़ीकत में एक मुसाफ़िर वाला रहना है, इनसान यहाँ का मक़ामी आदमी (नागरिक) नहीं, बल्कि दूसरे मुल्क आख़िरत का बाशिन्दा है, यहाँ कुछ मुद्दत के लिये वीज़े पर आया हुआ है, इसका असली काम यह है कि अपने असली वतन के लिये यहाँ से राहत व आराम का सामान इकट्ठा करके वहाँ भेजे और वह राहत का सामान ईमान और नेक अ़मल है, इस दूसरे रुख़ से बड़े-बड़े अ़क़ल मन्द कहलाने वाले बिल्कुल ग़ाफ़िल और जाहिल हैं।

कुरआने करीम के अलफ़ाज़ में ग़ौर कीजिये कि “यअ़्लमू-न” के साथ “ज़ाहिरम् मिनल् हयातिदुदुन्या” फ़रमाया है जिसमें लफ़ज़ ज़ाहिरन् को आ़म रखकर अरबी ग्रामर के हिसाब से इस तरफ़ इशारा है कि हक़ीकत में ये लोग ज़ाहिरी ज़िन्दगी को भी पूरा नहीं जानते, इसके सिर्फ़ एक रुख़ को जानते हैं, दूसरे रुख़ से ग़ाफ़िल हैं, और आख़िरत से बिल्कुल ही ग़ाफ़िल व जाहिल हैं।

आख़िरत से ग़फ़लत कोई अ़क़लमन्दी नहीं

दुनिया के कारोबारी उलूम व फ़ुनून अगर आख़िरत से ग़फ़लत के साथ हासिल हों तो वह कोई अ़क़लमन्दी नहीं। कुरआने करीम दुनिया की कौमों के इबतनाक किस्सों से भरा हुआ है, जो दुनिया के कमाने और ऐश व आराम के सामान जमा करने में बड़े मशहूर और नाचीन थे, फिर उनका बुरा

अन्जाम भी दुनिया ही में लोगों के सामने आया और आखिरत का हमेशा वाला अज़ाब उनका हिस्सा बना, इसलिये उनको कोई समझदार आदमी अक्लमन्द या ज्ञानी नहीं कह सकता। अफसोस है कि आजकल अक्ल व ज्ञान को इसी में सीमित समझ लिया गया है कि जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करे और अपने ऐश व आराम का सामान सबसे बेहतर बना ले वह सबसे बड़ा अक्लमन्द कहलाता है, अगरचे इनसानी अख़लाक से भी कोरा हो। अक्ल व शरीअत के हिसाब से उसको अक्लमन्द कहना अक्ल की तौहीन है, कुरआने करीम की भाषा में अक्ल वाले सिर्फ वे लोग हैं जो अल्लाह को और आखिरत को पहचानें, उसके लिये अमल करें, दुनिया की ज़रूरतों को बकदरे ज़रूरत रखें, अपनी ज़िन्दगी का मक़सद न बनायें। कुरआन की आयत:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا الآية
(यानी सूर: आले इमरान की आयत 90-91) का यही मतलब है।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۝
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا السُّؤَالَ ۗ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝

अ-व लम् य-तफ़क्करु फी
अन्फुसिहिम्, मा ख-लक़ल्लाहुस्-
समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा
इल्ला बिल्हक्कि व अ-जलिम्-
मुसम्मन्, व इन्-न कसीरम्-मिनन्नासि
बिलिका-इ रब्बिहिम् लकाफिरुन (8)
अ-व लम् यसीरु फिल्अर्जि फ-यन्जुरु
कै-फ़ का-न आकि-बतुल्लजी-न मिन्
क़ब्लिहिम्, कानू अशद्-द मिन्हुम्


क्या ध्यान नहीं करते अपने जी में कि अल्लाह ने जो बनाये आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सो ठीक साधकर और मुक़रर वायदे पर, और बहुत लोग अपने रब का मिलना नहीं मानते। (8) क्या इन्होंने सैर नहीं की मुल्क की जो देखें कैसा अन्जाम हुआ इनसे पहलों का, इनसे ज़्यादा थे जोर में

कुव्वतं व-व असारुल्-अर्-ज व
 अ-मरुहा अक्स-र मिम्मा अ-मरुहा
 व जाअत्हुम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति,
 फ़मा कानल्लाहु लियज़िल-महुम् व
 लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज़िलमून
 (9) सुम्-म का-न आकि-बतल्लज़ी-न
 असाउस्सूआ अन् कज़्ज बू
 बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा
 यस्तहज़िऊन (10) ❀

और जोता उन्होंने ज़मीन को और बसाया
 इसको इनके बसाने से ज्यादा, और पहुँचे
 उनके पास रसूल उनके खुले हुक्म लेकर
 सो अल्लाह न था उन पर जुल्म करने
 वाला लेकिन वे खुद ही अपना बुरा करते
 थे। (9) फिर बुरा हुआ अन्जाम बुरा
 करने वालों का इस वास्ते कि झुठलाते थे
 अल्लाह की बातें और उन पर ठट्ठे करते
 थे। (10) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

क्या (आख़िरत के आने की दलीलें सुनकर भी इनकी नज़र दुनिया ही पर सीमित रही और) इन्होंने अपने दिलों में यह ग़ौर नहीं किया कि अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में हैं, किसी हिक्मत ही से और एक मुकर्ररा मियाद (तक) के लिये पैदा किया है, (जैसा कि उसने आयतों में ख़बर दी है कि उन हिक्मतों में से एक हिक्मत जज़ा व सज़ा की है। और निर्धारित मियाद कियामत है। अगर अपने दिलों में ग़ौर करते तो इन वाकिअत का संभव होना अक्ल से और इनका आना व जाहिर होना नक़ल यानी क़ुरआन से और उस नक़ल की सच्चाई क़ुरआन के मोजिज़ा होने की सिफ़त से खुलकर सामने आ जाती और आख़िरत के इनकारी न होते, मगर ग़ौर न करने से इनकारी हो रहे हैं)। और (यही क्या और) बहुत-से आदमी अपने रब के मिलने के इनकारी हैं, क्या ये लोग (कभी घर से नहीं निकले और) ज़मीन में चले-फिरे नहीं, जिसमें देखते-भालते कि जो (इनकारी) लोग इनसे पहले गुज़र चुके हैं उनका (आख़िरी) अन्जाम क्या हुआ, (उनकी हालत यह थी कि) वे इनसे कुव्वत में भी बढ़े हुए थे और उन्होंने ज़मीन को भी (इनसे ज्यादा) बोया-जोता था। और जितना इन्होंने (सामान और मकान से) इसको आबाद कर रखा है इससे ज्यादा उन्होंने इसको आबाद किया था, और उनके पास भी उनके पैग़म्बर मोजिज़े लेकर आये थे, (जिनको उन्होंने नहीं माना और अज़ाब से हलाक हुए जिनकी हलाकत के निशानात उनके वीरान मकानों से जो मुल्क शाम के रास्ते में मिलते हैं जाहिर हैं) सो (उनके इस हलाक करने में) अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता वे तो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे (कि पैग़म्बरों का इनकार करके हलाकत व तबाही के हक़दार हुए। यह तो उनकी दुनिया में हालत हुई और) फिर (आख़िरत में) ऐसे लोगों का अन्जाम जिन्होंने (ऐसा) बुरा काम (यानी रसूलों का इनकार) किया था बुरा ही हुआ, (सिफ़) इस वजह से कि



ता को (यानी हुकमों और खबर देने को) झुठलाया था और (झुठलाने) उड़ाते थे (वह अन्जाम दोज़ख की सज़ा है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

दोनों आयतों इनसे पहले के मज़मून का पूरक और उस पर गवाह व सुबूत के तौर पर हैं कि लोग दुनिया की चन्द दिन की चमक-दमक और फ़ानी लज़ज़तों में ऐसे मस्त हो गये कि इस कारख़ाने की हकीकत और अन्जाम से बिल्कुल गाफ़िल हो गये, अगर ये खुद भी ज़रा अपने दिल में सोचते और ग़ौर करते तो इन पर कायनात का यह राज़ खुल जाता कि ख़ालिके कायनात ने यह आसमान व ज़मीन और इन दोनों के बीच की मख़्लूक़ात को फुज़ूल और बेकार पैदा नहीं किया। इनके पैदा करने और बनाने का कोई बड़ा मक़सद और बड़ी हिक्मत है, और वह यही है कि लोग अल्लाह तआला की इन बेशुमार नेमतों के ज़रिये इनके पैदा करने वाले को भी पहचानें और उसकी तलाश में लग जायें कि वह किन कामों से राज़ी होता है, किनसे नाराज़, ताकि उसकी रज़ा तलब करने का सामान करें, और नाराज़ी के कामों से बचें। और यह भी ज़ाहिर है कि इन दोनों किस्म के कामों की कुछ जज़ा व सज़ा भी होनी ज़रूरी है वरना नेक व बद को एक ही पल्ले में रखना अदल व इन्साफ़ के खिलाफ़ है। और यह भी मालूम है कि यह दुनिया बदले का मक़ाम नहीं है जिसमें इन्सान को उसके अच्छे या बुरे अमल की पूरी जज़ा (बदला) ज़रूर मिल ही जाये, बल्कि यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि अपराध का आदी आदमी खुश-ख़ुरम और कामयाब नज़र आता है और बुरे कामों से परहेज़ करने वाला मुसीबतों और तंगी का शिकार देखा जाता है।

इसलिये ज़रूरी है कि कोई ऐसा वक़्त आये जब यह सब कारख़ाना ख़त्म हो और अच्छे बुरे आमाल का हिसाब हो, और उन पर जज़ा व सज़ा मिले, जिसका नाम क़ियामत और आख़िरत है।

खुलासा यह है कि ये लोग अगर सोच-विचार करते तो यही आसमान व ज़मीन और इनकी मख़्लूक़ात इसकी गवाही दे देतीं कि ये चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं, कुछ मुदत के लिये हैं और इनके बाद दूसरा आलम आने वाला है जो हमेशा रहने वाला होगा। ऊपर ज़िक्र हुई दो आयतों में से पहली आयत 'अ-व लम् य-तफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम.....' का यही हासिल है।

यह मज़मून तो एक अक़्ली तौर पर दलील हासिल करने का है। अगली आयत में दुनिया की देखाई देने, महसूस करने और अनुभव में आने वाली चीज़ों को इसकी गवाही में पेश किया गया है और मक्का वालों को ख़िताब करके फ़रमाया है कि:

.....**أولم يسيروا في الأرض**

यानी ये मक्का वाले तो एक ऐसी ज़मीन के रहने वाले हैं जहाँ न खेती-बाड़ी है न उद्योग व कारीगरी न व्यापार के मौके और न ऊँची-ऊँची हसीन इमारतें, मगर मुल्के शाम और यमन के सफ़र इन लोगों को अपने व्यापारिक मक़ासिद के लिये पेश आते हैं। क्या उन सफ़रों में इन लोगों ने दुनिया की अपने से पहली कौमों के अन्जाम पर नज़र नहीं डाली जिनको अल्लाह तआला ने ज़मीन में बड़े बड़े इस्तिथारात चलाने और हुनर मन्दी दिखाने का सलीका दिया था, कि ज़मीन को खोदकर उससे

पनी निकालना और उससे बागों और खेतों को सींचना और छुपी हुई खानों से सोना चाँदी और दूसरी किस्म की ज़मीनी धातुएँ निकालना और उनसे इंसानी फ़ायदों के लिये विभिन्न प्रकार की चीज़ें तैयार करना उनकी जिन्दगी का मशगला था, और ये अपने ज़माने की सभ्य और विकसित कौमों समझी जाती थीं। मगर उन्होंने इसी माही और फ़ानी ऐश व आराम में मस्त होकर अल्लाह को और आखिरत को भुला दिया अल्लाह तआला ने उनको याद दिलाने के लिये अपने पैग़म्बर और किताबें भेजीं, मगर उन्होंने किसी की तरफ़ ध्यान नहीं दिया और आखिरकार दुनिया में भी अज़ाब में मुब्तला हुए जिस पर उनकी बस्तियों के वीरान खण्डरात इस वक़्त तक गवाही दे रहे हैं। आयत के आखिर में फ़रमाया कि गौर करो कि इस अज़ाब में उन पर अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई जुल्म हुआ है या उन्होंने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया है कि अज़ाब के सामान जमा कर लिये।

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْأَخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ۝ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تَسُوءُ وَ
حِينَ تَصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

अल्लाहु यब्दउल्-ख़ाल्-क़ सुम्-म
युअ़ीदुहू सुम्-म इलैहि तुर्जअून (11)
व यौ-म तक़ूमुस्सा-अतु युब्लिसुल्-
मुज्रिमून (12) व लम् यकुल्-लहुम्
मिन् शु-रकाइहिम् शु-फआ-उ व कानू
बिशु-रकाइहिम् काफ़ीरीन (13) व
यौ-म तक़ूमुस्सा-अतु यौमइज़ियू-
य-तफ़र्रकून (14) फ़-अम्मल्लज़ी-न
आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़हुम्
फ़ी रौज़तियू-युहबरून (15) व

अल्लाह बनाता है पहली बार फिर उसको
दोहरायेगा फिर उसी की तरफ़ फिर
जाओगे। (11) और जिस दिन बरपा होगी
क़ियामत आस तोड़कर रह जायेंगे
गुनाहगार। (12) और न होंगे उनके
शरीकों में कोई उनके सिफ़ारिश करने
वाले और वे हो जायेंगे अपने शरीकों से
इनकारी। (13) और जिस दिन क़ायम
होगी क़ियामत उस दिन लोग होंगे किस्म
किस्म। (14) सो जो लोग यकीन लाये
और किये भले काम सो बाग़ में होंगे,
उनकी आव-भगत होगी। (15) और जो

अम्मल्लजी-न क-फ़रू व कज़्जबू
 बिआयातिना व लिकाइल्-आख़िरति
 फ़-उलाइ-क फ़िल्अज़ाबि मुहज़रून
 (16) फ़सुहानल्लाहि ही-न तुम्सू-न
 व ही-न तुस्बिहून (17) व लहुल्-हम्दु
 फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व अशिय्यं-
 व ही-न तुज़िहूरून (18) युख़्रिजुल्-
 हय्-य मिनल्-मय्यिती व युख़्रिजुल्-
 मय्यि-त मिनल्-हय्यि व युह्यि-
 अर्-ज़ बज़्-द मौतिहा, व कज़ालि-क
 तुख़जून (19) ❀

इनकारी हुए और झुठलाई हमारी बातें
 और मिलना पिछले घर का सो वे अज़ाब
 में पकड़े आयेंगे। (16) सो पाक अल्लाह
 की याद करो जब शाम करो और जब
 सुबह करो। (17) और उसी की खूबी है
 आसमान में और ज़मीन में और पिछले
 वक़्त और जब दोपहर हो। (18) निकालता
 है ज़िन्दा को मुर्दे से और निकालता है
 मुर्दे को ज़िन्दा से और ज़िन्दा करता है
 ज़मीन को उसके मरने के बाद, और इसी
 तरह तुम निकाले जाओगे। (19) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआला मख़्लूक को पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी उसको पैदा करेगा, फिर (पैदा होने के बाद) उसके पास (हिसाब-किताब के लिये) लाये जाओगे। और जिस दिन कियामत कायम होगी (जिसमें पैदा करने का यह अमल दोहराया जाने वाला है) उस दिन मुजरिम (यानी काफ़िर) लोग (पूछगछ के वक़्त) हैरान रह जाएँगे (यानी कोई माकूल बात उनसे न बन पड़ेगी) और उनके (गढ़े हुए) शरीकों में से (जिनको इबादत में साझी बनाते थे) उनका कोई सिफ़ारिशी न होगा, और (उस वक़्त खुद) ये लोग (भी) अपने शरीकों से इनकारी हो जाएँगे (कि खुदा की क़सम हम अपने रब के साथ शरीक करने वाले नहीं थे) और जिस दिन कियामत कायम होगी उस दिन (ऊपर बयान हुए वाक़िए के अलावा एक वाक़िआ यह भी होगा कि विभिन्न तरीकों के) सब आदमी अलग-अलग हो जाएँगे। यानी जो लोग ईमान लाये थे और उन्होंने अच्छे काम किये थे, वे तो (जन्नत के) बाग़ में खुश "और प्रसन्न" होंगे और जिन लोगों ने कुफ़्र किया था, और हमारी आयतों को और आख़िरत के पेश आने को झुठलाया था वे लोग अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे (यह मायने हैं जुदा-जुदा होने के। जब ईमान और नेक अमल की फ़ज़ीलत तुमको मालूम हो गई) सो तुम अल्लाह की तस्बीह (दिल के यकीन व अकीदे के साथ भी जिसमें ईमान आ गया और ज़बान व कौल से भी जिसमें इकरार व अन्य जिक्र आ गये और अमली तौर पर भी जिसमें तमाम इबादतें आम तौर पर और नमाज़ खास तौर पर आ गई। गुर्ज़ कि तुम अल्लाह की तस्बीह हर वक़्त) किया करो (और विशेष तौर पर) शाम के वक़्त और सुबह के वक़्त।

और (अल्लाह की तस्बीह करने का जो हुक्म हुआ है तो वह वास्तव में इसका हकदार भी है, क्योंकि) तमाम आसमानों व ज़मीन में उसी की तारीफ़ होती है (यानी आसमान में फ़रिश्ते और ज़मीन में कुछ अपने इख़्तियार से और कुछ बिना इख़्तियार के मजबूरी के तौर पर उसकी तारीफ़ व सना करते हैं, जैसा कि अल्लाह तआला ने एक जगह इसको फ़रमाया है 'व इम्-मिन् शैइन् इल्ला युसब्बिहु बि-हम्दिही....'। यस जब वह ऐसा काबिले तारीफ़ सिफ़ात वाला और अपनी जात में कामिल है तो तुमको भी ज़रूर उसकी तस्बीह करनी चाहिए) और सूरज ढलने के बाद (भी तस्बीह किया करो) जोहर के वक़्त (भी तस्बीह किया करो कि ये वक़्त नई नेमत के सामने आने और उसकी कुदरत की निशानियों की अधिकता जाहिर होने के हैं तो इनमें मुनासिब है फिर तस्बीह दोहराई जाये, खास तौर पर नमाज़ के लिये यही वक़्त मुकरर हैं, चुनाँचे भसा-अ में मगरिब व इशा आ गई और अशियि में जोहर और असर दोनों दाख़िल थे, मगर जोहर स्पष्ट रूप से अलग से मज़कूर है इसलिए सिर्फ़ असर मुराद रह गई, और सुबह भी स्पष्ट रूप से मज़कूर है। और उसके लिये दोबारा बनाना और पैदा करना क्या मुश्किल है क्योंकि उसकी ऐसी कुदरत है कि) वह जानदार को बेजान से बाहर लाता है और बेजान को जानदार से बाहर लाता है (मसलन नुत्फ़े और अण्डे से इनसान और बच्चा और इनसान और परिन्दे से नुत्फ़ा और अण्डा) और ज़मीन को उसके मुर्दा (यानी खुश्क) होने के बाद जिन्दा (यानी ताज़ा और हरी-भरी) करता है, और इसी तरह तुम लोग (क़ियामत के दिन) निकाले जाओगे।

मअरिफ़ व मसाईल

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

युस्वरून हबूर से निकला है जिसके मायने सुरूर और खुशी के हैं। और इस लफ़ज़ के आ़म होने में हर तरह का सुरूर दाख़िल है जो जन्नत की नेमतों से जन्नत वालों को हासिल होगा। कुरआने करीम में इसको यहाँ भी आ़म रखा गया है। इसी तरह दूसरी जगह यह इरशाद है:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

यानी किसी शख्स को दुनिया में मालूम नहीं कि उसके लिये जन्नत में आँखों की ठंडक (और राहत व सुरूर) के क्या-क्या सामान जमा हैं। कुछ मुफ़स्सरीन ने जो खास-खास सुरूर की चीज़ों को इस आयत के तहत में ज़िक्र किया है वो सब इसी संक्षिप्तता में दाख़िल हैं।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

लफ़ज़ सुब्हानल्लाहि मस्दर है, इसकी क्रिया यहाँ छुपी हुई है यानी:

سَبَّحُوا اللَّهَ سُبْحَانًا حِينَ تُمْسُونَ

कि जब तुम शाम के वक़्त में दाख़िल हो और जब तुम पर सुबह का वक़्त आये तो तुम अल्लाह की पाकी बयान करो।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

मला बीच में दलील के तौर पर लाया गया है। एक सुबह रात का...

आसमान व ज़मीन में सिर्फ़ वही तारीफ़ के लायक़ है और तमाम आसमान व वाले उसकी तारीफ़ करने में मशगूल हैं। और जिस तरह आयत के शुरू में सुबह शाम की तस्बीह हुक्म है आयत के आख़िर में अशिय्यन् और ही-न तुज़िह्रून से और दो वक्तों में तस्बीह कर हुक्म दिया गया है, एक वक्त अशी जो दिन के आख़िरी हिस्से को कहा जाता है जो असर का वक्त है दूसरा वक्त जोहर यानी सूरज ढलने के बाद।

और बयान करने की तरतीब में जिस तरह शाम को सुबह से पहले बयान किया गया है इसी तरह दिन के आख़िरी हिस्से को जोहर से पहले बयान किया गया है, शाम यानी रात को पहले बयान करने की वजह यह भी है कि इस्लामी तारीख़ में रात पहले होती है और तारीख़ सूरज छुपने से बदलती है। और अशी यानी असर के वक्त को जोहर से पहले बयान करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि असर का वक्त उमूमन कारोबार में मशगूलियत का वक्त होता है उसमें कोई दुआ तस्बीह या नमाज़ आदतन मुश्किल है। इसी लिये कुरआने करीम में 'बीच वाली नमाज़' की जिसकी तफ़सीर अक्सर हज़रत के नज़दीक असर की नमाज़ है, इसकी खुसूसी ताकीद आई है। फ़रमाया:

حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ.

उपर्युक्त आयतों (17 व 18) के अलफ़ाज़ में नमाज़ या सलात की वज़ाहत नहीं इसलिये हर किस्म के ज़िक्रुल्लाह ज़बानी हो या अमली वो इसमें शामिल है जैसा कि खुलासा-ए-तफ़सीर में बयान किया गया है, और ज़िक्रुल्लाह की तमाम किस्मों में चूँकि नमाज़ सबसे आला और बेहतर है इसलिये वह इसमें सबसे पहले दाख़िल है। इसी लिये उलेमा ने कहा है कि इस आयत में पाँचों नमाज़ों का मय उनके वक्तों के ज़िक्र आ गया है जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या कुरआन में पाँच नमाज़ों का ज़िक्र स्पष्ट रूप से है? तो फ़रमाया हाँ! और दलील में यही आयत पेश करके फ़रमाया कि 'ही-न तुमसून' में मग़रिब की नमाज़ और 'ही-न तुस्बिहून' में फ़जर की नमाज़ और 'अशिय्यन्' में असर की नमाज़ और 'ही-न तुज़िह्रून' में जोहर की नमाज़ का ज़िक्र स्पष्ट रूप से मौजूद है। अब सिर्फ़ एक इशा की नमाज़ रही इसके सुबूत में एक दूसरी आयत का जुमला इरशाद फ़रमाया 'मिम्-बअदि सलातिल् इशा-इ'।

और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि 'ही-न तुमसून' में मग़रिब और इशा की दोनों नमाज़ें दाख़िल हैं।

एक अहम फ़ायदा

यह आयत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वह दुआ है जिसकी वजह से कुरआने करीम ने उनको अहद पूरा करने वाले का ख़िताब दिया है। इरशाद फ़रमाया:

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ.

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कलिमात सुबह शाम पढ़ा करते थे। जैसा कि सही सनदों के साथ हज़रत नुआज़ विन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अहद पूरा करने की हज़रत

इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने का सबब उनकी यह दुआ थी।

और अबू दाऊद, तबरानी, इब्ने सनी वगैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन तीन आयतों:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 17, 18 और 19) के बारे में फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह को ये कलिमात पढ़ लिये तो दिन भर में उसके अमल में जो कोताही होगी वह इन कलिमात की बरकत से पूरी कर दी जायेगी, और जिसने शाम के वक़्त ये कलिमात पढ़ लिये तो उसके रात के आमाल की कोताही इसके ज़रिये पूरी कर दी जायेगी। (रुहुल-मअनी)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تانتَشِرُونَ ۝
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۝
۝
۝

व मिन् आयातिही अन् ख-ल-ककुम्
मिन् तुराबिन् सुम्-म इज़ा अन्तुम्
ब-शरुन् तन्तशिरुन (20) व मिन्
आयातिही अन् ख-ल-क लकुम् मिन्
अन्फुसिकुम् अज़्वाजल्-लितस्कुनू
इलैह व ज-अ-ल बैनकुम् मवद्-तंव्-
व रह्म-तन्, इन्-न फी ज़ालि-क

और उसकी निशानियों में से है यह कि तुमको बनाया मिट्टी से फिर अब तुम इनसान हो ज़मीन में फैले पड़े। (20) और उसकी निशानियों में से है यह कि बना दिये तुम्हारे वास्ते तुम्हारी किस्म से जोड़े कि चैन से रहो उनके पास और रखा तुम्हारे बीच में प्यार और मेहरबानी, यकीनन इसमें बहुत पते की बातें हैं उनके

ल-लिकौमिंय-य-तफक्करून

(21) व मिन् आयातिही खल्कुस-
समावाति वल्अर्जि वद्धितलाफु-
अल्सि-नतिकुम् व अल्वानिकुम्,
इन्-न फी ज़ालि-क लआयातिल्-
लिल्-आलमीन (22) व मिन्
आयातिही मनामुकुम् बिल्लैलि
वन्नहारि वबूतिगा-उकुम् मिन्
फज़िलही, इन्-न फी ज़ालि-क
ल-आयातिल्-लिकौमिंय-यस्मअून
(23) व मिन् आयातिही युरीकुमुल्-
बर्-क़ खौफ़-व-व त-मअ-व-व
युनज़िलु मिनस्समा-इ माअन् फ़युह्यी
बिहिल्-अर्-ज़ बअ-द मौतिहा, इन्-न
फी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय-
यअकिलून (24) व मिन् आयातिही
अन् तकूमस्समा-उ वल्अर्ज़ु
बिअमिही, सुम्-म इज़ा दआकुम्
दअ-वतम्-मिनल्-अर्जि इज़ा अन्तुम्
तद्धरुजून (25) व लहू मन्
फिस्समावाति वल्अर्जि, कुल्लुल्-लहू
कानितून (26) व हुवल्लज़ी यब्दउल्-
खल्-क़ सुम्-म युज़ीदुहू व हु-व
अह्वनु अलैहि, व लहुल्-म-सलुल्-

लिये जो ध्यान करते हैं। (21) अ
उसकी निशानियों में से है आसमान ३
ज़मीन का बनाना और तरह-तरह
बोलियाँ तुम्हारी और रंग, इसमें बहुत
निशानियाँ हैं समझने वालों को। (22)
और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा
सोना रात और दिन में और तलाश करना
उसके फज़ल से, इसमें बहुत पते हैं उनको
जो सुनते हैं। (23) और उसकी निशानियों
से है यह कि दिखलाता है तुमको बिजली
डर और उम्मीद के लिये और उतारता है
आसमान से पानी फिर जिन्दा करता है
उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद,
इसमें बहुत पते हैं उनके लिये जो सोचते
हैं। (24) और उसकी निशानियों में से
यह है कि खड़ा है आसमान और ज़मीन
उसके हुक्म से फिर जब पुकारेगा तुमको
एक बार ज़मीन में से उसी वक़्त तुम
निकल पड़ोगे। (25) और उसी का है जो
कोई है आसमान और ज़मीन में सब
उसके हुक्म के ताबे हैं। (26) और वही
है जो पहली बार बनाता है फिर उसको
दोहरायेगा और वह आसान है उस पर,
और उसकी शान सबसे ऊपर है आसमान

अज़ला फ़िस्समावाति वल्-अर्जि व हुवल् अज़ीजुल्-हकीम (२७) ❖

और ज़मीन में, और वही है ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (२७) ❖

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से एक यह (चीज़) है कि तुमको मिट्टी से पैदा किया (या तो इस तरह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए और यह पूरी इनसानी नस्ल उन्हीं से है और या इस तरह कि नुत्फे की असल गिज़ा है और उसकी असल इनसानी तत्व हैं जिनमें ज्यादा हिस्से वाला तत्व मिट्टी है) फिर थोड़े ही दिनों बाद (क्या हुआ कि) तुम आदमी बनकर (ज़मीन पर) फैले हुए फिरते (नज़र आते) हो। और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से यह (चीज़) है कि उसने तुम्हारे (फ़ायदे के) वास्ते तुम्हारी जिन्स की “यानी तुम्हारी नस्ल से और तुम्हारी ही शक्ल व सूरत वाली” बीवियाँ बनाई (और वह फ़ायदा यह है कि) ताकि तुमको उनके पास आराम मिले और तुम मियाँ-बीवी में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा की, इस (चीज़) में (भी) उन लोगों के लिये (कुदरत की) निशानियाँ हैं जो फ़िक्र से काम लेते हैं। (क्योंकि दलील व तर्क लेने के लिये सोच-विचार की ज़रूरत है और निशानियाँ बहुवचन इसलिए फ़रमाया कि उक्त मामला कई चीज़ों पर आधारित है) और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से आसमान और ज़मीन का बनाना है। और तुम्हारे बातचीत करने के अन्दाज़ और रंगतों का अलग-अलग होना है। (अन्दाज़ और बात करने के तरीके से मुराद या तो भाषायें हों या आवाज़ और गुफ्तगू का अन्दाज़) इस (ज़िक्र हुए मामले) में (भी) समझदारों के लिये (कुदरत की) निशानियाँ हैं। (यहाँ भी बहुवचन का लफ़्ज़ लाने की वही वजह बयान की जा सकती है जो ऊपर बयान हुई)। और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से तुम्हारा सोना-लेटना है रात में और दिन में (अगरचे रात को ज्यादा और दिन को कम हो), और उसकी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना है (दिन को ज्यादा और रात को कम, इसी लिये एक दूसरी आयत में नींद को रात के साथ और रोज़ी तलाश करने को दिन के साथ ख़ास करके बयान किया गया है) इस (ज़िक्र हुए मामले) में (भी) उन लोगों के लिये (कुदरत की) निशानियाँ हैं जो (दलील को तवज्जोह से) सुनते हैं।

और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से यह (बात) है कि वह तुमको (बारिश के वक़्त चमकती हुई) बिजली दिखाता है जिससे (उसके गिरने का) डर भी होता है और (उससे बारिश की) उम्मीद भी होती है, और वही आसमान से पानी बरसाता है फिर उसी से ज़मीन को उसके मुर्दा (यानी खुश्क) हो जाने के बाद ज़िन्दा (यानी तरोताज़ा) कर देता है। इस (ज़िक्र हुए मामले) में (भी) उन लोगों के लिये (कुदरत की) निशानियाँ हैं जो (फ़ायदा देने वाली) अक्ल रखते हैं। और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से यह (चीज़) है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म (यानी इरादे) से कायम हैं। (इसमें बयान है उनके बाकी रखने का, और ऊपर आयत २२ में ज़िक्र था उनकी शुरुआती पैदाईश का, और आलम का यह तमाम निज़ाम जो बयान हुआ, यानी तुम्हारे पैदा होने और नस्ल चलने का सिलसिला और आपस में जोड़ा बनना और आसमान व ज़मीन का इस मौजूदा हालत में

कायम होना और भाषाओं और रंगतों का भिन्न और अलग-अलग होना, और रात दिन का यह आना-जाना इसमें खास मस्लेहतों का होना और बारिश का बरसना और उसके आने से पहले की चीजें जैसे बादल व हवा वगैरह का ज़ाहिर होना, ये सब उसी वक़्त तक बाकी हैं जब तक दुनिया को बाकी रखना मक़सूद है, और एक दिन यह सब ख़त्म हो जायेगा) फिर (उस वक़्त यह होगा कि) जब तुमको पुकारकर ज़मीन में से बुलायेगा तो तुम एक दम से निकल पड़ोगे (और दूसरा निज़ाम शुरू हो जायेगा जिसका यहाँ बयान करना असल मक़सद है)।

और (ऊपर कुदरत की दलीलों और निशानियों से मालूम हो गया होगा कि) जितने (फ़रिश्ते और इनसान वगैरह) आसमान और ज़मीन में मौजूद हैं, सब उसी के (ममलूक) हैं (और) सब उसी के ताबे (यानी कुदरत के अधीन) हैं और (कामिल कुदरत के इस सुबूत और उसी के लिये खास होने से यह साबित हो गया कि) वही है जो पहली बार पैदा करता है (चुनाँचे ये इन लोगों जिनसे यह ख़िताब किया रहा है के नज़दीक भी माना हुआ था) फिर वही दोबारा पैदा करेगा (जैसा कि उक्त दलीलों के साथ सच्चे ख़बर के मिल जाने से मालूम हुआ) और यह (दोबारा पैदा करना) उसके नज़दीक (अगर ये लोग थोड़े से भी विचार से काम लें, पहली बार के पैदा करने के मुक़ाबले में) ज़्यादा आसान है, (जैसा कि इनसानी ताक़त व महारत के एतबार से अक्सर यही होता है कि किसी चीज़ को पहली बार के बनाने से दूसरी बार बनाना ज़्यादा आसान होता है) और आसमान व ज़मीन में उसी की शान (सबसे) आला है (यानी न आसमानों में कोई ऐसा बड़ा है और न ज़मीन में, जैसा कि खुद अल्लाह तआला का कौल है 'ब लहुल्-किब्रिया-उ फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि') और वह (बड़ा) ज़बरदस्त (यानी मुकम्मल कुदरत व इख़्तियार रखने वाला और) हिक्मत वाला है (चुनाँचे ऊपर बयान हुए मामलात से उसकी कुदरत के इख़्तियारात व और हिक्मत दोनों ज़ाहिर हैं। पस वह अपनी कुदरत से फिर दोबारा लौटायेगा और इस दोबारा पैदा करने में जो देरी हो रही है इसमें हिक्मत व मस्लेहत है। पस कुदरत व हिक्मत के साबित होने के बाद फ़िलहाल उसके ज़ाहिर व वाक़े न होने से उसका इनकार करना जहालत व नादानी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूर: रूम के शुरू में रूम व फ़ारस की जंग का एक वाक़िआ सुनाने के बाद इनकारी लोगों और काफ़िरों की गुमराही और हक़ बात के सुनने समझने से बेपरवाई का सबब उनका सिर्फ़ दुनिया की फ़ानी ज़िन्दगी को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद बना लेना और आख़िरत की तरफ़ कोई तवज्जोह न देना करार दिया गया था, उसके बाद क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने और हिसाब-किताब और जज़ा व सज़ा के वाक़े होने पर जो ऊपरी नज़र वालों को मुहाल व नामुम्किन मालूम हो सकता है इसका जवाब अब मुख़्तलिफ़ पहलुओं से दिया गया है, पहले खुद अपने नफ़्स में ग़ौर व फ़िक्र की फिर आस-भास में गुज़रने वाली क़ौमों के हालात और उनके अन्जाम पर निगाह डालने की दावत दी गई। फिर हक़ तआला की कामिल बेहसाब कुदरत का ज़िक्र फ़रमाया जिसमें उसका कोई साज़ी व शरीक नहीं। इस सब सुबूतों और दलीलों का लाज़िमी नतीजा यह निकलता है कि इबादत की हक़दार सिर्फ़

उसकी बेमिसाल और अकेली ज़ात को क़रार दिया जाये। और उसने जो अपने नबियों के ज़रिये क़ियामत कायम होने और पहले व बाद के तमाम लोगों के दोबारा ज़िन्दा होकर हिसाब किताब के बाद जन्नत या दोज़ख़ में जाने की ख़बर दी है उस पर ईमान लाया जाये। उपर्युक्त आयतों में इसी काभिल कुदरत और इसके साथ पूर्ण हिक्मत को ज़ाहिर करने वाली छह चीज़ें कुदरत की निशानियों के उनवान से बयान फ़रमाई गयी हैं जो अल्लाह तआला की बेमिसाल कुदरत व हिक्मत की निशानियाँ हैं।

कुदरत की पहली निशानी

कुदरत की पहली निशानी इनसान जैसे अशरफुल-मख़्लूक़ात (तमाम मख़्लूक़ात में बेहतर व आला) और कायनात के हाकिम को मिट्टी से पैदा करना है जो इस दुनिया के तत्वों में जिनसे यह तैयार हुई है सबसे ज़्यादा अदना दर्जे का तत्व है, जिसमें एहसास व हरकत और शऊर व समझ का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता, क्योंकि मशहूर चार अनासिर (तत्व) आग, पानी, हवा और मिट्टी में से मिट्टी के सिवा और सब अनासिर में कुछ न कुछ हरकत तो है, मिट्टी उससे भी मेहरूम है, कुदरत ने इनसान के बनाने के लिये इसको चुना। इब्लीस की गुमराही का सबब यही बना कि उसने आग के उन्सुर (तत्व) को मिट्टी से अच्छा व बरतर समझकर तकब्बुर इख़्तियार किया और यह न समझा कि सम्मान और बुजुर्गी ख़ालिफ़ व मालिक के हाथ में है वह जिसको चाहे बड़ा बना सकता है।

और इनसान की पैदाईश का मादा मिट्टी होना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एतिबार से ज़ाहिर ही है, और वह चूँकि तमाम इनसानों के वजूद की असल बुनियाद हैं इसलिये दूसरे इनसानों की पैदाईश उनके वास्ते से उन्हीं की तरफ़ मन्सूब करना कुछ बर्इद नहीं, और यह भी मुम्किन है कि आम इनसान जो परिचित तरीके से पैदा होते हैं कि वीर्य के क़तरे के ज़रिये पैदा होते हैं उनमें भी वह नुत्फ़ा जिन चीज़ों और तत्वों से मिलकर बनता है उनमें मिट्टी का अंश और हिस्सा ज़्यादा है।

कुदरत की दूसरी निशानी

कुदरत की दूसरी निशानी यह है कि इनसान ही की जिन्स में अल्लाह तआला ने औरतें पैदा कर दीं जो मर्दों की बीवियाँ हैं, एक ही मादे से एक ही जगह में एक ही ग़िज़ा से पैदा होने वाले बच्चों में ये दो मुख़लिफ़ किस्में पैदा फ़रमा दीं जिनके बदनी अंग व आज़ा, सूरत व सीरत, आदात व अख़्लाक़ में नुमायाँ फ़र्क़ व इम्तिदाज़ पाया जाता है। अल्लाह तआला की कुदरत व हिक्मत के काभिल होने के लिये यह पैदा करना ही काफी निशानी है। इसके बाद औरतों की इस ख़ास जाति की पैदाईश की हिक्मत व मस्लेहत यह बयान फ़रमाई 'लितस्कून इलैहा' यानी उनको इसलिये पैदा किया गया है कि तुम्हें उनके पास पहुँचकर सुकून मिले। मर्द की जितनी ज़रूरतें औरत से संबन्धित हैं उन सब में ग़ौर कीजिये तो सब का हासिल दिल का सुकून और राहत व इत्मीनान निकलेगा, कुरआने करीम ने एक लफ़ज़ में इन सब को जमा फ़रमा दिया है।

इससे मालूम हुआ कि वैवाहिक ज़िन्दगी के तमाम कारोवार का खुलासा सुकून व दिल की राहत ही है, जिस घर में यह मौजूद है वह अपने वजूद के मक़सद में कामयाब है, जहाँ दिली सुकून न हो

और चाहे सब कुछ हो वह शादीशुदा जिन्दगी के लिहाज से नाकाम व नामुराद है। और यह भी जाहिर है कि दिल का आपसी सुकून सिर्फ इसी सूरत से मुम्किन है कि मर्द व औरत के ताल्लुक की बुनियाद शरई निकाह और बन्धन पर हो, जिन मुल्कों और जिन लोगों ने इसके खिलाफ़ की हराम सूरतों को रिवाज दिया अगर तफ़्तीश की जाये तो उनकी जिन्दगी को कहीं सुकून वाली न पायेंगे, जानवरों की तरह वक़्ती इच्छा पूरी कर लेने का नाम सुकून नहीं हो सकता।

वैवाहिक जिन्दगी का मक़सद सुकून है जिसके लिये

आपसी उल्फ़त व मुहब्बत और रहमत ज़रूरी है

इस आयत ने मर्द व औरत की वैवाहिक जिन्दगी का मक़सद दिल का सुकून करार दिया है, और यह तब ही मुम्किन है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का हक़ पहचानें और अदा करें, वरना हक़ तलब करने के झगड़े घरेलू सुकून को बरबाद कर देंगे। हुक्क की इस अदायेगी के लिये एक सूरत तो यह थी कि इसके क़ानून बना देने और अहक़ाम नाफ़िज़ कर देने पर बस किया जाता, जैसे दूसरे लोगों के हुक्क के मामले में ऐसा ही किया गया है कि एक दूसरे की हक़-तल्फ़ी को हराम करके उस पर सज़ा वईदें (डॉट-डपट) सुनाई गई, सज़ायें मुकरर की गई, ईसार व हमदर्दी की नसीहत की गई, लेकिन तजुर्बा गवाह है कि सिर्फ़ क़ानून के ज़रिये कोई क़ौम सही राह पर नहीं लाई जा सकती जब तक उसके साथ खुदा का ख़ौफ़ न हो, इसलिये सामाजिक मामलात में शरीअत के अहक़ाम के साथ-साथ पूरे कुरआन में हर जगह 'इत्तकुल्ला-ह' 'वख़शौ' वगैरह के कलिमात बात और हुक्म के मक़सद को पूर करने के लिये लाये गये हैं।

मर्द व औरत के आपसी मामलात कुछ इस अन्दाज़ के हैं कि उनके आपसी हुक्क पूरे अदा कराने पर न कोई क़ानून हावी हो सकता है न कोई अदालत उनका पूरा इन्साफ़ कर सकती है। इसलिये निकाह के खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुरआने करीम की ये आयतें चुनी हैं जिनमें तक्वा और ख़ौफ़े खुदा व आख़िरत की तालीम व हिदायत है कि वही हक़ीक़त में मियाँ-बीवी के आपस के हुक्क का ज़मानती हो सकता है।

इस पर एक अतिरिक्त इनाम हक़ तअ़ाला ने यह फ़रमाया कि निकाह और वैवाहिक बन्धन के हुक्क को सिर्फ़ शरई और क़ानूनी नहीं रखा बल्कि तबई और नफ़्सानी बना दिया। जिस तरह माँ-बाप और औलाद के आपसी हुक्क के साथ भी ऐसा ही मामला फ़रमाया कि उनके दिलों में फ़ितरी तौर पर एक ऐसी मुहब्बत पैदा फ़रमा दी कि माँ-बाप अपनी जान से ज़्यादा औलाद की हिफ़ाज़त करने पर मजबूर हैं और इसी तरह औलाद के दिलों में भी एक फ़ितरी मुहब्बत माँ-बाप की रख दी गई है, यही मामला मियाँ-बीवी के मुताल्लिक़ भी फ़रमाया गया, इसके लिये इरशाद फ़रमाया:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

यानी अल्लाह तअ़ाला ने मियाँ-बीवी के दरमियान सिर्फ़ शरई और क़ानूनी ताल्लुक नहीं रखा बल्कि उनके दिलों में उल्फ़त, दिली मुहब्बत और रहमत जमा दी। 'वुद्द' और 'भवद्दत' के लफ़्ज़ी

मायने चाहने के हैं जिसका नतीजा मुहब्बत व उल्फत है। यहाँ हक तआला ने दो लफ्ज़ इख्तियार फरमाये एक 'भवद्दत' दूसरे 'रहमत'। मुम्किन है इसमें इशारा इस तरफ हो कि 'भवद्दत' का ताल्लुक जवानी के उस ज़माने से हो जिसमें दोनों पक्षों की इच्छायें एक दूसरे से मुहब्बत व उल्फत पर मजबूर करती हैं, और बुढ़ापे में जब ये जज़्बात ख़त्म हो जाते हैं तो आपसी रहमत व गुमख़्तारी तबई हो जाती है। (तफ्सीरे कुर्तुबी)

इसके बाद फ़रमाया:

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ग़ौर व फ़िक्र करते हैं। यहाँ ज़िक्र तो एक निशानी का किया गया है और इसके आख़िर में इसको आयात और निशानियाँ फ़रमाया, वजह यह है कि निकाह का ताल्लुक जिसका ज़िक्र इसमें किया गया उसके मुख़्तलिफ़ पहलुओं पर और उन से हासिल होने वाले दीनी और दुनियावी फ़ायदों पर नज़र की जाये तो यह एक नहीं बहुत सी निशानियाँ हैं।

कुदरत की तीसरी निशानी

तीसरी आयत और निशानी आसमान व ज़मीन का बनाना और पैदा करना और इनसानों के मुख़्तलिफ़ वर्गों की भाषायें और लब-व-लहजे (बोलने के अन्दाज़ और तरीक़े) का भिन्न और अलग-अलग होना और विभिन्न वर्गों के रंगों में फ़र्क व भेद होना है कि बाज़े सफ़ेद हैं बाज़े काले बाज़े सुर्ख़ बाज़े पीले। इसमें आसमान व ज़मीन की पैदाईश तो कुदरत का अज़ीम शाहकार (नमूना) है ही, इनसानों की भाषायें अलग-अलग और भिन्न होना भी कुदरत का एक अज़ीब करिश्मा है। भाषाओं के भिन्न होने में लुग़तों का अलग-अलग और भिन्न होना भी दाख़िल है- अरबी, फ़ारसी, हिन्दी, तुर्की, अंग्रेज़ी वग़ैरह कितनी एक-दूसरे से अलग भाषायें हैं, जो अलग-अलग ख़ित्तों में राइज हैं और एक दूसरे से कुछ तो ऐसी अलग और भिन्न हैं कि आपस में कोई ताल्लुक व मुनासबत भी मालूम नहीं होती, और ज़बानों और भाषाओं के अलग-अलग और भिन्न होने में बोलने के अन्दाज़ व तरीक़े का भिन्न होना भी शामिल है, कि अल्लाह तआला ने इनसान के हर फ़र्द मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े की आवाज़ में ऐसा फ़र्क पैदा फ़रमाया है कि एक फ़र्द की आवाज़ किसी दूसरे फ़र्द से, एक जाति की आवाज़ दूसरी जाति से पूरी तरह नहीं मिलती, कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। हालाँकि उस आवाज़ के आलात जुबान, होंठ, तालू, हलक़ सब में बराबर और एक जैसे हैं। अल्लाह की बरक़त वाली ज़ात क्या ही ख़ूब पैदा करने वाली है।

इसी तरह रंगों का अलग-अलग होना है कि एक ही माँ-बाप से एक ही किस्म के हालात में दो बच्चे अलग-अलग रंग के पैदा होते हैं, यह तो पैदा करने और बनाने का कमाल था आगे भाषायें और लहजे अलग-अलग होते हैं। इसी तरह इनसानों के रंग एक दूसरे से भिन्न होने में क्या-क्या हिक्मतें छुपी हैं उनका बयान बहुत लम्बा है। और बहुत सी हिक्मतों का मामूली ग़ौर व फ़िक्र से समझ लेना मुश्किल भी नहीं।

कुदरत की इस निशानी में अनेक चीजें आसमान, ज़मीन, भाषाओं का अलग-अलग होना, रंगों का अलग-अलग होना और इनके तहत में और बहुत सी कुदरत व हिक्मत की निशानियाँ हैं, और वे ऐसी खुली हुई हैं कि किसी अतिरिक्त गौर व फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं, हर आँखों वाला देख सकता है, इसलिये इसके ख़त्म पर इरशाद फ़रमाया 'इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिल्आलमीन' यानी इस में बहुत सी निशानियाँ हैं समझ रखने वालों के लिये।

कुदरत की चौथी निशानी

कुदरत की चौथी निशानी इनसानों का सोना रात में और दिन में, इसी तरह उनका रोज़ी तलाश करना है रात में और दिन में। इस आयत में तो नींद को भी दिन व रात दोनों में बयान फ़रमाया है और रोज़ी की तलाश को भी, और बाज़ी दूसरी आयतों में नींद को सिर्फ़ रात में और रोज़ी तलाश करने को दिन में बतलाया है। वजह यह है कि रात में असल काम नींद का है और कुछ रोज़ी की तलाश का भी चलता है, और दिन में इसके उलट असल काम रोज़ी तलाश करने का है और कुछ सोने आराम करने का भी वक़्त मिलता है, इसलिये दोनों बातें अपनी-अपनी जगह सही हैं। कुछ मुफ़स्सरीन हज़रात ने दूर के मायने लेते हुए इस आयत में भी नींद को रात के साथ और रोज़ी की तलाश को दिन के साथ मख़सूस किया है मगर इसकी ज़रूरत नहीं।

सोना और रोज़ी तलाश करना बुजुर्गी व तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं

इस आयत से साबित हुआ कि सोने के वक़्त सोना और जागने के वक़्त रोज़ी की तलाश इनसान की फ़ितरत बनाई गई है और इन दोनों चीज़ों का हासिल करना इनसानी असबाब व कमालात के ताबे नहीं, बल्कि हकीकत में ये दोनों चीज़ें अल्लाह तआला की ख़ालिस अता हैं जैसा कि रात दिन खुली आँखों दिख रहा है कि कई बार नींद और आराम के सारे बेहतर से बेहतर सामान जमा होने के बावजूद नींद नहीं आती, कई बार डॉक्टरी गोलियाँ भी नींद लाने में फ़ेल हो जाती हैं और जिसको मालिक चाहता है खुली ज़मीन पर धूप और गर्मी में नींद अता फ़रमा देता है।

यही हाल रोज़ी हासिल का रात दिन देखने में आता है कि दो शख्स बराबर तौर पर इल्म व अक्ल वाले, बराबर के माल वाले, बराबर की मेहनत वाले रोज़ी के हासिल करने का बराबर ही काम लेकर बैठते हैं, एक तरक्की कर जाता है दूसरा रह जाता है। अल्लाह तआला ने दुनिया को असबाब का आलम बड़ी हिक्मत व मस्तेहत से बनाया है इसलिये रोज़ी को तलाश करना असबाब ही के ज़रिये करना लाज़िम है, मगर अक्ल का काम यह है कि हकीकत पहचानने से दूर न हो, इन असबाब को असबाब ही समझे और असल राज़िक (रोज़ी देने वाला) असबाब के बनाने वाले को समझे।

कुदरत की इस निशानी के अंत पर इरशाद फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

“यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो बात को ध्यान देकर सुनते हैं।”

इसमें सुनने पर मदर (आधार) रखने की वजह शायद यह हो कि देखने में तो नींद खुद-बखुद आ जाती है जब आदमी ज़रा आराम की जगह करके लेट जाये। इसी तरह रोज़ी का हासिल करना मेहनत व मजदूरी तिजारत वगैरह से हो जाता है, इसलिये कुदरत के हाथ की कारसाज़ी ज़ाहिरी नज़रों से छुपी रहती है, वह अल्लाह का प्याम लाने वाले अम्बिया बतलाते हैं। इसी लिये फ़रमाया कि ये निशानियाँ उन्हीं को कारामद होती हैं जो बात को ध्यान देकर सुनें, और जब समझ में आ जाये तो तस्लीम कर लें हठधर्मी और जिद न करें।

कुदरत की पाँचवीं निशानी

कुदरत की पाँचवीं निशानी यह है कि अल्लाह तआला इनसानों को बिजली का कौदना दिखाते हैं जिसमें उसके गिरने और नुक़सान पहुँचाने का ख़तरा भी होता है और उसके पीछे बारिश की उम्मीद भी, और फिर बारिश नाज़िल फ़रमाते हैं। और इस सूखी बेजान ज़मीन को ज़िन्दा तरोताज़ा करके इसमें तरह-तरह के दरख़ और फल-फूल उगाते हैं। इसके आख़िर में फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिये। क्योंकि बिजली व बारिश और उनके ज़रिये हासिल होने वाली नबातात (पेड़-पौधे और सब्जियाँ) और उनके फल फूल की पैदाईश अल्लाह की तरफ़ से होना यह अक्ल व हिक्मत ही से समझा जा सकता है।

कुदरत की छठी निशानी

कुदरत की छठी निशानी यह है कि आसमान व ज़मीन का ठहरना अल्लाह ही के हुक्म से है और जब उसका हुक्म यह होगा कि यह निज़ाम तोड़-फोड़ दिया जाये तो ये सब मज़बूत व स्थिर चीज़ें जिनमें हज़ारों साल चलकर भी कहीं कोई नुक़सान या ख़लल नहीं आता दम के दम में टूट-फूटकर ख़त्म हो जायेंगी और फिर अल्लाह तआला ही के हुक्म से दोबारा सब मुर्दे ज़िन्दा होकर मैदाने हशर में जमा हो जायेंगे।

कुदरत की यह छठी निशानी दर हकीक़त पहली सब निशानियों का हासिल और मक़सद है। इसी को समझाने के लिये इससे पहली पाँच निशानियाँ बयान फ़रमाई हैं और इसके बाद कई आयतों तक इसी मज़मून का ज़िक्र फ़रमाया है।

لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

मसल् हर ऐसी चीज़ के लिये बोला जाता है जो दूसरे से कुछ ताल्लुक व जोड़ रखती और उस जैसी हो, बिल्कुल उसी जैसी होना इसके मफ़हूम में दाख़िल नहीं। इसी लिये हक़ तआला के मसल् होना तो कुरआन में कई जगह आया है, एक यहीं, दूसरे एक जगह फ़रमाया ‘म-सलु नूरिही’ कमिश्क़ातिन्’ लेकिन मिस्तल और मिसाल से हक़ तआला की ज़ात पाक और बरतर व आला है।

वल्लाहु आलम

ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ
 فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ ۗ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
 مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۗ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا
 رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَفَاءَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِحُوا بِمَنُوبِهِمْ يَشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
 آتَيْنَاهُمْ ۗ فَتَمَتَّعُوا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾
 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۗ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَاتِ
 ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
 تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

ज-र-ब लकुम् म-सलम् मिन्
 अन्फुसिकुम्, हल्-लकुम् मिम्मा
 म-लकत् ऐमानुकुम् मिन् शु-रका-अ
 फी मा रजकनाकुम् फ-अन्तुम् फीहि
 सवाउन् तखाफूनहुम् कखी-फतिकुम्
 अन्फु-सकुम्, कजालि-क नुफस्सिलुल्-
 आयाति लिकौमिन्-यअकिलून (28)
 बलित्त-बअल्लजी-न ज-लमू
 अहवा-अहुम् बिगैरि अिल्मिन्

बतलाई तुमको एक मिसाल तुम्हारे अन्दर
 से, देखो जो तुम्हारे हाथ के माल हैं उनमें
 है कोई साझी तुम्हारे हमारी दी हुई रोजी
 में कि तुम सब उसमें बराबर रहो, खतरा
 रखो उनका जैसे खतरा रखो अपनों का,
 यूँ खोलकर बयान करते हैं हम निशानियाँ
 उन लोगों के लिये जो समझते हैं। (28)
 बल्कि चलते हैं ये बेइन्साफ अपनी
 इच्छाओं पर बिना समझे,

फ-मंय्यह्दी मन् अज़ल्लल्लाहु, व मा
 लहुम् मिन्-नासिरीन (29) फ-अकिम्
 वज्ह-क लिद्दीनि हनीफन्,
 फित्तरतल्लाहिल्लती फ-तरन्ना-स
 अलैहा, ला तब्दी-ल लिख्रल्लिकल्लाहि,
 जालिकद्दीनुल्-कय्यिमु व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला यज़्ज़लमून (30)
 मुनीबी-न इलैहि वत्तकूहु व
 अकीमुस्सला-त व ला तकूनू मिनल्-
 मुशिरकीन (31) मिनल्लज़ी-न फर्रकू
 दीनहुम् व कानू शि-यज़्ज़न्, कुल्लु
 हिज़्ज़िबम्-बिमा लदैहिम् फरिहून (32)
 व इज़ा मस्सन्ना-स ज़ुरुन् दऔ
 रब्बहुम् मुनीबी-न इलैहि सुम्-म इज़ा
 अज़ा-क़हुम् मिन्हु रह्म-तन् इज़ा
 फरीकुम् मिन्हुम् बिरब्बिहिम् युशिरकून
 (33) लियक्फुरू बिमा आतैनाहुम्,
 फ-तमत्तज़्ज़, फसौ-फ तज़्ज़लमून (34)
 अम् अन्ज़ल्ला अलैहिम् सुल्लानन्
 फहु-व य-तकल्लमु बिमा कानू बिही
 युशिरकून (35) व इज़ा अज़्ज़नन्ना-स
 रह्म-तन् फरिहू बिहा, व इन् तुसिब्हुम्
 सय्यि-अतुम्-बिमा क़दमत् ऐदीहिम्
 इज़ा हुम् यक्नतून (36) अ-व लम्

सो कौन समझाये जिनको अल्लाह ने
 भटकाया, और कोई नहीं उनका मददगार।
 (29) सो तू सीधा रख अपना मुँह दीन
 पर एक तरफ़ का होकर, वही तराश
 अल्लाह की जिस पर तराशा लोगों को,
 बदलना नहीं अल्लाह के बनाये हुए को,
 यही है दीन सीधा, लेकिन अक्सर लोग
 नहीं समझते (30) सब रुजू होकर उसकी
 तरफ़ और उससे डरते रहो और कायम
 रखो नमाज़ और मत हो शिर्क करने
 वालों में। (31) जिन्होंने कि फूट डाली
 अपने दीन में और हो गये उनमें बहुत
 फ़िक्रें हर फ़िक्रों जो उसके पास है उस
 पर मस्त है। (32) और जब पहुँचे लोगों
 को कुछ सख़्ती तो पुकारें अपने रब को
 उसकी तरफ़ रुजू होकर फिर जहाँ चखाई
 उनको अपनी तरफ़ से कुछ मेहरबानी
 उसी वक्त एक जमाअत उनमें अपने रब
 का शरीक लगी बताने (33) कि मुन्किर
 हो जायें हमारे दिए हुए से, सो मजे उड़ा
 लो अब, आगे जान लगे। (34) क्या
 हमने उन पर उतारी है कोई सनद सो वह
 बोल रही है जो ये शरीक बताते हैं।
 (35) और जब चखायें हम लोगों को कुछ
 मेहरबानी उस पर फूले नहीं समाते, और
 अगर आ पड़े उन पर कुछ बुराई अपने
 हाथों के भेजे हुए पर तो आस तोड़
 बैठें। (36) क्या नहीं देख चुके कि

यरौ अन्नल्ला-ह यब्सुतुरिज़्-क
 लिमंयशा-उ व यकिदरु, इन्-न फी
 ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्-
 युअ्मिनून (37) फ-आति ज़ल्कुरबा
 हक्कहू वल्मिस्की-न वब्नस्सबीलि,
 ज़ालि-क खैरुल्-लिल्लज़ी-न युरीदू-न
 वज्हल्लाहि व उलाइ-क हुमुल्-
 मुफ़िलहून (38) व मा आतैतुम्
 मिर्बिल्-लियरुबु-व फी अम्वालिन्नासि
 फला यरूब् अिन्दल्लाहि व मा
 आतैतुम् मिन् ज़कातिन् तुरीदू-न
 वज्हल्लाहि फ-उलाइ-क हुमुल्-
 मुज़िअफून् (39) अल्लाहुल्लज़ी
 ख़ा-ल-ककुम् सुम्-म र-ज़-ककुम्
 सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म युह्यीकुम्,
 हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यफ़अलु
 मिन् ज़ालिकुम् मिन् शैइन्, सुब्हानहू
 व तअ़ाला अम्पा युशिरकून् (40) ❀

अल्लाह फैला देता है रोज़ी जिस पर चाहे
 और माप कर देता है जिसको चाहे, इसमें
 निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो यकीन
 रखते हैं। (37) सो तू दे कराबत वाले
 (रिश्तेदार) को उसका हक़ और मोहताज
 को और मुसाफ़िर को, यह बेहतर है
 उनके लिये जो चाहते हैं अल्लाह का मुँह,
 और वही हैं जिनका भला है। (38) और
 जो देते हो ब्याज पर कि बढ़ता रहे लोगों
 के माल में सो वह नहीं बढ़ता अल्लाह के
 यहाँ, और जो देते हो पाक दिल से चाह
 कर रज़ामन्दी अल्लाह की, सो ये वही हैं
 जिनके दूने हुए। (39) अल्लाह वही है
 जिसने तुमको बनाया फिर तुमको रोज़ी
 दी फिर तुमको मारता है फिर तुमको
 जिलायेगा, कोई है तुम्हारे शरीकों में जो
 कर सके इन कामों में से एक काम, वह
 निराला है और बहुत ऊपर है उससे कि
 शरीक बतलाते हैं। (40) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तअ़ाला (शिक़ को नापसन्दीदा व बातिल साबित करने के लिये) तुमसे एक अजीब
 मज़मून तुम्हारे ही हालात में से बयान फ़रमाते हैं (वह यह कि गौर करो) क्या तुम्हारे गुलामों में कोई
 शख्स तुम्हारा उस माल में जो हमने तुमको दिया है शरीक है? कि तुम और वह (इस्त्रियारात के
 एतिबार से) उसमें बराबर हों जिनका तुम (तसरूफ़ात के वक़्त) ऐसा ख़्याल करते हो जैसा अपने
 आपस (के शरीक व बराबर वाले आज़ाद खुदमुख़्तार का) ख़्याल किया करते हो। (और उनसे इजाज़त
 लेकर अपनी मर्ज़ी चलाया करते हो, या कम से कम मुख़ालफ़त का डर ही उनसे रहता है, और ज़ाहिर

है कि गुलाम इस तरह शरीक नहीं होता। पस जब तुम्हारा गुलाम जो इनसानों ही में से और बहुत सी चीज़ों में तुम्हारा शरीक है और तुम्हीं जैसा है, फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ में है कि तुम माल व दौलत के मालिक हो वह नहीं, इसके बावजूद वह इख़्तियारत के तुम्हारे ख़ास हक़ में तुम्हारा शरीक नहीं हो सकता तो तुम्हारे करार दिये हुए झूठे माबूद जो कि हक़ तअ़ाला के गुलाम हैं और किसी जाती या सिफ़ाती कमाल में खुदा तअ़ाला के जैसे नहीं, बल्कि कुछ तो उनमें से अल्लाह की मख़्लूक के बनाये हुए हैं, ये माबूद हक़ तअ़ाला के माबूद होने के ख़ास हक़ में किस तरह उसके साथ शरीक हो सकते हैं? और हमने जिस तरह शिर्क के बातिल होने की यह काफ़ी और तसल्ली बख़्श दलील बयान फ़रमाई) हम इसी तरह समझदारों के लिये साफ़-साफ़ दलीलें बयान करते रहते हैं। (और चाहिये तो यह था कि वे लोग हक़ की पैरवी इख़्तियार कर लेते और शिर्क छोड़ देते मगर वे हक़ की पैरवी नहीं करते) बल्कि उन ज़ालिमों ने बिना (किसी सही) दलील (के महज़) अपने (बुरे और ग़लत) ख़्यालात की पैरवी कर रखी है, सो जिसको (उसकी हठधर्मी, दुश्मनी और बातिल पर अड़े रहने की वजह से) खुदा (ही) गुमराह करे उसको कौन राह पर लाये (इसका मक़सद यह नहीं कि वे माज़ूर हैं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देना है कि आप गुम न करें आपका जो काम था वह आप कर चुके, और जब उन गुमराहों को अज़ाब होने लगेगा तो) उनका कोई हिमायती न होगा।

(और जब ऊपर के मज़मून से तौहीद की हकीकत स्पष्ट हो गई) तो (मुखातब लोगों में से हर-हर शख़्स से कहा जाता है कि) तुम (बातिल और ग़ैर-हक़ दीनों से) यक्सू होकर अपना रुख़ इस (हक़) दीन की तरफ़ रखो। (और सब) अल्लाह की दी हुई काबलियत की पैरवी करो जिस (काबलियत) पर अल्लाह तअ़ाला ने लोगों को पैदा किया है, (अल्लाह की फ़ितरत व काबलियत का मतलब यह है कि अल्लाह तअ़ाला ने हर शख़्स में पैदाईशी तौर पर यह काबलियत रखी है कि अगर हक़ को सुनना और समझना चाहे तो वह समझ में आ जाता है, और उसकी पैरवी का मतलब यह है कि उस क्षमता और काबलियत से काम ले, और उसके तकाज़े पर अमल करे। ग़र्ज़ कि उस फ़ितरत की पैरवी करनी चाहिए और) अल्लाह तअ़ाला की उस पैदा की हुई चीज़ को न बदलना चाहिए जिस पर उसने तमाम आदमियों को पैदा किया है। पस सीधा (रास्ता) दीन (का) यही है लेकिन अक्सर लोग (सोच-विचार न करने की वजह से इसको) नहीं जानते। (इसलिये इस पर नहीं चलते। ग़र्ज़ कि) तुम खुदा की तरफ़ रुजू होकर अल्लाह तअ़ाला के क़ानून की पैरवी करो, और उस (की मुख़ालफ़त और मुख़ालफ़त के अज़ाब) से डरो और (इस्लाम कुबूल करके) नमाज़ की पाबन्दी करो (जो तौहीद का अमली इज़हार है) और शिर्क करने वालों में से मत रहो, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया (यानी हक़ तो यह एक था और बातिल बहुत हैं उन्होंने हक़ को छोड़ दिया और बातिल की विभिन्न और अनेक राहें इख़्तियार कर लीं, यह टुकड़े-टुकड़े करना है कि एक ने एक राह ले ली दूसरे ने दूसरी) और बहुत-से (अलग-अलग) गिरोह हो गये। (और अगर हक़ पर रहते तो एक गिरोह होते और बावजूद इसके कि इन हक़ के छोड़ने वालों में सब के तरीक़े बातिल हैं, मगर फिर भी अपनी हद से बढ़ी हुई जहालत की वजह से उनमें) हर गिरोह अपने उस तरीक़े पर खुश है जो उनके पास है।

और (जिस तौहीद की तरफ हम बुलाते हैं उसके इनकार और खिलाफ करने के बावजूद बेकरारी व परेशानी के वक़्त आम तौर पर लोगों के हाल व क़ौल से उसका इज़हार व इकरार भी होने लगता है जिससे तौहीद “अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने” के मज़मून के फ़ितरी होने की भी ताईद होती है, चुनाँचे देखा जाता है कि) जब लोगों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है (उस वक़्त बेकरार होकर) अपने (असली) रब को उसी की तरफ़ रुजू होकर पुकारने लगते हैं (दूसरे सब माबूदों को छोड़ देते हैं मगर) फिर (जल्दी ही यह हालत हो जाती है कि) जब अल्लाह तआला उनको अपनी तरफ़ से कुछ इनायतों का मज़ा चखा देता है तो बस उनमें से बाज़े लोग (फिर) अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। जिसका हासिल यह है कि हमने जो (आराम व ऐश) उनको दिया है उसकी नाशुक्री करते हैं (जो अक्ल के एतिबार से भी बुरा है) सो (ख़ैर) चन्द रोज़ और फ़ायदा उठा लो फिर जल्दी ही तुम (हकीकत) मालूम कर लोगे। (और ये लोग जो शिर्क करते हैं खुसूसन अल्लाह के एक होने का इकरार करने के बाद तो इनसे कोई पूछे कि इसकी क्या वजह है) क्या हमने इन पर कोई सन्द (यानी कोई किताब) नाज़िल की है कि वह इनको अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने को कह रही है (यानी इनके पास इनकी कोई किताबी दलील भी नहीं, और थोड़ा सा सोचने से इसका अक्ल के खिलाफ़ होना आसानी से समझ में आ जाता है जैसा कि बेकरारी व परेशानी की हालत में इनका इस तरफ़ मुतवज्जह होना ज़ाहिर कर रहा है, पर उनका यह चलन पूरी तरह बातिल ठहरा) और (आगे उपरोक्त मज़मून का पूरक और आखिरी हिस्सा है और वह यह कि) हम जब (उन) लोगों को कुछ इनायत का मज़ा चखा देते हैं तो वे उससे (इस तरह) खुश होते हैं (कि खुशी में मस्त होकर शिर्क करने लगते हैं जैसा कि ऊपर ज़िक्र आया) और अगर उनके (बुरे) आमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं, उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो बस वे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं।

(इस मक़ाम में ग़ौर करने से मालूम होता है कि मज़मून के इस आखिरी हिस्से में असल मक़सद पहला जुमला है ‘जब हम उन लोगों को इनायत का कुछ मज़ा चखा देते हैं.....’ इसमें उनके शिर्क में मुब्तला होने का सबब बदमस्त और गाफ़िल होना बयान हुआ है। दूसरा जुमला सिर्फ़ एक दूसरे के मुक़ाबिल होने की मुनासबत से ज़िक्र कर दिया है। क्योंकि इन दोनों हालतों में इतनी बात साबित होती है कि उसका ताल्लुक अल्लाह तआला से बहुत कम और कमज़ोर है, ज़रा-ज़रा सी चीज़ उस ताल्लुक को भुला देती है। आगे इसी की दूसरी दलील है कि ये लोग जो शिर्क करते हैं तो) क्या इनको यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआला जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे कम देता है, (और मुशिरक लोगों के नज़दीक यह बात भी मानी हुई थी कि रोज़ी का घटाना बढ़ाना असल में खुदा ही का काम है। अल्लाह तआला का क़ौल है:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

इस (मामले) में (भी तौहीद की) निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं (यानी वे समझते हैं और दूसरे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो शख्स ऐसा क़ादिर होगा इबादत का हक़दार वही होगा)। फिर (जब तौहीद की दलीलों में मालूम हुआ कि रिज़्क में तंगी व फ़राखी अल्लाह ही की तरफ़ से है तो इससे एक बात और भी साबित हुई कि कन्ज़ूसी करना बुरा और नापसन्दीदा है,

क्योंकि कन्जूसी करने से जितना रिज़क तय है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, इसलिये नेक कामों में खर्च करने से कन्जूसी न किया कर बल्कि) रिश्तेदार को उसका हक़ दिया कर और (इसी तरह) मिस्कीन और मुसाफ़िर को भी (उनके हुक्क़ दिया कर, जिनकी तफ़सील शरई दलीलों से मालूम है) यह उन लोगों के लिये बेहतर है जो अल्लाह तआला की रज़ा के तालिब हैं। और ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।

और (हमने जो यह क़ैद लगाई कि यह मज़मून बेहतर है उन लोगों के लिये जो अल्लाह की रज़ा के तलबगार हों, वजह इसकी यह है कि हमारे नज़दीक सिर्फ़ माल खर्च कर देना फ़लाह व कामयाबी का ज़रिया नहीं है बल्कि इसका क़ानून यह है कि) जो चीज़ तुम (दुनिया की गर्ज़ से खर्च करोगे मसलन कोई चीज़) इस गर्ज़ से किसी को दोगे कि वह लोगों के माल में (शामिल होकर यानी उनकी मिल्क व कब्ज़े में) पहुँचकर (तुम्हारे लिये) ज़्यादा हो (कर आ) जाये (जैसे न्यौते वगैरह दुनिया की रस्मों में अक्सर इसी गर्ज़ से दिया जाता है कि यह शख्स हमारे मौक़े पर कुछ और ज़ायद शामिल करके देगा) तो यह खुदा के नज़दीक नहीं बढ़ता (क्योंकि खुदा के नज़दीक पहुँचना और बढ़ना उस माल के साथ ख़ास है जो अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिये खर्च किया जाये, जैसा कि आगे आता है। और हदीस में भी है कि एक मक़बूल खज़ूर उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें यह नीयत थी नहीं, लिहाज़ा न मक़बूल हुआ न बढ़ा)। और जो ज़कात (वगैरह) दोगे जिससे अल्लाह तआला की रज़ा तलब करते होंगे, तो ऐसे लोग (अपने दिये हुए को) खुदा तआला के पास बढ़ाते रहेंगे (जैसा कि अभी हदीस का मज़मून गुज़रा। और अल्लाह की राह में खर्च करने का यह मज़मून चूँकि अल्लाह तआला की रिज़क देने वाला होने की सिफ़त पर दलालत करने की वजह से तौहीद की ताकीद का ज़रिया है इसलिए यह इसके तहत में आ गया, असल मक़सद तौहीद का बयान है, इसीलिये आगे फिर इसी तौहीद का ज़िक्र है)।

अल्लाह ही वह है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिज़क दिया, फिर तुमको मौत देता है, फिर (क़ियामत में) तुमको जिन्दा करेगा। (इनमें कुछ चीज़ें तो मुख़ातब लोगों के इकरार से साबित हैं और कुछ दलीलों से, गर्ज़ कि वह ऐसा क़ादिर है। अब यह बतलाओ कि) क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर सके (और ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं, इसलिए साबित हुआ कि) वह उनके शिर्क से पाक और बरतर है (यानी उसका कोई शरीक नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के मज़मून को विभिन्न और अनेक तथ्यों, दलीलों और विभिन्न उनयानों में बतलाया गया है जो हर इन्सान के दिल में उतर जाये। पहले एक मिसाल से समझाया कि तुम्हारे गुलाम नौकर जो तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं शक़्ल व सूरत, हाथ पाँव तबीयती तकाज़ों सब चीज़ों में तुम्हारे शरीक हैं, मगर तुम उनको अपने इख़्तियार व ताक़त में अपने बराबर नहीं बनाते कि वे भी तुम्हारी तरह जो चाहें किया करें, जो चाहें खर्च करें, बिल्कुल अपने बराबर तो क्या बनाते उनको अपने माल व इख़्तियार में अदना सी शिर्कत

का भी हक नहीं देते, जैसे किसी आंशिक और मामूली शरीक से आप डरते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर कोई तसरुफ़ कर लिया तो वह एतिराज़ करेगा, गुलामों नौकरों को यह दर्जा भी नहीं देते तो गौर करो कि तमाम मख़्लूक़ात जिनमें फ़रिश्ते, इनसान और दूसरी कायनात सभी दाख़िल हैं ये सब के सब अल्लाह की मख़्लूक़ और उसी के बन्दे और गुलाम हैं, इनको तुम अल्लाह के बराबर या उसका शरीक कैसे यकीन करते हो।

दूसरी आयत में इस पर तंबीह (चेतावनी) है कि यह बात तो सीधी और साफ़ है मगर मुख़ालिफ़ लोग अपनी नफ़्सानी इच्छाओं के ताबे होकर कोई इल्म व हिक्मत की बात नहीं मानते।

तीसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को या आ़म मुख़ातब को हुक्म दिया है कि जब शिर्क का नामाकूल और भारी जुल्म होना साबित हो गया तो आप तमाम मुश्रिकाना ख़्यालात को छोड़कर अपना रुख़ सिर्फ़ दीने इस्लाम की तरफ़ फेर लीजिये 'फ़-अकिम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफ़न्'। इसके बाद इस दीने इस्लाम का फ़ितरत के मुताबिक़ होना इस तरह बयान फ़रमाया:

فَطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

“फ़ितरतल्लाहिल्लति फ़तरन्ना-स अलैहा” यह जुमला पहले जुमले “फ़-अकिम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफ़न्” की वज़ाहत व बयान और दीन-ए-हनीफ़ जिसकी पैरवी का हुक्म पहले जुमले में दिया गया है उसकी एक मख़सूस सिफ़त का बयान है कि वह फ़ितरी दीन है। इस जुमले की नहवी तरकीब जो भी हो बहरहाल यह मुतैयन है कि दीन-ए-हनीफ़ जिस पर चलने का पहले जुमले में हुक्म दिया गया है उसको इस जुमले में ‘फ़ितरतल्लाहि’ क़रार दिया है और मायने इसके खुद अगले जुमले में यह बतलाये कि अल्लाह की फ़ितरत से मुराद यह है कि जिस फ़ितरत पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है।

फ़ितरत से क्या मुराद है?

इस मामले में मुफ़स्सिरीन के अनेक कौल नक़ल किये गये हैं, उनमें दो ज़्यादा मशहूर हैं- अब्बल यह कि फ़ितरत से मुराद इस्लाम है और मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने हर इनसान अपनी फ़ितरत और जिबिल्लत के एतिबार से मुसलमान पैदा किया है। अगर उसको आस-पास और माहौल में कोई ख़राब करने वाला ख़राब न कर दे तो हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान ही होगा, मगर आदतन होता यह है कि माँ-बाप उसको कई बार इस्लाम के खिलाफ़ चीज़ें सिखा देते हैं जिसके सबब वह इस्लाम पर कायम नहीं रहता, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में ज़िक्र हुआ है, इमाम कुर्तुबी ने उसी कौल को पहले बुजुर्गों की अक्सरियत का कौल क़रार दिया है।

दूसरा कौल यह है कि फ़ितरत से मुराद क्षमता व काबलियत है। यानी इनसानी पैदाईश में अल्लाह तआला ने यह ख़ासियत रखी है कि हर इनसान में अपने ख़ालिक को पहचानने और उसको मानने की सलाहियत व काबलियत मौजूद है जिसका असर इस्लाम का कुबूल करना होता है, बशर्तकि उस काबलियत व सलाहियत से काम ले।

मगर पहले कौल पर अनेक इश्कालात (शुब्हात और एतिराज़ात) हैं, अब्बल यह कि खुद इसी आयत में आगे यह भी बयान हुआ है:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

और यहाँ खल्कुल्लाह से मुराद वही फितरतुल्लाह है जिसका ऊपर जिक्र हुआ है, इसलिये मायने इस जुमले के यह हैं कि अल्लाह की इस फितरत को कोई तब्दील नहीं कर सकता, हालाँकि सही हदीसों में खुद यह आया है कि फिर माँ-बाप बहुत सी बार बच्चे को यहूदी या ईसाई बना देते हैं। अगर फितरत के मायने खुद इस्लाम के लिये जायें जिसमें तब्दीली न होना खुद इसी आयत में जिक्र हुआ है तो उक्त हदीस में यहूदी, ईसाई बनाने की तब्दीली कैसे सही होगी, और यह तब्दीली तो आम देखी जाती है कि हर जगह मुसलमानों से ज्यादा काफिर मिलते हैं, अगर इस्लाम ऐसी फितरत है जिसमें तब्दीली न हो सके तो फिर यह तब्दीली कैसे और क्यों?

दूसरे हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने जिस लड़के को क़त्ल किया था उसके बारे में सही हदीस में है कि उस लड़के की फितरत में कुफ़्र था इसलिये खज़िर अलैहिस्सलाम ने उसको क़त्ल किया। यह हदीस भी इसके खिलाफ़ है कि हर इनसान इस्लाम पर पैदा होता हो।

तीसरा शुब्हा यह है कि अगर इस्लाम कोई ऐसी चीज़ है जो इनसान की फितरत में इस तरह रख दिया गया है जिसकी तब्दीली पर भी उसको कुदरत नहीं तो वह कोई इख़्तियारी फ़ैल न हुआ फिर उस पर आख़िरत का सवाब कैसे? क्योंकि सवाब तो इख़्तियारी अमल पर मिलता है।

चौथा शुब्हा यह है कि सही हदीसों के मुताबिक़ उम्मत फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के नज़दीक बच्चा बालिग़ होने से पहले माँ-बाप के ताबे समझा जाता है, अगर माँ-बाप काफ़िर हों तो बच्चे को भी काफ़िर करार दिया जायेगा, उसका कफ़नाना दफ़नाना वग़ैरह इस्लामी तरीके पर नहीं किया जायेगा।

ये सब शुब्हात इमाम तोरपश्ती ने 'शरह मसाबीह' में बयान किये हैं, और इसी बिना पर उन्होंने दूसरे कौल को तरजीह दी है, क्योंकि इस फ़ितरी और पैदाईशी सलाहियत के मुताल्लिक़ यह भी सही है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, जो शख्स माँ-बाप या किसी दूसरे के गुमराह करने से काफ़िर हो गया उसमें हक़ की सलाहियत और काबलियत यानी इस्लाम की हक़क़ानियत को पहचानने की ख़त्म नहीं होती। खज़िर अलैहिस्सलाम वाले लड़के के वाक़िए में उसके कुफ़्र पर पैदा होने से भी यह लाज़िम नहीं आता कि उसमें हक़ को समझने की सलाहियत ही नहीं रही थी, और चूँकि इस खुदा की दी हुई सलाहियत व काबलियत का सही इस्तेमाल इनसान अपने इख़्तियार से करता है इसलिये इस पर बड़े सवाब का मुत्तब होना भी स्पष्ट हो गया, और बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में जो यह बयान हुआ है कि बच्चे के माँ-बाप उसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं इसका मतलब भी इस दूसरे मायने के एतिबार से स्पष्ट और साफ़ हो गया, कि अगरचे उसमें सलाहियत और काबलियत फ़ितरी है जो अल्लाह ने उसकी पैदाईश में रखी थी वह इस्लाम ही की तरफ़ लेजाने वाली थी मगर पेश आने वाली हालतों और रुकावटों बाधा हो गई और उस तरफ़ न जाने दिया। और पहले बुज़ुर्गों और उलेमा से जो पहला कौल नक़ल किया गया है वज़ाहिर उसकी मुराद भी असल इस्लाम नहीं बल्कि यही इस्लाम कुबूल करने की काबलियत व सलाहियत है। शाह वलियुल्लाह मुहदिस देहलवी रह. ने 'लमआत शरह मिश्काल' में उलेमा की बड़ी जमाअत के कौल का यही मतलब बयान फ़रमाया है और

इसी की ताईद उस मज़मून से होती है जो हज़रत शाह बलीयुल्लाह देहलवी रह. ने 'हुज्जतुल्लाहिल बालिगा' में तहरीर फ़रमाया है, जिसका हासिल यह है कि हक़ तआला ने बेशुमार किस्म की मख़्लूक़ात विभिन्न तबीयतों और मिज़ाज की बनाई हैं, हर मख़्लूक़ की फ़ितरत और मिज़ाज में एक खास माद्दा रख दिया है जिससे वह मख़्लूक़ अपनी तख़लीक़ (पैदा होने) के मंशा को पूरा कर सके। क़ुरआने करीम में 'अअ़ता कुल्-ल शैइन् ख़ल्क़्हू सुम्-म हदा' (यानी सूर: तौ-हा की आयत 50) से भी यही समझ में आता है कि जिस मख़्लूक़ को ख़ालिक़े कायनात ने किसी खास मक़सद के लिये पैदा किया है उसको उस मक़सद के लिये हिदायत भी दे दी है, वह हिदायत यही माद्दा और काबलियत है।

शहद की मक्खी में यह माद्दा रख दिया कि वह दरख़्तों और फूलों को पहचाने और चयन करे फिर उसके रस को अपने पेट में महफूज़ करके अपने छत्ते में लाकर जमा करे। इसी तरह इनसान की फ़ितरत व जिबिल्लत में ऐसा माद्दा और सलाहियत रख दी है कि वह अपने पैदा करने वाले को पहचाने, उसकी शुक्रगुज़ारी और हुक्मों का पालन करे इसी का नाम इस्लाम है।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ऊपर बयान हुई तक़रीर से इस जुमले का मतलब भी स्पष्ट हो गया कि अल्लाह की दी हुई फ़ितरत यानी हक़ को पहचानने की सलाहियत व काबलियत में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। उसको ग़लत माहौल काफ़िर तो बना सकता है मगर उसकी हक़ क़ुबूल करने की सलाहियत को बिल्कुल फना नहीं कर सकता।

और इसी से उस आयत का मतलब भी स्पष्ट हो जाता है जिसमें इरशाद है:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

यानी हमने जिन्न और इनसान को और किसी काम के लिये नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वे हमारी इबादत किया करें। मतलब यह है कि उनकी फ़ितरत में हमने इबादत की रुचि व रग़बत और काबलियत रख दी है अगर वे उस काबलियत व सलाहियत से काम लें तो सिवाय इबादत के कोई दूसरा काम उसके खिलाफ़ हरगिज़ उनसे न हो।

बातिल वालों की सोहबत और ग़लत माहौल से अलग रहना फ़र्ज़ है

ऊपर बयान हुई आयत 'ला तब्दी-ल लिख़ल्क़िल्लाहि' का जुमला अगरचे ख़बर देने के अन्दाज़ में है यानी अल्लाह की इस फ़ितरत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इसमें एक मायने हुक्म के भी हैं कि बदलना नहीं चाहिये। इसलिये इस जुमले से यह हुक्म भी समझ में आता है कि इनसान को ऐसे असबाब से बहुत परहेज़ करना चाहिये जो हक़ को क़ुबूल करने की इस सलाहियत व काबलियत को बेकार या कमज़ोर कर दें, और वो असबाब ज़्यादातर ग़लत माहौल और बुरी सोहबत है या बातिल वालों (यानी ग़ैर-हक़ वालों) की किताबें देखना जबकि खुद अपने मज़हबे इस्लाम का पूरा ज़ालिम और

माहिर न हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

पिछली आयत में इनसान की फितरत को हक के कुबूल करने के काबिल और मुस्तैद बनाने का जिक्र था, इस आयत में पहले हक के कुबूल करने की सूरत यह बतलाई गई कि नमाज़ कायम करें कि वह अमली तौर पर ईमान व इस्लाम और हक की इताअत का इज़हार है, इसके बाद फरमाया:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

यानी शिर्क करने वालों में शामिल न हो जाओ, जिन्होंने अपनी फितरत और हक को कुबूल करने की सलाहियत से काम न लिया, आगे उनकी गुमराही का जिक्र है:

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

यानी ये मुशिरक वे लोग हैं जिन्होंने दीने फितरत और दीने हक में तफरीक बिखराव और दूरी पैदा कर दी, या यह कि दीने फितरत से दूर और अलग हो गये जिसका नतीजा यह हुआ कि वे मुख्तलिफ़ पार्टियों में बंट गये। शिय-अनु शीआ की जमा (बहुवचन) है, ऐसी जमाअत जो किसी पेशवा की पैरवी करने वाली हो उसको शीआ कहते हैं। मतलब यह है कि दीने फितरत तो तौहीद था जिसका असर यह होना चाहिये था कि सब इनसान उसको इख्तियार करके एक ही कौम एक ही जमाअत बनते मगर उन्होंने इस तौहीद को छोड़ा और मुख्तलिफ़ लोगों के ख्यालात के ताबे हो गये और इनसानी ख्यालात और रायों में मतभेद एक तबई चीज़ है इसलिये हर एक ने अपना-अपना एक मज़हब बना लिया, अ़वाम उनके सबब अनेक और विभिन्न पार्टियों में बंट गये और शैतान ने उनको अपने-अपने ख्यालात और एतिकादी बातों को हक़ करार देने में ऐसा लगा दिया कि उनकी हर पार्टी अपने-अपने एतिकादों व ख्यालों पर मगन और खुश है और दूसरों को ग़लती पर बताती है, हालाँकि ये सब के सब गुमराही वाले ग़लत रास्तों पर पड़े हुए हैं।

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

इससे पहली आयत में यह बयान किया गया था कि रिज़क़ का मामला सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, वह जिसके लिये चाहता है रिज़क़ को फैला और ज़्यादा कर देता है, और जिसका चाहता है रिज़क़ समेट कर तंग कर देता है। इससे मालूम हुआ कि कोई शख्स अल्लाह के दिये हुए रिज़क़ को उसके सही जगहों में खर्च करता रहे तो इससे उसमें कमी नहीं आती, और अगर कोई खर्च करने में कन्जूसी करे और जो कुछ अपने पास है उसको जमा करके महफूज़ रखने की कोशिश करे इससे माल में वुस्तअत (अधिकता) नहीं होती।

इस मज़मून की मुनासबत से उक्त आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और बकौल हसन बसरी हर मुख़ातब इनसान को जिसको अल्लाह ने माल में वुस्तअत दी हो वह हिदायत दी गई है कि जो माल अल्लाह ने आपको दिया है उसमें बुख़ल (कन्जूसी) न करो बल्कि उसको उसके सही मौक़ों में दिल की खुशी के साथ खर्च करो, इससे तुम्हारे माल और रिज़क़ में कमी नहीं आयेगी। और इस हुक्म के साथ इस आयत में माल के चन्द मसारिफ़ (खर्च करने की जगहें और मौक़े) भी

बयान कर दिये, सबसे पहले 'ज़विल्कुरबा' (रिश्तेदार और करीबी) दूसरे मसाकीन तीसरे मुसाफ़िर कि खुदा तआला के अता किये हुए माल में से इन लोगों को दो और इन पर खर्च करो। और साथ ही यह भी बतला दिया कि यह इन लोगों का हक़ है जो अल्लाह ने तुम्हारे माल में शामिल कर दिया है इसलिये इनको देने के वक़्त इन पर कोई एहसान न जतलाओ, क्योंकि हक़ वाले का हक़ अदा करना अदल व इन्साफ़ का तकाज़ा है, कोई एहसान व इनाम नहीं है।

और ज़विल्कुरबा से बज़ाहिर यह मुराद है कि आम रिश्तेदार हैं, चाहे खून के रिश्ते वाले मेहरम हों या दूसरे (जैसा कि मुफ़्फ़िरीन में से अक्सर हज़रत की राय है)। और हक़ से मुराद भी आम है चाहे वाजिब हुक्क हों जैसे माँ-बाप, औलाद और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के हुक्क या महज़ एहसान व हमदर्दी हो जो रिश्तेदारों के साथ दूसरों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा सवाब रखता है। यहाँ तक कि इमामे तफ़्सीर मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के करीबी और खून के रिश्ते के रिश्तेदार मोहताज हों वह उनको छोड़कर दूसरों पर सद्का करे तो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल नहीं। और ज़विल्कुरबा का हक़ सिर्फ़ माली इमदाद नहीं, उनकी ख़बरगीरी, जिस्मानी ख़िदमत और कुछ न कर सके तो कम से कम ज़बानी हमदर्दी और तसल्ली वगैरह जैसा कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ज़विल्कुरबा का हक़ उस शख़्स के लिये जिसको माली गुंजाईश हासिल हो यह है कि माल से उनकी इमदाद करे और जिसको यह गुंजाईश हासिल न हो उसके लिये जिस्मानी ख़िदमत और ज़बानी हमदर्दी है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

ज़विल्कुरबा के बाद मिस्कीन और मुसाफ़िर का हक़ बतलाया गया है, यह भी इसी तरह आम है गुंजाईश हो तो माली इमदाद, न हो तो अच्छा सुलूक।

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا كَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ

इस आयत में एक बुरी रस्म की इस्लाह की गई है जो आम ख़ानदानों और रिश्तेदारों में चलती है। वह यह कि आम तौर पर कुनबे रिश्ते के लोग जो कुछ दूसरे को देते हैं इस पर नज़र रखते हैं कि वह भी हमारे वक़्त में कुछ देगा, बल्कि रस्मी तौर पर कुछ ज़्यादा देगा, खुसूसन निकाह शादी वगैरह के मौक़ों में जो कुछ दिया लिया जाता है उसकी यही हैसियत होती है जिसको उर्फ़ में न्योता कहते हैं। इस आयत में हिदायत की गई है कि रिश्तेदार का जो हक़ अदा करने का हुक्म पहली आयत में दिया गया है उनका यह हक़ इस तरह दिया जाये कि न उन पर एहसान जताये और न किसी बदले पर नज़र रखे। और जिसने बदले की नीयत से दिया कि उसका माल दूसरे अज़ीज़ रिश्तेदार के माल में शामिल होने के बाद कुछ ज़्यादा लेकर वापस आयेगा तो अल्लाह के नज़दीक उसका कोई दर्जा और सवाब नहीं, और क़ुरआने करीम ने इस ज़्यादाती को लफ़ज़ रिबा से ताबीर करके इसकी बुराई की तरफ़ इशारा कर दिया कि यह एक सूरत सूद के जैसी हो गई।

मसला: हदिया और हिबा देने वाले को इस पर नज़र रखना कि इसका बदला मिलेगा यह तो एक बहुत बुरी हरकत है जिसको इस आयत में मना फ़रमाया गया है। लेकिन अपने आप जिस शख़्स को कोई हिबा व तोहफ़ा किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ़ से मिले उसके लिये अख़्लाक़ी तालीम यह है कि वह भी जब उसको मौक़ा मिले उसका बदला उतार दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम

की आदते शरीफा यही थी कि जो शख्स आपको कोई तोहफा पेश करता तो अपने मौके पर आप भी उसको तोहफा देते थे। (जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से नकल किया गया है, क़ुर्तुबी) हाँ! इस बदला उतारने की सूरत ऐसी न बनाये कि दूसरा आदमी यह महसूस करे कि यह मेरे हदिये का बदला दे रहा है।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ④ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ⑤ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُونَ ⑥ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ ⑦ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ⑧

ज़-हरल्-फ़सादु फ़िल्-बर्रि वल्-बस्त्रि
बिमा क-सबत् ऐदिन्नासि
लियुज़ी-क़हुम् बअज़ल्लज़ी अमिलू
लअल्लहुम् यर्जिअून (41) कुल् सीरु
फ़िल्अर्जि फन्ज़ुरु कै-फ़ का-न
अकि-बतुल्लज़ी-न मिन् कब्लु,
का-न अक्सरुहुम् मुशिरकीन (42)
फ़-अकिम् वज्ह-क लिद्दीनिल्-
क़य्यिमि मिन् कब्लि अय्यअत्ति-य
यौमुल् ला मरद्-द लहू भिनल्लाहि
यौमइजिंय्-यस्सद्अून (43) मन्
क-फ़-र फ़-अलैहि कुफ़रुहू व मन्
अमि-ल सालिहन् फ़लिअन्फ़ुसिहिम्
यम्हदून (44) लि-यज़्जि-यल्लज़ी-न
आमनू व अमिलुस्-सालिहाति मिन्
फ़ज़िलही, इन्नहू ला युहिब्बुल्-
काफ़िरीन (45)

फैल पड़ी है ख़राबी जंगल में और दरिया
में लोगों के हाथ की कमाई से चखाना
चाहिए उनको कुछ मज़ा उनके काम का
ताकि वे फिर आयें। (41) तू कह फिरो
मुल्क में तो देखो कैसा हुआ अन्जाम
पहलों का, बहुत उनमें थे शिर्क करने
वाले। (42) सो तू सीधा रख अपना मुँह
सीधी राह पर इससे पहले कि आ पहुँचे
वह दिन जिसको फिरना नहीं अल्लाह की
तरफ़ से, उस दिन लोग जुदा-जुदा होंगे।
(43) जो मुन्किर हुआ सो उस पर पड़े
उसका मुन्किर होना और जो कोई करे
भले काम सो वे अपनी राह संवारते हैं
(44) ताकि वह बदला दे उनको जो
यकीन लाये और काम किये भले अपने
फज़ल से, बेशक उसको नहीं भाते इनकार
वाले। (45)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(शिरक व नाफ़रमानी ऐसी बुरी चीज़ है कि) खुशकी और तरी (यानी तमाम दुनिया) में लोगों के (बुरे) आमाल के सबब बलाएँ फैल रही हैं (मसलन सूखा, बबा और तूफ़ान) ताकि अल्लाह तआला उनके कुछ आमाल (की सज़ा) का मज़ा उनको चखा दे, ताकि वे (अपने उन आमाल से) बाज़ आ जाएँ (जैसा कि दूसरी आयत में है:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

(यानी सूर: शूरा की आयत 30 में) और 'कुछ आमाल' का मतलब यह है कि अगर सब आमाल पर ये सज़ायें मुरत्तब हों तो एक दम ज़िन्दा न रहें, जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ مِنْ دَآئِبَةٍ

(यानी सूर: फ़ातिर आयत 45 में) इसी मायने से उपर्युक्त आयत में 'व यज़ुफू अन् कसीर' फरमाया है, यानी बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह तआला माफ़ ही कर देते हैं, कुछ ही आमाल की सज़ा देते हैं। गर्ज़ कि जब बुरे आमाल सब के सब ही बबाल का सबब हैं तो शिरक व कुफ़्र तो सबसे बढ़कर अज़ाब का कारण होगा और अगर मुशिरक लोगों को इसके मानने में शक व दुविधा हो तो) आप (उनसे) फ़रमा दीजिये कि मुल्क में चलो-फिरो, फिर देखो कि जो (काफ़िर व मुशिरक) लोग पहले गुज़र चुके हैं उनका अन्जाम कैसा हुआ, उनमें अक्सर मुशिरक ही थे। (सो देख लो वे आसमानी अज़ाब से किस तरह हलाक हुए जिससे साफ़ बाज़ेह हुआ कि शिरक का बड़ बबाल है और बाज़े कुफ़्र की दूसरी किस्मों में मुब्तला थे, जैसे क़ौमे लूत और क़ारून और जो लोग शकल बिगड़कर बन्दर और सुअर हो गये थे, क्योंकि आयतों को झुठलाना और मना की गयी बातों की मुखालफ़त करके कुफ़्र व लानत में मुब्तला हुए। और शायद शिरक का विशेष तौर पर ज़िक्र इसलिए हो कि मक्का के काफ़िर लोगों ख़ास और मशहूर हालत यही थी, और जब शिरक का बबाल का सबब होना साबित हो गया) सो (ऐ मुखातब!) तुम अपना रुख़ इस सच्चे दीन (यानी तौहीद-ए-इस्लामी) की तरफ़ रखो, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाये जिसके वास्ते फिर खुदा तआला की तरफ़ से हटना न होगा। (यानी जैसे दुनिया में ख़ास अज़ाब के वक़्त को अल्लाह तआला क़ियामत के वायदे पर हटाता जाता है, जब वह तयशुदा दिन आ जायेगा फिर उसको न हटायेगा और कोई छूट न मिलेगी। इस जुमले में शिरक के आख़िरत के बबाल का ज़िक्र हो गया जैसा ऊपर आयत 41 और 42 में दुनियावी बबाल का ज़िक्र हुआ था, और) उस दिन (यह होगा कि) सब (अमल करने वाले) लोग (बदला मिलने के एतिबार से) अलग-अलग हो जाएँगे। (इस तरीके पर कि) जो शख़्स कुफ़्र कर रहा है उस पर तो उसका कुफ़्र (का बबाल) पड़ेगा, और जो नेक अमल कर रहा है सो ये लोग अपने (फ़ायदे के) लिये सामान कर रहे हैं। जिसका हासिल यह होगा कि अल्लाह तआला उन लोगों को अपने फ़ज़ल से (नेक) जज़ा देगा जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे अमल किये (और उससे काफ़िर लोग मेहरूम रहेंगे जैसा कि ऊपर 'फ़-अलैहि कुफ़रूहू' से मालूम हुआ जिसकी वज़ह यह है कि) वाकई अल्लाह तआला काफ़िरों को पसन्द नहीं करता; (बल्कि उनके कुफ़्र पर उनसे नाखुश) है।

मअरिफ़ व मसाईल

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

'यानी खुशकी और दरिया में सारे जहान में फ़साद फैल गया लोगों के बुरे आमाल की वजह से।' तफ़सीर रूहुल-मअानी में है कि फ़साद से मुराद कहत (सूखा पड़ना) और वबाई बीमारियाँ और आग लगने और पानी में डूबने के वाकिआत की अधिकता और हर चीज़ की बरकत का मिट जाना, नफ़ा देने वाली चीज़ों का नफ़ा कम नुक़सान ज़्यादा हो जाना वग़ैरह आफ़तें हैं। और इस आयत से मालूम हुआ कि इन दुनियावी आफ़तों का सबब इनसानों के गुनाह और बुरे आमाल होते हैं जिनमें कुफ़्र व शिर्क सबसे ज़्यादा सख़्त और मुख्य हैं, इसके बाद दूसरे गुनाह हैं।

और यही मज़मून दूसरी एक आयत में इस तरह आया है:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

यानी तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे ही हाथों की कमाई के सबब है। यानी उन गुनाहों और नाफ़रमानियों के सबब जो तुम करते रहते हो, और बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह तआला माफ़ ही कर देते हैं। मतलब यह है कि इस दुनिया में जो मुसीबतें और आफ़तें तुम पर आती हैं उनका असल सबब तुम्हारे गुनाह होते हैं अगरचे दुनिया में न उन गुनाहों का पूरा बदला दिया जाता है और न हर गुनाह पर मुसीबत व आफ़त आती है, बल्कि बहुत से गुनाहों को तो माफ़ कर दिया जाता है। किसी-किसी गुनाह पर ही पकड़ होती और आफ़त व मुसीबत भेज दी जाती है। अगर हर गुनाह पर दुनिया में मुसीबत आया करती तो एक इनसान भी ज़मीन पर ज़िन्दा न रहता, मगर होता यह है कि बहुत से गुनाहों को तो हक़ तआला माफ़ ही फ़रमा देते हैं और जो माफ़ नहीं होते तो उनका भी पूरा बदला दुनिया में नहीं दिया जाता बल्कि थोड़ा सा मज़ा चखाया जाता है। जैसा कि इसी आयत के आख़िर में फ़रमाया:

لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

यानी ताकि चखा दे अल्लाह तआला कुछ हिस्सा उनके बुरे आमाल का। और इसके बाद इरशाद फ़रमाया कि बुरे आमाल और गुनाहों की वजह से जो मुसीबत व आफ़त दुनिया में भेज दी जाती है वह भी ग़ौर करो तो अल्लाह तआला की रहमत व इनायत ही है क्योंकि इस दुनिया की मुसीबत से मक़सद यह होता है कि ग़ाफ़िल इनसान को तंबीह हो जाये और वह अपने गुनाहों और नाफ़रमानियों से बाज़ आ जाये जो अन्जाम के एतिबार से उसके लिये मुफ़ीद और बड़ी नेमत है जैसा कि आयत के आख़िर में फ़रमाया 'लअल्लहुम् यरजिऊन'।

दुनिया की बड़ी-बड़ी आफ़तें और मुसीबतें इनसानों

के गुनाहों के सबब से आती हैं

इसी लिये कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि जो इनसान कोई गुनाह करता है वह सारी दुनिया के

इनसानों चौपायों और चरिन्दे व परिन्दे जानवरों पर जुल्म करता है, क्याक उसक गुनाहा क व जो बारिश का कहत और दूसरी मुसीबतें दुनिया में आती हैं उससे सब ही जानदार प्रभावित हैं इसी लिये कियामत के दिन ये सब भी गुनाहगार इनसान के खिलाफ़ दावा करेंगे।

और शकीक़ ज़ाहिद ने फ़रमाया कि जो शख़्स हराम माल खाता है वह सिर्फ़ उस पर जुल्म करता जिससे यह माल नाजायज़ तौर पर हासिल किया है बल्कि पूरे इनसानों पर जुल्म करता है। (रुहुल-मआनी) क्योंकि अव्वल तो एक के जुल्म से दूसरे लोगों में जुल्म करने की रस्म चालू होती है और यह सिलसिला सारी इनसानियत को अपने लपेटे में ले लेता है, दूसरे उसके जुल्म की वजह से दुनिया में आफ़तें और मुसीबतें आती हैं जिससे सब ही इनसान प्रभावित होते हैं।

एक शुब्हा और उसका जवाब

सही हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ये इरशादात भी मौजूद हैं कि दुनिया मोमिन के लिये जेतख़ाना और काफ़िर के लिये जन्नत है, और यह कि काफ़िर को उसके नेक आमाल का बदला दुनिया ही में माल व दौलत और सेहत की शक़ल में दे दिया जाता है और मोमिन के आमाल का बदला आख़िरत के लिये महफ़ूज़ कर दिया जाता है, और यह कि मोमिन की मिसाल दुनिया में एक नाजुक शाख़ (टहनी) के जैसी है कि हवायें उसको कभी एक तरफ़ कभी दूसरी तरफ़ झुका देती हैं, कभी सीधा कर देती हैं यहाँ तक कि इसी हालत में वह दुनिया से रुख़सत हो जाता है और यह कि “दुनिया में बलायें सबसे ज़्यादा नबियों पर आती हैं फिर जो उनके क़रीब हो फिर जो उनके क़रीब हो।”

ये तमाम सही हदीसों बज़ाहिर इस आयत के मज़मून से भिन्न हैं और दुनिया के आम अनुभवों और दिखाई देने वाले हालात भी यही बतलाते हैं कि दुनिया में आम तौर पर मोमिन मुसलमान तंगी और तकलीफ़ में और काफ़िर बदकार लोग ऐश व आराम में रहते हैं। अगर ऊपर ज़िक्र हुई आयत के मुताबिक़ दुनिया की मुसीबतें और तकलीफ़ें गुनाहों के सबब से होतीं तो मामला उल्टा होता।

इसका जवाब यह है कि उक्त आयत में गुनाहों को मुसीबतों का सबब ज़रूर बतलाया है मगर एकमात्र यही कारण नहीं बताया कि जब किसी पर कोई मुसीबत आये तो गुनाह ही के सबब से होगा, जिस पर कोई मुसीबत आये उसका गुनाहगार होना ज़रूरी हो, बल्कि आम असबाब का जो दुनिया में दस्तूर है कि सबब ज़ाहिर होने के बाद उसका मुसब्बिब (सबब का पैदा करने वाला) अक्सर ज़ाहिर हो जाता है और कभी कोई दूसरा सबब उसके असर के ज़ाहिर होने से बाधा हो जाता है तो उस सबब का असर ज़ाहिर नहीं होता, जैसे कोई दस्त लाने वाली और पेट मुलायम करने वाली दवा के बारे में यह कहे कि इससे दस्त होंगे, यह अपनी जगह सही है मगर कई बार किसी दूसरी दवा ग़िज़ा या हवा वगैरह के असर से दस्त नहीं होते, जो दवायें बुख़ार उतारने की हैं कई बार ऐसे हालात और रुकावटें पेश आ जाती हैं कि उन दवाओं का असर ज़ाहिर नहीं होता, नींद लाने वाली गोलियाँ खाकर भी नींद नहीं आती जिसकी हज़ारों मिसालें दुनिया में हर वक़्त देखी जाती हैं।

इसलिये आयत का हासिल यह हुआ कि गुनाहों की असल ख़ासियत यह है कि उनसे मुसीबतें व

आफतें आयें लेकिन बहुत सी बार दूसरे कुछ असबाब इसके खिलाफ जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से मुसीबतों का ज़हूर नहीं होता, और कुछ सूरतों में बगैर किसी गुनाह के कोई आफत या मुसीबत आ जाना भी इसके खिलाफ नहीं। क्योंकि आयत में यह नहीं फ़रमाया कि बगैर गुनाह के कोई तकलीफ़ व मुसीबत किसी को पेश नहीं आती बल्कि हो सकता है कि किसी को कोई मुसीबत व आफत किसी दूसरे सबब से पेश आ जाये जैसे नबियों और वलियों को जो मुसीबतें और तकलीफ़ें पेश आती हैं उनका सबब कोई गुनाह नहीं होता बल्कि उनकी आजमाईश और आजमाईश के ज़रिये उनके दर्जों की तरक्की उसका सबब होती है।

इसके अलावा कुरआने करीम ने जिन आफतों व मुसीबतों को गुनाहों के सबब से क़रार दिया है इससे मुराद वो आफतें व मुसीबतें हैं जो पूरी दुनिया पर या पूरे शहर या बस्ती पर आम हो जायें, आम इनसान और जानवर उनके असर से न बच सकें। ऐसी मुसीबतों व आफतों का सबब उमूमन लोगों में गुनाहों की अधिकता खुसूसन खुलेआम गुनाह करना ही होता है। शख़्सी और व्यक्तिगत तकलीफ़ व मुसीबत में यह नियम नहीं बल्कि वह कभी किसी इनसान की आजमाईश करने के लिये भी भेजी जाती है और जब वह उस आजमाईश में पूरा उतरता है तो उसके आख़िरत के दर्जे बढ़ जाते हैं, यह मुसीबत दर हकीकत उसके लिये रहमत व नेमत होती है। इसलिये व्यक्तिगत तौर पर किसी शख़्स को मुसीबत में मुब्तला देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत गुनाहगार है। इसी तरह किसी को ऐश व आराम और आफ़ियत में देखकर यह हुक्म नहीं लगाया जा सकता कि वह बड़ा नेक सालेह बुजुर्ग है। अलबत्ता आम मुसीबतों व आफतों जैसे क़हत, तूफ़ान, वबाई रोग, ज़रूरत की चीज़ों की तंगी, चीज़ों की बरकत मिट जाना वगैरह इसका अक्सर और बड़ा सबब लोगों के खुलेआम गुनाह और अल्लाह की नाफ़रमानी होती है।

फ़ायदा: हज़रत शाह वलीयुल्लाह रह. ने 'हुज्जतुल्लाहिल्-बालिगा' में फ़रमाया कि इस दुनिया में अच्छाई व बुराई या मुसीबत व राहत, मशक़त व सहूलत के असबाब दो तरह के हैं- एक ज़ाहिरी दूसरे बातिनी। ज़ाहिरी असबाब तो वही मादी असबाब हैं जो आम दुनिया की नज़र में असबाब समझे जाते हैं और बातिनी असबाब इनसानी आमाल और उनकी बिना पर फ़रिश्तों की इमदाद व नुसरत या उनकी लानत व नफ़रत हैं। जैसे दुनिया में बारिश के असबाब वैज्ञानिकों और अहले तजुर्बा की नज़र में समन्दर से उठने वाले बुख़ारात (मानसून) और फिर ऊपर की हवा में पहुँचकर उनका जम जाना फिर सूरज की किरणों से पिघल कर बरस जाना है, मगर हदीस की रिवायतों में इन चीज़ों को फ़रिश्तों का अमल बतलाया गया है। हकीकत में इन दोनों में कोई टकराव नहीं, एक चीज़ के असबाब कई हो सकते हैं। इसलिये हो सकता है कि ज़ाहिरी असबाब यही हों और बातिनी सबब फ़रिश्तों का तसर्हफ़ (काम करना) हो, ये दोनों तरह के असबाब जमा हो जायें तो बारिश उम्मीद और ज़रूरत के मुताबिक़ हो और जहाँ ये दोनों असबाब जमा न हों वहाँ बारिश के होने में ख़लल और असामान्य स्थिति रहे।

हज़रत शाह साहिब रह. ने फ़रमाया कि इसी तरह दुनिया की मुसीबतों व आफतों के कुछ असबाब ज़ाहिरी और मादी हैं जो नेक व बंद को नहीं पहचानते। आग जलाने के लिये है वह मुत्तकी

और गुनाहगार का फर्क किये बगैर सब को जलायेगी ही, सिवाय इसके कि कसा खास फरम जरिये उसको इस अमल से रोक दिया जाये जैसे नमरुद की आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये और सलामती वाली बना दी गई। पानी बजनी चीजों को गर्क करने के लिये है वह यही काम इसी तरह दूसरे तत्व जो खास-खास कामों के लिये हैं वे अपनी दी हुई खिदमत में लगे हुए हैं, वे और माददी असबाब किसी इनसान के लिये राहत व सहूलत के सामान भी उपलब्ध कराते हैं और किसी के लिये मुसीबत व आफत भी बन जाते हैं।

इन्हीं जाहिरी असबाब की तरह मुसीबतें व आफतें और राहत व सहूलत में प्रभावी इनसान के अपने अच्छे और बुरे आमाल भी हैं, जब दोनों जाहिरी और बातिनी असबाब किसी व्यक्ति या वर्ग की राहत व आराम और सहूलत व आसानी पर जमा हो जाते हैं तो उस व्यक्ति या समूह को दुनिया में ऐश व राहत मुकम्मल तौर पर हासिल होती है जिसको हर शख्स देखता है। इसके मुकाबले में जिस व्यक्ति या वर्ग के लिये तबई और जाहिरी असबाब भी मुसीबत व आफत ला रहे हों और उसके आमाल भी मुसीबत व आफत को चाहते हों तो उसकी मुसीबत व आफत भी मुकम्मल होती है जिसको आम तौर पर देखा जाता है।

और कई बार ऐसा भी होता है कि तबई और माददी असबाब तो मुसीबत व आफत पर जमा होते हैं मगर उसके अच्छे आमाल बातिनी तौर पर राहत व सुकून को चाहते हैं ऐसी सूरत में ये बातिनी असबाब उसकी जाहिरी आफतों को दूर करने या कम करने में खर्च हो जाते हैं उसकी ऐश व राहत मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आती। इसी तरह इसके विपरीत कई बार माददी और जाहिरी असबाब ऐश व आराम को चाहते हैं मगर बातिनी असबाब यानी उसके आमाल बुरे होने की वजह से उनका तकाजा मुसीबत व आफत लाने का होता है, तो इन एक दूसरे के विपरीत तकाजों की वजह से न ऐश व राहत मुकम्मल होती है और न बहुत ज्यादा मुसीबत व आफत उनको घेरती है।

इसी तरह कई बार मादी असबाब को किसी बड़े दर्जे के नबी व रसूल और अल्लाह के वली के लिये नासाजगार बनाकर उसकी आजमाईश व इम्तिहान के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तफसील को समझ लिया जाये तो कुरआन की आयतों और बयान हुई हदीसों का आपसी ताल्लुक व मुवाफकत स्पष्ट हो जाती है, टकराव और विरोधाभास के शुक्कत खत्म हो जाते हैं। वल्लाहु सुब्बानहू व तआला आलम

मुसीबतों के वक़्त परीक्षा व इम्तिहान या सज़ा व अज़ाब में फ़र्क

मुसीबतों व आफतों के जरिये जिन लोगों को उनके गुनाहों की कुछ सज़ा दी जाती है और जिन नेक लोगों को दर्जे बुलन्द करने या गुनाहों को मिटाने के लिये इम्तिहान के तौर पर मुसीबतों में मुद्दला किया जाता है, देखने में इम्तिहान की सूरत एक सी ही होती है उन दोनों में फ़र्क कैसे पहचाना जाये? इसकी पहचान हज़रत शाह वलीयुल्लाह रह. ने यह लिखी है कि जो नेक लोग

इम्तिहान व आजमाईश के तौर पर मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं अल्लाह तआला उनके दिलों को मुत्मईन कर देते हैं और वे उन मुसीबतों व आफतों पर ऐसे ही राजी होते हैं जैसे बीमार कड़वी दवा या ऑप्रेशन पर बावजूद तकलीफ महसूस करने के राजी होता है, बल्कि इसके लिये माल भी खर्च करता है, सिफारिशें भी कराता है। बखिलाफ़ उन गुनाहगारों के जो बतौर सज़ा मुसीबतों में मुब्तला किये जाते हैं उनकी परेशानी, रोने-पीटने और शिकवे शिकायत की हद नहीं रहती, कई बार नाशुक्री बल्कि कुफ़्र के कलिमात तक पहुँच जाते हैं।

सैयदी हकीमुल-उम्मत धानवी रह. ने एक पहचान यह बतलाई कि जिस मुसीबत के साथ इनसान को अल्लाह तआला की तरफ़ तवज्जोह, अपने गुनाहों पर तंबीह और तौबा व इस्तिग़फ़ार की रुचि ज्यादा हो जाये वह इसकी निशानी है कि यह क़हर नहीं बल्कि मेहर और इनायत है। और जिसको यह सूरत न बने बल्कि बेकरारी व फरियाद और गुनाहों में और ज्यादा मशगूली बढ़ जाये वह अल्लाह के क़हर और अज़ाब की पहचान है। वल्लाहु आलम

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِبَ

الْفُكَّ بِأَمْرِهِ وَتَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ آخَرُومُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمُبِلِسِينَ ۝ فَانظُرْ إِلَى آثِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمَعْنَى الْمُؤْتَى، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِجَالًا فَأَرَاهُ مُصَفَّرًا الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُوتَى وَلَا تَسْمَعُ الدَّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمِّيَّ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

व मिन् आयातिही अय्युरसिलर्-
रिया-ह मुबशिशरातिंव-व लियुज़ी-ककुम्
मिर्ह्मतिही व लितजियल्-फुल्कु
बिअमिही व लितब्तगू मिन् फज़िलही
व लअल्लकुम् तश्कुरुन (46) व
ल-कद् अरसल्ला मिन् कबिल-क

और उसकी निशानियों में से एक यह है
कि चलाता है हवायें खुशख़बरी लाने वाली
और ताकि चखाये तुमको कुछ मज़ा अपनी
मेहरबानी का, और ताकि चलें जहाज़
उसके हुक्म से और ताकि तलाश करो
उसके फज़ल से और ताकि तुम हक़ मानो।
(46) और हम भेज चुके हैं तुझसे पहले

रुसुलन् इला कौमिहिम् फजाऊहुम्
 बिल्बयियनाति फन्त-कम्ना
 मिनल्लजी-न अजरम्, व का-न
 हक्कन् अलैना नस्रुल्-मुअ्मिनीन
 (47) अल्लाहुल्लजी युरसिलुर-रिया-ह
 फतुसीरु सहाबन् फ-यब्सुतुहू
 फिस्समा-इ कै-फ यशा-उ व
 यज्जलुहू कि-सफन् फ-तरल्-वद्-क
 यखरुजु मिन् खिलालिही फ-इजा
 असा-ब बिही मय्यशा-उ मिन्
 अिबादिही इजा हुम् यस्तबशिरुन
 (48) व इन् कानू मिन् कब्लि
 अय्युनज्ज-ल अलैहिम् मिन् कब्लिही
 लमुब्लिसीन (49) फन्जुर इला
 आसारि रह्मतिल्लाहि कै-फ युस्थिल्-
 अर्-ज बअ-द मौतिहा, इन्-न
 जालि-क लमुस्थिल्-मौता व हु-व
 अला कुल्लि शैइन् कदीर (50) व
 ल-इन् अरसलना रीहन् फ-रऔहु
 मुस्फरल् लजल्लू मिम्-बअदिही
 यक्फुरून (51) फ-इन्न-क ला
 तुस्मिअल्-मौता व ला तुस्मिअस्-
 सुम्पद्-दुआ-अ इजा वल्लौ मुद्बिरीन
 (52) व मा अन्-त बिहादिल्-अुम्पि

कितने रसूल अपनी अपनी कौम के पास,
 सो पहुँचे उनके पास निशानियाँ लेकर फिर
 बदला लिया हमने उनसे जो गुनाहगार थे
 और हक् है हम पर मदद ईमान वालों
 की। (47) अल्लाह है जो चलाता है हवायें
 फिर वो उठाती हैं बादल को फिर फैला
 देता है उसको आसमान में जिस तरह
 चाहे और रखता है उसको एक दूसरे के
 ऊपर, फिर तू देखे बारिश को निकलती है
 उसके बीच में से, फिर जब उसको
 पहुँचाता है जिसको चाहता है अपने बन्दों
 में तब ही वे लगते हैं खुशियाँ करने।
 (48) और पहले से हो रहे थे उसके
 उतरने से पहले ही नाउम्मीद। (49) सो
 देख ले अल्लाह की मेहरबानी की
 निशानियाँ क्योंकि जिन्दा करता है ज़मीन
 को उसके मर जाने के बाद, बेशक वही है
 मुर्दों को जिन्दा करने वाला और वह हर
 चीज़ कर सकता है। (50) और अगर हम
 भेजें एक हवा फिर देखें वे खेती को कि
 पीली पड़ गयी तो लगें उसके बाद नाशुकी
 करने। (51) सो तू सुना नहीं सकता मुर्दों
 को और नहीं सुना सकता बहरों को
 पुकारना जबकि फेरें पीठ देकर। (52)
 और न तू राह सुझाये अन्धों को उनके

अَنْ جَلَّالَتِيهِمْ، اِنْ تُوْصِيْمُ
اِلَّا مَنِّيْمِيْنُ بِيَايَاتِيْنَا
فَهُمْ-مُصْلِيْمُوْنَ (53) ❀

भटकने से, तू तो सुनाये उसी को जो
यकीन लाये हमारी बातों पर सो वे
मुसलमान होते हैं। (53) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और अल्लाह तआला की (कुदरत व वहदत और नेमत की) निशानियों में से एक यह (भी) है कि वह (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है कि वो (बारिश की) खुशखबरी देती हैं (पस उनका भेजना एक तो जी खुश करने के लिये होता है) और (साथ ही इस वास्ते) ताकि (उसके बाद बारिश हो और) तुमको अपनी (उस) रहमत (बारिश) का मज़ा चखा दे (यानी बारिश के फायदे इनायत फरमा दे) और (इस वास्ते भी हवा भेजता है) ताकि (उसके जरिये से हवा से चलने वाली) कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें, और ताकि (उस हवा के जरिये से कश्ती के द्वारा दरिया के सफर से) तुम उसकी रोजी तलाश करो (यानी कश्तियों का चलना और रोजी तलाश करना दोनों हवा भेजने से हासिल होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा कश्ती के माध्यम से), और ताकि तुम शुक्र करो। और (इन पूर्ण दलीलों और नेमतों अता फरमाने पर भी ये मुशिरक लोग हक़ तआला की जो नाशुक्रियाँ करते हैं यानी शिर्क और रसूल की मुखालफ़त और मोमिनों को तकलीफ़ वगैरह पहुँचाना तो आप उस पर ग़मगीन न हों क्योंकि हम जल्द ही उनसे बदला लेने वाले और उसमें उनको मग़लूब और अहले हक़ को ग़ालिब करने वाले हैं जैसा कि पहले भी हुआ है। चुनाँचे) हमने आप से पहले बहुत-से पैग़म्बर उनकी कौमों के पास भेजे और वे उनके पास (हक़ को साबित करने वाली) दलीलें लेकर आये (जिस पर बाज़े ईमान लाये और बाज़े न लाये) सो हमने उन लोगों से बदला लिया जिन्होंने जुर्म किये थे (और वो जुर्म और अपराध हक़ को झुठलाना और अहले हक़ की मुखालफ़त हैं, और उस बदला लेने में हमने उनको मग़लूब और ईमान वालों को ग़ालिब किया) और (वायदे व दस्तूर के मुताबिक) ईमान वालों को ग़ालिब करना हमारे जिम्मे था (वह बदला अल्लाह का अज़ाब था और उसमें काफ़िरों का हलाक होना या उनका पराजित होना व हार जाना है और मुसलमानों का बच जाना उनका ग़ालिब आना है। गर्ज़ कि इसी तरह काफ़िरों से बदला लिया जायेगा, चाहे दुनिया में चाहे मौत के बाद)।

(असल मज़मून से हटकर बीच में यह तसल्ली का मज़मून आ गया था आगे फिर हवाओं के भेजने के संक्षिप्त बयान की कुछ तफ़सील है कि) अल्लाह तआला ऐसा (कादिर व हकीम और इनाम देने वाला) है कि वह हवाएँ भेजता है, फिर वो (हवायें) बादलों को (जो कि कभी उन हवाओं से पहले बुख़ारात "समुद्री भाप" उठकर बादल बन चुकते हैं और कभी वो बुख़ारात उन्हीं हवाओं से बुलन्द होकर बादल बन जाते हैं फिर वो हवायें बादलों को उनकी जयह से यानी आसमानी फ़िज़ा से या ज़मीन से) उठाती हैं, फिर अल्लाह तआला उस (बादल) को (कभी तो) जिस तरह चाहता है आसमान (यानी आसमानी फ़िज़ा) में फैला देता है, और (कभी) उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। (बस्त का

मतलब यह है कि इकट्ठा करके दूर तक फैला देता है और 'कै-फ़ यशा-उ' का मतलब यह है कि कभी थोड़ी दूर तक कभी बहुत दूर तक, और कि-सफ़न् का मतलब यह है कि इकट्ठा नहीं होता बिखरा रहता है) फिर (दोनों हालत में) तुम बारिश को देखते हो कि उस (बादल) के अन्दर से निकलती है (इकट्ठे हुए बादल से बरसना तो अधिकतर होता ही है और कुछ मौसमों में अक्सर बारिश बिखरी हुई अलग-अलग होने वाली बदलियों से भी होती है)।

फिर (बादल से निकलने के बाद) जब वह (बारिश) अपने बन्दों में से जिसको चाहे पहुँचा देता है तो बस वे खुशियाँ मनाने लगते हैं। और वे लोग इससे पहले कि उनके खुश होने से पहले उन पर बरसे (बिल्कुल ही) ना-उम्मीद (हो रहे) थे (यानी अभी-अभी ना-उम्मीद थे और अभी खुश हो गये। और ऐसा ही देखने में भी है कि इन्सान की कैफ़ियत ऐसी हालत में बहुत जल्दी बदल जाती है)। सो (ज़रा) अल्लाह की रहमत (यानी बारिश) के आसार (तो) देखो कि अल्लाह तआला (उसके ज़रिये से) ज़मीन को उसके मुर्दा (यानी खुश्क) होने के बाद किस तरह ज़िन्दा (यानी तरोताज़ा) करता है। (और यह बात नेमत और उसके अकेला माबूद होने के अलावा इसकी भी दलील है कि मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा करने पर अल्लाह को पूरी कुदरत है। इससे मालूम होता है कि जिस खुदा ने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया) कुछ शक नहीं कि वही (खुदा) मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला है (पस अक़ली तौर पर मुम्किन होने में दोनों बराबर और ज़ाती कुदरत दोनों के साथ बराबर और अनुभव वे देखे जाने में दोनों कामों का एक जैसा होना ये सब चीज़ें इस मुहाल और दूर की बात समझे जाने को दफ़ा करने वाली हैं कि मरने के बाद फिर कैसे ज़िन्दा होंगे) और वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।

(यह मज़मून मुर्दों को ज़िन्दा करने का ज़मीन को ज़िन्दा करने के ताल्लुक से था जिसका ऊपर से चल रहे मज़मून से संबन्ध नहीं) और (आगे फिर बारिश व हवा के मुताल्लिक मज़मून है, जिसमें ग़फ़लत बरतने वालों की नाशुक्री का बयान है। यानी ग़ाफ़िल लोग ऐसे हक़ न पहचानने वाले और नाशुक्रे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी नेमतों के बाद) अगर हम उन पर और (क़िस्म की) हवा चलाएँ फिर (उस हवा से) ये लोग खेती को (खुश्क और) पीली हुई देखें (कि उसकी हरियाली और ताज़गी जाती रही) तो ये उसके बाद नाशुक्री करने लगें (और पिछली तमाम नेमतों का एक दम भुला दें) सो (जब इनकी ग़फ़लत और नाशुक्री का यह हाल है तो इससे यह भी साबित हुआ कि यह बिल्कुल ही बेहिस हैं तो इनके ईमान न लाने और सोच-विचार न करने पर ग़म भी बेकार है, क्योंकि) आप मुर्दों को (तो) नहीं सुना सकते, और बहरों को (भी) आवाज़ नहीं सुना सकते (खुसूसन) जबकि वे पीठ फेरकर चल दें (कि इशारे को भी न देखें)। और (इसी तरह) आप (ऐसे) अन्धों को (जो कि देखने वाले के पीछे न चलें) उनकी बेराही से राह पर नहीं ला सकते। (यानी ये तो ऐसे लोगों के जैसे हैं जो ज़िन्दगी और होश ही न रखते हों) आप तो बस उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का वक़ीन रखते हैं (और) फिर वे मानते (भी) हैं। (और जब ये लोग मुर्दों, बहरों, अन्धों के जैसे हैं फिर इनसे ईमान लाने की उम्मीद न रखिये और न ग़म कीजिये)।

मआरिफ व मसाईल

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

“हमने मुजरिमों काफिरों से इन्तिकाम (बदला) ले लिया और हमारे जिम्मे था कि हम मोमिनों की मदद करते।”

इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिनों की मदद करना अल्लाह तआला ने अपने फज़ल से अपने जिम्मे ले लिया है। इसका तकाज़ा बज़ाहिर यह था कि मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में कभी शिकस्त न हो, हालाँकि बहुत से वाकिआत इसके खिलाफ भी हुए हैं और होते रहते हैं। इसका जवाब खुद इसी आयत में मौजूद है कि मोमिनों से मुराद अल्लाह के रास्ते के वे मुजाहिद हैं जो ख़ालिस अल्लाह तआला के लिये काफिरों से जंग करते हैं, ऐसे लोगों का ही इन्तिकाम अल्लाह तआला मुजरिमों से लेते हैं और उनको ग़ालिब करते हैं, जहाँ कहीं इसके खिलाफ कोई सूत पेश आती है वहाँ उमूमन मुजाहिदों की कोई ख़ता व चूक उनकी शिकस्त का सबब बनती है जैसे जंगे-ए-उहुद के मुताल्लिक खुद कुरआने करीम में है:

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

“यानी शैतान ने उन लोगों को फिसला दिया, उनके बाज़े आमाल की ग़लती के सबब।”

और ऐसे हालात में भी अंततः अल्लाह तआला फिर उन्हीं को ग़लबा और फ़तह अता फ़रमा देते हैं जबकि उनको अपनी ग़लती पर तंबीह हो जाये, जैसा ग़ज़वा-ए-उहुद में हुआ। और जो लोग महज़ अपना नाम मोमिन मुसलमान रख लें, अल्लाह के अहकाम से ग़फ़लत व सरकशी के आदी हों और काफिरों के ग़लबे के वक़्त भी अपने गुनाहों से तौबा न करें वे इस वायदे में शामिल नहीं, वे अल्लाह की मदद के हकदार नहीं। यूँ अल्लाह पाक अपनी रहमत से बग़ैर किसी हक़ के भी मदद और ग़लबा अता फ़रमा देते हैं उसकी उम्मीद रखना और उससे दुआ माँगना हर हाल में मुफ़ीद ही मुफ़ीद है।

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الصَّوْتِي

इस आयत का मतलब यह है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। रहा यह मामला कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत है या नहीं और आम मुर्द ज़िन्दों का कलाम सुनते हैं या नहीं? इस मसले की मुख़्तसर तहकीक़ इसी जिल्द में सूर: नम्ल की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है और मुकम्मल तहकीक़ अहकर के अरबी के रिसाले में है जिसका नाम “तकमीलुल-हुबूर बिसिमाअि अहलिल-कुबूर” है और जो अहकामुल-कुरआन (अरबी भाषा) के पाँचवे भाग का हिस्सा बनकर प्रकाशित हो चुका है।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ

بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتُّووا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جِنَّتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

५

अल्लाहुल्लजी ख-ल-ककुम् मिन् जुअफिन् सुम्-म ज-अ-ल मिम्बअदि जुअफिन् कुव्वतन् सुम्-म ज-अ-ल मिम्-बअदि कुव्वतिन् जुअफव्-व शै-बतन्, यखलुकु मा यशा-उ व हुवल-अलीमुल्-कदीर (54) व यौ-म तकूमुस्सा-अतु युक्सिमुल्-मुजिरमू-न मा लबिसू गै-र सा-अतिन्, कजालि-क कानू युअफकून (55) व कालल्लजी-न ऊतुल्-अिल्-म वल्-ईमा-न ल-कद् लबिस्तुम् फी किताबिल्लाहि इला यौमिल्-बअसि फ-हाजा यौमुल्-बअसि व लाकिन्नकुम् कुन्तुम् ला तअलमून (56) फयौमइजिल्-ला यन्फअु-ल्लजी-न ज-लमू मअजि-रतुहुम् व ला हुम् युस्तअ-तबून (57) व ल-कद् जरब्ना लिन्नासि फी हाजल्-कुरआनि मिन् कुल्लि म-सलिन्, व ल-इन् जिअ-तहुम् बिआयतिल् ल-यकूलन्न-

अल्लाह है जिसने बनाया तुमको कमजोरी से फिर दिया कमजोरी के बाद जोर, फिर देगा जोर के बाद कमजोरी और सफ़ेद बाल, बनाता है जो कुछ चाहे और वह है सब कुछ जानता कर सकता। (54) और जिस दिन कायम होगी कियामत कसमें खायें गुनाहगार कि हम नहीं रहे थे एक घड़ी से ज्यादा, इसी तरह थे उल्टे जाते। (55) और कहेंगे जिनको मिली है समझ और यकीन तुम्हारा ठहरना था अल्लाह की किताब में ज़िन्दा होकर उठने के दिन तक, सो यह है उठने का दिन पर तुम नहीं थे जानते। (56) उस दिन काम न आयेगा उन गुनाहगारों को कसूर बढ़शवाना और न उनसे कोई मनाना चाहे। (57) और हमने बिठलाई है आदमियों के वास्ते इस कुरआन में हर एक तरह की मिसाल, और जो तू लाये उनके पास कोई आयत तो ज़रूर कहें वे

म
प
न
व
य
यू

हाल
कम
जान
उसव
(आ
कापि
नाग
बर्ज
वह
निय
मही
(दु
जाने
कस

का
रह
कि
औ
तुम्

-ल्लज़ी-न क-फ़रू इन् अन्तुम् इल्ला
मुब्तिलून (58) कज़ालि-क
यत्बअुल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ी-न
ला यअ़्लमून (59) फ़स्बिर् इन्-न
वअ़्दल्लाहि हक्कुं व-व ला
यस्तख़िफ़न्न-कल्लज़ी-न ला
यूकिनून (60) ❀

इनकारी तुम सब झूठ बनाते हो। (58) यूँ
मोहर लगा देता है अल्लाह उनके दिलों
पर जो समझ नहीं रखते। (59) सो तू
कायम रह बेशक अल्लाह का वायदा ठीक
है और उखाड़ न दें तुझको वे लोग जो
यकीन नहीं लाते। (60) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको कमज़ोरी की हालत में बनाया (इससे मुराद शुरू की बचपन की हालत है) फिर (उस) कमज़ोरी के बाद ताक़त (यानी जवानी) अता की, फिर (उस) ताक़त के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा किया। (और) वह जो चाहता है पैदा करता है, और वह (हर तसरूफ़ को) जानने वाला (और उस तसरूफ़ के नाफ़िज़ करने पर) कुदरत रखने वाला है। (पस जो ऐसा कादिर हो उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। यह तो बयान था दोबारा ज़िन्दा होने के इमकान का) और (आगे उसके वाक़े व ज़ाहिर होने का बयान है, यानी) जिस दिन क़ियामत कायम होगी मुजरिम (यानी काफ़िर) लोग (वहाँ की हौल व हैबत और परेशानी को देखकर क़ियामत के आने को बहुत ही ज़्यादा नागवार समझकर) कसम खा बैठेंगे कि (क़ियामत बहुत जल्दी आ गई और) वे लोग (यानी हम लोग बर्ज़ख़ के जहान में) एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे (यानी जो मियाद क़ियामत के आने की मुक़रर थी वह भी पूरी न होने पाई कि क़ियामत आ पहुँची, जैसा कि देखा जाता है कि अगर फाँसी वाले की मियाद एक माह मुक़रर की जाये तो जब महीना गुज़र चुकेगा तो उसको ऐसा मालूम होगा कि गोया महीना नहीं गुज़रा और मुसीबत जल्दी आ गई, हक् तअ़ाला का इरशाद है कि) इसी तरह ये लोग (दुनिया में) उल्टे चला करते थे (यानी जिस तरह यहाँ आख़िरत में क़ियामत के वक़्त से पहले आ जाने पर कसमें खाने लगे इसी तरह दुनिया में क़ियामत के वजूद ही के इनकारी थे, और न आने पर कसमें खाया करते थे)।

और जिन लोगों को इल्म और ईमान अता हुआ है (मुराद ईमान वाले हैं कि शरीअत की ख़बरों का इल्म उनको हासिल है) वे (उन मुजरिमों के जवाब में) कहेंगे कि (तुम बर्ज़ख़ में मियाद से कम तो नहीं रहे, तुम्हारा यह दावा ग़लत है, बल्कि) तुम तो अल्लाह के लिखे हुए (मुक़रर वक़्त) के मुवाफ़िक़ क़ियामत के दिन तक रहे हो, सो क़ियामत का दिन यही है (जो मियाद मुक़रर थी बर्ज़ख़ में रहने की) और लेकिन (वजह इस बात की कि क़ियामत को मियाद से पहले आया हुआ समझते हो यह है कि) तुम (दुनिया में क़ियामत के आने का) यकीन (और एतेकाद) न करते थे (बल्कि इसको झुठलाते और

इनकार किया करते थे, उस इनकार के बवाल में आज परेशानी का सामना हुआ, इस वजह से घबराकर यह खयाल हुआ कि अभी तो मियाद पूरी भी नहीं हुई, और अगर तस्दीक करते और ईमान ले आते तो इसके आने को जल्दी न समझते बल्कि यूँ चाहते कि इससे भी जल्दी आ जाये, क्योंकि इनसान से जब किसी राहत व आराम का वायदा हो तो तबई तौर पर उसका जल्दी आना चाहता है और इन्तिज़ार भारी और उसकी मुद्दत लम्बी मालूम हुआ करती है। जैसा कि हदीस में भी है कि काफिर क़ब्र में कहता है 'या रब! क़ियामत क़ायम न कर', और मोमिन कहता है 'या रब! क़ियामत क़ायम कर'। और मोमिनों के इस जवाब से भी जो यहाँ ज़िक्र हुआ है कि बर्ज़ख़ के मक़ाम को उन्होंने बहुत समझा है, यह साफ़ झलकता है कि वे मुश्ताक़ थे, इसलिये चाहते थे कि जल्द आ जाये) गर्ज़ कि उस दिन ज़ालिमों (यानी काफ़िरों की परेशानी और मुसीबत की यह कैफ़ियत होगी कि उन) को उनका (किसी किस्म का झूठा सच्चा) उज़्र करना नफ़ा न देगा, और न उनसे खुदा की नाराज़गी की तलाफ़ी चाही जायेगी (यानी इसका मौक़ा न दिया जायेगा कि तौबा करके खुदा को राज़ी कर लें)।

और हमने लोगों (की हिदायत) के वास्ते इस क़ुरआन (के मजमूए या इसके इस खास हिस्से यानी इस सूरात) में हर तरह के उम्दा (और अज़ीब ज़रूरी) मज़ामीन बयान किये हैं (जो अपनी उम्दगी, ख़ूबी और कमाल की वजह से इसका तकाज़ा करते हैं कि इन काफ़िरों को हिदायत हो जाती मगर इन लोगों ने अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी व मुख़ालफ़त के सबब इसको कुबूल न किया और इससे फ़ायदा उठाने वाले न हुए) और (क़ुरआन की क्या विशेषता है इन लोगों का बैर व मुख़ालफ़त इस दर्जा बढ़ गयी है कि) अगर (क़ुरआन के अलावा उन मोज़िज़ों में से जिनकी ये खुद फ़रमाईश किया करते हैं) आप इनके पास कोई निशानी ले आएँ तब भी ये लोग जो काफ़िर हैं यही कहेंगे कि तुम सब (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मोमिन हज़रात जो शरई और कायनाली आयतों व निशानियों की तस्दीक करते हैं) ख़ालिस झूठे और ग़ैर-हक़ वाले हो। (पैग़म्बर को जादू की तोहमत लगाकर बातिल रास्ते वाले कहें और मुसलमानों को जादू की तस्दीक करने से ग़ैर-हक़ पर कहें, और उन लोगों की इस दुश्मनी व मुख़ालफ़त के बारे में असल बात यह है कि) जो लोग (बावजूद बार-बार निशानियाँ और हक़ की दलीलें ज़ाहिर होने के) यक़ीन नहीं करते (और न उसके हासिल करने की कोशिश करते हैं) अल्लाह तआला उनके दिलों पर यूँ ही मोहर कर दिया करता है (जैसा कि इनके दिलों पर हो रही है। यानी हक़ को कुबूल करने की सलाहियत व काबलियत रोज़ाना कमज़ोर व बेदम होती जाती है, इसलिये बात मानने और फ़रमाँबरदारी में कमज़ोरी और मुख़ालफ़त व दुश्मनी में कुव्वत बढ़ती जाती है) सो (जब ये ऐसे मुख़ालिफ़ व दुश्मन हैं तो इनकी मुख़ालफ़त, तकलीफ़ें पहुँचाने और बद-क़लामी वग़ैरह पर) आप सब्र कीजिये, बेशक अल्लाह का वायदा (कि आख़िर में ये नाकाम और हक़ वाले कामयाब होंगे) सच्चा है, (वह वायदा ज़रूर ज़ाहिर होगा। पस सब्र व बरदाश्त थोड़े ही दिन करना पड़ता है) और ये बुरे यक़ीन वाले लोग आपको बे-बरदाश्त न करने पायें (यानी इनकी तरफ़ से चाहे कैसी ही बात पेश आये मगर ऐसा न हो कि आप बरदाश्त न करें)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत का बड़ा हिस्सा क़ियामत का इनकार करने वालों के शुब्हात को दूर करने से संबन्धित है जिसके लिये हक़ तआला की कामिल और असीमित कुदरत और पूर्ण हिक्मत की बहुत सी आयतें और निशानियाँ दिखलाकर ग़ाफ़िल इनसान को ग़फ़लत से जगाने का सामान किया गया है। उपर्युक्त पहली आयत में एक नये अन्दाज़ से इसी मज़मून को साबित किया है वह यह कि इनसान अपनी तबीयत से जल्दबाज़ चाके हुआ है और सामने की चीज़ों में लगकर भूतकाल व भविष्यकाल को भुला देने का आदी है, और इसकी यही आदत इसको बहुत सी तबाहक़ुन ग़लतियों में मुब्तला करती है।

जिस वक़्त इनसान जवान होता है उसकी कुव्वत अपने शबाब पर होती है, यह अपनी ताक़त के नशे में किसी को कुछ नहीं समझता, हदों पर कायम रहना इसको दूधर मालूम होता है। इसको चेताने के लिये इस आयत में ताक़त व कमज़ोरी के एतिबार से इनसानी वजूद का एक मुकम्मल खाका पेश किया गया है जिसमें दिखलाया है कि इनसान की शुरूआत भी कमज़ोर है और इन्तिहा भी, बीच में बहुत थोड़े दिनों के लिये इसको एक ताक़त मिलती है। अक़ल का तकाज़ा यह है कि उस चन्द दिन की ताक़त के ज़माने में अपनी पहली कमज़ोरी और आने वाली कमज़ोरी से कभी ग़ाफ़िल न हो बल्कि अपनी उस कमज़ोरी के विभिन्न दर्जों को हमेशा सामने रखे जिनसे गुज़रकर यह कुव्वत व जवानी तक पहुँचा है।

‘ख़-ल-क़कुम् मिन् जुअ्फ़िन्’ में इनसान को यही सबक़ दिया गया है कि अपनी असल बुनियाद को देख किस क़द्र कमज़ोर बल्कि पूरी तरह कमज़ोर है कि एक बेजान, बेशऊर, नापाक क़तरा धिनौनी चीज़ है, इसमें गौर करो कि किसकी कुदरत व हिक्मत ने इस धिनौने क़तरे को एक जमे हुए खून की सूरत में फिर गोश्त की सूरत में फिर उस गोश्त के अन्दर हड्डियाँ जमाने में तब्दीलियाँ कीं फिर उसके अंगों और हिस्सों की नाज़ुक नाज़ुक मशीनें बनाई कि यह एक छोटा सा वजूद एक चलती फिरती फैक्ट्री बन गया जिसमें सैकड़ों अजीब व ग़रीब अपने आप काम करने वाली मशीनें लगी हुई हैं और ज़्यादा विचार से काम लो तो एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक छोटी सी दुनिया है कि पूरे जहान के नमूने उसके वजूद में शामिल हैं। इसके पैदा करने और बनाने का काम भी किसी बड़े वर्कशॉप में नहीं बल्कि माँ के पेट की तीन अंधेरियों में हुआ। और नौ महीने उसी तंग व अंधेरी जगह में माँ के पेट के खून और गंदगियों से ग़िज़ा पाते हुए हज़रते इनसान का वजूद तैयार हुआ।

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ

फिर अल्लाह तआला ने इनके जाहिर होने के लिये रास्ता आसान बना दिया, इस आलम में आये तो इनकी शान यह थी कि:

أَخْرَجَكُم مِّن مَّ بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

यानी तुम्हें माँ के पेट से अल्लाह तआला ने इस हालत में निकाला कि तुम कुछ न जानते थे अब कुदरत ने तालीम व हिदायत का सिलसिला शुरू किया, सबसे पहला हुनर रोने का सिखलाया

जिससे माँ-बाप मुतवज्जह होकर उसकी भूख प्यास और हर तकलीफ को दूर करने पर लग जायें। फिर होंठों, मसूढ़ों से दबाकर माँ की छातियों से दूध निकालने का हुनर सिखलाया, जिससे वह अपनी गिज़ा हासिल करे। किसकी मजाल थी जो इस नासमझ बच्चे को ये दोनों हुनर सिखा दे जो इसकी मौजूदा सारी ज़रूरतों की जिम्मेदारी लेते हैं सिवाय उस कुदरत के जो इसकी पैदाईश की मालिक है। अब कमजोर बच्चा है ज़रा हवा लग जाये तो निढाल और बेदम हो जाये, ज़रा सर्दी या गर्मी लग जाये तो बीमार हो जाये, न अपनी किसी ज़रूरत को माँग सकता है न किसी तकलीफ को दूर कर सकता है, यहाँ से चलिये और जवानी के आलम तक इसकी दर्जा-ब-दर्जा मन्ज़िलों तक गौर करते जाइये तो हफ़ तआला की कुदरत का ऐसा अज़ीम नमूना सामने आयेगा कि अक्ल हैरान रह जायेगी।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ

अब यह कुव्वत की मन्ज़िल में पहुँचे तो ज़मीन आसमान को एक करने लगे, चाँद और मंगल ग्रह पर कमन्द फेंकने लगे, खुश्की व पानी पर अपने कब्जे जमाने लगे, अपने गुंजरे दौर और आने वाले जमाने से गाफ़िल होकर 'मन् अशदुदु मिन्ना कुव्वतन्' (हम से ज़्यादा कौन ताकतवर हो सकता है) के नारे लगाने लगे। यहाँ तक कि इसी ताकत के नशे में अपने पैदा करने वाले को भी भूल गये और उसके अहकाम की पैरवी को भी। मगर कुदरत ने इसको जगाने और सचेत करने के लिये फरमाया:

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئَةً

कि गाफ़िल! ख़ूब समझ ले कि यह कुव्वत तेरी चन्द दिन की है फिर उसी कमजोरी के आलम की तरफ़ लौटना है और उसी धीमी रफ़्तार से कमजोरी बढ़नी शुरू होगी जिसका असर एक वक़्त के बाद बालों की सफ़ेदी की सूरत में ज़ाहिर होगा। और फिर सब ही आज्ञा व बदन के हिस्सों की शक़्ल व सूरत में तब्दीलियाँ लायेगी, दुनिया की तारीख़ और दूसरी किताबें नहीं खुद अपने वजूद में लिखी हुई इस छुपी तहरीर को पढ़ लो तो इस यकीन के सिवा कोई चारा-ए-कार न रहेगा कि:

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

कि यह सब कारसाज़ी उस रब्बुल-इज़्ज़त की है जो पैदा करता है जो चाहता है जिस तरह चाहता है और इल्म में भी सबसे बड़ा है और कुदरत में भी। क्या इसके बाद भी इसमें कुछ शुद्धे की गुन्जाईश रह गई कि वह जब चाहे मुर्दों को दोबारा भी जिन्दा कर सकता है।

आगे फिर क़ियामत का इनकार करने वालों की बकवास और उनकी जहालत का बयान है:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

“यानी जिस दिन क़ियामत कायम होगी तो ये क़ियामत के इनकारी उस वक़्त के हौलनाक मनाज़िर (दृश्यों) से मदहोश होकर यह क़समें खाने लगें कि हमारा क़ियाम (ठहरना) तो एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहा। इस ठहरने से मुराद हो सकता है कि दुनिया का ठहरना हो, क्योंकि उनकी दुनिया आराम व ऐश से गुज़री थी और अब सख़्त मुसीबतें सामने आईं तो जैसे इनसान की तबई आदत है

कि राहत के ज़माने को बहुत मुख़्तसर समझा करता है इसलिये कसमें खा जायेंगे कि दुनिया में तो हमारा क़ियाम (रहना और ठहरना) बहुत ही मुख़्तसर एक घड़ी का था।

और यह भी हो सकता है कि इस क़ियाम से मुराद क़ब्र और बर्ज़ख़ का क़ियाम हो, और मतलब यह हो कि हम तो समझते थे कि क़ब्र यानी अ़लमे बर्ज़ख़ में ठहरना बहुत लम्बा होगा और क़ियामत बहुत ज़माने के बाद आयेगी मगर मामला उल्टा हो गया कि हम बर्ज़ख़ में थोड़े ही देर ठहरने पाये थे कि क़ियामत आ गई। और यह जल्दी आना उनको इस बिना पर महसूस होगा कि क़ियामत में उनके लिये कोई खुशी व राहत की चीज़ तो थी नहीं, मुसीबत ही मुसीबत थी, और इनसानी फ़ितरत यह है कि मुसीबत आने के वक़्त पिछली राहत के ज़माने को बहुत मुख़्तसर समझने लगता है और काफ़िरों को अगरचे क़ब्र व बर्ज़ख़ में भी अज़ाब होगा मगर क़ियामत के अज़ाब के मुक़ाबले में वह भी राहत महसूस होने लगेगा, और उस ज़माने को मुख़्तसर समझकर कसम खायेंगे कि क़ब्र में हमारा ठहरना बहुत मुख़्तसर एक घड़ी का था।

क्या मेहशर में अल्लाह के सामने कोई झूठ बोल सकेगा?

इस आयत से मालूम हुआ कि मेहशर में काफ़िर लोग कसम खाकर यह झूठ बोलेंगे कि हम तो दुनिया में या क़ब्र में एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे, इसी तरह एक दूसरी आयत में मुश्रिकों का यह कौल ज़िक्र हुआ है कि वे कसम खाकर कहेंगे कि हम मुश्रिक नहीं थे:

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝

वजह यह है कि मेहशर में रब्बुल-अ़लमीन की अ़दालत कायम होगी, वह सब को आज़ादी देंगे कि जो चाहे बयान दे, झूठ बोले या सच बोले। क्योंकि रब्बुल-इज़्ज़त को ज़ाती इल्म भी पूरा-पूरा है और अ़दालती तहकीक़ात के लिये वह उनके इक़रार करने न करने का मोहताज नहीं, जब इनसान झूठ बोलेगा तो उसके मुँह पर मुहर लगा दी जायेगी और उसके हाथ-पाँव और खाल व बाल से गवाही ली जायेगी वो सच-सच सारा वाक़िआ बयान कर देंगे जिसके बाद उसको कोई हुज़्जत बाकी न रहेगी।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ.....الآیة

(सूर: यासीन आयत 65) का यही मतलब है, और क़ुरआने करीम की दूसरी आयतों से मालूम होता है कि मेहशर में मुख़्तलिफ़ मवाफ़ि़क़ (खड़े होने और हिसाब-किताब के मौक़े) होंगे, हर मौक़फ़ के हालात अलग हैं, एक मौक़फ़ वह भी होगा जिसमें अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी को बोलने का इख़्तियार न होगा और वह सिर्फ़ सच और सही बात ही बोल सकेगा, झूठ पर कुदरत न होगी जैसा कि सूर: न-ब-अ की आयत 38 में इरशाद है:

لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اِذْنٌ لّٰهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

क़ब्र में कोई झूठ न बोल सकेगा

इसके विपरीत क़ब्र के सवाल व जवाब में सही हदीसों में बयान हुआ है कि जब काफ़िर से पूछा

जायेगा कि तेरा रब कौन है और मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कौन हैं? तो वह कहेगा 'हाह हाह ला अदरी' "यानी हाय! हाय! मैं कुछ नहीं जानता।" अगर वहाँ झूठ बोलने का इख्तियार होता तो क्या मुश्किल था कह देता कि मेरा रब अल्लाह है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो यह एक अजीब बात है कि काफिर लोग अल्लाह के सामने तो झूठ बोलने पर कादिर हों और फरिश्तों के सामने झूठ न बोल सकें। मगर गौर किया जाये तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं, वजह यह है कि फरिश्ते न तो आलिमुल-गैब हैं न उनको यह इख्तियार है कि हाथ-पाँव की गवाही लेकर उस पर हुज्जत पूरी कर दें, अगर उनके सामने झूठ बोलने का इख्तियार होता तो सब काफिर बदकार कब्र के अज़ाब से बेफिक्र हो जाते। बख़िलाफ़ अल्लाह जल्ल शानुहू के कि वह दिलों के हाल से भी वाकिफ़ हैं और बदन के अंगों की गवाही से उसका झूठ खोल देने पर कादिर भी हैं। इसलिये मेहशर में यह आज़ादी दे देना अदालती इन्साफ़ में कोई खलल (ख़राबी और बाधा) पैदा नहीं करता। वल्लाहु आलम

सूर: रूम बहमदिल्लाह 28 ज़ीकादा सन् 1391 हिजरी दिन शनिवार को मुकम्मल हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: रूम की तफ़सीर मुकम्मल हुई।



LAQAD KHALAQNAL INSAANA FEE AHSANI TAQWEEM

कुछ अलफाज और उनके मायने

इस्लामी महीनों के नाम:- मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल-अव्वल, जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जीकादा, ज़िलहिज्जा।

चार मशहूर आसमानी किताबें

तौरात:- वह आसमानी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

ज़बूर:- वह आसमानी किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्ज़ील:- वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

कुरआन मजीद:- वह आसमानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम पर नाज़िल हुई। यह आखिरी आसमानी किताब है।

रिश्ते और निस्बतें

अबू:- बाप (जैसे अबू हुज़ैफ़ा)।

इब्न:- बेटा, पुत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्म:- माँ (जैसे उम्मे कुलसूम)।

बिन्त:- बेटी, पुत्री (जैसे बिन्ते उमर)।



अज़ल:- शुरू, मख़्लूक की पैदाईश का दिन। वह समय जिसकी कोई शुरूआत न हो।

अजायबात:- अनोखी या हैरत-अंगेज़ चीज़ें।

अज़ाब:- गुनाह की सज़ा, तकलीफ़, दुख, मुसीबत।

अज़्र:- नेक काम का बदला, सवाब, फल।

अक़ीदा:- दिल में जमाया हुआ यकीन, ईमान, एतिबार, आस्था आदि। इसका बहुवचन अक़ीदे और अक़ायद आता है।

अदम:- नापैदी, न होना।

अबद:- हमेशगी। वह ज़माना जिसकी कोई इन्तिहा न हो।

अहकाम:- हुक्म का बहुवचन, मायने हैं फ़रमान, इरशाद, शरई फ़ैसला आदि।

आयत:- निशान, कुरआनी आयत का एक टुकड़ा, एक रुकने की जगह का नाम जो गोल दायरे की शक्ल में होती है।

आख़िरत:- परलोक, दुनिया के बाद की ज़िन्दगी।

इस्मे आज़म:- अल्लाह तआला के नामों में से एक बड़ाई वाला नाम, इसके ज़रिये दुआ की कुबूलियत का अवसर बढ़ जाता है।

इजमा:- जमा होना, एकमत होना, मुसलमान उलेमा का किसी शरई मामले पर एकमत होना।

इस्तिगफार:- तौबा करना, बख्शीश चाहना।

उज़्र:- बहाना, हीला, सबब, हुज्जत, एतिराज़, पकड़, माफी, माफी चाहना, इनकार।

एहराम:- बिना सिली एक चादर और तहबन्द। मुराद वह कपड़ा और लिबास है जिसको पहनकर हज और उमरे के अरकान अदा किये जाते हैं।

कहानत:- ग़ैब की बात बताना, फ़ाल कहना, भविष्यवाणी करना।

कफ़ारा:- गुनाह को धो देने वाला, गुनाह या ख़ता का बदला, कुसूर का दंड जो खुदा तआला की तरफ़ से मुकर्रर है। प्रायश्चित्त।

कियास:- अन्दाज़ा, अटकल, जाँच।

किसास:- बदला, इन्तिकाम, खून का बदला खून।

ख़ालिक:- पैदा करने वाला। अल्लाह तआला का एक सिफ़ाती नाम।

ग़ज़वा:- वह जिहाद जिसमें खुद रसूले खुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ग़ैब:- ग़ैर-मौजूदगी, पोशीदगी की हालत, जो आँखों से ओझल हो। जो अभी भविष्य में हो।

जमाना-ए-जाहिलीयत:- अरब में इस्लाम से पहले का जमाना और दौर।

जिहाद:- कोशिश, जिद्दोजहद, दीन की हिमायत के लिये हथियार उठाना, जान व माल की कुरबानी देना।

जिज्या:- वह टैक्स जो इस्लामी हुकूमत में ग़ैर-मुस्लिमों से लिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और धर्मगुरु इससे बाहर रहते हैं। इस टैक्स के बदले हुकूमत उनके जान माल आबरू की सुरक्षा करती है।

तक़दीर:- वह अन्दाज़ा जो अल्लाह तआला ने पहले दिन से हर चीज़ के लिये मुकर्रर कर दिया है। नसीब, किस्मत, भाग्य।

तर्का:- मीरास, मरने वाले की जायदाद व माल।

तौहीद:- एक मानना, खुदा तआला के एक होने पर यक़ीन करना।

तस्दीक़:- सच होने की पुष्टि करना, साबित करना।

तकज़ीब:- झुठलाना, झूठ बोलने का इल्जाम लगाना।

तरदीद:- किसी बात को रद्द करना, खण्डन करना।

तहरीफ़:- बदल देना, तहरीर में असल अलफ़ाज़ बदल कर और कुछ लिख देना, या तर्जुमा करने में जान-बूझकर ग़लत मायने करना।

तिलावत:- पढ़ना, कुरआन शरीफ़ पढ़ना।

तजल्ली:- पर्दा हटना, जाहिर होना, रोशनी, चमक, उजाला आदि।

तरगीब:- शौक, इच्छा, किसी काम के करने पर उभारना।

तवाफ़:- अल्लाह के घर का चक्कर लगाना।

दारुल-हरब:- वह देश जहाँ मुसलमानों का जान, माल और धर्म सुरक्षित नहीं।

